सुनन् अबू दाऊद शरीफ़

1 से 2787

1

इदारा इशाअतुस्सुन्नह दिल्ली

बिस्मिल्लाहिर्रहमा निर्रहीम

रसूल जिस बात का आदेश दे उस पर अ़मल करो
और
जिस बात से मना करे उस से दूर रहो (और बस!)
(सूरः हश्र-7)

हदीस नं. 1 से 2787

सुनन्
अबू दावूद शरीफ़

(पहला भाग)

संपादक
इमाम अबू दावूद सुलैमान अश्-अ़स सजिस्तानी रह॰
(202हि॰-275हि॰)

उर्दू तर्जुमा व तशरीह
उमर फ़ारुक़ सअ़ीदी+हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़
शैख़ ज़ुबैर अली ज़ई

अनुवाद
ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी (फ़लाही)

प्रकाशक
इदारा इशाअतुस्सुन्नह—दिल्ली

बिस्मिल्लाहिर्रहमा निर्रहीम

रसूल जिस बात का आदेश दें उस पर अमल करो
और
जिस बात से मना करे उस से दूर रहो (और बस!)

(सूरः हश्र-7)

सुनन्
अबू दावूद शरीफ़
(पहला भाग)

संपादक

इमाम अबू दावूद सुलैमान अश्-अस सजिस्तानी रह०
(202 हि०-275 हि०)

उर्दू तर्जुमा व तशरीह

उमर फ़ारुक़ सओदी-हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ

अनुवाद

ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी (फ़लाही)

प्रकाशक

इदारा इशा-अतुस्सुन्नह (दिल्ली)

नाम पुस्तक	:	सुनन् अबू दावूद शरीफ़ (पहला भाग)
संपादक	:	इमाम अबू दावूद सुलैमान अश-अ़स सजिस्तानी रह॰
उर्दू तर्जुमा	:	उमर फ़ारुक़ सओ़ीदी-हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़
हिन्दी अनुवाद व तशरीह	:	ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी फ़लाही
प्रथम एडीशन	:	मई 2011
मूल्य	:	800 Rs. (आठ सौ रु॰)
मुद्रक	:	इदारा इशा-अ़तुस्सुन्नह (दिल्ली)
कम्पोज़िंग	:	तय्यब अज़ीज़, सनम अज़ीज़, द बाइट पब्लिशिंग सिस्टम्स, दिल्ली

मिलने का पता

★ ***दारुल कुतुबिल इस्लामिया***

419, उर्दू मार्किट, मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006

फ़ोनः- 011-23269123

★ **Darul Kutub-Al-Islamia**

419, Urdu Market, Matia Mahal, Jama Masjid-110006

Ph.: 011-23269123

★★★

© इस पुस्तक के सर्वाधिकार अनुवादक के नाम सुरक्षित हैं। किसी और को इस पुस्तक के किसी भी अंश के छापने की अनुमति नहीं है। ख़िलाफ़ वर्ज़ी करने की सूरत में क़ानूनी कार्यवाही की जायेगी।

सुनन् अबू दावूद शरीफ़
(पहला भाग)
किताब (शीर्षक) की सूची

न॰	शीर्षक (किताब)	हदीस न॰ से	पेज न॰
01	पाकी के मसाइल का बयान	1 से	57
02	नमाज़ के मसाइल का बयान	391 से	137
00	सफ़बन्दी के मसाइल का बयान	661 से	194
00	सुतरे के अकहम का बयान	685 से	198
00	जिन से नमाज़ टूट जाती है	702 से	202
00	जिन से नमाज़ नहीं टूटती है	702 से	202
00	नमाज़ शुरु करने के अहकाम व मसाइल	721 से	205
00	जुमा के अहकाम व मसाइल	1046 से	270
03	इस्तिस्क़ा के अहकाम व मसाइल	1161 से	293
00	सूरज ग्रहण के मसाइल का बयान		294
04	सफ़र की नमाज़ के अहकाम व मसाइल	1198 से	302
05	नवाफ़िल और सुन्नतों के अहकाम व मसाइल	1250 से	315
00	तहज्जुद की नमाज़ के अहकाम व मसाइल	1304 से	325
06	रमज़ान मुबारक के अहकाम व मसाइल	1371 से	339
00	कुरआन की क़िरात का बयान	1388 से	343
07	तिलावत के सज्दों का बयान	1401 से	347
08	वित्र के अहकाम व मसाइल	1416 से	350
09	ज़कात के अहकाम व मसाइल	1556 से	373
10	गिरी–पड़ी चीज़ों के अहकाम व मसाइल	1701 से	401
11	हज्ज के अहकाम व मसाइल	1721 से	406
12	निकाह के अहकाम व मसाइल	2046 से	474
13	तलाक़ के अहकाम व मसाइल	2175 से	504
14	रोज़ा के अहकाम व मसाइल	2313 से	542
15	जिहाद के मसाइल का बयान	2477 से	578

★★★

सुनन् अबू दावूद शरीफ़
(पहला भाग)
विषय सूची

न॰	विषय पेज न॰	
	1. (पाकी के अहकाम व मसाइल)	
1	पाख़ाना-पेशाब के लिये लोगों से दूर और अलग जाने का बयान...........	57
	पेशाब के लिये नर्म स्थान तलाश करना चाहिये	57
	शौचालय में दाख़िल हो तो क्या पढ़े?	58
	क़िब्ला की तरफ़ पाख़ना-पेशाब के लिये बैठना मक्रुह है	58
	इस मस्अले में रुख़्सत का बयान...	59
	पाख़ाना-पेशाब के लिये कपड़ा कब हटायें	59
	इस दौरान बात-चीत मक्रुह है..	60
	पेशाब करते हुये सलाम का उत्तर देना?	60
	पाकी के बिना अल्लाह पाक का ज़िक्र करना	60
	जिस अन्गूठी में अल्लाह का नाम हो उसे शौचालय में ले जाना..............	60
	खड़े होकर पेशाब करना..	62
	रात को किसी बर्तन में पेशाब करना	62
	वह स्थान जहाँ पेशाब करना मना है	62
	स्नान घर में पेशाब करने का मस्अला	62
	बिल में पेशाब करना मना है..	63
	शौचालय से निकल कर इन्सान क्या पढ़े?	63
	शर्मगाह को दायें हाथ से न छुवा जाये	63
	पाख़ाना-पेशाब के समय पर्दा करना	64
	जिन चीज़ों से इस्तिन्जा करना मना है	64
	ढेलों के साथ इस्तिन्जा करना	65
	इस्तिन्जा का बयान	65

पानी से इस्तिन्जा करना	66
इस्तिन्जा के बाद हाथ को ज़मीन पर रगड़े	66
मिसवाक का बयान	66
मिसवाक कैसे की जाये?	67
दूसरे की मिसवाक प्रयोग करना	67
मिसवाक करने का बयान	68
रात को उठ कर मिसवाक करना	68
वुजू के फ़र्ज़ होने का बयान	69
वुजू होते हुये नया वुजू करना	69
पानी को क्या चीज़ नापाक करती है	70
बज़ाअह कुँए का बयान	70
जुनुबी का इस्तेमाल किया हुआ पानी जुनुबी नहीं होता	71
ठहरे हुये पानी में पेशाब करना	71
कुत्ते के जूठे पानी से वुजू करना	71
बिल्ली के जूठे का बयान	72
महिला के इस्तेमाल से बचे हुये पानी से वुजू करना	73
उन के बचे हुये पानी से वुजू करना मना है	74
समुन्दर के पानी से वुजू	74
खजूर और मुनक़्क़ा के शर्बत (नबीज़) से वुजू करना	74
पाख़ाना-पेशाब लगा हो और नमाज़ पढ़ रहा हो	75
वुजू के लिये कितना पानी काफ़ी है?	76
वुजू में फुज़ूल ख़र्ची मना है	76
वुजू मुकम्मल करने का बयान	77
पीतल के बर्तन से वुजू	77
वुजू शुरु करते हुये "बिस्मिल्लाह" कहना	77
हाथ धोने से पहले बर्तन में डाल देना	77
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के वुजू का बयान	78
आज़ा (अन्ग) को तीन-तीन बार धोने का बयान	84
दो-दो बार वुजू के आज़ा (अन्ग) धोना	84
एक ही बार आज़ा (अन्ग) धोना	84
कुल्ली और नाक में पानी लेने में फ़र्क़ करना	85
नाक झाड़ने का बयान	85
दाढ़ी में ख़िलाल करने का बयान	86
पगड़ी पर मसह करने का बयान	86

पाँव धोने का बयान	87
मोज़ों पर मसह करने का बयान	87
मसह के लिये मुद्दत का बयान	89
जुर्राबों पर मसह करना	89
मसह कैसे हो?	90
छींटें मारने का बयान	91
वुज़ू के बाद आदमी क्या पढ़े	91
एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ना	92
वुज़ू में तसलसुल बाक़ी न रहे तो?	92
अगर बावुज़ू होने में शक हो तो?	93
बोसा लेने से वुज़ू टूटने का मस्अला	93
शर्मगाह को छूने से वुज़ू	93
इस में रुख़्सत का बयान	93
ऊँट का गोश्त खाने से वुज़ू	93
कच्चे गोश्त को हाथ लगाने से वुज़ू	94
मुर्दार को हाथ लगाने से वुज़ू न करना	94
आग पर पकी चीज़ के इस्तेमाल से वुज़ू न करना	94
ऊपर के मस्अले में सख़्ती का बयान	95
दूध पी कर वुज़ू करने का मस्अला	96
उस से कुल्ली न करने की रुख़्सत	96
ख़ून निकलने से वुज़ू का मस्अला..	96
नींद से वुज़ू करना	97
अगर कोई पलीदी को रौंद कर आये तो?	98
नमाज़ के दौरान अगर बेवज़ू हो जाये तो?	98
मज़ी का मस्अला	98
संभोग करते समय अगर जोश ठन्डा हो जाये?	99
जुनुबी (अगर स्नान करने से पहले) अपनी बीवी के पास दोबारा आये तो?.	100
जो दोबारा संभोग करना चाहे तो वुज़ू कर ले	100
जुनुबी अगर सोना चाहे तो?	101
जुनुबी अगर कुछ खाना चाहे तो?	101
जो यह कहता है कि जुनुबी वुज़ू करे	101
जुनुबी स्नान में देरी कर सकता है	101
जुनुबी आदमी का कुरआन पढ़ना	102
जुनुबी का मुसाफ़ह करना	103

जुनुबी का मस्जिद में दाख़िल होना 103
जुनुबी आदमी लोगों को भूले से नमाज़ पढ़ा दे तो? 103
नींद से जाग कर अगर कोई अपने कपड़े पर नमी महसूस करे तो? 104
महिला सपने में वह कुछ देख जो मर्द देखता है तो? 104
पानी की मात्रा, जो स्नान के लिये काफ़ी हो सकती है 105
जनाबत के स्नान का बयान 105
स्नान के बाद वुज़ू करना 108
क्या महिला स्नान में अपने सर के बाल खोले? 108
जुनुबी आदमी का स्नान करते हुये ख़ितमी से सर धोना 109
वह पानी, जो मर्द और महिला के बीच बहे 109
हैज़ वाली महिला से मिल कर खाना और (घर में) उस से मेल जोल रखना 109
हैज़ वाली महिला मस्जिद से कोई चीज़ उठाए 110
हैज़ वाली महिला हैज़ के दिनों की नमाज़ों की क़ज़ा न करे 110
हैज़ वाली महिला से संभोग करने पर? 110
शौहर अपनी पत्नी से (हैज़ के दिनों में) संभोग के अ़लावा
सब कुछ कर सकता है 111
मुस्तहाज़ा का बयान 113
जब हैज़ समाप्त हो जाये तो फिर नमाज़ न छोड़े 114
मुस्तहाज़ा को जब हैज़ आये तो नमाज़ छोड़ दे 115
वह रिवायतें जिन में है कि मुस्तहाज़ा हर नमाज़ के लिये स्नान करे 116
उन लोगों के दलाइल जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा नमाज़ें जमा करे और 117
उन लोगों के दलाइल जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा पाकी से पाकी
तक एक ही स्नान करे 118
उन लोगों के दलाइल जो कहते हैं मुस्तहाज़ा ज़ोहर से ज़ोहर
तक एक स्नान करे 118
उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा हर रोज़ एक बार स्नान करे. 118
उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा उन दिनों में
(मौक़ा-मौक़ा से) स्नान करती रहे 118
उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा हर नमाज़ के लिये वुज़ू करे 118
उन लोगों की दलील जो (मुस्तहाज़ा को अ़लावा ख़ून के)
किसी हदस के लाहिक़ होने 118
महिला अगर पाकी के बाद पीला या मैला पानी देखे तो? 119
मुस्तहाज़ा से उस का पति संभोग कर सकता है 119
निफ़ास के दिनों के अहकाम व मसाइल 119

हैज़ के स्नान के अहकाम व मसाइल 120
तयम्मुम के अहकाम व मसाइल 121
मुक़ीम के लिये तयम्मुम का बयान 124
जुनुबी के लिये तयम्मुम का बयान 124
क्या जुनुबी को सर्दी का डर हो तो तयम्मुम कर ले? 125
चेचक के मरीज़ (या घायल) के लिये तयम्मुम का बयान 126
तयम्मुम वाले को नमाज़ पढ़ लेने के बाद पानी मिल जाये
और नमाज़ का समय अभी बाक़ी हो तो? 126
जुमा के लिये स्नान का बयान 127
जुमा के दिन स्नान करने की रुख़्सत का बयान 129
नव मुस्लिम के लिये स्नान का हुक्म 130
महिला अपने हैज़ के दिनों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े को धोये 130
जिस कपड़े में इन्सान अपनी पत्नी से संभोग करे उस में नमाज़ पढ़ना? 132
औरतों के कपड़ों में नमाज़ 132
इस में रुख़्सत का बयान 132
कपड़े को अगर मनी लग जाये तो ? 133
बच्चा अगर कपड़े पर पेशाब कर दे तो? 133
ज़मीन में पेशाब पड़े तो? 134
यह बयान कि ज़मीन का सूख जाना इस की पाकी है 135
अगर राह चलते हुये ओढ़नी में नापाकी लग जाये तो? 135
जूते में नापाकी लग जाये तो? 135
कपड़े को थूक लग जाये तो? 136

2. (नमाज़ के अहकाम व मसाइल)

नमाज़ की फ़र्ज़ियत का बयान 137
नमाज़ के वक़्त के अहकाम व मसाइल 137
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ों के औक़ात
और आप के नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा 139
ज़ोहर की नमाज़ का समय 140
अ़स्र की नमाज़ का समय 140
मग़्रिब की नमाज़ का समय 142
इशा की नमाज़ का समय 143
फ़ज्र की नमाज़ का समय 144
नमाज़ों के औक़ात की पाबन्दी का बयान 144

जब इमाम नमाज़ को समय से ताख़ीर (लेट) कर दे	145
जो शख़्स नमाज़ के समय में सोता रह जाये, या नमाज़ पढ़ना भूल जाये?	147
मस्जिदें बनाने का बयान	149
महलों में मस्जिदें बनाने का बयान	151
मस्जिदों में रोशनी का इन्तिज़ाम करना	151
मस्जिद में कन्करियाँ बिछाना	151
मस्जिद में झाड़ू देने का बयान	152
मस्जिद में महिलाओं का मर्दों से अलग रहना	152
मस्जिद में दाख़िल होने की दुआ	152
मस्जिद में दाख़िल होने पर नमाज़ पढ़ने का बयान	153
मस्जिद में बैठने की फ़ज़ीलत	153
मस्जिद में गुम हुयी चीज़ों के एलान का मक्रुह होना	154
मस्जिद में थूकने की कराहत	154
वह स्थान जहाँ नमाज़ जाइज़ नहीं	157
ऊँटों के बाड़े में नमाज़ मना है	158
बच्चे को किस उम्र में नमाज़ का हुक्म दिया जाये?	158
अज़ान का आरंभ	159
अज़ान कैसे दी जाये?	163
इक़ामत का बयान	164
अज़ान कोई कहे और तकबीर कोई	165
ऊँची आवाज़ से अज़ान कहना	165
मुअज़्ज़िन के लिये वाजिब है कि समय की पाबन्दी करे	165
मीनार पर अज़ान कहना	166
मुअज़्ज़िन, अज़ान कहते हुये घूमे	166
अज़ान और इक़ामत के दर्मियान दुआ की अहमियत	166
मुअज़्ज़िन को सुने, तो क्या कहे?	167
इक़ामत सुने तो क्या कहे?	167
अज़ान के बाद की दुआ	167
मग़रिब की अज़ान के समय दुआ	168
अज़ान पर उजरत लेना ?	168
समय से पहले अज़ान दे दी जाये तो?	168
अन्धे का अज़ान कहना	168
अज़ान के बाद मस्जिद से निकलना	168
मुअज़्ज़िन इमाम का इन्तिज़ार करे	169

तसवीब का मस्अला	169
जमाअ़त छोड़ने पर सख़्त धमकी	170
जमाअ़त से नमाज़ अ़दा करने की फ़ज़ीलत	172
नमाज़ के लिये पैदल जाने की फ़ज़ीलत	172
अँधेरे में नमाज़ के लिये पैदल जाने की फ़ज़ीलत	173
नमाज़ के लिये जाने का अ़दब	174
जो शख़्स नमाज़ के लिये आया, मगर देखा कि नमाज़ हो चुकी है	174
महिलाओं का मस्जिद में जाना	174
इस मस्अले में सख़्ती का बयान	175
नमाज़ के लिये दौड़ कर आना	176
मस्जिद में दो बार जमाअ़त का होना	176
जो शख़्स अपनी मन्ज़िल में नमाज़ पढ़ कर आया हो, फिर जमाअ़त को पाये तो उन के भी साथ मिल कर नमाज़ पढ़ ले	176
जब किसी ने जमाअ़त से नमाज़ पढ़ ली हो फिर दूसरी जमाअ़त पाये तो?	177
इमामत की फ़ज़ीलत	177
महिलाओं की इमामत का मस्अ़ला	179
उस आदमी का इमामत करना जिसे लोग नापसन्द करते हों	180
नेक और बद की इमामत	180
अन्धे की इमामत	181
मेहमान की इमामत	181
इमाम का मुक़्तदी लोगों से बुलन्द स्थान पर होना	181
खुद नमाज़ पढ़ चुकने के बाद उसी नमाज़ की दूसरों को इमामत कराए	182
इमाम अगर बैठ कर नमाज़ पढ़ाए	182
जब दो आदमी हों, एक इमाम हो तो कैसे खड़े हों?	184
अगर तीन हों तो कैसे खड़े हों?	184
इमाम सलाम के बाद क़िब्ले की तरफ़ से फिर जाये	185
इमाम का अपनी जगह (अपने मुसल्ला) पर सुन्नत या नफ़ल पढ़ना	185
इमाम ने अन्तिम रकअ़त के सज्दा से सर उठाया और उस का वज़ू टूट गया तो?	185
मुक़्तदी को इमाम की (पूरी तरह) पैरवी करने का हुक्म	186
इमाम से पहले सर उठाने या रखने पर धमकी	186
इमाम से पहले उठ जाने का मस्अला	187
कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़ी जाये?	187
कोई अपने तहबन्द के पल्लू को अपनी गर्दन में गिरह देकर नमाज़ पढ़े	188

ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़े कि उस का कुछ हिस्सा दूसरे पर हो 188
एक क़मीस में नमाज़ पढ़ना 188
जब कपड़ा छोटा हो तो उस का तहबन्द बाँध लो 188
नमाज़ में टख़्नों से नीचे कपड़ा लटकाना 189
महिला कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़े 190
महिला का ओढ़नी के बिना नमाज़ पढ़ना 190
नमाज़ में "सदल" करना 190
मर्द का अपने बालों का जूड़ा बना कर नमाज़ पढ़ना 191
जूते पहन कर नमाज़ पढ़ने का मस्अला 192
नमाज़ी अपने जूते उतारे तो कहाँ रखे 193
छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना 193
बड़ी चटाई पर नमाज़ पढ़ना 193
अपने कपड़े पर सज्दा करना 194

(सफ़बन्दी के अहकाम व मसाइल)

सफ़ें सीधी करने का मस्अला 194
सुतूनों के दर्मियान सफ़ें बनाने का मस्अला 196
इमाम के क़रीब कौन खड़ा हो? 196
बच्चे सफ़ में कहाँ खड़े हों? 197
महिलाओं की सफ़ का बयान 197
इमाम के खड़े होने की जगह 197
जो शख़्स सफ़ के पीछे अकेला ही नमाज़ पढ़ ले 198
जो शख़्स सफ़ में मिलने से पहले ही रुकूअ़ कर ले 198

(सुतरा के अहकाम व मसाइल)

कौन सी चीज़ सुतरा हो सकती है? 198
अगर सुतरा के लिये लाठी न मिले तो लकीर खींचने का मस्अला 199
सवारी को सुतरा बना कर नमाज़ पढ़ना 199
सुतून को सुतरा बनाए, तो उसे किस प्रकार अपने सामने रखे 200
बात करने में मश्गूल, या सोने वाले की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ना 200
सुतरे के क़रीब खड़े होने का बयान 200
नमाज़ी को यह हुक्म कि अपने आगे से गुज़रने वाले को रोके 200
नमाज़ी के आगे से गुज़रना मना है 201

(किन से नमाज़ टूट जाती है और किन से नहीं टूटती?)

किस के गुज़रने से नमाज़ टूट जाती है 202
इमाम का सतुरा उस के पीछे वालों का भी सुतरा होता है 203
जो लोग कहते हैं कि महिला के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती 203
जो लोग कहते हैं कि गधे के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती 204
जो लोग कहते हैं कि कुत्ता के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती 204
जो लोग कहते हैं कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती 205

(नमाज़ शुरु करने के मसाइल)

नमाज़ में रफ़ा यदैन का बयान 205
नमाज़ के शुरु होने का बयान 207
दो के बाद तीसरी रक्अ़त के लिये उठने पर रफ़ा यदैन करना 211
जिस ने रुकूअ़ के समय रफ़ा यदैन करने का ज़िक्र नहीं किया 211
नमाज़ में दायें हाथ को बायें के ऊपर रखना 212
नमाज़ शुरु कर के कौन सी दुआ़ पढ़ी जाये? 213
सुबहा-न-कल्ला हुम्म.....वाली दुआ़ 215
नमाज़ के आरंभ में सकते का बयान 216
उन का तर्क जो "बिस्मिल्लाह..." को ऊँची आवाज़ से नहीं पढ़ते 217
बिस्मिल्लिाह ऊँची आवाज़ से पढ़ने वालों के दलाइल 218
किसी मजबूरी से नमाज़ को हल्की कर देना 218
नमाज़ हल्की (मुख़्तसर) पढ़ानी चाहिये........ 218
नमाज़ के सवाब में कमी 220
ज़ोहर की नमाज़ में क़िरात का बयान 220
अन्तिम दो रक्अ़तों को हल्का रखने का बयान 221
ज़ोहर और अ़स्र में क़िरात की मात्रा 222
मग़्रिब में क़िरात की मात्रा 222
दो रक्अ़तों में एक ही सूरत को दोहराना 223
फ़ज्र में क़िरात का बयान 224
जो नमाज़ में सूरः फ़ातिहा को छोड़ दे 224
जो सिर्री नमाज़ों में सूरः फ़ातिहा पढ़ने के क़ाइल हैं........ 226
अनपढ़ आदमी के लिये कितनी क़िरात काफ़ी होगी? 226
नमाज़ में तक्बीर कहने का मस्अला 228

सज्दा में जाते हुये घुटनों को हाथों से पहले क्योंकर रखे	228
पहली और तीसरी रक्अ़त से उठने का तरीक़ा	229
दोनों सज्दों के दर्मियान एड़ियों पर बैठना (इक़आ करना)	229
रुकूअ़ से सर उठाए तो क्या कहे?	229
दो सज्दों के दर्मियान की दुआ़	230
महिलायें जब इमाम के साथ जमाअ़त से नमाज़ पढ़ें तो सज्दे से कब सर उठायें?	230
रुकूअ़ के बाद क़ियाम और सज्दों के दर्मियान के क़ादा को लंबा करने का बयान	230
उस आदमी की नमाज़ जो रुकूअ़ और सज्दे में अपनी कमर बराबर न करे.	231
आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह फ़र्ज़ नमाज़ जिसे नमाज़ी ने पूरा न किया हो, उसे उस के नफ़्ली नमाज़ों से पूरा किया जायेगा।........	233
रुकूअ़ और सज्दा के अहकाम और हाथों कोघुटनों पर रखना	234
रुकूअ़ और सज्दे में क्या पढ़े?	234
रुकूअ़ और सज्दे में दुआ़ पढ़ने का बयान	236
नमाज़ में दुआ़ करना	237
रुकूअ़ और सज्दा की मात्रा	238
आदमी जब इमाम को सज्दे में पाए तो कैसे करे?	239
सज्दे के आज़ा (हिस्सों) का बयान	239
सज्दे में नाक और पेशानी का ज़मीन पर रखना	240
सज्दा कैसे किया जाये?	240
ज़रुरत के लिये इस में रुख़्सत का बयान	241
पहलू पर हाथ रखना और इक़आ़ करना	241
नमाज़ में रोना	241
नमाज़ में वसवसे और ख़यालात की कराहत	241
इमाम को नमाज़ में लुक़्मा देना	242
इमाम को लुक़्मा देना मना है?	242
नमाज़ में इधर-उधर देखना	242
नाक पर सज्दा करना	243
नमाज़ में नज़र उठाने का मस्अ़ला........	243
नमाज़ में इधर-उधर देखने की रुख़्सत	243
नमाज़ के दौरान सलाम का उत्तर देना	246
नमाज़ में छींक का उत्तर देना	246
इमाम के पीछे आमीन कहना	247

नमाज़े में ताली बजाना 249
नमाज़ में इशारा करना 250
नमाज़ में कन्ककरी छूना दुरुस्त है 250
पहलू पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ना 250
नमाज़ में लाठी का सहारा लेना 250
नमाज़ में बात-चीत मना है 251
जो शख़्स बैठ कर नमाज़ पढ़े 251
तशह्हुद में बैठने का तरीक़ा 252
चौथी रकअ़त में तवर्रुक करने का बयान 253
तशह्हुद का बयान 254
इस के बाद दरुद शरीफ़ पढ़ना 256
तशह्हुद के बाद क्या पढ़े 257
तशह्हुद ख़ामोशी से पढ़ना 257
तशह्हुद में उंगली से इशारा करना 258
नमाज़ में हाथ का सहारा लेना मक्रुह है 259
बीच के तशह्हुद को मुख़्तसर रखना 259
सलाम का बयान 260
इमाम को सलाम का उत्तर देना........ 260
नमाज़ के बाद (बुलन्द आवाज़ से) तक्बीर कहना 261
सलाम को लंबा किये बिना कहना 261
जब नमाज़ के दौरान वुज़ू टूट जाये तो नमाज़ दोहराए 261
जिस स्थान पर आदमी ने फ़र्ज़ पढ़े हों, वहीं नफ़ल पढ़ना कैसा है? 261

(सह्व के सज्दे के अहकाम व मसाइल)

जब पाँच रकअ़तें पढ़ जायें? 264
जब दो या तीन रकअ़तों में शक हो जाये तो शक को छोड़ दे 266
उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि ग़ालिब गुमान पर अ़मल किया जाये 266
उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि सलाम के बाद सज्दे करे........ 267
जो शख़्स दो रकअ़तों के बाद खड़ा हो जाये और तशह्हुद न पढ़े 267
जो बैठे हुये तशह्हुद पढ़ना भूल जाये? 268
सह्व के सज्दे में तशह्हुद और सलाम का बयान 268
नमाज़ के बाद महिलायें, मर्दों से पहले वापस हों 269
नमाज़ केबाद किस प्रकार अपना चेहरा फेरे 269
घर में नफ़ल पढ़ने का बयान 269

जो शख़्स क़िब्ले के अलावा किसी और तरफ़ को नमाज़ पढ़ ले और उसे बाद में मालूम हो 269

(जुमा की नमाज़ के अहकाम व मसाइल)

जुमा के दिन और उस की रात की फ़ज़ीलत 270
जुमा के दिन दुआ कुबूल होने की घड़ी कौन सी है? 271
जुमा की फ़ज़ीलत का बयान 271
जुमा छोड़ देने की चेतावनी 272
जुमा छोड़ने का कफ़्फ़ारा 272
जुमा किस पर वाजिब है 272
वर्षा वाले दिन जुमा 273
सर्दी या वर्षा की रात में जमाअ़त से पीछे रहना 273
गुलाम और महिला के लिये जुमा 273
बस्ती में जुमा क़ाइम करना 274
अ़ीद और जुमा इकट्ठे आ जायें तो ? 275
जुमा के रोज़ फ़ज्र की नमाज़ में क़िरात 275
जुमा के लिये ख़ास लिबास का एहतिमाम 276
जुमा के दिन नमाज़ से पहले घेरा बना के बैठना मना है 276
(खुत्बा के लिये) मिंबर इस्तेमाल करना 277
मस्जिदे नबवी में मिंबर की जगह 277
जुमा के दिन ज़वाल से पहले नमाज़ 278
जुमा पढ़ने का समय 278
जुमा के दिन अज़ान 279
इमाम खुत्बे के दौरान में किसी से बात करे 279
मिंबर पर आने के बाद बैठ जाना 279
खड़े होकर खुत्बा देना 279
खुत्बा के दौरान कमान का सहारा लेना 280
खुत्बा के दौरान मिंबर पर हाथ उठाना 280
खुत्बा संक्षिप्त होना चाहिये........ 282
खुत्बा में इमाम से निकट बैठना 282
खुत्बा के दौरान "इजतिबाअ़" मना है 282
खुत्बा के दौरान बात-चीत 283
जिस का वुजू टूट जाये वह इमाम को किस प्रकार ख़बर कर जाये 283
जब कोई आये और इमाम खुत्बा दे रहा हो, तो 283

जुमा के दिन (खुत्बा के दौरान) लोगों की गर्दनें फाँदना मना है	284
खुत्बा के दौरान कोई सोने लगे तो?	284
मिंबर से उतरने के बाद इमाम किसी से कोई बात करे	284
जिसे जुमा की एक रक्अत मिल जाये	284
जुमा की नमाज़ में क़िरात	285
इमाम और मुक़्तदी के दर्मियान रुकावट बन जाये तो?	285
जुमा के बाद नमाज़ का बयान	285
दो खुत्बों के दौरान बैठना	286
दोनों अ़ीद के अहकाम व मसाइल	287
अ़ीद के लिये जाने का समय	287
महिलाओं का अ़ीद के लिये जाना	287
अ़ीद के दिन खुत्बा	288
खुत्बे में कमान का सहारा लेना	289
अ़ीद में अज़ान नहीं	289
अ़ीद की नमाज़ में तक्बीरों का बयान	290
अ़ीदैन की नमाज़ में क़िरात	290
खुत्बा सुनने के लिये बैठना	291
अ़ीदगाह के लिये एक राह से आना और दूसरी राह से जाना	291
अगर अ़ीद के दिन नमाज़ न पढ़ी जा सके तो इमाम अगले दिन पढ़ा दे	291
ईद की नमाज़ के बाद नमाज़ पढ़ना	291
वर्षा की वजह से मस्जिद में अ़ीद पढ़ना	291

3. (इस्तिस्क़ा के अहकाम व मसाइल)

इस नमाज़ के कुछ मसाइल	293
इस में कब चादर उलटी जाये	294
इस में हाथ उठा कर दुआ़ माँगना	294
कसूफ़ की नमाज़ का बयान	296
कसूफ़ की नमाज़ में चार रुकूअ़ का बयान	296
कसूफ़ की नमाज़ में क़िरात का बयान	299
कसूफ़ की नमाज़ के लिये एलान	299
सूरज ग्रहन के मौक़ा पर सदक़ा करना	299
इस मौक़ा पर गुलाम आज़ाद करना	299
उन की दलील जो कहते हैं कि कसूफ़ की नमाज़ में आ़म नमाज़ की तरह दो रक्अ़तें पढ़ें	300

तारीकी छा जाने या इस प्रकार के दूसरी घटना के मौक़ों पर नमाज़ पढ़ना... 300
जब कोई बड़ी दुर्घटना घटे तो सज्दा करना चाहिये 301

4. (सफ़र की नमाज़ के अहकाम व मसाइल)

मुसाफ़िर की नमाज़ का बयान 302
मुसाफ़िर कब क़स्र करे 302
सफ़र में नमाज़ के लिये अज़ान कहना 303
मुसाफ़िर को नमाज़ के समय में शक हो और वह (इमाम के साथ)
नमाज़ पढ़ ले तो ? 303
दो नमाज़ों को जमा करने का बयान 304
सफ़र में क़िरात मुख़्तसर करना 306
सफ़र में नफ़ली नमाज़ें पढ़ना 306
सवारी पर नफ़ल और वित्र पढ़ना 307
किसी मजबूरी में सवारी पर फ़र्ज़ पढ़ना 308
मुसाफ़िर कितने दिन तक क़स्र करे? 308
दुश्मने के क्षेत्र में ठहरे तो क़स्र करे 309
ख़ौफ़ की नमाज़ के अहकाम व मसाइल 309
(ख़ौफ़ की नमाज़ की एक और कैफ़ियत) एक सफ़ इमाम के साथ हो
और दूसरी दुश्मन के सामने 310
(एक और कैफ़ियत) इमाम दोनों गरोहों को एक-एक रकअत पढ़ाये 310
(एक और कैफ़ियत) सब इकट्ठे तक्बीर तहरीमा कहें 311
(एक और कैफ़ियत) इमाम हर गरोह को एक-एक रकअ़त पढ़ाये 312
फिर सलाम फेर दे, तो लोग उस के पीछे हों वह खड़े होकर अपनी
दूसरी रकअ़त पढ़ लें, फिर दूसरे उस के स्थान पर आ जायें 312
(एक और कैफ़ियत) इमाम हर गरोह को एक रकअ़त पढ़ाये और
वह (बाद में ख़ुद) कोई 313
दुश्मन को ढूँड़ने निकले तो नमाज़ किस तरह पढ़ें? 314

5. (नवाफ़िल और सुन्नतों के अहकाम व मसाइल)

नवाफ़िल और सुन्नतों के अहकाम व मसाइल 315
फ़ज्र की सुन्नतों का बयान 316
फ़ज्र की सुन्नततें हल्की पढ़ने का बयान 316
फ़ज्र की सुन्नतों के बाद लेट जाना 317

जिस ने फ़ज्र की सुन्नतें न पढ़ी हों और जमाअ़त हो रही हो	317
फ़ज्र की सुन्नतें रह जायें तो कब अ़दा करे?	318
ज़ोहर से पहले और बाद में चार-चार सुन्नतें	318
अ़स्र से पहले नमाज़	318
अ़स्र के बाद नमाज़	318
उन की दलील जो अ़स्र के बाद नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देते हैं, मगर शर्त यह है कि सूरज ऊँचा हो	319
मग़्रिब से पहले नफ़्ल	321
चाश्त की नमाज़ के अहकाम व मसाइल	321
दिन की नफ़्ली नमाज़ें (किस प्रकार पढ़ी जायें)	323
तस्बीह की नमाज़ के अहकाम व मसाइल	324
मग़्रिब क़ी सुन्नतें कहाँ पढ़ी जायें?	325
इशा के बाद नमाज़	325

(तहज्जुद के अहकाम व मसाइल)

तहज्जुद की नमाज़ का वाजिब होना मन्सूख़ है	325
रात के क़ियाम का बयान	326
नमाज़ में नींद आने लगे तो?	327
जो शख़्स वज़ीफ़ा न पढ़ सका और सो गया	327
जिस ने रात को उठने की निय्यत की मगर उठ न सका	327
रात का कौन सा हिस्सा (इबादत के लिये) अफ़ज़ल है?	327
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को किस समय उठते थे?	328
तहज्जुद शुरु करते समय पहले दो रक्अ़तें पढ़ना	328
रात की नमाज़ दो-दो रक्अ़त कर के पढ़ना	329
रात की नमाज़ में क़िरात जेहरी (बुलन्द आवाज से) करना	329
रात की नमाज़ (तहज्जुद) का बयान	330
नमाज़ में बीच की चाल इख़्तियार करने का बयान	338

6. (रमज़ान के अहकाम व मसाइल)

रमज़ान में क़ियामे लैल के अहकाम व मसाइल	339
क़द्र की रात के अहकाम व मसाइल	340
21 वीं रात के क़द्र की रात होने की दलील	342

17 वीं रात के क़द्र की रात होने की दलील 342
अन्तिम सात रातों में क़द्र की रात का होना 342
27 वीं रात के क़द्र की रात होने का बयान 342
पूरे रमज़ान में क़द्र की रात होने का बयान 343

(कुरआन की क़िरात के अहकाम व मसाइल)

कुरआन को कम से कम कितने दिनों में समाप्त किया जाये 343
कुरआन पाक के पारे और हिस्से करना 344
आयतों को शुमार करना 346

7. (तिलावत के सज्दे के अहकाम व मसाइल)

कुरआन पाक में कितने सज्दे हैं? 347
उन की दलील जो मुफ़स्सल (अन्तिम मन्ज़िल) में सज्दा को नहीं मानते.... 347
सूरः "इन्शिक़ाक़" और सूरः "इक़रा" में सज्दा का बयान 348
सूरः "स्वाद" में तिलावत के सज्दे का बयान 348
जब कोई सज्दा की आयत सुने और सवारी पर हो, या नमाज़ में न हो तो?. 348
तिलावत के सज्दे की दुआ 349
जो शख़्स सुब्ह के बाद सज्दा की आयतोंकी तिलावत करें 349

8. (वित्र के अहकाम व मसाइल)

वित्र के मुस्तहब होने का बयान 350
जो शख़्स वित्र न पढ़े 350
वित्र में कितनी रक्अतें हैं 351
वित्र की नमाज़ में क़िरात 351
वित्र की नमाज़ में कुनूत की दुआ 351
वित्र के बाद की दुआ 352
सोने से पहले वित्र पढ़ना 353
वित्र की नमाज़ का समय 353
वित्र तोड़ने का मस्अला 354
आम नमाज़ों में कुनूत पढ़ना 354
घर में नफ़ल पढ़ने की फ़ज़ीलत 355
लंबे क़ियाम की फ़ज़ीलत 355
तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तर्ग़ीब 355

कुरआन पढ़ने का सवाब 356
सूरः फ़ातिहा की फ़ज़ीलत 357
उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि फ़ातिहा लंबी सूरतों में से है 357
आयतुल कुर्सी की फ़ज़ीलत 357
सूरः इख़्लास की फ़ज़ीलत 357
सूरः फलक़ और नास की फ़ज़ीलत 358
कुरआन याद कर के भूला देना बहुत बुरा है 359
कुरआन पाक सात हुरुफ़ पर उतारा गया है 359

(दुआ के आदाब)

गिनने के लिये कंकरियों पर तस्बीह पढ़ना 360
सलाम फेरने के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाये 365
इस्तिग़फ़ार का बयान 366
अपने माल और औलाद को बद्दुआ करना मना है 369
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अ़लावा दूसरों के लिये सलात 369
ग़ाइबाना दुआ की फ़ज़ीलत 369
किसी से डर हो तो कौन सी दुआ करे? 369
इस्तिख़ारा के अहकाम व मसाइल का बयान 370

9. (ज़कात के अहकाम व मसाइल का बयान)

ज़कात वाजिब होने का बयान 373
किन चीज़ों में ज़कात वाजिब है? 373
क्या तिजारत के सामान में ज़कात है? 374
जेवर में ज़कात का मस्अला 374
जन्गल में चरने वाले जानवरों में ज़कात 375
ज़कात की वसूली करने वाले को राज़ी करने का बयान 380
वसूली करने वालों का दुआ देना, देने वालों को 380
ऊँटों के दाँत की तफ़सील 380
ज़कात का माल कहाँ वसूल किया जाये? 381
कोई अपनी ज़कात (या सदक़ा का दिया हुआ माल)
क़ीमत देकर ख़रीदना चाहे तो 381
गुलाम की ज़कात .... [illegible]
खेती की ज़कात 382

शहद की ज़कात	382
पेड़ पर अन्गूर का अनुमान लगाना	383
पेड़ पर दूसरे फलों का अनुमान लगाना	383
खजूरों का अनुमान लगाया जाये	383
ज़कात में रद्दी फल देना	383
सदक़ए फ़ित्र के अहकाम व मसाइल का बयान	384
फ़ितराना की मात्रा कितनी है	384
गेहूँ आधा साअ़ा है, उन की दलील	385
ज़कात जल्दी देना चाहिये	386
एक शहर की ज़कात दूसरे शहर में दी जा सकती है?	387
सदक़ा किसे दिया जाये?	387
मालदार की हद क्या है?	389
वह लोग जिन्हें मालदार होते हुये भी सदक़ा लेना जाइज़ है	389
एक आदमी को कितनी मात्रा में ज़कात दी जाये?	389
किस सूरत में प्रश्न करना जाइज़ है	389
माँगने और सवाल करने की बुराई	390
सवाल से बचने की फ़ज़ीलत	391
बनी हाशिम को सदक़ा लेना-देना कैसा है?	392
फ़क़ीर, सदक़ा के माल में से मालदार को हदिया दे तो जाइज़ है	393
किसी ने सदक़ा दिया फिर उस का वारिस बन गया	393
माल के हुक़ूक़ का बयान	393
सवाली का हक़	395
ज़िम्मी लोगों को सदक़ा देना	395
वह चीज़ें जिन का रोकना जाइज़ नहीं	395
मस्जिद में सवाल करना	396
अल्लाह पाक के चेहरे का वास्ता देकर सवाल करना मक्रुह है	396
अल्लाह के नाम पर सवाल करे तो उसे देना चाहिये	396
अगर कोई अपना सारा ही माल सदक़ा करना चाहे तो?	396
सारा माल सदक़ा करने की रुख़्सत	397
पानी पिलाने की फ़ज़ीलत	398
दूध के लिये जानवर हदिया करने की फ़ज़ीलत	398
ख़ज़ान्ची का सवाब	398
पत्नी का सवाब, जो अपने पति के घर से सदक़ा दे	398
रिश्ते-नाते वालों के साथ मेल-जोल	399

लालच और कन्जूसी की आलोचना 400

10. (गिरी-पड़ी चीजों के बारे में मसाइल)

ऐसी चीज़ें उठाए तो उसका एलान करे 401

11. (हज्ज के अहकाम व मसाइल)

हज्ज फ़र्ज़ है 406
महिला जो महरम के बिना हज्ज करे 406
इस्लाम में "रुसरा" नहीं है 407
हज्ज में सफ़र ख़र्च ले जाने की ताकीद 407
हज्ज के दौरान तिजारत जाइज है 407
हज्ज के सफ़र में किराया पर सवारी चलाना 407
छोटा बच्चा, जो हज्ज करे 408
जहाँ से एहराम बाँधा जाता है उन स्थानों का बयान 408
हैज़ वाली महिला, हज्ज के लिये एहराम बाँधे 409
एहराम के समय खुश्बू लगाना 410
एहराम के लिये बालों को किसी चीज़ से जमा लेना 410
हदी (कुर्बानी के जानवर) का बयान 410
गाय-बैल की कुर्बानी 411
कुर्बानी के ऊँटों को चीरा लगाना 411
कुर्बानी का जानवर तबदील करना कैसा है? 411
जो हदी भेज दे और खुद न जाये 412
कुर्बानी के ऊँट पर सवारी करना 412
कुर्बानी का जानवर स्थान पर पहुँचने से पहले ही मर जाये तो........................ 413
ऊँटों को किस प्रकार नहर किया जाये 414
एहराम बाँधने का बयान 414
हज्ज में शर्त लगाना 415
हज्जे "इफ़राद" के अहकाम व मसाइल 416
हज्जे "क़िरान" के अहकाम व मसाइल 420
हज्ज का लब्बैक पुकारने के बाद उसे उमरा बना दे तो? 423
किसी दूसरे की तरफ़ से हज्ज करना 424
तलबिया कैसे पढ़ें? 424
हाजी तलबिया पढ़ना कब बन्द करे 425

मुहरिम अपने गुलाम को सज़ा दे तो?	425
कोई अपने आम कपड़ों में एहराम बाँधे तो	426
मुहरिम के लिबास का बयान	427
मुहरिम का हथियार बन्द होना	428
एहराम की हालत में महिला अपना चेहरा छुपाए	428
मुहरिम को साया करना	429
मुहरिम को सींगी लगवाना	429
एहराम की हालत में सुर्मा लगाना	429
मुहरिम स्नान कर सकता है	429
मुहरिम का निकाह करना कैसा है?	430
मुहरिम कौन से जानवर मार सकता है	431
मुहरिम के लिये शिकार के गोश्त का मस्अला	431
मुहरिम के लिये टिड्डी का शिकार कैसा है?	432
फ़िदया के अहकाम व मसाइल का बयान	432
कोई हज्ज से रोक दिया जाये तो?	433
मक्का में दाख़िला	434
बैतुल्लाह को देख कर हाथ बुलन्द करना	435
हजरे-अस्वद को चूमना	435
बैतुल्लाह के कोनों को हाथ लगाने का बयान	436
तवाफ़-वाजिब का बयान	436
तवाफ़ में चादर पलटना	437
तवाफ़ में रमल करना	437
तवाफ़ के दर्मियान दुआ करना	439
अस्र के बाद तवाफ़	439
क़ारिन का तवाफ़	439
मुल्तज़िम का बयान	440
सफ़ा-मर्वा का बयान	441
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हज्ज का बयाम	442
अ़रफ़ात में ठहरने का बयान	447
मिना को रवानगी	447
मिना से अ़रफ़ात को रवानगी का समय	447
नमिरा की वादी से अ़रफ़ात को जाने का समय	448
अ़रफ़ात में खुत्बा का बयान	448
अ़रफ़ात में ठहरने की जगह	448

अरफ़ात से वापसी का बयान	448
मुज़दलिफ़ा में नमाज़ का बयान	450
मुज़दलिफ़ा से रवान्गी में जल्दी करना	452
हज्जे अक्बर का दिन कौन सा है	453
हराम महीनों का बयान	453
जो अरफ़ात में न ठहर सका	454
मिना में पड़ाव करने का बयान	454
मिना में किस रोज़ खुत्बा दे?	455
क़ुर्बानी वाले दिन खुत्बा	455
खुत्बा देने का हुक्म	455
मिना के खुत्बा में इमाम क्या कहे?	455
मिना की रातें मक्का में गुज़ारे	456
मिना में नमाज़ें (क़स्र या पूरी पढ़े?)	456
मक्का वालों का भी क़स्र करना	457
जुमेरात को कन्करियाँ मारना	457
सर मुँडाने या कतरवाने का बयान	459
उम्रा के अहकाम व मसाइल का बयान	460
जो महिला उम्रा की निय्यत से एहराम बाँधे, फिर हैज़ आ जाये?	462
उम्रा के बाद इक़ामत का मस्अ़ला	463
तवाफ़े इफ़ाज़ा का बयान	463
तवाफ़े विदाअ़ का बयान	464
हैज़ वाली महिला इफ़ाज़ा का तवाफ़ कर चुकी हो तो अन्तिम तवाफ़ किये बिना भी जा सकती है	464
तवाफ़े विदाअ़ का बयान	464
मुहस्सब की वादी में उतरने का बयान	464
जो शख़्स (दस्वीं तारीख़ के) हज्ज के कामों को आगे-पीछे कर दे	466
मक्का में नमाज़ के लिये सुतरे का मस्अ़ला	466
मक्का की हुर्मत का बयान	467
हाजियों को नबीज़ पिलना	467
मक्का में ठहरने का बयान	468
काबा के अन्दर नमाज़ पढ़ना	468
हतीम में नमाज़ पढ़ना	469
काबा के अन्दर जाना	469
मदीना शरीफ़ आने के अहकाम	470

हरमे मदीना का बयान 471
क़ब्रों की ज़ियारत के अहकाम व मसाइल 472

12 (निकाह के अहकाम व मसाइल)

निकाह करने पर उभारना 474
दीनदार महिला से निकाह करना 474
कुँवारी से निकाह करना 474
बाँझ से निकाह करना मना है 475
अपनी ही लौंडी को आज़ाद कर के उस से निकाह कर लेने का सवाब 476
दूध पीने से रिश्तें वैसे ही हराम हो जाते हैं जैसे नसब से 476
मर्द से दूध का नाता 476
बड़े लड़के को दूध पिलाना 477
ऐसा करने से हुरमत साबित हो जाती है 477
पाँच बार से कम पीने से हुरमत साबित हो जाती है? 478
दूध छुड़ाने के समय इनाम देना 478
वह महिलाएँ जिन को एक साथ जमा करना हराम है 479
मुतआ़ का बयान 481
शिग़ार का बयान 481
हलाला का बयान 482
गुलाम, जो अपने मालिक की अनुमति के बिना निकाह कर ले 482
निकाह के पैग़ाम पर पैग़ाम देना हराम है 482
जिस से निकाह का इरादा हो उसे देखना जाइज़ है 483
वली का बयान 483
महिलाओं को निकाह से मना करना कैसा है? 483
जब दो वली किसी महिला का निकाह कर दें तो? 484
आयत "ला तहिल्लु लकुम्...." की तफ़सीर 484
निकाह के सिलसिले में लड़की से मश्वरा करना 484
अगर पिता कुँवारी लड़की का निकाह उस से मश्वरा के बिना कर दे तो?.. 485
विधुवा का मस्अला 485
पति-पत्नी का हम पल्ला होने का मस्अला 486
महर के अहकाम व मसाइल 487
महर कम बाँधने का बयान 488
किसी काम और मेहनत को महर ठहराना 488
अगर कोई निकाह के समय महर न मुक़र्रर करे और फिर वह मर जाये तो? 489

निकाह के ख़ुत्बा के अहकाम 490
छोटी बच्चियों की शादी कर देना 491
शौहर, कुँवारी के पास कितने दिन इक़ामत करे? 491
संभोग से पहले पति अपनी पत्नी को कोई चीज़ हदिया करे 492
निकाह करने वाले को क्या दुआ दी जाये? 492
कोई निकाह करे मगर पत्नी को हमल से पाये तो? 492
बीवियों के दर्मियान पारी तक़्सीम करने का बयान 493
पति, पत्नी से शर्त कर ले कि उस को वतन ही में रखेगा। 494
बीवी पर शौहर के हुक़ूक़ का बयान 495
शौहर के ज़िम्मा बीवी के हुक़ूक़ का बयान 495
बीवियों को मारने का मस्अला 495
नज़र नीची रखने का मस्अला 496
जन्ग में क़ैद होने वाली महिलाओं से संभोग का मस्अला 497
निकाह के कुछ और मसाइल 498
हैज़ के दिनों में पत्नी से संभोग करने का मस्अला 500
जो शख़्स हैज़ वाली पत्नी से संभोग कर बैठे उस का कफ़्फ़ारा 500
अज़्ल का बयान 501
संभोग के बाद उसे बयान करना हराम है 502

13 (तलाक़ के अहकाम व मसाइल)

पत्नी को पति के ख़िलाफ़ उभारना हराम है 504
जो औरत शौहर से तलाक़ देने का मुतालबा करे 504
तलाक़ एक मक्रुह और बुरा काम है 504
आदमी रुजूअ़ करे मगर गवाह न बनाए तो? 506
गुलाम के लिये तलाक़ देने का सुन्नत के मुताबिक़ तरीक़ा 506
निकाह से पहले तलाक़ देना 507
ऐसी हालत में तलाक़ देना जब ग़लती की संभावना हो 508
हँसी-मज़ाक में तलाक़ देना 508
तीन तलाक़ों के बाद बीवी से रुजूअ़ करना 508
ऐसे कलिमात जो तलाक़ के हम माना हों, और निय्यतों की अहमियत........ 510
बीवी को इख़्तियार देने का मस्अला 511
शौहर अगर यूँ कहे: "तेरा मामला तेरे हाथ में है" तो? 511
तलाक़ बत्ता का बयान 512

दिल में तलाक़ देने का ख़याल आये तो? 512
पति, अपनी पत्नी को बहन कह दे तो ? 513
ज़िहार के अहकाम व मसाइल का बयान 513
खुला के अहकाम व मसाइल 516
लौंडी जिसे आज़ाद कर दिया जाये जबकि वह किसी आज़ाद
या गुलाम के निकाह में हो 517
उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि मुग़ीस रज़ि॰ आज़ाद थे 518
आज़ाद की जाने वाली लौंडी को अपने गुलाम शौहर से
किस समय तक इख़्तियार हासिल है? 518
गुलाम पति-पत्नी को इकट्ठे ही आज़ाद किया जाये तो
क्या पत्नी को इख़्तियार होगा? 518
पत्नी और पति में से जब कोई एक मुसलमान हो जाये तो?. 518
कितनी मुद्दत के बाद पत्नी को पति पर लौटाया जा सकता है, जबकि
उस ने बीवी के बाद इस्लाम कुबूल किया हो? 519
किसी के इस्लाम लाने के साथ निकाह में चार से ज़्यादा बीवियाँ हों तो?... 519
माता-पिता में से कोई एक मुसलमान हो जाये तो बच्चा किस के साथ होगा? 519
लिआन के अहकाम व मसाइल का बयान 520
बाप जब बच्चे के बारे में शक व शुब्हा का इज़हार करे तो? 526
बच्चे का इन्कार कर देना बहुत बुरा अमल है 526
ज़िना से पैदा होने वाले बच्चे की मिलकिय्यत के अहकाम व मसाइल 526
क़ियाफ़ा का बयान 527
उन लोगों की दलील जो बच्चे केबारे में इख़्तिलाफ़ में कुरा से
फ़ैसले के क़ाइल हैं 528
जाहिलिय्यत के ज़माना के निकाह की क़िस्मों का बयान 529
बच्चा बिस्तर वाले का है 530
तलाक़ दी हुयी महिला की अ़िद्दत के मसाइल 532
तलाक़ के बाद रुजूअ़ के अहकाम व मसाइल 533
तीन तलाक़ दी हुयी महिला के अहकाम व मसाइल 533
फ़ातिमा बिन्त क़ैस की रिवायत का इन्कार करने वालों का बयान 535
बत्ता तलाक़ वाली दिन को घर से निकल सकती है 536
जिस का पति मर जाये उस को एक वर्ष तक का ख़र्च देना मन्सूख़ है 536
शौहर मर जाये तो उस की पत्नी कितने दिन सोग मनाए ? 537
जिस महिला का पति मर जाये तो वह अ़िद्दत के दिन गुज़ारने के लिए 537
उन लोगों की दलील जो महिला के जगह बदलने को जाइज़ समझते हैं 538

अ़िद्दत वाली महिला अपने अ़िद्दत के दिन में किन चीज़ों से बचे?	530
हमल वाली महिला की अ़िद्दत का बयान	539
उम्मे वलद की अ़िद्दत का बयान	540
तीन तलाक़ वाली से उस का पहला पति दोबारा निकाह नहीं कर सकता जब तक कि वह महिला किसी और से निकाह न करे	540
ज़िना की बुराई का बयान	541

14. (रोज़ों के अहकाम व मसाइल)

रोज़ों के फ़र्ज़ होने का आरंभ का बयान	542
आयत "व-अ-लल्लज़ी-न युतीक़ूनहू"....के मन्सूख़ होने का बयान	543
ऊपर की आयत बड़े-बूढ़े और हमल वाली के हक़ में साबित है	543
महीना 29 दिन का भी होता है	544
जब चाँद देखने में लोगों से ग़लती हो जाये	545
जब मतला (चाँद निकलने के स्थान) पर बादल हो (और चाँद न दिखाई दे)	545
अगर रमज़ान की 29 वीं को बदली हो (और चाँद न दिखाई दे) तो तीस के रोज़े पूरे करो	545
रमज़ान के इस्तिक़बाल (स्वागत) का मस्अला	546
चाँद जब एक शहर (क्षेत्र) में दूसरों से एक रात पहले नज़र आ जाये	546
शक के दिन का रोज़ा रखना मक्रुह (हराम) है	547
जो कोई शाबान को रमज़ान के साथ मिला दे	547
आधे शाबान के बाद रोज़ा रखने की कराहत	549
शव्वाल का चाँद देखने में दो आदमी की गवाही भी काफ़ी है	549
सहरी खाने की ताकीद	550
सहरी को "ग़दा" (यानी सुब्ह का खाना) कहना जाइज है	550
आदमी फ़र्ज़ की अज़ान सुने और बर्तन उस के हाथ में हो	551
रोज़ा इफ़तार करने का समय	551
इफ़तार में जल्दी करना चाहिये	551
किस चीज़ से इफ़तारी की जाये?	552
रोज़ा इफ़तार करने के समय की दुआ	552
अगर सूरज डूबने से पहले इफ़तारी कर ले तो?	553
इफ़तार किये बिना लगातार रोज़े रखे जाना	553
रोज़ादार होकर ग़ीबत करना	553
रोज़ादार का मिस्वाक करना	554
रोज़ेदार प्यास की वजह से अपने ऊपर पानी डाले तो कोई हरज नहीं	554

रोज़ेदार अगर सेंगी लगवाए तो?	554
रोज़े की हालत में पोछना लगवाने की रुख़्सत का बयान	555
रोज़ेदार को रमज़ान में दिन के समय एहतलाम हो जाये तो?	555
रोज़ादार सोते समय सुर्मा इस्तेमाल करे तो?	555
रोज़ादार जानबूझ कर क़ै करे तो?	556
रोज़े की हालत में बोसा लेना	556
रोज़ादार थूक निगल जाये	557
जवान आदमी के लिये बीवी से चूमाचाटी करना मक्रुह है	557
जो कोई रमज़ान में सुब्ह को जुनुबी होकर उठे	557
जो शख़्स रमज़ान में बीवी से संभोग कर बैठे तो उस का कफ़्फ़ारा?	558
जानबूझ कर रोज़ा तोड़ देने की बुराई	559
जो कोई भूल कर खा पी ले	560
रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा करने में ताख़ीर करना	560
कोई मर गया और उस के ज़िम्मे रोज़े बाक़ी हों तो?	560
सफ़र में रोज़ा रखने के अहकाम व मसाइल	560
ताजिर रोज़ा छोड़ सकता है	561
सफ़र में रोज़ा न रखने को तर्जीह देना	562
सफ़र में रोज़ा रखने को तंजीह देना	562
यात्री जब सफ़र के लिये निकले तो किस समय इफ़तार करे?	563
कितनी दूरी के सफ़र में इफ़तार कर सकता है	563
जो कोई यह कहे कि मैं ने सारा रमज़ान रोज़े रखे	564
अ़ीद के दिनों में रोज़ा रखना	564
तश्रीक़ के दिनों में रोज़ा रखना	564
जुमा के दिन ख़ास कर के रोज़ा रखना मना है	565
सनीचर के दिन ख़ास कर के रोज़ा रखना मना है	565
सनीचर के दिन रोज़ा रखने की रुख़्सत है	565
हमेशा नफ़ली रोज़े रखना	566
हराम महीनों में रोज़ा रखने के अहकाम व मसाइल	567
मुहर्रम महीना में रोज़ा रखना	568
शाबान महीने में रोज़े रखने का बयान	568
शव्वाल माह में रोज़े रखने का बयान	568
शव्वाल के छः रोज़े रखने की फ़ज़ीलत	569
नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के रोज़े रखने की कैफ़ियत	569
सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़े रखने की फ़ज़ीलत	569

जिल् हिज्जा के पहले दहे में रोज़ों का बयान 569
ज़िल् हिज्जा के पहले दहे में रोज़े न रखने का बयान 570
अरफ़ात के मैदान में अरफ़ा का रोज़ा रखना 570
आशूरा का रोज़ा रखना 570
रिवायत में आशूरा 9 मुहर्रम है 571
आशूरा के रोज़े की फ़ज़ीलत 571
एक दिन रोज़ा रखने और एक दिन इफ़तार करने की फ़ज़ीलत 572
हर महीना में तीन रोज़े रखने की फ़ज़ीलत 572
सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़े का बयान 572
किसी भी माह में रोजा रख लेने की रुख़सत है 572
रोज़े के लिये निय्यत का बयान 573
नफ़ली रोज़े में निय्यत में ताख़ीर मबाह है 573
नफ़ली रोज़ा तोड़ दिया हो तो उस की क़ज़ा का मस्अला 573
महिला के लिये जाइज़ नहीं कि पति की मौजूदगी में
उस की इजाज़त के बिना रोज़े रखे 574
रोज़ेदार को अगर वलीमे की दावत मिले तो? 574
रोज़ेदार खाने की दावत में क्या कहे? 575
एतिकाफ़ के अहकाम व मसाइल 575
एतिकाफ़ कहाँ होना चाहिये? 576
एतिकाफ़ करने वाला अपनी ज़रुरत पूरी करने के लिये घर जा सकता है .. 576
एतिकाफ़ करने वाला किसी मरीज़ की बीमार पुर्सी में जाये या न जाये? .. 577
इस्तिहाज़ा वाली महिला एतिकाफ़ कर सकती है 578

15. (जिहाद के मसाइल)

हिजरत का बयान और दीहात में ठहरना 579
क्या हिजरत समाप्त हो चुकी है? 579
शाम मुल्क में रिहाइश इख़्तियार करना 580
जिहाद हमेशा जारी रहेगा 580
जिहाद का सवाब 581
वह सयाहता जो मना है 581
जिहाद से वापस लौटने का सवाब 581
रुम वालों से जिहाद करने की फ़ज़ीलत 581
लड़ाई के लिये समुन्दर की यात्रा करना 582
समुद्र में जिहाद करने की फ़ज़ीलत 582

काफ़िर को क़त्ल करने वाले की फ़ज़ीलत	583
जो लश्कर ग़नीमत नहीं पाता	584
जिहाद के दौरान अल्लाह के ज़िक्र के सवाब	584
जो शख़्स जिहाद के सफ़र में मर जाये	584
दुश्मन के मुक़ाबला में मूर्चाबन्दी की फ़ज़ीलत	585
जिहाद में पहरेदारी की फ़ज़ीलत	585
जिहाद छोड़ देने की आलोचना	585
मजबूरी में जिहाद में शरीक न होना दुरुस्त है	586
जो चीज़ जिहाद में किफ़ायत करती है	587
बहादुरी और बुज़दिली का बयान	588
"लातुलक़ू बिऐदीकुम......." की तफ़सीर	588
तीर अन्दाज़ी की फ़ज़ीलत	588
दुनिया की तलब में जिहाद करने वाला	589
अल्लाह का कलिमा बुलन्द करने की निय्यत से जिहाद करना	589
शहादत की फ़ज़ीलत	590
शहीद सिफ़ारिश करेगा	590
शहीद की क़ब्र पर नूर नज़र आना	590
मज़दूरी तै कर के जिहाद करना	591
जिहाद में माली बदला लेने की रुख़्सत	591
ऐसा इन्सान, जो केवल मज़दूरी ही पर जिहाद करे	591
अगर कोई माता-पिता की अनुमति के बिना जिहाद करे	592
महिलायें भी जिहाद में हिस्सा ले सकती हैं	592
ज़ालिम हाकिम के साथ जिहाद करना	592
दूसरे की सवारी पर जिहाद के लिये जाना	593
जिहाद में सवाब और ग़नीमत की निय्यत रखना	593
जो अपने को अल्लाह के हाथ बेच डाले	594
जो इस्लाम लाने के तुरन्त बाद शहीद कर दिया जाये	594
जो अपना ही हथियर लगने से मर जाये	594
जन्ग के समय दुआ क़ुबूल होती है	595
शहादत की दुआ की फ़ज़ीलत	595
घोड़े की दुम और पेशानी के बाल काटना मक्रुहै	596
घोड़ों में कौन सा रन्ग पसन्दीदा है	596
मादा घोड़ी को "फ़रस" कहना	596
वह घोड़े जो पसन्दीदा नहीं	597

मंज़िल पर पड़ाव करने का एक अदब	598
घोड़ों के गले में ताँत डालना	598
घोड़ों की अच्छी तरह देखभाल करना	598
जानवर को घन्टी बाँधना	598
पलीदी खाने वाले जानवर पर सवार होना	599
जानवर का नाम रखना	599
जानवर को लानत करना मना है	599
जानवर को आपस में लड़ाना	600
जानवरों पर निशान लगाना	600
चेहरे पर मारना या उसे दाग़ना मना है	600
गधे की घोड़ी से जुफ़्ती कराना मक्रुह है	600
एक सवारी पर तीन आदमी का सवार होना	601
जानवरों पर खड़े होना	601
बाज़ू में चलने वाली सवारियाँ	601
जल्दी चलने का बयान	601
रात के पहले पहर यात्रा करना	602
सवारी का मालिक आगे बैठे	602
जन्ग में सवारी की कूचें काटनी पड़ें तो जाइज़ है	602
मुक़ाबला बाज़ी का बयान	602
पैदल दौड़ में मुक़ाबला करना	603
घोड़ दौड़ में दलाल का शरीक होना	603
घोड़ दौड़ में "जलब" और "जनब" का बयान	603
तलवार पर चाँदी चढ़ाना	604
तीर लेकर मस्जिद में दाखिल होना	604
नन्गी तलवार लेना-देना मना है	604
कई ज़िरहें पहनने का बयान	605
जिहाद में झन्ड़ों और प्रचम का बयान	605
आदमी कोड भाषा प्रयोग करे तो जाइज़ है	605
सफ़र के समय की दुआ	606
यात्री को भेजने की दुआ	607
सवार होने के बाद कौन सी दुआ पढ़े?	607
पड़ाव डालने के बाद क्या पढ़े?	608
शुरु रात में यात्रा करना मना है	608
किस दिन सफ़र किया जाये	608

सफ़र के लिये सुब्ह सवेरे निकलना	608
अकेले यात्रा करना (मक्रुह है)	609
जमाअ़त में किसी को अमीर चुन लें	609
दुश्मन के क्षेत्र में कुरआ़न ले जाना	609
लश्कर में कितनी तादाद होनी बेहतर है	609
जन्ग में काफ़िरों को दावत देना	610
दुश्मन के क्षेत्र में आग लगाना	611
जासूस भेजने का बयान	611
मुसाफ़िर किसी बाग़ से गुज़रे तो उस का माल खा सकता है	611
गिरा-पड़ा माल खा लेने का बयान	612
बिना अनुमति के जानवर का दूध निकालना मना है	612
आज्ञा (इताअ़त) का बयान	613
लश्कर में एक-दूसरे से मिल कर रहना	614
दुश्मन से दूबदू होने की इच्छा करना अच्छा नहीं	614
दुश्मन से सामना हो तो क्या पढ़े	614
जन्ग से पहले दावत देना कैसा है	615
जन्ग में चाल चलने का बयान	615
रात में हमला करने का बयान	616
कमान्डर साक़ा के साथ रहे	616
किस कारण मुश्रिकों से जन्ग की जाये	616
जो शख़्स सज्दा कर के पनाह चाहे उस की हत्या मना है	617
कुफ़्फ़ार से मुक़ाबला में भाग जाना कैसा है?	618
ऐसा बन्दी, जिसे कुफ़्र बोलने पर मजबूर किया जाये	619
जो मुसलमान होते हुये मुसलमानों की जासूसी करे	619
कोई ज़िम्मी (काफ़िर) जासूसी करे तो?	620
जासूस ,जो शान्ति का पत्र लेकर आये	621
जन्ग के लिये कौन सा समय बेहतर होता है	622
जन्ग के दौरान ख़ामोशी का हुक्म	622
मुजाहिद का जन्ग के समय पैदल हो जाना	622
जन्ग के दौरान गुरुर-तकब्बुर ज़ाहिर करना	622
कमीन गाह में बैठने वालों का बयान	623
जन्ग में सफ़बन्दी का बयान	624
टकराव के समय तल्वार सौंतना	624
जन्ग में मुक़ाबला के लिये ललकारना	624

नाक–कान आदि काटना	625
महिला की हत्या मना है	625
दुश्मन को आग में जलाना नाजाइज़ है	626
बन्दी को मार–पीट कर उस से इक़रार कराना	629
इस्लाम लाने के लिये बन्दी पर सख़्ती करना उचित नहीं	629
क़ैदी को बाँध कर क़त्ल करना	631
क़ैदी को तीर मार कर क़त्ल करना	632
माल लेकर क़ैदी को रिहा करना	633
क़ैदियों को अलग–अलग करना	635
अगर जवान हों तो अलग–अलग किये जा सकते हैं	635
मुश्रिकों के गुलाम अगर मुसलमानों से आ मिलें और इस्लाम ले आयें	636
दुश्मन के क्षेत्र से मिलने वाली खाने–पीने की चीज़ें	637
जन्ग में खाना कम पड़ जाये फिर भी लूट करना मना है..	637
दुश्मन के क्षेत्र में खाने–पीने की चीज़ें अपने साथ ले आना	638
ग़नीमत का माल बाँटने से पहले इस्तेमाल की चीज़ें इस्तेमाल कर लेना	638
ग़नीमत के माल में से चोरी करना बुरा अ़मल है	639
ग़नीमत में से ख़ियानत करने वाले की सज़ा	640
काफ़िर मक़्तूल का माल उन के क़ातिल को दिया जाये	641
"सलब" में से पाँचवाँ नहीं लिया जाता	642
जो शख़्स ग़नीमत का माल तक़्सीम के बाद पहुँचे	643
महिला और गुलाम को भी ग़नीमत में से इनाम के तौर पर दिया जाये	645
क्या मुश्रिक का भी ग़नीमत में कोई हिस्सा है?	646
घोड़ों के हिस्सों का बयान	646
क्या घोड़े का भी हिस्सा है?	647
ग़नीमत के अ़लावा, मज़ीद इनाम देने का बयान	647
लश्कर के किसी दस्ते को ग़नीमत के अ़लावा मज़ीद इनाम देना	648
पाँचवाँ पहले निकाला जाये फिर इनाम दिया जाये	650
काफ़िरों से हासिल होने वाले माल में से इमाम का अपने लिये	652
वादा का पूरा करना	652
लोगों कि लिये ज़रुरी है कि कमान्डर से किये गये वादे की पाबन्दी करे	653
ज़िम्मी के किये गये वादे का पूरा करना	653
सफ़ीर और क़ासिद (की हुर्मत) का बयान	654
मुसलमान महिला की दी हुयी अमान	654
दुश्मन से सुलह कर लेने का बयान	654

बुलन्दी चढ़ते हुये अल्लाहु अक्बर कहना 657
जिहाद से वापस आ जाने की रुख़्सत जबकि यह पहले मना था 658
शुभसूचना देने वाले भेजना 658
उसे कोई इनाम आदि देना 658
शुक्र के सज्दे का बयान 659
बिना सूचना के रात को घर आना उचित नहीं 659
सफ़र से वापस आने वाले का स्वागत करना 660
सफ़र से वापस आने पर नमाज़ पढ़ना 660
साझी का माल तक़्सीम करने की उजरत लेना 661
जिहाद के दौरान तिजारत करना जाइज़ है 661
दुश्मन के क्षेत्र में हथियारों को ले जाने देना 661
मुश्रिकों के क्षेत्र में इक़ामत इख़्तियार करना 662

❀ ❀ ❀

अबू दावूद शरीफ़ की नीचे की हदीसें ज़ओफ़ हैं

नोटः- नीचे नंबर की हदीसें किताब में देखें।

2	139.	247	309	461	607	749	881
3	145	248	310	463	616	750	883
10	147	250	313	464	617	751	884
11	152	256	328	472	633	752	885
14	155	257	336	484	639	756	886
15	156	265	356	488	640	758	887
17	158	266	359	490	642	774	893
19	159	270	364	491	643	779	896
22	160	271	379	497	659	785	899
26	162	274	381	505	669	791	902
27	163	275	385	506	679	792	908
29	164	276	386	507	681	802	920
33	165	270	387	512	689	807	922
34	170	277	388	513	690	814	928
35	189	278	408	514	693	815	929
41	193	280	415	528	704	818	934
42	202	281	429	534	705	819	938
54	203	284	430	543	706	820	942
57	204	286	443	551	707	831	944
62	208	287	445	552	718	833	962
68	209	292	446	570	724	834	966
76	213	293	448	577	725	837	975
84	225	295	450	578	728	838	982
108	228	296	452	581	733	839	989
128	236	297	456	590	736	850	995
129	241	298	457	593	737	851	1001
130	243	302	458	594	739	862	1004
132	244	304	459	597	740	864	1006
133	246	305	460	598	748	865	1007

1012	1248	1424	1566	1672	1837	1978	2119
1028	1258	1428	1572	1673	1845	1988	2120
1036	1260	1429	1573	1674	1848	1989	2126
1047	1261	1433	1574	1679	1849	1992	2127
1051	1264	1453	1576	1680	1851	1997	2128
1053	1270	1459	1577	1681	1854	2000	2131
1054	1275	1463	1578	1682	1859	2007	2132
1056	1278	1474	1579	1686	1860	2016	2133
1064	1280	1477	1580	1717	1870	2029	2144
1073	1278	1480	1581	1718	1881	2031	2145
1083	1296	1485	1582	1729	1883	2032	2149
1088	1298	1487	1586	1731	1898	2035	2157
1089	1303	1488	1588	1740	1899	2036	2164
1092	1309	1492	1599	1741	1900	2037	2169
1097	1316	1497	1603	1744	1903	2038	2171
1098	1319	1498	1604	1748	1914	2039	2174
1105	1321	1499	1606	1751	1915	2041	2187
1108	1322	1502	1607	1756	1916	2059	2188
1111	1352	1508	1617	1764	1920	2060	2189
1120	1355	1518	1619	1767	1922	2067	2196
1145	1384	1524	1620	1770	1929	2072	2199
1147	1387	1531	1621	1774	1935	2076	2204
1153	1392	1535	1622	1775	1940	2077	2205
1158	1393	1537	1624	1791	1941	2078	2208
1160	1396	1539	1626	1792	1944	2086	2210
1176	1401	1546	1630	1794	1952	2091	2211
1182	1403	1547	1632	1797	1958	2095	2213
1185	1411	1549	1637	1807	1961	2103	2214
1186	1414	1554	1646	1808	1962	2104	2215
1193	1415	1555	1653	1811	1963	2107	2216
1215	1416	1559	1654	1817	1964	2108	2217
1229	1417	1560	1664	1818	1966	2110	2218
1235	1418	1562	1670	1820	1967	2112	2221
1244	1419	1564	1671	1833	1968	2118	2222

2224	2378	2522	2657	2818	2958	3040	3140
2235	2380	2525	2664	2819	2959	3041	3147
2236	2384	2530	2665	2820	2961	3044	3153
2238	2386	2532	2666	2825	2966	3046	3154
2239	2393	2533	2667	2826	2967	3047	3157
2240	2396	2539	2670	2832	2971	3048	3159
2241	2397	2542	2678	2837	2972	3049	3163
2242	2401	2543	2684	2840	2975	3050	3166
2250	2403	2544	2686	2851	2984	3051	3171
2256	2410	2553	2687	2860	2988	3052	3176
2264	2411	2560	2696	2866	2989	3053	3177
2269	2412	2562	2698	2871	2990	3060	3184
2271	2415	2568	2700	2873	2991	3066	3186
2275	2424	2570	2706	2875	2992	3067	3188
2280	2428	2573	2709	2885	2993	3068	3205
2294	2432	2579	2713	2891	2994	3070	3208
2296	2436	2580	2714	2892	2997	3071	3209
2305	2447	2582	2715	2896	3000	3074	3210
2307	2449	2588	2716	2897	3001	3075	3236
2308	2454	2593	2722	2903	3002	3077	3259
2309	2456	2595	2729	2904	3004	3080	3265
2312	2457	2608	2731	2906	3006	3081	3279
2318	2459	2609	2734	2907	3016	3082	3284
2321	2472	2611	2735	2908	3017	3086	3285
2327	2473	2614	2762	2912	3018	3087	3286
2334	2474	2616	2764	2813	3019	3088	3293
2340	2475	2619	2775	2920	3022	3089	3294
2341	2488	2622	2783	2923	3026	3094	3306
2358	2489	2632	2784	2930	3027	3097	3314
2364	2798	2635	2786	2933	3028	3121	3331
2373	2499	2645	2787	2934	3032	3128	3340
2374	2506	2647	2788	2935	3037	3133	3341
2376	2515	2652	2790	2937	3038	3134	3342
2377	2521	2656	2803	2950	3039	3136	3344

3369	3535	3647	3796	3893	4048	4191	4332
3371	3542	3652	3797	3907	4049	4196	4335
3382	3557	3656	3798	3919	4055	4197	4336
3386	3561	3659	3799	3920	4067	4200	4337
3387	3562	3663	3805	3923	4068	4201	4339
3388	3563	3666	3806	3924	4069	4211	4345
3391	3564	3667	3809	3925	4070	4213	4346
3401	3566	3670	3810	3948	4071	4227	4350
3402	3569	3686	3813	3950	4074	4230	4357
3403	3570	3694	3814	3952	4075	4231	4362
3406	3573	3697	3815	3953	4078	4237	4369
3413	3575	3706	3817	3967	4079	4238	4370
3414	3577	3707	3818	3971	4099	4241	4376
3430	3578	3708	3824	3976	4104	4249	4380
3431	3582	3709	3828	3977	4115	4253	4382
3432	2586	3721	3829	3978	4119	4258	4387
3441	3588	3730	3842	3979	4124	4260	4399
3446	3591	3741	3843	3985	4125	4264	4401
3448	3592	3745	3850	3986	4130	4265	4402
3449	3593	3746	3853	3987	4135	4276	4403
3460	3599	3756	3858	3990	4138	4279	4411
3462	3605	3758	3859	3998	4141	4285	4414
3467	3612	3761	3860	3999	4159	4286	4417
3468	3624	3762	3862	4000	4160	4287	4432
3476	3625	3764	3863	4001	4164	4288	4438
3489	3626	3774	3869	4011	4165	4290	4439
3495	3627	3775	3874	4015	4166	4295	4443
3506	3629	3778	3875	4019	4171	4296	4444
3507	3632	3779	3880	4032	4176	4301	4450
3510	3635	3780	3881	4033	4177	4305	4451
3524	3636	3781	3883	4034	4178	4304	4452
3525	3641	3783	3885	4035	4180	4307	4453
3531	3642	3790	3889	4038	4181	4308	4454
3534	3644	3792	3892	4047	4182	4327	4467

4473	4573	4663	4813	4886	4995	5096	5196
4483	4574	4664	4814	4887	4986	5104	5203
4490	4575	4665	4817	4890	4998	5105	5210
4494	4580	4670	4825	4898	4999	5107	5211
4496	4581	4691	4826	4900	5006	5108	5212
4507	4586	4692	4827	4903	5012	5109	5213
4509	4587	4703	4828	4904	5031	5119	5214
4510	4590	4704	4836	4905	5032	5120	5220
4522	4592	4710	4837	4906	5035	5121	5223
4525	4599	4720	4838	4908	5036	5123	5225
4526	4601	4723	4840	4909	5044	5130	5227
4534	4612	4724	4842	4912	5052	5134	5230
4536	4619	4725	4843	4919	5063	5135	5231
4537	4620	4726	4846	4927	5064	5140	5233
4538	4621	4736	4847	4928	5073	5144	5234
4543	4631	4755	4848	4938	5075	5145	5247
4544	4634	4765	4854	4948	5076	5146	5249
4545	4635	4766	4860	4950	5083	5149	5250
4549	4636	4775	4861	4957	5084	5156	5251
4550	4638	4778	4869	4966	5087	5162	5256
4551	4639	4789	4877	4968	5090	5163	5260
4552	4642	4790	4881	4971	5092	5175	5261
4553	4643	4793	4883	4977	5093	5185	5267
4554	4645	4794	4884	4987	5094	5190	5271
4555	4652	4810	4885	4991	5095	5191	5272
							5273

अबू दावूद की नीचे की हदीसें बुख़ारी में भी हैं

21	844	1452	2180	2653	3083	3651	4558
55	882	1457	2231	2654	3091	3699	4571
79	913	1458	2232	2660	3095	3718	4595
138	931	1461	2249	2661	3096	3724	4627
171	941	1465	2251	2662	3104	3747	4651
253	951	1483	2252	2663	3105	3769	4737
260	952	1534	2254	2674	3112	3841	4740
268	958	1541	2272	2688	3127	3867	4748
283	959	1567	2295	2689	3138	3890	4787
308	960	1676	2301	2693	3139	3894	4797
390	964	1697	2314	2695	3198	3912	4803
439	1011	1730	2359	2724	3224	3945	4849
451	1014	1737	2361	2756	3241	3989	4862
469	1040	1777	2362	2765	3263	4004	4867
486	1044	1789	2372	2779	3289	4024	4922
529	1067	1796	2375	2793	3300	4039	4930
542	1084	1800	2422	2794	3302	4085	4956
585	1087	1825	2438	2839	3384	4092	5000
588	1126	1836	2466	2882	3423	4097	5007
611	1146	1844	2468	2884	3425	4134	5010
627	1174	1927	2471	2890	3429	4149	5021
683	1192	1938	2476	2916	3445	4150	5024
712	1230	1972	2480	2922	3464	4151	5028
732	1253	1983	2481	2925	3465	4214	5039
741	1281	1986	2559	2942	3514	4215	5049
789	1339	2027	2641	2957	3516	4267	5056
794	1356	2087	2642	2969	3526	4351	5060
801	1357	2089	2646	2970	3536	4368	5150
810	1361	2101	2649	2978	3567	4371	5155
812	1372	2138	2653	2995	3583	4427	5198
836	1381	2150	2646	3020	3603	4477	5222
842	1409	2176	2649	3043	3606	4478	❀ ❀ ❀

अबू दावूद की नीचे की हदीसें मुस्लिम में भी हैं

4	259	535	702	912	1074	1226	1371
7	261	536	721	915	1075	1227	1378
16	279	537	745	917	1077	1247	1383
18	290	548	760	919	1093	1250	1385
25	321	549	763	926	1094	1251	1407
38	344	550	767	930	1099	1256	1421
53	370	555	771	950	1100	1259	1435
58	371	557	772	953	1102	1265	1441
69	395	568	783	955	1103	1266	1442
71	396	582	784	956	1104	1282	1445
74	403	583	798	972	1116	1286	1455
85	404	589	804	973	1122	1292	1456
89	410	606	806	974	1123	1294	1460
95	412	609	821	980	1124	1311	1478
103	413	610	822	983	1129	1312	1503
120	420	615	828	987	1131	1313	1506
149	427	621	829	988	1140	1320	1507
150	431	622	845	998	1148	1323	1512
169	435	623	846	999	1154	1324	1513
172	441	626	847	1000	1171	1335	1515
177	465	628	853	1008	1177	1337	1520
186	471	634	854	1009	1178	1338	1530
200	473	647	868	1015	1179	1340	1534
201	475	649	871	1018	1183	1342	1542
217	485	657	872	1021	1195	1343	1545
220	482	661	875	1022	1199	1344	1550
222	483	663	876	1024	1200	1345	1589
224	502	674	878	1045	1201	1351	1597
230	520	675	879	1049	1206	1353	1640
237	523	678	891	1050	1210	1360	1642
251	525	680	898	1062	1211	1363	1656
258	527	685	906	1065	1224	1366	1659

1661	1846	2105	2394	2599	2868	3234	3444
1663	1856	2122	2402	2604	2877	3235	3447
1683	1857	2148	2406	2605	2880	3237	3469
1689	1871	2151	2425	2612	2939	3238	3470
1706	1872	2155	2429	2613	2944	3245	3491
1708	1879	2156	2430	2618	2985	3255	3513
1719	1880	2165	2433	2634	3008	3268	3543
1723	1891	2170	2439	2640	3030	3269	3545
1724	1895	2181	2446	2681	3031	3271	3553
1726	1905	2185	2453	2690	3035	3278	3555
1743	1907	2200	2455	2697	3036	3282	3581
1746	1908	2234	2460	2718	3045	3309	3596
1747	1910	2247	2461	2719	3113	3316	3608
1752	1921	2253	2467	2720	3115	3324	3623
1753	1926	2260	2490	2727	3117	3346	3655
1761	1931	2261	2495	2728	3118	3350	3675
1763	1932	2284	2496	2732	3126	3351	3678
173	1934	2288	2497	2740	3143	3352	3679
1782	1970	2289	2502	2745	3148	3353	3690
1785	1971	2290	2510	2780	3169	3358	3691
1786	1981	2291	2514	2791	3170	3368	3693
1790	1998	2297	2531	2792	3178	3374	3698
1795	2002	2306	2538	2797	3185	3375	3702
1804	2009	2320	2547	2807	3190	3376	3711
1816	2021	2332	2549	2809	3192	3389	3713
1822	2054	2343	2555	2812	3197	3393	3717
1834	2062	2346	2556	2814	3218	3395	3729
1838	2063	2354	2561	2816	3219	3396	3732
1839	2069	2383	2564	2844	3225	3404	3737
1841	2073	2388	2566	2846	326	3409	3738
1842	2098	2389	2569	2861	3228	3421	3739
1843	2099	2392	2576	2863	3229	3442	3740

3765	4036	4183	4397	4533	4762	4949	5111
3766	4043	4186	4407	4568	4763	4951	5114
3770	4044	4204	4415	4569	4768	4952	5115
3776	4077	4219	4416	4570	4773	4958	5129
3803	4081	4248	4422	4606	4779	4959	5137
3821	4087	4252	4423	4608	4796	4964	5143
3831	4088	4255	4425	4609	4804	4965	5158
3845	4091	4256	4431	4610	4809	4973	5159
3848	4105	4269	4433	4667	4819	4981	5160
3864	4107	4280	4440	4672	4834	4983	5166
3866	4108	4289	4442	4673	4835	4984	5167
3873	4109	4303	4447	4679	4851	4992	5168
3882	4110	4310	4448	4695	4853	5019	5172
3886	4123	4317	4455	4705	4864	5022	5181
3909	4137	4318	4470	4706	4865	5025	5193
3935	4142	4321	4480	4713	4870	5026	5205
3946	4146	4323	4481	4714	4874	5027	5228
3957	4153	4326	4499	4718	4894	5037	5255
3958	4154	4340	4500	4719	4916	5051	5257
3959	4157	4348	4501	4730	4939	5053	5258
4016	4172	4374	4508	4732	4944	5071	5259
4018	4175	4381	4528	4741	4946	5086	5262
4032	4179	4386	4532	4747	4947	5091	5263
						5100	5264

अबू दावूद की नीचे की हदीसें बुख़ारी-मुस्लिम दोनों में भी है (मुत्तफ़क़अ़लैह हैं)

9	262	470	711	940	1138	1255	1438	1648
12	273	474	713	946	1141	1262	1440	1652
20	282	479	715	947	1142	1263	1444	1655
23	285	508	781	949	1143	1273	1447	1668
31	291	509	782	954	1144	1276	1448	1684
43	214	516	790	968	1159	1279	1454	1685
46	317	522	797	976	1161	1283	1467	1687
49	324	539	799	977	1162	1291	1473	1693
55	329	540	800	978	1163	1293	1475	1696
60	340	541	803	979	1167	1306	1484	1701
77	341	544	810	1002	1170	1310	1505	1702
97	351	559	811	1003	1175	1315	1519	1704
100	352	566	835	1019	1180	1317	1527	1705
106	361	569	848	1020	1181	1318	1528	1727
118	369	572	852	1030	1189	1326	1540	1738
119	373	601	856	1034	1190	1334	1543	1745
140	374	605	867	1035	1191	1341	1556	1755
151	391	612	877	1042	1198	1364	1557	1757
176	392	625	880	1043	1202	1367	1558	1758
187	397	630	889	1055	1214	1368	1584	1759
196	398	656	890	1063	1218	1370	1590	1760
199	401	658	894	1066	1219	1373	1593	1768
116	402	660	895	1076	1221	1376	1595	1769
221	407	668	897	1080	1223	1382	1610	1771
231	409	687	911	1082	1233	1388	1611	1772
235	414	688	914	1085	1237	1397	1612	1779
238	417	692	918	1086	1238	1404	1615	1780
239	423	696	923	1115	1239	1406	1616	1781
240	442	697	935	1121	1243	1408	1623	1783
242	453	700	936	1136	1252	1412	1644	1787
245	467	701	939	1137	1254	1432	1647	1802

1803	1959	2092	2302	2445	2658	2876	3122	3287
1805	1960	2111	2303	2448	2668	2878	3124	3288
1806	1965	2121	2310	2458	2672	2886	3125	3299
1809	1974	2124	2315	2462	2679	2888	3129	3301
1812	1979	2136	2319	2464	2685	2898	3142	3307
1815	1980	2139	2323	2465	2711	2909	3144	3310
1819	1994	2141	2328	2469	2717	2910	3145	3311
1823	2005	2152	2335	2470	2725	2915	3146	3325
1824	2006	2161	2347	2477	2733	2919	3151	3329
1829	2010	2163	2349	2485	2744	2926	3152	3330
1832	2011	2167	2351	2491	2746	2928	3155	3335
1835	2014	2172	2352	2509	2768	2929	3167	3345
1840	2017	2173	2360	2517	2770	2940	3172	3347
1852	2018	2179	2363	2518	2772	2941	3174	3348
1865	2022	2182	2382	2529	2773	2946	3175	3361
1866	2023	2183	2390	2550	2776	2955	3181	3363
1867	2024	2184	2391	2552	2777	2963	3195	3364
1868	2033	2201	2398	2563	2778	2964	3196	3367
1869	2034	2202	2399	2575	2781	2965	3203	3370
1873	2040	2203	2400	2587	2800	2968	3204	3373
1874	2044	2209	2404	2610	2801	2974	3223	3377
1877	2045	2212	2405	2615	2815	2976	3227	3379
1882	2046	2233	2407	2623	2821	2986	3231	3380
1886	2047	2245	2409	2624	2831	2998	3239	3381
1893	2053	2257	2416	2625	2847	3003	3240	3392
1901	2057	2258	2417	2626	2848	3005	3243	3394
1902	2058	2259	2420	2631	2849	3009	3247	3408
1912	2066	2262	2427	2633	2854	3029	3249	3418
1923	2068	2267	2434	2636	2855	3079	3250	3419
1925	2071	2268	2441	2643	2862	3085	3257	3424
1939	2074	2273	2442	2644	2864	3101	3270	3428
1946	2080	2292	2443	2650	2865	3103	3276	3433
1948	2081	2299	2444	2651	2874	3120	3277	3434

3436	3727	3911	4140	4365	4669	4866	5136
3438	3731	3916	4145	4373	4671	4871	5141
3439	3733	3922	4155	4383	4675	4893	5151
3443	3734	3929	4167	4384	4676	4910	5154
3454	3736	3938	4168	4385	4677	4911	5157
3455	3742	3939	4169	4396	4683	4917	5165
3459	3743	3940	4188	4418	4686	4920	5169
3463	3748	3942	4193	4445	4688	4929	5171
3473	3752	3943	4198	4446	4689	4931	5180
3474	3757	3944	4199	4468	4694	4933	5182
3479	3763	3947	4203	4469	4701	4934	5187
3489	3782	3955	4209	4479	4707	4961	5194
3495	3788	3974	4216	4491	4708	4978	5199
3619	3791	3992	4218	4492	4709	4988	5206
3637	3793	3994	4225	4505	4711	4989	5207
3654	3794	4002	4240	4520	4721	4997	5215
3661	3802	4006	4268	4523	4729	5014	5216
3668	3812	4028	4273	4527	4745	5018	5218
3669	3822	4040	4274	4529	4750	5023	5232
3673	3825	4041	4304	4576	4760	5030	5246
3682	3835	4042	4312	4577	4764	5043	5245
3692	3840	4052	4313	4584	4767	5046	5252
3700	3846	4053	4314	4585	4781	5050	5253
3703	3847	4056	4315	4593	4785	5062	5254
3704	3876	4060	4316	4598	4788	5098	5265
3714	3877	4072	4329	4600	4791	5102	5266
3715	3879	4120	4331	4632	4795	5106	5270
3720	3895	4121	4352	4657	4805	5113	5274
3723	3902	4136	4354	4658	4815	5127	
3726	3907	4139	4364	4668	4830	5131	

❀ ❀ ❀

चन्द शब्द इस पुस्तक के बारे में

"सुनन अबू दावूद" का आसान, सहल और सहज हिन्दी तर्जुमा और संक्षिप्त तशरीह आप हज़रात की ख़िदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। फ़ल् हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आलमीन्। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौला! हमारे हिन्दी अनुवाद को लोगों की इस्लाह का सोत्र और ज़रीआ और आख़िरत में इसे मेरी नजात का ज़रीआ बना दे.......आमीन!

हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बंगला देश में "सिहाह सित्ता" की परिभाषा बहुत मशहूर और आम है। इस से मुराद अहादीस की छः पुस्तकें (1) बुख़ारी (2) मुस्लिम (3) अबू दावूद (4) तिर्मिज़ी (5) नसई (6) इब्ने माजा है। इन में पहली दो पुस्तकों को "सहीहैन" और अन्तिम चार को "सुनन् अरबआ" कहा जाता है।

बुख़ारी व मुस्लिम के बारे में तो हदीस के आलोचकों का इत्तिफ़ाक़ है कि इन में जितनी हदीसें हैं वह सब मुत्तसिल, मर्फ़ूअ और सौ फ़ीसद सहीह है। अल्बत्ता "सुनन अरबआ" की बाबत सब को स्वीकार है कि इन चारें पुस्तकों में कुछ हदीसें ज़ईफ़ भी हैं। और इन चारों की वह हैसियत नहीं जो बुख़ारी और मुस्लिम की है।

अल्लाह पाक करवट-करवट जन्नत नसीब फ़रमाये अपने ज़माना के प्रसिद्व मुहद्दिस और मुहक़्क़िक़ अल्लामा अल्बानी रह० को क्योंकि उन्होंने "सुनन अरबआ" की अहादीस की छान-फटक कर के ज़ईफ़ और सहीह हदीसों की निशानदेही फ़रमा दी है। और इतने ही पर बस नहीं किया है, बल्कि "ज़ईफ़ अबू दावूद" और "सहीह अबू दावूद" नाम की दो अलग-अलग किताबें मुरत्तब कर दी हैं जिन में केवल ज़ईफ़ और सहीह हदीसें हैं। इस प्रकार कम पढ़े लिखे लोगों के लिये ज़ईफ़ और सहीह हदीसों का जानना सरल हो गया है।

इदारा "दारुस्सलाम" रियाज़ (K.S.A.) के डाइरेक्टर जनरल मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद ने पाकिस्तानी उलमा की एक टीक से सुनन अबू दावूद शरीफ़ का उर्दू तर्जुमा और तशरीह करा के नीज़ तमाम अहादीस पर सहीह या ज़ईफ़ का हुक्म लगा के चार भाग में प्रकाशित किया है। जिस का हिन्दुस्तानी एड़िशन "दारुल कुतुबिल इस्लामिया" दिल्ली ने छापा है। मैंने इसी उर्दू एड़िशन को सामने रख कर हिन्दी अनुवाद किया है और ज़रुरत के अनुसार मुख़्तसर या तवील फ़ाइदे को ले लिया है। जहाँ उलमा ने सहीह और ज़ईफ़ का हुक्म लगाया है, मैंने भी वही हुक्म लगाया है। बहरहाल मैंने मक्तबा दारुस्सलाम के एड़िशन का आसान, सहल और सहज हिन्दी

अनुवाद कर के उन्हीं के "फ़ाइदे" को लिया है। अपनी तरफ़ से कुछ भी नहीं किया है।

किसी पुस्तक का खुद ही अनुवाद करना, उस की कंपोज़िन्ग कराना, मुसैदा की दो-दो, तीन-तीन बार रीडिंग करना, नए सिरे से किताब की शक्ल में तर्तीब देना यह कितना मुश्किल काम है इस का अनुमान वही लगा सकते हैं जो इस काम से जुड़े हुये हैं।

वर्षों की उधेड़ बुन और दिन-रात की मेहनत के बाद किताब छप कर आप लोगों के हाथों में है। अपनी जानकारी में अच्छे से अच्छे ढन्ग से तर्जुमा और तश्रीह पेश करने की कोशिश की है। अंततः पढ़ने वालों से निवेदन है कि इस पुस्तक से जहाँ लाभ उठायें वहीं दुआ फ़रमायें कि अल्लाह पाक मुझ गुनाहगाह को स्वस्थ्य और समय के साथ आयु भी अता फ़रमाये कि "कुतुब सित्तह" का हिन्दी अनुवाद मुकम्मल कर सकूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि जिस प्रकार इस पुस्तक के अनुवाद और संक्षिप्त तश्रीह को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ बख़्शी है, इसी प्रकार इस के बाद तिर्मिज़ी शरीफ़ को भी मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ बख़्शे और इन कामों को मेरे और मेरे माता-पिता के हक़ में सदक़-ए-जारिया-बना दे..........आमीन।

पढ़ने वालों से निवेदन है कि पहला एडिशन होने के नाते ग़लतियों से इन्कार नहीं, इसलिये अनुरोध है कि इस पुस्तक में अगर किसी भी प्रकार की कमियाँ सामने आयें तो तुरन्त सूचित करें ताकि तुरन्त ही नगेटिव में सुधार कर सकें और अगला एडिशन बेहतर से बेहतर शक्ल में प्रकाशित हो सके।

आख़िरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की शफ़ाअ़त का मुहताज

ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी (फ़लाही)
ग्रामः बेतनार, पोस्टःरमवापुर जगत, तहसीलः डुमरिया गंज
जनपदः सिद्दार्थ नगर, यू.पी.
28 जून 2010
सोमवार, सुबह 8 बजे

❀ ❀ ❀

इमाम अबू दावूद रह॰ की मुख़्तसर जीवनी

नाम-नसब:— अबू दावूद सुलैमान बिन अश्‌-अ़स बिन इस्हाक़ बिन बशीर बिन याद्‌दाद बिन अम्र बिन इम्रान............। यमन के प्रसिद्ध क़बीला "इज़्द" की निस्बत से "इज़्दी" और "सीस्तान" या "सजिस्तान" की निस्बत से "सजिस्तानी" कहलाये। यह भी कहा जाता है कि आप के बुज़ुर्गों में से कोई बुज़ुर्ग सिफ़्फ़ीन की जन्ग में अ़ली रज़ि॰ के साथ थे और उसी में क़त्ल हुये थे।

पैदाइश-तालीम तर्बियत:— आप सन 202 हि॰ में सजिस्तान में पैदा हुये। जब पढ़ने के योग्य हुये तो इल्म हासिल किया। अपने क्षेत्र के उलमा और असातिज़ा से भरपूर लाभ उठाया। इराक़, शाम, मिस्र और हिजाज़ में जहाँ भी किसी हदीस के ज्ञानी का नाम सुना, उन की सेवा में हाज़िर होकर अपने दामन को इल्म से भर लिया। इस प्रकार आप ने चल-फिर कर भरपूर हदीस का ज्ञान प्राप्त किया।

उस्ताद-शयूख़:— हाफ़िज़ इब्ने हजर रह॰ का कहना है कि "सुनन अबू दावूद" में आप के असातिज़ा की संख्या तीन सौ (300) के लगभग हैं। इन में इमाम अहमद बिन हंबल, यहया बिन मुईन, उस्मान बिन अबू शैबा, इस्हाक़ बिन राहवैह, अबू वलीद तयालसी और क़ुतैबा बिन सअ़ीद और मुसद्दद के नाम प्रसिद्ध हैं। इन में से हर एक अपने स्थान पर इल्मे हदीस का पहाड़ था जिन की तरफ़ अपने शार्गिद होने की निस्बत करना लोग फ़ख़्र समझते थे।

आप के शार्गिद:— हदीस का ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुरन्त ही आप पढ़ने-पढ़ाने से वाबस्ता हो गये, और साथ ही हदीसों को जमा करने का सिलसिला भी शुरु कर दिया। आप तरतूस में लगभग बीस वर्ष तक रहे और उसी दौरान अपनी मशहूर हदीस की पुस्तक "सुनन अबू दावूद" को तर्तीब दिया। आप से एक बहुत बड़ी मख़्लूक़ ने हदीस का ज्ञान प्राप्त किया। आप के शार्गिदों में बड़े-बड़े इमामों के नाम भी आते हैं। इमाम तिर्मिज़ी, इमाम नसई, इमाम अबू अ़वाना, अस्फ़राईनी, ज़करिया साजी, अबू बशीर बिन अहमद दूलाबी, मुहम्मद बिन नस्र मरुज़ी जैसे अहादीस के ज्ञानी और संपादक आप के शार्गिद हैं जो उम्मत के इमाम कहलाते हैं।

हिम्मत-बेबाकी:— आप किसी से डरते न थे और हक़ बात का इज़हार कर दिया करते थे। एक बार बसरा के अमीर अबू अहमद ने प्रार्थना की कि आप मेरे बच्चों को अपनी "सुनन"

का दर्स दें, उस दर्स में मेरे बच्चों के अ़लावा और कोई न शमिल होगा, क्योंकि हमारे बच्चे आ़म लोगों के बच्चों के साथ बैठना पसन्द नहीं करते हैं। आप ने दर्स देना तो स्वीकार कर लिया, लेकिन केवल उन्हीं बच्चों को तालीम देना स्वीकार न किया। और फ़रमायाः इल्म के मामले में मालदार और ग़रीब सब बराबर हैं। चुनान्चे वह बच्चे आ़म मज्लिस में आकर शिक्षा प्राप्त करते थे।

देहान्तः— आप ने 73 वर्ष की आयु में 15 शव्वाल 275 हि॰ में बसरा नगर में देहान्त किया, और इमाम अबू सुफ़यान सौरी के पहलू में दफ़न किये गये।

आप की लिखी पुस्तकेंः— (1) सुनन, मसाइले अहमद, अन्नासिख़-वल मनसूख़, किताबुज़्ज़ुहद, किताबुल क़द्र, दलाइन्नुबुव्वति, अद्दुआ, फ़ज़ाइलुल् अनसारि, अख़बारुल ख़वारिज, किताबुल् बासिवन्नुशूरि आदि। आप की लिखी हुयी पुस्तकों की संख्या लगभग 21 है।

सुनन अबू दावूद की शर्हेंः— इस की अब तक सात शर्हें लिखी जा चुकी हैं। इन में अ़ल्लामा शमसुल हक़्क़ बिहारी रह॰ (1911 ई॰) की शर्ह सब से प्रसिद्ध है जिस का नाम "औनुल माबूद" है। दूसरी शरह मौलाना ख़लील अहमद सहारनपुरी रह॰ की "बज़लुल मजहूद" है। इस सुनन का तीन उलमा अब तक उर्दू तर्जुमा कर चुके हैं (1) अ़ल्लामा वहीदुज़्ज़माँ (2) मौलाना ख़ुर्शीद हसन क़ासिमी (3) मौलाना अबू अ़म्मार उमर फ़ारुक़ सओ़ीदी मदनी और हिन्दी भाषा में सर्वप्रथम मुझे इस का तर्जुमा करने का शर्फ़ प्राप्त हुआ है।

सुनन अबू दावूद की ख़ूबियाँः— इस पुस्तक की सब से बड़ी ख़ूबी यह है कि यह फ़िक़ह के तर्ज़ पर मुरत्तब की गयी है। इस के बाबों के उनवान मुख़्तसर, जामे और स्पष्ट हैं। हदीसें, आ़म तौर पर दो या ज़्यादा सनदों से बयान की हैं और हर सनद में ऐसे ख़ास अल्फ़ाज़ होते हैं जो उलमा के लिये बहुत लाभदायक होते हैं, और उन से अहकाम व मसाइल निकलते हैं। दूसरी सनद जब पेश करते हैं तो आ़म तौर पर उस में यह बयान कर देते हैं "ऊपर की हदीस की तरह या उस के हम माना है।" हदीस के रावी में अगर किसी के बारे में आवश्यकता महसूस की तो उस का संक्षिप्त परिचय करा देते हैं। इस प्रकार हदीस में अगर किसी स्थान का नाम आ गया है तो उस स्थान के बारे में तफ़सील बयान कर देते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ बता देते हैं। उस हदीस पर अ़मल करने वाले सहाबा और इमामों का नाम भी बता देते हैं। बहुत अधिक ज़ओ़ीफ़ हदीस है तो उस को स्पष्ट कर देते हैं। किसी हदीस पर उलमा ने कलाम किया है लेकिन इमाम अबू दावूद ख़ामोश रहते हैं तो इस का यह अर्थ है कि वह हदीस इन्हें क़ुबूल है। इस सुनन में लगभग आधी हदीसें ऐसी हैं जो सहीहैन (बुख़ारी, मुस्लिम) में भी रिवायत की गयी है, और यह सब से ऊँचे पैमाने की हदीसें हैं। इस पुस्तक (सुनन अबू दावूद) का दर्जा बुख़ारी,मुस्लिम के बाद तीसरा बनता है। चौथे दर्जा पर तिर्मिज़ी और पाँचवे व छठे दर्जे पर नसई और इब्ने माजा है। इस पुस्तक में कुल 5274 हदीसें हैं।

❀ ❀ ❀

अनुवादक का परिचय

नाम व पताः— ख़ालीद हनीफ़ सिद्दीक़ी फ़लाही बिन मौलाना मुहम्मद हनीफ़ हातिफ़ सिद्दीक़ी सअ़ीदी बिन शैख़ सआ़दत अ़ली सिद्दीक़ी साकिनः बेतनार, पोस्टः रमवापुर जगत, तहसीलःडुमरिया गंज जनपदः सिद्धार्थ नगर। जन्मतिथिः जुलाई 1956। तीन भाइयों में मँझिला हूँ। बड़े भाई का नाम मुहम्मद अजमल सिद्दीक़ी और छोटे भाई का नाम हूद अहमद सिद्दीक़ी है।

हसब—नसबः— अल्हम्दुलिल्लाह! मेरा खान्दान इल्म व अ़मल से माला माल रहा है। दादा शैख़ सआ़दत अली अपने ज़माना के अ़रबी व फ़ारसी के सुप्रसिद्ध ज्ञानी थे। पूरी ज़िन्दगी शिक्षा व प्रशिक्षण से जुड़े रहे। गाँव बेतनार और आप-पास के दर्जनों गाँव के अक्सर घरों की तीन-तीन पीढ़ियों को पढ़ाया लिखाया। पिता मौलाना मुहम्मद हनीफ़ हातिफ़ और दो चचा अ़ब्दुश्शकूर दौर सिद्दीक़ी और हाफ़िज़ मुहम्मद हुसैन सिद्दीक़ी भी दीन के आ़लिम, उस्ताद और ख़तीब थे। सभी की पूरी उम्र दस्र, तदरीस, दावत, तब्लीग़ और इमामत-ख़िताबत में गुज़री। पिता जी ने बिस्कोहर बाज़ार के मर्दसा फ़ैज़ मुहम्मदी में 30 वर्ष तक तालीम दी और वहाँ की जामा मस्जिद के इमाम और ख़ातिब रहे।

शिक्षा—प्रशिक्षणः— तालीम तर्बियत का सिलसिला बहुत छटपने ही से आरंभ हो गया था। चूँकि दादा शैख़ सआ़दत अ़ली ने घर ही पर मक्तब इस्लामिया खोल रखा था और खुद उसी में लोगों को तालीम देते थे इसलिये बहुत कम आयु ही में उर्दू, फ़ारसी की आरंभिक किताबें और कुरआन पाक नाज़िरा की शिक्षा मुकम्मल कर लीथी। और ऊँची तालीम हासिल करने के लिये मदरसा नुस्रतुल इस्लाम तय्यब पुर (जिला बलरामपुर) में दाख़िला लिया। यहाँ मुन्शी आ़बिद अ़ली (बेतनार) से हिन्दी, हिसाब, जुग़राफ़िया, साइन्स आदि का कोर्स मुकम्मल किया।

अ़रबी दरजात की ऊँची शिक्षा के लिये "दर्सगाह इस्लामिया अकरहरा" (ज़िला सिद्धार्थ नगर) में दाख़िला लिया और तीसरी जमाअ़त तक तालीम की तकमील की। यहाँ के असातिज़ा में मौलाना अब्दुश्शकूर दौर सिद्दीक़ी (बड़े वालिद) मौला अ़ब्दुल हमीद शफ़ीक़ी, मौलाना मुहम्मद सअ़ीद, मौलाना मुहम्मद इलयास (लक्ष्मी नगर) मास्टर अ़ब्दुल करीम, मौलाना अ़ब्दुल मजीद (छीतर पारा) मौलाना अबू हातिम (खजूरिया) वग़ैरह क़ाबिले ज़िक्र हैं। यहाँ के हम सबक़ साथियों

में मौला अ़ब्दुल्लाह मदनी झन्डा नगरी, इन के भाई डाक्टर मुहम्मद सओ़ीद, मौलाना सलीमुद्दीन मदनी (कठेला बाज़ार) मौलाना अ़ब्दुल मजीद मदनी (अकहरा) वग़ैरह हैं।

यहाँ से भाग्य ने जामिअ़तुल फ़लाह बिलरिया गन्ज, आज़म गढ़ पहुँचा दिया, चुनान्चे यहीं से मौलवी, आ़लिम, फ़ाज़िल, तख़स्सुस का कोर्स मुकम्मल कर के 1976 में सनद हासिल की। इस महाविद्यालय के टीचरों में मौलाना जलील अहसन नदवी, मौलाना अबुल्लैस इस्लाही, मौलाना अब्दुल हसीब इस्लाही, मौलाना शहबाज़ अहमद हिन्दी, मौलाना सग़ीर अहसन इस्लाही, मौलाना शब्बीर अहमद इस्लाही, मौलाना अबू बक्र इस्लाही, मौलाना इनायतुल्लाह इस्लाही, मौलाना सलामतुल्लाह, मौलाना निज़ामुद्दीन-इस्लाही के नाम क़ाबिले ज़िक्र है। 1977 में जामिआ़ फ़ैज़ आ़म मऊ से हदीस का दौरा किया और मुफ़्ती हबीबुर्रहमान फ़ैज़ी से इजाज़त की सनद हासिल की।

इस के अ़लावा इलाहाबाद बोर्ड से मौलवी, आ़लिम, फ़ाज़िल (अदब, दीनियात) और अ़ली गढ़ के मुन्शी, अदीब, अदीब माहिर, अदीब कामिल और बी.ए. और बी.एड. की समस्त परिक्षायें भी दी। जिन की सनदें कहीं पड़ी होंगी। इन के प्रयोग की आज तक नौबत ही नहीं आयी। जामिआ़ के साथियों में तारिक़ इकरामुल्लाह (रामपुर), रिज़वान अहमद (आज़मगढ़), मुहम्मद सालेह (बिहार), मुहम्मद मुस्तफ़ा (राँची), असीर अहसन, (आज़मगढ़) आफ़ताब आ़लम (बिहार), अमीर अहसन (सिद्वार्थ नगर), मुनव्वर हुसैन फ़लाही (बिहार) के नाम क़ाबिले ज़िक्र हैं।

तालीम के मरहलों से गुज़रने के बाद तदरीस की बिस्मिल्लाह मदरसा नुरुल हुदा औंरहवा से की। यहाँ तीन साल तक सदर मुदर्रिस और जामे मस्जिद औंरहवा का इमाम व ख़तीब रहा। फिर यहाँ से अलग होकर मर्दसा दारुल हुदा गड़रहिया पहुँचा। यहाँ दो वर्ष तक रहा। 1980-81 में मुल्क की राजधानी दिल्ली पहुँचा और दारुल किताब वस्सुन्नह (सदर बार) में मौलाना सओ़ीद अहमद बस्तवी (हाल नाज़िम सूबाई जमीअ़त, मंबई) के साथ दर्स-तदरीस का मौका मिला। उन्हीं दिनो मौजूदा अहले-हदीस कम्पलक्स (औखला) में "दारुल हदीस रहमानिया" का बड़े शान व शौकत के साथ दोबारा इजरा अ़मल में आया तो डाक्टर मुहम्मद यूसुफ़ (तेज़ाब वाले, पंजाबी फाटक बल्ली मारान) ने बुला लिया, चुनान्चे यहाँ सदर मुदर्रिस की हैसियत से खूब जिम्मेदारी निभाई। और अ़रबी अदब और तफ़सीर का दर्स देता रहा। उस ज़माना में इस जामिआ़ में दर्जा शशुम (अ़रबी) तक की बड़ी माकूल पढ़ाई होती थी। इस के साथ जमाअ़त का माहनामा आरगन "तर्जुमान" (जरीदा तर्जुमान नहीं) को भी एडेट करता था। तीन वर्ष के बाद पढ़ाई-लिखाई का सिलसिला छोड़ कर मर्कज़ी जमीअ़त अहले हदीस हिन्द के माहाना पर्चा "जरीदा तर्जुमान" (तर्जुमान नहीं) से मुस्तकिल तौर पर जुड़ गया। उस समय मौलाना अ़ब्दुल वहाब खिलजी नाज़िम आला (जंरल सिकरेट्री) थे। 1998 में अपनी कुछ मजबूरी की वजह से यहाँ से त्याग पत्र दे दिया और अलग होकर मुस्तकिल तौर पर उर्दू किताब के हिन्दी अनुवाद से जुड़ गया। दर्मियान में जमाअ़त ने जब भी याद किया हाज़िर रह कर अपने क़लम का सहयोग देता रहा। चुनान्चे 26 वीं आल इन्डिया कांफ़्रेन्स (मऊ-1995) 28 वीं आल इन्डिया कांफ़्रेन्स (पाकूड़-2004) 29 वीं और तीसवीं आल इन्डिया अहले हदीस कांफ्रेन्स (दिल्ली) के मौक़ों पर हाज़िर होकर क़लमी सहयोग दिया। "नक़्शे फ़िक्र व अ़मल" "यादगार मजल्ला अहले हदीस" और "मदारिस अहले हदीस"

"तराजिम उलमाए अहले हदीस" जैसी अहम पुस्तकों को मुरत्तब कर के दिया। सब पर "ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी" का नाम छपा हुआ है। इन के अतिरिक्त बहुत सारी पुस्तकों को ज़िम्मेदारान् ने अपने नाम से ज़र्बदस्ती छाप लिया, उन्हें यहाँ गिनाने से कोई फ़ाइदा नहीं।

दिल्ली नगर में:— इस नगर में मैं 1980 में आया। "दारुल किताब वस्सुन्नह" और "दारुल हदीस रहमानिया" दोनों मदरसों में खाने-पीने और रहने-सहने का इन्तिज़ाम था। फिर इस के बाद अजमेरी गेट की मस्जिद अहले हदीस में रहने लगा। इस मस्जिद में लगभग 18 वर्षों तक रहा। इमामत और अज़ान देना आदि कोई काम मेरे ज़िम्मे नहीं था। इसी मस्जिद में मौलाना दावूद राज़ रह॰ रह चुके हैं और इन से पहले मौलाना मुहम्मद जूना गढ़ी रह॰ रहते थे। यहाँ मदरसा रशीदिया नाम का एक मदरसा भी खोल रखा था।

फिर जब यह मस्जिद तोड़ कर नए सिरे से बनने लगी तो मैंने मस्जिद अहले हदीस मोरी गेट में रिहाइश इख़्तियार कर ली और इसी मस्जिद में रह कर क़ुरआन मजीद सनाई तर्जुमा वाला, बुख़ारी शरीफ़, मुस्लिम शरीफ़, अबू दावूद शरीफ़ आदि हदीस की पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद किया। इस मस्जिद के अतिरिक्त दिल्ली नगर में ना मेरे पास कोई घर-दर है और ना ज़मीन जायदाद। मैं मस्जिद के मुतवल्ली साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने रहने के लिये जगह दी।

बाल-बच्चे:— मेरी शादी 1976 में हुयी। पत्नी बाहयात हैं। उन से चार लड़कियाँ और तीन लड़के (तन्ज़ीलुर्रहमान सिद्दीक़ी, हिफ़ज़ुर्रहमान सिद्दीक़ी, ज़ियाउर्रहमान सिद्दीक़ी) हैं। तीनों ही पढ़े-लिखे हैं। बड़े बेटे ने "अल् माहदुल् इस्लामी (रिच्छा, बरैली) से फ़राग़त हासिल की है। दूसरे साहब ज़ादे ने "मर्दसा नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी (फाटक हबश ख़ाँ) से आलिमिय्यत की है। तीसरे ने जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की है। सभी स्वालेह और नेक हैं।

तर्जुमा-तालीफ़:— दिल्ली आने के बाद मर्कज़ी जमीअ़त से वाबस्ता हुआ तो यह जान कर बड़ा दुख हुआ कि अपनी जमाअ़त के पास हिन्दी भाषा में कोई लेटरेचर नहीं। जमाअ़त के लोग दूसरे मसलक के लोगों का हिन्दी तर्जुमा किया हुआ कुरआन पाक लेकर पढ़ते हैं। यहाँ मैं यह बताता चलूँ कि फ़ितरी तौर पर मैं कट्टर अहले हदीस हूँ। इसी एहसास ने मुझे क़ुरआन व हदीस की किताबों को हिन्दी ज़बान में करने पर आमदा किया। मैंने भी इस विषय को गंभीरता से लिया और अहम पुस्तकों का अनुवाद किया। अब तक निम्न पुस्तकें छप कर बाज़ार में आ चुकी हैं और इन के दर्जनों एडिशन छप चुके हैं।

(1) क़ुरआन मजीद तर्जुमा सनाई वाला (पृष्ठ 1414) प्रकाशित

क़ुरआन मजीद तर्जुमा फ़तेह मुहम्मद जालन्धरी (हिन्दी लिपि)

तर्जुमा तशरीह (4 भाग) (पृष्ठ 3500)

(0 भाग) (पृष्ठ 1600)

(6) बुलूग़ुल मराम, तर्जुमा तश्रीह (2 भाग) (1600)
(7) अहसनुल बयान (तर्जुमा तश्रीह) (पृष्ठ 1600) काम जारी
(8) अहकामुल जनाइज़ (अल्लामा अल्बानी) पृष्ठ 500
(9) फ़तावा इब्ने बाज़ (पृष्ठ-600)
(10) फ़तावा अल् मर्‌आ (पृष्ठ-650)
(11) बारह सूरः शरीफ़ा (दावूद राज़) (पृष्ठ 400)
(12) इस्लाम में हलाल और हराम (अल्लामा क़रज़वी) (पृष्ठ 700)
(13) तिर्मिज़ी शरीफ़ (तर्जुमा तश्रीह) काम जारी
(14) नमाज़े नबवी (पृष्ठ 800)
(15) सलातुर्रसूल (जदीद एडिशन) (पृष्ठ 600)

इन के अलावा कम व बेश 22 और पुस्तकें हैं जिन के कई-कई एडिशन छप चुके हैं और हिन्दी जानने वाले उन से लाभ उठा रहे हैं। जिन्हें बहुत से पब्लिशर छाप रहे हैं।

भविष्य की इच्छाः— मेरी दिली इच्छा और ख़्वाहिश है कि अहादीस की छः पुस्तकों का तर्जुमा व तश्रीह कर डालूँ, जिन में से तीन हो चुकी हैं। तिर्मिज़ी शरीफ़ पर काम जारी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि समय और स्वास्थ्य के साथ जीवन प्रदान कर दे कि मैं अपनी इच्छा अनुसार हदीस बाक़ी तीन पुस्तकों पर काम इस ढंग से हिन्दी भाषा में मुकम्मल कर दूँ कि हिन्दी जानने वाले उस से भरपूर लाभ उठा सकें। और यह कार्य आख़िरत में हमारे लिये नजात का ज़रीआ बने। पढ़ने वालों से भी इसी दुआ की प्रार्थना है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन् सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।

(ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी)

❀ ❀ ❀

प्रकाशक की ओर से

यह बात किसी से ढकी-छुपी नहीं है कि अरबी व उर्दू भाषा से लोगों का लगाव दिन प्रति दिन कम होता जा रहा है। विशेष कर दौलत-मन्द वर्ग तो हाथ धोकर अंग्रेज़ी एवं हिन्दी डिग्रयों के पीछे सर्पट दौड़ लगा रहा है। आज कल की नई पीढ़ी का तो और भी बुरा हाल है, शुरु में हिन्दी सकूलों और कालिजों का मुँह करने की वजह से अपने दीन-धर्म के बारे में उन्हें कोई ज्ञान ही प्राप्त नहीं है। और अगर दीनी किताबों को पढ़ना भी चाहे तो सिर्फ़ हिन्दी या अंग्रेज़ी भाषा में ही पढ़ सकते हैं।

इन हालात में दीनी जमाअ़तों ने नई पीढ़ी को सामने रख कर दीनी किताबों का हिन्दी में तर्जुमा शुरु किया और कुरआन, हदीस और दीगर अहम दीनी किताबों का हिन्दी अनुवाद पेश कर दिया। अपनी जमाअ़त के पब्लिशरों ने भी इस ओर तवज्जुह दी। चुनान्चे दीनी महअलों पर मुश्तमिल (आधारित) बहुत सारी किताबों के हिन्दी ऐडीशन छप चुके हैं, और हिन्दी जानने वाली नई पीढ़ी उन से लाभ भी उठा रही है।

काफी समय से इदारा इशाअ़तुस्सुन्नह, दिल्ली की यह ख़ाहिश थी कि सिहाह सित्तह का हिन्दी में अनुवाद छापा जाये। जैसा कि सभी जानते हैं कि यह किताबें अरबी भाषा में हैं। अपनी जमाअ़त के जाने माने हिन्दी अनुवादक मौलाना ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी (फ़लाही) ने इन किताबों पर तर्जुमा का काम शुरु किया है। अब तक बुख़ारी और मुस्लिम का हिन्दी तर्जुमा और तफ़सीर छप कर लोगों के हाथों में पहुँच चुकी है। यह तीसरी किताब अबू दावूद का आसान और सहल हिन्दी तर्जुमा और तफ़सीर आप के हाथों में है। "इदारा इशाअ़तुस्सुन्नह-दिल्ली" को इस के भी छापने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अल्लाह पाक इस ख़िदमत को कुबूल फ़रमाए.............
रब्बना त-क़ब्बल् मिन्नी

किताव व सुन्नत का ख़ादिम
शकील अ़हमद (मेरठी)
10.3.2011

(1) पाकी का बयान

बाब 1 {पाख़ाना–पेशाब के लिये लोगों से दूर और अलग होने का बयान}

1:— मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब पाख़ाना–पेशाब के लिये जाते तो (आबादी से) दूर चले जाते।

2:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब पाख़ाना–पेशाब की आवश्यक्ता होती तो (आबादी से) दूर चले जाते हत्ताकि आप को कोई न देख सकता।

फ़ाइदा:— हदीस न॰ 2 ज़ओ़फ़ है, लेकिन हदीस न॰ 1 से इस की ताईद होती है। इस हदीस से मालूम हुआ कि आवश्यक्ता पूरी करने के लिए (घरों में शौचालय नहीं है तो) आबादी से इतनी दूर जाना चाहिये कि किसी की नज़र न पड़े।

बाब {पेशाब के लिये (नर्म) स्थान तलाश करना।}

3:— अबू तय्याह कहते हैं कि मुझे एक शैख़ ने बताया कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ जब बसरा (नगर) में (गवर्नर बन कर) तशरीफ़ लाये तो लोग उन से अबू मूसा अश्अ़री से सुनी हुयी हदीसें बयान करते थे..... (चुनान्चे एक मौक़ा पर) अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ ने अबू मूसा के नाम एक पत्र लिखा जिस में उन से कुछ मस्अ़ले मालूम किये। चुनान्चे अबू मूसा ने उन्हें उत्तर में लिखा कि मैं एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ था तो आप ने पेशाब करने का इरादा किया, पस आप एक दीवार की जड़ में नर्म मिट्टी के पास आये और पेशाब किया, इस के बाद आप ने फ़रमाया: तुम में से जब कोई पेशाब करना चाहे तो उस के लिये (मुनासिब नर्म) स्थान तलाश लिया जाये।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है लेकिन दूसरी सहीह हदीसों से इस की ताईद होती है। नर्म स्थान तलाश करें अगर न मिले तो नेज़े आदि से नर्म बना लें, या फिर ढलान ऐसी हो कि बह जाये।मतलब यह है कि जगह ऐसी कि छींटें ऊपर पड़ने का डर न हो। क़ब्र में ज़्यादातर दन्ड पेशाब के मामले में लार्पबाही करने से होता है।

बाब {आदमी जब शौचालय में दाख़िल हों तो क्या पढ़े?}

4:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब शौचालय में दाख़िल होते तो यह दुआ पढ़तेः-

(1) अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मि-नल् ख़ुबुसि वल् ख़बाइसि

(2) अऊज़ुबिल्लाहि मि-नल् ख़ुबुसि वल् ख़बाइसि

5:— अनस रज़ि॰ से इब्ने सोहैब ने "अल्लाहुँ इन्नी.....और इमाम शोबा ने अनस रज़ि॰ से "अऊज़ु बिल्लाहि...." रिवायत किया है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि शौचालय घर में हो या जन्गल में, हर जगह यह दुआयें पढ़नी चाहिये। दुआओं के अल्फ़ाज़ में फ़र्क़ है। सभी को मौक़ा-मौक़ा से पढ़े। और कपड़ा ऊपर उठाने से पहले पढ़े।

6:— ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह पाख़ाना और पेशाब घर जिन्नों और शैतानों के आने-जाने के स्थान हैं, इसलिये तुम में से जब कोई बैतुल् ख़ला जाना चाहे तो यह अल्फ़ाज़ पढ़ेः "अऊज़ु बिल्लाहि मि-नल् ख़ुबुसि वल् ख़बाइसि

बाब {पाख़ाना-पेशाब करते समय क़िब्ला की तरफ़ मुँह करना मक्रुह है।}

7:— सलमान फ़ारसी रज़ि॰ से रिवायत है कि किसी ने उन से कहा कि तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें सभी चीज़ें सिखाई हैं, यहाँ तक कि पेशाब-पाख़ाना करने का तरीक़ा भी। उन्होंने कहाः हाँ, बिला शुब्हा (इस में हमारे लिये कोई ऐब की बात नहीं) आप ने हमें पेशाब-पाख़ाने के समय क़िब्ला की तरफ़ मुँह करने और दायें हाथ से इस्तिन्जा करने से मना फ़रमाया है। और यह कि हम में से कोई तीन ढेलों से कम में इस्तिन्जा न करे और गोबर या हड्डी से भी इस्तिन्जा न करे।

8:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया : बिला शुब्हा मैं तुम्हारे लिये पिता के समान हूँ। तुम्हें सिखाता हूँ। जब तुम में से कोई पाख़ाना के लिये आये तो क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के न बैठे और न क़िब्ला की तरफ़ पीठ करे, और न दायें हाथ से इस्तिन्जा करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हुक्म दिया करते थे कि (कम से कम) तीन ढेले इस्तेमाल किया करें और गोबर और हड्डी से (इस्तिन्जा करने से) मना करते थे।

फ़ाइदा:— पाख़ाना पेशाब करते समय क़िब्ला की तरफ़ जान बूझ कर बिना मजबूरी के मुँह करना नाजाइज़ है। अगर तीन ढेला करने से पाकी हासिल हो जाये तो पानी इस्तेमाल करने की ज़रुरत नहीं। दायें हाथ से भी इस्तिन्जा न करें। नापाक चीजों से भी पाकी नहीं हासिल होती। हड्डी और दीगर खाने-पीने की चीज़ों से भी इस्तिन्जा जाइज़ नहीं।

9:— अबू अय्यूब रज़ि॰ से रिवायत है (कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया) जब तुम शौचालय में आओ तो पेशाब या पाख़ाना के समय क़िब्ला की तरफ़ मुँह न किया करो, बल्कि पूरब या पश्चिम की तरफ़ मुँह किया करो (अबू अय्यूब कहते हैं कि) जब हम शाम

(मुल्क) में आये तो क्या देखा कि (वहाँ के) शौचालय का रुख़ क़िब्ला की तरफ़ है, चुनान्चे हम उस से मुँह फेर कर बैठते थे और इस्तिग़फ़ार करते थे।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जिन क्षेत्रों में क़िब्ला उत्तर या दक्षिण पड़ता है उन्हें पूरब और पश्चिम की तरफ़ मुँह कर के इस्तिन्जा करना चाहिये। कुछ उलमा घरों के अन्दर बने हुये पाख़ानों में क़िब्ला की तरफ़ मुँह करने की इजाज़त देते हैं, लेकिन अबू अय्यूब रज़ि॰ इसे सही नहीं समझते थे। और यही दुरुस्त है।

10:— माक़िल बिन अबू माक़िल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पेशाब-पाख़ाना करते समय क़िबलतैन (काबा और बैतुल मुक़द्दस) की तरफ़ मुँह करने से मना फ़रमाया है। इमाम अबू दावूद कहते हैं कि अबू ज़ैद क़बीला बनी सालबा के आज़ाद कर्दा ग़ुलाम थे।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। कुछ उलमा का कहना है कि चूंकि बैतुल मुक़द्दस भी क़िब्ला रह चुका है इसलिये उस का भी एहतराम करते हुये उस की तरफ़ मुँह न करना बेहतर है। और यह हुक्म वाजिब नहीं है।

11:— मर्वान अस्फ़र बयान करते हैं कि मैं ने इब्ने उमर रज़ि॰ को देखा कि उन्होंने अपनी सवारी क़िब्ला की तरफ़ बैठाई और फिर उस की तरफ़ मुँह कर के पेशाब करने लगे। मैं ने कहाः ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! क्या इस से मना नहीं किया गया है? उन्होंने कहाः हाँ, खुले स्थान पर इस से रोका गया है, मगर जब तुम्हारे और क़िब्ला के दर्मियान कोई चीज़ रुकावट हो तो कोई हरज नहीं।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। एहतियात इसी में है किसी भी हसलत में क़िब्ला की तरफ़ मुँह न किया जाये।

बाब {इस मस्अले में रुख़सत का बयान।}

12:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैं (एक बार) घर की छत पर चढ़ा तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दो ईंटों पर बैठ कर आवश्यक्ता पूरी फ़रमा रहे हैं और आप का मुँह बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ है।

13:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हम पेशाब के लिये क़िब्ला की तरफ़ मुँह न करें। फिर मैंने आप की वफ़ात से एक साल पहले आप को देखा कि आप क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के बैठे हुये थे।

फ़ाइदा:— इन हदीसों से घर के अन्दर बैतुल्लाह की तरफ़ पीठ करने का सबूत है, लेकिन और तमाम हदीसों को सामने रखा जाये तो यही मालूम होता है कि इस से बचा जाये।

बाब {पाख़ाना–पेशाब करने के समय कब कपड़ा उठाया जाये?}

14:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब हाजत पूरी करने का इरादा करते तो जब तक ज़मीन के निकट न हो जाते अपना कपड़ा न उठाते थे। इमाम

अबू दावूद कहते हैं कि इस हदीस को अ़ब्दुस्सलाम बिन हर्ब ने आमश से और उन्होंने अ़नस बिन मालिक से रिवायत किया है, मगर यह सनद ज़ओ़फ़ है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। फिर भी बेहतर यही है कि शर्मगाह खोलने में बहुत एहतियात से काम लेना चाहिये।

बाब {पाख़ाना—पेशाब करते समय बात—चीत मक्रूह है।}

15:— अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना आप फ़रमाते थे: दो आदमी इस तरह पाख़ाने के लिये न निंकलें कि वह अपनी शर्मगाह खाले पाख़ाना कर रहे हों और बातें भी किये जा रहे हों। अल्लाह पाक इस बात पर नाराज़ होता है। इमाम अबू दावूद कहते हैं कि इस हदीस को केवल इकरमा बिन अ़म्मार ने मुस्नद बयान किया है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है, लेकिन सहीह रिवायतों से इस हदीस से साबित होने वाले मस्अलों की ताईद होती है।

बाब {पेशाब करने की हालत में सलाम का जवाब देना?}

16:— अ़ब्दुल्लह बिन उमर रज़ि॰ कहते हैं कि (एक बार) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पेशाब कर रहे थे कि एक शख़्स आप के पास से गुज़रा और उस ने आप को सलाम किया तो आप ने सलाम का जवाब नहीं दिया।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि इब्ने उमर और दूसरों से रिवायत की गयी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (पेशाब से फ़ारिग़ होकर) तयम्मुम किया और फिर उस के सलाम का जवाब दिया।

17:— मुहाजिर से रिवायत है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से गुज़रे और आप पेशाब कर रहे थे उन्होंने सलाम किया तो आप ने जवाब न दिया यहाँ तक कि आप ने वज़ू किया (फिर जवाब दिया) फिर माज़रत करते हुये फ़रमाया: मुझे यह बात नापसन्द आयी कि पाकी के बिना अल्लाह का ज़िक्र करुँ।

रावी को शुब्हा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "अ़ला तुहरिन्" कहा था, या "अ़ला तहारातिन्" (दोनों का एक ही अर्थ है।

फ़ाइदा— मुस्लिम की रिवायत में केवल इतना है कि आप ने सलाम का जवाब नहीं दिया (हदीस न॰ 370) इस लिये ऊपर की हदीस में "आप ने वुज़ू किया फिर उत्तर दिया" यह टुकड़ा सहीह नहीं है। सलाम का जवाब बिना वुज़ू के भी देना जाइज़ है।

बाब {पाकी के बग़ैर अल्लाह पाक का ज़िक्र करना।}

18:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हर समय अल्लाह पाक का ज़िक्र किया करते थे।

बाब { ऐसी अन्गूठी जिस में अल्लाह का ज़िक्र लिखा हो, उसे शौचालय में ले जाना।}

19:— अनस रज़ि॰ से रिवायत हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब बैतुल ख़ला जाते तो अपनी अन्गूठी उतार लिया करते थे। इमाम अबू दावूद कहते हैं कि यह हदीस मुन्कर है (यानी सहीह हदीस के ख़िलाफ है) मशहूर सनद में यूँ है कि अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चाँदी की अन्गूठी बनवाई फिर उसे उतार दिया। ऊपर की हदीस में शुब्हा हम्माम को हुआ है और उसे केवल हम्माम ही ने रिवायत किया है।

फ़ाइदा:— बैतुल ख़ला में जाते समय उतार देने वाली रिवायत ज़ओफ़ है। फिर भी अदब और एहतराम का तक़ाज़ा है कि जिस में अल्लाह का नाम हो उसे शौचालय में ले जाना उचित नहीं।

बाब **{पेशाब से अच्छी तरह पाक होने का बयान।}**

20:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दो क़ब्रों के पास से गुज़रे तो आप ने फ़रमायाः इन्हें अ़ज़ाब दिया जा रहा है और इन्हें बहुत बड़ी बात में दन्ड नहीं दिया जा रहा है। रहा यह शख़्स! तो यह पेशाब से नहीं बचता था। और यह (दूसरा) चुगुलख़ोरी किया करता था। फिर आप ने खजूर की एक ताज़ा टहनी मंगाई और उसे दो हिस्सों में चीरा और दोनों क़ब्रों पर एक-एक को गाड़ दिया और फ़रमायाः आशा है कि इन के सूखने तक उन के दन्ड में कमी रहेगी।

फ़ाइदा:— आप ग़ैब की बातें नहीं जानते थे। अल्लाह पाक ने आप के दिल में बात डाली तब आप को उन दोनें क़ब्र वालों केबारे में मालूम हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ब्रों पर टहनी गाड़ी, यह आप के लिये ख़ास था, इसी लिये किसी सहाबी से यह काम साबित नहीं। आज अगर कोई करेगा तो बिदअ़ती कहलायेगा।

21:— उस्मान बिन शैबा कहते हैं कि हमें जरीर ने मन्सूर के वास्ते से मुजाहिद से बयान किया है उन्होंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से इस के हम माना रिवायत बयान की है। जरीर ने कहाः "वह अपने पेशाब से बचता नहीं था" और अबू मुआविया पे कहाः "वे पेशाब से पाकी नहीं हासिल करता था।

22:— अ़ब्दुरहमान बिन हसनह रज़ि॰ कहते हैं कि मैं और अ़म्र बिन आ़स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गये, उसी दौरान आप बाहर निकले और आप के पास (चमड़े की) एक ढाल थी, आप ने उसी से पर्दा किया और फिर पेशाब किया। हम (में से बाज़) ने कहा कि देखो ऐसे पेशाब कर रहे हैं जैसे कि महिला (छुप छुपा कर) पेशाब करती है। यह बात आप ने सुन ली तो आप ने फ़रमायाः क्या तुम्हें मालूम नहीं कि बनू इस्राईल के एक व्यक्ति का क्या हाल हुआ था? उन को अगर पेशाब लग जाता था तो वह उस हिस्से को काट डालते थे। उस शख़्स ने अपनी कौम को उस काम से रोक दिया तो उसे क़ब्र में अ़ज़ाब दिया गया।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि मन्सूर ने अबू वाइल से और उन्होंने अबू मूसा से नक़ल किया कि "अपने चमड़े को काट देते थे" जबकि आ़सिम ने अबू वाइल से और उन्होंने अबू मूसा से रिवायत की कि "अपने जिस्म को काट देते।"

फ़ाइदा:— बुख़ारी की रिवायत में है कि "कपड़े में जहाँ पेशाब लग जाता उसे काट देते थे"

(हदीस न॰ 226) यहाँ रिवायत में "चमड़े" से मुराद चमड़े का कपड़ा है न कि जिस्म का चमड़ा। बनी इस्राईल की शरारतों की वजह से इतना सख़्त आदेश था। जिस ने इस पर अ़मल करने से रोका उसे क़ब्र में अ़ज़ाब हुआ।

बाब {खड़े होकर पेशाब करना।}

23:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक क़ौम के कूड़े के ढेर पर आये और खड़े होकर पेशाब किया। फिर आप ने पानी मँगवाया और (वुज़ू किया। उस वुज़ू में आप ने) अपने मोज़ों पर मसह फ़रमाया। इमाम अबू दावूद कहते हैं कि (उन के शैख़) मुसद्दद ने कहा कि हदीस के रावी हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने कहा कि (उस मौक़ा पर) मैं आप से दूर हटने लगा तो आप ने मुझे बुलाया हत्ताकि मैं (आप के निकट आ गया और) आप के पीछे एड़ियों के पास खड़ा हो गया।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि किसी मजबूरी में खड़े होकर पेशाब करना जाइज़ है, बिला वजह खड़े होकर करना ठीक नहीं। यह भी मालूम हुआ कि बाज़ हालत में लोगों के क़रीब भी पेशाब किया जा सकता है।

बाब {इन्सान रात को किसी बर्तन में पेशाब करे और फिर उसे अपने पास पड़ा रहने दे।}

24:— उमैमा रज़ि॰ रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लकड़ी का एक प्याला था जो आप की चारपाई के नीचे रखा होता था। आप रात को उस में पेशाब कर लिया करते थे।

फ़ाइदा:— बीमारी, सर्दी या किसी और मजबूरी की वजह से ऐसा करने में कोई हरज नहीं।

बाब {वह स्थान, जहाँ पेशाब करना मना है।}

25:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: लानत के दो कामों से बचो। सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! लानत के वह दो काम कौन से हैं? आप ने फ़रमाया: जो लोगों के रास्ते में या उन के साए में पाख़ाना करता है।

26:— मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: लानत के तीन कामों से बचो (यानी) पानी के घाट पर पाख़ाना करने से, बीच राह में, या (लोगों के) साए में।

फ़ाइदा:— यह हदीस न॰ 26 ज़ईफ़ है, लेकिन मुस्लिम की रिवायत से इस की ताईद होती है। मुस्लिम की रिवायत में है कि (1) आम आने-जाने के रस्तों में (2) साए वाले स्थानों में पाख़ाना-पेशाब करना लानत के काम हैं। अल्बत्ता घाट का ज़िक्र नहीं है।

बाब {स्नान घर में पेशाब करने का मस्अला।}

27:— अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

ने फ़रमायाः तुम में से कोई शख़्स स्नान घर में हर्गिज़ पेशाब न करे कि बाद में वह वहीं नहाये।

अहमद रिवायत करते हैं: फिर वह वहीं वुजू करेगा। क्योंकि अक्सर शक व शुब्हे उसी से पैदा होते हैं।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओफ़ है, लेकिन अगली हदीस न॰ 28 सहीह है जो इस की ताईद करती है।

28:— अब्दुर्रहमान के बेटे हिमयरी कहते हैं कि मैं एक शख़्स से मिला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में उठते-बैठते थे जैसा कि अबू हुरैरा रज़ि॰ आप की ख़िदमत में रहते थे, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया कि हमारा कोई शख़्स हर रोज़ कन्घी करे या अपने स्नान घर में पेशाब करे।

बाब {बिल में पेशाब करने की मिनाही।}

29:— अब्दुल्लाह से कहा कि बिल में पेशाब करना क्यों मना है? तो उन्होंने कहाः कहा जाता है कि उन में जिन्न रहते हैं।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन नसई की सहीह हदीस से इस की ताईद होती है। बिलों में पेशाब करने से बचना चाहिये, क्योंकि अक्सर उस में ज़हरीले जानवर रहते हैं, उन को तक्लीफ़ पहुँचेगी तो वह निकल कर तुम्हें तक्लीफ़ पहुँचायेंगे।

बाब {शौचालय से निकल कर इन्सान क्या पढ़े?}

30:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शौचालय से फ़ारिग़ होकर निकलते तो कहतेः "गुफ़रा-न-क" (ऐ अल्लाह! मैंतेरी बख़्शिश चाहता हूँ)

बाब {इस्तिन्जा में शर्मगाह को दायें हाथ से छूने की मिनाही।}

31:— अबू क़तादा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई पेशाब के लिये बैठे तो अपने ज़कर को दायें हाथ से न छुये। और जब कोई पाख़ाना के लिये आये तो दायें हाथ से इस्तिन्जा न करे और जब कुछ पिये तो एक साँस में न पिये।

फ़ाइदा:— इस हदीस की रोशनी में एहतियात ज़रुरी है। पानी तीन साँस में पिये जैसा कि बुख़ारी की रिवायत में है।

32:— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी हफ़्सा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायाँ हाथ खाने-पीने और पहनने (जैसे कामों) में इस्तेमाल किया करते थे और बायाँ हाथ दूसरे कामों के लिये।

33:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहिना हाथ वुजू और खाने (जैसे कामों) के लिये था और बायाँ हाथ इस्तिन्जा और दूसरे मकरुह वग़ैरह में इस्तेमाल करते थे।

34:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से (एक दूसरी सनद से) ऊपर की हदीस के हममाना रिवायत करती हैं।

फ़ाइदा:— हदीस न॰ 33 और 34 ज़ओ़फ़ है, लेकिन हदीस न॰ 32 से ताईद होती है।

बाब {पाख़ाना—पेशब के समय पर्दा करना।}

35:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो शख़्स सुर्मा लगाये तो ताक़ सलाइयाँ लगायें, जिस ने ऐसा किया तो अच्छा किया और जिस ने ऐसा न किया उस पर कोई गुनाह नहीं। और जो पाकी हासिल करने के लिये ढेले प्रयोग करे उसे चाहिये कि ताक़ ढेले ले, जिस ने ऐसा किया उस ने बेहतर किया और जिस ने ऐसा न किया उस पर कोई गुनाह नहीं। और जिस ने कुछ खाया और फिर तिनके से ख़िलाल किया तो चाहिये कि निकलने वाले टुक्ड़ों को फेंक दे, लेकिन जो कुछ अपनी ज़बान से साफ़ करे तो उसे निगल ले, जिस ने ऐसा किया उस ने अच्छा किया और जिस ने न किया उस पर कोई गुनाह नहीं। और जो पाख़ाना केलिये जाये तो चाहिये कि कोई आड़ ले ले, अगर कुछ न पाये तो रेत की ढेरी ही बना ले और उस की तरफ़ पीठ कर ले, शैतान बनी आदम की शर्मगाहों के साथ खेलता है, जिस ने ऐसा किया बहुत अच्छा किया और जिस ने नहीं किया तो उस पर कोई गुनाह नहीं।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि इस हदीस को अबू आ़सिम ने सौर से रिवायत किया तो रावी का नाम हुसैन हिमयरी बताया (न कि हुबरानी) और अ़ब्दुल मलिक सबाह ने रिवायत किया तो कहा "अबू सओ़द अल्ख़ैर (न कि अबू सओ़द) इमाम अबू दावूद कहते हैं कि अबू सओ़द अल्ख़ैर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से थे।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ओ़फ़ है। इस में से जो बातें दूसरी सहीह हदीस से साबित हैं उन पर अ़मल किया जायेगा, बाक़ी पर नहीं।

बाब {वह चीज़ें जिन से पाकी हासिल करना मना है।}

36:— शैबान क़ितबानी रिवायत करते हैं कि मसलमा बिन मुख़ल्लद ने (जो कि आमीर मुआ़विया की तरफ़ से मिस्र के गवर्नर थे) रोवैफ़ा बिन साबित रज़ि॰ को मिस्र के निचले हिस्से का अपना नाइब मुक़र्रर किया। शैबान कहते हैं कि हम रोवैफ़े बिन साबित के साथ कोम शरीक से अलक़मा, या अलक़मा से कोम शरीक (स्थान) की तरफ़ चले। उन की मुराद "अ़ल्क़ाम" है। तो रोवैफ़े बिन साबित ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में हम में से कोई अपने भाई की कमज़ोर सी सवारी ले लेता, इस शर्त पर कि जो कुछ भी ग़नीमत में से मिलेगा उस में से आधा मालिक के लिये और आधा हमारे लिये होगा। और फ़िर ऐसा भी होता था कि (माल की तक़सीम में) किसी को तीर का फल मिलता और किसी को उस का पर, और किसी को उस की लाठी। फिर उन्होंने बयान किया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: ऐ रोवैफ़ा! उम्मीद है तुझे मेरे बाद लंबी आयु मिलेगी तो तुम लोगों को बता देना कि जो अपनी दाढ़ी को गाँठ लगाये या ताँत बाँधे, या जानवर के मोबर या हड्डी से इस्तिन्जा करे तो मुहम्मद

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस से बरी हैं।

फ़ाइदा:— गोबर या लीद जिन्नों का खाना है इसलिये उस से पाकी हासिल करना दुरुस्त नहीं। ताँत जानवरों के गले में बुरी नज़र से बचने के लिये बाँधा जाता है और दाढ़ी सिक्खों की तरह लपेट ली जाती थी, यह दोनों ही तरीक़े नाजाइज़ हैं।

37:— अ़ब्दुललह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने भी ऊपर की ह़दीस बयान की जबकि (अबू सालिम) उन के साथ अलयून के दवाज़े के पास मूर्चा संभाले हुये थे। इमाम अबू दावूद कहते हैं कि अलयून का क़िला फुस्तात के क्षेत्र में पर्वत पर स्थिति था। अबू दावूद बयान करते हैं कि (ऊपर की हदीस में) शैबान क़ितबानी का नाम इब्ने उमय्या है और उस की कुन्नीयत अबू हुज़ैफ़ा है।

38:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हड्डी या गोबर से इस्तिन्जा करने से मना फ़रमाया था।

39:— अ़ब्दुललाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ सेरिवायत है कि जिन्नों का एक गरोह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा: ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! अपनी उम्मत को मना फ़रमा दीजिये कि वह हड्डी या गोबर या कोयले से इस्तिन्जा करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने उन में हमारी रोज़ी रखी है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से रोका दिया।

बाब {ढेलों से पाकी हासिल करना।}

40:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है वह कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई पाख़ना के लिये जाने लगे तो अपने साथ तीन ढेले ले जाया करे और उन से पाकी हासिल किया करे। यह उस के लिय काफ़ी होंगे।

41:— खुज़ैमा बिन साबित रज़ि॰ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस्तिन्जा के बारे में पूछा गया तो आप ने फ़रमाया: तीन ढेलों से (इस्तिन्जा करे) उन में गोबर न हो। इमाम अबू दावूद कहते हैं कि अबू उसामा और इब्ने नुमैर ने भी हिशाम बिन उर्वा से ऐसे ही रिवायत किया है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है, लेकिन दूसरी सहीह हदीसों से इस की ताईद होती है। गोबर, हड्डी आदि से पाकी हासिल करना मना है।

बाब {इस्तिन्जा का बयान।}

42:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया (एक बार) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पेशाब किया तो उमर रज़ि॰ पानी का लोटा लिये आप के पीछे खड़े हो गये (फ़ारिग़ होने के बाद) आप ने पूछा: ऐ उमर! यह क्या है? उन्होंने कहा : यह पानी है कि आप इस से वुज़ू फ़रमा लें। आप ने फ़रमाया: मुझे यह हुक्म नहीं है कि जब भी पेशाब करूँ (तो तुरन्त) वुज़ू

भी करुँ। अगर मैं ने ऐसा किया तो (उम्मत के लिये) सुन्न्त बन जायेगी।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़अ़ीफ़ है। लेकिन अगर कोई हर समय वुज़ू रहता है तो अच्छा है, लेकिन वाजिब नहीं है।

बाब {पानी से पाकी हासिल करना।}

43:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक बाग़ में दाख़िल हुये, एक गुलाम भी आप के साथ था, उस के पास लोटा था और वह हम में सब से छोटी आयु का था, तो उस ने उस बर्तन को बैरी के पेड़ के पास रख दिया। आप जब फ़ारिग़ हुये तो हमारे पास तशरीफ़ ले आये (उस मौक़ा पर) आप ने पानी से इस्तिन्जा किया (पाकी हासिल की थी)

44:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि (कुरआन पाक की यह) आयत "उस में ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसन्द करते हैं" (सूरः तौबाः 108) कुबा वालों के बारे में नाज़िल हुयी थी। अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि वह लोग पानी से पाकी हासिल करते थे तो उन के बारे में यह आयत उतरी।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि पानी से पाकी हासिल करना बेहतर है और पहले ढेले से, फिर पानी से, यह और भी बेहतर है।

बाब {इस्तिन्जा के बाद आदमी अपना हाथ ज़मीन पर रगड़ ले।}

45:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब पाख़ाना के लिये जाते तो मैं आप के लिये प्याले या छागल में पानी ले आता और आप उस से पाकी हासिल करते।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि वकीअ़ की हदीस में है "फिर आप हाथ ज़मीन पर रगड़ते" फिर मैं आप के पास (पानी का एक) और बर्तन लाता तो आप उस से वुज़ू करते।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि अस्वद बिन आ़मिर की रिवायत (वकीअ़ की रिवायत के मुक़ाबले में) ज़्यादा कामिल है।

बाब {मिस्वाक का बयान।}

46:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर ईमान वालों के लिये भारी न होता तो मैं उन्हें इशा की नमाज़ को देर से पढ़ने और हर नमाज़ के समय दातून करने का हुक्म देता।

47:— ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ि॰ कहते हैं कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना "अगर मेरी उम्मत के लिये भारी न होता तो मैं उन्हें हर नमाज़ के समय दातून करने का हुक्म देता।

अबू सलमा कहते हैं चुनान्चे मैं ने देखा कि ज़ैद रज़ि॰ मस्जिद में बैठे हुये थे और दातून उन

के कान पर रखी होती थी, जैसे किसी मुंशी का क़ल्म उस के कान पर होता है, तो जब नमाज़ के लिये उठते दातून कर लेते।

फ़ाइदा:— इशा की नमाज़ को देर कर के पढ़ना अफ़ज़ल है मगर जमाअत जल्दी हो रही होतो उसे छोड़ने की इजाज़त नहीं। मालूम हुआ कि हर नमाज़ के लिये दातून करना चाहिये।

48:— मुहम्मद बिन यहया कहते हैं कि मैं ने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह से कहा कि (तुम्हारे पिता) इब्ने उमर रज़ि॰ वुज़ू से हों या बेवुज़ू, वह हर नमाज़ के लिये (पाबन्दी से)वुज़ू करते हैं, इस की क्या वजह है? उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे ख़त्ताब के बेटे ज़ैद की बेटी अस्मा ने बताया कि अ़ब्दुल्लाह बिन हनज़ला बिन अबी आ़मिर ने उन्हें बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को (पहले पहल) हुक्म दिया गया था कि हर नमाज़ के लिये वुज़ू किया करें, चाहे पहले वुज़ू से हों या बेवुज़ू। मगर जब उन्हें भारी पड़ने लगा तो हुक्म दिया गया कि हर नमाज़ के लिये मिस्वाक किया करें। चुनान्चे इब्ने उमर रज़ि॰ समझते थे कि उन में हिम्मत है इसलिये वह हर नमाज़ के लिये नया वुज़ू करते थे।

फ़ाइदा:— वुज़ू पर वुज़ू करना यह कोई वाजिब नहीं है, लेकिन अगर कोई करता है तो बड़े सवाब और फ़ज़ीलत का काम है।

बाब {मिस्वाक कैसे की जाये?}

49:— अबू बुर्दा अपने पिता (अबू मूसा अश्अरी रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि हम लोग आप के पास (जिहाद के लिये) सवारी माँगने के लिये आये तो मैं ने देखा कि आप अपनी ज़बान (जीभ) पर दातून रगड़ रहे हैं। यह मुसद्दद की रिवायत के शब्द हैं।

सुलैमान की रिवायत में यह शब्द हैं कि मैंनबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया तो आप दातून कर रहे थे और आपने अपनी मिस्वाक ज़बान के कनारे पर रखी हुयी थी और आप से "ओ-ओ" की आवाज़ निकल रही थी, जैसे उबकाई आ रही हो। इमाम अबू दावूद ने कहा कि मुसद्दद नेबताया कि हदीस लंबी थी, मगर मैंने उसे मुख़्तसर कर दिया है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि दाँत के साथ जीभ भी साफ़ करना मिस्वाक में शामिल है।

बाब {क्या कोई किसी दूसरे की दातून इस्तेमाल कर सकता है?}

50:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दातून कर रहे थे और आप के पास दो व्यक्ति थे उन में से एक बड़ा (और दूसरा छोटा) था। (इसी बीच) आप पर दातून की फ़ज़ीलत के बारे में वह्यि की गयी और यह कि आप यह दातून बड़े को दे दीजिये।

51:— मिक़दाम अपने पिता शुरैह से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि मैं ने आइशा रज़ि॰ से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब घर में आते तो आप का सब से पहला काम क्या होता था? फ़रमाया: मिस्वाक।

52:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दातून करते फिर

मुझे देते कि मैं उसे धो दूँ, लेकिन मैं पहले उसे अपने मुँह में फेरती, फिर उसे धो कर आप को वापस दे देती।

फ़ाइदा:— आइशा रज़ि॰ ऐसा इसीलिये करती थीं कि दातून में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का लगा हुआ थूक उन के मुँह में चला जाये और उस से बर्कत हासिल हो।

53:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: दस बातें फ़ितरत में से हैं (1) मूछें कतराना (2) दाढ़ी छोड़ना (3) मिस्वाक करना (4) नाक में पानी चढ़ाना (और साफ़ करना) (5) नाखून काटना (6) जोड़ों का धोना (7) बग़ल के बाल उखाड़ना (8) नाफ़ के नीचे के बाल मूँडना (9) इस्तिन्जा करना, यानी पानी से। ज़करिया की सनद में मुस्अ़ब ने कहा कि मैं दस्वीं बात भूल गया हूँ और शायद यह कुल्ली करना हो।

54:— अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ से रिवायत है कि आप ने फ़रमाया: यह चीज़ें फ़ितरी कामों में से हैं, यानी कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना, फिर ऊपर की हदीस (न॰ 53) की तरह बयान किया मगर उस में दाढ़ी छोड़ने का ज़िक्र नहीं, बल्कि ख़तना का ज़िक्र है। और उन की रिवायत में "**इन्तिज़ाह**" (वुज़ू के बाद शर्मगाह पर छीटे मारना) का बयान है न कि "इन्तिक़ासुल माअ" (यानी पानी के साथ इस्तिन्जा करना)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से भी इसी प्रकार रिवायत की गयी है। उन्होंने कहा कि पाँच चीज़ें सर से मुतअ़ल्लिक़ हैं। उन्होंने माँग निकालने का ज़िक्र किया और दाढ़ी छोड़ने का नहीं। इमाम अबू दावूद ने कहा कि अबू हुरैरा रज़ि॰ की हदीस जो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं उस में दाढ़ी बढ़ाने का ज़िक्र आया है। इमाम नख़ई से भी इसी तरह रिवायत है और इस में दाढ़ी बढ़ाने और ख़तना करने का ज़िक्र है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है, लेकिन हदीस न॰ 53 सहीह है और उस में बयान मस्अले सहीह है।

बाब {रात को उठने वाले के लिये मिस्वाक करने का बयान।}

55:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रात को उठते तो दातून से अपना मुँह साफ़ किया करते थे।

56:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से बयान है कि (रात को) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम केलिये मिस्वाक और वज़ू का पानी तय्यार रखा जाता था। चुनान्चे जब आप रात को उठते तो (पहले) पाख़ाना-पेशाब करते और फिर मिसवाक किया करते थे।

57:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दिन या रात में जब भी सो कर उठते तो वुज़ू से पहले मिस्वाक किया करते थे।

58:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर रात गुज़ारी, तो जब आप जागे तो उस जगह आये जहाँ पानी रखा हुआ

था, आप ने दातून किया और करने लगे। इस के बाद आप ने सूरः आले अ़िम्रान की अन्तिम आयतों की तिलावत की तो सूरत के आख़िर तक पहुँच गये, बल्कि सूरत ख़त्म ही कर दी। फिर आप ने वुज़ू किया और नमाज़ की जगह पर आ गये और दो रक्अ़तें पढ़ी, फिर आप अपने बिस्तर पर लौट आये और सो गये और जितना चाहा सोए रहे, फिर (दोबारा) जागे और पहले की तरह किया और फिर अपने बिस्तर पर लौट आये और जितना अल्लाह ने चाहा सोए रहे। फिर (तीसरी बार) जागे और पहले ही की तरह किया। हर बार मिसवाक करते और दो रक्अ़त पढ़ते। फिर आप ने वित्र पढ़ी।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि इस हदीस को इब्ने फुज़ैल ने हुसैन के वास्ते से रिवायत किया कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः "आप ने मिसवाक की और वज़ू किया और इसी बीच आप (सूरः आले अ़िम्रान की) आयतें भी पढ़ रहे थे यहाँ तक कि सूरः समाप्त कर दी।

फ़ाइदा:— इन हदीसों में मिसवाक करने की फ़ज़ीलत का ज़िक्र है। हदीस न॰ 58 में तो आप के बार-बार मिसवाक करने का ज़िक्र है।

बाब {वुज़ू के फ़र्ज़ होने का बयान।}

59:— अबू मलीह अपने पिता (उसामा बिन मैर) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ख़ियानत के माल से कोई सदक़ा नहीं क़ुबूल फ़रमाता और न कोई नमाज़ वुज़ू के बिना क़ुबूल करता है।

60:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक किसी बेवुज़ू इन्सान की नमाज़ क़ुबूल नहीं करता, यहाँ तक कि वुज़ू कर ले।

61:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नमाज़ की कुन्जी वुज़ू है, उस की तहरीम अल्लाहु अक्बर कहना और उस की तहसील अस्सलामु अ़लैकुम कहना है।

फ़ाइदा:— नमाज़ में अगर वुज़ू टूट जाये तो नमाज़ को छोड़ कर वुज़ू करे। अल्लाहु अक्बर कहने के बाद बात-चीत आदि नमाज़ में हराम हो जाती है, इसलिये इस तक्बीर का नाम "तक्बीर तहरीमा" है।

बाब {जो इन्सान बावुज़ू होते हुये नया वुज़ू करे।}

62:— अबू गुतैफ़ बयान करते हैं कि मैं अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ के पास था कि जुहर की अज़ान दी गयी तो उन्होंने वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, फिर अ़स्र के लिये अज़ान हुयी तो उन्होंने (दोबारा) वुज़ू किया। मैंने उन से पूछा (जब आप बावुज़ू थे तो फिर क्यों वुज़ू किया?) उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे कि जो शख़्स बावुज़ू होते हुये वुज़ू करे उस के लिये दस नेकियाँ लिखी जाती हैं।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ईफ़ है।

बाब {पानी को क्या चीज़ नापाक करती है?}

63:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से (ऐसे) पानी के बारे में पूछा गया जिस के पास जानवर और दरिन्दे आते-जाते हैं, या उस से पीते हैं, तो इस का क्या हुक्म है?) आप ने फ़रमायाः जब पानी दो मटकों के बराबर हों तो नापाक नहीं होता।

64:— उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उमर अपने पिता (इब्ने उमर रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से उस पानी के बारे में पूछा गया जो जन्गल में होता है तो उन्होंने ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया।

65:—उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मुझ से मेरे पिता जी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब पानी दोमटकों के बराबर हो तो नापाक नहीं होता।

फ़ाइदा:— मटका से मुराद हजर के अ़लाक़ा में बनाये जाने वाले मटके मुराद हैं जिन में 100 लीटर पानी आता है। नापाक न होने का यह अर्थ है कि उस में नापाकी पड़ जाये और तीन चीज़ (रंग, बू और टेस्ट) में से कोई एक भी न बदला हो तो वह पाक होता है। 200 लीटर पानी को "माए-कसीर" कहा जाता है।

बाब {बुज़ा-अ़ह के कुँए का ज़िक्र।}

66:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या हम लोग बुज़ाआ़ के कुँए के पानी से वुज़ू कर लिया करें? जबकि यह कुँआ ऐसा है कि उस में हैज़ के चीथड़े, कुत्तों का माँस और गन्दगी डाल दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पानी पाक है, उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।

67:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना, और आप को बताया जा रहा था कि आप के लिये जो पानी लाया जाता है वह बुज़ाआ़ के कुँए का होता है, हालाँकि उस में कुत्तों का माँस, हैज़ के चीथड़े और इन्सानों कीनापाकी तक डाल दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पानी पाक है उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि मैंने कुतैबा बिन सअ़ीद से सुना वह बयान करते थे कि मैंने उस कुँए के मालिक से उस की गहराई के बारे में पूछा तो उस ने कहा कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पेडू (नाफ़ के निचले हिस्से) तक आता है। मैंने कहाः और जब कम हो तो......? उस ने कहाः शर्मगाह से कम (यानी रानों तक)

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि मैंने ज़ाती तौर पर स्वँय अपनी चादर उस कुँए पर फैला कर उसे नापा तो उस की गोलाई छः हाथ थी। और मैंने उस के निग्राँ से पूछा, जिस ने मेरे लिये बाग़ का

दर्वाज़ा खोला और कुआँ दिखलाया था, कि आया उस की बुनियाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना से कोई तबदीली की गयी है? तो उस ने कहाः नहीं। और मैंने उस का पानी देखा तो उस का रन्ग बदला हुआ था।

फ़ाइदाः— मदीना शरीफ़ के उत्तर की ओर एक मशहूर कुआँ था जिस का नाम "बुज़ाआ" था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस में अपना थूक डाला था। बीमार उस पानी से नहाते तो चन्गे हो जाते, गोया किसी बन्धन से खुल गये हों (औ़नुल माबूद) इस में गंदगी जानबूझ कर नहीं डाली जाती थी बल्कि ऐसे स्थान पर था ही कि हवा और पानी के बहाव के साथ उस में गन्दगी चली जाती थी। उस का पानी जारी था और उस की तीनों चीज़ें नहीं बदली थीं। इमाम अबू दावूद के ज़माना तक वह कुआँ मौजूद था। उन्होंने स्वँय उसे जा कर देखा।

बाब {(जुनुबी का प्रयोग किया हुआ) पानी जुनुबी नहीं होता (बल्कि पाक ही रहता है)}

68:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की कोई पत्नी ने लगन में स्नान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये, आप उस से वुज़ू या स्नान करना चाहते थे, तो पत्नी ने आप को बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं जनाबत से थी (और मैं ने इस पानी से स्नान किया है) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः (तो क्या हुआ?) पानी जुनुबी नहीं होता (पाक ही रहता है)

फ़ाइदाः— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, लेकिन दूसरी सहीह हदीस से इस हदीस की ताईद होती है। मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मैमूना रज़ि॰ के (स्नान से) बचे हुये पानी से स्नान फ़रमा लिया करते थे (हदीस न॰ 323) मालूम हुआ कि जुनुबी का प्रयोग में लाया हुआ पानी पाक होता है। जिस हदीस में मना किया गया है वहाँ मिनाही तन्ज़ीही है (यानी उस पर अ़मल करना बेहतर है)

बाब {ठहरे हुये पानी में पेशाब करने का बयान।}

69:— अबू हुरैरा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप ने फ़रमायाः कोई व्यक्ति ठहरे हुये पानी में हर्गिज़ पेशाब न करे कि फिर उसी से स्नान करेगा।

70:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई व्यक्ति खड़े पानी में हर्गिज़ पेशाब न करे और न जनाबत से उस में नहाए।

फ़ाइदाः— तालाब के पानी को पाक साफ़ रखना ज़रुरी है। लोग उस में पेशाब करना शुरु कर दें तो बिला शुब्हा नापाक हो जायेगा।

बाब {कुत्ते के जूठे पानी से वुज़ू करना?}

71:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम्हारे किसी बर्तन में कुत्ता मुँह मार जाये तो उसे पाक करने का तरीक़ा यहहै कि उसे सात मर्तबा धोया जाये, उन में पहली बार मिट्टी से हो।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि अय्यूब और हबीब ने भी मुहम्मद बिन सीरीन से ऐसे ही बयान किया है (यानी पहली बार मिट्टी से धोया जाये)

72:— मुहम्मद बिन सीरीन ने अबू हुरैरा से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की है और मुर्फ़ूअ़ नहीं रिवायत किया है (बल्कि मौकूफ़ बयान किया) और उस में इज़ाफ़ा यह है "जब बिल्ली मुँह मार जाये तो एक बार धोया जाये।"

फ़ाइदा:— बिल्ली के मुँह मारने से एक बार धोने का वाक्य सहाबी ने अपनी तरफ़ से बढ़ाया है। बिल्ली का जूठा पाक है यह आगे की हदीस में बयान आ रहा है।

73:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कुत्ता जब बर्तन में मुँह मार जाये तो उसे सात मर्तबा धोओ, और सातवीं बार मिट्टी से धोओ।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि अबू स्वालेह, अबू रज़ीब, आरज, साबित अहनफ़, हुमाम बिन मुनब्बिह और अबू सदी अ़ब्दुरहमान ने इसे अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत किया है और मिट्टी से माँझने का ज़िक्र नहीं किया।

74:— अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (एक मर्तबा) कुत्तों को मार डालने का आदेश दिया मगर उस के बाद फ़रमाया: लोगों को उन के मार डालने की ज़रुरत क्या है? और उन कुत्तों का दोष क्या है? फिर आप ने शिकार और बकरियों की हिफ़ाज़त के लिये उन के रखने की इजाज़त दे दी और फ़रमाया: जब कुत्ता बर्तन में मुँह मार जाये तो उसे सात बार धोओ और आठवीं बार मिट्टी से माँझो। इमाम अबू दावूद ने कहा कि अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल ने ऐसे ही कहा।

फ़ाइदा:— अगर कोई पक्का-सच्चा (सिक़ह) रिवायत करने वाला कोई नई बात बयान करे तो उसे माना जायेगा। इसी सिद्धान्त के अनुसार आठवीं बार मिट्टी से धोने वाली बात मानी जायेगी। नये शोध में साबित हो चुका है कि कुत्ते के जरासीम को मारने के लिये मिट्टी ही सब से बेहतर है।

बाब {बिल्ली के जूठे का बयान}

75:— कअ़ब बिन मालिक की पुत्री कब्शा से रिवायत है, यह अबू क़तादा के पुत्र अ़ब्दुल्लाह के निकाह में थीं, उन्होंने बयान किया कि (मेरे ससुर) अबू क़तादा (मेरे घर) आये तो मैंने उन के वुज़ू के लिये पानी उँडेला, इतने में बिल्ली आ गयी और उस (बर्तन) से पानी पीने लगी। अबू क़तादा ने बिल्ली के लिये बर्तन को थोड़ा सा और टेढ़ा कर दिया और उस ने पानी पी लिया। कब्शा कहती हैं कि अबू क़तादा ने मुझे देखा कि मैं उन के काम को हैरत से देख रही हूँ तो उन्होंने कहा: ऐ भतीजी! क्या तुम्हें तअ़ज्जुब हो रहा है? मैंने कहा: हाँ। उन्होंने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि बिल्ली नापाक नहीं है, यह तुम पर घूमने-फिरने वाले जानवरों में से है।

76:— दावूद बिन स्वालेह बिन दीनार अत्तम्मार अपनी माता जी से रिवायत करते हैं कि उन की माता जी की मालकन ने उन्हें (यानी दावूद की माँ को) हरीसा (एक प्रकार का खाना) देकर आ़इशा रज़ि॰ के पास भेजा तो उन्होंने आ़इशा रज़ि॰ को नमाज़ की हालत में पाया। आ़इशा रज़ि॰ ने (नमाज़ की हालत ही में) इशारा किया कि रख दें, चुनान्चे इसी दौरान में एक बिल्ली आई और उस में से कुछ खा गयी। जब वह नमाज़ पढ़ चुकी तो उन्होंने वहीं से खाना शुरु कर दिया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि यह जानवर नापाक नहीं हैं, यह तो तुम पर घूमने-फिरने वाले जानवरों में से है, और मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा है कि वह उस के जूठे पानी से वुज़ू कर लिया करते थे।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है, लेकिन अ़ल्लामा अल्बानी रह॰ सहीह कहते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि बिल्ली की तरह और दूसरे जानवर जैसे मक्खी, मच्छर, कौआ, मुर्ग़ी आदि जानवरों से खाना-पानी बचा पाना संभव नहीं है, इसलिये उन का भी जूठा पाक है और उन के मुँह मारे हुये पानी से वुज़ू कर लेना दुरुस्त है। यह भी मालूम हुआ कि मजबूरी में नमाज़ की हालत में इशारा कर देने की गुन्जाइश है।

बाब {महिला के (इस्तेमाल से)बचे हुये पानी से वुज़ू करना।}

77:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ बयान करती हैं कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक ही बर्तन से नहा लिया करते थे, जबकि हम दोनों जुनुबी होते थे।

फ़ाइदा:— पति-पत्नी एक-दूसरे का लिबास हैं इसलिये दोनों इकट्ठे नहा सकते हैं। उसी एक बर्तन से पति ने पानी लिया, फिर उसी से पत्नी ने निकाला, तो वह पानी एक-दूसरे के ज़रीआ़ इस्तेमाल किया हुआ हो गया।

78:— उम्मे सुबय्या (ख़ौला बिन्त क़ैस) रज़ि॰ कहती हैं कि एक बर्तन से वुज़ू करते हुये मेरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का हाथ बारी-बारी बर्तन में पड़ता था।

फ़ाइदा:— ख़ौला रज़ि॰ का नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से महरम होने का कोई रिश्ता साबित नहीं है। यह घटना शायद सन 6 हि॰, यानी पर्दे की आयतों के नाज़िल होने से पहले की हो।

79:— इब्ने उमर रज़ि॰ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में मर्द और महिलायें एक बर्तन से वुज़ू कर लिया करते थे। मुसद्दद की रिवायत में है "महिला और पुरुष इकट्ठे एक ही बर्तन से वुज़ू कर लिया करते थे।"

80:— इब्ने उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में हम (मर्द) और महिलायें एक ही बर्तन से वुज़ू कर लिया करते थे और उसी (एक ही बर्तन) में हाथ डालते थे।

फ़ाइदा:— यह बातें पर्दे की आयत के नाज़िल होने से पहले की रही होंगी। वर्ना अजनबी महिला-पुरुष का इस प्रकार वुज़ू करना दुरुस्त नहीं। बहरहाल यह मालूम हुआ कि महिला के इस्तेमाल करने के बाद हुये पानी को पुरुष इस्तेमाल कर सकते हैं।

बाब {महिला के इस्तेमाल किये हुये पानी से वुज़ू करने की मिनाही का ज़िक्र।}

81:— हुमैद हिमयरी कहते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो चार वर्ष तक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में रहा जैसे कि अबू हुरैरा रज़ि॰ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में रहे थे, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि "महिला, पुरुष के या पुरुष, महिला के बचे हुये पानी से स्नान करे।"

मुसद्दद ने इतना इज़ाफ़ा बयान किया है कि "चाहिये कि दोनों इकट्ठे ही (बारी-बारी) चुल्लू लें।"

82:— हकम बिन अ़मर, और यह अक़रा हैं, से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया है कि मर्द, महिला के बचे हुये पानी से वुज़ू करे।

फ़ाइदा:— इस मिनाही को एहतियात समझें, वर्ना मर्द और महिला एक-दूसरे के बचे हुये पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस से वुज़ू और स्नान सब कुछ कर सकते हैं।

बाब {समुन्दर के पानी से वुज़ू।}

83:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से प्रश्न किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! हम समुन्दर में यात्रा करते हैं और अपने साथ (पीने के लिये) थोड़ा सा पानी ले जाते हैं। अगर हम उस पानी से वुज़ू करने लगें तो प्यासे रह जायें, तो क्या हम समुन्दर के पानी से वुज़ू कर लिया करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: समुन्दर का पानी पाक और उस का मुर्दा हलाल है।

फ़ाइदा:— समुन्दर, दरिया, नहर का पानी पाक है, पाक करने वाला भी है, इसलिये उस का हर काम के लिये इस्तेमाल जाइज़ है। अगर मछली अपनी मौत मर गयी हो तो भी उस का खाना हलाल है।

बाब {खजूर और मुनक्क़ा के शर्बत (नबीज़) से वुज़ू करना।}

84:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन से जिन्नों वाली रात पूछा कि तुम्हारे बर्तन में क्या है? उन्होंने कहा: नबीज़ (यानी खजूर का शर्बत) तो आप ने फ़रमाया: खजूर पाकीज़ा फल है और पानी पाक है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है इसलिये इस पर अ़मल नहीं होगा।

85:— अ़ल्क़मा कहते हैं कि मैं ने अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से पूछा कि (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की) जिन्नों से मुलाक़ात वाली रात आप लोगों में से कौन नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ था? तो उन्होंने कहा कि हम में से कोई भी आप के साथ ना था।

86:— अ़ता बिन रिबाह रज़ि॰ ने बयान किया कि उन्होंने दूध और नबीज़ से वुज़ू को मकरुह कहा है और फ़रमाया कि मुझे उन से वुज़ू करने के बजाए तयम्मुम करना अधिक पसन्द है।

फ़ाइदा:— "नबीज़" खजूर या मुनक़्क़ा पानी में भिगोने से बनती है, जैसे आजकल इमली और आलू बुख़ारे से शर्बत बनाया जाता है। अगर कोई चीज़ पानी के बजाए शर्बत, लस्सी बन जाये तो उसे पानी कहेंगे और उस से वुज़ू और स्नान कैसे करेंगे।

87:— अबू खुल्दा कहते हैं कि मैं अबुल आ़लिया (ताबआ़) से पूछा कि एक शख़्स जिसे जनाबत लग गयी हो और उस के पास पानी न हो, बल्कि नबीज़ (यानी खजूर या मुनक़्क़ा का पानी) हो, तो क्या वह उस से स्नान कर ले? उन्होंने फ़रमायाः नहीं।

बाब {पेशाब–पाख़ाना की हाजत होने की हालत में नमाज़ पढ़ना कैसा है?}

88:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़र्क़म रज़ि॰ से रिवायत है कि वह हज्ज या उम्रे के लिये निकले। उन के साथ कुछ और लोग भी थे और वह उन के इमाम थे। एक दिन फ़ज्र की नमाज़ के लिये तक्बीर कही गयी तो उन्होंने कहा कि तुम में से कोई आगे हो जाये (और नमाज़ पढ़ा दे) और अपना पाख़ाना-पेशाब करने चले गये और कहा कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थे कि जब तुम में से किसी को पाख़ाना-पेशाब के लिसे जाने की हाजत हो और नमाज़ भी खड़ी हो रही हो तो चाहिये कि वह पहले अपनी ज़रुरत पूरी करे।

फ़ाइदा:— जो चीज़ नमाज़ में यकसूई समाप्त करने वाली हो पहले उस को पूरा करें, जैसे पाख़ाना-पेशाब, खाना-पानी आदि।

89:— अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अबू बक्र (क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबू बक्र सिद्दीक़ के भाई) से रिवायत है कि हम आ़इशा रज़ि॰ के घर थे कि इसी बीच उन का खाना आ गया तो क़ासिम खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। आ़इशा रज़ि॰ ने फ़रमाया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जब खाना मौजूद हो तो नमाज़ न पढ़ी जाये और ऐसी हालत में भी कि आदमी पेशाब-पाख़ाने को रोक रहा हो।

90:— सौबान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तीन काम किसी को रवा नहीं है (1) कोई शख़्स किसी क़ौम की इमामत कराए तो मुक़्तदी लोगों को छोड़ कर अपने लिये दुआ़ न करे। अगर ऐसा किया तो उन से ख़ियानत की। (2) इजाज़त मिलने से पहले ही किसी के घर के अन्दर न झाँके, अगर ऐसा किया तो गोया (बिला इजाज़त) अन्दर दाख़िल हुआ। (3) कोई शख़्स पेशाब-पाख़ाना रोके हुये नमाज़ न पढ़े, यहाँ तक कि ज़रुरत से निबट ले।

फ़ाइदा:— अ़ल्लामा अल्बानी ने इसे ज़ओ़फ़ कहा है। इस हदीस की अन्तिम दो बातें दूसरी सहीह

हदीस से भी साबित हैं। पहली बात शुब्हे वाली है क्योंकि नमाज़ में बहुत सी दुआयें ऐसी हैं जिन में वाहिद सेग़ा प्रयोग हुआ है और इमाम समेत सभी लोग वैसे ही पढ़ते हैं।

91:— अबू हुरैरा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमायाः जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखता है उस के लिये हलाल नहीं कि पेशाब-पाख़ाना रोके हुये नमाज़ पढ़े, यहाँ तक कि निबट जाये। फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया कि (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया) जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखता है उसे हलाल नहीं कि बिना अनुमति के किसी क़ौम की इमामत कराए और न जमाअ़त के लोगों को छोड़ कर ख़ास अपने ही लिये दुआ़ करे। अगर ऐसा किया तो उस ने ख़ियानत की। अबू दावूद ने कहा कि यह सनद शाम वालों की सनद में से है, इस में उन का कोई शरीक नहीं (सिवाए अबू हुरैरा रज़ि॰ के)

फ़ाइदा:— यह रिवायत भी अ़ल्लामा अ़ल्बानी के नज़दीक ज़ओ़फ़ है। लेकिन अन्तिम बात को छोड़ कर बाक़ी बातें सहीह हदीसों से साबित हैं।

बाब {वुज़ू के लिये कितना पानी काफ़ी है।}

92:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक साआ़ पानी से वुज़ू कर लिया करते थे।

93:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक साआ़ पानी से स्नान और एक मुद पानी से वुज़ू कर लिया करते थे।

94:— उम्मे अ़म्मारा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वुज़ू करना चाहा तो आप के लिये बर्तन लाया गया उस में एक मुद के दोतिहाई जितना पानी था।

95:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऐसे बर्तन से वुज़ू किया करते थे जिस में दो रतल पानी आता था और एक साआ़ पानी से स्नान किया करते थे।

फ़ाइदा:— आजकल जो पैमाना प्रचलित है उस हिसाब से एक मदनी साआ़ में तीन लीटर दो सौ मिलि लीटर, और एक मुद में आठ सौ लीटर पानी आता है। यहाँ कम से कम इस्तेमाल करने का ज़िक्र है, वर्ना जहाँ अधिक पानी है और पानी की कोई कमी नहीं है, वहाँ और अधिक भी प्रयोग कर सकते हैं।

बाब {वुज़ू में ज़रुरत से अधिक पानी गिराना मना है।}

96:— अ़ब्दुल्लाह बिन मोगफ़्फ़ल रज़ि॰ ने (एक बार) अपने बेटे को दुआ़ करते सुना (जो यूँ दुआ़ कर रहा था) "ऐ अल्लाह! मैं तुझ से प्रश्न करता हूँ कि जब में जन्नत में दाख़िल हों तो मुझे उस की दाहिनी तरफ़ सफ़ेद महल मिले" यह सुन कर अ़ब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फ़ल ने फ़रमायाः बेटे! अल्लाह पाक से जन्नत माँगो और जहन्नम से पनाह माँगो, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो पाकी हासिल करने में और

दुआ माँगने में हद से ज़्यादा मुबालग़ा करेंगे।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि तहारत में ज़रुरत से अधिक पानी बहाना दुरुस्त नहीं।

बाब {वुजू मुकम्मल करने का बयान।}

97:— अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा कि (वुजू में जल्दी की वजह से उन के पाँव सूखे रह गये और) उन की एड़ियाँ चमक रही थीं, तो आप ने फ़रमाया: ऐसी एड़ियों के लिये आग अज़ाब है, वुजू मुकम्मल किया करो।"

बाब {पीतल के बर्तन से वुजू।}

98:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से स्नान करते थे जो पीतल का बना हुआ था।

99:— मुहम्मद बिन अला की सनद से भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत है।

100:— अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ि॰ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आयेतो हम ने आप के लिये पीतल के बर्तन में पानी पेश किया और आप ने वुजू किया।

बाब {वुजू शुरु करते हुये "बिस्मिल्लाह" कहना।}

101:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस का वुजू नहीं उस की नमाज़ नहीं, और जो शख़्स वुजू के आरंभ में अल्लाह का नाम न ले (यानी बिस्मिल्लाह न कहे) उस का वुजू नहीं।

102:— रबीआ (ताबई और मदीना शरीफ़ के मुफ़्ती) ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस "जो शख़्स वुजू के आरंभ में अल्लाह का नाम न ले उस का वुजू नहीं" की शरह में कहा है किइस से मुराद वह शख़्स है जो वुजू और स्नान करता है और वुजू से नमाज़ की ओर स्नान से पाकी की निय्यत नहीं करता (ऐसे शख़्स का वुजू और स्नान दुरुस्त न होगा)

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि वुजू से पहले बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है। अगर भूल गया और दर्मियान में याद आया तो तुरन्त पढ़ ले, ताहम वुजू को दोहराने की आवश्यक्ता नहीं, भूल-चूक माफ़ है। वुजू और स्नान में निय्यत भी ज़रुरी है।

बाब {जो शख़्स अपने हाथ धोने से पहले बर्तन में डाल दे?}

103:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई रात को जागे तो अपना हाथ धोए बिना बर्तन में न डाले यहाँ तक कि तीन मर्तबा धो ले। क्योंकि वह नहीं जानता कि उस का हाथ(सोते में) कहाँ-कहाँ लगता रहा है।

104:— इमाम मुसद्दद से ईसा बिन यूनुस के वास्ते से भी ऊपर की हदीस रिवायत है, मगर उस में है कि हाथ दो या तीन बार धोए। इस सनद में अबू रज़ीन का ज़िक्र नहीं है।

105:— अबू म्रयम कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रज़ि॰ को बयान करते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते थे: जब तुम में से कोई नींद से जागे तो अपना हाथ बर्तन में न डाले, जब तक तीन बार धो न ले, क्योंकि तुम में से किसी को पता नहीं होता कि उस के हाथ ने रात को कहाँ गुज़ारा, या यह फ़रमाया कि उस का हाथ न जाने कहाँ-कहाँ फिरता रहा।

फ़ाइदा:— यह हुक्म मुस्तहब है। हदीस में केवल रात में जागने का ज़िक्र है क्योंकि रात में नापाकी लगने का अधिक मौका होता है।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लमके वुज़ू का बयान।}

106:— उस्मान रज़ि॰ के आज़ाद किये हुये गुलाम बिन इबान कहते हैं कि मैंने उस्मान ग़नी रज़ि॰ को वुज़ू करते देखा। उन्होंने (पहले) अपने हाथों पर पानी डाला और उन्हें तीन मर्तबा धोया, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाल कर झाड़ा, फिर तीन बार अपना मुँह धोया, फिर दाहिना हाथ कोहनी तक तीन बार धोया, फिर बायाँ हाथ भी इसी तरह धोया, फिर अपने सर का मसह किया, फिर अपना दायाँ पाँव तीन बार धोया, फिर बायाँ पाँव इसी प्रकार धोया। इस के बाद कहा: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा था कि आप ने मेरे इस प्रकार वुज़ू करने की तरह वुज़ू किया। जो कोई मेरे इस वुज़ू करने की तरह वुज़ू करे फिर दो रकअ़त नमाज़ पढ़े, इस तरह कि उस का ध्यान इधर-उधर न बटा रहे तो अल्लाह पाक उस के पिछले गुनाहों कोमाफ़ कर देता है।

107:— अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने कहा कि हुमरान कहते हैं मैंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ि॰ को देखा कि उन्होंने वुज़ू किया और ऊपर की रिवायत की तरह बयान किया, इस में कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाने का ज़िक्र नहीं किया। और (अबू सलमा ने) अपनी हदीस में कहा कि सर का मसह तीन बार किया, फिर अपने दोनों पाँव को तीन-तीन बार धोए। फिर उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आपने इसी प्रकार वुज़ू किया और फ़रमाया: जो अपने वुज़ू के हिस्सों को इस से भी कम बार धोए तो भी काफ़ी है। और (अबू सलमा ने अपनी हदीस में) नमाज़ का ज़िक्र नहीं किया।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मसह सर का एक बार किया है जैसा कि और दूसरी रिवायतों से साबित है। ऐसा भी संभव है कि कभी तीन बार भी किया हो, या रावी ने और दूसरे हिस्सों को तीन मर्तबा धोने के नाते मसह भी तीन मर्तबा समझ लिया हो।

108:— उस्मान बिन अ़ब्दुर्रहमान तैमी कहते हैं कि इब्ने अबी मुलैका से वुज़ू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ि॰ को देखा, जब उन से वुज़ू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पानी मँगवाया, चुनान्चे एक बर्तन लाया गया, उन्होंने उसे अपने दायें हाथ पर झुकाया, फिर अपना दाहिना हाथ पानी में डाला और तीन बार कुल्ली की, तीन बार नाक में पानी डाल कर झाड़ा, तीन बार अपना मुँह धोया, फिर अपना दाहिना हाथ धोया तीन बार और बायाँ हाथ भी तीन बार धोया। फिर अपना हाथ (बर्तन में) डाला और पानी लिया और सर और दोनों कानों का मसह-

किया उन के अन्दर और बाहर से एक बार। फिर अपने पाँव धोए और फ़रमायाः कहाँ हैं वुज़ू के बारे में प्रश्न करने वाले। मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इसी प्रकार करते देखा था।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि उस्मान रज़ि॰ की तमाम सहीह रिवायतें दलालत करती हैं कि उन्होंने सर का मसह एक ही बार किया था। तमाम रावी वुज़ू को तीन-तीन बार ज़िक्र करते हैं मगर मसह के बारे में इतना ही कहते हैं कि "उन्होंने अपने सर का मसह किया" और इस में संख्या का ज़िक्र नहीं करते, जैसे कि और बाक़ी हिस्सों में करते हैं।

109:— अबू अ़ल्क़मा रिवायत करते हैं कि उस्मान रज़ि॰ ने पानी मँगाया और वुज़ू किया (पहले उन्होंने) अपने दायें हाथ से बायें हाथ पर पानी डाला और अपने दोनों हाथों को पहुँचों तक धोया। अ़ल्क़मा ने कहाः फिर उन्होंने कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया तीन बार। फिर पूरे वुज़ू में तीन-तीन बार वुज़ू के हिस्सों के धोने का ज़िक्र किया और कहा कि फिर अपने सर का मसह किया। फिर पाँव धोये और कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा था उन्होंने इसी प्रकार वुज़ू किया था जैसे कि तुम ने मुझे वुज़ू करते देखा है। फिर इमाम ज़ुहरी की हदीस की तरह बयान किया, बल्कि उस से भी कामिल बयान किया (यानी इतमिनान और आराम से नमाज़ पढ़ने और उस पर सवाब का ज़िक्र आया है-देखें हदीस न॰ 106)

110:— शक़ीक़ बिन सलमा से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ि॰ को देखा, उन्होंने अपनी कलाइयाँ तीन-तीन बार धोए और सर का मसह भी तीन बार किया, फिर फ़रमायाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा था कि आप ने इसी प्रकार वुज़ू किया था।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि इस रिवायत को वाकिआ ने इस्राईल से भी रिवायत किया है तो उस में केवल इतना कहा कि "वुज़ू किया तीन-तीन बार।"

फ़ाइदा:— हदीस सहीह है नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक बार मसह किया है जैसा कि दूसरी सहीह हदीसों से साबित है। ऐसा भी संभव है कि कभी तीन बार भी किया हो। फिर रावी ने तमाम हिस्सों के तीन बार धोने को लेकर मसह को भी तीन बार में शामिल कर दिया हो।

111:— अ़ब्दे ख़ैर ने बयान किया कि अ़ली रज़ि॰ हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये और वह नमाज़ पढ़ चुके थे। उन्होंने पानी माँगा तो हम ने कहा कि पानी क्या करेंगे? हालाँकि आप नमाज़ पढ़ चुके हैं। आप शायद हमें कुछ सिखाना चाहते है। फिर एक बर्तन में पानी लाया गया और साथ एक खुला बर्तन (टब)भी था। फिर उन्होंने बर्तन से अपने दायें हाथ पर पानी डाला और हाथों को तीन बार धोया, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाल कर तीन मर्तबा झाड़ा, आप ने उसी चुल्लू पानी से कुल्ली की और नाक को भी झाड़ा जिस में कि पानी लिया था। फिर अपना मुँह धोया तीन बार और दायाँ बाज़ू तीन बार, फिर बायाँ बाज़ू तीन बार। फिर अपना हाथ बर्तन में डाला और अपने

सर का मसह किया एक बार। फिर अपना दायाँ पाँव धोया तीन बार, फिर बायाँ तीन बार। फिर फ़रमायाः जिस को पसन्द आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का वुज़ू मालूम करे तो वहं यही है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि एक ही चुल्लू से आधा पानी कुल्ली के लिय लें और आधा नाक में डाल लें। फिर नाक को बायें हाथ से झाड़े।

112:— अ़ब्दे ख़ैर ने बयान किया कि अ़ली रज़ि॰ ने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई और फिर रहबा (कूफ़ा के एक मोहल्ला) में आ गये और पानी मँगवाया। एक गुलाम बर्तन लाया जिस में पानी था और उस के साथ टब भी था। चुनान्चे आप ने बर्तन को दोनों हाथ से पकड़ा और अपनने बाँये हाथ पर उँडेला और अपने दोनों हाथों को तीन बार धोया, फिर अपना हाथ बर्तन में डाला (और पानी लि़या) और तीन बार कुल्ली की और तीन बार नाक में पानी डाला,और फिर (ज़ाइदा बिन क़तादा ने) ऊपर की हदीस अबू अ़वाना की तरह बयान किया, फिर अपने सर का मसह किया, उस के अगले और पिछले हिस्से का और ऊपर की हदीस की तरह पूरी हदीस बयान की।

113:— अ़ब्दे ख़ैर कहते हैं कि मैंने अ़ली रज़ि॰ को देखा कि एक क़ुसी लाई गी, आप उस पर बैठे, फिर पानी का एक बर्तन लाया गया, आप ने अपना हाथ तीन बार धोया, फिर कुल्ली की साथ ही नाक में पानी भी चढ़ाया, दोनों एक ही चुल्लू के साथ। फिर आगे पूरी हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— इस हदीस से एक ही चुल्लू से कुल्ली और नाक में पानी डालना साबित है. और यही मस्नून तरीक़ा है कि एकही चुल्लू पानी लेकर कुल्ली की जाये और उसी से नाक में पानी भी दिया जाये (देखें बुख़ारी हदीस न॰ 140)

114:— ज़िर बिन हुबैश ने बयान किया कि अ़ली रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के वुज़ू के बारे में पूछा गया था। तो हदीस के रावी ने हदीस बयान करते हुये कहा कि फिर उन्होंने अपने सर का मसह किया मगर पानी की बूँदें नहीं टपकीं, और फिर अपने दोनों पाँव तीन-तीन बार धोये, फिर फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का वुज़ू ऐसे ही था।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि आप ने मसह के लिये नया पानी लिया और हाथ खूब गीले किये. मगर इतने नहीं कि सर से पानी टपकने लगे।

115:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने बयान किया कि मैंने अ़ली रज़ि॰ को देखा कि उन्होंने वुज़ू किया तो अपना मुँह धोया तीन बार, और कलाइयाँ धोयीं तीन बार और सर का मसह किया एक बार। फिर फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसी प्रकार वुज़ू किया था।

116:— अबू हय्या ने बयान किया कि मैंने अ़ली रज़ि॰ को देखा कि उन्होंने वुज़ू किया। और अबू हय्या ने बताया कि उन्होंने तमाम वुज़ू तीन-तीन बार किया और कहाः फिर अपने सर का मसह किया। इस के बाद अपने दोनों पाँव धोए टख़्नें तक, फिर फ़रमाया कि मैंने चाहा कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का वुज़ू दिखला दूँ।

117:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि अ़ली रज़ि॰ मेरे घर तशरीफ़ लाये, आप इस्तिन्जा कर चुके थे, आप ने वुज़ू के लिये पानी मँगवाया, हम एक छोटे से बर्तन में पानी लाये और आप के सामने रख दिया तो आप ने फ़रमायाः ऐ इब्ने अ़ब्बास! क्या तुम्हें दिखाऊँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किस प्रकार वुज़ू करते थे? मैंने कहाः ज़रुर। चुनान्चे उन्होंने बर्तन को अपने हाथ पर टेढ़ा किया और हाथ धोया, फिर अपना दाहिना हाथ उस में डाला और दूसरे हाथ पर पानी डाला और दोनों हाथ धोए, फिर कुल्ली की और नाक झाड़ी, फिर अपने दो हाथ इकट्ठे ही बर्तन में डाले और दोनों हाथों से एक लप पानी लिया और अपने चेहरे पर डाला, फिर अपने दोनों अन्गूठों को कानों में डाला और जो हिस्सा मुँह की तरफ़ था (उसे भी धोया) फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार ऐसे ही किया। फिर दायें हाथ से एक चुल्लू पानी लिया और उसे पेशानी पर डाला और उसे अपने चेहरे पर बहने दिया। फिर अपनी दोनों कलाइयाँ कोहनियों तक धोईं तीन-तीन बार। फिर अपने सर का मसह किया और कानों के बाहर का भी। फिर अपने दोनों हाथ बर्तन में डाले और पानी की एक लप लेकर अपने पाँव पर डाला और उस में (चप्पल का सा) जूता था, अपने पाँव को उस पानी के साथ मला, फिर दूसरे पाँव को भी ऐसे ही किया। अ़ब्दुल्लाह ख़ौलानी कहते हैं कि मैंने पूछाः जूतों समेत? इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः जूतों समेत। मैंने फिर पूछाः जूते समेत? उन्होंने कहाः हाँ जूता पहने-पहने ही। मैंने फिर कहाः जूतों समेत? उन्होंने कहाः हाँ जूतों समेत।

फ़ाइदाः— अगर जूता खुली चप्प्ले की तरह हो तो उसे उतारे बिना पानी में वैसे ही मल लिया जाये तो पाँव धुल जाते हैं। इस रिवायत में तीन बार चेहरा धोकर मज़ीद एक बार पानी बहाने का ज़िक्र आया है, यह बयान जवाज़ के लिये है जो शायद कभी-कभी किया गया हो।

118:— अ़म्र बिन यहया माज़नी अपने पिता से रिवायत करते हैं कि मेरे पिता ने अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम से कहा, और यह अ़म्र बिन यहया के दादा हैं कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किस प्रकार वुज़ू करते थे? उन्होंने कहाः हाँ। फिर उन्होंने वुज़ू का पानी मँगाया और अपने दोनों हाथों पर डाला और हाथ धोए, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाल का झाड़ा तीन बार। फिर चेहरा धोया तीन बार, फिर दोनों हाथ धोए कोहनियों तक दो बार। फिर दोनों हाथों से सर का मसह किया और उन्हें आगे लाये और पीछे लेगये। सर के अगले हिस्से से शुरु कियाऔर गुद्दी तक ले गये, फिर उन्हें वापस लाये और वहाँ तक ले आये जहाँ से शुरु किया था। फिर अपने दोनों पाँव धोए।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि वुज़ू के दर्मियान कुछ हिस्सों को दो बार और कुछ को तीन बार धोना भी दुरुस्त है।

119:— मुसद्दद की सनद से भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत है कि कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया एक ही चुल्लू से। ऐसा तीन बार किया। फिर रावी ने ऊपर की हदीस की तरह पूरी हदीस बयान की।

120:— अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम रज़ि॰ बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम को देखा और आप का वुज़ू बयान किया और कहाः आपने सर का मसह हाथों के बचे हुये पानी के अ़लावा (नए पानी) से किया और अपने पाँव धोए यहाँ तक कि उन्हें अच्छी तरह साफ़ किया।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि सर के मसह के लिये नया पानी लेना चाहिये।

121:— मिक़दाम बिन मादीकर्ब कन्दी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पानी लाया गया तो आप ने वुज़ू किया, अपनी दोनों हथेलियाँ तीन बार धोयीं, फिर कुल्ली की और नाक में तीन बार पानी चढ़ाया, तीन बार चेहरा धोया, तीन बार कलाइयाँ धोयीं, फिर सर का मसह किया और साथ ही कानों के बाहर और अन्दर का भी।

122:— मिक़दाम बिन मादीकब रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप ने वुज़ू किया, जब सर के मसह तक पहुँचे तो अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ सर के अगले हिस्से पर रखीं और उन्हें सर पर फेरा यहाँ तक कि गुद्दी तक ले गये, फिर अपेन हाथों को उसी जगह वापस ले आये जहाँ से शुरु किया था।

123:— वलीद बिन मुस्लिम ने ऊपर की सनदसे रिवायत किया है और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने कानों के बाहर और अन्दर की तरफ़ मसह किया। हिशाम ने यह भी कहा कि आप ने उँगलियाँ कानों के सूराख़ों में दाख़िल कीं।

124:— मुआ़विया रज़ि॰ ने लोगों को वुज़ू कर के दिखाया जैसा कि खुद उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को वुज़ू करते हुये देखा था। जब आप सर के मसह को पहुँचे तो आप ने एक चुल्लू लिया और बाएँ हाथ पर डाला और उस चुल्लू को सर के दर्मियान किया यहाँ तक कि पानी की बूँदें गिरीं, या गिरने के क़रीब थीं। फिर सर के अगले हिस्से से आख़िर तक और आख़िर से अगले हिस्से तक का मसह किया।

125:— महमूद बिन ख़ालिद ने वलीद से ऊपर की सनद से भी यह रिवायत किया कि मुआ़विया रज़ि॰ ने वुज़ू किया (तो वुज़ू के हिस्सों को) तीन-तीन बार धोया और अपने पाँव धोए बिना शुमार किये।

फ़ाइदा:— वुज़ू केतमाम हिस्सों को धोने में अगर तीन बार की बराबरी न भी की जाये तो भी वुज़ू कामिल होता है।

126:— रुबैअ़ बिन मु-अ़व्विज़ बिन अ़फ़रा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाया करते थे। उन्हांने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (एक बार) फ़रमायाः मेरे लिये पानी उँडेल कर लाओ। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के वुज़ू करने का तरीक़ा बयान किया। उन्होंने बताया कि आप ने अपने हाथ धोए तीन बार, मुँह धोया तीन बार, कुल्ली की और नाक में पानी डाला एक बार और अपने दोनों हाथ धोए तीन-तीन बार और सर का मसह किया दो बार। सर केआख़िर से शुरु किया, फिर अगले हिस्से की तरफ़ से मसह किया और दोनों कानों का मसह किया, उन के बाहर से भी

और अन्दर से भी, और अपने दोनों पाँव धोए तीन-तीन बार।

फ़ाइदा:— इस हदीस में सर का मसह दो बार है, यह केवल जावाज़ के लिये है। कभी एक बार, कभी दो बार भी कर लिया तोइस में कोई हरज नहीं, लेकिन हमेशा ऐसा करना दुरुस्त नहीं।

127:— इस्हाक़ बिन इस्माअ़िल के वास्ते से यह भी रिवायत है, लेकिन इस में ऊपर की रिवायत बिश्र (बिन मुफ़ज़्ज़ल) के बाज़ अर्थ में अन्तर है। इस में कहा कि "कुल्ली की और नाक को झाड़ा तीन बार।

128:— रबीअ़ बिन्त मु-आव्विज़ कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाये और वुज़ू किया तो पूरे सर का मसह किया। ऊपर से सर का मसह आरंभ करते थे, हर तरफ़ बालों की लटों के रुख़ पर हाथ फेरते थे, और आप बालों को उन की हालत से हर्कत न देते थे।

फ़ाइदा:— इस हदीस में सर के मसह का तरीक़ा उन लोगों के लिये हैं जिन के बाल लंबे हो (यानी पट्टे दार बाल) जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के थे। महिलाओं के बाल भी लंबे होते हैं, वह भी इस तरह से मसह कर सकती हैं।

129:— रबीअ़ बिन्त मु-अव्विज़ बिन अ़फ़रा ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को वुज़ू करते देखा, वह कहती हैं कि आप ने अपने सर का मसह किया, अगले हिस्से का, पिछले हिस्से का, कनपटियों का और दोनों कानों का एक बार।

130:— रबीअ़ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सर का मसह किया, और उसी पानी से किया जो उन के हाथों में (पहले से) बचा हुआ था।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है, सहीह रिवायत से सर के मसह के लिये नए पानी के लेने का सबूत है और यही सहीह है।

131:— रबीअ़ बिन्त मु-अ़व्विज़ कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वुज़ू किया तो अपनी दोनों उँगलियाँ अपने कानों के सूराखों में दाख़िल कीं।

132:— तल्हा बिन मु-सर्रिफ़ अपने पिता से और वह अपने दादा से बयान करते हैं कि मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को, आप सर का मसह एक बार करते थे हत्ताकि (हाथ) क़ज़ाल तक ले जाते थे। "क़ज़ाल" गुद्दी के आरंभ को कहते हैं।

मुसद्दद अपनी रिवायत में कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेअपने सर का मसह किया (सर के) शुरु से लेकर अन्त तक, यहाँ तक कि अपने कानों के नीचे से निकाले।

133:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को वुज़ू करते देखा, फिर तमाम हदीस में (वुज़ू के हिस्सों को धोने का) तीन-तीन बार ज़िक्र किया (मगर सर केबारे में कहा) "और अपने सर और कानों का मसह एक बार किया।

134:— अबू उमामा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के वुज़ू का ज़िक्र करते हुये बयान

किया कि आप अपनी आँखों के कोयों (यानी वह हिस्सा जो बाल की तरफ़ होता है) का भी मसह किया करते थे। और फ़रमायाः दोनों कान सर का हिस्सा हैं।

सुलैमान बिन हर्ब ने कहा कि यह बात अबू उमामा बयान करते थे। कुतैबा कहते हैं कि हम्माद ने कहाः मुझे नहीं मालूम कि यह क़ौल "कान सर का हिस्सा है" नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़रमान है या अबू उमामा का क़ौल है (कुतैबा ने अपनी रिवायत में "अ़न् सिननिन् अबी रबी-अ़-त्" कहा है। इमाम अबू दावूद कहते हैं कि सिनान ही इब्ने रबीअ़ा हैं और उन की कुन्नीयत भी अबू रबीअ़ा ही थी।

फ़ाइदा:— दोनों आँखों के कनारों को मलना चाहिये ताकि सूखा न रह जाये।

बाब **{वुज़ू के हिस्सों को तीन–तीन बार धोने का बयान।}**

135:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में हाज़िर हुआ और कहने लगाः ऐ अल्लह के रसूल! वुज़ू कैसे किया जाता है? तो आप ने एक बर्तन में पानी मँगवाया, फिर अपने हाथ धोए तीन बार, फिर चेहरा तीन बार, फिर दोनों कलाइयाँ तीन बार, फिर सर का मसह किया और अपनी शहादत की उँगलियाँ अपने दोनों कानों में डालीं और अन्गूठों से कानों के ऊपर का मसह किया और शहादत की उंगलियों से उन के अन्दर का, (मसह किया) फिर अपने पाँव धोए तीन–तीन बार, फिर फ़रमायाः वुज़ू ऐसे होता है। और जो कोई इस से ज़्यादा या कम करे तो उस ने बुरा किया और ज़ुल्म किया। या यूँ फ़रमायाः "ज़ुल्म किया और बुरा किया।"

बाब **{दो–दो बार धोने का बयान।}**

136:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि (एक बार) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वुज़ू किया तो दो–दो बार किया (या वुज़ू के हिस्सों को दो–दो बार धोया)

137:— अ़ता बिन यसार ने बयान किया कि हम से इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहा कि क्या तुम पसन्द करते हो कि मैं तुम्हें दिखलाऊँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कैसे वुज़ू करते थे? चुनान्चे आप ने बर्तन मँगवाया, उस में पानी था। तो आप ने अपने दायें हाथ से चुल्लू लिया और कुल्ली की और नाक में पानी लिया। फिर दूसरा (चुल्लू) लिया और अपने दोनों हाथों को जमा कर लिया और अपना चेहरा धोया। फिर दोबारा चुल्लू लिया और उस से अपना दायाँ बाज़ू धोया। फिर और चुल्लू लिया और उस से अपना बायाँ बाज़ू धोया। फिर एक मुट्ठी में पानी लिया और अपने हाथ को झाड़ा और उस से सर और कानों का मसह किया। फिर मुट्ठी में और पानी लिया और उसे अपने दायें पाँव पर छिड़का जबकि उस में जूता भी था, और अपने हाथों से उसे मला (इस प्रकार गोया कि उन को धोया) एक हाथ पाँव के ऊपर से और एक हाथ जूते के नीचे से और फिर बायें पाँव के साथ भी ऐसे ही किया।

बाब **{वुज़ू के हिस्सों को एक–एक बार धोया।}**

138:— अ़ता बिन यसार से रिवायत है कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः क्या मैं तुम्हें नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का वुजू न बताऊँ? चुनान्चे उन्होंने वुजू के हिस्सों को एक-एक बार धोया।

बाब {कुल्ली और नाक में पानी लेने में फ़र्क़ करना।}

139:— तल्हा अपने पिता से और वह उन के दादा से रिवायत करते हैं वह कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ उस समय आप वुजू फ़रमा रहे थे और पानी आप के चेहरे और दाढ़ी से सीने पर गिर रहा था। मैंने आप को देखा कि आप कुल्ली करने और नाक में पानी लेने में फ़र्क़ करते थे (यानी कुल्ली के लिये अलग और नाक के लिये अलग पानी लेते थे)

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। सहीह तरीक़ा यह है कि एक ही चुल्लू पानी लेकर कुल्ली करेंऔर नाक में भी डालें, जैसा कि बुख़ारी में है। हाँ, यह कहा जा सकता है कभी कभार दो चुल्लू पानी लेना भी जाइज़ है।

बाब {नाक झाड़ने का बयान।}

140:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई वुजू करे तो अपनी नाक में पानी ले, फिर उसे झाड़े (यानी साफ़ करे)

141:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: नाक झाड़ो (और साफ़ करो) दो बार या तीन बार, खूब अच्छी तरह।

142:— लक़ीत बिन सबिरा रज़ि॰ ने बयान किया कि क़बीला बनी मुनतफ़िक़ का वफ़्द जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया था, मैं उस का अगुवा था, या एक सदस्य था। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में पहुँचे तो आप को घर में न पाया। हम ने आ़इशा रज़ि॰ को पाया। उन्होंने हमारे लिये "ख़ज़ीरा" बनाने का हुक्म दिया तो वह हमारे लिये बना दिया गया फिर हमारे सामने खजूरों से भरा एक बर्तन लाया गया। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी आ गये और पूछा: क्या तुम्हें कुछ मिला है, या तुम्हारे लिये कुछ कहा गया है? हम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (हम ने ख़ज़ीरा खा लिया है) इसी बीच जबकि हम आप के पास बैठे हुये थे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के चरवाहे ने आप की बकरियाँ बाड़े की तरफ़ ले जाने लगा, उस के पास बकरी का एक बच्चा था जो चिल्ला रहा था। आप ने उस से पूछा: अरे क्या जनवाया है? उस ने कहा: एक बच्चा है। आप नेफ़रमाया: अब हमारे लिये उस के बदले एक बकरी ज़ब्ह कर दो। फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (हम से) फ़रमाया: यह समझना कि हम तुम्हारे लिये इसे ज़ब्ह कर रहे हैं। अस्ल बात यह है कि हमारे पास सौ बकरियाँ हैं, हम नहीं चाहते कि उस से बढ़ जायें। चुनान्चे यह चरवाहा जब भी किसी बकरी के बच्चा जनने की ख़बर लाता है तो उस के बदले एक ज़ब्ह कर डालते हैं।

लक़ीत कहते हैं कि (उस मौक़ा पर) मैंने कहा: ऐ अल्लाह के संदेष्टा! मेरी पत्नी है जिस

की ज़बान में कुछ है? यानी ज़बान की तेज़ है और बदज़बान है। आप ने फ़रमायाः उसे तलाक़ दे दो। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! उस के साथ मैंने लंबा समय बिताया है और मेरी उस से औलाद भी है। आप ने फ़रमायाः तो फिर उसे नसीहत करो, अगर उस के अन्दर भलाई होगी तो समझ जायेगी। और उसे मारना जैसे अपनी लौंडी को मारते हो। फिर मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे वुज़ू के बारे में बताइये। आप ने फ़रमायाः वुज़ू अच्छी तरह किया करो और उंगलियों के दर्मियान ख़िलाल किया करो और नाक में खूब पानी चढ़ाया करो, मगर यह कि रोज़े से हो।

143:— आसिम बिन लक़ीत अपने पिता से रिवायत करते हैं जो बनी मुन्-तफ़िक़ के वफ़्द के सर्दार थे, उन्होंने बयान किया कि वह आइशा रज़ि॰ के पास आये और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। इस रिवायत में बयान किया कि "हम बैठे ही थे कि इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़ोर से क़दम उठाते हुये, आगे को झुक कर चलते हुये तश्रीफ़ लाये। इस रिवायत में "ख़ज़ीरा" के स्थान पर "असीदा" है।

144:— मुहम्मद बिन यहया बिन फ़ारिसा की सनद से यह भी रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "जब तुम वुज़ू करना तो कुल्ली करना।"

फ़ाइदा:— 'खज़ीरा' एक प्रकार का खाना है जिस में माँस को उबाल कर आटा डाल कर पकाया जाता है। अगर माँस न होतो उसे "अ़सीदा" कहा जाता है। इसे "दलिया" कहा जा सकता है।

बाब {दाढ़ी में ख़िलाल करने का बयान।}

145:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब वुज़ू करते तो पानी का एक चुल्लू लेकर अपनी ठोढ़ी के नीचे दाख़िल करते और उस से दाढ़ी का ख़िलाल करते और फ़रमातेः मुझे मेरे रब ने ऐसे ही हुक्म दिया है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ईफ़ है। वलीद बिन ज़ौरान "लीन" है। लेकिन दूसरी सनद से इस की ताईद होती है।

बाब {पगड़ी पर मसह करेन का बयान।}

146:— सौबान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक (जिहादी) लश्कर भेजा तो उन्हें सर्दी ने आ लिया। जब यह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये तो आप ने उन्हें हुक्म दिया कि वह अपनी पगड़ियों और मोज़ों पर मसह कर लिया करें।

147:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को वुज़ू करते हुये देखा है आप के सर पर एक क़ितरी पगड़ी थी, तो आप ने अपने हाथ पगड़ी से नीचे किये और सर के अगले हिस्सा का मसह किया और पगड़ी को न खोला।

फ़ाइदा:—यह रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन पगड़ी पर मसह सहीह हदीसों से स्पष्ट रुप से साबित है।

बाब {पाँव धोने का बयान।}

148:— मुस्तौरिद बिन शद्दाद रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप जब वुज़ू करते तो अपने पाँव की उंगलियों को अपनी छँगुली से मलते थे।

बाब {मोज़ों पर मसह करने का बयान।}

149:— मोग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं तबूक की जन्ग में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ था। फ़ज्र की नमाज़ से पहले आप एक स्थान पर राह से एक तरफ़ हट गये तो मैं भी आप के साथ हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपना ऊँट बैठाया और पाख़ाना के लिये चले गये, वापस आये तो मैंने लोटे से आप के हाथ पर पानी डाला। आप ने पहले अपना हाथ और फिर अपना चेहरा धोया, फिर आप ने अपने हाथ को जुब्बे की आस्तीनों से निकालना चाहा मगर वह तन्ग थीं, तो आप नेअपने हाथ वापस आस्तीन में डाल लिये और उन्हें जुब्बे के नीचे से निकाला फिर कोहनियों तक धोया, फिर अपने सर का मसह किया और मोज़ों पर भी मसह किया, फिर खड़े होकर चल पड़े तो हम ने लोगों को नमाज़ की हालत में पाया, लोग अ़ब्दुरहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ को आगे खड़ा कर चुके थे, चुनान्चे उन्होंने नमाज़ का समय होने पर फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई, हम ने पाया कि वह एक रक्अ़त पढ़ा चुके हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ सफ़ में खड़े हो गये और अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ के पीछे दूसरी रक्अ़त पढ़ी। अ़ब्दुरहमान रज़ि॰ ने (नमाज़ मुकम्मल कर के) जब सलाम फेरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी नमाज़ पूरी करने के लिये खड़े हो गये (यह देख कर) मुसलमान घबरा गये और (मारे डर के) तस्बीह पढ़ने लगे, क्योंकि उन्होंने नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पहले खड़ी कर दी थी। लेकिन जब आप ने सलाम फेरा तो फ़रमायाः तुम लोगों ने अच्छा किया, या यह कहा कि "बहुत अच्छा किया।"

फ़ाइदा:— इस रिवायत में मौज़ों पर मसह करना साबित है। यह भी मालूम हुआ कि अफ़ज़ल, मफ़ज़ूल के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सहाबी के पीछे पढ़ी।

150:— मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (एक बार) वुज़ू किया तो अपने सर के अगले हिस्सा पर मसह किया, और यह भी कहा कि "पगड़ी पर भी।"

मोतमर की रिवायत में मोग़ीरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मोज़ों पर और अपने सर के अगले हिस्से पर और अपनी पगड़ी पर मसह किया करते थे। बक्र का कहना है कि मैंने यह रिवायत मोग़ीरा के बेटे से स्वँय सुनी है।

151:— उर्वा अपने पिता मोग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे, मेरे पास पानी का एक बर्तन था। आप पाख़ाना-पेशाब के

लिये चले गये, फिर हमारे पास वापस आये तो मैं पानी लेकर अपने बाजू आस्तीनों से निकलना चाहा जबकि आप जुब्बा पहने हुये थे, वह रुमी जुब्बा था और उस का आस्तीन तन्ग थी इसलिये आप के बाजू न निकल सके तो आप ने जुब्बे के नीचे से ही अपने बाजू निकाले। फिर मैं झुका कि आप के मोज़े उतारुँ तो आप ने फ़रमाया: इन्हें छोड़ दो, मैंने अपने पाँव इन में डाले तो यह दोनों पाक थे, फिर आप ने मोज़ों पर मसह किया।

152:— **मोग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लश्कर के साथियों से पीछे हो गये....फिर ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की.....उस में बयान किया कि फिर हम लोगों के पास आये तो देखा कि अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ उन्हें फ़ज्र की नमाज़ पढ़ा रहे हैं।** जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा तो पीछे हटना चाहा, मगर आप ने उन्हें इशारा किया कि इमामत जारी रखें, फिर मैंने और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन के पीछे एक-एक रक्अ़त पढ़ी। जब उन्होंने सलाम फेरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खड़े होकर छूटी हुयी रक्अ़त पूरी की और उस पर और कोई इज़ाफ़ा नहीं किया (यानी सह्व के सज्दे नहीं किये) इमाम अबू दावूद कहते हैं कि **अबू सअ़ीद खुदरी, इब्ने जुबैर और इब्ने उमर रज़ि॰ कहा करते थे कि जिसे नमाज़ की एक रक्अ़त मिली हो तो उस पर सह्व के दो सज्दे हैं।**

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़अ़ीफ़ है। जिस की कोई रक्अ़त छूट जाये वह केवल उसी को दोहराए, सज्दए-सहव की कोई ज़रुरत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सह्व के सज्दे साबित नहीं।

153:— अबू अ़ब्दुर्रहमान सलमी ने बयान किया कि मैं अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ रज़ि॰ के पास मौजूद था जब वह बिलाल रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के वुज़ू के बारे में पूछ रहे थे। बिलाल रज़ि॰ ने कहा कि जब आप हाजत पूरी करने के लिये जाते तो मैं आप के लिये पानी ले जाता तो आप वुज़ू करते और अपनी पगड़ी और मोज़ों पर मसह करते।

154:— जरीर रज़ि॰ ने (एक बार) पेशाब किया फिर वुज़ू किया और मोज़ों पर मसह किया और कहा कि मेरे लिये मसह से कौन सी चीज़ रुकावट है? जबकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मसह करते हुये देखा हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मसह का आदेश सूरः माइदा के नाज़िल होने से पहले का है, तो जरीर रज़ि॰ ने कहाः मैं तो इस्लाम ही सूरः माइदा के नाज़िल होने के बाद लाया हूँ।

फ़ाइदा:— ज़रीर रज़ि॰ सन दस हि॰ में इस्लाम लाये। इस आयत में पाँव धोने का हुक्म है तो कुछ लोगों को ख़याल हुआ कि मसह का हुक्म मन्सूख़ हो गया। इस पर ज़रीर ने कहा कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद भी मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मसह करते देखा है, इसलिये मन्सूख समझना दुरुस्त नहीं।

155:— बुरैदा बिन हसीब रज़ि॰ से रिवायत है कि नज्जाशी बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम के लिये काले रन्ग के दो सादा मोज़े हदिया में भेजवाए तो आप ने उन्हें पहना, फिर वुज़ू किया तो उन पर मसह किया।

फ़ाइदाः— यह हदीस ज़ईफ़ है।

156:— मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (जब अपने) मोज़ों पर मसह किया तो मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! आप भूल रहे हैं? फ़रमायाः (नहीं) बल्कि तुम भूल रहे हो, मुझे मेरे रब ने इसी बात का हुक्म दिया है।

फ़ाइदाः— यह रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन मोज़ों पर मसह का हुक्म दूसरी रिवायतों से भी साबित है।

बाब {मसह के लिये मुद्दत का बयान।}

157:— खुज़ैमा बिन साबित रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मोज़ों पर मसह करने की मुद्दत मुसाफ़िर के लिये तीन दिन और मुक़ीम के लिये एक दिन और एक रात है। इमाम अबू दावूद कहते हैं कि इस हदीस को मन्सूर बिन मोतमर ने अपनी सनद से इब्राहीम तौमी से रिवायत किया है और उस में यह भी है कि अगर हम मसह की मुद्दत में इज़ाफ़ा चाहते तो आप इज़ाफ़ा फ़रमा देते।

158:— उबय्यि बिन अ़म्मारा रज़ि॰ जिन के बारे में यहया बिन **अय्यूब का** बयान है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ दोनों क़िब्लों की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ी है, उन से रिवायत है, उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं मोज़ों पर मसह कर लिया करुँ? आप ने फ़रमायाः हाँ। उन्होंने कहाः एक दिन? आप ने फ़रमायाः (हाँ) एक दिन। उन्होंने कहाः क्या दो दिन भी? आप ने फ़रमायाः हाँ, दो दिन भी। उन्होंने क़हाः क्या तीन दिन भी? आप ने फ़रमायाः हाँ, और जितना तुम चाहो।

फ़ाइदाः— यह रिवायत ज़ईफ़ है। मुक़ीम एक दिन रात और मुसाफ़िर, तीन दिन रात मसह कर सकता है। मसह का शुमार वुज़ू के बाद मोज़ा पहनने से होगा।

159:— मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (एक बार) वुज़ू किया तो अपनी जुर्राबों और जूतों पर मसह किया।

इमाम अबू बक्र दावूद कहते हैं कि अ़ब्दुर्रहमान बिन महदी इस हदीस को रिवायत नहीं किया करते थे, क्योंकि मुग़ीरा से मश्हूर रिवायत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मोज़ों पर मसह किया।

फ़ाइदाः— यह रिवायत ज़ईफ़ है। ऐसी जुर्राबों और मोज़ें पर जो पुराने हो जायें, या फट जायें और उन में सूराख हो जाये, फिर भी जिन को आदमी पहनता है, उन पर मसह करना जाइज़ है।

बाब {..........}

160:— औस बिन अबी औस सक़फ़ी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वुजू किया तो अपने जूतों और क़दमों पर मसह किया।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, लेकिन अ़ल्लामा अल्बानी ने सहीह कहा है। "क़दमों पर मसह" से मुराद ऐसी सूरत है जिस में जुर्राबें पहनी हुयी थी। इब्ने कुदामा ने फ़रमाया कि ज़ाहिर में ऐसा मालूम होता है कि जूते या चप्पल की पट्टी पर मसह फ़रमाया जो कि पाँव के ऊपर होती है।

बाब {मसह कैसे हो?}

161:— मोग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मोज़ों पर मसह किया करते थे। मुहम्मद बिन सबाह के अ़लावा (दूसरे उलमा) ने कहा कि आप ने मोज़ों की पुश्त (यानी पाँव की ऊपर वाली तरफ़) पर मसह किया।

162:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि अगर दीन राय और क़ियास पर आधारित होता तो मोज़ों का नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाले के मुक़ाबले में ज़्यादा मुस्तहिक़ होता। मगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा है कि आप अपने मोज़ों के ऊपर ही मसह किया करते थे।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है, लेकिन जो मस्अले इस में बयान हुये हैं, वह सहीह हैं।

163:— आमश अपनी सनद से इस हदीस को रिवायत करते हुये कहते हैं कि मैं पाँव के नीचे वाले हिस्से ही को इस लाइक़ समझता हूँ कि उसे धोया जाये, यहाँ तक कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप अपने मोज़ों के ऊपर के हिस्से ही का मसह करते थे। इमाम वकीअ़ ने कहा कि "क़दमैन" से मुराद "मोज़े" हैं।

इस हदीस को ओ़सा बिन यूनुस ने आमश से वैसे ही रिवायत किया है जैसे वकीअ़ ने रिवायत किया है, और इसे अबू सौदा ने इब्ने अब्दे ख़ैर से, उन्होंने अपने पिता से नक़ल किया तो कहा कि मैंने अ़ली रज़ि॰ को देखा कि उन्होंने वुजू किया तो अपने क़दमों के ऊपर के हिस्से को धोया और कहा कि अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ऐसा करते न देखा होता.....तो मैं यही समझे रहता कि उन का नीचे वाला हिस्सा ही धोने के लाइक़ होता है और अन्त तक हदीस इसी प्रकार बयान की।

164:— हफ़्स बिन ग़ियास ने आमश से यह रिवायत बयान की तो कहाः अगर दीन राय और क़ियास पर मबनी (आधारित) होता तो क़दमों के तलवे उन के ऊपर वाले हिस्से की निस्बत मसह के ज़्यादा हक़दार होते, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मोज़ों की पुश्त (ऊपर वाले हिस्से) पर मसह किया है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है।

165:— मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने तबूक के सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को वुजू कराया तो आप ने (उस मौक़ा पर) मोज़ों के ऊपर और नीचे मसह किया।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओफ़ है। मोज़ों के नीचे मसह करने का किसी सहीह हदीस से सबूत नहीं है।

बाब {छींटें मारने का बयान।}

166:— सुफ़यान बिन हकम सक़फ़ी या हकम बिन सुफ़यान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब पेशाब करते और वुज़ू करते तो (उस के बाद शर्मगाह वाली जगह पर) छींटें मारते।

167:— मुजाहिद.....बनी सक़ीफ़ के एक शख़्स से, वह अपने पिता से रिवायत करते हैं कि उन के पिता जी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पेशाब किया, फिर वुज़ू किया और शर्मगाह पर पानी के छींटे मारे।

168:— मुजाहिद, हकम या इब्ने हकम से, और वह अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पेशाब किया, फिर वुज़ू किया और अपनी शर्मगाह पर छींटे मारे।

फ़ाइदा:— ऐसा करना मस्नून है। ऐसा करने से शक व शुब्हा दूर हो जाता है। हदीस हसन दर्जा की है।

बाब {वुज़ू के बाद आदमी क्या पढ़े।}

169:— उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा में हाज़िर होते थे और अपने खुद ही अन्जाम देते थे और बारी-बारी ऊँट चराया करते थे। मेरी बारी आयी तो तीसरे पहर को मैं उन्हें वापस लाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मज्लिस में आ हाज़िर हुआ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इस हालत में पाया कि आप लोगों को नसीहत कर रहे थे। मैंने आप को नसीहत करते सुना कि "तुम में से कोई वुज़ू करे और अच्छी तरह मुकम्मल वुज़ू करे, फिर खड़ा होकर दो रकअ़त नमाज़ पढ़े, अपने दिल और चेहरे से नमाज़ ही में लगा रहे तो उस ने अपने लिये जन्नत वाजिब कर ली। यह सुन कर मैंने कहाः बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कितना प्यारा काम है, तो मेरे सामने से एक व्यक्ति बोला कि ऐ उक़्बा! जो इस से पहले फ़रमाया है वह इस से भी बेहतर है। मैंने नज़र उठा कर देखा तो वह उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ थे। मैंने कहाः ऐ अबू हफ़्स! वह क्या है? उन्होंने कहाः तुम्हारे आने से पहले अभी-अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह फ़रमाया है कि "तुम में से जो व्यक्ति वुज़ू करे और अच्छी तरह मुकम्मल वुज़ू करे और वुज़ू के बाद यह कलिमे पढ़ेः

लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्-दहू ला शरी-क लहू व-अश्-हदु
अन्न मु-हम्म-दन् अ़ब्दुहू व-रसूलुहू

तो उस के लिये जन्नत के आठों दर्वाज़े खोल दिये जाते हैं, वह जिस दर्वाज़े से चाहे जन्नत में दाख़िल हो जाये।

170:— अबू अ़कील ने अपने चचेरे भाई से, उन्होंने उक़्बा बिन आ़मिर जोहनी से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की, लेकिन इस में ऊँटों के चराने का ज़िक्र नहीं है। और "अच्छी तरह वुज़ू करने" के मौक़ा पर कहा कि फिर वह (वुज़ू करने वाला) अपनी नज़र आसमान की तरफ़ उठाए और (यह दुआ़ पढ़े)

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। आसमान की तरफ़ उँगली उठाना दुरुस्त नहीं। ऊपर हदीस न॰ 169 मुस्लिम शरीफ़ में भी है देखें हदीस न॰ 234।

बाब {एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ना।}

171:— अ़म्र बिन आ़मिर बुजली, यानी अबू असद मुहम्मद बिन अ़म्र कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ि॰ से वुज़ू के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हर नमाज़ के लिये वुज़ू किया करते थे, जबकि हम एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ लिया करते थे।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी एक वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ते थे, जैसे कि आगे की हदीस में है।

172:— सुलैमान बिन बुरैदा अपने पिता जी से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़त्ह मक्का वाले दिन पाँचों नमाज़ें क ही वुज़ू से अ़दा फ़रमायी और आप ने अपने मोज़ों पर मसह भी किया। उमर रज़ि॰ ने कहा: मैंने देखा है कि आज आप ने ऐसा कार्य किया है जो पहले न करते देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मैंने जानबूझ कर ऐसे किया है। (ताकि लोग समझें कि एक वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ सकते हैं)

बाब {वुज़ू से सिलसिला बाक़ी न रहे तो ....}

173:— क़तादा बिन दिआ़मा अनस बिन मालिक रज़ि॰ से बयान करते हैं कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया, वह वुज़ू कर चुका था, मगर उस ने अपने पाँव पर नाखून भर जगह (सूखी) छोड़ दी थी (धोई न थी) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से फ़रमाया: वापस जाओ और अच्छी तरह वुज़ू करो।

174:— हसन बसरी रह॰ ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से क़तादा की रिवायत की तरह रिवायत किया है।

175:— ख़ालिद (इब्ने अ़ब्बास) एक सहाबी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स को नमाज़ पढ़ते देखा जबकि उस के पाँव में दिंहम बराबर जगह सूखी रह गयी थी, उसे पानी नहीं पहुँचा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे वुज़ू और नमाज़ को दोहराने का हुक्म दिया।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि वुज़ू में सिलसिला बाक़ी रहना चाहिये। अगर कोई आधा वुज़ू कर के उठ गया और वह हिस्सा सूख गया तो उसे दोबारा धोना पड़ेगा। यह भी मालूम हुआ अगर मामूली जगह भी सूखी रह गयी तो वुज़ू नहीं होता और फिर नमाज़ नहीं होगी।

बाब {अगर बेवुजू होने में शक हो तो.....}

176:— अब्बाद बिन तमीम अपने चचा (अब्दुल्लाह बिन ज़ैद) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की गयी कि एक व्यक्ति नमाज़ के दौरान (पेट में) कुछ (हरकत) महसूस करता है और उसे ख़याल आता है (कि शायद हवा निकली है) तो आप ने फ़रमाया : नमाज़ छोड़ कर न जाये यहाँ तक कि (हवा निकलने की) आवाज़ सुने या बदबू महसूस करे।

बाब {बोसा लेने से वुजू का मस्अला.....}

178:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (एक बार) मेरा बोसा लिया और वुजू नहीं किया।

179:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (एक बार) अपनी किसी पत्नी को बोसा लिया और नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले गये और वुजू नहीं किया। उर्वा बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने कहाः वह आप ही होंगी, तो वह हँस पड़ीं।

180:— इब्राहीम बिन मख़्लद की सनद से आमश से रिवायत है, वह कहते हैं कि हमारे साथियों ने उर्वा मुज़नी से रिवायत किया, और वह आइशा रज़ि॰ से यह हदीस रिवायत करते हैं।

फ़ाइदा:— शौहर अगर अपनी बीवी का बोसा ले तो इस से वुजू पर कोई असर नहीं पड़ता, मगर शर्त यह है कि मज़ी न निकले।

बाब {शर्मगाह को छूने से वुजू।}

181:— उर्वा बिन जुबैर कहते हैं कि मैं मर्वान बिन हकम के पास गया, वहाँ यह मामला छिड़ गया कि किस-किस चीज़ से वुजू वाजिब हो जाता है? मर्वान ने कहाः शर्मगाह को छूने से भी....(वुजू लाज़िम आता है?) उर्वा कहते हैं कि मैंने उत्तर दिया कि मुझे नहीं मालूम। मर्वान ने कहा कि मुझे बुसरा बिन्त सफ़वान रज़ि॰ ने बताया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना "जो कोई अपने ज़कर को हाथ लगाए उसे चाहिये कि वह वुजू करे।"

फ़ाइदाः- इस मस्अले में बड़ा इख़्तिलाफ़ है, क्योंकि दोनों ही तरह की सहीह हदीसें मौजूद हैं। उलमा ने यह कहा है कि अगर कपड़ा के ऊपर से छुवा है तो नहीं टूटेगा, बिना किसी रुकावट के छुवा तो टूट जायेगा। यह शहवत के साथ छुवा तो टूट जायेगा, वर्ना नहीं।

बाब {इस मस्अले में रुख़्सत का बयान।}

182:— क़ैस बिन तल्क़ अपने पिता (तल्क़) से रिवायत करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये, तो एक आदमी आया जो देखने में दीहाती लगता था, वह कहने लगाः ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! आप उस शख़्स के बारे में क्या फ़रमाते हैं जिस ने वुजू के बाद अपने ज़कर को हाथ लगा लिया हो? आप ने फ़रमायाः यह उस के

शरीर का एक टुक्ड़ा ही तो है।

फ़ाइदा:— कुछ उलमा का कहना है कि हदीस न॰ 181 ने इस हदीस को मन्सूख कर दिया है, यानी छूने से वुज़ू टूट जायेगा।

183:— मुहम्मद बिन जाबिर ...... क़ैस बिन तल्क़ से वह अपने पिता जी से इसी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत करते हैं, उसी हदीस में है कि (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा) नमाज़ के दौरान में अगर कोई हाथ लगाए तो आप ने फ़रमाया कि यह उन के जिस्म का एक टुक्ड़ा ही है।

बाब {ऊँट का माँस खाने से वुज़ू।}

184:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा गया: क्या ऊँट का माँस खाने से वुज़ू लाज़िम आता है? आप ने फ़रमाया: उस (के खाने) से वुज़ू किया करो। फिर पूछा गया कि बकरी के माँस से? आप ने फ़रमाया: उस (के खाने) से वुज़ू न करो। फिर सवाल हुआ कि क्या ऊँटों के बाड़े में नमाज़ पढ़ें? आप ने फ़रमाया: नमाज़ न पढ़ा करो, क्योंकि वह शैतानों में से हैं। और पूछा गया कि बकरियों के बाड़ें में नमाज़? आप ने फ़रमाया: उस में पढ़ लिया करो, क्योंकि यह जानवर मुबारक हैं।

फ़ाइदा:— ऊँट का माँस खाने से वुज़ू करना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है, इस में क्या हिक्मत है? अल्लाह और उस का रसूल बेहतर जानें, हमारा काम तो हुक्म पर अ़मल करना है।

बाब {कच्चे माँस को हाथ लगाने से वुज़ू या हाथ धोने का मस्अला।}

185:— अबू सअ़ीद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक गुलाम के पास से गुज़रे, वह एक बक्री की खाल उतार रहा था। आप ने उस से फ़रमाया: एक तरफ़ हो जाओ मैं तुम्हें दिखाऊँ (कि खाल कैसे उतारी जाती है) चुनान्चे आप ने अपना हाथ खाल और माँस के दर्मियान दाख़िल कर दिया और उसे धँसाया यहाँ तक कि बग़ल तक छुप गया, फिर आप तशरीफ़ ले गये और लोगों को नमाज़ पढ़ाई और वुज़ू नहीं फ़रमाया। अ़म्र बिन उस्मान ने अपनी रिवायत में इतना और इज़ाफ़ा किया है कि "पानी को नहीं छुवा"।

फ़ाइदा:— चर्बी की चिकनाहट, माँस की महक और खून लगने से वुज़ू में कोई फ़र्क़ नहीं आता।

बाब {.................}

186:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक मतबा बाज़ार से गुज़रे, आप मदीना के ऊपरी हिस्सा की तरफ़ से तशरीफ़ लाये थे और कुछ दूसरे लोग भी दायें-बाँये आप के साथ थे, आप बकरी के एक छोटे कान वाले मुर्दा बच्चे के पास से गुज़रे तो उस का कान पकड़ कर फ़रमाया: तुम में से किस को जी चाहता है कि इस बच्चे को ले ले...... और रावी ने हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— यह हदीस मुस्लिम में भी तफ़सील से आयी है (हदीस न॰ 2957) मालूम हुआ कि मुर्दार को छूने से वुज़ू नहीं टूटता।

बाब {आग पर पकी चीज़ के इस्तेमाल से वुज़ू न करने का बयान।}

187:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (एक बार) बकरी का मॉस खाया और वह शाने का मॉस था, फिर नमाज़ पढ़ी और वुज़ू नहीं किया।

फ़ाइदा:— आरंभ में वुज़ू करेन का हुक्म था लेकिन बाद में मन्सूख़ हो गया। जिन लोगों को मन्सूख़ होने की जानकारी नहीं हुयी वह वुज़ू करने के क़ाइल रहे।

188:— मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का मेहमान हुआ, आप ने (बकरी के) पहलू के बारे में फ़रमाया तो वह भूना गया, फिर आप ने छुरी ली और उस से मेरे लिये काटने लगे (इसी बीच) बलाल रज़ि॰ आये और आप को नमाज़ की सूचना दी तो आप ने छुरी रख दी और फ़रमाया: उसे क्या हुआ है, मिट्टी में मिलें उस के हाथ, और फिर नमाज़ पढ़ने खड़े हो गये। अन्बारी ने मज़ीद बयान किया और कहा कि मेरी (मोग़ीरा की) मूछें लंबी थीं, तो आप ने मिस्वाक रख कर ऊपर से काट दिया और फ़रमाया: "मिस्वाक रख कर काट देता हूँ।"

189:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दस्त का मॉस खाया फिर अपने हाथ को बिछी हुयी दरी (या टाट) से साफ़ किया और नमाज़ के लिये खड़े हो गये।

190:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दस्त का मॉस दाँतों से नोच कर खाया, फिर नमाज़ पढ़ी और वुज़ू नहीं किया।

191:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में रोटी और मॉस पेश किया तो आप ने उसे खाया, फिर पानी मँगवा कर वुज़ू किया और जुहर की नमाज़ पढ़ी, फिर बाक़ी बचा हुआ खाना मँगवाया और खाया, फिर नमाज़ के लिये खड़े हुये और (इस बार) वुज़ू नहीं किया।

192:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का अन्तिम अ़मल यह था कि आप ने आग पर पकी हुयी चीज़ों के इस्तेमाल से वुज़ू करना छोड़ दिया था।

193:— उबैद बिन सुमामा मुरादी ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ि॰ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से थे हमारे हाँ मिस्र में तशरीफ़ लाये, तो मैंने उन्हें वहाँ मस्जिद में बयान करते सुना वह कह रहे थे कि मुझे याद है कि मैं एक शख़्स के घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ मज्लिस में छठा या सात्वाँथा कि बिलाल रजि॰ आयेऔर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नमाज़ की सूचना दी तो हम निकले और एक शख़्स के पास से गुज़रे, उस की हाँडी आग पर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

पूछाः क्या तुम्हारी हाँडी तय्यार हो गयी? उस ने कहाः जी हाँ, मेरे माता-पिता आप पर कुर्बान। तो आपने उस से माँस की एक बोटी ली और खाते हुये चले गये, फिर नमाज़ के लिये तक्बीर तहरीमा कही और मैं आप को देख रहा था।

बाब {ऊपर के मस्अले में सख़्ती का बयान।}

194:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो चीज़ आग से पकी हो (उस के खाने से) वुज़ू लाज़िम आता है।

फ़ाइदाः— यह हुक्म पहले था, बाद में मन्सूख़ हो गया।

195:— अबू सुफ़यान बिन सअ़ीद बिन मुग़ीरा बयान करते हैं कि मैं (अपनी ख़ाला) उम्मे हबीबा रज़ि॰ के पास आया तो उन्होंने मुझे सत्तू का प्याला पिलाया, फिर मैंने पानी माँग कर कुल्ली की तो उम्मे हबीबा रज़ि॰ कहने लगीः ऐ भान्जे! वुज़ू नहीं करोगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तो फ़रमायाः "जिस चीज़ को आग ने बदल दिया हो उस से वुज़ू करो" या फ़रमाया "जिस चीज़ को आग पहुँची हो"

इमाम अबू दावूद ने बयान किया कि इमाम जुहरी की रिवायत में (भान्जे के स्थान पर) भतीजे का शब्द आया है।

196:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (एक बार) दूध पिया, फिर पानी माँगा और कुल्ली की फिर फ़रमायाः "इस में चिकनाई होती है।"

फ़ाइदाः— यहाँ कुल्ली करने का हुक्म है। नीचे की हदीस में कुल्ली करने की भी छूट है।

197:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि (एक बार) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दूध पिया मगर (उस के बाद) कुल्ली की और न वुज़ू किया और वैसे ही नमाज़ पढ़ ली। ज़ैद बिन हुबाब कहते हैं कि शोबा ने मुझे उस शैख़ (मोतीअ़ बिन रशीद) की रहनुमाई की थी। (कि उन से हदीस हासिल करूँ)

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कुल्ली कर लेना बेहतर है और न भी करे तो भी कोई हरज नहीं।

बाब {ख़ून निकलने से वुज़ू का मस्अला।}

198:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ सेरिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ निकले......यानी रिक़ाअ़ की लड़ाई में.....तो किसी मुसलमान ने मुश्रिकों में से किसी की पत्नी की हत्या कर दी तो उस ने क़सम खाई कि मैं मुहम्मद के सहाबा के दर्मियान खून बहा कर रहूँगा, चुनान्चे वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के क़दमों के निशान देख कर चलने लगा। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक स्थान पर डेरा डाल दिया और फ़रमायाः कौन हमारा पहरा देगा? तो इस काम के लिये एक मुहाजिर और एक अन्सारी तय्यार हो गये। आप ने उन से फ़रमायाः तुम दोनों इस घाटी के दहाने पर खड़े रहो। जब वह दोनों उस दहाने की तरफ़ निकले (तो उन्होंने तै किया कि बारी-बारी पहरा देंगे) चुनान्चे मुहाजिर लेट गये और

अन्सारी खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे (और पहरा भी देने लगे) इधर वह मुश्रिक भी आ गया, जब उस ने उन्हें देखा तो समझ गया कि यह क़ौम का पहरेदार है, चुनान्चे उस ने एक तीर मारा और उस के अन्दर तोल दिया। अन्सारी ने उस तीर को अपने शरीर से निकाल दिया (और नमाज़ पढ़ते रहे) यहाँ तक कि उस मुश्रिक ने तीन नेज़े मारे। फिर उन्होंने रुकूअ़ और सज्दा किया। इधर उन के मुहाजिर साथी भी जाग गये। उस मुश्रिक को जब महसूस हुआ कि उन लोगों ने मुझे पहचान लिया है तो भाग निकला। मुहाजिर ने जब अन्सारी को देखा कि वह खून से लतपत है तो उस ने सुब्हानल्लाह कहा और कहा कि मुझे तुम ने जगाया क्यों नहीं? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं एक ऐसी सूरः नमाज़ में पढ़ रहा था कि मेरे दिल ने न चाहा कि उसे अधूरी छोड़ दूँ।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि घाव से खून बहे तो उस से वुज़ू नहीं टूटता और न नमाज़ फ़ासिद (ख़राब) होती है। मुजाहिद "सूरः कहफ़" पढ़ रहे थे।

बाब {नींद से वुज़ू का बयान।}

199:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किसी काम में लग गये तो इशा की नमाज़ में देरी कर दी यहाँ तक कि हम लोग मस्जिद में सो गये, फिर जागे और सो गये, फिर जागे और सो गये, फिर जागे और सो गये। फिर आप तशरीफ़ लाये और फ़रमायाः तुम्हारे अ़लावा और कोई नमाज़ का इन्तिज़ार नहीं कर रहा था।

फ़ाइदा:— केवल नींद से वुज़ू नहीं टूटता मगर यह कि लेट कर हो, या किसी ऐसे सहारे से हो कि जिस्म ढीला पड़ जायें। सहाबा का यह सोना बैठे-बैठे था, न कि लेट कर।

200:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा इशा की नमाज़ का इन्तिज़ार करते रहते थे यहाँ तक कि उन के सर (नींद की वजह से) झुक-झुक जाते थे, फिर वह नमाज़ पढ़ लेते और (नया) वुज़ू न करते थे।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि शोबा की क़तादा की रिवायत में इतना इज़ाफ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में हमारे सर (नींद की वजह से) झुक जाया करते थे।

201:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि इशा की नमाज़ के लिये तक्बीर कही जा चुकी थी कि इतने में एक शख़्स खड़ा होकर कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे आप से काम है, चुनान्चे वह आप से चुपके-चुपके बातें करने लगा यहाँ तक कि क़ौम को या उन में से कुछ ऊंघने लगे। इस के बाद आप ने नमाज़ पढ़ाई और (अनस रज़ि॰ ने) वुज़ू करने का ज़िक्र नहीं किया।

202:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सज्दा करते और (कभी उस में) सोजाते और ख़र्राटे लेने लगते, फिर खड़े होते और नमाज़ पढ़ने लगते और वुज़ू न करते। मैंने (एक बार) कहा कि आप ने नमाज़ तो पढ़ ली लेकिन वुज़ू नहीं किया हालाँकि आप सो गये थे। इस पर आप नेफ़रमायाः वुज़ू उस पर है जो लेट कर सोए। उस्मान और हन्नाद ने

इतना इज़ाफ़ा किया है कि "इन्सान जब लेट जाता है तो उस के जोड़ ढीले पड़ जाते हैं।

फ़ाइदा:— इस हदीस की सनद ज़ओफ़ है लेकिन दीस का मफ़हूम सहीह है कि जो लेट कर सोए उसी पर वुज़ू है।

203:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आँखें शर्मगाह का तस्मा (ढक्कन) हैं, तो जो सो जाये वह वुज़ू करे।

फ़ाइदा:— हदीस ज़ओफ़ है, लेकिन दूसरी सहीह हदीसों से इस की ताईद होती है।

बाब {अगर कोई रौंद कर आये तो क्या हुक्म है?

204:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि हम गन्दगी पर चल कर आते थे और वुज़ू न करते थे और न (नमाज़ में) अपने बालों या कपड़ों को समेटते थे।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है, लेकिन अ़ल्लामा अल्बानी सहीह कहते हैं। बहरहाल इस हदीस में बयान की गयी बातें दूसरी सहीह हदीसों से साबित है।

बाब {जो शख़्स नमाज़ के दौरान में बेवुज़ू हो जाये।}

205:— अ़ली बिन तलक़ रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नमाज़ के दौरान जो कोई फुसकी मारे (यानी बिन आवाज़ के हवा ख़ारिज करे) तो चाहिये कि वह (नमाज़ छोड़ कर) चला जाये, वुज़ू करेऔर नमाज़ दोहराए।

बाब {मज़ी का बयान।}

206:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मुझे बहुत अधिक मज़ी आती थी, तो मैंने (इस से) स्नान करना शुरु कर दिया जिस की वजह से मेरी कमर (की खाल पानी लगने की वजह से) फटने लगी, तो मैंने यह मस्अला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने पेश किया, या आप को बताया गया तो आप ने फ़रमायाः जब तुम मज़ी को देखो तो स्नान न करो, बल्कि केवल अपनी शर्मगाह को धो लो और नमाज़ वाला वुज़ू कर लिया करो। लेकिन अगर तुम ज़ोर से पानी निकालो (यानी मनी निकले) तो स्नान करो।

207:— मिक़दाद बिन अस्वद रज़ि॰ कहते हैं कि अ़ली रज़ि॰ ने मुझ से कहा कि आप जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह मस्अला मालूम कर लीजिये कि एक आदमी अपनी पत्नी के क़रीब होता है उस से मज़ी निकलती है, तो इस सूरत में उस पर क्या लाज़िम है? (वुज़ू या स्नान) चूँकि मेरे घर में आप की पुत्री (फ़ातिमा) हैं इसलिये मैं आप से पूछने में शर्म महसूस करता हूँ। मिक़दाद रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो आप ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई ऐसा महसूस करे तो अपनी शर्मगाह को धो ले और नमाज़ वाला वुज़ू करे।

208:— अ़ली रज़ि॰ ने मिक़दाद से कहा और ऊपर की हदीस की तरह ज़िक्र किया। कहते हैं कि

मिक़दाद रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा तो आप ने फ़रमायाः वह अपने ज़कर और फ़ोतों को धो डालें।

209:— अ़ली रज़ि॰ अबू तालिब रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने मिक़दाद रज़ि॰ से कहा.....फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

फ़ाइदा:— हदीस न॰ 208, 209 ज़ओ़फ़ हैं। इसलिये दोनों फ़ोतों का धोना ज़रुरी नहीं, केवल ज़कर का धो लेना ही काफ़ी है। जब उछल कर मनी निकले तो इस से स्नान वाजिब होता है, मगर मज़ी वदी और जिरयान आदि से केवल वुज़ू लाज़िम आता है।

210:— सहल बिन हनीफ़ रज़ि॰ ने बयान किया कि मुझे बहुत अधिक मज़ी आती थी, इस कारण नहाना भी अहुत अधिक पड़ता था इसलिये मैं ने इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा तो आप ने फ़रमायाः इस के लिये तुम्हें वुज़ू ही काफ़ी है। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! और जो कपड़े में लग जाये? आप ने फ़रमायाः जहाँ तुम्हें लगने का अन्दाज़ा हो वहाँ पानी का एक चुल्लू लेकर छिड़क लिया कर, यही काफ़ी है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि मज़ी के निकलने से वुज़ू टूट जाता है, लेकिन कपड़े का धोना ज़रुरी नहीं, केवल उस स्थान पर छींटे मार लेना ही काफ़ी है।

211:— अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़द अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः स्नान किस चीज़ से लाज़िम आता है? और वह पानी के बाद निकलता है? (यानी पेशाब के बाद जो पानी (वदी) निकलता है उस का क्या हुक्म है) आप ने फ़रमायाः यह मज़ी होती है और हर नर को यह निकलती है, तो इस से अपनी शर्मगाह और दोनों फ़ोतों को धो लिया करोऔर वुज़ू कर लिया करो जैसे कि नमाज़ के लिये किया जाता है।

212:— हराम बिन हकीम अपने चचा (अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़द रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा था कि मेरी पत्नी जब हैज़ की हालत में हो तो उस हालत में मेरे लिये उस का क्या कुछ हलाल है? आप ने फ़रमायाः तहबन्द से ऊपर ऊपर। फिर उन्होंने हैज़ वाली महिला के साथ मिल कर खाने-पीने के बारे में पूछा..... और हदीस बयान की।

213:— मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से प्रश्न किया कि हैज़ के दिनों में मर्द के लिये अपनी पत्नी का क्या कुछ हलाल है? आप ने फ़रमायाः तहबन्द से ऊपर ऊपर (हलाल है) ताहम इस से बचना अफ़ज़ल है।

फ़ाइदा:— हैज़ की हालत में एक साथ उठ-बैठ सकते हैं, खा-पी सकते हैं और बोसा आदि ले सकते हैं, हाँ संभोग नहीं कर सकते हैं। यह हदीस ज़ओ़फ़ है। इसलिये इस के अन्तिम टुकड़े पर अ़मल नहीं होगा।

बाब {संभोग करते समय मनी न निकले और ठन्ड़े पड़ जायें.......?}

214:— उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ ने उन्हें (यानी सहल बिन सअ़द को) बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने शुरु इस्लाम में इस की इजाज़त थी (कि मनी न निकले तो स्नाम न करे) क्योंकि लोगों के पास कपड़े कम होते थे। मगर बाद में स्नान करने का हुक्म दे दिया गया और (रुख़्सत पर अ़मल करने से) मना कर दिया गया। इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस्लाम के पहले हुक्म से मुराद "पानी से पानी लाज़िम आता है"

215:— उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ ने बयान किया वह फ़तवा कि "पानी, पानी से लाज़िम आता है" लोग दिया करते थे, यह एक छूट थी कि जिस की इजाज़त इस्लाम के शुरु में थी, लेकिन इस के बाद स्नान करने का हुक्म दे दिया।

फ़ाइदा:— "पानी, पानी से लाज़िम आता है" यानी स्नान मनी का पानी निकलने से लाज़िम आता है।

216:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पति जब अपनी पत्नी की चारों शाख़ों के दर्मियान बैठे और अपनी शर्मगाह को उस की शर्मगाह से मिला दे तो स्नान वाजिब हो गया।

217:— अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "पानी, पानी से है" और अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान इसी पर अ़मल करते थे (यानी मनी निकलने पर स्नान करते थे)

फ़ाइदा:— शुरु में यह हुक्म था कि अगर पत्नी से संभोग किया लेकिन मनी नहीं निकली तो स्नान न करे, लेकिन इस हदीस को इस हदीस ने मन्सूख़ कर दिया जिसमें है कि दोनों की शर्मगाह मिल जाने से ही स्नान वाजिब हो जाता है। यह रिवायतें बुख़ारी और मुस्लिम में भी आ चुकी है।

बाब **{जुनुबी (अगर स्नान करने से पहले) अपनी पत्नी के पास दोबारा आये तो.........?}**

218:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी तमाम बीवियों के पास आये और (अन्त में) एक ही गुस्ल किया।

फ़ाइदा:— स्नान करना कोई ज़रुरी नहीं है। हाँ, हर बार वुज़ू करने का हुक्म है जैसा कि नीचे हदीस आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को तीस मर्दों की ताक़त दी गयी थी (बुख़ारी 268)

बाब **{जो दो बार संभोग करना चाहे वह पहले वुज़ू करे।}**

219:— अबू राफ़े रज़ि॰ ने बयान किया कि (एक बार) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी बीवियों के पास आये और हर एक के घर स्नान किया। अबू राफ़े कहते हैं कि मैं ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप (आख़िर में) एक ही स्नान कर लेते? आप ने फ़रमायाः यह ज़्यादा पाकीज़ा, अच्छा और पाकी का कारण है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अनस रज़ि॰ की हदीस (जो ऊपर बयान हुयी) इस से ज़्यादा

सहीह है।

220:— अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से जो कोई अपनी पत्नी के पास आये, फिर दोबारा उस के पास आना चाहे (संभोग करना चाहे) तो उन दोनों के दर्मियान वुज़ू कर ले।

फ़ाइदा:— यह मुस्तहब है कोई वाजिब नहीं, इसलिये ऊपर अन्त में स्नान करने की भी हदीस है।

बाब {जुनुबी अगर सोना चाहे तो....?}

221:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ज़िक्र किया कि मुझे रात को एहतलाम हो जाता है (नहाने की ज़रुरत पड़ जाती है) आप ने फ़रमायाः वुज़ू कर डालो, अपनी शर्मगाह धो लो और फिर सो जाओ।

फ़ाइदा:— कुछ उलमा वुज़ू करने और शर्मगाह धोने को वाजिब बताते हैं और कुछ मुस्तहब। लेकिन इस अ़मल से ग़फ़लत नहीं करना चाहिये इस में बड़े फ़ाइदे है।

222:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर जब स्नान लाज़िम हो जाता और आप सोना चाहते तो वुज़ू कर लेते, नमाज़ वाला वुज़ू।

223:— मुहम्मद बिन सबाह की सनद से भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत है लेकिन इस में और इज़ाफ़ा है कि जब आप जनाबत की हालत में होते और कुछ खाना चाहते तो अपने हाथ धो लेते।

फ़ाइदा:— नसई की रिवायत में खाने के साथ पीने का भी ज़िक्र है (हदीस न॰ 258) मालूम हुआ कि जुनुबी को हाथ धो लेना चाहिये, लेकिन अगर साफ़ है तो धोना कोई ज़रुरी नहीं, फिर भी सुन्नत तो है ही।

बाब {जो कहता है कि जुनुबी वुज़ू करे।}

224:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अगर जनाबत की हालत में होते और कुछ खाना या सोना चाहते तो वुज़ू कर लिया करतेथे।

225:— अ़मार बिन यासिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुनुबी आदमी के लिये हिदायत दी है कि जब कुछ खाना-पीना चाहे, या सोना चाहे तो वुज़ू कर लिया करे।

बाब {जुनुबी, स्नान बाद में भी कर सकता है।}

226:— ग़ुज़ैफ़ बिन हारिस ने बयान किया कि मैं नेआ़इशा रज़ि॰ से पूछा आप बतायें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जनाबत का स्नान रात के शुरु हिस्से में कर लेते थे या रात के अन्तिम पहर में? उन्होंने उत्तर दिया कि कभी तो रात के शुरु के हिंस्से में कर लेतेथे और कभी रात के अन्तिम पहर में। मैंने कहाः अल्लाहु अक्बर! उस अल्लाह की प्रशंसा करनी चाहिये जिस

ने इस मामले में कुशादगी अता की। मैंने पूछाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के शुरु के हिस्से ही में वित्र पढ़ लिया करते थे, या आख़िर में? उन्होंने कहाः कभी शुरु के हिस्से में और कभी आख़िर में पढ़ते थे। मैंने कहाः अल्लाहु अक्बर! उस अल्लाह की प्रशंसा है जिस ने इस मामले में कुशादगी बख़्शी। मैंने फिर पूछाः यह बतायें कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँची आवाज़ से कुरआन पढ़ते थे, या ख़ामोशी से? उन्होंने बताया कि कभी तो ऊँची आवाज़ से पढ़ते थे और कभी धीमी आवाज़ से। मैंने कहाः अल्लाहु अक्बर! उस अल्लाह की प्रशंसा (तारीफ़) है जिस ने इस मामले में कुशादगी बख़्शी।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जनाबत के स्नान को ताख़ीर से भी किया जा सकता है, इस की गुंजाइश है, लेकिन वुज़ू कर के सोए।

227:— अली बिन अबू तालिब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस घर में चित्र (जानदार के) कुत्ता और जुनुबी मौजूद हों उस घर में फ़रिश्ते नहीं दाख़िल होते।

फ़ाइदा:— यानी रहमत के फ़रिश्ते। जुनुबी अगर लापर्वाही करे, जानबूझ कर नहाने में देर करे और नमाज़ न पढ़े तो यहाँ ऐसा जुनुबी मुराद है।

228:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सो जाया करते थे, और पानी को हाथ तक नहीं लगाते थे।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ईफ़ है। अल्लामा अल्बानी ने सहीह कहा है। अर्थ यह है कि जो चाहे संभोग के बाद नमाज़ वाला वुज़ू कर ले और सो जाये, जो चाहे केवल शर्मगाह और हाथ धो ले, जो चाहे वैसे ही सो रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों तरीक़ों पर अमल कर के बता दिया है कि इन्सान जैसा मौक़ा हो अमल कर ले।

बाब {जुनुबी का कुरआन पढ़ना कैसा है?}

229:— अब्दुल्लाह बिन सलमा कहते हैं कि मैं और मेरे दो और साथी अली रज़ि॰ के पास आये। उन दोनों में का एक तो मेरे खान्दान का था, और दूसरा मेरे ख़्याल से क़बीला बनी असद से था। उन दोनों को अली रज़ि॰ ने एक तरफ़ भेजा और कहा कि तुम दोनों ताक़तवर हो इसलिये अपने दीन (का फ़र्ज़ अदा करने) में खूब हिम्मत दिखाना। फिर खड़े हुये और शौचालय में चले गये, फिर निकले और पानी मँगवाया, उस से एक चुल्लू लिया और उस से (अपना हाथ मुँह) धोया और कुरआन पढ़ने लग गये। मौजूद लोगों ने इस पर एतराज़ किया तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौचालय से निकलते और हमें कुरआन पढ़ाते थे, और हमारे साथ माँस खाते थे और आप के लिये कोई चीज़ कुरआन पढ़ने में रुकावट नहीं बनती थी, मगर यह कि जुनुबी हों।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है। और वह तमाम रिवायतें भी ज़ईफ़ हैं जिन में जनाबत की

हालत में कुरआन पढ़ने से रोका गया है। इमाम बुख़ारी, इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम और इमाम इब्ने हज़्मआदि के निकट कुरआन पढ़ना जाइज़ है (नैलुल् औतार)

बाब {जुनुबी का मुसाफ़हा करना।}

230:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन से मिले और (मुसाफ़हा के लिये) उन की तरफ़ अपना हाथ बढ़ाया तो उन्हेंने कहा कि मैं जुनुबी हूँ। आप ने फ़रमायाः मुसलमान नापाक (पलीद) नहीं होता।"

231:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ से मदीना के एक रास्ता में मिले उस समय मैं जनाबत की हालत में था। इसलिये मैं वहाँ से खिसक गया और जा कर स्नान किया, फिर वापस आया। आप ने पूछाः अबू हुरैरा! तुम कहाँ थे? मैंने कहाः मैं जनाबत से था, इसलिये मैंने मुनासिब न जाना कि पाकी के बिना आप की मज्लिस में बैंठू। आप ने फ़रमायाः "सुब्हानल्लाह! मुसलमान नाजिस (नापाक) नहीं होता।"

फ़ाइदा:— जुनुबी से मुसाफ़हा करना, उसे छूना, उस का पसीना और थूक सब पाक है। इसीलिये आप ने फ़रमायाः मुसलमान नजिस (नापाक) नहीं होता है, उस का नापाक होना हुक्मी है। इस से भी मालूम हुआ कि जनाबत का स्नान लेट कर के भी किया जा सकता है, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ि॰ लेट कर रहे थे। अल्बत्ता जो शख़्स कुछ लेट करना चाहता है वह वुजू कर ले।

बाब {जुनुबी का मस्जिद में दाख़िल होना।}

232:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये तो (देखा कि) कुछ सहाबा केघरों के दर्वाज़े मस्जिद की तरफ़ खुलते हैंतो आप ने फ़रमायाः उन घरों (के दर्वाजे) को मस्जिद के रुख़ से फेर दो। आप दोबारा तशरीफ़ लाये और उन लोगों ने कोई तब्दीली न की, इस कारण कि शायद कोई छूट की आयत नाज़िल हो जाये, लेकिन आप उन के पास गये और फ़रमायाः इन घरों का रुख़ मस्जिद की तरफ़ से फेर लो, बेशक मैं मस्जिद को माहवारी वाली महिला और जुनुबी के लिये हलाल नहीं करता।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है। कुरआन पाक में है कि "जुनुबी मस्जिद में से रास्ता पार कर के गुज़र सकता है, अल्बत्ता ठहर नहीं सकता। और यही हुक्म हैज़ और निफ़ास वाली महिला का भी है। देखें सूरः निसा आयत 43।

बाब {जुनुबी आदमी लोगों को भूले से नमाज़ पढ़ा दे तो?}

√***233:***— अबू बक्रा रज़ि॰ बयान करते हैं कि (एक दिन) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज़ में दाख़िल हुये, फिर अपने हाथ से इशारा किया कि अपने-अपने स्थान पर ठहरे रहो। फिर आप तशरीफ़ लाये तो (इस हाल में थे कि) आप के सर से पानी की बूँदें टपक रही थीं, फिर आप ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई।

234:— हम्माद बिन सलमा ने भी ऊपर ही की सनद से लगभग वैसी ही हदीस नक़ल की, लेकिन

इन की रिवायत के आरंभ में है कि आप ने तक्बीर भी कह दी थी और अन्त में है कि जब नमाज़ पूरी की तो फ़रमायाः मैं भी एक इन्सान ही हूँ और मैं जनाबत से था।

फ़ाइदाः— यह घटना दो प्रकार से रिवायत है (1) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आये और तक्बीर कह कर नमाज़ में दाख़िल हो गये, फिर फ़रमायाः ठहरे रहो.....(2) आप ने तक्बीर कहने से पहले ही इशारा किया कि अपने स्थान पर ठेहरे रहो.....यह रिवायत बुख़ारी (275) और मुस्लिम (605) में भी है।

235:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नमाज़ के लिये इक़ामत कही गयी और लोगों ने सफ़ें बना लीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और अपने (इमामत के) स्थान पर खड़े हो गये तो आप को याद आया कि आप ने स्नान नहीं किया है, तो लोगों से फ़रमायाः अपनी-अपनी जगह पर ठेहरे रहो। फिर आप अपने घर गये, फिर हमारे पास वापस आये तो आप के सर से पानी टपक रहा था और आप ने स्नान किया था (और उतनी देर तक) हम लोग सफ़ में खड़े रहे। यह इब्ने हर्ब के शब्द हैं, जबकि अ़याश के शब्द यह हैं कि "हम बराबर खड़े रहे आप का इन्तिज़ार करते रहे, यहाँ तक कि आप तशरीफ़ लाये और स्नान कर के आयें।

फ़ाइदाः— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी शरीअ़त के अहकाम के उसी प्रकार पाबन्द थे जैसे उम्मत के और दीगर लोग। मालूम हुआ कि इक़ामत और तक्बीर में किसी वजह से फ़ासला हो जाये तो दोबारा कहने की ज़रुरत नहीं।

बाब **{नींद से बेदारी पर इन्सान अपने जिस्म या कपड़ों पर नमी महसूस करे तो?}**

236:— आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया कि इन्सान (अपने शरीर या कपड़ों पर) नमी महसूस करे मगर उसे एहतलाम (या सपना) याद नहीं है तो? आप ने फ़रमायाः स्नान करे। और उस शख़्स के बारे में भी पूछा गया जो समझता है कि उसे एहतलाम हुआ मगर (शरीर या कपड़ों पर) कोई नमी नहीं पाता? आप ने फ़रमायाः उस पर स्नान नहीं। यह सुन कर उम्मे सुलैम ने कहाः अगर महिला भी इसी प्रकार देखे तो क्या उस पर भी स्नान है? आप ने फ़रमायाः हाँ, महिलायें भी तो मर्दों ही की तरह हैं (इस मामले में)

फ़ाइदाः— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। लेकिन दूसरी सहीह हदीसों से ताईद होती है। देखें मुस्लिम-313, तिर्मिज़ी-113, इब्ने माजा-612।

बाब **{महिला सपने में वह कुछ देखती है जो मर्द देखता है।}**

237:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि उम्मे सुलैम अन्सारी-अनस रज़ि॰ की माता जी.... ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! अल्लाह पाक हक़ बात से नहीं शर्मता। यह बताइये कि जब महिला सपने में वह कुछ देखे जो मर्द देखता है, तो क्या वह स्नान करे या न करे? आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वह स्नान करे जब वह पानी (निकलने) का असर महसूस करे। आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं उन की तरफ़ मुतवज्जह हुयी और कहाः अरे भला महिला भी कोई ऐसे देखती हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम मेरी तरफ़ मुतवज्जह हुये और फ़रमायाः तुम्हारा भला हो (बच्चे में) मुशाबहत कहाँ से आती है?

बाब **{पानी की मात्रा, जो स्नान के लिये काफ़ी हो सकती है।}**

238:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक बर्तन "फ़र्क़" से जनाबत का स्नान फ़रमा लिया करते थे।

अबू दावूद नेकहा कि मामर ने ज़हरी के वास्ता से आइशा रज़ि॰ से रिवायत किया है कि उन्होंने कहाः मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक ही बर्तन से स्नान कर लिया करते थे जिस में एक फ़र्क़ के बराबर पानी आता था।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से सुना वह कह रहे थे कि "फ़र्क़" (एक बर्तन है) उस में सौलह रत्ल पानी आता है और एक साअ़ा में पाँच रत्ल और तिहाई की मात्रा में पानी आता है। कहा गया कि कुछ लोग साआ को आठ रत्ल के बरबर बताते हैं? उन्होंने कहा कि उन का क़ौल सहीह नहीं है।

कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद को कहते सुना कि जो शख़्स हमारे इस रत्ल के अनुसार पाँच रत्ल और एक तिहाई रत्ल (एक साअ़ा) सदक़ए फ़ित्र अ़दा कर दे उस ने पूरा फ़ित्रा अ़दा कर दिया। कहा गया कि (मदीना की) सैहानी खजूर भारी होती है, कहा कि सैहानी अच्छी खजूर है? मैं नहीं जानता।

फ़ाइदा:— 'फ़र्क़' ताँबे का एक बर्तन होता था जिस में चीज़ें भर कर नापी जाती थीं। रत्ल के हिसाब से उस का वज़न 16 रत्ल बनता था। सहीह मुस्लिम में उस का वज़न तीन साअ़ा कहा गया है। अंग्रेज़ी हिसाब से नौ लीटर छः मिली लीटर पानी आता है। उतने पानी में कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अकेले और कभी आइशा और आप दोनों स्नान कर लेते थे। ऊपर जो पानी की मात्रा बताई गयी है वह कोई अन्तिम नहीं है। अगर पानी की कमी नहीं है तो और अधिक भी प्रयोग कर सकते हैं। मगर फुज़ूल ख़र्ची से बचना चाहिये।

बाब **{जनाबत के स्नान का बयान।}**

239:— जुबैर ने स्नान का ज़िक्र किया तो कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने जनाबत के स्नान का ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमायाः मगर मैं तो अपने सर पर पानी केतीन लप डालता हूँ, और साथ ही आप नेअपने दोनों हाथों से इशारा फ़रमाया।

240:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जनाबत का स्नान करना होता तो दूध के डोल की तरह का बर्तन मँगवाते, फिर अपने दोनों हाथों से पानी लेते और अपने सर के दायें तरफ़ से आरंभ करते, फिर बाँये तरफ़, फिर अपने दोनों हाथों से पानी लेते और अपने सर पर डालते थे।

फ़ाइदा:— "दूध का बर्तन" इस में आठ रत्ल यानी डेढ़ साअ़ा पानी आता था।

241:— नोमैअ बिन उमैर जो कि बनी तैमिल्लाह बिन सालबा से सबंध रखते हैं। उन्होंने बयान किया कि मैं अपनी माता जी और ख़ाला के साथ आइशा रज़ि॰ के यहाँ आया हुआ था। उन दोनों में से किसी एक ने उन से पूछा कि आप लोग स्नान किस प्रकार करते थे? आइशा रज़ि॰ ने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (पहले) नमाज़ के वुज़ू की तरह का वुज़ू करते, फिर अपने सर पर तीन बार पानी डालते थे, मगर हम अपनी चोटियों की वजह से पाँच बार डालती थीं।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है। महिला भी मर्द की तरह तीन बार ही पानी डाले जैसा कि आगे हदीस न॰ 251 में बयान आ रहा है।

242:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत का स्नान करते .....सुलैमान की रिवायत में हैं कि .... जनाबत के स्नान का आरंभ करते तो अपने दायें हाथ से बायें पर पानी डालते। मुसद्दद की रिवायत में है कि अपने दोनों हाथ धोते, बर्तन को अपने दायें हाथ पर औंधा करते। फिर इस के बाद दोनों शैख़ रिवायत करने में मुत्तफ़िक़ हैं कि फिर शर्मगाह धोते और मुसद्दद के क़ौल के अनुसार अपने बायें हाथ पर पानी डालते और अक्सर आम तौर पर वह (आइशा) शर्मगाह का ज़िक्र कनाया से करतीं ....फिर आप नमाज़ के लिये वुज़ू की तरह वुज़ू करते, फिर अपने हाथ पानी में डालते और अपने बालों का ख़िलाल करते, जब समझते कि चमड़ी भीग गयी है या साफ़ हो गयी है तो अपने सर पर तीन बार पानी डालते (और स्नान के अन्त में) अगर कुछ पानी बचा रहता तो अपने जिस्म पर डाल लेते।

243:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत के स्नान का इरादा करते तो अपने हाथों से शुरु करते, उन्हें धोते, फिर अपनी शर्मगाह के आस-पास धोते (यानी शर्मगाह, चड्ढी, रान और घुटनों के ऊपर वाला हिस्सा धोते) और उस पर पानी बहाते, फर जब (शर्मगाह की सफ़ाई के बाद) अपने हाथों को साफ़ कर लेते तो (मज़ीद पाकी के लिये) उन हाथों को दीवार पर मारते, (यानी मिट्टी से मलते) फिर वुज़ू शुरु करते और अपने सर पर पानी डालते।

फ़ाइदा:— हदीस ज़ओफ़ है, लेकिन इस के कुछ हिस्सों की दूसरी सहीह हदीसों से ताईद होती है।

244:— आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि अगर चाहो तो मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवार पर हाथ मारने के निशान दिखा सकती हूँ जहाँ कि आप जनाबत का स्नान किया करते थे। (यह हदीस ज़ओफ़ है)

245:— मैमूना रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये स्नान का पानी रखा, आप जनाबत का स्नान करना चाहते थे, आप ने बर्तन को अपने दायें हाथ पर औंधा किया और उसे दो या तीन बार धोया, फिर अपनी शर्मगाह पर पानी

डाला और बायें हाथ से उसे धोया। फिर अपना हाथ ज़मीन पर मारा और उसे धोया। फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला। अपना चेहरा और हाथ धोया, फिर अपने सर और शरीर पर पानी डाला, फिर आप एक तरफ़ हो गये और अपना पाँव धोया। फिर मैंने आप को रुमाल दिया मगर आप ने नहीं लिया और जिस्म से पानी झाड़ने लगे।

(आमश कहते हैं) मैंने यह बात इब्राहीम नख़ई से ज़िक्र की (कि स्नान के बाद जिस्म को पोंछा जाये या नहीं) तो उन्होंने ने कहाः सहाबा इस में कोई हरज नहीं समझते थे, लेकिन आ़दत बना लेने को बुरा जानते थे।

इमाम अबू दावूद ने कहाः मुसद्दद कहते हैं कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन दावूद से कहा कि सहाबा (स्नान के बाद कपड़े से शरीर से पानी पोछने को) आ़दत के तौर पर मक्रूह जानते थे? उन्होंने कहा कि ऐसे ही है, लेकिन मैं ने अपनी पुस्तक में इसे इस प्रकार पाया है।

246:— शोबा (यानी अबू अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार इब्ने अ़ब्बास के आज़ाद किये हुये गुलाम) बयान करते हैं कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ जब जनाबत का स्नान करते तो अपने दायें हाथ से बायें पर सात बार पानी डालते। फिर अपनी शर्मगाह धोते। एक दफ़ा वह भूल गये कि कितनी बार डाला है? तो मुझ से पूछने लगे कि मैंने कितनी बार डाला है? मैंने कहाः मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहाः तेरी माँ मरे, जानने से तुझे किसने रोका? फिर वुज़ू किया जैसे कि नमाज़ के लिये होता है, फिर अपने जिस्म पर पानी डालते और कहते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इसी प्रकार से पाकी हासिल किया करते थे।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। इब्ने अ़ब्बास रजि॰ का मौला (शोबा) ज़ओ़फ़ है।

247:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रजि॰ ने बयान किया कि (शुरु-शुरु में) नमाज़ें पचास और जनाबत का स्नान सात-सात बार था। इसी प्रकार वह कपड़ा जिसे पेशाब लग जाता उस का धोना भी सात बार था। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस बारे में (कम होने का) सवाल बराबर करते रहे, यहाँ तक कि नमाज़ों को पाँच और जनाबत के स्नान और पेशाब के लगे कपड़े का धोना एक बार कर दिया गया।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ओ़फ़ है। जनाबत का स्नान सात बार कभी नहीं था।

248:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर-हर बाल के नीचे जनाबत है, इसलिये अपने बालों को धोओ और जिस्म को खूब साफ़ करो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि हारिस बिन वजीह की हदीस मन्कर है और वह ज़ओ़फ़ है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है।

249:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने जनाबत में एक बाल की जगह भी छोड़ दी और उसे न धोया तो उस के साथ आग में ऐसे और ऐसे किया जायेगा (यानी आ़ज़ाब दिया जायेगा)

अ़ली रज़ि॰ ने फ़रमाया कि मैं इसी कारण सर का दुश्मन बन गया हूँ। आप अपने बाल

मुँडायें रखते थे।

बाब {स्नान के बाद वुजू करना।}

250:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब स्नान करते, दो रक्अतें अदा करते और फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते, लेकिन मैं नहीं समझती कि आप स्नान के बाद दोबारा वुजू करते थे।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओफ़ है। लेकिन दूसरी हदीस से इस की ताईद होती है। स्नान करने से पहले पाकी हासिल करते और वुजू करते हैं, इसलिये स्नान के बाद वुजू करने की ज़रुरत नहीं, शर्त यह है कि शर्मगाह को हाथ न लगा हो। यकदम नंगे हो जाने से वुजू नहीं टूटता।

बाब {क्या महिला स्नान में अपने सर के बाल खोले?}

251:— उम्मे सलमा रज़ि॰ बयान करती हैं कि मुसलमानों की एक औरत ने पूछा.........ज़ोहैर की रिवायत है कि.....स्वँय उम्मे सलमा रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने सर के बाल सख़्त कर के बाँधती हूँ, तो क्या जनाबत के स्नान में उन्हें खोलूँ? आप ने फ़रमायाः तुम्हारे लिये यही काफ़ी है कि तुम अपने सर पर दोनों हाथ भर के तीन बार पानी डाल लो। ज़ोहैर ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "तीन लप पानी अपने सर पर डाल लो" फिर इस के बाद बाक़ी शरीर पर पानी बहा लिया करो। इस प्रकार तुम पाक हो जाओगी।

फ़ाइदा:— महिला और मर्द के स्नान में कोई फ़र्क़ नहीं। हाँ, महिला को इजाज़त है कि जनाबत के स्नान में उन के सर के बाल बँधे हुये हों तो उन्हें न खोलें, वैसे ही ऊपर से तीन बार पानी डाल लें। मगर हैज़ के स्नान में पूरी तरह खोलना ज़रुरी है। (देखें इब्ने माजा-641)

252:— उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि एक महिला उन के पास आयी और यही मस्अला पूछा। वह कहती हैं कि मैंने उस की तरफ़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा...... और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया......इस रिवायत में है कि "हर लप पानी डालने के बाद अपने बालों की चोटियों को निचोड़ डाले।

253:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि हम में जब किसी को जनाबत के स्नान की ज़रुरत होती तो वह इस प्रकार यानी दोनों हथेलियाँ इकट्ठी कर के तीन लप पानी लिया करती और अपने सर पर डालती और दूसरा चुल्लू दूसरी तरफ़।

254:— आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि हम स्नान करतीं और हमारे सर पर लेप होता और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती थीं, एहराम में और ग़ैर एहराम में भी।

255:— शुरैह बिन उबैद कहते हैं कि मुझे जुबैर बिन नुफ़ैर ने जनाबत के स्नान के बारे में फ़तवा दिया और कहा कि सौबान रज़ि॰ ने उन को बयान किया कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो आप ने फ़रमायाः मर्द को अपने बाल पूरी तरह खोलने चाहिये और वह उन्हें अच्छी तरह धोये, यहाँ तक कि पानी बालों की जड़ों तक पहुँच जाये। लेकिन

महिला के लिये बालों का खोलना ज़रुरी नहीं है, उसे केवल अपने हाथों से तीन लप पानी डालना काफ़ी है।

फ़ाइदा:— हैज़ सेप ाक होकर जब स्नान करेगी तो उन में चोटियों को खोलना अनिवार्य है।

बाब {जुनुबी आदमी का स्नान करते समय ख़ितमी से सर धोना।}

256:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपना सर ख़ितमी से धो लिया करते थे जबकि आप जुनुबी होते और आप उसी को काफ़ी समझते और दूसरा पानी न बहाते।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। साबुन और शैम्पू वग़ैरह से सर धोने में पानी का प्रयोग ज़रुरी है तो ख़ितमी में भी पानी का प्रयोग होगा, पानी के बिना पाकी कैसे हासिल होगी।

बाब {वह पानी जो मर्द और महिला के दर्मियान बहे।}

257:— आइशा सिद्दिक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि जो पानी महिला और पुरुष के दर्मियान बहता है उस के बारे में उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पानी का एक चुल्लू लेते और मुझ पर पानी डालते (या पानी, मज़ी या मनी पर डालते) फिर दूसरा चुल्लू लेते और उस को अपने ऊपर डाल लेते (या और उस के ऊपर बहा देते)

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। महिला और पुरुष के इस्तेमाल के बाद जो पानी गिरता है वह पाक होता है, इसी प्रकार छींटें पड़ती हैं, वह पानी भी पाक होता है।

बाब {माहवारी आने वाली महिला के साथ खाना—पीना और उठना—बैठना।}

258:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि यहूदी अपनी महिलाओं को उन के हैज़ के दिनों में घरों से निकाल देते थे, उन के साथ खाते—पीते न थे और न ही उन के साथ रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया तो अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी: "लोग आप से हैज़ के बारे में पूछते हैं, आप उन से कह दीजिये कि यह गन्दगी है, हैज़ में पत्नियों से अलग रहो..........।" (सूर: बक़र:222)

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अपनी बीवियों से घरों के अन्दर एक साथ मिल—जुल कर रहो। और तुम सब कुछ कर सकते हो निकाह (संभोग) को छोड़ कर। (यहूदियों को यह मालूम हुआ) तो वो कहने लगे कि यह शख़्स तो हमारे तमाम ही कामों में हमारी मुख़ालिफ़त करता है। चुनान्चे उसैद बिन हुज़ैर और अ़ब्बाद बिन बिशर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! यहूदी तो ऐसे—ऐसे कहते हैं तो क्या हम हैज़ के दिनों में उन से संभोग भी न किया करें? यह सुन कर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया तो हमें यक़ीन हो गया कि आप उन के ऊपर नाराज़ हुये हैं, फिर वह दोनों चले गये (उन के जाते ही) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास कहीं से दूध का उपहार आ गया तोआप ने उन्हें बुला कर दूध पिलाया, इस प्रकार हमें इत्मिनान हुआ कि आप

गुस्सा नहीं हुये हैं।

259:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं (खाना खाते हुये) हड्डी पर से माँस नोचती और मैं हैज़ से होती, फिर उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते तो आप उसे लेकर उसी जगह अपना मुँह रखते, जहाँ से मैंने खाया होता। और मैं पानी पीती फिर आप को देती तो आप अपने होंट लगाते जहाँ से मैं ने पिया होता।

260:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मेरी गोद में रख देते और कुरआन पढ़ने लगते, हालाँकि मैं हैज़ की हालत में होती थी।

फ़ाइदा:— हैज़ या जनाबत की हालत में कोई मुसलमान हक़ीक़ी तौर पर नजिस और नापाक नहीं होता। उस का पसीना और थूक पाक होता है। उस को छूने से दूसरा नापाक नहीं होता। उस के साथ रहकर तिलावत कर सकता और दुआयें आदि पढ़ सकता है। इस में कोई हरज नहीं।

बाब {हैज़ वाली महिला मस्जिद से कोई चीज़ उठाये (तो जाइज़ है)}

261:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि मुझ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "मस्जिद में से चटाई मुझे थमा दो" मैंने कहाः मैं हैज़ से हूँ। आप ने फ़रमायाः तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं लगा है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि हैज़ वाली महिला या जुनुबी अगर हाथ लंबा कर के मस्जिद में से कोई चीज़ उठा ले, या रख दे जो जाइज़ है।

बाब {माहवारी के दिनों की छूटी नमाज़ की कज़ा नहीं है।}

262:— मआज़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि एक महिला ने आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से पूछाः क्या हैज़ वाली महिला (अपने हैज़ के दिनों की) नमाज़ों की क़ज़ा दे? उन्होंने कहाः क्या तुम हरुरी तो नहीं हो? हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हैज़ से होती थीं, लेकिन हम किसी नमाज़ की कज़ा नहीं देती थीं और न हमें इस का हुक्म ही दिया जाता था।

फ़ाइदा:— "हरुरी" उन को कहा जाता है जो "हरुरा" स्थान के रहने वाले थे। यह लोग अली रज़ि॰ के ख़िलाफ़ थे और हैज़ के दिनों की छूटी हुयी नमाज़ों की क़ज़ा को ज़रुरी मानते थे, इन के निकट महापाप करने वाला इस्लाम से ख़ारिज है। जो कुछ कुरआन से साबित है उसी पर अमल होगा, हदीस की कोई हैसियत नहीं।

263:— मआज़ा अदविय्या ने भी आइशा रज़ि॰ से यही हदीस रिवायत की है। इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस रिवायत में इतना और इज़ाफ़ा है कि "हमें रोज़े की क़ज़ा करने का हुक्म दिया जाता था, लेकिन नमाज़ों की क़ज़ा का नहीं।"

बाब {हैज़ वाली महिला से संभोग का मस्अला।}

264:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख़्स के बारे में जो

अपनी पत्नी से हैज़ की हालत में संभोग करता है मस्अला पूछा तो आप ने फ़रमाया कि वह एक दीनार या आधा दीनार सदक़ा करे।

फ़ाइदा:— हैज़ की हालत में अगर कोई संभोग करता है तो कफ़्फ़ारा देना चाहिये ताकि गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाये। उस समय का दीनार आज के हिसाब से सवा चार ग्राम से कुछ ऊपर वज़न का होता था।

265:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि अगर पति अपनी पत्नी से हैज़ के शुरु केदिनों में संभोग करे तो एक दीनार दे, और खून रुक जाने के दिनों में करे तो आधा दीनार दे।

266:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अगर कोई आदमी अपनी पत्नी के पास हैज़ की हालत में जाये तो वह आधा दीनार सदक़ा दे।

फ़ाइदा:— ऊपर की हदीस की दोनों रिवायतें ज़ओ़फ़ है। हदीस न॰ 264 सहीह है। जिस से मालूम होता है कि अगर ग़रीब है तो आधा दीनार और मालदार है तो एक दीनार सदक़ा करे। एक दीनार का वज़न कम व बेश 4 1/2 माशा होता है।

बाब {पति अपनी हैज़ वाली पत्नी से संभोग को छोड़ बाक़ी सब कुछ कर सकता है।}

267:— मैमूना रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी बीवियों में से किसी एक के साथ लेट जाया करते थे और वह हैज़ से होती थी, फिर उस पर आधी रानों तक या घुटनों तक कपड़ा होता वह उस कपड़े से अपने (नीचे के हिस्से) को ढाँपे होती थीं।

268:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम महिलाओं को हुक्म देते कि जब हम में से कोई हैज़ से हो तो अपनी चादर अच्छी तरह बाँध लिया करे, फिर पति (को इजाज़त है कि) उस के साथ लेट जाये।

269:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और मैं एक ही चादर में रात बिताते और मैं हैज़ से होती थी। अगर आप को मुझ से कुछ लग जाता तो अपनी जगह धो डालते, उस से आगे न बढ़ते और नमाज़ पढ़ लेते। और अगर कपड़े को कुछ लग जाता तो भी उतनी ही जगह धोते, उस से आगे न बढ़ते और उसी में नमाज़ पढ़ लेते।

270:— उम्मारा बिन गुराब से रिवायत है कि उन की फूफी ने उन्हें बताया कि मैं ने आइशा रज़ि॰ से पूछा: हम में से एक हैज़ की हालत में हो जाती है और उस के लिये और उस केपति के लिये केवल एक ही बिस्तर होता है। आइशा रज़ि॰ ने कहा: मैं आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की एक बार की एक बात बताती हूँ। आप (घर में) तशरीफ़ लाये और अपनी मस्जिद में चले गये....इमाम अबू दावूद ने कहा: इस से मुराद घर में नमाज़ पढ़ने की जगह है......फिर आप अभी नमाज़ से फ़ारिग़ नहीं हुये थे कि मेरी आँख बोझल हो गयी (नींद आ गयी) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सर्दी ने सताया तो मुझ से कहा कि मेरे क़रीब आ जाओ। मैंने

कहा कि मैं हैज़ से हूँ। आप ने कहाः अपनी रानों से कपड़ा हटाओ। मैंने अपनी रानों से कपड़ा हटा दिया तो आप ने अपना सीना और गाल मेरी रानों पर रख दिया और मैं भी आप पर झुक गयी, फिर आप गर्म हो गये और सो गये।

271:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब मुझे हैज़ आता तो बिस्तर से उतर कर चटाई पर आ जाती, फिर हम (बीवियाँ) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के क़रीब न जातीं यहाँ तक कि पाक हो जातीं।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों रिवायतें (270, 271) ज़ओ़फ़ हैं।

272:— अ़िक्रमा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की किसी पत्नी से रिवायत करते हैं, वह बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अगर अपनी किसी पत्नी से कुछ चाहते और वह हैज़ से होती तो उस की शर्मगाह पर कपड़ा डाल देते।

273:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब हमारे हैज़ का खून अपने चर्म सीमा पर होता तो हमें हुक्म देते कि हम अपनी चादर कस के बाँध लें और फिर हमारे साथ लेट जाते.....और तुम में से कौन है जिसे अपनी ख़्वाहिश पर इतना क़ाबू हो जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अपने ऊपर था।

बाब **{इस्तिहाज़ा के ख़ून का बयान। ऐसी महिला अपने हैज़ के दिनों के बराबर नमाज़ छोड़ दिया करे।}**

274:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक महिला को बहुत खून आता था तो उस के लिये उम्मे सलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मस्अला पूछा तो आप ने फ़रमायाः उसे चाहिये कि यह बीमारी लगने से पहले महीने (में हैज़) के दिनों और रातों की गिनती का ख़याल करे और इस्तिहाज़ा वाले महीने में इसी अनुमान से नमाज़ छोड़ दे। जब यह दिन बीत जायें तो स्नान कर ले और कपड़े की लंगोट बाँधे रहे और नमाज़ पढ़ती रहे।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है, लेकिन दूसरी सहीह हदीस से इस की ताईद होती है।

275:— उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि एक महिला को बहुत अधिक खून आता था, फिर ऊपर की हदीस की तरह पूरी हदीस बयान की.......इस रिवायत में इता और इज़ाफ़ा है कि जब यह दिन गुज़र जायें और नमाज़ का समय आ जाये (यानी नमाज़ पढ़ने के दिन आ जायें) तो चाहिये कि स्नान करे....बाक़ी रिवायत ऊपर की हदीस की तरह है। (रिवायत ज़ओ़फ़ है)

276:— एक अनसारी से रिवायत है कि एक महिला को बहुत खून आता था....फिर ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की और कहा कि जब यह दिन गुज़र लें और नमाज़ का समय आ जाये तो स्नान करे.....और ऊपर की रिवायत की तरह हदीस बयान की। (यह हदीस ज़ओ़फ़ है)

277:— सख़्र बिन जुवैरिया नाफ़े से लैस की सनद से इसी प्रकार रिवायत करते हैं कि हैज़ आने के

दिनों के मुताबिक़ नमाज़ छोड़ दे, फिर जब नमाज़ का समय हो जाये (नमाज़ के दिन आ जायें) तो स्नान करे और कपड़े का लंगोट बाँधे और नमाज़ पढ़े। (यह हदीस ज़ओफ़ है)

278:— सुलैमान बिन यसार उम्मे सलमा रज़ि॰ से यही क़िससा बयान करते हैं। फिर यह कि "नमाज़ छोड़ दे और इस के अलावा में स्नान करे और कपड़े का लंगोट बाँधे और नमाज़ पढ़े।"

इमाम अबू दावूद ने कहा कि हम्माद बिन ज़ैद ने अय्यूब के वास्ते से जो रिवायत नक़ल की है उस में उस बीमार महिला का नाम अबू हुबैश की बेटी फ़ातिमा था।

फ़ाइदा:— हदीस न॰ 274 से 278 तक ज़ओफ़ हैं, लेकिन इस में जो मस्अले बताये गये हैं वह सहीह हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में इस बीमारी में ग्रस्त महिलाओं की संख्या दस थी।

279:— उर्वा, आइशा रज़ि से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि उम्मे हबीबा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खून के बारे में पूछा। आइशा रिज़॰ बयान करती हैं कि मैं ने उन की लगन देखी थी जो खून से भरी हुयी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन से फ़रमाया: इस बीमारी के लगने से पहले की आदत के मुताबिक़ नमाज़ से रुकी रहो जैसे कि हैज़ से रुकी रहती थी, फिर स्नान कर लो।

280:— उर्वा बिन जुबैर रज़ि॰ से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश ने उन्हें बताया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया और (इस्तिहाज़ा का) खून आने की शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन से फ़रमाया: यह एक नस का ख़ून है। तुम ज़रा गौर से देखो, जब तुम्हारा हैज़ (का ख़ून) आ जाये तो नमाज़ छोड़ दो और जब हैज़ गुज़र जाये तो पाकी हासिल करो और दूसरे हैज़ के दिन आने तक नमाज़ पढ़ती रहो।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि अगर पहले से हैज़ आने की तारीख़ और दिन मालूम हों व सुनिश्चित हों तो (इस्तिहाज़ा में) उन्हीं को हैज़ शुमार किया जायेगा। अगर मालूम न हों तो खून की रन्गत से अनुमान लगाया जायेगा।

281:— उर्वा बिन जुबैर ने बयान किया कि मुझ से फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश ने बताया कि उन्होंने अस्मा से कहा था, या अस्मा ने मुझ से बयान किया था कि उन से फ़ातिमा ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा कर मालूम कर लो। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि उन दिनों में बैठी रहो (और नमाज़ न पढ़ो) जिन में (इस्तिहाज़ा से पहले) बैठी करती थीं, और फिर स्नान कर लो।

इमाम अबू दावूद ने कहा: इस को क़तादा, उर्वा बिन ज़ुबैर से और वह ज़ैनब बिन्त उम्मे सलमा से रिवायत करते हैं कि उम्मे हबीबा बिन्त जहश को इस्तिहाज़ा हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि अपने हैज़ के दिनों से नमाज़ छोड़ दे, फिर स्नान करे और नमाज़ पढ़े।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओफ़ है।

283:— आनबी ने मालिक के वास्ते से हिशाम से जुहैर की सनद से उसी के हम माना बयान किया है और कहाः "जब हैज़ आये तो नमाज़ छोड़ दो, और जब उस के बराबर (पहले की आदत के मुताबिक़ दिन) गुज़र जायें तो खून को धो डालो और नमाज़ पढ़ो।

बाब {(इस्तिहाज़ा वाली महिला को) जब हैज़ आये तो नमाज़ छोड़ दे।}

284:— बुहय्या से रिवायत है उन्होंने कहा कि मैं ने उस महिला को सुना जो आइशा रज़ि॰ से पूछ रही थी कि जिस महिला का हैज़ आने का नियम ख़राब हो गया हो और उसे बहुत अधिक खून आता हो (तो वह क्या करे?) तो (उन्होंने कहा) मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने आदेश दिया है कि मैं उसे कहूँ कि इतने दिन इन्तिज़ार करे जितने कि हर महीने उसे हैज़ आता था जबकि उस के हैज़ का नियम दुरुस्त था तो उतने ही हैज़ के दिन शुमार करे और उन में नमाज़ छोड़ रहे फिर स्नान करे, कपड़े से लंगोट बाँधे और नमाज़ पढ़े।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओफ़ है, लेकिन मस्अला सहीह है।

285:— उर्वा बिन जुबैर और अम्रा, यह दोनों ही आइशा रज़ि॰ से बयान करते हैं कि उम्मे हबीबा बिन्त जहश को जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की साली और अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि॰ की पत्नी थीं, इस्तिहाज़ा शुरु हो गया और सात साल तक रहा, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा तो आप ने फ़रमायाः यह हैज़ नहीं, बल्कि एक नस (का खून) है, तू स्नान कर और नमाज़ पढ़।

एक और रिवायत में है कि उम्मे हबीबा को इस्तिहाज़ा शुरु हो गया और यह अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ की पत्नी थीं, उन्हें सात साल तक यह बीमारी लगी रही, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दियाः जब हैज़ आ जाये तो नमाज़ छोड़ दो और जब समाप्त हो जाये तो स्नान करोऔर नमाज़ पढ़ो।

286:— उर्वा बिन जुबैर ने फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश से रिवायत किया कि फ़ातिमा को इस्तिहाज़ा आता था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन सेफ़रमायाः जब खून हैज़ का हो तो वह काले रन्ग का होता है और पहचाना जाता है तो जब यह आये तो नमाज़ से रुकी रहो और जब दूसरा हो तो वुज़ू करो और नमाज़ पढ़ो, यह एक (खून की) नस होती है।

दूसरी सनद में अनस बिन सीरीन ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से मुस्तहाज़ा के बारे में बयान किया कि जब यह खून गहरा लाल रन्ग का खून दिखें तो नमाज़ न पढ़े और जब पाकी महसूस करे अगर्चे एक घड़ी ही हो तो स्नान करे और नमाज़ पढ़े।

मक्हूल ने कहा कि महिलाओं के लिये हैज़ का मामला छुपा नहीं रहता है। यह खून काला और गाढ़ा होता है। जब यह समाप्त हो जाये, गाढ़ा न रहे और पीला हो जाये तो यह इस्तिहाज़ा होता है, तो इस हालत में चाहिये कि वह स्नान करे और नमाज़ पढ़े।

दूसरी सनद में सओद बिन मुसय्यिब ने इस्तिहाज़ा के बारे में रिवायत किया है कि जब उसे हैज़ आये तो नमाज़ छोड़ दे और जब समाप्त हो जाये तो स्नान करे और नमाज़ पढ़े।

एक दूसरी सनद से तैमी ने क़तादा से बयान किया कि जब उस के हैज़ पर पाँच दिन ज़्यादा हो जायें तो नमाज़ पढ़ना शुरु कर दे। तैमी कहते हैं कि मैं दोनों को कम करते-करते दो दिन तक पहुँचा तो कहा अगर (जाने पहचाने दिन से) दो दिन अधिक हो जायें तो यह हैज़ ही होंगे। इब्ने सीरीन से इस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहाः महिलायें उसे अच्छी तरह जानती हैं।

फ़ाइदाः— इस हदीस की सनद ज़ओफ़ है, लेकिन इस में बयान मस्अले सहीह हैं।

287:— अिम्रान बिन तल्हा अपनी माता जी हमना बिन्त जहश से रिवायत करते हैं कि हमना ने बतायाः मुझे बहुत ज़्यादा और सख़्त इस्तिहाज़ा का खून आता था। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आयी कि आप से मस्अला पूछूँ और आप को अपनी हालत बताऊँ, तो मैंने आप को अपनी बहन ज़ैनब बिन्त जहश के घर में पाया। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैं ऐसी महिला हूँ जिसे बहुत अधिक खून आता है, आप इस बारे में क्या हुक्म देते हैं? इस खून ने तो मुझे नमाज़ रोज़ा तक से रोक दिया है। आप ने फ़रमायाः मेरा ख़याल है कि तुम रुई रख लिया करो, इस से खून रुक जायेगा। हमना ने कहाः यह इस से भी ज़्यादा है। आप ने फ़रमायाः तो फिर कपड़ा बाँध लिया करो। मैंने कहाः खून इस से भी ज़्यादा आता है, मेरे तो खून की धार बहती है। आप ने फ़रमायाः मैं तुम्हें दो बातें बताता हूँ उन में से जो भी पसन्द करोगी काफ़ी है। अगर दोनों की हिम्मत हो तो यह तुम्हें मालूम होगा। आप ने उन से फ़रमायाः यह अस्ल में शैतानी कचोका है। पस तुम (हर महीने) अल्लाह के ज्ञान के मुताबिक़ छः या सात दिन हैज़ के शुमार करो, जब तुम अपने आप को पाक समझो तो 23 या 24 दिन-रात नमाज़ पढ़ती रहो और रोज़े रखो, तुम्हें यह काफ़ी है। और हर महीने ऐसे ही किया करो जैसे कि आ़म महिलायें अपने हैज़ और पाकी के दिनों में करती हैं।

(दूसरी सूरत) और अगर हिदायत हो तो जुहर को पीछे कर दो और अ़स्र को जल्दी कर के इन दोनों को जमा कर लो और इन के लिए एक स्नान करो। फिर मग़रिब को देर कर के और इशा को जल्दी करते हुये एक स्नान कर लो और इन नमाज़ों को जमा कर के पढ़ लो। और फ़ज्र की नमाज़ के लिये भी स्नान कर लो। अगर तुम यह कर सकती हो तो कर लिया करो और रोज़े भी रखती जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः और यह (दूसरी) सूरत उन दोनों में से मेरे नजदीक ज़्यादा पसन्दीदा है।

फ़ाइदाः— हदीस न॰ 286 और 287 दोनों ज़ओफ़ हैं।

बाब {वह रिवायतें जिन में है कि इस्तिहाज़ा वाली महिला हर नमाज़ के लिये स्नान करे।}

288:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि उम्मे हबीबा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की साली और अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ की पत्नी हैं उन्हें सात वर्ष तक इस्तिहाज़ा का खून आता रहा। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस बारे में मस्अला पूछा तो आप ने फ़रमायाः यह खून हैज़ का खून नहीं है, बल्कि एक रग का खून है, इसलिये स्नान करो और नमाज़ पढ़ो। आ़इशा रज़ि॰ बयान करती हैं कि वह अपनी बहन ज़ैनब के

हुजरे में एक लगन में स्नान करतीं, तो खून की लाली पानी पर छा जाती थी।

फ़ाइदा:— "स्नान करो और नमाज़ पढ़ो" का अर्थ है कि हैज़ के दिन बीत जाने के बाद। हैज़ के दिन वह है जों इस्तिहाज़ा से पहले महीने में आते थे और महिलाओं को पता होता है। हर नमाज़ के लिये स्नान करने का हुक्म नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो महिला बे मौत मारी जायेगी।

289:— अ़म्रा बिन्त अ़ब्दुरहमान, उम्मे हबीबा से यही हदीस रिवायत करती हैं कि आ़इशा रज़ि॰ ने कहा: चुनान्चे वह हर नमाज़ के लिये स्नान करती थीं।

290:—उर्वा भी आ़इशा रज़ि॰ से इसी प्रकार रिवायत करते हैं कि वह हर नमाज़ के लिये स्नान किया करती थीं।

291:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि उम्मे हबीबा रज़ि॰ को सात वर्ष तक इस्तिहाज़ा की बीमारी रही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि स्नान करें, चुनान्चे वह हर नमाज़ केलिये स्नान किया करती थीं।

292:— आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि उम्मे हबीबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में इस्तिहाज़ा आता रहा, तो आप ने उन्हें हर नमाज़ के लिये स्नान करने का हुक्म दिया और पूरी हदीस बयान की।

293:— अबू सलमा कहते हैं कि मुझ से ज़ैनब बिन्त अबू सलमा ने बयान किया कि एक महिला को बहुत अधिक रक्त आता था और वह अ़ब्दुरहमान बिन औ़फ़ की पत्नी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि हर नमाज़ के लिये स्नान करें और नमाज़ पढ़ा करें।

फ़ाइदा:— इस हदीस की सनद ज़ओ़फ़ है। ऊपर हदीस न॰ 290 और 291 में उम्मे हबीबा हर नमाज़ के लिये अपनी मर्ज़ी से स्नान करती थीं, उन्हें हुक्म नहीं दिया गया था। जो महिला दिन रात में पाँच बार स्नान करेगी वह कितने माह जीवित रहेगी। आप यह कह सकते हैं कि एक मर्तबा ज़रुरी और हर नमाज़; के लिये हर बार मस्तहब है, ज़रुरी नहीं है। देखें हदीस न॰ 295

बाब {उन लोगों के दलाइल जो कहते हैं कि मुत्सहाज़ा महिला नमाज़ें जमा करे और हर दो नमाज़ के लिये एक स्नान करे।}

294:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक महिला को इस्तिहाज़ा का खून आने लगा तो उन्हें आदेश दिया गया कि अ़स्र की नमाज़ को जल्दी और जुह् को पीछे कर के पढ़े और उन दोनों नमाज़ों के लिये एक स्नान करे। और मग़रिब को पीछे और इशा को जल्दी करे और उन दोनों के लिये एक स्नान करे और फ़ज्र की नमाज़ के लिये एक स्नान करे।

फ़ाइदा:— यह महीला सहला बिन्त सुहैल रज़ि॰ थीं। हर दो नमाज़ों के लिये एक स्नान यह मुस्तहब है (फ़र्ज़ नहीं) वर्ना एक ही स्नान काफ़ी है। इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि मजबूरी

में नमाज़ों को जमा भी किया जा सकता है।

295:— आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि सहला बिन्त सुहैल को इस्तिहाज़ा की बामारी हो गयी तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयीं तो आप ने उन्हें हर नमाज़ के लिये स्नान करने का हुक्म दिया, मगर वह इस से परेशानी में पड़ गयीं तो उन्हें आदेश दिया कि जुह् और अस्र की नमाज़ एक साथ स्नान कर के पढ़ें और मग़िरब और इशा को एक स्नान के साथ और सुब्ह के लिये एक स्नान किया करें।

296:— अस्मा बिन्त उमैस रज़ि॰ कहती हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश को इतने समय से इस्तिहाज़ा का खून आ रहा है और वह नमाज़ नहीं पढ़ सकी। आप ने फ़रमाया: सुब्हानल्लाह! यह शैतानी प्रभाव है, उसे चाहिये कि टब में बैठे। अगर पानी पर पीलापन ग़ालिब होतो चाहिये कि ज़ह् और अस्र के लिये एक स्नान करे और मग़िरब और इशा के लिये एक स्नान करे और फ़ज्र के लिये एक स्नान करे और इन के दर्मियान वुज़े करे। (हदीस ज़ओफ़ है)

बाब {उन लोगों के दलाइल जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा पाकी से पाकी तक एक ही स्नान करे।}

297:— अदी बिन साबित अपने पिता से, वह अदी के नाना से और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने मुस्तहाज़ा के बारे में फ़रमाया: अपने हैज़ के दिनों की नमाज़ छोड़ दे, फिर स्नान करे और नमाज़ पढ़ना शुरु कर दे और हर नमाज़ के लिये वुज़ू किया करे।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है लेकिन दूसरी सहीह हदीसों से इस की ताईद होती है। और इसी हदीस का मस्अला दुरुस्त है और जमहूर इसी को मानते हैं। हर नमाज़ के लिये स्नान, हर दो नमाज़ के लिये स्नान, यह सब मुस्तहब के माना में हैं।

298:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन्त अबू हुबैश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयीं और (रावी ने) उन का वाकिआ ज़िक्र किया। आप ने फ़रमाया: फिर स्नान करो और फिर हर नमाज़ के लिये वुज़ू करोऔर नमाज़ पढ़ती रहो। (इस हदीस की सनद ज़ओफ़ है)

299:— आइशा रज़ि॰ से मुस्तहाज़ा महिला के बारे में रिवायत है कि वह स्नान करे यानी एक बार, फिर हैज़ के दिन आने तक वुज़ूही करती रहे।

300:— मस्रुक़ की पत्नी आइशा रज़ि॰ से रिवायत करती हैं कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— हदीस न॰ 297, 298, 2999 सभी ज़ओफ़ है, लेकिन इन में जोबातें बयान की गयी हैं वह दूसरी सहीह हदीसों से साबित हैं, इसीलिये अल्लामा अल्बानी रह॰ ने तीनों हदीसों को सहीह कहा है।

बाब {उन लोगों के दलाइल जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा महिला जुहर से जुहर तक (यानी 24 घन्टा में) एक स्नान करे।}

301:— अबू बक्र के आज़ाद कर्दा गुलाम सुमय्या ने बयान किया कि क़ाक़ाअ़ और ज़ैद बिन अस्लम ने मुझे सअ़ीद बिन मुसय्यिब के पास भेजा कि उन से मुस्तहाज़ा के स्नान के बारे में सवाल करुँ तो उन्होंने कहा कि जुह् से जुह् तक के लिये एक स्नान करे और (उस के दर्मियान) बाक़ी हर नमाज़ के लिये वुजू करे और अगर उस पर खून ग़ालिब हो तो कपड़े का लंगोट बाँध लिया करे।

फ़ाइदा:— "जुह् से जुह् तक" से मुराद यह है कि 24 घन्टे में केवल एक बार स्नान करे। और यही मतलब "तोहर से तोहर तक" का भी है।

बाब {उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि (मुस्तहाज़ा) हर रोज़ एक मर्तबा स्नान करे और जुह् के साथ की ताईन न करे।}

302:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मुस्तहाज़ा का हैज़ जब समाप्त हो जाये तो वह हर रोज़ स्नान करे और थोड़ी सी ऊन घी या ज़ैतून के तेल में तर कर के शर्मगाह में रख लिया करे।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़ीफ़ है, फिर दूसरे यह कि यह अ़ली रज़ि॰ का क़ौल है। ज़ाहिर है कि यह सूरत वाजिब नहीं केवल मुस्तहब है।

बाब {उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा उन दिनों में (मौक़ा–मौक़ा पर) स्नान करती रहे।}

303:— मुहम्मद बिन उस्मान ने क़ासिम बिन मुहम्मद से मुस्तहाज़ा के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अपने हैज़ के दिनों में नमाज़ छोड़े रहे, फिर (हैज़ के दिन समाप्त होने पर) स्नान करे और नमाज़ शुरु कर दे और फिर उन दोनों के दर्मियान (गाहे–बगाहे) स्नान करती रहे।

बाब {उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि (मुस्तहाज़ा) हर नमाज़ के लिये वुजू करे।}

304:— फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मुझे इस्तहाज़ा होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमाया: जब हैज़ का खून आये और यह काले रन्ग का होता है और पहचाना जाता है तो जब यह शुरु हो तो नमाज़ सेरुक जाओ और जब दूसरा (यानी इस्तिहाज़ा) हो, तो वुजू करो और नमाज़ पढ़ो।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़ीफ़ है, इस की तफ़सील हदीस न॰ 286 में बयान हो चुकी है।

बाब {उन लोगों की दलील जो (मुस्तहाज़ा को खून के अ़लावा) किसी हदस के जाहिक़ होने ही पर वुजू के क़ाइल थे।}

305:— अ़िक्रमा से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि उम्मे हबीबा रज़ि॰ को इस्तिहाज़ा हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने हैज़ के दिनों के ख़त्म होने

का इन्तिज़ार करें, फिर स्नान कर के नमाज़ शुरु कर दें, अगर खून के अ़लावा और कोई हदस (वुज़ू तोड़ने वाली चीज़) महसूस करे तो वुज़ू कर के नमाज़ पढ़े।

फ़ाइदा:— इस हदीस की सनद ज़ओ़फ़ है, इसलिये सहीह यही है कि हर नमाज़ के लिये वुज़ू करे चाहे उस का पहला वुज़ू बाक़ी ही हो।

306:— रबीआ़ (बिन अ़ब्दुर्रहमान-ताबओ़ी रह०) से बयान है कि वह मुस्तहाज़ा पर हर नमाज़ के लिये वुज़ू के क़ाइल न थे, मगर यह कि उस खून के अ़लावा कोई और हदस लाहिक़ हो, तो वुज़ू करे। इमाम अबू दावूद कहते हैं कि मालिक बिन अनस का भी यही ख़याल है।

बाब {महिला अगर पाकी के बाद पीला या मैला पानी देखे तो?}

307:— उम्मे अ़तिय्या रज़ि० से रिवायत है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बैअ़त की थी। वह बयान करती हैं कि हम पाकी शुरु हो जाने के बाद मैले या पीले पानी आने को कुछ न समझती थीं।

308:— मुहम्मद बिन सीरीन नक बयान किया कि पीला या मैला पानी आना पाक़ी के ख़िलाफ़ नहीं।

बाब {मुस्तहाज़ा से उस का पति संभोग कर सकता है।}

309:— अ़िक्रमा ने बयान किया कि उम्मे हबीबा को इस्तिहाज़ा का खून आता था और उन के पति उन से संभोग करते थे।

310:— अ़िक्रमा ने हमना बिन्त जहश रज़ि० से रिवायत किया कि वह इस्तिहाज़ा का शिकार थीं और उन के पति उन से संभोग करते थे।

फ़ाइदा:— हदीस न० 309, 310 ज़ओ़फ़ है, लेकिन उन से साबित मस्अले दुरुस्त हैं, ऐसी महिला से संभोग बिला शुब्हा जाइज़ है।

बाब {निफ़ास के अहकाम व मसाइल का बयान।}

311:— उम्मे सलमा रज़ि० बयान करती हैं कि निफ़ास वाली महिलाए नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में चालीस दिन या चालीस रात बैठी रहती थीं और चेहरे के बदल जाने (या झाइयाँ पड़ने) की वजह से हम अपने चेहरों पर वर्स मलती थीं। (वर्स, यह पीले रन्ग की घास है जिससे उबटन बनाया जाता था)

312:— अज़दिया यानी मुस्सह से रिवायत है कि मैं हज्ज करने के लिये गयी तो उम्मे सलमा रज़ि० के पास गयी और उन से पूछा: ऐ मुसलमानों की माँ! समुरा बिन जुन्दुब रज़ि० महिलाओं को हुक्म देते हैं कि हैज़ के दिनों की नमाज़ों की क़ज़ा करें। उन्होंने कहा: कोई क़ज़ा न करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की महिलाओं में से कोई निफ़ास से होती तो चालीस रात बैठी रहती। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस से उन (चालीस) दिनों की नमाज़ों के क़ज़ा करने का

हुक्म नहीं देते थे।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि निफ़ास के चालीस दिन की छूटी नमाज़ की क़ज़ा नहीं तो इसी प्रकार हैज़ का भी मामला है, उस की भी क़ज़ा नहीं।

बाब **{हैज़ के स्नान के मसाइल का बयान।}**

313:— उमय्या बिन्त अबी सल्त, क़बीला बनी ग़िफ़ार की एक महिला से रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे अपनी सवारी पर पालान के पीछे बठा लिया, और क़सम अल्लाह की! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सुब्ह के समय ही ऊँटनी से उतरे। आप ने सवारी को बैठाया और मैं भी पालान के पीछे से उतरी तो उस पर मेरे ख़ून का निशान था और यह मेरा पहला हैज़ था (वह कहती हैं कि मुझे शर्म आयी और मैं ऊँटनी से अलग हो गयी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मेरी हालत देखी और ख़ून भी देखा (तो समझ गये) और फ़रमायाः क्या हुआ? शायद तुझे हैज़ हो गया है? मैंने कहाः जी हाँ। आप ने फ़रमायाः अपने आप को दुरुस्त कर लो और पानी का एक बर्तन लेकर उस में थोड़ा सा नमक मिला लो और पालान को जो ख़ून लगा है उसे धो डालो, और फिर अपनी जगह पर सवार हो जाओ। उन्होंने बयान किया कि जब आप ने ख़ैबर को फ़त्ह कर लिया तो हमें फ़ै के माल में से थोड़ा बहुत दिया। वह कहती हैं कि जब भी मैं हैज़ से पाक़ होतीं तो पानी में नमक मिला लिया करती थीं, यहाँ तक कि उन्होंने मौत के समय वसिय्यत की कि उन के स्नान के पानी में नमक मिलाया जाये।

314:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि अस्मा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयीं और कहने लगींः ऐ अल्लाह के रसूल! जब हम में से काई हैज़ से पाक हो जाये तो कैसे स्नान करे? आप ने फ़रमायाः बैरी के पत्ते मिला हुआ पानी लेकर उस से वुज़ू करें, फिर अपना सर धोयें और ख़ूब मलें, यहाँ तक कि पानी बालों की जड़ों में पहुँच जाये, फिर बाक़ी शरीर पर पानी बहाए, ऐ अल्लाह के रसूल! इस से कैसे पाक़ी हासिल करुँ? आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं समझ गयी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क्या कहना चाहते हैं तो मैंने उसे बताया कि ख़ून आने के स्थान पर उसे रखो।

305:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने अन्सार की महिलाओं का ज़िक्र किया और उन की हम्द (प्रशंसा) की और अच्छी तरह ज़िक्र किया, फिर बयान किया कि उन में से एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुयी......फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। लेकिन इन की रिवायत में है कि "कस्तूरी का फ़ाया ले"।

316:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि अस्मा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सवाल किया.... फिर ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया। उस में है कि मस्तूरी का फाहा ले। वह कहने लगीं कि इस से किस प्रकार पाकी हासिल करुँ? आप ने फ़रमायाः सुब्हानल्लाह! उस से पाकी हासिल करो, फिर आप ने कपड़े से अपना मुँह छुपा लिया। इस हदीस में इतना और इज़ाफ़ा है कि उन्होंने जनाबत के स्नान के बारे में पूछा तो आप ने फ़रायाः अपना पानी लो और उस से

अच्छी तरह मुकम्मल वुजू करो, फिर अपने सर पर पानी डालो, फिर उसे मलो यहाँ तक कि बालों की जड़ों तक पहुँच जाये, फिर पूरे शरीर पर पानी बहाओ। आ़इशा रज़ि॰ ने कहाः अन्सार की महिलायें बड़ी भोली-भाली होती हैं, उन्हें दीन के बारे में जानकारी लेने में शर्म रुकावट नहीं बनती है।

फ़ाइदाः— जनाबत के स्नान में महिला को बाल न खोलने की अनुमति और रुख़्सत है, लेकिन हैज़ से पाक होने के बाद स्नान जब करेगी तो इस में सर के बालों की चोटी को खोलना अनिवार्य है। शर्मगाह पर फ़ाहा रखने से बदबू दूर हो जाती है।

बाब **{तयम्मुम् के अहकाम व मसाइल का बयान।}**

317:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसैद बिन हुज़ैर और कुछ दूसरे लोगों को वह हार ढूँड़ने के लिये भेजा जो मुझ से गुम हो गया था (इसी दर्मियान) नमाज़ का समय हो गया तो उन्होंने बिना वुजू के ही नमाज़ पढ़ ली, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और अपनी बात बताई तब तयम्मुम की आयत नाज़िल हुयी। इब्ने नुफ़ैल ने इतना और बयान किया कि उसैद ने आ़इशा रज़ि॰ से कहाः अल्लाह आप पर रहम फ़रमाये, आप को जब भी कोई परेशानी हुयी जो आप को नागवार हुयी मगर अल्लाह ने उसे मुसलमानों के लिये लाभदायक बना दिया और आप के लिये भी उस में से कोई राह निकाली।

318:— अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ फ़ज्र की नमाज़ के लिये तयम्मुम किया (इस प्रकार कि) उन्होंने अपने हाथ मिट्टी पर मारे और अपने चेहरे पर फेरे। फिर दूसरी बार मारे और अपने पूरे बाज़ू पर फेरे कन्धों तक और अन्दर की तरफ़ से बग़लों तक।

319:— सुलैमान बिन दावूद महरी और अ़ब्दुल मलिक बिन शुऐब ने भी इब्ने वहब के वास्ते से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया कि मुसलान उठे और अपने हाथों को मिट्टी पर मारा, लेकिन मिट्टी से कुछ न पकड़ा। फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया, लेकिन कन्धों और बग़लों को ज़िक्र नहीं किया।

320:— अ़मार बिन यासिर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "ऊलाते-जैश" के स्थान पर रात के अन्तिम पहर पड़ाव डाला, आ़इशा रज़ि॰ भी आप के साथ थीं, उन का हार जो क़बीला ज़िफ़ार के घोंघों का बना हुआ था टूट कर कहीं गिर गया, तो उस हार की तलाश ने लोगों को (आगे चलने से) रोक लिया यहाँ तक कि सुब्ह होगयी और उन के पास पानी भी न था। इस पर अबू बक्र को उन पर गुस्सा आ गया और कहाः तुम ने लोगों को रोक रखा है और उन के पास पानी भी नहीं है। चुनान्चे उस मौक़ा पर अल्लाह पाक ने अपने रसूल पर पाक मिट्टी से तयम्मुम करने की आयत नाज़िल फ़रमायी। चुनान्चे मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ ज़मीन पर हाथ मारा, लेकिन कुछ भी मिट्टी न उठाई और

फिर उन्हें अपने चेहरों और बाज़ू और कन्धों तक अन्दर की तरफ़ से बग़ल तक फेर लिया।

इब्ने यहया ने अपनी रिवायत में इतना और कहा कि इब्ने शिहाब ने अपनी हदीस में कहा कि लोग इस हदीस का एतिबार नहीं करते।

फ़ाइदा:— अ़म्मार रज़ि॰ की हदीस में जो बातें हैं वह सहाबा का अपना अ़मल था, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़र्मान नहीं था, इसलिये इसे रद्द माना जायेगा।

321:— शक़ीक़ कहते हैं कि मैं अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद और अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ के दर्मियान बैठा हुआ था कि अबू मूसा ने कहा: ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! यह बताइये, अगर कोई आदमी जुनुबी हो जाये और एक महीना तक पानी न मिले तो क्या वह तयम्मुम नहीं करेगा? (अ़ब्दुल्लाह ने कहा) नहीं, अगर्चे वह एक महीने तक पानी न पाये। अबू मूसा ने कहा: तो आप सूर: माइदा की इस आयत के बारे में क्या कहेंगे: "अगर पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो" अ़ब्दुललह ने कहा: अगर उन्हें इस की रुख़्सत दे दी जाये तो संभव है कि जब भी पानी ठन्डा हुआ तो यह मिट्टी से तयम्मुम करने लगेंगे। अबू मूसा ने उन से कहा: अच्छा तो आप इसी कारण उसे मक्रुह जानते हैं? उन्होंने कहा: जी हाँ। अबू मूसा ने कहा: क्या आप ने अ़म्मार की वह बात नहीं सुनी जो उन्होंने उमर रज़ि॰ से कही थी? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से भेजा तो मैं वहाँ जुनुबी हो गया और पानी न मिला तो मैं मिट्टी में लोट-पोट हो गया जैसे जानवर लोटता है। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और अपनी बात बताई तो आप ने फ़रमाया: तुम्हारे लिये तो बस इतना काफ़ी था कि इस तरह कर लेते। फिर आप ने अपना हाथ ज़मीन पर मारा, फिर उसे झाड़ा, फिर अपने बायें को दायें पर और दायें को बायें हथेलियों पर फेरा, फिर अपने चेहरे पर मसह किया। यह सुन कर अ़ब्दुल्लाह (बिन मस्ऊद) रज़ि॰ ने उन से कहा: क्या आप ने नहीं देखा कि उमर ने अ़म्मार की बात पर क़नाअ़त नहीं की।

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम हुआ कि (1) किसी आ़लिम के मिलने तक अपने अ़िल्म के मुताबिक़ इज्तिहाद कर सकता है। तयम्मुम की रिवायतों में ज़मीन पर एक ही मर्तबा हाथ मारना और चेहरे और हाथों पर मसह करना है। अ़म्मार रज़ि॰ के साथ उमर रज़ि॰ भी गये थे लेकिन वह मस्अले को भूल गये, और ऐसा हो जाया करता है।

322:— अ़ब्दुर्रहम बिन अ़बज़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं उमर रज़ि॰ के पास था कि एक साहब उन के पास आये और कहा: हम कभी महीना-दो महीना के लिये ऐसे स्थान पर होते हैं (जहाँ काफ़ी पानी नहीं होता) तो उमर रज़ि॰ ने कहा: मैं तो ऐसी सूरत में नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, यहाँ तक कि पानी पा लूँ (फिर वुज़ू कर के नमाज़ पढ़ूँ) अम्मार बिन यासिर रज़ि॰ ने यह सुन कर कहा: ऐ ख़लीफ़ा! क्या आप को याद नहीं कि जब मैं और आप ऊँट चराने गये थे और हम जुनुबी हो गये थे तो मैं (मिट्टी में) लोट गया था (और फिर नमाज़ पढ़ी थी) फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आकर ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमाया था: तुम्हारे लिये यही काफ़ी था कि इस प्रकार कर लेते: फिर आप ने अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मारा, फिर उन दोनों पर फूँक मारी

और उन्हें अपने चेहरे पर फेरा और आधी कलाई तक हाथों पर भी फेरा। यह सुन कर उमर रज़ि॰ ने कहा: ऐ अ़म्मार! अल्लाह से डरो (ऐसी बात क्यों कहते हो) यह सुन कर अ़म्मार ने कहा:ऐ मुसलमानों के ख़लीफ़ा! अगर आप कहें तो क़सम अल्लाह की इस घटना का कभी ज़िक्र नहीं करुँगा। उमर रज़ि॰ ने कहा: हर्गिज़ नहीं।, क़सम अल्लाह की! इस में से हम तुम्हें ही तुम्हारी बात का ज़िम्मा दार बनाते हैं।

फ़ाइदा:— इस हदीस में "कलाई तक" के शब्द अ़ल्लामा अल्बानी के नज़दीक सहीह नहीं है, बाक़ी हदीस सहीह है।

323:— सलमा बिन कुहैल, इब्ने अबज़ा से और वह अ़म्मार बिन यासिर से बयान करते हैं, इस हदीस में यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कहा: ऐ अ़म्मार! तुम्हें तो बस इतना काफ़ी था: फिर अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मारा, फिर एक हथेली को दूसरी पर मारा (ताकि धूल झड़ जाये) फिर अपने चेहरे पर और आधी कलाइयों तक उन हथेलियों को फेरा, कोहनी तक नहीं लेगये। और हाथ को ज़मीन पर एक ही बार मारा।

324:— अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने हदीस बयान की तो उस में कहा: "तुम्हें तो बस इतना ही काफ़ी था" और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपना हाथ ज़मीन पर मारा, फिर उस में फूँक मारी और उस से अपने चेहरे और दोनों हाथों को मसह किया। सलमा को शक हुआ है उन्होंने कहा: मुझे नहीं मालूम कि इस रिवायत में "कोहनियों तक है" या "हथेलियों तक"

325:— शोबा ने अपनी सनद से यह हदीस बयान की और कहा: फिर उस में फूँक मारी और उस से अपने चेहरे और हाथों को कोहनियों तक या कलाइयों तक मसह किया।

शोबा ने कहा: सलमा दोनों हाथ, चेहरा और दोनों कलाइयाँ बयान किया करते थे तो एक दिन मन्सूर ने उन से कहा कि जो आप कहते हैं उस में ग़ौर कर लीजिये। कलाइयों का ज़िक्र आप के अ़लावा और कोई नहीं कहता है।

326:— इब्ने अ़ब्दुर्रहमान बिन अबज़ा अपने पिता से और वह अ़म्मार रज़ि॰ से रिवायत करते हैं, इस हदीस में बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम्हारे लिये यही काफ़ी था कि "अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारते और अपने चेहरे और हाथों का मसह कर लेते" ....फिर पूरी हदीस बयान की।

327:— सअ़ीद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अबज़ा अपने पिता जी से रिवायत करते हैं और वह अ़म्मार बिन यासिर से, वह बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से तयम्मुम के बारे में पूछा तो आप ने मुझे हुक्म दिया कि चेहरे और हाथों के लिये एक ही दफ़ा हाथ मारुँ।

328:— इबान कहते हैं कि क़तादा से सफ़र में तयम्मुम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझ से एक बयान करने वाले ने शोबी से, उन्होंने अ़ब्दुर्रहमान बिन अबज़ा से, उन्होंने अ़म्मार बिन

यासिर से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "कोहनियों तक"

फ़ाइदाः— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। "कोहनियों तक" का शब्द सहीह नहीं है। तमाम रिवायतों का निचोड़ यह है कि ज़मीन पर केवल एक मर्तबा हाथ मारे, फिर उन पर फूँक मार कर उन्हें मल कर मुँह पर फेर लें और बस।

बाब {मुक़ीम के लिये तयम्मुम का बयान।}

329:— इब्ने अ़ब्बास के आज़ाद कर्दा गुलाम उमैर ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ को यबान करते सुना कि मैं और मैमूना रज़ि॰ के गुलाम अ़ब्दुल्लाह बिन यसार अबुल् जहीम बिन हारिस के पास गये तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बीरे-जमुल (नामक स्थान) की जानिब से तशरीफ़ ला रहे थे, इसी बीच आप को एक आदमी मिला, उस ने आप को सलाम किया, मगर आप ने उस के सलाम का जवाब न दिया, फिर आप एक दीवार के पास गये और अपने चेहरा और दोनों हाथों का मसह किया फिर उस के सलाम का उत्तर दिया।

फ़ाइदाः— सलाम का जवाब देने के लिये तयम्मुम ज़रुरी नहीं, आप केवल इसे मुस्तहब कह सकते हैं। सलाम का जवाब तो जुनुबी भी बिना स्नान के दे सकता है।

330:— इमाम नाफ़े बयान करते हैं कि मैं इब्ने उमर के साथ किसी काम के लिये इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के पास गया, इब्ने उमर ने अपना काम पूरा कर लिया। उस दिन उन की बातों में से एक यह थी कि एक गली में एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से गुज़रा, उस समय आप पाख़ाना-पेशाब कर के वापस आ रहे थे। उस ने आप को सलाम किया मगर आप ने उत्तर न दिया। जब वह गली में आँखों से ओझल होने लगा तो आप ने अपने दोनों हाथों को दीवार पर मारा और अपने मुँह पर फेरा, फिर दूसरी बार हाथ मारा और अपनी कलाइयों पर फेरा, फिर उसके सलाम का उत्तर दिया और फ़रमायाः "तुम्हारे सलाम का जवाब न देने की वजह केवल यह थी कि मैं पाक न था।"

331:— इमाम नाफ़े ने इब्ने उमर रज़ि॰ से यह हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पाख़ाना कर के वापस आ रहे थे तो आप को एक आदमी मिला, उस समय आप बीरे-जुमल के पास थे, उस ने आप को सलाम किया लेकिन आप ने जवाब न दिया, फिर एक दीवार के पास गये और उस पर हाथ रखा, फिर आप ने चेहरे और हाथों का मसह किया, फिर आप ने उस के सलाम का उत्तर दिया।

फ़ाइदाः— हदीस न॰ 330 मुन्कर और ज़ओ़फ़ है। दो मर्तबा हाथ मारने वाली हदीसें सहीह नहीं हैं।

बाब {जुनुबी के लिये तयम्मुम का बयान।}

332:— अबू ज़र रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास कुछ बकरियाँ जमा हो गयीं तो आप ने फ़रमायाः ऐ अबू ज़र! इन्हें ले कर बाहर जन्गल में चले जाओ, चुनान्चे मैं उन्हें रबज़ा के जन्गल में लेकर चला गया। इसी बीच में जुनुबी हो गया तो पाँच-छः दिन

उसी हालत में रहा फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास वापस आया तो आप ने फ़रमायाः ऐ अबू ज़र! मैं ख़ामोश रहा। आप ने फ़रमायाः तुझे तेरी माँ गुम करे ओ अबू ज़र! तेरी माँ के लिये अफ़सोस। आप ने मेरे लिये एक काली सी लौंडी को बुलवाया तो वह एक बड़ा सा प्याला लेकर आ गयी, उस में पानी था। उस ने मुझे कपड़ा से पर्दा कर दिया और (दूसरी तरफ़) मैं अपनी सवारी की ओट में हो गया और स्नान किया, इस से मेरे सर से गोया एक पहाड़ उतर गया। आप ने फ़रमायाः पाक मिट्टी मुसलमान के लिये पाकी का ज़रीआ है अगर्चे दस वर्ष तक पानी न मिले। फिर जब तुम्हें पानी मिले तो उसे अपने शरीर पर डालो यह तुम्हारे लिये बेहतर है। मुसद्दद ने बयान किया कि यह बकरियाँ सदक़ा की थीं। और अम्र की हदीस ज़्यादा कामिल है।

333:— अबू क़िलाबा, बिन आ़मिर एक व्यक्ति से रिवायत करते हैं, उस शख़्स का बयान है कि मैं ने इस्लाम कुबूल कर लिया, मगर मेरे दीन ने मुझे फ़िक्र में डाल दिया,चुनान्चे में अबू ज़र रज़ि॰ के पास आया तोअबू ज़र ने बताया कि मैंने मदीना के हवा-पानी को अपने लिये प्रतिकूल (नामुवाफ़िक़) पाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मेरे लिये चन्द ऊँटों और बकरियों का हुक्म दिया (कि मुझे दे दी जायें) और मुझ से फ़रमायाः जाओ इन का दूध पियों हम्माद की रिवायत है कि "मुझे शक है कि उस में पेशाब का भी ज़िक्र है या नहीं।"

अबू ज़र का बयान है कि मैं पानी से दूर हो गया और मेरे सात पत्नी भी थीं। चुनान्चे मैं जुनुबी हो जाता तो बिना पानी के नमाज़ पढ़ लेता था। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया, उस समय दोपहर का समय था और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सहाबा के साथ मस्जिद के छाँव में बैठे हुये थे। आप ने मुझे देख कर फ़रमायाः अूब ज़र! मैंने कहाः जी हाँ, मैं तो हलाक हो गया। आप ने पूछाः किस चीज़ ने तुम्हें हलाक किया। मैंने कहाः मैं पानी से दूर था, मेरे पास मेरी पत्नी भी थी, इसलिये जब में जुनुबी हो जाता तो बिना स्नान किये ही नमाज़ पढ़ लेता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मेरे लिये पानी मँगवाया, एक काले रन्ग की लौंडी एक प्याला लेकर आयी जिस में पानी छलक रहा था, हालाँकि वह पूरी तरह भरा भी नहीं था। मैंने अपने ऊँट की ओट में होकर स्नान किया फिर आप के पास आया तो आप ने फ़रमायाः ऐ अबू ज़र! पाक मिट्टी पाक करने वाली है, अर्गचे तुम्हें दस वर्ष तक पानी न मिले, और जब मिल जाये तो उसे अपने शरीर पर डालो (यानी स्नान करो)

बाब {जुनुबी को सर्दी का डर होतो क्या वह तयम्मुम कर ले?}

334:— अ़ब्दुर्रहमान बिन जुबैर, अ़म्र बिन आ़स ऱज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि ज़ाते-सलासिल की जन्ग में मुझे एक ठन्डी रात में एहतलाम होगया। फिर मुझे डर लगा कि अगर स्नान किया तो हलाक हो जाऊँगा, नुनान्चे मैंने तयम्मुम कर लिया और अपने को सुब्ह की नमाज़ भी पढ़ा दी। उन्होंने यह घटना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में बयान किया तो आप ने पूछाः ऐ अ़म्र! क्या तू ने जुनुबी होते हुये अपने साथियों की इमामत कराई थी? मैंने बता दिया कि किस कारण मैंने स्नान न किया था, और मैंने यह भी कहा कि मैंने अल्लाह पाक का आदेश "अपनी जान को क़त्ल न करो, अल्लाह तुम पर बहुत ही मेहरबान है" भी पढ़ा है। यह सुन कर

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हँस पड़े और कुछ न कहा।

335:— अ़म्र बिन अ़ास रज़ि॰ के आज़ाद कर्दा गुलाम अबू कै़स से बयान है कि अ़म्र बिन अ़ास एक फ़ौजी मुहिम पर थे.....फिर ऊपर की तरह हदीस बयान की.....उस में बयान किया कि उन्होंने अपने शरीर के निचले हिस्से को धोया, फिर नमाज़ वालना वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ाई......ऊपर की हदीस की तरह बयान किया और तयम्मुम का ज़िक्र नहीं किया।

बाब {चेचक वाले (या घायल) के लिये तयम्मुम का बयान।}

336:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि हम एक यात्रा में निकले तो हम में से किसी को पत्थर लग गया जिस से उस के सर में घाव होगया, फिर इसी बीच उसे एहतलाम भी होगया। तो उस ने अपने साथियों से पूछा कि क्या मेरेलिये इजाज़त है कि मैं तयम्मुम कर लूँ? उन्होंने कहाः हम तुम्हारे लिये कोई छूट नहीं जानते जबकि तुम को पानी पर कुदरत हासिल है, चुनान्चे उस ने स्नान कर लिया और मर गया। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुये और आपे को इस की सूचना दी गयी तो आप ने फ़रमायाः "उन लोगों ने उसे क़त्ल कर डाला, अल्लाह उन्हें हलाक करे, उन्होंने पूछ क्यों न लिया जब उन्हें मालूम न था, आ़जिज़ (जाहिल) की शिफ़ा (तन्दुरुस्ती) तयम्मुम कर लेता और अपने घाव पर पट्टी बाँधे रहता।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ई़फ़ है।

337:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक व्यक्ति को घाव हो गया, फिर उसे एहतलाम (स्वप्न दोष) भी हो गया। फिर उसे स्नान करने का हुक्म दिया गया, चुनान्चे वह नहाने से मर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब इस की सूचना मिली तो आप ने फ़रमायाः लोगों ने उसे मार डाला, अल्लाह भी उन्हें मारे, क्या जाहिल के लिये शिफ़ा (भलाई) सवाल कर लेना नहीं है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि अगर शरीर के थोड़े हिस्से पर घाव हो तो उस हिस्से पर मसह कर के बाक़ी हिस्से को धोयेगा। कुछ नुस्ख़ों में बाब है "घाव" का।

बाब **{तयम्मुम वाले को नमाज़ पढ़ लेने के बाद पानी मिल जाये और नमाज़ का समय अभी बाक़ी हो तो........?}**

338:— अबू सई़द खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि दो आदमी यात्रा पर निकले, इसी दर्मियान नमाज़ का समय हो गया, लेकिन उन के पास पानी नहीं था। उन्होंने पाक मिट्टी से तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ली, मगर अभी नमाज़ का समय बाक़ी था कि पानी मिल गया तो उन में से एक ने वुज़ू कर के नमाज़ दोहरा ली और दूसरे ने नहीं दोहराई। फिर वह दीनों नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास वापस आये और घटना की जानकारी दी तो आप ने उस से जिस ने नमाज़ नहीं दोहराई थी फ़रमायाः तुम ने सुन्नत पर अ़मल किया और तुम्हारी नमाज़ काफ़ी हो गयी। और जिस ने वुज़ू कर के नमाज़ दोहराई थी उसे फ़रमायाः तुम्हारे लिये दोहरा

अज्र है।

339:— अ़ता बिन यसार रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से दो व्यक्ति (सफ़र पर निकले) और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

फ़ाइदा:— नमाज़ अव्वल समय ही पर पढ़ना अफ़ज़ल है चाहे तयम्मुम कर के पढ़े, फिर पानी मिलने पर दोहराने की आवश्यकता नहीं। अगर दोहराये तो सवाब पायेगा।

बाब {जुम्अः केलिये स्नान का बयान।}

340:— अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान रज़ि॰ का बयान है कि अबू हुरैरा रज़ि॰ ने उन्हें जानकारी दी कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ एक मौक़ा पर जुम्आ का खुत्बा दे रहे थे कि इतने में एक व्यक्ति आया तो उमर उस से कहने लगेः क्या तुम लोग नमाज़ से रुके रहते हो (यानी लेट आते हो?) उस ने उत्तर दियाः इस के सिवा और कुछ नहीं हुआ कि मैंने अज़ान सुनी है और तुरन्त वुज़ू कर के हाज़िर हुआ हूँ। उमर रज़ि॰ ने कहाः केवल वुज़ू? क्या तुम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यह फ़र्मान नहीं सुनाः "जब तुम में से कोई जुम्अ़ः के लिये आये तो पहले स्नान कर ले।

फ़ाइदा:— लेट कर के आने वाले उस्मान रज़ि॰ थे। उमर रज़ि॰ का उन्हें नसीहत करना इस बात की दलील है कि जुम्अः के दिन स्नान वाजिब है।

341:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर बालिग़ के लिये जुम्अ़ः के दिन स्नान करना वाजिब है।

342:— हफ़्सा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आप ने फ़रमायाः हर बालिग़ पर जुम्अ़ः के दिन जाना ज़रुरी है, और हर वह व्यक्ति जिस पर जुम्अ़ः के दिन जाना लाज़िम है, उस पर स्नान है।

अबू दावूद ने कहाः अगर किसी ने फ़ज्र के बाद जनाबत का स्नान कर लिया तो यह स्नान जुमा के स्नान के लिये भी काफ़ी है।

फ़ाइदा:— बच्चा, गुलाम, महिला और मुसाफ़िर जुम्आ़ से अलग हैं, लेकिन यात्री कहीं ठहर गया है और निकट में जुम्आ़ भी हो रहा है और उस के लिये कोई मजबूरी नहीं है तो वह जुम्अ़ः में हाज़िर हो।

343:— अबू सअ़ीद खुदरी और अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने जुम्अ़ः के दिन स्नान किया और बेहतरीन कपड़े पहने और खुश्बू लगाई, फिर जुमा के लिये आया और लोगों की गर्दनें नहीं फादीं, फिर (नफ़्ली) नमाज़ पढ़ी जो उस के लिये क़िस्मत में थी, फिर ख़ामोश रहा जब इमाम (खुत्बों के लिये) निकला, फिर अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ तो यह उस के लिये उस जुमा और उस से पहले जुमा के दर्मियान (होने वाले) गुनाहों का कफ़्फ़ारा है।

फ़ाइदा:— जुम्आ से पहले नफ़्ली की कोई तादाद नहीं, जितनी भी पढ़ सके इमाम के मिंबर पर बैठने तक पढ़े। गर्दन न कूदे, मगर यह कि लोग आगे छोड़ कर पीछे बैठे हों, इस सूरत में आगे ख़ाली स्थान पर जाना गर्दन कूद कर मजबूरी है।

344:— अ़ब्दुरहमान बिन अबू सअ़ीद अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जुमा के दिन हर बालिग़ पर लाज़िम है, और मिस्वाक और ख़ुश्बू (भी लाज़िम है) अगर मौजूद हो। बुकैर ने अ़ब्दुरहमान का ज़िक्र नहीं किया और ख़ुश्बू के बारे में कहा: ख़्वाह बीवी ही की हो" (यानी ख़ुश्बू ज़रुर इस्तेमाल करे)

345:— औस बिन औस सक़फ़ी रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना: जिस ने जुमा के दिन स्नान किया और अच्छी तरह किया, फिर जल्दी (मस्जिद में) पहुँचा और अव्वल समय पहुँचा, पैदल चल के आया और सवार न हुआ, इमाम के निकट बैठा और ग़ौर से ख़ुत्बा सुना और वाहियात बातों से बचा, तो उस के हर क़दम पर एक वर्ष के रोज़ों और नमाज़ों के पढ़ने का सवाब मिलेगा।

346:— औस सक़फ़ी रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमाया: जिस ने जुमा केदिन अपना सर धोया और स्नान किया.......फिर ऊपर की हदीस के मिस्ल बयान किया।

347:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने जुमा के दिन स्नान किया और अपने घर वाली की ख़ुश्बू प्रयोग की अगर उस के पास हो, अच्छे कपड़े पहने, (मस्जिद में जाकर) लोगों की गर्दनें न फ़लागें और ख़ुत्बा के दौरान कोई वाहियात काम न किया, तो यह नमाज़ उन दोनों जुमा के दर्मियान केलिये कफ़्फ़ारा होगी। और जिस ने कोई वाहियात काम किया और लोगों की गर्दनें फाँदीं तो उसके लिये ज़ुहर ही होगी (यानी ज़ुहर की नमाज़ का सवाब मिला और ना ही जुमा का)

348:— अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि॰ नेबयान किया कि मुझ से आ़इशा रज़ि॰ ने रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम चार कामों की वजह से स्नान किया करते थे। (1) जनाबत से (2) जुमा के दिन (3) सेंगी लगवाने से (4) मय्यित को स्नान देने से।

फ़ाइदा:— मय्यित को स्नान देने के बाद स्नान करना यह केवल मुस्तहब है, कोई ज़रुरी नहीं। सेंगी के बाद भी मुस्तहब है। जुमा के दिन अधिक से अधिक वाजिब है।

349:— अ़ली बिन हौशब नेकहा कि मैंने इमाम मक्हूल (शामी, ताबअ़ी) से हदीस "ग़स्स-ल" और "इग्-त-स-ल" के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: इस से मुराद यह है कि जिस ने अपना सर धोया और फिर स्नान किया।

350:— सअ़ीद बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (तबा ताबअ़ी) ने "ग़स्स-ल" और "इग्-त-स-ल" की शरह में कहा कि जिस ने अपना सर धोया और स्नान किया।

351:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने जुमा के दिन जनाबत का स्नान (या जनाबत जैसा स्नान) किया, फिर जुमा के लिये आया तो उस ने गोया एक ऊँट कुर्बान किया। और जो दूसरी घड़ी में आया उस ने गोया गाय कुर्बान की। और जो तीसरी घड़ी में पहुँचा उस ने गोया सींगों वाला मेंढ़ा कुरबान किया। और जो चौथी घड़ी में आया उस ने गोया अन्डा तक़रुब के लिये पेश किया। फिर जब इमाम निकल आता है तो फ़रिश्ते भी ज़िक्र सुनने के लिये हाज़िर हो जाते हैं।

फ़ाइदा:— जो देर से आता है उस का जुमा हो जाता है, लेकिन ऊपर गिनाई गयी फ़ज़ीलत से वन्चित रहता है और फ़रिश्तों के ख़ास रजिस्टर में उस का नाम दर्ज नहीं होता।

बाब {जुमा के दिन स्नान की छूट का बयान।}

352:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि लोग अपने काम काज स्वँय ही करते थे और उसी हालत में जुमा पढ़ने चले जाते थे, तो उन्हें कहा गया कि अगर तुम स्नान कर लिया करो (तो बहुत ही बेहतर है)

353:— अ़िक्रमा बयान करते हैं कि मुल्क इराक़ की तरफ़ से कुछ लोग आये और कहने लगे: ऐ इब्ने अ़ब्बास! क्या आप जुमा के स्नान को वाजिब कहते हैं? उन्होंने कहा: नहीं, लेकिन स्नान कर लेना ज़्यादा पाकी का आधार है और जो स्नान कर ले उस के लिये बहुत बेहतर है और शुरु में लोग मेहनत करते थे, कपड़ा ऊन का होता था, अपनी पीठ पर सामान ढोते थे, उन की मस्जिद भी तन्ग और नीची छत वाली थी, गोया छप्पर सा था। चुनान्चे एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये, दिन गर्म था और लोगों को उन के ऊनी कपड़ों में पसीना आया जिस से उन के शरीर से ना मुनासिब बू निकलने लगी जिस से एक-दूसरे को तक्लीफ़ पहुँची। यह देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: लोगों! जब यह (यानी जुमा का) दिन आया करे तो स्नान कर लिया करो और जिसे जो भी अच्छा सा तेल और ख़ुश्बू मिल जाये, उसे प्रयोग कर लिया करे।

इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहा: फिर अल्लाह तआ़ला ने हालत में बेहतरी पैदा कर दी, लोग ऊनी कपड़ा छोड़ कर दूसरे कपड़े पहनने लगे और मेहनत के कामों से भी कुछ छूट मिल गयी, मस्जिद भी खुली हो गयी और वह पसीना जो एक-दूसरे के लिये तक्लीफ़ का कारण था, समाप्त हो गया।

354:— समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने वुज़ू किया, उस ने सुन्नत पर अ़मल किया और यह बहुत उम्दा सुन्नत है। और जिस ने स्नान किया तो यह अफ़्ज़ल है।

फ़ाइदा:— शुरु में जुमा के दिन नहाने का सबब वहीं था जो ऊपर हदीस में बयान हुआ। अब जबकि ऐसी कोई बात नहीं है फिर भी जुमा केदिन स्नान कर के मस्जिद में आना अनिवार्य है। इस पर अ़मल करना ज़रुरी है।

बाब {नव मुस्लिद के लिये स्नान का हुक्म।}

355:— कैस बिन आ़सिम रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया, मैं इस्लाम लाना चाहता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे स्नान करने का हुक्म दिया और ऐसे पानी से जिस में बैरी के पत्ते मिले हुये हों।

फ़ाइदा:— इस्लाम कुबूल करने वाले नव मुस्लिम के लिये स्नान वाजिब है।

356:— इब्ने जुरैज कहते हैं कि मुझे उसैम बिन (कसीर बिन) कुलैब से ख़बर दी गयी, वह अपने पिता से और वह उन के दादा से रिवायत करते हैं कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहा कि मैं ने इस्लाम कुबूल कर लिया है। आप ने फ़रमाया: अपने कुफ़्र वाले बाल उतार दो, यानी सिर मुँडा लो। और (कुलैब कहते हैं कि) मुझे एक दूसरे सहाबी ने सूचना दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक-दूसरे व्यक्ति से फ़रमाया जो उन के साथ था: "अपने कुफ़्र के बाल दूर करो और ख़त्ना कराओ।"

फ़ाइदा:— यहाँ बाल और कपड़े से मुराद ऐसा कपड़ा और बाल जो कुफ़्फ़ार की ख़ास मज़हबी पहचान (Trade Mark) हो, इस्लाम लानेके बाद इन्हें तर्क करने का हुक्म है, वर्ना काफ़िरों से मुशाबहत बाक़ी रहेगी, और यह किसी प्रकार जाइज़ नहीं। कुरआन का फ़र्मान है "इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाख़िल हो जाओ।"

बाब {महिला, अपने हैज़ के दिनों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े को धोए।}

357:— मुआ़ज़ा कहती हैं कि मैंने आ़इशा रज़ि॰ से पूछा: हैज़ वाली महिला के कपड़ों में ख़ून लग जाता है (तो वह क्या करे) उन्होंने कहा कि उसे धोए। अगर उस का निशान बाक़ी रहे तो पीले पन से (जैसे वर्स, जाफ़रान आदि) से उसे तबदील कर दे। वह कहती हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हाँ तीन-तीन हैज़ आते थे, मगर मैं अपना कोई कपड़ा नहीं धोती थी।

फ़ाइदा:— वह इसलिये नहीं धोती रही होंगी कि उन की तहबन्द या चादर, या जो वह पहनती थीं उस में ख़ून नहीं लगता रहा होगा, और ज़ाहिर है जिस में ख़ून न लगे वह पवित्र है उसे धोने की ज़रुरत नहीं।

358:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ बयान करती हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीवियों के पास एक-एक ही कपड़ा होता था, उसी कपड़े में हैज़ के दिन भी बीतते थे, अगर कहीं कोई ख़ून का धब्बा लग जाता तो वह उसे अपने थूक से गीला करती और फिर उसे मल देती थी।

फ़ाइदा:— यह उस सूरत में जब मामूली धब्बा लगा हो, वर्ना अगर ज़्यादा लगा है तो उसे पानी से धोना लाज़िम है, जैसा कि आगे आ रहा है।

359:— बक्कार बिन यहया ने बयान किया कि मुझ से मेरी दादी ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा ने यहाँ गयी, वहाँ उन से कुरैश ख़ान्दान

की एक महिला ने पूछा कि हैज़ वाले कपड़ों में नमाज़ का क्या हुक्म है? उम्मे सलमा रज़ि॰ ने उत्तर दिया कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हैज़ आता था, हम हैज़ के दिन गुज़ारतीं और फिर पाक हो जातीं तो अपने कपड़े को देखतीं, अगर उस में खून लगा होता तो उसे धो डालतीं और फिर उस में नमाज़ पढ़तीं। और अगर कुछ न लगा होता तो उसे उसी तरह रहने देती और उस में नमाज़ पढ़ने से हमारे लिये कोई चीज़ रुकावट न बनती। और जिस के बाल गूँधे हुये होते तो जब किसी को जनाबत का स्नान करना होता तो अपने बाल न खोला करती, बल्कि अपने सर पर तीन बार तीन लप पानी डालती। जब देखती कि बालों की जड़ें तर हो गयी हैं तो उन्हें मलती, फिर बाक़ी जिस्म पर पानी बहा लेती।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ओफ़ है, लेकिन इस में बयान होने वाले मस्अले दूसरी सहीह हदीसों से साबित हैं।

360:— अस्मा बिन्त अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने एक महिला को देखा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रही थी कि जब हम में से कोई (हैज़ से) पाक हो जाये तो वह अपने कपड़े को क्या करे? क्या उस में नमाज़ पढ़ लिया करे? आप ने फ़रमाया: उस कपड़े को देखे, अगर उस में खून लगा हुआ है तो उसे पानी लगा कर खुरच डाले और जिस जगह कुछ न नज़र आता हो (मगर शुब्हा हो, तो) वहाँ छींटें मार ले और उस में नमाज़ पढ़ ले।

361:—अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ की पुत्री अस्मा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक महिला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रमाइये कि जब हम में से किसी के कपड़े को हैज़ का खून लग जाये तो कैसे करे? आप ने फ़रमाया: जब तुम में से किसी के कपड़े को हैज़ का खून लग जाये तो चाहिये कि उसे खुरचे (और चुटकियों से रगड़े) फिर उस पर पानी डाले और उस में नमाज़ पढ़ ले।

362:— ओसा बिन यूनुस और हम्माद बिन सलमा दोनों ने ऊपर की हदीस के हममान (सामान) बयान किये हैं और कहे हैं कि "उसे उखेड़ो, पानी डाल कर चुटकियों से रगड़ो, फिर (मज़ीद) पानी बहाओ।

363:— मिहसन की पुत्री उम्मे क़ैस बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज़ के खून के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाता है। आप ने फ़रमाया: उसे किसी लकड़ी से उखेड़ो, फिर बैरी के पत्ते मिले पानी से उसे धो डालो।

फ़ाइदा:— हैज़ का खून हद दर्जा नापाक है इसलिये अच्छी तरह धोना चाहिये कि कुछ भी असर बाक़ी न रहे। सादा पानी भी क़ाफ़ी है, मगर बैरी के पत्ते मिला पानी मज़ीद सफ़ाई के लिये है। वैसे बैरी के पत्ते की जगह साबुन और सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। धोने के बाद भी अगर खून का दाग़ बाक़ी रह जाये तो इस में कोई हरज नहीं।

364:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों में से हर एक के पास एक ही कुर्ता हुआ करता था, उसी में हैज़ के

दिन भी गुज़रते थे, उसी में जनाबत भी होती, फिर जब हम उस कपड़े पर खून को देखती थी तो उसे थूक लगा कर मल देती (और उस को मिटा देती)

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है, मगर अर्थ सहीह है।

365:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि ख़ौला बिन्त यसार रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयीं और कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास केवल एक ही कपड़ा है और मुझे उस कपड़े में हैज़ भी आता है, तो क्या करूँ? आप ने फ़रमायाः जब तुम पाक हो जाओ तो उसे धो लिया करो और उस में नमाज़ पढ़ लिया करो। वह कहने लगीं कि अगर उस से खून (का निशान) न निकले? फ़रमायाः तुम्हें खून का धो डालना काफ़ी है, उस के दाग़ और निशान बाक़ी रहें तो कोई हरज नहीं।

बाब {जिस कपड़े में इन्सान अपनी पत्नी से संभोग करे उस में नमाज़ पढ़ना कैसा है......?}

366:— मुआ़विया बिन अबू सुफ़यान रज़ि॰ ने अपनी बहन उम्मे हबीबा रज़ि॰ से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस कपड़े में नमाज़ पढ़ लिया करते थे जिस में आप संभोग (हमबिस्तरी) करते थे? उन्होंने कहाः हाँ, अगर उस में कोई नजासत न लगी हुयी होती।

बाब {महिलाओं के कपड़ों में नमाज़।}

367:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है वह बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे कपड़ों या चादरों में (आ़मतौर पर) नमाज़ न पढ़ा करते थे।

फ़ाइदा:— नमाज़ के दुरुस्त होने के लिये स्थान और कपड़े का पाक होना शर्त है। अगर चादर, कंबल, लिहाफ़ या दरी आदि नापाक हो तो नमाज़ सहीह नहीं होगी। इमाम साहब ने महिला के कपड़ों का बाब इसलिये बाँधा है कि केवल जिस्म के लगने से कपड़ा नापाक नहीं होता।

368:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे लिहाफ़ों में नमाज़ नहीं पढ़ा करते थे।

बाब {इस मामले में रुख़सत का बयान।}

369:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी मैमूना रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, आप एक कंबल ओढ़े हुये थे जिसका कुछ हिस्सा आप पर औश्र कुछ हिस्सा आपकी पत्नी के ऊपर था और वह माहवारी से थीं, आप इस हालत में नमाज़ पढ़ रहे थे कि वह आप के ऊपर भी था।

370:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ते और मैं आप के पास बाज़ू (बग़ल) में होती और हैज़ से होती। मुझ पर जो चादर या कंबल होता उस का कुछ हिस्सा आप भी लिये होते थे।

फ़ाइदा:— इस बाब और ऊपर के बाब में कोई टकराव नहीं। आम तौर पर पत्नी के कपड़ों में

नमाज़ नहीं पढ़ते थे और कभी कभार पढ़ भी लिया करते थे जब यक़ीन होता था कि कपड़ा पाक है। पत्नी अगर मुसल्ला के क़रीब बैठी हो, लेटी हो, या आगे सोई हुयी हो तो इस में कोई हरज नहीं, नमाज़ हो जायेगी। बहर हाल पत्नी के कपड़े के बारे में इतमिनान है तो पढ़ ले, वर्ना न पढ़े।

बाब {कपड़े में अगर मनी लग जाये तो......?}

371:— हम्माम बिन हारिस कहते हैं कि मैं आइशा रज़ि॰ के घर (मेहमान के तौर पर) आया हुआ था कि मुझे एहतलाम हो गया, चुनान्चे मैं कपड़े से एहतलाम का निशान धो रहा था,या कपड़ा धो रहा था कि आइशा की लौंडी ने मुझे देख लिया। उस ने जा कर आइशा को बताया तो उन्होंने कहाः मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कपड़े से उसे खुरच डाला करती थी (धोती नहीं थी)

372:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने कहाः मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को खुरच डाला करती थी, और फिर आप उसी में नमाज़ पढ़ लिया करते थे।

373:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत हैः उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कपड़े से मनी को धोया करती थी। वह कहती हैं कि फिर मैं देखती कि कपड़े पर (धोने के) निशान ज़ाहिर हैं।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मनी को धोया है और खुरच भी दिया है। अगर गाढ़ा और सूखा है तो खुरच देना काफ़ी है और अगर गीला है तो धोना पड़ेगा। आप ने मनी के बारे में कोई वैसा हुक्म नहीं दिया जैसे कि महिलाओं को उन के हैज़ के ख़ून के बारे में दिया। जहाँ लगा है बस उतना ही धो लेना काफ़ी है, पूरे कपड़े को धोने की ज़रुरत नहीं।

बाब {बच्चा अगर कपड़े पर पेशाब कर दे तो.......?}

374:— मेहसन की पुत्री उम्मे क़ैस रज़ि॰ से रिवायत है कि वह अपने एक छोटे बच्चे को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में लायी, उस ने अभी खाना खाना नहीं शुरु किया था। आप ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया तो उस ने आप के कपड़े पर पेशाब कर दिया, आप ने पानी मँगवाया और उस पर छिड़क दिया और उसे धोया नहीं।

375:— हारिस की बेटी लबाबा से रिवायत है कि हसन बिन अ़ली रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की गोद में थे कि पेशाब कर दिया तो मैंने कहाः आप दूसरे कपड़े पहन लें और यह चादर मुझे दे दें ताकि इसे धो दूँ। आप ने फ़रमायाः केवल लड़की का पेशाब ही धोया जाता है, लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जाते हैं।

376:— अबू समह ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेवा किया करता था। आप जब स्नान करना चाहते तो मुझ से कहतेः मेरी तरफ़ अपनी गुद्दी (पीठ) कर लो। इस पर मैं आप की तरफ़ पीठ कर के खड़ा हो जाता और आप को इस प्रकार पर्दा करता। (एक

बार) हसन या हुसैन रज़ि॰ को लाया गया तो उन्होंने आप के सीने पर पेशाब कर दिया तो मैं उसे धोने लगा तो आप ने फ़रमायाः लड़की का पेशाब धोया जाता है और लड़के के पेशाब पर पानी के छींटे मारे जाते हैं।

377:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि लड़की का पेशाब धोया जाये और लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जायें जब तक कि खाना न खाता हो।

378:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः...... और ऊपर की हदीस की तरह बयान की। लेकिन इस हदीस में यह नहीं बयान किया के "जब तक कि खाना न खाता हो।" मगर इतना इज़ाफ़ा किया है कि क़तादा ने कहाः यह हुक्म उस समय तक है जबकि वह दोनों (बच्चा, बच्ची) खाना न खाते हों। जब खाना खाने लग जायें तो दोनों का पेशाब धोया जाये।

379:— हसन बसरी ने अपनी माता जी से रिवायत कियाः उन्होंने बयान किया कि मैंने उम्मे सलमा रज़ि॰ को देखा कि वह बच्चे के पेशाब पर छींटे मारतीं जब तक कि वह खाना न खाता। जब खाना खाने लगता तो उसे धोती थीं और लड़की के पेशाब को तो धोती ही थीं।

फ़ाइदाः— यह रिवायत अगर्चे ज़ओ़फ़ है लेकिन दूसरी सहीह हदीसों से ताईद होती है। हसन बसरी दोनों के पेशाब को एक तरह मानते हैं लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हुक्म के आगे उन की बातें नहीं चलेगी। लड़की का हर हाल में धोया जायेगा।

बाब {ज़मीन पर पेशाब पड़े तो......?}

380:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक दीहाती मस्जिद में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मौजूद थे, उस ने आ कर नमाज़ पढ़ी। इब्ने अ़बदा ने कहा कि दो रकअ़त पढ़ी फिर यह दुआ़ कीः "ऐ अल्लाह! मुझ पर और मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर रहम कर और हमारे साथ और किसी पर रहम न कर" यह सुन कर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "तू ने कुशादा और लंबे चौड़े को तन्ग कर दिया (यानी अल्लाह की रहमत को) फिर ज़्यादा देर न गुज़री कि वह मस्जिद के कोने में पेशाब करने लगा, तो लोग जल्दी से उस की तरफ़ बढ़े, मगर आप ने उन को रोक दिया और फ़रमायाः तुम लोग आसानी करने वाले बना कर भेजे गये हो, परेशानी वाले नहीं। उस पेशाब पर पानी का एक डोल डाल दो।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि दुआ़ के मामले में तन्गी और कंजूसी नहीं करनी चाहिये। ज़मीन, पत्थर, शीशा और लकड़ी वग़ैरह पर नापाकी लग जाये तो उसे दूर कर देना और पेशाब की सूरत में पानी बहा देना काफ़ी होता है, मिट्टी खुरचने की ज़रुरत नहीं।

381:— अ़ब्दुल्लाह बिन माकि़ल बिन मुक़रिन (ताबओ़ी) बयान करते हैं कि एक बदवी (दीहाती) ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी और फिर ऊपर की हदीस बयान की। इस रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस जगह उस ने पेशाब किया है उसे खुरच दो और पानी बहा दो।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ओफ़ है, खुरचने की कोई आवश्यक्ता नहीं।

बाब {ज़मीन का सूख जाना ही उस की पाकी है।}

382:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में मैं मस्जिद में सोया करता था, मेरी भरपूर जवानी के दिन थे और अभी शादी नहीं हुयी थी। कुत्ते मस्जिद में आते-जाते और पेशाब भी कर देते थे मगर सहाबा उस पर कोई पानी-वानी न छिड़कते थे।

फ़ाइदा:— इसलिये कि जब ज़मीन सूख जाये और नापाकी जाहिर न हो तो ज़मीन पाक मानी जाती है।

बाब {(अगर राह चलते हुये) चादर के कोने में नजासत लग जाये ....?}

383:— इब्राहीम बिन अ़ब्दुर्रहमान की एक उम्मे वलद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा से रिवायत करती हैं कि उन्होंने पूछा: मैं ऐसी महिला हूँ कि अपनी चादर को लंबी रखती हूँ और कभी राह चलते हुये नापाक जगह से भी जाना पड़ता है (और चादर का कोना उस पर रगड़ता है) उम्मे सलमा रज़ि॰ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: बाद वली जगह उसे पाक कर देती है।

फ़ाइदा:— अगर नापाकी रगड़ने से पाक और दूर हो जाये तो ठीक, वर्ना धोना पड़ेगा।

384:— मूसा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद, कबीला बनी अशहल की एक महिला से रिवायत करते हैं कि उस महिला ने कहा: मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारा मस्जिद में जाने का रास्ता गन्दा है, तो जब बारिश हो जाये तो हम क्या करें? आप ने फ़रमाया: क्या उस (नापाक) जगह के बाद पाक जगह नहीं आती? मैंने कहा: हाँ आती है। आप ने फ़रमाया: तो यह उस के बदले है।

फ़ाइदा:— किसी नापाक जगह गुज़रते हुये पाँव, जूता या कपड़ा उस पर से गुज़र जाये, फिर बाद में सूखी मिट्टी पर से गुज़र जाये तो उसे पाक समझा जायेगा। लेकिन अगर बहने वाली चीज़ जैसे पेशाब के छींटे पड़े हों तो धोना होगा। अल्बत्ता जूता रगड़ने से पाक हो जाता है।

बाब {जूते को नजासत लग जाये तो?}

385:— सओ़द बिन अबू सओ़द मुक़बिरी ने अपने पिता से बयान किया उन्होंने अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई अपने जूते से नजासत को रौंदे तो मिट्टी उसे पाक करने वाली है।

386:— सओ़द बिन अबू सओ़द अपने पिता से वह अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऊपर की हदीस की तरह फ़रमाया, लेकिन इस रिवायत में इतना और है कि "जब कोई अपने मोज़ों से नजासत को रौंदे तो मिट्टी उसे पाक करने वाली है।"

फ़ाइदा:— जूता या चमड़े का मोज़ा होना शर्त है।

387:— सईद बिन अबू सईद, काकाअ़ बिन हकीम से और वह आइशा रज़ि॰ सेऔर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत करती हैं।

फ़ाइदा:— हदीस न॰ 385, 386, 387, तीनों ज़ईफ़ हैं लेकिन इन की सहीह हदीसों से ताईद होती है, जैसा कि ऊपर हदीसें गुज़रीं।

बाब **{नजासत लगे कपड़े की वजह से नमाज़ दोहराने का मस्अला।}**

388:— उम्मे यूनुस बयान करती हैं कि मुझ से मेरी ननद उम्मे जहदर ने बयान किया कि मैं ने आइशा रज़ि॰ से माहवारी के उस खून के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाता है तो उन्होंने फ़रमायाः मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थी, हमारे ऊपर हमारा कपड़ा था, उस के ऊपर हम ने एक अपनी चादर डाली हुयी थी। जब सुबह हुयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऊपर वाली चादर ओढ़ ली और नमाज़ पढ़ने चले गये और फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी, फिर बैठे रहे। (इतने में) एक आदमी ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह आप की चादर में खून का दाग़ है, तो आप ने चादर के उस हिस्से को जिस पर दाग़ था पकड़ लिया और एक गुलाम को देकर मेरे पास भेजा और फ़रमायाः इसे धोकर सुखा लो फिर मेरे पास वापस भेज दो। चुनान्चे मैंने अपना प्याला मँगवाया, उस चादर को धोया और सुखाया, फिर आप के पास भेज दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दोपहर के समय तशरीफ़ लाये तो आप उस चादर को ओढ़े हुये थे।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन मफ़हूम और मस्अला सहीह है। अनजाने में अगर नमाज़ पढ़ ली नापाक कपड़े में तो माफ़ है, दोहराने की ज़रुरत नहीं जैसा कि और दूसरी रिवायतों में है (अबू दावूद 605)

बाब **{कपड़े को थूक लग जाये तो......?}**

389:— अबू नज़रा रह॰ (ताबई) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने कपड़े में थूका और फिर उसे उस में मसल दिया(यह हदीस मुर्सल है)

390:— हुमैद ने अनस रज़ि॰ से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की।

फ़ाइदा:— थूक इन्सान का पाक है, बलग़म और नाक का नेटा पाक है, लेकिन कपड़े पर लग जाये तो बुरी लगती है, इसलिये साफ़ कर लेना चाहिये। नमाज़ की हालत में थूकने की ज़रुरत हो तो अपने रुमाल में थूक कर मसल दे। बलग़म मुँह में रख कर नमाज़ ख़त्म होने का इन्तिज़ार न करे।

❀ ❀ ❀

नमाज़ के मसाइल

बाब {नमाज़ के फ़र्ज़ होने का बयान।}

391:— तल्हा बिन उबैदुल्लाह बयान करते हैं कि अहले नज्द में से एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया। उस के सर के बाल बिखरे हुये थे। उस की आवाज़ की गुनगुनाहट सुनी ज़ा रही थी मगर समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है, यहाँ तक कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के क़रीब आ गया तो मालूम हुआ कि वह इस्लाम के बारे में पूछ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "दिन और रात में पाँच नमाज़ें हैं" उस ने कहाः इन के अ़लावा भी मेरे ऊपर कुछ है? आप ने फ़रमायाः नहीं, मगर यह कि तुम नफ़्ल पढ़ो। रावी हदीस ने कहा कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से रमज़ान के रोज़ों का ज़िक्र फ़रमाया तो उस ने पूछाः क्या मुझ पर इस के अ़लावा भी हैं? आप ने फ़रमाया नहीं, मगर यह कि तुम नफ़्ली रोज़े रखो। हदीस के रावी ने कहा कि फिर आप ने उस को सदक़ा (ज़कात) के बारे में बताया तो उस ने पूछाः क्या मुझ पर इस के अ़लावा भी है? आप ने फ़रमायाः नहीं, मगर यह कि तुम नफ़्ली ख़ैरात दो। चुनान्चे वह आदमी इस हाल में वापस हुआ कि कहे जा रहा थाः "अल्लाह की क़सम! मैं इस से ज़्यादा करूँगा न कम" यह सुन कर आप ने फ़रमायाः कामियाब हुआ वह शख़्स अगर साबित क़दम रहा।

392:— अबू सहल नाफ़े बिन मालिक बिन अबू आ़मिर की सनद से भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत है लेकिन इस में इतना और है कि आप ने फ़रमायाः "क़ामियाब हुआ, क़सम उस के बाप की, अगर सच्चा हुआ और जन्नत में दाख़िल हुआ, क़सम उस के बाप की अगर सच्चा हुआ।"

बाब {नमाज़ के औक़ात का बयान।}

393:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिब्रील ने बैतुल्लाह के पास मेरी दो बार इमामत कराई (पहली बार) मुझे जुहर की नमाज़ पढ़ाई उस समय जब कि सूरज ढल गया और साया तस्मे के बराबर था। और अ़स्र की नमाज़ पढ़ाई जब

उस का साया उस के बराबर हो गया। और मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई जिस समय रोज़ादार रोज़ा खोलता है। और इशा की नमाज़ पढ़ाई जबकि लाली आसमान से ग़ाइब हो गयी। और फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई जबकि रोज़ेदार पर खाना-पीना हराम हो जाता है।

जब दूसरा दिन हुआ तो मुझे जुहर की नमाज़ पढ़ाई जब उस का साया उस के बराबर था। और अ़स्र की नमाज़ पढ़ाई जब उस का साया दोगुना था। और मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई जब रोज़ेदार रोज़ा खोलता है। और इशा की नमाज़ पढ़ाई जब रात का तिहाई हिस्सा बीत गया। फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई जब खूब उजाला हो गया।

फिर जिब्रील मेरी तरफ़ हुये और कहाः ऐ मुहम्मद! आप से पहले के नबिय्यों के यही औक़ात थे, और (नमाज़ के) औक़ात उन दोनों वक़्तों के बीच में है।

फ़ाइदा:— "आप से पहले के नबिय्यों के यह औक़ात हैं" का यह अर्थ है कि उन के लिये भी इसी प्रकार औक़ात तै किये गये थे, न कि उन पर भी पाँच समय की नमाज़ें फ़र्ज़ थीं। यहाँ नमाज़ के तीन समय साबित हुये। इन में सब से अफ़्ज़ल कौन सा है वह दूसरी हदीस से साबित है।

394:— उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ रह० मिंबर पर बैठे हुये थे, उन्होंने अ़स्र की नमाज़ में कुछ देरी कर दी थी तो उर्वा बिन जुबैर ने उन से कहाः याद रहे कि जिब्रील ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नमाज़ों के समय की सूचना दी है। यह सुन कर उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने कहाः अपनी बात पर ज़रा ध्यान दीजिये। इस पर उर्वा ने कहा कि मैंने बशीर बिन अबू मस्ऊद से सुना है वह कह रहे थे कि मैंने अबू मस्ऊद अन्सारी को बयान करते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिब्रील तशरीफ़ लाये और मुझे नमाज़ के औक़ात की सूचना दी और मैंने आप के साथ नमाज़ पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी। आप यह बयान करते हुये अपनी उंगलियों पर पाँच नमाज़ों को गिन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप जुह्र की नमाज़ पढ़ते थे जबकि सूरज ढल जाता था और सख़्त गर्मी में कभी देरी भी कर देते थे। और मैंने देखा कि आप अ़स्र की नमाज़ पढ़ते थे जबकि सूरज ऊँचा और सफ़ेद होता था, पीला पन आने से पहले-पहले। आदमी नमाज़ पढ़ कर निकलता और सूरज डूबने से पहले-पहले जुल हुलैफ़ा के स्थान तक पहुँच जाता था। और मग़्रिब की नमाज़ पढ़ते जब सूरज डूब जाता। और इशा की नमाज़ पढ़ते जब पच्छिम की तरफ़ काला पन आ जाता और कभी लेट भी कर देते यहाँ तक कि लोग जमा हो जाते। और फ़ज्र की नमाज़ आप ने एक बार अँधेरे में पढ़ी और एक दफ़ा पढ़ी तो रोशन कर दी, मगर इस के बाद आप की नमाज़ अँधेरे ही में हुआ करती थी, यहाँ तक कि आप का देहान्त हो गया और कभी रोशन न किया।

395:— अबू मूसा से रिवायत है कि पूछने वाले ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से (नमाज़ के वक़्तों के बारे में) पूछा मगर आप ने उसे कोई उत्तर न दिया। फिर बिलाल रज़ि० को हुक्म दिया तो उन्होंने फ़ज्र की (अज़ान व) इक़ामत कही जिस समय फ़ज्र ज़ाहिर हुयी, तो आप ने नमाज़ पढ़ाई जबकि (अँधेरा होने की वजह से) आदमी अपने साथी का चेहरा पहचान न सकता था, या यह कि आदमी यह न पहचान सकता था कि उस के पहलू में कौन है। फिर बिलाल को हुक्म

दिया तो उन्होंने जुहू की (अज़ान व) इक़ामत कही, उस समय जब सूरज ढल गया, यहाँ तक कि कहने वाला पूछता कि क्या दोपहर हो गया है? और आप वक़्त को अच्छी तरह जानने वाले थे (यानी सूरज ढलने ही पर नमाज़ पढ़ी, मगर लोगों को शुब्हा हो सकता था) फिर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने अस्र के लिये (अज़ान व) इक़ामत कही जबकि सूरज सफ़ेद और ऊँचा था, मगर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने मग़रिब के लिये (आज़ान व) इक़ामत कही जबकि सूरज डूब गया था। फिर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्हेांने इशा के लिये (अज़ान व) इक़ामत कही जबकि लाली ग़ाइब हो गयी थी।

और जब अगला दिन हुआ तो आप ने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी और तशरीफ़ ले गये और हम कह रहे थे कि क्या सूरज निकल आया है? फिर अस्र के समय में जोहर की इक़ामत कही (यानी कल बीते हुये के समय में) और अस्र पढ़ी जबकि सूरज पीला पड़ गया था, या कहा कि जब शाम हो गयी और मग़रिब पढ़ी इस से पहले कि लाली समाप्त हो। और इशा की नमाज़ पढ़ी तिहाई रात के क़रीब, फिर फ़रमायाः कहाँ है नमाज़ का समय पूछने वाला? नमाज़ का समय इन दो वक़्तों के दर्मियान है।

396:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप ने फ़रमायाः जोहर का समय उस वक़्त तक है जब तक अस्र शुरु न हो। और अस्र का वक़्त उस समय तक है जब तक कि सूरज पीला न हो। और मग़रिब का समय उस वक़्त तक है जब तक कि लाली ग़ाइब न हो। और इशा का समय आधी रात तक है। और फ़ज्र की नमाज़ का समय जब तक सूरज न निकले।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ों का समय और आप के नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा।}

397:— मुहम्मद बिन अ़म्र (बिन हसन बिन अ़ली बिन अबू तालिब) कहते हैं कि हम ने जाबिर रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ों के औक़ात पूछे तो उन्होंने कहा कि आप ज़ोहर की नमाज़ सख़्त गर्मी के समय में पढ़ा करते थे (यानी ज़वाल के बाद अव्वल तक़्त में पढ़ते थे) और अस्र उस वक़्त अदा करते थे जबकि सूरज ज़िन्दा होता (यानी उस में चमक और गर्मी बाक़ी होती) और मग़रिब उस समय पढ़ते जब सूरज डूब जाता। और इशा में जब लोग पहले जमा हो जाते तो जल्दी करते। और जब कम होते तो ताख़िर कर देते। और फ़ज्र की नमाज़ अँधेरे में पढ़ा करते थे।

फ़ाइदा:— मुहम्मद, यह अ़ली रज़ि॰ के पड़पोते हैं।

398:— अबू बर्ज़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ उस समय पढ़ते थे जब सूरज ढ़ल जाता था। अस्र की नमाज़ उस समय पढ़ते थे जब हम में से कोई मदीना से बाहर की आबादी में जा कर वापस आ जाता और सूरज अभी ज़िन्दा होता (यानी साफ़ और स्पष्ट होता) अबू मन्हाल ने कहा कि मग़रिब का समय मैं भूल गया हूँ। और

इशा की नमाज़ में आप तिहाई रात तक लेट होने की पर्वा न करते.....फिर कहा कि....आधी रात तक। और कहा कि आप इशा से पहले सो जाने और इस के बाद बातें करने को नापसन्द फ़रमाते थे। और फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते तो हम में से एक अपने साथी को जिसे वह जानता होता, पहचान सकता था। और आप उस में साठ से सौ आयतें तक पढ़ा करते थे।

बाब {जुह्र की नमाज़ का समय।}

399:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा करता था, तो अपनी मुट्ठी में कंकरियाँ उठा लेता ताकि ठन्डी हो जायें और उन्हें अपनी पेशानी के नीचे रख कर सज्दा कर सकूँ और यह सख़्त गर्मी की वजह से होता था।

400:— उस्वद से रिवायत है कि अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ अन्दाज़ा से गर्मी में तीन क़दम से पाँच क़दम (साया) तक, और सर्दियों में पाँच से सात क़दम तक होती थी।

फ़ाइदा:— यानी ज़वाल के बाद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ताख़िर करते वह इतनी ही होती थी कि गर्मी के दिनों में साया, तीन क़दम से पाँच कदम और सर्दी में पाँच से सात क़दम होता था। इस साए में अस्ल साया और बाद का साया दोनों शामिल हैं।

401:— ज़ैद बिन वहब से रिवायत है कि मैं ने अबू ज़र को बयान करते सुना वह कहते थे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे कि मुअज़्ज़िन ने ज़ोहर की अज़ान कहना चाही तो आप ने फ़रमाया: "ठन्डक होने दो" उस ने फिर अज़ान कहना चाही तो आप ने फ़रमाया: ठन्डक होने दो। दो मर्तबा या तीन मर्तबा यही हुआ यहाँ तक कि हम ने टीलों के साये देख लिये। फिर फ़रमाया: गमी की शिद्दत (तेज़ी) जहन्नम की लपट से है। जब गमी सख़्त हो तो नमाज़ को ठन्डे वक़्त में पढ़ो।

402:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब गर्मी सख़्त हो तो नमाज़ ठन्डे वक़्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की सख़्ती जहन्नम की लपट से है।

403:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि जब सूरज ढल जाता था तो बिलाल रज़ि॰ जुहर की अज़ान कहते थे।

फ़ाइदा:— "गर्मी की सख़्ती जहन्नम की लपट से है" नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस की वज़ाहत नहीं फ़रमाई है इसलिये हमें भी बहुत अधिक पीछे पड़ने की नहीं ज़रुरत है। "नमाज़ को ठन्डे वक़्त में पढ़ो" यानी ज़वाल के बाद।

बाब {अस्र की नमाज़ का समय।}

404:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अस्र

की नमाज़ पढ़ा करते जबकि सूरज सफ़ेद, ऊँचा और ज़िन्दा होता था। और जाने वाला मदीना की ऊँचाई वाले अ़लाक़ा में पहुँच जाता और सूरज ऊँचा ही होता था।

405:— इमाम ज़हरी बयान करते हैं कि मदीना के बलाई हिस्सा की आबादियाँ दो या तीन मील तक होती थीं। और कहा: मेरा ख़याल है कि यह भी कहा कि या चार मील तक होती थीं।

406:— ख़ैसमा कहते हैं कि "सूरज ज़िन्दा होने" का मफ़हूम यह है कि आप उस की गर्मी व हरारत महसूस करें।

फ़ाइदा:— अ़स्र का प्रथम समय एक मिस्ल साया है। मदीना के दख़िन और पूरब की आबादी को अ़वाली (बालाई अ़लाक़ा) और उत्तर तरफ़ के क्षेत्र को "साफ़िला" (निचला ईलाक़ा) कहते थे।

407:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़स्र की नमाज़ पढ़ते तो धूप आप के हुजरे में होती और दीवार पर न चढ़ी होती थी।

फ़ाइदा:— घर के साथ घिरे हुये आँगन को भी "हुजरा" कहते हैं। आइशा रज़ि॰ के आगँन की दीवारें छोटी थीं इसलिये धूप अभी आँगन ही में होती थी।

408:— अ़ली बिन शैबान रज़ि॰ ने बयान किया कि हम मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आये तो (देखा कि) आप अ़स्र को लेट करते थे जब तक कि सूरज सफ़ेद और साफ़ होता था।

फ़ाइदा:— सनद ज़ओ़फ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अव्वल समय पर नमाज़ पढ़ते थे।

409:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़न्दक़ वाले दिन कहा: "इन लोगों ने हमें दर्मियानी (या अफ़ज़ल) नमाज़, अ़स्र की नमाज़ से रोके रखा, अल्लाह पाक उन के घरों और क़ब्रों को आग से भर दे।"

410:— आइशा रज़ि॰ के आज़ाद र्कदा गुलाम अबू यूनुस ने बयान किया कि मुझे आइशा रज़ि॰ ने हुक्म दिया कि उन्हें क़ुरआन मजीद लिख दूँ, और फ़रमाया कि जब तुम इस आयात "हाफ़िज़ू अ-लस्स-लवाति....." पर पहुँचो तो मुझे बतलाना। चुनान्चे जब मैं इस आयत पर पहुँचा तो मैने उन्हें सूचना दी, तो उन्होंने मुझे यह आयत इस प्रकार लिखवाई "नमाज़ों की पाबन्दी करो और बीच की नमाज़ (या अफ़ज़ल नमाज़) अ़स्र की नमाज़ की, और अल्लाह के लिये अदब के साथ खड़े हो जाओ" फिर उन्होंने कहा कि मैंने यह (आयत इन अल्फ़ाज़ के साथ) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी है।

411:— ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ दोपहर के वक़्त में पढ़ा करते थे और सहाबा के लिये इस नमाज़ से बढ़ कर और कोई नमाज़ सख़्त न होती थी। चुनान्चे यह आयत नाज़िल हुयी: "नमाज़ों की पाबन्दी करो और दर्मियानी

नमाज़ की" (ज़ैद बिन साबित ने) कहा: इस से पहले दो नमाज़ें हैं (यानी इशा, फ़ज्र रात की) और इस के बाद भी दो नमाज़ें हैं (यानी अ़स्र और मग़रिब, दिन की)

फ़ाइदा:— यह ज़ैद बिन साबित का अपना ख़याल है, दीगर सहीह हदीसों से अ़स्र की नमाज़ ही मुराद है।

412:— अबू हुरैरा रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने सूरज डूबने से पहले अ़स्र की एक रक्अ़त पा ली। और जिस ने सूरज निकलने से पहले फ़ज्र की एक रक्अ़त पा ली, उस ने नमाज़ पा ली।

फ़ाइदा:— यह हदीस उस के लिये है जिस के लिये मजबूरी हो। सो गया हो या भूल गया हो और बिल्कुल अन्तिम समय में जागा हो। या अन्तिम समय में याद आयी हो। मगर जो जान बूझ कर इस पर अ़मल करे वह हद दर्जा अभागा है।

413:— अ़ला बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि हम जुहर की नमाज़ के बाद अनस रज़ि॰ के घर गये तो वह उठ कर अ़स्र की नमाज़ पढ़ने लग गये। जब वह नमाज़ पढ़ चुके तो हम ने उन से अ़स्र की नमाज़ जल्दी पढ़ने का ज़िक्र किया, या खुद उन्होंने ज़िक्र किया तो कहा: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है: यह मुनाफ़िक़ों की नमाज़ है, यह मुनाफ़िक़ों की नमाज़ है, यह मुनाफ़िक़ों की नमाज़ है, कि उन में से एक बैठा रहता है यहाँ तक कि जब सूरज पीला पड़ जाता है और शैतान के दो सींगों के दर्मियान, या उन सींगों के ऊपर होता है, तो उठ कर चार ठोंगें मारता है और अल्लाह का ज़िक्र उस नमाज़ में बस नाम भर के लिए करता है।

फ़ाइदा:— यह हदीस गोया पहली हदीस की तफ़सीर है। कि अगर किसी से मजबूरी में देरी हो गयी और उस ने सूरज डूबने से पहले पहले एक रक्अ़त पा ली हो तो उस ने गोया वक़्त में नमाज़ पा ली। अगर बिना किसी मजबूरी के ताख़ीर करे तो यह मुनाफ़िक़त की पहचान है।

414:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस की अ़स्र की नमाज़ फ़ौत हो जाये, तो गोया उस से उस के घर वालों को और उस के माल को छीन लिया गया।

415:— अबू अ़म्र यानी इमाम औज़ाअ़ी ने बयान किया कि अ़स्र की नमाज़ फ़ौत होने से मुराद इतनी देरी है कि ज़मीन पर पड़ी चीज़ें धूप की वजह से पीली नज़र आने लगें। (यह हदीस ज़ओ़फ़ है)

बाब {मग़रिब की नमाज़ का वक़्त।}

416:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम मग़रिब की नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ पढ़ते थे, फिर तीर फेंकते तो हम में से हर एक उस के गिरने की जगह को देख रहा होता था।

417:— सलमा बिन अक्वा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सूरज के डूबते ही नमाज़ पढ़ लिया करते थे, यानी जब उस की टिकया ग़ाइब हो जाती थी।

418:— मरसद बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है कि अबू अय्यूब रज़ि॰ हमारे घर तशरीफ़ लाये, वह जिहाद के सफ़र पर थे और उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ उन दिनों मिस्र के हाकिम थे। उक़्बा ने मग़्रिब की नमाज़ में कुछ देरी कर दी तो अबू अय्यूब खड़े हो गये और कहा: ऐ उक़्बा! यह कौन सी नमाज़ है? उन्होंने कहा कि हम ज़रा काम में उलझे हुये थे। उन्होंने कहा: क्या आप ने नहीं सुना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: "मेरी उम्मत उस समय तक भलाई में रहेगी", या यह फ़रमाया: "फ़ितरत पर रहेगी, जब तक कि मग़रिब की नमाज़ को देर कर के पढ़ेगी कि तारे निकल आयें।"

फ़ाइदा:— नमाज़ को समय से अ़दा करना, ख़ास कर मग़िरब की.....उम्मत के फ़ितरत और ख़ैर पर होने की पहचान है और इस में ताख़ीर, इस के उलट।

बाब {इशा की नमाज़ का समय।}

419:— नोमान बिन बशीर से रिवायत है उन्होंने कहा कि मैं सब लोगों से बढ़ कर इस नमाज़ यानी इशा के समय को जानता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इसे तीसरी रात का चाँद डूबने के वक़्त पढ़ा करते थे।

फ़ाइदा:— तीसरी रात के चाँद डूबने का समय, सूरज डूबने के ढाई-तीन घन्टे के बाद होता है।

420:— अ़ब्दुल्लह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि एक रात हम इशा की नमाज़ के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इन्तिज़ार कर रहे थे। आप उस समय तशरीफ़ लाये जब रात का तिहाई हिस्सा बीत चुका था, या इस से भी अधिक बीत चुका था। पता नहीं आप किस काम में लग गये थे, या कोई और बात थी। आप जब तशरीफ़ लाये तो फ़रमाया: क्या तुम इस नमाज़ का इन्तिज़ार कर रहे हो? अगर मेरी उम्मत पर भारी न होता तो मैं उन को यह नमाज़ उसी वक़्त पढ़ाता, फिर आप ने मअज़्ज़िन को हुक्म दिया तो उन्होंने इक़ामत कही।

फ़ाइदा:— इन्तिज़ार कराने का मक़सद यह भी हो सकता है कि लोग नमाज़ के इन्तिज़ार का सवाब हासिल कर लें और उन को ताख़ीर (देर) से पढ़ने की फ़ज़ीलत भी बता दी जाये।

421:— मआज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बया किया कि एक मर्तबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इशा की नमाज़ के लिये इन्तिज़ार करते रहे, मगर आप ने ताख़ीर कर दी, यहाँ तक कि बाज़ ने यह भी सोच लिया कि शायद आप नहीं आयेंगे। और कुछ कहने लगे कि आप ने नमाज़ पढ़ ली है (इसी वजह से घर से बाहर आ नहीं रहे हैं) बहर हाल हम लोग इसी हालत में थे कि आप तशरीफ़ लाये तो सहाबा ने आप से वही कुछ कहा जो कह रहे थे। आप ने फ़रमाया: इस नमाज़ को खूब अँधेरे में पढ़ो, बिला शुब्हा तुम्हें तमाम उम्मतों पर इस के ज़रीआ़ से फ़ज़ीलत दी गयी है और तुम से पहले किसी उम्मत ने यह नमाज़ नहीं पढ़ी है।

फ़ाइदा:— इशा की नमाज़ को देर कर के पढ़ना अफ़्ज़ल है लेकिन इस फ़ज़ीलत को हासिल करने के लिये जमाअत की नमाज़ छोड़ना हर्गिज़ जाइज़ नहीं है।

422:— अबू सओद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि एक बार हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज़ पढ़नी चाही मगर (उस रोज़) आप तश्रीफ़ ही न लाये यहाँ तक कि लगभग आधी रात बीत गयी। (आख़िर आप जब आये) तो फ़रमाया: अपनी-अपनी जगहों पर बैठे रहो, तो हम अपनी-अपनी जगहों पर बैठे रहे। आप ने फ़रमाया: लोगों ने नमाज़ पढ़ ली और अपने बिस्तरों में जा सोए हैं, लेकिन तुम जिस समय से इन्तिज़ार कर रहे हो, नमाज़ ही में हो। अगर कमज़ोरों की कमज़ोरी और बीमारों की बीमारी का ख़याल न होता तो मैं इस नमाज़ को आधी रात तक देर कर के पढ़ता।

बाब {फ़ज्र की नमाज़ का समय।}

423:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते (और इस के बाद) महिला नमाज़ी अपनी चादरों में लिपट कर वापस होतीं तो अँधेरा होने के नाते पहचानी न जातीं थीं।

424:— महमूद बिन लबीद, राफ़े बिन ख़दीज रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: सुब्ह ज़ाहिर होने पर (ही) सुब्ह की नमाज़ पढ़ा करो, बिला शुब्हा यह तुम्हारे लिये बहुत अधिक सवाब का बाइस है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हद तक अव्वल समय में नमाज़ अदा फ़रमाते थे कि नमाज़ पढ़ लेने के बाद भी अँधेरा बाक़ी रहता था और दूर से मालूम न होता था कि कोई औरत जा रही है या मर्द, वर्ना पर्दादार ख़ातूनके पहचाने जाने का कोई माना नहीं। बहरहाल अफ़्ज़ल यही है कि सुब्ह सादिक़ के बाद जल्द ही अदा कर लिया जाये। और इस का समय सूरज निकलने से पहले तक रहता है।

बाब {नमाज़ों के समय की पाबन्दी का बयान।}

425:— अब्दुल्लाह बिन सनाबही से रिवायत है उन्होंने कहा कि अबू मुहम्मद (अन्सारी सहाबी) का ख़याल है कि वित्र वाजिब है। उबादा बिन सामित रज़ि॰ ने (सुना तो) कहा: अबू मुहम्मद ने ग़लत कहा है। मैं गवाही देता हूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है "पाँच नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, जो उन के लिये अच्छी तरह वुज़ू करे और उन्हें उन के समय पर अदा करे, उन के रुकूअ को और खुशूअ को कामिल करे, तो ऐसे शख़्स के लिये अल्लाह का वादा है कि वह उसे बख़्श देगा। और जो यह न करे तो उस के लिये अल्लाह का कोई वादा नहीं है, चाहे तो माफ़ कर दे और अगर चाहे तो दन्ड दे।

फ़ाइदा:— वित्र पाँचों नमाज़ों की तरह फ़र्ज़ नहीं है, मगर उस के मस्नून और ताकीदी सुन्नत होने में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं, चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सफ़र में भी नहीं छोड़ते थे।

426:— क़ासिम बिन ग़न्नाम अपनी एक माँ से रिवायत करते हैं, वह उम्मे फरवा से रिवायत करती हैं, वह कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया कि आमाल में से कौन सा अ़मल अफ़ज़ल है? आप ने फरमायाः नमाज़, अव्वल समय पर अदा करना।

427:— अबू बक्र बिन उमारा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि अहले बसरा के किसी शख़्स ने उन से कहाः आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से जो कुछ सुना है उस में से कुछ मुझे भी बयान फ़रमाइये। उन्होंने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुये सुना है कि "दोज़ख़ में नहीं जायेगा वह आदमी जिस ने सूरज निकलने और उस के डूबने से पहले की नमाज़ें पढ़ीं।" उन्होंने कहाः क्या यह आप ने उन से खुद सुना है? तीन बार पूछा। तो उन्होंने कहाः हाँ, और हर मर्तबा कहते रहे कि मैंने इसे अपने कानों से सुना है और मेरे दिल ने याद रखा है। उस ने कहाः मैंने भी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यही फ़रमाते हुये सुना है।

428:— अ़ब्दुल्लाह बिन फ़ुज़ाला अपने वालिद से रिवायत करते हैं वह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे सिखाया और जो सिखाया उन में यह बात भी थी "पाँचों नमाज़ों की पाबन्दी करना" मैंने कहा कि इन वक़्तों में मेरे कुछ काम होते हैं तो आप मुझे कोई ठोस बात बता दें जिस पर अ़मल मेरे लिये काफ़ी रहे। आप ने फ़रमायाः "अ़स्रैन की पाबन्दी करना" चूँकि यह शब्द हमारी ज़बान में प्रचलित न था तो मैंने पूछाः इस से क्या मुराद है? आप ने फ़रमायाः सूरज के निकलने और डूबने से पहले की नमाज़ें (यानी फ़ज्र और अ़स्र की)

429:— खुलैद अ़सरी अबू दर्दा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पाँच चीज़ें हैं जिस ने उन पर ईमान के साथ अ़मल किया वह जन्नत में दाख़िल हुआ। जिस ने पाँचों नमाज़ों की उन के वुज़ू, रुकूअ़, सुजूद और समय समेत हिफ़ाज़त और पाबन्दी की, रमज़ान के रोज़े रखे, बैतुल्लाह का हज्ज किया अगर उस तक पहुँचने की ताक़त हो, ज़कात खुशी के साथ अदा की और अमानत अदा की। लोगों ने कहाः ऐ अबू दर्दा! "अमानत की अदायगी" से क्या मुराद है? कहाः जनाबत का स्नान। (इस की सनद ज़ईफ़ है)

430:— सईद बिन मुसय्यिब ने कहा कि अबू क़तादा ने उन को ख़बर दी की नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक का फ़र्मान है कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और अपने लिये यह वादा किया है कि जो शख़्स इस हाल में (मेरे पास) आया कि उन के समय की हिफ़ाज़त और पाबन्दी करता रहा, तो मैं उसे जन्नत में दाख़िल करूँगा। और जो उन की हिफ़ाज़त न करता रहा उस के लिये मेरे यहाँ कोई वादा नहीं है।

बाब {जब इमाम नमाज़ को उस के वक़्त से पीछे कर दे।}

431:— अबू ज़र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ अबू ज़र! उस समय तेरा क्या हाल होगा जब तुझ पर ऐसे हाकिम होंगे जो नमाज़ों को मार डालेंगे।

या यह फ़रमाया........उन में लेट करेंगे। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आप मुझे क्या आदेश देते हैं? आप ने फ़रमायाः तुम नमाज़ को उस के समय में पढ़ लिया करना। और अगर तुम उसे उन के साथ पाओ तो उन के साथ भी पढ़ लिया करना और यह तुम्हारे लिये नफ़्ल होगी।

फ़ाइदाः— **अगर इमाम और हाकिम ठीक समय पर नमाज़ की इमामत न करें तो सच्चे नमाज़ी को चाहिये कि सही समय पर अकेले ही पढ़ ले। फिर उन के साथ उन की मज्लिस या मस्जिद में मौजूद हो और वह नमाज़ पढ़ने लगें तो उन के साथ भी जमाअ़त में शामिल हो जाये ताकि फ़साद न हो। इस प्रकार अकेले पढ़ी हुयी नमाज़ फ़र्ज़ होगी और बाद वाली नफ़्ल, चाहे जमाअ़त ही से क्यों न पढ़ी हो।**

432:— अ़म्र बिन मैमून से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ हमारे यहाँ यमन आये, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ से गर्वनर बन कर आये थे। अ़म्र ने कहा कि फ़ज्र की नमाज़ में, मैं ने उन की तक्बीर सुनी। वह भारी आवाज़ वाले थे। उन को मुझ से मोहब्बत हो गयी तो मैं ने उन्हें मरते दम तक नहीं छोड़ा यहाँ तक कि मुल्क शाम में उन्हें (अपने हाथों से) दफ़न किया। उन के बाद मैंने लोगों में सब से ज़्यादा होशियार आदमी पर नज़र दौड़ाई तो मैं अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ के पास आ गया और उन के साथ रहा, यहाँ तक कि वह भी देहान्त कर गये। उन्होंने मुझ से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमाया थाः तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम पर ऐसे हाकिम हुकूमत करेंगे जो नमाज़ों को बेवक़्त पढ़ेंगे। मैंने कहाः आप मुझे क्या हुक्म देते हैं अगर इन हालात का सामना हो? आप ने फ़रमायाः नमाज़ को अपने समय पर पढ़ लिया करना और उन के साथ पढ़ी गयी नमाज़ को नफ़्ल समझना।

433:— उबादा बिन सामित रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरे बाद एक समय आयेगा कि तुम पर ऐसे हाकिम हुकूमन करेंगे जिन्हें उन के काम उन्हें नमाज़ पढ़ने से ग़ाफ़िल कर देंगे, इसलिये वह नमाज़ों को बेवक़्त पढ़ेंगे। इसलिये तुम नमाज़ को ठीक वक़्त पर (अकेले ही) पढ़ लेना। इस पर एक व्यक्ति ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! क्या (बाद में) उन के साथ नमाज़ पढ़ लूँ? आप ने फ़रमायाः हाँ अगर चाहो। अबू सुफ़यान के शब्द यह है "अगर मैं वही नमाज़ उन के साथ पाऊँ तो उन के साथ मिल कर पढ़ूँ? आप ने फ़रमायाः हाँ, अगर तुम चाहो।

434:— कुबैसा बिन वक़्क़ास रज़ि॰ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरे बाद तुम पर ऐसे हाकिम आयेंगे जो नमाज़ों को ताख़िर (देर) से पढ़ेंगे, तो ऐसी नमाज़ें तुम्हारे लिये सवाब का कारण होंगी जबकि उन के लिये बवाल होंगी, इसलिये उन के साथ मिल कर पढ़ लिया करना, जब तक क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ें पढ़ते रहें।

फ़ाइदाः— तुम्हें इसलिये सवाब मिलेगा कि लेट कर के पढ़ने में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और उन के हाकिमों के सामने मुख़ालिफ़त भी न कर सकोगे, इसलिये नमाज़ में ताख़ीर पर तुम गुनहगार

नहीं होंगे।

बाब {जो नमाज़ के समय सोता रह जाये, या नमाज़ (पढ़ना) भूल जाये?}

435:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब ख़ैबर की लड़ाई से वापस लौट रहे थे तो आप आराम करने के लिये उतर गये यहाँ तक कि जब हम सब को नींद आने लगी तो आप आराम करने के लिये उतर गये और बिलाल रज़ि॰ से फ़रमाया: "आज रात हमारा पहरा देना" बयान किया कि बिलाल की भी आँखें सो गयीं और वह अपने ऊँट से टेक लगाए हुये थे। चुनान्चे ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जागे, न बिलाल और ना ही और दूसरे सहाबी। फिर जब धूप लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सब से पहले जागने वाले थे, आप घबराए और फ़रमाया: ऐ बिलाल! उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे भी उसी चीज़ ने पकड़ लिया जिस ने आप को पकड़ा, मेरे माता-पिता आप पर क़ुर्बान! फिर वहाँ से रवाना हो गये (और कुछ दूर जा कर उतरे) जब आप ने वुज़ू किया और बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने नमाज़ के लिये इक़ामत कही और आप ने उन्हें फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई। आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो फ़रमाया: जो नमाज़ को भूल जाये तो जब याद आये एसी समय पढ़ लिया करे। बेशक अल्लाह पाक ने फ़रमाया है कि "नमाज़ क़ाइम करो जब याद आये"

436:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने ऊपर के क़िस्से में यह भी बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "इस स्थान से कूच कर चलो जहाँ तुम पर ग़फ़लत छा गयी है" इस के बाद आप ने बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने अज़ान और फिर इक़ामत कही और नमाज़ पढ़ी।

437:— अबू क़तादा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने एक सफ़र में थे, इसी बीच आप राह से एक तरफ़ हो गये तो मैं भी आप के साथ एक तरफ़ को हो गया। आप ने फ़रमाया: ज़रा देखो! मैंने कहा: कोई सवार आ रहा है। यह दो हैं और वह तीन हैं, फिर हम सात लोग हो गये, तब आप ने फ़रमाया: हमारी नमाज़ का ख़याल रखना, यानी फ़ज्र की नमाज़ का। लेकिन उन के कान बन्द कर दिये गये (यानी सोते रह गये) और उन को सूरज की चमक ही ने जगाया। चुनान्चे वह उठे और कुछ समय तक चले, फिर उतरे, वुज़ू किया और बिलाल ने अज़ान कही, सब ने फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ी, फिर फ़ज्र की नमाज़ अदा की और सवार हो गये। तो लोग एक-दूसरे से कहने लगे: हम ने अपनी नमाज़ में बहुत कोताही की है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: सो जाने में कोई कोताही नहीं है, कोताही तो तब होती जब इन्सान जागता हरे, इसलिये जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ना भूल जाये तो जब उसे याद आये तो पढ़ ले और फिर (आइन्दा के लिये) अगले दिन उसे वक़्त पर ही अदा करे।

फ़ाइदा:— सोते रह जाने, या भूल जाने का कुसूर माफ़ है। ऐसी नमाज़ों के लिये जब जागे वही समय है। फ़ज्र की सुन्नतें और दीगर सुन्नतों के मुक़ाबले में ज़्यादा अहम हैं कि सफ़र में भी नहीं छोड़ी गयीं।

438:— ख़ालिद बिन सुमैर ने बयान किया कि मदीना से अ़ब्दुल्लाह बिन रिबाह अन्सारी हमारे पास

तशरीफ़ लाये, अन्सार लोग उन्हें ज्ञानी मानते थे, उन्होंने हम से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहसवार अबू क़तादा अन्सारी ने मुझे बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने "जैशुल् उमरा" रवाना फ़रमाया फिर यह घटना बयान किया कि हमें सूरज ने ही जगाया, हम लोग घबरा कर नमाज़ के लिये उठे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "ख़याल से, संभल कर" फिर जब सूरज ऊँचा हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो तुम में से सुन्नतें पढ़ना चाहता है वह पढ़ ले, तो जो पहले से पढ़ा करता था उस ने पढ़ लीं और जो न पढ़ता था उस ने न पढ़ी। फिर आप ने हुक्म दिया कि नमाज़ के लिये अज़ान कही जाये तो अज़ान कही गयी और आप ने नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो फ़रमाया: हम अल्लाह की प्रशंसा करते हैं कि हम दुनिया के किसी काम में लगे हुये न थे जिस की वजह से हमारी नमाज़ रह गयी, बल्कि हमारी रुहें अल्लाह के हाथ में थीं तो उस ने जब चाहा उन्हें छोड़ दिया, इसलिये जो तुम में से कल को आराम के साथ फ़ज्र की नमाज़ पाये उस के साथ इस नमाज़ की क़ज़ा भी दे।

फ़ाइदा:— यह हदीस तो सहीह है, लेकिन इस में तीन बातें दुरुस्त नहीं हैं (1) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैशुल् उमरा रवाना फ़रमाया (2) जो तुम में सुन्नतें पढ़ना चाहे, वह पढ़ ले (3) उस के साथ इस नमाज़ की क़ज़ा भी दे। यह तीनों बातें दुरुस्त नहीं है। हाँ, छूटी हुयी नमाज़ जब जागे तुरन्त पढ़ ले, उस को अगले दिन क़ज़ा करना दुरुस्त नहीं है। "जैशुल उमरा" मूती की जन्ग को कहा गया है।

439:— इब्ने अबू क़तादा, अपने पिता अबू क़तादा से रिवायत करते हैं, उन्होंने उस ख़बर में बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह ने जब चाहा तुम्हारी जानें पकड़ लीं और जब चाहा लौटा दीं, इसलिये यहाँ तक कि जब सूरज बुलन्द होगया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुये और लोगों को नमाज़ पढ़ाई।

440:— अ़ब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा अपेन पिता अबू क़तादा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की और कहा: फिर आप ने वुज़ू किया जबकि सूरज ऊँचा हो गया, फिर उन्हें नमाज़ पढ़ाई।

441:— अबू क़तादा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: नींद में कुसूर नहीं, कुसूर जागने की हालत में होता है (वह इस प्रकार) कि तुम किसी नमाज़ को इतना लेट कर दो कि दूसरी नमाज़ का समय आ जाये।

442:— अनस़ बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो शख़्स नमाज़ को भूल जाये तो वह उस को उसी समय अदा कर ले जब याद आ जाये, इस के अलावा उस का कोई कफ़्फ़ारा नहीं है।

फ़ाइदा:— यानी रोज़ा और हज्ज की तरह नमाज़ का कोई माली या बदनी कफ़्फ़ारा नहीं है, कोई दूसरा किसी की तरफ़ से नमाज़ अदा नहीं कर सकता।

443:— अि़म्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने एक सफ़र में थे कि लोग सुब्ह की नमाज़ के समय सोए रहे, फिर सूरज की गर्मी से जागे, फिर कुछ दूर चले यहाँ तक कि सूरज ऊँचा हो गया। फिर आप ने अज़ान का हुक्म दिया तो मुअज़्ज़िन ने अज़ान कही और फ़र्ज़ से पहले दो रक्अ़तें पढ़ी, फिर इक़ामत हुयी और फ़जर की नमाज़ पढ़ाई। (इस की सनद ज़ईफ़ है)

444:— अ़म्र बिन उमय्या ज़मुरी से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग एक यात्रा में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे, तो आप सुब्ह के समय सोये रहे यहाँ तक कि सूरज निकल आया। जब आप जागे तो फ़रमायाः इस जगह से दूर हो चलो। फिर बिलाल रज़ि॰ को हुक्म दिया तो उन्होंने अज़ान कही, फिर सब लोगों ने वुज़ू किया और फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ी, फिर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने इक़ामत कही और (आप ने) उन्हें सुब्ह की नमाज़ पढ़ाई।

445:— यज़ीद बिन सालेह ने ज़ी मिख़्बर हब्शी से रिवायत किया और यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सेवक थे, इस रिवायत में बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वुज़ू किया और मुख़्तसर वुज़ू किया कि उस के पानी से मिट्टी भी अच्छी तरह गीली न हुयी। फिर बिलाल को हुक्म दिया और उन्होंने अज़ान कही, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उठे और आराम से दो रक्अ़तें पढ़ी, फिर बिलाल से फ़रमायाः इक़ामत कहो और आप ने नमाज़ पढ़ाई, आप जल्दी में न थे।

446:— यज़ीद बिन सालेह ने ज़ी मिख़्बर यानी नज्जाशी के भतीजे से रिवायत किया, इस रिवायत में है कि उन्होंने अज़ान कही और वह जल्दी में न थे।

447:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि हुदैबिय्या के दिनों में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ आये तो आप ने फ़रमायाः हमारा पहरा कौन देगा? बिलाल ने कहाः मैं। चुनान्चे बाक़ी सो रहे और सूरज निकल आया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जागे और फ़रमायाः उसी प्रकार करो जिस प्रकार कि (इस से पहले) किया करते थे। चुनान्चे हम ने उसी प्रकार किया, आप ने फ़रमायाः जो सो जाये, या भूल जाये तो वह ऐसे ही किया करे।

बाब {मस्जिदों के निर्माण कार्य का बयान।}

448:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे यह हुक्म नहीं दिया गया कि मस्जिदों को बहुत अधिक पक्की निर्माण करुँ।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन इस में जो बात कही गयी है वह दूसरी सहीह हदीसों से साबित है।

449:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़ियामत उस समय तक न आयेगी जब तक कि लोग मस्जिदों में आपस में गर्व नहीं

करने लगेंगे।

फ़ाइदा:— यानी हमारी मस्जिद बड़ी है, ऊँची है, सुन्दर है, वग़ैरह।

450:— उस्मान बिन अबुल आ़स से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि ताइफ़ की मस्जिद उस स्थान पर बनाई जाये जहाँ उन के बुत होते थे।

फ़ाइदा:— ताइफ़ की यह मस्जिद उसी स्थान पर बनी थी जहाँ लात बुत का घर था। उस बुत ख़ाना की जगह मस्जिद का बायाँ मनारा पड़ता था। मालूम रहे कि इस्लामी हुकूमत में काफ़िरों के धर्म स्थलों को मस्जिद में बदल देना जाइज़ है, ख़ास कर उस समय जब किसी मुल्क को पराजित कर लिया जाये।

451:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में मस्जिदे-नबवी कच्ची ईंटों और खजूर की डालियों से बनी हुयी थी और उस के सुतून खजूर की लक्ड़ी के थे। अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने उस में कुछ भी इज़ाफ़ा न किया, जबकि उमर ने उस में इज़ाफ़ा किया मगर वैसे ही बनाया जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में कच्ची ईंटों और खजूर की शाखों से बनाई गयी थी, मगर उस के खंबे बदल कर लक्ड़ी के लगा दिये। उस्मान रज़ि॰ ने तो उस की तामीर (ढाँचे) ही को बदल दिया और बहुत इज़ाफ़ा किया, उस की दीवारें और खंबे पत्थरों और चूने से बनाये और छत को सागवान की लक्ड़ी की बनाई।

452:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में मस्जिदे-नबवी के सुतून खजूर के तने के थे, जिस पर खजूर की शाख़ों से छत डाली गयी थी, फिर जब यह बोसिदा (कमज़ोर) हो गयीं तो अबू बक्र के ज़माना में तनों और शाखों को बदल दिया गया (लेकिन उस की बुनियाद में कोई तबदीली नहीं की गयी) यह फिर कमज़ोर पड़ गयीं तो उस्मान रज़ि॰ के ज़माना में उन्होंने उसे पकी हुयी ईंटों से बनवाया और यह आज तक उसी पर बाक़ी है (यानी इब्ने उमर ने जब यह रिवायत की उस समय तक वही तामीर बाक़ी थी)

453:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाये तो (पहले) उस के बालाई हिस्से में क़बीला बनू अ़म्र बिन औफ़ में कियाम फ़रमाया: उन के यहाँ चौदह रातें (दो सप्ताह) ठहरे रहे। फिर आपने बनी नज्जार को संदेश भेजवाया तो वह (अपनी रीति-रिवाज के मुताबिक़ स्वागत के लिये तय्यार हो कर) तल्वारें अपने गलों में लटकाए हुये आये। अनस रज़ि॰ ने बयान किया कि गोया (वह मन्ज़र मेरी नज़रों के सामने है) मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देख रहा हूँ कि वह अपनी सवारी पर हैं और अबू बक्र आप के पीछे बैठे हुये हैं और बनी नज्जार के ज़िम्मेदार लोग आप के आस-पास हैं, फिर आप अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि॰ के एहाते में उतरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जहाँ भी नमाज़ का समय हो जाता पढ़ लिया करते थे। आप बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ते थे। फिर आप ने मस्जिद निर्माण करने का हुक्म दिया और बनी नज्जार को बुलवाया और कहा: तुम

मुझ से अपने इस बाग़ का सौदा कर लो। उन्होंने कहाः अल्लाह की क़सम! हम उस की क़ीमत सिर्फ़ अल्लाह पाक ही से लेंगे। अनस रज़ि॰ ने कहाः उस मेंजो कुछ था मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यानी मुश्रिकों की कब्रें, खँडहर और खजूर के पेड़। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुश्रिकों की कब्रों के बारे में हुक्म दिया तो उन्हें उखाड़ दिया गया, खंडहर बराबर कर दिये गये और खजूरें काट दी गयीं और उन के तनों को क़िब्ला की तरफ़ लाइन से रख दिया गया। दरवाज़े के दोनों कनारे पत्थरों से चुने गये और (वह सहाबा जो निर्माण में शरीक थे) पत्थर ढोते थे और मिल कर अशआ़र पढ़ते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी उन के साथ थे।

अल्लाहहुम्म ला खै–र इल्ला खै–रल् आख़ि–रह
फ़न्सुरिल् अन्सा–र वल् मुहाजि–रह

454:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मस्जिदे-नबवी का अहाता वास्तव में बनी नज्जार का बाग़ था और उस में कुछ खेती, खजूरें और मुश्रिकों की क़ब्रें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझ से उस की क़ीमत ले लो। उन्होंने कहाः हम उस की क़ीमत नहीं लेंगे। चुनान्चे खजूरें काट दी गयीं, खेती को बराबर कर दिया गया और मुश्रिकों की क़ब्रों को उखाड़ दिया गया......और पूरी हदीस बयान की।

बाब {मुहल्लों में मस्जिदें बनाने का बयान।}

455:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मुहल्लों में मस्जिदें बनाई जायें और उन्हें पाकीज़ा, साफ़-सुथरा और खुश्बू से तर रखा जाये।

456:— सुलैमान बिन समुरा अपने पिता समुरा बिन जुन्दुब से रिवायत करते हैं कि समुरा नेअपने बेटों की तरफ़ लिखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया करते थे कि मुहल्ले में उन की तामीर करें और उन की इमारत अच्छी बनाये और उन्हें पाक-साफ़ रखें। (इस हदीस की सनद ज़ओ़फ़ है)

बाब {मस्जिदों में रोशनी का एहतमाम करना।}

457:— मैमूना बिन्त सअ़द रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सेविका (ख़ादिमा) ने कहाः ऐअल्लाह के सन्देष्टा! हमें बैतुल मुक़द्दस के बारेमें कुछ बताइये। आप ने फ़रमायाः वहाँ जाओ, तो वहाँ नमाज़ पढ़ो.....और उस ज़माने में यह क्षेत्र दारुल् हर्ब था.....(फ़रमाया) अगर वहाँ न जा सको और नमाज़ न पढ़ सको तो वहाँ के लिये तेल ही भेज दो कि उसके चराग़ों में डाला जाये।

फ़ाइदा:— इस की सनद ज़ओ़फ़ है।

बाब {मस्जिद में कंकरियाँ बिछाना।}

458:— अबू वलीद ने बयान किया कि मैं ने इब्ने उमर रज़ि॰ से मस्जिद में कंकरियों के बारे में

पूछा (कि बिछाई जायें या न) तो उन्होंने कहा: एक रात वर्षा हो गयी जिस से ज़मीन गीली हो गयी तो हर व्यक्ति अपने कपड़े में कंकरियाँ ले आता और अपने नीचे बिछा लेता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ से फ़ारिग़ हुयेतो फ़रमाया: कितना अच्छा काम है यह।

459:— अबू स्वालेह ने बयान किया कि कहा जाताता था जब कोई आदमी मस्जिद से कंकरियाँ बाहर निकालता है तो यह उसे अल्लाह का वास्ता देती हैं (कि हमें बाहर न निकालो)

460:— अबू स्वालेह अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत करते हैं.....अबू बद्र नेकहा: मेरा ख़याल है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मर्फ़ूअ़ बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो आदमी कंकरियों को मस्जिद से निकालता हैतो वह उसे अल्लाह का वास्ता देती हैं (कि मुझे बाहर न निकालो)

फ़ाइदा:— ऊपर की हदीस न॰ 458, 459, 460 तीनों ज़ओ़फ़ हैं।

बाब {मस्जिद में झाड़ू देने का बयान।}

461:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मुझे मेरी उम्मत के सवाब (और नेकियाँ) दिखाई गयीं, यहाँ तक कि एक तिनका भी जो कोई मस्जिद से निकालता है (वह भी नेकियों में शामिल था) और मुझे मेरी उम्मत के गुनाह दिखाये गये तो मैंने देखा कि इस से बढ़ कर और कोई गुनाह नहीं कि एक आदमी को क़ुरआन मजीद की कोई सूरत या आयत याद हो और वह उसे भुला दे।

फ़ाइदा:— हदीस ज़ओ़फ़ है। लेकिन मस्जिद की सफ़ाई की फ़ज़ीलत और दूसरी हदीसों से साबित है। (बुख़ारी 458)

बाब {मस्जिद में महिलाओं का मर्दों से अलग रहना।}

462:— इब्ने उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अगर हम यह दरवाज़ा महिलाओं के लिये छोड़ दें.....(और मर्द इस से दाख़िल न हों तो बहुत बेहतर हो) इमाम नाफ़े ने बयान किया (यह हुक्म सुनने के बाद) इब्ने उमर रज़ि॰ मरते दम तक कभी उस दरवाज़े से मस्जिद में नहीं आये।

463:— इमाम नाफ़े ने कहा कि उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया: और ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की.....और यह (ज़्यादती, यानी उमर रज़ि॰ का क़ौल होना) ज़्यादा सहीह है। (इस की सनद ज़ओ़फ़ है)

✓ ***464:***— इमाम नाफ़े से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ महिलाओं वाले दरवाज़े से दाख़िल होने से मना किया करते थे।

बाब {मस्जिद में दाख़िल होने की दुआ।}

465:— अब्दुल मलिक बिन सओ़द या सुवैद, अबू हुमैद से या अबू उसैद अन्सारी से रिवायत

करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई मस्जिद में दाख़िल होतो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर सलाम पढ़े, फिर कहेः

अल्ला हुम्मफ्-तह ली अब्वा-ब रह्-मति-क

(ऐ अल्लाह! मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे)

और जब बाहर निकले तो कहेः

अल्लाहुम्म इन्नी अस्-अलु-क मिन् फ़ज़्लि-क (ऐ अल्लाह! मैं तुझ से तेरे फ़ज़्ल का सवाल करता हूँ)

466:— हैवा बिन शुरैह कहते हैं कि मैं उक़्बा बिन मुस्लिम से मिला और उन से कहा कि मुझे यह बात पहुँची है कि आप अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ की सनद से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से हदीस बयान करते हैं कि जब मस्जिद में दाख़िल होते तो कहा करते थेः

अऊज़ु बिल्लाहिल् अ़ज़ीमि वबि-वज्हिहिल् करीमि वसुल्ताानिहिल् क़दीमि मि-नश्शैतानिर्रजीमि

(मैं शैतान मर्दूद की बुराई से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ जो बड़े मर्तबे वाला है, मैं उस के पाकीज़ा चेहरे की पनाह लेता हूँ और उस के सुलतान क़दीम की पनाह लेता हूँ)

कहाः बस इतना ही? मैंने कहाः हाँ। कहा कि इन्सान जब यह कह लेता है तो इब्लीस कहता है कि आज सारे दिन के लिये यह मुझ से महफ़ूज़ हो गया।

बाब {मस्जिद में दाख़िल होने पर नमाज़ का बयान।}

467:— अबू क़तादा रज़ि॰ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई मस्जिद में आये तो बैठने से पहले दो रक्अ़तें पढ़े।

468:—अबू क़तादा रज़ि॰ से रिवायत है वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत करते हैं। इस में इतना और इज़ाफ़ा है "फिर इस के बाद बैठा रहे या चाहे तो अपने काम के लिये चला जाये।"

फ़ाइदा:— तहिय्यतुल् मस्जिद के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। कुछ वाजिब मानते हैं और जमहूर के नज़दीक यह मुस्तहब है। सच्ची बात यही है कि वाजिब है, चुनान्चे जुमा के खुत्बा के दर्मियान पढ़ना अनिवार्य है, मक्रुह वक़्त में अगर मस्जिद में दाख़िल हो तब भी पढ़ें, जैसा कि हदीस से साबित है। शैख़ इब्ने बज़ रह॰ क भी यही फ़तवा है।

बाब {मस्जिद में बैठने की फ़ज़ीलत।

469:— अबू हुरैरा रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः फ़रिश्ते तुम में हर एक के लिये दुआ़ और इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं जब तक कि वह उस स्थान पर बैठा रहे जहाँ उस ने नमाज़ पढ़ी हो, जब तक कि बेवुज़ू न हो, या वहाँ से उठ न जाये (उन की

दुआ जारी रहती है)

अल्लाहुम्मग् फ़िर लहू अल्लाहुम्मर् हम्हु

(ऐ अल्लाह! उस को बख़्श दे, ऐ अल्लाह! उस पर रहम फ़रमा)

470:— अबू हुरैरा रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तक बन्दे को नमाज़ (मस्जिद में) रोके रखे वह (गोया) नमाज़ में होता है (शर्त यह है कि) उसे अपने घर वालों में लौटने से रोकने वाली सिर्फ़ नमाज़ ही हो।

471:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: बन्दा उस समय तक नमाज़ ही में होता है जब तक कि वह अपने मुसल्ले पर बैठा (दूसरी) नमाज़ का इन्तिज़ार कर रहा हो। फ़रिश्ते कहते हैं: ऐ अल्लाह! उस को बख़्श दे, ऐ अल्लाह! उस पर रहम फ़रमा, यहाँ तक कि वह उठ जाये, या बेवुज़ू हो जाये। कहा गया कि बेवुज़ू कैसे हो? कहा: "फुस्की मारे, या हवा निकाले"

472:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो व्यक्ति जिस निय्यत से मस्जिद में आया हो उस का वही हिस्सा है।

(इस की सनद ज़ओ़फ़ है लेकिन इस का अर्थ सहीह है, क्योंकि अ़मल का दारोमदार निय्यत पर है।)

बाब {खोई हुयी चीज़ों के बारे में मस्जिद में एलान करने की कराहत।}

473:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना: जो किसी को सुने कि वह खोई हुयी चीज़ के बारे में मस्जिद में एलान कर रहा है तो उसे कहे: अल्लाह करे तुझे यह न मिले। मस्जिदें इस काम के लिये नहीं बनाई गयी हैं।

फ़ाइदा:— मस्जिद के बाहर दरवाज़े पर एलान किया जा सकता है। हाँ, अगर इन्सान का बच्चा गुम हो जाये तो इस के एलान की गुन्जाइश है, एहतराम के नाते। लेकिन कुछ उलमा इस की भी इजाज़त नहीं देते।

बाब {मस्जिद में थूकने की कराहत।}

474:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया : मस्जिद में थूकना ग़लती है और इस का कफ़्फ़ारा यह है कि उसे छुपा दे।

475:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मस्जिद में थूकना ग़लती है और उस का कफ़्फ़ारा उसे दफ़न कर देना है।

फ़ाइदा:— अगर फ़र्श पक्की है तो उसे पोंछना या धोना पड़ेगा।

476:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: खेखार मस्जिद में (डालना गुनाह है) फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

477:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो व्यक्ति इस मस्जिद में दाख़िल हो और इस में थूक दे या बलग़म गिराए तो चाहिये कि जगह खोद कर उस में दफ़न कर दे। अगर ऐसा ना करे तो अपने कपड़े में थूके और फिर उसे बाहर ले जाये।

478:— तारिक़ बिन अ़ब्दुल्लाह मुहारिबी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब आदमी नमाज़ के लिये खड़ा हो.....या फ़रमाया.....तुम में से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो, तो अपने आगे या दायें तरफ़ हर्गिज़ न थूके। हाँ, बायें तरफ़ अगर ख़ाली हो तो थूक सकता है, या अपने बायें पाँव के नीचे थूक ले और फिर उसे मसल डाले।

479:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ख़ुत्बा दे रहे थे कि आप ने क़िब्ला की दीवार पर देखा कि उस पर बलग़म लगा है तो बहुत नाराज़ हुये, फिर उसे खुरच डाला। अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ बयान करते हैं कि मेरा ख़याल है कि फिर आप ने ज़ाफ़रान (केसर) मँगवाया और उस पर लगा दिया और फिर फ़रमायाः जब तुम नमाज़ पढ़ते हो तो अल्लाह पाक तुम्हारे सामने होता है इसलिये कोई शख़्स अपने सामने न थूके।

480:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को खोशे की शाख़ पसन्द थी और हमेशा कोई न कोई शाख़ आप के हाथ में रहती थी। चुनान्चे (एक बार) आप मस्जिद में दाख़िल हुये और क़िब्ला की दीवार पर देखा कि उस पर बलग़म लगा हुआ है तो आप ने उसे खुरच डाला और फिर लोगों से मुख़ातब हुये, उस समय आप गुस्से में थे और फ़रमायाः क्या तुम में से कोई पसन्द करता है कि उस के मुँह पर थूका जाये? तुम में से जब कोई क़िब्ला की तरफ़ मुँह करता है तो अपने रब की तरफ़ मुँह करता है और फ़रिश्ता उस के दायें तरफ़ होता है, इसलिये कोई अपने दायें तरफ़ या क़िब्ला की तरफ़ न थूके। और अगर थूकना ही है तो अपने बायें तरफ़ या पाँव के नीचे थूक ले, अगर जल्दी हो तो इसी तरह कर ले, फिर इब्ने अ़ब्बास ने कर के दिखाया कि अपने कपड़े में थूक ले और उस को आपस में मल ले।

फ़ाइदा:— थूक, बलग़म, पसीना, नेटा, नकटी, आँसू, राल यह सब नापाक नहीं हैं, कपड़े में लग जाये तो कपड़ा पाक रहता है, लेकिन सफ़ाई के खिलाफ़ है और मस्जिद के अदब-एहतराम के ख़िलाफ़ है।

481:— अबू सहला से रिवायत है। अहमद (बिन स्वालेह-इमाम अबू दावूद के उस्ताद) कहते हैं कि अबू सहला साइब सहाबी हैं। उन से रिवायत है कि एक शख़्स ने अपनी क़ौम की इमामत कराई और उस ने क़िब्ला की तरफ़ थूक दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम देख रहेथे। जब वह नमाज़ पढ़ चुके तो आप ने (उसकी क़ौम से) फ़रमायाः (भविष्य में) यह नमाज़ न पढ़ाये। फिर जब कभी उस ने नमाज़ पढ़ानी चाही तो उन्होंने उसे मना कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तो आप ने फ़रमायाः हाँ। और मेरा ख़याल है कि आप ने

फ़रमायाः तुम ने अल्लाह और उस के रसूल को तक्लीफ़ पहुँचाई है।

482:— मु-तर्रिक़, अपने पिता (अ़ब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे तो आप ने अपने बायें क़दम के नीचे थूका।

483:— अबुल् अ़ला ने भी अपने पिता से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है और इतना और इज़ाफ़ा किया है कि : "फिर उसे अपने जूते से मसल दिया।"

484:— अबू सअ़ीद कहते हैं कि मैंने वासला बिन अशफक़ा रज़ि॰ को दमिश्क़ की मस्जिद में देखा कि उन्होंने चटाई पर थूका और फिर अपने पाँव से मसल दिया तो उन्हें कहा गया कि आप ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इसी प्रकार करते हुये देखा था।

फ़ाइदाः— इस हदीस की सनद ज़अ़ीफ़ है। इस प्रकार की हदीसें बुख़ारी, मुस्लिम में भी आ चुकी हैं। (देखेंः- मुस्लिम 482, 554)

485:— उबादा बिन वलीद ने बयान किया कि हम जाबिर या जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ के पास आये वह अपनी मस्जिद में थे उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाये और आप के हाथ में इब्ने ताब खजूर की टहनी थी। आप ने देखा तो आप की नज़र क़िब्ले की दीवार पर लगे बलग़म पर पड़ी, आप उस की तरफ़ गये और शाख़ से उसे खुरच डाला, फिर फ़रमायाः तुम में से कौन पसन्द करता है कि अल्लाह उस से मुँह फेर ले? फिर फ़रमायाः तुम जब नमाज़ के लिये खड़े होते हो तो अल्लाह पाक तुम्हारे सामने होता है, तो कोई शख़्स अपने क़िब्ला की तरफ़, या दायें तरफ़ हर्गिज़ न थूके, बल्कि अपने बायें जानिब, या बायें क़दम के नीचे थूके। अगर जल्दी हो तो अपने कपड़े में ऐसे-ऐसे कर लिया करे, फिर आप ने अपना कपड़ा अपने मुँहं पर रखा, फिर उसे मसल दिया। और फ़रमायाः खुश्बू लाओ! यह सुन कर क़बीला का एक जवान उठा और दौड़ता हुआ अपने घर गया और अपने हथेली में खुश्बू ले आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे टहनी के नोक पर लगाया और बलग़म वाली जगह पर लगा दिया। जाबिर रज़ि॰ ने बयान कियाः बस यहीं से तुम लोग अपनी मस्जिदों में खुश्बू लगाते हो।

बाब {किसी मुस्लिम का मस्जिद में दाख़िल होना।}

486:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति आया, वह ऊँट पर था, उस ने ऊँट को मस्जिद (के अहाते) मैं बैठाया फिर उसे बाँध दिया और कहाः तुम में से "मुहम्मद" कौन है? उस समय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सहाबा के दर्मियान टेक लगा कर बैठे हुये थे। हम ने कहाः यह जो गोरे चिट्टे टेक लगाये बैठे हैं (यही मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हैं) उस ने आप से कहाः ऐ इब्ने अ़ब्दुल! मुत्तलिब! आप ने फ़रमायाः जवाब दे रहा हूँ। उस ने कहाः ऐ मुहम्मद! मैं आप से पूछना चाहता हूँ.....फिर पूरी हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— पूछने वाले ज़िमान बिन सालबा थे। देखें बुख़ारी शरीफ़ हदीस न॰ 63।

487:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि क़बीला बनी सअ़द ने ज़िमाम बिन सालबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ भेजा, वह आप के पास आया, उस ने अपना ऊँट दरवाज़े के सामने बैठाया, फिर उसे बाँध कर मस्जिद के अन्दर चला गया.....और ऊपर की तरह हदीस बयान की। उस ने कहाः तुम में इब्ने अ़ब्दुल् मुत्तलिब कौन है? आप ने फ़रमायाः मैं इब्ने अ़ब्दुल मुत्तलिब हूँ। उस ने कहाः ऐ इब्ने अ़ब्दुल् मुत्तलिब! .....और पूरी हदीस बयान की।

488:— क़बीला मुज़ैना के एक आदमी ने जबकि हम सअ़ीद बिन मुसय्यिब के पास बैठे हुये थे। हमें अबू हुरैरा से रिवायत बयान की कि कुछ यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आये जबकि आप मस्जिद में अपने सहाबा के साथ बैठे हुये थे, उन्होंने आ कर कहाः ऐ अबुल् क़ासिम! उन के एक मर्द और एक महिला ने ज़िना किया था, उस के बारे में पूछा।

फ़ाइदा:— इस हदीस की सनद ज़अ़ीफ़ है, लेकिन वाक़िआ बुख़ारी-मुस्लिम में मौजूद है। यहाँ यहूदी मस्जिद में दाख़िल हुआ। यही हदीस इसी पुस्तक में 4450 पर भी आ रही है।

बाब {वह स्थान जहाँ नमाज़ जाइज़ नहीं।}

489:— अबू ज़र रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ज़मीन मेरे लिये पाक करने वाली बनाई गयी है और सज्दा करने का स्थान भी।

फ़ाइदा:— दूसरी उम्मतों में हर स्थान में नमाज़ पढ़ने की पाबन्दी थी, लेकिन इस उम्मत के लिये हर पाक स्थान पर पढ़ने की छूट है, चन्द स्थानों को छोड़ कर।

490:— अबू स्वालेह ग़िफ़ारी बयान करते हैं कि अ़ली रज़ि॰ बाबुल से गुज़र रहेथे कि मुअज़्ज़िन उन के पास आया और अस्र की नमाज़ की सूचना दी। मगर जब वह उस से बाहर निकल गये तो उन्होंने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया और उस ने इक़ामत कही। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो फ़रमाने लगेः मेरे हबीब ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे क़ब्रिस्तान और बाबिल की ज़मीन में नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है, क्योंकि यह मलऊन है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़अ़ीफ़ है। किसी ने भी बाबिल की ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने से नहीं मना किया है।

491:— अबू स्वालेह ग़िफ़ारी हज़रत अ़ली रज़ि॰ के वास्ते से रिवायत करते हैं। सुलैमान बिन दावूद की हदीस की तरह रिवायत है (जो ऊपर बयान हुयी)

492:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ....और मूसा बिन इस्माईल ने अपनी रिवायत में कहा.....अ़म्र बिन यहया का ख़याल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ज़मीन सारी की सारी मस्जिद है सिवाए हम्माम (स्नान घर) और क़ब्रिस्तान के

बाब {ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने की मिनाही।}

493:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि० बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा गया तो आप ने फ़रमायाः उन में नमाज़ न पढ़ा करो, क्योंकि वह शैतानों में से हैं। और बकरियों के बाड़ों के बारे में पूछा गया तो फ़रमायाः उन में नमाज़ पढ़ लिया करो, क्योंकि वह बर्कत वाली होती हैं।

फ़ाइदा:— ऊँट के बाड़े में नमाज़ पढ़ना मना है, वर्ना ऊँट को सुतरा बनाना जाइज़ है।

बाब {बच्चे को किस उम्र में नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया जाये?}

494:— अ़ब्दुल मालिक बिन रबीअ़ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बच्चा जब सात वर्ष का हो जाये तो उसे नमाज़ का हुक्म दो और जब दस वर्ष का होजाये (और न पढ़े) तो उसे मारो।

495:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता शुऐब से और शुऐब अपने दादा (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स) से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपने बच्चों को जब वह सात वर्ष के हो जायें तो नमाज़ का हुक्म दो और जब दस वर्ष के हो जायें (और न पढ़ें) तो उन्हें इस पर मारो और उन के बिस्तर अलग-अलग कर दो।

फ़ाइदा:— चाहे वह हक़ीक़ी हों या सौतेले। इस में क्या हिक्मत है यह माँ-बाप से पूछ लीजिये। या अगर आप पिता हैं तो अच्छी तरह मालूम होगा। इस हदीस पर अगर माता-पिता का अ़मल होतो बच्चे नमाज़ी और प्रहेज़गार होंगे।

496:— दावूद बिन सवार मुज़नी ने भी ऊपर की सनद से ऊपर की हदीस के समान बयान किया है, लेकिन इतना इज़ाफ़ा किया है "जब तुम में से कोई अपनी किसी लौंडी की अपने गुलाम से या नौकर से शादी कर दे तो (अब) उस की नाफ़ और घुटनों के दर्मियान की तरफ़ न देखे।

फ़ाइदा:—लौंडी की जब शादी कर दी तो अब मालिक को भी उस की तरफ़ नज़र उठानी मना है।

497:— मआ़ज़ बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है (हिशाम बिन सअ़द ने कहा कि) हम मआ़ज़ बिन अ़ब्दुल्लाह के यहाँ गये तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछाः बच्चा कब नमाज़ पढ़े? उन्होंने कहाः हमारे यहाँ एक साहब थे वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते थे कि आप से इस बारे में पूछा गया तो फ़रमायाः जब वह दाँयें-बायें का फ़र्क़ समझने लगे तो उसे नमाज़ का हुक्म दो।

फ़ाइदा:— इस की सनद ज़ओ़फ़ है।

बाब {अज़ान के आरंभ का बयान।}

498:— अबू उमैर अनस अपने एक अन्सारी चचा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को चिन्ता सताने लगी कि किस प्रकार लोगों को नमाज़ के लिये (समय पर) जमा

किया जाये। चुनान्चे आप से कहा गया कि नमाज़ के समय झन्डा बुलन्द कर दिया करें, लोग जब उसे देखेंगे तो एक दूसरे को सूचना दे दिया करेंगे। मगर आप को यह राय पसन्द न आयी। फिर शंख का ज़िक्र किया गया जैसे कि यहूद का होता है। यह राय भी आप को पसन्द न आयी और फ़रमायाः यह यहूदियों का तरीक़ा है। फिर आप से नाक़ूस का ज़िक्र किया गया तो आप ने फ़रमायाः यह नसारा का तरीक़ा है।चुनान्चे अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अ़ब्द रब्बिही मस्जिद से लौटे तो वह भी इसी फ़िक्र में हो गये जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम थे।

चुनान्चे उन्हें सपने में अज़ान बताई गयी, तो वह सुब्ह को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में पहुँचे और आप को सूचना दी और कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैं सोने जागने की हालत में था कि मेरे पास एक आने वाला आया और मुझे अज़ान बता गया (रिवायत करने वाले ने बयान किया कि) उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ भी उन से पहले यह अज़ान सपने में देख चुके थे, मगर बीस दिनों तक ख़ामोश रहे। फिर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बताया तो आप ने फ़रमायाः हमें सूचना देने से तुम्हें किस ने रोका था? तो उन्होंने कहा कि अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (सूचना देने में) मुझ से पहल कर गये थे इसलिये मुझे शर्म आयी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ बिलाल! खड़े हो जाओ! देखो, जो अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद तुम्हें बतायें वह करो। चुनान्चे बिलाल ने अज़ान दी।

अबू बिश्र कहते हैं कि अबू उमैर ने मुझे बताया कि अन्सारियों का ख़याल था कि अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद अगर उन दिनों बीमार न होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन्हीं को मुअज़्ज़िन मुक़र्रर करते।

बाब {अज़ान कैसे दी जाये।}

499:— मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं कि मुझे मेरे पिता अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने बताया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नाक़ूस बजाने का हुक्म दिया ताकि उसे बजा कर लोगों को नमाज़ के लिये जमा किया जायेतो मैंने सपने में देखा कि मेरे पास एक आदमी गुज़र रहा है, हाथ में नाक़ूस लिये हुये हैं। मैंने उस से कहाः ऐ अल्लाह के बन्दे! क्या तुम नाक़ूस बेचोगे? उस नेकहाः तुम इस का क्या करोगे? मैंने कहाः हम इस से लोगों को नमाज़ के लिये बुलायेंगे। वह कहने लगाः क्या मैं तुम्हें वह चीज़ न बता दूँ तो इस से अधिक बेहतर है। मैंने कहाः क्यों नहीं। उस ने कहाः तुम यूँ कहा करोः

अल्लाहु अक्-बरु अल्लाहु अक्-बर+अल्लाहु अक्-बरु अल्लाहु अक्-बर्। अश-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु+अश्-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाह। अश्-हदु अन्न मु-हम्म-दरसू लुल्लाहि+ अश्-हदु अन्न मु-हम्मदरसूलुल्लाहि। हय्या अ़-लस्सलाति + हय्या अ-लस्सामाह्। हय्या अ़-लल् फ़लाहि+हय्या अ़-लल् फ़लह्। अल्लाहु अक्-बरु अल्लाहु अक्-बर्। लाइला-ह इल्लल्लाहु

फिर वह मुझ से कुछ पीछे हट गया और कहा: जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो यूँ कहो:

अल्लहु अक्-बरु अल्लाहु अक्-बर् + अश्-हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु + अश-हदु अन्न मु-हम्म-दर्रसूलुल्लाह। हय्या अ़-लस्सलाह + हय्या अ़-लल् फ़लाह + क़द् क़ा-मतिस्सलाति क़द् क़ा-मतिस्सलात + अल्लाहु-अक्-बरु अल्लाहु अक्-बर + लाइला-ह इल्लल्लाह+

जब सुब्ह हुयी तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और जो कुछ सपने में देखा था उन को बतला दिया तो आप ने फ़रमाया: यह अल्लाह ने चाहा तो सच्चा सपना है। तुम बिलाल के साथ खड़े हो जाओ और उन्हें वह शब्द बतलाते जाओ जो तुम ने सपने में सुने हैं। वह अज़ान कहेंगे, क्योंकि उन की आवाज़ तुम से ऊँची है। चुनान्चे मैं बिलाल के साथ खड़ा हो गया और उन्हें वह कलिमे बताता गया और वह अज़ान में कहते गये। उमर रज़ि॰ अपने घर में थे, उन्होंने इसे सुना तो (जल्दी से) चादर घसीटते हुये आये और कहने लगे: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैं ने भी यही सपना देखा है जैसे कि उन्हें दिखाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: प्रशंसा अल्लाह ही के लिये है।

500:— मुहम्मद बिन अ़ब्दुल मलिक बिन अबी महजूरा अपने पिता (अ़ब्दुल मलिक) से वह उन के (यानी मुहम्मद के) दादा अबू दावूद महजूरा) से रिवायत करते हैं, अबू महजूरा रज़ि॰ कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे अज़ान का तरीक़ा बता दीजिये। चुनान्चे आप ने मेरे सर के अगले हिस्से पर हाथ फेरा और फ़रमाया: यूँ कहा करो:

अल्लाहु अक्बर+ अल्लाहु अक्बर

इस में तुम्हारी आवाज़ खूब बुलन्द होनी चाहिये। फिर कहो:

अश्-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाह+ अश-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाह+अश्-हदु अन्न मु-हम्मदर्रसूलुल्लाह+ अश-हदु अन्न मु-हम्मदर्रसू लुल्लाह

इन कलिमात में तुम्हारी आवाज़ कुछ पस्त होनी चाहिये। फिर ऊँची आवाज़ से शहादत के कलिमे (दोबारा) कहो:

अश-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाह, अश-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाह+अश-हदु अन्न मु-हम्मदर्रसूलुल्लाह+अश्-हदु अन्न मु-हम्मदर्रसूलुल्लाह+ हय्या अ़-लस्सलाति हय्या अ-ल स्सलाह+ हय्या अ़-लल् फ़लाहि हय्या अ़-लल् फ़लाह्

अगर फ़ज्र की नमाज़ हो तो कहो:

अस्सलातु ख़ैरुम्मि-नन्नौम्+अस्सलातु ख़ैरुम्मि-नन्नौम् अल्लाहु अक्बर अल्लाहु अक्बर, लाइला-ह इल्लल्लाहु

फ़ाइदा:— अबू महजूरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे मुअज़्ज़िन हैं जिन के कहने पर आप ने अज़ान सिखाई। यह वाकिआ (घटना) हुनैन की जन्ग से वापसी का है। इस अज़ान में शहादत के कलिमों को दोहरा कर कहा जाता है इसलिये इसे "तरजीअ" वाली अज़ान कहते हैं।

अज़ान से पहले कुछ न पढ़ा जाये और न अज़ान में कुछ इज़ाफ़ा किया जाये।

501:— उस्मान अपने पिता साइब से, वह और उम्मे अब्दुल मलिक (महजूरा की पत्नी दोनों अबू महजूरा से, और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत करते हैं, लेकिन इसरिवायत में यह है कि "अस्सलातु ख़ैरुम्मिनन्नौमि...." पहली, यानी सुब्ह की अज़ान में है।

फ़ाइदा:— अबू महजूरा की तर्जीअ वाली अज़ान हो तो तक्बीर दोहरी होगी। और अगर बिलाल वाली अज़ान बिला तर्जीअ वाली होगी तो तक्बीर एकहरी होगी।

502:— इब्ने मुहैरिज़ से रिवायत है कि अबू महजूरा ने उन से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अज़ान के 19 और इक़ामत के 17 कलिमे सिखाये थे।

503:— इब्ने मोहैरिज़ अबू महजूरा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुद अज़ान सिखाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कहो (फिर अज़ान के पूरे कलिमे)

504:— अबू महजूरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अज़ान का एक-एक हर्फ़ सिखाया (पूरी अज़ान) उन्होंने बयान किया कि और वह फ़ज्र की अज़ान में

अस्सलातु ख़ैरुम्मि--न्नौमि कहा करते थे।

505:— अब्दुल्लह बिन मुहैरिज़ जुहमी अबू महजूरा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अज़ान सिखाई कि यूँ कहें :........फिर इब्ने मोहैरिज़ ने अज़ान की तरह और उसी के हममाना बयान किया। (यह रिवायत ज़ईफ़ है)

506:— इब्ने अबी लैला कहते हैं कि नमाज़ तीन हालतों से गुज़री। हमारे सहाबा ने हम से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "मुझे यह बात पसन्द है कि मुसलमानों" या फ़रमाया: "मोमिनों की नमाज़ एक हो (यानी जमाअत से अदा करें) यहाँ तक कि मेरा दिल चाहा कि कुछ लोगों को मुहल्लों में भेजूँ जो वहाँ जा कर एलान करें कि नमाज़ का समय हो गया है। मैंने यहाँ तक चाहा कि ऊँचे मकानों या क़िलों के ऊपर खड़े होकर मुसलमानों में एलान करें कि नमाज़ का समय हो गया है। यहाँ तक कि उन्होंने नाकूस बजाए, या नाकूस बजाने का इरादा किया।

इब्ने अबी लैला ने बयान किया कि एक अन्सारी (अब्दुल्लाह बिन ज़ैद) आये और कहने

लगेः ऐ अल्लाह के रसूल! जब मैं (आप के पास से) वापस गया था तो मुझे आप की चिन्ता का ख़याल था। चुनान्चे मैंने सपने में देखा कि एक व्यक्ति है जिस के ऊपर हरे रन्ग के दो कपड़े हैं। उस ने मस्जिद के पास खड़े होकर अज़ानकही, फिर थोड़ी देर के लिये बैठ गया और फिर खड़े होकर उस प्रकार कहा और "क़द क़ा-मतिस्सलाह" का इज़ाफ़ा किया। अगर मुझे लोगों की नाराज़गी का डर न होता तो मैं कह देता कि मैं जाग रहा था, सोया हुआ नहीं था। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने तुम्हें ख़ैर दिखलाई है, बिलाल को बताओ कि वह अज़ान कहें।

इब्ने अबी लैला ने बयान किया कि बाद में उमर रज़ि॰ ने कहाः मैंने भी यही कुछ देखा है जैसे कि उन्होंने देखा है, लेकिन चूँकि यह मुझ से पहले निकल गये (और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान कर दिया) इसलिये मुझे शर्म आयी.......इब्ने अबी लैला ने कहा कि (दूसरी हालत) हम से हमारे सहाबा ने बयान किया कि.....जब कोई आदमी आता (और जमाअ़त हो रही होती) तो वह अपने साथी से पूछ लिया करता था और उसे बता दिया जाता था कि कितनी नमाज़ गुज़र चुकी है। और (बाद में आने वाले लोग जमाअ़त में शामिल होकर पहले छूटी हुयी रक्अ़तें अ़दा करते और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ बाक़ी नमाज़ अ़दा करते, चुनान्चे आप के साथ) खड़े होते हुये कोई क़ियाम में होता, कोई रुकूअ़ में, और कोई जल्सा में और कोई (शुरु ही में) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ में मिल जाता।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि फिर मैं ने अ़म्र बिन मर्ज़ूक़ की हदीस को देखा (तो उस में है कि) मआ़ज़ रज़ि॰ आये तो लोगों ने उन की तरफ़ (पढ़ी गयी रक्अ़तों के मुतअ़ल्लिक़) इशारा किया। शोबा ने कहाः यह जुमला मैंने हुसैन से सुना है कि....उस ने (लैला ने) कहाः कि मुआ़ज़ रज़ि॰ ने जवाब दिया कि मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नमाज़ की जिस हालत में पाऊँगा उसी हालत में चला जाऊँगा (यानी सफ़ में शामिल होकर पहले छूटी हुयी नहीं अ़दा करुँगा) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मआ़ज़ ने तुम्हारे लिये उस से बेहतर तरीक़ा निकाला है तो तुम भी वैसे ही किया करो (जिस हाल में इमाम को पाओ उस के साथ शामिल हो जाओ, और छूटी रक्अ़तें बाद में पूरी कर लो। तीसरी हालत क़िब्ला बदलने की है जिस का ज़िक्र अगली रिवायत में है। अब इस के बाद रोज़ों की तीन हालतों का बयान है। पहली हालत

इब्ने अबी लैला ने कहा कि हमारे सहाबा ने हम से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मदीना में आये तो मदीना वालों को (हर माह) तीन रोज़े रखने का हुक्म दिया, फिर रमज़ान का हुक्म नाज़िल हुआ। लोग रोज़ा रखने के आ़दी न थे और यह काम उन के लिये बड़ा कठिन था, तो जो रोज़ा न रखता, एक फ़क़ीर को खाना खिला देता था (यह पहली हालत थी) फिर यह आयत नाज़िल हुयी "तुम में से जो कोई इस महीने को पायेतो ज़रुर उस के रोज़े रखे।" इस प्रकार छूट केवल मरीज़ और मुसाफ़िर के लिये रह गयी और (दूसरों को) रोज़े रखने का हुक्म दिया गया (यह रोज़े की दूसरी हालत बयान हुयी। आगे तीसरी हालत का बयान है।)

(इब्ने अबी लैला ने). कहा कि हमारे सहाबा ने हम से बयान किया कि (शुरु में) जब आदमी इफ़्तार कर लेता था और खाना खाने से पहले सो जाता तो फिर सुब्ह तक कुछ न खा सकता था। बयान किया कि (फिर ऐसे हुआ कि) उमर रज़ि॰ घर आये और अपनी पत्नी से जिमाअ़ (संभोग) का इरादा किया, उस ने कहा कि मैं एक मर्तबा सो चुकी हूँ, मगर उन्होंने समझा कि शायद बहाना बना रही है इसलिये उस के पास आये (यानी उस से संभोग किया इसी प्रकार) एक-दूसरे अन्सारी घर आये और खाना माँगा, पत्नी ने कहा कि (ज़रा इन्तिज़ार कर लें) हम आप के लिये कुछ गर्म कर देते हैं, मगर इसी दर्मियान वह सो गये, तो जब सुब्ह हुयी तो यह आयत उतरी "तुम्हारे लिये (रमज़ान में) रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से संभोग करना हलाल है...... (फिर पूरी रात खाने-पीने की अनुमति दे दी गयी)

507:— इब्ने अबी लैला, मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ से बयान करते हैं कि नमाज़ और रोज़े की हालत में तीन-तीन तबदीलियाँ आयीं हैं। नस्र ने तफ़सील से हदीस बयान की। और इब्ने मुसन्ना ने उस में से केवल नमाज़ के बारे में बयान किया है कि लोग पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ते थे। तीसरे हाल की तफ़सील इस प्रकार बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना तश्रीफ़ लाये तो 13 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ते रहे, जब अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल की : "बेशक हम आप का आसमान की तरफ़ बार-बार मुँह उठाना देखते हैं तो हम ज़रुर आप का मुँह आप के पसन्दीदा क़िब्ले की तरफ़ कर देंगे......." नाज़िल फ़रमायी। बहरहाल, अल्लाह पाक ने आप का रुख़ काबा की तरफ़ फेर दिया। और (इब्ने मुसन्ना की हदीस यहाँ मुकम्मल हो गयी)

और नस्र बिन मुहाजिर ने सपना देखने वाले का नाम ज़िक्र किया और कहा कि अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद के पास आदमी आया जो कि अन्सार में से था, उन्ही (नस्र) की रिवायत में है .....चुनान्चे वह आदमी (सपने में) क़िब्ला का तरफ़ मुँह कर के खड़ा हुआ और कहा: अल्लाहु अक्बर....

और रोज़े के बारे में बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हर महीने तीन रोज़े और आ़शूरा का रोज़ा रखा करते थे। जब अल्लाह पाक ने यह हुक्म नाज़िल फ़रमाया: "तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किये गये हैं...." तो जो चाहता रोज़ा रख लेता और जो चाहता छोड़ देता और हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला देता और यह उस के लिये काफ़ी होता था...यह एक हाल हुआ। फिर अल्लाह पाक ने यह हुक्म नाज़िल फ़रमाया: "रमज़ान का महीना ऐसा है कि उस में कुरआन नाज़िल किया गया....." इस से मालूम हुआ कि इस महीने को पाये और मुक़ीम हो तो वह रोज़ा रखे और मुसाफ़िर क़ज़ा करे। बूढ़ा खूसट और बुढ़िया जो रोज़ा रखने की ताक़त नहीं रखते उन के ज़िम्मा खाना खिलाना हुआ.....चुनान्चे सिर्मा रज़ि॰ आये और वह सारा दिन काम करते रहे थे.....और नस्र बिन मुहाजिर ने हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— हदीस न॰ 506, 507 ज़ओ़फ़ है, लेकिन और दूसरी सहीह हदीसों से उस की ताईद होती है, इसलिये अ़ल्लामा अल्बानी ने "सहीह" कहा है।

बाब {इक़ामत का बयान।}

508:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि बिलाल को हुक्म दिया गया कि अज़ान के कलिमे दो-दो बार और इक़ामत के कलिमे एक-एक बार कहें। हम्माद ने अपनी हदीस में इतना और इज़ाफ़ा किया है "मगर क़द कामिस्सलात" (दो बार कहे)

509:— ख़ालिद हज़्ज़ा ने अबू क़िलाबा से, उन्होंने अनस रज़ि॰ से.....(ऊपर की रिवायत) वुहैब की रिवायत के मिस्ल बयान की। इस्माओ़ील रावी ने कहा कि मैंने यह हदीस अय्यूब को बयान की तो उन्होंने कहाः "मगर क़द क़ामतिस्सलात"

510:— इब्ने उमर रज़ि॰ नेबयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में अज़ान के कलिमात दो-दो बार कहे जाते थेऔर इक़ामत (तक्बीर) के एक-एक बार। सिवाए इस के मुअज़्ज़िन "क़द् क़ा-मतिस्सलात" को दो बार कहता था। तो जब इक़ामत को सुनते तो वुज़ू कर के नमाज़ के लिये निकल पड़ते।

फ़ाइदा:— सहाबा इक़ामत से पहले मस्जिद में पहुँच जाते थे, लेकिन किसी कारण कोई नहीं पहुँचता तो इक़ामत की आवाज़ सुन कर झट वुज़ू के लिये खड़ा हो जाता।

511:— इमाम शोबा मस्जिद उस्मान के मुअज़्ज़िन अबू जाफ़र से और मस्जिद अक्बर के मअज़्ज़िन अबू मस्ना से रिवायत करते हैं कि मैंने इब्ने उमर रज़ि॰ से सुना और हदीस बयान की।

बाब **{एक शख़्स अज़ान कहे और दूसरा इक़ामत (क्या यह दुरुस्त है?)}**

512:— मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह अपने चचा अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (शुरु में) अज़ान के मुतअ़ल्लिक़ कुछ चीज़ों का इरादा फ़रमाया, मगर उन पर अ़मल न किया। चुनान्चे अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ि॰ को सपने में अज़ान दिखाई गयी तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और सूचना दी, तो आप ने फ़रमायाः यह कलिमात बिलाल को बताओ। चुनान्चे उन्होंने बताये और बिलाल ने अज़ान कही। अ़ब्दुल्लाह ने कहाः मैं ने यह सपना देखा और मैं कहता था (कि खुद अज़ान कहूँ) आप ने फ़रमायाः तुम इक़ामत कह लो।

513:— मुहम्मद बिन अ़म्र जो मदीना के उलमा में से हैं उन्होंने बयान किया कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद को यह कहते हुये सुना किमेरे दादा अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ि॰ यह हदीस बयान किया करते थे। अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने कहा कि चुनान्चे मेरे दादा ने इक़ामत कही।

514:— ज़िआद बिन हारिस ने बयान किया कि जब सुब्ह की पहली अज़ान का समय हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया तो मैं ने अज़ान कही। फिर मैं कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! इक़ामत कहूँ? मगर आप पूरब की तरफ़ फ़ज्र के समय को देखते और फ़रमातेः अभी नहीं। यहाँ तक कि जब फ़ज्र (अच्छी तरह) ज़ाहिर हो गयी तो आप अपनी सवारी से उतरे और वुज़ू किया, फिर मेरी तरफ़ आये, इस दर्मियान आप के सहाबी भी आप से मिलते रहे। फिर आप ने वुज़ू किया तो बिलाल ने इक़ामत कहने का इरादा किया तो आप ने

फ़रमायाः इस सदाई (पुकारने वाले) में अज़ान ही है और जो अज़ान कहे वही इक़ामत भी कहे। चुनान्चे मैं ने इक़ामत कही।

फ़ाइदा:— ऊपर की तीनों रिवायतें ज़ओफ़ है (512, 513, 514) लेकिन कुछ हदीसों से साबित होता है कि जोअज़ान कहे वही इक़ामत कहे। फिर भी अगर कोई दूसरा कह दे तो इस में भी कोई हर्ज नहीं।

बाब {बुलन्द आवाज़ से अज़ान कहना।}

515:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुअज़्ज़िन को जहाँ तक आवाज़ जाती है बख़्श दिया जाता है और हर सूखी और गीली चीज़ उस के लिये गवाही देती है। और जो जमाअ़त में हाज़िर होता है उस के लिये पच्चीस नमाज़ों का सवाब लिखा जाता है और (दूसरी नमाज़ तक के) दर्मियान के गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।

516:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब नमाज़ के लिये अज़ान कही जाती है तो शैतान पीठ फेर का पाद मारता हुआ पलट जाता (और इतनी दूर चला जाता) है कि अज़ान की आवाज़ वहाँ तक सुनाई नहीं देती। फिर जब अज़ान समाप्त हो जाती है तो लौट आता है। फिर जब इक़ामत कही जाती है तो पीठ फेर कर चला जाता है और जब इक़ामत हो जाती है तो लौट आता है और नमाज़ी के दिल में तरह-तरह के ख़यालात डालता है और कहता है : यह याद कर, यह याद कर। ऐसी-ऐसी बातें याद दिलाता है जो उसे याद न आती हों, यहाँ तक कि आदमी को ख़याल ही नहीं रहता कि कितनी रक्अ़तें पढ़ी हैं।

बाब {मुअज़्ज़िन के लिये वाजिब है कि वह समय की पाबन्दी करे।}

517:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इमाम ज़ामिन और ज़िम्मेदार है और मुअज़्ज़िन अमीन और भरोसे मन्द है। ऐ अल्लाह! इमामों को (सहीह अ़िल्म और अ़मल की) तौफ़ीक़ दे और मअज़्ज़िनों को बख़्श दे।

518:— अबू स्वालेह से रिवायत है कि मैं नहीं समझता मगर यह कि मैं ने उसे अबू हुरैरा रज़ि॰ ही से सुना है। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ......और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब {मीनार पर अज़ान कहना।}

519:— बनी नज्जार की एक महिला से रिवायत है उन्होंने कहा कि मेरा घर मस्जिद के पास के घरों में सब से ऊँचा था। बिलाल, फ़ज्र की अज़ान उसी पर आ कर दिया करते थे। वह सहर (फ़ज्र) के समय उस पर आ कर बैठ जाते और सुब्ह सादिक़ को देखते रहते। जब सुब्ह ज़ाहिर हो जाती तो अंगड़ाई लेते और कहतेः

अल्लाहुम्म इन्नी अह-मदु-क, अस्-तअ़ीनु-क अ़ला कुरैशिन् अन् यक़ीमू दी-न-क ऐ अल्लाह! मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ और क़ुरैश पर तुझ ही

से मदद चाहता हूँ कि वह तेरे दीन को क़ाइम करें। वह बयान करती हैं कि फिर अज़ान कहते : क़सम अल्लाह की! मुझे नहीं मालूम कि बिलाल ने किसी रात भी यह कलिमात न कहे हों।

फ़ाइदा:— ऊँचे स्थान और ऊँची आवाज़ से अज़ान कहना चाहिये, मगर लाउडस्पीकरों ने यह कमी पूरी कर दी है।

बाब {मुअज़्ज़िन अज़ान कहते हुये घूमे।}

520:— औन बिन अबू जुहैफ़ा अपने पिता जी से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में पहुँचा जबकि आप मक्का में थे और एक खेमे में ठहरे हुये थे जो लाल चमड़े का बना हुआ था। फिर बिलाल निकले और अज़ान कही, और मैं उन का मुँह देख रहा था कि वह दायें-बायें फेरते थे। फिर आप बाहर तशरीफ़ लाये और आप लाल रन्ग का जोड़ा पहने हुये थे और वह यमन की चादरें थीं। मूसा (दूसरी सनद के रावी और इमाम अबू दावूद के उस्ताद) ने कहा: मैं ने बिलाल को देखा कि वह अब्तह की वादी की तरफ़ निकले और अज़ान कही। जब "हय्या अ़ल्लस्सलाह और हय्या अ़लल् फ़लाह पर पहुँचे तो अपनी गर्दन को दायें-बायें फेरा और स्वँय पूरे नहीं घूमे। फिर अन्दर आये और अपना भाला निकाला और (मूसा ने बाक़ी) रिवायत बयान की।

बाब {अज़ान और इक़ामत के दर्मियान दुआ़ की अहमियत।}

521:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अज़ान और इक़ामत के दर्मियान दुआ़ रद्द नहीं की जाती।

बाब {मुअज़्ज़िन को सुने तो क्या कहे?}

522:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम अज़ान सुनो तो उसी प्रकार कहो जैसे कि मुअज़्ज़िन कहता है।

523:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना आप फ़रमाते थे: जब तुम मुअज़्ज़िन को सुनो तो उसी प्रकार कहो जैसे वह कहता है, फिर मुझ पर दुरुद पढ़ो। जिस ने मुझ पर एक मर्तबा दुरुद पढ़ा अल्लाह पाक उस पर दस रहमतें नाज़िल करता है। फिर मेरे लिये वसीला अल्लाह पाक से माँगो, यह वसीला जन्नत में एक दर्जे का नाम है जो अल्लाह पाक के किसी एक बन्दे को मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि मैं ही हूँगा। इसलिये जिस ने मेरे लिये अल्लाह से वसीला तलब किया उस के लिये शफ़ाअ़त हलाल हो गयी।

फ़ाइदा:— अज़ान का जवाब देना अनिवार्य है। बेवुज़ू, जनाबत और हैज़, निफ़ास की हालत में भी जवाब दे सकते हैं, इस से मालूम हुआ कि इक़ामत का भी जवाब देना चाहिये।

524:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!

मुअज़्ज़िन हम से फ़ज़ीलत ले जायेंगे, तो आप ने फ़रमायाः तुम भी उसी प्रकार कहा करो जिस प्रकार वह कहते हैं। जब तुम कह चुको तो सवाल करो और दुआ माँगो, दिये जाओगे।

525:— सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने मुअज़्ज़िन की आवाज़ सुन कर यह कहाः

व-अना अश्-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्-दहू ला शरी-क लहू व-अन्न मु-हम्म-दन् अ़ब्दुहू व-रसूलुहू+रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन् वबिमु-हम्मदिन् रसू-लन् वबिल् इसलामि दी-नन्

तो वह शख़्स बख़्श दिया जायेगा।

526:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मुअज़्ज़िन को सुनते और वह शहादत के कलिमात कहता तो आप फ़रमातेः

"और मैं भी, और मैं भी" (शहादत देता हूँ)

527:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब मुअज़्ज़िन कहेः अल्लाहु अक्बर, तो सुनने वाला भी "अल्लाहु अक्बर" कहे। और जब वह कहे : "अश्-हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु" तो सुनने वाला भी कहे "अश्-हदु अल्लाइला-ह इल्लल्लाहु".....पूरी हदीस यह सब दिल की गहराइयों से कहे तो जन्नत में जायेगा।

बाब {.....इक़ामत सुने तो क्या कहे।}

528:— शाम मुल्क के एक शख़्स ने शहर बिन हौशब से रिवायत किया, उन्होंने अबू उमामा या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के किसी दूसरे सहाबी सेरिवायत किया कि बिलाल रज़ि॰ ने इक़ामत कहनी शुरु की तो जब "क़द क़ामतिस्सलात" कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "**अक़ा-म-हल्लाहु व-अदा-महा**" कहा, और दूसरे कलिमात के उत्तर में उसी प्रकार कहा जैसे कि ऊपर उमर रज़ि॰ की हदीस में गुज़रा है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है। उस के उत्तर में उसी कलिमे को दोहराया जाये। यानी उत्तर में "क़द क़ा-मति स्सलात" ही कहा जाये।

बाब {अज़ान के बाद की दुआ।}

529:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स अज़ान सुन कर (नीचे की) यह दुआ पढ़े तो क़ियामत के दिन उस के लिये शफ़ाअत लाज़िम हो गयीः

अल्लाहुम्म रब्ब हाज़िहिद्दा-वतित्ताम्मति वस्सलातिल् क़ाइ-मति आति मु-हम्म-द निल् वसी-ल-त वल् फ़ज़ी-ल-त वब्-अ़सहु मक़ा-मम्महमू-द निल्लज़ी व-अ़त्तहू

बाब {मग़िरब की अज़ान के वक़्त दुआ।}

530:— उम्मे सलमा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे तालीम दी कि मग़िरब की अज़ान के समय यह (नीचे की) दुआ पढ़ा करूँ

अल्लाहुम्म इन्न हाज़ा इक़बालु लैलि—क वइद्बारु नहारि—क व—अस्वातु दुआ़ति—क फ़ग़्फ़िर्ली

(ऐ अल्लाह! बेशक यम समय है कि तेरी रात आ रही है, तेरा दिन जा रहा है और तेरी तरफ़ पुकारने वालों की सदायें हैं, इसलिये तू मुझे बख़्श दे)

बाब {अज़ान पर मज़दूरी लेना।}

531:— उस्मान बिन अबुल् आ़स रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐअल्लाह के रसूल! मुझे अपनी क़ौम का इमाम बना दीजिये। आप ने फ़रमाया: तुम उन के इमाम हो, तुम उन में सब से कमज़ोर की रिआ़यत करना और मुअज़्ज़िन मुक़र्रर करना जो अपनी अज़ान पर उजरत न ले।

फ़ाइदा:— उजरत न ले यह अफ़्ज़ल और बेहतर है, वर्ना उजरत पर रखा जा सकता है।

532:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि बिलाल रज़ि॰ ने (एक बार) फ़ज्र से पहले अज़ान दे दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ और एलान कर दो कि होशियार! बेशक बन्दा सो गया था। ख़बरदार! बेशक बन्दा सो गया था। मूसा ने इतना और इज़ाफ़ा किया है कि "चुनान्चे उन्होंने जा कर एलान किया कि ख़बरदार! बेशक बन्दा सो गया था।

533:— इमाम नाफ़े इब्ने उमर रज़ि॰ के मुअज़्ज़िन से रिवायत करते हैं जिन का नाम मस्रुह था कि उन्होंने एक बार फ़ज्र की अज़ान समय से पहले पढ़ा दी तो उमर रज़ि॰ ने उन्हें हुक्म दिया....और ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की।

फ़ाइदा:— समय से पहले अज़ान दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर चन्द मिनट आगे पीछे हो तो दोहराने की आवश्यक्ता नहीं। लेकिन अगर काफ़ी फ़र्क़ होतो अज़ान दोहराई जायेगी और एलान किया जायेगा कि अज़ान गलती से समय से पहले दे दी है।

बाब {अन्धे का अज़ान देना।}

535:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन थे और नाबीना थे।

फ़ाइदा:— अन्धे का अज़ान देना इमामत करना जाइज़ और दुरुस्त है। अज़ान के बारे में ज़ाहिर है कि किसी के बताने पर ही देगा। देखें मुस्लिम शरीफ़ हदीस न॰38।

बाब {अज़ान के बाद मस्जिद से निकलना।}

536:— अबू शाशा बयान करते हैं कि हम अबू हुरैरा रज़ि॰ के साथ एक मस्जिद में बैठे हुये थे कि मुअज़्ज़िन ले अ़स्र की अज़ान कही तो उस के बाद एक शख़्स मस्जिद में निकल गया। अबू हुरैरा

रज़ि॰ ने कहा: इस ने अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नाफ़रमानी की।

फ़ाइदा:— माकूल मजबूरी के बिना जाइज़ नहीं। क्योंकि निकल जाने के बाद न दोबारा मस्जिद में आयेगा और न नमाज़ पढ़ेगा।

बाब {मुअज़्ज़िन इमाम का इन्तिज़ार करे।}

537:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ सेरिवायत है कि बिलाल रज़ि॰ अज़ान कहते, फिर ज़रा देर रुकते, जब देखते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं तो इक़ामत कहते।

फ़ाइदा:— इक़ामत कहने के लिये ज़रुरी नहीं कि पहले इमाम मुसल्ला पर खड़ा हो तब इक़ामत कही जाये, बल्कि उसे आता देख कर भी तक्बीर कहना जाइज़ है।

बाब {तस्वीब का मस्अला।}

538:— मुजाहिद कहते हैं कि मैं एक बार इब्ने उमर रज़ि॰ के साथ था कि एक शख़्स ने जुहर या अ़स्र में तस्वीब की (यानी अज़ान के बाद दोबारा एलान किया) तो उन्होंने फ़रमाया: मुझे यहाँ से ले चलो, यह बिदअ़त है।

फ़ाइदा:— इस से मुराद वह एलान हैं जो अज़ान हो जाने के बाद लोगों को मस्जिद में बुलाने के लिये किये जाते हैं। इस के लिये कुछ हीला भी किया जाता है, जैसे कहीं दरुद शरीफ़ पढ़ा जाता है, कही कुरआन की तिलावत की जाती है, कहीं सीधा एलान किया जाता है कि जमाअ़त में इतने मिनट बाक़ी हैं.....यह सब शक्लें बिदअ़त हैं। इब्ने उमर रज़ि॰ आख़िर में नाबीना हो गये थे इसलिये अपने सहयोगी से कहा " मुझे ले चलो"

बाब **{अगर इक़ामत के बाद इमाम न पहुँचा हो तो मुक़्तदी बैठ कर उस का इन्तिज़ार करें (खड़े न रहें)}**

539:— अ़ब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा अपने पिता से और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं किआप नेफ़रमाया: जब इक़ामत कह दी जाये तो जब तक मुझे (आता) न देख लो, खड़े न हुआ करो।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि कभी कभार आप की आमद से पहले भी इक़ामत कह दी जाती थी, जबकि आप को पहले जमाअ़त का समय होने की सूचना दी जाती थी।

540:— इमाम यहया ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की है, उस में कहा है कि : (उस समय तक खड़े न हो) जब तक कि मुझे देख न लो कि मैं घर से निकल रहा हूँ।

541:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये नमाज़ की इक़ामत कही जाती और लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मुसल्ला पर आने से पहले ही अपनी जगहें ले चुके होते थे (यानी सफ़ें बराबर कर चुके होते थे।)

542:— हुमैद कहते हैं कि मैंने साबित बुनानी से पूछा कि कोई आदमी इक़ामत हो जाने केबाद

किसी से कोई बात करे (तो कैसा है?) इस पर उन्होंने मुझे अनस बिन मालिक के वास्ते से यह हदीस सुनाई कि (एक बार) नमाज़ की इक़ामत कही गयी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आ गया और उस ने आप को (कुछ देर के लिये) रोके रखा, जबकि इक़ामत कही जा चुकी थी।

फ़ाइदा:— इक़ामत और तक्बीर तहरीमा के दौरान फ़ासला हो जाये तो कोई हर्ज नहीं और मुनासिब बात कर लेना भी जाइज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इन्तिहाई ख़ाकसार थे इसलिये सब को समय दिया करते थे।

543:— कहमस कहते हैं कि मिना की वादी में हम नमाज़ के लिये खड़े हुये और इमाम नहीं पहुँचा था, तो हम में से कुछ लोग बैठ गये। तो मुझ से कूफ़ा के एक शैख़ नेकहाः तुम क्यों बैठ गये? मैंने कहाः इब्ने बुरैदा कहते हैं कि यह कैफ़ियत (खड़े मुँह उठाये देखना) "सुमूद" हैं (और यह कोई अच्छी बात नहीं) तो उस शैख़ ने मुझ से कहाः मुझ से अ़ब्दुरहमान ने बरा बिन आ़ज़िब रज़ि० के वास्ते से बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में तक्बीर तहरीमा कहे जाने से पहले लंबी देर तक खड़े रहा करते थे। और बरा बिन आ़ज़िब रज़ि० ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो लोग पहली सफ़ों से मिले हुये होते हैं, अल्लाह पाक उन पर रहमत नाज़िल करता और फ़रिश्ते उन के लिये दुआ़यें करते हैं, और अल्लाह के यहाँ इस क़दम से बढ़ कर और कोई क़दम महबूब नहीं जिस से वह चल कर आता और सफ़ को मिलाता है।

544:— अनस रज़ि० बयान करते हैं कि नमाज़ के लिये इक़ामत कह दी गयी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मस्जिद की एक जानिब में (किसी के साथ) बात-चीत में लगे रहे, और नमाज़ के लिये आये तो लोगों को नींद आ रही थी।

फ़ाइदा:— इतना लंबा इन्तिज़ार यह केवल आप के लिये ख़ास है। लेकिन इस हदीस यह मालूम हुआ कि इमाम अगर किसी ज़रुरी काम में मश्गूल हो जाये तो अ़दब का तक़ाज़ा है कि इन्तिज़ार किया जाये और इमाम पर नाराज़ न हुआ जाये।

545:— सालिम अबू नजर (ताबअ़ी) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इक़ामत कहे जाने के बाद मस्जिद में मौजूद लोगों को कम महसूस करते तो बैठ जाते और नमाज़ न पढ़ाते और जब देखते कि जमा हो गयें तो नमाज़ पढ़ा देते।

546:— नाफ़े बिन जुबैर, अबू मस्ऊद से और वह अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि० से इसी (ऊपर की हदीस) के मिस्ल रिवायत करते हैं।

बाब {जमाअ़त छोड़ने पर सख़्त चेतावनी।}

547:— अबू दर्दा रज़ि० कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना : "जिस गाँव या बस्ती में तीन व्यक्ति हों और उन में जमाअ़त का इन्तिज़ाम न हो तो शैतान उन पर

मुसल्लत हो जाता है, इसलिये तुम जमाअ़त को लाज़िम पकड़ो। भेड़िया हमेशा दूर रहने वाली अकेली बक्री ही को खाता है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि मुसलमानों के लिये हर प्रकार के फ़ितने से महफ़ूज़ रहने का बेहतरीन अ़मल जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ना है।

548:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मेरा जी चाहता है कि नमाज़ की इक़ामत का हुक्म दूँ फिर एक आदमी को कहूँ कि लोगों को नमाज़ पढ़ाए और खुद ऐसे लोगों की तरफ़ जाऊँ जो नमाज़ (की जमाअ़त) में हाज़िर नहीं होते और मेरे साथ कुछ लोग हों जिन के पास लक्ड़ी के गट्ठे हों फिर मैं उन के घरों को आग लगा दूँ।

549:— यज़ीद बिन आसम कहते हैं कि मैं ने अबू हुरैरा रज़ि॰ को सुना वह कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मेरा जी चाहता है कि अपने जवानों को हुक्म दूँ कि लकड़ियों के गट्ठर इकट्ठे करें फिर मैं उन लोगों की तरफ़ जाऊँ जो अपने घरों में नमाज़ें पढ़ते हैं, हालाँकि उन्हें कोई मजबूरी नहीं है और उन के घरों को आग लगा दूँ (यज़ीद ने कहा) मैंने (अपने शैख़) यज़ीद बिन आसम से कहा: ऐ अबू औफ़! इस से आप की मुराद जुमा (की नमाज़) थी या कुछ और? उन्होंने कहा: मेरे कान बहरे हो जायें अगर मैंने अबू हुरैरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुये न सुना हो। उन्होंने जुमा या दूसरी नमाज़ का ज़िक्र नहीं किया। (यानी तमाम नमाज़ों की जमाअ़त का मस्अला है)

550:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने फ़रमाया: इन पाँचों नमाज़ों की हिफ़ाज़त और पाबन्दी इख़्तियार करो, जहाँ कहीं उन के लिये अज़ान कही जाये। क्योंकि नमाज़ों की (जमाअ़त से) पाबन्दी "सुनने हुदा" में से है (यानी हिदायत व हक़ की राह है) और अल्लाह पाक ने अपने नबी के हिदायत की सुन्नतें जाइज़ की हैं। और मैं ने सहाबा को देखा है कि खुले मुनाफ़िक़ के अ़लावा कोई भी जमाअ़त से पीछे नहीं रहता था। और मैंने सहाबा को देखा है कि एक आदमी को दो-दो लोग सहारा दे कर लाते थे और उसे सफ़ में खड़ा कर दिया जाता था। और तुम हो कि हर एक ने अपने घर ही में मस्जिद बना रखी है। अगर तुम अपने घरों में नमाज़ें पढ़ने लगे और मस्जिदों को छोड़ दिया तो अपने नबी की सुन्नत छोड़ बैठोगे। और अगर तुम ने अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया तो काफ़िर हो जाओगे।

551:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने मुअज़्ज़िन को सुना और उस की पैरवी करने में (मस्जिद में आने से) उसे कोई चीज़ रुकावट नहीं बनी ....सुनने वालों ने पूछा.......उज़्र (मजबूरी) से क्या मुराद है? फ़रमाया: कोई ख़ौफ़ या बीमारी। तो ऐसे आदमी की नमाज़ जो वह पढ़ेगा मक़बूल न होगी।

552:— अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अन्धा आदमी हूँ, घर दूर है और मेरा क़ाइद (हाथ पकड़ कर लाने वाला) मेरी मदद नहीं करता, तो क्या मेरे लिये रुख़्सत है कि अपने घर में नमाज़

पढ़ लिया करुँ? आप ने फ़रमायाः क्या अज़ान सुनते हो? उन्होंने कहाः हाँ। आप ने फ़रमायाः फिर तो मैं तुम्हारे लिये रुख़्सत नहीं पाता।

फ़ाइदा:— हदीस न॰ 551 और 552 ज़ओ़फ़ है, लेकिन मस्अ़ला सहीह है, दूसरी सहीह हदीसें मौजूद हैं।

553:— अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम से रिवायत है कि उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मदीने में कीड़े और दरिन्दे बहुत अधिक है (क्या मेरे लिये रुख़्सत है कि घर में नमाज़ पढ़ लिया करुँ?) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हय्या अ़-लस्सलाह और हय्या अ़लल् फ़लाह (की अवाज़) सुनते हो तो ज़रुर आओ।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इतबान बिन मालिक सहाबी नाबीना को इजाज़त दी है। और उन के घर जा कर नमाज़ का उद्घाटन फ़रमाया है। मालूम हुआ कि इब्ने मक्तूम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से "बेहतर" के बारे में पूछा था कि कौन सा अ़मल बेहतर है, घर में पढ़ने का या मस्जिद में? तो आप ने फ़रमायाः ज़ाहिर है मस्जिद में जमाअ़त से। वर्ना नाबीना के लिये रुख़्सत है।

बाब {जमाअ़त के साथ नमाज़ अ़दा करने की फ़ज़ीलत।}

554:— उबय्यि इब्ने कअ़ब रज़ि॰ से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें सुब्ह की नमाज़ पढ़ाई, उस के बाद फ़रमायाः क्या फ़लाँ हाज़िर है? लोगों ने कहाः नहीं। आप ने पूछाः क्या फ़लाँ हाज़िर है? लोगों ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः बिला शुब्हा यह दो नमाज़ें मुनाफ़िकों पर सब नमाज़ों से भारी हैं (यानी इशा और फ़ज्र) और अगर तुम्हें मालूम हो कि उन में क्या कुछ अज्र व सवाब है तो तुम उन में ज़रुर आओ अगंचे घुटनों के बल ही आना पड़े। और पहली सफ़ (अज्र व सवाब में) फ़रिश्तों के सफ़ की तरह है। अगर तुम्हें उस की फ़ज़ीलत मालूम हो तो उस के लिये ज़रुर एक-दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। इन्सान की नमाज़ एक आदमी के साथ ज़्यादा अज्र व सवाब वाली है बनिस्बत उस के कि वह एक आदमी के साथ मिल कर पढ़े। जिस क़दर जमाअ़त के लोगों की संख्या होगी वह अधिक पाकीज़ा और अल्लाह को बहुत अधिक महबूब होगी।

555:— उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने इशा की नमाज़ जमाअ़त से पढ़ी तो यह आधी रात के क़ियाम (नमाज़ पढ़ने) की तरह है। और जिस ने इशा और फ़ज्र की नमाज़ें जमाअ़त से पढ़ीं तो यह पूरी रात के क़ियाम (नमाज़ पढ़ने) की तरह है।

बाब {नमाज़ के लिये पैदल चल कर जाने की फ़ज़ीलत।}

556:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स जितना मस्जिद से दूर होता है उतना ही ज़्यादा सवाब का हक़दार होता है।

फ़ाइदा:— ज़ाहिर है जो जितना अधिक क़दम चलेगा उतना अधिक सवाब पायेगा।

557:— उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स था, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मदीना वालों में क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ने वालों में उस का घर सब से दूर था और मस्जिद में कोई नमाज़ भी उस से न चूकती (छूटती) थी। मैं ने उस से कहाः अगर आप एक गधा ख़रीद लें और गर्मी और अँधेरे में उस पर सवार हों (तो सहूलत रहे) उस ने कहाः मैं यह पसन्द नहीं करता कि मेरा घर मस्जिद के क़रीब हो। उस की यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बताई गयी और आप ने उस से पूछा तो उस ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मेरी निय्यत यह है कि मेरा मस्जिद में आना और यहाँ से घर वापस जाना सब ही लिखा जाये। आप ने फ़रमायाः अल्लाह ने तुम्हें यह सब कुछ दे दिया। जिस की तू ने आशा की थी अल्लाह ने वह सब दे दिया।

558:— अबू उमामा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो आदमी अपने घर से वुज़ू कर के फ़र्ज़ नमाज़ के लिये निकलता है तो उस का सवाब ऐसे है जैसे कि हाजी एहराम बाँधे हुये आये। और जो चाश्त की नमाज़ के लिये निकले और उस परेशानी, या उठ खड़े होने की ग़रज़ सिर्फ़ यही नमाज़ हो तो ऐसे आदमी का सवाब, उम्रा करने वाले की तरह है। और एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ कि उन दोनों के दर्मियान कोई वाहियात काम न हो इल्लीयीन में इन्दराज का सबब है।

559:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जमाअ़त के साथ नमाज़, घर या बाज़ार में अकेले नमाज़ पढ़ने की बनिस्बत पच्चीस दर्जे ज़्यादा होती है। वह इस प्रकार कि तुम में से कोई वुज़ू करे और कामिल और अच्छी तरह करे, फिर मस्जिद में आये और उस की निय्यत केवल नमाज़ ही हो और नमाज़ ही ने उसे उठाया होतो वह जो क़दम भी उठायेगा उस से उस का एक दर्जा बुलन्द होगा और एक गुनाह माफ़ होगा, यहाँ तक कि मस्जिद में दाख़िल हो जाये तो वह नमाज़ में शुमार होता है जब तक कि नमाज़ उसे रोके रखे। और जब तक कोई अपनी उस जगह पर बैठा रहे जहाँ उस ने नमाज़ पढ़ी हो तो फ़रिश्ते उस के लिये दुआ़यें करते हैं "ऐ अल्लाह! उसे माफ़ फ़रमा। ऐ अल्लाह! उस पर रहम फ़रमा। ऐ अल्लाह! उस की तौबा कुबूल फ़रमा।" और उन की यह दुआ़ (उस समय तक) जारी रहती है जब तक कि वह वहाँ किसी को दुखः न दे, या बेवुज़ू न हो जाये।

560:— अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जमाअ़त के साथ नमाज़ पच्चीस नमाज़ों के बराबर होती है। और जब कोई शख़्स जन्गल में नमाज़ पढ़ता है और उस के रुकूअ़ और सज्दों को कामिल करता है तो इस का सवाब पचास नमाज़ों तक पहुँच जाता है।

बाब {अँधेरे में नमाज़ के लिये पैदल जानेकी फ़ज़ीलत।}

561:— बुरैदा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः शुभ सूचना दो, क़ियामत केदिन कामिल नूर की, उन लोगों को जो अँधेरों में मस्जिदों की तरफ़ पैदल

चल-चल के आते हैं।

बाब {नमाज़ के लिये जाने का अदब।}

562:— अबू सुमामा हन्नात बयान करते हैं कि मुझ से कअ़ब बिन अ़जज़ा मिले जबकि मैं नमाज़ के लिये मस्जिद की तरफ़ जा रहा था। दोनों में से एक ने दूसरे को पाया। कहते हैं कि कअ़ब ने मुझे इस हाल में पाया कि मैं अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरी में दिये हुये था। उन्होंने मुझे इस से मना किया और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: "जब तुम में से कोई वुज़ू करेऔर अच्छी तरह वुज़ू करे फिर मस्जिद में आये तो अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरी में हर्गिज़ न दे, क्योंकि वह नमाज़ में है।

फ़ाइदा:— मस्जिद को आते हुये उंगलियों को एक दूसरी में देना, उन्हें चटखाना या इस तरह के दूसरे ला यानी, बेकार और वाहियात काम जैसे दौड़ना, इधर उधर ताक-झाँक, वाहियात बात-चीत और ठट्ठा लगाना वग़ैरह मुनासिब नहीं है। ऐसा करना नमाज़ में या नमाज़ की तरफ़ जाते हुये दोनों हालतों में मना है।

563:— सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह० बयान करते हैं कि एक अन्सारी की मौत का समय आ गया तो उस ने कहा: मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ और केवल सवाब के लिये सुनाता हूँ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि जब तुम में से कोई वुज़ू करता है और अच्छी तरह करता है फिर नमाज़ के लिये निकलता है तो जब वह अपना दायाँ क़दम उठाता है तो अल्लाह पाक उस के लिये एक नेकी लिख देता है। और वह बायाँ क़दम नहीं टिकाता कि अल्लाह पाक उस की एक ग़लती माफ़ कर देता है। तो जो चाहे (मस्जिद के) क़रीब रहे या दूर (तुम्हारी मर्जी है) अगर वह मस्जिद में आ कर जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ता है तो उस की मग़्फ़िरत कर दी जाती है। अगर वह मस्जिद में आया और लोग कुछ नमाज़ पढ़ चुके थे और कुछ बाक़ी थी तो जो उसे मिल गयी उस ने उस के साथ पढ़ी और बाक़ी को पूरा कर लिया तो ऐसे ही होगा (यानी उस की भी माफ़ी होगी) और अगर वह मस्जिद में आया तो लोग नमाज़ पढ़ चुके थे फिर उस ने अकेले ही) नमाज़ पूरी की तो भी ऐसे ही होगा (यानी बख़्शा जायेगा)

बाब {जो शख़्स नमाज़ की ग़रज़ से आया मगर देखा कि नमाज़ हो चुकी है......?}

564:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने वुज़ू किया और अच्छी तरह वुज़ू किया (यानी सुन्नत के मुताबिक़ किया) फिर मस्जिद की तरफ़ गया मगर लोगों को पाया कि वह नमाज़ से फ़ारिग़ हो चुके हैं तो अल्लाह पाक ऐसे बन्दे को भी उतना ही सवाब देता है जितना की उस को जिस ने जमाअ़त में हाज़िर होकर नमाज़ पढ़ी हो। और यह उन के सवाबों में किसी कमी का बाइस (सबब) नहीं होता।

बाब {महिला का मस्जिद में जाना।}

565:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों से मत रोको, लेकिन उन्हें चाहिये कि बनाव सिंगार के

बग़ैर निकलें (यानी सादा हालत में आयें)

फ़ाइदा:— फिर भी अफ्ज़ल यही है कि वह अपने घर में पर्दा के साथ नमाज़ पढ़ें। मस्जिद में जा कर पढ़ना जाइज़ है, न कि अफ़्ज़ल। देखें हदीस न॰ 567।

566:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों (में जाने) से मना न करो।

567:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अपनी महिलाओं को मस्जिदों से मत रोको, मगर उन के घर उन के लिये बेहतर हैं।

568:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: महिलाओं को रात के समय मस्जिदों में जाने के लिये अनुमति दे दिया करो। इस पर उन के एक पुत्र ने कहा: अल्लाह की क़सम! हम उन्हें अनुमति नहीं देंगे। वह उसे (बाहर निकलने का) एक बहाना बना लेंगी। अल्लाह की क़सम! हम उन्हें इजाज़त नहीं देंगे। यह सुन कर इब्ने उमर रज़ि॰ ने उन्हें बहुत कुछ कहा और नाराज़ हुये, फिर कहा कि मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: "उन को इजाज़त दो" और तुम कहते हो कि हम इजाज़त नहीं देंगे।

फ़ाइदा:— इस हदीस से महिला के लिये मस्जिद में जाने की अनुमति तो है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे पर्दे से हों, खुश्बू न लगाए हों, बनाव-सिंगार न हो। फिर भी बेहतर है कि घर में पढ़ें, जैसा कि हदीस न॰ 567 में है।

बाब {इस मस्अले में सख़्ती का बयान।}

569:— अ़म्रा बिन्त अ़ब्दुर्रहमान से रिवायत है कि आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यह हाल देख लेते जो (आज-कल) महिलाओं ने अपनाया हुआ है तो उन्हें मस्जिदों में आने से मना फ़रमा देते, जैसे कि बनी इस्राईल की महिलाओं को रोक दिया गया था।

फ़ाइदा:— यह आ़इशा रज़ि॰ का ख़्याल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस के मुक़ाबले में इन के ख़्याल पर अ़मल नहीं होगा, अगर कोई महिला तमाम शर्तें पूरी कर के जाना ही चाहे तो उसे नहीं रोका जायेगा, मगर यह कि महिला उस को समझाया जा सकता है कि न जाना ही बेहतर है।

570:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: महिला की नमाज़ उस के अपने घर में आँगन के बजाए कमरे के अन्दर ज़्यादा अफ़्ज़ल है, बल्कि कमरे के बजाए (अन्दरुनी) कोठरी में और अधिक अफ़्ज़ल है।

571:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अगर यह दरवाज़ा हम औ़रतों के लिये छोड़ दें (उन्हीं के लिये ख़ास कर दें, तो बेहतर है) इमाम

नाफ़े कहते हैं कि इब्ने उमर रज़ि॰ मरते दम तक उस दरवाज़े से मस्जिद में नहीं आये।

फ़ाइदा:— यह हदीस 462 में गुज़र चुकी है। ऊपर की हदीस 570 ज़ओ़फ़ है लेकिन उस के शवाहिद हैं इसलिये मस्अ़ला दुरुस्त है।

बाब {नमाज़ के लिये दौड़ कर आना।}

572:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना आप ने फ़रमाया: जब नमाज़ की इक़ामत हो जाये तो तुम उस के लिये दौड़ते हुये न आया करो, बल्कि चलते हुये आओ और इत्मिनान इख़्तियार करो, तो जो मिल जाये पढ़ लो और जो रह जाये उसे मुकम्मल कर लो।

573:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: नमाज़ के लिये आओ तो इत्मिनान से आओ। जो पालो पढ़ लो और जो पढ़ी जा चुकी हो उस की क़ज़ा दो (यानी पूरी कर लो)

बाब {मस्जिद में दोबारा जमाअ़त का होना।}

574:— अबू सओ़द खुदरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी अकेले ही नमाज़ पढ़ रहा है तो आप ने फ़रमाया: क्या कोई आदमी उस पर सदक़ा नहीं कर सकता कि उस के साथ मिलकर नमाज़ पढ़े।

फ़ाइदा:— चुनान्चे अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ शामिल हो गये। मालूम हुआ कि मस्जिद में दोबारा जमाअ़त की जा सकती है। कुछ उलमा मना करते हैं कि देर में आने वाला अकेले ही नमाज़ पढ़े। तो हो सकता है इसलिये मना करते होंताकि पहली जमाअ़त की अहमिय्यत का उसे अन्दाज़ा रहे और पहली जमाअ़त से ग़ाफ़िल न रहे। वर्ना इस हदीस से दूसरी जमाअ़त का सबूत है।

बाब {जो शख़्स अपनी मन्ज़िल में नमाज़ पढ कर आया हो, फिर जमाअ़त को पाये तो उन के साथ मिल कर नमाज़ पढ़े।}

575:— जाबिर बिन यज़ीद बिन अस्वद अपने पिता से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी जबकि वह नौजवान थे। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो देखा कि दो आदमी मस्जिद के एक कोने में मौजूद हैं और उन्होंने (जमाअ़त के साथ) नमाज़ नहीं पढ़ी। आप ने उन्हें बुलवाया, उन्हें आप के सामने पेश किया गया तो उन की यह हालत थी कि उन के पट्ठे काँप रहे थे। आप ने पूछा: तुम्हें क्या रुकावट थी कि हमारे साथ नमाज़ नहीं पढ़ी? उन्होंने कहा: हम अपने डेरे में नमाज़ पढ़ आये थे। आप ने फ़रमाया: ऐसे न किया करो। जब तुम में से कोई अपनी मन्ज़िल (डेरे) में नमाज़ पढ़ चुका हो फिर इमाम को पाये कि उस ने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी है तो उस के साथ भी मिल कर पढ़े, यह उस के लिये नफ़ल होगी।

576:— जाबिर बिन यज़ीद अपने पिता से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि **वसल्लम के साथ मिना में फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी.....और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।**

577:— यज़ीद बिन आमिर बयान करते हैं कि मैं आया तो उस समय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ में थे। चुनान्चे मैं बैठ गया और आप के साथ नमाज़ में शरीक नहीं हुआ। फिर आप नमाज़ पढ़ चुके तो हमारी तरफ़ मुँह किया और मुझे बैठे देखा तो पूछाः ऐ यज़ीद! क्या तुम मुसलमान नहीं हुये हो? मैं ने कहाः क्यों नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने इस्लाम कुबूल कर लिया है। आप ने फ़रमयाः तो तुम्हें क्या हुआ कि तुम लोगों के साथ नमाज़ में शरीक नहीं हुये? मैंने कहाः मैं अपने घर में नमाज़ पढ़ कर आया हूँ और मेरा ख़याल है कि शायद आप नमाज़ पढ़ चुके होंगे? आप ने फ़रमायाः जब तुम नमाज़ के लिये आओ और लोगों को नमाज़ में पाओ तो उन के साथ मिल कर पढ़ो अगर्चे अकेले पढ़ चुके हो। यह तुम्हारे लिये नफ़्ल हो जायेगी और वह (पहली नमाज़) फ़र्ज़।

578:— अफ़ीफ़ बिन अम्र बिन मुसय्यिब कहते हैं कि मुझे बनी असद बिन खुज़ैमा के एक व्यक्ति ने बताया कि उस ने अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि॰ से प्रश्न किया था कि हम में से एके अपने घर में नमाज़ पढ़ लेता है और फिर मस्जिद मेंआता है और नमाज़ की इक़ामत हो जाती है तो मैं उन के साथ मिल कर नमाज़ पढ़ लेता हूँ, मगर इस से मेरे दिल में कुछ खटक सी है। अबू अय्यूब रज़ि॰ ने कहाः हम ने इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया था तो आप ने फ़रमायाः यह उस के लिये जमाअत का एक हिस्सा है। (यानी इस में कोई हर्ज नहीं, बल्कि सवाब है)

फ़ाइदा:— अकेले नमाज़ पढ़ लेने वाले को जमाअत मिल जाये तो इमाम के साथ मिल कर दोबारा नमाज़ पढ़े। पहली नमाज़ जो अकेले पढ़ी है वह फ़र्ज़ होगी और साथ वाली दूसरी नफ़ल होगी।

बाब {जब किसी आदमी ने जमाअत से नमाज़ पढ़ ली हो, फिर दूसरी जमाअत पाये तो क्या देखा दोबारा पढ़ सकता है?}

579:— सुलैमान, यानी मैमूना केआज़ाद किये हुये गुलाम कहते हैं कि मैं इब्ने उमर रज़ि॰ के पास उन की बैठक पर आया तो वहाँ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे (और इब्ने उमर रज़ि॰ नमाज़ में शरीक न थे) मैंने उन से कहाः क्या आप उन के साथ नमाज़ नहीं पढ़ते? उन्हेांने कहा कि मैं पढ़ चुका हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन चुका हूँ आप फ़रमाते थेः एक नमाज़ को एक दिन में दो बार मत पढ़ो।

फ़ाइदा:— यानी अपने तौर पर बग़ैर किसी सबब के एक नमाज़ को दो बार मत पढ़ो, ताहम कोई सबब हो तो दोबारा पढ़ना जाइज़ है। अगर अकेले पढ़ी है, फिर जमाअत मिल गयी तो इस प्रकार पढ़ना जाइज़ है। या हदीस न॰ 574 पर अमल करे तो भी जाइज़ है।

बाब {इमामत की फ़ज़ीलत और अहकाम का बयान।}

580:— उक़बा बिन आमिर रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना, आप फ़रमाते थेः जो शख़्स लोगों की इमामत कराये और समय पर कराये तो

यह उस के लिये और नमाज़ियों के लिये सवाब का कारण है। और जिस ने उस में से कोई कमी की तो उस का गुनाह इमाम पर है, नमाज़ियों पर नहीं।

बाब **{इमाम का बोझ एक दूसरे पर डालने की कराहियत।}**

581:— तल्हा उम्मे गुराब अ़क़ीला से, जो कि बनी फ़ज़ारा की महिला थीं, और उन की आज़ाद कर्दा लौंडी थीं, यह सलामा बिन्त हूर्र से जो ख़रशा बिन हुर्र फ़ुज़ारी की बहन थीं, बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़ियामत की निशानियों में से यह भी है कि मस्जिद के लोग इमामत को एक दूसरे पर टालेंगे और किसी को नहीं पायेंगे जो उन की इमामत कराए।

फ़ाइदा:— इस की सनद ज़ओ़ीफ़ है, लेकिन अर्थ सहीह है। सब दीनी इल्म से दूर होंगे और एक दूसरे पर टालेंगे, इसलिये जो इल्म वाला हो वह इन्कार न करे।

बाब **{इमामत का ज़्यादा हक़दार कौन है?}**

582:— अबू मस्ऊद बदरी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़ौम की वह शख़्स इमामत कराये जो क़ुरआन पाक का बड़ा और पुराना क़ारी हो। अगर सब क़िरात में बराबर हों तो वह शख़्स इमामत कराये जो हिजरत करने में अव्वल हो। अगर हिजरत में बराबर हों तो बड़ी उम्र वाला इमामत कराये। और कोई शख़्स न तो किसी दूसरे के घर में इमामत कराये, न उस की हुकूमत की जगह में और न उस की ख़ास बैठने की जगह (मुस्नद) पर बैठे, मगर यह कि वह इजाज़त दे।

फ़ाइदा:— "क़ारी" से मुराद वह आ़लिम जो हाफ़िज़, क़ारी के साथ दीन का आ़लिम भी हो। यह शरीअ़त की परिभाषा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में "क़ारी" ऐसे ही लोगों को कहा जाता था। किसी इमाम के स्थान पर इमामत करना यह भी अच्छा नहीं है।

583:— इब्ने मुआ़ज़ ने बयान किया कि मेरे पिता जी ने इमाम शोबा से जो हदीस बयान की उस में उन्होंने कहा कि : "कोई आदमी दूसरे की होकूमत (सरबराही) की जगह में इमामत न कराए।

584:— अबू मस्ऊद बदरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर क़ुरआन की क़िरात में बराबर हों तो सुन्नत का ज़्यादा जानने वाला इमामत कराये।अगर सुन्नत के जानने में बराबर हों तो वह इमाम बने जो हिजरत में अव्वल हो। इस रिवायत में "क़िरात में पुराना होने का ज़िक्र नहीं।"

585:— अ़म्र बिन सलमा रज़ि॰ ने बयान किया कि हम एक ऐसे स्थान पर पड़ाव डाले हुये थे कि लोग जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आते तो हमारे पास से गुज़र कर आते और वापसी में भी हमारे पास से होकर जाते और हमें बताया करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐस–ऐसे कहा है। और मैं एक ज़हीन लड़का था, इस प्रकार मैं ने काफ़ी सारा क़ुरआ़न याद कर लिया था। फिर मेरे पिता जी अपनी क़ौम के कुछ लोगों को लेकर नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये तो आप ने उन्हें नमाज़ की तालीम (शिक्षा) दी और फ़रमायाः तुम्हारा वह आदमी इमामत कराये जो कुरआन सब से ज़्यादा पढ़ा हुआ हो। चुनान्चे मैं ही क़ौम में सब से अधिक पढ़ा हुआ था, क्योंकि मैं (बहुत दिनों से) कुरआन पाक याद कर रहा था। तो उन्होने मुझे इमामत के लिये आगे कर दिया और मैं उन की इमामत कराने लगा। मेरे ऊपर पीली रन्ग की एक चादर हुआ करती थी, जब मैं सज्दे में जाता तो कुछ बेपर्दा सा हो जाता। इस पर महिलाओं में से किसी ने कहाः अपने क़ारी की सतर हम से पोशीदा कर दो, चुनान्चे लोगों ने मुझे एक अ़म्मानी क़मीस ख़रीद कर दी, इस से मुझे इतनी खुशी हुयी कि इस्लाम लाने के बाद किसी और चीज़ से नहीं हुयी थी। चुनान्चे मैं उन की इमामत कराया करता था और मेरी उम्र उस समय सात या आठ साल की थी।

586:— आ़सिम अह्वल भी अ़म्र बिन सलमा से यही हदीस रिवायत करते हैं, इस में है कि मैं उन की इमामत कराता और मुझ पर पैवन्द लगी चादरी होती थी, जिस में एक सूराख़ था, जब मैं सज्दे में जाता तो मेरी शर्मगाह खुल जाती।

587:— अ़म्र बिन सलमा ने बयान किया कि मेरे पिता जी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास कुछ लोगों को लेकर एक वफ़्द की शक्ल में हाज़िर हुये। उन लोगों ने जब वापसी का इरादा किया तो पूछाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! हमारी इमामत कौन करायेगा? आप ने फ़रमायाः जिस ने कुरआन ज़्यादा याद किया हो। चुनान्चे ख़ान्दान में कोई ऐसा न था जिसे कुरआन पाक इतना याद हो जितना मुझे याद था तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया। मैं नये उम्र का था, मेरे पास एक चादर थी। मैं अपनी क़ौम बनी जरम के जिस जलसे (सभा) में भी होता मैं ही उन की इमामत कराया करता और उन के जनाज़े पढ़ाता और आज तक पढ़ा रहा हूँ।

588:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि जब महाजिर लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पहले हिजरत कर के आये तो (कुबा के क़रीब) उस्बा के स्थान पर पड़ाव डाला तो अबू हुज़ैफ़ा के आज़ाद कर्दा गुलाम सालिम उन की इमामत करते थे। उन में उन्हें ही कुरआन सब से अधिक याद था। उस जमाअ़त में उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰और अबू सलमा बिन अ़ब्दुल असद रज़ि॰ भी होते थे।

589:— मालिक बिन हुवैरिस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से या मेरे किसी साथी से फ़रमायाः जब नमाज़ का समय हो जाये तो अज़ान कहो, फिर इक़ामत कहो और इमामत वह कराये जो तुम में उम्र में बड़ा हो।

590:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः चाहिये कि तुम्हारे भले और अच्छे लोग अज़ान कहें और तुम्हारे क़ारी (हाफ़िज़ और आ़लिम) इमामत करायें।

बाब {महिलाओं की इमामत का मस्अला।}

591:— उम्मे वर्क़ा बिन्त नौफ़ल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब बद्र के लिये गये तो मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे भी अपने साथ चलने की इजाज़त दीजिये। मैं आप के बीमारों का उपचार और सेवा करुँगी, और शायद अल्लाह पाक मुझे शहादत नसीब कर दे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम अपने घर ही में ठहरो। अल्लाह पाक तुम्हें शहादत की मौत देगा, चुनान्चे यह "शहीदा" के लक़ब से पुकारी जाने लगीं। वह कुरआन पाक पढ़ी हुयी थीं, उन्हेांने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अपने घर में मुअ़ज़्ज़िन रखने की इजाज़त माँगी तो आप ने इजाज़त दे दी। उन्होंने एक गुलाम और लौंडी को मु-दब्बर बनाया हुआ था (कि मेरे मरने के बाद वह आज़ाद हो जायेंगे) यह दोनों एक रात उस की तरफ़ उठे और एक चादर से उस का मुँह बन्द कर दिया और वह मर गयी और यह दोनों फ़रार हो गये।

सुब्ह को उमर रज़ि॰ ने लोगों में एलान किया कि जिसे उन के बारे में कोई जानकारी हो या उन्हें देखा हो तो उन्हें ले आये (वह लाये गये) तो उन्हें सूली पर लटका दिया गया। और यह मदीना में पहले आदमी थे जिन को सूली दी गयी।

592:— अ़ब्दुर्रहमान बिन ख़ल्लाद से रिवायत है उन्होंने उम्मे वरक़ा से यही हदीस बयान की है, और पहली रिवायत ज़्यादा कामिल है। उस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस के यहाँ उस के घर में मिलने के लिये आया करते थे और उस के लिये एक मुअज़्ज़िन मुक़र्रर था जो उस के लिये अज़ान देता था। और आप ने उम्मे वर्क़ा को हुक्म दिया था कि अपने घर वालों की इमामत किया करें। अ़ब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं ने उन के मुअज़्ज़िन को देखा था जो बहुत बूढ़े थे।

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम हुआ कि महिला, महिला की इमामत करा सकती है। लेकिन मर्द इमाम की तरह आगे नहीं खड़ी होगी, बल्कि महिलाओं के बीच में ही खड़ी होगी। मुअज़्ज़िन अज़ान देकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चला जाता रहा होगा। बहरहाल महिला, मर्द की इमामत नहीं करा सकती हैं अर्गचे मर्द चाहे जितना बूढ़ा हो।

बाब {उस आदमी का इमामत कराना जिसे लोग नापसन्द करते हों।}

593:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे। तीन आदमियों की नमाज़ अल्लाह के घर मक़्बूल नहीं होती। एक वह व्यक्ति जो किसी क़ौम के आगे खड़ा हुआ (नमाज़ पढ़ाने) और वह उसे नापसन्द करती हो। दूसरा वह व्यक्ति जो नमाज़ केलिये जमाअ़त निकल जाने के बाद देर से आता हो। तीसरा वह व्यक्ति जिस ने किसी आज़ाद शख़्स को अपना गुलाम बना लिया हो। (इस की सनद ज़ओ़फ़ है)

बाब {अच्छे–बुरे की इमामत।}

594:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

फ़र्ज़ नमाज़ हर मुसलमान के पीछे वाजिब है चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर्चे उस ने कबीरा गुनाह किया हो।

फ़ाइदा:— इस की सनद ज़ओफ़ है। हाँ, कभी कभार ऐसे लोगों के पीछे नमाज़ पढ़नी पड़ जाये तो नमाज़ होजायेगी। लेकिन मुस्तक़िल पढ़ना दुरुस्त नहीं, कि और ढीठ और जरी होजायेंगे। अगर बादशाह जो इमाम भी है, ज़ालिम हो तो ज़ाहिर है मजबूरी में उस के पीछे पढ़ना दुरुस्त है देखें मुस्लिम हदीस न॰ 648, अबू दावूद 43।

बाब {अन्धे की इमामत।}

595:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (अपने एक सफ़र के मौक़ा पर) अ़ब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम को अपना जानिशीन बनाया और यही लोगों की इमामत कराते थे और यह अन्धे थे।

फ़ाइदा:— नाबीना की इमामत जाइज़ है, मगर शर्त यह है कि उस के अन्दर इमामत की शर्तें पाई जाती हो।

596:— अबू अ़तिय्या ने बयान किया कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ि॰ हमारे यहाँ इसी स्थान पर जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं, आया करते थे। एक मर्तबा नमाज़ की इक़ामत कही गयी तो हम ने उन से कहा: आगे बढ़े और नमाज़ पढ़ायें। उन्होंने कहा: कोई अपना आदमी आगे करो जो तुम्हें नमाज़ पढ़ायें, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इस समय क्यों नमाज़ नहीं पढ़ता? मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है : जो शख़्स किसी क़ौम से मिलने के लिये जाये तो उन की इमामत न कराये, बल्कि उन ही में का कोई इमामत कराये।

फ़ाइदा:— हदीस में बयान मस्अ़ला सहीह है, लेकिन अगर मुक़्तदी इमामत की ख़ाहिश करें और इमाम इजाज़त दे दे तो मेहमान भी इमामत कर सकता है, कोई हरज नहीं।

बाब {इमाम का मुक़्तदियों से ऊँची जगह पर खड़ा होना।}

597:— हम्माम से रिवायत है कि हुज़ैफ़ा रज़ि॰ मदाइन शहर में एक चबूतरे पर खड़े होकर लोगों की इमामत करा रहे थे कि अबू मस्ऊद रज़ि॰ ने उन को पकड़ कर खींच लिया। जब नमाज़ पढ़ चुके तो कहा: क्या तुम्हें मालूम नहीं कि लोगों को इस से मना किया जाता था? उन्होंने उत्तर दिया: क्यों नही, जब आप ने मुझे खींचा तो मुझे भी याद आ गया।

598:— अ़दी बिन साबित अन्सारी कहते हैं कि मुझ से एक आदमी ने बयान किया कि वह मदाइन शहर में अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ के साथ था कि नमाज़ की इक़ामत कही गयी तो अ़म्मार आगे बढ़े और एक चबूतरे पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगें, जबकि दूसरे लोग उन से नीचे थे। इतने में हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने आगे बढ़ कर उन के दोनों हाथ खींच लिये। अ़म्मार भी उन के साथ पीछे हटते आये, यहाँ तक कि हुज़ैफ़ा ने उन को नीचे उतार दिया। जब अ़म्मार अपनी नमाज़ पढ़ चुके तो हुज़ैफ़ा ने उन से कहा: क्या आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते नहीं सुना

कि जब कोई इमामत कराये तो दूसरे लोगों से ऊँचा न खड़ा हो, या इसी प्रकार का शब्द फ़रमाया। अम्मार रज़ि॰ ने कहा: इसीलिये तो मैं आप के साथ पीछे हट आया था, जब आप मेरा हाथ पकड़े हुये थे।

फ़ाइदा:— इमाम और मुक़्तदी दोनों को एक सतह पर होना चाहिये। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जो मिंबर पर नमाज़ पढ़ाई थी तो वहाँ तालीम देना था। गोया आज भी किसी ज़रुरत से ऊँचे स्थान पर खड़े होकर इमाम का नमाज़ पढ़ाना जाइज़ है। (देखें बुखारी शरीफ़ 377)

बाब {जो कोई किसी क़ौम को नमाज़ पढ़ाये, हालाँकि वह (पहले ही) नमाज़ पढ़ चुका हो।}

599:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते फिर अपनी क़ौम के पास आ कर उसी नमाज़ की इमामत कराते।

600:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि मआ़ज़ रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते, फिर वापस जा कर अपनी क़ौम की इमामत कराते।

फ़ाइदा:— इस प्रकार मआ़ज़ जो इमामत कराते वह उन के लिये नफ़्ल होती थी, क्योंकि फ़र्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे पढ़ चुके होते थे, ऐसा जाइज़ है। इमाम नफ़्ल पढ़ रहा हो तो मुक़्तदी फ़र्ज़ की निय्यत कर के पढ़ सकता है।

बाब {इमाम अगर बैठ कर नमाज़ पढ़ाये।}

601:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम घोड़े पर सवार हुये और उस से गिर पड़े, उस से आप का दायाँ पहलू छिल गया तो आप ने एक नमाज़ बैठ कर पढ़ी। जब आप पढ़ चुके तो फ़रमाया: इमाम इसलिये बनाया जाता है उस की पैरवी की जाये। वह जब खड़ा होकर नमाज़ पढ़े तो खड़े होकर पढ़ो, जब वह रुकूऊ करे और जब समि-अल्लाहु लि-मन् हमि-दह कहे तो "रब्बना व-ल-कल् हम्दु" कहो। और जब वह बैठ कर पढ़े तो तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ो।

602:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना में एक घोड़े पर सवार हुये तो उस ने आप को खजूर के एक तने पर गिरा दिया इस से आप के पाँव में मोच आ गयी (या अपने जोड़ से निकल गया) हम आप की ख़िदमत में हाज़िर हुये तो आप को आ़इशा रज़ि॰ के कमरे में पाया, आप बैठ कर नफ़्ल पढ़ रहे थे। चुनान्चे हम लोग आप के पीछे खड़े हो गये, आप हमारे बारे में ख़ामोश रहे। हम फिर दोबारा आप की अ़यादत के लिये आये तो आप ने फ़र्ज़ नमाज़ बैठ कर पढ़ी और हम आप के पीछे खड़े हो गये। आप ने इशारा किया तो हम बैठ गये। रावी ने कहा कि जब आप नमाज़ मुकम्मल कर चुके तो फ़रमाया: जब इमाम बैठ कर नमाज़ पढ़े तो बैठ कर पढ़ा करो और जब वह खड़े होकर पढ़े तो खड़े होकर पढ़ो और इस प्रकार न करो जैसे फ़ारस के लोग अपने बड़ों के साथ करते हैं।

***603:*— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इमाम इस लिये होता है कि उस की पैरवी की जाये। वह जब तक्बीर कहे तो तुम भी कहो। और जब तक वह तक्बीर न कहे ले तुम तक्बीर न कहो। और जब रुकूअ़ में जायें तो तुम भी रुकूऊ में जाओ। और उस समय तक रुकूऊ में न जाओ जब तक कि वह रुकूऊ के लिये झुक न जाये। जब वह "समिअ़ल्लाहु लि–मन् हमि–दहू" कहे तो तुम कहोः "अल्लहुम्म रब्बना ल–कल् हम्दु" (मुस्लिम बिन इब्राहीम के लफ़्ज हैं: "व–ल–कल् हम्दु") वह जब सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और उस समय तक सज्दे के लिये न झुको जब तक कि वह सज्दे में चला न जाये। और जब वह खड़े होकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो और जब वह बैठ कर पढ़े तो तुम भी बैठ कर पढ़ो।

***फ़ाइदा:*— शुरु में यही हुक्म था कि इमाम जिस हालत में हो मुक़्तदी भी उसी हालत में हों, लेकिन यह हुक्म मन्सूख़ हो गया। अब यह हुक्म है कि अगर इमाम किसी वजह से बैठ कर पढ़ाये तो मुक़्तदी खड़े होकर पढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अन्तिम अ़मल इसी प्रकार था।

***604:*— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इमाम इसलिये बनाया जाता है कि उस की पैरवी की जाये, और इस रिवायत में इज़ाफ़ा किया "जब वह क़िरात करे तो तुम ख़ामोश रहो।"

***फ़ाइदा:*— दीगर सहीह रिवायत से साबित है कि जेहरी नमाज़ों में मुक़्तदी को खामोश रहने का यह हुक्म फ़ातिहा के अ़लावा की क़िरात के लिये है। और मुक़्तदी को हर सूरत में ख़ामोशी के साथ इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है।

***605:*— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेअपने घर में नमाज़ पढ़ी और आप बैठे हुये थे और लोगों ने आप के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, तो आप ने इशारा किया कि बैठ जाओ। जब आप फ़ारिग़ हुये तो फ़रमायाः इमाम इस लिये बनाया जाता है कि उस की पैरवी की जाये। चुनान्चे जब वह रुकूअ़ करे तो रुकूऊ करो और जब सर उठाये तो तुम भी उठाओ। और जब वह बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठ कर पढ़ो।

***606:*— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गये तो हम ने आप के पीछे नमाज़ पढ़ी, जबकि आप बैठे हुये थे और अबू बक्र तक्बीर कहतेथेताकि लोगों को आप की तक्बीर सुनवायें, फिर हदीस बयान की।

***607:*— हुसैन, जो कि सअ़द बिन मआ़ज़ की औलद में से थे, यह उसैद बिन हुज़ैर रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि वह अपनी क़ौम की इमामत कराया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन की अ़यादत करने गयेतो लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! हमारा इमाम बीमार है। आप ने फ़रमायाः जब वह बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठ कर नमाज़ पढ़ा करो। (इस की सनद ज़ईफ़ है)

फ़ाइदा:— देखें हदीस न॰ 603 का फ़ाइदा। यह हदीसें मन्सूख़ है। अब अगर इमाम बैठ कर पढ़ाये तो मक़्तदी खड़े होकर पढ़ेंगे। मौत वाली बीमारी में आप ने इसी प्रकार पढ़ाई है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

बाब {जब दो आदमी हों, एक इमाम होतो कैसे खड़े हों?}

608:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उम्मे हराम के पास तशरीफ़ ले गये तो उन्होंने आप को घी और खजूरें पेश की। आप ने फ़रमायाः खजूरों को उन के बर्तन में और घी को उस के मशक में डाल दो, मैं रोज़े से हूँ। फिर आप खड़े हुये और हमें दो रक्अत नफ़्ल की नमाज़ पढ़ाई तो उम्मे सुलैम (अनस की माता) और उम्मे हराम (अनस की ख़ाला) हमारे पीछे खड़ी हुयी.....साबित ने बयान किया कि मैं समझता हूँ कि अनस ने कहा थाः आप ने मुझे अपने दायें जानिब चटाई पर खड़ा किया था।

609:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन की और उन में से एक महिला की इमामत कराई थी। पस आप ने अनस को अपने दायें जानिब और महिला को पीछे खड़ा किया था।

610:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने एक बार अपनी ख़ाला मैमूना रज़ि॰ के घर से गुज़री। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को उठे, मश्कीज़ा खोला और उस से वुज़ू किया, फिर उस का मुँह बन्द कर दिया, फिर नमाज़ पढ़ने खड़े हो गये, तब मैं भी उठा और उसी प्रकार वुज़ू किया जिस प्रकार आप ने किया था और आकर आप के साथ बायें जानिब खड़ा हो गया, तो आप ने मुझे मेरे दायें हाथ से पकड़ कर अपने पीछे से घुमाया और अपनी दायीं जानिब खड़ा किया और मैंने आप के साथ मिल कर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी।

611:— सअ़ीद बिन जुबैर, इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से इस क़िस्से में बयान करते हैं कि आप ने मुझे मेरे सर से पकड़ा, या मेरे बाल पकड़े और मुझे अपनी दायीं तरफ़ खड़ा कर लिया।

फ़ाइदा:— दो आदमी हों तो दोनों एक ही सफ़ में बराबर खड़े होंगे। इमाम बायें तरफ़ होगा। अगर महिला है तो वह पीछे की सफ़ में खड़ी होगी। यह भी मालूम हुआ कि तहज्जुद या नफ़्ली नमाज़ की इमामत हो सकती है।

बाब {अगर तीन आदमी हों तो कैसे खड़े हों?}

612:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मेरी नानी मुलैका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को खाने पर बुलाया। आप ने खाना खा लिया फिर फ़रमायाः खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊँ। अनस रज़ि॰ ने कहा कि मैं एक चटाई लेआया जो इस्तेमाल करते रहने से काली पड़ गयी थी, मैंने उस पर पानी छिड़क दिया (ताकि नर्म हो जाये) फिर आप उस पर खड़े हो गये। मैंने और यतीम बच्चे (इब्ने अबी जुमैरा मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) ने आप के पीछे सफ़ बनाई और बुढ़िया (मुलैका) हमारे पीछे खड़ी हुयी। फिर आप ने

दो रक्अतें पढ़ायीं फिर तशरीफ़ ले गये।

फ़ाइदा:— दो इमाम के पीछे खड़े होंगे और महिला मर्दों की सफ़ से पीछे खड़ी होगी, चाहे अकेली ही खड़ी हो। यहाँ तक कि बच्चों की सफ़ में भी महिला नहीं खड़ी हो सकती, चाहे कितनी खूसट और बड़ी आयु की हो।

613:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अस्वद अपने पिता से रिवायत करते है: उन्होंने कहा कि अ़ल्क़मा और अस्वद ने अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से (उन के घर में मिलने की) इजाज़त चाही, और हमें उन के दर्वाज़े पर काफ़ी देर बैठना पड़ा। आख़िर एक लौंडी आयी जिस ने हमारे लिये इजाज़त चाही तो आप ने हमें बुलवा लिया, फिर आप नमाज़ के लिये उठे तो मेरे और उन के दर्मियान खड़े हुये (और हमें नमाज़ पढ़ाई) फिर कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ऐसे ही देखा था।

फ़ाइदा:— इब्ने सीरिन रह॰ फ़रमाते हैं कि शायद जगह की तन्गी की वजह से ऐसा किया हो। या फिर इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ की भूल होगी। सहीह यह है कि इमाम आगे और मुक़्तदी उस के पीछे होंगे। (यह रिवायत हसन है)

बाब {इमाम सलाम के बाद क़िब्ले की तरफ़ से फिर जाये।}

614:— जाबिर बिन यज़ीद बिन अस्वद अपने पिता से नक़ल करते हैं उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी तो (देखा कि) आप जब नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो क़िब्ला की तरफ़ से (मुक़्तदियों की तरफ़) फिर जाया करते थे।

615:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते तो पसन्द करते कि आप के दाहिने खड़े हों कि आप (सलाम फेरने के बाद) हमारी तरफ़ मुँह करेंगे।

बाब {इमाम का अपनी जगह (अपने मुसल्ले) पर सुन्नत या नफ़्ल अ़दा करना।}

616:— अ़ता खुरासानी मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: इमाम ने जिस जगह नमाज़ पढ़ाई हो, उसी जगह (सुन्नत या नफ़्ल) न पढ़े, यहाँ तक कि वहाँ से हट जाये।

फ़ाइदा:— यह रिवायत अगर्चे ज़ओ़फ़ है, लेकिन दूसरी रिवायतों से इस मस्अले की ताईद होती है (देखें मुस्लिम 883) इस में हिक्मत यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर सज्दा करें। यह स्थान क़ियामत के दिन गवाही देंगे।

बाब {इमाम ने आख़िरी रक्अ़त के सज्दे से सर उठाया और उस का वुज़ू टूट गया, तो.....?}

617:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: इमाम ने जब नमाज़ पूरी कर ली और (अन्तिम) क़ादा में बैठ गया हो और कलाम करने

(यानी सलाम फेरने) से पहले ही बेवुजू हो जाये तो उस की नमाज़ हो गयी और उस के मुक़तदियों की भी जिन्होंने नमाज़ पूरी पढ़ी हो, नमाज़ कामिल हेगी।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है, इसलिये इस से हुज्जत दुरुस्त नहीं। सहीह हदीस से साबित है कि तशहहुद और सलाम वाजिब है इसलिये अगर सलाम से पहले वुजू टूट जाये तो नमाज़ दोहराये। सलाम के वाजिब होने के लिये नीचे की हदीस शाहिद है।

618:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नमाज़ की चाबी वुजू है। उस की तहरीम, तक्बीर और तहलील सलाम है।

फ़ाइदा:— "अल्लाहु अक्बर" कहने से सब कुछ हराम हो जाता है। और "अस्सलामु अ़लैकुम" कहने से सब हलाल हो जाता है।

बाब {मुक़्तदी को इमाम की (पूरी तरह) पैरवी करनेका हुक्म।}

619:— मुआ़विया बिन अबू सुफ़यान रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः रुकूऊ और सज्दे में तुम मुझ से आगे बढ़ने की कोशिश न किया करो, क्योंकि मैं रुकूऊ करने में तुम से जिस क़दर आगे हूँगा, मेरे सर उठाने पर तुम्हारी यह तलाफ़ी हो जायेगी (कि तुम उतना ही ताख़ीर से सर उठाओगे) बिला शुब्हा मैं किसी क़दर भारी हो गया हूँ।

620:— अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद ख़तमी लोगों को खुत्बा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें बरा रज़ि॰ ने बयान किया.... और वह झूठे नहीं थे.....कि सहाबा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ रुकूऊ से सर उठाते तो खड़े रहते। जब देखते कि आप सज्दे में चले गये हैं तब सज्दे के लिये झुकते।

621:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू लैला, बरा रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे और हम में से कोई अपनी पीठ न झुकाता था जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को न देख लेता कि उन्होंने अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दी है।

622:— महारिब बिन दसार रिवायत करते हैं कि अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने मिंबर पर खुत्बा देते हुये कहाः मुझ से बरा ने बयान किया कि सहाबा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे। जब आप रुकूऊ करते तो वह रुकूअ़ करते। जब आप "समि-अल्लाहु लि-मन् हमि-दह" कहते (तो वह सर उठाते) और फिर खड़े रहते यहाँ तक कि आप को देख लेते कि आप ने अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दी है। फिर वह आप की पैरवी करते (यानी सज्दा करते)

फ़ाइदा:— इस हदीस में मुक़तदी को नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बताया गया है और इसी के मुताबिक़ मुक़तदी को अ़मल करना चाहिये।

बाब {इमाम से पहले सर उठाने या रखने पर वओ़ीद (चेतावनी)।}

623:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स इमाम से पहले अपना सर उठाता है जबकि वह इमाम सज्दे में हो, उसे डरना चाहिये कि कहीं अल्लाह पाक उस का सर गधे के सर जैसा न बना दे, या उस की शक्ल गधे की शक्ल न बना दे।

बाब {इमाम से पहले उठ कर जाने का मस्अला।}

624:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सहाबा को नमाज़ की तर्ग़ीब दी और उन्हें मना फ़रमाया कि आप के उठ कर जाने से पहले उठ कर जायें।

फ़ाइदा:— सलाम फेरने के बाद थोड़ी देर बैठे रहें ताकि महिलायें उठ कर चली जायें और तब तक पुरुष सलाम के बाद की दुआयें पढ़ लिया करें।

बाब {कितने कपड़े में नमाज़ पढ़ी जाये?}

625:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से एक कपड़े में नमाज़ के मुतअ़ल्लिक़ पूछा गया तो आप ने फ़रमायाः क्या तुम में से हर एक के पास दो-दो कपड़े हैं।

फ़ाइदा:— यानी ग़रीब के पास दो कपड़े नहीं होते हैं। एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा नीचे की हदीस में है।

626:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई शख़्स एक कपड़े में नमाज़ न पढ़े इस हाल में कि उस में से कुछ उस के कन्धों पर न हो।

627:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई एक कपड़े में नमाज़ पढ़े तो उस चादर के दोनों पल्लू में से दायें पल्ले को बायें कन्धे पर और बायें पल्लू को दायें कन्धे पर डाल ले।

फ़ाइदा:— इस प्रकार एक कपड़ा तहबन्द और ऊपर की चादर दोनों का काम देगा।

628:— उमर बिन सलमा ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप एक कपड़ा लपेटे नमाज़ पढ़ रहे थे और आप ने उस के दोनों कनारों को एक-दूसरे की मुख़ालिफ़ तरफ़ से अपने कन्धों पर डाला हुआ था।

629:— क़ैस बिन तलक़ अपने पिता से रिवायत करते हैं उन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये। इसी दिर्मयान एक आदमी आया और कहने लगाः ऐ अल्लाह के नबी! एक कपड़े में नमाज़ के बारे में आप का क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपना तहबन्द खोला और उस पर ऊपर वाली चादर को लपेटा

(इस प्रकार दोनों एक ही चादर बन गयीं) फिर उसे अपने ऊपर लपेट लिया, फिर आप खड़े हुये और हमें नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो फ़रमायाः क्या तुम सब को दो-दो कपड़े हासिल हैं।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि दो चादर न होने की सूरत में एक ही चादर में ऊपर की तरह पहन कर नमाज़ पढ़ने का हुक्म है।

बाब **{कोई अपने तहबन्द के कनारों को अपनी गर्दन में गाँठ देकर नमाज़ पढ़े.....तो इस का क्या हुक्म है?}**

630:— सहल बिन सअ़द रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने लोगों को देखा कि कपड़ों की कमी की वजह से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ में अपने तहबन्दों के कनारों को अपनी गर्दनों में गाँठ लगाई हुयी थी, जैसे की बच्चों की होती है। तो एक शख़्स ने कहाः ऐ औरतों! तुम मर्दों से पहले अपने सर को न उठाया करो (कहीं किसी के सतर पर नज़र न पड़ जाये)

631:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक कपड़े में नमाज़ पढ़ी, इस प्रकार कि उस का कुछ हिस्सा मुझ पर भी था।

फ़ाइदा:— एक बड़ी चादर या कंबल हो उस का कुछ हिस्सा नमाज़ी के ऊपर और कुछ हिस्सा उस की पत्नी के ऊपर हो तो यह जाइज़ है। (देखें-अबू दावूद-369, 370)

बाब **{इन्सान एक क़मीस में नमाज़ पढ़े।}**

632:— सलमा बिन अक्वा रजि॰ कहते हैं कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैं शिकारी आदमी हूँ। क्या मैं केवल एक क़मीस में नमाज़ पढ़ लिया करुँ? आप ने फ़रमायाः हाँ, और उसे बटन लगा लिया करो, चाहे काँटे ही के हूँ।

फ़ाइदा:— ज़ाहिर है इस से मुराद अ़रब की ख़ास लंबी क़मीस है कि अगर उस के नीचे शल्वार या चादर न भी हो तो नमाज़ जाइज़ है, मगर शर्त यह है कि सतर पूरी तरह ढका हुआ हो। अगर खुलने का डर हो तो उसे बाँधने का हुक्म दिया गया है।

633:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू बक्र (मुलैका) अपने पिता से रिवायत करते हैं कि जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने एक क़मीस में हमें नमाज़ पढ़ाई और उन पर चादर न थी। जब वह पढ़ा चुके तो कहाः मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा था कि आप ने एक ही क़मीस में नमाज़ पढ़ाई थी। (यह हदीस ज़अ़ीफ़ है)

बाब {जब कपड़ा तन्ग होतो उस का तहबन्द बाँध ले।}

634:— उबादा बिन वलीद बिन उबादा बिन सामित रज़ि॰ कहते हैं कि हम जाबिर रज़ि॰ के पास आये तो उन्होंने बताया कि मैं एक लड़ाई में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ

चला। आप उठ कर नमाज़ पढ़ने लगे और मुझ पर एक चादर थी, मैं ने उस के कनारों को उस के मुख़ालिफ़ तरफ़ से लपेटने की कोशिश की (यानी दायाँ कनारा बायें कन्धे पर और बायाँ कनारा दायें कन्धे पर डालने लगा) मगर उस में गुन्जाइश नहीं थी और उस के कनारों पर झालर सी लगी थी। मैंने उन्हें उल्टा किया और उस के कनारों में इख़्तिलाफ़ कर के अपनी गर्दन पर बाँध लिया और गर्दन को झुका लिया कि कहीं गिर न जाये। फिर मैं आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ आप के बाँयें तरफ़ खड़ा हो गया तो आप ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घुमा कर अपने दाहिने तरफ़ खड़ा कर दिया। फिर इब्ने सख़र आये और आप के बायें तरफ़ खड़े हो गये। पस आप ने हम दोनों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। यहाँ तक कि अपने पीछे खड़ा कर दिया। आप मुझे कंखियों से देख रहे थे, मगर मैं समझ न सका। फिर मैं समझ गया और आप ने इशारा किया कि इसे तहबन्द बना लूँ। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो फ़रमायाः ऐ जाबिर! मैंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! हाज़िर हूँ। आप ने फ़रमायाः जब कपड़ा खुला हो तो उस के कनारों में इख़्तिलाफ़ कर लिया करो (और कन्धों पर डाल लिया करो) और अगर तन्ग हो तो अपनी कमर पर बाँध लिया करो (यानी सिर्फ़ तहबन्द बाँध लिया करो)

फ़ाइदा:— यह हदीस मुस्लिम 485 में भी आ चुकी है।

635:— इब्ने उमर रज़ि॰ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः .....या यह कहा कि उमर रज़ि॰ ने कहा....जब तुम में से किसी के पास दो कपड़े हों तो उन में नमाज़ पढ़े। अगर एक ही हो तो उसे तहबन्द बना ले और यहूदियों की तरह न लपेटे।

फ़ाइदा:— यानी चादर इस तरह ओढ़ी जाये कि दोनों हाथ भी अन्दर ही बन्द होकर रह जायें और उन्हें बाहर निकालना आसान न हो–यह है यहूद की तरह लपेटने का अर्थ।

636:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने पिता (बुरैदा रज़ि॰) से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि आदमी चादर में इस प्रकार नमाज़ पढ़े कि उसे लपेटा न हो। दूसरे यह कि सिर्फ़ पाजामे में नमाज़ पढ़े और उस पर चादर न हो।

बाब {नमाज़ में टख़्नों से नीचे कपड़ा लटकाना।}

637:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना आप फ़रमाते थेः जिस ने नमाज़ में तकब्बुर करते हुये अपना तहबन्द टख़नों के नीचे लटकाया, अल्लाह उस के गुनाह माफ़ नहीं करेगा, न बुरे कामों से उसे बचायेगा (या उस के लिये जन्नत को हलाल और जहन्नम को हराम नहीं फ़रमायेगा। या जब वह अल्लाह की तरफ़ से किसी हलाल काम में नहीं, तो उस के लिये भी कोई एहतराम न होगा।)

638:— अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि एक मर्तबा एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था और वह अपना तहबन्द टख़्नों से नीचे लटकाये हुये था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (देखा तो) उसे फ़रमायाः जाओ और वुज़ू कर के आओ। चुनान्चे वह गया और वुज़ू कर के आया।

आपने उसे दोबारा फ़रमायाः जाओ और वुज़ू कर के आओ। चुनान्चे वह गया और वुज़ू कर के आया तो एक आदमी ने आप से कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! किस वजह से आप ने उसे वुज़ू करने का हुक्म दिया? यह सुन कर आप ख़ामोश रहे, फिर फ़रमायाः यह शख़्स अपना तहबन्द लटका कर नमाज़ पढ़ रहा था और अल्लाह तआ़ला ऐसे बन्दे की नमाज़ कुबूल नहीं करता जो अपना तहबन्द लटका कर नमाज़ पढ़ा रहा हो।

फ़ाइदाः— अ़ल्लामा अल्बानी ने इसे ज़ओ़फ़ कहा है इसलिये वुज़ू नहीं टूटेगा। और जिन के नज़दीक हदीस हसन है उन के नज़दीक टूट जायेगा। कुछ उलमा ने कहा कि यह हुक्म केवल डाँट फटकार और डराने के लिये था, वुज़ू नहीं टूटा था।

बाब {महिला कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़े।}

639:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ से प्रश्न किया गया कि महिला किन कपड़ों में नमाज़ पढ़े? तो उन्होंने कहाः ओढ़नी और पूरी कमीस में नमाज़ पढ़े तो उस के पाँव तक को ढाँप ले।

640:— मुहम्मद बिन ज़ैद से रिवायत है। यही हदीस उन्होंने उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत की कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः क्या महिला एक कमीस और ओढ़नी में नमाज़ पढ़ ले, जबकि उस ने तहबन्द न बाँधा हो? आप ने फ़रमायाः (हाँ) जब कमीस पूरी तरह ढाँपने वाली हो कि उस के पाँव की पीठ को भी ढक ले। (ऊपर की दोनों हदीसों 639 और 640 की सनद ज़ओ़फ़ है)

फ़ाइदाः— नमाज़ की हालत में महिला के लिये पैरों को ढाँकना ज़रुरी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप बेहतर कह सकते हैं।

बाब {महिला का ओढ़नी के बग़ैर नमाज़ पढ़ना।}

641:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक किसी बालिग़ औ़रत की नमाज़ ओढ़नी के बिना कुबूल नहीं फ़रमाता।

642:— मुहम्मद बिन सीरीन बयान करते हैं कि आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ सफ़िय्या उम्मे तल्–हतुत्तलहात की मेहमान हुयीं तो उन की बेटियों को देखा तो फ़रमायाः कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये जबकि मेरे कमरे में एक नौ उम्र लड़की थी। आप ने अपना तहबन्द मेरी तरफ़ फेंका और फ़रमायाः इसे दो हिस्सों में फाड़ो और एक हिस्सा उस लड़की को दे दो और दूसरा उस को जो उम्मे सलमा के यहाँ है। मैं समझता हूँ कि वह बालिग़ हो गयी है या (यह फ़रमाया कि) मैं समझता हूँ कि वह दोनों जवान हो गयी हैं। (यह हदीस ज़ओ़फ़ है)

बाब {नमाज़ में "सदल" करना।}

643:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ में सदल से मना फ़रमाया है। और इस से भी (मना फ़रमाया है) कि इन्सान मुँह ढाँप कर (ढाटा बाँध

कर) नमाज़ पढ़े। (सनद ज़ओ़फ़ है)

फ़ाइदा:— कपड़े को इस अन्दाज़ से अपने ऊपर लपेट लिया जाये कि हाथ भी अन्दर ही बन्द हो जायें और फिर रुकूऊ और सज्दे में भी उन को न निकाला जाये। या दूसरी शक्ल यह है कि चादर को उस के दर्मियान से अपने सर या कन्धों पर डाल लिया जाये और उस के दायें बाँयें कनारे लटकते रहें।

644:— इब्ने जुरैज कहते हैं कि मैंने अ़ता (बिन अबी रिबाह-ताबओ़) को बारहा (अक्सर) देखा कि वह सदल किये हुये नमाज़ पढ़ते थे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अ़ता का यह अ़मल गोया ऊपर अबू हुरैरा रज़ि॰ की हदीस को ज़ओ़फ़ साबित करता है।

फ़ाइदा:— हक़ यही है कि नमाज़ में कपड़े को लपेटे बग़ैर सर पर या कन्धों पर वैसे ही डाल लेना, या मुँह को बन्द कर लेना दुरुस्त नहीं है।

बाब {महिलाओं के इस्तेमाल में आने वाले कपड़ों में नमाज़।}

645:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे (यानी अपनी बीवियों के इस्तेमाल किये हुये) कपड़ों, या हमारे लिहाफ़ों में नमाज़ न पढ़ा करते थे।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी महिलाओं की चादर में नमाज़ न पढ़ते थे और कभी पढ़ा भी है (अबू दावूद हदीस न॰ 367 ता 370) तो मालूम हुआ कि इस मामले में कुशादगी है, मगर यह बहुत ज़रुरी है कि उन के पाक होने पर यक़ीन हो।

बाब {कोई मर्द अपने बालों का जूड़ा बना कर नमाज़ न पढ़े।}

646:— सओ़द बिन अबू सओ़द मुक़बिरी अपने पिता से बयान करते हैं उन्होंने (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मौला) अबू राफ़े को देखा कि वह हसन बिन अ़ली रज़ि॰ के पास से गुज़रे, जबकि वह खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे और उन्होंने अपनी गुद्दी से अपने बालों की चोटी धंसा रखी थी। तो अबू राफ़े ने उन के बाल खोल दिये, इस पर हसन रज़ि॰ ने गुस्से से उन्हें देखा तो अबू राफ़े ने कहाः अपनी नमाज़ पढ़िये और नाराज़ न हों, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है कि जूड़े का यह स्थान शैतान की बैठक है।

फ़ाइदा:— मर्दों के लिये जूड़ा बनाने की मिनाही है देखें बुख़ारी हदीस न॰ 812, मुस्लिम हदीस न॰ 490, जिन्होंने बनाया हुआ था शायद उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़र्मान मालूम न था।

647:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ ने देखा कि अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस नमाज़ पढ़ रहे थे और उन के बाल पीछे से बँधे हुये थे तो वह उन के पीछे खड़े होकर उन के बाल खोलने लगे। उन्होंने (यानी अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस ने नमाज़ के दौरान में) उस पर कोई इन्कार न किया। नमाज़ के बाद वह इब्ने अ़ब्बास की तरफ़ मुतवज्जह हुये और कहाः आप को मेरे सर से क्या काम? (यानी आप

ने मेरे बाल क्यों खोले?) उन्होंने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है किः बालों का जूड़ा बना लेना ऐसे है जैसे कोई नमाज़ पढ़े और उस के हाथ पीछे बँधे हों।

बाब {जूते पहन कर नमाज़ पढ़ने का मस्अला।}

648:— अ़ब्दुल्लाह बिन साइब रज़ि॰ कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़त्ह मक्का वाले दिन देखा कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे और आप के जूते आप के बायें तरफ़ रखे हुये थे।

649:— अ़ब्दुल्लाह बिन साईब रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें मक्का में सुब्ह की नमाज़ पढ़ाई (उस नमाज़ में) आप ने सूरः मोमिनून की तिलावत शुरु की। जब मूसा और हारुन, या यूँ कहाः कि मूसा और अ़ीसा का ज़िक्र आया.....इब्ने अ़ब्बाद को शक है, या लोगों ने इख़्तिलाफ़ किया है......तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को खाँसी आ गयी तो आप ने तिलावत को मुख़्तसर कर दिया और रुकूअ़ में चले गये, और अ़ब्दुल्लाह बिन साइब रज़ि॰ उस में हाज़िर थे।

650:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने सहाबा को नमाज़ पढ़ा रहे थे कि आप ने (नमाज़ के दौरान) अपने जूते उतार कर अपनी बायीं तरफ़ रख लिये। जब सहाबा ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिये। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो फ़रमायाः तुम लोगों ने अपने जूते क्यों उतारे? उन्होंने कहाः हम ने आप को देखा कि आप ने जूते उतार दिये हैं तो हम ने भी उतार दिये। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिब्रील मेरे पास आये और बताया कि आप के जूते में नापाकी लगी है। फिर आप ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई मस्जिद में आये तो अपने जूतों को ग़ौर से देख लिया करे, अगर उन में कोई नापाकी या जनासत नज़र आये तो उसे पोंछ डाले और फिर उन में नमाज़ पढ़ ले।

फ़ाइदा:— जूते पहन कर या उतार कर दोनों तरह नमाज़ पढ़ना जाइज़ है। उन का पाक होना शर्त है। उन्हें पाक करने के लिये ज़मीन पर रगड़ लेना ही काफ़ी है। जूतों में नमाज़ पढ़ने से सवाब में कोई कमी नहीं होता।

651:— बक्र बिन अ़ब्दुल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस बयान की तो उन्होंने उस में जहाँ शब्द "क्-ज़रुन्" आया है वहाँ दोनों जगह "खुब्सुन्" इस्तेमाल किया (दोनों का अर्थ एक ही है)

652:— शद्दाद बिन औस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यहूद की मुख़ालिफ़त करो। यह लोग जूतों या मोज़ों में नमाज़ नहीं पढ़ते हैं।

फ़ाइदा:— हमारे यहाँ इस प्रकार के मस्अलों पर अ़मल नहीं हो रहा है जब कि इन सुन्नतों को ज़िन्दा करना चाहिये।

653:— अम्रा बिन शुअ़ैब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जूते उतार कर नमाज़ पढ़ते थे और पहन कर भी।

फ़ाइदा:— पहनने या न पहनने का संबन्ध सवाब की कमी ज़्यादती से नहीं है, जैसे दातून वग़ैरह में साबित है।

बाब {नमाज़ी अपने जूते उतारे, तो कहाँ रखे?}

654:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े तो अपने जूतों को अपने दायें तरफ़ न रखे और न बायें तरफ़ कि इस प्रकार वह किसी दूसरे के दायें तरफ़ होंगे। हाँ, अगर उस के बायें तरफ़ कोई और न हो तो उस तरफ़ रख ले, वर्ना उन्हें अपने दोनों पैरों के दर्मियान रखे।

655:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब कोई नमाज़ पढ़ने लगे और अपने जूते उतारे तो उन से किसी दूसरे को तक्लीफ़ न पहुँचाये (यानी उस के आगे या दायें तरफ़ न रखे, या किसी और तरह से भी तकलीफ़ का सबब न बने) चाहिये कि उन्हें अपने क़दमों के दर्मियान में रखे, या पहने हुये ही नमाज़ पढ़ ले।

फ़ाइदा:— जूता पहन कर या उतार कर पढ़ना दोनों ही तरह से जाइज़ है, अल्बत्ता कभी-कभी यहूद की मुख़ालिफ़त में पहन कर पढ़ना सुन्नत को ज़िन्दा करने के लिये ज़रुरी है। लेकिन जाहिलों के दर्मियान न पढ़े, वर्ना सवाब के स्थान पर फ़साद का कारण बन जायेगा।

बाब {छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना।}

656:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी मैमूना बिन्त हारिस रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते तो मैं आप के क़रीब बराबर ही में होती और महीना (माहवारी) की हालत में होती। आप सज्दा में जाते तो कभी कभार आप का कपड़ा भी मुझे लगता और आप छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ा करते थे।

बाब {बड़ी चटाई पर नमाज़ पढ़ना।}

657:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किंया कि एक अन्सारी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मैं भारी बदन वाला हूँ.....और वास्तव में वह मोटा था......इसलिये मैं आप के साथ नमाज़ नहीं अदा कर सकता.....और उस ने आप केलिये खाना तय्यार कराया और आप को अपने घर आने की दावत दी। ......कि आप (मेरे घर में) नमाज़ पढ़ें ताकि आप को देखूँ कि आप किस प्रकार नमाज़ पढ़ते हैं ताकि मैं भी आप की तरह पढ़ूँ। (चुनान्चे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन सहाबी के घर तशरीफ़ ले गये) तो उन्होंने आप के लिये चटाई के एक टुकड़े पर पानी छिड़का (ताकि वह नर्म हो जाये) आप ने उस पर खड़े होकर दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ी। जारुद के बेटे फ़लाँ ने अनस रज़ि॰ से पूछा: क्या नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम चाश्त की नमाज़ पढ़ा करते थे? उन्होंने कहाः मैंने आप को केवल उसी दिन यह नमाज़ पढ़ते देखा था।

658:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उम्मे सुलैम से मुलाक़ात के लिये उन के घर जाया करते थे तो कभी उन के घर नमाज़ का भी समय हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारी एक चटाई पर नमाज़ पढ़ा करते थे, वह उस चटाई पर पानी छिड़क दिया करती थीं।

659:— मोग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम चटाई और रंगे हुये चमड़े पर नमाज़ पढ़ते थे।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। लेकिन मालूम हो कि चमड़ा दिबाग़त देने से पाक हो जाता है इसलिये उस का मुसल्ला बनाना जाइज़ है। और सज्दा में पेशानी का सीधे तौर पर ज़मीन या मिट्टी पर टिकाना ज़रुरी नहीं।

बाब {इन्सान अपने कपड़े पर सज्दा करे।}

660:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि सख़्त गर्मी के मौसम में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे जब कोई हम में से अपनी पेशानी ज़मीन पर न टिका सकता, तो अपना कपड़ा बिछा लेता फिर उस पर सज्दा करता।

फ़ाइदा:— कहना यह है कि सज्दा ज़मीन पर करना ज़रुरी नहीं, चटाई या कपड़े के ऊपर भी दुरुस्त है।

सफ़ बन्दी के अहकाम व मसाइल

बाब {सफ़ बन्दी के अहकाम व मसाइल। सफ़ें सीधी करने का मस्अला।}

661:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम सफ़ें क्यों नहीं बनाते जैसे कि फ़रिश्ते अपने रब के यहाँ बनाते हैं? आप ने फ़रमायाः वह पहले प्रथम सफ़ मुकम्मल करते हैं और आपस में जुड़ कर खड़े होते हैं। (उन के दर्मियान कहीं गैप नहीं होता है)

662:— नोमान बिन बशीर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ़ मुँह किया और फ़रमायाः अपनी सफ़ें बराबर कर लो। आप ने तीन मर्तबा फ़रमायाः क़सम अल्लाह की! (ऐसा ज़रुर होगा कि) या तो अपनी सफ़ों को बराबर रखोगे, या अल्लाह पाक तुम्हारे दिलों में मुख़ालिफ़त पैदा कर देगा। नोमान रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर मैं ने देखा कि नमाज़ी अपने कन्धे को अपने साथी के कन्धे के साथ, अपने घुटने को अपने साथी के घुटने के साथ, और अपने टख़्ने को अपने साथी के टख़्ने के साथ मिला और जोड़ कर खड़ा होता था।

663:— नोमान बिन बशीर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें सफ़ों में ऐसे बराबर और सीधा करते थे जैसे तीर को सीधा किया जाता है। फिर जब आप को विश्वास हो गया कि हम लोगों ने आप से सबक़ सीख लिया है और खूब समझ लिया है तो एक दिन आप हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुये और देखा कि एक नमाज़ी अपना सीना सफ़ से आगे निकाले हुये है तो आप ने फ़रमाया (अल्लाह की क़सम!) तुम लोग या तो सफ़ों को बराबर करोगे, या अल्लाह तआला तुम्हारे चेहरों के दर्मियान मुख़ालिफ़त पैदा कर देगा।

664:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सफ़ों के दर्मियान एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ को चले जाते (इसी दर्मियान) आप हमारे सीनों और कन्धों पर हाथ फेरते और फ़रमातेः आगे-पीछे मत हो, वर्ना तुम्हारे दिलों में भी इख़्तिलाफ़ आ जायेगा। और आप फ़रमाया करते थेः अल्लाह पाक पहली सफ़ों में आने वालों पर अपनी रहमतें नाज़िल करता है और फ़रिश्ते उन के लिये दुआ़यें करते हैं।

665:— नोमान बिन बशीर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब हम नमाज़ के लिये खड़े होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारी सफ़ों को बराबर करते। जब हम दुरुस्त होजाते तो आप तक्बीर कहते।

666:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सफ़ों को दुरुस्त कर लो, कन्धों को बराबर रखो, दर्मियान में जगह न रहने दो और अपने भाइयों के हाथों में नर्म बन जाओ....हदीस के रावी अ़ीसा बिन इब्राहीम ने "अपने भाई के हाथों में" शब्द नहीं बयान किया है.....इसी प्रकार "शैतान के लिये जगह न छोड़ों, जिस ने सफ़ को मिलाया अल्लाह पाक उसे मिलाये, और जिस ने सफ़ को काटा अल्लाह उसे काटे" रिवायत किया है।

667:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपनी सफ़ों में अच्छी तरह मिल कर खड़े हुआ करो। उन्हें क़रीब-क़रीब बनाओ और गर्दनों को भी बराबर रखो। उस ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है, मैं शैतान को देखता हूँ कि ख़ाली स्थानों में तुम्हारी सफ़ों में घुस जाता है, गोया कि वह बक्री का बच्चा है।

668:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सफ़ों को सीधा और बराबर करो, बिला शुब्हा सफ़ों को बराबर करना नमाज़ की तकमील का हिस्सा है।

669:— मुहम्मद बिन मुस्लिम का बयान है कि मैंने एक दिन अनस बिन मालिक रज़ि॰ के बग़ल में नमाज़ पढ़ी, तो उन्होंने कहाः क्या आप को मालूम है कि यह लक्ड़ी क्यों रखी हुयी है? मैंने कहाः नहीं, अल्लाह की क़सम! उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस पर अपना हाथ रखते थे (यानी अपने हाथ में पकड़ा करते थे) और फ़रमाते थेः बराबर हो जाओ और अपनी सफ़ों को सीधा कर लो।

670:— मुहम्मद बिन मुस्लिम ने अनस बिन मालिक रज़ि॰ से ऊपर की हदीस बयान की और कहा

कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़ब नमाज़ केलिये खड़े होते तो इस लक्ड़ी को दायें हाथ में पकड़ लेते (फिर दायें सफ़ की तरफ़) मुँह कर के फ़रमाते: "सीधे खड़े हो जाओ, अपनी सफ़ों को बराबर कर लो" फिर अपने बायें हाथ से पकड़ते (और बायें तरफ़ मुतवज्जह होते) और फ़रमाते: "सीधे खड़े हो जाओ और अपनी सफ़ों को बराबर कर लो।"

फ़ाइदा:— हदीस न॰ 669, 670 दोनों जओ़फ़ हैं। इसलिये सफ़ को ठीक करने में लक्ड़ी इस्तेमाल करने वाली बात सहीह नहीं है।

671:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: (पहले) पहली सफ़ को पूरा करो, फिर जो सफ़ इस के बाद हो। और जो कमी हो तो वह अन्तिम सफ़ में हो। (यह हदीस ज़ओ़फ़ है)

672:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम में बेहतरीन लोग वह हैं जिन के कन्धे नमाज़ में नर्म हों।

फ़ाइदा:— "कन्धे नमाज़ में नर्म हो" यानी सफ़ें बराबर कराने वालों के साथ सहयोग करो।

बाब {सुतूनों के दर्मियान सफ़ें बनाने का मस्अला।}

673:— अ़ब्दुल हमीद बिन महमूद बयान करते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ि॰ के साथ जुमा के दिन नमाज़ पढ़ी तो (भीड़ की वजह से) हमें सुतूनों की तरफ़ ढकेल दिया गया। इस पर अनस रज़ि॰ ने फ़रमाया: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में हम इस से बचा करते थे (यानी सुतूनों के दर्मियान सफ़ें नहीं बनाते थे।

फ़ाइदा:— सुतून की वजह से सफ़ कट जाती है इसलिये जाइज़ नहीं। हाँ कभी, भीड़ की वजह से और कहीं जगह न मिल सकी तो मजबूरी में खड़े हो गये तो थोड़ी सी गुन्जाइश है। मगर भरसक इस से बचना ज़रुरी है।

बाब {इमाम के क़रीब कौन खड़ा हो। और पीछे रहने की कराहत।}

674:— अबू मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: चाहिये कि तुम में से बुद्वि और अक़्ल रखने वाले मेरे निकट खड़े हुआ करें, फिर वह जो उन के क़रीब हैं, उन के बाद वह जो उन से क़रीब हैं।

फ़ाइदा:— ताकि वह लोग मुझे देखें और सीखें ताकि जब वह इमाम बनानें तो वैसे ही करें जैसा मुझे देखा हो।

675:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की रिवायत की तरह बयान किया और फ़रमाया: आगे पीछे मत हो, वर्ना तुम्हारे दिलों में इख़्तिलाफ़ आ जायेगा। और बाज़ार के शोर-शराबे से बचो।

676:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

अल्लाह पाक सफ़ों के दायें तरफ़ के लोगों पर अपनी (ख़ास) रहमतें नाज़िल करता है और फ़रिश्ते उन के लिये दुआयें करते हैं।

बाब **{बच्चे सफ़ में कहाँ खड़े हों?}**

677:— अ़ब्दुर्रहमान बिन ग़नम ने कहा कि अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ ने बयान किया: क्या मैं तुम्हारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ न बयान करूँ? चुनान्चे उन्होंने बताया कि आप ने इक़ामत कही, फिर मर्दों की सफ़ बनाई, और फिर बच्चों की सफ़ उन के पीछे बनाई और उन्हें नमाज़ पढ़ाई। अबू मालिक रज़ि॰ ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पूरी नमाज़ बयान की, फिर फ़रमाया: ऐसे ही है नमाज़......अ़ब्दुल आला ने कहा: मेरा ख़्याल है कि आप ने फ़रमाया था: "ऐसे ही है नमाज़ मेरी उम्मत की"

बाब **{महिलाओं की सफ़ का बयान। और यह कि पहली सफ़ से पीछे हों।}**

678:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मर्दों की सब से बेहतर सफ़ (अज्र और सवाब में) पहली सफ़ है और (अज्र व सवाब में) सब से कम आख़िरी सफ़ है। और महिलाओं की सब से बेहतर सफ़ (अज्र व सवाब में) वह है जो सब से आख़िर में हो और (अज्र व सवाब में) सब से कम वह है जो सब से पहली हो।

फ़ाइदा:— मर्दों की अन्तिम और महिलाओं की प्रथम सफ़ एक-दूसरे से निकट होती है इसलिये तवज्जोह और दिल-दिमाग़ बँटने का डर लगा रहता है इसलिये अजर व सवाब भी कम है। आज कल भले ही पर्दे और आड़ व ओट का बेहतर इन्तिज़ाम है, लेकिन हदीस की रोशनी में सवाब फिर भी कम ही रहेगा।

679:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो लोग पहली सफ़ से पीछे रहते हैं (और उसे अपनी आ़दत बना लेते) हैं, अल्लाह पाक उन्हें जहन्नम में भी पीछे कर देगा।

फ़ाइदा:— यानी अल्लाह पाक जब पापियों को जहन्नम से निकालेगा तो उन्हें अन्तिम में निकालेगा। या जन्नत में दाख़िल करेगा तो इन्हें अन्तिम में दाख़िल करेगा।

680:— अबू सईद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने बाज़ सहाबा में यह बात देखी कि वह पीछे रहते हैं तो आप ने फ़रमाया: आगे बढ़ों और मेरी पैरवी करो, तुम्हारे बाद वाले तुम्हारी पैरवी करें। और जो लोग पीछे रहने को अपनी आ़दत बना लेते हैं उन का अन्जाम यह होगा कि अल्लाह पाक उन्हें पीछे कर देगा (जन्नत में दाख़िल करने में, या जहन्नम से निकालने में)

बाब **{इमाम के खड़े होने की जगह।}**

681:- यहया बिन बशीर बिन ख़ल्लाद अपनी माता जी से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं मुहम्मद बिन कअ़ब के पास गयी तो उन्हें बयान करते सुना कि अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इमाम को (सफ़ से आगे) दर्मियान में खड़ा करोऔर सफ़ के दर्मियान गैप को पूरा करो।

फ़ाइदा:— सनद ज़ईफ़ है, इसलिये इस रिवायत का पहला हिस्सा ज़ईफ़ है। अल्बत्ता दूसरा हिस्सा और दूसरी हदीस से भी साबित है।

बाब **{जो शख़्स सफ़ के पीछे अकेला ही नमाज़ पढ़े।}**

682:— वाबिसा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक नमाज़ी को देखा कि वह सफ़ से पीछे अकेला ही खड़ा नमाज़ पढ़ रहा है तो आप ने उसे दोहराने का हुक्म दिया। सुलैमान बिन हर्ब ने नमाज़ दोहराने का हुक्म दिया।

फ़ाइदा:— सफ़ में जगह होते हुये उस में शरीक न होना और अलग से नमाज़ पढ़ना नाजाइज़ है, उसे नमाज़ दोहरानी पड़ेगी। बच्चों को भी सफ़ में शामिल होना चाहिये (बुख़ारी शरीफ़-76, मुस्लिम शरीफ़-504) हाँ महिला अकेली है तो अकेली ही सफ़ में खड़ी होगी।

बाब **{जो शख़्स सफ़ में मिलने से पहले ही रुकूऊ कर ले।}**

683:— अबू बक्रह रज़ि॰ ने बयान किया कि वह मस्जिद में दाख़िल हुये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस समय रुकूअ़ में थे। उन्होंने कहा कि चुनान्चे मैं भी सफ़ में मिलने से पहले ही रुकूअ़ में चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (नमाज़ के बाद) फ़रमायाः अल्लाह पाक तुम्हारी हिंस को और ज़्यादा करे, आइन्दा ऐसे न करना।

फ़ाइदा:— "आइन्दा ऐसा न करना" का अर्थ यह है कि सफ़ में शामिल होने से पहले ही रुकूअ़ में न चले जाना। चूँकि अबू बक्रह का क़ियाम और सूरः फ़ातिहा छूट गयी थी तो रक्अ़त यक़ीनन् दोहराई होगी।

684:— हसन बसरी रह॰ ने बयान किया कि अबू बक्रह रज़ि॰ उस समय (मस्जिद में) आये जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रुकूअ़ की हालत में थे तो वह सफ़ में शामिल होने से पहले ही रुकूऊ में चले गये और फिर रुकूअ़ की हालत में रहते हुये सफ़ में जा मिले। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ चुके तो पूछाः तुम में से किस ने सफ़ में मिलने से पहले रुकूअ़ किया था फिर चलते हुये सफ़ में मिला? अबू बक्रह ने कहाः वह मैं था। आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक तेरी (नेकी हासिल करने की) हिंस और लालच को और बढ़ाए, फिर ऐसे मत करना।

सुतरे के अहकाम व मसाइल

बाब **{कौन सी चीज़ सुतरा हो सकती है?}**

685:— तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

ने फ़रमायाः जब तुम अपने सामने पालान की पिछली लक्ड़ी के बराबर कोई चीज़ रख लो तो तुम्हें कोई नुक़्सान नहीं कि कौन तुम्हारे आगे से गुज़रता है।

686:— इब्ने जुरैज ने अ़ता से बयान किया कि उन्होंने कहाः पालान की पिछली लक्ड़ी एक ज़िराअ़ (हाथ) या इस से कुछ बड़ी होती है।

687:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब ओ़द पढ़ने के लिये निकलते तो हुक्म देते कि नेज़ा साथ ले लिया जाये। फिर उसे आप के आगे गाड़ दिया जाता और आप उस की तरफ़ नमाज़ पढ़ते और लोग आप के पीछे होते। सफ़र में भी आप का यह मामूल होता था। चुनान्चे उमरा (बादशाहों ख़लीफ़ों) ने यहीं से यह तरीक़ा अपनाया है।

फ़ाइदा:— "उमरा" और हाकिम लोग ओ़द वग़ैरह के मौक़ा पर भाला और नेज़ा लेकर निकलते थे। मालूम हुआ कि इमाम का सुतरा मुक़्तदियों के लिये भी काफ़ी होता है।

688:— औ़न बिन अबू जुहैफ़ा अपने पिता से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें (मक्का के क़रीब) बतहा की वादी में नमाज़ पढ़ाई और आप के सामने छोटा नेज़ा था। (आप ने हमें) ज़ोहर और अ़स्र की दो-दो रक्अ़तें पढ़ाई। उस नेज़े के आगे से महिला भी गुज़रती और गधा भी।

फ़ाइदा:— इमाम का सुतरा मुक़्तदियों के लिये काफ़ी है। सुतरा के आगे से कोई भी गुज़रे तो उस में नमाज़ी का नुक़्सान नहीं।

689:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ने लगे तो अपने सामने कोई चीज़ रख ले। अगर कुछ न मिले तो कोई लाठी ही खड़ी कर ले। अगर लाठी न हो तो लकीर ही खींच ले। फिर उस के आगे से जो भी गुज़रे उसे नुक़्सान न होगा।

690:— अबू मुहम्मद अपने दादा हुरैस से जो बनी अ़ज़रा के आदमी थे, वह अबू हुरैरा रज़ि॰ से, वह अबुल क़ासिम (नबी करीम) सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि......फिर लकीर खींचने वाली हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— लकीर खींचने की दोनों हदीसें (689, 690) ज़ओ़फ़ है, इसलिये लकीर खींचने का मस्अला दुरुस्त नहीं है।

691:— सुफ़यान बिन उयैना कहते हैं कि मैंने शुरैक को देखा कि उन्होंने हमें एक जनाज़ा के मौक़ा पर अ़स्र की नमाज़ पढ़ाई तो अपने सामने अपनी टोपी रख ली, यानी एक फ़रीज़ा में जिस का समय हो चुका था।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि अस्ल सुतरा एक हाथ लक्ड़ी है, अगर वह न मिले तो इस से कम में भी काम चल जायेगा।

बाब {सवारी को सुतरा बना कर नमाज़ पढ़ना।}

692:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने ऊँट को सुतरा बना कर उस की तरफ़ नमाज़ पढ़ लिया करते थे।

बाब {किसी सुतून वग़ैरह को सुतरा बनाये तो उसे किस अन्दाज़ में अपने सामने रखे?}

693:— अस्वद के बेटे मिक़दाद की पुत्री जुबाआ़ अपने पिता (मिक़दाद) से रिवायत करती हैं, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब भी किसी लक्ड़ी, सुतून या पेड़ की तरफ़ (मुँह कर के) नमाज़ पढ़ते तो उसे हमेशा अपने दायें या बायें अबरु (आँख) की तरफ़ रखते, बिल्कुल यकदम आँख के सामने न रखते थे।

फ़ाइदा:— हदीस ज़ईफ़ है। ठीक आँख के सामने सुतरा रखने में कोई हरज नहीं, बल्कि ठीक सामने ही होना चाहिये।

बाब {बातों में मश्गूल या सोने वालों की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ना।}

694:— मुहम्मद बिन कअ़ब ने बयान किया कि मैं ने उन से, यानी उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ से कहा कि मुझ से इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: सोने वाले के पीछे (खड़े होकर) नमाज़ पढ़ो, न बातों में मश्गूल शख़्स के पीछे।

फ़ाइदा:— सहीह हदीस से साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते और आ़इशा रज़ि॰ आप के सामने सोई हुयी होती थीं (बुख़ारी–382, मुस्लिम– 512) इसलिये यह जाइज़ है। हाँ, बात करने वाले की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ने में परेशानी हो सकती है कि वह बात करते हुये हाथ मुँह इधर–उधर करे और नमाज़ में ख़लल पड़े। इसलिये एहतियात अच्छा है।

बाब {सुतरा के क़रीब खड़े होने का बयान।}

695:— सहल बिन अबी हसमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमाया: जब तुम में से कोई सुतरा की तरफ़ नमाज़ पढ़े तो उस के क़रीब खड़ा हो, कहीं शैतान उस पर उस की नमाज़ न काट दे।

696:— सहल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के क़िब्ले (यानी सुतरे) के दर्मियान इतना फ़ासला होता कि उस से एक बक्री गुज़र सकती थी।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि सुतरा के निकट खड़ा हो और सामने इतनी दूरी **हो कि** आसानी से सज्दा कर सके। यह भी मालूम हुआ कि सुतरे और दीवार के दर्मियान फ़ासला हो तो इमाम आगे सुतरा रख ले।

बाब {नमाज़ी को यह हुक्म है कि अपने आगे से गुज़रने वाले को रोके।}

697:— अबू सई़द खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो किसी को न छोड़े कि उस के सामने से गुज़रे। जहाँ तक हो सके उस को रोके। अगर वह इन्कार करे और (सामने से गुज़रने पर) अड़ा रहे तो

चाहिये कि उस के साथ लड़ाई करे, बेशक वह शैतान है।

698:— अ़ब्दुर्रहमान अपेन पिता अ़बू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ने लगे तो चाहिये कि सुतरा रख कर पढ़े और उस के क़रीब खड़ा हो.....फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

फ़ाइदा:— "उस से लड़े" का अर्थ है कि सख़्ती से रोके। यह माना नहीं है कि लड़ाई, मार-पीट और जन्ग करे।

699:— अबू उबैद हाजिब सुलैमान कहते हैं कि मैंने अ़ता बिन यज़ीद लैसी को नमाज़ में खड़े देखा और मैं उन के आगे से गुज़रने लगा तो उन्होंने मुझे रोका। फिर (नमाज़ के बाद) मुझ से कहा कि मुझे अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कोई यह कर सकता हो कि किसी को अपने और क़िब्ले के दर्मियान में से न गुज़रने दे तो चाहिये कि वह ऐसा करे।

700:— अबू स्वालेह ने कहाः मैंने अबू सअ़ीद रज़ि॰ से जो देखा-सुना है तुम्हें बताता हूँ। अबू सअ़ीद रज़ि॰ मर्वान के पास गये और बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना आप फ़रमा रहे थेः जब तुम में से कोई किसी चीज़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ रहा हो, जो उस के लिये लोगों से सुतरा हो और कोई उस के आगे से गुज़रने की कोशिश करे तो उस के सीने के आगे हाथ कर के उसे रोक दे। अगर वह इन्कार करे तो उस से लड़ाई करे, बिला शुब्हा वह शैतान है।

फ़ाइदा:— लड़ाई करने का मतलब यह है कि हाथ के ज़रीआ़ गुज़रने वाले को ज़ोर से रोके। लाठी चलाना अर्थ नहीं है। (देखें मुस्लिम-505, बुख़ारी-509)

बाब {नमाज़ी के आगे से गुज़रने की मिनाही।}

701:— ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी ने उन्हें (यानी बिस्र बिन सअ़ीद को) अबू जुहैम रज़ि॰ के पास भेजा और मालूम करवाया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले के बारे में क्या सुना है? तो अबू जुहैम ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले को अगर मालूम हो जाये कि उस पर कितना गुनाह और अ़ज़ाब है तो (उस के बदले) उसे चालीस .... तक खड़ा रहना, उस के आगे से गुज़रने से अच्छा लगे। अबू नज़्र ने कहाः मालूम नहीं आप ने चालीस के शब्द के साथ दिन, महीना, या साल क्या फ़रमाया था।

फ़ाइदा:— चालीस की तगन्ती के बाद महीने या साल का ज़िक्र न करना उस सज़ा की शिद्दत के लिये है। लेकिन बाज़ ज़ओ़फ़ सनद से "एक साल" का लफ्ज़ आया है।

जिन से नमाज़ टूट जाती है और जिन से नहीं टूटती।

बाब {किस चीज़ (के गुज़रने) से नमाज़ टूट जाती है?}

702:— अबू ज़र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "आदमी की नमाज़ को तोड़ देता है" जबकि उस के सामने पालान की पिछली लक्ड़ी के बराबर कुछ न रखा हो, गधा, काला कुत्ता और महिला। मैं (यानी अ़ब्दुल्लाह बिन सामित) ने कहाः काले कुत्ते की क्या विशेष्ता है, लाल हो या काला? उन्होंने कहाः भतीजे! मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा था जैसे कि तुम ने मुझ से पूछा है तो आप ने फ़रमाया थाः काला कुत्ता शैतान है।

703:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है, इसे शोबा ने रिवायत किया है कि "नमाज़ को तोड़ देती है बालिग़ महिला और कुत्ता।

704:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि किसी ने कहाः मेरा ख़्याल है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान किया कि आप ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई शख़्स बिना सुतरे के नमाज़ पढ़े तो कुत्ता, सुअर, यहूदी, मजूसी और महिला उस की नमाज़ तोड़ देते हैं, मगर जब यह एक पत्थर फेंकने की दूरी से गुज़रे तो नमाज़ नहीं टूटती है। (इस की सनद ज़ओ़फ़ है)

फ़ाइदा:— नमाज़ टूटने का अर्थ यह कि नमाज़ी के सुकून और खुशुअ़ में फ़र्क़ आ जाता है और बर्कत समाप्त हो जाती है। कुछ उलमा ने कहा कि वास्तव में नमाज़ टूट जाती है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "इन के गुज़रने से नमाज़ लौटाई जाये"।

407 न॰ की हदीस ज़ओ़फ़ है तो फिर कितने आगे से आदमी आ जा सकता है? कुछ उलमा ने कहा कि तीन सफ़ के बाद आगे से।

705:— यज़ीद बिन निम्रान ने बयान किया कि मैं ने तबूक में एक व्यक्ति को देखा जो लुन्जा था (चल फिर नहीं सकता था) उस ने बताया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के आगे से गुज़रा था, मैं गधे पर सवार था और आप नमाज़ पढ़ रहे थे। आप ने कहाः ऐ अल्लाह! उस के क़दम काट दे। चुनान्चे इस के बाद से मैं अपने क़दमों के बल नहीं चल सका हूँ। (यह रिवायत ज़ओ़फ़ है)

706:— सओ़द ने भी ऊपर की सनद के साथ उसी के हम माना बयान किया है और इतना और कहा है कि "उस ने हमारी नमाज़ तोड़ दी, अल्लाह उस के क़दम तोड़ दे" (इस की भी सनद ज़ओ़फ़ है)

707:— सओ़द बिन ग़ज़वान अपने पिता से रिवायत करते हैं कि उन्होंने हज्ज को जाते हुये तबूक में पड़ाव डाला, तो वहाँ एक लुन्जा आदमी देखा (जो चल फिर नहीं सकता था) उन्होंने उस से उस की हालत के बारे में पूछा तो वह कहने लगाः मैं आप को इस का कारण बता दूँगा लेकिन जब तक मैं ज़िन्दा हूँ किसी को मत बताना (बात यह है कि) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

तबूक में एक खजूर के नीचे पड़ाव डाले हुये थे, आप ने फ़रमायाः "यह हमारा क़िब्ला है" फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ने लगे, यह देख कर मैं भी भागता हुआ आया और आप के सुतरे के दर्मियान में से गुज़र गया, हालाँकि मैं उस समय (कम आयु का) बच्चा थ। यह देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस ने मेरी नमाज़ तोड़ दी, अल्लाह पाक इस के क़दम तोड़ दें" चुनान्चे उस दिन से आज तक मैं पैरों के बल खड़ा नहीं हो सका। (यह रिवायत भी ज़ओ़फ़ है)

फ़ाइदाः— बद्दुआ़ वाली रिवायतें (हदीस न॰ 705, 706, 707) ज़ओ़फ़ हैं, मस्अला दुरुस्त नहीं है।

बाब **{इमाम का सुतरा उस के पीछे वालों का भी सुतरा होता है।}**

708:— अ़म्र बिन शुऐ़ब अपने पिता से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ "सनिय्या अज़ाख़िर" के स्थान पर पड़ाव डाला। जब नमाज़ का समय हो गया तो आप ने एक दीवार की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ी और हम भी आप के पीछे थे। इतने में बकरी का एक बच्चा आया और आप के सामने से गुज़रने लगा तो आप उसे रोकने लगे, यहाँ तक कि आप का पेट दीवार से जा लगा और वह बच्चा आप के पीछे से गुज़र गया। मुसद्दद रावी के भी अल्फ़ाज़ यही थे, या इसी तरह के क़रीब।

709:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे कि भेड़ का एक बच्चा आप के आगे से गुज़रने लगा तो आप उसे हटाते रहे।

बाब **{उन लोगों के दलाइल जिन के नज़दीक महिला के आगे से गुजरने से नमाज़ नहीं टूटती।}**

710:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के क़िब्ला के दर्मियान हुआ करती थी। इमाम शोबा ने कहा कि मेरे ख़्याल से उन्होंने कहाः "और मैं हैज़ से होती थी।"

711:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ते और मैं आप के और क़िब्ला के दर्मियान बिस्तर पर होती थी जिस पर कि आप सोते थे। फिर जब आप वित्र पढ़ना चाहते तो मुझे भी जगा देते जब मैं भी उठ कर वित्र पढ़ लेती थी।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि पत्नी अगर पति के निकट या सामने लेटी हुयी हो तब भी नमाज़ सहीह है। इस से हदीस न॰ 694 का शुब्हा भी दूर हो जाता है।

712:— आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि तुम लोगों ने बुरा किया कि हमें (यानी महिलाओं को) गधे और कुत्ते के बराबर कर दिया है। मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ (तहज्जुद) पढ़ते और मैं आप के सामने लेटी रहती थी। जब आप सज्दा करना चाहते तो मेरे पाँव को दबा देते तो मैं अपने पाँव समेट लेती और आप सज्दा करते।

713:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं सोई हुयी होती और मेरे पाँव नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने होते जबकि आप रात को नमाज़ पढ़ रहे

होते थे। जब आप सज्दा करना चाहते तो मेरे पाँव पर मारते तो मैं समेट लेती फिर आप सज्दा करते।

714:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं सोती और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के क़िब्ला रुख़ चौड़ाई में लेटी हुयी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते रहते और मैं आप के सामने होती। जब आप वित्र पढ़ना चाहते ....उस्मान ने इतना और इज़ाफ़ा किया.....आप मुझे दबा देते फिर आप फ़रमाते: "एक तरफ़ हो जाओ।'"

फ़ाइदा:— आ़इशा सिद्दीक़ा रात में लेटी रहती थीं और अँधेरे में दिखाई नहीं देती थीं। अगर दिखाई देंगी तो नमज़ में पत्नी के तअ़ल्लुक़ से ग़लत ख़याल पैदा होगा और नमाज़ में संभोग सोचेगा। इसलिये महिला के आगे होने से भी नमाज़ ख़राब होगी। नमाज़ में महिला को बच्चों की सफ़ में शामिल होने की इजाज़त नहीं है तो फिर आगे क्यों कर लेट और बैठ सकती है।

बाब {जो लोग कहते हैं कि गधे के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती।}

715:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं एक गधे पर सवार हो कर आया। और मैं उन दिनों बालिग़ होने के क़रीब था। उस समय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मिना में लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। मैं सफ़ के कुछ हिस्से आगे से गुज़रा और गधे से उतर गया और उसे छोड़ दिया, वह चरने लगा और मैं सफ़ में शामिल हो गया और किसी ने मुझ पर एतराज़ न किया।

फ़ाइदा:— चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने सुतरा था, इमाम का सुतरा मुक़्तदी केलिये भी काफ़ी होता है, इसलिये गधे के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती।

716:— अबू सहबा ने बयान किया कि एक मज्लिस में मेरी इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से बात-चीत हुयी कि नमाज़ किस चीज़ से टूट जाती है तो उन्होंने बताया कि मै और बनी अ़ब्दुल मुत्तलिब का एक लड़का गधे पर सवार होकर आये, उस समय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे। चुनान्चे वह गधे से उतरे और मैं भी उतरा, हम ने गधे को सफ़ से आगे छोड़ दिया तो आप ने इस की कोई परवाह न की। इतने में दो लड़कियाँ भी सफ़ में दाख़िल हो गयी, आप ने उन की भी कोई परवाह न की।

717:— इमाम मन्सूर ने यही हदीस अपनी सनद से रिवायत की और कहा कि बनी अ़ब्दुल मुत्तलिब की दो लड़कियाँ लड़ती हुयी आयीं तो आप ने उन दोनों को पकड़ लिया......उस्मान ने कहा कि आप ने उन दोनों को अलग कर दिया....और दावूद ने कहा कि उन्हें एक दूसरी से छोड़ा दिया और इस की कोई परवाह न की। (कि आगे से लड़कियाँ गुज़री हैं)

फ़ाइदा:— हदीस न॰ 715 का फ़ाइदा देखें, क्योंकि आप के सामने सुतरा था (बुख़ारी-493, मुस्लिम-504) और इमाम का सुतरा मुक़्तदी के लिये भी काफ़ी होता है।

बाब {उन लोगों की दलील जो कुत्ते के आगे से गुज़रने पर नमाज़ को बातिल नहीं मानते।}

718:— अ़ब्बास रज़ि॰ के बेटे फ़ज़्ल ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये, उस समय हम लोग अपने दीहात में थे आप के साथ अ़ब्बास रज़ि॰ भी थे। आप ने जन्गल में नमाज़ पढ़ी और आप के सामने सुतरा न था। हमारी गधी और कुतिया आप के सामने खेल रही थीं और आप ने इस पर कोई पर्वा न की।

फ़ाइदा:— (1) यह रिवायत ज़ओ़फ़ है (2) जानवर सफ़ से काफ़ी दूर रहे होंगे।

बाब {उन लोगों की दलील जो कहते हैं नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती।}

719:— अबू सओ़द रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती और जहाँ तक संभव हो आगे से गुज़रने वाली चीज़ को हटाओ, बिला शुब्हा वह शैतान है।

720:— अबू वद्दाक ने बयान किया कि कुरैश का एक नौजवान अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ के आगे से गुज़रने लगा जबकि वह नमाज़ पढ़ रहे थे तो उन्होंने उसे रोका। वह फिर आया तो उन्होंने फिर रोका। तीन मर्तबा ऐसा ही किया। जब वह नमाज़ पढ़ चुके तो फ़रमायाः नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती है मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः जहाँ तक हो सके (आगे से गुज़रने वाले को) रोको, बिला शुब्हा वह शैतान है।

फ़ाइदा:— ऊपर की हदीस न॰ 719, 720 ज़ओ़फ़ हैं। अगर इन हदीसों को सहीह मान लें तो यह मुराद है कि ऊपर की तीन चीज़ों को छोड़ कर कोई चीज़ नमाज़ को नहीं तोड़ती। उन तीन से मुराद (1) गधा (2) कुत्ता (3) महिला हैं।

नमाज़ शुरु करने के मसाइल

बाब {नमाज़ में रफ़ा यदैन करने का बयान।}

721:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि जब आप नमाज़ शुरु करते तो अपने दोनों हाथों को उठाते यहाँ तक कि आप के कन्धों के बराबर आ जाते। और जब रुकूअ़ करना चाहते (तो अपने दोनों हाथ उठाते) और ऐसे ही रुकूअ़ से सर उठाने के बाद करते। अबू सुफ़यान ने एक मर्तबा कहाः और जब अपना सर उठाते। और सज्दों के दर्मियान हाथ न उठाया करते थे।

फ़ाइदा:— इस हदीस से (1) तक्बीर तहरीमा (2) रुकूअ़ में जाते हुये (3) रुकूअ़ से सर उठाने के बाद हाथ उठाने का ज़िक्र है और जब दूसरी रक्अ़त से उठते। आप सज्दों में रफ़ा यदैन नहीं करते थे।

722:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ के लिये खड़े होते तो अपने दोनों हाथों को बुलन्द करते, यहाँ तक कि वह कन्धों के बराबर

आ जाते। फिर अल्लाह अक्बर कहते और उन्हें वैसे ही उठाते और रुकूअ़ करते, फिर जब अपनी कमर उठाना चाहते तो अपने हाथें को बुलन्द करते, यहाँ तक कि आप के कन्धों के बराबर आ जाये। फिर समि-अ़ल्लाहु लिमन हमिहद्" कहते और सज्दों में अपने हाथ उठाते। और रुकूअ़ से पहले हर तक्बीर में अपने हाथ उठाते, यहाँ तक कि आप की नमाज़ पूरी हो जाती।

723:— वाइल बिन हुजर के बेटे अ़ब्दुल जब्बार ने बयान किया कि मैं कम उम्र का एक लड़का था, अपने पिता की नमाज़ को नहीं समझ पाता था। वाइल बिन अ़ल्क़मा ने मेरे पिता वाइल बिन हुज्र के हवाले से बयान किया कि उन्होंने कहा: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी तो आप जब तक्बीर कहते तो अपने दोनों हाथों को उठाते......फिर बयान किया कि.....आप ने अपना कपड़ा लपेट लिया, फिर अपने बायें हाथ को अपने दायें हाथ से पकड़ा और अपने हाथों को अपने कपड़े में कर लिया.......फिर बयान किया कि......जब रुकूअ़ करना चाहते तो अपने दोनों हाथों को (कपड़े से बाहर) निकालते, फिर उन्हें ऊपर उठाते। और जब रुकूअ़ से अपना सर उठाना चाहते तो अपने दोनों हाथों को उसी तरह उठाते। फिर आप ने सज्दा किया और अपने चेहरे को अपनी हथेलियों के दर्मियान में रखा। और जब सज्दों से सर उठाते तो भी अपने दोनों हाथ उठाते, फिर अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाते।

फ़ाइदा:— इस हदीस में सज्दों में रफ़ा यदैन का ज़िक्र है। हालाँकि यह रिवायत मुस्लिम 390 में आई है लेकिन वहाँ रफ़ा यदैन का ज़िक्र नहीं है, इसलिये अबू दावूद की यह रिवायत "**शाज़**" है, जिस पर अ़मल नहीं होगा।

724:— अब्दुल जब्बार अपने पिता वाइल से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि जब आप नमाज़ के लिये खड़े हुये तो आप ने अपने दोनों हाथ उठाये और उन को कन्धों तक लेने गये और अन्गूठे कानों के बराबर आ गये, फिर "अल्लाहु अक्बर" कहा। (यह रिवायत ज़ओ़फ़ है)

725:— अब्दुल जब्बार ने कहा कि मेरे घर वालों ने मेरे पिता (वाइल बिन हुज्र रज़ि॰) से रिवायत किया कि मेरे पिता जी ने उन से बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा था कि वह तक्बीर के साथ हाथ उठाते थे। (रिवायत ज़ओ़फ़ है)

726:— वाइल बिन हुज्र रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने कहा: मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ को ज़रुर देखूँगा कि आप किस प्रकार नमाज़ पढ़ते हैं। उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खड़े हुये, क़िब्ला की तरफ़ मुँह किया और "अल्लाहु अक्बर" कहा, फिर अपने दोनों हाथों को कन्धों तक उठाया कि कानों के बराबर आ गये। फिर आप ने अपने बायें हाथ को दायें हाथ से पकड़ लिया। जब रुकूअ़ करने का इरादा किया तो अपने दोनों हाथ पहले की तरह उठाये फिर उन्हें अपने घुटनों पर रखा। जब रुकूअ़ से सर उठाया तो दोनों हाथों को उसी तरह उठाया (यानी रफ़ा यदैन किया) जब सज्दा किया तो अपना सर ज़मीन पर अपने हाथों के दर्मियान उसी स्थान पर रखा (यानी सर और हाथों का फ़ासला उतना ही था जितना

कि रफ़ा यदैन के समय था) फिर बैठे और अपने बायें पाँव को बिछा लिया और अपना बायाँ हाथ अपनी बायीं रान पर रखा और दायें हाथ की कोहनी को दायें रान से अलग और ऊँचा रखा। अपनी दो उंगिलंयों (यानी छुँगली और साथ वाली) को बन्द कर लिया और बाक़ी से हल्क़ा बना लिया। रावी मुसद्दद कहते हैं कि मैंने अपने शैख़ बिशर को देखा कि उन्होंने अन्गूठे और दर्मियान की उंगली से हल्क़ा बनाया और शहादत की उंगली से इशारा किया।

727:— आ़सिम बिन कुलेब ने उसी सनद से उस का हममाना बयान किया और उस में (विस्तार से) कहा कि फिर अपना दायाँ हाथ अपने बायें हाथ की पुश्त पर रखा इस प्रकार कि वह पहुँचे और कलाई पर भी आ गया।

उस रिवायत में मज़ीद कहा कि मैं उस के बाद सख़्त सर्दी के मौसम में भी आप के पास आया। मैंने लोगों को देखा कि वह बहुत कपड़े ओढ़े हुये थे। उन के हाथ (रफ़ा यदैन करते हुये) कपड़ों के नीचे से हर्कत करते थे।

728:— वाइल बिन हुज्र रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप ने जब नमाज़ शुरु की तो अपने दोनों हाथों को कानों के बराबर तक उठाया। फिर कहा कि मैं उन (सहाबा) के पास आया। मैंने सहाबा को देखा कि वह नमाज़ शुरु करते हुये अपने हाथों को सीनों तक उठाते थे और वह जुब्बे और कंबल ओढ़े हुये थे।

बाब {नमाज़ शुरु करने का बयान।}

729:— वाइल बिन हुज्र रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया तो सर्दी का मौसम था। मैंने सहाबा को देखा कि वह कपड़ों के अन्दर से नमाज़ में अपने हाथ उठाते थे। (यानी रफ़ा यदैन करते थे)

730:— मुहम्मद बिन अ़म्र बिन अ़ता बयान करते हैं कि मैंने अबू हुमैद साअ़दी रज़ि॰ को सुना, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से दस लोगों की जमाअ़त में कहा..... .उन में अबू क़तादा रज़ि॰ भी थे......कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ के बारे में तुम सब से ज़्यादा जानने वाला हूँ। उन्होंने कहा: कैसे? अल्लाह की क़सम! तुम कोई हम लोगों से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले तो नहीं हो। या हम लोगों से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में बैठने वाले भी नहीं हो (फिर कैसे कहते हो कि मैं ज़्यादा जानने वाला हूँ) उन्होंने कहा: क्यों नहीं! सहाबा ने कहा: अच्छा तो बयान कीजिये! अबू हुमैद ने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ के लिये खड़े होते अपने दोनों हाथों को उठाते, यहाँ तक कि आप के कन्धों के बराबर आ जाते। फिर अल्लाहु अक्बर कहते यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी-अपनी जगह पर ठीक तरह से टिक जाती। फिर आप क़िरात करते। फिर अल्लाहु अक्बर कहते और अपने दोनों हाथ उठाते, यहाँ तक कि दोनों कन्धों के बराबर आ जाते। फिर रुकूअ़ करते और अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखते और सुकून व इत्मिनान से रुकूअ़ करते। न सर को झुकाते और न ऊपर उठाते। फिर रुकूअ़ से सर उठा

कर "समि-अ़ल्लाह लि-मन् हमि-दह" कहते, फिर अपने हाथ उठाते, यहाँ तक कि कन्धों के बराबर आ जाते........और बड़े आराम व सुकून से खड़े होते। फिर अल्लाहु अक्बर कहते और ज़मीन की तरफ़ झुकते और (सज्दे में) अपने हाथों को अपने पहलू से दूर रखते। फिर अपना सर उठाते और अपना बायाँ पाँव मोड़े लेते और उस के ऊपर बैठ जाते। और सज्दे में अपने पाँव की उँगलियाँ (क़िब्ला की तरफ़) मोड़ लेते, फिर (दूसरा) सज्दा करते, फिर अल्लाहु अक्बर कह कर अपना सर उठाते और अपना बायाँ पाँव मोड़ कर उस पर बैठ जाते, यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी-अपनी जगह पर लौट आती।

फिर दूसरी रक्अ़त में भी ऐसे ही करते। फिर जब दो रक्अ़तों से (तीसरी के लिये) उठते तो अपने हाथों को उठाते, यहाँ तक कि आप के कन्धों के बराबर आ जाते जैसे कि नमाज़ शुरु करते समय उठाए थे (यानी रफ़ा यदैन करते) फिर बाक़ी नमाज़ में भी इस प्रकार करते। हत्ताकि जब उस सज्दे में होते जिस में सलाम कहना होता (तो तशह्हुद में) अपने बायें पाँव को आगे कर देते और बायें सुरीन के हिस्से पर बैठ जाते। उन सब सहाबा ने कहा: आप ने सच बयान किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इसी प्रकार ही नमाज़ पढ़ा करते थे।

731:— मुहम्मद बिन अ़म्र आ़मिरी बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा के दर्मियान मज्लिस में बैठा हुआ था तो वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ का ज़िक्र शुरु हो गया। अबू हुमैद रज़ि॰ ने कहा....और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। उस में इस प्रकार बयान किया कि जब आप रुकूअ़ करते तो अपनी हथेलियों से अपने घुटनों को पकड़ लेते और अपनी उंगलियों को खोल लेते और अपनी कमर को दोहरा करते। सर न तो उठाया होता और न अपने गाल को इधर-उधर मोड़ा होता (बल्कि सीधा क़िब्ला की तरफ़ होता) .....आगे यह भी कहा .... और जब दो रक्अ़त के बाद बैठते तो अपने बायें पाँव के तलवे पर बैठते और दायें को खड़ा कर लेते। और जब चौथी रक्अ़त में बैठते तो अपनी बायीं रान को ज़मीन पर टिका देते और अपने दोनों पाँव को एक जानिब में निकाल लेते।

732:— मुहम्मद बिन अ़म्र बिन अ़ता से भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत है, उस में यह भी बयान किया कि जब सज्दा करते तो अपने दोनों हाथों को रखते, इस हालत में कि ज़मीन पर बिछे हुये न होते और न सिमटे हुये। और उंगलियों का रुख सीधा क़िब्ले की तरफ़ होता।

733:— अ़ब्बास या अ़य्याश बिन सहल साअ़दी से रिवायत है कि वह एक मज्लिस में मौजूद थे जिस में उन के पिता जी भी मौजूद थे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में थे। इसी प्रकार उस मज्लिस में अबू हुरैरा, अबू हुमैद साअ़दी और अबू उसैद रज़ि॰ भी मौजूद थे।

ई़सा बिन अ़ब्दुल्लाह ने थोड़ी सी कमी-बेशी के साथ ऊपर की तरह रिवायत बयान की उस में यह भी बयान किया कि आप ने रुकूअ़ से अपना सर उठाया तो कहा: "समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह्, अल्लहुम्म रब्बाना ल-कल् हम्दु" और अपने दोनों हाथ उठायें, फिर कहा: अल्लाहु अक्बर, फिर सज्दा किया और अपनी हथेलियर्यों, घुटनों और पंजों को ज़मीन पर टिकाया, फिर अल्लाहु अक्बर कहा और बैठ गये और सुरीन पर बैठे (यानी तर्वरुक किया) और दूसरे क़दम को

खड़ा किया, फिर अल्लाहु अक्बर कहा और (दूसरा) सज्दा किया, फिर अल्लाहु अक्बर कहा और खड़े हो गये, मगर तवर्रुक नहीं किया (यानी सुरीन पर न बैठे) .... और हदीस बयान की। कहा कि दो रकअ़त के बाद बैठ गये हत्ताकि जब क़ियाम के लिये उठने का इरादा किया तो तक्बीर कह कर खड़े हो गये और दूसरी दो रकअ़तें पढ़ीं और तशह्हुद में तर्वरुक का ज़िक्र नहीं किया। (इस की सनद ज़ओ़फ़ है)

734:— अ़ब्बास बिन सहल ने बयान किया कि अबू हुमैद, अबू उसैद, सहल बिन सअ़द और मुहम्मद बिन मस्लमा रज़ि॰ सभी एक स्थान पर एकत्र थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ का ज़िक्र आ गया तो अबू हुमैद रज़ि॰ ने कहाः मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ के बारे में तुम सब लोगों से अधिक जानता हूँ और फिर उस हदीस का कुछ हिस्सा बयान करते हुये कहाः फिर रुकूअ़ किया और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखा, गोया उन्हें पकड़े हुये हों और अपने हाथों को ताँत बनाया (जो कि कमान पर होता है) और अपने हाथों को अपने पहलू से दूर रखा और अपने दोनों हाथों को अपने कन्धों के बराबर रखा। फिर अपना सर उठाया हत्ताकि हर हड्डी अपनी जगह पर आ गयी, यहाँ तक कि (सज्दों से) फ़ारिग़ हो गये। फिर बैठे और अपने बायें पाँव को बिछा लिया और अपने दायें पाँव की उंगलियों का रुख़ क़िब्ला की तरफ़ कर दिया, और अपनी दायीं हथेली को अपने दायें घुटने पर रखा और बायें को बाँयें घुटने पर, और अपनी उंगली से इशारा किया।

735:— अ़ब्बास बिन सह्ल साअ़दी ने अबू हुमैद रज़ि॰ से यह हदीस रिवायत की और कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब सज्दा किया तो अपनी रानों को कुशादा रखा और पेट को रानों से न लगाया।

736:— अ़ब्दुल जब्बार अपने पिता वाइल बिन हुज्र से रिवायत करते हैं..... उस हदीस में बयान किया कि.....जब सज्दा किया जो आप के दोनों घुटने ज़मीन पर दोनों हथेलियों के पड़ने से पहले पड़े, और जब सज्दा किया तो अपनी पेशानी को दोनों हाथों के दर्मियान रखा और अपनी बग़लों से भी दूर किया।

मुहम्मद बिन जहादा की रिवायत में है कि आप जब उठते तो अपने घुटनों पर उठते और अपनी रानों पर टेक लगाते।

737:— अ़ब्दुल जब्बार अपने पिता वाइल से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज़ में अपने अन्गूठों को कानों की लौ तक ऊँचा करते थे।

738:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ के लिये तक्बीर कहते तो अपने दोनों हाथों को कन्धों के बराबर ले जाते और जब रुकूअ़ करते तो उसी तरह करते। और जब (रुकूअ़ से) सज्दे के लिये सर उठाते तो उसी प्रकार करते और जब दो रकअ़तों के बाद (तीसरी के लिये) उठते तो उसी तरह करते (यानी

रफ़ा यदैन करते)

फ़ाइदा:— हदीस न॰ 735 से 738 तक सब ज़अ़ीफ़ हैं, ताहम इस हदीस में तीसरी रक्अ़त के लिये भी उठते हुये रफ़ा यदैन का सबूत है जो सहीह है।

739:— कुतैबा बिन सअ़ीद अपनी सनद से मैमून मक्की से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि॰ को देखा कि उन्होंने लोगों को नमाज़ पढ़ाई तो वह अपने दोनों हाथों से इशारे करते थे (यानी रफ़ा यदैन करते थे) जब वह नमाज़ के लिये खड़े होते, जब रुकूअ़ करते, जब सज्दा करते और जब क़ियाम के लिये उठते और क़ियाम करते तो अपने हाथों से इशारे करते थे। चुनान्चे मैं इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के पास गया और उन से कहा कि मैंने इब्ने जुबैर को इस तरह नमाज़ पढ़ते हुये देखा है कि उन की तरह किसी को भी नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, और उन्हें उन इशारों (रफ़ा यदैन) की तफ़सील बताई तो इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः अगर तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ देखना पसन्द करते हो तो अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर की नमाज़ की पैरवी करो।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़अ़ीफ़ है। इस हदीस में सज्दों में रफ़ा यदैन, करने का सबूत है जो सहीह नहीं है।

740:— नज़र बिन कसीर, यानी सादी ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन ताऊस (ताबअ़ी) ने मस्जिद ख़ीफ़ में मेरे बग़ल में नमाज़ पढ़ी। ह जब पहला सज्दा कर लेते और उस से अपना सर उठाते तो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने उठाते। मुझे उन का यह अ़मल अच्दा नहीं मालूम हुआ तो वुहैब बिन ख़ालिद कोबताया तो उन्होंने उन से कहाः आप ऐसा अ़मल करते हैं जो मैंने किसी को करते नहीं देखा। यह सुन कर अ़ब्दुल्लाह बिन ताऊस ने उन सेकहाः मैंने अपने पिता जी इसी प्रकार करते देखा और मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने इब्ने अ़ब्बास को यह करते देखा और मैं नहीं जानता, मगर उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यह करते देखा है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़अ़ीफ़ है। इस में भी सज्दों में उठ कर खड़ा होने के बाद रफ़य यदैन का ज़िक्र है, जो दुरुस्त नहीं है।

741:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि वह जब नमाज़ शुरु करते तो अल्लाहु अक्बर कहते और अपने दोनों हाथों को उठाते (यानी रफ़ा यदैन करते) और इसी प्रकार जब रुकूअ़ को जाते और जब (रुकूअ़ से उठते और) समि–अ़ल्लाहु लि–मन् हमि–दह कहते। और जब दो रक्अ़तों से (तीसरी के लिये) उठते तो अपने दोनों हाथ उठाते। वह अपना यह अ़मल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ मन्सूब करते थे।

742:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि जब वह नमाज़ शुरु करते तो अपने हाथों को कन्धों के बराबर तक ऊँचा करते। और जब रुकूअ़ से सर उठाते तो उन्हें ज़रा कम ऊँचा करते।

बाब {दो रक्अ़तों के बाद तीसरी के लिये उठने पर रफ़ा यदैन।}

743:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब दो रक्अ़तें पढ़ कर (तीसरी रक्अ़त के लिये) उठते तो अल्लाहु अक्बर कहते और अपने दोनों हाथों को उठाते।

744:— अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब फ़र्ज़ नमाज़ के लिये खड़े होते तो अल्लाहु अक्बर कहते और अपने दोनों हाथों को कन्धों तक उठाते। और जब अपनी क़िरात पूरी कर लेते और रुकूअ़ करना चाहते तो उसी प्रकार हाथ उठाते। और जब रुकूअ़ से उठते तो भी उसी तरह करते। और नमाज़ में बैठे हुये होने की हालत में आप रफ़ा यदैन न करते थे। और जब दो रक्अ़तें पढ़ कर उठते तो अपने हाथ उठाते और अल्लाहु अक्बर कहते।

फ़ाइदा:— इस हदीस से सज्दों के रफ़ा यदैन की नफ़ी (इन्कार) है और तीसरी रक्अ़त के लिये खड़े होकर रफ़ा यदैन करने का ज़िक्र है।

745:— मालिक बिन हुवैरिस रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि जब आप तक्बीर तहरीमा कहते तो रफ़ा यदैन करते, और जब रुकूअ़ को जाते। और जब रुकूअ़ से सर उठाते तो भी अपने हाथ उठाते और वह आप की कानों की लवों तक पहुँच जाते (या कानों के ऊपर के हिस्से तक पहुँच जाते)

746:— बशीर बिन नुहैक ने बयान किया कि अबू हुरैरा रज़ि॰ ने कहा: अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के आगे होता तो मैं आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बग़लें देख सकता था (यानी आप के हाथ रफ़ा यदैन के समय स्पष्ट तौर पर बग़लों सेअलग और ऊँचे होते थे)

747:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सिखाया तो आप ने अल्लाहु अक्बर कहा और अपने दोनों हाथ उठाये। जब रुकूअ़ किया तो दोनों हाथों को जोड़ कर घुटनों में रख लिया। सअ़द बिन वक़्क़ास रज़ि॰ को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा: मेरे भाई ने सच कहा, हम यह अ़मल किया करते थे, फिर हमें हुक्म दिया गया यानी घुटने पकड़ने का।

फ़ाइदा:— हाथों को जोड़ कर घुटनों में रखने का हुक्म मन्सूख हो गया है, मगर शायद अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद को इस की ख़बर न पहुँची हो, या वह भूल गये हों।

बाब {जिस ने रुकूअ़ के साथ रफ़ा यदैन करने का ज़िक्र नहीं किया।}

748:— अल्क़मा से रिवायत है कि अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने कहा: क्या मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ न पढ़ कर दिखाऊँ? फिर उन्होंने नमाज़ पढ़ी और अपने हाथ केवल एक ही बार उठाये। (इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है)

749:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब

नमाज़ शुरु करते तो अपने दोनों हाथ अपने कानों तक उठाते, फिर दोबारा न उठाते।

750:— अब्दुल्लह बिन मुहम्मद ज़ोहरी की सनद से, यज़ीद से शुरेक की तरह रिवायत है और "फिर दोबारा हाथ न उठाते" का ज़िक्र नहीं किया है।

751:— सुफ़यान ने इसी सनद से इस हदीस को बयान किया और कहाः पस आपने पहली ही बार हाथ उठाये। और बाज़ ने कहाः एक ही बार उठाये।

752:— बरा बिन आ़जिब रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप ने नमाज़ शुरु करते हुये अपने हाथ उठाये, फिर फ़ारिग़ होने तक नहीं उठाये।

753:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ में दाख़िल होते तो अपने हाथ लंबे कर के उठाते।

फ़ाइदा:— इस हदीस में रफ़ा यदैन करने का अन्दाज़ बयान किया गया है। इस हदीस से यह साबित हुआ कि रुकूअ़ का रफ़ा यदैन सुन्नत से साबित नहीं है, ग़लत है।

बाब **{नमाज़ में दायें हाथ को बायें हाथ के ऊपर रखना।}**

754:— इब्ने जुबैर रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि (नमाज़ में) क़दमों को बराबर रखना और हाथ पर हाथ रखना सुन्नत है।

755:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि वह नमाज़ पढ़ रहे थे और अपने बायें हाथ को दायें हाथ पर रखे हुये थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब देखा तो उन के दायें हाथ को बायें हाथ के ऊपर कर दिया।

756:— अ़ली रज़ि॰ ने फ़रमायाः नमाज़ में हथेली को हथेली पर नाफ़ के नीचे रखना सुन्नत है।

फ़ाइदा:— इस की सनद में अ़ब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ कूफ़ी है जो ज़ओ़फ़ है, और दूसरा रावी ज़ियाद बिन ज़ैद मजहूल है। इसलिये नाफ़ के नीचे बाँधना सुन्नत से साबित नहीं है।

757:— इब्ने जरीर ज़ब्बी अपने पिता से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहाः मैंने अ़ली रज़ि॰ को देखा कि उन्होंने अपने बायें हाथ को दायें हाथ से पहुँचे (कलाई) के पास से (यानी जोड़ के पास से) पकड़ रखा था और वह नाफ़ से ऊपर थे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि सओ़द बिन जुबैर से नाफ़ के ऊपर और अबू मिजलज़ और अबू हुरैरा रज़ि॰ से "नाफ़ से नीचे" रिवायत है, मगर क़वी (ठोस) नहीं है।

758:— अबू वाइल ने कहा कि अबू हुरैरा रज़ि॰ ने कहाः नमाज़ में हथेलियों को हथेलियों से नाफ़ के नीचे से पकड़ना है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल रह॰ को सुना वह इस हदीस के एक रावी अ़ब्दूरहमान कूफ़ी को ज़ओ़फ़ कहते थे।

759:— ताऊस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ के दौरान में

अपना दायाँ हाथ, बायें हाथ के ऊपर रखते और उन्हें अपने सीने पर बाँधा करते थे।

फ़ाइदा:— नाफ़ के नीचे हाथ बाँधने वाली तमाम हदीसें ज़ओफ़ हैं। नाफ़ के ऊपर बाँधने वाली हदीसों में बुख़ारी शरीफ़ 740, मुस्नद अहमद 5/226, इब्ने खुज़ैमा 1/243 आदि में मौजूद है।

बाब {नमाज़ शुरु करते हुये कौन सी दुआ़ पढ़ी जाये?}

760:— अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ बयान करते हैं किनबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ के लिये खड़े होते तो अल्लाहु अक्बर कहते, फिर यह दुआ़ पढ़तेः

इन्नी वज्जह्तु वज्हि–य......

और जब रुकूअ़ करते तो यूँ कहतेः

अल्ला हुम्म ल–क रकातु........

और जब रुकूअ़ से सर उठाते तो यह पढ़तेः

समि–अ़ल्लाहु लि–मन हमि–दह्......

और जब सज्दा करते तो यूँ कहतेः

अल्लाहुम्म ल–क स–जद्तु.........

और जब सलाम फेरते तो यह दुआ़ पढ़तेः

अल्लाहुम्मग्फ़िर ली.............

फ़ाइदा:— नमाज़ शुरु करते समय कई प्रकार की दुआ़यें पढ़ने का सबूत है उन में कुछ दुआ़यें बहुत लंबी हैं और कुछ छोटी। सभी को याद कर के कभी–कभी पढ़ते रहें।

761:— अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब फ़र्ज़ नमाज़ के लिये खड़े होते तो अल्लाहु अक्बर कहते और अपने दोनों हाथों को कन्धों के बराबर ऊँचा करते (रफ़ा यदैन करते) और क़िरात मुकम्मल कर लेने पर जब रुकूअ़ कोजाते तो ऐसे ही (रफ़ा यदैन) करते, और रुकूअ़ से उठ कर भी ऐसे ही (रफ़ा यदैन) करते। और आप अपनी नमाज़ में जब बैठे हुये होते तो हाथ न उठाते। और जब दो रक्अ़तों से उठते तो उसी तरह रफ़ा यदैन करते और अल्लाहु अक्बर कहते और दुआ़ करते जैसे कि अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ की (ऊपर की) हदीस में बयान हुआ है........

762:— शुऐब बिन अबू हमज़ा बयान करते हैं कि मुझे इब्ने मुनकदिर इब्ने अबी फ़रवा वग़ैरह मदीना के उलमा ने कहा कि जब तुम इन्नी वज्जह्तु वज्ही..... पढ़ो तो "अना अव्वलुल् मुस्लिमीन" की जगह "व–अना मि–नल् मुस्लिमीन" कहा करो।

763:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि एक आदमी नमाज़ के लिये आया तो उस की साँस चढ़ी हुयी थी और (उसी हालत में) उस ने कहाः

अल्लाहु अक्बर+अल्–हम्दु लिल्लाहि हम्–दन् कसी–रन् तय्यि–बन् मुबा–र–क–न फ़ीहि

जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो पूछाः तुम में

से किस ने यह कलिमे कहे थे? और उस ने कोई बुरी बात नहीं कही। तो मैंने यह शब्द (ज़रा बुलन्द आवाज़ से) कह दिये। आप ने फ़रमाया: मैंने बारह फ़रिश्तों को देखा है कि वह उन कलिमात की तरफ़ जल्दी-जल्दी बढ़ रहे हैं कि कौन उन को लेकर अल्लाह के पास पहुँचता है।

फ़ाइदा:— इस हदीस की रोशनी में ऊँची आवाज़ से पढ़ना मुस्तहब और बड़ी फ़ज़ीलत का काम है। अगर कोई ऐसा करे तो बग़ल वाले को बुरा नहीं मानना चाहिये।

764:— इब्ने जुबैर बिन मुतइम अपने पिता (जुबैर बिन मुतइम) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को एक नमाज़ पढ़ते देखा। अ़म्र ने कहा: मुझे नहीं मालूम कि कौन सी नमाज़ थी......तो आप ने तीन बार कहा: अल्लाहु अक्बर कबीरा......

765:— नाफ़े बिन जुबैर अपने पिता (जुबैर बिन मुतइम) से बयान करते हैं कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नफ़ली नमाज़ में ऊपर की दुआ़ को पढ़ते सुना।

766:— आ़सिम बिन हुमैद ने बयान किया कि मैंनेआ़इशा रज़ि॰ से सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी तहज्जुद की नमाज़ किस चीज़ से शुरु फ़रमाते थे? तो उन्होंने कहा: तुम ने मुझ से वह बात पूछी है जो तुम से पहले किसी ने नहीं पूछी। आप जब नमाज़ के लिये खड़े होते तो कहते: "अल्लाहु अक्बर" दस बार, "अल्हम्दु लिल्लाह" दस बार, "सुब्हानल्लाह" दस बार, लाइला-ह-इल्लल्लाह दस बार, अस्तग़फ़िरुल्लह दस बार, और फिर यह दुआ़ पढ़ते:

अल्लाहुम्मग़ फ़िर्ली वह्दिनी वर्-ज़ुक़्नी व आफ़िनी

और यह क़ियामत के दिन (हश्र के मैदान में) खड़े होने की तन्गी से पनाह माँगते थे।

767:— अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ के बेटे अबू सलमा बयान करते हैं कि मैंने आ़इशा रज़ि॰ से सवाल किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रात को उठते तो अपनी नमाज़ किस चीज़ से शुरु फ़रमाते थे? उन्होंने बताया कि आप जब रात को उठते और अपनी नमाज़ शुरु करते तो कहते:

अल्लाहुम्म रब्ब जिब्रील-ल वमीकाई-ल वइस्राई-ल.....इला सिरातिम्मुस्तक़ीम

768:— अ़िक्रमा (बिन अ़म्मार अ़जली) ने अपनी सनद से "हद्दसनी" की सराहत के बग़ैर और उस हदीस की तरह बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रात को क़ियाम फ़रमाते तो पहले अल्लाहु अक्बर कहते और फिर यह दुआ़ पढ़ते:

769:— क़ा-नबी इमाम मालिक रह॰ से बयान करते हैं कि नमाज़ के शुरु में, बीच में और आख़िर में दुआ़ करने में कोई हरज नहीं। नमाज़ चाहे फ़र्ज़ हो, या कोई और।

770:— रिफ़ाआ़ बिन राफ़े रज़ि॰ बयान करते हैं कि हम लोग एक दिन नबी करीम सल्लाल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रुकूअ़ से सर उठाया और "समिअ़ल्लाहु लि-मन् हमिदह्" कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे एक नमाज़ी ने कहा:

अल्लाहुम्म रब्बना व–ल–कल् हम्दु हम्–दन् कसी–रन् तय्यि–बन् मुबा–र–कन् फ़ीहि

जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो पूछाः अभी-अभी किस ने यह कलिमे पढ़े हैं? उस ने कहाः मैंने ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमायाः मैंने तीस से कुछ ऊपर फ़रिश्तों को देखा है जो उन कलिमात की तरफ़ बढ़ रहे हैं कि कौन उन को पहले लिखता है।

771:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रात को नमाज़ के लिये खड़े होते तो यूँ कहतेः

अल्लाहुम्म ल–कल् हम्दु......लाइला–ह इल्ला अन्–त

772:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तहज्जुद में अल्लाहु अक्बर यानी (तक्बीर तहरीमा) कहने केबाद कहा करते थे....और फिर ऊपर की हदीस के हममाना रिवायत किया।

773:— मआ़ज़ बिन रिफ़ाआ़ बिन राफ़े अपने पिता से बयान करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी तो रिफ़ाआ़ को छींक आ गयी.....उस्ताद कुतैबा ने रिफ़ाआ़ का नाम नहीं लिया.......तो मैंने कहाः अल-हम्दु लिल्लाहि हम्-दन् कसी-रन् तय्यि-बन् मुबा-र-कन् फ़ीहि

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि नमाज़ में छींक आये तो ऊपर की दुआ या "अल्हम्दु लिल्लाह" कहना मबाह है। हदीस न॰ 773 को जमा करने से मालूम होता है कि शायद रुकूअ़ से उठने और छींक आने का समय एक ही था कि रिफ़ाआ़ रज़ि॰ ने यह कलिमात कहे थे।

774:— अ़ब्दुल्लाह बिन आ़मिर बिन रबीआ़ अपने पिता से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ में एक अन्सारी जवान ने छींक मारी तो उन्होंने कहाः

अल–हम्दु लिल्लाहि हम्–दन् कसी–रन् तय्यि–बन् मुबा'र–कन् फ़ीहि, हत्ता यरज़ा रब्बुना वबा–द मा यरज़ा मिन् अम्रिद्दुनिया वल् आख़ि–रति

जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ चुके तो पूछाः किस ने यह कलिमात कहे हैं? उस ने कोई हरज की बात नहीं कही। तब वह सहाबी बोलेः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने कहे हैं और मेरा इरादा इस से भलाई का था। आप ने फ़रमायाः यह कलिमात रहमान के अ़र्श से वरे कही नहीं रुके (बल्कि सीधे अ़र्श तक जा पहुँचे हैं) उस का ज़िक्र बुलन्द है।

बाब {नमाज़ के शुरु में सुब्हा–न–कल्लाहुम्म......पढ़ना।}

775:— अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रात को नमाज़ पढ़ते तो अल्लाहु अक्बर कहते, फिर यूँ कहतेः

सुब्हा–न–कल्ला हुम्म वबि–हम् दि–क व–तबा–र–कस्मु–क व–तआला जद्दु–क वला इला–ह ग़ैरु–क

फिर कहतेः "लाइला-ह इल्लल्लाहु" तीन बार, फिर कहतेः "अल्लाहु अक्बर कबी-रन्"

तीन बार, अऊजु बिल्लाहिस्समीइल् अ़लीमि मि-नश्शैता र्निजमि मिन् हम्ज़िही व-नफ़्ख़िही व-नफ़सिही....फिर इस के बाद क़िरात फ़रमाते।

फ़ाइदा:— सना में पढ़ी जाने वाली मश्हूर हुआ है। कुछ उलमा ने इस की सनद में बहस की है, मगर इस के मबाह होने में कोई शक नहीं।

776:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ शुरु करते तो यह दुआ़ पढ़ते:

सुब्हा-न-कल्ला हुम्म वबि-हम्दि-क....

फ़ाइदा:— अ़ल्लामा शौकानी रह॰ फ़रमाते हैं कि सब से उत्तम दुआ़ जिस से नमाज़ का आरंभ करते हैं अल्लाहुम्म बाअ़िद बैनी.........है, फिर इन्नी वज्जहतु और सब से अन्त में सुब्हा-न-कल्ला हुम्म है। अन्तिम दुआ़ में थोड़ा सा कलाम है। लेकिन अल्लामा अल्बानी ने सहीह कहा है, अ़ल्लामा जुबैर अ़ली ज़ई ने भी उसे सहीह कहा है।

बाब {नमाज़ में सकते का बयान।}

777:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ बयान करते हैं कि मुझे नमाज़ में दो सक्ते याद हैं। एक तो जब इमाम तक्बीर कहता है तो क़िरात शुरु करने तक। दूसरा जब वह सूरः फ़ातिहा और दूसरी सूरत की क़िरात से फ़ारिग़ होकर रुकूअ़ करना चाहता है। कहा कि इमरान बिन हुसैन ने समुरा पर इस का इन्कार किया। चुनान्चे उन्होंने यह मस्अला मदीना में उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ की तरफ़ लिख भेजा तो उन्होंने समुरा रज़ि॰ की बात की तसदीक़ फ़रमाई।

778:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप दो सक्ते फ़रमाया करते थे। पहला, नमाज़ शुरु करते हुये (क़िरात से पहले) दूसरा, जब पूरी क़िरात से फ़ारिग़ हो जाते। और यूनुस की रिवायत के हममाना ज़िक्र किया।

779:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ ने बयान किया कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के दो सकते याद हैं। पहला सक्ता वह है जब आप तक्बीर कहते। दूसरा सक़्ता वह है जब आप सूरः फ़ातिहा पढ़ कर फ़ारिग़ होते।

समुरा रज़ि॰ को यह याद था मगर इम्रान बिन हुसैन ने उन का इन्कार किया तो उन दोनों ने यह मस्अला उबय्यि बिन कअ़ब की तरफ़ लिख भेजा। तो उन्होंने उत्तर में लिखा कि समुरा ने यह मस्अला सहीह याद रखा है।

780:— समुरा रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि दो सक्ते हैं जो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से याद हैं। सअ़ीद कहते हैं कि हम ने क़तादा से पूछा: यह दो सक्ते कौन से हैं? उन्होंने कहा: जब नमाज़ शुरु करते और जब क़िरात से फ़ारिग़ होते। फिर इस के बाद कहा: और जब ...... "व-लज़्ज़ाल्लीन" कहते।

781:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ के

लिये तक्बीर कहते तो तक्बीर और क़िरात शुरु करने के दर्मियान कुछ देर ख़ामोश रहते। मैंने आप से पूछाः मेरे माता-पिता आप पर क़ुर्बान! तक्बीर और क़िरात के दर्मियान अपने ख़ामोश रहने के बारे में फ़रमायें कि उस दौरान आप क्या पढ़ते हैं? आप ने फ़रमायाः अल्लाहुम्म बाअ़िद् बैनी......

बाब {जो लोग बिस्मिल्लाह........को ऊँची आवाज़ से नहीं पढ़ते, उन के दलाइल।}

782:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, अबू बक्र, उमर और उस्मान रज़ि॰ क़िरात की इब्तिदा "अल्-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आ़-लमीन" से किया करते थे।

783:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ की इब्तिदा अल्लाहु अक्बर से करते और क़िरात की इब्तिदा "अल्-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आ़-लमीन से किया करते। और जब रुकूअ़ करते तो अपना सर न ऊँचा रखते और न झुकाते, बल्कि उस के बीच-बीच होता। जब रुकूअ़ से सर उठाते तो उस वक़्त तक सज्दा न करते जब तक कि सहीह सीधे न खड़े हो जाते। और जब सज्दे से सर उठाते तो दूसरा सज्दा उस समय तक न करते जब तक कि आराम से बैठ न जाते। और हर दो रक्अ़त के बाद तशह्हुद (अत्तहिय्यात) पढ़ते। और जब बैठते तो अपना बायाँ पाँव बिछा लेते और दायें को खड़ा करते। और शैतान की चोकड़ी और दरिन्दे के बैठने की तरह बैठने से मना फ़रमाते। और नमाज़ को सलाम पर समाप्त करते।

फ़ाइदा:— तमाम हदीसों को जमा किया जाये (जैसे बुख़ारी-743, मुस्लिम-399, अहमद 3/55) तो मालूम होता है कि बिस्मिल्लाह को ख़ामोशी से पढ़ना चाहिये। इसीलिये आ़इशा रज़ि॰ ने इब्तिदा सूरः फ़ातिहा को बताया, न कि बिस्मिल्लिाह को। दरिन्दों की तरह बैठने से मुराद यह है कि अपने हाथ कोहनी तक लंबा बिछा ले जैसे दरिन्दे अगला पैर फैला कर बैठते हैं। इस प्रकार बैठना जाइज़ नहीं।

784:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझ पर अभी-अभी एक सूरः नाज़िल हुयी है। फिर आप ने बिस्मिल्लाह पढ़ कर सूरः कौसर पढ़ी। फिर आप ने पूछाः जानते हो कौसर क्या है? सहाबा ने कहाः अल्लाह और उस के रसूल बेहतर जानते हैं। आप ने फ़रमायाः यह एक नहर है जिस का मेरे रब ने मुझ से जन्नत में वादा फ़रमाया है।

785:— उर्वा के वास्ते से आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है.....और उर्वा ने आ़इशा रज़ि॰ पर झूठे आरोप का ज़िक्र किया.... आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बैठे और अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और कहाः अऊजु बिस्समीइल् अ़लीमि मि-नश्शैता निर्रजीमि इन्नल्लज़ी-न........(हदीस ज़अ़ीफ़ है)

फ़ाइदा:— इस में अल्लाह का नाम नहीं है, इसलिये इस प्रकार का तअ़व्वुज़ पढ़ना सहीह नहीं है।

बाब {नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ने वालों के दलाइल।}

786:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ से कहाः क्या बात है कि आपने सूरः "बरा–अत" जो सौ आयतों वाली सूरतों में है, और सूरः "अन्फ़ाल" को, जो मसानी में से है, मिला कर सात तिवाल सूरतों में शामिल कर दिया है और उन दोनों के दर्मियान "बिस्मिल्लाह हिरहमा निरहीम" की सतर नहीं लिखी है। उस्मान रज़ि॰ ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर जब कुरआ़न की आयतें नाज़िल होती थीं तो आप किसी कातिब (लिखने वाले) को बुला लेते और फ़रमाते "इस आयत को इस सूरत में लिख दो जिस में फ़लाँ–फ़लाँ बयान है" फिर एक दो आयतें उतरतीं तो इसी प्रकार फ़रमाते (कि इस को फ़लाँ सूरः में फ़लाँ जगह लिख दो)

और सूरः अनफ़ाल उन सूरतों में से है जो आप के मदीना आने के शुरु के दिनों में उतरी थी। और सूरः बरा–अत कुरआ़न नाज़िल होने के आख़िरी ज़माना की सूरतों में से है, और उन का मज़मून आपस में मुशाबह है, इसलिये मैंने समझा कि यह सूरः बराअत, सूरः अनफ़ाल का हिस्सा है और यहीं से मैंने उन दोनों को तिवाल में दर्ज कर दिया और उन के दर्मियान "बिस्मिल्ला हिरहमा निरहीम" की सतर नहीं लिखी।

787:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने ऊपर की हदीस के हममाना बयान किया और उस में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की वफ़ात हो गयी और आप ने हमारे लिये यह स्पष्ट नहीं फ़रमाया कि यह (सूरः बराअत) सूरः अनफ़ाल में से है (या नहीं)

788:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सूरतों का फ़र्क़ न पहचानते थे यहाँ तक कि "बिस्मिल्ला हिरहमा निरहीम" नाज़िल की जाती। यह इब्ने सरह के शब्द हैं।

फ़ाइदाः— "बिस्मिल्लाह" के बारे में मस्अला यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कभी सिर्री और कभी जेहरी पढ़ते थे, मगर सिर्री पढ़ना अधिक साबित है। जो लोग बुलन्द आवाज़ से पढ़ने को साबित करते हैं उन के तर्क कमज़ोर हैं। अ़ल्लामा अल्बानी रह॰ भी सिर्री पढ़ने के क़ाइल हैं।

बाब {किसी वजह से नमाज़ को हल्की (मुख़्तसर) कर देना।}

789:— अ़ब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा अपने पिता (अबू क़तादा रज़ि॰) से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं नमाज़ के लिये खड़ा होता हूँ और मेरा इरादा होता है कि उसे लंबा करूँगा मगर मैं बच्चे का रोना सुनता हूँ तो मुख़्तसर कर देता हूँ ताकि उस की माँ बेचैन न हो।

बाब {नमाज़ मुख़्तसर (हल्की) पढ़ानी चाहिये।}

790:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते और फिर वापस आ कर हमारी इमामत कराते थे, अम्र बिन दीनार ने एक बार यूँ कहा कि फिर वापस आ कर अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाते थे... ..एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने देर कर के नमाज़ पढ़ाई.......और एक बार रिवायत किया कि इशा की नमाज़ आप ने ताख़ीर से पढ़ाई। और मआज़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी फिर आ कर अपनी क़ौम की इमामत की और सूरः बक़रः पढ़नी शुरु कर दी। इस पर क़ौम का एक नमाज़ी जमाअ़त से अलग हो गया और उस ने अलग ही अपनी नमाज़ पढ़ी। इस पर उस से कहा गया कि तू तो मुनाफ़िक़ हो गया है ऐ फ़लाँ! उस ने कहाः मैं मुनाफ़िक़ नहीं हुआ हूँ। फिर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और कहाः मआज़ रज़ि॰ आप के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वापस जा कर हम लोगों की इमामत कराते हैं ऐ अल्लाह के रसूल! और हम लोग ऊँटनियों पर पानी ढोते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं (गुज़री रात) वह आये और हमारी इमामत कराई और सूरः बक़रह पढ़ने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ मआज़! क्या तू फ़ितने में डालने वाला है? क्या तू फ़ितने में डालने वाला है? (नमाज़ में) वह पढ़ो और वह पढ़ो। अबू ज़ुबैर रावी ने नाम लेकर कहा कि "सब्बि हिस्-म रब्बि-कल् आला" और वल्लैलि इज़ा यग़शा पढ़ो। और हम ने अ़म्र से इस का ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि मेरा भी ख़याल है कि आप ने सूरतों के नाम का ज़िक्र किया था।

फ़ाइदा:— इमाम को अपने मुक़तदियों का ख़याल रखते हुये नमाज़ मुख़्तसर पढ़ानी चाहिये। ऐसर सूरत न पैदा होने दें कि लोग उस की इमामत से बिदक जायें। कभी ऐसा भी होता है कि इमाम का इरादा नेकी का होता है, मगर फ़ितना पैदा हो जाता है। इस हदीस से यहभी मालूम हुआ कि नफ़्ल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ अदा करना जाइज़ है। मआज़ जो नमाज़ क़ौम को पढ़ाते थे वह उन की नफ़्ल नमाज़ होती थी, फ़र्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे अ़दा करते थे।

791:— हज़्म बिन उबय्यि बिन कअ़ब का बयान है कि वह मआज़ बिन जलब के यहाँ आये और वह क़ौम को मग़रिब की नमाज़ पढ़ा रहे थे। उसी में बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ मआज़! फ़ितने में डालने वाले न बनो, बेशक तुम्हारे पीछे बड़ी उम्र वाले, कमज़ोर, काम काज करने वाले और मुसाफ़िर लोग नमाज़ पढ़ते हैं। (इस की सनद ज़ईफ़ है) ✓ ٥

792:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के एक सहाबी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स से पूछाः तुम नमाज़ में क्या कहते हो? उस ने कहाः मैं तशह्हुद पढ़ता हूँ और उस में यूँ कहता हूँः ऐ अल्लाह! मैं तुझ से जन्नत का सवाल करता हूँ और जहन्नम से पनाह माँगता हूँ। और मैं आप की और मआज़ की गुनगुनाहट को अच्छी तरह नहीं समझता (यानी आप और मआज़ क्या दुआ माँगते हैं? आवाज़ तो सुनता हूँ, लेकिन स्पष्ट तौर पर कुछ समझ में नहीं आता) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हम भी उन (जन्नत और दोज़ख़) के गिर्द ही गुनगुनाते हैं (यानी जन्नत का सवाल करते और दोज़ख़ से पनाह माँगते हैं।)

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है।

793:— उबैदुल्लाह बिन मिक़्सम, जाबिर रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि उन्होंने मआ़ज़ का क़िस्सा ज़िक्र किया और बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस जवान से फ़रमायाः भतीजे! जब नमाज़ पढ़ते हो तो कैसे करते हो? (यानी क्या पढ़ते हो?) उस ने कहाः फ़ातिहा पढ़ता हूँ और अल्लाह से जन्नत माँगता और जहन्नम से पनाह माँगता हूँ। और मुझे नहीं मालूम कि आप की गुनगुनाहट क्या है? और न मआ़ज़ के बारे में मालूम है कि उन की गुनगुनाहट क्या है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं और मआ़ज़ उन ही के गिर्द गुनगुनाते हैं, या इसी प्रकार कुछ फ़रमाया।

794:— अबू हुरैरा रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई शख़्स लोगों को नमाज़ पढ़ाए तो हल्की नमाज़ पढ़ाये, क्योंकि उन में कमज़ोर, बीमार और बड़ी उम्र के लोग होते हैं। और जब अकेले नमाज़ पढ़ो तो जितनी चाहे लंबी कर लो।

795:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो हल्की नमाज़ पढ़ाये, क्योंकि उन में बीमार, बड़ी उम्र के और काम-काज (मेहनत-मज़दूरी करने) वाले होते हैं।

फ़ाइदा:— नमाज़ हल्की और मुख़्तसर का यह अर्थ है कि क़िरात मुख़्तसर हो, मगर अर्कान ढन्ग से अ़दा किये जायें, इस में कोताही नहीं होगी।

बाब **{.......नमाज़ के सवाब में कमी का बयान।}**

796:— अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः इन्सान नमाज़ से फ़ारिग़ होता है और उस के लिये उस की नमाज़ से सिर्फ़ दसवाँ, नौवाँ, आठवाँ, सातवाँ छठा, पाचवाँ, चौथा, तीसरा और आधा हिस्सा ही लिखा जाता है।

फ़ाइदा:— क्यों? नमाज़ में वसवसे, शक व शुब्हे और बिला वजह की जल्दबाज़ी के नतीजा में सवाब में कमी होजाती है।

बाब **{जुहर की नमाज़ में क़िरात का बयान।}**

797:— अ़ता बिन अबू रिबाह से रिवायत है कि अबू हुरैरा रज़ि॰ ने फ़रमायाः हर नमाज़ में क़िरात की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जो हमें सुनाया, हम तुम्हें सुनवाते हैं और आप ने जो हम से छुपा रखा हम भी तुम से छुपा रखते हैं।

798:— अबू क़तादा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें नमाज़ पढ़ाते तो जुहर और अ़स्र की पहली दो रक्अ़तों में फ़ातिहा और दो सूरतें पढ़ते। आप कभी हमें कोई आयत सुनवा भी दिया करते थे। आप जुहर की पहली रक्अ़त को लंबी करते और दूसरी को मुख़्तसर, और ऐसे ही फ़ज्र में होता।

799:— अ़ब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा ने अपने पिता से ऊपर की हदीस का कुछ हिस्सा बयान किया और इतना इज़ाफ़ा किया कि अन्तिम दो रक्अ़तों में फ़ातिहा पढ़ते (यज़ीद बिन हारुन ने) हम्माम से इतना और रिवायत किया कि आप पहली रक्अ़त इस क़दर लंबी करते कि दूसरी इतनी लंबी न करते। और ऐसे ही अ़स्र और फ़ज्र में भी।

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम हुआ कि हर रक्अ़त में सूरः फ़ातिहा पढ़ी जायेगी।

800:— अ़ब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा अपने पिता (अबू क़तादा) से बयान करते हैं कि हम ने (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मामूल से) यह समझा कि आप चाहते थे कि लोग पहली रक्अ़त पा लें।

801:— अबू मामर से रिवायत है वह कहते हैं कि हम ने ख़ब्बाब रज़ि॰ से पूछाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुहर और अ़स्र की नमाज़ में क़िरात फ़रमाया करते थे? उन्होंने कहाः हाँ। हम ने कहाः आप को कैसे मालूम होता था? उन्होंने कहाः आप की दाढ़ी के हिलने से मालूम होता था।

802:— अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुहर की नमाज़ की पहली रक्अ़त में इतनी देर तक खड़े रहते कि क़दमों की आवाज़ें न सुनते थे।

फ़ाइदा:— जुहर और अ़स्र की अन्तिम दो रक्अ़तों को चाहें तो ख़ाली पढ़ें, या भरी दोनों शक्लें दुरुस्त हैं। जैसा कि आगे हदीस न॰ 804 में आ रहा है। पहली रक्अ़त को दूसरी के मुक़ाबला में लंबी करना जाइज़ है। इमाम इस निय्यत से रक्अ़त की क़िरात लंबी कर दे कि तमाम लोग शामिल हो जायें, तो यह भी दुरुस्त है। क़दमों की आवाज़ न सुनते, यानी नमाज़ियों के आने का सिलसिला बन्द हो जाता। सिर्री नमाज़ में क़िरात में होंट का हिलना और दाढ़ी का हिलना ज़रुरी है। इस से मालूम हुआ कि आप की दाढ़ी लंबी थी।

बाब {अन्तिम दो रक्अ़तों को हल्का रखने का बयान।}

803:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ का बयान है कि उमर रज़ि॰ ने सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि॰ (कूफ़ा के गर्वनर) से कहाः लोगों ने आप की हर बात में शिकायत की है, यहाँ तक कि नमाज़ के बारे में भी। यह सुन कर उन्होंने कहाः मैं तो पहली दो रक्अ़तों को लंबी और अन्तिम दो को हल्की करता हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वाली नमाज़ की पैरवी करने में कोई कमी नहीं करता। यह सुन कर उमर रज़ि॰ ने कहाः आप की ज़ात से मुझे यही उम्मीद है।

फ़ाइदा:— इमाम बुख़ारी रह॰ ने इस हदीस से यह साबित किया है कि हर रक्अ़त में क़िरात वाजिब है (बुख़ारी-770) यहाँ इमाम अबू दावूद रह॰ ने ला कर यह साबित किया है कि अन्तिम दो रक्अ़तों को पहली दो के मुक़ाबले में हल्की करनी चाहिये।

804:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम ने जुहर और अ़स्र की

नमाज़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के क़ियाम का अन्दाज़ा लगाया तो वह यह था कि आप जुहर की पहली दो रक्अ़तों में सूरः अलिफ़ लाम्मीम सज्दा की तक़रीबन तीस आयतों के बराबर क़ियाम फ़रमाते। और हम ने अन्तिम दो रक्अ़तों में आप के क़ियाम का अन्दाज़ा उन के आधे के बराबर किया। और हम ने अ़स्र की पहली दो रक्अ़तों में आप के क़ियाम का अन्दाज़ा लगाया तो यह जुहर की पिछली दो रक्अ़तों के बराबर था। और अ़स्र की पिछली दो रक्अ़तों में आप के क़ियाम का अन्दाज़ा उन के भी आधे बराबर का था।

बाब {जुह्र और अ़स्र में क़िरात का मिक़दार।}

805:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुहर और अ़स्र में सूरः तारिक़ और सूरः बुरुज और उन की मिस्ल सूरतें पढ़ा करते थे।

806:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सूरज ढल जाता तो जुहर की नमाज़ पढ़ते और सूरः "वल्लैलि" जैसी सूरतें पढ़ते। अ़स्र और बाक़ी नमाज़ों में भी ऐसे ही क़िरात होती थी, फ़ज्र की नमाज़ को छोड़ कर। फ़ज्र में आप लंबी क़िरात किया करते थे।

807:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुहर की नमाज़ में तिलावत का सज्दा किया, फिर खड़े हो गये, फिर रुकूअ़ किया तो हमें मालूम हुआ कि आप ने सूरः अलिफ़ लाम्मीम् सज्दा तिलावत की थी। (यह हदीस ज़अ़ीफ़ है)

808:— अ़ब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैं बनी हाशिम के चन्द नौजवानों के साथ इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के यहाँ गया। हम ने अपने एक साथी से कहा कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से पूछो कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुह्र और अ़स्र में क़िरात करते थे? उन्होंने फ़रमाया कि नहीं। उन से कहा गया कि शायद आप अपने दिल में पढ़ते थे। उन्होंने कहाः तुम्हारा भला हो, यह सूरत तो पहली से भी बुरी है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (अल्लाह के) भेजे हुये बन्दे थे। आप को जिस चीज़ के साथ भेजा गया आप ने उसे पहुँचा दिया। आप ने हमें लोगों से अलग किसी चीज़ के साथ ख़ास नही किया सिवाए तीन बातो के (1) कामिल वुज़ू करे (2) सदक़ा न खाये (3) गधे को घोड़ी से जोड़ा न खिलायें।

फ़ाइदा:— इस हदीस में इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ का यह कहना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क़िरात नहीं करते थे ग़लत है। यह उन की भूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क़िरात करते थे देखें बुख़ारी 746। जुफ़्ती करना दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर कोई जाहिल कराए और ख़च्चर पैदा हो तो उस से फ़ाइदा उठाना जाइज़ है।

609:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः मुझे नहीं मालूम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुह्र और अ़स्र में क़िरात करतेथे या नहीं?।

बाब {मग़्रिब में क़िरात कितनी लंबी हो?}

810:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि (उन की माता जी) उम्मे फ़ज़्ल ने उन को सुना कि वह सूरः मुर्सलात की तिलावत कर रहे थे, तो उन्होंने कहाः बेटे! तुम ने इस सूरत की क़िरात से मुझे याद दिलाया है कि यह अन्तिम चीज़ थी जो मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी। आप उसे मग़रिब में पढ़ रहे थे।

811:— मुहम्मद, अपने पिता जुबैर बिन मुतइम से रिवायत करते हैं उन्होंने कहाः कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना, आप मग़रिब की नमाज़ में सूरः "वत्तूर" की क़िरात कर रहे थे।

812:— मर्वान बिन हकम से रिवायत है उन्होंने कहा कि ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ ने मुझ से कहा कि क्या बात है कि आप मग़रिब की नमाज़ में "क़िसारे-मुफ़स्सल" पढ़ते हैं? हालाँकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना है कि आप मग़रिब में दो लंबी-लंबी सूरतों में से लंबी सूरत पढ़ते थे। इब्ने मुलैका ने कहा कि दो लंबी सूरतें कौन सी हैं? उन्होंने कहाः सूरः आराफ़ और अन्आ़म।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कभी लंबी और छोटी सूरतें तिलावत की हैं। इमाम को भी मुक़्तदी का ख़याल करते हुये तिलावत करनी चाहिये। सूरः हुजुरात से अन्त तक की सूरतों को "मुफ़स्स्ल" कहा जाता है। सूरः "लम् यकुन्" से अन्त तक को "क़िसारे-मुफ़स्सल" कहा जाता है।

बाब {उन लोंगों की दलील जो मग़रिब में मुख़्तसर तिलावत को पसन्द करते हैं।}

813:— हिशाम बिन उर्वा का बयान है कि उन के पिता (उर्वा बिन जुबैर) मग़रिब में इसी प्रकार की सूरतें पढ़ते थे जैसे तुम लोग पढ़ते हो, यानी "वल् आ़दियात"।

फ़ाइदाः— यह रिवायत (उर्वा) का अ़मल है जो हमारे लिये सनद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सूरः मुंर्सलात पढ़ते थे जैसा कि ऊपर हदीस न॰ 810 में बयान हुआ।

814:— अ़म्र, अपने पिता शुऐब से और बह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि "मुफ़स्स्ल" की कोई छोटी-बड़ी सूरत नहीं जो मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से न सुनी हो, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उसे फ़र्ज़ नमाज़ों की इमामत कराते हुये पढ़ते थे।

815:— अबू उस्मान नहदी से रिवायत है कि उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ के पीछे मग़रिब की नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने सूरः "कुल हुवाल्लाहु अ-हद्" की तिलावत की।

बाब {दो रक्अ़तों में एक ही सूरत पढ़ने का बयान।}

816:— मआ़ज़ बिन अ़ब्दुल्लाह जोहनी का बयान है कि बनू जुहैना के एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना कि आप फ़ज्र की नमाज़ में दोनों रक्अ़तों में सूरः ज़िलज़ाल पढ़ रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि आप भूल गये थे या जान बूझ कर उस की क़िरात की थी।

(मालूम हुआ कि किसी सूरत का नमाज़ में तकरार करना जाइज़ है)

बाब {फ़ज्र की नमाज़ में क़िरात का बयान।}

817:— अम्र बिन हुरैस रिवायत करते हैं कि गोया मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की आवाज़ सुन रहा हूँ कि आप फ़ज्र की नमाज़ में सूरः तक्वीर पढ़ रहे थे।

बाब {जो कोई अपनी नमाज़ में सूरः फ़ातिहा की क़िरात छोड़ दे।}

818:— अबू सअ़ीद रज़ि॰ बयान करते हैं कि हमें हुक्म दिया गया कि हम (नमाज़ में) सूरः फ़ातिहा और जो आसानी से (कुरआन में) पढ़ सकें उसे पढ़ा करें।

819:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जाओ और मदीने में एलान कर दो कि कुरआन (की क़िरात) के बग़ैर नमाज़ नहीं चाहे सूरः फ़ातिहा हो और कुछ ज़्यादा, चाहे सूरः फ़ातिहा हो या और कुछ ज़्यादा।

820:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं एलान कर दूँ कि फ़ातिहा की क़िरात और कुछ मज़ीद के बग़ैर नमाज़ नहीं।

फ़ाइदा:— ऊपर की तीनों रिवायतें 818, 819, 820 ज़ओ़फ़ हैं, लेकिन दूसरी हदीसों से उन की ताईद होती है। मालूम हुआ कि फ़ातिहा के अ़लावा दूसरी सूरत या कुरआन का कुछ हिस्सा पढ़ने का हुक्म है। हाँ, अगर मुक़तदी है तो इमाम के पीछे केवल सूरः फ़ातिहा पढ़े।

821:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स कोई नमाज़ पढ़े और उस में उम्मुल कुरआन (सूरः फ़ातिहा) न पढ़े तो ऐसी नमाज़ नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है, कामिल नहीं है। अबू साइब ने कहा कि मैंने पूछाः ऐ अबू हुरैरा! मैं कभी इमाम के पीछे होता हूँ। इस पर उन्होंने मेरी कलाई दबाई और कहाः ऐ फ़ारसी! उसे अपने दिल में पढ़ा करो। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि अल्लाह पाक फ़रमाता हैः मैंने नमाज़ को अपने और बन्दे के दर्मियान आधा-आधा बाँट दिया है। आधा मेरे लिये और आधा मेरे बन्दे के लिये। और मेरे बन्दे के लिये वह सब कुछ है जो उस ने माँगा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पढ़ा करो। बन्दा कहता है : अल्-हम्दु...... तो अल्लाह फ़रमाता है कि मेरे बन्दे ने मेरी प्रशंसा की। बन्दा कहता हैः "अर्रहमा निर्रहीम" तो अल्लाह पाक फ़रमाता हैः मेरे बन्दे ने मेरी प्रशंसा की। बन्दा कहता हैः "मालिकि यौमिद्दीनि", तो अल्लाह पाक फ़रमाता हैः मेरे बन्दे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। बन्दा कहता हैः "इय्या-क्र नाबुदु"...... । अल्लाह पाक फ़रमाता हैः यह मेरे और बन्दे के दर्मियान है और मेरे बन्दे के लिये वह सब कुछ है जो उस ने माँगा। बन्दा कहता है : "इह्दि-नस्सिरा-तल् मुस्-तकिम"......व-लज़्ज़ल्ली-न (तो अल्लह फ़रमाता है) यह सब मेरे बन्दे के लिये वह सब कुछ है जो उस ने माँगा।

फ़ाइदा:— सूरः फ़ातिहा के बग़ैर नमाज़ ही नहीं, बल्कि नमाज़ ही नहीं होगी (देखें बुख़ारी 756, मुस्लिम 394, दारुकुतनी 1212) इसलिये कि सूरः फ़ातिहा नमाज़ का रुकन है, उस का पढ़ना फ़र्ज़

और वाजिब है। "अपने नफ़्स में पढ़ना" इस से मुराद आवाज़ निकाले बिना ज़बान से पढ़ना है। अगर कोई ख़याल और तसव्वुर सिर्फ़ करे, या सुन ले और ज़बान न हिलाये तो इसे पढ़ना नहीं कहा जायेगा।

822:— उबादा बिन सामित रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स फ़ातिहा और कुछ मज़ीद न पढ़े उस की नमाज़ नहीं। सुफ़यान ने कहाः इस से मुराद यह है कि जब कोई शख़्स अकेला पढ़ रहा हो (तो यह हुक्म है)

फ़ाइदा:— यह सुफ़यान का अपना ख़याल है जो कि दुरुस्त नहीं है।

823:— उबादा बिन सामित रज़ि॰ से रिवायत है कि हम फ़ज्र की नमाज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे थे। आप ने क़िरात शुरु की मगर वह आप पर भारी हो गयी (यानी रवानी से नहीं पढ़ रहे थे) जब आप फ़ारिग़ हुये तो फ़रमायाः शायद कि तुम लोग अपने इमाम के पीछे पढ़ते हो? हम ने कहाः हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! हम लोग जल्दी-जल्दी पढ़ते हैं। आप ने फ़रमायाः न पढ़ा करो मगर सूरः फ़ातिहा, क्योंकि जो उसे न पढ़े, उस की नमाज़ नहीं।

824:— नाफ़े बिन महमूद बिन रबीअ़ अन्सारी ने बयान किया कि (एक बार) उबादा रज़ि॰ फ़ज्र की नमाज़ में देरी कर के मस्जिद में पहुँचे तो अबू नुऐम मुअज़्ज़िन ने तक्बीर कही और नमाज़ इमामत करने लगे। अबू उबादा और मैंने उन के पीछे सफ़ बनाई। अबू नुऐम बुलन्द आवाज़ से क़िरात कर रहे थे (इसी बीच) उबादा ने (उन के पीछे) सूरः फ़ातिहा पढ़नी शुरु कर दी। जब वह नमाज़ पढ़ चुके तो मैंने कहाः आप सूरः फ़ातिहा पढ़ रहे थे, हालाँकि इमाम नुऐम जेहरी क़िरात कर रहे थे। उबादा रज़ि॰ ने कहाः हाँ (मैं सूरः फ़ातिहा पढ़ रहा था। सुनिये) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ाई जिस में आप ने जेहरी क़िरात की, और आप क़िरात में उलझ गये। जब नमाज़ पढ़ा चुके तो हमारी तरफ़ मुँह कर के फ़रमायाः क्या तुम लोग क़िरात करते हो जब मैं ऊँची आवाज़ से क़िरात करता होता हूँ? हम में से कुछ लोगों ने कहा कि हम ऐसे ही करते हैं। आप ने फ़रमायाः ऐसा न किया करो (तभी तो) मैं सोच रहा था कि कुरआन पढ़ने में मुझे उलझन क्यों हो रही है। (सुनों!) जब मैं बुलन्द आवाज़ से क़िरात कर रहा हूँ तो क़ुरआन से सूरः फ़ातिहा के अ़लावा और कुछ न पढ़ा करो।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जेहरी और सिर्री तमाम नमाज़ों में इमाम के पीछे सूरः फ़ातिहा पढ़ना मुक़्तदी के लिये ज़रुरी है, इस के बाद ख़ामोश रहें।

825:— इमाम मक्हूल ने उबादा रज़ि॰ से रबीअ़ बिन सुलैमान की (ऊपर की) रिवायत की तरह रिवायत की है (इमाम मक्हूल के शार्गिदों ने) बयान किया कि मक्हूल मग़िरब, इशा और फ़ज्र की नमाज़ों में हर रक्अ़त में चुपके से सूरः फ़ातिहा पढ़ा करते थे।

इमाम मक्हूल ने कहा कि जब इमाम जेहरी क़िरात कर रहा हो और सकता करे (बीच में साँस तोड़े) तो उसी बीच ख़ामोशी से सरूः फ़ातिहा पढ़ लिया करो। अगर सकता न करे तो उस से पहले ही पढ़ लो या उस की क़िरात के साथ ही पढ़ते जाओ, किसी भी हालत तें मत छोड़ो।

बाब {उन लोगों की दलीलें जो सिर्री नमाज़ों में सूरः फ़ातिहा पढ़ने के क़ाइल हैं।}

826:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ कर हम लोगों की तरफ़ मुँह किया और फ़रमायाः क्या तुम में से किसी ने अभी मेरे साथ क़िरात की है? एक नमाज़ी ने कहाः हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमायाः मैं भी कह रहा था कि मुझे क्या हो गया कि क़ुरआन की क़िरात में उलझ रहा हूँ। हदीस के रावी ने कहाः जब लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का यह फ़रमान सुना तो उन नमाज़ों में जिन में आप बुलन्द आवाज़ से क़िरात करते थे, आप के साथ क़िरात करने से रुक गये।

827:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ाई। मेरे ख़याल से आप ने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई.......फिर ऊपर की रिवायत की तरह बयान किया कि "मुझे क्या हुआ कि क़ुरआन की क़िरात में उलझ रहा हूँ"

फ़ाइदा:— ऊपर की रिवायत में "पस लोग पढ़ने से रुक गये" यह इमाम ज़ोहरी का क़ौल है जो कि दुरुस्त नहीं है। इस से यह साबित करना कि इमाम के पीछे सूरः "फ़ातिहा" न पढ़ो, सहीह नहीं है।

828:— अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई। एक आदमी आया और उस ने आप के पीछे सूरः "आला" पढ़ी। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो पूछा कि तुम में से किस ने क़िरात की है? उन्होंने कहाः एक नमाज़ी ने (यानी मैंने) की है। आप ने फ़रमायाः जभी तो मैं जान गया था कि तुम में से किसी ने मुझे क़िरात में उलझाया है।

829:— अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई। जब पढ़ चुके तो पूछाः तुम में से किस ने सूरः "आला" की क़िरात की है? एक नमाज़ी ने कहाः मैंने। आप ने फ़रमायाः मैं जान गया था कि तुम में से कोई मुझे (क़िरात में) उलझा रहा है।

फ़ाइदा:— आप ने यह तो फ़रमाया कि मैं उलझाया गया हूँ, लेकिन आप ने सूरः फ़ातिहा पढ़ने से मना नहीं किया। ऊपर हदीस न॰ 825, 826 में है कि "फिर लोग रोक दिये गये।" तो यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है, बल्कि इमाम ज़ेहरी का अपना ख़याल है। इस से पढ़ने का सबूत पकड़ना दुरुस्त नहीं है। खुलासा यह कि नमाज़ चाहे ज़ेहरी हो या सिर्री, इमाम हो या मुक़्तदी, अकेला पढ़ रहे हो या पढ़ा रहा हो, सूरः फ़ातिहा का धीमी आवाज़ से पढ़ना अनिवार्य है। तफ़सील की यहाँ गुन्जाइश नहीं।

बाब {अनपढ़ और अ़जमी को किस क़दर क़िरात काफ़ी हो सकती है?}

830:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारी मज्लिस में तशरीफ़ लाये जबकि हम क़ुरआन पढ़ रहे थे। हम में दीहाती भी थे और अ़जमी

भी। आप ने फ़रमायः पढ़े जाओ, सब ही बेहतर है। बहुत जल्द ऐसे लोग आयेंगे जो उसे (यानी कुरआन की क़िरात को) ऐसे सीधा करेंगे जैसे की तीर सीधा किया जाता है। इस का बदला (दुनिया में) जल्द ही लेना चाहेंगे और (आख़िरत तक) पीछे नहीं करेंगे।

831:— सहल बिन सअ़द साअ़दी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारी मज्लिस में तशरीफ़ लाये उस समय हम लोगों को कुरआन पढ़ा रहे थे। आप ने फ़रमायाः अल्हम्दुल्लिाह! अल्लह की किताब एक है और तुम (पढ़ने वालों) में लाल, सफ़ेद और काले सभी लोग हैं। उसे पढ़े जाओ, इस से पहले कि वह लोग इस की क़िरात शुरु कर दें जो उसे ऐसा सीधा करेंगे जैसे कि तीर सीधा किया जाता है और उस का सवाब जल्द ही (दुनिया में) लेना चाहेंगे, उसे (आख़िरत तक) पीछे नहीं करेंगे।

832:— अ़ब्दुल्लाह बिन औफ़ा रज़ि॰ बयान करते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगाः मैं कुरआन से कुछ याद नहीं कर सकता मुझे कुछ सिखा दीजिये जो मेरे लिये (कुरआन की क़िरात में) किफ़ायत करे। आप ने फ़रमायाः तुम सुब्हा-नल्लाहि वल्-हम्दु लिल्लाहि वला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्-बरु वलाहौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहिल् आलिय्यिल् अज़ीमि पढ़ा करो। यह सुन कर वह कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह तो अल्लाह के लिये हुआ, मेरे लिये क्या है? आप ने फ़रमायाः यह पढ़ा करोः "अल्लाहुम्मर्-हम्नी वर्ज़ुक़्नी वआ़फ़िनी वह्दिनी। चुनान्चे जब वह खड़ा हुआ तो अपने हाथों से ऐसे इशारा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस ने अपने हाथ ख़ैर से भर लिये हैं।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि कोई पढ़ न सकता हो, या याद न कर पाता हो तो ऊपर की दुआयें ही पढ़ कर नमाज़ पूरी करनी चाहिये। बहरहाल बूढ़े, कमज़ोर अक़्ल लोगों के लिये इजाज़त है कि इस प्रकार की दुआयें नमाज़ में पढ़ करी नमाज़ को मुकम्मल करें। लेकिन जो पढ़े लिखें हैं और कुरआन याद कर सकते हैं उन के लिये सूरः फ़ातिहा याद करना फ़र्ज़ है।

833:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ बयान करते हैं कि हम नफ़्ली नमाज़ें पढ़ते तो क़ियाम और क़ादा में दुआ किया करते थे और रुकूअ़ व सज्दे में तस्बीह पढ़ते थे।

834:— हुमैद ने भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है लेकिन उन की रिवायत में नफ़्ल पढ़ने का ज़िक्र नहीं है। यह भी कहा कि इमाम हसन बसरी रह॰ जुहर और अस्र में इमाम होते हुये, या इमाम के पीछे भी सूरः फ़ातिहा पढ़ते और सुब्हानल्लाहिअल्लाहु अक्बर और ला-इला-ह-इल्लल्लाहु कहते और सूरः क़ाफ़ और सूरः ज़ारियात के बराबर पढ़ते।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों हदीसें ज़ओ़फ़ हैं। 833 सहाबी का अपना अ़मल है और 834भी। इसलिये इन दोनों पर अ़मल नहीं होगा। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इतना तो साबित है कि क़िरात के दौरान रहमत की आयतों पर दुआ और अ़ज़ाब की आयतों पर तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे।

बाब {नमाज़ में तक्बीरात कहने का बयान।}

835:— मुतर्रिफ़ बयान करते हैं कि मैंने और इ़म्रान बिन हुसैन ने अ़ली रज़ि॰ के पीछे नमाज़ पढ़ी। वह जब सज्दा करते तो अल्लाहु अक्बर कहते, रुकूअ़ करते तो अल्लाहु अक्बर कहते, दो रकअ़तों से उठते तो अल्लाहु अक्बर कहते। जब हम नमाज़ से फ़ारिग़ हो गये तो इ़म्रान ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा: उन्होंने हमें पहले वाली नमाज़ पढ़ाई, या यह कहा कि हमें इस प्रकार नमाज़ पढ़ाई जो हम पहले मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ पढ़ा करते थे।

836:— अबू बक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान और अबू सलमा से रिवायत है कि अबू हुरैरा रज़ि॰ हर फ़र्ज़ नमाज़ और ग़ैर फ़र्ज़ नमाज़ में तक्बीरें कहा करते थे। जब खड़े होते तो तक्बीर कहते, जब रुकूअ़ करते तो तक्बीर कहते, फिर (रुकूअ़ से उठते तो) समि-अ़ल्लाहु लि-मन् हमि-दह कहते। इस के बाद रब्बना व-ल-कल् हम्दु कहते। फिर सज्दा को जाते हुये अल्लाहु अक्बर कहते, फिर सज्दा से सर उठाते तो तक्बीर कहते, फिर (दूसरा) सज्दा करते तो तक्बीर कहते। फिर सर उठाते हुये तक्बीर कहते और हर रकअ़त में ऐसे ही करते, यहाँ तक कि नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाते। फिर ज नमाज़ से फिरते तो कहते: उस ज़ात की क़सम! जिस के हाथ में मेरी जान है, नमाज़ के मामले में मैं तुम सब से अधिक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मुशाबह हूँ। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इसी प्रकार नमाज़ थी, यहाँ तक कि आप दुनिया से चले गये।

फ़ाइदा:— हर दो रकअ़त में ग्यारह और चार में 22 तक्बीरें होती हैं। इन में किसी भी तक्बीर को छोड़ना नहीं चाहिये।

837:— इब्ने अ़ब्दुर्रहमान अपने पिता से बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी और आप सब तक्बीरें न कहते थे। (यह हदीस ज़ईफ़ है)

838:— वाइल बिन हुजर् रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सज्दा करते तो अपने घुटने अपने हाथों से पहले रखते थे और जब उठते तो अपने हाथ घुटनों से पहले उठाते थे।

839:— अ़ब्दुल जब्बार बिन वाइल अपने पिता से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब सज्दा किया तो अपने घुटने ज़मीन पर हाथों से पहले रखे।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों हदीसें (838, 839) ज़ईफ़ हैं। सज्दा में जाते समय पहले हाथ ज़मीन पर रखें जैसा कि आगे हदीस आ रही है। और देखें बुख़ारी, किताबुल अज़ान, बाब 128।

840:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई सज्दा करेतो ऐसे न बैठे जैसे कि ऊँट बैठता है, बल्कि चाहिये कि अपने हाथ घुटनों से पहले रखे।

841:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: (क्या) तुम में से अपनी नमाज़ में इस प्रकार बैठने का इरादा करता है जिस प्रकार ऊँट बैठता है।

फ़ाइदा:— जानवर के घुटने उस के अगले पाँव में होते हैं। ऊँट जब बैठने के लिये झुकता है तो पहले अपने घुटने रखता है। इन्सान के घुटने उस के पैर में होते हैं। मालूम हुआ कि ऊँट पहले घुटना रखता है इसलिये नमाज़ी पहले अपने घुटने न रखें, बल्कि हाथ रखें। जो पहले घुटना रखना पसन्द करते हैं वह वाइल बिन हुज्र की ज़ईफ़ रिवायत पर अमल करते हैं।

बाब {ताक़ रक्अत (पहली और तीसरी) से उठने का तरीक़ा।}

842:— अबू क़िलाबा बयान करते हैं कि मालिक बिन हुवैरिस हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाये और कहा: अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊँगा, हालाँकि नमाज़ का इरादा नहीं, सिर्फ़ यह चाहता हूँ कि तुम्हें दिखाऊँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस प्रकार नमाज़ पढ़ते देखा है? (अय्यूब ने कहा:) मैंने अबू क़िलाबा से पूछा: उन्होंने किस प्रकार नमाज़ पढ़ी? उन्होंने कहा: हमारे इस शैख़ की तरह.....यानी अम्र बिन सलमा की तरह जो वहाँ उन के इमाम थे.....और बयान किया कि जब वह पहली रक्अत के दूसरे सज्दे से सर उठाते तो बैठ जाते थे, फिर (उस के बाद) उठते थे।

843:— अबू क़िलाबा बयान करते हैं कि अबू सुलैमान मालिक बिन हुवैरिस रजि॰ हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाये और कहा: अल्लाह की क़सम! मैं नमाज़ पढूँगा और नमाज़ का इरादा नहीं। मगर मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें दिखाऊँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस प्रकार नमाज़ पढ़ते देखा है। अबू क़िलाबा ने कहा: चुनान्चे वह पहली रक्अत में दूसरा सज्दा करने के बाद बैठ गये (और फिर उठे)

844:— अबू क़िलाबा, मालिक बिन हुवैरिस रज़ि॰ से रिवायत करते हैं, मालिक ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था जब आप अपनी नमाज़ की ताक़ रक्अत में होते तो उस वक़्त तक खड़े न होते थे जब तक कि दुरुस्त होकर बैठ न जाते।

फ़ाइदा:— पहली और तीसरी रक्अत में दूसरे सज्दे के बाद क़ियाम से पहले थोड़ी देर बैठने को "जलसए इस्तिराहत" कहते हैं। यह जल्सा सुन्नत है।

बाब {दो सज्दों के दर्मियान इक़आ करना (एड़ियों पर बैठना)}

845:— ताऊस फ़रमाते थे कि हम ने इब्ने अब्बास रज़ि॰ से दो सज्दे के दर्मियान एड़ियों पर बैठने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: यह सुन्नत है। हम ने कहा: हम तो इसे पाँव पर बोझ, या नमाज़ी के लिये परेशानी ख़याल करते हैं। इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने कहा: यह आप के नबी की सुन्नत है।

फ़ाइदा:— एड़ियों पर बैठने को "इक़आ" कहते हैं और सज्दों के दर्मियान कभी कभार इस प्रकार बैठना जाइज़ है। मगर इक़आ की दूसरी कैफ़ियत नाजाइज़ है, यानी नमाज़ी अपनी पिंडलियों को खड़ा कर ले और सुरीन पर बैठ जाये।

बाब {रुकूअ से सर उठाए तो क्या कहे?}

846:— अब्दुल्लाह बिन अबू आर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम जब रुकूअ़ से सर उठाते तो कहते थेः समि-अ़ल्लाहु लि-मन् हमि-दह्, अल्लाहुम्म रब्बना ल-कल् हम्दु.......

847:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब समि-अ़ल्लाहु लि-मन् हमि-दह् कह लेते तो कहतेः अल्लाहुम्म रब्बना ल-कल् हम्दु........। महमूद की रिवायत में "वला मोति-य लिमा मना-त".......भी है। फिर "वला यन्-फ़ऊ ज़ल् जद्दि मिन्-कल् जद्दु" है। बिश्र ने "अल्लाहुम्म" के बग़ैर रिवायत किया है......

848:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब इमाम समि-अ़ल्लाहु लि-मन् हमि-दह् कहे तो तुम लोग कहोः अल्लाहुम्म रब्बना वल-कल् हम्दु, क्योंकि जिस के यह कलिमात फ़रिश्तों के क़ौल के मुवाफ़िक़ हो जायें, उस के पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।

849:— आ़मिर बिन शुराहील शोबी (ताबअ़ी) कहते हैं कि लोगों को इमाम के पीछे समि-अल्लाहु लि-मन् हमि-दह नहीं कहना चाहिये, वह रब्बना ल-कल् हम्दु कहें।

फ़ाइदा:— इस में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। सहीह मस्अला यह है कि इमाम , मुक़्तदी, अकेला सभी लोग दोनों दुआयें पढ़ें। यानी समि-अ़ल्लाहु.....और रब्बना व-ल-कल् हम्दु.......दोनों पढ़ें। अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम ने "नैलुल औतार" में यही लिखा है।

बाब {दो सज्दों के दर्मियान की दुआ।}

850:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दो सज्दों के दर्मियान यह दुआ पढ़ा करते थेः

अल्लाहुम्मग़् फ़िर्ली वर्-हम्नी वआफ़िनी वह्दिनी वर्ज़ुक़्नी

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ईफ़ है। सुनन तिर्मिज़ी (284) में यह दुआ हैः

अल्लाहुम्मग़् फ़िर्ली वर्-हम्नी वज्बुर्नी वह्दिनी वर्ज़ुक़्नी

इसी का पढ़ना सुन्नत है।

बाब {महिलायें जब इमाम के साथ जमाअ़त से नमाज़ पढ़ें, तो सज्दे से कब सर उठायें?}

851:— अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ की पुत्री अस्मा रज़ि॰ बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना आप महिलाओं से फ़रमाते थे "जो तुम में से अल्लाह और क़ियामत पर ईमान रखती है वह अपना सर (सज्दे से) उस समय तक न उठाये जब तक कि मर्द न उठा लें। आप ने यह हुक्म इसलिये दिया कि कहीं उन की नज़र मर्दों की शर्मगाह पर न पड़ जाये।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ईफ़ है। जब कपड़े की कमी थी तब यह हुक्म था।

बाब {रुकूअ़ के बाद क़ियाम और सज्दों के दर्मियान के क़ादा को लंबा करने का बयान।}

852:— बरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

का सज्दा रुकूअ़ और दो सज्दों के दर्मियान बैठना क़रीब-क़रीब बराबर हुआ करता था।

853:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने किसी के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जिस की नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (की नमाज़) से बढ़ का मुख़्तसर और कामिल हो। आप समि-अ़ल्लाहु लि-मन् हमि-दह कह कर खड़े होते (और इतना लंबा क़ियाम करते) कि हम समझते शायद आप को वहम हो गया है। फिर आप तक्बीर कहते और सज्दा करते। और आप दोनों सज्दों के दर्मियान बैठते (और लंबा बैठते) कि हम कहते कि शायद आप को वहम हो गया है।

854:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नमाज़ में बड़े ग़ौर से देखा तो मैं ने पाया कि आप का क़ियाम आप के रुकूअ़ और सज्दे के बराबर होता था। और आप का रुकूअ़ से खड़ा होना (क़ौमा करना) आप के सज्दे के बराबर होता था। और आप का दो सज्दों के दर्मियान बैठना, और सज्दा जो सलाम और फेरने के दर्मियान होता, बराबर होते थे।

बाब {उस आदमी की नमाज़ जो रुकूअ़ और सज्दे में अपनी कमर बराबर न करे।}

855:— अबू मस्ऊद बदरी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आदमी की नमाज़ किफ़ायत नहीं करती जब तक कि वह रुकूअ़ और सज्दे में अपनी कमर को बराबर न कर ले।

856:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाये, उसी समय एक आदमी मस्जि में दाख़िल हुआ और उस ने नमाज़ पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेउस के सलाम का जवाब दिया और फ़रमायाः जाओ नमाज़ पढ़ो तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी। चुनान्चे वह गया और नमाज़ पढ़ी जैसे कि (पहले) पढ़ी थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और सलाम किया तो आप ने फिर उस से फ़रमायाः वअ़लै-कस्सलामु, जाओ नमाज़ पढ़ो, तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी। हत्ताकि उस ने तीन मतर्बा किया, आख़िर उस ने कहाः उस ज़ात की क़सम! जिस ने आप को हक़ के साथ भेजा है, मैं इस से अच्छी नमाज़ नहीं पढ़ सकता, मुझे सिखा दीजिये। आप ने फ़रमायाः जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अल्लाहु अक्बर कहो। फिर तुम्हारे लिये कुरआन में से जो आसान हो उसे पढ़ो, फिर रुकूअ़ करो और उसे खूब इत्मिनान से करो, फिर सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ, फिर सज्दा करो, यहाँ तक कि खूब इत्मिनान से करो, फिर बैठो यहाँ तक कि तसल्ली से बैठ जाओ, और फिर इसी तरह पूरे नमाज़ में किया करो।

857:— अ़ली बिन यहया बिन ख़ल्लाद, यहया के चचा (रिफ़ाअ़ा) से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स मस्जिद में दाख़िल हुआ......फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। उस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी की नमाज़ उस समय तक मुकम्मल नहीं हो

सकती जब तक कि वह वुजू न करे और वुजू के हिस्सों को ठीक-ठाक न धोले, फिर तक्बीर कहे और अल्लाह पाक की हम्द व सना करे और कुरआन में से जो आसान लगे उसे पढ़े, फिर अल्लाहु अक्बर कहे और रुकूअ़ करे यहाँ तक कि उस के जोड़ आराम से टिक जायें। फिर समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह कहे और इत्मिनान से सीधा खड़ा हो जाये, फिर अल्लाहु अक्बर कहे और सज्दा करे, हत्ताकि उस के जोड़ आराम से टिक जाये। फिर अल्लाहु अक्बर कहे और अपना सर उठाये और ठीक तरह से बैठ जाये, फिर अल्लाहु अक्बर कहे और सज्दा करे यहाँ तक कि उस के जोड़ इत्मिनान से टिक जायें, फिर अपना सर उठाये और तक्बीर कहे। जब इस प्रकार करेगा तो उस की नमाज़ कामिल होगी।

858:— अ़ली बिन यहया बिन ख़ल्लाद अपने पिता से उन्होंने अपने चाचा रिफ़ाआ़ बिन राफ़े रज़ि॰ से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया......उसमें है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से फ़रमायाः किसी की नमाज़ उस समय तक क़ामिल नहीं हो सकती जब तक कि वह क़ामिल वुजू न करे जैसे कि अल्लाह पाक ने उसे वुजू करने का हुक्म दिया है। फिर अपना चेहरा धोये, कोहनियों तक अपने हाथ धोये, सर का मसह करे और टख़्नों तक दोनों हाथ धोये, फिर अल्लाहु अक्बर कहे (और नमाज़ शुरु कर दे) और अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान करे। फिर कुरआन से क़िरात करे जिस प्रकार उसे हुक्म दिया गया है और जो सरल लगे......फिर हम्माद की हदीस की तरह रिवायत किया और कहाः फिर तक्बीर कहे और सज्दा करे और अपना चेहरा ज़मीन पर टिका दे।

हम्माम ने यहाँ पर कभी यह कहा है कि “वह अपनी पेशानी ज़मीन पर टिकाए, यहाँ तक कि उस के जोड़ इत्मिनान और सुकून से टिक जायें। फिर तक्बीर कहे और सीधे सुरीन पर बैठ जाये और कमर को सीधी रखे। मतलब यह कि इस प्रकार नमाज़ का तरीक़ा बयान फ़रमाया। फिर वह इसी प्रकार पढ़ कर चारों रक्अ़तों से फ़ारिग़ हो जाये। (और याद रहे) किसी की नमाज़ क़ामिल नहीं हो सकती जब तक कि इसी प्रकार न करे।

859:— अ़ली बिन यहया बिन ख़ल्लाद ने रिफ़ाआ़ बिन राफ़े से यह क़िस्सा बयान किया और कहाः जब तुम (नमाज़ के लिये) खड़े होकर क़िब्ला की तरफ़ रुख़ कर लो तो अल्लाहु अक्बर कहो, फिर उम्मुल कुरआन (सूरः फ़ातिहा) और कुरआन में से कुछ पढ़ो जो अल्लाह तौफ़ीक़ दे। जब रुकूअ़ करो तो अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखो और कमर को लंबा रखो। और फ़रमायाः जब सज्दा करो तो आराम से टिक कर करो, और जब सज्दे से उठो तो अपनी बाँयीं रान पर बैठ जाओ।

860:— अ़ली बिन यहया बिन ख़ल्लाद बिन राफ़े अपने पिता से और वह अपने चचा रिफ़ाआ़ बिन राफ़े रज़ि॰ से और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह वाकिआ़ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम अपनी नमाज़ के लिये खड़े हो तो अल्लाह की तक्बीर कहो, फिर जो तुम्हें कुरआन से आसान लगे वह पढ़ो। इस रिवायत में मज़ीद फ़रमायाः कि जब तुम नमाज़ के दौरान में बैठो तो इत्मिनान से बैठो और अपनी बायीं रान

बिछा लो, फिर तशहहुद पढ़ो, फिर जब खड़े हो तो पहले की तरह करो, हत्ताकि अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाओ।

861:— यहया बिन अ़ली बिन यहया बिन ख़ल्लाद बिन राफ़े अपने पिता से, वह अपने दादा से, वह रिफ़ाअ़ा बिन राफ़े से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया.......और ऊपर की हदीस बयान की। उस में यह भी बयान किया कि "फिर वुज़ू करो जैसे कि तुम को अल्लाह ने हुक्म दिया है और (वुज़ू कर लेने के बाद) कलिमाए-शहादत पढ़ो, फिर इक़ामत कहो, फिर अल्लाहु अक्बर कहो (और नमाज़ शुरु करो) अगर तुम्हें क़ुरआन याद हो तो उसे पढ़ो, वर्ना अल्लाह पाक की हम्द व सना, तक्बीर और तहलील बयान करो। इस रिवायत में इतना और फ़रमाया है कि "अगर तुम ने इस से कुछ कम किया तो अपनी नमाज़ से कम किया।

फ़ाइदा:— ऊपर की हदीसों में नमाज़ को सहीह तरीक़ा से पढ़ने का ढ़ंग बताया गया है। वह सहाबी जो नमाज़ ग़लत ढन्ग से पढ़ रहे थे उन का नाम "ख़ल्लाद बिन राफ़े" था।

862:— अ़ब्दुर्रहमान बिन शिब्ल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि (नमाज़ में) कौअे की तरह ठोंगें मारी जायें, या दरिन्दे की तरह फैल कर बैठा जाये, या कोई शख़्स मस्जिद में (अपने लिये) जगह ख़ास कर ले जैसे कि ऊँट ख़ास कर लेता है। और यह शब्द क़ुतैबा के हैं। (इस की सनद ज़ईफ़ है)

863:— सालिम बर्राद बयान करते हैं कि हम अबू मस्ऊद उक़्बा बिन अ़म्र अन्सारी रज़ि॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुये और उन से कहा कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के नमाज़ के बारे में बताइये। चुनान्चे वह हमारे सामने मस्जिद में खड़े हो गये और अल्लाहु अक्बर कहा (और नमाज़ शुरु की) जब रुकूअ़ किया तो हाथों को अपने घुटने पर रखा और उंगलियों को घुटनों से नीचे किया और कोहनियों को पहलू से दूर रखा, यहाँ तक कि हर-हर जोड़ अपनी जगह पर टिक गया। फिर "समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह" कहा और खड़े हो गये, यहाँ तक कि हर-हर जोड़ अपनी-अपनी जगह पर टिक गया। फिर तक्बीर कहा और सज्दा किया और हाथों को ज़मीन पर रखा। फिर कोहनियों को पहलू से दूर रखा, यहाँ तक कि हर-हर जोड़ अपनी जगह पर टिक गया। फिर सज्दे से सर उठाया और बैठ गये यहाँ तक कि हर-हर जोड़ अपनी जगह पर टिक गया फिर (दूसरे सज्दे में) भी ऐसे ही किया। फिर इसी प्रकार चार रक्अ़तें पढ़ीं और अपनी नमाज़ पूरी की, फिर फ़रमाया: हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इसी प्रकार नमाज़ पढ़ते देखा था।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़र्मान। हर वह (फ़र्ज़) नमाज़ जिसे नमाज़ी ने पूरा न किया हो, उसे उस के नवाफ़िल से पूरा किया जायेगा।}

864:— अनस बिन हकीम ज़ब्बी रिवायत करते हैं उन्होंने बयान किया कि मैं ज़ियाद या ज़ियाद के बेटे के डर से मदीना आ गया, यहाँ अबू हुरैरा रज़ि॰ से मुलाक़ात हो गयी। उन्होंने मेरा नसब नामा मालूम किया तो मैं ने भी उन्हें बता दिया। फिर उन्होंने फ़रमाया: ऐ जवान! क्या मैं तुम्हें एक हदीस

न सुनाऊँ? मैंने कहाः क्यों नहीं! अल्लाह आप पर रहम फ़रमाये। रावी युनूस ने बयान किया कि मेरा ख़याल है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान किया कि आप ने फ़रमायाः क़ियामत के दिन लोगों के आमाल में से जिस अ़मल का हिसाब सब से पहले होगा वह उन की नमाज़ होगी। हमारा रब फ़रिश्तों से फ़रमायेगा, हालाँकि वह पहले ही खूब जानने वाला है, मेरे बन्दे की नमाज़ देखो! क्या उस ने उस को पूरा किया है, या उस में कोई कमी है? चुनान्चे वह अगर कामिल हुयी तो पूरी की पूरी लिख दी जायेगी और अगर उस में कोई कमी हुयी तो फ़रमायेगा कि देखो! क्या मेरे बन्दे के पास कुछ नवाफ़िल हैं? अगर हुये तो फ़रमायेगाः कि मेरे बन्दे के फ़र्ज़ों को उसके नफ़्लों से पूरा कर दो। फिर उस हिसाब से दूसरे आमाल लिये जायेंगे।

फ़ाइदाः— यह हदीस ज़अ़ीफ़ है लेकिन हदीस न॰ 866 इसकी ताईद करती है। मालूम हुआ कि नवाफ़िल से फ़र्ज़ों की कमी पूरी की जायेगी। अल्लाह के हक़ में सब से पहले नमाज़ की और बन्दों के हक़ में सब से पहले ख़ून का हिसाब लिया जायेगा।

865:— बनी सलीत के एक व्यक्ति ने अबू हुरैरा रज़ि॰ से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया।

866:— जुरारा बिन औफ़ा ने तमीम दारी रज़ि॰ से ऊपर की हदीस के मिस्ल रिवायत किया। इस में यह बयान किया कि "फिर ज़कात के बारे में हिसाब लिया जायेगा। फिर बाक़ी आ़माल इसी प्रकार लिये जायेंगे।

बाब {रुकूअ़ और सुजूद के अहकाम और हाथों का घुटनों पर रखना।}

867:— मुस्अ़ब बिन सअ़द ने बयान किया कि मैंने अपने पिता जी (सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि॰) के पहलू में नमाज़ पढ़ी और मैंने अपने हाथों को (रुकूअ़ में) अपने घुटनों के दर्मियान रखा तो उन्होंने मुझे इस से मना फ़रमायाः मैंने फिर वैसे ही किया तो उन्होंने कहाः ऐसे मत करो, हम (सहाबा) इस प्रकार किया करते थे, मगर इस से हमें रोक दिया गया था और हुक्म दिया गया कि हम अपने हाथों को घुटनों पर रखा करें।

फ़ाइदाः— रुकूअ़ में घुटनों के दर्मियान हाथ देकर खड़े होना, यह अ़मल मन्सूख़ है। केवल अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ या एक-आध और सहाबा थे जो ऐसा अ़मल करते थे, जैसा कि आगे हदीस में आ रहा है।

868:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब तुम में से कोई रुकूअ़ करे, तो अपने बाज़ू को अपनी रानों पर बिछा लिया करे और अपनी हथेलियों को एक दूसरी में दे लिया करे। गोया कि मैं देख रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की उंगलियाँ एक-दूसरी के अन्दर हैं। (यह हुक्म मन्सूख़ है जैसा कि ऊपर गुज़रा)।

बाब {रुकूअ़ और सज्दे में आदमी क्या पढ़े।}

869:— उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ बयान करते हैं कि जब "फ़-सब्बिह् बिस्मि रब्बि-कल् अ़ज़ीमि"

नाज़िल हुयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "इसे अपने रुकूअ़ में करो" (यानी सुब्हा-न रब्बि-यल अ़ज़ीमि कहा करो) और जब "सब्बिहिस्मि रब्बि-कल् आला" नाज़िल हुयी तो फ़रमायाः इसे अपने सज्दों में करो (यानी सुब्हान रब्बि-यल् आला कहा करो)

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इन्हें रुकूअ़ और सज्दे में पढ़ा करते थे (मुस्लिम 772) अ़ल्लामा अल्बानी के निकट हदीस न॰ 869, 870 ज़ओ़फ़ हैं, लेकिन हदीस के शवाहिद हैं इसलिये सहीह हैं।

870:— अय्यूब बिन मूसा, या मूसा बिन अय्यूब ने अपनी क़ौम के एक आदमी से और उस ने उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ से ऊपर की हदीस के मिस्ल रिवायत किया और इतना इज़ाफ़ा भी किया कि (उन आयतों के उतरने पर) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रुकूअ़ करते तो कहतेः सुब्हा-न रब्बि-यल अ़ज़ीमि वबि-हम्दिही तीन बार और जब सज्दा करते तो कहतेः सुब्हा-न रब्बि-यल् आला तीन बार।

फ़ाइदा:— "वबि-हम्दिही" का इज़ाफ़ा कुछ उलमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं है।

871:— इमाम शोबा बयान करते हैं कि मैंने सुलैमान बिन महरान से पूछाः क्या मैं नमाज़ में ख़ौफ़ और डर वाली आयतें पढ़ते समय दुआ़ कर लिया करूँ? तो उन्होंने मुझे सअ़द बिन उबैदा के सनद से बयान किया कि हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी तो वह रुकूअ़ में सुब्हा-न रब्बि-यल अ़ज़ीमि और सज्दा में सुब्हा-न रब्बि-यल आला पढ़ते थे। और क़िरात में जब रहमत की आयत से गुज़रते तो वहाँ रुक जाते और सवाल करते, और जब किसी अज़ाब की आयत से गुज़रते तो वहाँ रुक कर पनाह माँगते।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ रहमत की आयत पर रुक कर अल्लाह से नेकी माँगी जाये और अ़ज़ाब की आयत की तिलावत के वक़्त रुक कर पनाह माँगी जाये।

872:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने सज्दा और रुकूअ़ में यह दुआ़ पढ़ा करते थेः

सुब्बूहुन् कुद्दूसुन् रब्बुल् मलाइ-कति वर्रुहि

873:— औ़फ़ बिन मालिक अश्जई रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। आप ने नमाज़ में क़ियाम के दौरान सूरः बक़रः की तिलावत फ़रमाई। आप किसी रहमत की आयत से गुज़रते तो वहाँ रुक कर दुआ़ करते और किसी अ़ज़ाब की आयत से गुज़रते तो वहाँ रुक कर पनाह माँगते। फिर आप ने रुकूअ़ किया और इतना लंबा किया जितना लंबा आप का क़ियाम था। आप अपने रुकूअ़ में यह दुआ़ पढ़ते थेः

सुब्हा-न ज़िल जब्रुति वल् म-लकूति वल् किब्रियाइ वल् अज्-मति

फिर खड़े हुये और सूरः "आले अिम्रान" की क़िरात फ़रमायी, फिर एक सूरत पढ़ी, फिर (एक और) सूरत पढ़ी

874:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को एक रात नमाज़ पढ़ते देखा, आप कहते थे अल्लाहु अक्बर, तीन बार "जुल् म-लकूति वल् ज-बरुति वल् किब्रियाइ वल् अ़ज़्मति"। फिर आप ने सना पढ़ी, फिर सूरः बक़र की तिलावत की, फिर रुकूअ़ किया, और आप का रुकअ़, आप के क़ियाम जितना लंबा था। आप रुकूअ़ में यह दुआ़ पढ़ते थे "सुब्हा-न रब्बि-यल् अ़ज़ीमि, सुब्हा-न रब्बि-यल् अ़ज़ीमि। फिर रुकूअ़ से सर उठाया, आप का यह क़ियाम पहले क़ियाम की तरह (लंबा) था। आप इस क़ियाम में पढ़ते थे लि-रब्बि-यल् हम्दु। फिर सज्दा किया तो आप का सज्दा भी आप के क़ियाम की तरह था। और आप सज्दा में कहते थे: सुब्हा-न रब्बि-यल् आला। फिर आप ने सज्दे से सर उठाया और सज्दों के दर्मियान बैठे। और इतनी देर बैठे जितनी देर सज्दे में लगाई। और उस दौरान में कहते थे: रब्बिग् फ़िर्ली, रब्बिग् फ़िर् ली। चुनान्चे आप ने चार रक्अ़तें पढ़ीं और उन में सूरः बक़रः, आले अ़िम्रान सूरः निसा और माइदा या अन्आ़म की तिलावत की, इमाम शोबा को शक हुआ।

बाब {रुकूअ़ और सज्दा में दुआ़ करने का बयान।}

√***875:***— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: सज्दा की हालत में बन्दा अपने रब से सब से अधिक निकट होता है, इसलिये सज्दा में बहुत अधिक दुआ़ किया करो।

876:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (मौत वाली बीमारी में) पर्दा उठाया, उस समय सहाबा अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ के पीछे सफ़ें बनाये हुये थे। आप ने फ़रमाया: लोगों! नबुव्वत की खुशख़बरियों में से सिर्फ़ अच्छा सपना ही बाक़ी रह गया है जिसे मुसलमान देख लेता है: या (किसी के लिये) उसे दिखाया जाता है। और मुझे रुकूअ़ या सज्दे की हालत में कुरआन पढ़ने से मना किया गया है। रुकूअ़ में अल्लाह पाक की बड़ाई और सज्दे में दुआ़यें खुब किया करो। यह इस लाइक़ होती है कि कुबूल कर ली जाये।

फ़ाइदा:— यह रिवायत मुसिलम शरीफ़ (479) में भी है। अच्छा सपना मुसलमान के लिये शुभसूचना होता है। कभी वह स्वँय देखता है और कभी दूसरे मुसलमान को दिखाया जाता है। रुकूअ़ और सज्दे में कुरआन की तिलावत जाइज़ नहीं।

877:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने रुकूअ़ और सज्दे में बहुत अधिक यह दुआ़ पढ़ा करते थे:

सुब्हा-न-कल्ला हुम्म रब्बना वबि-हम्दि-क अल्ला हुम्मग् फ़िर्ली

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस दुआ़ से कुरआन की तालीम पर अ़मल फ़रमाते थे।

878:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने सज्दों में यह दुआ़ पढ़ा करते थे:

अल्लाहुम्मग् फ़िर्ली ज़म्बी कुल्लहू, दिक़्क़हू वजिल्लहू व-अव्व-लहू वआख़ि-रहू

इब्ने सरह ने इतना और इज़ाफ़ा किया है

अलानि-य-तहू वर्सिरहू

879:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को (उन के बिस्तर से) गुम पाया तो मैंने उन्हें उन के मुसल्ले पर टटोला तो पाया कि आप सज्दे में थे, आप के पाँव खड़े थे और यह दुआ पढ़ रहे थे:

अऊजु बिरिज़ा-क मिन् स-ख़ति-क व-अऊजु बिरिज़ा-क मिन् स-ख़-ति-क, व-अऊजुबिरिज़ा-क मिन् स-ख़ति-क, व-अऊजुबि मुआफ़ाति-क मिन् उक़ू-बति-क व-अऊजुबि-क मिन्-क, ला उहसी सना-अन् अ़लै-क अन्-त कमा अस्नै-त अ़ला नफ़्सि-क

बाब {नमाज़ में दुआ करने का बयान।}

880:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी नमाज़ में यह दुआ करते थे:

अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मिन् अ़ज़ाबिल् क़ब्रि व-अऊजुबि-क मिन् फ़ित्-नतिल् मसीहिद्दज्जालि व-अऊजुबि-क मिन् फ़ित्-नतिल मह्या वल् ममाति, अल्लाहुम्म इन्नी अऊजुबि-क मि-नल् मासिमि वल् मग़-रमि

किसी ने कहा कि आप क़र्ज़ से बहुत अधिक पनाह माँगते थे (इस की क्या वजह है?) आप ने फ़रमायाः बन्दा जब क़र्ज़ ले लेते हैं तो बात करता है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो पूरा नहीं करता है।

881:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला अपने पिता से रिवायत करते हैं कि मैंने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पहलू में खड़े होकर नफ़्ल की नमाज़ पढ़ी, मैंने आप को यह पढ़ते सुनाः

अऊजु बिल्लाहि मि-नन्नारि, वैलुन् लि-अह्लिन्नारि

फ़ाइदा:— इस की सनद ज़ओफ़ है, लेकिन इस के शवाहिद हैं, इसलिये अल्लाह से पनाह माँगना जाइज़ है।

882:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ में खड़े हुये और हम भी आप के साथ खड़े हो गये तो एक बद्दू (देहाती) ने नमाज़ में यूँ कहा:

अल्लाहुम्मर्र हम्नी वमु-हम्म-दन् वला तर्-हम् म-अ़ना अ-ह-दन्

जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो उस देहाती ने फ़रमायाः तू ने एक कुशादा चीज़ को तन्ग कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का इशारा अल्लाह की रहमत की तरफ़ था।

फ़ाइदा:— यह वही देहाती था जिस ने मस्जिद में पेशाब कर दिया था जैसा कि तिर्मिज़ी की हदीस (147) में है। इस प्रकार दुआ़ नहीं करनी चाहिये।

883:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब (सूरः आला में) "सब्बि हिस्-म रब्बि-कल् आला" की तिलावत करते तो (जवाब में) फ़रमातेः सुब्हा-न रब्बि-यल् आला

फ़ाइदा:— इस की सनद ज़ओ़फ़ है। इस हदीस से ज़्यादा से ज़्यादा यह साबित होता है कि केवल तिलावत करने वाला ही जवाब दे, न कि मुक़तदी। इसलिये मुक़तदी और सुनने वाले जवाब न दें।

884:— मूसा बिन अबू आ़इशा (ताबओ़) बयान करते हैं कि (सहाबा में से) एक सहाबी अपने घर की छत पर नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो जब वह (सूरः क़ियामः की अन्तिम आयत) अलै-स ज़ालि-क बिक़ादिरिन् अ़ला....पढ़ते तो (जवाब में) कहतेः "सुब्हा-न-क फ़-बला"। लोगों ने उन से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है।

इमाम अहमद का कहना है कि मुझे यह बात ज़्यादा पसन्द है कि फ़र्ज़ नमाज़ों में क़ुरआ़नी दुआयें पढ़ी जायें।

फ़ाइदा:— हदीस ज़ओ़फ़ है।

बाब {रुकूअ़ और सज्दे कितने लंबे हों?}

885:— सओ़द जुरैरी, सादी से, वह अपने पिता या चचा से रिवायत करते हैं उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को उन की नमाज़ में बड़े ग़ौर से देखा है, आप अपने रुकूअ़ और सज्दे में इतनी देर रुकते थे कि
"सुब्हा-नल्लाहि वबि-हम्दिही" तीन बार कह लें (सनद ज़ओ़फ़ है)

886:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई रुकूअ़ करे तो तीन मर्तबा कहेः सुब्हा-न रब्बि-यल् अ़ज़ीमि। और यह कम से कम तादाद है। और जब सज्दा करे तो तीन बार सुबहा-न रब्बि-यल आला कहे, और यह कम से कम संख्या है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। लेकिन इस के शवाहिद हैं। हदीस न॰ 871, 874 से इन दुआ़ओं का पढ़ना साबित है। लेकिन कम से कम संख्या तीन हो इस की तमाम रिवायतें ज़ओ़फ़ हैं।

887:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो तुम में से "वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि" पढ़े और उस के आख़िर में "अलै-सल्लाहु.....पर पहुँचे तो कहे...

.."बला", व-अना अ़ला ज़ालि-क मि-नश्शाहिदी-न। और सूरः क़ियामह पढ़ें और उस की अन्तिम आयत पढ़े तो उसे चाहिये कि पढ़े : "बला"। और जो कोई सूरः मुरसलात की अन्तिम आयत पढ़े उसे चाहिये कि पढ़ेः "आमन्ना बिल्लाहि"।

हदीस के रावी इस्माअ़ील कहते हैं कि मैं उस आराबी के पास दोबारा गया ताकि उस से मालूम करूँ कि हदीस भूला तो नहीं है। तो उसे ने कहाः ऐ भतीजे! तुम्हारा क्या ख़याल है कि मैं इस हदीस को याद नहीं रखूँगा? हालाँकि मैंने 60 हज्ज किये हैं और हर हज्ज में मैं जिस ऊँट पर सवार था वह सब मुझे याद हैं।

फ़ाइदाः— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। वह आराबी जिस ने 60 हज्ज किये थे उस का नाम ही नहीं मालूम। उस ने 60 हज्ज किये यही शुब्हे वाली बात है।

888:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाद किसी के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी कि उस की नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ से बहुत ज़्यादा मुशाबह हो, सिवाए उस जवान के यानी उमर बिन अ़ब्दु अज़ीज़ रह॰ के। चुनान्चे हम ने अन्दाज़ा लगाया कि वह अपने रुकूअ़ और सज्दे में दस-दस तस्बीहें कहते थे।

बाब {सज्दे के आज़ा (हिस्सों) का बयान।}

889:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे हुक्म दिया गया है.....हम्माद के अल्फ़ाज़ हैं..... तुम्हारे नबी को हुक्म दिया गया है कि "सात (जोड़ों) पर सज्दा करें और उस दौरान अपने बालों या कपड़ों को न समेटें।

फ़ाइदाः— सज्दे में सर के बालों या दाढ़ी के बालों को मिट्टी से बचाने के लिये समेटना, इसी प्रकार कपड़े को भी समेटना दुरुस्त नहीं है। सब को छोड़ दें ताकि सब सज्दा करें।

890:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "मुझे हुक्म दिया गया है" और कभी कहते "तुम्हारे नबी को हुक्म दिया गया है कि सात जोड़ों पर सज्दा करें।

891:— अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब से रिवायत है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः बन्दा जब सज्दा करता है तो उस के साथ सात जोड़ सज्दा करते हैं (1) चेहरा (2,3) दोनों हाथ (4,5) दोनों घुटनें (6,7) दोनों पाँव।

892:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है (कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः) हाथ भी सज्दा करते हैं जैसे कि चेहरा सज्दा करता है। जब तुम में से कोई (सज्दे में ज़मीन पर) अपना चेहरा रखे तो हाथ भी (ज़मीन पर) रखे और जब (चेहरा) उठायेतो उन्हें भी उठा ले।

बाब {नमाज़ी जब इमाम को सज्दे में पाये तो कैसे करे?}

893:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

जब तुम नमाज़ के लिये आओ और हम सज्दे में हो तो तुम भी सज्दा करो और उसे कुछ शुमार न करो। और जिस ने रक्अ़त को पा लिया उस ने नमाज़ को पा लिया।

फ़ाइदा:— "जिस ने रक्अ़त को पा लिया" कुछ उलमा ने रक्अ़त का तजुर्मा रुकूअ़ किया है। यानी जिस ने रुकूअ़ को पा लिया उस ने रक्अ़त को पा लिया। बहुत से उलमा इस के क़ाइल है। लेकिन रक्अ़त चार चीज़ से मुकम्मल होती है। (1) क़िरात (2) रुकूअ़ (3) सज्दा (4) क़ियाम। और यहाँ क़ियाम और क़िरात नहीं है, इसलिये रुकूअ़ का पाने वाला, उस की रक्अ़त मुकम्मल नहीं मानी जायेगी। रुकूअ़ वाली रक्अ़त के बारे में हदीस न॰ 683 देखें।

बाब **{सज्दे में नाक और पेशानी को ज़मीन पर रखना।}**

894:— अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई तो उस में देखा गया कि आप की पेशानी और नाक के पाँसे पर कीचड़ का निशान था।

895:— मुहम्मद बिन यहया ने भी अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक के वास्ते से मामर से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब **{सज्दा कैसे किया जाये।}**

896:— अबू इस्हाक़ ने बयान किया कि बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ ने हमें सज्दा कर के दिखाया, इस तरह कि उन्होंने (पहले) अपने हाथ रखे, अपने घुटनों पर टेक लगायी और अपनी सुरीन को ऊँचा किया और कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस प्रकार सज्दा किया करते थे।

897:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: सज्दा ठीक ढन्ग से किया करो। और तुम में से कोई कुत्ते की तरह अपने हाथ न फैलाए।

898:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी मैमूना रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सज्दा करते तो अपने हाथों को अपने बग़ल से दूर रखते थे, यहाँ तक कि अगर बक्री का बच्चा आप के हाथों के नीचे से गुज़रना चाहता तो गुज़र सकता था।

899:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे आया (जबकि आप सज्दे में थे) तो मैं ने आप की बग़लों की सफ़ेदी देखी। आप ने अपनी कमर को उठाया हुआ था, पेट ज़मीन से ऊँचा था और बाज़ू पहलू से दूर थे।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़अ़ीफ़ है, लेकिन आगे की हदीस इस की ताईद करती है।

900:— अहमर बिन जज़ा जो कि सहाबी हैं बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सज्दा करते तो अपने हाथों को अपने पहलू से (इतना) दूर रखते थे कि हमें (आप की पेशानी को देखते हुये) आप पर तर्स आता था।

फ़ाइदा:— यानी हाथों को अपनी पिसुलियों से इतनी दूर रखते थे कि देखने वालों को तर्स आता था कि आप मुशक्क़त में हैं।

901:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई सज्दा करे तो अपने हाथों को (ज़मीन पर) कुत्ते की तरह न फैलाये और अपनी रानों को मिला कर रखे।

फ़ाइदा:— यह सज्दा मर्दों और महिलाओं दोनों के लिये बराबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने महिलाओं के लिये अलग से कोई सज्दा करने का तरीक़ा नहीं बताया है।

बाब {ज़रुरत के लिये इस में रुख़्सत का बयान।}

902:— अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से शिकायत की कि जब वह सज्दे में अपने बाज़ू को खुले करते हैं तो इस से बड़ी परेशानी होती है, तो आप ने फ़रमाया: अपने घुटनों से मदद ले लिया करो।

फ़ाइदा:— इस हदीस की सनद ज़ओ़फ़ है। ताहम बीमार और कमज़ोर केलिये सज्दे में रानों का सहारा लेना मबाह हैं, क्योंकि वह माजूर है।

बाब {पहलू पर हाथ रखना और इक़आ करना (उकड़ू बैठना)}

903:— ज़ियाद बिन सुबैह हनफ़ी बयान करते हैं कि मैंने इब्ने उमर रज़ि॰ के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, मैंने उस दौरान में अपने हाथ अपने पहलू (कूल्हों) पर रख लिये। जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो फ़रमाया: नमाज़ में इस प्रकार खड़े होना सलीब से मुशाबहत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस से मना फ़रमाते थे।

फ़ाइदा:— नमाज़ में कूल्हों पर हाथ रख कर खड़े होना नाजाइज़ है। इस के कई कारण हैं। एक तो ऊपर की हदीस में बयान है कि यह सलीब से मशाबहत है। (2) शैतान से मुशाबहत है। यहूद से मुशाबहत है।

बाब {नमाज़ में रोने का बयान।}

904:— मुतर्रिफ़ अपने पिता से बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे और आप के सीने से रोने की वजह से ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई चक्की सी चल रही हो।

फ़ाइदा:— नसई में है कि "आप के अन्दर से हंडिया के उबलने की सी आवाज़ आ रही थी (हदीस न॰ 1215) मालूम हुआ कि रोने से नमाज़ नहीं टूटती और न ही बातिल होती है।

बाब {नमाज़ के दौरान में शक व शुब्हे और ग़लत ख़याल के पैदा होने की कराहत का बयान।}

905:— ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो शख़्स वुज़ू करे और अच्छी तरह वुज़ू करे (यानी सुन्नत के मुताबिक़) फिर दो

रक्अतें पढ़े और उन में ग़फ़्लत का शिकार न हो तो उस के पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।

906:— उक़्बा बिन आ़मिर जोहनी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कोई वुज़ू करे और अच्छा वुज़ू करे, फिर दो रक्अतें पढ़े और वह अपने दिल और चेहरे से उन ही पर तवज्जोह रहे, तो उसे के लिये जन्नत वाजिब हो गयी।

फ़ाइदा:— हदीस सहीह है, मुस्लिम में भी है, देखें हदीस न॰ 169।

बाब {इमाम को नमाज़ में लुक़्मा देना।}

907/1:— मिस्वर बिन यज़ीद मालिकी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप ने नमाज़ में क़िरात फ़रमायी, उस में से कुछ आयतें छूट गयीं जिन्हें आप ने तिलावत नहीं फ़रमाया तो एक नमाज़ी ने कहाः ऐ अल्लाह के संदेष्टा! आप ने फ़लाँ-फ़लाँ आयत छोड़ दी है। आप ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तो तुम ने मुझे याद क्यों न करा दिया?

सुलैमान ने अपनी रिवायत में कहा कि उस आदमी ने कहाः मैं समझा कि शायद यह मन्सूख़ हो गयी हैं।

907/2:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक नमाज़ पढ़ी और उस में क़िरात की तो कुछ इधर-उधर हो गया। जब आप फ़ारिग़ हुये तो उबय्यि रज़ि॰ से फ़रमायाः क्या तुम ने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने कहाः जी हाँ। आप ने फ़रमायाः तो तुम्हें किस ने रोका था (कि मुझे बता देते)

फ़ाइदा:— इमाम कोई आयत भूले तो उसे बताई जाये। अर्कान भूल रहा हो तो मर्द सुब्हानल्लाह और महिला ताली बजाये।

बाब {इमाम को लुक़्मा देने की मिनाही का बयान।}

908:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ अ़ली! इमाम को लुक़्मा मत दो।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। इस में एक रावी हारिस है जिसे कज़्ज़ाब कहा गया है। ऊपर की हदीस न॰ 907 सहीह है। जिस में लुक़्मा देने का हुक्म दिया गया हे।

बाब {नमाज़ में इधर-उधर देखना।}

909:— अबू ज़र रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बन्दा जब नमाज़ में होता है तो अल्लाह पाक उस की तरफ़ बराबर मुतवज्जह रहता है जब तक कि वह इधर-उधर न देखे। जब वह इधर-उधर देखने लग जाये तो अल्लाह पाक भी उस से मुँह मोड़ लेता है।

910:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से

पूछाः नमाज़ी का नमाज़ के दौरान इधर-उधर देखना कैसा है? आप ने फ़रमायाः यह "उचकना" है, इस तरह से शैतान बन्दे की नमाज़ से उचक लेता है।

फ़ाइदा:— यह हदीस बुख़ारी शरीफ़ (651) मेंभी है। गर्दन घुमा कर देखना तो बिल्कुल नाजाइज़ है। अल्बत्ता किसी सख़्त ज़रुरत के तहत कनखियों से देख लेने की गुन्जाइश है।

बाब {नाक पर सज्दा करना।}

911:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा गया कि आप ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई तो आप की पेशानी और नाक के पाँसे पर कीचड़ का निशान था।

फ़ाइदा:— यह हदीस सहीह है। हदीस न॰ 661 में भी आ चुकी है।

बाब {नमाज़ में नज़र उठाने का मस्अला।}

912:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाये और देखा कि कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और अपने हाथ आसमान की तरफ़ उठाये हुये हैं तो आप ने फ़रमायाः या तो लोग नमाज़ में अपनी नजरें आसमान की तरफ़ उठाने से रुक जायें, या उन की नज़रें उन की तरफ़ वापस नहीं लौटेंगी।

913:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लोगों को क्या हुआ है कि अपनी नमाज़ों के दौरान नज़रें उठा लेते हैं? आप का आदेश इस के बारे में बड़ा सख़्त होगया और फ़रमायाः यह लोग अपनी इस हर्कत से रुक जायें वर्ना उन की नज़रें उचक जायेंगी।

914:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक ऊनी चादर में नमाज़ पढ़ी, उस में कुछ फूल-बूटे बने हुये थे। आप ने फ़रमायाः मुझे उस के फूल-बूटे उल्झाने लगे थे। इसे अबू जहम के पास ले जाओ और मेरे पास अंबजानी चादर ले आओ। (जिस में फूल-बूटे नहीं होते)

915:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबू जहम की (चादरों में से) कुर्दी चादर ले ली। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहा गया कि ऊनी (फूल-बूटे वाली) चादर उस से अच्छी थी।

फ़ाइदा:— यह चादर अबू जोहम ने आप को हदिया में दी थी, इसलिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे उन्हीं को वापस कर उन ही से दूसरी ली। आँखें बन्द कर के नमाज़ पढ़ना किसी तरह दुरुस्त नहीं। नज़र सज्दे के स्थान पर रहनी चाहिये।

बाब {नमाज़ में इधर-उधर देखने की रुख़सत।}

916:— सहल बिन हन्ज़ला रज़ि॰ से रिवायत है कि फ़ज्र की नमाज़ के लिये इक़ामत कही गयी

और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाने लगे। और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस दौरानमें एक घाटी की तरफ़ देख रहे थे। इमाम अबू दावूद ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक शहसवार को उस घाटी की तरफ़ रात में पहरा के लिये भेजा था।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि आवश्यक्ता पड़ने पर गर्दन मोड़े बिना कंखियों से देखना जाइज़ है, वर्ना मना है।

बाब {नमाज़ के दौरान काम (जो मबाह हैं)}

917:— अबू क़तादा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (कभी कभार अपनी नवासी) उमामा बिन्त ज़ैनब रज़ि॰ को उठा कर नमाज़ पढ़ते थे। जब सज्दा करते तो उन्हें बैठा देते और जब खड़े होते तो उठा लेते।

फ़ाइदा:— देखें बुख़ारी शरीफ़ (516) मुस्लिम शरीफ़ (543)

918:— अबू क़तादा रज़ि॰ ने बयान किया कि एक बार हम लोग मस्जिद में बैठे हुये थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये। आप (अपनी नवासी) उमामा बिन्त अबुल् आ़स को उठाये हुयेथे। उन की माता जी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पुत्री ज़ैनब रज़ि॰ थीं। उमामा छोटी बच्ची थीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन्हें अपने कन्धे पर उठाए हुये थे। आप ने नमाज़ पढ़ाई और यह आप के कन्धे पर थीं। आप जब रुकूअ़ करते तो उन्हें बैठा देते, और जब खड़े होते तो उन्हें उठा लेते। आप ने (इसी तरह) नमाज़ मुकम्मल की और उस दौरान में उन्हें उठाते और बैठाते रहे।

919:— अबू क़तादा अन्सारी रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप लोगों को नमाज़ पढ़ाने के दौरान अबुल आ़स की पुत्री (और नवासी) उमामा को अपनी गर्दन (यानी कन्धे) पर उठाये हुये थे। आप जब सज्दा करते तो उन्हें नीचे बैठा देते।

920:— अबू क़तादा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबी से रिवायत है वह बयान करते हैं कि एक बार हम लोग नमाज़ के लिये जब आप का इन्तिज़ार कर रहे थे। नमाज़ जुहर थी या अ़स्र की। बिलाल ने आप को नमाज़ के लिये बुलाया। जब आप तशरीफ़ लाये तो उमामा यानी आप की पुत्री (ज़ैनब) की बेटी आप की गर्दन पर थी। आप ने तक्बीर कही तो हम सब ने भी कही। फिर जब आप ने रुकूअ़ करना चाहा तो उसे पकड़ कर बैठा दिया, फिर रुकूअ़ और सज्दा किया। जब आप सज्दा कर चुके और खड़े हुये तो उन्हें फिर गर्दन पर बैठा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हर रकअ़त में ऐसे ही करते रहे, यहाँ तक कि अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हो गये।

फ़ाइदा:— अ़ली रज़ि॰ ने फ़ातिमा के देहान्त के बाद उमामा से निकाह कर लिया था। लेकिन उमामा से कोई औलाद नहीं हुयी। कुछ लोगों का कहना है कि कन्धे पर बैठा लेना यह आप के लिये ख़ास था। लेकिन यह ख़याल बातिल है। माँ-बाप को इस प्रकार के हालात का सामना करना पड़ता है। मगर क़िब्ला से मुँह इधर-उधर नहीं होना चाहिये।

921:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नमाज़ पढ़ते हुये भी दो काले जानवरों को क़त्ल कर दो, यानी साँप और बिच्छू को।

फ़ाइदा:— इन्हें मार डालो, चाहे नमाज़ के दौरान लाठी-डन्डा या पत्थर ढूँड़ना पड़े और मारने में मुँह क़िब्ला की तरफ़ से फिर जाये तोभी कोई हरज नहीं। क्योंकि ख़ौफ़ की नमाज़ पर क़ियास किया जायेगा।

922:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है वह बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे होते, मैं (बाहर से) आती और दर्वाज़ा खोलवाती तो आप चल कर दर्वाज़ा खोल देते और फिर अपने मुसल्ले पर लौट आते। उर्वा ने बयान किया कि दवाज़ा क़िब्ला की तरफ़ था।

फ़ाइदा:— इस रिवायत की सनद ज़ओफ़ है। ताहम अगर दर्वाज़ा क़िब्ला रुख़ हो और चन्द क़दम की दूरी पर हो और घर में कोई उत्तर देने वाला भी न हो, तो चन्द क़दम चल कर दर्वाज़ा खोल देने में कोई हरज नहीं मालूम होता। इस का शुमार मामूली काम में होता है।

बाब {नमाज़ के दौरान में सलाम का जवाब देना।}

923:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहते थे जबकि आप नमाज़ में होते तो आप सलाम का उत्तर देते। लेकिन जब हम लोग (हब्शा हिजरत के बाद) नजाशी के पास से वापस आये और हम ने आप को सलाम किया तो आप ने हमें उत्तर न दिया और फ़रमायाः नमाज़ में एक और मसरुफ़ियत है।

फ़ाइदा:— आरंभ में अनुमति थी, लेकिन बाद में यह हुक्म मन्सूख़ हो गया। अल्बत्ता इशारे से जवाब देना जाइज़ है। (देखें-925)

925:— सुहैब रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा जबकि आप नमाज़ पढ़ रहेथे। मैंने आप को सलाम किया तो आप ने इशारे से उत्तर दिया। रावी नाबिल कहते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ इब्ने उमर रज़ि॰ ने यह कहा थाः अपनी उंगली से इशारा किया। यह शब्द क़ुतैबा की रिवायत के हैं।

926:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे क़बीला बनी मुस्तलिक़ की तरफ़ भेजा। मैं आया तो आप अपने ऊँट पर नमाज़ पढ़ रहेथे। मैंने आप सेबात करनी चाही तो आप ने मुझे अपने हाथ से यूँ इशारा किया। मैंने फिर बात की तो आप ने मुझे अपने हाथ से यूँ इशारा किया। मैं आप को सुन रहा था कि आप क़िरात कर रहे थे और (रुकूअ और सज्दों के लिये) अपने सर से इशारा कर रहे थे। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो फ़रमायाः जिस काम के लिये मैंने तुम्हें भेजा था उस का तुम ने क्या किया? और तुम से बात न करने की वजह यह थी कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था।

927:— इब्ने उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा की

मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिये तशरीफ़ ले गये (उस दौरान मैं आप के पास) अन्सार आ गये, वह आप को सलाम कहते थे जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे। इब्ने उमर रज़ि॰ कहते हैं कि मैंने बिलाल रज़ि॰ से पूछाः आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को किस तरह जवाब देते हुये देखा, जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे और वह लोग आप को सलाम कहते थे? उन्होंने कहाः इस तरह, और अपनी हथेली फैलाई। जाफ़र बिन औन ने अपने हाथ की हथेली को नीचे किया और उस की पीठ को ऊपर की तरफ़।

928:— अबू हुरैरा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नमाज़ और सलाम में कमी नहीं (यानी कमी न रखो) **इमाम अहमद फ़रमाते हैं कि मैं समझता हूँ कि** आप सलाम करें, और न आप को सलाम किया जाये। और नमाज़ में इन्सान का कमी करना यूँ है कि इन्सान नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाये हालाँकि उसे इस में शक हो।

929:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि मुआ़विया ने कहाः मेरा ख़्याल है कि उन्होंने मुर्फ़अ़ बयान किया "सलाम में और नमाज़ में कमी नहीं"।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि नमाज़ में इशारे से जवाब देना जाइज़ है। हदीस में सलाम का जवाब न देने की जो बात कही गयी है, उस से मुराद मुँह से अल्फ़ाज़ के साथ उत्तर देना है। इशारे से उत्तर देना जाइज़ है जैसे कि ऊपर हदीस न॰ 927 में बयान हुआ।

बाब {**नमाज़ में छींक का जवाब देना।**}

930:— मुआ़विया बिन हकम सुलमी ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी और क़ौम में से एक आदमी ने छींक मारी तो मैंने कहाः यर-हमु-कल्लाहु (अल्लाह तुम पर रहम फ़रमाये) इस पर लोगों ने मुझे तेज़ नज़रों से देखा तो मैंने कहाः अफ़सोस, मेरी माँ मुझे गुम कर दे, तुम्हें क्या हुआ है कि मुझे इस प्रकार देख रहे हो? इस पर उन लोगों ने अपने हाथों को अपनी रानों पर मारना शुरु कर दिया तब मुझे मालूम हुआ कि लोग मुझे ख़ामोश करा रहे हैं। रावी उस्मान ने बयान किया कि जब मैं ने उन्हें देखा कि यह लोग मुझे ख़ामोश करा रहे हैं (तो मुझे गुस्सा तो आया) मगर मैं ख़ामोश रहा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ ली, मेरे माता-पिता आप पर कुर्बान, तो आप ने न तो मुझे मारा, न डाँटा, न बुरा-भला कहा, बल्कि फ़रमायाः यह नमाज़ है, इस में लोगों की सी आ़म बात-चीत जाइज़ नहीं है। इस में तस्बीह होती है, तक्बीर होती है और कुरआ़न पढ़ा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसी प्रकार की बात फ़रमायी। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! हम लोग नये-नये जिहालत से बाहर आये हैं और अल्लाह ने हमें इस्लाम (की नेमत) से माला माल किया है। तो हम में से कुछ लोग हैं जो काहिनों के पास जाते है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम उन के पास मत जाया करो। मैंने कहाः हम में कुछ लोग (परिन्दों वग़ैरह से) बुरा शगून लेते हैं। आप ने फ़रमायाः यह उन के दिलों के वहम हैं। यह चीज़ें उन के लिये

रुकावट नहीं बननी चाहिये। मैंने कहाः हम में कुछ लकीरें खींचते है। आप ने फ़रमायाः पहले के सन्देष्टा में एक नबी थे जो लकीरें खींचा करते थे, तो जिस की लकीरें उन के हक़ में हों वह तो सहीह हो सकती हैं (लेकिन अब यह जानना मुश्किल है) मैंने कहाः मेरी एक लौंडी है जो उहुद और जवानिया के क्षेत्र में मेरी बकरियाँ चराया करती थी। मैंने एक बार उस पर छापा मारा तो देखा कि भेड़िया उन में से एक बकरी ले गया है। मैं भी आदम की औलाद में से हूँ। जिस तरह उन्हें अफ़सोस होता है मुझे भी हुआ तो मैं ने उसे थप्पड़ मार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस को मेरे लिये बड़ा भारी और बुरा काम जाना। मैंने कहाः क्या मैं उसे आज़ाद न कर दूँ? आप ने फ़रमायाः उसे मेरे पास लाओ। चुनान्चे मैं उसे आप के पास ले आया तो आप ने उस से पूछाः अल्लाह कहाँ है? उस ने कहाः आकाश में। आप ने पूछाः मैं कौन हूँ? उस ने कहाः आप अल्लाह के सन्देष्टा हैं। आप ने फ़रमायाः इसे आज़ाद कर दो क्योंकि यह बिला शुब्हा मोमिन महिला है।

931:— मुआ़विया बिन हकम सुलमी ने बयान किया कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो इस्लाम के कुछ आदेश जान लिये। उन में से एक यह भी जाना कि मुझे कहा गयाः जब तुम्हें छींक आये तो अल्हम्दु लिल्लाह कहो। और जब कोई दूसरा छींक मारे और अल्हम्दु लिल्लाह कहे तो तुम उसे यर-हमुकल्लाह से उत्तर दो। चुनान्चे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ में खड़ा था कि एक नमाज़ी ने छींक मारी और अल्हम्दु लिल्लाह कहा तो मैं ने भी ऊँची आवाज़ से यरहमु-कल्लाह कहा तो लोगों ने मुझे तेज़ नज़रों से घूरा, इस पर मुझे गुस्सा आ गया और मैंनेक हाः तुम्हें क्या हो गया है कि मुझे घूर-घूर के देख रहे हो? इस पर उन्होंने सुब्हानल्लाह कहा। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो फ़रमायाः बातें कौन कर रहा था? तो कहा गया कि यह देहाती। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और फ़रमायाः नमाज़ में क़ुरआन की तिलावत होती है और अल्लाह का ज़िक्र होता है, तो जब तुम नमाज़ में हो तो तुम्हारा यही काम होना चाहिये। बहर हाल मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बढ़ कर कोई शफ़ीक़ शिक्षा देने वाला नहीं देखा।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है, लेकिन ऊपर की हदीस सहीह है जो इस की ताईद करती है। यह रिवायत मुस्लिम (537) में भी है। नमाज़ में छींक का उत्तर देना जाइज़ नहीं। लकीरें खींचने वाले सन्देष्टा का नाम इदरीस या दानियाल बताया गया है। अब उस ज्ञान को सीखना गोया तारीकी में तीर चलाना है, और हराम है।

बाब {इमाम के पीछे आमीन कहना।}

932:— वाइल बिन हुज्र रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब (सूरः फ़ातिहा के अन्त में) व-लज़्ज़ाल्लीन कहते तो "आमीन" कहते और उस (कहने) के साथ अपनी आवाज़ को बुलन्द करते।

933:— वाइल बिन हुज्र रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के

पीछे नमाज़ पढ़ी तो आप ने ऊँची आवाज़ से आमीन कही। और (जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुयेतो) दायें-बायें तरफ़ सलाम फेरा, यहाँ तक कि मैंने आप के बग़लों की सफ़ेदी देखी।

934:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब व-लज़्ज़ाल्लीन पढ़ते तो आमीन कहते यहाँ तक कि पहली सफ़ के लोग जो आप से क़रीब होते आप की आवाज़ सुन लेते।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ हैं। लेकिन ऊपर की दोनों हदीसें सहीह हैं। और इस की ताईद करती हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि मक़्तदी इमाम की पैरवी करने का पाबन्द है। तो जब इमाम ने आमीन कही तो मुक़्तदी पर भी कहना लाज़िम है। आमीन ऐसी आवाज़ में कही जाये जिस में तकब्बुर न हो और न चीख़ कर कहा जाये।

935:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब इमाम ग़ैरिल् मग़ज़ूबि अ़लैहिम व-लज़्ज़ालीन कहे, तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिस का यह क़ौल फ़रिश्तों के क़ौल के मवाफ़िक़ हो गया उस के पिछले गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।

936:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिस की आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुवाफ़िक़ हो गयी उस के पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।

937:— बिलाल रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आमीन कहने में मुझ से जल्दी न फ़रमाइये।

फ़ाइदा:— नमाज़ शुरु हो चुकी थी और बिलाल ताख़ीर से आये तो कही कि आप मुझे मौक़ा दीजिये कि मैं नमाज़ में मिल कर आप के साथ आमीन कह सकूँ। मालूम हुआ कि इमाम से कह दिया जाये कि क़िरात लंबी कर दे और वह मान ले तो कोई हरज नहीं। (देखें बुख़ारी-किताबुल् अमलि फ़िस्सलाति)

938:— अबू मुसब्बिह बयान करते हैं कि हम अबू ज़ुहैर नुमैरी की मज्लिस में बैठा करते थे और यह सहाबा में से थे और बड़ी अच्छी-अच्छी हदीसें बयान करते थे। तो हम में से जब कोई दुआ़ करता तो कहते कि उसे आमीन की मुहर लगाओ। आमीन मोहर की तरह है जो किसी ख़त पर लगा दी जाती है।

अबू ज़ुहैर ने बयान किया कि मैं तुम्हें इस के बारे में बताता हूँ। हम एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ निकले और एक आदमी के पास पहुँचे जो बड़े चीख़-पुकार से दुआयें माँग रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रुक गये और उस की दुआ़ सुनने लगे। फिर आप ने फ़रमाया: उस की दुआ़ कुबूल हो गयी, मगर यह कि उसे मोहर लगा दें। साथियों में से किसी ने पूछा कि किस चीज़ की मोहर कर दे? आप ने फ़रमाया: आमीन से, क्योंकि अगर उस ने आमीन से ख़त्म की (या मोहर लगायी) तो कुबूल हो गयी। चुनान्चे वह जिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह पूछा था उस दुआ़ करने वाले के पास गया और उसे कहा: ऐ

फ़लाँ! अपनी दुआ को आमीन से मोहर कर दो और खुशख़बरी कुबूल कर लो (यह हदीस ज़ओफ़ है)

बाब {नमाज़ में ताली बजाना।}

939:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तस्बीह (सुब्हानल्लाह) कहना मर्दों के लिये है और ताली बजाना महिलाओं के लिये है।

फ़ाइदाः— महिलायें अपने दायें हाथ को अपने बायें हाथ की पुश्त पर मारें, न कि आ़म ताली बजानेकी तरह। उन्हें सुब्हानल्लाह कहने से इस लिये मना किया गया कि उन की आवाज़ फ़ितने का सबब न बने।

940:— सह्ल बिन सअ़द बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क़बीला बनी अ़म्र बिन औ़फ़ (कुबा) में सुलह कराने के लिये तशरीफ़ लेगये। नमाज़ का समय हो गया तो मुअज़्ज़िन अबू बक्र रज़ि॰ के पास आयेऔर कहाः क्या आप नमाज़ पढ़ा देंगे? तो मैं इक़ामत कहूँ। उन्होंने कहाः पढ़ा दूँगा। चुनान्चे अबू बक्र ने इमामत शुरु कर दी और इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आये और चल कर सफ़ में खड़े हो गये। लोगों ने तालियाँ बजानी शुरु कर दीं। अबू बक्र नमाज़ में इधर-उधर न देखते थे। लेकिन जब लोगों ने बहुत तालियाँ बजायीं तो मुतवज्जह हुये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देख लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें इशारा किया कि अपनी जगह खड़े रहो। अबू बक्र ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जो उन्हें हुक्म दिया था उस पर अल्लाह की हम्द बयान की और फिर पीछे हट आये और सफ़ में बराबर हो गये। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आगे बढ़ गये और नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ पढ चुके तो फ़रमायाः ऐ अबू बक्र! जब मैं ने तुम्हें रुके रहने का हुक्म दिया था तो क्या चीज़ रुकावट बनी। अबू बक्र ने जवाब दिया कि अबू क़हाफ़ा के पूत को शोभा नहीं देता था कि अल्लाह के रसूल के आगे होकर नमाज़ पढ़ाए। फिर आप ने फ़रमायाः तुम लोगों को क्या हुआ था कि तालियाँ बजाने लगे थे? जिसे नमाज़ में कोई परेशानी हो वह सुब्हानल्लाह कहा करे। जब वह सुब्हानल्लाह कहेगा तो उस की तवज्जोह की जायेगी। और तालियाँ तो महिलाओं के लिये है। इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह फ़र्ज़ नमाज़ में है।

941:— सहल बिन सअ़द बयान करते हैं कि क़बीला बनी अ़म्र बिन औ़फ़ में कोई झगड़ा हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सूचना मिली तो आप जोहर की नमाज़ के बाद उन से सुलह कराने के लिये तशरीफ़ ले गये और बिलाल से कह गये कि अगर अ़स्र का समय हो जाये और मैं न पहुँच सकूँ तो अबू बक्र से कहना कि लोगों को नमाज़ पढ़ा देंगे। चुनान्चे जब अ़स्र का समय हुआ तो बिलाल ने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही और अबू बक्र से नमाज़ पढ़ाने को कहा तो वह आगे बढ़ गये.....इस रिवायत के अन्त में है कि जब तुम्हें कोई मामला पेश आ जाये तो मर्द सुब्हानल्लाह कहा करें और महिलायें ताली बजायें।

942:— ओैसा बिन अय्यूब ने बयान किया कि महिलाओं का ताली बजाना यूँ है कि वह अपने दाँयें हाथ की दो उंगलियाँ अपनी बायें हथेली पर मारें।

बाब {नमाज़ में इशारा करना।}

943:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ मे इशारा कर दिया करते थे।

फ़ाइदा:— जैसे सलाम का जवाब इशारा से देना, या ख़ामोश रहने का इशारा करना।

944:— अबू हुरैरा रज़ि॰ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "सुब्हानल्लाह" कहना मर्दों के लिये है और ताली बजाना महिलाओं के लिये है। और जिस ने अपनी नमाज़ में कोई ऐसा इशारा किया जो कोई माना रखता हो तो वह अपनी नमाज़ दोहराये।

फ़ाइदा:— हदीस ज़ओ़फ़ है, लेकिन दूसरी सहीह हदीसों से इस की ताईद होती है।

बाब {नमाज़ में कंकरियाँ छूना दुरुस्त है।}

945:— अबू ज़र रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि जब तुम में से कोई नमाज़ के लिये खड़ा होता है तो अल्लाह की रहमत उस के सामने होती है, इसलिये कंकरियाँ न छुवा करे।

946:— मुऐक़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नमाज़ पढ़ते हुये कंकरियाँ मत छुओ। अगर ऐसा करना ही है तो एक बराबर कर लो।

फ़ाइदा:— नमाज़ी नमाज़ शुरु करने से पहले अपनी जगह और मुसल्ला वग़ैरह साफ़ कर ले तब नमाज़ पढ़े। अगर इत्तिफ़ाक़ से ज़रुरत पड़ ही जाये तो केवल एक बार ही इजाज़त है।

बाब {पहलू पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ना।}

947:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ के दौरान में पहलुवों पर हाथ रखने से मना फ़रमाया है। इमाम अबू दावूद ने फ़रमाया कि उस का माना हैं "अपने पहलू (यानी कोख) पर हाथ रखना"

फ़ाइदा:— यह हदीस बुख़ारी में भी है (1220) मुस्लिम (545) देखें इस किताब की हदीस न॰ 903

बाब {नमाज़ में लाठी का सहारा लेना।}

948:— हिलाल बिन यसाफ़ ने बयान किया कि मैं (शाम के अ़लाक़ा) रक़्क़ा में आया तो मेरे दोस्तों ने मुझ से कहा क्या तुम किसी सहाबी से मिलना चाहते हो? मैंने कहाः (क्यों नहीं) यह तो ग़नीमत है। चुनान्चे हम वाबसा रज़ि॰ के पास हाज़िर हुये तो मैंने अपने साथी से कहाः पहले हम उन का ज़ाहिरी रख रखाव देखते हैं। चुनान्चे हम ने जो देखा तो पाया कि आप के सर पर टोपी है जो सर से चिपकी हुयी है और कानों वाली है। और रेशम का मटियाले रन्ग का जुब्बा पहन कर नमाज़ पढ़ रहे थे और अपनी लाठी का सहारा लिये हुये थे। सलाम करनेके बाद हम ने (यह मस्अ़ला)

पूछा तो फ़रमायाः मुझ से उम्मे क़ैस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब बड़ी उम्र के हो गये और कुछ मोटे भी, तो आप के नमाज़ पढ़ने की जगह के पास एक सुतून था आप उस का सहारा लेते थे।

फ़ाइदा:— मजबूरी में नमाज़ में सहारा लेना जाइज़ है, और सहारा से खड़ा होना बैठ कर नमाज़ पढ़ने से अफ़्ज़ल है। बुज़ुर्गो की ज़ियारत और उन की सोहबत का माना खुशक़िस्मती है।

बाब {नमाज़ में बात–चीत करना मना है।}

949:— ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि॰ बयान करते हैं (इस्लाम के शुरु में) हमारा एक साथी नमाज़ के दौरान में अपने साथ वाले से बात कर लिया करता था, यहाँ तक कि "क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन" नाज़िल हुयी। चुनान्चे हमें ख़ामोशी का हुक्म दिया गया और बात–चीत से रोक दिया गया।

फ़ाइदा:— नमाज़ में हर प्रकार की बात–चीज हराम है।

बाब {जो शख़्स बैठ कर नमाज़ पढ़े।}

950:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अ़ास रज़ि॰ कहते हैं, मुझ से बयान किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आदमी का बैठ कर नमाज़ पढ़ना आधी नमाज़ है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ तो पाया कि आप बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैंने अपने सर पर हाथ रख लिया तो आप ने पूछाः क्या बात है? मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मुझे बताया गया है कि आप ने फ़रमाया है कि "आदमी का बैठ कर नमाज़ पढ़ना आधी नमाज़ है, और आप बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे हैं? आप ने फ़रमायाः हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ।

फ़ाइदा:— यानी यह आप की विशेषता थी कि नवाफ़िल बैठ कर पढ़ते तो पूरा सवाब पाते थे। यह आप के लिये ख़ास है।

951:— अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बैठ कर नमाज़ पढ़ने के बारे में सवाल किया तो आप ने फ़रमायाः खड़े होकर नमाज़ पढ़ना बैठ कर नमाज़ पढ़ने से अफ़्ज़ल है। और बैठ कर पढ़ने वाले की नमाज़ खड़े होकर पढ़ने वाले के मुक़ाबला में आधी होती है। और लेट कर पढ़ने वाले की नमाज़ बैठ कर पढ़ने वाले की निस्बत आधी होती है।

952:— अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मुझे नासूर था, तो इस के बारे में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मालूम किया तो आप ने फ़रमायाः नमाज़ खड़े होकर पढ़ो, अगर हिम्मत न हो तो बैठ कर। और अगर उस की भी ताक़त न हो तो पहलू के बल लेट कर।

953:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बुढ़ापा आने से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि रात की नमाज़ में आप ने बैठ

कर क़िरात की हो। मगर जब आप बूढ़े हो गये तो बैठ कर क़िरात किया करते थे, यहाँ तक कि जब तीस या चालीस आयतें बाक़ी रह जातीं तो उन्हें खड़े होकर पढ़ते, फिर सज्दा करते।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि नवाफ़िल में जाइज़ है कि नमाज़ी बैठ की इब्तिदा करे और क़िरात के दौरान में खड़ा होजाये। या खड़े होकर शुरु करे और दर्मियान में बैठ जाये।

954:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बैठ कर नमाज़ पढ़ते थे और उसी हालत में क़िरात करते रहते, और जब आप की क़िरात में से तीस या चालीस आयतें बाक़ी होतीं तो खड़े हो जाते और क़िरात करते, फिर रुकूअ़ और सज्दा करते। इस के बाद दूसरी रक्अ़त में भी इसी प्रकार करते।

955:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात का लंबा हिस्सा खड़े होकर नमाज़ पढ़ते और एक लंबा हिस्सा बैठ कर पढ़ते। और जब खड़े होकर पढ़ते तो रुकूअ़ भी खड़े होकर करते, और जब बैठ कर पढ़ते तो रुकूअ़ भी बैठ कर करते।

फ़ाइदा:— अफ़ज़ल यह है कि जब क़िरात खड़े होकर हो, तो रुकूअ़ भी खड़े होकर हो। और अगर क़िरात बैठ कर होतो रुकूअ़ भी बैठ कर हो। यह सूरत और ऊपर वाली सूरत यानी रक्अ़त का कुछ हिस्सा खड़े होकर और कुछ हिस्सा बैठ कर अदा किया जाये तो भी जाइज है।

956:— अ़ब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ बयान करते हैं कि मैंने आइशा रज़ि॰ से पूछाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक रक्अ़त में (एक से अधिक) सूरतें पढ़ा करते थे? उन्होंने कहाः हाँ, हिस्सा मुफ़स्सल से (सूरः क़ाफ़ से आख़िर कुरआन तक की सूरतों करे मुफ़स्सल कहा जाता है) मैंने पूछाः क्या आप बैठ कर नमाज़ पढ़ा करतेथे? उन्होंने कहाः हाँ, जब लोगों ने आप को थका दिया था।

फ़ाइदा:— एक रक्अ़त में कई सूरतें भी क़िरात कर सकते हैं।

बाब {तशह्हुद में बैठने की कैफ़ियत।}

957:— वाइल बिन हुज्र बयान करते हैं कि मैंने कहा कि मैं ज़रुर देखूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किस तरह नमाज़ पढ़ते हैं? उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खड़े हुये और क़िब्ला की तरफ़ मुँह किया, अल्लाहु अक्बर कहा और अपने दोनों हाथों को उठाया, यहाँ तक कि आप के कानों के बराबर आ गयें फिर आप ने अपने बायें हाथ को अपने दायें हाथ से पकड़ लिया। फिर जब रुकूअ़ का इरादा किया तो अपने दोनों हाथों को उसी तरह उठाया। उन्होंने बयान किया कि फिर आप बैठ गये और अपना बायाँ पाँव बिछा लिया और अपना बायाँ हाथ बायीं रान पर रख लिया और दायें हाथ की कोहनी के कनारे को अपनी दायीं रान पर रखा, और दो उंगलियों को बन्द कर के हल्क़ा बना लिया। मैंने आप को देखा कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस प्रकार करते थे.....बिश्र ने अन्गूठे और बीच की उंगली से हल्क़ा बनाया और शहादत की उंगली से इशारा कर के दिखाया।

958:— अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नमाज़ में सुन्नत यह है कि आप अपने दायें पाँव को खड़ा कर लें और बायें पाँव को बिछा कर बैठें।

959:— अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि तुम्हारा अपने बायें पाँव को बिछा लेना और दायें को खड़ा कर के बैठना नमाज़ की सुन्नतों में से है।

960:— उस्मान बिन अबू शैबा ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

961:— यहया बिन सअ़ीद कहते हैं कि क़ासिम बिन मुहम्मद ने उन को तशह्हुद में बैठने की कैफ़ियत दिखलाई और हदीस बयान की।

962:— इब्राहीम (बिन यज़ीद नख़ई कूफ़ा के आ़लिम) ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ में बैठते तो अपने बायें पाँव को बिछा लिया करते थे (और लगातार इस प्रकार करने से) उन के पाँव की पुश्त काली पड़ गयी थी।

बाब {चौथी रक्अ़त में तवर्रुक (सुरीन पर बैठने) का बयान।}

963:— अबू हमैद साअ़दी रज़ि॰ ने सहाबा की दस की टोली में बयान किया, उन में अबू क़तादा रज़ि॰ भी थे। अबू हुमैद ने कहाः मैं तुम में से सब से अधिक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ के बारे में जानता हूँ। उन्होंने कहा कि तो फिर बयान करोः तो उन्होंने हदीस बयान की और कहा कि सज्दे में अपने पाँव की उगँलियाँ (क़िब्ला रुख) मोड़ लेते। फिर अल्लाहु अक्बर कह कर अपना सर उठाते और अपना बायाँ पाँव टेढ़ा (मोड़) कर के उस पर बैठ जाते। फिर दूसरी रक्अ़त में ऐसे ही करते। और हदीस तफ़सील से बयान की और कहा कि जब उस रक्अ़त में होते जिस में सलाम होता है, तो अपने बायें पाँव को एक तरफ़ निकाल लेते और अपने बायें हिस्से पर बैठ जाते। अहमद ने इस क़दर इज़ाफ़ा किया कि उन सहाबा ने कहा कि उन्होंने सहीह और सच कहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऐसे ही नमाज़ पढ़ा करते थे।

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम हुआ कि बीच के तशह्हुद में और अन्तिम तशह्हुद में फ़र्क़ है। अन्तिम तशह्हुद में तवर्रुक सुन्नत है। और तवर्रुक केवल चार रक्अ़त वाली नमाज़ के अन्तिम तशह्हुद में है।

964:— मुहम्मद बिन अ़म्र बिन अ़ता बयान करते हैं कि वह चन्द सहाबा के साथ बैठे हुये थे...... ऊपर की तरह हदीस बयान की, लेकिन उन्होंने अबू क़तादा का ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब आप दो रक्अ़तों पर बैठते तो अपने बायें पाँव पर बैठते और जब अन्तिम रक्अ़त होती तो अपने बायें पाँव को एक तरफ़ निकाल देते और अपनी सुरीन पर बैठ जाते (जिसे तवर्रुक कहा जाता है)

965:— मुहम्मद बिन अ़म्र आ़मिरी बयान करते हैं कि मैं उस मज्लिस में मौजूद था (जिस में कि दस सहाबा बैठे हुये थे और अबू हुमैद रज़ि॰ ने उन को नमाज़ पढ़ कर दिखाई) उन्होंने उस में बयान किया कि जब आप दो रक्अ़तों के बाद बैठते, तो अपने बायें पाँव के तल्वे पर बैठते और दायें

को खड़ा कर लेते थे। और जब चौथी रक्अत होती तो अपनी बायें सुरीन को ज़मीन पर रख लेते और अपने दोनों पाँव को एक जानिब निकाल लेते।

966:— अ़ब्बास (या अ़याश) बिन सहल साअ़दी बयान करते हैं कि मैं भी उस मज्लिस मैं हाज़िर था जिस मैं पिता जी उपस्थिति थे। उस में बयान किया कि......पस सज्दा किया और जब उठे तो अपनी दोनों हथेलियों, घुटनों और अपने पाँव के पन्जों पर उठे, इस हाल में कि आप बैठे हुये थे। फिर आप ने तवर्रुक किया (यानी अपनी सुरीन पर बैठे) और दूसरे पाँव को खड़ा कर लिया, फिर तक्बीर कही और सज्दा किया, फिर तक्बीर कही और खड़े होगये और तवर्रुक न किया, और दूसरी रक्अ़त पढ़ी और उसी प्रकार तक्बीर कही, फिर बैठ गये दो रक्अ़तों के बाद। फिर जब खड़े होने का इरादा किया तो तक्बीर कह कर खड़े हो गये और फिर दूसरी दो रक्अ़तें पढ़ी, और जब सलाम किया तो अपने दायें और बायें तरफ़ सलाम किया।

967:— अ़ब्बास बिन सह्ल ने बयान किया कि अबू हुमैद, अबू उसैद, सहल बिन सअ़द और मुहम्मद बिन मसलमा इकट्ठे हुये.....और ऊपर की तरह हदीस बयान की, और उस में दो रक्अ़तों से उठ कर रफ़ा यदैन और बैठने का ज़िक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब आख़िर में पहुँचे तो बैठ गये, बायें पाँव को बिछा लिया और अपने दायें पाँव के नीचे को क़िब्ला की तरफ़ कर लिया।

बाब {तशह्हुद का बयान।}

968:— अ़ब्दुल्लह बिन मस्ऊद रज़ि॰ बयान करते हैं कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ में बैठा करते थे तो कहा करते थे: अस्सलामु अ-लल्लाहि क़ब्-ल इबादिही (अल्लाह पर उस के बन्दों से पहले सलाम हो) सलाम हो फ़लाँ पर, सलाम हो फ़लाँ पर। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह पर सलाम मत कहा करो, अल्लाह तो स्वँय सरापा सलाम है। लेकिन जब तुम में से कोई बैठे तो यूँ कहा करे: अत्तहिय्यातु लिल्लाहि.....इबादिल्ला हिस्सालिही-न। तुम लोग जब यह कहोगे तो तुम्हारी यह दुआ़ आसमान व ज़मीन और उन के दर्मियान सब नेक बन्दों के लिये होगी।

इस के बाद कहा करो: अश्-हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु.....। फिर जो चाहे दुआ़ करे जो उस के निकट ज़्यादा पसन्दीदा हो।

फ़ाइदा:— यह हदीस बुख़ारी (835) और मुस्लिम (402) में भी है।

969:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम नहीं जानते थे कि नमाज़ में जब बैठे तो क्या पढ़ें और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सिखाया गया था....फिर उन्होंने ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

970:— क़ासिम बिन मुख़ैमिरा कहते हैं कि अल्क़मा ने मेरा हाथ पकड़ा और बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ने मेरा हाथ पकड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद का हाथ पकड़ा और उन्हें नमाज़ में तशह्हुद के कलिमात की शिक्षा दी। और आमश की हदीस में बयान दुआ़ की तरह बयान किया और कहा: जब तुम यह कह लो, (या

यह फ़रमाया कि पूरा कर लो) तो तुम ने अपनी नमाज़ पूरी कर ली। अगर चाहो तो उठ जाओ और अगर चाहो तो बैठे रहो।

फ़ाइदाः— "जब तुम यह कह लो" से अन्त तक यह इब्ने मस्ऊद का अपना क़ौल है, हदीस नहीं है।

971:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से तशह्हुद के यह कलिमात बयान करते हैं: अत्तहिय्यातु.......व-ब-रकातुहू। इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि "ब-रकातुहू" का शब्द मेरी तरफ़ से इज़ाफ़ा है। इसी प्रकार "वह्-दहू ला शरी-क लहू" भी मेरी तरफ़ से इज़ाफ़ा है।

फ़ाइदाः— इब्ने उमर रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से तशह्हुद के यह कलिमात बयान करते हैं : अत्तहिय्यातु....व-ब-रकातुहू। इब्ने उमर ने बयान किया कि "ब-रकातुहू" का शब्द मेरी तरफ़ से इज़ाफ़ा है। इसी प्रकार "वह्-दहू ला शरी-क-लहू" भी मेरी तरफ़ से इज़ाफ़ा है।

फ़ाइदाः— इब्ने उमर रज़ि॰ ने जिन शब्दों को अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा कहा है, लेकिन सहीह बुख़ारी (831) सहीह मुसिलम (402) में साबित है कि यह शब्द नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस है।

972:— हित्तान बिन अ़ब्दुल्लाह रक़ाशी ने बयान किया कि अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ ने हमें नमाज़ पढ़ाई, नमाज़ के आख़िर में जब बैठे तो क़ौम में से एक व्यक्ति ने कहाः नमाज़ नेकी और पाकी के साथ बरक़रार की गयी। जब अबू मूसा नमाज़ से फिरे तो कहाः किस ने यह-यह शब्द कहे हैं? लोग ख़ामोश रहे तो उन्होंने दोबारा पूछाः यह शब्द किस ने कहे हैं? लोग फिर ख़ामोश रहे तो उन्होंने हित्तान सेकहाः ऐ हित्तान! शायद तुम ने यह कहे हैं? मैंने कहाः मैंने नहीं कहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि आप मुझे ही डाँट पिलायेंगे। इस पर एक व्यक्ति ने कहाः मैंने यह शब्द कहे हैं और भलाई ही के इरादे से कहा है। इस पर अबू मूसा ने फ़रमायाः क्या तुम नहीं जानते कि अपनी नमाज़ में तुम्हें क्या और कैसे कहना है? बिला शुब्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें ख़ुत्बा दिया और हमें शिक्षा दी और नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सिखाया। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अपनी सफ़ों को दुरुस्त बनाओ, फिर तुम में से कोई एक तुम्हारी जमाअ़त कराए, जब वह तक्बीर कहे तो तुम तक्बीर कहो और जब वह ग़ैरिल् मग़ज़ूबि ...... कहे तो तुम आमीन पुकारो, अल्लाह तुम से प्रेम करेगा। और जब इमाम तक्बीर कहे और रुकूअ़ करेतो तुम भी तक्बीर कहो और रुकूअ़ करो। इमाम तुम से पहले रुकूअ़ करेगा और तुम से पहले उठेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह उस के बदले में है। और जब वह समि-अ़ल्लाहु लि-मन् हमि-दह् कहे तो तुम कहोः "अल्लाहुम्म रब्बना ल-कल् हम्दु" अल्लाह तुम्हारी सुनेगा और कुबूल करेगा। बिला शुब्हा अल्लाह ने अपने नबी की ज़बान से कहलवाया है कि "अल्लाह सुनता है और कुबूल करता है उस की जो उस की प्रशंसा करे" और जब वह तक्बीर कह कर सज्दे में जाये तो तुम भी तक्बीर

कह कर सज्दे में चले जाओ। इमाम तुम से पहले सज्दा करता और तुम से पहले सर उठाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: "यह उस के बदले में है।" और जब क़ादा करे (तशह्हुद में बैठे) तो तुम्हारे शब्द यह होने चाहिये: अत्तहिय्यातु....ता....व-रसूलुहू। अहमद ने "वबरकातुहू" और "अशहदु" के शब्द बयान नहीं किये हैं, बल्कि "व-अन्न मु-हम्म-दन्" कहा है।

973:— अबू ग़ल्लाब ने हित्तान बिन अ़ब्दुल्लाह रक़ाशी से यह हदीस बयान की और इतना इज़ाफ़ा किया कि इमाम जब क़िरात करे तो ख़ामोश रहो....और तशह्हुद में "अश्-हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु" के बाद "वह्-दहू ला शरी-क लहू" का इज़ाफ़ा किया है।

974:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें तशह्हुद इतने एहतमाम से सिखाते थे जैसे कि क़ुरआन। और आप के अल्फ़ाज़ यह होते थे:

अत्तहिय्यातुल् मुबा-रकातु......रसूलुल्लाहि

फ़ाइदा:— यह तशह्हुद मुस्लिम शरीफ़ (403) में भी कुतैबा से मर्वी है।

975:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवायत है, अम्मा बाद! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि जब नमाज़ के बीच का क़ादा हो या आख़िरी होतो सलाम कहने से पहले (तशह्हुद से आरंभ करो और) कहा करो:

अत्तहिय्यातुत्तय्यिबातु वस्स-लवातु वल् मुल्क लिल्लाहि

बाब {तशह्हुद के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये सलाम (दरुद) का बयान।}

976:— कअ़ब बिन अ़ज्रा बयान करते हैं कि हम ने कहा, या दूसरे सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आप ने हमें हुक्म दिया है कि हम आप पर दरुद और सलाम भेजें। सलाम भेजना तो हम ने जान लिया है, तो कैसे दुरुद भेजें? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

अल्लाहुम्म सल्लि अ़ला मु-हम्मद

977:— इमाम शोबा ने भी हदीस बयान की और कहा: सल्लि अ़ला मु-हम्मदिन्......

978:— इमाम हकम ने भी रिवायत किया है और इस प्रकार बयान किया है:

अल्लाहुम्म सल्लि अ़ला मुहम्मदिन्

979:— अबू हुमैद साअ़दी रज़ि॰ ने बयान किया कि सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम आप पर सलाम (दरुद) कैसे पढ़ें? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कहा करो:

अल्लाहुम्म सल्लि अ़ला मुहम्मदिन् व-अज्वाजिही.....

980:— अबू मस्ऊद अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे यहाँ सअ़द बिन उबादा की मज्लिस में तशरीफ़ लाये तो बशीर बिन सअ़द ने आप से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है कि हम आप पर सलात पढ़ें तो यह किस

प्रकार पढ़ें? यह सुन कर आप ख़ामोश हो गये (और देर तक ख़ामोश रहे) तो हम लोगों ने चाहा कि काश यह सवाल ही न किया होता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यूँ कहा करो......फिर कअ़ब बिन अज्रा की रिवायत के मुताबिक़ बयान किया और उस के अन्त में "फ़िल आ़-लमी-न इन्न-क हमीदुम्मजीद" ज़्यादा किया।

981:— मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने उक़्बा बिन अ़म्र रज़ि॰ से यह हदीस नक़ल की कि कहा करो अल्लाहुम्म सल्लि अ़ला मु-हम्मदिन

982:— अबू हुरैरा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमायाः जिस का जी चाहता है कि उसे उस की मीज़ान खूब भारी हुयी मिले तो उसे चाहिये कि जब हम अहले बैत पर सलाम (दरुद) पढ़े तो यूँ कहा करें:

अल्लाहुम्म सल्लि अ़ला मु-हम्मदिन्

बाब {तशह्हुद के बाद क्या पढ़ें?}

983:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई अन्तिम तशह्हुद से फ़ारिग़ हो जाये तो उसे चाहिये कि अल्लाह से चार चीज़ों की पनाह माँगे। यानी जहन्नम के अ़ज़ाब से, क़ब्र के अ़ज़ाब से, ज़िन्दगी और मौत के फ़ितने से, मसीह दज्जाल की बुराई से।

984:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशह्हुद के बाद यह दुआ़ करते थेः

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मिन् अ़ज़ाबि ज-हन्न-म व-अऊज़ुबि-क मिन् अ़ज़ाबिल् क़ब्रि व-अऊज़ुबि-क मिन् फ़ित्-नतिद् दज्जालि व-अऊज़ुबि-क मिन् फ़ित्-नतिल मह्या वल्-ममाति

985:— मेहजन बिन अदरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाये तो एक शख़्स को देखा जिस ने अपनी नमाज़ मुकम्मल कर ली थी और वह तशह्हुद पढ़ रहा था और कह रहा थाः

अल्लाहुम्म इन्नी अस-अलु-क या अल्लाहुल् अ-हदुस्स-मदुल्लज़ी लम् यलिद् वलम यू-लद् व-लम् यकुल्लहू कुफ़ु-वन् अ-हदुन् अन् तग़्फ़िर् ली ज़ुनूबी, इन्न-क अन्-तल् ग़फ़ूर्रुरहीमु

आप ने यह दुआ़ सुन कर फ़रमायाः उसे बख़्श दिया गया, उसे बख़्श दिया गया, तीन मर्तबा फ़रमाया।

बाब {तशह्हुद ख़ामोशी से पढ़ना।}

986:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने कहा कि सुन्नत यह है कि तशह्हुद को ख़ामोशी से पढ़ा जाये।

बाब {तशह्हुद में (उंगली से) इशारा करना।}

987:— अ़ली बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने मुझे देखा कि मैं नमाज़ के दौरान कंकरियों से खेल रहा था। जब वह फ़ारिग़ हुये तो उन्होंने मुझे ऐसा करने से मना फ़रमाया और फ़रमायाः इस प्रकार किया करो जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किया करते थे। मैंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कैसे किया करते थे? उन्होंने फ़रमायाः जब आप नमाज़ में बैठते तो अपने हाथ को अपनी दायीं रान पर रख लेते, और सारी उंगलियाँ बन्द कर लेते और अंगूठे के साथ वाली (शहादत की) उँगली से इशारा करते और अपने बायें हाथ को अपनी बायीं रान पर रखते थे।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि तशह्हुद में बैठते ही यह कैफ़ियत होती कि दायें हाथ की मुट्ठी सी बना लेते थे, और इशारा करते थे। यानी शहादत की उंगली को उठाए रखते थे। ताहम बार-बार हर्कत देने की ज़रुरत नहीं है जैसे कि आगे रहा है।

988:— अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ में बैठा करते तो अपने बायें पाँव को अपनी दायीं रान और पिंडली के नीचे कर लेते और अपने दायें पाँव को बिछा लेते, और बायाँ हाथ अपने बायें घुटने पर और दायाँ हाथ दायीं रान पर रखते और अपनी उँगली से इशारा करते। और अ़ब्दुल वाहिद ने हम को दिखाया और शहादत की उंगली से इशारा किया।

989:— अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब दुआ करते तो अपनी उंगली से इशारा करते और उसे हर्कत न देते थे।

इब्ने जुरैज ने कहा कि अ़म्र बिन दीनार ने यह भी कहा कि मुझे आ़मिर ने अपने पिता जी के हवाले से बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा था कि आप इस प्रकार इशारा किया करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपना बायाँ हाथ अपनी बायीं रान पर रखा करते थे।

फ़ाइदा:— हर्कत न देने वाली हदीस ज़ओ़फ़ है। लेकिन कुछ उलमा ने उसे सहीह कहते हुये इशारा करनेऔर हर्कत न देने के दर्मियान यह ततबीक़ दी है कि इशारा किया जाये मगर हर्कत में तकरार न हो।

990:— आ़मिर बिन अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर ने अपने पिता के हवाले से यह हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नज़र आप के इशारे से आगे न बढ़ती थी। और हज्जाज की हदीस इस से अधिक कामिल है।

फ़ाइदा:— नमाज़ में आ़म तौर पर नज़र सज्दा के स्थान पर होनी चाहिये, मगर तशह्हुद में उन्गली पर हो। सहाबा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की एक-एक हर्कत पर नज़र रखते थे।

991:— मालिक बिन नुमैर को देखा कि आप अपने दाहिने दस्ते को अपनी दाहिनी रान पर रखे हुये थे, शहादत की उंगली उठाए हुये थे और उसे कुछ टेढ़ा सा भी किये हुये थे।

फ़ाइदा:— इमाम अल्बानी रह॰ ने इसे ज़ओफ़ कहा है, इसलिये इस हदीस पर अमल नहीं होगा और उंगली टेढ़ी नहीं की जायेगी।

बाब {नमाज़ में हाथ का सहारा लेने की कराहत।}

992:— अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है। इमाम अहमद बिन हंबल रह॰ के शब्द यह हैं कि आदमी नमाज़ में इस हाल में बैठे कि वह अपने हाथ का सहारा लिये हुये हो (इस से मना फ़रमाया है) इब्ने शब्बूया ने कहा कि इस बात से मना फ़रमाया है कि आदमी नमाज़ में अपने हाथ का सहारा ले। इब्ने राफ़े ने कहा कि इस से मना फ़रमाया कि आदमी नमाज़ पढ़े और अपने हाथ का सहारा ले। और इस हदीस को सज्दों से उठने के बाब में ज़िक्र किया है। इब्ने अब्दुल मलिक ने कहा कि इस बात से मना फ़रमाया कि आदमी जब नमाज़ में उठने लगे तो अपने हाथों का सहारा ले।

फ़ाइदा:— इब्ने राफ़े का कहना है कि खड़े होने के लिये सहारा लेना मना है, दुरुस्त नहीं। क्योंकि बुख़ारी शरीफ़ (824) में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरे सज्दे से सर उठाते तो बैठते, ज़मीन का सहारा लेते और फिर खड़े होते।

993:— इस्माईल बिन उमय्या ने बयान किया कि मैंने नाफ़े से पूछा कि अगर कोई आदमी नमाज़ के दौरान में तश्बीक किये हुये हो तो? (यानी दोनों हाथों की उंगलियाँ एक दूसरे में दिये हुये हो?) उन्होंने कहाः इब्ने उमर फ़रमाते हैं कि जिन पर ग़ज़ब नाज़िल हुआ (यानी यहूदियों) की नमाज़ है।

994:— अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने एक व्यक्ति को देखा कि वह नमाज़ में बैठे हुये अपने बायें हाथ का सहारा लिये हुये था (यानी ज़मीन पर रखे हुये था) हारुन बिन यज़ीद ने कहा कि वह अपनी बायीं ओर पर गिरा हुआ था........फिर दोनों (रावी) इन शब्दों में मुत्तफ़िक़ हैं.....तो इब्ने उमर रज़ि॰ ने कहाः ऐसे मत बैठो, इस प्रकार वह लोग बैठते हैं जिन्हें दन्ड दिया जायेगा।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि अगर कोई बैठ नहीं सकता तो लेट कर नमाज़ पढ़े, लेकिन अपने पहलू पर न गिरे।

बाब {बीच वाली तशहहुद को मुख़्तसर रखना।}

995:— अबू उबैदा अपने पिता से रिवायत करते हैं और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करते हैं कि आप पहली दो रक्अतों के बाद (जब बैठते तो) ऐसे होते गोया गर्म पत्थर पर बैठे हों। हम ने कहाः यहाँ तक कि खड़े हो जाते? उन्होंने कहाः यहाँ तक कि खड़े हो जाते।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि दो रक्अतों के बाद सिर्फ़ तशहहुद पढ़ना काफ़ी है। ताहम पहले तशहहुद में भी दरुद शरीफ़ का पढ़ना मुस्तहब है।

बाब **{(अन्त में) सलाम फेरने के अहकाम व मसाइल।}**

996:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (नमाज़ के आख़िर में) अपनी दायें और बायें तरफ़ सलाम किया करते थे, यहाँ तक कि आप के गालों की सफ़ेदी देखी जाती थी (और सलाम फेरते समय कहते थे) अस्सलामु अ़लैकुम व-रहु-मतुल्लाहि

997:— अल्क़मा बिन वाइल अपने पिता जी से रिवायत करते हैं कि मैने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। आप अपने दाहिने तरफ़ सलाम फेरते तो अस्सलामु अ़लैकुम वरह्मतुल्लाहि व-ब-रकातुहू कहते और अपने बायें तरफ़ अस्सलामु अ़लैकुम् व-रह्-मतुल्लाहि कहते।

फ़ाइदा:— अबू दावूद के बाज़ नुस्ख़ों में और बुलूगुल् मराम पुस्तक में भी दोनों तरफ़ व-ब-रकातुहू कहना साबित है।

998:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते तो सलाम कहते हुये अपने हाथ से दायें और बायें इशारा करते थे। जब आप ने नमाज़ पढ़ ली तो फ़रमायाः तुम्हें क्या हुआ है कि अपने हाथों से यूँ इशारे करते हो गोया सरकश (शरीर, अड़ियल) घोड़ों की दुम हों। तुम्हारे लिये बस इतना ही काफ़ी है। (या यह फ़रमाया कि) क्या तुम्हारे लिये यह काफ़ी नहीं है कि यूँ करो, फिर अपनी उंगली से इशारा किया। अपनेभाई पर दायें और बायें तरफ़ सलाम कहे।

999:— इमाम मिस्अ़र ने भी ऊपर की हदीस और माना (अर्थ) के मुताबिक़ रिवायत किया, उस में कहाः क्या तुम्हें......या फ़रमाया.....उन्हें यह काफ़ी नहीं कि अपना हाथ अपनी रान पर रखें और अपने भाई पर सलाम कहें जो उस की दायें और बायें तरफ़ है।

1000:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाये और लोग अपने हाथ उठाये हुये थे। जुहैर ने कहा.....मेरा ख़याल है कि शैख़ ने कहा था कि नमाज़ में....तो आप ने फ़रमायाः मुझे क्या हुआ है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अपने हाथ उठाते हो जैसे अड़ियल घोड़ों की दुम हों। नमाज़ में सुकून इख़्तियार करो।

फ़ाइदा:— ऊपर की हदीस सहीह मुस्लिम (430) नसई (1327) में भी आयी है। इमाम अबू दावूद, इमाम मुस्लिम और इमाम नववी उसे सलाम के बाब में लाये हैं। इसलिये हनफ़ी लोगों का यह कहना है कि इस हदीस में रुकूअ़ के रफ़ा यदैन का इन्कार है, दुरुस्त नहीं है। अगर रुकूअ़ के बाद रफ़ा यदैन करना मना है, तो फिर तक्बीर तहरीमा के समय रफ़ा यदैन, तीसरी रक्अ़त के लिये खड़े होते समय रफ़ा यदैन और ईदैन की तक्बीरों में रफ़ा यदैन, भी मना होना चाहिये। क्योंकि हदीस में किसी भी रफ़ा यदैन का इस्तिस्ना नहीं है।

बाब **{इमाम को सलाम का जवाब देना।}**

1001:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि इमाम को (उस के सलाम का) जवाब दें, और यह कि आपस में मुहब्बत रखें और एक-दूसरे को सलाम किया करें।

फ़ाइदा:— "इमाम को सलाम का जवाब दें" का यह अर्थ है कि मुक़्तदी सलाम फेरते समय इमाम को सलाम का जवाब देने की निय्यत करें। लेकिन यह रिवायत ज़ओ़फ़ है।

बाब {नमाज़ के बाद (बुलन्द आवाज़ से) तक्बीर कहना।}

1002:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ का ख़त्म होना तक्बीर (अल्लाहु अक्बर कहने की आवाज़) से जाना जाता था।

1003:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में लोग जब फ़र्ज़ नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो ज़िक्र करते हुये अपनी आवाज़ें बुलन्द किया करते थे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मुझे उन का नमाज़ से फ़ारिग़ होना उसी से मालूम होता था, और मैं उन का ज़िक्र सुनता था।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि सलाम फेरने के बाद कुछ ऊँची आवाज़ से दुआयें पढ़नी चाहिये, लेकिन आवाज़ इतनी ऊँची भी न हो जिस से लोगों को तक्लीफ़ पहुँचे।

बाब {सलाम को लंबा किये बग़ैर कहना।}

1004:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: सलाम को लंबा किये बग़ैर कहना सुन्नत है। (इस हदीस की सनद ज़ओ़फ़ है)

बाब {जब नमाज़ के दौरान में बेवुज़ू हो जाये तो नमाज़ दोहराये।}

1005:— अ़ली बिन तल्क़ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई नमाज़ में फुस्ली मारे (हवा ख़ारिज करे) तो चाहिये कि नमाज़ तोड़ दे और वुज़ू करे और अपनी नमाज़ दोहराए।

फ़ाइदा:— अगर नमाज़ के अन्दर टूट जाये तो दोबारा वुज़ू कर के नमाज़ वहीं से दोहराए जहाँ सेव ुज़ू टूटा था। नये सिरे से नमाज़ दोबारा नहीं पढ़ी जायेगी। हाँ, अगर बात-चीत कर ली है तो नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी।

बाब {जिस जगह आदमी ने फ़र्ज़ पढ़े हो, उसी स्थान पर नफ़्ल अ़दा करना कैसा है?}

1006:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: क्या तुम इस बात से आ़जिज़ हो (फ़र्ज़ों के बाद) कि आगे-पीछे, या दायें-बायें हो जाओ, यानी नफ़्ल पढ़ने के लिये।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जहाँ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी है, वहीं नफ़्ल न पढ़े, बल्कि स्थान बदल दे।

1007:— अज़रक़ बिन क़ैस कहते हैं कि हमें हमारे इमाम ने जिन का नाम अबू रस्मा था, नमाज़

पढ़ाई। उन्होंने कहा कि मैंने यह नमाज़, या इसी तरह की कोई और नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ पढ़ी, और अबू बक्र और उमर रज़ि॰ अव्वल सफ़ में आप के दायें तरफ़ खड़े थे। वहाँ एक और आदमी भी था जो पहली तक्बीर में पहुँचा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, फिर अपने दायें-बायें तरफ़ सलाम फेरा यहाँ तक कि हम ने आप के गालों की सफ़ेदी देखी, फिर वहाँ से फिरे जैसे कि मैं फिरा हूँ। तो वह आदमी जो पहली तक्बीर में शामिल हुआ था, नफ़्ल पढ़ने के लिये उठ खड़ा हुआ। उमर रज़ि॰ जल्दी से उस की तरफ़ बढ़े और उसे कन्धे से पकड़ कर झँझोड़ा और कहा: बैठ जाओ, अहले किताब की तबाही का कारण यही था कि उन की नमाज़ों में कोई फ़र्क़ व फ़ासला न होता था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन की तरफ़ अपनी नज़र उठाई और फ़रमाया: ऐ ख़त्ताब के बेटे! अल्लाह ने तुम्हें सहीह बात कहने की तौफ़ीक़ दी है।

फ़ाइदा:— सहीह मुस्लिम (८८३) में भी है कि "जब तुम जुमा की नमाज़ पढ़ो तो उसे दूसरी नमाज़ के साथ मत मिलाओ, यहाँ तक कि कोई बात कर लो, या वहाँ से हट जाओ।

बाब {सहव के सज्दे का बयान।}

1008:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम को पिछले पहर की एक नमाज़ पढ़ाई, ज़ोहर या अ़स्र की नमाज़। आप ने हमें दो रक्अ़त पढ़ा कर सलाम फेर दिया। फिर आप मस्जिद के सामने एक लकड़ी के पास जा खड़े हुये और अपने दोनों हाथ उस पर रख लिये। आप का एक हाथ दूसरे के ऊपर था और आप के चेहरे पर नाराज़ी ज़ाहिर थी। फिर जल्द बाज़ लोग (मस्जिद से) निकल आये और वह कह रहे थे: नमाज़ कम कर दी गयी, नमाज़ कम कर दी गयी। लोगों में अबू बक्र और उमर रज़ि॰ भी थे, मगर हैबत और डर की वजह से आप से बात न कर रहे थे। इतने में एक सहाबी खड़े हुये, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन्हें जुल् यदैन (हाथों वाला) कहा करते थे। वह कहने लगे: एक अल्लाह के सन्देष्टा! क्या आप भूल गये हैं या नमाज़ कम कर दी गयी है? आप ने फ़रमाया: न तो मैं भूला हूँ और न ही नमाज़ कम की गयी है। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप भूल गये हैं। यह सुन कर आप लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुये और पूछा: क्या जुल् यदैन ठीक कह रहे हैं? लोगों ने कहा: हाँ, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी जगह तशरीफ़ लाये और बाक़ी दो रक्अ़तें पढ़ाईं, फिर सलाम फेरा। फिर आप ने तक्बीर कही और सज्दा किया, अपने सज्दे की तरह या उस से थोड़ा सा लंबा। फिर सर उठाया और तक्बीर कही और (दूसरा) सज्दा किया अपने पहले सज्दे की तरह या उस से कुछ लंबा। फिर आप ने सर उठाया और तक्बीर कही। मुहम्मद बिन सीरिन से कहा गया कि क्या आप ने सहव के सज्दों के बाद सलाम फेरा था? उन्होंने कहा: मुझे अबू हुरैरा रज़ि॰ से यह याद नहीं रहा। मगर मुझे बताया गया कि अिम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर आप ने सलाम फेरा।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को चन्द एक मौक़ा पर भूल हुयी है ताकि उम्मत के लिये शरीअ़त के उसूल स्पष्ट हो सकें। जुल् यदैन का नाम "ख़िरबाक़" था। सहव में दो

सज्दे करने होंगे। उस की तक्बीर भी है और सलाम भी। भूल कर बातचीत कर लेने से नमाज़ बातिल नहीं होती, ऐसी सूरत में जहाँ से भूल हुयी है वहीं से नमाज़ पूरी की जायेगी, नये तौर पर नहीं पढ़ी जायेगी।

1009:— मुहम्मद बिन सीरीन ने अबू हुरैरा रज़ि॰ से बयान किया (और हम्माद की रिवायत ज़्यादा कामिल है) कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। और यह नहीं कहा कि लोगों ने इशारा किया, बल्कि कहा कि "लोगों ने कहाः हाँ (आप भूल गये हैं) फिर बयान किया कि आप ने सर उठाया, मगर तक्बीर का ज़िक्र नहीं किया। फिर तक्बीर कही और सज्दा किया अपने पहले सज्दे की तरह, या उस से कुछ लंबा, फिर सर उठाया (यानी यहाँ भी तक्बीर का ज़िक्र नहीं) और यहाँ तक उन की रिवायत पूरी हो गयी है। और इस के बाद आख़िर तक के अल्फ़ाज़ भी बयान नहीं किये। और "लोगों ने इशारा किया" के शब्द हम्माद बिन ज़ैद के अलावा और किसी ने ज़िक्र नहीं किया।

फ़ाइदा:— कुछ लोगों ने इशारा का ज़िक्र किया है। यानी आप ने जब पूछा कि क्या जुल्यदैन सच कह रहे हैं? तो कुछ ने इशारा से उत्तर दिया और कुछ ने ज़बान से कि हाँ आप भूल गये हैं।

1010:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ाई.....आख़िर तक हम्माद की रिवायत की तरह कि मुझे बताया गया कि अ़िम्रान बिन हुसैन ने कहा कि फिर आप ने सलाम फेरा। सलामा ने कहा कि मैंने पूछा....और तशहहुद? उन्होंने कहाः इस केबारे में मैंने कुछ नहीं सुना, मगर मुझे तशहहुद पढ़ना ज़्यादा पसन्द है। सलमा ने यह भी ज़िक्र नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन्हें जुल्सदैन कहा करते थे, और न लोगों के इशारे और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नाराज़ी का ज़िक्र किया। हम्माद की हदीस ज़्यादा कामिल है।

1011:— अबू हुरैरा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से जुल यदैन के क़िस्से में बयान करते हैं कि आप ने तक्बीर कही और सज्दा किया। हिशाम बिन हस्सान ने रिवायत किया कि आप ने तक्बीर कही (यानी तक्बीर तहरीमा) फिर अल्लाहु अक्बर कहा और सज्दा किया।

फ़ाइदा:— अगर सलाम के बाद सहव के सज्दे करे तो सज्दे में जाने के लिये एक ही तक्बीर काफ़ी है, पहले तक्बीर तहरीमा की ज़रुरत नहीं है। इस रिवायत में पहली तक्बीर (तहरीमा) का ज़िक्र शाज़ है, इस पर अ़मल नहीं होगा।

1012:— सअ़ीद बिन मुसय्यिब, अबू सलाम और उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह (तीनों) अबू हुरैरा रज़ि॰ से यह क़िस्सा बयान करते हैं, उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सहव के सज्दे नहीं किये यहाँ तक कि अल्लाह ने आप को उस का सक़ीन दिला दिया।

1013:— इब्ने शिहाब से रिवायत है कि अबू बक्र बिन सुलैमान अबू हस्मा (ताबअ़ी) ने उन से बयान किया कि उन को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यह ख़बर पहुँची है। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने शक की बिना पर किये जाने वाले सज्दे उस वक़्त

तक नहीं किये जब तक कि लोगों ने मिल कर नहीं बताया।

1014:— अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान, अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई तो आप ने दो रक्अ़तों पर सलाम फेर दिया। आप से कहा गयाः क्या नमाज़ कम हो गयी है? तब आप ने दो रक्अ़तें (और) पढ़ी, फिर दो सज्दे किये।

1015:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक फ़र्ज़ नमाज़ में दो रक्अ़तों पर सलाम फेर दिया तो एक शख़्स ने आप से कहाः क्या नमाज़ कम हो गयी है ऐ अल्लाह के रसूल! या आप भूल गये हैं? आप ने फ़रमायाः इन में से कुछ भी नहीं हुआ। इस पर लोगों ने कहाः आप ने ऐसा किया है ऐ अल्लाह के रसूल। तब आप ने दो रक्अ़तें मज़ीद पढ़ायीं, फिर आप पलटे और सह्व के दो सज्दे नहीं किये।

फ़ाइदा:— "सहव के दो सज्दे नहीं किये" यह सहीह नहीं है, बाक़ी हदीस सहीह है।

1016:— ज़मज़म बिन जौस हिफ़्फ़ानी ने अबू हुरैरा रज़ि॰ से यह ख़बर बयान की और कहा कि फिर आप ने सलाम के बाद सह्व के दो सज्दे किये।

1017:— इब्ने उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ाई तो दो रक्अ़तों पर सलाम फेर दिया फिर आगे इब्ने सीरीन की हदीस की तरह पूरी हदीस बयान की जैसा कि अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है, और कहा कि फिर आप ने सलाम फेरा और सह्व के दो सज्दे किये।

1018:— अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़स्र की नमाज़ में तीन रक्अ़त पर सलाम फेर दिया। फिर आप अपने हुजरों में तशरीफ़ ले गये, तो एक सहाबी जिन का नाम ख़िरबाक़ था आप के पास गये (और यह लंबे हाथ वाले थे) वह कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ कम कर दी गयी है? यह सुन कर आप मारे गुस्सा के चादर घसीटते हुये तशरीफ़ लाये और पूछाः क्या यह सच कहते हैं? लोगों ने कहाः हाँ, तब आप ने वह रक्अ़त पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, फिर दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा।

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज़ में भूल जाने की कई घटनायें घटी हैं। यह भी मालूम हुआ कि छूटी हुयी रक्अ़त या रक्अ़तें पढ़ानी होंगी तो उस के लिये तक्बीर तहरीमा भी कहेंगे। (देखें मुस्लिम-574)

बाब {जब पाँच रक्अ़तें पढ़ी जायें?}

1019:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ बयान करते हैं कि (एक बार) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई तो पाँच रक्अ़त पढ़ाई। आप से कहा गया कि क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया है? तो आप ने फ़रमायाः क्या हुआ? कहने लगे कि आप ने पाँच रक्अ़तें पढ़ाई हैं, तब आप ने दो सज्दे किये, जबकि आप सलाम फेर चुके थे।

फ़ाइदा:— हनफ़ी उलमा का यह फ़तवा है कि सह्व की सभी सूरतों में सज्दे, सलाम के बाद हों, जबकि इमाम बुख़ारी रह० का ख़याल है कि रक्अ़त में कमी की सूरत में सलाम से पहले और इज़ाफ़ा की सूरत में सलाम के बाद सज्दे किये जायें।

1020:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि० ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई ...... इब्राहीम ने कहा कि मालूम नहीं उस में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कमी कर दी या ज़्यादती..... जब सलाम फेरा तो आप से कहा गया: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! क्या नमाज़ के बारे में कोई नया हुक्म उतरा है? आप ने फ़रमाया: क्या हुआ? कहने लगे: आप ने इस-इस प्रकार नमाज़ पढ़ाई है। तो आप ने अपना पाँव मोड़ा, क़िब्ला की तरफ़ मुँह किया और उन्हें दो सज्दे कराए, फिर सलाम फेरा। जब सलाम फेर कर मुड़े तो हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुये और फ़रमाया: बिला शुब्हा अगर नमाज़ के बारे में कोई नया हुक्म आता तो मैं बतला देता, लेकिन मैं भी इन्सान ही हूँ, वैसे ही भूलता हूँ जैसे तुम भूलते हो। जब मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद करा दिया करो, और फ़रमाया: जब किसी को नमाज़ में शक हो जाये तो चाहिये कि ग़ौर करे कि ठीक क्या है, फिर उसी पर नमाज़ को मुकम्मल करे, फिर सलाम फेरे, फिर दो सज्दे करे।

फ़ाइदा:— नमाज़ी को अपना वहम दूर करने के लिए सोचना चाहिये और फिर जिस पर जी जम जाये उसी पर अ़मल करना चाहिये। ग़लती फ़र्ज़ में हो या नफ़्ल में, सह्व के सज्दे से कमी को दूर करना चाहिये।

1021:— अ़ल्क़मा ने अ़ब्दुल्लाह रज़ि० से यही हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई भूल जाये तो दो सज्दे करे, फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुड़े और दो सज्दे किये।

1022:— अ़ल्क़मा से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि इब्ने मस्ऊद रज़ि० ने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें पाँच रक्अ़तें पढ़ा दीं। जब आप (सलाम फेर कर) मुड़े तो लोग आपस में चुपके-चुपके बातें करने लगे, तो आप ने पूछा: क्या मामला है? कहने लगे: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा किया गया है? आप ने फ़रमाया: नहीं तो। उन्होंने कहा: आप ने पाँच रक्अ़तें पढ़ा दी हैं। यह सुन कर आप मुड़े और दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा और फ़रमाया: बिला शुब्हा मैं इन्सान ही हूँ, भूल जाता हूँ जैसे तुम भूल जाते हो।

1023:— सुवैद बिन क़ैस, मुआ़विया बिन हुदैज से बयान करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और सलाम फेर दिया, हालाँकि अभी एक रक्अ़त बाक़ी थी। फिर एक नमाज़ी आप से मिला और कहा कि आप नमाज़ में एक रक्अ़त भूल गये हैं। तो आप वापस तशरीफ़ लाये और मस्जिद में दाख़िल हुये, फिर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने इक़ामत कही और आप ने लोगों को एक रक्अ़त पढ़ाई। मैंने लोगों को (बाद में) इस बारे में ख़बर दी तो उन्होंने मुझ से कहा: क्या तुम उस आदमी को जानते हो? मैंने कहा: नहीं, लेकिन अगर देख लूँगा तो पहचान लूँगा। चुनान्चे वह मेरे पास से गुज़रा तो मैंने कहा: यही वह शख़्स है, तो उन्होंने

बताया कि यही तल्हा बिन उबैदुल्लाह हैं।

फ़ाइदा:— जब लोग सलाम के बाद सफ़ से आगे-पीछे हो जायें और बाद में **भूल** जाने का ज्ञान हो तो नमाज़ और सफ़बन्दी के लिये तक्बीर कही जाये।

बाब {जब दो या तीन रक्अ़ात में शक हो तो शक को छोड़ दे।}

1024:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से किसी को अपनी नमाज़ में शक हो जाये तो चाहिये कि शक को दूर करे और यक़ीन को बुनियाद बनाये। जब यक़ीन पर नमाज़ मुकम्मल कर ले तो दो सज्दे करे। अगर उस की नमाज़ (दरअ़सल) पूरी हुयी तो उस की ज़ायद रक्अ़त और दोनों सज्दे नफ़्ल होंगे। और अगर कम हुयी तो यह रक्अ़त उस की नमाज़ की तक्मील होगी, और दो सज्दे शैतान की ज़िल्लत का सबब होंगे।

फ़ाइदा:— "शक को दूर कर के यक़ीन को बुनियाद बनाये" इस काअर्थ यह है कि दो या तीन में शुब्हा हो तो दो रक्अ़त यक़ीनी है। तीन या चार में शुब्हा हो तो तीन यक़ीनी है। इसलिये पहली सूरत में दो रक्अ़त मान कर और दूसरी सूरत में तीन रक्अ़त मान कर बाक़ी नमाज़ पूरी करे।

1025:— अ़िक्रमा, इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भूल के दो सज्दों को शैतान के लिये ज़िल्लत का कारण बयान फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— शैतान की रुस्वाई इस प्रकार हुई कि दो सज्दे कर के भूल-चूक में कमी को पूरा कर लिया और शैतान की चाल नहीं चली।

1026:— अ़ता बिन यसार (ताबअ़ी) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से किसी को अपनी नमाज़ में शक हो जाये और मालूम न रहे कि कितनी रक्अ़त पढ़ी है, तीन या चार? तो उसे चाहिये कि एक रक्अ़त पढ़े और दो सज्दे करें जबकि वह बैठा हुआ हो सलाम से पहले। अगर उस की यह रक्अ़त पाँचवी हुयी तो उन सज्दों के साथ मिल कर दोगुना हो जायेगी। और अगर चौथी ही हुयी तो यह सज्दे शैतान की रुस्वाई का सबब होंगे।

1027:— ज़ैद बिन अस्लम ने मालिक की ऊपर की सनद से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से किसी को अपनी नमाज़ में शक हो, तो अगर उसे यक़ीन हो कि उस ने तीन रक्अ़त पढ़ी हैं, तो चाहिये कि खड़ा हो और एक रक्अ़त सज्दों समेत पूरी करे, फिर बैठ जाये और तशह्हुद पढ़े। जब फ़ारिग़ हो जाये और सिर्फ़ सलाम कहना बाक़ी हो तो चाहिये कि दो सज्दे करे, फिर सलाम कहे...फिर मालिक की (ऊपर की) हदीस की तरह बयान किया।

बाब {उन लोगों के दलाइल जो कहते हैं कि यक़ीन पर बिना करे।}

1028:— अबू उबैदा बिन अ़ब्दुल्लारह अपने वालिद से और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप ने फ़रमायाः जब तुम नमाज़ में हो और तीन या चार रक्अ़त

में शक हो जाये और तुम्हें शुब्हा चार पर हो तो तशह्हुद पढ़ो, फिर दो सज्दे करो जबकि तुम बैठे हुये हो सलाम से पहले। फिर तशह्हुद पढ़ो, फिर सलाम फेरो।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़अ़ीफ़ है, इसलिये शुब्हा के बजाए यक़ीन ही की बुनियाद पर नमाज़ की तकमील की जायेगी, जैसा कि ऊपर की हदीस से स्पष्ट है। और सह्व के दो सज्दों के बाद तशह्हुद पढ़ने की भी ज़रुरत नहीं है।

1029:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े और उसे मालूम न रहे कि ज़्यादा पढ़ी है या कम, तो उसे चाहिये कि जब वह बैठा हुआ हो तो दो सज्दे कर ले। और जब शैतान उस के पास आये और कहे कि तू बेवज़ू हो गया है तो उसे चाहिये कि तूने झूठ कहा है, मगर यह कि नाक से बदबू महसूस करे, या कान से आवाज़ सुने। और यह शब्द इबान की रिवायत के हैं।

1030:— अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ने के लिये खड़ा होता है तो शैतान उस के पास आता है और उसे गडमड कर देता है, यहाँ तक कि उसे मालूम नहीं रहता कि किस क़दर नमाज़ पढ़ी है। इसलिये तुम में से जब कोई शक महसूस करे तो बैठे-बैठे दो सज्दे कर ले।

फ़ाइदा:— देखें बुख़ारी-1232, मुस्लिम-389। जो लोग शक शुब्हे के मरीज़ हैं, वह अपने यक़ीन की बुनियाद पर नमाज़ मुकम्मल कर लें और दो सज्दे कर लिया करें।

1031:— इमाम जुहरी के भतीजे (मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह) से रिवायत है कि मुहम्मद बिन मुस्लिम (यानी जुहरी) ने अपनी सनद से यह हदीस बयान की और कहा कि "जबकि वह बैठा हुआ हो, सलाम से पहले (सज्दे करे)

1032:— इब्ने इस्हाक़ से रिवायत है कि मुहम्मद बिन मुस्लिम जुहरी ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की और कहा कि "सलाम से पहले दो सज्दे करे, फिर सलाम फेरे।"

बाब {उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि सलाम के बाद सज्दा करे।}

1033:— अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसे अपनी नमाज़ में शक हो उसे चाहिये कि सलाम के बाद दो सज्दे करे।

फ़ाइदा:— यानी अपनी रक्अ़तें पूरी कर के, आख़िर में दो सज्दे कर ले। इस से मालूम हुआ कि सलाम फेरने के बाद भी दो सज्दे किये जा सकते हैं। लेकिन यह हदीस ज़अ़ीफ़ है।

बाब {जो शख़्स दो रक्अ़तों के बाद खड़ा हो जाये और तशह्हुद न पढ़े।}

1034:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुहैना रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें दो रक्अ़तें पढ़ायीं और खड़े हो गये, बैठे नहीं। पस लोग भी आप के साथ खड़े हो गये। जब आप ने नमाज़ मुकम्मल कर ली और हमें आप के सलाम कहने का इन्तिज़ार था, आप ने तक्बीर कही और दो सज्दे किये, जबकि आप (तशह्हुद में) बैठे हुये थे, सलाम से पहले, फिर इस के बाद

सलाम फेरा।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि बीच का तशह्हुद रह जाये तो सह्व के सज्दे से उस कमी की भरपाई हो जाती है।

1035:— शुऐब ने जुहरी से ऊपर की सनद और उसी के हम माना बयान किया और यह कहा (कि जब सहाबा तीसरी रक्अत में खड़े हो गये तो) कुछ लोग हम में से क़ियाम में तशह्हुद पढ़ रहे थे।

इमाम अबू दावूद बयान करते हैं कि ऐसे ही अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि॰ ने भी दो सज्दे किये जबकि वह दो रक्अ़तों पर खड़े हो गये थे। यह सज्दे सलाम से पहले किये। और इमाम जुहरी का क़ौल भी यही है।

फ़ाइदा:— दर्मियानी तशह्हुद रह जाने की सूरत में अगर नमाज़ के दौरान ही में मालूम हो जाये तो अफ़्ज़ल यही है कि भूल के दो सज्दे सलाम से पहले किये जायें, वर्ना सलाम के बाद करने होंगे।

बाब {जो शख़्स बैठे हुये तशह्हुद पढ़ना भूल जाये?}

1036:— मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खड़े होने से पहले ही उसे याद आ जाये तो चाहिये कि बैठ जाये (और तशह्हुद पढ़े) और अगर सीधा खड़ा हो जाये तो न बैठे बल्कि सह्व के दो सज्दे करे।

फ़ाइदा:— यह हदीस बहुत अधिक ज़ओ़फ़ है। लेकिन आगे की हदीस से इस में बयान मस्अले की ताईद होती है। अगर इमाम, या अकेले नमाज़ पढ़ने वाला बैठा रहा और तशह्हुद नहीं पढ़ी, तो याद आने पर सीधा खड़ा होने से पहले कादा में लौट जाये और तशह्हुद पढ़े। और अगर सीधा खड़ा रहे और आख़िर में सलाम से पहले दो सज्दे करे।

1037:— ज़ियाद बिन अ़लाक़ा बयान करते हैं कि मोग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ ने हमें नमाज़ पढ़ाई तो वह दो रक्अ़तों के बाद खड़े हो गये। हम ने सुब्हानल्लाह कहा तो उन्होंने भी सुब्हानल्लाह कहा और खड़े रहे। जब नमाज़ पूरी कर ली और सलाम फेरा तो सह्व के दो सज्दे किये। फिर नमाज़ से फिरे तो कहा: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप ने ऐसे ही किया था जैसे कि मैंने किया है।

1038:— सौबान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: हर भूल के लिये सलाम के बाद दो सज्दे हैं।

बाब {भूल के सज्दे में तशह्हुद और सलाम का बयान।}

1039:— अ़िम्रान बिन हुसैन से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को नमाज़ पढ़ाई और भूल गये तो सज्दे किये फिर तशह्हुद पढ़ा और सलाम फेरा।

फ़ाइदा:— इस हदीस में भूल के सज्दों के बाद तशह्हुद पढ़ने और फिर सलाम फेरने का ज़िक्र है,

लेकिन यह हदीस "शाज़" है।

बाब {नमाज़ के बाद महिलायें, मर्दों से पहले वापस हों।}

1040:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सलाम कह लेते तो थोड़ी देर रुके रहते। और सहाबा यह समझते थे कि यह इसलिये होता था कि महिलाएँ मर्दों से पहले लौट जायें।

बाब {नमाज़ के बाद किस तरह अपना रुख़ फेरे।}

1041:— कुबैसा बिन हल्ब ताई अपने पिता हल्ब से रिवायत करते हैं: उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी तो आप (सलाम फेरने के बाद) अपने दायें-बायें (मुक्तदियों की) तरफ़ फिरा करते थे (यानी कभी दायें और कभी बायें)

1042:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि तुम में से कोई अपनी नमाज़ में शैतान का हिस्सा न रखे, इस तरह कि सिर्फ़ दायें तरफ़ फिरने ही को इख़्तियार कर ले। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बारहा देखा है कि आप अपने बायें तरफ़ से भी फिरा करते थे। अ़म्मारा ने बयान किया कि इस के बाद मैं मदीने आया तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मकानात आप (के मुसल्ले) से बायें तरफ़ थे।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर मुसल्ले से बायें तरफ़ थे इसलिये नमाज़ के बाद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बायें तरफ़ ही जाते रहे होंगे तो बायें तरफ़ हीअपना मुँह मोड़ते रहे होंगे। (देखें बुख़ारी शरीफ़-852)

बाब {घर में नफ़्ल पढ़ने का बयान।}

1043:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अपनी नमाज़ का कुछ हिस्सा अपने घरों में भी पढ़ा करो, और उन्हें क़ब्रिस्तान न बना छोड़ो।

1044:— बिसर बिन सअ़ीद ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मेरी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के मुक़ाबला में इन्सान का अपने घर में नमाज़ पढ़ना ज़्यादा अफ़्ज़ल है, सिवाए फ़र्ज़ नमाज़ के।

फ़ाइदा:— इस से मुराद सुन्नतें और नफ़्ली नमाज़ें हैं। क़ब्रिस्तान की तरह इसलिये कहा गया कि वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है और न ही जाइज़ है। और यहाँ मुराद मर्द हैं, न कि महिला

बाब {जो शख़्स क़िब्ले को छोड़ कर किसी और तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ ले और बाद में उसे मालूम हो।}

1045:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के सहाबा बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ा करतेथे। तो

जब वह यह आयत "फ़-वल्लि वज्-ह-क....नाज़िल हुयी तो एक शख़्स बनी सलमा के लोगों के पास से गुज़रा जबकि वह लोग फ़ज्र की नमाज़ में रुकूअ में थे और बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ मुँह कर के नमाज़ पढ़ रहे थे तो उस ने उन्हें पुकार कर कहाः सुनों और होशियार हो जाओ! क़िब्ला काबा की तरफ़ तब्दील कर दिया गया है। उसने दो बार यह आवाज़ लगायी। चुनान्चे वह लोग रुकूअ ही की हालत में क़ाबा की तरफ़ फिर गये।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि ना जानकारी में अगर क़िब्ला के अ़लावा की तरफ़ नमाज़ पढ़ ली गयी तो वह नमाज़ सहीह मानी जायेगी। यह भी मालूम हुआ कि जो नमाज़ न पढ़ रहा हो वह नमाज़ी को नमाज़ पढ़ने की हालत में बता सकता है उस की रहनुमाई कर सकता है।

जुम्अः के अहकाम व मसाइल

बाब {जुमा के दिन और उस की रात की फ़ज़ीलत।}

1046:— अबू हुरैरा रज़ि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बेहतरीन दिन जिस में सूरज निकलता है, जुमा का दिन है। उस में आदम पैदा किये गये, उसी में उन को ज़मीन पर उतारा गया, उसी दिन उन की तौबा कुबूल की गयी, उसी दिन उन का देहान्त हुआ और उसी दिन क़ियामत आयेगी। जुमा के दिन सुब्ह होते ही तमाम जानवर क़ियामत के डर से कान लगाये हुये होते हैं, यहाँ तक कि सूरज निकल आये, जिन्नों और इन्सानों को छोड़ कर। जुमा के दिन एक समय ऐसा है जिसे कोई मुसलमान बन्दा पा ले जबकि वह नमाज़ पढ़ रहा हो और अल्लाह पाक से अपनी किसी ज़रुरत का सवाल कर रहा हो, तो अल्लाह पाक उसे ज़रुर देता है।

कअ़ब रह॰ नेकहाः ऐसा साल में एक दिन होता है। तो मैं ने कहाः (नहीं) बल्कि हर जुमा को होता है। तब कअ़ब ने तौरात पढ़ी और कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सच फ़रमाया है। अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं बाद में अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम से मिला और उन को कअ़ब से अपनी मज्लिस के बारे में बताया तो अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहाः मुझे मालूम है कि यह घड़ी किस वक़्त होती है। अबू हुरैरा रज़ि॰ कहने लगेः मैंने उन से कहा कि मुझे भी बता दीजिये तो अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहाः यह जुमा के दिन अन्तिम घड़ी होती है। मैंने उन से कहा यह अन्तिम घड़ी कैसे हो सकती है? जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "मुसलमान बन्दा उसे पाये जबकि वह नमाज़ पढ़ रहा हो" और उस समय नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। तो अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यह नहीं फ़रमाया है जो शख़्स किसी जगह बैठा नमाज़ का इन्तिज़ार कर रहा हो तो वह नमाज़ ही की हालत में होता है, यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ ले। मैंने कहाः हाँ, तो कहने लगेः कि बस यही है।

फ़ाइदाः— इस घड़ी को पोशीदा रखा गया ताकि उस की तलाश में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ख़ास कर अन्तिम घड़ी में तलाश करें।

1047:— औस बिन औस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम्हारे सब से फ़ज़ीलत वाले दिनों में से जुमा का दिन है। उस दिन आदम पैदा किये गये, उसी दिन उन की जान निकाली गयी, उसी दिन सूर फूँका जायेगा, उसी दिन पहली मर्तबा सूर फूँका जायेगा। इसलिये उस दिन मुझ पर सब से ज़्यादा दरुद पढ़ा करो क्योंकि दरुद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमारा दरुद आप पर किस तरह पेश किया जायेगा, हालाँकि आप बोसीदा हो चुके होंगे (यानी आप का शरीर) तो आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने ज़मीन पर नबिय्यों के जिस्म हराम कर दिये हैं।

बाब {कुबूल होने की घड़ी, जुमा के दिन किस समय है?}

1048:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जुमा के दिन बारह घड़ियाँ हैं, जो भी मुसलमान इस हालत में पाया जाये कि अल्लाह पाक से कोई सवाल करता हो तो अल्लाह पाक उसे वह चीज़ दे देता है। इसलिये उसे अ़स्र के बाद की अन्तिम घड़ी में तलाश करो।

फ़ाइदा:— इस हदीस में पीछे बयान अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि॰ के बयान की ताईद है कि यह घड़ी अ़स्र के बाद सूरज डूबने से पहले है।

1049:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ के पुत्र अबू बुर्दा बयान करते हैं कि इब्ने उमर रज़ि॰ ने मुझ से पूछाः क्या आप ने अपने पिता से जुमा के बारे में कुछ सुना है? वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से हदीस रिवायत करते थे, यानी कुबूल होने की घड़ी कौन सी है? मैंने कहाः हाँ, मैंने उन को सुना है वह कहते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि यह घड़ी इमाम के (मिंबर पर) बैठ जाने से लेकर नमाज़ मुकम्मल होने तक के दर्मियान है।

फ़ाइदा:— मालूम होता है कि यह घड़ी अलग-अलग समय में बदलती रहती है। यानी इस जुमा को एक बजे, अगले जुमा को दो बजे, और इस के बाद वाले जुमा को तीन बजे।

बाब {जुमा की फ़ज़ीलत का बयान।}

1050:— अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स वुज़ू करे और अच्छा वुज़ू करे, फिर जुमा के लिये आये और ग़ौर से (खुत्बा) सुने और चुप-चाप रहे तो इस जुमा से उस जुमा तक के मज़ीद तीन दिन के गुनाह बख़्श दिये जाते हैं, और जो (खुत्बा के दौरान) कंकरियों से खेला, उस ने वाहियात काम किया।

1051:— मौला उम्मे उस्मान (अ़ता की पत्नी) से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने अ़ली रज़ि॰ को कूफ़ा की मस्जिद के मिंबर पर फ़रमाते सुना कि "जब जुमा का दिन आता है तो शैतान अपने झन्डे लेकर बाज़ार जाते हैं और लोगों को इधर-उधर के कामों में उलझा देते हैं और उन्हें जुमा में देरी करा देते हैं, और फ़रिश्ते आकर मस्जिद के दवाज़ों पर बैठ जाते हैं और पहली घड़ी में पहुँचने वालों और दूसरी घड़ी में पहुँचने वालों के नाम लिखते हैं, यहाँ तक कि इमाम आ जाता है।

जब कोई नमाज़ी किसी उचित स्थान पर बैठ जाता है कि सहीह तौर पर इमाम का ख़ुत्बा सुन सके, इमाम को देख सके और ख़ामोश रहे और वाहियात काम न करे तो ऐसे शख़्स को दोहरा सवाब मिलता है। और अगर किसी ऐसे स्थान पर बैठे जहाँ से ठीक तौर पर सुन सकता हो और इमाम को देख सकता हो लेकिन किसी वाहियात काम में मशग़ूल हो रहे और ख़ामोश न रहे तो उस को गुनाह का एक हिस्सा मिलता है। और अगर किसी ने अपने साथी को जुमा के दौरान (ख़ामोश कराने के लिये) "चुप रहो" भी कह दिया तो उसने बेहूदा काम किया। और जिस ने बेहूदा काम किया उस के लिये उस जुमा में से कुछ नहीं है। अ़ली रज़ि० ने इस के आख़िर में कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यह सब फ़रमाते हुये सुना है।

बाब {जुमा छोड़ने की धमकी।}

1052:— अबू जअ़द ज़मुरी.......सहाबी......से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स ग़फ़लत और सुस्ती से तीन जुमा छोड़ दे तो अल्लाह पाक उस के दिल परम हिर लगा देता है।

बाब {जुमा छोड़ने की कफ़्फ़ारा।}

1053:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने बिना किसी मजबूरी के जुमा छोड़ दिया हो, वह एक दीनार सदक़ा करे, अगर न पाये तो आधा दीनार।

फ़ाइदा:— इस की सनद ज़ओ़फ़ है। इसलिये कफ़्फ़ारा देना सहीह नहीं है।

1054:— क़ुदामा बिन वबरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस शख़्स से बिना किसी मजबूरी के एक जुमा छूट जाये तो वह एक दिहरम, या एक साअ़ा या आधा साअ़ा गेहूँ सदक़ा करे।

बाब {जुमा किस पर वाजिब है?}

1055:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आइशा सिद्दीक़ा रज़ि० बयान करती हैं कि लोग अपने डेरों से और मदीना के बालाई हिस्सा (अ़वाली) से जुमा के लिये आया करते थे।

फ़ाइदा:— "अवाली" की आबादी मदीना से तीन से आठ मील की दूरी तक थी। वहाँ से लोग जुमा पढ़ने आया करते थे। इस से मालूम हुआ कि हर मस्जिद में जमा की नमाज़ पढ़ना भी ठीक नहीं कि इस से यकजुटता और इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ में कमी आ जाती है।

1056:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर उस शख़्स पर जुमा है जो अज़ान सुने।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, मगर माना (अर्थ) यह हो सकता है कि जिस पर जुमा फ़र्ज़ है उस के लिये ज़रुरी है कि अज़ान सुन कर मस्जिद में पहुँचे।

बाब {वर्षा वाले दिन जुमा (पढ़ने का बयान)}

1057:— अबू मलीह अपने पिता जी से रिवायत करते हैं उन्होंने बयान किया कि हुनैन की लड़ाई के दिन बारिश हो रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने मुनादी (मुअ़ज़्ज़िन) को हुक्म दिया कि (एलान करे कि) नमाज़ अपने-अपने डेरों पर ही पढ़ें।

1058:— अबू मलीह से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि यह जुमा के दिन की घटना (वाकिअ़ा) है।

1059:— अबू मलीह अपने पिता जी से रिवायत करते हैं कि वह हुदैबिय्या के दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास मौजूद थे, जुमा का दिन था और बारिश हो गयी। इतनी बारिश हुयी थी कि उन के जूतों के तलवे भी न भीगे थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें आदेश दिया कि अपने-अपने पड़ाव (डरों) ही पर नमाज़ें पढ़ लें।

फ़ाइदा:— अगर वर्षा लोगों के लिये ज़हमत और परेशानी का सबब बन जाये तो जमाअ़त में हाज़िरी माफ़ है, अपने घरों में नमाज़ पढ़ लें। लेकिन इमाम जहाँ हैं वहाँ जुमा पढ़ाये और जो लोग इमाम के पास हैं वह जुमा जमाअ़त से पढ़ें, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पढ़ाया था। (देखें बुख़ारी-668)

बाब {सर्दी या वर्षा की रात में जमाअ़त से पीछे रहना?}

1060:— इमाम नाफ़े से रिवायत है कि इब्ने उमर रज़ि० ने (एक सफ़र में) ज़ज्नान् के स्थान पर ठन्डी रात में पड़ाव किया तो उन्होंने मुअ़ज़्ज़िन को हुक्म दिया तो उस ने एलान किया कि नमाज़ अपने-अपने ख़ेमों में पढ़ें। अय्यूब ने बयान किया कि इमाम नाफ़े ने बताया कि इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब कोई रात ठन्डी या वर्षा वाली होती तो मुअ़ज़्ज़िन को हुक्म फ़रमाते और वह एलान करता कि "अपने-अपने डेरों में नमाज़ पढ़ लो।"

फ़ाइदा:— लेकिन अगर कोई मस्जिद में आना चाहे तो फ़ज़ीलत है, जैसा कि नीचे की हदीस से स्पष्ट है।

1061:— नाफ़े ने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि० ने ज़ज्नान् के स्थान पर नमाज़ के लिये अज़ान कही तो उस में कहाः अला सल्लू फ़ी रिहलिकुम् ("अनपने डेरों में नमाज़ पढ़ लो") फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की यह हदीस बयान की कि आप मुअ़ज़्ज़िन को हुक्म देते तो वह अज़ान कहता और फिर एलान करता कि अपने-अपने डेरों में नमाज़ पढ़ लो।" जबकि रात को सर्दी होती है, बारिश होती और आप सफ़र में होते।

1062:— इमाम नाफ़े से रिवायत है कि इब्ने उमर रज़ि० ने ज़ज्नान् के स्थान पर नमाज़ के लिये अज़ान कही, रात ठन्डी थी और हवा चल रही थी। आप ने अपनी अज़ान के अन्त में कहाः "सुन लो कि अपने-अपने पड़ाव में नमाज़ पढ़ लो"। फिर बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सफ़र के दौरान में जब रात ठन्डी होती, या बारिश वाली होती तो मुअ़ज़्ज़िन को

हुक्म देते कि यूँ अज़ान कहे: "ख़बरदार! अपने-अपने स्थान पर नमाज़ पढ़ लो।"

1063:— इमाम नाफ़े से रिवायत है कि इब्ने उमर रज़ि॰ ने एक रात जबकि सर्दी थी और हवा चल रही थी, अज़ान कही तो कहा: "सुन लो! अपने डेरों में ही नमाज़ पढ़ लो।" फिर बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, जब रात ठन्डी होती, या बारिश होती तो मुअ़ज़्ज़िन को हुक्म देते कि यूँ कहे: "सुन लो! अपने पड़ाव ही में नमाज़ पढ़ लो।"

1064:— इमाम नाफ़े इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मुअ़ज़्ज़िन ने यह एलान मदीने में किया जबकि रात बारिश वाली थी और सुब्ह ठन्डी थी। (इस की सनद ज़ईफ़ है)

1065:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे कि बारिश हो गयी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम में से जो चाहे अपने पड़ाव में नमाज़ पढ़ ले।

1066:— अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस, मुहम्मद बिन सीरीन के चचेरे भाई बयान करते हैं कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने एक वर्षा वाले दिन में अपने मुअ़ज़्ज़िन से कहा कि जब तुम "अश्-हदु अन्न मु-हम्मदर्रसूलुल्लाह" कह लो तो फिर "हय्या अ़-लस्सलाह" न कहना, बल्कि सल्लू फ़ी बुयूतिकुम (अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो) कहना। लोगों ने इस तरीक़ा को बुरा जाना तो उन्होंने कहा: यह काम उस ज़ात ने किया है जो मुझ से अफ़्ज़ल थी, बिला शुब्हा जुमा वाजिब है, मगर मुझे यह बात पसन्द नहीं कि मैं तुम्हें परेशानी में डालूँ और तुम कीचड़ और बारिश में चल कर आओ।

फ़ाइदा:— सहीह बुख़ारी में इस हदीस का बाब इस प्रकार है "बारिश की वजह से अगर जुमा में न पहुँचे तो रुख़्सत है" (बुख़ारी-901) आज कल मामूली बारिश में मस्जिद में जाना कोई कठिन नहीं है, इसलिये रुख़्सत पर अ़मल नहीं होगा।

बाब {ग़ुलाम और महिला के लिये जुम्अ़ः।}

1067:— तारिक़ बिन शिहाब से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमाया: जुमा हर मुसलमान पर जमाअ़त के साथ हर हाल में फ़र्ज़ है, मगर चार लोगों को छोड़ कर। (1) ग़ुलाम (2) महिला (3) बच्चा (4) बीमार

1068:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि इस्लाम में मदीना की मस्जिद नबवी के बाद सब से पहले जहाँ जुमा क़ाइम किया गया वह बहरैन की एक बस्ती जुवासा थी। उस्मान बिन अबू शेबा ने स्पष्ट किया कि अ़ब्दुल क़ैस की बस्तियों में से थे।

फ़ाइदा:— इस मस्जिद के निशान आज भी मौजूद हैं। सिर्फ़ दो सफ़ों का दालान है।

1069:— अ़ब्दुर्रहमान बिन कअ़ब बिन मालिक......यह अपने पिता के अन्धे हो जाने के बाद, उन की रहनुमाई करते थे......अपने पिता जी से रिवायत करते हैं कि जुमा के दिन जब वह जुमा की अज़ान सुनते तो अस्अ़द बिन ज़रारा के लिये रहमत की दुआ़ करते। मैंने उन से पूछा: आप जब

भी अज़ान सुनते हैं तो अस्अ़द बिन ज़रारा के लिये रहमत की दुआ़ करते हैं? उन्होंने कहाः इसलिये कि हर्रा बनी बयाज़ा में "हज़मुन्नबीत" के अन्दर उन्होंने ही सब से पहले हमें जुमा पढ़ाया था। एक नक़ीअ़ में जिसे "नक़ीउल् ख़ज़िमात" कहा जाता था (यानी निचला हिस्सा जहाँ पानी जमा होता है) मैंने उन से पूछाः आप लोगों की कितनी तादाद थी? उन्होंने कहाः चालीस लोग थे।

बाब {अ़ीद और जुमा एक साथ आ जायें तो?}

1070:— अयास बिन अबू रमला शामी ने बयान किया कि मैं मुआ़विया बिन अबू सफ़यान रज़ि॰ के पास मौजूद था और वह ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि॰ से मालूम कर रहे थे कि क्या तुम्हारे होते हुये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में कभी दो अ़ीदें एक ही दिन में इकट्ठा हुयी हैं? उन्होंने कहाः हाँ। पूछा कि आप ने क्या किया? उन्हेांने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ीद की नमाज़ पढ़ी, फिर जुमा के बारे में छूट दे दी और फ़रमायाः जो (जुमा) पढ़ना चाहे वह पढ़ ले (वर्ना जोहर की नमाज़ पढ़े)

फ़ाइदाः— चाहे तो जुमा पढ़े और चाहे तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़े। लेकिन अफ़्ज़ल यही है कि जुमा पढ़े। ख़ासतौर पर इमाम अफ़्ज़ल पर अ़मल करे।

1071:— अ़ता बिन अबू रिबाह बयान करते हैं कि अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि॰ ने हम को जुमा के दिन, अ़ीद के दिन, दिन के पहले हिस्से में नमाज़ पढ़ाई, फिर हम जुमा के लिये गये मगर वह न आये, और हम ने अकेले ही नमाज़ पढ़ी। और इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ताइफ़ में थे, वह जब आये तो हम ने उन से इस बारे में ज़िक्र किया तो फ़रमायाः उन्होंने सुन्नत पर अ़मल किया है।

1072:— अ़ता बिन अबू रिबाह ने बयान किया कि इब्ने जुबैर के ख़िलाफ़त के ज़माना में जुमा और अ़ीद (फ़ित्र) एक ही दिन आ गये तो उन्होंने कहाः दो अ़ीदें एक ही दिन में इकट्ठी हो गयी हैं। फिर उन्होंने उन दोनेां को जमा कर दिया और पहले पहर दो रक्अ़तें पढ़ायीं (अ़ीद की) इस पर कुछ इज़ाफ़ा न किया, यहाँ तक कि अ़स्र की नमाज़ पढ़ी।

फ़ाइदाः— इस से मालूम हुआ कि जुह् की नमाज़ नहीं पढ़ी, बल्कि अ़स्र की पढ़ी। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जोहर की नमाज़ घर पर अकेले पढ़ ली हो, लेकिन जुमा के दिन अ़ीद पढ़ने के बाद जुमा तो माफ़ है लेकिन जोहर नहीं, या ज़ोहर अगर माफ़ है तो जमा नहीं।

1073:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम्हारे आज के दिन दो अ़ीदें जमा हो गयी है तो जो चाहे उस के लिये यह (यानी अ़ीद) की नमाज़ जुमा के बदले काफ़ी है, और हम जुमा पढ़ेंगे।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि जमा पढ़ना अफ़्ज़ल है। लेकिन अगर कोई न पढ़ना चाहे तो ज़ोहर पढ़े।

बाब {जुमा के दिन फ़ज्र की नमाज़ में क़िरात।}

1074:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्हांने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम जुमा के दिन फ़ज्र की नमाज़ में सूरः अलिफ़ लाम्मीम् तन्ज़ील सज्दा और सूरः हल अता अ़लल् इन्सानि (सूरः दहर) पढ़ा करते थे।

1075:— इमाम शोबा ने मुख़व्वल से ऊपर की सनद से और ऊपर की हदीस के हममाना बयान किया है और यहभी कहा है कि जुमा की नमाज़ में सूरः जुमा और सूरः मुनाफ़िकून पढ़ा करते थे।

बाब {जुमा के लिये ख़ास लिबास का बयान।}

1076:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने एक रेशमी कपड़ा देखा जो मस्जिद के दर्वाज़े के पास बेचा जा रहा था, तो उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम। अगर आप उसे ख़रीद लें और जुमा के दिन पहना करें, या जब आप के पास वफ़्द (प्रतिनिधि) आयें तो उन के स्वागत में पहना करें (तो अच्छा होगा) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इसे वह लोग पहनते हैं जिन का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास उस प्रकार के और जोड़े आये तो आप ने उन में से एक उमर बिन ख़त्ताब को भी दिया। तो उन्होंने कहाः एक अल्लाह के सन्देष्टा! आप मुझे यह दे रहे हैं हालाँकि उतारिद के जोड़े के बारे में इस से पहले आप जो कुछ फ़रमा चुके हैं, फ़रमा चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं ने तुम्हें यह इसलिये नहीं दिया है कि स्वँय तुम उसे पहनो। चुनान्चे उमर रज़ि॰ ने वह जोड़ा अपने भाई को दे दिया जो मुश्रिक था और मक्का में रहता था।

फ़ाइदा:— जुमा और अ़ीद के दिन अच्छा कपड़ा पहनना सुन्नत व मुस्तहब है। रेशम का कपड़ा मर्दों के लिये हराम और महिलाओं के लिये हलाल है। मर्दों के लिये हराम होने की दलील बुख़ारी–886, मुस्लिम–2078 में है।

1077:— सालिम, अपने पिता जी से रिवायत करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने एक रेशमी जोड़ा देखा जो बाज़ार में बेचा जा रहा था, तो उन्होंने उसे ले लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहाः आप उसे ख़रीद लें ताकि अ़ीद और वफ़्द की शक्ल में आने वाले लोगों के स्वागत के मौक़ा पर ज़ीनत के लिये पहना करें.....फिर हदीस बयान की.... ताहम पहली हदीस ज़्यादा मुकम्मल है।

1078:— मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान (ताबअ़ी) ने रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर हो सके तो जुमा के लिये अपने काम काज के कपड़ों के अ़लावा दो कपड़े और बना रखने में क्या हरज है?

बाब {जुमा के दिन नमाज़ से पहले हल्क़ा बना कर बैठना मना है।}

1079:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता (शुऐब) से और वह अपने दादा अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आस रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मस्जिद में लेन–देन करने से मना फ़रमाया है, और इस से भी मना फ़रमाया है कि खोयी हुयी चीज़

के बारे में मस्जिद में एलान किया जाये, या शेर पढ़ा जाये। और इस से भी मना किया है कि जुमा के दिन नमाज़ से पहले हल्क़ा बना कर बैठा जाये।

फ़ाइदा:— उस हल्क़े और घेरे में दीन व दुनिया की बात-चीत और शिक्षा प्रशिक्षण सब हराम है, क्योंकि यह तरीक़ा दीन में नया है। और इसी का नाम बिदअ़त है।

बाब {खुत्बा के लिये मिंबर इस्तेमाल करना।}

1080:— अबू हाज़िम बिन दीनार बयान करते हैं कि कुछ लोग सहल बिन सअ़द साअ़दी के पास आये, वह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मिंबर के बारे में बहस कर रहे थे कि वह किस लकड़ी से बना था? उन लोगों न उन से पूछा तो उन्होंने कहाः अल्लाह की क़सम मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वह किस चीज़ से बना था और मैंने उसे पहले ही दिन जब वह रखा गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस पर बैठे थे, देखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़लाँ महिला के पास संदेश भेजा किअपने बढ़ई गुलाम से कहो कि मुझे कुछ लकड़ियाँ जोड़ कर दे दे ताकि जब में लोगों को संबोधित करुँ तो उस पर बैठ जाया करुँ। सहल ने उस महिला का नाम भी लिया था। चुनान्चे उस ने अपने गुलाम से कहा तो वह उसे झाऊ की लकड़ी से बना कर ले आया। उस महिला ने उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में भेज दिया। आप ने हुक्म दिया तो उसे (मस्जिदे-नबवी में) रख दिया गया। फिर मैंने आप को देखा कि आप ने उस मिंबर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, खड़े होकर तक्बीर तहरीमा कही, रुकूअ़ किया और आप उसी के ऊपर थे। फिर पिछले पाँव नीचे उतर आये और मिंबर के पास ज़मीन पर सज्दा किया, फिर मिंबर पर चढ़ गये। जब आप फ़ारिग़ हुये तो लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुये और फ़रमायाः लोगों! मैंने ऐसा इसलिये किया है ताकि तुम मेरी पैरवी करो और मेरी नमाज़ सीख लो।

फ़ाइदा:— आप ने मिंबर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ कर दिखाई ताकि लोग अच्छी तरह देख लें।

1081:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब थोड़े बहुत भारी हो गये तो तमीम दारी रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के संदेष्टा! क्या मैं आप केलिये मिंबर न बना लाऊँ, जो आप की हडिड्यों को उठाया करे (या आप का बोझ उठ सके और आप उस पर बैठें) आप ने फ़रमायाः ठीक है। चुनान्चे वह दो सीढ़ियों वाला मिंबर बना लाये।

फ़ाइदा:— ऊपर की रिवायत में मिंबर बनाने वाला गुलाम है और इस रिवायत में तमीम दारी हैं। तो हो सकता है दोनों ने मिल कर तय्यार किया हो। इस में दो सीढ़ी का ज़िक्र है और दूसरी में तीन का। तो हो सकता है कि जिस पर आप बैठते रहे हों उन को शुमार न किया हो।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मिंबर की जगह।}

1082:— सलमा बिन अक्वा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मिंबर और मस्जिद की दीवार के दर्मियान इतना फ़ासला था कि उस में से बकरी गुज़र जाये।

बाब {जुमा के दिन ज़वाल से पहले नमाज़।}

1083:— अबू क़तादा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ठीक दोपहर (ज़वाल) के वक़्त नमाज़ पढ़ना मक्रुह समझते थे सिवाएँ जुमा के दिन के। और आप ने फ़रमायाः बेशक (उस समय) जहन्नम भड़काई जाती है, सिवाए, जुमा के दिन के। (हदीस ज़ओ़फ़ है)

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है इसलिये ठीक ज़वाल के समय, या ज़वाल से पूर्व जुमा की नमाज़ पढ़ने का सबूतनहीं होता है।

बाब {जुमा पढ़ने का समय।}

1084:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सूरज ढलने पर जुमा पढ़ा करते थे।

1085:— अयास बिन सलमा बिन अक्वा अपने पिता (सलमा) से बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जुमा पढ़ा करते थे, इस के बाद जब वापस लौटते तो दीवारों का साया न होता था।

1086:— सहल बिन सअ़द रज़ि॰ का बयान है कि हम लोग जुमा के बाद ही खाना खाते और क़ैलूला करते थे।

फ़ाइदा:— चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़वाल के तुरन्त बाद जुमा पढ़ते थे इसलिये वापसी में सहाबा इतना साया न पाते थे कि उस से साया हासिल करें। सहीह मुस्लिम में है कि साया तो होता था मगर बहुत कम। जो लोग कहते हैं कि जुमा ज़वाल से पहले होता था, यह ग़लत है। (मुस्लिम 860)

1087:— साइब बिन यज़ीद रज़ि॰ बयान करते हैं कि जुमा के दिन (जुमा की) पहली अज़ान इमाम के मिंबर पर बैठने के समय कही जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, अबू बक्र सिद्दीक़ और उमर रज़ि॰ के ख़िलाफ़त के ज़माना में यही नियम रहा। लेकिन जब उस्मान रज़ि॰ के ख़िलाफ़त का ज़माना आया और लोगों की तादाद भी बढ़ गयी तो उन्होंने जुमा के दिन तीसरी अज़ान का हुक्म दिया जो कि ज़ौरा के स्थान पर दी जाती थी, और मामला इसी पर बाक़ी रहा।

फ़ाइदा:— इमाम के मिंबर पर बैठते समय जो अज़ान दी जातह है वह पहली अज़ान है। जमाअ़त के लिये जो तक्बीर कही जाती है उसे दूसरी अज़ान कहा गया है। उस्मान रज़ि॰ ने जो अज़ान शुरु कराई वह तीसरी कहलाई। यह अज़ान लोगों को चेतावनी देने के लिये थी। अफ़्ज़ल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तरीके को अपनाया जाये, लेकिन ज़रुरत के समय उस्मान रज़ि॰ का तरीक़ा भी अपना लेने में कोई हरज नहीं।

उस्मान रज़ि॰ ने यह अज़ान ज़ौरा के स्थान पर मस्जिद से एक मील दूर दिलवाई थी। यह अज़ान इतनी पहले दी जाती थी कि लोग अज़ान सुन कर, सामान समेट कर घर जाते और नहा-धो

कर मस्जिद में खुत्बा शुरु होने से पहले पहुँच जाते। अगर इतना पहले कहेंगे तब तो उस्मानी अज़ान कहलायेगी। वर्ना आज कल कुछ मिनट पहले इमाम के मुँह के सामने खड़े होकर अज़ान कहने को उस्मानी तरीक़ा नहीं कहेंगे। "ज़ौरा" मदीना से एक मील की दूरी पर बाज़ार लगता था, लोग वहाँ जमा होते थे, इसीलिये वहाँ अज़ान दिलवाई।

बहरहाल आज कल लोगों के हाथों में घड़ियाँ हैं इसलिये इस अज़ान की बिल्कुल ज़रुरी बाक़ी नहीं रही।

1088:— साइब बिन यज़ीद रज़ि॰ ने बयान किया कि जुमा के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मिंबर पर बैठ जाते तो आप के सामने मस्जिद के दर्वाज़े के पास अज़ान कही जाती थी, अबू बक्र व उमर के भी दौर में ऐसे ही होता था ...... फिर ऊपर की हदीस की तरह पूरी हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— इमाम के सामने अज़ान कहने का कोई सबूत नहीं है, जैसा कि आजकल कुछ मस्जिदों में देखने में आ रहा है।

1089:— साइब बिन यज़ीद रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के एक मुअ़ज़्ज़िन थे, यानी बिलाल और .... फिर (इब्ने इस्हाक़ ने) ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की।

1090:— साइब बिन यज़ीद रज़ि॰ ने उन को ख़बर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के एक ही मुअ़ज़्ज़िन थे। सालेह ने यह हदीस बयान की मगर मुकम्मल नहीं है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि एक मस्जिद में एक ही मुअ़ज़्ज़िन होना सुन्नत है।

बाब {इमाम खुत्बे के दौरान में किसी से बात करे।}

1091:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि एक मर्तबा जुमा के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मिंबर पर बैठ गये तो आप ने फ़रमाया: बैठ जाओ। इसे इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने दर्वाज़े के पास ही सुना तो वह वहीं बैठ गये। आप ने उन को देखा तो फ़रमाया: ऐ इब्ने मस्ऊद! आगे आ जाओ।

फ़ाइदा:— नमाज़ी आपस में बात नहीं कर सकते, लेकिन इमाम बात कर सकता है।

बाब {मिंबर पर आने के बाद बैठ जाना।}

1092:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दो खुत्बे देते थे। जब आप मिंबर पर तशरीफ़ लाते तो बैठ जाते, फिर मुअ़ज़्ज़िन अज़ान देकर फ़ारिग़ हो जाता। फिर आप खड़े होते और खुत्बा देते, फिर बैठ जाते और कलाम न करते, फिर खड़े होते और दूसरा खुत्बा देते।

बाब {खड़े होकर खुत्बा देना।}

1093:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खड़े

होकर खुत्बा दिया करते थे (यानी पहला खुत्बा) फिर बैठ जाते, फिर (दूसरे खुत्बा) के लिये खड़े होते और खड़े होकर भी खुत्बा देते। और जो तुम्हें यह बताए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बैठ कर खुत्बा देते थे उस ने झूठ कहा। अल्लाह की क़सम! मैंने आप के साथ दो हज़ार से अधिक नमाज़ें पढ़ी हैं।

1094:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप खड़े होकर खुत्बा देते, फिर कुछ देर केलिये बैठ जाते और उस दौरान कोई बात-चीत न करते थे.....और पूरी हदीस बयान की।

1095:— जाबिर बिन समुरा रजि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप खड़े होकर खुत्बा देते, फिर थोड़ा सा बैठ जाते और आप कुरआ़न पढ़ते और लोगों को नसीहत फ़रमाया करते थे।

बाब **{ख़तीब का खुत्बे में कमान से सहारा लेना।}**

1096:— शुऐब बिन रुज़ैक़ ताइफी बयान करते हैं कि मैं एक साहब के पास बैठा हुआ था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िरी दे चुके थे, उन्हें हकम बिन हज़न कलबी कहा जाता था। वह हम से बयान करने लगे कि मैं वफ़्द के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, मैं सात तक सातवाँ, या नौका नवाँ व्यक्ति था। हम आप के पास आये और कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! हम आप की ज़ियारत के लिये आये हैं, आप हमारे लिये भलाई की दुआ़ फ़रमा दीजिये। आप ने हम लोगों के खाने के लिये थोड़ी बहुत खजूरों का हुक्म दिया, उन दोनों की हालत बहुत कमज़ोर थी, हम लोग आप के पास कई दिन तक ठहरे रहे। हमें आप के साथ जुमा पढ़ने का भी अवसर मिला। आप एक लाठी या कमान का सहारा लिये हुये खड़े हुये। आप ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की। आप के अल्फ़ाज़ मुख़्तसर, पाक़ीज़ा और बर्कत वाले थे। फिर फ़रमायाः लोगों! जो हुक्म तुम्हें दिये जाते हैं तुम उन सब को अ़दा करने की ताक़त नहीं रखते हो, या उन्हें हर्गिज़ नहीं कर सकते। लेकिन बीच की राह अपनाओ और उस पर क़ाइम रहो और खुश हो जाओ।

1097:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब (खुत्बे में) तशहहुद पढ़ते, तो कहा करतेः अल्-हम्दु लिल्लाहि नह्-मदुहू.....व-नस्-तईनुहू व-नस्-तग़्फिरुहू व-नऊजु बिल्लाहि मिन शुरुरी अन्फुसिना.......

1098:— यूनुस से रिवायत है कि उन्होंने इब्ने शिहाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के खुत्बे के बारे में पूछा जो आप जुमा के दिन पढ़ा करते थे.......तो ऊपर की हदीस की तरह बयान किया और कहाः

व-मन् यासिहिमा फ़-क़द् ग़वा, व-नस्-अलुल्ला-ह रब्बना अय्यज्-अ़-लना......(यह रिवायत ज़ई़फ़ है)

1099:— अ़दी बिन हातिम रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने एक ख़तीब ने ख़ुत्बा दिया और उस ने कहाः "जिस ने अल्लाह और उस के रसूल की इताअ़त (अवज्ञा) की और जिस ने उन दोनों की नाफ़रमानी (अवज्ञा) की" आप ने फ़रमायाः खड़े हो जाओ। या फरमायाः "चले जाओ, तुम बड़े बुरे ख़तीब हो।"

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यह पसन्द नहीं था कि अल्लाह और उस के रसूल को एक ज़मीर (सर्वनाम) के साथ ज़िक्र किया जाये। इस प्रकार पढ़ना अ़दब के ख़िलाफ़ है और इस में अल्लाह से मुशाबहत पाया जाता है। "व-मन् या सिहिमा" कहने के स्थान पर "व-मन् वासिल्ला-ह व-रसू-लहू" कहना चाहिये।

1100:— हारिस बिन नोमान की पुत्री बयान करती हैं कि मैंने सूरः काफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के मुँह से सुन कर ही याद कर लिया था। आप इस सूरः को जुमा के हर ख़ुत्बा में पढ़ा करते थे। उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का और हमारा तन्नूर (चूल्हा) एक ही था।

1101:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ और आप का ख़ुत्बा दर्मियाना होते थे। आप कुरआ़न पाक की चन्द आयतें तिलावत करते और लोगों को नसीहत करते थे।

1102:— अ़म्रा अपनी बहन से रिवायत करती हैं कि मैंने सूरः काफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ज़बान से ही सुन कर याद कर लिया था। आप इसे हर जुमा के ख़ुत्बे में पढ़ा करते थे।

1103:— यहया बिन सअ़ीद अ़म्रा से और वह अ़म्रा बिन्त अ़ब्दुर्रहमान की बहन से जो उन से बड़ी थीं, ऊपर की हदीस की तरह बयान किया है।

1104:— हुसैन बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि अ़म्मारा बिन्त रुबिया ने बिश्र बिन म्रवान को देखा कि वह जुमा के दिन (ख़ुत्बा के दौरान हाथ उठा कर) दुआ़ कर रहा था (हाथ हिला रहा था) तो अ़म्मारा ने कहाः अल्लाह पाक उन दोनों हाथों को ज़लील करे.....ज़ाइदा कहते हैं कि हुसैन ने मुझ से कहा कि अ़म्मारा ने बयान किया......मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा है कि आप इस से ज़्यादा नहीं करते थे, यानी केवल शहादत की उंगली (उठाने को काफ़ी जानते थे) जो अन्गूठे से मिली होती है।

फ़ाइदा:— हाथ हिला-हिला कर ख़िताब करना सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सिर्फ़ शहादत की उँगली से इशारा साबित है। ख़ुत्बा के दौरान हाथ उठा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वर्षा की दुआ़ की है और यह जाइज़ है।

1105:— सह्ल बिन सअ़द रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा कि आप ने मिंबर पर या इस के अ़लावा दुआ़ करते हुये अपने दोनों हाथ

उठाये हों। मैंने आप को देखा है कि आप यूँ करते थे और इशारा कर के दिखाया कि आप शहादत की उंगली उठाते और दर्मियानी उंगली और अन्गूठे का हल्क़ा बना लेते।

बाब {खुत्बा मुख़्तसर होना चाहिये।}

1106:— अ़म्मार बिन यासिर रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम को खुत्बा मुख़्तसर रखने का हुक्म दिया।

1107:— जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुमा के दिन लंबा वाज़ न फ़रमाया करते थे बल्कि चन्द मुख़्तसर से कलिमात हुआ करते थे।

बाब {वाज़ और खुत्बा में इमाम के क़रीब होना।}

1108:— मआ़ज़ बिन हिशाम कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी की कापी में उन के हाथ का लिखा हुआ पाया और सुना नहीं। कि इमाम क़तादा ने कहा यहया बिन मालिक से वह समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवयत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ज़िक्र (खुत्बा और वाज़) में हाज़िर हुआ करो और इमाम के क़रीब बैठा करो। इन्सान (नेकी के जगहों से) पीछे रहने को अपनी आदत बना ले तो जन्नत में भी पीछे कर दिया जायेगा अगर्चे उस में दाख़िल हो ही जाये।

बाब {इमाम किसी मजबूरी में खुत्बा दर्मियान ही में तोड़ दे, तो जाइज़ है।}

1109:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने पिता जी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें खुत्बा दे रहे थे कि (इसी दर्मियान) हसन और हुसैन लाल क़मीस पहने हुये आये, वह गिरते थे और उठतेथे। आप मिंबर पर से उतर पड़े और उन्हें लेकर दोबारा मिंबर पर तशरीफ़ ले गये, फिर फ़रमायाः अल्लाह पाक ने सच फ़रमाया है "तुम्हारे माल और औलाद फ़ित्ना हैं" मैं इन को देख कर सब्र न कर सका। इस केबाद आप ने फिर खुत्बा देना शुरु कर दिया।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि माक़ूल कारण से खुत्बा की बीच में तोड़ना और फिर दोबारा शुरु करना दुरुस्त है।

बाब {खुत्बे के दौरान में एहतिबा (मना है)}

1110:— सह्ल बिन मआ़ज़ बिन अनस अपने पिता जी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुमा के दिन जब इमाम खुत्बा दे रहा हो एहतिबा से मना फ़रमाया है।

फ़ाइदा:— नमाज़ी अपने घुटने इकट्ठे कर के सीने से लगा ले और फिर हाथों से उन पर हल्क़ा बना ले, या कमर या घुटनों के चारों तरफ़ लपेट ले, इसी का नाम "एहतिबा" है। इस प्रकार बैठने से नींद आती है और सतर खुलने का भी डर रहता है।

1111:— याला बिन शद्दाद बिन औस ने बयान किया कि मुआ़विया रज़ि॰ के साथ बैतुल मुक़द्दस

में हाज़िर था, उन्होंने हमें जुमा की नमाज़ पढ़ायी। मैंने देखा कि मस्जिद में मौजूद लोगों में अधिकांश लोग सहाबा थे। मैंने उन्हें देखा कि इमाम खुत्बा दे रहा था और वह एहतिबा की हालत में बैठे हुये थे।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओफ़ है। मालूम हुआ कि बैठना चाहे तो इस की गुन्जाइश है, लेकिन एहतियात अच्छी बात है।

बाब **{खुत्बे के दौरान में बात–चीत।}**

1112:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम कहो कि "ख़ामोश हो जाओ" और इमाम खुत्बा दे रहा हो तो तुम ने वाहियात काम किया।

1113:— अम्र बिन शुऐब अपने पिता से वह अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ से और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमाया: जुमा में तीन प्रकार के लोग आते हैं। एक वह जो वाहियात काम करता है और उस का यही हिस्सा है। दूसरा दुआ़ा के लिये आता है, यह दुआ़ा करता है और अल्लाह पाक चाहे तो कुबूल करे और चाहे तो महरुम रखे। तीसरा वह शख़्स है जो खामोशी से सुनता और ख़ामोश रहता है। किसी की गर्दन फ़लाँगता है और न किसी को कष्ट देता है। ऐसे आदमी के लिये इस जुमा से आने वाले जुमआ़ा तक के लिये और मज़ीद तीन दिन के लिये कफ़्फ़ारा है। और यह इसलिये कि अल्लाह पाक ने फ़रमाया है: "जो एक नेकी लाता है उस के लिये उस का दस गुना अज्र है।"

बाब **{जिस का वुज़ू टूट जाये वह इमाम को क्यों कर ख़बर दे कर जायें।}**

1114:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमाया: तुम में से जब कोई अपनी नमाज़ में बेवुज़ू हो जाये, तो चाहिये कि अपनी नाक पर हाथ रखे और चला जाये।

बाब **{जब कोई आये और इमाम खुत्बा दे रहा हो तो........।}**

1115:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि जुमा के दिन एक नमाज़ी आया उस समय आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खुत्बा दे रहे थे। आप ने उस से फ़रमाया: ऐ फ़लाने! क्या तुम ने नमाज़ पढ़ी है? उस ने कहा: नहीं, आप ने फ़रमाया: खड़े हो जाओ और नमाज़ पढ़ो।

1116:— आमश अबू सुफ़यान से और वह जाबिर रज़ि॰ से, और आमश, अबू सालेह से, वह अबू हुरैरा रज़ि॰ से दोनों का बयान है कि सुलैक ग़ितफ़ानी रज़ि॰ आये जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खुत्बा दे रहे थे, आप ने उन से कहा: क्या तुम ने कोई नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने कहा: नहीं, आप ने फ़रमाया: हल्की फुल्की दो रकअ़तें पढ़ लो।

1117:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ बयान करते हैं कि सुलैक आये.....फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। फिर यह भी कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लोगों की

तरफ़ मुतवज्जह हुये और फ़रमायाः जब तुम में से कोई आये और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो उसे चाहिये कि हल्की सी दो रक्अ़तें पढ़ ले।

फ़ाइदा:— जुमा के ख़ुत्बा से पहले नफ़्ली नमाज़ की कोई तादाद मुक़र्रर नहीं है। कम से कम दो रक्अ़त तहिय्यतुल मस्जिद पढ़नी अनिवार्य है। इतना अहम है कि अगर इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो फिर भी पढ़े। तहिय्यतुल मस्जिद अतना अहम है कि मक्रुह औक़ात में भी पढ़ना ज़रुरी है। किसी समय तर्क न किया जाये। जिस समय मस्जिद में दाख़िल हो उस समय पढ़े।

बाब {जुमा के दिन (ख़ुत्बा के दौरान) लोगों की गर्दनें फलाँगना मना है।}

1118:— अबू ज़हरा यह बयान करते हैं कि एक बार जुमा के दिन हम अ़ब्दुल्लाह बिन बिस्र रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबी के साथ थे। इतने में एक शख़्स लोगों की गर्दनें फलागँता हुआ आया, तो अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया कि जुमा के दिन एक आदमी लोगों की गर्दनें फलागँता हुआ आया जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ख़ुत्बा दे रहे थे, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से कहाः बैठ जाओ, तुम ने तक्लीफ़ दी है।

फ़ाइदा:— जुमा में देर से आना और फिर लोगों की गर्दनें कूदते हुये आगे जगह लेने की कोशिश करना बड़ा बुरा काम है। हाँ, वुज़ू वग़ैरह टूट जाये तो बाहर जाना ज़रुरी है।

बाब {ख़ुत्बे के दौरान में किसी को ऊँघ आने लगे तो......?}

1119:— इब्ने उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना, आप फ़रमा रहे थे कि जब किसी को ऊँघ आने लगे और वह मस्जिद में हो तो चाहिये कि अपना स्थान बदल कर किसी और स्थान पर बैठ जाये।

फ़ाइदा:— नींद और सुस्ती दूर करेन का एक और तरीक़ा है वह यह कि वुज़ू कर ले।

बाब {मिंबर से उतरने के बाद इमाम किसी से कोई बात करे।}

1120:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और कोई शख़्स अपनी ज़रुरत से आप के पास आ जाता तो आप उस के साथ खड़े हो जाते, यहाँ तक कि वह अपनी ज़रुरत पूरी कर लेता, फिर आप (मुसल्लमा पर) खड़े होते और नमाज़ पढ़ते।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, लेकिन मुस्लिम की रिवायत (876) से इस की ताईद होती है। तिर्मिज़ी (518) और अबू दावूद (201) में भी रिवायत है।

बाब {जिस को जुमा की एक रक्अ़त मिल जाये।}

1121:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने नमाज़ से एक रक्अ़त पाली उस ने नमाज़ पा ली।

फ़ाइदा:— जिस शख़्स ने जुमा, जमाअ़त और नमाज़ के समय में एक रक्अ़त पा ली, उस ने

नमाज़ की अदायगी और फ़ज़ीलत पा ली। इसी प्रकार जुमा की एक रक्अ़त पाये तो एक रक्अ़त और पढ़े, वर्ना चार रक्अ़त मुकम्मल करे।

बाब {जुमा की नमाज़ में क़िरात।}

1122:— नोमान बिन बशीर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दोनों अ़ीद और जुमा की नमाज़ में सूरः "आला" और सूरः "ग़ाशियः" तिलावत फ़रमाया करते थे। बयान किया कि बाज़ समय अ़ीद और जुमा इकट्ठे हो जाते तो भी यही सुरतें पढ़ते।

1123:— ज़ह्हाक बिन क़ैस ने नोमान बिन बशीर रज़ि॰ से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुमा के दिन सूरः "जुमा" की तिलावत के बाद कौन सी सूरत पढ़ा करते थे। उन्होंने कहा कि (दूसरी रक्अ़त में) सूरः "ग़ाशियः" पढ़ते थे।

1124:— इब्ने अबी राफ़े बयान करते हैं कि अबू हुरैरा रज़ि॰ ने हमें जुमा पढ़ाया तो उन्होंने सूरः "जुमा" और दूसरी रक्अ़त में सूरः "मुनाफ़िक़ून" की तिलावत की। इब्ने अबी राफ़े कहते हैं कि नमाज़ के बाद मैं अबू हुरैरा से मिला और कहा कि आप ने जो सूरतें तिलावत की हैं अ़ली रज़ि॰ भी कूफ़ा में यही पढ़ा करते थे तो अबू हुरैरा रज़ि॰ ने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना है कि आप भी जुमा के दिन (जुमा की नमाज़ में) यह सूरतें पढ़ा करते थे।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बाज़ दफ़ा जुमा की नमाज़ में यह दोनों सूरतें भी पढ़ी हैं।

1125:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुमा की नमाज़ में सूरः "आला" और सूरः "ग़ाशियः" पढ़ा करते थे।

फ़ाइदा:— आप चाहें तो कोई भी सरूत की तिलावत करें, लेकिन सुन्त के मुताबिक़ पढ़ना ही सब से अफ़ज़ल है।

बाब {इमाम और मुक़्तदी के दर्मियान दीवार हो तो इक़्तिदा का क्या हुक्म है?}

1126:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने (एतकाफ़ के) कमरे में नमाज़ पढ़ी और लोग हुजरे से बाहर आप की इक़्तिदा कर रहे थे।

फ़ाइदा:— जब नमाज़ियों की सफ़ें मिली हों और सफ़ों के दर्मियान कोई पर्दा या दीवार ओट हो, चाहे इमाम और मुक़्तदियों के दर्मियान ही यह सूरत हो और उन्हें इमाम के हालात की अच्छी तरह जानकारी हो, तो इक़्तिदा जाइज़ है, जैसे आजकल मस्जिदें कई-कई महले की बनी हैं, या महिलायें पर्दे के पीछे होती हैं। मगर रेडियों या टी.वी. के ज़रीआ़ इक़्तिदा जाइज़ नहीं। क्योंकि सफ़ें मुत्तसिल नहीं होती हैं। इस के अ़लावा टी.वी. के ज़रीआ़ उन इबादतों को टेलीकास्ट करना ही शरीअ़त में ठीक नहीं है, चाहे टी.वी. की स्क्रीन पर ज़ाहिर होने वाले शख़्स को इमाम बना लिया जाये।

बाब जुमा के बाद नमाज़ का बयान।}

1127:— इमाम नाफ़े बयान करते हैं कि इब्ने उमर रज़ि॰ ने एक शख़्स को देखा कि जुमा के दिन (जुमा के बाद) उसी जगह दो रक्अ़तें पढ़ा रहा था तो आप ने उसे हटा दिया और कहाः क्या तू जुमा की चार रक्अ़तें पढ़ता है? अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ जुमा के दिन (जुमा के बाद) अपने घर में दो रक्अ़तें पढ़ा करते थे और फ़रमाते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया है।

फ़ाइदा:— फ़र्ज़ के बाद उसी स्थान पर सुन्नत या नफ़्ली नहीं पढ़नी चाहिये, बल्कि जगह बदल देनी चाहिये, या किसी से बात कर ले, या थोड़ी देर ठहर जाये, ताकि फ़र्ज़ और सुन्न्त के दर्मियान फ़ासला हो जाये और लोगों को मालूम हो जाये।

1128:— इमाम नाफ़े ने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ जुमा से पहले लंबी नमाज़ पढ़ा करते थे और जुमा के बाद घर जा कर दो रक्अ़तें पढ़ते और बयान करते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इसी प्रकार किया करते थे।

1129:— उमर बिन अ़ता से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नाफ़े बिन जुबैर ने उन को नम्र के भान्जे साइब बिन यज़ीद के पास भेजा यह पूछने के लिये कि वह क्या बातथी जो मुआ़विया रज़ि॰ ने उन से नमाज़ में देखी थी। उन्होंने कहाः मैं ने मुआ़विया के साथ उन के मक़्सूरा में नमाज़ पढ़ी, तो सलाम के बाद अपने स्थान पर खड़ा हो गया और नमाज़ पढ़ी। फिर जब वह अपने डेरे पर पहुँचे तो मुझे बुलवा भेजा और कहाः जो कुछ तुम ने किया है ऐसे मत करना। जब तुम जुमा पढ़ो तो उसे नमाज़ के साथ मत मिलाओ, यहाँ तक कि बात कर लो या वहाँ से चले जाओ। बिला शुब्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस का हुक्म दिया है कि एक नमाज़ को दूसरी नमाज़ के साथ न मिलाओ, यहाँ तक कि तुम कोई बात कर लो या वहाँ से निकल जाओ।

फ़ाइदा:— यह रिवायत सहीह मुस्लिम शरीफ़ (883) में भी है।

1130:— इमाम अ़ता इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि वह जब मक्का में होते और तुमा पढ़ते तो आगे बढ़ कर दो रक्अ़तें पढ़ते, फिर आगे बढ़ते और चार रक्अ़तें पढ़ते। और जब मदीना में होते और जुमा पढ़ते तो इस के बाद घर लौट जाते और दो रक्अ़ते अ़द करते और मस्जिद में न पढ़ते। आप से इस के बारे में पूछा गया तो कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऐसे ही किया करते थे।

1131:— सुहैल अपने पिता अबू स्वालेह से और वह अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत करते हैं उन्होंने कहाः (इब्ने सवाह के शब्द हैं) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स जुमा के बाद नमाज़ पढ़ना चाहे तो चार रक्अ़त पढ़े। इब्ने सबाह की हदीस मुकम्मल हुयी (अहमद बिन यूनुस की हदीस के शब्द हैं) जब तुम जुमा पढ़ लो तो उस के बाद चार रक्अ़तें पढ़ों। मेरे पिता जी (अबू स्वालेह) ने मुझ से कहाः ऐ बेटे! अगर मस्जिद में पढ़ो तो दो रक्अ़त पढ़ो, फिर जब घर आओ तो दो रक्अ़तें और पढ़ो।

फ़ाइदा:— यह मुस्तहब है।

1132:— इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुमा के बाद अपने घर में दो रक्अ़तें पढ़ा करते थे।

1133:— इमाम अ़ता ने बयान किया कि उन्होंने इब्ने उमर रज़ि० को देखा कि वह जुमा के बाद नमाज़ पढ़ते तो अपनी उस जगह से जहाँ उन्होंने जुमा पढ़ा होता कुछ हट जाते और दो रक्अ़तें पढ़ते और फिर उस से थोड़ा सा और हट जाते और चार रक्अ़तें पढ़ते। मैंने अ़ता से पूछाः आप ने इब्ने उमर को ऐसा करते हुये कितनी बार देखा है? उन्होंने कहाः कई बार।

फ़ाइदा:— जुमा के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने घर जा कर दो रक्अ़त पढ़ते थे और उम्मत को चार पढ़ने का हुक्म दिया, चाहे मस्जिद में पढ़ें या घर जा कर। बहरहाल चार ही पढ़ना अफ़्ज़ल और राजेह है। कुछ लोगों का कहना है कि मस्जिद में पढ़ें तो चार और घर में पढ़ें तो दो रक्अ़त।

बाब {दोनों अ़ीद के अहकाम व मसाइल।}

1134:— अनस बिन मालिक रज़ि० बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाये और उन लोगों के यहाँ दो दिन थे कि वह उन में खेल कूद किया करते थे आप ने पूछाः यह दो दिन क्या हैं? उन्होंने बताया कि हम लोग जाहिलिय्यत के ज़माना में उन दिनों में खेल-कूद किया करते थे। यह सुन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह ने तुम्हें उन के बदले उन से अच्छे दिन दिये हैं। कुरबानी का दिन और फ़ित्र का दिन।

बाब {अ़ीद के लिये जाने का वक़्त।}

1135:— यज़ीद बिन खुमैर रहबी बयान करते हैं कि अ़ब्दुल्लाह बिन बिस्र नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबी लोगों के साथ अ़ीदुल फ़ित्र या अ़ीदुल अज़्हा के लिये तशरीफ़ लाये तो इमाम के लेट कर देने को उन्होंने बुरा जाना और कहाः हम तो इस समय तक नमाज़ से फ़ारिग़ हो चुके होते थे यानी इशाक (चाश्त) के समय तक।

बाब {महिलाओं का अ़ीद के लिये जाना।}

1336:— मुहम्मद बिन सीरीन, उम्मे अ़तिय्या से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि पर्दे में बैठी हुयी महिलाओं को भी अ़ीद के दिन साथ ले जायें। आप से पूछा गयाः क्या माहवारी वाली महिलाओं को भी? आप ने फ़रमायाः वह भी भलाई और मुसलमानों की दुआ़ में शामिल हों। एक महिला कहने लगीः ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! अगर किसी महिला के पास (पर्दे के लिये) चादर न हो तो वह कैसे करे? आप ने फ़रमायाः उस की सखी उसे अपनी चादर का एक हिस्सा ओढ़ा दे।

फ़ाइदा:— अ़ीद के दिन महिलाओं का अ़ीदगाह जाना मुस्तबह है (कोई अनिवार्य नहीं है)

1137:— उम्मे अ़तिय्या रज़ि० ने यही हदीस बयान की (मुहम्मद बिन सिरीन ने) कहाः माहवारी वाली महिलायें नमाज़ की जगह से अलग रहें और कपड़े का ज़िक्र नहीं किया। और (हम्माद ने

अय्यूब के वास्ता से; हफ़्सा बिन्त सीरीन से, उन्होंने एक महिला से, उन्होंने एक दूसरी महिला से रिवायत कि हा गयाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! और कपड़े के बारे में मूसा बिन इस्माओ़ील की रिवायत की तरह बयान किया।

1138:— उम्मे अ़तिय्या बयान करती हैं कि हमें हुक्म दिया जाता था और यह हदीस बयान की और कहा कि हैज़ वाली महिलायें लोगों के पीछे हों और लोगों के साथ तक्बीरें कहें।

1139:— इस्माओ़ील बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़तिय्या अपनी दादी उम्मे अ़तिय्या से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाये तो अन्सार की महिलाओं को एक घर में जमा किया और उमर बिन ख़त्ताब को हमारी तरफ़ भेजा। वह आ कर दर्वाज़े पर खड़े हुये, हम को सलाम किया तो हम ने सलाम का उत्तर दिया, फिर उन्होंने कहाः मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ से भेजा गया हूँ। आप ने मुझे तुम्हारी तरफ़ भेजा है। आप ने हमें महिलाओं को अ़ीदों के बारे में हुक्म दिया है कि माहवारी वालियों और नौजवान लड़कियों को भी अ़ीदगाह लेकर जायें। जुमा हम पर नहीं है और इस प्रकार जनाज़ों में जाने से हमें मना फ़रमाया।

बाब {अ़ीद के दिन ख़ुत्बा।}

1140:— अ़बू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि मर्वान ने अ़ीद केदिन मिंबर निकलवाया और नमाज़ से पहले ख़ुत्बा देना शुरु कर दिया। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उस ने कहाः ऐ मर्वान! तुम ने सुन्नत के ख़िलाफ़ किया है। अ़ीद के दिन मिंबर निकलवाया है जबकि उस दिन यह न निकाला जाता था और नमाज़ से पहले ख़ुत्बा देने का आरंभ किया है। अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ ने पूछाः यह कौन है? लोगों ने कहाः फ़लाँ बिन फ़लाँ है। उन्होंने कहाः उस ने अपना फ़र्ज़ अ़दा कर दिया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि तुम में से जो कोई बुराई देखे और उसे अपने हाथ से दूर कर सकता हो तो हाथ से दूर करे। अगर उस की ताक़त न हो तो ज़बान से यह काम करे, अगर इस की भी ताक़त न हो तो दिल से बुरा जाने, और यह सब से कमज़ोर ईमान है।

फ़ाइदा:— अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ ने खुद अ़ीद से पहले ख़ुत्बा देने से मना फ़रमाया था (बुख़ारी 956)

1141:— अ़ता, जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि मैंने उन को सुना बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़ीदुल् फ़ित्र के दिन खड़े हुये और नमाज़ पढ़ाई। आप ने ख़ुत्बा से पहले नमाज़ से आरंभ किया, फिर ख़ुत्बा दिया। जब अल्लाह के नबी फ़ारिग़ हुये तो उतरे और महिलाओं के पास आये और उन्हें नसीहत फ़रमायी, उस समय आप बिलाल के हाथों का सहारा लिये हुये थे और बिलाल अपना कपड़ा फैलाये हुये थे, महिलायें उस में अपने सदक़ात डालती जाती थीं। कोई अपनी अन्गूठी डालती तो कोई कुछ और कोई कुछ।

फ़ाइदा:— अ़ीद की नमाज़ से पहले ख़ुत्बा देना और उस का नाम "बयान" या "तक़रीर" रखना

सब ही सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हनफ़ी लोग इसी प्रकार करते हैं, यह ग़लत है।

1142:— इमाम अ़ता से रिवायत है वह कहते हैं कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ पर गवाही देता हूँ और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर गवाही दी कि आप ओ़दुल फ़ित्र केदिन निकले, नमाज़ पढ़ाई और खुत्बा दिया, इस के बाद महिलाओं के पास आये, बिलाल आप के साथ थे। इब्ने कसीर ने कहा कि शोबा का ख़याल है कि (अय्यूब ने यह जुम्ला भी कहा था कि) आप ने उन महिलओं को सदक़ा करने का हुक्म दिया तो वह (अपने सदक़े बिलाल के कपड़े में) डालने लगीं।

1143:— अय्यूब ने भी अ़ता से और उन्होंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत कियां। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ख़याल हुआ कि महिलाओं ने (आप का खुत्बा) नहीं सुना है तो आप उन की तरफ़ गये, बिलाल रज़ि॰ भी आप के साथ थे। आप ने उन्हें नसीहत फ़रमाई और सदक़ा करने का हुक्म दिया तो कोई महिला बिलाल के कपड़े में अपनी बाली डाल रही थी और कोई अपनी अन्गूठी।

1144:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने इस हदीस में बयान किया कि कोई महिला अपने कान की बाली देने लगी और कोई अपनी अन्गूठी। और बिलाल उन्हें अपने कपड़े में जमा करते जाते थे। फिर आप ने उस माल को फ़कीर मुसलमानों में तक़्सीम कर दिया।

बाब {खुत्बे में कमान का सहारा लेना।}

1145:— यज़ीद बिन बरा अपने पिता जी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कोओ़द के दिन कमान दी गयी तो आप ने उस के सहारे खुत्बा दिया।

बाब {ओ़द में अज़ान नहीं।}

1146:— अ़ब्दुर्रहमान बिन आ़बिस कहते हैं कि एक शख़्स ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से पूछाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ ओ़द में हाज़िर रहे हैं? उन्होंने कहाः हाँ। अगर मुझे आप के साथ तअ़ल्लुक़ व मर्तबा हासिल न होता तो बचपने के कारण मैं आप के क़रीब न हो सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस निशान के पास आये जो कसीर बिन सल्त के घर के पास है। आप ने नमाज़ पढ़ाई, फिर खुत्बा दिया और (इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने) किसी अज़ान और इक़ामत का ज़िक्र नहीं किया। फिरआप ने सदक़ा करने का हुक्म दिया, तो महिलायें अपने कानों और अपनी गर्दनों की तरफ़ इशारा करने लगीं। बयान किया कि आप ने बिलाल को हुक्म दिया तो वह उन महिलाओं के पास गये और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास लौट आये।

1147:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ओ़द की नमाज़ अज़ान और इक़ामत के बग़ैर पढ़ाई। और ऐसे ही अबू बक्र, उमर और उस्मान ने भी पढ़ाई। शक यहया को हुआ है।

फ़ाइदा:— हदीस ज़ओ़फ़ है, लेकिन अर्थ सहीह है, देखें बुख़ारी 962, मुस्लिम 885, 887।

1148:— जाबिर बिन समुरा रज़ि० से रिवायत है कि मैं ने एक-दो बार नहीं, बल्कि कई बार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ दोनों अ़ीदों की नमाज़ पढ़ी है, अज़ान और इक़ामत के बग़ैर।

बाब {अ़ीद की नमाज़ में तक्बीरात का बयान।}

1149:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि० का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मीठी अ़ीद और अ़ीदुल् अज़्हा में पहली रक्अ़त में सात और दूसरी में पाँच तक्बीरें कहा करते थे।

1150:— ख़ालिद बिन यज़ीद ने इब्ने शिहाब से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया, यह भी कहा कि रुकूअ़ की तक्बीर के अ़लावा।

1151:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि० बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अ़ीदुल फ़ित्र की नमाज़ में तक्बीरें पहली रक्अ़त में सात हैं और दूसरी में पाँच, और क़िरात उन तक्बीरों के बाद है।

फ़ाइदा:— आज 21 दिसंबर 2008 शानिवार रात 8 बजे यहाँ तक का तर्जुमा मुकम्मल हुआ-खालिद।

1152:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता (शुऐब) से, और वह अपने दादा (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़ीदुल् फ़ित्र की नमाज़ में पहली रक्अ़त में सात तक्बीरें कहते, फिर क़िरात करते, फिर तक्बीर कहते (रुकूअ़ के लिये) फिर (दूसरी रक्अ़ते में) खड़े होते और चार तक्बीरें कहते, फिर क़िरात करते, फिर (इस के बाद) रुकूअ़ करते।

फ़ाइदा:— दूसरी रक्अ़त में चार तक्बीर यह सुलैमान बिन हय्यान का वहम है। सहीह पाँच हैं।

1153:— सअ़ीद बिन आ़स ने अबू मूसा अश्अ़री और हुज़ैफ़ा बिन यमान से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़ीदुल अज़्हा और अ़ीदु फ़ित्र में तक्बीरें किस प्रकार कहा करते थे? अबू मूसा ने कहाः आप चार तक्बीरें कहा करते थे जैसे कि जनाज़े में होती हैं। हुज़ैफ़ा ने कहाः उन्होंने सच कहा। अबू मूसा ने कहाः मैं जब बसरा में लोगों पर अमीर था तो इसी प्रकार तक्बीरें कहा करता था। अबू आ़इशा ने कहा कि मैं सअ़ीद बिन आ़स के पास हाज़िर था (जब उन्होंने पूछा था)

फ़ाइदा:— रिवायत ज़अ़ीफ़ है।

बाब {अ़ीदैन में क़िरात का बयान।}

1154:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने अबू वाक़िद लैसी रज़ि० से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़ीदुल् अज़्हा और अ़ीदुल फ़ित्र में क्या क़िरात थे? उन्होंने कहा कि सूरः क़ाफ़ और सूरः क़मर।

बाब {खुत्बा सुनने के लिये बैठना।}

1155:— अ़ब्दुल्लाह बिन साइब से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास अ़ीद में हाज़िर था। आप जब नमाज़ पढ़ चुके तो फ़रमायाः हम खुत्बा देते हैं जो बैठना पसन्द करे बैठ जाये और जो जाना चाहे वह चला जाये।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि यह हदीस (मर्फ़ूअ़ सहीह नहीं, बल्कि मुर्सल है और अ़ता ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान किया है।

फ़ाइदा:— दूसरे उलमा के निकट यह हदीस "सहीह" या "हसन" दर्जे की है। मालूम हुआ कि खुत्बा सुनना वाजिब नहीं है ताहम सुन्नत होने में कोई शक नहीं, इसलिये इस खुत्बा को भी सुनना चाहिये और ग़फ़लत नहीं करनी चाहिये।

बाब {अ़ीद गाह के लिये एक रास्ता से जाना और दूसरे से वापस आना।}

1156:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ीद की नमाज़ को जाने के लिये एक रास्ता अपनाया और वापसी में दूसरे रास्ते से तशरीफ़ लाये।

फ़ाइदा:— यह अमल मुस्तहब है। देखें बुख़ारी शरीफ़ ९८६- जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह।

बाब {अगर अ़ीद के दिन नमाज़ न पढ़ी जा सके तो इमाम अगले दिन पढ़ाये।}

1157:— अबू उमैर बिन अनस अपने चचा लोगों से जो सहाबी थे बयान करते हैं कि एक क़ाफ़िला के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और उन्होंने गवाही दी कि हम ने चाँद देखा है, तो अपने लोगों को हुक्म दिया कि रोज़ा इफ़तार कर लें, और अगले दिन सुब्ह को अ़ीदगाह पहुँचे।

1158:— बक्र बिन मुबश्शिर अन्सारी बयान करते हैं कि मैं सहाबा के साथ अ़ीदुल फ़ित्र और अ़ीदुल अज़हा के दिन अ़ीद गाह जाया करता था। हम लोग बूतहान की वादी से गुज़रते थे और अ़ीदगाह पहुँच जाते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते, फिर उसी वादी से गुज़र कर वापस अपने घरों को लौट आया करते थे।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़अ़ीफ़ है।

बाब {अ़ीद की नमाज़ के बाद नमाज़ पढ़ना।}

1159:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़ीदुल फ़ित्र के दिन (अ़ीदगाह) निकले और अ़ीद की दो रक्अ़तें पढ़ी, उस से पहले या बाद में कोई नमाज़ न पढ़ी। फिर महिलाओं की तरफ़ आये, आप के साथ बिलाल भी थे। आपने उन महिलाओं को सदक़ा करने का हुक्म दिया तो कोई अपने कान की बाली उतार रही थी और कोई अपना हार।

फ़ाइदा:— अ़ीदगाह में कोई नफ़्ल नहीं। न पहले और न बाद में।

बाब {बारिश की वजह से मस्जिद में अ़ीद पढ़ना।}

1160:— वलीद बिन मुस्लिम कहते हैं कि हमें फ़रवियों में से एक आदमी ने बयान किया........ रबीअ़ ने उस का नाम अ़ीसा बताया है.......कि उन्होंने अबू यहया उबैदुल्लाह तैमी को सुना, वह अबू हुरैरा रज़ि॰ से बयान करते थे कि एक मर्तबा अ़ीद के दिन बारिश हो गयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद ही में नमाज़ पढ़ाई।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़अ़ीफ़ है, लेकिन इस में बयान मस्अला सहीह है। नमाज़ खुले मैदान में पढ़नी चाहिये, अगर कोई मजबूरी हो तो मस्जिद में जाइज़ है। आज दिनांक 22 दिसंबर 008 रविवार 7 बजे सुबह अपने घर बेतनार जनपद सिद्वार्थ नगर (यू.पी.) पर यहाँ तक के तर्जुमा से फ़ारिग़ हुआ। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आ़-लमीन।

❀ ❀ ❀

(3) इस्तिस्क़ा के मसाइल

बाब {वर्षा के लिये दुआ़ और उस के अहकाम का बयान।}

1161:— अ़ब्बाद बिन तमीम अपने चचा (अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बारिश की दुआ़ के लिये लोगों के साथ बाहर (मैदान में) निकले। आप ने उन्हें दो रकअ़तें पढ़ायीं, उन में ऊँची आवाज़ से क़िरात की, अपनी चादर को उलटाया अपने हाथ उठा कर दुआ़ फ़रमायी और पानी माँगा और क़िब्ला की तरफ़ मुँह किया।

1162:— अ़ब्बाद बिन तमीम माज़नी ने बयान किया कि उन्होंने अपने चचा से जो सहाबी थे सुना वह बयान करते थे कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वर्षा की नमाज़ के लिये निकले आप ने लोगों की तरफ़ पीठ कर के अल्लाह पाक से दुआ़ माँगी। सुलैमान बिन दाऊद का बयान है कि आप ने क़िब्ला की तरफ़ मुँह किया और अपनी चादर को उलटाया, फिर दो रकअ़तें पढ़ीं। इब्ने अबी ज़ेब ने कहा कि आप ने उस में क़िरात की। इब्ने सरह ने भी इतना इज़ाफ़ा किया है कि आप ने बुलन्द आवाज़ से क़रात की।

1163:— मुहम्मद बन मुस्लिम (इब्ने शिहाब ज़ोहरी) ने अपनी सनद से यह हदीस बयान की, मगर नमाज़ का ज़िक्र नहीं किया और कहा: आप ने अपनी चादर को पलटाया इस प्रकार कि उस का दायाँ कनारा अपने बायें कन्धे पर और बायाँ कनारा दायें कन्धे पर कर लिया, फिर अल्लाह पाक से दुआ़ की।

1164:— अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस्तिस्क़ा की नमाज़ पढ़ाई। आप के ऊपर काली रंग की ऊनी चादर थी। आप ने चाहा कि उस के नीचे वाले कनारे को पकड़ कर ऊपर कर लें, मगर यह आप के लिये मुश्किल हो गया तो आप ने उसे कन्धों ही पर पलट लिया।

फ़ाइदा:— चादर पलटने का आसान तरीक़ा यह है कि अपने हाथों से कमर के नीचे चादर का दायाँ कनारा बायें हाथ से, और बायाँ कनारा दायें हाथ से पकड़ कर ऊपर को ले आयें। इस प्रकार चादर ऊपर नीचे, दायें बायें हर तरफ़ से पलट जाती है। चादर न हो तो रुमाल ही के साथ पलट ले ताकि सुन्नत पर अ़मल हो जाये।

1165:— इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह कहते हैं कि मुझे मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा ने...... उस्मान ने उस को इब्ने उक़्बा कहा.......इब्ने अ़ब्बास के पास भेजा कि मैं उन से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की इस्तिसक़ा की नमाज़ के बारे में मालूमात कर के आऊँ। उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मामूली हालत में तवाज़ो और आजिज़ी की हालत में निकले, और नमाज़ पढ़ने की जगह पहुँच गये। उस्मान ने इज़ाफ़ा किया कि आप मिंबर पर चढ़े। फिर दोनों ने बयान किया कि आप ने तुम्हारे उन ख़ुत्बों की तरह ख़ुत्बा नहीं दिया, बल्कि लगातार दुआ और तक्बीर में लगे रहे। फिर दो रकअ़ते पढ़ीं जैसे कि ई़द में पढ़ी जाती हैं।

बाब {इस्तिसक़ा में किस समय चादर पलटी जाये।}

1166:— अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस्तिसक़ा की नमाज़ के लिये ई़दगाह की तरफ़ निकले। आप ने जब दुआ का इरादा किया तो क़िब्ले की तरफ़ रुख़ कर लिया और अपनी चादर पलट ली।

1167:— अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़नी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ई़दगाह की तरफ़ निकले और इस्तिसक़ा की नमाज़ पढ़ी और जब क़िब्ले की तरफ़ रुख़ किया तो अपनी चादर पलटी।

बाब {इस्तिसक़ा में हाथ उठा कर दुआ माँगना।}

1168:— बनी आबी लहम के आज़ाद करदा गुलाम उमैर ने बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ज़ौरा के स्थान के पास अहजारे-ज़ैत के पास वर्षा की दुआ करते देखा,आप अपने चेहरे के सामने हाथ उठाए खड़े थे, मगर हाथ सर से ऊँचे न थे।

1169:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास कुछ लोग (वर्षा न होने की वजह से) रोते हुये आये तो आप ने यूँ दुआ कीः

अल्लाहुम्मस् क़िना ग़ै-सन् मुग़ी-सन् मरीअ़-न मरीआ़,
नाफ़ि-अन् ग़ैर ज़ार्रिन् आजि-लन् ग़ै-र आजिलिन्

जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि....इस दुआ के बाद तुरन्त उन के ऊपर बादल छा गया।

1170:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किसी दुआ में अपने हाथ इतने ऊँचे न करते थे जितने कि इस्तिसक़ा में, यहाँ तक कि आप की बग़लों की सफ़ेदी दिखाई देती थी।

1171:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बारिश के लिये इस प्रकार दुआ करते थे और उन्होंने हाथ लंबे कर के दिखाए कि हथेलियों को ज़मीन की तरफ़ किया (और इतना ऊँचा किया कि) मैंने उन की बग़लों की सफ़ेदी देखी।

फ़ाइदा— इस्तिसक़ा में उल्टे हाथों से दुआ करना [illegible] के तौर पर [illegible] अमल है।

1172:— मुहम्मद बिन इब्राहीम कहते हैं कि मुझे उन साहब ने सूचना दी जिन्होंने नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अहजारे-ज़ैत के पास अपनी हथेलियाँ फैलाये दुआ़ करते देखा था। (देखें-1168)

1173:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से शिकायत की कि बारिश नहीं हो रही है। तो आप ने नमाज़ गाह में मिंबर रखने का हुक्म दिया और लोगों से एक दिन का वादा किया कि वह उस दिन बाहर निकलें। आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस दिन (इस्तिसक़ा की नमाज़ के लिये) उस समय निकले जब सूरज निकल आया था, आप मिंबर पर बैठे और अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान की, फिर फ़रमायाः तुम ने शिकायत की है कि तुम्हारे क्षेत्र सूख रहे हैं और वर्षा के आने में देरी हो रही है, तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि उसे पुकारो और तुम से इस का वादा कि वह क़ुबूल करेगा। फिर फ़रमायाः

अल्-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़-लमी-न.................

फिर अपने-अपने हाथ उठाए और उठाते चले गये यहाँ तक कि आप के बग़ल की सफ़ेदी देखाई देने लगी। फिर आप ने लोगों की तरफ़ पीठ कर ली। (यानी क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर लिया) और अपनी चादर पलटाई जबकि आप अपने हाथ उठाए हुये थे। फिर लोगों की तरफ़ मुँह किया और मिंबर से उतर आये और दो रक्अ़तें पढ़ाईं। तब अल्लाह ने एक बदली पैदा फ़रमायी, वह कड़की और चमकी और अल्लाह के हुक्म से बरसने लगी। आप अपनी मस्जिद तक न पहुँचे कि नाले बहने लगे। जब आप ने लोगों को देखा कि वह सायों और छप्परों की तरफ़ जल्दी-जल्दी भाग रहे हैं तो आप हँसे यहाँ तक कि आप की दाढ़ें नज़र आने लगीं। आप ने फ़रमायाः

अश्-हदु अन्नल्ला-ह अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर् व-अन्नी
अ़ब्दुल्लहि व-रसूलुहू

1174:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना वालों को सूखा का सामना करना पड़ा। जुमा का दिन था और आप हमें ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक व्यक्ति खड़ा हो गया और कहने लगाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! घोड़े मर गये, बकरियाँ हलाक हो गयीं, अल्लाह पाक से दुआ़ फ़रमायें कि हमें वर्षा दे दे। आप ने अपने हाथ फैलाये और दुआ़ की।

अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि आकाश शीशे की तरह साफ़ था, इतने में हवा चलने लगी और बादल का एक टुकड़ा प्रकट हुआ और फैलता चला गया। फिर आकाश ने अपना दहाना खोल दिया। हम लोग जो (नमाज़ जुमा पढ़ कर) निकले तो पानी में से गुज़रते हुये अपने घरों को पहुँचे। फिर वर्षा होती रही और अगले जुमा तक होती रही। तब वही आदमी या कोई दूसरा शख़्स खड़ा हुआ और कहने लगाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! घर गिरने लगे हैं, अल्लाह से दुआ़ फ़रमायें कि इस वर्षा को रोक दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यह देख कर मुस्कुराए और दुआ़ फ़रमायीः ऐ अल्लाह! यह बारिश हमारे आस-पास हो, हमारे ऊपर न हो। अनस बिन मालिक ने कहा कि इतने में मैं ने बादल को देखा कि वह मदीना के आस-पास फटने

लगा, गोया कि मदीना ऐसा हो गया जैसे कि ताज।

1175:— शुरैक बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी नमिर ने अनस बिन मालिक को कहते सुना और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया, और (उस में इतना इज़ाफ़ा करते हुये) कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के बराबर उठाए अल्लाह से दुआ़ फ़रमाने लगेः अल्लाहुम्मस् क़िना.....और उसी के समान हदीस बयान की।

1176:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब बारिश के लिये दुआ़ फ़रमाते तो यूँ कहते थेः

अल्लाहुम्मस्क़ि अ़िबा–द–क व–बहाइमि–क वन्शुर, रह्–म–त–क व–अह्यि ब–ल–द–कल् मय्यिति

यह मालिक की हदीस के शब्द हैं।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन अर्थ सहीह है।

ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी....22.12.2000. रविवार सुब्ह 10.00

सूर्य ग्रहण का बयान

बाब {सूरज ग्रहन की नमाज़ का बयान।}

1177:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहन लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लंबा क़ियाम किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लोगों के साथ क़ियाम फ़रमाते, फिर रुकूअ़ करते, फिर खड़े होते, फिर रुकूअ़ करते, चुनान्चे आप ने दो रक्अ़तें पढ़ायीं। हर रक्अ़त में तीन रुकूअ़ किये, तीसरा रुकूअ़ फ़रमाते, फिर सज्दा करते, यहाँ तक कि कुछ लोगों को उस दिन लंबे क़ियाम की वजह से बेहोशी छाने लगी, यहाँ तक कि पानी के डोल उन पर डाले गये। आप जब रुकूअ़ को जाते तो अल्लाहु अक्बर कहते, और जब सर उठाते तो समि–अ़ल्लाहु लिमन् हमिदह कहते, यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो गया। फिर आप ने फ़रमायाः सूरज और चाँद किसी की मौत या ज़िन्दगी की वजह से बेनूर नहीं होते, बल्कि यह अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं, वह उन के ज़रीआ़ से अपने बन्दों को डराता है। इसलिये जब इन को सूरज ग्रहन लग जाये तो नमाज़ की तरफ़ जल्दी किया करो।

फ़ाइदा:— देखें मुस्लिम शरीफ़ (901) रुकूअ़ के बाद क़ियाम में सूरः फ़ातिहा पढ़ने का ज़िक्र नहीं, इसलिये नए तिरे से सूरः फ़ातिहा नहीं पढ़नी चाहिये। कुछ लोग रुकूअ़ के बाद क़ियाम में पढ़ने के क़ाइल हैं, लेकिन यह दुरुस्त नहीं।

1178:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज ग्रहन लगा, और यह वही दिन था जिस में नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम के पुत्र इब्राहीम का देहान्त हुआ था, तो लोगों ने कहाः यह इब्राहीम के देहान्त पर गहनाया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ियाम फ़रमाया और लोगों को चार सज्दों में रुकूअ़ कराए (यानी हर रक्अ़त में तीन रुकूअ़ किये) आप ने अल्लाहु अक्बर कहा, फिर लंबी क़िरात की, फिर रुकूअ़ किया उतनी लंबी जितना लंबा क़ियाम किया था। फिर सर उठाया और क़िरात की जो कि पहली क़िरात से कम थी, फिर रुकूअ़ किया जितना कि क़ियाम किया था। फिर सर उठाया और तीसरी बार की जो दूसरी बार की क़िरात से कम थी। फिर रुकूअ़ किया जितनी देर तक क़ियाम किया था उतनी देर तक। फिर सर उठाया और सज्दे में चले गये और दो सज्दे किये। फिर खड़े हुये और तीन रुकूअ़ किये सज्दे से पहले। हर पहले रुकूअ़ दूसरे से ज़्यादा लंबा होता था, अल्बत्ता हर रुकूअ़ क़ियाम के बराबर लंबा होता था।

जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर आप नमाज़ के दौरान ही पीछे हटे तो सफ़ें भी आप के साथ पीछे हो गयीं, फिर आप आगे बढ़े और अपनी जगह पर खड़े हो गये तो सफ़ें भी आगे बढ़ गयीं। इस प्रकार आप ने नमाज़ पूरी की यहाँ तक कि सूरज साफ़ चमकने लगा। फिर आप ने फ़रमायाः ऐ लोगों! सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से दो नियाानियाँ हैं। यह किसी इन्सान के मरने की वजह से बेनूर नहीं होते। जब तुम उन में से कुछ देखो तो नमाज़ पढ़ा करो यहाँ तक कि साफ़ हो जायें......और पूरी हदीस बयान की।

फ़ाइदाः— मुसल्ला से आगे बढ़ना जन्नत देखने और पीछे हटना जहन्नम के देखने की वजह से था। इस में छः रुकूअ़ का ज़िक्र है, यह सहीह नहीं, बल्कि सहीह चार रुकूअ़ हैं जैसा कि अगली हदीस में आ रहा है।

1180:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज को ग्रहन लगा तो आप मस्जिद में तशरीफ़ लाये और खड़े हुये, फिर तक्बीर कही और लोगों ने आप के पीछे सफ़ें बनायीं, फिर आप ने क़िरात शुरु की और लंबी क़िरात की। फिर तक्बीर कही और रुकूअ़ किया, लंबा रुकूअ़ किया, फिर अपना सर उठाया और कहाः समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना-व-ल-कल् हमदु, और खड़े रहे और क़िरात की लंबी क़िरात जो पहली क़िरात से कम लंबी थी। फिर आप ने तक्बीर कही तक्बीर कही और लंबा रुकूअ़ किया, मगर पहले रुकूअ़ से कम लंबा। फिर कहाः समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह्, रब्बना व-ल-कल् हम्दु। फिर दूसरी रक्अ़त में भी इसी प्रकार किया और चार रुकूअ़ और चार सज्दे मुकम्मल किये। और आप के नमाज़ से फ़ारिग़ होने से पहले ही सूरज साफ़ हो गया।

1181:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहन की नमाज़ पढ़ी जैसे कि ऊपर आ़इशा रज़ि॰ की हदीस में बयान हुआ। यानी आप ने दो रक्अ़तें पढ़ायीं और हर रक्अ़त में दो रुकूअ़ किये।

1182:— उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के

जमाना में सूरज को ग्रहन लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई और लंबी सूरतों में से एक सूरत की क़िरात की और पाँच रुकूअ और दो सज्दे किये। फिर क़िब्ला की तरफ़ मुँह कर के बैठे और दुआ करते रहे, यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो गया।

फ़ाइदा:— इस में पाँच रुकूअ का ज़िक्र है और यह रिवायत ज़ओफ़ है।

1183:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप ने सूरज के ग्रहन में नमाज़ पढ़ाई तो क़िरात की और रुकूअ किया। फिर क़िरात की और रुकूअ किया, फिर सज्दा किया और दूसरी रकअत में भी ऐसे ही किया।

फ़ाइदा:— यानी हर दो रकअत में चार-चार रुकूअ किये। अल्लामा अल्बानी के निकट दो-दो रुकूअ करने वाली रिवायतें ही सहीह हैं।

1184:— बसरा में रहने वालों में से एक व्यक्ति सालबा बिन अब्बाद अब्दी बयान करते हैं कि वह समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ के एक खुत्बा में हाज़िर हुये तो समुरा ने कहा: एक मर्तबा एक अन्सारी नौजवान निशाना बाज़ी कर रहे थे यहाँ तक कि देखने वाले की आँख में जब सूरज उफ़ुक़ (आसमान) से दो या तीन नेज़े पर था तो वह काला हो गया जैसे कि तनूमा (घास) हो। हम में से एक साथी ने कहा: चलो मस्जिद की तरफ़ चलें। अल्लाह की क़सम! नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज की इस हालत में उम्मत को ज़रुर कोई नई बात की शिक्षा देंगे। चुनान्चे हम लोग वहाँ तुरन्त पहुँच गये तो क्या देखा कि आप घर से तशरीफ़ लाये हुये हैं, तो आप आगे बढ़े और नमाज़ पढ़ाई। आप ने हमें बड़ा लंबा क़ियाम कराया, इतना लंबा कि उस से अधिक आप ने किसी नमाज़ में इतना लंबा क़ियाम नहीं कराया। हम आप की आवाज़ नहीं सुन रहे थे। फिर आप ने हमें बड़ा लंबा रुकूअ कराया, इतना लंबा आप ने किसी नमाज़ में नहीं कराया। हम आप की आवाज़ नहीं सुन रहे थे। फिर हमें आप ने बड़ा लंबा सज्दा कराया कि किसी नमाज़ में आप ने उतना लंबा सज्दा नहीं कराया। हम आप की आवाज़ नहीं सुन रहे थे।

फिर दूसरी रकअत में भी आप ने ऐसे ही किया और दूसरी रकअत में बैठने के दौरान सूरज साफ़ हो गया। फिर आप ने सलाम फेरा। फिर खड़े हुये, अल्लाह की हम्द व सना की, अल्लाह की तौहीद और अपने बन्दे और रसूल होने की शहादत दी। अहमद बिन यूनुस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुत्बा बयान किया।

फ़ाइदा:— इस में क़िरात सुनने का ज़िक्र नहीं। इस हदीस की रोशनी में अहनाफ़ जेहरी क़िरात के क़ाइल नहीं। लेकिन बुख़ारी, मुस्लिम की रिवायत में मुस्तनद रावियों की तरफ़ से जेहरी क़िरात का इज़ाफ़ा भी सहीह हदीस से साबित है, इसलिये क़िरात बुलन्द आवाज़ से होनी चाहिये और रुकूअ भी कम से कम दो होने चाहिये।

1185:— क़ुबैसा हलाली बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज को ग्रहन लगा तो आप घबराए हुये अपना कपड़ा घसीटते हुये बाहर निकले। मैं उन दिनों आप के साथ मदीना में था। आप ने दो रकअतें पढ़ायीं और उन में बड़ा लंबा क़ियाम किया। फिर

जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो सूरज साफ़ हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: यह निशानियाँ हैं, अल्लाह पाक इन के ज़रीआ बन्दों को डराता है, इसलिये जब तुम यह देखो तो नमाज़ पढ़ो जैसे कि तुम ने अभी क़रीबी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। इस में फ़र्ज़ नमाज़ की तरह पढ़ने का हुक्म है, यह सहीह नहीं है।

1186:— क़ुबैसा हलाली रज़ि॰ से रिवायत है कि सूरज को ग्रहन लगा। फिर मूसा बिन इस्माओ़ल की ऊपर की हदीस की तरह बयान किया, उस में बयान किया कि सितारे ज़ाहिर हो गये (यह रिवायत ज़ओ़फ़ है)

बाब **{कसूफ़ की नमाज़ में क़िरात का बयान।}**

1187:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के समय में सूरज गहना गया तो आप निकले और लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिये खड़े हुये। मैंने आप की क़िरात का अनुमान लगाया तो महसूस किया कि आप ने सूर: बक़र: तिलावत फ़रमायी है ....और हदीस बयान की। फिर आप ने दो सज्दे किये, फिर खड़े हुये और लंबी क़िरात की। मैंने आप की क़िरात का अन्दाज़ा लगाया तो मैंने समझा कि आप ने सूर: आले अ़िम्रान तिलावत की है।

1188:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लंबी क़िरात की और ऊँची आवाज़ से की, यानी सूरज ग्रहन में।

1189:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि सूरज को ग्रहीन लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, लोग आप के साथ थे। आप ने सूर: बक़र: के क़रीब लंबी क़िरात की, फिर रुकूअ़ किया.....और फिर पूरी हदीस बयान की।

बाब **{सूरज गर्हन की नमाज़ के लिये एलान।}**

1190:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि सूरज को ग्रहन लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक आदमी को हुक्म दिया तो उस ने एलान किया: "अस्सलातु जामि-अ़तुन्" यानी नमाज़ के लिये एकत्र हो जाओ।

फ़ाइदा:— एलान का हुक्म है। अज़ान व इक़ामत की तरह एलान नहीं।

बाब **{सूरज गरहन के मौक़ा पर सदक़ा करना।}**

1191:— आ़इशा सिद्दीका रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: सूरज और चाँद किसी के मरने या पैदा होने पर नहीं गहनाते हैं। जब तुम गरहन देखो तो अल्लाह पाक से दुआ़ किया करो, उस की बड़ाई बयान करो, और सदक़ा दिया करो।

बाब **{इस मौक़ा पर गुलाम आज़ाद करना।}**

1192:— अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ की बड़ी बेटी अस्मा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सूरज गरहन के मौक़ा पर गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया करते थे।

बाब {उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि (गरहन में, आ़म तौर पर जो नमाज़ पढ़ते हैं उसी प्रकार) दो रक्अ़तें पढ़े।}

1193:— नोमान बिन बशीर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज गरहन लगा तो आप दो-दो रक्अ़तें पढ़ने लगे, और सूरज के बारे में भी पूछते जाते थे, यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो गया।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। पढ़ेंगे दो ही रक्अ़त, मगर हर रक्अ़त में कम से कम दो रुकूअ़ और खूब लँबी क़िरात होनी चाहिये, जैसा कि सहीह हदीसें ऊपर गुज़र चुकी हैं।

1194:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज को गरहन लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ियाम किया (इतना लंबा क़ियाम किया कि) लगता था आप रुकूअ़ ही नहीं करेंगे। फिर रुकूअ़ किया (इतना लंबा रुकूअ़ किया कि) लगता था कि आप रुकूअ़ से सर ही नहीं उठायेंगे, फिर सर उठाया (और इतनी देर तक खड़े रहे कि) लगता था कि आप सज्दा ही नहीं करेंगे। फिर सज्दा किया (और इतना लंबा किया कि) लगता था कि आप सज्दा से सर ही न उठयेंगे। फिर सर उठाया और दूसरी रक्अ़त में भी इसी प्रकार किया। और अन्तिम सज्दे में ज़ोर-ज़ोर से साँस लेने लगेऔर उफ़-उफ़ की आवाज़ निकाली और कहा: "ऐ मेरे मौला! क्या तू ने मुझ से वादा नहीं किया है मैं उन में मौजूद हूँ उन को दन्ड नहीं देगा। क्या तू ने मुझ से वादा नहीं किया है कि जब तक माफ़ी माँगते रहेंगे तू उन को दन्ड नहीं देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो सूरज साफ़ हो चुका था.....और पूरी हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— गरहन की नमाज़ की हर रक्अ़त में एक रुकूअ़ भी जाइज़ है, लेकिन दो रुकूअ़ वाली रिवायत को तर्जीह हासिल है।

1195:— अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में मैं तीर चलाने की मश्क़ कर रहा था कि इसी दर्मियान सूरज को गरहन लग गया तो मैं ने तीर फेंक दिये और कहा: मैं ज़रुर देखूँगा कि सूरज को गरहन लगने वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क्या नया काम करते हैं? चुनान्चे मैं आप के पास पहुँचा और देखा कि आप अपने हाथ उठा कर तस्बीह, तहमीद और दुआ़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो गया। उस मौक़ा पर आपने दो रक्अ़तों में दो सूरतें पढ़ीं।

बाब {अँधेरा छा जाने या इस प्रकार के दूसरे मौक़ों पर नमाज़ पढ़ना।}

1196:— उबैदुल्लाह बिन नज़्र से रिवायत है कि उन के पिता ने बयान किया कि अनस बिन

मालिक रज़ि॰ की ज़िन्दगी में एक दिन (आँधी या बादल की वजह से) अँधेरा छा गया तो मैं अनस बिन मालिक रज़ि॰ के पास आया और कहा: ऐ अबू हमज़ा! क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में भी आप लोगों को ऐसी हालत में दो चार होना पड़ता था? उन्होंने कहा: अल्लाह की पनाह! अगर हवा भी तेज़ हो जाती तो हम जल्दी-जल्दी मस्जिद का रुख़ करते थे कि कहीं क़ियामत न आ जाये।

बाब {जब कोई बड़ी घटना या हादिसा पेश आये तो सज्दा करना चाहिये।}

1197:— अ़िक्रमा कहते हैं कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ को सूचना दी गयी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की किसी पत्नी का देहान्त हो गया है तो वह सज्दे में गिर गये। उन से कहा गया कि आप ऐसे मौक़ा पर सज्दा करते हैं? उन्होंने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है: जब कोई बड़ी घटना घटे, तो सज्दा किया करो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी के देहान्त से बढ़ कर भी भला कोई घटना हो सकती है?

❀ ❀ ❀

(4) सफ़र के मसाइल का बयान

बाब {मुसाफ़िर की नमाज़ का बयान।}

1198:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि (शुरु में) सफ़र और हज़र की नमाज़ दो-दो रक्अ़त फ़र्ज़ हुयी थी, फिर सफ़र की नमाज़ बहाल रखी गयी और मोक़ीम की नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया।

फ़ाइदा:— यह आइशा रज़ि॰ का क़ौल है। हो सकता है कि मक्का में नमाज़ फ़र्ज़ होने से पहले लोग अपने तौर पर दो-दो रक्अ़त नमाज़ अ़दा करते रहे हों। यह हदीय बुख़ारी शरीफ़ (350) मुस्लिम शरीफ़ (685) में आ चुकी है।

1199:— याला बिन उमय्या कहते हैं कि मैं ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से कहा: आप बताइये कि लोगों का (सफ़र में) नमाज़ क़स्र करना क्यों कर हैं? हालाँकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है: "अगर तुम्हें डर महसूस हो कि कुफ़्फ़ार तुम्हें फ़ितने में डाल देंगे" और अब कुफ़्फ़ार से डर ख़ौफ़ वाली बात तो समाप्त हो चुकी है। उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे भी यही तअ़ज्जुब हुआ था जो तुम्हें हुआ है। तो मैं ने यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान की थी तो आप ने फ़रमाया था: यह सदक़ा है जो अल्लाह पाक ने तुम पर किया है, इसलिये उस का सदक़ा स्वीकार करो।

फ़ाइदा:— सफ़र की हालत में नमाज़ क़स्र करना सुन्नत है। यह अल्लाह का इनाम है जो उस ने बन्दों पर किया है। डर हो या न हो क़स्र करना चाहिये।

1200:— इब्ने जुरैज कहते हैं कि मैं ने अ़ब्दुल्लाह बिन अबू अ़म्मार को सुना वह बयान करते थे.. ....और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब {मुसाफ़िर कब क़स्र करे?}

1201:— यहया बिन यज़ीद हनाई कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ि॰ से नमाज़ क़स्र करने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब तीन

मील, या तीन फ़रसख़ की दूरी पर जाते तो दो रक्अ़ते पढ़ा करते थे।

फ़ाइदा:— तीन मील की दूरी को फ़रसख़ (फ़रसंग) कहते हैं। इस प्रकार क़स्र के लिये कम से कम नौ मील हुयी। तीन मील की बात चूँकि शुब्हे वाली है इसलिये हुज्जत नहीं। और तीन फ़रसख़ की दूरी एहतयात और यक़ीन पर आधारित है। इसलिये सफ़र की दूरी (अपने शहर की हद को छोड़ कर) कम से कम नौ मील यानी 22, 23 किलो मीटर होगी।

1202:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ मदीने में ज़ोहर की नमाज़ चार रक्अ़त पढ़ी और अ़स्र की नमाज़ ज़ुलहुलैफ़ा में (क़स्र कर के) दो रक्अ़त पढ़ी।

फ़ाइदा:— यानी सफ़र (शुरु हो जाने के बाद शहर से निकल कर नमाज़ क़स्र पढ़ी जायेगी। ज़ुल हुलैफ़ा का मौजूदा नाम "आबारे अ़ली" है। मदीना से मक्का की जानिब छः मील की दूरी पर है। यह हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सफ़र हज्ज की बाबत है जबकि आप मक्का जाने के इरादे से निकले थे।

बाब {सफ़र में नमाज़ के लिये अज़ान कहना।}

1203:— उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः "तुम्हारा रब बकरियों के उस चरवाहे पर तअ़ज्जुब करता है (खुश होता है) जो पहाड़ की चोटी पर (अकेला होते हुये) नमाज़ के लिये अज़ान कहता और नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह पाक फ़रमाता है: "देखो, मेरे उस बन्दे को जो नमाज़ के लिये अज़ान और इक़ामत कहता है और मुझ से डरता है। मैंने अपने उस बन्दे को बख़्श दिया है और जन्नत में दाख़िल कर दिया है।

फ़ाइदा:— अकेला चरवाहा अपनी नमाज़ के लिये अज़ान व इक़ामत कह सकता है तो मुसाफ़िर केलिये भी अज़ान व इक़ामत कहनी मुस्तहब है।

बाब {मुसाफ़िर को नमाज़ के समय में शक हो और वह (इमाम के साथ) नमाज़ पढ़ ले तो?}

1204:— मिसहाज बिन मूसा ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ि॰ से कहा: आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से जो कुछ सुना है बयान कीजिये, तो उन्होंने कहा: हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सफ़र में हुआ करते तो आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते, फिर कूच करते, हालाँकि हमें शुब्हा होता था कि सूरज ढला भी है, या नहीं।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ सूरज ढलने से पहले कभी नहीं पढ़ी है, इसलिये यह अनस रज़ि॰ का शक है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सूरज ढलते ही अव्वल समय में पढ़ते थे, इसलिये कुछ लोगों को शुब्हा हुआ कि आप ने सूरज ढलने से पहले पढ़ी है।

1205:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

जब किसी मन्ज़िल पर पड़ाव करते तो उस समय तक कूच न करते जब तक कि ज़ोहर की नमाज़ न पढ़ लेते। एक शख़्स ने उन से कहाः अर्गचे ठीक दोपहर ही होता? उन्होंने कहाः हाँ, अर्गचे ठीक दोपहर ही होता।

बाब **{दो नमाज़ों को जमा करने का बयान।}**

1206:— मआज़ बिन जबल रज़ि० ने बयान किया कि वह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबूक की जन्ग के लिये निकले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर, अस्र, मग़रिब और इशा की नमाज़ों को जमा किया करते थे। आप ने एक दिन नमाज़ को पीछे कर दिया कि तशरीफ़ लाये और जोहर और अस्र इकट्ठी पढ़ायीं, फिर अपने ख़ेमे में चले गये, फिर तशरीफ़ लाये और मग़रिब और इशा की इकट्ठी पढ़ायीं।

फ़ाइदा:— मुसाफ़िर किसी मन्ज़िल पर पड़ाव किये हुये हो, या सफ़ में हो, दोनों सूरतों में नमाज़ों को जमा कर सकता है और ज़्यादा लोग हों तो वह जमाअ़त के साथ ऐसा कर सकते हैं।

1207:— इमाम नाफ़े से रिवायत है कि इब्ने उमर रज़ि० को मक्का में उन की पत्नी सफ़िय्या की बाबत पुकारा गया (यानी उन के देहान्त की सूचना दी गयी) तो आप ने सफ़र किया यहाँ तक कि सूरज डूब गया और सितारे निकल आये और कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में जल्दी में होते तो उन दोनों नमाज़ों (यानी मग़रिब और इशा) को जमा कर लिया करते थे। चुनान्चे आप चलते रहे यहाँ तक कि लाली समाप्त हो गयी, तब उतरे और दोनों नमाज़ों को जमा कर के पढ़ा।

1208:— मआज़ बिन जबल रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की जन्ग में अगर कूच करने से पहले सूरज ढल जाता तो ज़ोहर और अस्र को जमा कर लेते और अगर सूरज ढलने से पहले ही कूच करते तो ज़ोहर को पीछे कर लेते यहाँ तक कि अस्र के समय उतरते (और उन्हें जमा कर के पढ़ते) और मग़रिब में भी ऐसे ही करते। यानी अगर सफ़र शुरु करने से पहले सूरज डूब जाता तो मग़रिब और इशा को जमा कर लेते। और अगर सूरज डूबने से पहले ही चल पड़ते तो मग़रिब को लेट कर देते यहाँ तक कि इशा के लिये उतरते और उन दोनों को इकट्ठे पढ़ते।

फ़ाइदा:— सफ़र में "जमा तक़दीम" और "जमा ताख़ीर" दोनों मस्नून है। जमा तक़दीम, अस्र को जोहर के साथ जोहर के समय में पढ़ना। जमा ताख़ीर, जोहर को अस्र के साथ अस्र के समय में पढ़ना।

1209:— इब्ने उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब और इशा को सफ़र में केवल एक ही बार जमा फ़रमाया था।

फ़ाइदा:— यह रिवायत केवल इब्ने उमर रज़ि० का क़ौल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं।

1210:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुह्, अ़स्र, मग़्रिब और इशा की नमाज़ें बिना किसी डर और ख़ौफ़, या सफ़र के इकट्ठी पढ़ीं।

1211:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मदीना में (मोक़ीम होते हुये) बिना किसी डर-ख़ौफ़, या बारिश के ज़ोहर, अ़स्र, मग़्रिब और इशा की नमाज़ें जमा कर के पढ़ीं। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से पूछा गया कि आप का इस से क्या मक़्सद था? उन्होंने कहा: यही कि उम्मत को कठिनाई और परेशानी न हो।

फ़ाइदा:— जमहूर अहले हदीस उलमा ने इस हदीस से यह दलील पकड़ी है कि बिना किसी ख़ौफ़, वर्षा, बीमारी के भी किसी माकूल वजह से नमाज़ें इकट्ठी पढ़ ले तो जाइज़ है, मगर आ़दत न बना ले। कभी-कभी इस पर अ़मल हो।

1212:— इमाम नाफ़े और अ़ब्दुल्लाह बिन वाक़िद से रिवायत है कि इब्ने उमर रज़ि॰ के मुअज़्ज़िन ने नमाज़ के लिये कहा तो उन्होंने कहा: चलो, चलो, यहाँ तक कि लाली डूबने से ज़रा पहले उतरे और मग़्रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर इन्तिज़ार किया यहाँ तक कि लाली ग़ाइब हो गयी तो इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर फ़रमाया: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब किसी काम में जल्दी होती तो ऐसे ही करते थे जैसे कि मैंने किया है। फिर आप ने उस दिन रात में तीन दिन की दूरी तै की।

फ़ाइदा:— देखें हदीस न॰ 1208 और 1217 का फ़ाइदा।

1213:— ओ़सा ने इब्ने जाबिर से इसी के हममाना रिवायत किया है। इमाम अबू दावूद कहते हैं कि अ़ब्दुल्लाह बिल अ़ला ने नाफ़े से रिवायत करते हुये कहा है कि जब पश्चिम की लाली डूबने लगी तो वह (इब्ने उमर) उतरे और नमाज़ें जमा कर पढ़ीं।

1214:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मदीना में हम को आठ रकअ़तें और सात रकअ़तें, यानी जुह् और अ़स्र और मग़्रिब और इशा की नमाज़ें (जमा कर के) पढ़ायी। सुलैमान और मुसद्द ने यह नहीं कहा कि "हमें पढ़ायी" (बल्कि यह कहा कि आप ने पढ़ीं)

फ़ाइदा:— इस का मक़्सद यह था कि उम्मत को परेशानी न हो। लेकिन याद रहे कि इस प्रकार आ़दत बना लेने की इज़ाज़त नहीं है, बल्कि कभी कभार अहम ज़रुरत पड़ने पर जमा करने की इजाज़त है। देखें हदीस न॰ 1211 का फ़ाइदा।

1215:— जाबिर रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सूरज मक्का में डूब गया, फिर आप ने (मग़्रिब और इशा की नमाज़ें) सरिफ़ की वादी में जमा कर के पढ़ी।

1216:— हिशाम बिन सअ़द ने बयान किया कि मक्का और सरिफ़ की वादी के दर्मियान दस मील का फ़ासला है।

1217:— अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार कहते हैं कि सूरज डूब गया जबकि मैं इब्ने उमर रज़ि॰ के पास था, लेकिन हम चलते रहे। जब देखा कि खूब अँधेरा हो गया तो हम ने कहाः नमाज़। मगर इब्ने उमर चलते ही रहे यहाँ तक कि पश्चिम की लाली ग़ाइब हो गयी और सितारे निकल आये, तब वह उतरे और दोनों नमाज़ें इकट्ठी कर के पढ़ी। फिर कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप को जब सफ़र में जल्दी होती तो आप अपनी नमाज़ें इसी प्रकार पढ़ते जैसी मैं ने पढ़ी है, यानी अँधेरा छा जाने के बाद दोनों को जमा कर के पढ़ते।

फ़ाइदाः— दोनों नमाज़ों को लाली समाप्त हो जाने के बाद जमा करते थे, यह सहीह है। रिवायत न॰ 1212 में है कि लाली समाप्त होने से पहले दोनों को जमा किया, यह दुरुस्त नहीं।

1218:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सूरज ढलने से पहले कूच करते तो ज़ोहर की अ़स्र तक पीछे कर देते, फिर उतर कर उन दोनों को एक साथ जमा कर के पढ़ते। और अगर सफ़र शुरु करने से पहले ही सूरज ढल जाता तो ज़ोहर पढ़ते और सवार हो जाते।

फ़ाइदाः— इस हदीस से "जमा ताख़ीर" साबित है और हदीस न॰ 1208 में "जमा तक़दीम" और दोनों शक्लें जाइज़ है।

1219:— अ़क़ील ने अपनी सनद से यह हदीस बयान की, उन्होंने कहाः और मग़्रिब को पीछे कर देते फिर इशा के साथ जमा कर के पढ़ते, जबकि पश्चिम की लाली समाप्त हो चुकी होती।

1220:— मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तबूक की लड़ाई में जब सूरज ढलने से पहले कूच करते तो ज़ोहर की नमाज़ को पीछे कर देते, फिर अ़स्र के साथ जमा कर के पढ़ते। और सूरज ढलने के बाद कूच करते तो ज़ोहर और अ़स्र को इकट्ठा पढ़ते, फिर यात्रा शुरु करते। और जब मग़रिब से पहले रवाना होते तो मग़्रिब की नमाज़ को पीछे कर के पढ़ते फिर इशा के साथ मिला कर पढ़ते। और जब मग़्रिब के बाद कूच करते तो इशा को जल्दी कर के मग़रिब के साथ पढ़ लेते।

बाब {सफ़र में नमाज़ की क़िरात को मुख़्तसर करना।}

1221:— बरा रज़ि॰ से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में निकले तो आप ने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई तो आप ने उस की एक रक्अ़त में सूरः "वत्तीन वज़्ज़ैतून" तिलावत फ़रमायी।

बाब {सफ़र में नफ़्ली नमाज़ पढ़ना।}

1222:— बरा बिन आ़ज़िब अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं अठारह सफ़रों में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ रहा हूँ। मैं ने नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सूरज ढल जाने के बाद ज़ोहर से पहले दो रक्अ़तें छोड़ी हों।

1223:— हफ़्स बिन आ़सिम बिन उमर बिन ख़त्ताब का बयान है कि मैं एक सफ़र में इब्ने उमर

रज़ि॰ के साथ था, उन्होंने हम को दो रक्अ़तें पढ़ायीं, फिर (अपनी मन्ज़िल में) आ गये और कुछ लोगों को नमाज़ पढ़ते देखा पूछाः यह लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहाः नफ़्ल पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहाः अगर मुझे नफ़्ल ही पढ़ने होते तो मैं अपनी फ़र्ज़ नमाज़ ही पूरी पढ़ लेता। ऐ भतीजे! मैं सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ रहा हूँ, आप ने दो रक्अ़तों से ज़्यादा नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने आप को वफ़ात दे दी। और मैं अबू बक्र की ख़िदमत में भी रहा हूँ, उन्होंने भी दो रक्अ़त से अधिक नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने उन्हें वफ़ात दे दी। और मैं उमर रज़ि॰ की ख़िदमत में भी रहा हूँ, उन्होंने भी (सफ़र में) दो रक्अ़त से ज़्यादा नहीं पढ़ी यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने उन्हें वफ़ात दे दी। और तैं उस्मान ग़नी रज़ि॰ की ख़िदमत में भी रहा हूँ, उन्होंने भी दो रक्अ़त से अधिक नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने आप को देहान्त दे दी। और अल्लाह पाक का फ़र्मान हैः "तुम्हारे लिये अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है।"

फ़ाइदाः— फ़ज्र की सुन्नतों के अ़लावा कोई भी सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पढ़ना साबित नहीं। लेकिन अगर कोई पढ़ना ही चाहे तो मना नहीं है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सफ़र में सवारी पर नफ़्ल पढ़ा करते थे।

बाब {सवारी पर नफ़्ल और वित्र पढ़ना।}

1224:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी सवारी पर नफ़्ल और वित्र पढ़ा करते थे, उस का रुख़ चाहे किसी तरफ़ ही होता, मगर आप फ़र्ज़ नमाज़ उस पर न पढ़ते थे।

1225:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सफ़र में होते और नफ़्ल पढ़ना चाहते तो अपनी ऊँटनी को क़िब्ला रुख़ कर के और तक्बीर तहरीमा कह कर नमाज़ शुरु कर लेते, फिर नमाज़ पढ़ते रहते, चाहे उस का रुख़ किसी भी तरफ़ होता रहता।

फ़ाइदाः— वह सवारियाँ जो अपने क़ाबू में नहीं हैं जैसे रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, तो उन पर फ़र्ज़ नमाज़ भी पढ़ सकते हैं।

1226:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप अपने गधे पर नमाज़ पढ़ रहे थे और आप का मुँह ख़ैबर की तरफ़ था।

फ़ाइदाः— गधे का माँस खाना हराम है। मगर उस का शरीर अगर उस पर नापाकी न लगी हो तो पाक है और उस पर नमाज़ भी सहीह है।

1227:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम के लिये भेजा। मैं वापस आया तो देखा कि आप अपनी ऊँटनी पर नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप का चेहरा पूरब की तरफ़ था और आप सज्दे के लिये रुकूअ़ से ज़्यादा झुकते थे।

बाब {मजबूरी में सवारी पर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ना।}

1228:— अ़ता बिन रिबाह ने आ़इशा रज़ि॰ से प्रश्न किया कि क्या महिलाओं को इजाज़त है कि वह अपनी सवारी के जानवरों पर नमाज़ पढ़ लिया करे? उन्होंने उत्तर दिया कि किसी भी हालत में उन्हें इस की अनुमति नहीं दी गयी है, परेशानी की हालत में हो या इतमिनान की हालत में। मुहम्मद बिन शुऐब ने कहा कि यह फ़र्ज़ नमाज़ की बात है।

फ़ाइदा:— वास्तव में कोई मजबूरी है तो फ़र्ज़, सुन्नत, नफ़ल सब जाइज़ है।

बाब {मुसाफ़िर कितने दिन तक क़स्र करे?}

1229:— अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शिरकत की है और फ़त्ह मक्का में भी आप के साथ था। आप मक्का में 18 रातें ठहरे। उन दिनों में आप दो-दो रक्अ़तें ही पढ़ते रहे और फ़रमाते: ऐ शहर वालों! तुम चार रक्अ़तें पढ़ो, हम लोग मुसाफ़िर हैं।

1230:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का में 17 दिन रहे और नमाज़ क़स्र करते रहे। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहा: जो शख़्स 17 दिन इक़ामत करे वह क़स्र करे और जो इस से ज़्यादा ठहरे वह पूरी नमाज़ पढ़े।

इकरमा ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने 19 दिन क़ियाम किया।

1231:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि फ़त्ह मक्का के साल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का में 15 दिन रहे और क़स्र करते रहे।

1232:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का में 17 दिन ठहरे और दो-दो रक्अ़तें पढ़ते रहे।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का में कितने दिन ठहरे? इस में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। 19 दिन, 18 दिन, 17 दिन, 15 दिन। लेकिन सहीह 19 दिन है। आने-जाने और ठहरने की कुल मुद्दत 19 दिन है।

1233:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ मदीना से मक्का की तरफ़ रवाना हुये। आप (इस सफ़र में) दो-दो रक्अ़तें ही पढ़ते थे, यहाँ तक कि हम मदीना लौट आये। हम ने पूछा: क्या आप लोग वहाँ कुछ ठहरे भी थे? उन्होंने कहा: दस दिन ठहरे थे।

फ़ाइदा:— यह अन्तिम हज्ज की घटना है। केवल मक्का में चार दिन और आस-पास छः दिन, कुल दस दिन ठहरे थे।

1234:— उमर बिन अ़ली बिन अबू तालिब से रिवायत है कि अ़ली रज़ि॰ जब सफ़र करते तो

सूरज डूबने के बाद चलते, यहाँ तक कि अँधेरा छा जाने के क़रीब हो जाता। फिर सवारी से उतरते और मग़रिब की नमाज़ पढ़ते, खाना माँग कर खाते, फिर इशा की नमाज़ पढ़ते, फिर कूच करते। और बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऐसे ही किया करते थे।

बाब **{दुश्मन के क्षेत्र में ठहरे तो क़स्र करे।}**

1235:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तबूक में बीस दिन ठहरे और नमाज़ क़स्र करते रहे।

फ़ाइदा:— मुजाहिद लोग जब सरहद पर जन्ग की हालत में हों, या जन्ग का ख़तरा हो, तो नमाज़ क़स्र करे,.........उस की मुद्दत चाहे कितनी ही लंबी हो। फिर जब जन्ग का ख़तरा टल जाये तो क़स्र न करे।

बाब **{ख़ौफ़ की नमाज़ के मसाइल।}**

(नीचे की हदीस) उन लोगों की दलील है जो कहते हैं कि इमाम उन्हें नमाज़ पढ़ाये जबकि मुजाहिदों की दो सफ़ें हों। इमाम उन सब को इकट्ठे ही नमाज़ शुरु कराए और तक्बीर तहरीमा कहे, फिर यह सब रुकूअ़ करें, फिर इमाम और उसके साथ वाली सफ़ के लोग सज्दा करें, मगर पिछली सफ़ वाले खड़े रहें और उन की निग्रानी करें। जब वह (सज्दा कर के) खड़े हो जायें तो दूसरी सफ़ वाले जो इन के पीछे खड़े थे सज्दा करें। फिर पहली सफ़ वाले, दूसरी सफ़ में हो जायें और दूसरी सफ़ वाले पहली सफ़ में आ जायें। फिर इमाम और सब लोग रुकूअ़ करें। फिर इमाम और उस से निकट के सफ़ वाले सज्दा कर के बैठ जायें तो फिर दूसरी सफ़ वाले सज्दा करें और सब बैठ जायें और फिर मिल कर सलाम फेरें। इमाम अबू दावूद ने कहा कि सुफ़यान सौरी का यही क़ौल है।

1236:— अबू अ़याश जुरक़ी रज़ि॰ बयान करते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ अ़स्फ़ान में थे, उधर मुश्रिकों की क़ियादत ख़ालिद बिन वलीद के हाथ में थी। हम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। मुश्रिकों ने कहा: हमें धोखा देने का मौक़ा मिला था, अगर हम उन पर हमला कर देते जबकि वह नमाज़ पढ़ रहेथे (तो यह बहुत अच्छा मौक़ा था) चुनान्चे ज़ोहर और अ़स्र के दर्मियान क़स्र की आयत (यानी नमाज़े-ख़ौफ़ नाज़िल हो गयी। जब अ़स्र का समय हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क़िब्ले की जानिब खड़े हो गये और मुश्रिक उन के सामने थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे एक सफ़ खड़ी हुयी और दूसरी उस के पीछे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रुकूअ़ किया और सब लोगों ने भी रुकूअ़ किया। फिर आप ने सज्दा किया और आप के पास जो सफ़ थी उस ने भी सज्दा किया और दूसरी सफ़ वाले खड़े उन की निग्रानी करते रहे। जब उन लोगों (यानी पहली सफ़ वालों) ने दो सज्दे कर लिये और खड़े हो गये तो जो लोग उन के पीछे थे उन्होंने सज्दा किया। फिर पहली सफ़ दूसरी सफ़ वालों की जगह पर आ गयी और दूसरी सफ़ वाले पहली सफ़ वालों की जगह पर आ गये और दूसरी सफ़ वाले पहले सफ़ वालों की जगह पर हो गये।

फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और सब लोगों ने रुकूअ़ किया, फिर आपने

और आप के नज़दीक सफ़ वालों ने सज्दा किया और पिछली सफ़ वाले खड़े उन की निग्रानी करते रहे। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और पहली सफ़ वाले बैठ गये तो दूसरों ने सज्दा किया। फिर सब बैठे और इकट्ठे सलाम फेरा। आप ने अ़स्फ़ान और बनी सुलैम की जन्ग के मौक़ा पर इस प्रकार नमाज़े-ख़ौफ़ पढ़ाई।

फ़ाइदा:— नमाज़, लड़ाई के दौरान भी माफ़ नहीं। जन्ग के मौक़ा पर नमाज़ में सफ़ आगे-पीछे होती है। इस में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ने का एक तरीक़ा यह भी है।

बाब **{(नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ने का एक और तरीक़ा) एक सफ़ इमाम के साथ हो और दूसरी दुश्मन के सामने।}**

चुनान्चे इमाम अपने साथ वाले लोगों को एक रक्अ़त पढ़ाये, फिर इमाम खड़ा इन्तिज़ार करे, यहाँ तक कि यह लोग (अपने तौर पर) दूसरी रक्अ़त पढ़ लें और दुश्मन के सामने चले जायें। फिर दूसरा गरोह आ जाये और इमाम उन्हें एक रक्अ़त पढ़ायें, फिर वह बैठ कर इन्तिज़ार करे, यहाँ तक कि यह लोग अपने तौर पर दूसरी रक्अ़त पढ़ लें। फिर इमाम उन सब के साथ मिल कर सलाम कहे।

1237:— सह्ल बिन अबी हस्मा रज़ि० बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ाई। आप ने अपने पीछे उन लोगों की दो सफ़ें बनायीं। तो जो लोग आप के पास खड़े थे आप ने उन्हें एक रक्अ़त पढ़ाई, फिर आप खड़े हो गये, और लगातार खड़े रहे, यहाँ तक कि उन्होंने (यानी पहली सफ़ वालों ने) अपनी दूसरी रक्अ़त पढ़ ली। फिर दूसरे गरोह वाले लोग आ गये और जो आगे थे वह पीछे चले गये। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी एक रक्अ़त पढ़ाई, फिर बैठे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने (यानी दूसरे गरोह वालों ने) अपनी दूसरी रक्अ़त पढ़ ली, फिर सलाम फेरा।

बाब **{(एक और कैफ़ियत) इमाम (दोनों गरोहों को एक) एक रक्अ़त पढ़ाये।}**

इमाम जब एक गरोह को एक रक्अ़त पढ़ाये तो फिर खड़ा इन्तिज़ार करे, यहाँ तक कि यह लोग दूसरी रक्अ़त मुकम्मल कर लें और सलाम फेर लें और फिर दुश्मन के मुक़ाबले में चले जायें। इस सूरत में सलाम में इख़्तिलाफ़ किया गया है।

1238:— स्वालेह बिन ख़व्वात उस व्यक्ति से रिवायत करते हैं जिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ ज़ातुर्रिक़ाअ़ की जन्ग में ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ थी। उस ने बयान किया कि एक गरोह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सफ़ बनाई और दूसरा गरोह दुश्मन के सामने रहा। फिर आप ने उस गरोह को जो आप के साथ था एक रक्अ़त पढ़ाई, फिर खड़े रहे और उन्होंने अपनी दूसरी रक्अ़त मुकम्मल की। फिर यह लोग दुश्मन के सामने चले गये और दूसरा गरोह आ गया। आप ने उन को अपनी बाक़ी दूसरी रक्अ़त पढ़ाई, फिर आप बैठे रहे और उन लोगों ने अपने तौर पर अपनी नमाज़ मुकम्मल की। फिर आप ने उन के साथ सलाम फेरा।

इमाम मालिक कहते हैं कि (ख़ौफ़ की नमाज़ के सिलसिले में) जो मैंने सुना है (उन में से यही) हदीस यज़ीद बिन रुमान मुझे ज़्यादा पसन्द है।

1239:— स्वालेह बिन ख़व्वात अन्सारी से रिवायत है कि सहल बिन अबू हस्मा अन्सारी रज़ि॰ ने उन से बयान किया कि ख़ौफ़ की नमाज़ का तरीक़ा यह है कि इमाम और उस के साथियों का एक गरोह (नमाज़ के लिये) खड़े हो जायें और दूसरा गरोह दुश्मन के मुक़ाबले में खड़ा रहे। इमाम अपने साथ वालों के साथ रुकूअ़ करे और सज्दा करे। फिर जब उठे तो खड़ा ही रहे और मुक़्तदी अपने तौर पर दूसरी रक्अ़त पढ़ें, फिर सलाम फेरें और इमाम खड़ा रहे और यह दुश्मन के मुक़ाबिल चले जायें। फिर दूसरा गरोह आ जाये जिन्होंने अभी नमाज़ शुरु नहीं की थी। पस वह इमाम के पीछे तक्बीर कह कर (नमाज़ शुरु करें) फिर इमाम उन को रुकूअ़ और सज्दा कराए, फिर सलाम फेरे और यह लोग खड़े होकर अपनी बाक़ी रक्अ़त पढ़ें और फिर सलाम फेरें।

बाब (ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ने का एक और तरीक़ा) सब इकट्ठे तक्बीर तहरीमा कहें।}

तमाम मुजाहिद मिल कर तक्बीर (तहरीमा) कहें। अगर उन की पुश्त क़िब्ला की तरफ़ हो, तो इमाम अपने साथ एक गरोह को एक रक्अ़त पढ़ाये, फिर यह लोग अपने साथियों की जगह चले आयें। फिर दूसरे (इमाम के पीछे) आ कर अपनी पहली रक्अ़त अपने तौर पर पढ़ें, फिर इमाम उन्हें दूसरी रक्अ़त पढ़ाये, फिर वह गरोह भी आ जाये जो दुश्मन के सामने हो, और अपने तौर पर एक रक्अ़त पढ़ें और इमाम बैठा रहे, फिर उन सब के साथ मिल कर सलाम फेरे।

1240:— मर्वान बिन हकम से रिवायत है कि उन्होंने अबू हुरैरा रज़ि॰ से पूछाः क्या आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ी है? अबू हुरैरा ने कहाः हाँ। मर्वान ने पूछाः कब? उन्होंने कहाः नज्द की लड़ाई के साल। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़स्र की नमाज़ के लिये खड़े हुये और आप के साथ एक गरोह था। जबकि दूसरा दुश्मन के मुक़ाबला में था और क़बीला की तरफ़ उन की पीठ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तक्बीर (तहरीमा) कही और सब ने आप के साथ तक्बीर कही, आप के साथ वालों ने भी और उन्होंने भी जो दुश्मन के सामने खड़े थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने साथ वाले गरोह को एक रक्अ़त पढ़ाई। उस गरोह ने आप के साथ रुकूअ़ किया, फिर आप ने सज्दा किया तो उन्होंने भी सज्दा किया, जबकि दूसरे लोग दुश्मन के सामने खड़े रहे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खड़े हुये और आप के साथ वाला गरोह भी खड़ा हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खड़े हुये और आप के साथ वाला गरोह भी खड़ा हो गया। फिर यह चले गये और दुश्मन के सामने जा खड़े हुये, और दूसरा गरोह जो पहले दुश्मने के सामने था (आप के पीछे) आ गया। उन्होंने (अपने तौर पर) रुकूअ़ और सज्दे किये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने स्थान पर खड़े रहे। फिर (जब यह लोग पहली रक्अ़त से) खड़े हुये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को दूसरी रक्अ़त पढ़ाई। उन्होंने आप के साथ रुकूअ़ और सज्दे किये। फिर वह गरोह भी आ गया जो दुश्मन के सामने था। उन्होंने (अपने तौर पर) रुकूअ़ और सज्दे किये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के साथ वाले बैठे रहे। फिर सलाम फेरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने और सब ने इकट्ठे सलाम फेरा। पस (इस प्रकार) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की (जमाअ़त के साथ) दो

रक्अ़तें हुयीं और दोनों गरोहों में से हर-हर शख़्स की एक-एक रक्अ़त।

1241:— उर्वा बिन जुबैर अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत करते हैं उन का बयान है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नज्द की तरफ़ निकले। यहाँ तक कि जब हम नख़्ल के स्नान पर "ज़ातुर्रिक़ाअ़" में पहुँचे। तो बनू ग़ितफ़ान की एक जमाअ़त से टकराव हो गया...... फिर ऊपर की रिवायत की तरह बयान किया। उस के शब्द हैवह के शब्द से मुख़्तलिफ़ हैं।

उस में कहा: जब आप ने अपने साथ वालों के साथ रुकूअ़ और सज्दे किये और खड़े हुये तो यह लोग उल्टे पाँव चलते हुये अपने साथियों की जगह जा खड़े हुये, और क़िब्ले की तरफ़ पीठ करने का ज़िक्र नहीं किया।

1242:— इमाम अबू दावूद कहते हैं कि उबैदुल्लाह बिन सअ़द ने हम से बयान किया कि मुझ से मेरे चचा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मेरे पिता जी ने मुझे बताया इब्ने इस्हाक़ से सुन कर...... आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तक्बीर कही और उस गरोह ने भी तक्बीर कही जिस ने आप के साथ सफ़ बनाई थीं, फिर आप ने रुकूअ़ किया तो उन्होंने भी रुकूअ़ किया, फिर आप ने सज्दा किया तो उन्होंने भी सज्दा किया, फिर वह खड़े हुये और उल्टे पाँव चलते हुये उन (यानी दूसरे ग्रोह) के पीछे जा खड़े हुये और दूसरा गरोह आ गया। उस ने भी खड़े होकर तक्बीर कही और अपने तौर पर रुकूअ़ किया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सज्दा किया तो उन्होंने भी आप के साथ सज्दा किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खड़े हुये और उन लोगों ने अपने तौर पर सज्दा किया। फिर दोनों गरोह एक साथ हो गये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। आप ने रुकूअ़ किया और उन्होंने भी रुकूअ़ किया, फिर आप ने सज्दा किया तो उन्होंने भी आप के साथ जल्दी से सज्दा किया, बड़ी जल्दी से, और जल्दी करने में कोई कसर न छोड़ी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो उन सब ने भी सलाम फेरा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खड़े हो गये और सब लोग आप के साथ पूरी नमाज़ में शरीक रहे।

बाब **{(ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ने का एक और तरीक़ा) इमाम हर गरोह को एक-एक रक्अ़त पढ़ाये, फिर सलाम फेर दे और हर सफ़ (गरोह) के लोग अपने तौर पर दूसरी रक्अ़त पढ़ें।}**

1243:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक गरोह को एक रक्अ़त पढ़ाई, जबकि दूसरा गरोह दुश्मन के सामने था। फिर यह लोग चले गये और दूसरों की जगह पर (दुश्मन के मुक़ाबिल) खड़े हो गये। फिर वह लोग (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे) आ गये तो आप ने उन को दूसरी रक्अ़त पढ़ाई और सलाम फेर दिया। फिर यह लोग खड़े हुये और अपनी रक्अ़त अ़दा की और दूसरे गरोह वाले भी खड़े हुये और अपनी रक्अ़त अदा की।

फ़ाइदा:— इस सूरत में इमाम गोया अपने मुजाहिदों का मुहाफ़िज़ (सुरक्षा करने वाला) बना कि वह लोग अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लें।

बाब **{(ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ने का एक और तरीक़ा) इमाम हर गरोह को एक-एक रक्अ़त पढ़ाये, फिर सलाम फेर दे, तो जो लोग उस के पीछे हों वह खड़े होकर अपनी (दूसरी) रक्अ़त पढ़ लें, फिर दूसरे लोग उन की जगह पर आ जायें और अपनी एक रक्अ़त पढ़ लें।}**

1244:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ाई। (इस प्रकार कि सहाबा ने दो सफ़ें बनायीं) एक सफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे खड़ी हुयी और दूसरी दुश्मन के सामने रही। आप ने उन को (जो आप के पीछे थे) एक रक्अ़त पढ़ाई, फिर दूसरे आ गये और उन लोगों की जगह पर खड़े होगये और यह दुश्मन के मुक़ाबले में चले गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को एक रक्अ़त पढ़ाई और खुद सलाम फेर दिया तो उन लोगों ने उठ कर अपनी एक रक्अ़त पढ़ी और सलाम फेरा, फिर चले गये और उन की जगह पर जा खड़े हुये जो दुश्मन के सामने थे। फिर दूसरे उन लोगों की जगह पर आ गये और अपनी-अपनी एक रक्अ़त पढ़ी और सलाम फेरा।

1245:— खुसैफ़ ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया और इतना और रिवायत किया कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तक्बीर कही तो दोनों सफ़ों ने उन के साथ मिल कर तक्बीर कही।

फ़ाइदा:— हदीस न॰ 1244, 1245 दोनों ज़ओ़फ़ है, इसलिये इन दोनों पर अ़मल नहीं होगा।

बाब **{ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ने का एक और तरीक़ा) इमाम हर गरोह को एक रक्अ़त पढ़ाये और वह (बाद में स्वँय) कोई और रक्अ़त न पढ़े।}**

1246:— सालबा बिन जहदम बयान करते हैं कि हम लोग सओ़द बिन आ़स रज़ि॰ के साथ तबरिस्तान में थे, वह खड़े हुये और पूछा: तुम में से किस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ी है? हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने कहा: मैं ने पढ़ी है। चुनान्चे उन्होंने एक गरोह को एक रक्अ़त पढ़ाई और दूसरे गरोह को एक रक्अ़त पढ़ाई। फिर उन दोनों गरोह ने और कोई रक्अ़त न पढ़ी।

1247:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ कहते हैं कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे नबी की ज़बान पर नमाज़ फ़र्ज़ की है, इक़ामत में चार रक्अ़तें, सफ़र में दो रक्अ़तें और ख़ौफ़ में एक रक्अ़त।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि ख़ौफ़ की हालत में कम से कम एक रक्अ़त पढ़ लेना फ़र्ज़ है। और अगर मौक़ा हो तो दो रक्अ़त अफ़ज़ले और बेहतर है।

बाब **{(ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ने का एक और तरीक़ा) इमाम हर-हर दो गरोह को दो-दो रक्अ़तें पढ़ाये।}**

1248:— अबू बक्रा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ में ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ाई तो बाज़ ने आप के पीछे सफ़ बनायी और बाज़ दुश्मन के सामने रहे। आप ने उन लोगों को (जो आप के पीछे थे) दो रक्अ़तें पढ़ायी और सलाम फेर दिया

तब यह लोग अपने साथियों की जगह चले गये और वह आ गये और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी। आप ने उन को दो रक्अ़तें पढ़ायीं और सलाम फेरा। इस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की चार रक्अ़तें हुयीं और आप के सहाबा की दो-दो। हसन इसी का फ़तवा दिया करते थे।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, लेकिन सहीह मुस्लिम की हदीस न॰ 843 से इस की ताईद होती है। बहर हाल ख़ौफ़ की नमाज़ की यह कई शक्लें हुयीं। इमाम मौक़ा पर इन में से किसी भी तरीक़ा के मुताबिक़ नमाज़ पढ़ा दे। यह बात मालूम रहे कि इतने नाजुक हालात में भी नमाज़ माफ़ नहीं है और जमाअ़त के साथ पढ़ने का हुक्म है।

बाब **{दुश्मन की खोज में निकले तो किस तरह नमाज़ पढ़े? (यानी अगर डर हो कि नमाज़ पढ़ने के लिये रुक गये तो दुश्मन जुल (धोखा) दे जायेगा, या कोई और मुश्किल पेश आ जायेगी, तो इस सूरत में किस प्रकार नमाज़ पढ़े।}**

1249:— अ़ब्दुल्लाह बिन उनैस का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे ख़ालिद बिन सुफ़यान हुज़ली के तआ़क़ुब मैं उरना और अ़राफ़त की तरफ़ रवाना किया और फ़रमायाः "जाओ और उसे क़त्ल कर दो" मैंने उसे देखा और उधर अ़स्र की नमाज़ का समय हो गया तो मैंने ख़याल किया कि अगर मैंने नमाज़ ताख़ीर कर दी तो मेरे और उस के दर्मियान कुछ हो जायेगा। चुनान्चे मैं उस की तरफ़ जाते हुये इशारे से नमाज़ पढ़ता गया। जब मैं उस के क़रीब हुआ तो उस ने मुझ से पूछाः तुम कौन हो? मैंने कहाः मैं अहले अ़रब से हूँ और मुझे मालूम हुआ है कि तुम उस के मुक़ाबला के लिये लश्कर जमा कर रहे हो, तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। उस ने कहाः मैं भी इसी मोहिम पर हूँ। चुनान्चे में कुछ देर उस के साथ चलता रहा। जब मैं ने मौक़ा पाया तो उस पर अपनी तल्वार (बुलन्द की....यहाँ तक कि वह ठन्डा हो गया।

फ़ाइदा:— यह हदीस हसन है। मालूम हुआ कि जन्ग के दौरान अगर हालात गंभीर हो जायें और नमाज़ के लिये जमा होने की ऊपर की कोई शक्ल भी संभव न हो तो मुजाहिद इशारे से नमाज़ पढ़ सकता है। यह भी मालूम हुआ कि दुश्मन के मुक़ाबला में हीला से काम लेना जाइज़ है और यह झूठ में शुमार नहीं होगा।

❀ ❀ ❀

(5) नफ़्ल और सुन्नतों का बयान

बाब {नफ़्ली नमाज़ों और सुन्नतों की रक्अ़तों के मसाइल का बयान।}

1250:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे हबीबा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स एक दिन में 12 रक्अ़तें नफ़्ल की पढ़ता है, उस के लिये बदले में जन्नत में एक घर बना दिया जाता है।

फ़ाइदा:— इन बारह रक्अ़तों की तफ़सील यह है। चार ज़ोहर से पहले, दो उस के बाद। दो मग़्रिब के बाद, दो इशा के बाद और दो फ़ज्र से पहले।

1251:— अ़ब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं कि मैं ने आ़इशा रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के नफ़्ली नमाज़ों के बारे में मालूम किया तो उन्होंने कहाः आप ज़ोहर से पहले मेरे घर में चार रक्अ़तें पढ़ते थे, फिर जा कर लोगों को (फ़र्ज़) नमाज़ पढ़ाते। फिर मेरे घर में लौट कर दो रक्अ़तें (सुन्न्त) पढ़ते। और आप लोगों को मग़्रिब की नमाज़ पढ़ाते, फिर वापस मेरे घर आ कर दो रक्अ़तें पढ़ते। और आप उन्हें इशा की नमाज़ पढ़ाते, फिर मेरे घर में तश्रीफ़ लाते और दो रक्अ़तें पढ़ते और आप रात में नौ रक्अ़तें पढ़ते, उन में वित्र भी होती। आप कभी रात में खड़े होकर लंबी नमाज़ पढ़ते और कभी रात में बैठ कर लंबी नमाज़ पढ़ते। जब आप खड़े होकर क़िरात करते तो रुकूअ़ भी खड़े होकर करते और सज्दा करते। और जब आप बैठ कर क़िरात करते तो रुकूअ़ भी बैठ कर ही करते और सज्दा करते। और जब फ़ज्र ज़ाहिर हो जाती तो दो रक्अ़तें पढ़ते, फिर आप (मस्जिद) तश्रीफ़ ले जाते और लोगों को फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाते

1252:— इब्ने उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले दो रक्अ़तें और उस के बाद दो रक्अ़तें, मग़्रिब के बाद दो रक्अ़तें अपने घर में और इशा की नमाज़ के बाद दो रक्अ़तें पढ़ा करते थे। और जुमा के बाद नहीं पढ़ते थे यहाँतक कि लौट आते और दो रक्अ़तें पढ़ते।

1253:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़ोहर

से पहले चार रक्अ़तें और फ़ज्र की नमाज़ से पहले की दो रक्अ़तें नहीं छोड़ते थे।

फ़ाइदा:— ज़ोहर से पहले और बाद में दो-दो और चार-चार रक्अ़तें, दोनों तरह से पढ़ने का सबूत है। देखें हदीस न॰ 1269।

बाब {फ़ज्र की सुन्नतों का बयान।}

1254:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किसी सुन्नत पर इतनी पाबन्दी न करते थे जितनी की फ़ज्र की सुन्नतों की करते थे।

फ़ाइदा:— यहाँ तक कि सफ़र में भी फ़ज्र की सुन्नतें तर्क न करते थे।

बाब {फ़ज्र की सुन्नतें हल्की पढ़ने का बयान।}

1255:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़ज्र से पहले की सुन्नतें इतनी हल्की पढ़ते थे कि मैं कहती भला आप ने उन में सूरः फ़ातिहा भी पढ़ी है?

1256:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ज्र की सुन्नतों में सूरः काफ़िरुन और सूरः इख़्लास की क़िरात फ़रमाई।

1257:— बिलाल रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़ज्र की (जमाअ़त का समय हो जाने की) सूचना देने के लिये आया तो आ़इशा रज़ि॰ ने मुझे किसी बात में लगा लिया यहाँ तक कि खूब सफ़ेदी छा गयी। बिलाल रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर मैंने आप को नमाज़ की सूचना दी और कई बार दी मगर आप बाहर तशरीफ़ न लाये, फिर बाहर निकले और लोगों को नमाज़ पढ़ाई। फिर बिलाल रज़ि॰ ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहा कि आ़इशा रज़ि॰ ने मुझे बातों में लगा लिया था और वह मुझ से कुछ पूछने लगी थीं इसीलिये खूब सुब्ह हो गयी और आप ने भी तशरीफ़ लाने में देरी कर दी। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मैं फ़ज्र की रक्अ़तें पढ़ रहा था। इस पर बिलाल ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने बहुत सुब्ह कर दी। आप ने फ़रमाया: अगर मैं इस से भी अधिक सुब्ह करता तो मैं उन सुन्नतों को पढ़ता और आराम व इत्मिनान से पढ़ता।

1258:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: फ़ज्र की दो सुन्नतें मत छोड़ों अर्गचे दुश्मन के घोड़े तुम को खदेड़ रहे हों।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़अ़ीफ़ है, लेकिन दूसरी सहीह हदीसों से फ़ज्र की सुन्नतों की अहमियत स्पष्ट हैं।

1259:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़ज्र की सुन्नतों में अक्सर यह आयतें तिलावत किया करते थे, सूरः आले इम्रान की आयत न॰ 84 पहली रक्अ़त में और आयत न॰ 52 दूसरी रक्अ़त में।

1260:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को

फ़ज्र की सुन्नतों में यह आयतें पढ़ते हुये सुना, पहली रक्अ़त में सूरः आले इम्रान की आयत न॰ 84 और आयत 53 दूसरी रक्अ़त में या सूरः बक़रः की आयत न॰ 119, यह शक अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ को है।

फ़ाइदा:— आप ने आयत न॰ 84 पहले और 53 बाद में पढ़ी। मालूम हुआ कि अगर तर्तीब आगे-पीछे हो जाये तो कोई हरज नहीं।

बाब {फ़ज्र की सुन्नतों के बाद लेट जाने का बयान।}

1261:— अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई फ़ज्र से पहले सुन्नतें पढ़ें तो चाहिये कि वह अपनी दायीं कर्वट पर लेट जाये। मर्वान बिन हकम न उन से कहाः क्या भला लेटना ही ज़रुरी है? क्या मस्जिद की तरफ़ चलना काफ़ी नहीं? (उबैदुल्लाह की रिवायत में है) उन्होंने कहाः नहीं। जब यह बात इब्ने उमर रज़ि॰ को पहुँची तो उन्होंने कहाः अबू हुरैरा ने अपनी जान पर बहुत बोझ डाल दिया है (कहीं भूल न जायें, और लोग एतराज़ भी करते हैं) इब्ने उमर से कहा गयाः क्या आप इस का इन्कार करते हैं जो उन्होंने बयान किया है? उन्होंने कहाः नहीं, लेकिन अबू हुरैरा हिम्मत वाले हैं और हम डरपोक हैं। यह बात अबू हुरैरा रज़ि॰ को पहुँची तो उन्होंने कहाः इस में मेरा क्या दोष है कि मैं ने याद रखा और वह भूल गये।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़अ़ीफ़ है। लेकिन दूसरी हदीसों से साबित है कि फ़ज्र की सुन्नतों के बाद दायें कर्वट लेटना सुन्नत है। चाहे किसी ने तहज्जुद पढ़ी हो या न पढ़ी हो। अ़ल्लामा डयानवी रह॰ का यही फ़तवा है।

1262:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात के अन्तिम समय में जब अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लेते तो देखते, अगर मैं जाग रही होती तो मुझ से बातें करने लगते, और अगर सोई होती तो जगा देते और दो रक्अ़तें पढ़ते फिर लेट जाते यहाँ तक कि आप के पास मुअज़्ज़िन आ कर आप को सुब्ह की नमाज़ के समय की सूचना देता, फिर आप हल्की सी दो रक्अ़तें पढ़ते, फिर नमाज़ के लिये निकल जाते।

फ़ाइदा:— यह हदीस बुख़ारी, मुस्लिम में भी है देखें बुख़ारी-1119, मुस्लिम-743।

1263:— आइशा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जबफ़ज्र की दो सुन्नतें पढ़ लेते तो अगर मैं सोई होती तो लेट जाते और अगर जाग रही होती तो मुझ से बातें करने लगते।

1264:— अबू बक्रा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ फ़ज्र की नमाज़ के लिये निकला तो आप जिस किसी के पास से गुज़रते तो उसे नमाज़ के लिये आवाज़ देते, या अपने पाँव से हर्कत देते।

बाब {जिस ने फ़ज्र की सुन्नतें न पढ़ी हों और जमाअ़त हो रही हो।}

1265:— अ़ब्दुल्लाह बिन सर्जस रज़ि॰ बयान करते हैं कि एक आदमी आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज़ पढ़ा रहे थे, उस ने फ़ज्र की दो सुन्नतें पढ़ी फिर आप के साथ नमाज़ में शामिल हो गया। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो पूछा: ऐ फ़लाँ! तुम्हारी नमाज़ कौन सी है? वह जो तुम ने अकेला पढ़ी, या वह जो हमारे साथ पढ़ी।

1266:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब नमाज़ (जमाअ़त) खड़ी हो जाये तो फिर फ़र्ज़ के अ़लावा कोई नमाज़ नहीं।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जमाअ़त के होते हुये कोई सुन्नत नहीं है। बैहक़ी की एक रिवायत में है कि फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ सकते हैं, मगर यह रिवायत ज़ओ़फ़ और बेअस्ल है।

बाब {फ़ज्र की सुन्नतें रह जायें तो कब अ़दा करे?}

1267:— अबू अय्यूब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: ज़ोहर से पहले की चार रक्अ़तें कि उन में सलाम न हो, उन के लिये आसमान के दर्वाज़े खोल दिये जाते हैं।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि नफ़ली नमाज़ों को दो-दो कर के पढ़ना अफ़ज़ल है, ताहम एक सलाम से चार भी पढ़ लेना जाइज़ है।

बाब {अ़स्र से पहले नमाज़।}

1271:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह पाक उस पर रहम फ़रमाये जो अ़स्र से पहले चार रक्अ़तें पढ़ें।

1272:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़स्र से पहले दो रक्अ़तें पढ़ा करते थे।

फ़ाइदा:— यह सुन्नतें मुस्तहब हैं, यानी ताकीदी सुन्नत नहीं हैं। कभी पढ़ लिया और कभी नहीं पढ़ी। कभी चार पढ़ ली और कभी दो।

बाब {अ़स्र के बाद नमाज़}

1273:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के आज़ाद कर्दा गुलाम कुरैब से रिवायत है कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास, अ़ब्दुर्रहमान बिन अज़हर और मिस्वर बिन मख़रमा ने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा रज़ि॰ के पास भेजा और कहा कि उन्हें हम सब की तरफ़ से लाम कहना और उन से अ़स्र के बाद दो रक्अ़तों का मस्अ़ला पूछना, और कहना कि हमें मालूम हुआ है कि आप यह रक्अ़तें पढ़ती हैं, और जबकि हमें यह बात पहुँची है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन से मना फ़रमाया है। चुनान्चे मैं (कुरैब) उन की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और वह सारी बातें उन को बता दीं जो लोगों ने मुझ से कही थीं, यह सुन कर आ़इशा रज़ि॰ ने कहा: जाओ उम्मे सलमा से मालूम करो। मैं उन के पास गया और आ़इशा रज़ि॰ का जवाब बताया

तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना था कि आप उन से (अस्र के बाद नमाज़ से) मना फ़रमाते थे, लेकिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुये पाया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्र की नमाज़ पढ़ा कर तशरीफ़ लाये और मेरे पास अन्सार के क़बीला अबू हराम की कुछ महिलायें बैठी थीं, आप ने यह दो रक्अतें पढ़ीं तो मैं ने अपनी नौकरानी को आप के पास भेजा। मैंने उस से कहा कि जाकर आप के पास खड़ी हो जाना और कहना कि उम्मे सलमा पूछती हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने सुना है कि आप तो इन सुन्नतों के पढ़ने से मना फ़रमाते हैं, जबकि मैं देख रही हूँकि आप उन्हें पढ़ रहे हैं? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से इशारा कर दें तो उन से ज़रा दूर हो जाना। चुनान्चे नौकरानी ने ऐसे ही किया तो आप ने अपने हाथ से इशारा किया तो वह पीछे हट गयी। फिर जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो फ़रमायाः ऐ बनी उमय्या की बेटी! तू ने अस्र के बाद की उन की दो रक्अतों के बारे में पूछा है तो बात यह है कि मेरे पास क़बीला अब्दुल क़ैस के कुछ लोग अपनी क़ौम के लोगों का इस्लाम लेकर आये थे तो उन्होंने मुझे ज़ोहर के बाद की सुन्नतों को पढ़ने का मौक़ा नहीं दिया, तो यह वही दो रक्अतें हैं।

फ़ाइदाः— अस्र के बाद उन सुन्नतों का पढ़ना यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये ख़ास था। यह भी मालूम हुआ कि ज़ोहर के बाद की सुन्नतें ताकीदी हैं और उन का पढ़ना मुस्तहब है।

बाब **{उन लोगों की दलील, जो अस्र के बाद नमाज़ की इजाज़त देते हैं मगर शर्त यह है कि सूरज ऊँचा हो।}**

1274:— अली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्र के बाद नमाज़ से मना फ़रमाया है मगर यह कि सूरज ऊँचा हो।

फ़ाइदाः— यह इजाज़त सबबी नमाज़ के लिये है, जैसे अब्दुल क़ैस के वफ़्द के आने के सबब से आप की सुन्नत छूट गयी तो आप ने अस्र के बाद पढ़ी। आम नफ़्ली नमाज़ें और सुन्नतें नहीं मुराद हैं।

1275:— अली रज़ि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज्र और अस्र के अलावा हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद दो रक्अत पढ़ा करते थे।

फ़ाइदाः— यह हदीस ज़ईफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्र के बाद दो रक्अतें पढ़ा करते थे जिस का कारण हदीस न॰ 1273 में बयान हुआ।

1276:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने कहा कि मुझे कई नेक लोगों ने बताया, उन में उमर बिन ख़त्ताब भी हैं, बल्कि उन सब में उमर सब से अच्छे हैं, उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सुब्ह की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ नहीं, यहाँ तक कि सूरज निकल आये, और अस्र की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज डूब जाये। **(मगर सबबी नमाज़ पढ़ सकते हैं जैसा कि हदीस न॰ 1273 में है)**

1277:— अ़म्र बिन अ़बसा सलमी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! रात का कौन सा हिस्सा ज़्यादा मक़बूल होता है? आप ने फ़रमाया: अन्तिम पहर का बीच का हिस्सा, इसलिये जिस क़दर जी चाहे नमाज़ पढ़ो,बेशक नमाज़ में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और उस का सवाब लिखा जाता है यहाँ तक कि फ़ज्र की नमाज़ पढ़ लो, फिर रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज निकल आये और एक या दो नेज़ों के बराबर ऊँचा हो जाये, बेशक यह शैतान के दो सींगों के दर्मियान निकलता है और उस समय काफ़िर लोग उस की इबादत करते हैं। फिर नमाज़ पढ़ते रहो, बेशक नमाज़ में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और उस का सवाब लिखा जाता है यहाँ तक कि नेज़े का साया उस के बराबर हो जाये (यानी दोपहर हो जाये) तो रुक जाओ, बेशक उस समय जहन्नम भड़काई जाती है, उस के दर्वाज़े खोल दिये जाते हैं। जब सूरज ढल जाये तो जितनी चाहो नमाज़ें पढ़ो, बेशक फ़रिश्ते नमाज़ में हाज़िर होते हैं यहाँ तक कि अ़स्र पढ़ लो, फिर रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज डूब जाये, बेशक यह शैतान के दोनों सींगों के दर्मियान डूबता है और (उस समय) काफ़िर लोग उसकी इबादत करते हैं.......और लंबी हदीस बयान की।

अ़ब्बास बिन सालिम ने कहा कि अबू सल्लाम ने मुझे अबू उमामा से ऐसे ही बयान किया है मगर यह कि मुझ से कोई अन्जाने में भूल हो गयी होतो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ।

फ़ाइदा:— इस हदीस में तीन समय नमाज़ पढ़ने की मिनाही है, लेकिन फ़ज्र और अ़स्र के बाद सबबी नमाज़ें पढ़ सकते हैं (देखें हदीस न॰ 1273) कुछ लोग जुमा के दिन ज़वाल नहीं मानते, लेकिन इस तअ़ल्लुक से तमाम हदीसें ज़ओ़फ़ हैं। लेकिन अ़ल्ला इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम और अल्बानी रह॰ इसी के क़ाइल हैं कि जुमा के दिन ज़वाल में भी सुन्नतें पढ़ सकते हैं। लेकिन उन के पास कोई ठोस दलील नहीं है।

1278:— इब्ने उमर रज़ि॰ के आज़ाद किये हुये गुलाम यसार कहते हैं कि इब्ने उमर रज़ि॰ ने देखा कि मैं फ़ज्र के बाद नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो उन्होंने कहा: ऐ यसार! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाये और हम भी यह नमाज़ पढ़ा करते थे तो आप ने फ़रमाया: जो तुम मैं मौजूद है वह उन लोगों को भी बता दें जो मौजूद नहीं हैं कि सिवाए दो रक्अ़तों के फ़ज्र के बाद कोई और नमाज़ न पढ़ा करो।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, लेकिन शैख़ अल्बानी के निकट सहीह है। मालूम हुआ कि फ़ज्र के ज़ाहिर हो जाने के बाद फ़र्ज़ नमाज़ से पहले दो सुन्न्तें केवल पढ़े, ताहम रात के वित्र दिन चढ़े पढ़ना मुश्किल हों तो उस समय में अदायगी जाइज़ है जैसे कि सबबी नमाज़ का मस्अ़ला है।

1279:— अस्वद और मसरुक़ दोनों ने कहा कि हम आइशा रज़ि॰ के बारे में गवाही देते हैं कि उन्होंने बयान किया कि कोई दिन ऐसा न गुज़रता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़स्र के बाद दो रक्अ़तें न पढ़ते हों (यानी हर रोज़, बिला नाग़ा पढ़ा करते थे)

फ़ाइदा:— यह दो रक्अ़तें केवल आप के लिये ख़ास थीं और वह जोहर के बाद की दो सुन्नतें थीं जो छूट गयी थीं–देखें हदीस न॰ 1273।

1280:— आइशा रज़ि॰ के गुलाम ज़कवान से रिवायत है कि आइशा रज़ि॰ ने मुझ सेबयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़स्र केबाद भी नमाज़ पढ़ा करते थे, जबकि आप लोगों को उस समय पढ़ने से मना करते थे। आप खुद वसाल के रोज़े रखते थे (यानी दो-दो दिन के एक साथ रोज़े रखते) और लोगों को वसाल से मना फ़रमाते थे।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ईफ़ है, इस से दलील नहीं पकड़ सकते हैं।

बाब {मग़्रिब की नमाज़ से पहले नफ़्ल।}

1281:— अ़ब्दुल्लाह मोज़नी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मग़्रिब की नमाज़ से पहले दो रक्अ़तें पढ़ा करो। फिर फ़रमायाः मग़्रिब की नमाज़ से पहले जो चाहे दो रक्अ़तें पढ़ा करे, ऐसा इस डर से कि कहीं लोग उसे (ताकीदी) सुन्नत न बना लें।

1282:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में मग़्रिब से पहले दो रक्अ़तें पढ़ी हैं (मुख़्तसर कहते हैं) मैंने अनस रज़ि॰ से कहाः क्या आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने देखा था? उन्होंने कहाः हाँ, आप ने हम को हुक्म दियाऔर न मना फ़रमाया।

फ़ाइदा:— यानी पढ़ना अनिवार्य नहीं है कि ज़रुर पढ़ा करो। और आप का मना न फ़रमाना ही दलील है कि पढ़ा करो। मतलब यह है कि दिल कहे तो पढ़ लो और न पढ़ो तो भी कोई गुनाह नहीं है।

1283:— अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर दो अज़ानों के दर्मियान नमाज़ है, जो चाहे।

फ़ाइदा:— दो अज़ान से मुराद अज़ान और इक़ामत है। इन केबीच में जितनी नमाज़ें चाहें शौक़ से पढ़ें, लेकिन उन का पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है।

1284:— इमाम ताऊस से रिवायत है कि इब्ने उमर रज़ि॰ से मग़्रिब से पहले की दो रक्अ़तों केबारे में पूछा गया तो उन्होंने कहाः मैंने तो किसी को नहीं देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में उसे पढ़ता हो। और अ़स्र के बाद दो रक्अ़तों की रुख़्सत दी।

फ़ाइदा:— इब्ने उमर को मालूम नहीं हुआ होगा, वर्ना सहाबा पाबन्दी सेमग़्रिब से पहले की सुन्नतें पढ़ते थे (मुस्लिम-837, बुख़ारी-1184)

बाब {चाश्त की नमाज़ के मसाइल का बयान।}

1285:— अबू ज़र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सुब्ह होते ही इब्ने आदम के हर-हर जोड़ पर सदक़ा लाज़िम हो चुका होता है। चुनान्चे उस का अपने मिलने वालों को सलाम कहना सदक़ा है, नेकी का हुक्म देना सदक़ा है, ब ुराई से रोकना सदक़ा है, राह से कष्ट देने वाली चीज़ों को हटा देना सदक़ा है, पत्नी से संभोग करना सदक़ा है, और इन सब

से चाश्त की दो रक्अतें किफ़ायत करती हैं (यानी जितना सवाब ऊपर के तमाम काम करने में है, उतना केवल चाश्त की दो रक्अत पढ़ने में है)

सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! इन्सान अपनी ख़्वाहिश पूरी करता है और उस के लिये सदक़ा भी होता है? (ऐसा कैसे?) आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर वह यह काम हलाल जगह में न करता (यानी ज़िना करता) तो क्या गुनाह न होता?

फ़ाइदा:— सूरज निकलने के बाद जो नमाज़ पढ़ी जाये उसे "इशराक़" और दिन चढ़े जो पढ़ी जाये उसे "चाश्त" की नमाज; कहते हैं। हक़ीक़त में यह दोनों एक ही नमाज़ हैं। यह नमाज़ कम से कम दो रक्अ़त और ज़्यादा से ज़्यादा आठ रक्अ़त पढ़ी जाती है।

1286:— अबू अस्वद दुवैली कहते हैं कि हम अबू ज़र रज़ि॰ के पास थे कि उन्होंने कहाः सुब्ह होती है तो तुम्हारे एक-एक के अंग-अंग पर सदक़ा लाज़िम हो चुका होता है और हर दिन इसी तरह होता है। चुनान्चे उस की हर नमाज़ रोज़ा, हज्ज, तस्बीह, तक्बीर और तहमीद सदक़ा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह नेक आमाल शुमार फ़रमाये, फिर फ़रमायाः तुम्हें इन सब से चाश्त की दो रक्अ़तें किफ़ायत करती है।

1287:— सहल बिन मुआ़ज़ बिन अनस जोहनी अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स फ़ज्र की नमाज़ पढ़ कर अपनी नमाज़ पढ़ने के स्थान पर ही बैठा रहे और फिर चाश्त की दो रक्अ़तें पढ़ कर उठे, और उस दौरान में भलाई ही की बात करे तो उस की ग़लतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं, चाहे समुन्द्र की झाग से भी अधिक हों।

1288:— अबू उमामा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़, इस प्रकार कि उन के दर्मियान कोई बेहूदा काम न हो (उस काम से) इल्लीयीन में नाम दर्ज होजाता है।

फ़ाइदा:— "इल्लीयीन" वह स्थान है जहाँ नेक लोगों के आमाल नामे रखे गये हैं और उन में उन के आमाल दर्ज होते हैं। इस के उलट काफ़िर के आमाल नामे "सिज्जीन" में रखे जाते हैं।

1289:— नुऐम बिन हम्मार रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि अल्लाह पाक फ़रमाता हैः ऐ आदम की औलाद! तू मेरे लिये दिन के आरंभ में चार रक्अ़त पढ़ने से आजिज़ न रह, मैं आख़िरी दिन तक तेरी किफ़ायत करूँगा।

फ़ाइदा:— इस से मुराद चाश्त की चार रक्अ़तें हैं।

1290:— अबू तालिब की पुत्री (और अ़ली रज़ि॰ की बहन) उम्मे हानी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़त्ह मक्का के दिन चाश्त की आठ रक्अ़त नमाज़ पढ़ी थी। आप हर दो रक्अ़त पर सलाम फेरते थे। अहमद बिन सालेह नेकहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़त्ह मक्का के दिन चाश्त की नमाज़ पढ़ी। इब्ने सरह ने कहा कि उम्मे हानी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाये.....

और चाश्त की नमाज़ का नाम नहीं लिया (बल्कि वैसे ही कहा कि आप ने आठ रक्अतें पढ़ीं)

1291:— इब्ने अबी लैला ने बयान किया कि हमें उम्मे हानी के अलावा किसी ने भी नहीं बताया कि उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाश्त की नमाज़ पढ़ते देखा है। उम्मे हानी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़त्ह मक्का के दिन मेरे घर में स्नान किया और आठ रक्अतें पढ़ीं (इन के अलावा) और किसी ने नहीं देखा कि इस के बाद आप ने यह रक्अतें पढ़ी हों।

फ़ाइदा:— आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है लेकिन पाबन्दी से नहीं।

1292:— अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं कि मैंने आइशा रज़ि॰ से पूछा क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज़ पढ़ा करते थे? उन्होंने कहाः नहीं, मगर यह कि सफ़र से वापस आते। मैंने पूछाः क्या आप सूरतें मिला कर पढ़ लिया करते थे? उन्होंने कहाः हाँ, "मुफ़स्सल" में से (यानी अन्तिम मन्ज़िल की सूरतों में से)

फ़ाइदा:— आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस आते तो मस्जिद में दो रक्अत पढ़ते, फिर लोगों से मुलाक़ात करते......(बुख़ारी-4418)

1293:— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश्त की नफ़्ली नमाज़ कभी नहीं पढ़ी, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अमल करना चाहते मगर छोड़ देते थे कि ऐसा न हो कि लोगों के करने की वजह से उन पर फ़र्ज़ हो जाये।

1294:— सिमाक ने बयान किया कि मैं ने जाबिर बिन समुरा रज़ि॰ से पूछाः क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज्लिस में बैठा करतेथे? उन्होंने कहाः हाँ, बहुत ज़्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ फ़ज्र की नमाज़ अदा फ़रमाते, वहाँ से उस समय तक न उठते जब तक कि सूरज निकल न आता। जब सूरज निकल आता तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते (और चाश्त की नमाज़ पढ़ते)

बाब **{दिन की नफ़्ली नमाज़ें (किस प्रकार पढ़ी जायें)}**

1295:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः रात और दिन की नमाज़ दो-दो रक्अत है।

फ़ाइदा:— एक सलाम से चार रक्अत भी पढ़ सकते है- देखें हदीस न॰ 1270। मगर अफ़ज़ल दो-दो कर के ही हैं।

1296:— अब्दुल्लाह बिन हारिस, मुत्तलिब से और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नमाज़ दो-दो रक्अत है। इस प्रकार कि तुम हर दो रक्अत पर तशहहुद पढ़ो, अपनी आजिज़ी और कमज़ोरी कोज़ाहिर करो, दोनों हाथ उठाओ और कहोः ऐ अल्लाह! ऐ अल्लाह! और जो इस प्रकार न करे तो उस की

यह नमाज़ नाक़िस है।

इमाम अबू दावूद से रात की नमाज़ के दो रक्अ़त होने के बारे में पूछागया तो उन्होंने कहाः चाहो तो दो-दो कर के पढ़ो और चाहो तो चार-चार कर के।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़अ़ीफ़ है। आप ने चार-चार कर के भी पढ़ी हैं यह बताने के लिये कि जाइज़ है। वर्ना अफ़ज़ल दो-दो ही कर के है।

बाब **{तस्बीह की नमाज़ के अहकाम व मसाइल।}**

1297:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ब्बास रज़ि॰ से फ़रमायाः ऐ अ़ब्बास! ऐ चचा! क्या मैं आप को एक तोहफ़ा न दूँ, एक उपहार न दूँ? क्या मैं आप को दस बातें न सिखा दूँ? तब आप उन पर अ़मल करेंगे तो अल्लाह पाक आप के अगले-पिछले, नये-पुराने, छोटे-बड़े, ज़ाहिर-पोशिदा तमाम ही गुनाह माफ़ फ़रमा देगा। दस बातें यह हैं कि आप चार रक्अ़त नमाज़ इस प्रकार पढ़ें कि हर रक्अ़त में आप सूरः फ़ातिहा और एक सूरत पढ़ें। जब आप पहली रक्अ़त में क़िरात से फ़ारिग़ हो जायें और क़ियाम में हों तो 15 बार यह तस्बीह पढ़ें.......सुब्हानल्लाहि वल्-हम्दु लिल्लाहि, वला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्-बरु.........फिर रुकूअ़ करें और रुकूअ़ की हालत में दस बार यही तस्बीह पढ़ें। फिर सज्दा करें और सज्दे में भी दस बार यह पढ़ें। फिर दूसरा सज्दा करें तो उस में भी यही तस्बीह दस बार पढ़ें, फिर सर उठायें तो दस बार पढ़ें। हर रक्अ़त में कुल 75 तस्बीहें हुयीं। आप चारों रक्अ़त में इसी प्रकार पढ़ें। अगर हिम्मत हो तो हर रोज़ (यह नमाज़) पढ़ा करें। हर रोज़ न पढ़ सकें तो सप्ताह में एक बार। और अगर सप्ताह में भी न पढ़ सकें तो महीना में एक बार। और महीना में भी न पढ़ सकें तो साल में एक बार ज़रुर पढ़ें। अगर साल में भी न पढ़ सकें तो अपनी ज़िन्दगी में एक बार पढ़ लें।

1298:— अबू जौज़ा कहते हैं कि मुझ से एक सहाबी ने बयान किया जिन्हें लोग अ़ब्दुल्लाह बिन उमर समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक तोहफ़ा दूँगा, उपहार दूँगा। यह सुन कर मुझे ख़याल हुआ कि आप मुझे कुछ माल देंगे (चुनान्चे मैं हाज़िर हुआ तो) आप ने फ़रमायाः जब सूरज ढल जोय तो खड़े हो जाओ और चार रक्अ़तें पढ़ो......फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। इस रिवायत में कहाः जब तुम दूसरे सज्दे से सर उठाओ तो ठीक तरह से बैठ जाओ और दस बार सुब्हानल्लाह, दस बार अल्हम्दुलिल्लाह दस बार अल्लाह अक्बर और दस बार लाइलाह इल्लल्लाह पढ़ो। जब तक यह न पढ़ लो खड़े न हो। और फिर चारों रक्अ़तों में ऐसे ही पढ़ो। जब तक यह न पढ़ लो खड़े न हो। और फिर चारों रक्अ़तों में ऐसे ही करो। फ़रमायाः अगर तुम ज़मीन वालों में सब से ज़्यादा पापी भी हुये तो भी वह गुनाह माफ़ कर दिये जोयंगे। मैंने कहाः अगर मैं समय पर न पढ़ सकूँ? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः रात-दिन में किसी भी समय पढ़ लो।

1299:— उर्वा बिन रुवैम ने एक अन्सारी से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम ने जाफ़र को फ़रमायाः......फिर हदीस के वही शब्द हैं जो कि महदी बिन मैमून ने नक़ल फ़रमाये, लेकिन उस रिवायत में इन शब्दों का इज़ाफ़ा है कि उन्होंने पहली रकअ़त के दूसरे सज्दे के बारे में फ़रमाया ....।

फ़ाइदा:— इस नमाज़ की रिवायतों में कुछ कमज़ोरी है, मगर मजमूअ़ी तौर पर यह हदीसें सहीह हैं। अ़ल्लामा अल्बानी ने भी सहीह कहा है अ़ल्लामा जौज़ी ने मनगढ़त कहा है और यह दुरुस्त नहीं है। अ़ल्लामा डयानवी ने "औ़नुल माबूद" में विस्तार से लिखा है।

बाब {मग़्रिब की सुन्नतें कहाँ पढ़ी जायें।}

1300:— कअ़ब बिन उजरा रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क़बीला बनी अ़ब्दुल अश्हल की मस्जिद में तशरीफ़ लाये और वहाँ मग़्रिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ के बाद आप ने उन को देखा कि वह उस के बाद नफ़ल पढ़ रहे हैं। आप ने फ़रमायाः यह घरों की नमाज़ है।

फ़ाइदा:— मुस्तहब यही है कि मग़्रिब की सुन्नतें, दीगर नफ़ली नमाज़ें घरों में पढ़ी जायें।

1301:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मग़्रिब के बाद की रकअ़तों में क़िरात इतनी लंबी करते कि मस्जिद के लोग (घरों को) चले जाते।

फ़ाइदा:— हो सकता है कि कभी-कभार आप ने यह रकअ़तें मस्जिद में लंबी क़िरात से पढ़ी हों, इसलिये लोग घरों को चले गये हों।

1302:— सअ़ीद बिन जुबैर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह हदीस मुर्सल बयान की है।

बाब {इशा के बाद नमाज़।}

1303:— शुरैह बिन हानी से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने आइशा रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब इशा की नमाज़ पढ़ कर मेरे पास तशरीफ़ लाते तो चार या छः रकअ़तें पढ़तें। एक रात वर्षा हो गयी तो हम ने आप के लिये चमड़ा बिछा दिया, तो गोया मैं देख रही हूँ कि उस के एक सूराख़ से पानी निकल रहा था। और मैं ने आप को कभी नहीं देखा कि (नमाज़ की हालत में) अपने कपड़ों को मिट्टी से बचाते हों।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ईफ़ है।

रात की नमाज़ (तहज्जुद) के मसाइल

बाब {तहज्जुद की नमाज़ में आसानी का ज़िक्र, और यह कि उस का वाजिब होना मन्सूख़ है।}

1304:— इकरमा से रिवायत है कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने सूरः मुज़्ज़म्मिल की तफ़सीर में फ़रमायाः

"कुमिल्लै-ल इल्ला कलीला" को इसी सूरह की आयत न॰ 20 "अलि-म अल्लन् तुहसूहु......" ने मन्सूख़ कर दिया। और "नाशि-य-तल्लैलि" से रात के शुरु के हिस्से में जागना मुराद है। और सहाबा की नमाज़ (तहज्जुद) रात के शुरु के हिस्से में हुआ करती थीं, और उस समय में अल्लाह का फ़र्ज़ किया हुआ ठीक-ठीक अदा करने में ज़्यादा आसान है, क्योंकि सो जाने के बाद इन्सान को ख़बर नहीं होती कि कब जागेगा (या न जाग सकेगा) और "व-अक़-वमु क़ी-लन" का अर्थ यह है कि कुरआन को समझने के लिये यह समय बहुत बेहतर है। और "इन्न ल-क फ़िन्नहारि...." से मुराद लंबी फ़ुरसत है (यानी दिन के समय दुनिया के कामों में लगा होता है इसलिये रात के समय को इबादत में लगाओ)

1305:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि जब सूरः मुज़्ज़म्मिल की शुरु की आयतें नाज़िल हुयीं तो सहाबा ऐसे पढ़ते थे जैसे रमज़ान में क़ियाम करते हैं, यहाँ तक कि इस सूरत क आख़िरी हिस्सा नाज़िल हुआ। और उन दोनों हिस्सों के नाज़िल होने में एक साल का फ़र्क़ था।

बाब {रात के क़ियाम का बयान।}

1306:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई सोता है तो शैतान उस की गुद्दी के पास तीन गाँठ लगा देता है और हर गाँठ पर यह पढ़ कर दम कर देता है "रात लंबी है, अभी सोया रह।" फिर जब वह जाग जाये, अल्लाह का ज़िक्र करे तो एक गाँठ खुल जाती है। अगर वुज़ू कर ले तो दूसरी खुल जाती है, और अगर नमाज़ पढ़ ले तो तीसरी भी खुल जाती है और वह हँसी-खुशी से सुब्ह करता है, वर्ना बुरी हालत और सुस्ती में सुब्ह करता है।

फ़ाइदा:— देखें: बुख़ारी-1142, मुस्लिम-776। इस हदीस में तहज्जुद और फ़ज्र की नमाज़ों को उस के समय पर पढ़ने के फ़ाइदे बताये गये हैं।

1307:— अब्दुल्लाह बिन अबू क़ैस रज़ि॰ से रिवायत है कि आइशा रज़ि॰ ने फ़रमाया: रात का क़ियाम मत छोड़ो क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नहीं छोड़ते थे। अगर आप बीमार होते तो कमज़ोरी महसूस करते तो बैठ कर पढ़ लिया करते थे।

1308:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: रहम करे अल्लाह उस बन्दे पर जो रात को उठ कर नमाज़ पढ़ता और अपनी पत्नी को जगाता है। अगर वह इन्कार करे तो उस के मुँह पर पानी के छींटे मारता है। और रहम फ़रमाये अल्लाह पाक उस बन्दी पर जो रात को उठ कर नमाज़ पढ़ती और अपने पति को जगाती है, अगर वह इन्कार करे तो उस के मुँह पर पानी के छींटे मारती है।

1309:— अबू सईद और अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब पति अपनी पत्नी को रात के समय जगाता है और वह दोनों नमाज़ पढ़ते, या दो रक्अतें पढ़ते हैं तो उन का नाम अल्लाह को याद करने वालों और वलियों में लिखा

जाता है।

बाब {नमाज़ में नींद आने लगे तो.....?।}

1310:— आइशा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से किसी को नमाज़ में नींद आये तो उसे चाहिये कि सो जाये यहाँ तक कि उस की नींद पूरी हो जाये। क्योंकि जब कोई नींद की हालत में नमाज़ पढ़ेगा तो हो सकता है कि वह तौबा करना चाहता हो मगर अपने को गालियाँ देने लगे।

1311:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई रात को उठ कर नमाज़ पढ़े और फिर कुरआन को अपनी ज़बान पर भारी महसूस करने लगे और उसे पता न चले कि वह क्या कह रहा है तो उसे चाहिये कि वह सो जाये।

1312:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाख़िल हुये तो क्या देखा कि दो सुतूनों के बीच में एक रस्सी लटक रही है आप ने पूछाः यह रस्सी कैसी है? कहा गयाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमना बिन्त जहश नमाज़ पढ़ती हैं और जब थक जाती हैं तो उस के साथ लटक जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तक ताक़त हो नमाज़ पढ़ो और जब थक जाओ तो बैठ जाओ।

ज़ियाद ने रिवायत किया कि आप ने पूछाः यह क्या है? सहाबा ने कहाः यह ज़ैनब ने बनाया है, वह नमाज़ पढ़ती हैं और जब थक जाती हैं तो उसे थाम लेती हैं। आप ने फ़रमायाः उसे खोल दो। जब तक चुस्ती से नमाज़ पढ़ी जाये तो पढ़ो, और जब थकावट महसूस करो तो बैठ जाओ।

फ़ाइदा:— इस हदीस में ज़ैनब ही का ज़िक्र सहीह है। अल्लामा अल्बानी का यही कहना है।

बाब {जो शख़ अपने रोज़ाना के वज़ीफ़े से सो जाये।}

1313:— इब्ने वहब बिन अब्दुल क़ारी से रिवायत है उन्होंने कहा कि मैं ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ को बयान करते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स अपना वज़ीफ़ा न पढ़ सका और सो गया, फिर उसे ज़ोहर और अस्र के बीच में पढ़ ले तो उस के लिये ऐसे ही लिखा जाता है गोया उस ने उस को रात में पढ़ा हो।

बाब {जिस ने रात को उठने की निय्यत की मगर उठ न सका।}

1314:— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स रात को नमाज़ अदा करता हो मगर किसी रात वह सो जाये तो भी उस के लिये उस की नमाज़ का सवाब लिख दिया जाता है और नींद उस के लिये सदक़ा होती है।

बाब {रात का कौन सा हिस्सा (इबादत के लिये) अफ़ज़ल है?}

1315:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

हमारा रब हर रात, जब रात का अन्तिम तीसरा हिस्सा बाक़ी होता है तो पहले आसमान पर आता है और फ़रमाता है: कौन है जो मुझ से दुआ करे और मैं कुबूल करूँ, कौन है जो मुझ से माँगे और मैं उसे दूँ, कौन है जो मुझ से माफ़ी माँगे और मैं उसे माफ़ कर दूँ।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को किस समय उठते थे?}

1316:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को रात में जगा देता था, सुब्ह न हो पाती थी कि आप अपनी रोज़ाना की इबादत से फ़ारिग़ हो चुके होते थे।

1317:— इमाम मसरुक़ ने बयान किया कि मैंने आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ के बारे में पूछा कि आप किस समय नमाज़ पढ़ा करते थे? उन्होंने कहा: जब आप मुर्ग़ की पुकार सुनते तो उठ खड़े होते और नमाज़ पढ़ते थे।

1318:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब भी मेरे घर होते तो सहरी के समय सोये हुये होते थे।

फ़ाइदा:— यानी तहज्जुद पढ़ कर सहरी के समय आराम करते थे।

1319:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी होती तो नमाज़ पढ़ने लगते।

1320:— रबीआ़ बिन कअ़ब अस्लमी रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ रात गुज़ारता था, आप का वुज़ू का पानी और दूसरी चीज़ें पेश करता था। एक बार आप ने फ़रमाया: माँगो। मैंने कहा: जन्नत में आप का साथ चाहता हूँ। आप ने फ़रमाया: कोई दूसरी चीज़? मैंने कहा: बस यही है। आप ने फ़रमाया: तुम अपने इस मतलब के लिये ज़्यादा से ज़्यादा सज्दे कर के मेरी सहायता करो। (ज़्यादा इबादत करो)

1321:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने सूर: सज्दा की आयत न॰ 16 "ततजाफ़ा जुनूबुहुम्....." की तफ़सीर में फ़रमाते हैं कि यह लोग (यानी सहाबा) मग़्रिब और इशा के दर्मियान जागते थे, यानी नमाज़ पढ़ते थे। इमाम हसन बसरी रह॰ इस से रात का क़ियाम (तहज्जुद) मुराद लेते हैं।

1322:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ सूर: ज़ारियात आयत न 17 की आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि सहाबा मग़्रिब और इशा के दर्मियान नमाज़ पढ़ा करते थे।

बाब {तहज्जुद शुरु करते समय पहले दो रक्अ़तें पढ़ना।}

1323:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई रात को उठे तो चाहिये कि पहले दो हल्की रक्अ़तें पढ़े।

1324:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई.....और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया, फिर आगे कहा कि "इस के बाद जिस क़दर चाहे लंबी नमाज़ पढ़े।"

1325:— अ़ब्दुल्लाह बिन हुबशी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा गयाः कौन सा काम अफ़ज़ल है? आप ने फ़रमायाः नमाज़ में लंबा क़ियाम करना।

बाब {रात की नमाज़ दो–दो रक्अ़त कर के पढ़ना।}

1326:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो आप ने फ़रमायाः रात की नमाज़ दो–दो रक्अ़त है। जब तुम में से किसी को सुब्ह हो जाने का डर हो तो एक रक्अ़त पढ़ ले। यह उसकी पढ़ी हुयी नमाज़ को ताक़ बना देगी।

बाब {रात की नमाज़ में जेहरी नमाज़ पढ़ना।}

1327:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि (रात की नमाज़ में) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़िरात इतनी बुलन्द होती थी कि आँगन में बैठा हुआ आदमी सुन सकता था जबकि आप घर में (यानी कमरे में) होते थे।

1328:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को कभी ऊँची आवाज़ से और कभी धीमी आवाज़ से क़िरात करते थे।

1329:— अबू क़तादा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम निकले और अबू बक्र के पास से गुज़रे तो वह नमाज़ पढ़ रहे थे और उन की आवाज़ धीमी थी। और उमर बिन ख़त्ताब के पास से गुज़रे तो वह भी नमाज़ पढ़ रहे थे और उन की आवाज़ बुलन्द थी। जब वह दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास इकट्ठे हुये तो आप ने फ़रमायाः ऐ अबू बक्र। मैं तुम्हारे पास से गुज़रा, तुम नमाज़ पढ़ रहे थे और तुम्हारी आवाज़ धीमी थी? उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने जिस से मुनाजात की उसे सुनाया। फिर आप ने उमर से पूछाः मैं तुम्हारे पास से गुज़रा तो तुम बुलन्द आवाज़ से नमाज़ पढ़ रहे थे? उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सोते को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था।

हसन ने अपनी रिवायत में इतना इज़ाफ़ा किया है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ अबू बक्र! अपनी आवाज़ कुछ बुलन्द किया करो, और उमर से फ़रमायाः तुम अपनी आवाज़ कुछ धीमी रखा करो।

1330:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यही रिवातय नक़ल की है मगर इन की हदीस में यह नहीं है कि अबू बक्र से कहाः अपनी आवाज़ थोड़ी ऊँची करो और उमर से फ़रमायाः अपनी आवाज़ धीमी करो।

1331:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स रात को उठ कर ऊँची आवाज़ से क़िरात करने लगा, जब सुब्ह हुयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह फ़लाँ पर रहम फ़रमाये, उस ने आज रात मुझे कितनी ही आयतें याद दिला दीं जिन में मुझे जुहूल (भूल) हो रहा था।

1332:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मस्जिद में एतिकाफ़ किया। आप ने लोगों से सुना कि वह ऊँची आवाज़ से क़िरात कर रहे हैं। आप ने पर्दा हटाया और फ़रमायाः ख़बरदार! तुम सब के सब अपने रब से मुनाजात कर रहे हो, मगर कोई दूसरे को हर्गिज़ तक़लीफ़ न दे और क़िरात में अपनी आवाज़ दूसरे पर बुलन्द न करे। या यह फ़रमायाः नमाज़ में (अपनी आवाज़ बुलन्द न करे)

1333:— उक़्बा बिन आ़मिर जोहनी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क़ुरआन को ऊँची आवाज़ से पढ़ने वाला ऐसे हैं जैसे कोई दिखा कर सदक़ा करे। और धीमी आवाज़ से क़ुरआन पढ़ने वाला ऐसे है जैसे कोई चुपके से सदक़ा करे।

बाब {रात की नमाज़ (तहज्जुद) का बयान।}

1334:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात में दस रक्अ़तें पढ़ा करते, और एक रक्अ़त वित्र पढ़ते। और (इस केबाद) दो रक्अ़तें फ़ज्र की पढ़ते इस प्रकार यह कुल 13 रक्अ़तें हुयीं।

फ़ाइदा:— अक्सर रिवायतों में 11 का ज़िक्र है जिन में फ़ज्र की सुन्नतें नहीं शामिल है।

1335:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को 11 रक्अ़तें पढ़ा करते थे उन में एक वित्र होती थी। उन से फ़ारिग़ होने के बाद आप अपनी दायीं कर्वट पर लेट जाते थे।

1336:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद से फ़ज्र तक के दर्मियान 11 रक्अ़तें पढ़ा करते थे। हर दो रक्अ़त पर सलाम फेरते और एक रक्अ़त वित्र पढ़ते। आप अपने सज्दे में इतनी देर रहते कि जिस में तुम 50 आयतें पढ़ लो। और मुअ़ज़्ज़िन जब फ़ज्र की अज़ान कहता तो आप उठ कर हल्की-हल्की दो रक्अ़तें पढ़ते, फिर अपनी दायीं कर्वट पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअ़ज़्ज़िन आ जाता।

1337:— इब्ने शिहाब ने अपनी ऊपर की सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया है और उस में यह है कि आप एक रक्अ़त वित्र पढ़ते और सज्दे में इतनी देर रहते कि तुम में से एक शख़्स 50 आयतें पढ़ ले। और मुअ़ज़्ज़िन जब अपने फ़ज्र से फ़ारिग़ होता और फ़ज्र का समय स्पष्ट रुप से ज़ाहिर हो चुका होता......।

1338:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात में 13 रक्अ़तें पढ़ते, उन में से 5 रक्अ़तें वित्र की होतीं। आन उन पाँचों रक्अ़तों में किसी में भी (तशह्हुद) न बैठते, बल्कि आख़िर ही में बैठते और सलाम फेरते।

1339:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को 13 रक्अ़तें पढ़ा करते, फिर जब सुब्ह की अज़ान सुनते तो हल्की दो रक्अ़तें पढ़ते।

1340:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रक्अतें पढ़ा करते। आप पहले आठ रक्अत पढ़ते, फिर एक रक्अत पढ़ते। इस के बाद बैठ कर दो रक्अतें पढ़ते। जब आप का इरादा होता कि रुकूअ करें तो खड़े होकर रुकूअ करते। फिर फ़ज्र की अज़ान और इक़ामत के दर्मियान दो रक्अतें पढ़ते।

1341:— अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने आइशा रज़ि॰ से पूछाः रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ कैसी होती थी? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान या ग़ैर रमज़ान में 11 रक्अत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। आप चार रक्अतें पढ़ते, मत पूछो कि वह कितनी उम्दा और लंबी होती थीं। फिर चार रक्अतें पढ़ते, मत पूछो कि वह कितनी उम्दा और लंबी होती थीं। फिर तीन रक्अतें पढ़ते। आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने आप से पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप वित्रों से पहले सो जाते हैं? आप ने फ़रमायाः ऐ आइशा! मेरी आँखें सोती हैं, मगर दिल नहीं सोता।

फ़ाइदा:— तहज्जुद की नमाज़ चार-चार भी पढ़ना साबित है, मगर दो-दो कर के पढ़ने का सबूत अधिक है। आप की खूबी थी कि सोने से आप का वुज़ू नहीं टूटता था।

1342:— सईद बिन हिशाम कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को तलाक़ दे दी और मदीना चला आया ताकि यहाँ की अपनी जायदाद बेच कर हथियार वग़ैरह ख़रीद लूँ और जिहाद के लिये निकल जाऊँ। चुनान्चे मैं कुछ सहाबा से मिला तो उन्होंने बताया कि हम में से छः लोगों ने ऐसे ही करना चाहा था, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन को मना फ़रमा दिया था, और फ़रमायाः तुम्हारे लिये अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। चुनान्चे मैं इब्ने अब्बास रज़ि॰ के पास आया। मैंने उन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वित्र नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः मैं तुम्हें ऐसे आदमी को बताता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वित्र नमाज़ के बारे में सब से ज़्यादा जानने वाला है। आइशा रज़ि॰ के पास चले जाओ। मैं आइशा के पास चला और अपने साथ हकीम बिन अफ़लह को भी चलने को कहा लेकिन उन्होंने इन्कार किया, तो मैंने उन को क़सम दी तो वह मेरे साथ चल पड़े। हम ने आइशा रज़ि॰ से मुलाक़ात की इजाज़त चाही तो उन्होंने पूछाः कौन हो? कहाः हकीम बिन अफ़लह। पूछाः तुम्हारे साथ और कौन है? कहाः सअद बिन हिशाम। कहने लगींः वही हिशाम बिन आमिर जो उहुद के दिन क़त्ल हो गये थे? मैंने कहाः हाँ। वह कहने लगींः आमिर बहुत भले इन्सान थे। मैंने कहाः ऐ मुसलमानों की माँ! मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़्लाक़ के बारे में बतायें? कहने लगींः क्या तुम कुरआन नहीं पढ़ते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अख़्लाक़ कुरआन ही था। मैंने कहाः मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात की नमाज़ के बारे में बतायें? कहने लगींः क्या तुम सूरः मुज़्ज़म्मिल नहीं पढ़ते हो? मैंने काः क्यों नहीं। उन्होंने कहाः इस सूरः का शुरु का हिस्सा नाज़िल हुआ तो सहाबा ने क़ियाम करना शुरु कर दिया यहाँ तक कि उन के पाँव सूज जाते। और इस सूरः का आख़िरी हिस्सा बारह महीने आसमान पर रोके रखा (यानी नाज़िल

नहीं हुआ) फिर जब इस का अन्तिम हिस्सा नाज़िल हुआ तो रात का क़ियाम नफ़्ल क़रार पाया, जबकि पहले फ़र्ज़ था। मैंने कहाः मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के वित्र के बारे में बयान फ़रमायें। वह कहने लगीं: आप आठ रक्अ़त पढ़ते, उन में आप केवल आठवीं रक्अ़त पर तशह्हुद बैठते, फिर उठते और एक और रक्अ़त पढ़ते। आप आठवीं और नौंवी रक्अ़त ही पर बैठते और नवीं पर सलाम फेरते। इस के बाद आप दो रक्अ़तें पढ़ते, बैठे हुये। बेटे! यह कुल ग्यारह रक्अ़तें हुयीं। फिर जब आप बड़ी आयु के हो गये और कुछ मोटे भी हो गये तो सात रक्अ़त वित्र पढ़ने लगे। आप छठी और सातवीं रक्अ़त पर बैठते और सातवीं ही पर सलाम फेरते। फिर दो रक्अ़तें पढ़ते जबकि आप बैठे हुये होते। बेटे! यह इस प्रकार नौ रक्अ़तें हुयीं। और नबी करीम स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कभी भी सारी रात सुब्ह तक क़ियात नहीं फ़रमाया। और आप ने कभी भी एक रात में कुरआन पाक ख़त्म नहीं किया और रमज़ान के अ़लावा किसी भी महीने के पूरे रोज़े नहीं रखे। और जब कोई नमाज़ (यानी नफ़्ल) शुरु कर लेते तो उस पर हमेशगी फ़रमाते। अगर कभी किसी रात नींद ग़ालिब आ जाती तो दिन में बारह रक्अ़तें पढ़ते। (सअ़द कहते हैं) फिर मैं इब्ने अ़ब्बास के पास आया और उन्हें यह सब बताया तो उन्होंने कहाः अल्लाह की क़सम! यही हदीस है (जो मैं चाहता था) अगर मैं उन से बोलता होता तो मैं खुद उन की ख़िदमत में हाज़िर होता और सुनता। सअ़द ने कहाः अगर मुझे मालूम होता कि आप उन से नहीं बोलते हैं तो मैं आप को यह हदीस न सुनाता।

फ़ाइदा:— तहज्जुद और वित्र पढ़ने के तक़रीबन 13 तरीके हैं। और सभी दुरुस्त हैं। वित्र पढ़ने केबाद भी दो रक्अ़त कभी कभार पढ़ने का सबूत है। इब्ने अ़ब्बास का आ़इशा के पास न जाना अ़ली और मुआ़विया के द्रर्मियान इख़्तिलाफ़ के नाते था जो सियासी था।

1343:— सअ़ीद ने क़तादा से अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया और कहाः आप आठ रक्अ़त पढ़ते, उन में किसी में भी न बैठते, केवल आठवीं रक्अ़त पर बैठते, अल्लाह का ज़िक्र और दुआ़ करते, फिर सलाम फेरते इस तरह कि हमें संवारते (यानी बुलन्द आवाज़ से सलाम कहते) फिर सलाम के बाद बैठे-बैठे दो रक्अ़तें पढ़ते, फिर एक रक्अ़त पढ़ते। बेटे! यह कुल 11 रक्अ़तें हुयीं। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बड़ी उमर के हो गये और कुछ मोटे हो गये तो आप 7 रक्अ़त पढ़ने लगे और सलाम के बाद बैठे-बैठे दो रक्अ़तें पढ़ते.....।

फ़ाइदा:— तहज्जुद में आठ रक्अ़त की एक साथ भी निय्यत की जा सकती है और दर्मियान में कोई तशह्हुद नहीं होगा। सलाम ऊँची आवाज़ से कहना सुन्नत है।

1344:— सअ़ीद ने यही हदीस बयान की और उन्होंने कहाः सलाम कहते इस प्रकार कि हमें सुनवाते। जैसे कि यहया बिन सअ़ीद ने रिवायत किया।

1345:— मुहम्मद बिन बश्शर ने इब्ने अबी अ़दी से, उन्होंने सअ़ीद सेयही हदीस रिवायत की..... मगर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सलाम कहते एक सलाम और हमें सुनवाते।

फ़ाइदा:— नमाज़ को ख़त्म करने के लिये केवल एक सलाम भी काफ़ी होता है। तहज्जुद में अक्सरआप एक ही सलाम करते थे।

1346:— बहज़ बिन हकीम ने कहा कि जुरारा बिन औफ़ा बयान करते हैं कि आइशा रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की रात की नमाज़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा: आप इशा की जमाअ़त के बाद घर लौटते तो चार रक्अ़त (इशा की सुन्न्त) पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर आ जाते और सो जाते। और आप के वुजू का पानी आप के सर के पास ढँाप कर रखा होता, दातून भी रखी होती, फिर अल्लाह पाक आप को अपने समय पर उठा देता। फिर आप जागते और दातून करते, मुकम्मल वुजू करते और मुसल्ला पर तश्रीफ़ ले जाते। आप आठ रक्अ़त पढ़ते, उन में आप सूर: फ़ातिहा और कुरआन की कोई सूर: पढ़ते और जो अल्लाह चाहता। आप उन रक्अ़तों में (कोई तशह्हुद) न बैठते, केवल आठवीं रक्अ़त में बैठते, मगर सलाम न फेरते, फिर नवीं में क़िरात करते, फिर बैठते, और दुआ़ करते जो अल्लाह चाहता। उन दुआ़ओं में अल्लाह से सवाल करते और उसी की तरफ़ रजूअ़ करते। फिर सलाम कहते एक ही सलाम बड़ी ऊँची आवाज़ से, इतनी ऊँची आवाज़ से कि क़रीब होता कि घर वाले जाग जायें, फिर (बैठे-बैठे दो रक्अ़तें पढ़ते) सूर: फ़ातिहा पढ़ते और रुकूअ़ करते बैठे हुये। फिर दूसरी रक्अ़त पढ़ते और रुकूअ़ और सज्दा करते बैठे हुये। फिर खूब दुआ़ करते जो अल्लाह चाहता। फिर सलाम फेरते और उठ जाते।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ इसी प्रकार की रही। मगर जब आप मोटे हो गये तो आप ने नौ रक्अ़तों में से दो रक्अ़तें कम कर लीं, यानी वित्र के बिना छ: रक्अ़तें और वित्र के साथ सात रक्अ़तें पढ़ने लगे और उन के बाद दो रक्अ़तें पढ़ते जब आप बैठे हुये होते, यहाँ तक कि इसी आ़दत पर आप की रुह क़ब्ज़ हुयी।

1347:— बहज़ बिन हकीम ने अपनी साबिक़ा सनद से यह हदीस बयान की और कहा....... आप इशा की पमाज़ पढ़ कर अपने बिस्तर पर आ जाते। उन्होंने चार रक्अ़त पढ़ने का ज़िक्र नहीं किया. .... और बयान किया कि आप आठ रक्अ़त पढ़ते। उन की क़िरात, रुकूअ़ और सज्दे में बराबरी होती और बीच में कोई तशह्हुद न बैठते सिवाए आठवीं रक्अ़त के। आप इस आठवीं रक्अ़त में बैठते मगर सलाम न फेरते, बल्कि खड़े होकर एक रक्अ़त वित्र पढ़ते, फिर सलाम फेरते, एक सलाम, इस में आप की आवाज़ बहुत ऊँची होती, यहाँ तक कि हमें जगा देते। फिर ऊपर की रिवायत की तरह बयान किया।

1348:— बहज़ बिन ज़ोरारा बिन औफ़ा ने बयान किया कि मुसलमानों की माँ आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया: आप लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ा कर घर तश्रीफ़ लाते और चार रक्अ़तें पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर आ जाते....फिर हदीस तफ़सील से बयान की, मगर हदीस में यह नहीं बयान किया कि आप (तहज्जुद की रक्अ़तों में) क़िरात, सज्दे और रुकूअ़ बराबर रखते। और न सलाम ही के बारे

में यह कहा कि आप उस से हमें जगा देते।

1349:— बहज़ बिन हकीम जुरारा से और वह सअ़द से, और वह आ़इशा रज़ि॰ से यही हदीस रिवायत करते हैं, मगर यह हदीस उन की रिवायत के बराबर नहीं है (यज़ीद बिन हारुन, इब्ने अबी अ़दी, मर्वान बिन मुआ़विया की रिवायतें)

1350:— अबू सलमा बिन अर्ब्दुरहमान आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को 13 रक्अ़तें पढ़ते। नौ रक्अ़तें वित्र होतीं.... या जैसे कि कहा. .... और आप दो रक्अ़तें पढ़ते बैठे हुये। और अज़ान और इक़ामत के दर्मियान फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ते।

1351:— अ़ल्क़मा बिन वक़्क़ास आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नो रक्अ़त वित्र पढ़ा करते थे, फिर सात रक्अ़त पढ़ने लगे। आप वित्र की नमाज़ के बाद बैठ कर दो रक्अ़त पढ़ा करते थे, उन में क़िरात भी किया करते थे, जब आप रुकूअ़ करना चाहते तो खड़े हो जाते और रुकूअ़ करते, फिर सज्दा करते।

1352:— सअ़द बिन हिशाम ने बयान किया कि मैं मदीना आया और आ़इशा रज़ि॰ से मिला तो मैंने उन से कहाः मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ के बारे में कुछ बतलायें? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ाते फिर अपने बिस्तर पर आ कर सो जाते, फिर रात के बीच के हिस्से में उठते और ज़रुरतों से निबट कर पानी लेकर वुज़ू करते, फिर मुसल्ला पर आ जाते और आठ रक्अ़तें पढ़ते। मुझे महसूस होता कि उन की क़िरात, रुकूअ़, सज्दे बराबर होते, फिर एक रक्अ़त वित्र पढ़ते, फिर बैठ कर दो रक्अ़तें पढ़ते, फिर अपना पहलू रखते, फिर कभी बिलाल रज़ि॰ आ जाते और आप को नमाज़ की सूचना देते, फिर आप थोड़ा सा सो जाते, मुझे शक होता कि आप सोए भी हैं या नहीं, फिर वह आ कर आप को नमाज़ की सूचना देते। आप की नमाज़ ऐसे ही रही यहाँ तक कि आप बड़ी उम्र के हो गये और कुछ भारी भी। और (आ़इशा रज़ि॰ ने) आप के कुछ भारी हो जाने का ज़िक्र किया, और हदीस बयान की।

फ़ाइदाः— वित्र की नमाज़ पढ़ लेने के बाद दो रक्अ़तें पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कभी कभार साबित है। इस से केवल जाइज़ होने का सबूत निकलता है। वर्ना आप वित्र सब से अन्त में पढ़ते थे। मालूम हुआ कि वित्र के बाद दो रक्अ़त पढ़ना और न पढ़ना दोनों साबित है।

1353:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक बार मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर सोया, मैंने देखा कि आप जागे, दातून किया और वुज़ू किया, उस दौरान में आप "इन्न फ़ी ख़ल्क़िस्समा वाति...." से लेकर सूरः के अन्त तक तिलावत फ़रमा रहे थे। फिर आप नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े हुये, आप ने दो रक्अ़तें पढ़ीं, उन का क़ियाम, रुकूअ़, सज्दे लंबे किये, फिर आप पलटे और सो गये यहाँ तक कि ख़र्राटे लेने लगे। आप ने इस प्रकार

तीन बार किया और छः रक्अतें पढ़ीं। हर बार आप उठ कर दातून करते, वुज़ू करते और ऊपर बयान आयतों की तिलावत करते, फिर आप ने वित्र पढ़ी।

उस्मान ने बयान किया कि आप ने वित्र की तीन रक्अतें पढ़ीं, फिर मुअज़्ज़िन आ गया तो आप नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले गये। मुहम्मद बिन अ़ीसा ने बयान किया कि फिर आप ने वित्र की नमाज़ पढ़ी, फिर बिलाल आ गये, उन्होंने आप को नमाज़ का समय हो जाने की सूचना दी। फिर आप ने फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ीं और नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले गये।

इस के बाद दोनों रिवायत करने वालों (इब्ने अ़ीसा और उस्मान) का बयान है कि नमाज़ के लिये जाते हुये आप यह दुआ़ पढ़ रहे थेः "ऐ अल्लाह! मेरे दिल में नूर भर दे, मेरी ज़बान में नूर कर दे, मेरे कानों में नूर कर दे, मेरी आँखों में नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे, मेरे आगे नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे। ऐ अल्लाह! मेरे लिये नूर को खूब अधिक कर दे।

1354:— ख़ालिद ने हुसैन से ऊपर की रिवायत की तरह बयान किया और कहाः "मेरे लिये नूर को बढ़ा दे" और "अल्लाहुम्म" नहीं कहा।

फ़ाइदा:— नमाज़ के लिये जाते हुये इस दुआ़ के पढ़ने का सबूत है। कुछ लोग फ़ज्र की सुन्नतों के बाद दायें कर्वट लेट कर यह दुआ़ पढ़ते हैं, यह दुरुस्त नहीं है।

1355:— फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर में बितायी ताकि देखूँ कि आप किस प्रकार नमाज़ पढ़ते हैं। चुनान्चे आप उठे, वुज़ू किया और दो रक्अ़तें पढ़ीं। आप का क़ियाम आप के रुकूअ़ जितना लंबा था, आप का रुकूअ़ सज्दे जितना लंबा था। फिर आप सो गये, फिर जागे वुज़ू किया, दातून किया फिर सूरः आले अ़िम्रान की अन्तिम पाँच आयतें तिलावत कीं। आप इसी अन्दाज़ में करते रहे यहाँ तक कि दस रक्अ़तें पढ़ीं। फिर खड़े हुये और एक रक्अ़त पढ़ी और उस से अपनी नमाज़ को वित्र बनाया। इसी दर्मियान में मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी, जब अज़ान कह चुका तो आप ने हल्की सी दो रक्अ़तें पढ़ीं, फिर बैठे रहे यहाँ तक कि सुब्ह की नमाज़ पढ़ी।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन यही बात सहीह सनद से हदीस न॰ 1353 में बयान हो चुकी है।

1356:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने अपनी ख़ाला मैमूना रज़ि॰ के यहाँ रात गुज़ारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये जबकि रात हो चुकी थी। आप ने पूछाः क्या लड़के ने नमाज़ पढ़ ली है? उन्होंने कहाः हाँ। चुनान्चे आप भी लेट गये। फिर जब रात का कुछ हिस्सा गुज़र गया जो अल्लाह ने चाहा तो आप उठे और वुज़ू किया, फिर सात या पाँच रक्अ़तें पढ़ीं और उन्हें वित्र बनाया, उन रक्अ़तों में आप ने (दर्मियान में) कुछ तशह्हुद नहीं किया।

1357:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं अपनी ख़ाला मैमूना बिन्त हारिस के यहाँ रात

गुज़ारी। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर घर में तशरीफ़ लाये और चार रक्अतें पढ़ीं, फिर सो गये, फिर जागे और नमाज़ पढ़ने लगे, मैं भी उठा और आप के बायें तरफ़ खड़ा हो गया तो आप ने मुझ को दायें तरफ़ कर लिया, फिर आप ने पाँच रक्अतें पढ़ीं, फिर सो गये यहाँ तक कि मैंने आप के ख़र्राटे सुने, फिर आप उठे और दो रक्अतें पढ़ीं, फिर फ़ज्र की नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले गये।

1358:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने इस क़िस्से में बयान किया कि आप उठे और दो-दो रक्अतें कर के नमाज़ पढ़ी, यहाँ तक कि आठ रक्अतें पढ़ीं फिर वित्र पढ़ी और उन के दर्मियान में तशहहुद के लिये नहीं बैठे।

1359:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़ज्र की सुन्नतों समेत तेरह रक्अतें पढ़ा करते थे। छः रक्अतें दो-दो कर के, फिर पाँच वित्र और उन में सिर्फ़ आख़िर ही में बैठते थे।

1360:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात में फ़ज्र की सुन्नतों समेत तैरह रक्अतें पढ़ा करते थे।

1361:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर खड़े होकर आठ रक्अतें पढ़ीं, और दोनों अज़ानों (फ़ज्र की अज़ान और इक़ामत) के दर्मियान दो रक्अतें पढ़ीं, और आप उन्हें तर्क न किया करते थे।

जाफ़र बिन मुसाफ़िर की रिवायत में है कि दोनों अज़ानों के दर्मियान दो रक्अतें बैठ कर पढ़ते। "बैठ कर पढ़ते" यह इज़ाफ़ा जाफ़र बिन मुसाफ़िर का है।

1362:— अ़ब्दुल्लाह बिन अबू क़ैस ने बयान किया कि मैंने आ़इशा रज़ि॰ से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कितनी रक्अत वित्र की पढ़ते थे? उन्होंने कहाः आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कभी चारऔर तीन, कभी छः और तीन, कभी आठ और तीन, और कभी दस और तीन रक्अतें पढ़ा करते थे। आप की वित्र सात से कम और तेरह से ज़्यादा नहीं होती थीं।

1363:— अस्वद बिन यज़ीद से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं आ़इशा रज़ि॰ के पास आया और उन से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने बतायाः आप रात में तेरह रक्अत पढ़ा करते थे, फिर ग्यारह पढ़ने लगे और दो रक्अतें कम कर दीं। फिर जब आप का देहान्त हुआ है तो आप रात को नौ रक्अत पढ़ते थे और आप की अन्तिम नमाज़ वित्र हुआ करती थी।

1364:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰के आज़ाद किये हुये गुलाम कुरैब ने बयान किया कि मैंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को कैसे नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने कहाः मैंने एक रात आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के यहाँ गुज़ारी जबकि आप मैमूना रज़ि॰ के घर में थे। आप सो गये, जब तिहाई रात बीत गयी या आधी रात तो आप उठे और मशक की तरफ़ गये, उस में पानी था, आप ने वुज़ू किया तो मैंने भी आप के साथ वुज़ू

किया तो मैंने भी आप के साथ वुज़ू किया। फिर आप खड़े हो गये तो मैं भी आप के बायें पहलू में जा कर खड़ा हो गया तो आप ने मुझे दायें तरफ़ कर लिया। फिर आप ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा गोया आप मेरे कान को छू रहे हों, मुझे जगा रहे हों। आप ने दो रक्अतें हल्की-हल्की पढ़ीं, मैं समझता हूँ कि आप ने हर रक्अत में सूरः फ़ातिहा पढ़ी, फिर सलाम फेरा, यहाँ तक कि ग्यारह रक्अतें पढ़ी वित्र समेत, फिर सो गये यहाँ तक कि आप के पास बिलाल रज़ि॰ आये और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़! आप खड़े हुये, दो रक्अतें पढ़ीं, फिर लोगों को नमाज़ पढ़ाई।

1365:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने रात अपनी ख़ाला मैमूना के यहाँ गुज़ारी। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को उठे और नमाज़ पढ़ने लगे। आप ने तेरह रक्अ़तें पढ़ीं, उन में फ़ज्र की सुन्नतें भी शामिल थीं। मैंने हर रक्अत में आप के क़ियाम का अनुमान लगाया तो सूरः मुज़्ज़म्मिल के बराबर था। नूह ने अपनी रिवायत में फ़ज्र की सुन्नतों का ज़िक्र नहीं किया।

1366:— ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी ने बयान किया कि मैंने कहाः आज रात मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की नमाज़ देखूँगा। चुनान्चे मैं ने आप के दर्वाज़े या ख़ेमे की चौखट को अपना तकिया बना लिया। आप ने दो रक्अ़तें पढ़ीं हल्की-हल्की, फिर दो रक्अ़तें पढ़ीं, लंबी-लंबी, फिर दो रक्अ़तें पढ़ीं जो उन से कुछ कम लंबी थीं, फिर दो रक्अ़तें पढ़ीं जो उन से कम थीं, फिर दो रक्अ़तें पढ़ीं जो उन से कम थी, फिर एक वित्र पढ़ी, यह कुल 13 रक्अ़तें हुयीं।

1367:— इब्ने अ़ब्बास के मौला (आज़ाद किये हुये गुलाम) कुरैब ने बयान किया कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने मुझ को बताया कि मैं एक रात मैमूना रज़ि॰ के घर गुज़ारी, वह उन की ख़ाला थीं। फ़रमाते हैं कि मैं तकिया की चौड़ाई में लेट गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप की पत्नी उस की लंबाई में लेटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सो गये यहाँ तक कि जब आधी रात हुयी, या इस से कुछ पहले का समय हो गया या बाद का तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जागे और उठ कर बैठ गये, फिर अपने हाथ से अपना चेहरा मला, गोया नींद दूर कर रहे हों। फिर आप ने सूरः आले अ़िम्रान की अन्तिम दस आयतें पढ़ीं, फिर आप एक मशक के पास गये जो लटक रहा था, उस से आप ने वुज़ू किया और अच्छी तरह किया, फिर नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े हुये।

इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर मैं भी उठ खड़ा हुआ और जैसे आप ने किया था मैंने भी किया। फिर आप के बायें पहलू में जा कर खड़ा हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपना दायाँ हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा कान पकड़ कर मरोड़ा। फिरआप ने दो रक्अ़तें पढ़ीं, फिर दो पढ़ीं, फिर दो पढ़ीं, फिर दो पढ़ीं, फिर दो पढ़ी, फिर दो पढ़ीं। क़ानबी ने कहा कि छः बार (दो-दो रक्अ़तें पढ़ीं) फिर एक वित्र पढ़ा। इस के बाद लेट गये, फिर आप के पास मुअज़्ज़िन आया तो आप ने उठ कर हल्की सी दो रक्अ़तें पढ़ीं, फिर तशरीफ़ ले गये और फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी।

बाब {नमाज़ में बीच की चाल अपनाने का बयान।}

1368:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अ़मल उतना ही करो जिस की तुम्हारे अन्दर ताक़त हो, क्योंकि अल्लाह पाक (तुम्हें सवाब देने से) नहीं उकताता, बल्कि तुम ही (अ़मल से) उकता जाओगे। अल्लाह पाक को वही अ़मल पसन्द है जो हमेशा किया जाये अर्गचे थोड़ा ही हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब कोई काम करते तो उसे हमेशा करते रहते।

1369:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस्मान बिन मज़ऊन रज़ि॰ को अपने पास बुलाया। वह आप के पास आये तो आप ने फ़रमायाः ऐ उस्मान! क्या तुम ने मेरी सुन्नत (तरीक़े) से मुँह मोड़ लिया है? उन्होंने कहाः नहीं, अल्लाह की क़सम, ऐ अल्लाह के रसूल! बल्कि मैं तो आप की सुन्नत ही को ढूँढ़ता हूँ। आप ने फ़रमायाः फिर मैं तो सोता भी हूँ और नमाज़ भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ और नही भी रखता हूँ, महिलाओं से निकाह भी किया है। सो अल्लाह से डरो ऐ उस्मान! तुम्हारे घर वालों का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारी जान का भी तुम पर हक़ है, इसलिये रोज़े रखो और छोड़ भी दिया करो, नमाज़ पढ़ा करो और सोया भी करो।

1370:— अ़ल्क़मा ने बयान किया कि मैं ने आइशा रज़ि॰ से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के काम करने का क्या तरीक़ा था, क्या आप ने कोई दिन ख़ास कर रखे थे? उन्होंने कहाः नहीं। आप के हर अ़मल में हमेशगी होती थी और तुम में वह ताक़त कहाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को प्राप्त थी।

❀ ❀ ❀

(6) रमज़ान के अहकाम

बाब {रमज़ान में क़ियाम के मसाइल का बयान।}

1371:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रमज़ान में क़ियाम करने पर उभारा करते थे, बग़ैर इस के लिये वाजिबी तौर पर उन को हुक्म दें। फिर फ़रमाते थे: जिस ने ईमान के साथ और सवाब की ग़रज़ से रमज़ान में क़ियाम किया तो उस के पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का देहान्त हो गया और मामला इसी प्रकार रहा। इस के बाद अबू बक्र रज़ि॰ की ख़िलाफ़त और उमर रज़ि॰ की ख़िलाफ़त के शुरु के ज़माना में भी यही सूरत रही।

फ़ाइदा:— रमज़ान की रातों में क़ियाम करना सुन्नत और मुस्तहब काम है, मगर वाजिब नहीं है, लेकिन इस से लापरवाही करना बड़ी महरुमी है।

1372:— अबू हुरैरा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि "जिस ने ईमान और सवाब की निय्यत से रमज़ान के रोज़े रखे तो उस के पिछले गुनाह बख़्श दिये जाते हैं। और जिस ने ईमान और सवाब के लिये लैलतुल् क़द्र में क़ियाम किया उस के पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।

1373:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा रज़ि॰ से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी (यानी रमज़ान की रात में क़ियाम फ़रमाया) तो लोगों ने भी आप के साथ नमाज़ पढ़ी। आप ने अगली रात फिर नमाज़ पढ़ी तो लोग भी बहुत हो गये। फिर जब तीसरी रात जमा हुये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम घर से निकले ही नहीं। जब सुब्ह हुयी तो आप ने फ़रमाया: तुम ने जो किया है वह मैं ने देखा है और मुझे तुम्हारी तरफ़ निकलने से बस यही चीज़ रुकावट बनी कि मुझे डर हुआ कि कहीं यह नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाये।" और यह रमज़ान की बात है।

फ़ाइदा:— बुख़ारी शरीफ़ में तीसरी रात भी जमाअ़त से पढ़ने का ज़िक्र है, देखें हदीस न॰ 924।

1374:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि लोग मस्जिद में टुकड़ियों में बट कर नमाज़ पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने मुझे हुक्म दिया तो मैंने आप के लिये चटाई बिछा दी। आप ने नमाज़ पढ़ी.....और यह घटना बयान की.....और आप ने फ़रमायाः लोगों! मैंने अल्लाह के फ़ज़्ल से रात ग़फ़्लत में नहीं गुज़ारी और न तुम्हारा यहाँ जमा होना मुझ से पोशीदा रहा है।

1375:— अबू ज़र रज़ि॰ से रिवायत है कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान के रोज़े रखे। आप ने हमारे साथ कोई क़ियाम न किया, यहाँ तक कि महीने में एक सप्ताह बाक़ी रह गया तो आप ने हमें क़ियाम कराया यहाँ तक कि तिहाई रात हो गयी। जब (आख़िर से) छठी रात आयी तो आप ने क़ियाम न कराया। जब पाँचवी आयी तो हमें क़ियाम करवाया यहाँ तक कि आधी रात गुज़र गयी। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! काश आप हमें बाक़ी रात भी उस का क़ियाम करवा देते। आप ने फ़रमायाः इन्सान जब इमाम के साथ नमाज़ पढ़ता है और उस के फ़ारिग़ होने तक उस के साथ रहता है तो उस के लिये पूरी रात का क़ियाम शुमार किया जाता है। जब चौथी रात आयी तो आप ने क़ियाम न कराया। जब तीसरी रात आयी तो आप ने अपने रिश्तेदारों, बीवियों और दूसरे लोगों को जमा फ़रमाया और हमें क़ियाम कराया यहाँ तक कि हमें चिन्ता हुयी कि कहीं हमारी "फ़लाह" ही न रह जाये।

(जुबैर ने कहा) मैंने पूछाः "फ़लाह" से क्या मुराद है? उन्होंने कहाः सहरी। फिर बाक़ी रातों में आप ने हम को क़ियाम नहीं कराया।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन रातों में मस्जिद में जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ा कर साबित कर दिया कि तरावीह जमाअत के साथ पढ़ना सुन्नत है।

1376:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि जब रमज़ान का (अन्तिम) दहा शुरु होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते, अपनी कमर कस लेते और अपने घर वालों को भी जगाते।

1377:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और देखा कि लोग रमज़ान में मस्जिद की एक तरफ़ नमाज़ पढ़ रहे हैं। आप ने पूछाः इन को क्या है? कहा गया कि इन लोगों को कुरआन याद नहीं है और उबय्यि बिन कअब चूँकि नमाज़ पढ़ रहे हैं तो यह लोग भी उन के साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उन्होंने अच्छा किया और बहुत अच्छा किया।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ईफ़ है, लेकिन दूसरी हदीस से इस की ताईद होती है।

बाब {लैलतुल क़द्र के अहकाम व मसाइल।}

1378:— ज़िर्र बिन हुबैश सेरिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने उबय्यि बिन कअब रज़ि॰ से कहाः ऐ अबू मन्ज़िर! मुझे लैलतुल क़द्र के बारे में बताइये, क्योंकि हमारे साहब (इब्ने मस्ऊद रज़ि॰) से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहाः जो शख़्स पूरा साल क़ियाम करता रहे वह उसे पा

लेगा। उन्होंने कहाः अल्लाह अबू अ़ब्दुर्रहमान (इब्ने मस्ऊद) पर रहम फ़रमाये। अ़ल्लाह की क़सम! उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि यह रमज़ान में होती है (मुसद्दद ने इज़ाफ़ा किया कि) लेकिन उन्होंने नापसन्द किया कि लोग (सिर्फ रमज़ान ही पर) भरोसा कर लें, या उन्होंने चाहा है कि लोग उसी पर तकिया न कर लें (फिर सुलैमान और मुसद्दद दोनों ने कहा) अल्लाह की क़सम! यह रमज़ान की 27 वीं रात को होती है, इन्शाअल्लाह न कहा। मैंने कहाः ऐ अबू मुन्ज़िर! आप को इस की जानकारी कैसे हुयी? उन्होंने कहाः उस निशानी से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें बताई है।

(आ़सिम ने कहा) मैंने जब रिज़्ज़ से पूछाः वह क्या पहचान है? उन्होंने कहाः उस रात की सुब्ह को सूरज तश्त (तांबे की बड़ी पलेट) की तरह निकलता है और ऊँचा होने तक उस में तेज़ी और गर्मी नहीं होती।

फ़ाइदा:— 27 वीं का दावा दुरुस्त नहीं है। दूसरी ताक़ रातों में भी संभावना है। उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ को किसी साल 27 वीं को वह निशानी नज़र आ गयी होगी तो उसी से उन्होंने यक़ीन कर लिया कि 27 वीं ही को हर साल होती है, लेकिन यह उन की अपनी सोच है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अन्तिम दहे की ताक़ रातों में तलाश करो।

1379:— ज़मुरा बिन अ़ब्दुल्लाह अपनेपिता सेरिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि मैं बनी सलमा की एक मज्लिस में था और मैं उन सब से छोटा था। उन्होंने कहाः कौन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से हमारे लिये लैलतुल क़द्र के बारे में पूछ कर आये? और यह रमज़ान की 21वीं तारीख़ की सुब्ह की बात थी। चुनान्चे मैं निकला और मग़्रिब की नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ पढ़ी। फिर मैं आप के घर के दर्वाज़े पर खड़ा हो गया। आप मेरे पास से गुज़रे तो फ़रमायाः अन्दर आ जाओ। चुनान्चे मैं अन्दर चला गया, आप को खाना पेश किया गया। मुझे याद है कि मैं खाना कम होने की वजह से झिझक रहा था (यानी बहुत कम खा रहा था) जब फ़ारिग़ हो गये तो फ़रमायाः मुझे मेरे जूते दो। फिर आप खड़े हो गये और मैं भी आप के साथ खड़ा हो गया। आप ने फ़रमायाः शायद तुम किसी काम से आये थे? मैंने कहाः हाँ, बनी सलमा की एक जमाअ़त ने मुझे आप की सेवा में भेजा है, वह लोग क़द्र की रात के बारे में मालूम करना चाहते हैं। आप ने फ़रमायाः आज कौन सी रात है? मैंने कहाः आज 22 वीं तारीख़ है। आप ने फ़रमायाः यही रात है। फिर आप ने अपनी बात दोहराई और फ़रमायाः अगली रात है, यानी 23 वीं रात।

फ़ाइदा:— 22 वीं रात क़द्र की रात के लिये देखें हदीस न॰ 138

1380:— अ़ब्दुल्लाह बिन उनैस जोहनी रज़ि॰ का बयान है कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं देहात में रहता हूँ और वहीं नमाज़ पढ़ता हूँ, तो आप मुझे क़द्र वाली रात के बारे में बतायें कि उस रात में यहाँ उस मस्जिद में आ जाऊँ। आप ने फ़रमायाः 23 वीं रात को आ जाना।

1381:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

फ़रमायाः क़द्र वाली रात को रमज़ान की अन्तिम दस रातों में तलाश करो, अन्तिम नवीं, सातवीं और पाँचवीं रात में।

बाब {21 वीं रात के क़द्र की रात होने की दलील।}

1382:— अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रमज़ान के बीच के दहे में एतिकाफ़ किया करते थे। आप ने एक साल एतिकाफ़ किया और 21 वीं रात आ गयी और (इस से पहले) आप इस रात को अपने एतिकाफ़ से निकल आया करते थे, तो आप ने फ़रमायाः जिस ने मेरे साथ एतिकाफ़ किया है वह अन्तिम दहा का एतिकाफ़ करे, मैंने उस रात (क़द्र की रात) को देखा है, मगर भुलवा दिया गया हूँ। और मैंने अपने आप को देखा है कि उस की सुब्ह को पानी और मिट्टी (कीचड़) में सज्दा कर रहा हूँ, चुनान्चे तुम उसे अन्तिम दहे में तलाश करो और उसे हर ताक़ रात में तलाश करो।

अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ फ़रमाते हैं: चुनान्चे उसी रात वर्षा हो गयी और मस्जिद की छत जो छड़ियों की बनी हुयी थी टपक पड़ी। मेरी आँखों ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पेशानी और नाक पर पानी और मिट्टी (कीचड़) का निशान था और यह 21वीं रात थी।

1383:— अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उसे रमज़ान के अन्तिम दहे में तलाश करो। नवीं, सातवीं और पाँचवीं रात में तलाश करो (यानी आख़िर महीना से) मैं ने कहाः ऐ अबू सअ़ीद! आप गिनती हम से बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहाः जी हाँ। मैंने कहाः नवीं, सातवीं और पाँचवीं से क्या मुराद है? उन्होंने कहाः जब 21 वीं बीत जाये तो उस के बाद वाली नवीं हैं और जब 23 वीं बीत जाये तो उस के बाद वाली सातवीं है, और जब 25 वीं बीत जाये तो उस के बाद बाली पाँचवीं है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इस हदीस में मुझ पर कोई मामला पोशीदा रहा है या नहीं (क्योंकि सही तारीख़ के तै करने में हमेशा शुब्हा सा रहता है)

बाब {17 वीं रात के क़द्र की रात होने की रिवायत।}

1384:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम से फ़रमायाः उसे रमज़ान की 17 वीं, 21 वीं और 23 वीं में तलाश करो, फिर आप ख़ामोश हो रहे।

बाब {अन्तिम सात रातों में क़द्र की रात का होना।}

1385:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अन्तिम सात रातों में क़द्र की रातको तलाश करो।

बाब {27 वीं रात के क़द्र की रात होने का बयान।}

1386:— मुआ़विया बिन अबू सुफ़यान रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमायाः 27 वीं की रात क़द्र की रात है।

बाब {पूरे रमज़ान में क़द्र की रात होने का बयान।}

1387:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से क़द्र की रात के बारे में पूछा गया और मैं सुन रहा था, तो आप ने फ़रमायाः यह रात सारे रमज़ान में होती है।

फ़ाइदा:— क़द्र की रात रमज़ान में होने में कोई शुब्हा नहीं और न इस में इख़्तिलाफ़ है। अल्बत्ता ठोस दलील की बुनियाद पर यह अन्तिम दहे में है। सारे रमज़ान में क़द्र की रात नहीं है। यह सहाबी का अपना क़ौल है। फिर हदीस न॰ 1384 ज़ओ़फ़ है जिस में 17 वीं को होने का बयान है।

कुरआन की क़िरात, उस के जुज़ मुक़र्रर करने और ठीक से पढ़ने के मसाइल

बाब {कुरआन को कम से कम कितने दिनों में ख़त्म किया जाये?}

1388:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कुरआन करीम को एक माह में ख़त्म किया करो। उन्होंने कहाः मुझे इस से ज़्यादा की ताक़त है। आप ने फ़रमायाः बीस दिनों में ख़त्म किया करो। मैंने कहाः मुझे इस से ज़्यादा की ताक़त है। आप ने फ़रमायाः दस दिनों में ख़त्म किया करो। मैंने कहाः मुझे इस से भी ज़्यादा कि हिम्मत है। आप ने फ़रमायाः सात दिन में ख़त्म किया करो और इस से कम हर्गिज़ न करना।

1389:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः हर माह तीन दिन रोज़े रखो और एक महीने में कुरआन पढो। आप मुझ से कमी कराते रहे और मैं कमी करता रहा। अन्त में आप ने फ़रमायाः एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन इफ़तार करो।

1390:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं कितने दिनों में कुरआन पढ़ूँ? आप ने फ़रमायाः एक माह में। मैंने कहाः मैं इस से ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। अबू मूसा (बिन मुसन्ना) ने यह वाक्य बार-बार दोहराया। यानी उन्होंने इस मुद्दत में कमी चाही, चुनान्चे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सात दिनों में पढ़ो (ख़त्म करो) मैंने कहाः मैं इस से भी ज़्यादा ताक़त रखता हूँ। आप ने फ़रमायाः जिस ने तीन दिन से कम में कुरआन पढ़ा उस ने उसे समझा ही नहीं।

1391:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कुरआन पाक एक महीना में पढ़ा करो। उन्होंने कहाः मुझ में (इस सेज़्यादा की) ताक़त है। आप ने फ़रमायाः उसे तीन दिन में मुकम्मल पढ़ा करो।

बाब {कुरआन पाक के पारे और हिस्से करना।}

1392:— इब्ने हाद ने बयान किया कि नाफ़े बिन जुबैर ने मुझ से पूछाः तुम कितने दिना में कुरआन ख़त्म करते हो? मैंने कहाः मैं उस के हिस्से नहीं करता हूँ (बल्कि जो तौफ़ीक़ होती है पढ़ लेता हूँ) इस पर नाफ़े ने कहाः इस प्रकार मत कहो कि मैं उस के हिस्से नहीं करता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाया करते थेः मैं ने कुरआन का एक हिस्सा पढ़ा।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि कुरआन पाक को आसानी से पढ़ने के लिये हिस्सों और जुज़ में बाँटना जाइज़ है। चुनान्चे लोगों ने चौथाई, आधा, दो तिहाई वग़ैरह के निशान पारों में लगा रखा है।

1393:— औस बिन हुज़ैफ़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि हम सक़ीफ़ क़बीला के वफ़्द के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये (उस वफ़्द में) हलीफ़ लोग मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ के मेहमान बन गये और (दूसरे) बनी मालिक को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने एक ख़ेमे में ठहराया। औस बिन हुज़ैफ़ा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इशा के बाद हमारे पास रोज़ाना तश्रीफ़ लाते और बात-चीत करते थे। अबू सअ़ीद ने कहाः आप अपने पाँव पर खड़े-खड़े बातें करते और ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से कभी एक पाँव पर ज़ोर देकर खड़े होते, कभी दूसरे पर। और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आम तौर पर अपनी क़ौम क़ुरैश के साथ बीते हालात बयान फ़रमाया करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमातेः "हम बराबर न थे बल्कि कमज़ोर और नातवाँ थे.....मुसद्दद के शब्द हैं "मक्के में ...... जब हम मदीना आ गये तो हम में और उन में लड़ाई छिड़ गयी, कभी हम उन पर ग़ालिब आते और कभी वह हम पर।" एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने आने के समय में देरी कर दी तो हम ने कहाः आज रात आप देरी से तश्रीफ़ लाये हैं? फ़रमायाः मेरा एक जुज़ (हिस्सा) कुरआन का रहता था, मैं ने उस की तिलावत मुकम्मल किये बग़ैर आना पसन्द न किया।

औस कहते हैं कि मैं ने सहाबा से मालूम किया कि आप लोग कुरआन के हिस्से किस तरह करते हैं? उन्होंने कहाः पहला हिस्सा तीन सूरतों का, दूसरा पाँच सूरतों का, तीसरा सात सूरतों का, चौथा नौ सूरतों का, पाचवाँ ग्यारह सूरतों का; छठा तेरह सूरतों का, और सातवाँ मुफ़स्सल का (क़ाफ़ से अन्त तक)

1394:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस शख़्स ने तीन दिन से कम में कुरआन पाक पढ़ा उस ने उसे समझा ही नहीं।

1395:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः कितने दिनों में कुरआन पढ़ा जाये? आप ने फ़रमायाः चालीस दिनों में। फिर फ़रमायाः एक महीने में। फिर कहाः बीस दिनों में। फिर कहाः 15 दिनों में। फिर कहाः दस दिनों में। फिर कहाः सात दिनों में, और सात दिनों से कम नहीं किया।

फ़ाइदा:— "और सात से कम नहीं किया" दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हदीस न॰ 1391 में "तीन दिन में

पढ़ने" का हुक्म है।

1396:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगाः मैं एक रक्अ़त में पूरा मुफ़स्सल का हिस्सा (आख़िरी मन्ज़िल) पढ़ लेता हूँ। उन्होंने कहाः क्या तुम पद्यय (शेर) की तरह जल्दी-जदी पढ़ते हो? या सूखी रद्दी खजूरों की तरह बिखेरते हो? हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक तरह की दो सूरतों को एक रक्अ़त में पढ़ा करते थे। सूरः नज्म और रहमान में, सूरः क़मर और हाक़्क़ह एक रक्अ़त में, सूरः तूर और ज़ारियात एक रक्अ़त में, सूरः वाक़िआ़ और नून एक रक्अ़त में, सूरः ततफ़ीफ़ और अ़बस एक रक्अ़त में, सूरः मुद्दस्सिर और मुज़्ज़म्मिल एक रक्अ़त में, सूरः इन्सान और क़ियामह एक रक्अ़त में, सूरः अ़म्म और मुर्सलात एक रक्अ़त में, सूरः दुख़ान और सूरः तक्बीर एक रक्अ़त में।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि सूरतों की तर्तीब इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ क़ी तालीफ़ है (यानी उन के कुरआ़न की त्तर्तीब इसी प्रकार थी)

फ़ाइदा:— अ़ल्लामा अल्बानी के निकट इन सूरतों की तफ़सील सहीह नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी ज़िन्दगी हीं में कुरआ़न पाक को मुरत्तब करा दिया था।

1397:— अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बयान करते हैं कि मैंने अबू मस्ऊद रज़ि॰ से पूछा जबकि वह बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे, उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स रात को सूरः बक़र की अन्तिम दो आयतें पढ़ ले तो यह उस को काफ़ी हो जाती है।

1398:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस शख़्स ने दस आयतों से क़ियाम किया वह ग़ाफ़िल लोगों में नहीं गिना जायेगा। और जो हज़ार आयतों से क़ियाम करे वह बहुत अधिक सवाब जमा करने वालों में लिखा जाता है।

1399:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कुछ कुरआ़न पढ़ाइये। आप ने फ़रमायाः तीन सूरतें पढ़ो जिन के शुरु में "अलिफ़ लाम रा" है (यानी सूरः यूनुस, हूद, यूसुफ़) उस ने कहाः मेरी आयु बड़ी हो गयी है, दिल सख़्त हो गया है (भूलने की बीमारी हो गयी है) ज़बान मोटी हो गयी है (इसलिये बड़ी सूरतें नहीं याद होंगी) आप ने फ़रमायाः तो फिर "हामीम" वाली तीन सूरतें पढ़ लो। इस पर भी उस ने अपनी पहली बीत ही कही। तो आप ने फ़रमायाः तो "मुसब्बहात" वाली तीन सूरतें याद कर लो (जिन के शुरु में "सब्बह" या "युसब्बिह" आता है) इस पर भी उस ने अपनी वही बात दोहराई और कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई जामे (ठोस) सूरत पढ़ा दीजिये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे सूरः ज़िलज़ाल पढ़ाई.....आख़िर तक, इस पर वह कहने लगाः उस ज़ात की क़सम जिस ने आप को हक़ के साथ भेजा है, मैं इस से कभी ज़्यादा न करुँगा। फिर वह पीठ फेर कर चला गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दो मर्तबा फ़रमायाः उस छोटे से मर्द ने नजात पाई।

बाब {आयतों का शुमार।}

1400:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कुरआन पाक की एक सूरत तीन आयतों वाली अपने पढ़ने वाले के लिये सिफ़ारिश करेगी, फिर उसे बख़्श दिया जायेगा– वह सूरः "मुल्क" है।

❀ ❀ ❀

(7) तिलावत के सज्दे के मसाइल

बाब {तिलावत के सज्दे का बयान। कुरआन में कितने सज्दे के स्थान हैं?}

1401:— अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे कुरआ़न में 15 सज्दे पढ़ाये, उन में से तीन जुज़ मुफ़स्सल (आख़िरी मन्ज़िल) में (सूरः नज्म, इन्शिक़ाक़, सूरः अ़लक़ में) और दो सूरः हज्ज में है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अबू दर्दा के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ग्यारह सज्दे नक़ल हैं, लेकिन इस की सनद कमज़ोर है।

1402:— उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ से रिवायत हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या सूरः हज्ज में दो सज्दे हैं? आप ने फ़रमायाः हाँ, और जो सज्दा न करना चाहे वह इन की तिलावत ही न करे।

बाब {उन लोगों की दलील जो मुफ़स्सल (आख़िरी मन्ज़िल) में सज्दा के क़ाइल नहीं।}

1403:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मदीना में आने के बाद मुफ़स्सल में किसी स्थान पर सज्दा नहीं किया।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन सहीह हदीस आगे 1407 आ रही है।

1404:— ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने सूरः नज्म की तिलावत की मगर आप ने सज्दा नहीं किया।

फ़ाइदा:— यह वाजिब नहीं, इसे छोड़ा भी जा सकता है, मगर न करने की आ़दत बना लेना ग़लत है।

1405:— ख़ारिजा बिन ज़ैद बिन साबित अपने पिता से और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत करते हैं। इमाम अबू दावूद ने बयान किया कि ज़ैद इमाम थे और उन्होंने सज्दा नहीं किया।

फ़ाइदा:— ज़ैद ने सज्दा नहीं किया जो पढ़ रहे थे तो सुन रहे थे आप ने भी नहीं किया।

बाब {अन्तिम मन्ज़िल में तिलावत का सज्दा करने वालों का सबूत।}

1406:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सूरः नज्म की तिलावत की और उस में सज्दा किया और मौजूद लोगों मेंभी सब ने सज्दा किया केवल एक व्यक्ति को छोड़ कर। उस ने कंकरी ली या मिट्टी की एक मुट्ठी ली और अपने चेहरा की तरफ़ उठाई और कहाः मुझे यही काफ़ी है। अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ बयान करते हैं कि बाद में मैं ने उसे देखा कि कुफ़्र की हालत में क़त्ल कर दिया गया।

बाब {सूरः इन्शिक़ाक़ में तिलावत के सज्दे का बयान।}

1407:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सूरः इन्शिक़ाक़ और सूरः अ़लक़ में सज्दे किये।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अबू हुरैरा रज़ि॰ ख़ैबर की जन्ग के मौक़ा पर सन छः हिजरी में इस्लाम लाये और यह सज्दे करना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का आख़िरी अ़मल है।

1408:— अबू राफ़े बयान करते हैं कि मैं ने अबू हुरैरा रज़ि॰ के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी, उन्होंने नमाज़ में सूरः इन्शिक़ाक़ की तिलावत की और सज्दा किया। मैंने पूछाः यह कैसा सज्दा है? उन्होंने कहाः मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे यह सज्दा किया है और मैं इसे नहीं छोडूँगा यहाँ तक कि आप से जा मिलूँ।

बाब {सूरः स्वाद में तिलावत के सज्दे का बयान।}

1409:— इक्रमा से रिवायत है कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि सूरः स्वाद का सज्दा वाजिब सज्दों में से नहीं है, जबकि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा है कि आप उस में सज्दा करते थे।

1410:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मिंबर पर सूरः स्वाद की तिलावत की। जब सज्दे की आयत पर पहुँचे तो आप मिंबर से नीचे आ गये और सज्दा किया और आप के साथ दूसरे लोगों ने भी सज्दा किया। फिर एक दूसरे मौक़ा पर आप ने उसी आयत की तिलावत फ़रमायी। जब आप सज्दे की आयत पर पहुँचे और लोग सज्दे के लिये तय्यार हो गये तो आप ने फ़रमायाः यह एक नबी की तौबा का ज़िक्र है, लेकिन मैं ने तुम्हें देखा है कि तुम सज्दा करना चाहते हो। चुनान्चे आप उतरे और सज्दा किया और लोगों ने भी सज्दा किया।

फ़ाइदा:— इमाम खुत्बा में सज्दा की आयत पढ़ कर मिंबर से उतर कर सज्दा करे तो मुक़्तदी भी सज्दा करे।

बाब {जब कोई सज्दे की आयत सुने और सवारी पर हो, या नमाज़ में न हो तो?}

1411:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर सज्दे की आयत तिलावत फ़रमायी तो सब लोगों ने सज्दा किया उन में से कुछ लोग जानवरों पर सवार थे और कुछ ज़मीन पर सज्दा करने वाले थे। सवार लोगों ने अपने-अपने हाथों पर सज्दा किया।

1412:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम पर कोई सूरत तिलावत फ़रमाते.....इब्ने नुमैर ने कहाः नमाज़ के अ़लावा आ़म हालत में, फिर दोनों ने बयान किया..... कि आप सज्दा करते और हम भी आप के साथ सज्दा करते, यहाँ तक कि हम में से बाज़ को पेशानी रखने के लिए जगह न मिलती।

1413:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम पर कुरआ़न पढ़ा करते थे, जब सज्दा की आयत से गुज़रते तो अल्लाहु अक्बर कहते और सज्दे में चले जाते और हम भी आप के साथ सज्दा करते।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि सज्दा करते समय तक्बीर कहनी चाहिये।

बाब {तिलावत के सज्दे की दुआ़।}

1414:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात को तिलावत के सज्दे में यह दुआ़ बार-बार पढ़ा करते थे।

स-ज-द वज्हि-य लिल्लज़ी ख़-ल-क़हू व-शक़्क़
सम्-अ़हू व-ब-स-रहू बिहौलिही वक़ुव्वतिही

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। मुस्लिम में इसी दुआ़ को नमाज़ के सज्दे में पढ़ने का ज़िक्र है (मुस्लिम 771)

बाब {जो शख़्स सुब्ह के बाद सज्दा की तिलावत करे।}

1415:— हुजैमी से रिवायत है कि जब हम क़ाफ़िला वालों के साथ मदीना आये तो मैं फ़ज्र की नमाज़ के बाद वाज़ (नसीहत) किया करता था और उस में तिलावत के सज्दे किया करता था। इब्ने उमर ने मुझे इस से मना किया तीन बार मगर मैं ना माना। फिर उन्होंने पलट कर कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे और अबू बक्र, उमर और उस्मान रज़ि॰ के साथ नमाज़ें पढ़ी हैं, यह लोग सज्दा नहीं करते थे, यहाँ तक कि सूरज निकल आता।

फ़ाइदा:— हदीस ज़ओ़फ़ है। मक्रुह समय में तिलावत का सज्दा जाइज़ है।

❀ ❀ ❀

(8) वित्र के मसाइल का बयान

बाब {वित्र के मुस्तहब होने का बयान।}

1416:— अ़ली रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: ऐ कुरआन वालों, वित्र पढ़ा करो। बिला शुब्हा अल्लाह पाक अकेला है, वित्र को पसन्द करता है।

1417:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि० ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इसी प्रकार रिवायत किया है और इतना और इज़ाफ़ा किया है कि एक दीहाती बोला: आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा: यह हुक्म तुम्हें और तुम्हारे साथियों के लिये नहीं है।

1418:— ख़ारिजा बिन हुज़ाफ़ा अ़दमी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: बिला शुब्हा अल्लाह पाक ने एक नमाज़ से तुम्हारी सहायता की है और यह तुम्हारे लिये लाल ऊँटों से भी बढ़ कर है। यह नमाज़ वित्र है और इस का समय इशा से फ़ज्र के ज़ाहिर होने तक है।

बाब {जो शख़्स वित्र न पढ़े।}

1419:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने पिता से रिवायत करते हैं, उन का बयान है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना: वित्र हक़ है जो वित्र न पढ़े वह हम में से नहीं। वित्र हक़ है, जो वित्र न पढ़े वह हम में से नहीं। वित्र हक़ है, जो न पढ़े वह हम में से नहीं।

फ़ाइदा:— "हम में से नहीं" का अर्थ है कि हमारी सुन्नत और तरीक़े पर नहीं।

1420:— इब्ने मुहैरिज़ ने बयान किया कि बनी कनाना के एक व्यक्ति मुख़दजी नामी ने शाम में एक शख़्सको सुना जिसे अबू मुहम्मद कहा जाता था, वह कहता था कि वित्र वाजिब है। मुख़दजी नेकहा कि मैं उबादा बिन सामित रज़ि० के पास गया और उन्हें अबू मुहम्मद की बात बताई तो उबादा ने कहा: अबू मुहम्मद ने ग़लत कहा है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि "पाँच नमाज़ें हैं जो अल्लाह ने बन्दों पर फ़र्ज़ की हैं, जिस ने उन्हें अ़दा किया और उन का हक़ हल्का समझते हुये उन में से कुछ बर्बाद न किया तो ऐसे व्यक्ति के लिये अल्लाह के ज़िम्मा यह वादा है कि वह उसे जन्नत में दाख़िल करेगा। और जिस ने उन को अदा न

किया तो ऐसे शख़्स के लिये अल्लाह के यहाँ कोई वादा नहीं, चाहे तो उसे दन्ड दे और चाहे तो जन्नत में दाख़िल कर दे।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि वित्र की नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह वाजिब नहीं, और यही हाल और दूसरी सुन्नतों का है।

बाब {वित्र में कितनी रक्अ़तें हैं?}

1421:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि एक देहाती व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो अपनी उंगली से इशारा करते हुये फ़रमायाः इस प्रकार दो-दो रक्अ़त। और वित्र एक रक्अ़त है रात के आख़िर में।

1422:— अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वित्र नमाज़ हर मुसलमान पर हक़ है। चुनान्चे जो पाँच पढ़ना चाहे पढ़ ले, और जो तीन पढ़ना चाहे पढ़ ले, और जो एक पढ़ना चाहे वह एक पढ़ ले।

फ़ाइदा:— वित्र एक, तीन, पाँच, सात , नौ और ग्यारह रक्अ़तें है (मुस्लिम 736, 737, 738) जो केवल 3 पढ़ते हैं एक नहीं, यह भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है।

बाब {वित्र की नमाज़ के लिये क़िरात।}

1423:— उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वित्र की नमाज़ में सूरः आला, सूरः काफ़िरुन और सूरः इख़्लास पढ़ते थे।

1424:— अ़ब्दुल अज़ीज़ बिन जोरैज ने बयान किया कि मैंने मुसलमानों की माँ आ़इशा रज़ि॰ से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वित्र में क्या पढ़ा करते थे? तो उन्होंने ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की और कहाः तीसरी रक्अ़त में सूरः "इख़्लास", सूरः "फ़लक़" और सूरः "नास" पढ़ा करते थे।

बाब {वित्र में कुनूत की दुआ़ का बयान।}

1425:— हसन बिन अ़ली रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे कुछ कलिमे सिखाए जिन्हें मैं वित्र में पढ़ा करता हूँ। (उस्ताद) इब्ने अ़ब्बास ने कहाः "मैं उन्हें वित्र के कुनूत में पढ़ा करूँ" और वह यह हैं:

> अल्लाहुम्मह् दिनी फ़ी मन् हदै-त वआ़फ़िनी फ़ी-मन् आ़फ़ै-त, व-त-वल्लनी फ़ी-मन् त-वल्लै-त, वबारिक् ली फ़ी मा आतै-त, वक़िनी शर्र मा क़ज़ै-त, इन्न-क तक़्ज़ी वला युक़्ज़ा अ़लै-क, वइन्नहू ला यज़िल्लु मव्वालै-त वला यइज़्ज़ु मन् आ़दे-त, तबा-रक्-त रब्बना व-तआ़लै-त

फ़ाइदा:— "नस्-तग़्फ़िरु-क व-नतूबु इलै-क" के शब्द सहीह हदीस से साबित नहीं, इसलिये इसे

न पढ़ें। अन्त में "वसल्लल्लाहु अ-लन्नबिय्यि" यह ज़ओफ़ है, लेकिन इसे अन्त में पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं, सहाबा पढ़ते थे।

1426:— अबू इस्हाक़ ने भी अपनी सनद से ऊपर की हदीस के हममाना बयान किया है। इस रिवायत में है कि इसे वित्र के कुनूत में कहे, और जुम्ला नहीं कहा कि मैं उन्हें वित्र में कहूँ।

1427:— अली बिन अबूतालिब से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वित्र के आख़िर में यह कहा करते थे:

अल्लाहुम्म इन्नी अऊजु बिरिज़ा-क मिन् स-ख़ति-क वबिमुआफ़ाति-क मिन उक़ू-बति-क व-अऊजुबि-क मिन्-क, ला उहसी सना-उन् अलै-क अन्-त कमा अस्नै-त अला नफ़सि-क

फ़ाइदा:— कुनूत की दुआ रुकूअ से पहले पढ़ना अफ़ज़ल है- हाफ़िज़ इब्ने हजर, शैख़ अल्बानी, मौलाना मुबारक पुरी (मिरआत में) वग़ैरह उलमा का यही फ़तवा है। हाथ उठा कर दुआ माँगने के बारे में कोई मर्फ़ूअ रिवायत नहीं है, इसलिये दोनोंतरह से पढ़ना दुरुस्त है। लेकिन हाथ उठा कर पढ़ना इसलिये बेहतर है कि कुनूत नाज़िला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उठाना साबित है। अन्त में हाथ को मुँह पर फेरना इस का कोई सुबूत नहीं है, लेकिन कुछ सहाबा ऐसा करते थे, तो हम भी कर सकते हैं।

1428:— मुहम्मद बिन सीरिन अपने बाज़ सहाबा से रिवायत करते हैं कि उबय्यि बिन कअब ने उन की रमज़ान में इमामत कराई और वह रमज़ान के निस्फ़ आख़िर में कुनूत पढ़ा करते थे।

1429:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने लोगों को उबय्यि बिन कअब पर जमा फ़रमा दिया, वह उन्हें 20 रात नमाज़ पढ़ाते थे और कुनूत न करते थे मगर अन्त के आधे में कुनूत कराते थे। और जब अन्तिम दहा आ जाता तो जमाअत कराना छोड़ देते और अपने घर में पढ़ते थे तो लोग कहते थे कि उबय्यि भाग गये।

बाब {वित्रों के बाद की दुआ।}

1430:— उबय्यि बिन कअब रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वित्र से सलाम फेरते तो कहते: सुबहा-नल् मालिकिल् कुद्दूसि

फ़ाइदा:— हदीस में है कि आप तीन बार कहते और अन्तिम बार आवाज़ बुलन्द करते (नसई-1733) (दारुकुत्नी-1644)

1431:— अबू सईद खुदरी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो शख़्स सो जाये (और वित्र न पढ़ सके) या भूल जाये, तो जब याद आये पढ़ ले।

फ़ाइदा:— मक्रूह समय को छोड़ कर कभी भी पढ़े।

बाब {सोने से पहले वित्र पढ़ना।}

1432:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि मेरे दोस्त ने मुझे तीन चीज़ की वसिय्यत की थी, मैंने उन्हें सफ़र और हज़र में नहीं छोड़ा (1) चाश्त की दो रक्अत (2) हर माह के तीन रोज़े (3) वित्र पढ़ कर सोना।

फ़ाइदा:— ऐसा उस के लिये है जो रात में न जाग सके, वर्ना पिछले पहर जाग कर पढ़ना बेहतर है।

1433:— अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है कि मेरे ख़लील (दोस्त) ने मुझे तीन बातों की वसिय्यत की थी और मैं उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ता। मुझे वसिय्यत फ़रमायी कि हर माह के तीन रोज़े रखूँ, वित्र पढ़ा कर सोया करुँ, चाश्त की नफ़्ली नमाज़ सफ़र में या घर पर पढ़ा करुँ।

1434:— अबू क़तादा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबू बक्र से पूछाः तुम वित्र किस समय पढ़ते हो? उन्होंने कहाः रात के अव्वल हिस्से में। उमर से पूछाः तुम वित्र किस समय पढ़ते हो? उन्होंने कहाः रात के अन्तिम हिस्से में। आप ने अबू बक्र के बारे में कहाः उन्होने एहतियात से काम लिया और उमर के बारे में फ़रमायाः उन्होंने पक्के इरादे और बुलन्द हौसले को इख़्तियार किया।

बाब {वित्र की नमाज़ का समय।}

1435:— इमाम मस्रुक़ बयान करते हैं कि मैंने आ़इशा रज़ि॰ से पूछाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किस समय वित्र पढ़ा करते थे? उन्होंने कहाः आप ने सब ही समय वित्र पढ़े हैं। रात के शुरु में, बीच में और आख़िर में। लेकिन आख़िरी ज़िन्दगी में आप वित्र पिछले पहर पढ़ते थे।

1436:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सुब्ह होने से पहले वित्र पढ़ लो।

1437:— अ़ब्दुल्लाह बिन अबू क़ैस बयान करते हैं कि मैंने आ़इशा रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के वित्रों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः कभी तो आप रात के पहले हिस्से में पढ़ लेते थे और कभी रात के अन्त में। मैंने आप की क़िरात के बारे में पूछा कि क्या आप ख़ामोशी से पढ़ते थे या ऊँची आवाज़ से? उन्होंने कहाः आप हर तरह कर लेते थे। कभी धीमी आवाज़ से पढ़ते और कभी ऊँची आवाज़ से, कभी स्नान कर के सो जाते और कभी वुज़ू कर के सो रहते। आ़इशा रज़ि॰ का इशारा जनाबत के स्नान की तरफ़ था।

1438:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमयाः अपनी रात की आख़िरी नमाज़ वित्र को बनाओ।

फ़ाइदा:— जिसे पिछले पहर उठने का यक़ीन हो वह पिछले पहर पढ़े, वर्ना पढ़ कर सो जाये।

बाब {वित्र तोड़ने का मस्अला।}

1439:— कैस बिन तल्क़ बयान करते हैं कि तल्क़ बिन अ़ली रज़ि॰ रमज़ान में एक दिन हमारे पास आये और हमारे ही पास शाम को रोज़ा खोला और हमें उस रात नमाज़ भी पढ़ाई और वित्र भी पढ़ाई। फिर अपनी मस्जिद की तरफ़ चले गये और वहाँ अपने साथियों को नमाज़ पढ़ाई। और जब वित्र की नमाज़ बाक़ी रह गयी तो एक शख़्स को आगे कर दिया और कहाः अपने साथियों को वित्र पढ़ाओ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है कि आप फ़रमाते थेः एक रात में दो वित्र नहीं।"

फ़ाइदा:— वित्र को तोड़ कर जुफ़्त बनाना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से साबित नहीं, जिस ने इशा के बाद वित्र पढ़ ली, अब तहज्जुद में जाग कर नफ़ल पढ़ना चाहता है तो शौक़ से पढ़े और अन्त में वित्र पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं।

बाब {आ़म नमाज़ों में कुनूत पढ़ना।}

1440:— अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया कि अबू हुरैरा रजि॰ नेकहाः अल्लाह की क़समः मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सी नमाज़ पढ़ाऊँगा। चुनान्चे वह नमाज़ ज़ुह्, इशा और फ़ज्र की अन्तिम रक्अ़त में कुनूत पढ़ते थे। मोमिनों के लिये दुआ़ करते और काफ़िरों के लिये लानत।

1441:— बरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सुब्ह की नमाज़ में कुनूत पढ़ा करते थे। इमाम अबू दावूद ने कहा कि इब्ने मआ़ज़ ने यह भी कहा कि मग़्रिब की नमाज़ में भी।

फ़ाइदा:— इसे पाँचों नमाज़ों में पढ़ा जा सकता है। इमाम बुलन्द स्वर से पढ़े और मुक़्तदी आमीन कहें। जहाँ दुश्मन का नाम लेने की ज़रुरत हो वहाँ नाम ले। इसे "कुनूते नाज़िला" कहते हैं।

1442:— अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया कि अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ में एक माह तक कुनूत पढ़ी, आप अपने कुनूत में यह दुआ़ करते थेः "ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद को नजात दे, ऐ अल्लाह! सलमा बिन हिशाम को नजात दे, ऐ अ़ल्लाह! कमज़ोर मुसलमानों को नजात दे, ऐ अल्लाह! क़बीला मुज़र पर अपनी सज़ा सख़्त कर दे, ऐ अल्लाह! उन पर सूखा काल भेज दे जैसा कि यूसुफ़ अ़लै॰ की क़ौम पर आया था।"

अबू हुरैरा ने बयान किया कि एक दिन आप ने दुआ़ न की तो मैं ने आप से पूछा तो आप ने फ़रमायाः क्या देखते नहीं कि वह आ गये है।

1443:— इकरमा से रिवायत है कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लगातार एक महीना ज़ुह्, अ़स्र, मग़्रिब, इशा और फ़ज्र की नमाज़ों में कुनूत पढ़ी। हर नमाज़ की अन्तिम रक्अ़त में रुकूअ़ से सर उठाने के बाद बनी सुलैम में से रअ़ल,

ज़कवान और उसय्या के क़बीलों पर बद्दुआ करते और आप के पीछे वाले आमीन कहते।

फ़ाइदा:— इन क़बीलों के लोगों ने "बीर मऊना" में 70 सहाबा को शहीद किया था। सिर्री नमाज़ों में कुनूत बुलन्द आवाज़ से पढ़ेऔर मुक़्तदी आमीन कहें।

1444:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से पूछा गयाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ज्र की नमाज़ में कुनूत पढ़ी है? उन्होंने कहाः हाँ। पूछा गया कि रुकूअ़ से पहले या बाद? कहाः रुकूअ़ के बाद

1445:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक माह तक कुनूत पढ़ी, फिर छोड़ दी।

1446:— मुहम्मद बिन सीरीन ने बयान किया कि मुझ से उस शख़्स ने बयान किया जिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ फ़ज्र की नमाज़ वढ़ी थी कि जब आप ने दूसरी रकअ़त से सर उठाया तो थोड़ी देर खड़े रहे (कुनूत के लिये)

बाब {घर में नफ़ल पढ़ने की फ़ज़ीलत।}

1447:— ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मस्जिद ही में हुजरा बना लिया था, आप रात को घर से तशरीफ़ लाते और उस हुजरे में नमाज़ पढ़ते, तो लोगों ने भी आप के साथ नमाज़ पढ़ी, और वह हर रात आप के पास आने लगे। फिर जब एक रात आप नमाज़ पढ़ने तशरीफ़ ना लाये तो वह खाँसने लगे (आप को जगाने के लिये) कुछ ने अपनी आवाज़ें ऊँची कीं और कुछ ने दवाज़े पर कंकरियाँ मारीं, फिर आप तशरीफ़ लाये तो गुस्से में थे और फ़रमायाः लोगों! तुम्हारा बराबर यही हाल रहा तो मुझे डर लगा कि कहीं तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाये, इसलिये अपने घरों में पढ़ लिया करो। फ़र्ज़ की नमाज़ को छोड़ कर मर्द की बेहतरीन नमाज़ वही है जो वह अपने घर में पढ़े।

1448:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपनी नमाज़ों का कुछ हिस्सा घरों में भी पढ़ा करो और उन्हें क़ब्रिस्तान मत बना डालो।

बाब {लंबे क़ियाम की फ़ज़ीलत।}

1449:— अ़ब्दुल्लाह बिन हुब्शी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अ़मल अफ़ज़ल है? आप ने फ़रमायाः लंबा क़ियाम। कहा गया कि कौन सा सदक़ा अफ़ज़ल है? फ़रमायाः जो थोड़े माल वाला मेहनत कर के सदक़ा दे। पूछा गयाः कौन सी हिजरत अफ़ज़ल है? फ़रमायाः जो अल्लाह के हराम किये हुये कामों को छोड़ दे। पूछा गयाः कौन सा जिहाद अफ़ज़ल है? फ़रमायाः जो मुश्रिकों से अपने माल और जान के साथ जिहाद करे। पूछा गयाः कौन सा क़त्ल बड़ाई वाला है? आप ने फ़रमायाः जिस का ख़ून बहा दिया गया और उस के घोड़े को भी काट दिया गया।

बाब {रात को तहज्जुद पढ़ने पर उभारने का बयान।}

1450:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह उस पर रहम करे जो रात को उठ कर नमाज़ पढ़ता और अपनी पत्नी को जगाता है और वह भी नमाज़ पढ़ती है। अगर इन्कार करती है उस के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। और अल्लाह रहम करे उस महीला पर जो रात को उठ कर नमाज़ पढ़ती है और अपने पति को भी जगाती है। और अगर वह इन्कार करता है तो उस के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है।

1451:— अबू सअ़ीद खुदरी और अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो रात को जागे और अपनी पत्नी को भी जगाये, फिर वह दोनों दो रक्अ़तें पढ़ें तो उन का शुमार अल्लाह पाक याद करने वालों और वलियों में करता है, जो अल्लाह को बहुत अधिक याद करने वाले होते हैं।

बाब {कुरआ़न पढ़ने का सवाब।}

1452:— उस्मान रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से सब से बेहतर वह शख़्स है जो कुरआ़न पाक सीखता और सिखाता है।

1453:— सहल बिन मआ़ज़ जोहनी अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने कुरआ़न पाक को पढ़ा और उस पर अ़मल किया तो उस के माता-पिता को क़ियामत के दिन ताज पहनाया जायेगा जिस की रोशनी सूरज की रोशनी से बढ़ कर खूबसूरत होगी। अगर वह दुनिया में तुम्हारे घरों में होता (जब माता-पिता का यह दर्जा है) तो तुम्हारा क्या ख़याल है खुद उस पर अ़मल करने वाले का क्या स्थान होगा।

1454:— आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स कुरआ़न पढ़ता है और वह उस में माहिर है, वह आमालनामा लिखने वाले आज्ञा पालने करने वाले फ़रिश्तों के साथ होगा। और जो कुरआ़न पाक पढ़ता है, मगर उसे पढ़ने में कठिनाई होती है (अटक-अटक कर पढ़ता है) तो उस के लिये दो नेकियाँ हैं।

फ़ाइदा:— एक पढ़ने का, दूसरे मुशक़्क़त के साथ पढ़ने का।

1455:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और परस्पर उस को दोहराते हैं तो उन पर सकीनत नाज़िल होती है, रहमत उन्हें ढाँप लेती है, फ़रिश्तें उन्हें अपने घेरे में ले लेते हैं, और अल्लाह पाक उन का ज़िक्र अपने पास के क़रीबी फ़रिश्तों में करता है।

1456:— उक्बा बिन आ़मिर जोहनी रज़ि० बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम लोगों के पास तशरीफ़ लाये जबकि हम लोग सुफ़्फ़ा में थे। आप ने फ़रमायाः तुम में से कौन पसन्द आता है कि बुतहान या अ़क़ीक़ की वादी में जाये और वहाँ से मोटी ताज़ी ऊँचे कोहान वाली दो ऊटनियाँ ले आये और उस में किसी गुनाह को न करे। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! हम सब यह चाहते हैं। आप ने फ़रमायाः तुम्हारा हर रोज़

मस्जिद जाकर अल्लाह की किताब से दो आयतें सीख लेना दो ऊटनियों को हासिल करने से बेहतर है, इसी प्रकार मज़ीद आयतों की संख्या के मुताबिक़ ऊँटनियों से बेहतर है।

बाब {सूरः फ़ातिहा की फ़ज़ीलत का बयान।}

1457:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आ़लमीन" उम्मुल कुरआ़न, उम्मुल किताब और अस्सब्उल मसानी है।

1458:— अबू सओ़द बिन मुअल्ला रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन के पास से गुज़रे जबकि वह नमाज़ पढ़ रहे थे तो आप ने उन को बुलाया। वह कहते हैं कि मैंने अपनी नमाज़ मुकम्मल की फिर आप की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप ने पूछाः मुझे जवाब देने में क्या चीज़ रुकावट बनी? (क्यों नहीं आये) उन्होंने कहाः मैं नमाज़ पढ़ रहा था। आप ने फ़रमायाः क्या अल्लाह ने यह नहीं फ़रमाया है? "ऐ ईमान वालों! अल्लाह और उस के रसूल को उत्तर दो जब वह बुलायें ऐसी चीज़ की तरफ़ जो तुम्हें ज़िन्दगी दें" (सूरः अनफ़ाल–24) फिर फ़रमायाः मैं तुम्हें मस्जिद से जाने से पहले एक अफ़ज़ल सूरत बतलाऊँगा (फिर कुछ देर बीतने के बाद) मैंने आप से कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमाया था.......आप ने फ़रमाया....... (वह सूरत) अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल् आ़लमीन है, वह अस्सब्उल् मसानी है जो मुझे दी गयी है और अज़ीम (बड़े मर्तबे का) कुरआ़न है।

फ़ाइदा:— नबी की पुकार पर तुरन्त उत्तर देने फ़र्ज़ है चाहे नमाज़ की हालत में हो।

बाब {उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि फ़ातिहा लंबी सूरतों में से है।}

1459:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सात आयतें दी गयीं हैं जो बार–बार दोहराई जाती हैं और बड़ी लंबी हैं। और मूसा अ़लै॰ को छः दी गयी थीं। जब उन्होंने तख़्तियों को ज़मीन पर फेंक दिया तो उन में से दो को उठा लिया गया और चार बाक़ी हैं।

बाब {आयतुल् कुर्सी की फ़ज़ीलत।}

1460:— उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से पूछाः तुम्हें अल्लाह की किताब में से सब से बड़ी आयत कौन सी याद है? मैं ने कहाः अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप ने फिर पूछाः तुम्हें अल्लाह कि किताब में से कौन सी आयत याद है जो सब से बड़ी है? मैंने कहाः "अल्लाहु ला इला–ह इल्ला हु–वल् हय्युल् क़य्यूमु.... " इस पर आप ने सीने में मारा और फ़रमायाः तुम्हें अ़िल्म मुबारक हो।

बाब {सूरः इख़्लास की फ़ज़ीलत।}

1461:— अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने दूसरे को सुना कि वह सूरः इख़्लास पढ़ रहा था, सुब्ह हुयी तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और

इस बात का आप से ज़िक्र किया....और वह गोया उस को कम समझ रहा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है यह तिहाई कुरआ़न के बराबर है।

बाब {मुअ़व्वज़तैन की फ़ज़ीलत।}

1462:— उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं एक यात्रा में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकील पकड़ कर चल रहा था कि आप ने फ़रमायाः ओ उक़्बा! क्या मैं तुम्हें दो बेहतरीन पढ़ी गयी सूरतें न सिखा दूँ? फिर आप ने सूरः फ़लक़ और सूरः नास सिखायीं। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मैं उन पर कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हुआ हूँ। कहाः फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज़ के लिये उतरे और लोगों को नमाज़ पढ़ाई तो नमाज़ में यही दो सूरतें तिलावत कीं। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो मेरी तरफ़ मुतवज्जेह हुये और फ़रमायाः ऐ उक़्बा! कैसा पाया? (इन सूरतों को?)

फ़ाइदा:— उक़्बा शायद समझे कि आप कोई लंबी सूरतें पढ़ेंगे, मगर यह तो छोटी-छोटी थीं तो खुश नहीं हुये, इसलिये आप ने फ़ज्र में इन को पढ़ा कर इन की फ़ज़ीलत साबित कर दी।

बाब {क़िरात की तंतील मुस्तहब है।}

1464:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कुरआ़न पढ़ने वाले से कहा जायेगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, और इसी प्रकार ठहर-ठहर कर पढ़, जैसे कि दुनिया में पढ़ा करता था, जहाँ अन्तिम आयत ख़त्म करेगा वहीं तेरा स्थान होगा।

1465:— इमाम क़तादा कहते हैं कि मैं ने अनस बिन मालिक रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़िरात के बारे में पूछा तो उन्होंने बतायाः आप शब्दों को मद्व के साथ (खींच कर, लंबा कर के) पढ़ा करते थे।

1466:— याला बिन ममलक से रिवायत है कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़िरात और आप की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः तुम्हारा उन की नमाज़ से क्या मुक़ाबला? आप नमाज़ पढ़ते थे फिर उसी क़दर सो जाते थे जितना कि नमाज़ पढ़ी होती थी। फिर उठ कर नमाज़ पढ़ते थे जितना कि सोए होते। फिर सो जाते जितनी नमाज़ पढ़ी होती, यहाँ तक कि सुब्ह हो जाती। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़िरात के बारे में भी बताया कि एक-एक हर्फ़ अलग-अलग होता था।

1467:— अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़त्ह मक्का के दिन देखा कि आप अपनी ऊँटनी पर सवार हैं और सूरः फ़त्ह पढ़ रहे हैं और तंजीअ़ (मख़रज के साथ) पढ़ रहे हैं।

1468:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपनी आवाज़ों से कुरआन को ज़ीनत दो।

1469:— अबू वलीद तयालसी की सनद से सअ़द बिन वक़्क़ास रज़ि॰ से रिवायत है....और यज़ीद (रावी) की सनद से सअ़ीद बिन अबू सअ़ीद है.....उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स कुरआन को अछी आवाज़ से न पढ़े वह हम में से नहीं।

1470:— सअ़द रज़ि॰ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ....और ऊपर की हदीस की तरह बयान फ़रमाया।

1471:— उबैदुल्लाह बिन अबू ज़ियाद रज़ि॰ ने बयान किया कि अबू लुबाबा रज़ि॰ हमारे पास से गुज़रे तो हम उन के पीछे हो लिये तो वह अपने घर में दाख़िल हो गये तो हम भी उन के साथ दाख़िल हो गये। हम ने देखा कि बड़ा ही पुराना घर है और उन की अपनी हालत भी बहुत सादा थी। मैं ने उन से सुना वह कहते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि "जो शख़्स कुरआन को अच्छी आवाज़ से न पढ़े वह हम में से नहीं" (हदीस के रावी अ़ब्दुल जब्बार ने) कहाः मैंने इब्ने अबी मुलैका से कहाः अगर वह खुश आवाज़ न हो तो? उन्होंने कहाः जहाँ तक संभव हो आवाज़ को अच्छी बनाए।

1472:— मुहम्मद बिन सुलैमान अंबारी बयान कहते हैं कि वकीअ़ और इब्ने उयैना रज़ि॰ ऊपर की हदीस का यह अर्थ लेते थे कि इस से मुराद "इस्तिग़ना" है।

1473:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक किसी चीज़ को इस क़दर कान लगा कर नहीं सुनता, जितना कि किसी अच्छी आवाज़ वाले नबी के बुलन्द आवाज़ से कुरआन पढ़ने पर कान लगाता है।

बाब {कुरआन पाक याद कर के भुला देने की बुराई का बयान।}

1474:— सअ़द बिन उबादा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स कुरआन पढ़ कर भला दे, यह क़ियामत के दिन अल्लाह से इस हालत में मिलेगा कि उस को कोढ़ की बीमारी होगी।

फ़ाइदा:— इस की सनद ज़अ़ीफ़ है। लेकिन भुला देना बहरहाल बुरा अ़मल है।

बाब {कुरआन पाक सात हर्फ़ों पर उतारा गया है।}

1475:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल क़ारी बयान करते हैं कि मैं ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ को बयान करते सुना कि मैंने हकीम बिन हिज़ाम को सूरः फुर्क़ान पढ़ते सुना, मगर उस की क़िरात मेरे पढ़ने केख़िलाफ़ थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे यह सूरत पढ़ाई थी, तो क़रीब था कि मैं उन पर जल्दी करता (और झपट पड़ता) मगर मैं ने उन को मोहलत दी यहाँ तक कि वह नमाज़ पढ़ चुके तो मैंने उन की गर्दन अपनी चादर से पकड़ ली और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मैंने कहाः अल्लाह के रसूल! मैंने इन को

सूरः फुर्क़ान पढ़ते सुना है और यह उस तरीक़ा के ख़िलाफ़ पढ़ते हैं जिस तरीक़ा पर आप ने मुझे पढ़ाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से फ़रमायाः पढ़ो, चुनान्चे उन्होंने उसी प्रकार पढ़ कर सुना दी जिस प्रकार मेरे सामने पढ़ी थी तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इसी प्रकार तो उतारी गयी है। फिर मुझ से फ़रमाया कि तुम भी पढ़ कर सुनाओ। चुनान्चे मैं ने भी पढ़ कर सुनाया तो आप ने फ़रमायाः ऐसे ही तो उतारी गयी है। फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह कुरआ़न सात हर्फ़ों पर नाज़िल किया गया है जो जिस को जो आसान लगे उसी हर्फ़ में पढ़े।

फ़ाइदा:— इस से वह अर्थ, माना और मफ़हूम मुराद हैं जो अरब के सात क़बीलों में राइज थे। क़बीले यह थेः हिजाज़, हुज़ैल, हवाज़िन, यमन, तै, सक़ीफ़, बनी तमीम। जब इस्लीमी होकूमत की सरहद अ़जम में फैल गयी तो मुख़्तलिफ़ क़िरात में टकराव होने लगा तो उस्मान रज़ि॰ ने मश्वरा कर के एक क़िरात (क़िराते कुरैश) पर सब को जमा कर दिया।

1476:— इमाम ज़ोहरी ने कहा कि यह (सात मुख़्तलिफ़) हुरुफ़ एक ही माना और अर्थ के थे, उन में हराम व हलाल में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं होता।

1477:— उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ उबय्यि! मुझे कुरआन पढ़ाया गया तो कहा गयाः एक हर्फ़ पर (पढ़ना पसन्द करते हो) यह हर्फ़ों पर? तो वह फ़रिश्ता जो मेरे साथ था उस से कहा कि कहोः दो हर्फ़ों पर। मैंने कहाः दो हर्फ़ों पर। फिर मुझ से कहा गया कि दो हर्फ़ों पर या तीन हर्फ़ों पर? वह फ़रिश्ता जो मेरे साथ था उस ने कहा कि कहो, तीन पर। मैंने कहाः तीन हर्फ़ों पर यहाँ तक कि बात सात हर्फ़ों तक पहुँची। फिर कहाः उन में से हर एक हर्फ़ शाफ़ी-काफ़ी है। अगर आप "समी-अ़न् अ़लीमा" के स्थान पर "अ़ज़ीज़न् हकीमा" कह दें तो सहीह है, मगर किसी अ़ज़ाब वाली आयत को रहमत के साथ, या किसी रहमत की आयत को अ़ज़ाब के साथ न बदलें।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है।

1478:— उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क़बीला बनी ग़िफ़ार के तालाब के पास थे कि आप पर जिब्रील अ़लै॰ नाज़िल हुये और फ़रमायाः बेशक अल्लाह पाक आप को यह हुक्म देता है कि अपनी उम्मत को एक हर्फ़ पर कुरआ़न पढ़ायें। आप ने कहाः मैं अल्लाह पाक से माफ़ी माँगता हूँ, क्योंकि मेरी उम्मत इस की ताक़त नहीं रखती। फिर जिब्रील दूसरी बार आयेऔर पहले की तरह ज़िक्र किया, यहाँ तक कि सात हर्फ़ों तक पहुँचे। फ़रमायाः अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अपनी उम्मत को (अल्लाह का कलाम) सात हर्फ़ों पर पढ़ाये, जिस हर्फ़ पर वह पढ़ेंगे, सहीह होगा।

बाब {दुआ़ के आदाब।}

1479:— नोमान बिन बशीर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

फ़रमायाः दुआ इबादत ही है। तुम्हारे रब ने फ़रमाया हैः मुझे पुकारो, मैं कुबूल करुँगा।

1480:— सअ़द रज़ि॰ के पुत्र ने बयान किया कि मेरे पिता जी ने मेरे बारे में सुना कि मैं इस प्रकार दुआ माँग रहा हूँ "ऐ अल्लाह! मैं तुझ से जन्नत का सवाल करता हूँ और उस की रोनक़ों और नेमतों का....और यह, और यह.....। और जहन्नम से पनाह माँग रहा हूँ और उस की ज़ंजीरों और तौक़ों से और उस की ऐसी-ऐसी बलाओं से। उन्होंने कहाः बेटे! मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है कि आप फ़रमा रहे थेः "कुछ लोग ऐसे होंगे जो दुआ में मुबालग़ा करेंगे" तो ख़याल रखे कि कहीं उन में से न बन जाना। अगर तुम्हें जन्नत मिल गयी तो उस की तमाम भलाइयाँ तुम्हें मिल जायेंगी। और अगर जहन्नम से बच गये तो उस की तमाम आफ़तों से भी बच जाओगे।

1481:— फुज़ाला बिन उबैद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक व्यक्ति को नमाज़ में दुआ करते हुये सुना कि उस ने अल्लाह पाक की हम्द-सना नहीं की थी और न नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अल्लाह पर दुरुद भेजा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस ने जल्दी की। फिर उस को बुलाया और उस से, या किसी और से फ़रमायाः जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े तो पहले अपने रब की हम्द सना बयान करें, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये दुरुद पढ़े, इस के बाद जो चाहे करे।

1482:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जामे दुआयें पसन्द फ़रमाते थे और उस के अ़लावा को छोड़ देते थे।

1483:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई ऐसी दुआ मत करे कि ऐ अल्लाह! अगर चाहे तो मुझे बख़्श दे, या ऐ अल्लाह! अगर चाहे तो मुझ पर रहम फ़रमा। जो माँगों उसे ढन्ग से माँगो, अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता।

1484:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से एक ही दुआ कुबूल होती रहती है जब तक कि वह जल्दी न करे, यानी यूँ कहे कि मैंने दुआ की मगर कुबूल नहीं हुयी।

फ़ाइदा:— ताख़ीर (विलंब) से बेचैन हो जाना, या मायूसी का शिकार हो जाना, दोनों सूरतें ग़लत हैं। कुबूल होने का एक समय है वह अपने समय पर कुबूल होगी।

1485:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दीवारों को (कपड़ों वग़ैरह से) मत ढाँको। जिस शख़्स ने अपने भाई की किताब (या तहरीर) में उस की इजाज़त के बिना देखा तो वह आग में देखता है। अल्लाह से माँगों तो हथेलियाँ फैला कर माँगो, हाथों की पुश्त से मत माँगो। और जब तुम दुआ से फ़ारिग़ हो तो उन्हें अपने चेहरों पर फेर लिया करो।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। चेहरे पर हाथ फेरने की हदीस ज़ओ़फ़ है। लेकिन कुछ सहाबा से यह अ़मल साबित है। कुनूत में हाथ फेरने का सबूत है।

1486:— मालिक बिन यसार रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम अल्लाह से सवाल करो (दुआ़ करो) तो अपने हाथों की हथेलियों से माँगा करो, हाथों की पुश्त से न माँगा करो।

1487:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मैंने देखा, आप अपने हाथों की हथेलियों की तरफ़ से और पुश्त से भी दुआ़ करते थे।

1488:— सलमान फ़ारसी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुमहारा रब बहुत हया वाला और सख़ी है। बन्दा जब उस की तरफ़ अपने हाथ उठाता है तो उसे हया आती है कि उसे ख़ाली लौटा दे।

1489:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि सवाल (यानी दुआ़ का अदब) यह है कि तुम अपने हाथ अपने कन्धों के बराबर या उस के क़रीब बुलन्द करो। और इस्तिग़फ़ार यह है कि अपनी एक उंगली से इशारा करो, और आ़जिज़ी यूँ है कि अपने दोनों हाथों को लंबा करो।

1490:— अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल्लाह बिन माबद बिन अ़ब्बास ने ऊपर की हदीस की तरह बयान किया तो उस में कहा कि इबतिहाल (आजिज़ी, और दुआ़ में मुबालग़ा) ऐसे हैं और (अ़मलन) अपने दोनों हाथ उठाए और उन की पुश्त को अपने चेहरे की तरफ़ किया।

1491:— अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल्लाह....इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ....और ऊपर की तरह हदीस बयान की।

1492:— साइब बिन यज़ीद अपने पिता से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब दुआ़ करते और अपने हाथ उठाते तो अपने चेहरे पर फेर लिया करते थे।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। देखें हदीस न॰ 1485 का फ़ाइदा।

1493:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा से रिवायत है कि मेरे पिता जी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स को दुआ़ करते सुना, वह कह रहा थाः

"ऐ अल्लाह! मैं तुझ से सवाल करता हूँ इस बिना पर कि मैं गवाही देता हूँ कि तू ही अल्लाह है, तेरे अ़लावा और कोई माबूद नहीं...."यह सुन कर आप ने फ़रमायाः तू ने अल्लाह से उस नाम से सवाल किया है कि जब उस से उस नाम से माँगा जये तो देता है, दुआ़ की जाये तो कुबूल करता है।

1494:— मालिक ने यही हदीस बयान की, उस में कहाः बेशक उस ने अल्लाह पाक से उस के बड़े नाम (इसमे-आज़म के वास्ते से) सवाल किया है।

1495:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठा

हुआ था और एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था। उस ने दुआ की: ऐ अल्लाह मैं तुझ से सवाल करता हूँ, इसलिये कि तेरी ही तारीफ़ है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू बेइन्तिहा एहसान करने वाला है....” नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस ने अल्लाह से उस के उस बड़े नाम के वास्ते से दुआ की है जिस से दुआ की जाये तो वह कुबूल करता है, माँगा जाये तो देता है।

1496:— अस्मा बिन्त यज़ीद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह का इस्समे आज़म इन दो आयतों में है “वइलाहुकूम इलाहुन वाहिदुन् ला इला–ह हु–वरर्हमानुर्रहीम” (सूरः बक़रह–163) और आले अि़म्रान की शुरु की आयत “अलिमफ़ लाम्मीम, अल्लाहु लाइला–ह इल्ला हु–वल् हय्युल् क़य्यूमु।

फ़ाइदा:— पहली आयत सूरः बक़र 163 में है और दूसरी आयत आ़ले अि़म्रान की है।

1497:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि उन का लिहाफ़ चोरी हो गया तो वह चोर को बद्दुआ़ करने लगी, यह देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस के गुनाह को हल्का मत करो।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है, इसलिये इस से मस्अ़ला नहीं साबित होगा।

1498:— उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से उम्रा की इजाज़त चाही। आप ने मुझे इजाज़त दे दी और फ़रमायाः मेरे प्यारे भाई! हमें अपनी दुआ़ में मत भूलना। आप ने ऐसे शब्द फ़रमाये कि मुझे उन के बदले दुनिया भी मिले तो पसन्द नहीं। इमाम शोबा ने कहा कि मैं बाद में आ़सिम से मदीना में मिला तो उन्होंने मुझे यह हदीस बयान की, उन के शब्द यह थे “मेरे प्यारे भाई! हमें अपनी दुआ़ में शरीक़ रखना।”

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, लेकिन दूसरी सहीह हदीस से इस का मफ़हूम साबित है।

1499:— सअ़द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और मैं अपनी दो उँगलियाँ उठाए दुआ़ कर रहा था तो आप ने फ़रमायाः “एक से, एक से” और शहादत की उंगली से इशारा फ़रमाया।

फ़ाइदा:— नमाज़ में एक उंगली सेइशारा अल्लाह की तौहीद का सबूत और उस की तरफ़ इशारा है।

1500:— सअ़द बिन वक़्क़ास की पुत्री आ़इशा अपने पिता से रिवायत करती हैं कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ एक महिला के पास आये जबकि उस के सामने गुठलियाँ या कंकरियाँ थीं और वह उन के साथ तस्बीह पढ़ रही थी। आप ने फ़रमायाः क्या मैं तुम्हें वह चीज़ न बताऊँ जो तुम्हारे लिये उस से आसान तर या अफ़ज़ल हो? आप ने फ़रमायाः सुब्हा–नल्लाहि अ़–द–द.....(अल्लाह की तस्बीह है उस मख़्लूक़ की तादाद में जो उस ने आसमान में पैदा की.....)

फ़ाइदा:— तस्बीह के दानों पर पढ़ना और गिनना भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। आप दाहिने हाथ की

उंगलियों पर गिनते थे और उसी पर गिना जाये। देखें नीचे की हदीस न॰ 1502

1501:— युसैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम (महिलाओं) को हुक्म दिया था कि वह अल्लाह की तक्बीर (अल्लाहु अक्बर) उस की बुज़ुर्गी (सुब्हा-नल् मालिकिल् कुद्दूस) और तहलील (लाइलाह इल्लल्लाहु) की पाबन्दी करें और यह कि अपनी उंगलियों पर गिनें, क्योंकि उन से प्रश्न होगा और यह बोलवाई जायेंगी।

फ़ाइदा:— जिस्म के हिस्सों का बोलना कुरआन से साबित है देखें सूरः यासिन-65, सूरः नूर-24)

1502:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप अपने हाथ (की उंगलियों) पर तस्बीह गिन रहे थे (उस्ताद) इब्ने कुदामा ने बताया कि अपने दाहिने हाथ से।

1503:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुवैरिया के यहाँ से निकले......इस से पहले उन का नाम बर्रा (नेक) था, और आप ने उन का नाम बदल दिया था....आप उन के पास से निकले उस समय वह अपने मुसल्ले पर थीं। फिर वापस आये तो देखा वह मुसल्ले पर ही हैं। आप ने पूछाः क्या तुम उस समय से अभी तक मुसल्ले ही पर हो? वह कहने लगींः हाँ। आप ने फ़रमायाः मैंने तुम्हारे (पास से जाने के) बाद चार कलिमे तीन बार कहे हैं, अगर उन को तुम्हारी तस्बीह और रज़ि॰ से तौला जाये तो यह (मेरे कलिमे) भारी हो जायेंगे। यानी

> ***सबहा-नल्लाहि वबि-हम्दिही अ-द-द ख़ल्क़िही वरिज़ा नफ़सिही वज़ि-न-त अ़र्शिही वमिदाद कलिमातिही***" (पाक है अल्लाह अपनी तारीफ़ों के साथ, उस क़दर जितनी की उस की मख़्लूक़ है और उतनी कि उस से वह राज़ी हो जाये और उस के अ़र्श के वज़न के बराबर और उस क़दर जितनी कि उस के कलिमात की रोशनाई है)

1504:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि अबू ज़र रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! यह धन-माल वाले तो सवाब ले गये (और हम ख़ाली रह गये) वह नमाज़ें पढ़ते हैं जैसे कि हम पढ़ते हैं, वह रोज़े रखते हैं जैसे कि हम रखते हैं, और उन के पास अधिक माल है इसलिये वह ख़ैरात करते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है कि ख़ैरात करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अबू ज़र! क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमे न सिखा दूँ जिन से तुम अपने से आगे बढ़ने वालों को पालो और पीछे रहने वाले तुम्हें न पा सकें, मगर यह कि कोई तुम्हारी तरह का अ़मल करें? उन्होंने कहाः हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमायाः हर नमाज़ के बाद 33 बार "अल्लाहु अक्बर" 33 बार "सुब्हानल्लाह" और 33 बार "अल्हम्दु लिलह" कहा करो और उन का समापन "लाइला-ह इल्लल्लह वह्-दहू ला शरी-क लहू लहुल् मुल्कु व-लहुल् हम्दु वहु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दरि" पर हो, इस से उन के गुनाह बख़्श दिये जायेंगे अर्गचे समुन्दर की झाग के बराबर हों।

फ़ाइदा:— मुस्लिम की हदीस न॰ 595 में पहले सुब्हानल्लाह, फिर अल्हम्दु लिल्लाह, फिर अल्लाहु

अक्बर है। और यही सहीह है।

बाब {सलाम फेरने के बाद कौन सी दुआ़ नमाज़ी पढ़े?}

1505:— मोग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ से रिवायत है कि मुआ़विया रज़ि॰ ने मोग़ीरा को पत्र लिखा और पूछाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद क्या पढ़ा करते थे? उन्होंने मुआ़विया के नाम लिखवा भेजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यह पढ़ा करते थे।

लाइला–ह इल्लल्लाहु वह्–दहू ला शरी–क लहू लहुल् मुल्कु व–लहुल् हम्दु वहु–व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर+अल्लाहुम्म ला मानि–अ़ लिमा आतै–त वला मोति–य लिमा मना–त वला यन्–फ़उ ज़ल् जद्दि मिन्–कल् जद्दु

1506:— अबू जुबैर ने बयान किया कि मैंने अ़ब्दुल्लह बिन जुबैर रज़ि॰ को मिंबर पर यह कहते हुये सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ से फिरते (यानी सलाम केबाद) तो यह दुआ़ करते थेः

लाइला–ह इल्लल्लाहु वह्–दहू ला –शरी–क लहू–लहुल् मुल्कु व–लहुल् हम्दु वहु–व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर+ लाइला–ह इल्लल्लाहु मुख़्लिसी–न लहुद्दी–न वलौ करि–हल् काफ़िरु–न+अह्लुन्नै–मति वल् फ़ज़्लि वस्सनाइल् ह–सनि लाइला–ह इल्लल्लाहु मुख़्लिसी–न लहुद्दी–न वलौ करि–हल् काफ़िरु–न+

1507:— अबू जुबैर कहते हैं कि अ़ब्दुल्लह बिन जुबैर रज़ि॰ हर नमाज़ के बाद "लाइला–ह इल्लल्लाहु वह–दहू....." पढ़ा करते थे और ऊपर की हदीस की तरह दुआ़ का ज़िक्र किया और इतना इज़ाफ़ा किया।

लाहौ–ल वला कुव्व–त इल्ला बिल्लाहि, लाइला–ह इल्लल्लाहु, ला नाबुदु इल्ला इय्याहु लहुन्ने–मतु"

और बाक़ी हदीस बयान की

1508:— ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना आप नमाज़ के बाद यह दुआ़ पढ़ा करते थे

अल्लाहुम्म रब्बना व–रब्ब कुल्लि शैइन्, अना शहीदुन् अन्न–क अन्–तर्रब्बु वह्–द–क ला शरी–क ल–क.......

1509:— अ़ली बिन अबू तालिब से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब नमाज़ से सलाम फेरते तो यह पढ़ा करते थेः

अल्लाहुम्मग़ फ़िर्ली मा क़द्दम्तु वमा अख़्ख़र्तु वमा अस्–रर्तु वमा आ–लन्तु वमा अस्–रफ़्तु वमा अन्–त आ–लमु बिही मिन्नी अन्–तल् मु–क़द्दमु वल् मअख़्ख़िरु, लाइला–ह इल्ला अन्–त

1510:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यह दुआ़

किया करते थेः

रब्बि अइन्नी वला तुइन् अ–लय्यि वन्सुरनी वला तन्सुर अ–लय्य......

1511:— अम्र बिन मुर्रा ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान की है और "व–यस्सिरिल् हुदा इलय्य" कहा है "हुदा–य" नहीं कहा।

1512:— आइशा रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते तो यह दुआ पढ़ते।

अल्लाहुम्म अन्–तस्सलामु वमिन्–कस्सलामु तबा–रक्–त या ज़ल् जलालि वल् इक्रामि

1513:— सौबान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ से उठ कर जाना चाहते तो तीन बार "अस्तग़फ़िरुल्लाह" कहते थे, फिर इस के बाद पढ़ते थेः अल्लाहुम्म अन्–तस्सलामु...... (ऊपर की दुआ) फिर ऊपर आइशा रज़ि॰ की हदीस की तरह बयान किया।

बाब {इस्तिग़फ़ार का बयान।}

1514:— अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो इस्तिग़फ़ार को इख़्तियार कर ले वह इसरार करने वाले लोगों में नहीं, चाहे एक दिन में सत्तर बार गुनाह को दोहराए।

फ़ाइदा:— अपने गुनाहों पर अड़ना और इसरार करना ज़ालिमों और पापियों की आदत है और इस्तिग़फ़ार करना, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगना कि वह अपनी रहमत में ढाँप ले नेक लोगों का काम है।

1515:— अग़र मोज़नी से रिवायत है...मुसद्दद की रिवायत में है कि उन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत प्राप्त थी.....कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरे दिल पर भी पर्दा सा आ जाता है और मैं अल्लाह से एक–एक दिन में सौ–सौ बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ।

1516:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि हम लोग गिनते थे कि एक–एक मज्लिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौ–सौ बार दुआ पढ़ते थेः

रब्बिग़् फिर् ली वतुब अ–लय्य इन्न–क अन्–तत्तव्वा बुर्रहीमु

1517:— ज़ैद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स यूँ कहता हैः

अस्–तग् फ़िरुल्ला हल्लज़ी ला इला–ह इल्ला हु–वल हय्युल क़य्यूमु व–अतूबु इलैहि

तो इस को बख़्श दिया जाता है अर्गचे वह जिहाद से भी भाग हो।

1518:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ा अल्लाह उस के लिये हर तन्गी से निकलने की राह और हर ग़म से राहत का सामान पैदा फ़रमा देगा, और ऐसे-ऐसे स्थान से रोज़ी देगा जिस के बारे में उस ने सोचा तक न होगा।

1519:— क़तादा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ि॰ से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कौन सी दुआ़ ज़्यादा किया करते थेः उन्होंने फ़रमायाः आप की अक्सर दुआ़ यह होती थीः

अल्ला हुम्म रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया ह-स-न तव्वफ़िल् आख़ि-रति ह-स-न-तव्वलिना अज़ा-बन्नारि

ज़ियाद ने इतना और बयान किया कि अनस रज़ि॰ जब कोई दुआ़ करना चाहते तो इन्हीं शब्दों से दुआ़ करते, और जब कोई (ख़ास) दुआ़ करना चाहते तो इस में उसे भी शामिल कर लेते।

1520:— अबू उमामा बिन सहल बिन हनीफ़ अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस शख़्स ने सच्चे दिल से शहादत का सवाल किया, तो अल्लाह पाक उस को शहीदों के दर्जे तक पहुँचा देगा चाहे अपने बिस्तर ही पर उसे मौत आये।

1521:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ऐसा शख़्स था कि जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता तो अल्लाह पाक मुझे उस से जो चाहता फ़ाइदा पहुँचाता। और जब कोई और सहाबी हदीस बयान करता तो मैं उस से क़सम लेता था। और जब वह क़सम उठाता तब मैं उस की तस्दीक़ करता था। उन्होंने कहा कि अबू बक्र रज़ि॰ ने हदीस बयान की और उन्होंने सच कहा, उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः कोई बन्दा ऐसा नहीं जो कोई गुनाह कर बैठे, फिर वुज़ू करे अच्छा तरह, फिर खड़ा हो और दो रक्अ़तें पढ़ें और अल्लाह पाक से दुआ़ करेतो अल्लाह पाक उसे माफ़ कर देता है। फिर आप ने यह आप पढ़ीं:

वल्लज़ी-न इज़ा फ़-अ़ लू फ़ाहि-श-तन् औ ज़-लमू.....(आले अम्रान-35)

1522:— मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फ़रमायाः ऐ मुआ़ज़! अल्लाह की क़सम! मुझे तुम से मुहब्बत है। फिर फ़रमायाः ऐ मआ़ज़! मैं तुम्हें वसिय्यत करता हूँ कि किसी नमाज़ के बाद यह दुआ़ हर्गिज़ न छोड़ना।

अल्लाहुम्म अ़इन्नी अ़ला ज़िक्रि-क वशुक्रि-क वहुस्नि इबा-दति-क

चुनान्चे मआ़ज़ रज़ि॰ ने यह वसिय्यत (अपने शार्गिद) सनाबही को की और फिर उन्होंने यही वसिय्यत (अपने शागिर्द) अबू अ़ब्दुर्रहमान को की।

1523:— उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि हर नमाज़ के बाद सूरः फ़लक़ और सूरः नास पढ़ा करूँ।

फ़ाइदा:— यहाँ "मुअ़व्वज़ात" जमा का सेग़ा आया है तो हो सकता है सूरः इख़्लास और सूरः काफ़िरुन भी शामिल हों।

1524:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यह बात पसन्द थी कि दुआ़ के कलिमे तीन-तीन बार दोहरायें और तीन बार इस्तिग़फ़ार करें।

1525:— उमैस की पुत्री अस्मा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमे न सिखा दूँ जिन्हें तुम परेशानी में पढ़ा करो। यानी : अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शै-अन्

1526:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ था जब हम मदीना के क़रीब पहुँचे तो लोगों ने "अल्लाहु अक्बर-अल्लाहु अक्बर" कहना शुरु कर दिया और अपनी आवाज़ें ऊँची कीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लोगों! तुम किसी बहरे या ग़ाइब को नहीं पुकार रहे हो। बेशक जिसे तुम पुकारते हो वह तुम्हारे और तुम्हारी सवारियों की गर्दनों के दर्मियान है (इसलिये चिल्लाने की ज़रुरत नहीं) फिर आप ने फ़रमायाः ऐ अबू मूसा! क्या मैं तुम्हें जन्नत का एक ख़ज़ाना न बताऊँ? मैंने कहाः वह क्या है? आप ने फ़रमायाः "लाहौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि"

1527:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ ने बयान किया कि वह लोग अल्लाह के नबी के साथ थे और एक घाटी पर चढ़ रहे थे। एक आदमी जबभी किसी घाटी पर चढ़ता तो ऊँची आवाज़ से कहताः "लाइला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर" तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम किसी बहरे या नामौजूद को नहीं पुकारते हो। फिर फ़रमायाः ऐ अ़ब्दुलल्लाह बिन क़ैस! फिर ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की।

1528:— अबू उस्मान ने अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ से यही हदीस बयान की और उस में कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लोगों! अपने आप पर रहम करो (चिल्लाओ नहीं)

1529:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स

रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन् वबिल् इस्लामि दी—नन् वबि मुहम्मदिन् रसू—लन्"

पढ़ ले तो उस के लिये जन्नत वाजिब हो गयी।

1530:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स एक बार मुझ पर दुरुद पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर दस रहमतें नाज़िल करता है।

1531:— औस बिन औस रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम्हारे अफ़ज़ल दिनों में जुमा का दिन फ़ज़ीलत वाला है, इसलिये उस दिन मुझ पर अधिक से अधिक दुरुद भेजा करो, तुम्हारा दुरुद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमारा दुरुद आप पर कैसे पेश किया जायेगा हालाँकि आप का शरीर बोसीदा हो चुका होगा? आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने नबिय्यों के शरीर को ज़मीन पर हराम कर दिया है।

बाब {अपने माल और औलाद को बद्दुआ़ करना मना है।}

1532:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपने आप को बद्दुआ़ न दो, अपनी औलाद को बद्दुआ़ न दो, अपने नौकरों को बद्दुआ़ न दो। ऐसा न हो कि वह अल्लाह की तरफ़ से कुबूल होने वाली घड़ी हो (इधर तुम कोई बद्दुआ़ करो और वह) कुबूल कर ले।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अ़लावा दूसरों के लिये सलात।}

1533:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि एक महिला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः मेरे और मेरे पति के लिये रहमत की दुआ़ कर दीजिये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह तुम और तुम्हारे पति पर अपनी रहमतें (और बर्कतें) नाज़िल फ़रमायें।

बाब {ग़ाइबाना दुआ़ की फ़ज़ीलत।}

1534:— उम्मे दर्दा ने बयान किया कि मेरे आक़ा अबू दर्दा ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः जब कोई शख़्स अपने भाई के लिये ग़ाइबाना दुआ़ करता है तो फ़रिश्ते कहते हैं आमीन (ऐ अल्लाह! कुबूल फ़रमा) और तुझे भी यही कुछ प्राप्त हो।

1535:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बहुत जल्द कुबूल होने वाली दुआ़ यह है कि इन्सान किसी ग़ैर मौजूद के लिये ग़ाइबाना दुआ़ करें।

1536:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तीन दुआ़ओं के कुबूल होने में शक नहीं (1) बाप की दुआ़ (2) मुसाफ़िर की दुआ़ (3) मज़लूम की दुआ़।

बाब {इन्सान को अगर किसी से डर हो तो कौन सी दुआ़ पढ़े?}

1537:— अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब किसी क़ौम से कोई डर होता तो इस प्रकार दुआ़ पढ़ते

अल्लाहुम्म इन्ना नज-अलु-क फ़ी नुहूरिहिम् व-नऊजुबि-क मिन् शुरूरिहिम्

बाब {इस्तिख़ारा के मसाइल का बयान।}

1538:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें इस्तिख़ारा की (इस एहतिमाम से) तालीम देते जैसा कि कुरआ़न पाक की कोई सूरत। आप हमें फ़रमाते कि जब तुम में से कोई किसी काम का इरादा करे तो उसे चाहिये कि फ़र्ज़ नमाज़ के अ़लावा दो रक्अ़त पढ़े और यूँ दुआ़ करे:

अल्लाहुम्म इन्नी अस्तख़ीरु-क बिइल्मि-क व-अस्-तक़्दिरु-क बिक़ुद्-रति-क, व-अस्-अलु-क मिन् फ़ज्लि-कल् अज़ीमि, फ़इन्न-क तक़्दिरु वला अक़्दिरु, वता-लमु वला आ-लमु, व-अन्-त अ़ल्लामुल् ग़ुयूबि + अल्लाहुम्म फ़इन् कुन्-त ता-लमु अन्न हाज़ाल् अम्-र.....ख़ैरुन् ली फ़ी दीनी व-मआ़शी व-मआ़दी वआ़क़ि-बति अम्री, फ़क़्दिरहु ली व-यस्सिरहु ली वबारिक् ली फ़ीहि+ अल्लाहुम्म वइन् कुन्-त ता-लमुहू शर्रन् ली....फ़स्रिफ़्नी अ़न्हु वस्रिफ़्हु अ़न्नी वक़्दिर् लि-यल् ख़ै-र हैसु का-न सुम्म रज़्ज़िनी बिही।

रावी को शक है कि "फ़ीदीनी....." के स्थान पर "फ़ी आ़जिलि अम्री वआजिलिही" के शब्द फ़रमाये।

फ़ाइदा:— इस दुआ़ में "हाज़ल् अम्-र" की जगह उस ज़रुरत का नाम ले जिस के लिये इस्तिख़ारा कर रहा है। इस्तिख़ारा में कोई ज़रुरी नहीं कि कोई सपने में आ कर बता जायेगा। बल्कि जिस पर इत्मिनान हो वही काम करे। कुछ लोग दूसरों से कराते हैं यह बेमाना चीज़ है।

बाब {"तअ़व्वुज़ात" का बयान।}

1539:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पाँच बातों से अल्लाह की पनाह माँगते थे (1) बुज़दिली (2) बख़ीला (3) इन्तिहाई बुढ़ापे (4) हसद-कीना (5) क़ब्र के अज़ाब से।

1540:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत किया करता था तो मैं आप को अधिक से अधिक इस दुआ़ को पढ़ते हुये सुनता था:

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मि-नल् हम्मि वल् ह-ज़नि व-ज-ल इद्दैनि व-ग़-ल बतिरिजालि

1542:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन्हें यह दुआ़ इस प्रकार सिखाते थे जैसे कि कुरआन

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मिन् अ़ज़ाबि ज-हन्न-म व-अऊज़ुबि-क

मिन् अज़ाबिल् क़ब्रि व–अऊज़ुबि–क मिन फ़ित–नतिल् मसाहिद्दज्जालि, व–अऊज़ुबि–क मिन् फ़ित्–नतिल् मह़्या वल् ममाति

1543:– आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ पढ़ा करते थे:

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि–क मिन फ़ित–नतिन्नारि व–अज़बिन्नारि, वमिन् शर्रिल् ग़िना वल् फ़क़रि

1544:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ फ़रमाया करते थे:

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि–क मि–नल् फ़क़रि वल् क़िल्लति व–अऊज़ुबि–क मिन् अन् अज़्लि–म और उज़्–ल–म

1545:– इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह दुआ थी:

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि–क मिन ज़वालि ने–मति–क व–तहवीलि आफ़ि–य–ति–क वफ़ुज्–अति निक़्–मति–क व–जमीइ स–ख–ति–क

1546:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ फ़रमाया करते थे:

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि–क मि–नश्शिक़ाक़ि वन्निफ़ाक़ि वसूइल् अख़्लाक़ि

1547:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ फ़रमाया करते थे:

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि–क मि–नल् जूई फ़इन्नहू बिअ्–सज़्ज़ीउ, व–अऊज़ुबि–क मि–नल् ख़िया–नति फ़इन्नहा बे–सतिल् बिता–नतु

1548:– अ़ब्बाद बिन अबू सईद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने अबू हुरैरा रज़ि॰ को फ़रमाते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ पढ़ा करते थे:

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि–क मि–नल् अर्–बइ मिन इ़ल्मिन् ला यन्–फ़उवमिन् क़ल्बिन् ला यख़्–शउ वमिन् नफ़सिन् ला तश्–बउ वमिन् दुआइन् ला युस्–मउ

1549:– अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ पढ़ते थे:

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि–क मिन् सलातिन ला तन्–फ़उ

1550:– फ़रवा बिन नौफ़ल ने बयान किया कि मैं ने आइशा रज़ि॰ से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ माँगा करते थे? उन्होंने कहाः आप माँगा करते थे:

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मिन् शर्रि मा अ़मिल्तु वमिन् शर्रि मा लम् आ-मल्

1551:— शुतैर बिन शक्ल अपने पिता से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई दुआ़ सिखा दीजिये। आप ने फ़रमायाः यह कहोः

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुकि-क मि-नल् हदमि व-अऊज़ुबि-क मि-नत्तरद्दी व-अऊज़ुबि-क मि-नल् ग़-रक़ि वल् ह-रक़ि वल् ह-रमि, व-अऊज़ुबि-क मिन् अय्य-त-ख़ब्बत् नि-यश्शैतानु अ़िन्दल् मौति......

1553:— अबू अय्यूब के एक मौला अबुत यसीर से रिवायत करते हैं.....उस रिवायत में "वल्-ग़म्मि" का इज़ाफ़ा भी है।

1554:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यह दुआ़ पढ़ा करते थेः

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मि-नल् ब-रसि वल् जुनूनि वल् जुज़ामि व-सय्यिइल् अस्क़ामि

1555:— अबू सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक रोज़ मस्जिद में तशरीफ़ लाये तो क्या देखते हैं कि एक अन्सारी है जिस का नाम अबू उमामा था, आप ने फ़रमायाः ऐ अबू उमामा! क्या बात है कि मैं तुम्हें मस्जिद में देख रहा हूँ और नमाज़ का समय भी नहीं है? उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे ग़मों और क़र्ज़ों ने घेर रखा है। आप ने फ़रमायाः क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात न सिखा दूँ कि अगर तुम उन्हें पढ़ने लगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे ग़म को दूर कर देगा और तुम्हारे कर्ज़े अ़दा कर देगाः (यानी सबब पैदा फ़रमा देगा) मैंने कहाः जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमायाः सुब्ह शाम यह पढ़ा करोः

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मि-नल् हम्मि वल् ह-ज़नि, व-अऊज़ुबि-क मिनल् अज्ज़ि वल् क-सील व-अऊज़ुबि-क मि-नल् जुब्नि वल् बुख़्लि व-अऊज़ुबि-क मिन् ग़-ल-बतिद्दैनि व-क़हर्रिजिलि

फ़ाइदा:— हदीस ज़ईफ़ है, मगर अर्थ सहीह है।

❀ ❀ ❀

(9) ज़कात के अहकाम

बाब {ज़कात वाजिब होने का बयान।}

1556:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देहान्त हो गया तो उन के बाद अबू बक्र को ख़लीफ़ा बनाया गया। इधर अरब क़बीलों में से जिन्हें कुफ़्र इख़्तियार करना था उन्होंने कुफ़्र इख़्तियार कर लिया तो उमर ने अबू बक्र से कहाः आप लोगों से किस कारण जन्ग करेंगे? हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमा गये हैं: "मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से जन्ग करुँ यहाँ तक कि वह"लाइला–ह इल्लल्लाह" कहें, तो जिस ने लाइला–ह इल्लल्लाह कहा, उस ने मुझ से अपना माल और अपनी जान को सुरक्षित कर लिया, मगर यह कि इस्लाम का कोई हक़ हो। और उन का हिसाब अल्लाह के ज़िम्मा है।

इस पर अबू बक्र ने कहाः अल्लाह की क़सम! मैं हर उस शख़्स से जन्ग करुँगा जो नमाज़ और ज़कात में फ़र्क़ करेगा। क्यों कि ज़कात, माल का (शॅर्ई) हक़ है। क़सम अल्लाह की! अगर उन लोगों ने मुझ से वह रस्सी भी रोक ली जो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा किया करते थे तो मैं उस के रोक लेने पर भी जन्ग करुँगा। यह सुन कर उमर रज़ि॰ ने कहाः मैंने देखा कि अल्लाह पाक ने इस जन्ग के लिये अबू बक्र का सीना खोल दिया है और अन्त में मेरी समझ में भी यह बात आ गयी कि यही बात हक़ है।

कुछ लोगों ने "इक़ालन्" (रस्सी) का शब्द बयान किया है और कुछ ने "अना–क़न्" (बक्री का बच्चा)

1557:— इमाम यूनुस ने जोहरी से यह हदीस रिवायत करते हुये कहा कि अबू बक्र ने फ़रमायाः माल का यह हक़ है कि ज़कात अदा की जाये। और इस रिवायत में शब्द "इक़ा–लन्" बयान है।

1558:— अबू सअीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं, और पाँच ऊक़िया (चाँदी) से कम में ज़कात नहीं, और पाँच वसक़ से कम (ग़ल्ले) में ज़कात नहीं।

फ़ाइदा:— एक ऊक़िया 119 ग्राम और पाँच उक़िया 595 ग्राम का होता है। और तौला में वज़न

51 तौला (पहले के लोगों की तहक़ीक़ साढ़े 52 तौला) एक वसक़ में साठ साअ़ा होता है। और एक साअ़ा का वज़न ढाई किलो। पाँच वसक़ का वज़न सात सो पचास किलोग्राम होता है।

1559:— अबी सअ़ीद ख़ुदरी रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हवाले से बयान किया किः पाँच वसक़ से कम में ज़कात नहीं। और एक वसक़, साठ साअ़ा का होता है।

1560:— इब्राहीम नख़ई ने बयान किया कि एक वसक़, साठ मोहर लगे हुये हज्जाजी साअ़ा का होता है।

फ़ाइदा:— हज्जाज बिन यूसुफ़ की तरफ़ मन्सूख़ है, उस पर हुकूमत की मोहर लगी होती थी।

1561:— हबीब मालिकी का बयान है कि एक शख़्स ने इम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से कहाः ऐ अबू नुजैद! आप लोग हमें कुछ ऐसी हदीसें बयान करते हैं जिन की अस्ल हमें कुरआन पाक में नहीं मिलती। यह सुन कर इम्रान गुस्से में आ गये और उस से कहाः क्या तुम्हें कुरआन में यह मिलता है कि हर चालीस दिर्हम में एक दिर्हम (ज़कात) है। और हर उतनी-उतनी संख्या बकरियों में एक बकरी है? और इतने-इतने ऊँटों में यह कुछ (ज़कात) है? क्या तुम लोगों को यह सब कुरआन में मिलता है? उस ने कहाः नहीं। इम्रान कहने लगेः तो तुम ने यह (मसाइल) किस से लिये हैं? बिला शुब्हा तुम यह हम (सहाबा) ही से लेते हो और हम ने उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से लिया है (इम्रान रज़ि॰ ने) इस प्रकार की और भी चीज़ें ज़िक्र कीं।

बाब {क्या तिजारत के सामान में ज़कात है?}

1562:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ ने फ़रमायाः अम्मा बाद! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे कि जो माल हम तिजारत के लिये तय्यार करें उस में से सदक़ा (ज़कात) दिया करें।

बाब {"कन्ज़" की परिभाषा और ज़ेवर में ज़कात का मस्अला।}

1563:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुयी, उस के साथ उस की पुत्री भी थी और पुत्री के हाथों में सोने के दो मोटे-मोटे कन्गन थे। आप ने उस से पूछाः क्या तुम इस की ज़कात देती हो? उस ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः क्या तुम्हें यह बात अच्छी लगती है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तुम्हें उन के बदले आग के दो कन्गन पहनाए? यह सुन कर उस महिला ने उन को उतार कर आप के सामने डाल दिया और कहने लगीः यह अल्लाह और उस के रसूल के लिये है।

फ़ाइदा:— ज़ेवर में ज़कात के मामले में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। जमहूर उलमा ज़कात के क़ाइल हैं और एहतियात भी इसी में ही है। इस की ज़कात दो तरह से निकली जायेगीः या तो सोने के चालीस हिस्से कर के एक हिस्सा ज़कात सोना निकाल दो। या उस की क़ीमत दे दो। दोनों तरह जाइज़ है। सोना-चाँदी दोनों निसाब से कम हों तो उन पर ज़कात नहीं।

1564:— उम्मे सलमा रज़ि॰ बयान करती हैं कि मैं सोने का हार पहना करती थी। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या यह कन्ज़ है? आप ने फ़रमायाः जो ज़कात की मिक्दार को पहुँच जाये वह कन्ज़ नहीं है।

1565:— अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बिन हाद कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी आइशा रज़ि॰ के पास गये तो उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाये। आप ने देखा कि मेरे हाथों में चाँदी की (मोटी-मोटी) अन्गूठियाँ हैं तो आप ने पूछाः ऐ आइशा! यह क्या है? मैंने कहाः मैंने इन्हें आप की ख़ातिर ज़ीनत के लिये पहना है ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने पूछाः क्या तुम इन की ज़कात देती हो? मैंने कहाः नहीं, या इसी प्रकार का उत्तर दिया तो आप ने फ़रमायाः तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिये यही काफ़ी है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ेवर पर ज़कात की दलील है।

1566:— सुफ़यान ने उमर बिन याला से अँगूठी वाली ऊपर की हदीस की तरह बयान किया....... ..सुफ़यान से पूछा गयाः उस की ज़कात कैसे दे? उन्होंने कहाः दूसरे ज़ेवर के साथ मिला ले (और निसाब के अनुसार ज़कात दे)

बाब {जन्गल में चराने वाले जानवरों की ज़कात।}

1567:— हम्माद ने बयान किया कि मैंने यह तहरीर समामा बिन अब्दुल्लाह से प्राप्त की। वह कहते हैं कि इसे अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने अनस रज़ि॰ के लिये लिखा था जबकि उन को सदक़ा लेने के लिये तहसीलदार बना के भेजा गया था और उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर थी....उस में तहरीर थाः "यह फ़रीज़ा ज़कात की तफ़सील है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया था, जिस का अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया था। इसीलिये जिस भी मुसलमान से इस के मुताबिक़ माँगा जाये, वह अदा करे और जिस से उस के अलावा मज़ीद माँगा जाये तो वह न दे। 24 से कम ऊँटों में (ज़कात बकरियों की शक्ल में है) हर पाँच ऊँट पर एक बकरी है। जब 25 हो जायें तो उन में एक "बिन्ते मख़्स" (एक वर्ष की मादा ऊँटनी) है 35 तक। अगर उन में कोई एक वर्ष की न हो तो दो वर्ष का नर ऊँट दे। और जब 36 हो जायें तो उन में दो वर्ष की मादा ऊँटनी है 45 तक। और जब 46 हो जायें तो उन में तीन साल की मादा ऊँटनी जो जुफ़्ती के लाइक़ हो 60 तक। जब 61 होजायें तो उन में चार वर्ष की मादा ऊँटनी है 75 तक। और जब 76 हो जायें तो उन में दो-दो वर्ष की मादा दो ऊँटनियाँ हैं 90 तक। और 91 हो जायें तो उन में तीन-तीन वर्ष की मादा दो ऊँटनियाँ हैं जो जुफ़्ती के लाइक़ हों 120 तक। और जब 120 से बढ़ जायें तो हर चालीस में दो साल की मादा ऊँटनी और हर 50 में तीन साल की मादा ऊँटनी है। अगर ज़कात में वाजिब होने वाले जानवरों की उम्रों में फ़र्क़ हो तो जिस पर चार साल की मादा हो, मगर उस के पास न हो और उस के पास तीन साल की ऊँटनी हो तो उस से हिक़्क़ा ले ली जाये और वह उस के साथ दो बकरियाँ मिला दे अगर मिल जायें तो, या

20 दिर्म चँदी के। और जिस पर ज़कात में तीन साल की ऊँटनी वाजिब हुयी हो मगर उस के पास तीन वर्ष की ऊँटनी न हो, बल्कि चार साल की हो तो उस से अगर चार की ऊँटनी हो तो वही ली जायेगी, और तहसील दार उस को 20 दिंहम दे दे या दो बकरियाँ। और जिस पर "हिक़्क़ा" (यानी तीन साल की ऊँटनी) वाजिब हुयी हो मगर मौजूद न हो, बल्कि दो साल की मादा हो तो उस से दो साल की मादा ही ली जाये।

इमाम अबू दावूद ने कहा है कि हदीस के इस हिस्से के बाद मुझे खूब अच्छी तरह याद है .. .... और तहसीलदार उसे 20 दिंहम दे दे या दो बकरियाँ। और जिस पर दो साला मादा लागू हो, मगर उस के पास एक वर्ष का (बिन्ते मख़ाज़) हो तो उस से वही कुबूल कर ली जाये और साथ दो बकरियाँ ली जायें या 20 दिंहम।.......... और चरने वाली बकरियों की ज़कात (की तफ़सील) यह है कि 40 से लेकर 120 तक में एक बक्री है। अगर इस से बढ़ जायें तो दो बकरियाँ हैं 300 तक। और अगर 300 से बढ़ जायें तो हर सौ में एक-एक बक्री है। ज़कात में कोई बूढ़ी या ऐबदार बक्री न ली जाये और न बक्रा (जुफ़्ती वाला नर) ही लिया जाये, मगर यह कि ज़कात वसूल करने की ख़ाहिश हो। और ज़कात के डर से दो अलग-अलग रेवड़ों को जमा न किया जाये और न इकट्ठे माल को अलग-अलग किया जाये। और जिन दो मुश्तक मालिकों का माल इकट्ठा हो और ज़कात भी इकट्ठी ही ली गयी हो तो वह आपस में बराबर-बराबर लेन-देन कर लें। अगर किसी की जन्गल में चरने वाली बकरियाँ चालीस की गिनती को न पहुँचती हों तो उन में कोई ज़कात नहीं, मगर यह कि उन का मालिक चाहे।

चाँदी में चालीसवाँ हिस्सा है। अगर माल सिर्फ़ 199 दिंहम हो तो उस में कोई ज़कात नहीं मगर यह कि उस का मालिक चाहे।

1568:— सालिम अपने पिता (अ़ब्दुल्लाह बिन उमर) से नक़ल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़कात की तफ़सील लिखी थी, मगर उसे अपने ज़िम्मेदारों को भेजने न पाये थे कि आप की वफ़ात हो गयी जब कि आप ने उस को अपनी तल्वार के साथ (नियम में) रखा हुआ था। चुनान्चे अबू बक्र रज़ि॰ ने उस पर अ़मल किया यहाँ तक कि उन का देहान्त हो गया। फिर उमर रज़ि॰ ने अ़मल किया और उन का भी देहान्त हो गया। उस में यह लिखा हुआ था: पाँच ऊँट में एक बकरी, उस में दो बकरियाँ, 15 से 3 बकरियाँ, 20 में चार बकरियाँ हैं। 25 ऊँटों में एक साला मादा ऊँटनी है 35 तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो उस में दो साला ऊँटनी है 45 तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो उन में तीन साला ऊँटनी है 60 तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो उन में चार साल की ऊँटनी है 75 तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो उन में दो, दो-दो साल की ऊँटनियाँ हैं 90 तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो उन में दो तीन-तीन साल की मादा ऊँटनियाँ हैं 120 तक। अगर ऊँट उन में ज़्यादा हों तों हर 50 में तीन साल की मादा और हर 40 में दो साल की एक मादा है। और बकरियों में हर चालीस में एक बक्री है 120 तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो दो बकरियाँ हैं 200 तक। अगर दो सौ से एक भी ज़्यादा हो जाये तो उस में 3 बकरियाँ हैं 300 तक। अगर बकरियाँ उस से ज़्यादा हों तो हर 100 पर एक बक्री है, और 100 से कम में कुछ नहीं यहाँ

तक कि 100 हो जायें। इकट्ठे जानवरों को ज़कात के डर से अलग-अलग ने किया जाये और अलग-अलग को जमा न किया जाये। और जिन के जानवर इकट्ठे हों वह दोनों आपस में बराबर-बराबर लेन-देन कर लें। और ज़कात में कोई बूढ़ा या ऐब वाला जानवर न लिया जाये।

इमाम जोहरी कहते हैं कि जब ज़कात वसूल करने वाला आये तो बकरियों को तीन हिस्सों में बाँट लिया जाये, यानी हल्के, अच्छे और दर्मियान के। और तहसीलदार ज़कात दर्मियान के दर्जे से ले। इमाम ज़ोहरी ने गायों का ज़िक्र नहीं किया।

1569:— सुफ़यान बिन हुसैन ने अपनी ऊपर की सनद से उसी हदीस के हममाना बयान किया...... और कहा "अगर एक वर्ष की ऊँटनी न हो तो दो साला नर पेश कर दे" और ज़ोहरी का कलाम ज़िक्र नहीं किया।

1570:— इब्ने शिहाब ने कहाः यह नक़ल है उस तहरीर की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सदक़ा (ज़कात) के बारे में लिखी थी और यह उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ के खान्दान वालों के पास सुरक्षित थी। इब्ने शिहाब ने कहाः उसे मुझे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने पढ़वाया और मैंने उस को उसी प्रकार याद कर लिया और यही वह तहरीर है जिसे उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उमर और सालिम बिन अ़ब्दुल्लह बिन उमर से नक़ल करवाया था......और हदीस बयान की.......।

1571:— इमाम मालिक ने बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ का फ़रमान है कि ....

1572:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है (हदीस के रावी) जुहैर कहते हैं कि मेरे ख़याल में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान किया कि आप ने फ़रमाया................

1573:— अ़ली रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं....................

1574:— अ़ली रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं ने (तुम से) घोड़े और गुलाम की ज़कात माफ़ कर दी है। सो तुम चाँदी की ज़कात लाओ, हर 40 दिर्हम में एक दिर्हम और 190 दिर्हम में कोई ज़कात नहीं। जब दो सौ हो जायें तो उन में पाँच दिर्हम हैं।

फ़ाइदा:— गुलाम और घोड़े के बारे में यह है कि मेहनत करने वाले गुलाम और सवारी के घोड़े पर कोई ज़कात नहीं, यह अक्सर उलमा का कहना है। कुछ उलमा का कहना है कि उन की क़ीमत लगा कर चालीसवाँ हिस्सा वसूल किया जायेगा।

1575:— बहज़ बिन हकीम अपने पिता से और वह उन के दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर चालीस ऊँटों में जो कि जन्गल में चरते हों दो साला मादा है। और उन्हें उन के हिसाब से जुदा न किया जाये। जो शख़्स सवाब की निय्यत से देगा. .....इब्ने उला ने कहाः तो उस के लिये सवाब है। और जो ज़कात को रोकेगा तो हम उस से वसूल

करेंगे, और आधा माल (मज़ीद भी) यह हमारे रब के वाजिबात में से एक वाजिब है, इस में मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) की औलाद के लिये कोई हिस्सा नहीं।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जो ज़कात न दे उस से पूरी ज़कात ली जायेगी और आधा माल र्जुमाना के तौर पर लिया जायेगा।

1576:— मआ़ज़ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें यमन की तरफ़ भेजा तो फ़रमाया था "गायों में हर 30 में एक साला बछड़ा या बछड़ी लेना, और हर 40 में से दो साला। और हर (ग़ैर मुस्लिम) बालिग़ से एक दीनार या उस के बराबर यमन का तय्यार किया हुआ कपड़ा।

1577:— इमाम मस्रुक़ ने मआ़ज़ रज़ि॰ से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इसी के मिस्ल बयान किया।

1578:— मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें यमन की तरफ़ भेजा और ऊपर की हदीस की तरह बयान की। इस रिवायत में यह ज़िक्र नहीं है कि "यह कपड़े हैं जो यमन में होते हैं" और न शब्द "बालिग़" का ज़िक्र किया।

1579:— सुवैद बिन ग़फ़ला ने बयान किया कि मैं (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तहसीलदार के साथ) चला, या यह कहा कि मुझे उस शख़्स ने बयान किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तहसीलदार के साथ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अ़हृद (तहरीर) में यह था "ज़कात में कोई दूध वाला जानवर (बकरी वग़ैरह) या दूध पीता बच्चा न लेना। अलग-अलग जानवरों को जमा न करना, और न इकट्ठे (रहने, चरने वालों) को जुदा-जुदा करना" और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का ज़कात वसूलने वाला उन के पानियों (चश्मों, कुओं, तालाबों) पर पहुँचता था जब बकरियाँ पानी पीने के लिये आती थीं, तो वह (मालिकों से) कहता था: अपने मालों की ज़कात पेश करो। रावी ने बयान किया: चुनान्चे एक शख़्स ने "कौमा" ऊँटनी का इरादा किया। रावी कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अबू स्वालेह! "कौमा" का क्या अर्थ है? कहा कि बड़े कोहान वाली। तो वसूली करने वाले ने लेने से इन्कार कर दिया (क्योंकि वह अच्छी थी) माल वाले ने कहा: मैं पसन्द करता हूँ कि आप मेरी बेहतरीन ऊँटनी वसूल करें, मगर उस ने लेने से इन्कार कर दिया, तो वह दूसरी पकड़ लाया जो उस से ज़रा कम दर्जे की थी तो उस ने वह भी लेने से इन्कार कर दिया, चुनान्चे वह एक और ले आया जो उस से भी कम दर्जे की थी तो उस ने वह ले ली और कहने लगा: मैं यह ले तो रहा हूँ मगर डर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुझ पर नाराज़ होंगे। आप मुझे कहेंगे कि तुम उस आदमी की बेहतरीन ऊँटनी ले आये हो।

1580:— सुवैद बिन ग़फ़ला ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का तहसीलदार हमारे पास आया तो मैंने उस का हाथ पकड़ लिया और उस की तहरीर में पढ़ा:

"ज़कात केडर से जुदा-जुदा रहने वाले जानवरों को जमा न किया जाये और न इकट्ठे माल को अलग-अलग किया जाये" इस रिवायत में "दूध वाले जानवर या दूध पीते बच्चों" का ज़िक्र नहीं है।

1581:— मुसिलम बिन शोबा ने बयान किया कि नाफ़े बिन अलक़मा ने मेरे पिता को उन की अपनी क़ौम का लीडर और निग्राँ बना दिया और हुक्म दिया कि उन से ज़कात भी वसूल करें। चुनान्चे मेरे पिता जी ने मुझे (मुस्लिम को) एक जमाअ़त के पास भेजा। मैं एक बड़े बुज़ुर्ग के पास पहुँचा उन का नाम सेर (बिन देसम) था। मैंने उन से कहाः मेरे पिता जी ने मुझे भेजा है कि आप से ज़कात ले आऊँ। उन्होंने कहाः ऐ भतीजे! तुम किस तरह का माल लेते हो? मैं ने कहाः हम चुन कर, उन के थन को देख कर अच्छी बकरियाँ लेते हैं। वह कहने लगेः ऐ भतीजे! मैं तुम्हें एक हदीस बयान करता हूँ। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में उन वादियों में से एक वादी में अपनी बक़रियों के साथ था कि मेरे पास दो आदमी आये जो ऊँट पर सवार थे। उन्होंने मुझ से कहाः हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ से आप के पास आये हैं ताकि आप अपनी बकरियों की ज़कात दे दें। मैंने पूछाः मुझ पर उन में से क्या वाजिब है? उन्होंने कहाः एक बकरी। तो मैं ने एक बक्री लेने का इरादा किया जो दूध और चर्बी से लदी हुयी थी। मैं उसे उन की तरफ़ निकाल कर ले आया तो वह कहने लगेः यह तो हमल से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमल वाले जानवर को लेने से मना फ़रमाया है। मैंने कहाः आप लोग किस प्रकार की कुबूल करेंगे? कहने लगेः एक साल की भेड़ या बकरी जो दूसरे साल में जा लगी हो, या दो साल की जो तीसरे साल में जा लगी हो। अब मैं एक भेड़ ले आया जो मोटी ताज़ी थी और हमल से नहीं थी......... "मोतात" वह बकरी है जो हमल से न हो, मगर उस उम्र को पहुँच चुकी हो......वह मैं उन के लिये निकाल लाया तो उन्होंने कहाः यह हमें दे दो। तो उन्होंने उस को अपने साथ ऊँट पर रख लिया और चल दिये।

1582:— ज़करिया बिन इस्हाक़ ने अपनी सनद से यह हदीस बयान की और रावी का नाम मुस्लिम बिन शोबा ज़िक्र किया (न कि मुस्लिम बिन सुफ़ना) उस में ज़िक्र किया कि "शाफ़े" उस को कहते हैं कि जिस के पेट में बच्चा हो। इमाम अबू दावूद ने कहाः ....

1583:— उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि० ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ को सदक़ा वसूल करने के लिये भेजा तो मैं एक व्यक्ति के पास पहुँचा..........

1584:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मआ़ज़ रज़ि० को यमन भेजा और फ़रमायाः तुम एक ऐसी क़ौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब है। उन्हें लाइला-ह-इल्लल्लाह की दावत देना और इस बात की भी कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर वह तुम्हारी यह बात मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर हर दिन रात में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वह यह भी मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर उन के मालों में ज़कात फ़र्ज़ की है जो उन के मालदारों से लेकर उन के फ़क़ीरों में बाँटी जायेगी। अगर वह यह

बात मान लें तो उन के अच्छे मालों में से प्रहेज़ करना। और मज़लूम की बद्दुआ से बचना क्योंकि उस की दुआ और अल्लाह के दर्मियान कोई पर्दा नहीं होता।

1585:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ज़कात वसूल करने में ज़्यादती करने वाला उसी तरह है जैसे कि ज़कात न देने वाला।

फ़ाइदा:— यानी ज़कात की वसूली करने वाला ज़कात लेने में ज़ुल्म करता हो तो उस का गुनाह ऐसे हैं जैसे ज़कात न देना।

बाब {तहसीलदार को राज़ी करने का बयान।}

1586:— बशीर बिन खसासिय्या रज़ि॰ से रिवायत है इब्ने उबैद अपनी रिवायत में कहते हैं कि उन का नाम पहले बशीर न था बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह नाम रखा था। वह बयान करते हैं कि हम ने कहाः सदक़ा की वसूली करने वाले तहसीलदार हम लोगों पर ज़्यादती करते हैं तो क्या जितनी वह ज़्यादती करें हम अपना माल छुपा लिया करें? आप ने फ़रमायाः नहीं।

1587:— अय्यूब ने भी अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की है लेकिन उन्होंने कहा कि हम ने कहाः ऐ अल्लाह के संदेष्टा! ज़कात वसूल करने वाले कारिन्दे ज़्यादती करते हैं।

1588:— अ़ब्दुर्रहमान बिन जाबिर बिन अ़तीक़ अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बहुत जल्द तुम्हारे पास कुछ बुरे लोग आयेंगे। जब वह तुम्हारे पास आयें तो उन्हें स्वागत करना और वह जो लेना चाहें उन के दर्मियान रुकावट न बनना। अगर उन्होंने न्याय से काम लिया तो उन्हें इस का सवाब मिलेगा। और अगर जुल्म किया तो उस की सज़ा भुगतेंगे। तुम उन्हें राज़ी रखना, बिला शुब्हा तुम्हारी ज़कात की तकमील उन को राज़ी रखने में है। और उन्हें चाहिये कि तुम्हारे लिये भलाई की दुआ करें।

1589:— जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास कुछ देहाती लोग आये और उन्होंने कहाः कुछ तहसीलदार हमारे पास आते हैं और हम पर जुल्म करते हैं। आप ने फ़रमायाः अपने सदक़ा वसूल करने वालों को राज़ी रखो। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! चाहे वह हम पर अत्याचार करें? आप ने फ़रमायाः अपने ज़कात वसूल करने वालों को राज़ी रखो।

उस्मान (बिन अबू शैबा) ने इतना और इज़ाफ़ा किया कि "अर्गचे तुम पर ज़्यादती की जाये।"

फ़ाइदा:— राज़ी करना इसी सूरत में है कि जब वह हक़ माँगे तो उसे दे दिया जाये और उस के साथ नेक मामला किया जाये।

बाब {ज़कात देने वालों को दुआ़ देना।}

1590:— अ़ब्दुल्लाह बिन औफ़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि मेरे पिता जी उन लोगों में से थे जिन्होंने

पेड़ के नीचे बैअ़त की थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के यहाँ जब भी कोई क़ौम अपनी ज़कात लेकर आती थी तो आप उसे यूँ दुआ़ देते थेः ऐ अल्लाह! फ़लाँ की आल पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा (और उन्हें बर्कत दे) मेरे पिता जी भी अपनी ज़कात लेकर आप के पास पहुँचे तो आप ने फ़रमायाः ऐ अल्लाह! अबू औफ़ा के बाल बच्चों पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा (और उन्हें बर्कत दे)

बाब {माल की ज़कात कहाँ ली जायें?।}

1591:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः न "जलब" है और "जनब" से। और उन के मालों की ज़कात उन के घरों ही पर वसूल की जाये।

फ़ाइदा:— तहसीलदार के लिये जाइज़ नहीं कि ऐसी जगह अपना केन्द्र बनाए जहाँ मालिकों को अपने जानवर खींच कर ले जाने पड़ें और उन्हें कठिनाई उठानी पड़े।

1592:— मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने बयान किया कि "ला ज-ल-ब वला ज-न-ब" का यह अर्थ है कि "जानवरों की ज़कात उन के डेरों पर वसूल की जाये" (जलब यह है कि) उन्हें तहसीलदार के पास खींच कर न ले जाये। और "ज-नब" यह है कि जानवर वाले जानवरों को दूर भगा कर न ले जायें (इब्ने इस्हाक़ ने कहा कि) तहसीलदार के लिये जाइज़ नहीं कि वह ज़कात वालों के घरों से दूर जा बैठे और जानवरों को उस की तरफ़ आया जाये, बल्कि ज़कात उन की अपनी जगह पर ली जाये।

बाब {कोई अपनी ज़कात (सदक़ा में दिया हुआ माल) क़ीमत देकर ख़रीदना चाहे तो?}

1593:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने अल्लाह की राह में एक घोड़ा दिया, फिर देखा कि उसे बेचा जा रहा है तो उन्होंने उसे ख़रीद लेना चाहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस बारे में मालूम किया तो आप ने फ़रमायाः उसे मत ख़रीदो और अपना सदक़ा मत वापस लो।

फ़ाइदा:— नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन जहाँ यह बात न हो जैसे किसी तीसरे शख़्स से उसे ख़रीद लिया जाये, या वरासत में वह चीज़ उस के पास आ जाये तो दुरुस्त है।

बाब {गुलामों की ज़कात।}

1594:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः घोड़े और गुलाम में ज़कात नहीं, अल्बत्ता गुलाम की तरफ़ से सदक़-ए-फ़ित्र दिया जाये।

फ़ाइदा:— अगर ज़ाती काम काज के लिये हो तो ज़कात नहीं, लेकिन तिजारत के लिये हो तो ज़कात देनी चाहिये।

1595:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

मुसलमान पर उस के गुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं।

बाब {खेती में ज़कात।}

1596:— सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह अपने पिता जी से नक़ल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो खेतियाँ पानी से सैराब होती हों, या दरिया, चश्मे, या ज़मीन की तरी से तो उन में दस्वाँ हिस्सा है। और जो ऊँट से (रहट द्वारा) सींची जाती हों, या जिन की सींचाई की जाती हो तो उन में बीसवाँ हिस्सा है।

1597:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो ज़मीन दरिया से सैराब होती हो, या चश्मों सेतो उन में दस्वाँ हिस्सा है। और जिन को ऊँट द्वारा (रहट से) सींचा जाता हैं उन में बीसवाँ हिस्सा है।

1598:— वकीअ़ ने बयान किया कि "अल् बालुल् कबूस" से मुराद वह खेती है जो वर्षा से सैराब होती हो।

1599:— मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे यमन का गर्वनर बना कर भेजा तो फ़रमायाः ग़ल्ले से ग़ल्ला, बकरियों से बकरी, ऊँटों से ऊँट और गायों से गाय वसूल करना।

1600:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि बनी मुतआ़न का एक आदमी हलाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में अपनी शहद की ज़कात लेकरआया और आप से कहा कि "स-ल-बह" की वादी उस के नाम कर दीजिये। चुनान्चे आप ने उस के नाम कर दी। जब उमर रज़ि॰ ख़लीफ़ा बने तो सुफ़यान ने तहरीर लिख कर उन से पूछा तो उन्होंने लिखा कि अगर वह अपने शहद का वही उश्र देता रहे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देता था तो "स-ल-ब" की वादी उसी के नाम रहने दो, वर्ना यह शहद की मख़्खियाँ हैं जो चाहे (उन का शहद) खाये।

फ़ाइदा:— शहद में ज़कात है या नहीं? इस में इख़्तिलाफ़ है। लेकिन इस हदीस की रोशनी में एहतियात इसी में है कि ज़कात निकाली जाये।

1601:— अ़म्र बिन शुअ़ैब अपेन पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि शबाबा, बनी फ़हम के ज़मीनदार थे (शबाबा छोटी बेरादरी का नाम है और फ़हम बड़े क़बीले का) और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया (मोग़ीरा के वालिद ने) कहाः शहद की दस मश्क में से एक मशक उश्र दी जाये। (उमर रज़ि॰ के गर्वनर) सुफ़यान बिन अ़ब्दुल्लाह ने ज़िक्र किया कि मेरे नाम वादियाँ लिख दी गयी थीं (जबकि अ़म्र बिन हारिस ने एक वादी का ज़िक्र किया है) अ़ब्दुर्रहमान ने मज़ीद कहाः चुनान्चे वह लोग वहीं कुछ अ़दा करते रहे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को दिया करते थे। और यह वादियाँ उन्हीं के नाम रहीं।

1602:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि क़बीला फ़हम

का एक गरोह......इस केबाद मोग़ीरा की हदीस की तरह बयान किया और कहा: दस मशक में एक मशक (देते थे) और दोनों वादियाँ उन्हीं के नाम मख़्सूस थीं।

बाब {पेड़ पर अन्गूरों का अनुमान लगाना।}

1603:— इमाम ज़ोहरी ने सअ़ीद बिन मुसय्यिब से, उन्होंने अ़त्ताब बिन उसैद रज़ि॰ से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अन्गूर के कच्चे फल का अन्दाज़ा लगाया जाये जैसे कि खजूरों का लगाया जाता है और उन की ज़कात किशमिश की सूरत में वसूल की जाये, जैसे कि खजूरों में सूखी खजूर की सूरत में ली जाती है।

1604:— मुहम्मद बिन स्वालेह तम्मार ने इब्ने शिहाब से उन की सनद से ऊपर की हदीस के हम माना बयान किया।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों हदीसें ज़अ़ीफ़ हैं। चूँकि अन्गूर, खजूर बग़ैर फल आहिस्ता-आहिस्ता पकते हैं और तोड़ कर इस्तेमाल होते हैं इसलिये इन में उश्र का यह नियम है कि तजरुबा रखने वाले से अन्दाज़ा लगवाया जाये जो पेड़ को देख कर उसके फल को देख कर बता दें कि तय्यार होने पर इतना पैदा होगा। फिर अनुमान लगाये गये वज़न में से तिहाई या चौथाई छोड़ कर बाकी पर उश्र लागू किया जायेगा। (इरवाउल ग़लील)

बाब {पेड़ पर फलों का अनुमान लगाना।}

1605:— अ़ब्दुर्रहमान बिन मस्ऊद ने बयान किया कि सह्ल बिन अबू हस्मा रज़ि॰ हमारी मज्लिस में आये और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें आदेश दिया था कि जब तुम पेड़ पर फलों का अनुमान लगा लो तो तुम उन का फल उतार सकते हो और अन्दाज़ा किये हुये फल से तीसरा हिस्सा छोड़ दिया करो, वर्ना चौथा हिस्सा छोड़ दिया करो।

फ़ाइदा:— इस से यह फ़ाइदा है कि तिहाई या चौथाई छोड़ देने में कमी का शुब्हा नहीं रह जायेगा और मालिक चिन्ता मुक्त रहेगा।

बाब {खजूरों का अन्दाज़ा कब लगाया जाये।}

1606:— आइशा रज़ि॰ ने ख़ैबर के सिलसिले में ज़िक्र किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा को यहूदियों के पास भेजा करते थे और वह खजूर के फलों का अनुमान लगाया करते थे जबकि वह खूब तय्यार हो जाते, खाने के योग्य होने से पहले-पहले यह काम किया जाता।

बाब {सदक़ा और ज़कात में रद्दी फल देना नाजाइज़ है।}

1607:— अबू उमामा बिन सहल अपने पिता से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया था कि रद्दी खजूरें ज़कात में दी जायें।

1608:— औफ़ बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

हमारे पास मस्जिद में तशरीफ़ लाये और आप के हाथ में लाठी थी। किसी ने मस्जिद में रद्दी खजूर का गुच्छा लटका दिया था तो आपने अपनी लाठी से उस में ठोकर दिया और फ़रमायाः यह सदक़ा करने वाला इस से उम्दा भी सदक़ा कर सकता था। और फ़रमायाः यह शख़्स क़ियामत के दिन रद्दी खजूरें ही खायेगा।

फ़ाइदा:— अगर वही पैदा हुयी है तो कोई बात नहीं, जो खाओ वही खिलाओ, ताहम दूसरों को अच्छी चीज़ देने की कोशिश करनी चाहिये।

बाब {सदक़–ए–फ़ित्र के अहकाम व मसाइल।}

1609:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सदक़–ए–फ़ित्र को फ़र्ज़ क़रार दिया ताकि रोज़े के लिये बेहूदा कामों से पाकी हासिल हो जाये और ग़रीबों को खाना भी मिल जाये। चुनान्चे जिस ने उसे नमाज़ (अ़ीद) से पहले–पहल अ़दा कर दिया तो यह ऐसी ज़कात है जो क़ुबूल कर ली गयी। और जिस ने उसे नमाज़ के बाद अ़दा किया तो यह आम सदक़ात में से एक सदक़ा है।

बाब {सदक़–ए–फ़ित्र कब दिया जाये।}

1610:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें सदक़–ए–फ़ित्र के बारे में हुक्म दिया कि इसे लोगों के अ़ीद की नमाज़ के लिये जाने से पहले अ़दा कर दिया जाये। (इमाम नाफ़े ने) कहा कि इब्ने उमर रज़ि॰ इसे अ़ीद से एक–दो दिन पहले ही अ़दा कर दिया करते थे।

1611:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रमज़ान में सदक़–ए–फ़ित्र फ़र्ज़ फ़रमाया, इस प्रकार कि हर मुसलमान आज़ाद, गुलाम, मर्द और महिला की तरफ़ से खजूर या जौ एक साअ़ा दिया जाये।

फ़ाइदा:— एक साअ़ा लगभग ढाई किलो ग्राम का होता है।

1612:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सदक़–ए–फ़ित्र एक साआ मुक़र्रर फ़रमाया और ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया और इतना और इज़ाफ़ा किया कि छोटे–बड़े की तरफ़ से दिया जाये। और यह हुक्म दिया कि लोगों के नमाज़ के लिये निकलने से पहले दिया जाये।

1613:— इब्ने उमर सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सदक़–ए–फ़ित्र को फ़र्ज़ किया एक साअ़ा जौ या खजूर, जो हर छोटे–बड़े, आज़ाद, गुलाम पर वाजिब है। मूसा बिन इस्माअ़ील ने "मर्द और महिला" का शब्द भी कहा है।

1614:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में जौ, खजूर बिना छिलके के जौ या किशमिश में से एक–एक साअ़ा सदक़ा–ए–फित्र अ़दा किया करते थे। इमाम नाफ़े ने कहा कि इब्ने उमर ने बयान किया कि जब उमर रज़ि॰ का ज़माना

आया और गेहूँ की बहुतात हो गयी तो उन्होंने उन चीज़ों के एक साअ़ा की जगह गेहूँ का आधा साअ़ा मुक़र्रर कर दिया।

फ़ाइदा:— उमर रज़ि॰ ने ऐसा नहीं किया बल्कि मुआ़विया रज़ि॰ ने किया, यहाँ रावी को धोखा हुआ है। आधा साआ पर सहाबा का इत्तिफ़ाक़ कभी नहीं रहा है इसलिये इसे हुज्जत नहीं बनाया जा सकता। इसलिये बेहतर है कि एक साअ़ा गेहूँ या कुछ और दिया जाये।

1615:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर लोग आधा साअ़ा गेहूँ देने लगे। उन्होंने कहा कि अ़ब्दुल्लाह खजूर दिया करते थे, मगर एक साल मदीना वालों को खजूर की तंगी आ गयी तो उन्होंने जौ दिये।

1616:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे दर्मियान मौजूद थे तो हम हर छोटे-बड़े, आज़ाद और गुलाम की तरफ़ से सदक़-ए-फ़ित्र में खाना, पनीर, जौ, किशमिश या खजूर में से किसी एक को एक साअ़ा दिया करते थे, और हम यह इसी प्रकार देते रहे यहाँ तक कि मुआ़विया रज़ि॰ हज्ज या उम्रा के लियेआये तो मिंबर पर लोगों को खुत्बा दिया। फिर और बातों के साथ यह भी कहा कि मैं समझता हूँ कि शाम के गेहूँ के दो मुद (आधा साअ़ा) खजूर के एक साअ़ा के बराबर है। चुनान्चे लोगों ने उन की बात ले ली। इस पर अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ ने कहाः मैं तो जब तक ज़िन्दा हूँ एक साअ़ा ही देता रहूँगा।

1617:— मुसद्दद ने भी इस्माईल के वास्ता से रिवायत किया है, लेकिन "गेहूँ" का ज़िक्र नहीं है।

1618:— अ़याज़ कहते हैं कि मैंने अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ को बयान करते सुना कि मैं तो हमेशा एक ही साअ़ा देता रहूँगा। हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में खजूद, जौ, पनीर या किशमिश में से एक साअ़ा ही दिया करते थे। यह रिवायत यहया की है। सुफ़यान की रिवायत में "एक साअ़ा आटा" का भी ज़िक्र है। हामिद ने कहा कि हदीस के उलमा ने इस इज़ाफ़े का इन्कार किया तो सुफ़यान ने इसे बयान करना छोड़ दिया।

बाब {उन लोगों की दलील जो गेहूँ का आधा साअ़ा बयान करते हैं।}

1619:— अ़ब्दुल्लाह बिन सालबा या सालबा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबू सुऐर अपने वालिद से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर छोटे, बड़े, आज़ाद, गुलाम, मर्द और अ़ौरत की तरफ़ से एक साअ़ा गन्दुम है। चुनान्चे जो तुम में से मालदार है तो अल्लाह उसे पाक कर देगा और जो फ़क़ीर है तो अल्लाह उसे उस से ज़्यादा देगा जो उस ने दिया।

फ़ाइदा:— एक साअ़ा और आधा साअ़ा केलिये हदीस न॰ 1616 का फ़ाइदा पढ़ें।

1620:— अ़ब्दुल्लाह बिन सालबा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम खुत्बे के लिये खड़े हुये तो आप ने सदक़-ए-फ़ित्र का हुक्म दिया कि हर फ़र्द की तरफ़ से एक साअ़ा खजूर, या एक साअ़ा जौ दिया जाये। अ़ली की रिवायत में इतना इज़ाफ़ा है कि "या दो लोगों की तरफ़ से एक साअ़ा गन्दुम का दिया जाये".......इस हिस्से से बाद की रिवायत में

(अ़ली बिन हसन और मुहम्मद बिन यहया नेशापुरी) दोनों मुत्ताफ़िक़ हैं कि छोटे, बड़े आज़ाद और गुलाम की तरफ़ से दिया जाये।

***1621*:**— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ीदुल फ़ित्र से दो दिन पहले लोगों को खुत्बा दिया.....और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

***1622*:**— हसन बसरी ने बयान किया कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने रमज़ान के आख़िर में बसरा में मिंबर पर खुत्बा दिया और कहाः अपने रोज़ों का सदक़ा अ़दा करो, तो लोगों को उन की बात समझ में न आयी तो उस ने कहाः अहले मदीना में से यहाँ कौन है? उठो और अपने भाइयों को समझाओ। यह नहीं जानते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सदक़-ए-फ़ित्र फ़र्ज़ फ़रमाया है कि हर आज़ाद, गुलाम, मर्द, महिला, छोटे और बड़े की तरफ़ से खजूर या जौ में से एक साअ़ा दिया जाये, या गेहूँ का आधा साअ़ा......और जब अ़ली रज़ि॰ तशरीफ़ लाये और उन्होंने सस्ताई देखी तो फ़रमायाः अल्लाह पाक ने तुम पर कुशादगी दी है सो अगर तुम हर चीज़ से एक साअ़ा ही दिया करो। (तो अफ़्ज़ल और बेहतर है)

***फ़ाइदा*:**— आधे का सबूत गन्दुम (गेहूँ) के लिये है और यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाद में बनाया गया है, इसलिये अ़मल एक साअ़ा पर ही होगा।

बाब {ज़कात जल्दी देना।}

***1623*:**— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ को ज़कात की वसूली के लिये भेजा तो इब्ने जमील, ख़ालिद बिन वलीद और अ़ब्बास ने ज़कात नहीं दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इब्ने जमील तो इस बात का बदला लेता है कि फ़क़ीर था तो अल्लह ने उसे मालदार कर दिया है। रहे ख़ालिद, तो तुम उन पर जुल्म करते हो, उस ने तो अपनी ज़िरहें और दीगर सामान अल्लाह की राह में दे दिया है। और रहे अ़ब्बास, सो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के चचा हैं, उन की ज़कात मेरे ऊपर है, बल्कि उतना और भी। फिर फ़रमायाः क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन्सान का चचा उस के पिता के समान होता है।

***फ़ाइदा*:**— कुछ उलमा का कहना है कि यह नफ़ली ज़कात का मामला था, लेकिन बुख़ारी-मुस्लिम की रिवायत में फ़र्ज़ ज़कात साबित है। ख़ालिद पर तो ज़कात ही नहीं लाज़िम थी, अ़ब्बास रज़ि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम दो साल की ज़कात पेशगी ले चुके थे (दारुक़ुतनी, मुस्नद बज़्ज़ार, अबू दावूद तयालसी) इस से मालूम हुआ कि पेशगी ज़कात निकाली जा सकती है।

***1624*:**— अ़ब्बास रज़ि॰ ने नबी क़रीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मालूम किया कि क्या सदक़ा (ज़कात) लाज़िम होने से पहले उसे अ़दा किया जा सकता है? तो आप ने उन्हें इस की इजाज़त दे दी (रावी ने) एक बार यूँ रिवायत कियाः "फ़-अज़ि-न लहू फ़ी ज़ालि-क"

बाब {क्या एक शहर की ज़कात दूसरे शहर में भेजी जा सकती है?}

1625:— इब्राहीम बिन अ़ता के वालिद से रिवायत है कि ज़ियाद ने या किसी और अमीर ने इम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ को सदक़ा (ज़कात) वसूल करने के लिये मुक़र्रर किया। जब वह वापस आये तो अमीर ने इम्रान रज़ि॰ से पूछाः माल कहाँ है? उन्होंने उत्तर दियाः क्या आप ने मुझे माल (जमा करने) के लिये भेजा था? हम ने ज़कात वसूल की जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में लिया करते थे और वहाँ लगा दिया जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में लगाया करते थे।

फ़ाइदा:— नियम तो यही है कि जिस नगर से ज़कात ली जाये उस के ग़रीबों में बाँट दी जाये। लेकिन अगर दूसरे नगर में अधिक मजबूर लोग हों तो उन्हें भी देना जाइज़ है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में चारों तरफ़ से ज़कात जमा की जाती थी और मदीना लायी जाती और मदीना वालों को भी दी जाती थी।

बाब {सदक़ा किसे दिया जाये? और मालदार होने की हद (सीमा) क्या है?}

1626:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो आदमी माँगे, हालाँकि उस के पास ज़रुरत भर की मौजूद हो तो क़ियामत के दिन इस हाल में आयेगा कि उस का मुँह घायल होगा, या उस पर खरोंच की निशानी होगी, या नोचा हुआ होगा। कहा गयाः ऐ अल्लाह के रसूल! मालदार होने की क्या सीमा है? आप ने फ़रमायाः पचास दिर्हम या इस क़ीमत का सोना।

फ़ाइदा:— पचास दिर्हम , 13 तौला चाँदी के बराबर हुआ। इस हिसाब से चाँदी की क़ीमत जोड़ी जा सकती है।

1627:— बनी असद के एक शख़्स ने बयान किया कि मैं और मेरे घर वालों ने मदीना के क़ब्रस्तान (ग़र्क़द) के पास पड़ाव डाला तो मेरे घर वालों ने मुझ से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जाओ और कुछ माँग लाओ ताकि कुछ खा पी सकें। फिर वह अपनी ज़रुरत गिनाने लगे। चुनान्चे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो वहाँ एक शख़्स को पाया जो आप से कुछ माँग रहा था और आप फ़रमा रहे थेः मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जो तुम्हें दूँ। फिर वह आदमी पीठ फेर कर चला गया, वह नाराज़ था और कह रहा था कि मेरी उम्र की क़सम! आप जिसे चाहते हैं दे देते है। यह सुन कर आप ने फ़रमायाः यह इसलिये नाराज़ हो रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं उसे दूँ। तुम में से जब कोई सवाल करता है, हालाँकि उस के पास 40 दिर्हम या उस के बराबर कुछ हो तो उस ने माँगा तो बेजा माँगा। उस क़बीला बनी असद के शख़्स ने बयान किया कि मैंने कहाः हमारी ऊँटनी तो एक ऊक़िया से कहीं ज़्यादा क़ीमत की है....और एक ऊक़िया चालीस दिर्हम का होता है। उस ने बयान किया कि चुनान्चे मैं लौट आया और आप से कुछ न माँगा। इस के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जौ और किशमिश आ गयी तो आप ने उस में से हमें भी दिया.....या

इसी प्रकार कहा.....यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने भी हमें मालदार कर दिया।

1628:— अबू सओ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स माँगे हालाँकि उस के पास एक ऊक़िया (चालीस दिंहम) के बराबर हो तो उस का माँगना बेजा है। मैंने कहाः मेरी याकूता ऊँटनी एक ऊक़िया से बहुत बेहतर है। हिशाम की रिवायत में है कि उस ने कहाः मेरी ऊँटनी चालीस दिंहम से भी क़ीमती है। चुनान्चे मैं लौट आया और आप से कुछ न माँगा। हिशाम की रिवायत में इतना और इज़ाफ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक ऊक़िया चालीस दिंहम का होता था।

1629:— सहल बिन हनज़लिय्या रज़ि॰ बयान करते हैं कि उयैना और अक़रा बिन हाबिस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये और आप से माँगा तो आप ने उन्हें देने का हुक्म दिया। और मुआ़विया रज़ि॰ से फ़रमाया कि उन्हें एक तहरीर लिख कर दे दो। मुआ़विया ने उन दोनों को जो उन्होंने माँगा था लिख कर दे दिया। अक़रा ने उसे लेकर अपनी पगड़ी में लपेट कर रख लिया और चलता बना। मगर उयैना वह पत्र लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गया और कहने लगाः ऐ मुहम्मद! आप का क्या ख़याल है कि मैं ....की तरह ख़त लेकर अपनी क़ौम के पास चला जाऊ, ना मालूम इस में क्या है? मुआ़विया रज़ि॰ ने उस की तफ़सीर आप के सामने कर दी, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स माँगता है, हालाँकि उस के पास काम भर का मौजूद है तो वह अपने लिये आग ही का इज़ाफ़ा करता है। नुफ़ैली ने दूसरी जगह कहा है कि "वह जहन्न्म के अन्गारे भरता है।" लोगों ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह क्या तादाद है जो इन्सान को काफ़ी करती है? आप ने फ़रमायाः जिस के पास सुब्ह-शाम का खाना मौजूद हो, या जिस के पास दिन और रात के लिये पेट भर का खाना मौजूद हो।

1630:— ज़ियाद बिन हारिस ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप से बैअ़त की.....और लंबी हदीस बयान की......और कहाः एक व्यक्ति आप के पास आया और कहने लगाः मुझे सदक़ा में से कुछ दीजिये तो आप ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने सदक़ा को तक़सीम करने का मामला नबी या किसी और की पसन्द पर नहीं छोड़ा है बल्कि उस के बारे में खुद ही फ़ैसला फ़रमाया है और उन्हें आठ प्रकार के लोगों में बाँट दिया है। अगर तुम उन में से हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा हक़ देता हूँ।

1631:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मिस्कीन वह नहीं जिसे एक खजूर-दो खजूर और एक लुक़्मा या दो लुक़्मा पलटा दें, बल्कि मिस्कीन वह है जो लोगों से माँगता न हो और न लोगों को उस के बारे में अन्दाज़ा हो कि उसे दें।

1632:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः .... और ऊपर की तरह हदीस बयान की और फ़रमायाः मिस्कीन तो वह है जो सवाल से बचता हो और पाक हो.....मुसद्दद ने अपनी रिवायत में इतना और ज़्यादा किया कि उस के पास

इतना न हो जो उस के लिये काफ़ी हो.....और वह लोगों से माँगता भी न फिरे, और न लोगों को उस की ग़रीबी का पता हो कि लोग उसे सदक़ा दें। इस प्रकार के आदमी को "महरुम" कहा जाता है।

1633:— उबैदुल्लह बिन अ़दी ने बयान किया कि मुझे दो आदमियों ने बताया कि वह दोनों अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये उस समय आप सदक़ा बाँट रहे थे। उन दोनों ने भी आप से माँगा तो आप ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, आप ने पाया कि हम ताक़तवार हैं तो फ़रमायाः अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे दूँ, मगर (हक़ीक़त यह है कि) इस में मालदार और ताक़त रखने वाले, कमा कर खाने वाले के लिये कोई हिस्सा नहीं।

1634:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सदक़ा किसी ग़नी के लिये हलाल नहीं और न किसी ताक़तवार और तन्दुरुस्त के लिये।

बाब {उन लोगों का बयान जिन्हें मालदार होते हुये भी सदक़ा लेना जाइज़ है।}

1635:— अ़ता बिन यसार (ताबअ़ी) से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पाँच हालतों के अ़लावा किसी मालदार के लिये सदक़ा हलाल नहीं। (1) अल्लाह की राह में जिहाद पर हो (2) सदक़ा वसूली करने वाला हो (3) चुटी (तावान) भरने वाला हो (4) जो अपने माल से सदक़ा की चीज़ ख़रीद ले (5) वह आदमी जिस का पड़ोसी मिस्कीन हो, उस को सदक़ा दि या गया तो उस ने उस मालदार को हदिया कर दिया हो।

1636:— अ़ता बिन यसार अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ....और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

1637:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सदक़ा किसी मालदार के लिये हलाल नहीं मगर यह कि वह अल्लाह की राह में (मुजाहिद) हो, या मुसाफ़िर हो, या किसी पड़ोसी फ़क़ीर को सदक़ा दिया गया और उस ने तुम्हें हदिया कर दिया या तुम्हारी दावत ले ली।

बाब {एक आदमी को ज़कात से कितना दिया जाये?।}

1638:— सहल बिन अबू हस्मा अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस को सदक़ा के ऊँटों से दियत अ़दा की। यानी उस अन्सारी की दियत जो ख़ैबर में क़त्ल कर दिया गया था।

फ़ाइदा:— सहाबी के क़त्ल की तफ़सील आगे आ रही है।

बाब {किस सूरत में सवाल करना जाइज़ है?}

1639:— समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सवाल करना अपने आप को नोचना है, इस से इन्सान अपना चेहरा छीलता और नोचता है।

चुनान्चे वह चाहे अपने चेहरे की इज़्ज़त बाक़ी रखे या बर्बाद कर दे। ताहम अगर कोई बादशाह से माँगे या बहुत लाचार हो जाये तो कोई हरज नहीं।

1640:— क़ुबैसा से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक मर्तबा मैं किसी का ज़ामिन बन गया, फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप ने फ़रमायाः क़ुबैसा! ज़रा ठहरे रहो, हो सकता है हमारे पास कोई सदक़ा आ जाये और हम उस में से तुम्हें देने का हुक्म दे दें। फिर आप ने फ़रमायाः ऐ क़ुबैसा! सवाल करना हलाल नहीं, मगर तीन में से एक के (1) किसी ने कोई ज़मानत ली हो तो उस के लिये प्रश्न करना जाइज़ है ताकि अपनी ज़रुरत पूरी कर ले (2) दूसरा वह आदमी कि उस पर कोई ऐसी आफ़त या मुसीबत आन पड़ी जिस ने उस का माल तबाह कर दिया तो ऐसे शख़्स के लिये सवाल करना जाइज़ है यहाँ तक कि गुज़र-बसर करने के लाइक़ अपनी ज़रुरत प्राप्त कर ले। (3) और तीसरा वह आदमी जिसे हद दर्जा ज़रुरत ने आ लिया हो, और उस की क़ौम के तीन लोग गवाही दे दें कि फ़लाँ लाचार हो गया है तो उसे भी सवाल करना हलाल है। इन तीन सूरतों को छोड़ कर सवाल करना हराम है, और माँगने वाला हराम खाता है ऐ क़ुबैसा!

1641:— असन बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि एक अन्सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया वह कुछ माँग रहा था आप ने फ़रमायाः क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं है? कहने लगाः क्यों नहीं, एक कमली है जिस का एक हिस्सा ओढ़ लेते हैं और कुछ बिछा लेते हैं, एक पियाला भी है जिस से पानी पीते हैं। आप ने फ़रमायाः यह दोनों चीज़ें ले आओ। वह ले आया तो आप ने उन्हें अपने हाथ में लेकर फ़रमायाः इन्हें कौन ख़रीदता है? एक व्यक्ति ने कहाः उन्हें मैं एक दिंहम में ले रहा हूँ। आप ने फ़रमायाः एक से अधिक कौन देगा? आप ने दो या तीन बार फ़रमाया तो दूसरे ने कहाः मैं उन के दो दिंहम देता हूँ। आप ने उसे दोनों चीज़ें बेच दी और वह दो द्रिहम उस अन्सारी को दे दिया और फ़रमायाः एक दिंहम का खाना ख़रीद कर उसे घर दे आओ और दूसरे दिंहम से कुल्हाड़ी ख़रीद कर मेरे पास ले आओ। चुनान्चे वह ले आया तो आप ने उस में अपने हाथ से दस्ता ठोंक दिया और फ़रमायाः जाओ, लकड़ियाँ काटो और बेचो और 15 दिन तक मैं तुम्हें न देखूँ। चुनान्चे वह शख़्स चला गया और लकड़ियाँ काट कर बेचता रहा। फिर आप के पास आया, उस को दस दिंहम मिल चुके थे जिस में से कुछ का कपड़ा ख़रीदा और कुछ से खाने-पीने की चीज़ें। यह देख कर आप ने फ़रमायाः यह उस से कहीं बेहतर है कि माँगने से तेरे चेहरे पर दाग़ के निशान हों। माँगना केवल तीन आदमियों के लिये जाइज़ है (1) जो बहुत अधिक फ़क़ीर हो और मुहताज हो (2) या क़र्ज़दार हो (3) या दियत लाज़िम हो उस के लिये।

बाब {माँगने और सवाल करने की बुराई।}

1642:— औफ़ बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में सात, या आठ या नौ लोग थे कि इसी बीच नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या तुम अल्लाह के रसूल से बैअ़त नहीं कर लेते? हालाँकि हम लोग अभी ताज़ा-ताज़ा बैअ़त कर चुके थे। हम ने कहाः हम लोग तो बैअ़त कर चुके हैं। मगर आप ने अपनी बात तीन बार दोहराई तो हम लोगों ने भी अपने हाथ बढ़ा दिये और आप से बैअ़त की। एक शख़्स ने कहाः ऐ अल्लाह केर सूल! हम पहले ही आप से बैअ़त कर चुके हैं तो अब किस बात पर बैअ़त करें? आप ने फ़रमायाः इस बात पर गवाही दो कि अल्लाह ही की इबादत करोगे, उस के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, पाँचों वक़्त की नमाज़ें पढ़ोगे और (शरीअ़त के अहकाम और अमीर की बात) सुनोगे और मानोगे। और एक बात आहिस्ता से फ़रमाईः "लोगों से कुछ नहीं माँगोगे।" उन्होंनगे बयान किया कि फिर उन लोगों का यह हाल था कि अगर किसी की कोई छड़ी गिर जाती तो वह किसी और से यह नहीं कहता था कि इसे उठा कर मुझे दे दो।

1643:— सौबान रज़ि॰ से रिवायत है, और यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के गुलाम और ख़ादिम थे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कौन है जो मुझे यह ज़मानत दे कि वह लोगों से कुछ नहीं माँगेगा तो मैं उस के लिये जन्नत की ज़मानत दूँ? सौबान रज़ि॰ ने कहाः मैं। चुनान्चे वह कभी किसी से कुछ न माँगा करते थे।

फ़ाइदा:— इस में इन्सान से न माँगना, गैरुल्लाह से न माँगना, सब मुराद है।

बाब {सवाल से बचने की फ़ज़ीलत।}

1644:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि अन्सार के कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सवाल किया तो आप ने उन को दिया। उन्होंने फिर सवाल किया तो आप ने और दिया, यहाँ तक कि जो कुछ आप के पास था सब समाप्त हो गया, तो आप ने फ़रमायाः मेरे पास जो भी माल होगा वह मैं तुम से हर्गिज़ बचा कर नहीं रखूँगा। और जो सवाल करने से बचेगा अल्लाह पाक उसे बचाएगा। जो ग़िना (माँगनेसे प्रहेज़) करेगा अल्लाह उस को ग़नी बना देना। और जो कोई सब्र करेगा, अल्लाह पाक उसे साबिर बना देगा, और सब्र से बढ़ कर कोई ऐसी नेमत कुशादा नहीं है जो अल्लाह ने किसी को दी हो।

1645:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसे अहम ज़रुरत आन पड़े और उस ने उसे लोगों पर पेश कर दिया तो उस की वह ज़रुरत दूर न होगी। अल्बत्ता जिस ने उसे अल्लाह परे पेश किया तो बहुत जल्द अल्लाह तआ़ला उसे बेपर्वा कर देगा। या तो जल्दी ही मौत आ जायेगी (और दुनिया के झमेलों से जान छूट जायेगी) या जल्द ही मालदार हो जायेगा (और किसी की हाजत नहीं रहेगी)

1646:— फ़ारसी रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं सवाल कर लिया करुँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नहीं, अगर माँगना ही हो तो नेक बन्दों से सवाल कर लिया करो।

1647:— इब्ने साअ़दी रज़ि॰ ने बयान किया कि उमर रज़ि॰ ने मुझे सदक़ा का तहसीलदार बना कर

भेजा। जब मैं उस काम को कर लाया और जमा होने वाले सदक़ात आप को पेश कर दिया तो उमर ने मुझे मज़दूरी देने का हुक्म दिया। मैंने कहाः (नहीं) मैंने यह काम अल्लाह के लिये किया है और मुझे अल्लाह सवाब देगा। उन्होंने फ़रमायाः जो तुम्हें दिया जा रहा है वह ले लो। मैंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में (इसी तरह का) काम किया था तो आप ने मुझे उस की मज़दूरी दी थी तो मैंने भी उसी तरह का उत्तर दिया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया थाः जब तुम्हें कोई चीज़ बिना माँगे दी जाये तो (ले लो और) खाओ और सदक़ा करो।

1648:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मिंबर पर फ़रमायाः जबकि आप सदक़ा और उस से बचने (की फ़ज़ीलत) और सवाल करने (की बुराई) बयान कर रहे थे, फ़रमायाः ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ ख़र्च करने वाला होता है और नीचे वाला हाथ सवाली (होता है)

1649:— मालिक बिन नज़ला रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हाथ तीन प्रकार के होते हैं। एक हाथ अल्लाह पाक का है जो सब से ऊपर है। दूसरा देने वाले का है जो उस के बाद है। और सवाली का हाथ सब से नीचे है, इसलिये जो ज़ाइद हो वह दे दो और अपने नफ़्स के सामने आ़जिज़ मत बनो (उस का कहा मत मानो)

बाब {बनी हाशिम को सदक़ा लेना देना कैसा है?}

1650:— इब्ने अबी राफ़े अबू राफ़े से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बनी मख़ज़ूम के एक शख़्स को सदक़ात के लिये मुक़र्रर किया। उस ने अबू राफ़े से कहाः मेरे साथ चलो, तुम्हें भी उस से हिस्सा मिलेगा। उस ने कहाः पहले मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास से हो आऊँ, और आप से पूछ लूँ। चुनान्चे वह आप की ख़िदमत में आया और आप से पूछाः तो आप ने फ़रमायाः क़ौम का आज़ाद किया हुआ गुनाम उन्हीं में से होता है, और हमारे लिये सदक़ा हलाल नहीं।

1651:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किसी गिरी-पड़ी खजूर के पास से गुज़रते तो उस को उठा लेने से सिर्फ़ इसलिये बचते कि कहीं सदक़े की न हो।

1652:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (किसी रास्ते में) एक खजूर पाई तो फ़रमायाः अगर मुझे यह डर न होता कि यह सदक़े की होगी तो में उसे खा लेता।

1653:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि मेरे पिता ने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में भेजा उन ऊँटों के सिलसिले में जो आप ने उन्हें सदक़ा से दिये थे।

1654:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत है (अबू उबैदा ने) इतना इज़ाफ़ा

किया कि......मेरे पिता जी ने मुझे भेजा कि आप उन ऊँटों को बदल दें।

बाब {फ़क़ीर सदक़े के माल में मालदार को हदिया देतो जाइज़ है।}

1655:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में माँस पेश किया गया तो आप ने पूछाः यह क्या है? कहने लगेः बरीरा को सदक़ा दिया गया था (यह उसी में से है) आप ने फ़रमायाः वह उस के लिये सदक़ा था और हमारे लिये हदिया है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि फ़क़ीर मिस्कीन सदक़े का मालिक बन जाने के बाद उस में मुकम्मल हक़ रखता है चाहे तो हदिया दे या ख़ैरात कर दे।

बाब {किसी ने सदक़ा दिया, फिर उस का वारिस बन गया (ते ले सकता है, जाइज़ है)}

1656:— बरीरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुयी और कहने लगीः मैंने अपनी माता जी को एक लौंडी सदक़ा में दी थी अब उन का देहान्त हो गया है। और वह लौंडी तर्का में छोड़ गयी हैं। आप नेफ़रमायाः तुम्हारा अज्र और सवाब साबित हो गया और वह लौंडी वरासत में तुम्हें लौट आई।

बाब {माल के हुक़ूक़ का बयान।}

1657:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में "माऊन" से मुराद यह लेते थेकि किसी को प्रयोग करने के लिये डोल दे दिया या हँड़िया दे दी।

1658:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो ख़ज़ाना का मालिक हो और उस का हक़ न अदा करता हो तो अल्लाह पाक क़ियामत के दिन उस माल को इस प्रकार कर देगा कि जहन्नम की आग से उसे तपाया जायेगा, फिर उस से उस (के मालिक की पेशानी, पहलू और कमर को दाग़ा जायेगा यहा तक कि अल्लाह पाक अपने बन्दों में फ़ैसला फ़रमायेगा उस दिन कि जिस दिन उस की लंबाई तुम्हारे शुमार से पचास हज़ार साल है, इस के बाद वह अपनी राह देखेगा जन्नत की तरफ़, या जहन्नम की तरफ़। और जो कोई बकरियों वाला उन का हक़ अ़दा न करता रहा था तो क़ियामत के दिन उन बकरियों को लाया जायेगा उस से ज़्यादा मोटी जितनी पहले थीं फिर उसे चटियल मैदान में औंधा कर के लिटा दिया जायेगा। फिर वह बकरियाँ उसे अपने सींगों से मारना और अपने खुरों से रौंदना शुरु करेंगी, और उन में सेकोई भी मुड़े हुये सींग वाली या बिना सींग वाली नहीं होगी। जूँ ही (उन का एक चक्र पूरा होगा और) अन्तिम बकरी गुज़रेगी, पहले वाली को उस पर लौटाया जायेगा यहाँ तक कि अल्लाह पाक अपने बन्दों के दर्मियान फ़ैसला फ़रमायेगा, उस दिन कि जिस की लंबाई तुम्हारे हिसाब से पचास हज़ार साल है। इस के बाद वह अपनी राह देखेगा जन्नत की तरफ़ या जहन्न्म की तरफ़। और जो कोई ऊँटों वाला उन का हक़ अदा न करता रहा था, तो क़ियामत के दिन उन्हें लाया जायेगा उस से अधि

ाक मोटा जितना कि पहले था, फिर मालिक को एक चटियल मैदान में औधाँ कर लिटा दिया जायेगा और फिर वह उसे अपने पैरों से रौंदना शुरु कर देंगे, जूँही (उन का एक चक्र पूरा होकर) अन्तिम ऊँट गुज़रेगा, पहले वाला ऊँट लौटा दिया जायेगा यहाँ तक कि अल्लाह पाक बन्दों के दर्मियान फ़ैसला फ़रमा देगा उस दिन कि जिस दिन की लंबाई तुम्हारे शुमार में पचास हज़ार साल है, फिर इस के बाद वह अपनी राह देखेगा, जन्नत की तरफ़ या जहन्न्म की तरफ़।

1659:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इसी प्रकार रिवायत किया है, और ऊँटों के बयान में जो ज़िक्र हुआ है कि "जो उन के हक़ अदा न करता रहा हो"...... के बाद कहा.......और उन के हक़ में से यह है कि जिस दिन उन्हें पानी पिलाने के लिये लाये उन का दूध दुहे।

फ़ाइदा:— पानी पिलाने के दिन मुहताज लोग आसरा लगा कर आते हैं कि आज दूध दुहने के बाद हमें भी दिया जायेगा। इसलिये उस दिन से पहले दूह लेना नाजाइज़ है।

1660:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से (ऊपर की घटना) की तरह सुना। शार्गिद ने अबू हुरैरा रज़ि॰ से पूछाः ऊँटनों का क्या हक़ है? उन्होंने कहाः तुम बेहतरीन ऊँट (अल्लह की रहम में) दो, अधिक दूध देने वाली ऊँटनी हदिया करो, कोई सवारी उधार दे दो, जोड़ा खिलाने के लिये नर दे दो, लोगों को दूध पिला दो।

1661:— उबैद बिन उमैर (ताबई़) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! ऊँटों का क्या हक़ है? फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया और कहाः डोल उधार दे देना।

1662:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने खजूरों का फल तोड़ने वाले सब लोगों को हुक्म दिया था कि जो कोई दस वसक़ खजूर काटे, वह एक ख़ोशा ग़रीबों के लिये मस्जिद में लटका दे।

1663:— अबू सई़द रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम एक सफर में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ निकले थे कि एक आदमी अपनी ऊँटनी पर सवार होकर आया और उसे अपने दायें-बायें घुमाने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फरमायाः जिस के पास कोई और सवारी हो वह उस व्यक्ति को दे दे जिस के पास सवारी नहीं है। और जिस के पास खाने से ज़ायद चीज़ हो वह उस व्यक्ति को दे दे जिस के पास तोशा न हो। (आप के इस आदेश से) हम ने यह समझा कि हमारे ज़ायद माल में हमारा कोई हक़ नहीं है।

फ़ाइदा:— ऊँटनी वाला ऊँटनी घुमा रहा था जो शायद थक गयी थी। उस ने ऐसा इसलिये किया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम देख कर दूसरी दिला दें।

1664:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि जब यह आयत "जो लोग सोना-चाँदी जमा करते हैं (सूरः तौबा 34) नाज़िल हुयी तो इस से मुसलमानों को भारी पन महसूस हुआ तो उमर रज़ि॰ ने कहाः मैं तुम्हारी मुश्किल दूर करता हूँ फिर वह सब आये और उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के नबी!

आप के सहाबा को यह आयत बहुत भारी महसूस हो रही है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक ने ज़कात फ़र्ज़ ही इसलिये की है तो इस से तुम्हारा बाक़ी माल पाक हो जाये। और वरासत इसलिये फ़र्ज़ की है कि तुम्हारे बाद वालों को मिले। इस पर उमर रज़ि॰ ने कहाः अल्लाहु अक्बर! फिर आप ने उस से फ़रमायाः क्या मैं तुम्हें सूचना न दूँ कि वह क्या बेहतरीन चीज़ है जो इन्सान ख़ज़ाना बनाता है? आप ने फ़रमायाः वह नेक पत्नी है जब उस की तरफ़ देखे तो उसे प्रसन्न कर दे, उसे कोइ बात कहे तो मान ले, और जब वह ग़ाइब हो तो उस (के घर, माल और अपनी इ़ज़्ज़त) की सुरक्षा करे।

बाब {सवाली का हक़।}

1665:— हुसैन बिन अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सवाली का हक़ है, चाहे वह घोड़ा ही पर सवार होकर आये।

1666:— हुसैन रज़ि॰ ने अपने पिता अ़ली से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से... ..ऊपर की हदीस की तरह बयान की।

1667:— उम्मे बुजैद रज़ि॰ से रिवायत है, और वह उन महिलाओं में से थीं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हाथ पर बैअ़त की थी। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की आप पर रहमतें नाज़िल हों, फ़क़ीर मेरे दवाज़े पर आ खड़ा होता है और मेरे पास उसे देने को कुछ नहीं होता जो मैं उसे दूँ? आप ने फ़रमायाः अगर तुम्हें उसे देने को कुछ न मिले और तुम्हारे पास बकरी का जला हुआ खुर ही हो तो वही उस के हाथ में दे दो। (कुछ न कुछ अवश्य ही दे दो, खाली हाथ न लौटाओ।)

बाब {ज़िम्मी को सदक़ा देना।}

1668:— अबू बक्र रज़ि॰ की पुत्री अस्मा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि क़ुरैश के साथ हुदैबिय्या के मुआ़हिदा के दिनों में मेरी माता जी मेरे पास (मदीना में) आयीं, जबकि वह इस्लाम को नापसन्द करती थीं और काफ़िर थीं। मैंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी माता जी मेरे घर आयी हैं और वह इस्लाम को नापसन्द करती हैं और मुश्रिक हैं तो क्या मैं उन के साथ अच्छा व्यवहार करुँ? आप ने फ़रमायाः हाँ, अपनी माँ के साथ अच्छा सुलूक, बर्ताव और व्यवहार करो।

फ़ाइदा:— उन का नाम क़ुतीला था, उन्हें जाहिलिय्यत के ज़मानाप ही में अबू बक्र ने तलाक़ दे दिया था, उन से अ़ब्दुल्लाह और अस्मा (भाई-बहन) पैदा हुये थे। (देखें सूरः लुक़्मान-15)

बाब {वह चीज़ें जिन का रोकना जायज़ नहीं।}

1669:— बुहैसा रज़ि॰ अपने पिता से रिवायत करती हैं कि मेरे पिता जी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मिलने की इजाज़त चाही। फिर वह आप की क़मीस और आप के दर्मियान दाख़िल हो गये और आप का शरीर चूमने और उस से लिपटने लगे। फिर कहने लगेः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! वह क्या चीज़ है जिस का रोक लेना हलाल नहीं? आप ने फ़रमायाः पानी। फिर पूछाः

ऐ अल्लाह के नबी! वह क्या चीज़ है जिस का रोक लेना हलाल नहीं? आप ने फ़रमायाः नमक। फिर पूछाः वह क्या चीज़ है जिस का रोक लेना हलाल नहीं? आप ने फ़रमायाः जो भलाई भी तुम करो उस में तुम्हारे लिये अच्छाई है।

बाब {मसाजिद में सवाल करना।}

1670:— अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ के पुत्र अ़र्ब्दुरहमान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूछाः क्या तुम में कोई है जिस ने आज किसी फ़क़ीर को खाना खिलाया है? तो अबू बक्र रज़ि॰ ने जवाब दियाः मैं मस्जिद में दाख़िल हो रहा था कि मैंने एक सवाली को सवाल करते देखा तो मैं ने (अपने बेटे) अ़र्ब्दुरहमान के हाथ में रोटी का टुक्ड़ा पाया तो उसे लेकर उस सवाली को दे दिया।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ओ़फ़ है। इस हदीस का बाब से क्या संबन्ध है? यह कि दीनी ज़रुरत के लिये या परेशान हाल के लिये मस्जिद में सवाल करना जाइज़ है।

बाब {अल्लाह पाक के चेहरे का वास्ता देकर सवाल करना मक्रुह है।}

1671:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह के चेहरे का वास्ता देकर जन्नत ही का सवाल किया जा सकता है।

बाब {जो शख़्स अल्लाह के नाम पर सवाल करे उस को देना चाहिये।}

1672:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स अल्लाह के वास्ते से पनाह माँगे उस को अमान दो। और जो अल्लाह के नाम से सवाल करे उसे दो। और जो दावत करे उस की दावत स्वीकार करो। और जो तुम्हारे साथ एहसान करे उस का बदला दो। अगर बदला देने के लिये कोई चीज़ न पाओ तो उस के हक़ में दुआ़ ही करो, यहाँ तक कि तुम समझ लो कि उस (के एहसान) का बदला दे दिया है।

बाब {अगर कोई अपना सारा ही माल सदक़ा करना चाहे?}

1673:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में थे कि अचानक एक व्यक्ति आया, उस के पास अन्डे के बराबर सोना था, कहने लगाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मुझे यह एक कान से मिला है, आप इसे ले लीजिये, यह सदक़ा है, मेरे पास इस के अ़लावा और कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से मुँह फेर लिया तो वह आप के बाँयें तरफ़ आया और पहले की तरह कहा तो आप ने फिर उस की तरफ़ से मुँह फेर लिया तो वह फिर आप के दायें तरफ़ आया तो आप ने उस से सोना लेकर फेंक दिया, अगर वह उसे लग जाता तो चोट भी लगती बल्कि उस से घायल भी हो जाता। तब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई अपना सब माल लेकर आ जाता है और कहता है कि यह सदक़ा है, फिर लोगों से माँगने बैठ जाता है। बेहतरीन सदक़ा वह है जो अपनी ज़रुरत पूरी करने के बाद दिया जाये।

1674:— इब्ने इस्हाक़ ने भी ऊपर की सनद से ऊपर की रिवायत के हममाना बयान किया है, लेकिन इतना और इज़ाफ़ा किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: हम से अपना माल ले जाओ हमें उस की कोई ज़रुरत न ही (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे कुबूल नहीं फ़रमाया)

फ़ाइदा:— ऐसा सदक़ा जो जोश में आकर दिया जाये और जोश ठन्डा होने के बाद अफ़सोस करे तो इस प्रकार न तो सदक़ा किया जाये और नहीं उसे कुबूल किया जाये।

1675:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि एक आदमी मस्जिद में दाख़िल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि कपड़े दो (सदक़ा के तौर पर) और उस आने वाले के बारे में फ़रमाया कि उसे दो कपड़े दो। आप ने फिर (दो बारा) सदक़ा करने का हुक्म दिया तो उस व्यक्ति ने भी अपना एक कपड़ा फेंक दिया। आप ने उसे डाँट कर फ़रमाया: अपना कपड़ा उठा लो।

1676:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: सब से बेहतरीन सदक़ा वह है जो ग़िना (लोगों से बेनियाज़ी) को बाक़ी रहने दे, या यह कि उस हालत में सदक़ा किया जाये कि खुद मुहताज और हाजतमन्द न हो (बल्कि मालदार हो) और उन से शुरु करो जिन की परवरिश के तुम ज़िम्मेदार हो।

फ़ाइदा:— यानी सदक़ा करने के बाद आदमी खुद ही दूसरों का मुहताज हो जाये हो तो ऐसा सदक़ा नापसन्दीदा है। इसलिये बेहतरीन सदक़ा उसे क़रार दिया गया है कि वह देने के बाद दूसरों का मुहताज न हो।

बाब {सारा माल सदक़ा कर देने की रुख़्सत का बयान।}

1677:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! कौन सा सदक़ा अफ़ज़ल है? आप ने फ़रमाया: कम माल वाले का मेहनत की कमाई कर के देना। और शुरु उन से करो जिन की पर्वरिश तुम्हारे ज़िम्मा है।

1678:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें सदक़ा करने का आदेश दिया। उस समय मेरे पास भी माल था, चुनान्चे मैंने (दिल में) कहा कि अगर मैं आज अबू बक्र से आगे बढ़ना चाहूँ तो बढ़ सकता हूँ। चुनान्चे अपना आधा माल लेकर (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास) आया। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूछा: आप ने अपने घर वालों के लिये क्या छोड़ा है? मैंने कहा: इतना ही (छोड़ आया हूँ) फिर अबू बक्र रज़ि॰ अपना कुछ माल (आप के पास लाये तो आप ने उन से पूछा: आप ने अपने घर वालों के लिये क्या छोड़ा है? उन्होंने कहा: मैंने उन के लिये अल्लाह और उस के रसूल को छोड़ा है। तब मुझे कहना पड़ा कि मैं किसी भी मामले में कभी उन से आगे नहीं बढ़ सकता।

बाब {पानी पिलाने की फ़ज़ीलत।}

1679:— सअ़द बिन उबादा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आ कर पूछा कि आप के निकट कौन सा सदक़ा ज़्यादा पसन्दीदा है? आप ने फ़रमायाः पानी।

1680:— मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहीम ने भी सअ़द से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है।

फ़ाइदा:— इन दोनों हदीसों की सनद ज़ओ़फ़ है।

1681:— सअ़द बिन उबादा रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! (मेरी माता जी) उम्मे सअ़द का देहान्त हो गया है, तो कौन सा सदक़ा अफ़्ज़ल है (जो मैं उन की तरफ़ से करुँ) आप ने फ़रमायाः पानी। चुनान्चे उन्होंने एक कुँवा खुदवाया और कहा कि यह (मेरी माता जी) उम्मे सअ़द की तरफ़ से है।

1682:— अबू सओ़द रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो मुसलमान किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाए जबकि वह नन्गा होतो अल्लाह पाक उसे जन्नत का हरा कपड़ा पहनायेगा। और जिस ने किसी को खाना खिलाया जबकि वह भूखा हो तो अल्लाह पाक उसे जन्नत के फल खिलायेगा। और जिस ने किसी मुसलमान को पिलाया जबकि वह प्यासा हो तो अल्लाह पाक उसे जन्नत की पेवर शराब में से पिलायेगा।

नोट:— ऊपर की तमाम हदीसें ज़ओ़फ़ हैं।

बाब {दूध के लिये जानवर हदिया करने की फ़ज़ीलत।}

1683:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः चालीस आ़दतों में से सब से अच्छी आ़दत दूध की बकरी हदिया करना है। जो बन्दा उन के सवाब की उम्मीद और उन पर किये गये वादे की तस्दीक़ की वजह से किसी एक पर भी अ़मल कर ले तो अल्लाह पाक उसे उस की वजह से जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा।

अबू दावूद ने कहा कि हस्सान बिन अ़तिय्या ने कहा कि हम ने दूध की बकरी, सलाम करना, छींक का जवाब देना अधिक न शुमार कर सके (मालूम नहीं वह कौन-कौन सी हैं)

बाब {ख़ज़ान्ची का सवाब।}

1684:— अबू मूसा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अमानतदार ख़ज़ान्ची जो मालिक के आदेश के अनुसार दिल की खुशी से पूरा-पूरा दे, यहाँ तक कि जिस के बारे में कहा गया है उसे दे दे, तो वह दो सदक़ा करने वालों में से एक है (एक अस्ल मालिक जिस ने देने का हुक्म दिया और दूसरा यह जिसने अदा किया)

बाब **{बीवी को सवाब, जो अपने शौहर के घर से सदक़ा दे।}**

1685:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बीवी जब अपने शौहर के घर से ख़र्च करे (सदक़ा करे) जबकि नाजाइज़ ख़र्च करने वाली न हो तो

उसे सदक़ा करने का और उस के पति को कमाकर लाने का सवाब है। और उस के ख़ज़ान्ची को भी उतना ही सवाब है, उन में से कोई भी किसी का अज्र कम नहीं करता।

1686:— सअ़द (बिन अबू वक़्क़ास) रज़ि॰ से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने महिलाओं से बैअ़त ली तो एक शरीफ़ (या लंबे क़द-काठी की) महिला खड़ी हुयी गोया कि वह क़बीला मुज़र की थी, कहने लगीः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! हम ने अपने माता-पिता, अपने बेटों.......इमाम अबू दावूद ने कहा कि मेरा ख़याल है उस ने शौहरों का भी ज़िक्र किया...... पर बोझ हैं तो हमारे लिये उन के मालों में से क्या हलाल है? आप ने फ़रमायाः तर चीज़ें खाओ और हदिया भी करो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि "तर" से मुराद रोटी, तरकारी और ताज़ा खजूर है।

1687:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब पत्नी अपने पति की कमाई से उस की इजाज़त के बिना सदक़ा दे तो उसे उस के पति का आधा सवाब है।

1688:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से पूछा गया कि क्या पत्नी अपने पति के घर से सदक़ा दे (या न दे) उन्होंने कहाः नहीं, अपने हिस्से के ख़र्च से दे सकती है (जो पति ने उसे दिया है) और सवाब उन दोनों को मिलेगा। और उस के लिये हलाल नहीं कि पति के माल से उस की इजाज़त के बिना सदक़ा करे।

बाब {रिश्ते-नाते वालों के साथ मेल-जोल रखना।}

1689:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि जब आयत "लन् तनालुल् बिर्र" नाज़िल हुयी तो अबू तल्हा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं समझता हूँ कि हमारा रब हम से हमारा माल माँग रहा है तो आप गवाह रहें कि मैं ने अपनी अरीहा वाली भूमि अल्लाह के लिये दे दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म ने फ़रमायाः उसे अपने रिश्तेदारों में तक़्सीम कर दो। चुनान्चे उन्होंने उसे हस्सान बिन साबित और उबय्यि बिन कअ़ब में तक़्सीम कर दिया।

1690:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म की पत्नी मैमूना रज़ि॰ से रिवायत है कि मेरी एक लौंडी थी, मैंने उसे आज़ाद कर दिया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म मेरे पास तशरीफ़ लाये तो मैंने आप से ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमायाः अल्लाह तुम्हें बदला दे, ताहम अगर तुम उसे अपने मामू लोगों को दे देती तो तुम्हें अधिक सवाब मिलता।

1691:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म ने सदक़ा करने का हुक्म दिया तो एक शख़्स ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मेरे पास एक दीनार है। आप ने फ़रमायाः अपनी जान पर सदक़ा कर दो। उस ने फिर कहाः मेरे पास एक और है। आप ने फ़रमायाः अपने बच्चे पर सदक़ा कर दो। उस ने कहाः मेरे पास एक और भी है। आप ने फ़रमायाः उसे अपनी बीवी पर कर दो। उस ने कहाः मेरे पास एक और भी है। फ़रमायाः तुम उस के बारे में

बेहतर जानते हो (कि कहाँ ख़र्च करना है)

1692:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म ने फ़रमायाः इन्सान के पापी होने के लिये यही काम काफ़ी है कि जिन के खिलाने-पिलाने का ज़िम्मेदार हो उन्हें र्बबाद कर दे।

फ़ाइदा:— यानी उन्हें न दे और दूसरे लोगों को दे।

1693:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म ने फ़रमायाः जिसे यह बात अच्छी लगती हो कि उस की रोज़ी कुशादा और उस की आयु लंबी हो तो उसे चाहिये कि अपने रिश्तेनाते वालों से मेल मिलाप रखे।

1694:— अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म को फ़रमाते सुना कि अल्लाह पाक फ़रमाता हैः मैं रहमान हूँ (यानी अधिक रहम करने वाला) और यह नाते और रिश्तेदारियाँ जिसे "रहिम" कहते हैं, उस का लफ़्ज़ मैंने अपने नाम से निकाला है तो जो अपने रिश्तेदारों और नातेदारों से मेल जोल रखता है मैं उस से जुड़ता हूँ और जो उस को काटता और तोड़ता है मैं उस से कट जाता हूँ।

1695:— मुहम्मद बिन मुतवक्किल अ़स्क़लानी की सनद से भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत है।

1696:— जुबैर बिन मुतइम रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म ने फ़रमायाः रिश्तेनाते काटने वाला जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।

1697:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म ने फ़रमायाः बदले में मेल-मिलाप करने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं है बल्कि सिला रहमी करने वाला तो वह है जो तोड़े जाने वाले रिश्ते को जोड़े।

1698:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म ने एक बार खुत्बा दिया तो फ़रमायाः अपने आप को कन्जूसी और लालच से बचाओ। तुम से पहले के लोग इसी कारण हलाक हुये। उन को (लालच ने) हुक्म दिया तो वह कंजूसी करने लगे, रिश्ता तोड़ने का हुक्म दिया तो तोड़ने लगे। कन्जूस के बदकारी का हुक्म दिया तो बुराई करने लगे।

1699:— अबू बक्र की पुत्री अस्मा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास बस उतना ही होता है जो (मेरे पति) जुबैर घर में ले आयें। तो क्या मैं उस में से कुछ दे दिया करूँ? आप ने फ़रमायाः दो, और बाँध-बाँध कर मत रखो, वर्ना तुम पर भी (तुम्हारी रोज़ी) बाँध दी जायेगी।

1700:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने कई फ़क़ीरों को गिनाया था, कई सदक़ों को बताया (जो उन्होंने तक़्सीम किया था) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म ने उन से फ़रमाया (ऐ आइशा!) दो और गिनो नहीं, वर्ना तुम्हें भी गिन-गिन कर दिया जायेगा।

(10) गिरी–पड़ी चीज़ों के बारे में

बाब {गिरी–पड़ी चीज़ उठाए तो उस का एलान करे।}

1701:— सुवैद बिन ग़फ़ला रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैं एक यात्रा में ज़ैद बिन सूहान और सलमान बिन रबीअ़ा के साथ था। मुझे एक कोड़ा मिला (उसे मैं ने उठा लिया) तो उन दोनों ने मुझ से कहाः इसे फेंक दो। मैंने कहाः नहीं। अगर इस का मालिक मुझे मिल गया तो (उसे दे दूँगा) वर्ना इस से फ़ायदा उठाऊँगा। फिर मैं हज्ज के लिये गया और मदीना भी आया तो उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ से पूछा तो उन्होंने कहाः मुझे एक थैली मिली थी जिस में 100 दीनार थे तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म के पास आया तो आप ने फ़रमायाः एक वर्ष तक इस का एलान करो। चुनान्चे मैंने एक वर्ष तक उस का एलान किया। फिर आप के पास आया तो आप ने फ़रमायाः एक साल तक और एलान करो। चुनान्चे मैंने एक साल और एलान किया, फिर आप के पास आया तो फ़रमायाः एक साल और एलान करो। मैंने एक साल और एलान किया और आप के पास आ कर कहाः मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं पाया जो इसे जानता हो। आप ने फ़रमायाः उन की तादाद को याद रखो, उस की थैली और उस का बन्धन भी। अगर मालिक आ जाये तो बेहतर, वर्ना उस से फ़ाइदा उठाओ।

सलमा ने कहाः मुझे नहीं मालूम कि एलान करने का हुक्म तीन बार दिया या एक बार।

1702:— इमाम शोबा ने भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है (उस में यह है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्ल्म ने) फ़रमायाः एक साल तक उस का एलान करो। आप ने यह बात तीन मर्तबा कही। सलमा ने कहाः मुझे नहीं मालूम कि उस का मतलब एक साल में तीन बार एलान करना था, या तीन साल तक एलान करना।

फ़ाइदा:— इस मस्अले में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। ताहम कम से कम एक साल एलान करने पर सभी का इत्तिफ़ाक़ है।

1703:— सलमा बिन कुहैल ने भी अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया है और

एलान के बारे में कहाः दो साल या तीन साल। और फ़रमायाः उस को गिन लो, उस की थैली और बन्धन को याद कर लो। आगे बयान किया कि "अगर उस का मालिक आ जाये और उस की गिनती बता दे और थैली का बन्धन भी, तो उसके हवाले कर दो।"

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह शब्द "अगर वह उन की गिनती बता दें" यह केवल हम्माद की रिवायत में हैं।

1704:— ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म से गिरी-पड़ी चीज़ के बारे में पूछा तो आप ने फ़रमायाः एक वर्ष तक उस का एलान करो, फिर उस का बन्धन और थैली (जिस में वह है) उसे अच्छी तरह याद कर लो, और उसे अपने प्रयोग में लाओ। अगर उस का मालिक आ जाये तो उसे दे दो। फिर उस ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! खोई हुयी बक्री (के बारे में क्या हुक्म है) आप ने फ़रमायाः उसे ले लो। वह तुम्हारे लिये है, या तुम्हारे भाई के लिये है, या भेड़िये के लिये है। उस ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! खाऐ गए ऊँट के बारे में? (क्या हुक्म है?) यह सुन कर आप गुस्सा हो गये और आप के गाल लाल हो गये, या आप को चेहरा लाल तूल हो गया, और फ़रमायाः तुम्हें ऊँट से क्या लेना, देना उस के साथ उस का जूता (पाँव) है और मशक है (यानी उस के पेट में पानी है) यहाँ तक कि उस का मालिक आ जाये।

1705:— मालिक ने भी इस हदीस को इसी सनद से इसी माना में रिवायत किया है और इतना और कहा है (उस के साथ) उस का मशक है, वह पानी पर पहुँच कर पानी पी लेगा और झाड़ियाँ खा कर गुज़ारा कर लेगा। और खोई हुयी बकरी के बारे में "उसे ले लो" के शब्द रिवायत नहीं किये। और गिरी-पड़ी चीज़ के बारे में फ़रमायाः एक साल तक उस का एलान करो, फिर अगर उस का मालिक आ जाये (तो बेहतर) वर्ना तुम जानो (यानी उस के मालिक बन जाओ) और "ख़र्च कर लेने" का ज़िक्र नहीं किया।

फ़ाइदा:— बकरी कमज़ोर जानवर है। अगर उसे पकड़ नहीं लेंगे तो वह बर्बाद हो जायेगी, कुत्ते, भेड़िये आदि मार डालेंगे। ऊँट कमज़ोर नहीं है इसलिये उसे न पकड़ें। बुख़ारी की रिवायत में बकरी को पकड़ने और उस से फ़ाइदा उठाने का हुक्म है (हदीस न॰ 2428)

1706:— ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म से गिरी-पड़ी चीज़ों क बार में पूछा गया तो आप ने फ़रमायाः एक साल तक उस का एलान करो। उस का मालिक आ जाये जो उस को दे दो, वर्ना उस की थैली (या बर्तन) उस का बन्धन याद रखो, फिर उस खा ला (अपने प्रयोग में ले आओ) इस के बाद भी अगर उस का मालिक आ जाये तो उस के हवाले कर दो।

1707:— ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल्म से पूछा गया......और ऊपर की हदीस न॰ 1704 की तरह रिवायत किया। फिर गिरी-पड़ी चीज़ के बारे में आप से पूछा गया तो फ़रमायाः एक वर्ष तक उस का एलान करो, अगर उस का मालिक

आ जाये तो उस के हवाले कर दो, नहीं तो उस का बन्धन और बर्तन खूब याद कर लो और फिर उसे अपने माल में शामिल कर लो, और उस का मालिक आ जाये तो उस को दे दो।

1708:— यहया बिन सअ़ीद और रबीअ़ा ने कुतैबा की सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है लेकिन इस में इतना इज़ाफ़ा है कि "अगर उस को तलाश करने वाला आ जाये और उस की थैली (या बर्तन) और उस की गिनती (वग़ैरह पहचान) बता दे तो उस को उस के हवाले कर दो।

1709:— अयाज़ बिन हिमार से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसे कोई गिरी पड़ी चीज़ मिले तो उसे चाहिये कि एक या दो गवाह बना ले, और माल को छुपाये नहीं, और न ही ग़ाइब करे। फिर अगर उस के मालिक को पाये तो उसे लौटा दे, वर्ना वह अल्लाह का माल है जिसे चाहता है देता है।

फ़ाइदा:— गवाह बनाना न तो वाजिब है और न ही हर समय संभव है। लेकिन अगर बना लिया जाये तो बहुत सी बुराइयों से सुरक्षित हो जायेगा।

1710:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अ़ास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा गया कि (पेड़ पर) लटकते माल का क्या हुक्म है? आप ने फ़रमायाः जिस किसी मुहताज ने उसे मुँह से खा लिया और गठरी न बाँधी हो तो उस पर कुछ नहीं। लेकिन जो वहाँ से लेकर निकले उस पर दोगुना जुर्माना और सज़ा है। और जिस ने उस माल को स्टोर में से चुराया तो अगर वह ढाल की क़ीमत के बराबर हुआ तो उस पर हाथ कटेगा। और खोई हुयी बक्री और ऊँट के बारे में वैसे ही बयान किया जैसे कि दूसरे रावियों ने ज़िक्र किया है। और गिरी-पड़ी चीज़ों के बारे में पूछा गया तो फ़रमायाः जो तुम्हें आबाद रास्तों और गाँव में मिले तो एक वर्ष तक एलान करो। फिर अगर उस को ढूँडने वाला आ जाये तो उस के हवाले कर दो, वर्ना वह तुम्हारी है। और अगर किसी वीरान जगह पर मिले तो उस में और इसी प्रकार कोई दफ़ीना मिले तो उस में पाँचवा हिस्सा (ज़कात) है।

1711:— अ़म्र बिन शुऐब ने अपनी उसी (ऊपर की) सनद से इस हदीस को रिवायत किया और गुम हुयी बकरी के बारे में यह शब्द हैं कि "उसे अपनी बकरियों के साथ मिला लो।"

1712:— अ़म्र बिन शुऐब ने इसी सनद से बयान किया और खोई हुयी बकरी के बारे में कहाः "यह तेरे लिये है, या तेरे भाई के लिये, या भेड़िये के लिये, उसे ले ले और बस"

1713:— इब्ने इस्हाक़, अ़म्र बिन शुऐब से, वह अपने पिता से और वह अपने दादा से और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यही रिवायत करते हैं और उन के शब्द यह हैं "उस को अपने माल के साथ मिला लो यहाँ तक कि उस को ढूँड़ने वाला आ जाये।"

1714:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ को एक दीनार मिला तो वह उसे फ़ातिमा रज़ि॰ के पास ले गये। उन्होंने उस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम से पूछा तो आप ने फ़रमायाः यह अल्लाह पाक की दी हुयी रोज़ी है। फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, फ़ातिमा और अ़ली तीनों ने उसे खा लिया। बाद में एक महिला आयी और उस दीनार को तलाश कर रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ अ़ली! वह दीनार उसे दे दो।

1715:— बिलाल बिन यहया ने अ़ली रज़ि॰ से रिवायत किया कि उन्हें एक दीनार मिला तो उन्होंने उस से आटा ख़रीदा, आटे वाले ने अ़ली रज़ि॰ को पहचान लिया तो उस ने उन को दीनार वापस कर दिया। अ़ली ने उसे ले लिया और उस में से दो क़ीरात काट कर बाक़ी का गोशत ख़रीदा।

1716:— सहल बिन सअ़द रज़ि॰ से रिवायत है कि अ़ली रज़ि॰ फ़ातिमा के घर आये तो क्या देखा कि हसन और हुसैन रो रहे हैं। उन्होंने पूछाः क्यों रो रहे हो? कहा कि भूख के नाते। यह सुन कर अ़ली घर से निकल पड़े, बाज़ार में उन्हें एक दीनार पड़ा मिल गया तो उसे फ़ातिमा के पास ले आये और बताया (कि इस तरह मिला है) उन्होंने कहाः फ़लाँ यहूदी के पास जायें और आटा ले आयें? चुनान्चे उन्होंने जा कर उस से आटा ख़रीदा। उस ने पूछाः क्या आप उस के दामाद हैं जो अपने को अल्लाह का सन्देष्टा कहता है? उन्होंने कहाः हाँ। यह दीनार अपने पास रखें और आटा ले जायें। अ़ली रज़ि॰ वहाँ से आटा लेकर फ़ातिमा के पास आये और पूरी बात बताई। उन्होंने कहाः फ़लाँ क़साई के पास जायें और एक दिर्हम का गोशत ले आयें। चुनान्चे उन्होंने जा कर अपना दीनार उस के पास रख दिया और माँस ले आये। फ़ातिमा ने आटा गूँधा, हाँड़ी चूल्हे पर रखी, पकाई और अपने पिता नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को भी बुला भेजा। जबआप तशरीफ़ लाये तो फ़ातिमा ने पूछाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैं आप को बताऊँ, अगर आप उसे हलाल कहें तो हम उसे खायें और आप भी हमारे साथ खायें। इस का हाल इस प्रकार है। आप ने फ़रमायाः अल्लाह का नाम लेकर खाओ। चुनान्चे सब ने खा लिया। अभी वह लोग अपनी जगह (दस्तरख़ान) पर बैठे ही थे कि एक बालक, अल्लाह और इस्लाम का वास्ता देकर अपना दीनार ढूँड़ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और पूछा तो उस ने कहाः मुझ से बाज़ार में कहीं गिर गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ अ़ली! उस क़साई के पास जाओ और कहो कि वह दीनार मेरे पास भेज दो और तुम्हारा दिर्हम हमारे ज़िम्मा है। उस ने भेज दिया और आप ने उसे उस बालक के हवाले कर दिया।

1717:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें छड़ी, रस्सी, कोड़ा और इस प्रकार की वस्तुयें उठा लेने की इजाज़त दी थी कि इन्सान उन से फ़ाइदा उठा ले।

1718:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः खोया हुआ ऊँट पकड़ने वाला अगर छुपा ले तो उस पर जुर्माना है और (मज़ीद) उस के साथ उस का मिस्ल भी।

1719:— अ़ब्दुर्रहमान बिन उस्मान तैमी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम ने हाजियों की गिरी पड़ी चीज़ें उठाने से मना फ़रमाया है। अहमद ने रिवायत किया कि वहब ने कहाः "हाजी की चीज़ पड़ी रहने दी जाये, यहाँ तक कि उस का मालिक उसे पा ले।"

फ़ाइदा:— बेहतर तो यही है, लेकिन बर्बाद हो जाने का डर हो तो उठा ली जाये और एलान किया जाये (बुख़ारी–2433, 2434, मुस्लिम–1724)

1720:— मुन्ज़िर बिन जरीर कहते हैं कि (मैं अपने पिता) जरीर के साथ बवाज़ी के स्थान पर था कि एक चरवाहा गायें लेकर आया, उस में एक गाय उन की नहीं थी। जरीर ने उस से पूछाः यह क्या मामला है? उस ने कहाः यह हमारी गायों में मिल गयी है, न जाने किस की है? (जरीर ने कहाः इसे अलग कर दो, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है कि "खोई हुयी चीज़ को गुमराह इन्सान ही लेता है।

फ़ाइदा:— छुपा लेने वाला गुमराह है, लेकिन एलान करने वाला नहीं।

❀ ❀ ❀

(11) हज्ज के अहकाम

बाब {हज्ज फ़र्ज़ है।}

1721:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि अक्रा बिन हाबिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हज्ज हर वर्ष है या एक ही बार? आप ने फ़रमायाः नहीं, एक ही बार है। और जो इस से अधिक बार करेतो वह नफ़्ल है।

1722:— अबू वाक़िद लैसी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने सुना, आप अन्तिम हज्ज के मौक़े पर अपनी बीवियों के दर्मियान फ़रमा रहे थे "हज्ज बस यही है, फिर (घर की) चटाइयों को लाज़िम पकड़ना।

फ़ाइदा:— हज्ज अर्गचे एक ही बार फ़र्ज़ है ताहम बार-बार करने की तर्ग़ीब आयी है (तिर्मिज़ी-810, नसई-631)

बाब {जो महिला महरम के बिना हज्ज करे।}

1723:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी मुसलमान महिला को अपने किसी महरम के बिना एक रात का सफ़र भी हलाल नहीं है।

1724:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो महिला अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती है उस के लिये जाइज़ नहीं कि बिना महरम के एक दिन और रात का भी सफ़र करे।

1725:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः फिर ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया।

1726:— अबू सअ़ीद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो महिला अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखती हो उस केलिये हलाल नहीं कि अपने बाप, भाई, पति, बेटे या किसी और महरम के साथ के बिना तीन दिन या इस से अधिक की यात्रा करे।

***1727*:**— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः महिला अपने महरम के बिना तीन दिन की भी यात्रा न करे।

***फ़ाइदा*:**— सब का निचोड़ यह है कि कम दूरी या लंबी दूरी की यात्रा हराम है। अगर किसी को महरम न मिले तो उस पर हज्ज साक़ित है। ताहम कुछ उलमा खूसट बुढ़िया के लिये गुन्जाइश निकालते हैं कि वह किसी महिला के साथ हज्ज कर सकती है।

***1728*:**— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि वह अपनी लौंडी को अपने साथ बैठा कर ले जाते थे उस का नाम सफ़िय्या था, वह उन के साथ मक्का की यात्रा करती थी। (मालिक लौंडी के लिये पति के हुक्म में होता है)

बाब {इस्लाम में "सरुरा" नहीं है।}

***1729*:**— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस्लाम में "सरुरा" नहीं है (यानी कोई व्यक्ति हज्ज कर सकने के बावजूद न करे)

बाब {हज्ज में खना–ख़र्चा लेकर जाने की ताकीद।}

***1730*:**— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि लोग हज्ज को आते मगर ख़र्चा साथ न लाते थे.... .अबू मस्ऊद रज़ि॰ ने कहा के यमन वाले या कुछ यमन के लोग हज्ज के लिये आते मगर खर्चा नहीं लाते..........और कहते कि हम अल्लाह पर भरोसा करने वाले लोग हैं। पस अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "रास्ते का ख़र्च लेकर चलो इसलिये कि बेहतरीन सफ़र ख़र्च तक़्वा (सवाल करने से बचना) है" (सूरः बक़रः-197)

बाब {हज्ज के दौरान तिजारत जाइज़ है।}

***1731*:**— इमाम मुजाहिद ने बयान किया कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने "तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का फ़ज़्ल तलाश करो" (सूरः बक़र-198) पढ़ी और फ़रमायाः कुछ लोग मिना में तिजारत नहीं करते थे, तो उन्हें हुक्म दिया गया कि जब अ़रफ़ात से वापस लौटे तो तिजारत कर सकते हैं।

***फ़ाइदा*:**— मालूम हुआ कि एहराम बाँध लेने के बाद हज्ज के अर्कान की अदायगी के साथ तिजारत करने में भी कोई हरज नहीं।

बाब {..............}

***1732*:**— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो हज्ज करना चाहे तो चाहिये कि जल्द ही कर ले।

***फ़ाइदा*:**— न मालूम कोई बीमारी लग जाये या रुकावट पेश आ जाये।

बाब {(हज्ज के सफ़र में) किराए पर सवारी चलाना।}

1733:— अबू उमामा तौमी बयान करते हैं कि मैं सफ़र में किराए की सवारी चलाया करता था तो कुछ लोगों ने मुझ से कहाः तुम्हारा हज्ज नहीं है। फिर मैंने इब्ने उमर से मिल कर पूछाः कि ऐ अबू अ़ब्दुरहमान! मैं हज्ज के सफ़र में किराए पर सवारी चलाता हूँ और कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा हज्ज ही नहीं। इस पर उन्होंने पूछाः क्या तुम एहराम नहीं बाँधते हों? लब्बैक नहीं पुकारते हो? बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करते हो? अ़रफ़ात से नहीं लौटते हो? कन्करियाँ नहीं मारते हो? मैंने कहाः मैं सब कुछ करता हूँ। उन्होंने कहाः तुम्हारा हज्ज सहीह है। एक व्यक्ति ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आ कर यही सवाल किया था जो तुम ने किया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ख़ामोश रहे और कोई उत्तर न दिया, फिर यह आयत नाज़िल हुयीः "तुम पर कोई गुनाह नहीं कि अपने रब का फ़ज़्ल तलाश करो"। फिर आप ने उसे बुला भेजा और यह आयत पढ़ कर फ़रमाया कि तुम्हारा हज्ज (सहीह) है।

1734:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि लोग इस्लाम से पहले हज्ज के दिनों में मिना, अ़रफ़ात, ज़िल मजाज़ के बाज़ार और हज्ज के दिनों में लेन-देन किया करते थे (इस्लाम लाने के बाद) उन्होंने एहराम बाँधे हुये लेन-देन करने को गुनाह समझा तो अल्लाह पाक ने यह आयत उतारी "तुम पर गुनाह नहीं कि हज्ज के दिनों में अल्लाह का फ़ज़्ल तलाश करो"

उबैद बिन उमैर ने बयान किया कि वह "फ़ी मवासिमिल् हज्जि" के इज़ाफ़ा के साथ कुरआन में पढ़ा करते थे। (यह क़िरात शाज़ है)

1735:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि लोग पहले ज़माना में हज्ज के दौरान तिजारत किया करते थे.......फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब {छोटा बच्चा, जो हज्ज करे।}

1736:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रौहा के स्थान पर थे कि आप को एक क़ाफ़िला वाले को मिले। आप ने उन्हें सलाम किया और पूछाः कौन लोग हो? उन्होंने कहाः हम मुसलमान लोग हैं। उन्होंने पूछाः आप लोग कौन हैं? सहाबा ने कहाः आप अल्लाह को सन्देष्टा हैं। यह सुन कर एक महिला ने जल्दी से अपने बच्चे का बाज़ू पकड़ा और अपने हौदज से बाहर निकाल कर बोलीः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या उस के लिये हज्ज है? आप ने फ़रमायाः हाँ, और तुम्हारे लिये अज्र है।

फ़ाइदा:— छोटे बच्चे अगर साथ हों तो उन्हें भी हज्ज में शामिल किया जाये। वह खुद से जो कर सकें ठीक है वर्ना माता-पिता तवाफ़ और दौड़ में उन्हें उठायें, उन की तरफ़ से कंकरियाँ मारें। एक बच्चा हो तो एक हज्ज और दो हो तो दो का सवाब मिलेगा।

बाब {वह स्थान, जहाँ से एहराम बाँधा जाता है।}

1737:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिये "जुल् हुलैफ़ा" (मौजूदा आबोर अ़ली) शाम वालों के लिये "जोहफ़ा" नज्द वालों के

लिये "क़र्नुल मनाज़िल" को ठेहराया। और मुझे यह ख़बर मिली है किआप ने यमन वालों के लिये "यलमलम" मुक़र्रर किया है।

1738:— अ़म्र बिन दीनार और अ़ब्दुल्लाह बिन ताऊस ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (एहराम बाँधने के लिये) मीक़ात मुक़र्रर फ़रमायेगा। उन दोनों में से एक नेकहा कि यमन वालों के लिये "यलमलम" और दूसरे ने कहा "अलमलम" नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यही स्थान यहाँ के रहने वालों के लिये हैं और उन लोगों के लिये हैं जो यहाँ से गुज़रे और हज्ज और उम्रा की निय्यत रखते हों। और जो इन से दूर (मक्का की तरफ़) ठहरे हों। इब्ने ताऊस ने कहा......वह लोग वहीं से एहराम बाँधे जहाँ से वह यात्रा आरंभ करें यहाँ तक कि मक्का वाले अपने नगर और घर ही से एहराम बाँध कर निकलें।

फ़ाइदा:— "यलमलम" मक्का से 92 किलोमीटर दूर है। "जुलहुलैफ़ा" मक्का से साढ़े चार सौ किलो मीटर दूर है। "जल हुलैफ़ा" मक्का से साढ़े चार सौ किलोमीटर दूर है। "जोहफ़ा" 187 किलोमीटर दूर है। "क़र्नुल मनाज़िल" 94 किलोमीटर दूर है।

1739:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इराक़ वालों के लिये "ज़ाते ईक़" स्थान को मुक़र्रर किया था (एहराम के लिये)

1740:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूरब वालों के लिये "अक़ीक़" स्थान को मुक़र्रर किया था।

1741:— उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस ने मस्जिदे अक़्सा से मस्जिदे हराम तलक हज्ज या उम्रे का एहराम बाँधा उस के अगले-पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे, या यह फ़रमाया कि उस के लिये जन्नत वाजिब हो गयी।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अल्लाह पाक वकीअ़ पर रहमत फ़रमाये, उन्होंने बैतुल मुक़द्दस से मक्का के लिये एहराम बाँधा।

फ़ाइदा:— सहीह यह है कि जहाँ से आप ने एहराम बाँधने का हुक्म दिया है वहाँ से बाँधा जाये।

1742:— हारिस बिन अ़म्र सहमी रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ जबकि आप मिना या अ़रफ़ात में थे। लोगों ने आप को घेरे रखा था, बद्दू लोग आप के पास आते थे और जब आप का चेहरा देखते तो कहते "यह तो मुबारक चेहरा है" हारिस ने बयान किया कि आप ने इराक़ वालों के लिये "ज़ाते इर्क़" मीक़ात मुक़र्रर फ़रमाया।

बाब {हैज़ वाली महिला हज्ज के लिये एहराम बाँधे।}

1743:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि (अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ की पत्नी) अस्मा बिन्त उमैस ने "शजरा" के स्थान पर मुहम्मद को जन्म दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबू

बक्र से फ़रमायाः उसे चाहिये कि स्नान कर के एहराम बाँध ले।

फ़ाइदा:— "शजरा" से मुराद वह स्थान है जो मदीना वालों की मीक़ात है।

1744:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हैज़ और निफ़ास वाली महिलायें जब एहराम बाँधने के स्थान पर पहुँचे तो स्नान कर के एहराम बाँधे और हज्ज के तमाम काम करें, बैतुल्लाह का तवाफ़ न करें।

फ़ाइदा:— हैज़ निफ़ास वाली महिलायें बैतुल्लाह के तवाफ़ को छोड़ कर सब कुछ कर सकती है। इसी प्रकार अगर किसी को एहतलाम हो जाये तो उस के एहराम में कोई फ़र्क़ नहीं आता।

बाब **{एहराम के समय खुश्बू लगाना।}**

1745:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को एहराम बाँधने के समय, एहराम से पहले खुश्बू लगाया करती थी और ऐसे ही एहराम खोलने के बाद, बैतुल्लाह का तवाफ़ करने से पहले।

1746:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि गोया मैं कस्तूरी की उस चमक को देख रही हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की माँग में लगी होती जबकि आप एहराम में होते।

बाब **{एहराम के लिये बालों को किसी चीज़ से जमा लेने का बयान।}**

1747:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को लब्बैक पुकारते सुना जबकि आप अपने सर के बाल जमाए हुये थे।

फ़ाइदा:— लंबे बालों को धूल मिट्टी और बिखराव से बचाने के लिये किसी गोंद आदि से चिपका लेना सुन्त है।

1748:— उब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "अ़सल" के साथ अपने बाल चिपकाए थे।

फ़ाइदा:— एक प्रकार के गोंद को भी "अ़सल" कहा जाता है। यहाँ शहद नहीं मुराद है।

बाब **{क़ुर्बानी का बयान।}**

1749:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हुदैबिय्या के साल क़ुर्बानी के जानवर साथ ले गये। उन में एक ऊँट वह भी था जो अ़बू जेहल का था.....उस की नाक में चाँदी का छल्ला पड़ा हुआ था... इब्ने मिनहाल ने कहाः सोने का छल्ला था। नुफ़ैली ने इतना और इज़ाफ़ा किया कि आप उस ऊँट को मुश्रिकों को जलाने के लिये ले गये थे (कि उन के सर्दार का ऊँट मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के क़ब्ज़े में है)

फ़ाइदा:— नकेल में चाँदी का प्रयोग जायज़ है। अबू जेहल का ऊँट भी उसी उद्देश्य से था जो ऊपर बयान हुआ (देखें सूरः तौबा–14, 15)

बाब {गाय–बैल की क़ुर्बानी।}

1750:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम हज्ज में आले मुहम्मद की तरफ़ से एक गाय ज़ब्ह की थी।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि घर वालों की तरफ़ से एक कुर्बानी काफ़ी है। घर वालों की तादाद चाहे जितनी हो और सब एक साथ हों।

1751:— अूब हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी पत्नियों की तरफ़ से जिन्होंने उम्रा किया था, एक गाय ज़ब्ह की थी।

बाब {क़ुर्बानी के ऊँटों को चीरा लगाना।}

1752:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ जुल हुलैफ़ा में पढ़ी थी। फिर आप ने अपनी क़ुर्बानी की ऊँटनी को मँगाया और उस के कोहान को दायें तरफ़ से चीरा लगाया और उस के खून को वहाँ चपड़ दिया और उस के गले में जूतों का हार भी डाल दिया। फिर आप की सवारी लायी गयी, आप उस पर बैठ गये और वह आप को लेकर बैदा के मैदान के क़रीब पहुँची तो आप ने लब्बैक पुकारा।

फ़ाइदा:— चीरा लगाना, गले में जूता डालना, यह इस बात की पहचान है कि यह जानवर अल्लाह की राह में हरम की तरफ़ भेजा जा रहा है। यह तरीक़ा पुराने ज़माने से चला आ रहा है जिसे बी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बाक़ी रखा।

1753:— इमाम शोबा ने भी अबू वलीद के हम माना रिवायत किया, और कहा कि फिर आप ने अपने हाथ से खून को चपड़ा। हम्माम की रिवायत में है कि अपनी उंगली से चपड़ा।

1754:— मिस्वर बिन मख़रमा और मर्वान बिन हकम बयान करते हैं कि हुदैबिया के साल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम निकले। जब आप जुल् हुलैफ़ा के स्थान पर पहुँचे तो आप ने क़ुर्बानी के जानवरों को क़लादा (पट्टा) पहनाया, उन को चीरा लगाया और फिर एहराम बाँधा।

1755:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बकरियाँ क़ुर्बानी के लिये (हरम की तरफ़) भेजवायी और उन की गर्दनों में पट्टे डाले।

बाब {क़ुर्बानी का जानवर बदलना कैसा है?}

1756:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि (उन के पिता) उमर रज़ि॰ ने एक बुख़्ती ऊँट कुर्बानी के लिय (हरम की तरफ़) भेजा तो उस ऊँट के 300 दीनार उन्हें दिये गये......तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये और पूछाः ऐ अल्लाह केर सूल! मैंने एक अच्छा ऊँट क़ुर्बानी के लिये भेजा है और मुझे उस के 300 दीनार दिये जा रहे हैं, तो क्या मैं उसे बेच कर उसी क़ीमत पर दूसरा ऊँट ले लूँ? आप ने फ़रमायाः नहीं, उसे ही कुर्बान करो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इसलिये मना कर दिया कि उस को चीरा लगाया जा चुका

था।

फ़ाइदा:– जब कुर्बानी या हदी केलिये जानवर ख़ास कर दिया गया हो तो उसे बदलना दुरुस्त नहीं है।

बाब {जो शख़्स हदी (हरम की तरफ़) भेज दे और खुद न जाये (तो इस का क्या हुक्म है?)}

1757:– आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कुर्बानी के ऊँट के हार की रस्सी अपने हाथ से बटी थी, फिर आप ने उन के कोहान में चीरा लगाया और उन के गले में पट्टा डाला, फिर उसे बैतुल्लाह की तरफ़ भेज दिया और खुद मदीना ही में रहे, तो जो चीज़ें आप के लिये हलाल थीं (उसी तरह हलाल रहीं) कुछ भी हराम न हुआ।

फ़ाइदा:– कुर्बानी भेज कर न जाये तो वह हलाल रहेगा, एहराम के अहकाम उस पर लागू नहीं होंगे।

1758:– आइशा रज़ि॰ से रिवयत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना से कुर्बानी के जानवर भेजा करते थे, मैं उन के पट्टों के लिये रस्सी बटती थी और आप फिर किसी चीज़ से न बचते थे जिस से मुहरिम बचता है।

1759:– आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हदी भेजवाई और मैं ने ऊन से जो हमारे पास थी पट्टे के लिये रस्सी बटी, फिर आप हमारे पास घर पर हलाल ही रहे, अपनी बीवी के पास जाते जैसे कि आ़म आदमी जाता है।

फ़ाइदा:– लोगों का मनाना है कि कुर्बानी के लिये जानवर बैतुल्लाह शरीफ़ भेजने केबाद भेजने वाला एहराम की हालत में हो जाता है और उस पर वह तमाम चीज़ें हराम हो जाती हैं जो एक मुहरिम पर हो जाती हैं, हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं। मीक़ात से एहराम बाँधने के बाद हाजी मुहरिम होता है न कि कुर्बानी के जानवर भेज देने से।

बाब {कुर्बानी के ऊँट पर सवारी करना।}

1760:– अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक व्यक्ति को देखा कि वह अपनी कुर्बानी का ऊँट हाँके जा रहा है (और खुद पैदल चल रहा है) आप ने उस से फ़रमायाः उस पर सवार हो जाओ। उस ने कहाः यह कुर्बानी के लिये है। आप ने फ़रमायाः उस पर सवार हो जाओ.........तुम पर अफ़सोस। आप ने यह (अफ़सोस का शब्द) दो या तीन बार में फ़रमाया।

1761:– अबू जुबैर से रिवायत है कि मैंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से कुर्बानी के जानवर पर सवारी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुये सुना है कि जब तुम मजबूर हो जाओ तो (एहसान के साथ और) अच्छे-भले अन्दाज़ से उस पर सवारी करो कि तुम्हें और कोई सवारी मिल जाये।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि ज़रुरत पड़ने पर क़ुर्बानी के जानवर पर सवारी करने में कोई हरज नहीं।

बाब {क़ुर्बानी का जानवर मन्ज़िल पर पहुँचने से पहले ही थक कर (सफ़र से लाचार होकर) गिर पड़े तो इस का क्या हुक्म है?}

1762:— नाजिया असलामी रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन के हाथ अपनी कुर्बानी का जानवर भेजवाया और उन से कहा कि अगर इन में कोई जानवर मरने लगे तो उसे नहर कर देना और उस के जूते को उस के ख़ून से रँग देना, फ़िर उसे लोगों के लिये छोड़ देना।

1763:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़लाँ अस्लमी को भेजा और उन के साथ 18 ऊँट कुर्बानी के भेजवाए। वह कहने लगे: अगर इन में से कोई अपने पाँव घसीटने लगे (थक जाये और न चले) तो क्या हुक्म है? आप ने फ़रमाया: उसे ज़ब्ह कर देना, उस के जूतों को खून से चपड़ कर उस की कोहान पर निशान लगा देना, और तुम या तुम्हारे साथियों में से कोई उस को न खाये।

1764:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब अपने ऊँट नहर किये तो 30 ऊँट अपेन हाथ से नहर किये और बाक़ी आप के हुक्म से मैंने नहर किये।

फ़ाइदा:— सहीह यह है कि आप ने 63 ऊँट नहर किये थे और बाक़ी अ़ली रज़ि॰ ने (मुस्लिम-1218)

बाब {.............}

1765:— अ़ब्दुल्लाह बिन कुर्त ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह पाक के यहाँ सब से बढ़ कर बड़ाई वाला दिन नहर का दिन (10 ज़िल हिज्जा) है और इस के बाद 11 ज़िल हिज्जा है। ईसा बिन ख़ैर ने कहा कि यह दूसरा दिन होता है। और बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने पाँच या छः ऊँटनियाँ लायीं गयीं तो वह आप के क़रीब होने लगीं कि आप उसी से आरंभ करें जब वह सब नहर हो गयीं तो आप ने धीरे से कुछ फ़रमाया जो मैं न समझ सका। मैंने साथ वालों से पूछा कि आप ने क्या फ़रमाया है? बताया कि "जो चाहे गोशत काट कर ले जाये।

1766:— अ़रफ़ा बिन हारिस किन्दी कहते हैं कि मैं अन्तिम हज्ज में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर था कि आप के पास क़ुर्बानी की ऊँटनिया लायी गयीं। आप ने फ़रमाया: अबुल हसन (यानी अ़ली रज़ि॰) को बुलाओ, उन्हें बुलाया गया तो आप ने उन से फ़रमाया: बंछे को नीचे से पकड़ो, और खुद आप ने उस के ऊपर से पकड़ा। फिर आप दोनों ने उसे (ज़ब्ह करने में) चलाया। जब आप निमट गये तो अपने ख़च्चर पर सवार हुये और अ़ली रज़ि॰ को भी अपने साथ बैठा लिया।

बाब {ऊँटों को किस प्रकार नहर किया जाये?}

1767:— अबू ख़ालिद अहमर इब्ने जोरैज से ....कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के सहाबा ऊँट को नहर किया करते थे, जबकि उस का बायाँ पाँव बाँधा होता और तीन पाँव पर खड़ा होता।

1768:— ज़ियाद बिन जुबैर कहते हैं कि मैं मिना में इब्ने उमर के साथ था कि वह एक आदमी के पास से गुज़रे जो अपनी ऊँटनी का नहर करना चाहता था और वह बैठी हुयी थी। इब्ने उमर ने फ़रमायाः उसे खड़ी करो (एक) पाँव बँधा हुआ हो, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत है।

1769:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं आप के ऊँटों के पास खड़ा हो जाऊँ (जबकि वह नहर किये जा रहे थे) और उन के चमड़े और झोल को बाँट दूँ। क़साई को उन में से कोई चीज़ न दूँ। उन्होंने बताया कि क़साई की उजरत हम अपने पास से दिया करते थे।

बाब {एहराम बाँधने का समय।}

1770:— सओ़द बिन जुबैर रज़ि॰ कहते हैं कि मैंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से कहाः ऐ अबू अ़ब्बास! मुझे तअ़ज्जुब है कि सहाबा लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के एहराम के बारे में इख़्तिलाफ़ करते हैं कि आप ने किस समय एहराम बाँधा था। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को सब से अधिक जानता हूँ। चूँकि आप ने एक ही हज्ज किया है इसीलिये इख़्तिलाफ़ हुआ है। आप हज्ज की निय्यत से रवाना हुये। जब आप ने अपनी मस्जिद में यानी जुल हुलैफ़ा में दो रक्अ़तें पढ़ ली तो उसी समय आप ने एहराम की निय्यत कर ली और उन दो रक्अ़तों से फ़ारिग़ होने के बाद हज्ज के लिये लब्बैक पुकारा। तो कुछ लोगों ने उस समय सुन लिया और उसे याद रखा। फिर आप अपनी सवारी पर सवार हुये। जब आप की ऊँटनी आप को लेकर खड़ी हुयी तो आप ने तलबिया कहा, कुछ लोगों ने उस को पाया। अस्ल में लोग गरोह दर गरोह आप के पास आ रहे थे तो जिन्होंने आप को ऊँटनी पर बैठ कर लब्बैक पुकारते सुना उन्होंने यही समझा कि आप ने ऊँटनी पर बैठने केबाद जब वह खड़ी हुयी है तलबिया कहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रवाना हुये और बैदा के स्थान पर पहुँच कर लब्बैक पुकारा कुछ लोगों ने सुना तो कहने लगे कि आप ने बैदा के स्थान पर एहराम बाँधा। अल्लाह की क़सम! आप ने अपने नमाज़ के मुसल्ले पर ही लब्बैक पुकारा था। फिर जब ऊँटनी आप को लेकर खड़ी हुयी तो लब्बैक पुकारा, और जब बैदा के स्थान पर पहुँचे तो तलबिया पुकारा। सओ़द ने कहा कि जो लोग इब्ने अ़ब्बास की बात को मानते हैं वह अपनी दो रक्अ़तों के बाद मुसल्ला ही से लब्बैक पुकारना शुरु कर देते हैं।

फ़ाइदा:— दो रक्अ़त से मुराद, ज़ोहर की क़स्र नमाज़ है (मुस्लिम-1243) लब्बैक पुकारना कभी एहराम बाँधने के माना में भी इस्तेमाल होता है।

1771:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने कहा कि तुम लोग बैदा के स्थान के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बारे में ग़लत कहते हो। आप ने तो मस्जिद ही के पास लब्बैक पुकारना शुरु कर दिया था......या जुल हुलैफ़ा की मस्जिद के पास।

1772:— उबैद बिन जुरैज कहते हैं कि उन्होंने इब्ने उमर से कहा: ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! मैं आप को चार काम करते देखता हूँ? आप का काई साथी यह नहीं करता। उन्होंने कहा: ऐ इब्ने जुरैज! वह क्या है? उन्होंने कहा: मैंने आप को देखा है किआप (तवाफ़ के दौरान) बैतुल्लाह के सिर्फ़ दो कोनों (हजरे अस्वद, रुक्ने यमानी) को हाथ लगाते हैं। और आप को देखा है कि आप ऐसे चमड़े की जूती पहनते हैं जिस पर बाल नहीं होते। और आप को देखा है कि पीला रन्ग इस्तेमाल करते हैं (कपड़ों में या बालों में) और मैंने आप को देखा है कि जब आप मक्का में हों तो लोग चाँद देखते ही एहराम बाँध लेते हैं, मगर आप आठ ज़िल हिज्जा को बाँधते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा है कि आप सिर्फ़ दोनों यमानी अर्कान (हजरे अस्वद, रुक्ने यमानी) को छूते थे। और बेबाल चमड़े के जूते......तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा है कि आप का जूता ऐसे चमड़े का होता था जिस पर बाल न होते थे और आप उस में वुज़ू भी कर लिया करते थे, तो मैं भी इसी प्रकार के जूते पसन्द करता हूँ। और रहा पीला रन्ग.......तो मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा है कि आप उस से रन्गते थे, इसलिये मैं भी उस से रन्गाना पसन्द करता हूँ। रहा एहराम और लब्बैक पुकारना......तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आप अपनी सवारी के खड़ी होने से पहले लब्बैक पुकारते हों।

1773:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मदीना में ज़ोहर की नमाज़ चार रक्अ़त पढ़ी और जुल हुलैफ़ा में अ़स्र की दो रक्अ़तें पढ़ीं और यही रात गुज़ार कर सुब्ह की। फिर जब आप अपनी सवारी पर सवार हुये और वह आप को लेकर सीधी खड़ी गयी तो आप ने लब्बैक पुकारा।

फ़ाइदा:— क़स्र नमाज़ यात्रा शुरु करने के बाद पढ़ी जाती है। सफ़र के बाद अ़स्र की नमाज़ का समय हुआ तो आप ने क़स्र किया।

1774:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुहर की नमाज़ पढ़ी, फिर अपनी सवारी पर सवार हुये और जब बैदा के रेतीले टीले की ऊँचाई पर पहुँचे तो आप ने लब्बैक पुकारा।

1775:— सअ़द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब "फुरअ़" की राह पकड़ते तो उस समय लब्बैक पुकारना शुरु करते जब आप की सवारी आप को लेकर सीधी खड़ी हो जाती। और जब उहुद की राह पकड़ कर चलते तो उस समय तलबिया पुकारते जब बैदा के टीले पर चढ़ते।

बाब {हज्ज में शर्त करना।}

1776:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि (उम्मे हकीम) जुबाआ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयीं और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हज्ज का इरादा रखती हूँ तो क्या शर्त कर लूँ? आप ने फ़रमायाः हाँ। कहने लगीं: तो कैसे कहूँ? फ़रमायाः कहो, लब्बैक ...... मैं रास्ते में वहीं हलाल हो जाऊँगी जहाँ तू मुझे रोक लेगा।

फ़ाइदा:— अगर इन्सान को ऐसी बीमारी हो जो आगे चल कर रुकावट बन सकती हो तो शर्त कर के एहराम बाँधा जा सकता है।

बाब **{हज्जे इफ़राद के मसाइल का बयान।}**

1777:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्जे इफ़राद किया।

1778:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि ज़िल हिज्जा का चाँद आने पर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ निकले। जब जुलहुलैफ़ा के स्थान पर पहुँचे तो आप ने फ़रमायाः जो हल्ज का एहराम बाँधना चाहे बाँध ले और जो चाहे उम्रे की निय्यत कर ले.....मूसा बिन इस्माईल ने वहैब की रिवायत में बयान किया कि........ (आप ने फ़रमाया) मैंने अगर कुर्बानी साथ न ली होती तो उम्रे का एहराम बाँधता। और हम्माद बिन सलमा की रिवायत में कहाः और मैं हज्ज का एहराम बाँध रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कुर्बानी है। आगे रिवायत बयान करने में सब रावी मुत्तफ़िक़ हैं (आ़इशा रज़ि॰ बयान करती हैं कि) मैं उन लोगों में से थी जिन्होंने उम्रे का एहराम बाँधा। फिर रास्ते में मुझे हैज़ आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास आये तो देखा कि मैं रो रही हूँ। आप ने पूछा क्यों रो रही हो? मैं ने कहाः मैं चाहती हूँ कि इस साल न आयी होती (तो अच्छा था) आप ने फ़रमायाः अपना उम्रा छोड़ दो, बाल खोल कर कन्घी कर डालो और हज्ज की निय्यत कर लो। फिर जब (हज्ज से) वापसी की रात आयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (मेरे भाई) अ़ब्दुर्रहमान को हुक्म दिया तो वह तन्ओ़ीम के स्थान पर ले गये......मूसा ने कहा........और उन्होंने वहाँ से उम्रे का एहराम बाँधा, यानी अपने पहले उम्रे के बदले। फिर बैतुलह का तवाफ़ किया। बहरहाल अल्लाह पाक ने उन का उम्रा और हज्ज पूरा करा दिया। हिशाम कहते हैं......इस सूरत में कोई जानवर हदी (फ़िदया) न हुआ।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मूसा ने हम्माद बिन सलमा की रिवायत में मज़ीद कहा कि जब बतहा की रात आयी (यानी मिना में इक़ामत की रात) तो आ़इशा रज़ि॰ पाक हो गयी थीं।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि इस हालत में उम्रे की निय्यत को हज्ज में बदल लेना चाहिये।

1779:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब हम अन्तिम हज्ज के साल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हज्ज के लिये निकले। तो हम में से कुछ ने उम्रे का एहराम बाँधा और कुछ ने हज्ज और उम्रे का और कुछ ने केवल हज्ज का। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्ज का बाँधा था। जिन्होंने हज्ज, या हज्ज और उम्रा का एहराम बाँधा था वह कुर्बानी के दिन (10 ज़िलहिज्जा) तक हलाल न हुये।

1780:— मालिक ने अबुल अस्वद से अपनी सनद से इसी प्रकार बयान किया और इतना और कहा कि जिन्होंने उम्रा का एहराम बाँधा था वह हलाल हो जाये।

1781:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम लोग अन्तिम हज्ज में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ निकले। हम ने उम्रा का एहराम बाँधा। फिर आप ने फ़रमायाः जिस के साथ क़ुबानी का जानवर है वह उम्रा के साथ हज्ज की भी निय्यत कर ले, और वह हज्ज और उम्रा से फ़ारिग़ होने होने तक हलाल न होगा। फिर जब मैं मक्का आयी तो हैज़ आ गया। मैंने बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं किया और न सफ़ा मर्वा की दौड़ लगायी। मैंने आप से इस की शिकायत की तो फ़रमायाः अपना सर खोल लो, कन्घी कर लो और हज्ज का एहराम बाँध लो उम्रा को छोड़ दो। उन्होंने बयान किया कि मैंने ऐसे ही किया। फिर जब मैंने हज्ज को पूरा कर लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे (मेरे भाई) अ़ब्दुरहमान बिन अबू बक्र के साथ तनअ़ीम भेजा और मैंने उम्रा किया। आप ने फ़रमायाः यह तुम्हारे उस उम्रा के बदले है। उन्होंने बयान किया कि (मक्का पहुँचने के बाद) जिन लोगों ने उम्रे का एहराम बाँध रखा था उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा मर्वा की दौड़ लगायी और हलाल हो गये। उन लोगों ने मिना से वापसी के बाद हज्ज के लिये एक और तवाफ़ (इफ़ाज़ा, ज़ियारह) किया। मगर जिन्होंने हज्ज और उम्रा का एक साथ एहराम बाँधा था (हज्जे किरान का) उन्होंने केवल एक ही तवाफ़ किया।

1782:— आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि हमने हज्ज के लिये लब्बैक पुकारा, जब सरिफ़ के स्थान पर पहुँचे तो मुझे हैज़ आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाये तो उस समय मैं रो रही थी। आप ने पूछाः ऐ आइशा! क्यों रो रही हो? मैंने कहाः मुझे हैज़ आ गया है, ऐ काश! मैं हज्ज के लिये न आयी होती। आप ने फ़रमायाः सुब्हानल्लाह! यह तो ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लिख दी है। फिर आप ने फ़रमायाः हज्ज के तमाम काम करो, केवल बैतुल्लाह का तवाफ़ न करना। चुनान्चे जब हम मक्का में दाख़िल हुये तो आप ने फ़रमायाः जो अपने एहराम को उम्रे में बनाना चाहे वह बना ले, मगर उसे छोड़ कर जिस के पास जानवर है। आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ुबानी के दिन अपनी बीवियों की तरफ़ से गायें ज़ब्ह कीं और जब बतहा की रात आयी और आइशा पाक हो गयीं तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मेरे साथ वाली हज्ज और उम्रा कर के जायेंगी और मैं केवल हज्ज के साथ लौटूंगी? यह सुन कर आप ने अ़ब्दुरहमान (आइशा के भाई) को हुक्म दिया और वह उन्हें तन्अ़ीम के स्थान पर ले गये और उन्होंने वहाँ से उम्रे का एहराम बाँधा।

फ़ाइदा:— जिस ने हज्ज का एहराम बाँधा हो और क़ुबानी साथ न हो तो वह अपने एहराम को उम्रे में बदल सकता है। आइशा की तरह जो हैज़ से हो जाये वह बाद में तन्अ़ीम से जा कर एहराम बाँध कर उम्रा कर ले, लेकिन जो लोग बिना किसी मजबूरी के वहाँ जा कर उम्रा का एहराम बाँधते हैं उन के लिये जाइज़ नहीं।

1783:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हज्ज के लिये निकले, हम सिर्फ़ हज्ज समझ रहे थे, मगर जब हम मक्का पहुँचे और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया तो आपने हुक्म दिया कि जो कुर्बानी साथ नहीं लाया है वह एहराम खोल दे (हलाल हो जाये) चुनान्चे जो कुर्बानियाँ नहीं लाये थे वह हलाल हो गये।

1784:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर मुझे इस बात की पहले ख़बर होती जिस की बाद में हुयी है तो मैं कुर्बानी साथ लेकर नहीं आता।

मुहम्मद बिन यहया ने कहाः मेरा ख़याल है कि शैख़ ने यह भी कहाः "और मैं उम्रे के बाद हलाल होने वालों के साथ हलाल हो जाता" उन्होंने कहाः आप का इरादा था कि सब लोग एक ही हाल पर हों।

1785:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सिर्फ़ हज्ज की निय्यत से चले, और आ़इशा ने उम्रे का एहराम बाँधा, जब वह सरिफ़ के स्थान पर पहुँची तो उन्हें हैज़ आ गया। फिर जब हम मक्का आये और काबा का तवाफ़ किया और सफ़ा-मर्वा की दौड़ भी लगा ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम में से जिस जिस के पास कुर्बानी नहीं है वह हलाल हो जाये। हम ने कहाः हलाल होना कैसा? आप ने फ़रमायाः पूरी तरह हलाल होना।.......चुनान्चे हम अपनी पत्नियों से हमबिस्तर भी हुये, खुश्बू लगायी और आ़म कपड़े पहन लिये, हालाँकि हमारे और अ़रफ़ह जाने के दर्मियान केवल चार रातें बाक़ी थीं। फिर हमने आठवीं तारीख़ को एहराम बाँधा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आइशा के पास आये तो देखा कि वह रो रही हैं। आप ने पूछाः क्यों रो रही हो? कहने लगीं कि मुझे हैज़ आ गया है, लोग हलाल हुये और मैं हलाल नहीं हुयी और न बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और वह अब हज्ज के लिये जा रहे हैं। आप ने फ़रमायाः यह मामला तो अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लिख दिया है, तुम स्नान कर डालो और हज्ज के लिये एहराम बाँध लो। चुनान्चे उन्होंने ऐसा ही किया और हज्ज के तमाम मीक़ात पर ठहरीं, फिर जब पवित्र हो गयीं तो बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा-मर्वा के दर्मियान दौड़ लगायी, फिर आप ने फ़रमायाः तुम अपने हज्ज और उम्रे सब से हलाल हो गयी हो। कहने लगींः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे दिल में इच्छा है कि मैंने हज्ज किया तो (शुरु में) तवाफ़ नहीं कर सकी। आप ने फ़रमायाः ऐ अ़ब्दुर्रहमान! इन को ले जाओ और तन्ई़म से उम्रा करा डालो और यह हसबा की रात थी (यानी तश्रीक़ के बाद जिस रात मदीना की तरफ़ वापसी के लिये बतहा में पड़ाव डाला गया था)

1786:— अबू जुबैर ने बयान किया कि मैं ने जाबिर रज़ि॰ को बयान करते सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम आ़इशा के पास आये और इस घटना का कुछ हिस्सा बयान कया.....
.और "हज्ज के लिये एहराम बाँध लो" के बाद यह फ़रमायाः "फिर हज्ज करो और वह सब कुछ करो जैसे हाजी करता है, केवल बैतुल्लाह का तवाफ़ न करना और नमाज़ न पढ़ना।

1787:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ केवल हज्ज का एहराम बाँधा, उस में किसी और की निय्यत न थी। फिर ज़िल् हिज्जा की चार रातें बीत जाने के बाद हम मक्का पहुँचे, हम ने तवाफ़ और सअ़ी की। फिर आप ने हमें हलाल होने का हुक्म दे दिया और फ़रमायाः अगर मेरे साथ कुर्बानी न होती तो मैं भी हलाल हो जाता। फिर सुराक़ा बिन मालिक ख़ड़े हुये और पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमारा यह तमत्तो (हज्ज के साथ उम्रा करना) इसी साल के लिये है या हमेशा के लिये है? आप ने फ़रमायाः हमेशा के लिये है।

फ़ाइदा:— हज्ज के दिनों में या हज्ज के साथ उम्रा भी करना जाइज़ है, पहले लोग बुरा समझते थे।

1788:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के सहाबा (मक्का) पहुँचे जबकि ज़िलहिज्जा की चार रातें बीत चुकी थीं। जब उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा-मर्वा की दौड़ लगा ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इसे उम्रा बना लो उसे छोड़ कर जिस के पास कुर्बानी हो। फिर जब आठवीं तारीख़ आयी तो उन लोगों ने हज्ज का एहराम बाँधा और फिर कुर्बानी वाले दिन यह लोग मक्का आये और बैतुल्लाह का तवाफ़ किया मगर सफ़ा-मर्वा की सअ़ी नहीं की।

1789:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के सहाबा ने हज्ज का एहराम बाँधा। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और तल्हा रज़ि॰ के अ़लावा किसी के पास कुर्बानी के जानवर नहीं थे। अ़ली रजि॰ यमन से आये थे और वह भी अपने साथ कुर्बानी साथ लाये थे। उन्होंने इस प्रकार निय्यत की थी "मैं उसी प्रकार एहराम बाँधता हूँ जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बाँधा है" और आप ने सहाबा को हुक्म दिया था कि अपने एहराम को उम्रा का एहराम बना लें, तवाफ़ करें (सफ़ा मर्वा की सअ़ी भी करें) फिर बाल कटवा कर हलाल हो जायें सिवाए उस के जिस के साथ कुर्बानी हो। कुछ लोगों ने कहाः तो क्या हम मिना को इस हालत में जायेंगे कि हमारी शर्मगाहों से मनी टपक रही होगी? आप को जब यह बात मालूम हुयी तो फ़रमायाः अगर यह बात मुझे पहले मालूम हो गयी होती तो मैं कुर्बानी साथ न लाता, और अगर मेरे साथ कुर्बानी न होती तो मैं भी हलाल हो जाता।

1790:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह उम्रा है, हम ने इस का लाभ उठाया है, इसलिये जिस के साथ कुर्बानी न हो वह हलाल हो जाये पूरी तरह हलाल होना। और क़ियामत तक के लिये उम्रा हज्ज में दाख़िल हो गया है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह रिवायत मुन्कर है, यह केवल इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ का क़ौल है।

फ़ाइदा:— इमाम अबू दावूद का इस हदीस को मुन्कर कहना सही नहीं, यह मस्अ़ला सहीह हदीसों से साबित है (मुस्लिम-2141) पहले के लोग हज्ज के साथ उम्रा गुनाह समझते थे इसलिये नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उम्रा करने की ताकीद फ़रमा दी।

1791:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब आदमी ने हज्ज का एहराम बाँधा फिर मक्का आया, बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा-मर्वा की सअ़ी की तो वह हलाल हो गया और यह उम्रा होगा।

1792:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्ज का लब्बैक कहा। जब मक्का आये और काबा का तवाफ़ और सफ़ा-मर्वा की सअ़ी कर ली...... ...इब्ने शौकर ने कहा.........और आप ने बाल नहीं कतरवाए............फिर इब्ने शौकर और अहमद बिन मनीअ़ दोनों ने कहा......और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी कुर्बानी की वजह से हलाल नहीं हुये (लेकिन) जिन लोगों के साथ कुर्बानी नहीं थी, उन्हें हुक्म दिया कि तवाफ़ और सअ़ी के बाद बाल कटा कर हलाल हो जायें। इब्ने मनीअ़ की रिवायत में है कि "या बाल मुँडवा कर हलाल हो जायें।"

1793:— सअ़ीद बिन मुसय्यिब से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से एक शख़्स उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ के पास आया और गवाही दी कि उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अन्तिम बीमारी में सुना है कि आप हज्ज से पहले उम्रा करने से मना फ़रमाते थे।

फ़ाइदा:— हज्ज से पहले उम्रा करना जाइज़ है। यहाँ यह मतलब है कि पहले हज्ज करे क्योंकि यह बड़ा फ़र्ज़ है, उम्रा से और अहम है। हदीस हसन है।

1794:— मुआ़विया बिन अबू सुफ़यान ने सहाबा से कहाः क्या आप लोग जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़लाँ-फ़लाँ काम से मना फ़रमाया है और चीते की खाल पर सवार होने (बैठने) से भी मना फ़रमाया है? उन्होंने कहाः हाँ। उन्होंने कहाः आप लोग यह भी जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्ज और उम्रे को मिलाने से भी मना किया है? सहाबा ने कहाः नहीं। हमें नहीं मालूम। मुआ़विया ने कहाः यह है तो उन (मना की हुयी चीज़ों) ही के साथ, मगर आप लोग भूल रहे हैं।

फ़ाइदा:— मुआविया रज़ि॰ को हज्ज और उम्रा मिलाने के मस्अले में भूल हुयी है। यह हदीस ज़ओ़फ़ भी है। हज्ज को उम्रा के साथ मिलाना दुरुस्त है।

बाब {हज्जे क़िरान के मसाइल।}

1795:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना कि आप हज्ज और उम्रे का लब्बैक एक साथ पढ़ते हुये कह रहे थे "लब्बे-क उम्-र-तन् व हज्जन्"

फ़ाइदा:— हज्ज और उम्रा में निय्यत पुकार कर कही जाती है, बाक़ी किसी इबादत में लफ़्ज़ी निय्यत साबित नहीं।

1796:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुल हुलैफ़ा के स्थान पर रात गुज़ारी यहाँ तक कि सुब्ह हो गयी। फिर आप (ज़ोहर के बाद) अपनी सवारी पर सवार हुये और वह आप को लेकर बैदा के मैदान में सीधी खड़ी हो गयी तो आप ने अल्लाह की हम्द, तस्बीह, और तक्बीर पुकारी, फिर हज्ज और उम्रे का लब्बैक पुकारा, और लोगों ने भी ऐसा ही किया। फिर जब हम मक्का पहुँचे तो आप ने लोगों को हुक्म दिया तो वह हलाल हो गये (यानी जिन के पास क़ुर्बानी नहीं थी) फिर जब 8वीं तारीख़ आयी तो उन्होंने हज्ज का एहराम बाँधा और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने हाथ से सात ऊँटनियाँ नहर (क़ुर्बान) कीं इस हाल में कि वह खड़ी हुयी थीं।

1797:— बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ली रज़ि॰ को जब यमन का हाकिम बना कर भेजा तो मैं उन के साथ था। इस ख़िदमत के बदले में मुझे चन्द ऊक़िया सोना भी मिला था। अ़ली रज़ि॰ जब यमन से वापसी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मिले तो वह कहते हैं कि मैं ने इस हाल में पाया कि वह रन्गीन कपड़े पहने हैं और अपने घर को भी उन्होंने खुश्बूदार कर रखा है (इस पर अ़ली को तअ़ज्जुब हुआ तो) वह बोलीं: आप हैरान क्यों हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया है और वह लाल हो गये हैं। अ़ली रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने फ़ातिमा से कहा: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वाले एहराम की निय्यत कर रखी है। उन्होंने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ तो आप ने पूछा: तुम ने कैसे निय्यत की थी? मैंने कहा: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वाले एहराम की निय्यत की है। आप ने फ़रमाया: मैं अपनी क़ुर्बानी साथ लाया हूँ और क़िरान की निय्यत है। अ़ली ने कहा कि फिर आप ने मुझे हुक्म दिया कि 66 या 67 ऊँट नहर कर के 55 या 34 ऊँट अपने लिये ले लो, और हर कुर्बानी में से गोश्त का एक-एक टुक्ड़ा मेरे लिये लाओ।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने 63 ऊँट नहर किये बाक़ी अ़ली रजि॰ ने (मुस्लिम-1218)

1798:— अबू वाइल ने बयान किया कि सुब्बी बिन माबद ने कहा कि मैंने हज्ज और उम्रे दोनों का एक साथ ही तलबिया कहा है तो उमर ने कहा: तुम्हें अपने नबी के तरीक़े की हिदायत मिली है।

1799:— अबू वाइल ने बयान किया कि सुब्बी बिन माबद ने कहा कि एक नसरानी बद्दू आदमी था जो इस्लाम ले आया था। मैंने अपने क़बीला के एक आदमी जिस का नाम हुदैम था आया। मैंने उस से कहा: अरे मियाँ! मैं जिहाद करना चाहता हूँ मगर हज्ज और उम्रा भी लाज़िम हो चुके हैं तो अगर मैं उन दोनों (हज्ज-उम्रा) को जमा कर लूँ तो कैसा रहेगा? उस ने कहा: उन दोनों को जमा कर लो और जो आसानी से मिले उस की कुर्बानी कर लो। चुनान्चे मैंने दोनों की निय्यत कर के तलबिया कहा (और एहराम बाँध लिया) जब मैं उज़ैब के स्थान पर पहुँचा तो मुझे सलमान बिन

रबीआ और ज़ैद बिन सौहान मिले उस समय मैं दोनों का लब्बैक पुकार रहा था। यह सुन कर उन में से एक ने दूसरे से कहा: यह अपने ऊँट से ज़्यादा समझदार नहीं है। (यानी बेवकूफ़ है कि हज्ज और उम्रा का तलबिया एक साथ पुकार रहा है) सुब्बी ने बयान किया कि उन की इस बात को सुन कर गोया मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा, फिर मैं उमर के पास आया और उन से कहा: ऐ ख़लीफ़ा! मैं एक बद्दू नसरानी था, मुसलमान हो गया हूँ। जिहाद में जाने की इच्छा है, मगर मैं ने देखा कि मुझ पर हज्ज और उम्रा दोनों वाजिब हो चुका है तो मैं अपनी क़ौम के एक आदमी के पास आया, उस ने मुझ से कहा कि एक साथ निय्यत कर लो और जो मिले उस की क़ुर्बानी कर लो। चुनान्चे मैं ने उन दोनों का एक साथ लब्बैक पुकारा है। यह सुन कर उमर रज़ि॰ ने कहा: तुम्हें तुम्हारे नबी के तरीक़े की हिदायत मिली है।

फ़ाइदा:— दोनों का एक साथ एहराम बाँधना सुन्नत है।

1800:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने मुझ से कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अ़क़ीक़ की वादी में फ़रमाते सुना आज रात मेरे रब की तरफ़ से एक आने वाला आया और उस ने कहा कि इस मुबारक वादी में नमाज़ पढ़ो। और उस ने कहा कि उम्रा, हज्ज में दाख़िल है।

1801:— रबीअ़ बिन सुबरा अपने पिता से बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ रवाना हुये। जब अ़स्फ़ान के स्थान पर पहुँचे तो सुराक़ा बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! हमें अच्छी तरह समझा दीजिये और हमें ऐसी क़ौम जानिये जो गोया आज ही पैदा हुयी है। आप ने फ़रमाया: अल्लाह पाक ने तुम्हारे इस हज्ज में उम्रे को दाख़िल कर दिया है, इसलिये जब तुम मक्का पहुँचो तो जिस ने बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा-मर्वा की दौड़ लगा ली तो वह हलाल हो गया, मगर यह कि उस के साथ क़ुर्बानी हो।

1802:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि मुआ़विया रज़ि॰ ने उन्हें बताया कि मैंने मर्वा पर तीर के फल से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाल काटे थे......या.........मैंने देखा कि मर्वा पर तीर के फल से आप के बाल काटे गये।

1803:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि मुआ़विया रज़ि॰ ने उन से कहा: क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने मर्वा पर एक बद्दू के तीर (के फल) से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाल काटे थे। हसन बिन अ़ली रज़ि॰ की रिवायत में इतना और है कि "हज्ज के मौक़ा पर"।

फ़ाइदा:— मुआ़विया रज़ि॰ ने जिइर्राना के उम्रा के मौक़ा पर बाल काटे थे (नसई-2990) हज्ज के मौक़ा पर कहना यह शुब्हा और वहम है।

1804:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उम्रे का तलबिया पुकारा और आप के सहाबा ने हज्ज का।

1805:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम हज्ज में उम्रा को हज्ज के साथ मिला कर हज्जे तमत्तो किया। आप ने ज़ुल हुलैफ़ा के स्थान से अपने लिये कुर्बानी के जानवर भी लिये। शुरु में आप ने उम्रा का तलबिया पढ़ा और फिर हज्ज का। लोगों ने भी आप के साथ उम्रा को हज्ज के साथ मिला कर तमत्तो किया। लोगों में कुछ वह थे जो अपने साथ कुर्बानी के जानवर साथ ले गये थे, और कुछ वह थे जो नहीं ले गये थे। जब आप मक्का पहुँचे तो लोगों ने कहाः तुम में से जो शख़्स कुर्बानी लाया है उस केलिये हराम होने वाली कोई चीज़ हलाल नहीं यहाँ तक कि आप हज्ज मुकम्मल कर लें। लेकिन जो कुर्बानी नहीं लाया है उसे चाहिये कि काबा का तवाफ़ और सफ़ा मर्वा की सअ़ी कर के अपने बाल कटा कर हलाल हो जाये। फिर इस के बाद हज्ज का एहराम बाँधे और कुर्बानी दे। और जो कुर्बानी नहीं रखता वह हज्ज के दिनों में तीन रोज़ें रखे और सात दिन अपने घर जा कर रखे। चुनान्चे आप ने मक्का पहुँच कर तवाफ़ किया और सब से पहले रुक्न (हजरे अस्वद) को चूमा, फिर तवाफ़ के सात चक्करों में से पहले तीन चक्कर में धीरे-धीरे दौड़ लगाई और बाक़ी चार में (आ़म रफ़्तार से) चले। तवाफ़ के बाद आप ने मुक़ामे इब्राहीम के पास दो रक्अ़त नमाज़ पढ़ी, फिर सलाम फेरा। फिर सफ़ा की तरफ़ आये और सफ़ा मर्वा के सात चक्कर लगाये। फिर भी आप पर हराम होने वाली चीज़ों में से कोई भी चीज़ हलाल नहीं हुयी (यानी आप एहराम की हालत में रहे) यहाँ तक कि अपना हज्ज मुकम्मल किया, दस्वीं तारीख़ को कुर्बानी दी और इफ़ाज़ा का तवाफ़ किया, फिर आप के लिये तमाम चीज़ें हलाल हो गयीं जो एहराम की हालत में हराम थीं और दूसरे लोगों ने भी जो अपने साथ कुर्बानी लाये थे उसी तरह किया जिस प्रकार नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किया।

1806:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी हफ़्सा से रिवायत है उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! लोगों का क्या हाल है कि वह हलाल हो गये हैं? जबकि आप उम्रा कर के भी हलाल नहीं हुये हैं। आप ने फ़रमायाः मैंने अपने सर के बाल चिपका रखे हैं और कुर्बानी के जानवरों को पट्टी पहनाया हुआ है, इसलिये मैं उस समय तक हलाल नहीं हो सकता जब तक कि कुर्बानी नहर (ज़ब्ह) न कर लूँ।

बाब {अगर हाजी पहले हज्ज का तलबिया कहे फिर उसे उम्रा बना दे तो?}

1807:— अबू ज़र रज़ि॰ उस शख़्स के बारे में कहा करते थे जो हज्ज की निय्यत करे फिर उसे समाप्त कर के उम्रा बना दे। यह सिर्फ़ उन लोगों के लिये था जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे।

फ़ाइदा:— यह अबू ज़र रज़ि॰ का ख़याल है, वर्ना इस में कोई हरज नहीं कि पहले हज्ज की निय्यत से एहराम बाँधे और फिर उसे उमरा में बदले ले। सहाबा की बड़ा संख्या का इस पर अ़मल है।

1808:— हारिस बिन बिलाल अपने पिता से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहाः ऐ अललाह के

सन्देष्टा! क्या हज्ज को समाप्त कर देना हमोर लिये ख़ास है, या हमारे बाद वालों के लिये भी है? आप ने फ़रमायाः बल्कि यह तुम्हारे ही लिये ख़ास है।

बाब **{इन्सान किसी दूसरे की तरफ़ से हज्ज करे।}**

1809:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि (उन के भाई) फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ आप के पीछे सवारी पर बैठे हुये थे कि क़बीला ख़स्अ़म की एक महिला आप से कुछ पूछने आयी तो फ़ज़्ल उसे निहारने (देखने) लगे और वह उन्हें देखने लगी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस का चेहरा दूसरी तरफ़ फेर दिया। उस महिला ने पूछा था कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पिता जी पर हज्ज इस हालत में फर्ज़ हुआ है जबकि वह सवारी पर टिक नहीं सकते, तो क्या मैं उन की तरफ़ से हज्ज करुँ? आप ने फ़रमायाः हाँ। और यह अन्तिम हज्ज के मौक़ा की घटना है।

फ़ाइदा:— कोई भी दूसरे की तरफ़ से हज्जे बदल कर सकता है, मगर शर्त यह है कि वह पहले अपनी तरफ़ से कर चुका हो।

1810:— बनी आ़मिर के शख़्स अबू रज़ीन ने बयान किया कि उन्होंने पूछा थाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मेरे पिता जी बहुत बूढ़े हैं और हज्ज व उम्रा की ताक़त नहीं रखते हैं और न सवारी पर बैठ सकते हैं। आप ने फ़रमायाः अपने पिता की तरफ़ से हज्ज करो और उम्रा भी।

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम हुआ कि हज्ज की तरह उम्रा भी वाजिब होता है। देखें ऊपर का "फ़ाइदा"

1811:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स को सुना कि वह कह रहा थाः लब्बैक अ़न शिब्-रमा (मैं शिब्रमा की तरफ़ से हाज़िर हूँ) आप ने पूछाः शिब्रमा कौन है? उस ने कहाः मेरा भाई या रिश्तेदार। आप ने पूछाः क्या तुम ने अपनी तरफ़ से हज्ज कर लिया है? उस ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः पहले अपनी तरफ़ से करो फिर शिबरमा की तरफ़ से करना।

बाब **{तलबिया कैसे कहे?}**

1812:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के तलबिया के शब्द इस तरह थे।

> ***लब्बै-क अल्लाहुम्म लब्बै-क ला शरी-क ल-क लब्बै-क इन्नल् हम्-द***
> ***वन्ने-म-त ल-क वल् मुल्-क, ला शरी-क ल-क***
> (हाजिर हूँ मैं ऐ अल्लाह! हाज़िर हूँ, हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ,
> तमाम तारीफ़ें और नेमतें तेरी हैं और मुल्क भी तेरा ही है, तेरा कोई शरीक नहीं)

इमाम नाफ़े ने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ अपने तलबिया में इज़ाफ़ा करते हुये यूँ कहा करते थे

लब्बै-क, लब्बै-क, लब्बै-क व सादै-क वल् ख़ैरु बि-यदै-क वर्रग़बाउ इलै-क वल् अ-मलु
(मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ और बहुत भाग्यशाली हूँ। ख़ैर और भलाई सब तेरे हाथों में है। हमारी इच्छायें और प्रश्न तेरी तरफ़ हैं, और अ़मल भी तेरे ही लिये हैं)

1813:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एहराम बाँधा और तलबिया पढ़ा। और इब्ने उमर रज़ि॰ के तलबिया पढ़ने के शब्द बयान किये, कहा कि लोग "ज़ल् मआ़रिज" और इस प्रकार के शब्द ज़्यादा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन्हें सुनते और कुछ न कहते थे।

फ़ाइदा:— अफ़ज़्ल यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के शब्दों को दोहराया जायें, ताहम अगर कोई सहीह माना व अर्थ वाला शब्द बढ़ा कर पढ़े तो भी जाइज़ है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सुना और चुप रहे।

1814:— ख़ल्लाद बिन साइब अन्सारी अपने पिता से नक़ल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मेरे पास जिब्रील आये और मुझे हुक्म दिया कि मैं सहाबा और दूसरे लोगों को हुक्म दूँ कि तलबिया कहने में अपनी आवाज़ को ऊँची रखें।

फ़ाइदा:— मगर महिलायें नीची रखें।

बाब {हाजी तलबिया कहना कब बन्द करे।}

1815:— फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (10 ज़िल हिज्जा को) अ़क़बा के जमुरे को कन्करियाँ मारने तक तलबिया कहते रहे।

1816:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम (नौ तारीख़ को) सुब्ह के समय मिना से अ़राफ़ात की तरफ़ रवाना हुये तो कुछ लोग हम में से तलबिया पुकार रहे थे और कुछ तक्बीर।

बाब {उम्रा करने वाले किस समय तलबिया बन्द करे?}

1817:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उम्रा करने वाला हजरे अस्वद को हाथ लगाने (या बोसा देने) तक तलबिया कहता रहे।

बाब {मोहरिम अपने गुलाम को सज़ा दे?}

1818:— अबू बक्र रज़ि॰ की पुत्री अस्मा रज़ि॰ से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हज्ज के लिये निकले। जब हम अ़रज के स्थान पर पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पड़ाव किया और हम भी उतर पड़े। आ़इशा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ बैठीं और मैं अपने पिता के पास बैठी। अबू बक्र और नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामान को उठाने वाला जानवर एक ही था जो अबू बक्र के गुलाम की निग्रानी में था। अबू बक्र बैठ कर उस का इन्तिज़ार कर रहे थे कि वह आ जाये। वह आया तो ऊँट उस के साथ नहीं था। उन्होंने पूछाः ऊँट कहाँ है? उस ने कहाः वह आज रात गुम हो गया। अबू बक्र ने कहाः केवल एकऊँट था उसे भी तू ने गुम कर दिया? और फिर उसे मारने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे और फ़रमाने लगेः देखो इस मोहरिम को, क्या कर रहा है?

इब्ने अबी ज़रमा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस से अधिक और कुछ न कहा कि "इस मोहरमि को देखो, क्या कर रहा है" और मुस्कुराते रहे।

फ़ाइदा:— एहराम की हालत में लड़ाई झगड़ा नाजाइज़ है, लेकिन तादीब और समझाने के लिये अपने मातहत को सज़ा देने में कोई हरज नहीं। और अगर इस से भी बचे तो और बेहतर है।

बाब **{अगर कोई अपने पहनने वाले कपड़ों में एहराम बाँधे तो?}**

1819:— सफ़वान अपने पिता याला बिन उमय्या से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ जबकि आप जिईराना के स्थान पर थे वह आदमी ख़लूक़ की खुश्बू लगाये हुये था, या पीले रन्ग की कोई खुश्बू थी, वह जुब्बा पहने हुये था। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे क्या बताते हैं मैं अपने उम्रे में कैसे करुँ? अल्लाह पाक ने आप पर वह्यि की। जब इस का सिलसिला बन्द हुआ तो आप ने पूछाः वह उम्रे के बारे में पूछने वाला कहाँ है? आप ने उस से फ़रमायाः ख़लूक़ खुश्बू को धो डालो, या फ़रमायाः पीला रन्ग धो डालो, जुब्बा उतार दो और अपने उम्रे में वही कुछ करो जो तुम अपने हज्ज में करते हो।

फ़ाइदा:— मर्द के लिये सिले हुये कपड़े में एहराम नहीं है, अगर भूले से पहन ले तो उसे उतार दे। एहराम से पहले खुश्बू लगा सकता है अर्गचे उस का असर बाद में भी बाक़ी रहे। हज्ज और उम्रे के एहराम के अहकाम एक हैं।

1820:— याला बिन उमय्या से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से फ़रमायाः अपना जुब्बा उतार दो, चुनान्चे उस ने उसे सर की तरफ़ से उतार दिया........और हदीस बयान की।

1821:— याला बिन उमय्या ने रिवायत किया उस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि उसे (जुब्बा को) उतार दो और स्नान करो दो बार या तीन बार .... और हदीस बयान की।

1822:— सफ़वान अपने पिता याला से रिवायत करते हैं कि जिईराना के स्थान पर एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लमके पास आया, उस ने उम्रे का एहराम बाँधा हुआ था, जुब्बा पहने हुये था, उस की दाढ़ी और सर में पीले रन्ग की खुश्बू लगी हुयी थी.......फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब {मोहरिम के **लिबास** का बयान।}

1823:— इमाम सालिम अपने पिता (अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछाः मुहरिम कौन से वस्त्र न पहने? आप ने फ़रमायाः क़मीस, टोपीदार कुर्ता, शलवार, पगड़ी, या ऐसा कपड़ा जिस को वर्स या ज़फ़रान लगा हो उसे न पहने, और मोज़े भी न पहने, मगर यह कि किसी के पास जूते न हों। जिस के पास जूते न हों वह मोज़े पहन ले मगर उन्हें काट ले यहाँ तक कि टख़्नों से नीचे हो जायें।

1824:— इब्ने उमर रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत करते हैं।

फ़ाइदा:— महिला, शलवार, क़मीस और दोपट्टे और पर्दे ही में एहराम बाँधेगी, मगर खुश्बू नहीं लगाएगी, दस्ताने भी नहीं पहनेगी। मोज़ा काट कर पहनने का हुक्म आरंभ में था, बाद में काटने का हुक्म समाप्त हो गया (बुख़ारी-1841, मुस्लिम-1178)

1825:— इमाम नाफ़े ने इब्ने उमर रज़ि॰ से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है, और मज़ीद यह भी कहा है किः "एहराम वाली महिला नक़ाबा पहने और न दस्ताना पहने।"

फ़ाइदा:— उस नक़ाब से मना किया गया है जो कि सिर्फ़ नाक या आँख के नीचे बाँधा जाता है। आज कल का निक़ाब जिसे चेहरे के पर्दे के लिये प्रयोग किया जाता है इस से नहीं मना किया है।

1826:— इब्ने उमर रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमायाः एहराम वाली महिला न नक़ाब लगाये और न दस्ताने पहने।

1827:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना कि आप ने महिलाओं को एहराम में दस्ताने पहनने और नक़ाब लगाने से मना फ़रमाया है। और ऐसे लिबास से भी जो ज़ाफ़रान और वर्स से रन्गा हो। इन को छोड़ कर जो लिबास और रन्ग चाहे पहन ले, चाहे पीला रन्ग हो या रेशम, या ज़ेवर या शलवार या क़मीस या मोज़ा।

फ़ाइदा:— हदीस का अन्तिम हिस्सा रावी का अपना क़ौल है, हदीस नहीं है। पीले रन्ग और मोज़ों का पहनना बिना किसी मजबूरी के मना है।

1828:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि उन्हें सर्दी लगी तो उन्होंने कहाः ऐ नाफ़े! मुझ पर कोई कपड़ा डाल दो, चुनान्चे मैंने उन के ऊपर एक बुनुस डाल दी तो उन्होंने कहाः मुझ पर यह कपड़ा डाल रहे हो हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस को पहनने से मना किया है।

फ़ाइदा:— ओढ़ लेने में कोई हरज नहीं, मगर इब्ने उमर रज़ि॰ का तक़्वा ऐसा था कि इसे भी

पसन्द न किया। हाँ, उसे बाक़ायदा पहनना मना है। एक क़मीस जिस का हिस्सा टोपी के तौर पर इस्तेमाल होता है उसे "बुर्नुस" कहते हैं।

1829:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः जिसे तहबन्द न मिले वह शलवार पहन ले, और जिस के पास जूते न हों वह मोज़े पहन ले।

इमाम अबू दावूद ने कहाः यह मक्का वालों की रिवायत है और इस का मदार बसरा में जाबिर बिन ज़ैद हैं। इस रिवायत में सब से अलग थलग बात यह है कि इस में "सरावील" (शलवार) का ज़िक्र है और मोज़ों के बारे में काटने की हिदायत नहीं।

1830:— आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ मक्का जाते तो एहराम के समय अपनी पेशानी पर कई खुश्बू मिला हुआ लेप लगा लिया करती थीं, जब पसीना आता तो वह हमारे चेहरों पर बह आता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उसे देखते तो उस से मना न फ़रमाते थे।

फ़ाइदा:— एहराम से पहले लगाना दुरुस्त है, अगर्चे उस का असर बाद में भी बाक़ी रहे। एहराम बाँधने के बाद तो बिल्कुल जाइज़ नहीं।

1831:— इमाम सालिम अपने पिता अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ के बारे में बयान करते हैं कि वह एहराम की हालत वाली महिला से कहते थे कि वह अपने मोज़े काट ले। फिर (उन की पत्नी) सफ़िय्या ने उन्हें बताया कि आ़इशा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने महिलाओं को मोज़ा पहनने की रुख़्सत दी है तो वह अपनी बात से रुक गये।

फ़ाइदा:— यह रुख़्सत महिलाओं के अ़लावा मर्दों को भी मजबूरी में हासिल है।

बाब {मुहरिम का हथियार रखना।}

1832:— बरा रज़ि॰ से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुदैबिया वालों से समझौता किया तो इस बात पर किया था कि मुसलमान मक्का में इस हालत में दाख़िल होंगे कि उन के हथियार उन के मियान में होंगे। इमाम शोबा ने इस्हाक़ से पूछाः "जुलुब्बान" क्या होता है? उन्होंने कहाः चमड़े का वह थैला जिस में हथियार रखा जाता है।

फ़ाइदा:— इमाम सहाबा ने क्या दलील पकड़ी है। यह हैं मुहद्दिस और फ़क़ीह।

बाब {महिला एहराम की हालत में भी अपना चेहरा छुपाए।}

1833:— आ़इशा रज़ि॰ बयान करती हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ एहराम की हालत में थे। जब क़ाफ़िले वाले सामने से गुज़रते तो हम अपने पर्दे की चादर को सर से चेहरे पर लटका लेतीं, जब वह आगे बढ़ जाते तो चेहरा खोल लेती थीं।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ओ़फ़ है, लेकिन दूसरी सहीह हदीसों से इस की ताईद होती है।

बाब {मुहरिम को साया करना।}

1834:— उम्मुल् हुसैन बयान करती हैं कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ अन्तिम हज्ज अदा किया। मैंने उसामा और बिलाल रज़ि॰ को देखा कि उन में से एक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ऊँटनी की नकेल पकड़े हुये था और दूसरे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को गरमी से बचाने के लिये आप पर कपड़ा ताने हुये थे (और उन दोनों की यह ख़िदमत इसी प्रकार रही) यहाँ तक कि आप ने अ़क़बा के जमुरा को कंकरियाँ मार लीं।

फ़ाइदा:— मुहरिम, एहराम की हालत में साया में बैठे, छाता प्रयोग करे, या किसी को साया दे, या किसी से साया ले, यह सब जाइज़ है। हाँ, पगड़ी, टोपी या रुमाल नहीं बाँध सकता।

बाब {मुहरिम का पोछना लगवाना।}

1835:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में पोछना लगवाया था।

1836:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में अपने सर में बीमारी की वजह से पोछना लगवाया।

1837:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एहराम की हालत में अपने पाँव की पुश्त पर किसी तक्लीफ़ की वजह से पोछना लगवाया।

फ़ाइदा:— आज भी ज़रुरत पड़ने पर पोछना लगवाया जा सकता है, कोई हरज नहीं। कुछ उलमा का कहना है कि अगर बाल काट कर उस स्थान पर पोछना लगाया है तो बाल काटने पर हर्जाना देना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं।

बाब {एहराम की हालत में सुर्मा लगाना।}

1838:— नुबैह से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि उमर बिन उबैदुल्लाह बिन मामर की आँखें ख़राब हो गयीं तो उन्होंने इबान बिन उस्मान से पूछाः क्या किया जाये? सुफ़यान ने बताया कि वह उन दिनों हज्ज के अमीर थे। उन्होंने उत्तर दिया कि एलवा को लेप कर लें, क्योंकि मैंने उस्मान रज़ि॰ से सुना है कि वह यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते थे।

1829:— उस्मान. बिन अबू शैबा ने उसे हमें इस्माअ़ील बिन इब्राहीम से, उन्होंने नाफ़े से, उन्होंने नुबैह बिन वहब से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया।

फ़ाइदा:— एहराम की हालत में आँख में दवा डालने, लेप करने में कोई हरज नहीं।

बाब {मुहरिम स्नान कर सकता है।}

1840:— अ़ब्दुल्लाह बिन हुनैन से रिवायत है कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास और मिस्वर बिन मख़्रमा रज़ि॰ अबवा के स्थान पर थे कि उन दोनों के दर्मियान इस मस्अले में इख़्तिलाफ़ हो गया।

इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहा कि मुहरिम अपना सर धो सकता है और मिस्वर ने कहा कि नहीं धो सकता है। चुनान्चे इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने मुझे (यानी अ़ब्दुल्लाह बिन हुनैन को) अबू अय्यूब अन्सारी के पास भेजा तो मैंने उन को इस हालत में पाया कि कुँए की चर्ख़ी की दो लकड़ियों के पास स्नान कर रहे हैं और एक कपड़े से पर्दा किये हुये हैं। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने पूछाः कौन? मैंने कहाः अ़ब्दुल्लाह बिन हुनैन। मुझे इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने भेजा है कि मालूम करुँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एहराम की हालत में अपना सर किस तरह धोया करते थे? इस पर उन्होंने अपना हाथ (पर्दा वाले) कपड़े पर रख कर उसे कुछ नीचा किया ताकि मुझे उन का सर दिखाई पड़े। फिर एक व्यक्ति से जो उन के ऊपर पानी डल रहा था कहाः पानी डालो। चुनान्चे उस ने उन के सर पर पानी डाला तो अबू अय्यूब ने अपने सर को दोनों हाथों से हर्कत दीऔर अपने हाथों को आगे पीछे किया, फिर कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा था कि आप इस प्रकार करते थे।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि स्नान वाजिबी हो या यूँ ही आराम के लिये, मुहरिम अपना सर धो सकता है और उस दर्मियान धोते समय अगर सर के बाल टूट जायें तो माफ़ है, कोई कफ़्फ़ारा नहीं।

बाब {मुहरिम का निकाह करना कैसा है?}

1841:— उमर बिन उबैदुल्लाह ने इबान बिन उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान को कहला भेजा जबकि इबान हज्ज के अमीर थे और दोनों ही एहराम की हालत में थे कि मेरा प्रोग्राम है कि तल्हा बिन उमर का निकाह शैबा बिन जुबैर की लड़की से कर दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस मौक़े पर तशरीफ़ लायें। इस पर इबान ने शरीक होने से इन्कार कर दिया और कहाः मैंने अपने पिता उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ से सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः "मुहरिम न तो अपना निकाह करे और न ही दूसरे का।"

1842:— इबान बिन उस्मन, अपने पिता उस्मान रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः .... फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया और मज़ीद यह भी कहाः "और न ही शादी का पैग़ाम दे"

1843:— मैमूना के भतीजे यज़ीद बिन असम मैमूना रज़ि॰ से रिवायत करते हैं वह कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से सरिफ़ के स्थान पर निकाह किया और उस समय हम दोनों हलाल थे।

1844:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मैमूना से निकाह किया उस समय आप एहराम की हालत में थे।

1845:— सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह॰ कहते हैं कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ को मैमूना के निकाह के मामले में शुब्हा हुआ है कि वह एहराम की हालत में थे।

फ़ाइदा:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ को वहम हुआ है। चूँकि निकाह एहराम को खोलने के बाद ही हुआ इसलिये उन्होंने समझा कि एहराम की हालत में हुआ। बहरहाल एहराम की हालत में निकाह नाजाइज़ है।

बाब **{मोहरिम कौन से जानवर को मार सकता है।}**

1846:— इमाम सालिम अपने पिता (अ़ब्दुल्लाह बिन उमर) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया कि मोहरिम किन जानवरों को क़त्ल कर सकता है तो आप ने फ़रमायाः पाँच जानवरों के क़त्ल कर देने में कोई गुनाह नहीं। हरम में मारे चाहे, हरम से बाहर (एहराम की हालत में मारे या हलाल की हालत में) बिच्छू, कौआ, चूहा, चील, काटने वाला कुत्ता।

फ़ाइदा:— बिच्छू के साथ उस आकार के जानवर शामिल हैं जैसे गोजर, खंखजूरा, भिड़ आदि। काटने वाले कुत्ते के साथ शेर, चीता, भालू, भेड़िया सियार, लगड़बगड़ आदि शामिल है।

1848:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा गयाः कौन से जानवर मुहरिम क़त्ल कर सकता है? आप ने फ़रमायाः बिच्छू, चूहा, कौआ इसे पत्थर मार कर क़त्ल न करे, काटने वाला कुत्ता, चील और हर हमला करने वाला दरिन्दा।

बाब **{मुहरिम शिकार का माँस खा सकता है?}**

1849:— इस्हाक़ ने अपने पिता से बयान किया कि हारिस, उस्मान रज़ि॰ की तरफ़ से ताइफ़ के गर्वनर थे। उन्होंने उस्मान के लिये खाना पकवाया और उस में चकोर, जन्गली परिन्दों और नील गाय का माँस बनवाया, फिर अ़ली रज़ि॰ को भी बुलवा भेजा (कि वह भी आ कर खा लें) बुलाने वाला जब उन के पास पहुँचा तो वह उस समय अपने ऊँटों के लिये पत्ते झाड़ रहे थे, वह अपने हाथों को झाड़ते हुये आये। मेज़बान ने कहा कि खाना खाइये। उन्होंने कहाः यह खान ऐसे लोगों को दें जो एहराम की हालत में न हों, हम तो एहराम की हालत में हैं। इस पर अ़ली रज़ि॰ ने कहाः मैं क़सम देकर पूछता हूँ कि क़बीला अशजा में से कोई यहाँ है? क्या तुम नहीं जानते कि एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को एहराम की हालत में नील गाय का माँस हदिया किया था तो आप ने खाने से इन्कार कर दिया था? उन लोगों ने कहाः हाँ (आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इन्कार कर दिया था)

फ़ाइदा:— शिकार इस निय्यत से की जाये कि मुहरिम को खिलायेंगे तो इस का खाना जाइज़ नहीं।

1850:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने कहाः ऐ ज़ैद बिन अर्क़म! क्या तुम्हें मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को शिकार का एक टुकड़ा हदिया किया गया था तो आप ने उसे कुबूल नहीं किया था और फ़रमाया थाः "हम एहराम की हालत में हैं" ज़ैद बिन अर्क़म ने कहाः जी हाँ।

1851:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः ज़मीन का शिकार तुम्हारे लिये हलाल है इस शर्त पर कि तुम ने उस का शिकार न किया हो, या तुम्हारे लिये न किया गया हो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से दो हदीसें एक दूसरे के ख़िलाफ़ मिलें तो वह हदीस ली जायेगी जिस पर आप के सहाबा ने अ़मल किया हो।

फ़ाइदा:— यह हदीस तो ज़ओ़फ़ है मगर इस में बयान मस्अला सहीह है, देखें (बुख़ारी-1821, 1825)

1852:— अबू क़तादा अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ था कि राह में एक स्थान पर अपने साथियों से पीछे रह गया, वह लोग एहराम की हालत में थे और मैं बिना एहराम के था (अबू क़तादा ने बयान किया कि) मैंने एक नील गाय को देखा तो अपने घोड़े पर सवार हो गया (उस के शिकार के लिये) और अपने साथियों से कहा कि मेरा कोड़ा मुझे थमा दो। उन्होंने कोड़ा थमाने से इन्कार कर दिया। फिर भाला माँगा तो उन्होंने उसे भी देने से इन्कार कर दिया। चुनान्चे खुद ही उतर कर उठाया और उस नील गाय का पीछा कर के उसे मार गिराया। कुछ सहाबा ने उस का माँस खाया और कुछ ने इन्कार कर दिया। फिर जब सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मिले तो इस बारे में मस्अला पूछा। आप ने फ़रमायाः यह तो रोज़ी है जो अल्लाह ने तुम्हें खिलाई है।

फ़ाइदा:— देखें ऊपर का फ़ाइदा।

बाब {मुहरिम के लिये टिड्डी का शिकार कैसा है?}

1853:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः टिड्डी समुन्दर के शिकार (की क़िस्म) में से है।

1854:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि हमें टिड्डियों का एक दल मिल गया तो हम में का एक आदमी जो एहराम की हालत में था उन्हें अपने कोड़े से मारने लगा। उस से कहा गया कि तुम्हारा यह काम दुरुस्त नहीं है और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से भी इस का ज़िक्र किया गया तो आप ने फ़रमायाः यह तो समुन्दर के शिकार में से है।

1855:— कअ़ब (अहबार रह॰) से नक़ल है कि टिड्डी समुन्दर के शिकार में से है।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों रिवायतें ज़ओ़फ़ हैं। टिड्डी यह खुश्की का जानवर है और एहराम की हालत में इस के शिकार करने पर हर्जाना है।

बाब {फ़िदया के अहकाम व मसाइल।}

1856:— कअ़ब बिन अ़जरा रज़ि॰ से रिवायत है कि हुदैबिया के दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन के पास से गुज़रे और फ़रमायाः तुम्हारे सर की जूओं ने तुम्हें तक्लीफ़ से दो चार कर रखा है? उन्होंने कहाः हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सर

को मुँडा लो और फिर एक बकरी कुर्बानी कर दो या तीन दिन रोज़े रखो, या तीन साआ खजूर छः मिस्कीनों में बाँट दो।

1857:— कअ़ब बिन अ़जरा रज़ि॰ से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से फ़रमायाः चाहो तो कुर्बानी दे दो, चाहो तो तीन दिन रोज़े रख लो और अगर चाहो तो तीन साआ़ खजूर छः गरीबों में बाँट दो।

1858:— कअ़ब बिन अ़जरा रज़ि॰ का बयान है कि हुदैबिया के दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन के पास से गुज़रे और क़िस्सा बयान किया। आप ने पूछाः क्या तुम्हारे फ़िदया देने के लिये जानवर है? उन्होंने कहाः नहीं। आप नेफ़रमायाः तुम तीन रोज़े रखो, या तीन साआ़ खजूर छः फ़कीरों में सदक़ा कर दो, हर दो फ़कीरों को एक सआ़ा दो।

1859:— कअ़ब बिन अ़जरा से रिवायत है। और उन की हालत (स्थिति) यह थी कि सर में तक्लीफ़ थी (यानी जूँ पड़ गयी थीं) तो उन्होंने अपना सर मुँडवा लिया था। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को आदेश दिया था कि एक गाय कुर्बानी करें।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। गाय का ज़िक्र सहीह नहीं है।

1860:— कअ़ब बिन अ़जरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि मेरे सर में जूँ पड़ गयी, जबकि मैं हुदैबिया के साल (इस सफ़र में) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ था। और (सर की तक्लीफ़ इतनी अधिक थी कि) मुझे अपनी नज़र का अन्देशा लग गया था। पस अल्लाह पाक ने मेरे बारे में यह आयत उतारीः "पुत तुम में से जो बीमार हो या उस के सर में जूँ पड़ जाये।" इस के बाद आपने मुझे बुलवाया और फ़रमायाः सर मुँडवा दो, तीन रोज़े रखो, या छः ग़रीबों को एक टोकरा किशमिश का खिला दो, या एक बकरी कुर्बानी कर दो। चुनान्चे मैं ने अपना सर मुँडवाया और फिर (फ़िदया में) कुर्बानी दी।

फ़ाइदा:— इस रिवायत में किशमिश का ज़िक्र सहीह नहीं है।

1861:— कअ़ब बिन अ़जरा रज़ि॰ से इस क़िस्सा में रिवायत है कि (आप ने फ़रमाया) उन (तीन कामों) में से जो भी करोगे तुम्हारे लिये काफ़ी होगा।

फ़ाइदा:— सूरः बक़र आयत न॰ 196 में भी इस का ज़िक्र है।

बाब {अगर कोई हज्ज से रोक दिया जाये तो?}

1862:— हज्जाज बिन अ़म्र अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस की हड्डी टूट जाये, या लंगड़ा हो जाये तो वह हलाल हो गया (या उसके लिये एहराम खोल कर हलाल हो जाना जाइज़ है) और फिर आइन्दा के लिये उस पर हज्ज है।

इक्रमा कहते हैं कि मैंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ और अबू हुरैरा से इस बारे में पूछा तो उन दोनों ने भी (हज्जाज की रिवायत की) तस्दीक़ की।

1863:— हज्जाज बिन अ़म्र नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप ने फ़रमायाः जिस की हड्डी टूट जाये, या लंगडा हो जाये, या बीमार हो जाये......और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

फ़ाइदा:— हर वह ऐब जो हज्ज की अदायगी में रुकावट बने, तो हलाल हो जाये और आइन्दा हज्ज की निय्यत करे।

1864:— अ़म्र बिन मैमून कहते हैं कि मैंने अबू हाज़िर को सुना वह मेरे पिता जी मैमून से बयान कर रहे थे कि जिस वर्ष शाम वालों ने मक्का में इब्ने जुबैर का घेराव किया था मैं उम्रे की निय्यत से रवाना हुआ। मेरे साथ क़ौम के कुछ लोगों ने अपनी क़ुर्बानी भी भेजी थी। जब हम शाम के पास पहुँचे तो उन्होंने हमें हरम में होने से रोक दिया। चुनान्चे मैं ने क़ुर्बानी उसी जगह कर दी और हलाल हो गया। और वापस लौट आया। फिर जब अगला वर्ष आया और मैं अपने उम्रे की क़ज़ा के लिये चला तो इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के पास आ कर पूछाः तो उन्होंने बतायाः अपनी कुर्बानी का बदल भी दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने क़ज़ा के उम्रे का अपने सहाबा से फ़रमाया था कि हुदैबिय्या के साल उन्होंने जो क़ुर्बानियाँ की थीं उन के बदले में क़ुर्बानियाँ भी करें।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जिस प्रकार दोबारा उम्रा करना मुस्तहब है, उसी प्रकार कुर्बानी का बदल भी मुस्तहब है।

बाब {मक्का में दाख़िला (प्रवेश)}

1865:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं जब भी मक्का आता तो ज़ी तुवा की वादी में रात बिताता यहाँ तक कि सुब्ह हो जांती, फिर दिन चढ़े मक्का में दाख़िल होता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बारे में बयान किया कि आप ने ऐसे ही किया था।

1866:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का में बालाई जानिब की घाटी से तशरीफ़ लाया करते थे। मुसद्द और इब्ने हंबल ने यहया ने नक़ल करते हुये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बतहा की घाटी से किदा की जानिब से मक्का में दाख़िल होते थे और निचले हिस्से की घाटी से वापस आ जाते थे। बरमकी (अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र) ने यह भी कहा कि मक्का की दो घाटियाँ मुराद हैं। और मुसद्दद की रिवायत ज़्यादा कामिल है।

1867:— अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (मदीना शरीफ़ से) निकलते हुये शजरा वाली राह को अपनाते (यानी जुल हुलैफ़ा वाली, जहाँ उस ज़माने में एक पेड़ भी था) और वापसी में मु-अर्रस की तरफ़ से दाख़िल होते (यानी मदीना से)

1868:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़त्ह के साल मक्का में उस की बालाई जानिब कदा की तरफ़ से दाख़िल होते। और उम्रा में कुदा की तरफ़

(निचली तरफ़) से आये थे। और उर्वा, दोनों राहों से आते थे (कभी इस से और कभी उस से) और उर्वा अक्सर समय कुदा की तरफ़ (निचले हिस्सा) से दाख़िल होते थे। और यह सम्त (रुख) उन की मन्ज़िल से ज़्यादा क़रीब था।

1869:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मक्का में दाख़िल होते तो उस की बालाई जानिब से तशरीफ़ लाते (उसी रास्ते में मक्का का मशहूर (क़ब्रस्तान है और उस तरफ़ से आने में आप को आसानी थी। और वापसी के लिये) निचले हिस्से की तरफ़ से निकलते थे (और यही राह है जिस में आज कल "जरवल" का स्थान आता है)

फ़ाइदा:— आने जाने में राह बदलने में यह हिकमत होगी कि क़ियामत के दिन ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते गवाही देंगे, जैसे अ़ीद वग़ैरह में)।

बाब **{बैतुल्लाह को देख कर हाथ बुलन्द करना।}**

1870:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से पूछा गया कि आदमी बैतुल्लाह को देख कर हाथ उठाए (या नहीं) उन्होंने कहाः मैं ने यहूदियों के अ़लावा किसी को ऐसा करते हुये नहीं देखा (वह लोग बैतुल मुक़द्दस को देख कर हाथ उठाते हैं) और हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हज्ज किया था तो आप ने ऐसा नहीं किया था।

फ़ाइदा:— हाथ उठाने के संबन्ध में समस्त रिवायतें हद दर्जा ज़ओ़फ़ हैं, इसलिये हाथ उठाना सहीह नहीं है।

1871:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मक्का में दाख़िल हुये तो बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और मुक़ामे-इब्राहीम के पीछे दो रक्अ़त पढ़ीं, यानी फ़त्ह मक्का वाले दिन।

1872:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और मक्का में प्रवेश किया, फिर हजरे-अस्वद के पास जा कर उसे बोसा दिया, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर सफ़ा की तरफ़ आये और उस से ऊपर चढ़ गये जहाँ से बैतुल्लाह शरीफ़ नज़र आ रहा था, फिर आप ने अपने दोनों हाथों को उठा लिया और अल्लाह का ज़िक्र और दुआ़ करते रहे जितना अल्लह ने चाहा। उस समय अन्सार आप के साथ थे। हदीस के रावी हाशिम ने कहाः कि आप ने दुआ़ फ़रमायी, अल्लाह की हम्द की और जो चाहा दुआ़ की।

फ़ाइदा:— सफ़ा-मर्वा पर चढ़ कर बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह कर के हाथ उठा कर-दुआ़ करना सुन्नत है। यह हाथ उठाना बैतुल्लाह को देख कर नहीं; बल्कि दुआ़ के लिये है।

बाब **{हजरे-अस्वद को बोसा देना।}**

1873:— उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि वह हजरे अस्वद के पास आये और उस को चूमा, फिर कहाः मैं जानता हूँ कि तू केवल एक पत्थर है, न नफ़ा दे सकता है और न नुक़्सान पहुँचा सकता है। अगर मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बोसा लेते न देखा होता तो मैं तुम्हारा

बोसा न लेता।

बाब {बैतुल्लाह के कोनों को हाथ लगाने का बयान।}

1874:— इब्ने उमर रज़ि॰ सेरिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप बैतुल्लाह के केवल दो यमानी उर्कान ही को हाथ लगाते थे।

1875:— इब्ने उमर रज़ि॰ को आइशा रज़ि॰ का यह बयान बताया गया कि हिज्र का कुछ हिस्सा बैतुल्लाह में से है, तो उन्होंने कहाः अल्लाह की क़सम! मेरा ख़याल है कि आइशा रज़ि॰ ने अगर यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी है तो मैं समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी शामी अर्कान को छूना केवल इसलिये तर्क फ़रमाया था कि यह बैतुल्लाह की अस्ल बुनियादों पर नहीं है। और लोग भी हिज्र (हतीम) के बाहर से इसी कारण तवाफ़ करते हैं।

फ़ाइदा:— अगर हिज्र और हतीम के अन्दर की तरफ़ से तवाफ़ किया जाये तो पूरे बैतुल्लाह का तवाफ़ न होगा। इसलिये उस का तवाफ़ बाहर से करना ज़रुरी है।

1876:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तवाफ़ के किसी चक्कर में भी रुकने यमानी और हजरे अस्वद का इस्तेलाम करना (छूना) नहीं छोड़ते थे। इमाम नाफ़े ने कहा कि अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ भी ऐसे ही किया करते थे।

फ़ाइदा:— हजरे अस्वद को चूमना, या हाथ लगा कर चूमना, या छड़ी से छू कर उसे चूमना चाहिये, या मज़ीद परेशानी में केवल हाथ का इशारा ही काफ़ी हो जाता है। मगर रुकने यमानी को केवल हाथ लगाना सुन्नत है, ने कि हाथ चूमना।

बाब {तवाफ़ वाजिब का बयान।}

1877:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम हज्ज में ऊँट पर सवार हो कर तवाफ़ किया। आप अपनी छड़ी से हजरे अस्वद को छूते थे।

1878:— अबू तुफ़ैल (आ़मिर बिन वासला) रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा आप अपनी सवारी पर सवार होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। मुहममद बिन राफ़े ने मज़ीद कहाः फिर आप सफ़ा-मर्वा की तरफ़ तशरीफ़ ले गये और अपनी सवारी पर उन के दर्मियान सात चक्कर लगाए।

1880:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम हज्ज में अपनी सवारी पर सवार होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा-मर्वा की दौड़ लगाई ताकि लोग आप को देख लें और आप उन से ऊँचे रहें और वह आप से (मसइल) पूछ सकें। क्योंकि लोगों ने आप को घेर रखा था।

1881:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का

तशरीफ़ लाये तो आप की तबीअ़त कुछ ख़राब थी, चुनान्चे आप ने अपनी सवारी पर (सवार होकर) तवाफ़ किया। आप जब भी हजरे अस्वद के पास आते तो अपनी छड़ी से उस को छूते। फिर जब अपने तवाफ़ से निबट गये तो अपनी ऊँटनी को बैठा दिया और दो रक्अ़त नमाज़ अ़दा की।

1882:— उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कहाः मेरी तबीअ़त ख़राब है। आप ने फ़रमायाः सवारी पर बैठ कर लोगों के पीछे तवाफ़ कर लो। उन्होंने बयान किया कि मैंने तवाफ़ कर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस समय बैतुल्लाह के पहलू में नमाज़ पढ़ा रहे थे और आप सूरः तूर की क़िरात फ़रमा रहे थे।

बाब {तवाफ़ में चादर बदलना।}

1883:— याला बिन उमय्या ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस हाल में तवाफ़ किया कि आप इज़तिबाअ़ किये हुये थे। और चादर हरे रन्ग की थी।

फ़ाइदा:— तवाफ़ शुरु करते हुये अपने ऊपर की चादर को दायें बग़ल के नीचे से निकाल कर बाँए कन्धे पर डाल लेना "इज़तिबाअ़" कहलाता है। यह अ़मल केवल तवाफ़े कुदूम में साबित है।

1884:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के सहाबा ने जिईराना के स्थान से (एहराम बाँध कर) उम्रा किया तो बैतुल्लाह में उन्होंने रमल किया और अपनी चादरों को अपनी बग़लों के नीचे से बाँए कन्धों पर डाल दिया।

फ़ाइदा:— "जिईराना" ताइफ़ की तरफ़ से मीक़ात का स्थान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह उम्रा सन 8 हि॰ में किया था।

बाब {तवाफ़ में रमल का बयान।}

1885:— अबू तुफ़ैल रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से कहाः आप की क़ौम का ख़याल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह में रमल किया था, और यह कि यह रमल करना सुन्नत है। यह सुन कर वह बोलेः उन्होंने सच कहा है और कुछ ग़लत। मैंने कहाः (क्या मतलब?) क्या सच कहा और क्या ग़लत? फ़रमायाः यह तो सच है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रम्ल किया था, मगर सुन्नत कहना ग़लत है। मामला यह है कि क़ुरैश ने हुदैबिया के ज़माने में कहा था कि मुहम्मद (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) और उन के सहाबा को छोड़ दो, वह खुद ही जानवरों की मौत मर जायेंगे (जैसे कि ऊँट की नाक में कीड़े पड़ जाते हैं और फिर वह मर जाता है) फिर जब उन्होंने आप से सुलह कर ली कि यह लोग अगले वर्ष आयें और मक्का में तीन दिन ठहरें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये तो मुशरिक लोग क़ओ़क़आन पर्वत की ओर (से देख रहे) थे। तब आप ने अपने सहाबा से फ़रमायाः बैतुल्लाह के चारों तरफ़ तीन चक्कर रम्ल करो (यानी कन्धे हिला कर

आहिस्ता-आहिस्ता दौड़ो) और यह कोई सुन्नत नहीं है। मैंने कहाः आप की क़ौम का ख़याल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सफ़ा और मर्वा के दर्मियान दौड़ ऊँट पर सवार होकर लगाई थी और यह भी सुन्नत है। उन्होंने कहाः सच कहा है और कुछ ग़लत भी है। मैंने कहाः क्या सच है और क्या ग़लत? फ़रमायाः सच यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सफ़ा और मर्वा की सओ़ी ऊँट पर की थी, मगर यह सुन्नत हो ग़लत है। अस्ल में लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से दूर न किया जाता था और न हटाया जाता था (जबकि वह आप पर टूटे पड़ रहे थे) तो आप ने ऊँट पर सवार होकर सओ़ी की ताकि वह आप की बात सुन सकें, और उन के हाथ आप तक न पहुँच पायें।

फ़ाइदा:— रमल को सुन्नत न कहना दुरुस्त नहीं। सुन्नत है लेकिन वाजिब सुन्नत नहीं बल्कि मुस्तहब है। छूट जाये जो हज्ज में कोई फ़र्क़ नहीं आयेगा। फिर यह अ़मल वक़्ती नहीं आज भी जारी है।

1886:—.इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाये जबकि उन लोगों को यसरिब (मदीना) के बुख़ार ने कमज़ोर कर दिया था तो मुश्रिकों ने कहाः तुम्हारे पास एक ऐसी क़ौम आ रही है जिसे बुख़ार ने निढाल कर दिया है और उन्हें इस से बड़ी तक्लीफ़ पहुँची है। अल्लाह पाक ने मुश्रिकों की इस बात से जो उन्होंने कही अपने नबी को सूचित कर दिया, पस आप ने उन्हें आदेश किया कि तीन चक्करों में रमल करें और रुक्ने यमानी और हज्रे अस्वद के दर्मियान आ़म रफ़्तार से चलें। तो जब उन्होंने रम्ल करते देखा (कि बड़ी फुर्ती से तवाफ़ कर रहे हैं) तो कहने लगेः इन्हीं लोगों के बारे में तुम कहते हो कि उन को बुख़ार ने कमज़ोर कर दिया है, यह तो हम से अधिक ताक़त वाले हैं।

इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सहाबा पर मेहरबानी करते हुये तवाफ़ के सभी चक्करों में रमल का आदेश नहीं दिया।

1887:— अस्लम अ़दवी ने बयान किया कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ को फ़रमाते सुना कि आज यह कन्धे हिला-हिला कर दौड़ना और उन का नन्गा करना क्यों है? (अब इस की कोई आवश्यक्ता तो नहीं है) हालाँकि अल्लाह पाक ने इस्लाम को क़वी और मज़बूत बना दिया है और कुफ़्र व काफ़िर को यहाँ से निकाल बाहर किया है। इस के बावजूद हम यह काम (रम्ल करना) नहीं छोड़ सकते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के समय काल में किया करते थे।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के समय में कुछ काम वक़्ती तौर पर किये गये हों लेकिन हमें भी उन का करना अनिवार्य है चाहे सबब मौजूद हो या न हो।

1888:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बैतुल्लाह का तवाफ़ सफ़ा मर्वा के दर्मियान सओ़ी और शैतान को कन्करियाँ मारना, यह सब अल्लाह की याद को क़ाइम करने के लिये हैं।

1889:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी

चादर को दायें बग़ल के नीचे से निकाल कर बाँए कन्धे पर डाल लिया, फिर हजरे अस्वद को चूमा और अल्लाहु अक्बर कहा, फिर तीन चक्करों में रमल किया। सहाबा जब रुक्ने यमानी के पास पहुँचते और कुरैश की नज़रों से ओझल हो जाते तो आम रफ़्तार से चलने लगते। फिर जब उन के सामने आते तो आहिस्ता-आहिस्ता दौड़लने लगते। कुरैश कहने लगेः यह तो गोया हिरन हैं।

इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः तब से यह सुन्नत है।

1890:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के सहाबा ने जिईराना से उम्रा किया तो उन्होंने बैतुल्लाह में रम्ल किया और अन्तिम चार चक्करों में आ़म रफ़्तार से चले।

1891:— इमाम नाफ़े ने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ ने हजरे अस्वद तक रम्ल किया (यानी पूरे चक्कर में) और ज़िक्र किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह अ़मल किया था।

फ़ाइदा:— इब्ने उमर रज़ि॰ की हदीस ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ की हदीस को मन्सूख कर दिया है। इब्ने उमर रज़ि॰ की हदीस में जो कुछ बयान हुआ है वह अन्तिम हज्ज के मौके का है।

बाब {तवाफ़ के दौराना दुआ़ का बयान।}

1892:— अ़ब्दुल्लाह बिन साइब रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना कि आप रुक्ने यमानी और हजरे अस्वद के दर्मियान यह दुआ़ पढ़ते थे।

रब्बना अतिना फ़िद्दुनया ह–स–न तव्वफ़िल् आख़ि–रति ह–स–न–तव्वक़िना अज़ा–बन्नारि (सूरः बक़रः 201)

फ़ाइदा:— इस के अ़लावा जो भी दुआ़ चाहे पढ़ सकता है। हर चक्कर के लिये कोई विशेष दुआ़ नहीं है।

1893:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हज्ज और उम्रा में (मक्का में) आते ही जो पहला तवाफ़ (तवाफ़े कुदूम) करते तो उस के तीन चक्करों में (आहिस्ता-आहिस्ता) दौड़ते और चार में आम रफ़्तार से चलते, फिर दो रकअ़तें अ़दा करते।

बाब {अ़स्र के बाद तवाफ़।}

1894:— जुबैर बिन मुतइम रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी को मना मत करो जिस समय भी कोई उस घर का तवाफ़ करना चाहे और नमाज़ पढ़ना चाहे (तो पढ़ने दो) दिन हो या रात, चाहे जो भी समय हो।

फ़ज़्ल बिन याकूब ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (फ़रमायाः) ऐ बनी अ़ब्दे मुनाफ़! किसी को मना मत करो।

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम हुआ कि तवाफ़ को मकरुह समय में भी करना दुरुस्त है।

बाब {क़ारिन का तवाफ़।}

1895:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के सहाबा ने सफ़ा और मर्वा के दर्मियान एक ही मर्तबा सअ़ी की थी। यानी पहली बार तवाफ़ कुदूम या तवाफ़े उम्रा के साथ।

फ़ाइदा:— "क़ारिन" उस हाजी को कहते हैं कि जिस ने उम्रा और हज्ज दो का एक साथ एहराम बाँधा हो।

1896:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा जो आप के साथ थे उन्होंने जमुरा को कन्करियाँ मारने के बाद ही तवाफ़ किया था।

फ़ाइदा:— यह रिवायत हदीस न॰ 1781 का एक हिस्सा है। इस से मुराद बैतुल्लाह का तवाफ़ है जो क़ारिन हाजियों ने किया था।

1897:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से फ़रमाया था: तुम्हारा बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मर्वा की सअ़ी, तुम्हारे हज्ज और उम्रा दोनों को काफ़ी है।

फ़ाइदा:— आ़इशा रज़ि॰ हज्ज के दौरान हैज़ से हो गयी थीं तो आप ने फ़रमाया था कि उम्रे को छोड़ कर हज्ज की निय्यत कर लो।

बाब {मुल्तज़िम का बयान।}

1898:— अ़ब्दुर्रहमान बिन सफ़वान से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़त्ह किया तो मैंने कहा: मैं अपने कपड़े ज़रुर पहनूँगा। मेरा घर रास्ते ही परथा और मैं ज़रुर देखूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कैसे करते हैं। चुनान्चे मैं चला और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप और आप के सहाबा काबा के अन्दर से निकल चुके थे और दरवाज़े से हतीम तक बैतुल्लाह के साथ चिमटे हुये थे। उन्होंने अपने गाल को काबा के साथ लगा रखा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन के दर्मियान में थे।

फ़ाइदा:— बैतुल्लाह के दरवाज़े और हजरे अस्वद के दर्मियान बैतुल्लाह की दीवार से चमिटने की जगह को "मुल्तज़िम" कहते हैं।

1899:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से बयान करते हैं कि मैंने इब्ने उमर रज़ि॰ के साथ तवाफ़ किया। जब हम काबा के पीछे की तरफ़ आये तो मैंने कहा: क्या आप अल्लाह की पनाह नहीं पकड़ते? उन्होंने कहा: हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं जहन्नम से। फिर चलते आये यहाँ तक कि हजरे अस्वद को चूमा और उस के और दर्वाज़े के दर्मियान रुक गये, फिर अपना सीना और चेहरा उस पर रखा, अपनी कलाइयों और हाथों को इस प्रकार किया और खूब फैलाया (यानी फैला कर दिखाया) फिर कहा: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इस प्रकार करते देखा है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़अ़ीफ़ है मगर मुख़्तलिफ़ शवाहिद की बुनियाद पर हसन दर्जा को पहुँच जाती है।

1900:— मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन साइब अपने पिता से रिवायत करते हैं कि वह इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ का हाथ पकड़ कर चलते थे (जबकि वह अन्धे हो गये थे) और उन्हें तीसरे कोने के पास खड़ा कर देते थे जो कि हजरे अस्वद के साथ काबाब के दर्वाज़े के पास है, तो इब्ने अ़ब्बास उस से कहतेः क्या सूचना दी गयी है तुम्हें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम यहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे? तो वह कहते कि हाँ, फिर वह खड़े हो जाते और नमाज़ पढ़ते।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ओ़फ़ है, मगर दूसरी सहीह रिवायतों से इस की ताईद होती है।

बाब {सफा और मर्वा का बयान।}

1901:— उर्वा बिन जुबैर ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा रज़ि॰ से कहा और मैं उन दिनों नवउम्र था, फ़रमाइये कि अल्लाह पाक के फ़र्मानः इन्नस्सफ़ा वल् मर-व-त......" से मैं समझता हूँ कि अगर कोई उन के दर्मियान सअ़ी न करे तोइस में कोई हरज नहीं। आ़इशा रज़ि॰ ने फ़रमायाः हर्गिज़ नहीं, अगर वही बात होती जो तुम कह रहे हो तो आयत इस प्रकार होतीः "फ़ला जुना-ह अ़लैहि अल्ला यत्तव-फ़ बिहिम......" (अगर वह उन की सअ़ी न करे तो इस पर कोई गुनाह नहीं) अस्ल में यह आयत अन्सार के बारे में नाज़िल हुयी थी। वह लोग मुनात बुत के इरादे से एहराम बाँधा करते थे और यह बुत कुदैदर के सामने स्थिति (नसब) था, और फिर यह लोग सफ़ा-मर्वा की सअ़ी में हरज समझते थे। जब इस्लाम आया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस बारे में प्रश्न किया तो अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः इन्नस्सफ़ा वल् मर-व-त मिन् शआ़ इरिल्लाहि.....।

1902:— अ़ब्दुल्लाह बिन अबू औफ़ा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उम्रा किया तो बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और मुक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रक्अ़तें पढ़ीं और आप के साथ वह लोग थे जिन्होंने आप को लोगों से बचाया हुआ था। अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से पूछा गयाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम काबा में दाख़िल हुये थे? उन्होंने कहाः नहीं।

फ़ाइदा:— यह सन 7 हि॰ के उम्रा की घटना है। आप उस मौक़े पर काबे के अन्दर नहीं दाख़िल हुये थे।

1903:— इस्माओ़ल बिन अबू ख़ालिद ने बयान किया कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन अबू औफ़ा रज़ि॰ से यह हदीस सुनी और इतना और कहा कि फिर आप सफ़ा-मर्वा की तरफ़ आये और उन के दर्मियान सात चक्कर लगाये, फिर सर मुँडाया।

फ़ाइदा:— सर मुँडाना सहीह नहीं, बल्कि आप ने बाल कतरवाया था।

1904:— कसीर बिन जमहान से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से सफ़ा और मर्वा के दर्मियान पूछाः ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! मैं आप को देखता हूँ कि आप चल रहे हैं, जबकि लोग दौड़ रहे हैं (क्यों?) उन्होंने कहाः अगर मैं चलूँ तो बिला शुब्हा मैं ने नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को चलते हुये देखा है। और अगर मैं दौड़ूँ तो मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को दौड़ते देखा है, और मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ।

फ़ाइदा:— सफ़ा मर्वा के दर्मियान दौड़ना चाहिये, लेकिन अगर कोई बीमारी या बुढ़ापे की वजह से न दौड़ सकेतो उस के लिये चलना काफ़ी है।

बाब {नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हज्ज का बयान।}

1905:— जाफ़र सादिक़ बिन मुहम्मद (बिन अ़ली बिन हुसैन) अपने पिता मुहम्मद से रिवायत करते हैं कि हम जाबिर रज़ि॰ के पास गये। जब हम उन के पास पहुँचे तो उन्होंने सब लोगों से पूछा (और हालात मालूम किये) जब मेरी बारी आयी तो मैं ने बताया कि मैं मुहम्मद बिन अ़ली बिन हुसैन हूँ तो उन्होंने अपना हाथ मेरे सर की तरफ़ बढ़ाया फिर मेरा ऊपर वाला बटन खोला, फिर नीचे वाला खोला, फिर अपना हाथ मेरे सीने के बीच में रखा, और मैं उन दिनों जवान लड़का था। उन्होंने कहाः स्वागत है भतीजे! अपने ही घर में आये हो(1) जो जी चाहता है पूछ लो। चुनान्चे मैंने उन से पूछा (2) जबकि वह अन्धे हो चुके थे। फिर जब नमाज़ का समय हुआ तो वह अपने उसी छोटे से कपड़े ही को लपेट कर खड़े हो गये, उसे दोहरा कर के सिला गया था, कपड़ा इतना छोटा था कि उसे जब भी कन्धे पर रखते उस के कनारे गिर पड़ते थे। उन्होंने हम को नमाज़ पढ़ाई हालाँकि आप की बड़ा चादर आप के बग़ल में खूँटी पर लगी हुयी थी (3) मैंने कहाः आप मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हज्ज के बारे में बतायें। उन्होंने अपने हाथ से नौ की गिरह बनाई फिर कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नौ वर्ष तक रुके रहे और हज्ज न किया, फिर दस्वें वर्ष लोगों में एलान किया किअल्लाह के रसूल हज्ज के लिये जाने वाले हैं, चुनान्चे मदीना में बहुत ज़्यादा लोग आ गये (4) हर एक अल्लाह के रसूल की पैरवी और आप के अ़मल के मुताबिक़ अ़मल करना चाहता था (5) चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम निकले तो हम भी आप के साथ थे यहाँ तक कि जुल हुलैफ़ा के स्थान पर पहुँच गये। इसी स्थान पर अस्मा बिन्त उमैस (अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ की पत्नी) ने मुहम्मद को जन्म दिया, फिर उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ सन्देश भेजा कि मैं क्या करुँ? आप ने फ़रमायाः स्नान करो, कपड़े का लंगोट बाँधो और एहराम की नियत कर लो (6) फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, फिर अपनी ऊँटनी क़स्वा (7) पर सवार हुये और वह आप को लेकर बैदा (मैदान) के सामने खड़ी हो गयी। जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने देखा तो जहाँ तक निगाह जाती थी आप के सामने दायें-बायें और पीछे लोग थे, कुछ सवार और कुछ पैदल थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे दर्मियान में थे, आप पर क़ुआन उतर रहा था और आप उस का अर्थ और उस पर अ़मल करने का तरीक़ा अच्छी तरह जानते थे। चुनान्चे जो भी आप ने किया हम ने भी वैसे ही किया। आप ने तौहीद की पुकार लगायीः

लब्बैक-क अल्लाहुम्म लब्बै-क, लब्बै-क ला शरी-क ल-क लब्बै-क
इन्नल् हम्-द वन्ने-म-त ल-क, वल् मुल्-क ला शरी-क ल-क

और लोगों ने भी यही लब्बैक पुकारा और आप ने किसी की भी तर्दीद नहीं फ़रमायी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेअपने तलबिया ही का इल्तिज़ाम फ़रमाया (8) जाबिर रज़ि॰ कहते हैं कि हमारी निय्यत केवल हज्ज की थी, हम उम्रा नहीं जानते थे, यहाँ तक कि जब हम आप के साथ बैतुल्लाह में पहुँच गये, हजरे अस्वद को छुवा (9) तो तीन चक्करों में रमल किया (आहिस्ता-आहिस्ता दौड़े) (10) और चार में आ़म रफ़तार से चले। फिर आप मुक़ामे-इब्राहीम की तरफ़ आगे बढ़ गये और यह आयत पढ़ीः "वत्तख़िज़ू मिन मक़ामे इब्राही-म मु-सल्ला" (और मुक़ामे इब्राहीम को अपना मुसल्ला बना लो) आप ने मुक़ामे इब्राहीम को अपने और बैतुल्लाह के दर्मियान किया (और दो रक्अ़तें पढ़ीं) (11) जा़फ़र कहते हैं कि मेरे पिता जी कहा करते थे कि जाबिर रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ही से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन दो रक्अ़तों में सूरः इख़्लास और सूरः काफ़िरुन पढ़ी। इस के बाद काबा की तरफ़ लौटे और हजरे अस्वद को चूमा (12) फिर बाबे-सफ़ा से सफ़ा पर्वत की तरफ़ तशरीफ़ ले गये। जब सफ़ा के निकट पहुँचे तो यह आयत पढ़ीः इन्नस्सफ़ा वल् मर-व-त मिन् शआ़इरिल्लाहि (सफ़ा और मर्वा अल्लाह की निशानियों में से हैं) और यह भी कहाः "हम उस से आरंभ करते हैं जिस का ज़िक्र अल्लाह ने पहले फ़रमाया है।"

फिर आप ने सफ़ा से आरंभ किया और उस पर चढ़ गये यहाँ तक कि बैतुल्लाह नज़र आने लगा तो अल्लाह की तक्बीर की तौहीद बयान फ़रमायी और कहाः

"लाइला-ह इल्लल्लाहु वह्-दहू ला शरी-क लहू.................."

फिर इस के बाद दुआ़ फ़रमायी और इस प्रकार तीन मर्तबा (ऊपर के कलिमे) कहे और (उन के दर्मियान में) दुआ़यें कीं। (13) फिर आप मर्वा की जानिब उतर आये। जब आप के क़दम वादी के दर्मियान में टिक गयेतो उस के दामन में दौड़ लगायी (14) और जब चढ़ाई आयी तो चलने लगे और मर्वा पर पहुँच गये। आप ने मर्वा पर भी इसी प्रकार किया जैसे कि सफ़ा पर किया था (यानी वही कलिमे तीन-तीन मतर्बा पढ़े और उनके दर्मियान में दुआ़यें कीं) जब आप का अन्तिम चक्कर मर्वा पर समाप्त हुआ तो फ़रमायाः "अगर मुझे अपने मामले का पहले ही ज्ञान हो जाता जो बाद में हुआ तो मैं क़ुर्बानी साथ लेकर न चलता और मैं अपने इस तवाफ़ को उम्रा बना लेता। पस तुम लोगों में से जिस-जिस के साथ क़ुर्बानी नहीं है वह हलाल हो जाये और अपने इस तवाफ़ को उम्रा बना ले" (15) चुनान्चे सब लोग हलाल हो गये और उन्होंने अपने बाल कटा लिये (16) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और उन लोगों को छोड़ कर जिस के साथ क़ुर्बानी के जानवर थे। सुराक़ा (बिन मालिक) बिन जोशम रज़ि॰ खड़े हुये और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! (हमारा यह उम्रा) इस वर्ष के लिये या हमेशा के लिये? आप ने अपनी उँगलियाँ एक दूसरी के अन्दर दाख़िल कर के (इशारा करते हुये) फ़रमायाः "उम्ररा हज्ज के अन्दर इस प्रकार दाख़िल हो गया है" आप ने दो मर्तबा फ़रमयाः नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिये। नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिये।" और बयान किया कि कि अ़ली रज़ि॰ यमन से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये क़ुर्बानी के जानवर लेकर आये, उन्होंने (अपनी पत्नी) फ़ातिमा को देखा कि वह भी उन लोगों में शामिल हैं जो हलाल हो चुके थे, उहोंने रन्गीन कपड़े पहने लिये थे और सुर्मा भी लगाया

हुआ था। अ़ली रज़ि॰ ने इस पर नाराज़गी जतायी। (1) और पूछाः तुम्हें ऐसा करने का किस ने हुक्म दिया है? उन्होंने कहाः पिता जी ने।

अ़ली रज़ि॰ जिस ज़माना में इराक़ में थे बयान किया करते थे कि मैं फ़ातिमा के इस अ़मल पर जो उन्होंने किया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ मन्सूब किया था, नाराज़ होकर आप से पूछने के लिये गया और आप को बताया कि मुझे फ़ातिमा का यह काम बुरा लगा है, लेकिन उन का कहना है कि मेरे पापा ने ऐसा करने का आदेश दिया है। इस पर आप ने फ़रमायाः वह सच कहती है (18) (तुम अपने बारे में बताओ कि) तुम ने हज्ज की निय्यत करते समय क्या कहा था? कहने लगे कि मैंने कहा थाः ऐ अल्लाह! मैं वही एहराम बाँध रहा हूँ जिस प्रकार कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बाँधा है। आप ने फ़रमायाः मेरे साथ तो क़ुर्बानी का जानवर है, चुनान्चे तुम भी एहराम न खोलो।

जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि वह क़ुर्बानी के जानवर जो अ़ली रज़ि॰ यमन से लाये थे और जो स्वैंय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम लाये थे उन की कुल संख्या सौ थी। चुनान्चे सभी लोग हलाल हो गये और अपने बाल कटवा लिये उन को छोड़ कर जिन के पास क़ुबानी के जानवर थे। फिर जब ज़िल हिज्जा की आठवीं तारीख़ आयी (19) और लोग मिना की तरफ़ जाने लगे तो उन्होंने हज्ज का एहराम बाँधा। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सवार हो गये और मिना जा कर ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा और सुब्ह की नमाज़ें पढ़ीं। (20) फिर आप थोड़ी देर ठहरे यहाँ तक कि सूरज निकल आया, आप ने अपने लिये बालों के बने हुये ख़ेमें के बारे में हुक्म दिया और नमिरा में लगा दिया गया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम चले (21) और क़ुरैश को यक़ीन न था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा में मश्अ़रे हराम के पास ही रुक जायेंगे जैसे कि क़ुरैश इस्लाम से पहले जाहिलिय्यत में किया करते थे। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस से आगे बढ़ गये और अ़रफ़ात पहुँचे (22) आप ने देखा कि नमिरा में ख़ेमा लगा हुआ है तो आप वहाँ उतरे (23) यहाँ तक कि सूरज ढल गया तो आप ने अपनी ऊँटनी क़स्वा के बारे में फ़रमाया तो उसे तय्यार कर दिया गया। आप उस पर सवार हुये और वादी (उरना) के दामन में आ गये और लोगों को ख़ुत्बा दिया (24) आप ने फ़रमायाः "तुम्हारे ख़ून और माल तुम्हारे दर्मियान हराम हैं जैसे कि तुम्हारा यह दिन, तुम्हारा यह महीना और तुम्हारा यह नगर हुरमत वाला है। ख़बर्दार! जाहिलिय्यत के तमाम काम मेरे क़दमों के नीचे रौंदे जा रहे हैं, जाहिलिय्यत के तमाम ख़ून समाप्त किये जा रहे हैं। और सब से पहले ख़ून जो मैं समाप्त करता हूँ वह हमारा अपना ख़ून है इब्ने रबीअ़ा का। यह इमाम अबू दावूद के उस्ताद उस्मान ने कहा। जबकि उस्ताद सुलैमान ने कहा कि रबीअ़ा बिन हारिस बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब का (ख़ून समाप्त करता हूँ) कुछ उस्ताद ने कहा कि "बनी सअ़द में दूध पीता बच्चा था और बनी हुज़ैल वालों ने उसे क़त्ल कर दिया था।" जाहिलिय्यत के तमाम सूद समाप्त किये जाते हैं। और सब से पहला सूद जो मैं समाप्त करता हूँ वह हमारा अपना सूद (यानी अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब का सूद है, यह सब समाप्त है। (25) महिलाओं के बारे में अल्लाह से डरो, तुम ने अल्लाह की अमानत से उन पर इख़्तियार हासिल किया है और अल्लाह के कलिमा से उन की

इज़्ज़त को हलाल जाना है। और उन महिलाओं पर भी वाजिब है कि वह तुम्हारे हुकूक़ (अधिकार) का ख़याल पसन्द न हो (यानी) तुम्हारे घरों में तुमहारे नापसंदीदा लोग, चाहे वह महिला हों या पुरुष उन्हें न आने दो) अगर वह ऐसा करें तो उन्हें मारो मगर घाव आने वाली मार न हो। और तुम पर वाजिब है कि उन का खाना -ख़र्चा और पहनावा आम तौर पर जितना लोग देते हैं उतना दो। मैं तुम्हारे दर्मियान वह चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम उसे मज़बूती से थामे रहोगे तो गुमराह न होगे (यानी) अल्लाह ही किताब। (26) तुम लोगों से मेरे बारे में पूछा जायेगा तो क्या उत्तर दोगे? लोगों ने कहाः हम गवाही देंगे कि आप ने (अल्लाह का सन्देश) पहुँचा दिया (पूरी तरह) अदा कर दिया और भलाई (में इन्तिहा) कर दी। आप अपनी शहादत की उंगली आकाश की तरफ़ उठाते और लोगों की तरफ़ झुकाते थे और कहते थेः ऐ अल्लाह! गवाह रहना। ऐ अल्लाह गवाह रहना। फिर बिलाल ने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही तो आप ने जुहर की नमाज़ पढ़ाई। उन्होंने फिर इक़ामत कही तो आप ने अस्र की नमाज़ पढ़ाई और उन दोनों नमाज़ों के दर्मियान कुछ नहीं पढ़ा (2) (यानी कोई सुन्नत नहीं पढ़ी) फिर आप क़स्वा ऊँटनी पर सवार हुये और वक़ूफ़ की जगह तशरीफ़ लाये। ऊँटनी का पेट पत्थरों की तरफ़ कर दिया (यानी वहीं रुके रहे) और रेत के उस टीले को जिसे लोग पैदल पार करते थे अपने सामने किया, क़िब्ला की तरफ़ रुख़ किया और वहीं ठहरे रहे यहाँ तक कि सूरज डूब गया और टिकया के डूब जाने के बाद कुछ पीला पन भी समाप्त हो गया । फिर आप ने उसामा बिन ज़ैद को अपने पीछे बैठा लिया और चल पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी क़स्वा की नकेल इतनी सख़्ती से खींची हुयी थी कि उस का सर पालान के सिरे को लग रहा था और आप अपने दायें हाथ से इशारा करते हुये फ़रमा रहे थेः लोगों! शान्ति रहो, लोगों! शान्ति रहो। आप जब किसी चढ़ाई के पास आते तो ऊँटनी की नकेल थोड़ी ढीली कर देते ताकि आराम से चढ़ सके। इस प्रकार आप मुजदलिफ़ा पहुँच गये और मग़्रिब और इशा की नमाज़ें एक अज़ान और दो इक़ामतों के साथ जमा कर के पढ़ीं।

उस्मान ने बयान किया कि आप ने उन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गये यहाँ तक कि फ़ज्र का समय हो गया। जब सुब्ह हो गयी तो आप ने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई। उस्ताद सुलैमान का बयान है कि एक अज़ान और एक इक़ामत के साथ (फिर सब का मुत्तफ़िका बयान है कि) फिर आप क़स्वा पर सवार हुये यहा तक कि मश्अ़रे हराम के पास आ गये, फिर उस पर चढ़े। उस्मान और सुलैमान का बयान है कि आप ने क़िब्ला की तरफ़ मुँह किया, अल्लाह की हम्द, तक्बीर और तहलील बयान की। उस्मान ने इतना और इज़ाफ़ा किया "और तौहीद की बातें बयान कीं" और फिर वहीं रुके रहे यहाँ तक कि अच्छी तरह उजाला हो गया। फिर आप वहाँ से रवाना हुये सूरज निकलने से पहले। और फ़ज़्ल बिन अब्बास रज़ि॰ अपने साथ सवार कर लिया। वह थोड़े घुँघराले बालों वाले, गोरे चिट्टे, हसीन और सुन्दर जवान थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुये तो महिलायें भी अपने कजावा में बैठ कर वहाँ से गुज़रीं तो फ़ज़्ल रज़ि॰ उन्हें देखने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन के चेहरे पर हाथ रख दिया। फ़ज़्ल ने अपना चेहरा दूसरी तरफ़ फेर लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना हाथ दूसरी तरफ़ से फेर दिया तो फ़ज़्ल अपना चेहरा किसी और तरफ़ कर

के देखने लगे यहाँ तक कि आप मुहस्सर की वादी में पहुँच गये और कुछ तेज़ी से चलने लगे, फिर बीच की राह पर चल पड़े जो बड़े जमुरे तक पहुँचाती है। यहाँ तक कि आप उस जमुरा के पास पहुँचे जो पेड़ के पास है तो उस को सात कंकरियाँ मारीं जैसे कि उंगलियों पर रख कर मारी जाती हैं। हर कंकरी के साथ आप अल्लाहु अक्बर कहते थे। आप ने वादी के दामन की तरफ़ से कंकरियाँ मारीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कुर्बान गाह तशरीफ़ ले गये और अपने हाथ से 63 ऊँटनियाँ नहर (ज़्व्ह) कीं। और बाक़ी को अ़ली रज़ि॰ को ज़ब्ह करने का हुक्म दिया और उन को अपनी कुबानी में शरीक बनाया। फिर आप ने हर कुबानी से एक-एक टुक्ड़ा गोश्त लेने का हुक्म दिया, फिर उसे देग में डाल कर पकाया गया तो आप दोनों ने उस में से खाया और शूबा पिया। उस्ताद सुलैमान का बयान है कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सवार हुये और बैतुल्लाह की तरफ़ चल दिये और मक्का आ कर ज़ोहर की नमाज़ अ़दा फ़रमायी। फिर आप बनी अ़ब्दुल मुत्तलिब के पास आये, वह लोग ज़मज़म के कुँए पर लोगों को पिला रहे थे, आप ने फ़रमायाः ऐ अ़ब्दुल मुत्तलिब की औलाद! पानी निकालो, अगर यह डर न होता कि लोग तुम्हारे इस पानी पिलाने में तुम पर ग़ालिब आ जायेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ पानी निकालता। सो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को एक डोल दिया और आप ने उस से पानी पिया।

1906:— जाफ़र सादिक़ अपने पिता मुहम्मद बिन अ़ली रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़रफ़ात में जुहर और अ़स्र की नमाज़ें एक अज़ान और दो इक़ामत के साथ पढ़ी थीं, और उन के दर्मियान कोई सुन्नत नहीं पढ़ी थी। और मग़्रिब और इशा की नमाज़ें मुज़दलिफ़ा में एक अज़ान और दो इक़ामत के साथ पढ़ी थी, और उन के दर्मियान कोई सुन्नत नहीं पढ़ी थी।

1907:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैंने यहाँ नहर किया है और मिना सारे का सारा कुर्बानी करने का स्थान है। आप ने अ़रफ़ात में क़ियाम किया तो फ़रमायाः मैंने यहाँ क़ियाम किया है और सारा अ़रफ़ात का मैदान ठहरने का स्थान है। आप ने मुज़दलिफ़ा में क़ियाम किया और फ़रमायाः मैंने इस स्थान पर क़ियाम किया है और मुज़दलिफ़ा तमाम का तमाम ठहरने की जगह है।

1908:— जाफ़र सादिक़ से उन की सनद से रिवायत है कि आप ने यह भी कहाः "तो तुम अपने-अपने पड़ाव पर नहर करो।"

1909:— इमाम जाफ़र सादिक़ रह॰ ने बयान किया कि मुझे मेरे पिता (मुहम्मद बाक़र) ने जाबिर के वास्ते से रिवायत किया और यह हदीस बयान की, और अपनी हदीस पर "वत्तख़िज़ू मिन मुक़ामे....." की जगह यह बात अपनी तरफ़ से बढ़ाई कि आप ने उन रक्अ़तों में तौहीद (यानी) सूरः इख़्लास और सूरः काफ़िरुन की तिलावत की (यह जमुला मुदरिज है) और उस में बयान किया कि अ़ली रज़ि॰ ने यह घटना कूफ़ा में बयान किया था। मेरे पिता जी ने कहा कि जाबिर ने यह शब्द भी नहीं कहे थे कि "मैं गुस्सा की हालत से गया था" और फ़ातिमा रज़ि॰ का क़िस्सा बयान

किया।

बाब {अ़रफ़ात में ठहरने का बयान।}

1910:— आ़इशा रज़ि० से रिवायत है कि कुरैश और उन के दीन को मानने वाले मुज़दलिफ़ा में ठहरा करते थे और अपने आप को "हुम्स" कहलाते थे, जबकि दूसरे लोग अ़रफ़ात में ठहरा करते थे। बयान करती हैं कि जब इस्लाम आया तो अल्लाह पाक ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को आदेश दिया कि अ़रफ़ात में आ कर ठहरें, फिर वहाँ से लौटें, चुनान्चे यही तफ़सीर है अल्लाह पाक के इस फ़र्मान की "सुम्म अफ़ीज़ू मिन् हैसु अफ़ा-ज़न्नासु" (फिर लौटो वहाँ से जहाँ से लोग लौटते हैं)

फ़ाइदा:— "हुम्स" के माना बहादुर के होते हैं। चूँकि अ़रब लोग अपने दीन में बहुत सख़्त थे इसलिये हुम्स कहा जाता था।

बाब {मिना को रवान्गी का बयान।}

1911:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तंविया के दिन (यानी 8 ज़िला हिज्जा को) जुह् की नमाज़ और अर्फ़ा के दिन (9 ज़िल हिज्जा को) फ़ज्र की नमाज़ मिना में पढ़ी थी।

1912:— अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन रफ़ीअ़ ने बयान किया कि मैं ने अनस बिन मालिक से कहा कि मुझे वह बात बताइये जो आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से याद हों। 8 ज़िल हिज्जा को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जुह् की नमाज़ कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने कहा: मिना में। मैंने कहा: 13 ज़िल हिज्जा को आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नमाज़ कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने कहा: मुहस्स्ब की वादी में। फिर फ़रमाया: वैसे ही करो जैसे कि तुम्हारे उमरा (शासक) लोग करते हैं।

फ़ाइदा:— अनस बिन मालिक रज़ि के कहने का उद्देश्य यह है कि यह मसाइल वाजिब कामों में से नहीं हैं इसलिये किसी मजबूरी में इन पर अ़मल न हो सके तो कोई गुनाह नहीं। ऐसे कामों में बादशाहों की मुख़ालिफ़त न की जाये, बल्कि वह जिन पर अ़मल करते हैं वही किया जाये।

बाब {अरफ़ात को (मिना से) रवान्गी का समय।}

1913:— इब्ने उमर रज़ि ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़र्फ़ह के दिन (9 ज़िल हिज्जा को) मिना में सुब्ह की नमाज़ पढ़ाई, फिर अ़रफ़ात की तरफ़ आये और नमिरा की वादी में पड़ाव डाला। वही स्थान जहाँ कि अ़रफ़ात में इमाम उतरता है (उन के दौर की बात है) यहाँ तक कि जब जुह् का समय हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के दोपहर को गर्मी के समय ही में वहाँ से रवाना हो गयेऔर जुह् और अ़स्र की नमाज़ जमा कर के पढ़ाई, फिर लोगों को खुत्बा दिया, फिर वहाँ से चले और अ़रफ़ात में अपने ठहरने के स्थान पर पड़ाव डाला।

फ़ाइदा:— अ़रफ़ात का खुत्बा नमाज़ से पहले है (मुस्लिम 1218)

बाब {(नमिरा की वादी से) अ़रफ़ात को जाने का समय।}

1914:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि जब हज्जाज ने अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर को शहीद कर दिया तो इब्ने उमर रज़ि॰ से मस्अला पूछने के लिये आदमी भेजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम किस समय यहाँ से चलते थे? उन्होंने कहा: जब समय हो जायेगा हम चल पडेंगे। फिर जब इब्ने उमर रज़ि॰ ने चलने का इरादा किया तो साथी बोले: सूरज नहीं ढला है। फिर पूछा: क्या ढल गया है? उन्होंने कहा: नहीं ढला है, या ढल गया है। पस जब उन्होंने कहा कि ढल गया है तो रवाना हो गये।

बाब {अ़रफ़ात में खुत्बा का बयान।}

1915:— बनी ज़मुरा का एक व्यक्ति अपने पिता या चचा से बयान करता है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अ़रफ़ात के दिन मिंबर पर देखा था।

1916:— सलमा बिन नुबैत अपने गोत्र के एक व्यक्ति से, वह उस के पिता नुबैत रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अ़रफ़ात में डेरा डाले हुये देखा, आप लाल ऊँट पर खुत्बा दे रहे थे।

1917:— ख़ालिद बिन अ़दा बयान करते हैं मैंने अ़रफ़ात के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप अपने ऊँट पर उस की रकाबों में पाँव डाले हुये लोगों को खुत्बा दे रहे थे।

1918:— अ़ब्दुल मजीद अबू अ़म्र ने अ़दा बिन ख़ालिद से रिवायत किया और ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया।

बाब {अ़रफ़ात में ठहरने की जगह।}

1919:— यज़ीद बिन शैबान रज़ि॰ से रिवायत है कि इब्ने मिरबा अन्सारी रज़ि॰ हमारे पास आये जबकि हम अ़रफ़ात में ऐसी जगह ठहरे हुये थे कि अ़म्र बिन अ़ब्दुल्लाह उस को इमाम के ठहरने की जगह से दूर समझ रहे थे (इब्ने मिरबा ने) कहा: बेशक मैं तुम्हारी तरफ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की एल्ची बन के आया हूँ, आप ने कहला भेजा है कि तुम लोग अपने उन्ही स्थानों पर ठहरो, बिला शुब्हा तुम अपने पिता इब्राहीम (अ़लै॰) की वरासत में से एक वरातस पर हो।

बाब {अ़रफ़ात से वापसी का बयान।}

1920:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़रफ़ात से रवाना हुये तो बड़े आराम से चले। उसामा रज़ि॰ आप के पीछे बैठे हुये थे, आप ने फ़रमाया: "लोगों आराम से चलो, नेकी घोडे और ऊँट को दौड़ाने में नहीं।" सो मैं ने देखा कि (कोई भी

सवारी) अपने दोनों (अगले) पाँव उठा कर न दौड़ रही थी यहाँ तक कि आप मुज़दलिफ़ा पहुँच गये...... वहब ने मज़ीद कहा......फिर आप ने फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास को अपने पीछे बैठा लिया और फ़रमायाः लोगों! नेकी, घोड़े और ऊँट दौड़ाने में नहीं, आराम से चलो। और मैंने नहीं देखा कि कोई सवारी अपने दोनों पाँव उठा कर चल रही हो यहाँ तक कि आप मिना में आ गये।

1921:— कुरैब ने बयान किया कि मैंने उसामा बिन ज़ैद रज़ि० से कहाः मुझे यह बतायें कि उस शाम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे सवार थे, आप लोगों ने कैसे किया? उन्होंने बताया कि हम उस घाटी में आये जिस में लोग अपनी सवारियाँ बैठाते हैं, वह जगह "मु–अर्रस" कहलाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी बैठाई, फिर पेशाब किया। उसामा ने "पानी बहाया" का शब्द नहीं कहा। फिर आप ने पानी माँगा और वुज़ू फ़रमाया जिस में कोई मुबालग़ा न था (यानी हल्का वुज़ू किया और वुज़ू के हिस्सों को एक बार धोया) मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़? आप ने फ़रमायाः नमाज़ आगे पढ़ेंगे। फिर आप सवार होकर मुज़दलिफ़ा पहुँचे और मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई, फिर लोगों ने सवारियों को अपने-अपने पड़ाव पर बैठाया मगर उन के पालान और कजावे नहीं खोले यहाँ तक कि इशा के लिये तक्बीर कहलवाई और नमाज़ पढ़ाई, फिर लोगों ने (अपनी सवारियों को) खोला। मुहम्मद बिन कसीर ने अपनी रिवायत में मज़ीद कहाः मैं ने पूछाः जब तुम लोगों ने सुब्ह की तो कैसे किया था? उन्होंने कहाः फ़ज़्ल रज़ि० आप के पीछे सवार हुये और मैं कुरैश के उन लोगों के साथ पैदल चला गया जो दूसरे लोगों से पहले रवाना हुयेथे।

फ़ाइदा:— मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें जमा करके ही पढ़ी गयीं थीं। दोनों नमाज़ों के दर्मियान "सवारियों को बैठाना" या तो सवारियों पर रहम की ग़रज़ से था, या यह कि बिखर न जायें। बहर हाल यह मामूली काम "जमा बैनस्सलातैन" के ख़िलाफ़ नहीं है।

1922:— अ़ली रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसामा को अपने पीछे सवार कर लिया और अपनी ऊँटनी पर बीच की चाल से रवाना हुये और लोग दायें-बायें ऊँटों को पीट रहे थे। आप उन की तरफ़ तवज्जोह नहीं कर रहे थे लेकिन फ़रमा रहे थेः लोगों! आराम के साथ। और आप अ़रफ़ात से सूरज डूबने के बाद रवाना हुये।

फ़ाइदा:— हदीस में है कि "आप तवज्जोह नहीं कर रहे थे" लेकिन सहीह यह है कि "आप उन की ओर तवज्जोह कर के फ़रमा रहे थे" ......।

1923:— उर्वा ने बयान किया कि उसामा बिन ज़ैद से पूछा गयाः ....और मैं (उस मज्लिस में) बैठा था........ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अन्तिम हज्ज में जब अ़रफ़ह से रवाना हुये थे तो किस रफ़्तार से चले थे? उन्होंने कहा कि आप बीच की चाल चल रहे थे। जब कहीं रास्ता कुशादा पाते तो कुछ तेज़ हो जाते थे।

1924:— उसामा रज़ि० ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पीछे

सवार था जब सूरज डूब गया तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुये (यानी अ़रफ़ात से)

1925/1:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के आज़ाद कर्दा गुलाम कुरैब ने उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ से सुना वह कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अ़रफ़ात से रवाना हुये यहाँ तक कि जब घाटी में पहुँचे तो उतर कर पेशाब किया, फिर वुज़ू किया मगर हल्का किया। मैंने कहा: नमाज़? आप ने फ़रमाया: नमाज़ तुम से आगे है। (यानी आगे पढ़ेंगे) फिर आप सवार होगये, जब मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो उतरे, वुज़ू किया और कामिल वुज़ू किया, फिर नमाज़ के लिये तक्बीर कही गयी और आप ने मग़्रिब की नमाज़ पढ़ाई। हर व्यक्ति ने अपने-अपने ऊँटको पड़ाव में बैठाया। फिर इशा की इक़ामत कही गयी और आप ने नमाज़ पढ़ाई, और उन के दर्मियान कोई सुन्नत नहीं पढ़ी।

1925/2:— शरीद बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ (अ़रफ़ात से) रवाना हुआ था, पस आप के क़दमों ने ज़मीन को नहीं छुवा यहाँ तक कि मुज़दलिफ़ा पहुँच गये।

फ़ाइदा:— ऊपर की रिवायत जिस में उतरने और (पेशाब करने का ज़िक्र है) ज़्यादा सहीह है, क्योंकि उसामा रज़ि॰ पीछे सवार थे। और शरीद ने शायद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नहीं देखा इसलिये उतरने का इन्कार कर रहे हैं।

बाब {मुज़दलिफ़ा में नमाज़ का बयान।}

1926:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मग़्रिब और इशा की नमाज़ें मुज़दलिफ़ा में इकट्ठी कर के पढ़ीं।

1927:— इमाम ज़हरी ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया और कहा: एक-एक इक़ामत से उन दोनों नमाज़ों को जमा किया। इमाम वकीअ़ ने बयान किया कि आप ने हर नमाज़ (अलग) इक़ामत से पढ़ी।

1928:— उस्मान बिन उमर रज़ि॰ ने इब्ने अबी ज़ेब से, उन्होंने ज़हरी से। यानी अहमद बिन हंबल हम्माद के वास्ते से........की सनद से और उस के हम माना बयान किया कि हर नमाज़ के लिये एक इक़ामत कहीं और पहली में अज़ान नहीं दी और न किसी के बाद कोई सुन्नत पढ़ी। मख़्लद ने कहा उनमें से एक के लिये अज़ान नहीं दी।

1929:— अ़ब्दुल्लाह बिन मालिक (बिन हारिस) ने बयान किया कि मैं ने अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ के साथ नमाज़ पढ़ी। मग़्रिब की तीन और इशा की दो रक्अ़तें। मालिक बिन हारिस ने उन सेकहा: यह किस प्रकार क़ी नमाज़ है? उन्होंने कहा: मैंने उन को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ इस स्थान पर एक ही तक्बीर के साथ पढ़ी है।

फ़ाइदा:— इस हदीस में एक ही तक्बीर से दो नमाज़ पढ़ने का ज़िक्र है, हालाँकि हर नमाज़ के

लिये अलग–अलग तक्बीर से पढ़ना ज़्यादा सहीह है (बुख़ारी–1673)

1930:– सइअ़ीद बिन जुबैर और अ़ब्दुल्लाह बिन मालिक दोनों से रिवायत है कि हम ने इब्ने उमर के साथ मुज़दलिफ़ा में मग़्रिब और इशा की नमाज़ें एक तक्बीर के साथ पढ़ी, और मुहम्मद बिन कसीर की (ऊपर की रिवायत) के हम माना बयान किया।

1931:– सअ़ीद बिन जुबैर ने कहाः हम इब्ने उमर रज़ि॰ की क़ियादत (अगुवाई) में (अ़रफ़ात से) लौटे। जब मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो उन्होंने हमें मग़्रिब और इशा की नमाज़ें तीन और दो रक्अ़त कर के एक तक्बीर के साथ पढ़ाई। जब फ़ारिग़ हुये तो इब्ने उमर रज़ि॰ नेकहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस स्थान पर हमें इसी प्रकार नमाज़ पढ़ाई थी।

1932:– सलमा बिन कुहैल ने कहा कि मैंने सअ़ीद बिन जुबैर रह॰ को मुज़दलिफ़ा में देखा कि उन्होंने इक़ामत कही और मग़्रिब की तीन रक्अ़तें पढ़ीं, फिर इशा की दो रक्अ़तें पढ़ीं। फिर कहाः मैं इब्ने उमर रज़ि॰ के साथ मौजूद था, उन्हेांने इस स्थान पर इसी प्रकार किया था और उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ था और आप ने उस स्थान पर इसी प्रकार किया था।

फ़ाइदा:– ऊपर की सब हदीसों में एक तक्बीर से दो नमाज़ों के पढ़ने का ज़िक्र है जो दुरुस्त नहीं है, हर नमाज़ के लिये अलग–अलग तक्बीर सहीह है।

1933:– अश्अ़स बिन सलीम अपने पिता से बयान करते हैं कि मैं इब्ने उमर के साथ अ़रफ़ात से मुज़दलिफ़ा आया। उन्हेांने इस दौरान में तक्बीर और तहलील को पढ़ना नहीं तर्क किया यहाँ तक कि हम मुज़दलिफ़ा पहुँच गये, फिर अज़ान और इक़ामत कही, या किसी को हुक्म दिया कि अज़ान और इक़ामत कहे। फिर हमें मग़्रिब की तीन रक्अ़त पढ़ाई, फिर हमारी तरफ़ तवज्जोह किया और कहाः नमाज़ (इशा की भी) पस हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई दो रक्अ़त। फिर अपना रात का खाना माँगा।

अशअस बिन सलीम ने कहाः मुझे इलाज बिन अ़म्र ने इसी प्रकार बयान किया जैसे कि मेरे पिता (सलीम बिन अस्वद) ने इब्ने उमर से रिवायत किया। इब्ने उमर रजि॰ से इस बोर में पूछा गया तो उन्होंने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ ऐसे ही पढ़ी थी।

1934:– इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा कि आप ने कोई नमाज़ बेवक़्त पढ़ी हो। आप हमेशा समय पर नमाज़ पढ़ते थे, मगर मुज़दलिफ़ा में आप ने मग़्रिब और इशा की नमाज़ को जमा कर के पढ़ाया (ताख़ीर से) और अगले दिन की फ़ज्र की नमाज़ अपने समय से पहले पढ़ी।

1935:– अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि (मुज़दलिफ़ा में) जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सुब्ह की और कुज़ह पर्वत पर ठहरे तो फ़रमायाः यह कुज़ह है और ठहरने का स्थान है। और मुज़दलिफ़ा साथ ही ठहरने की जगह है, मैंने उस स्थान पर क़ुर्बानी की है और मिना पूरा ही क़ुर्बानी करने की जगह है इसलिये अपने–अपने पड़ाव पर क़ुबानियाँ करो।

1936:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मैं ने अ़रफ़ात में इस जगह पड़ाव डाला है और अ़रफ़ात सारा का सारा ठहरने की जगह है। मैंने मुज़दलिफ़ा में इस जगह पड़ाव डाला है और मुज़दलिफ़ा सारा ही ठहरने की जगह है। और मैं ने इस जगह क़ुर्बानी की है कि मिना पूरी ही क़ुर्बानी करने की जगह है, पस तुम लोग अपने-अपने पड़ाव पर क़ुर्बानियाँ करो।

1937:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अ़रफ़ात सारा ही ठहरने की जगह है, और मिना सारा ही क़ुर्बानी करने की जगह है, और मुज़दलिफ़ा पूरा ही ठहरने की जगह है, और मक्का के तमाम रास्ते (यहाँ आने की) राह हैं और क़ुर्बानी की जगह भी।

फ़ाइदा:— कहने का अर्थ यह है कि अ़रफ़ात, मुज़दलिफ़ा और मिना में जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ठहरे हैं, वहाँ बिना किसी को तक्लीफ़ पहुँचायें ठहरा जाये तो बेहतर है, वर्ना पूरे मिना, मुज़दलिफ़ा में जहाँ कहीं भी ठहर जाये सवाब में बराबर है।

1938:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने बयान किया कि जाहिलियत के ज़माना में जाहिल लोग (मुज़दलिफ़ा में) उस समय तक रवाना नहीं होते थे जब तक कि सबीर पर्वत पर सूरज को (निकलता) न देख लेते। इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन की मुख़ालिफ़त की और सूरज निकलने से पहले ही वहाँ से रवाना हो लिये।

फ़ाइदा:— मगर कमज़ोर लोग आधी रात के बाद भी जा सकते हैं।

बाब {मुज़दिलफ़ा से रवान्गी में जल्दी करना।}

1939:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर के उन लोगों में शामिल था जिन को आप ने मुज़दलिफ़ा की रात समय से पहले रवाना कर दिया था।

1940:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा की रात हम बनी मुत्तलिब के छोटे लड़कों को गधों पर सवार कर के आगे भेज दिया था। उस मौक़ा पर आप हमारी रानों पर आहिस्ता-आहिस्ता मारते हुये फ़रमा रहे थे: "बच्चों! सूरज निकल आने से पहले कन्करियाँ न मारना।

1941:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने घर के कमज़ोर लोगों को अँधेरे ही में आगे रवाना फ़रमा दिया करते थे और उन्हें आदेश देते थे कि जब तक सूरज न निकल आये जमुरा को कन्करियाँ न मारें।

1942:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (अपनी पत्नी) उम्मे सलमा को क़ुर्बानी वाली रात फ़ज्र से पहले ही (मिना की तरफ़) भेज दिया, तो उन्होंने

फ़ज्र के ज़ाहिर होने से पहले ही जमुरा को कन्करियाँ मार लीं फिर वह चली गयीं और तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया और उन्हीं की बारी का दिन था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन के यहाँ थे।

1943:— एक ख़बर देने वाले ने बयान किया कि अबू बक्र की पुत्री अस्मा रज़ि॰ ने जमुरा की रमी की तो मैंने कहा: हम ने तो रात ही में रमी कर ली है। उन्होंने उत्तर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में हम ऐसे ही किया करते थे।

1944:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (मुज़दलिफ़ा से) रवाना हुये और बड़े आराम और इत्तमिनान से चले। और लोगों को हुक्म दिया कि छोटी-छोटी कन्करियाँ मारें मगर मुहस्सर की वादी को तेज़ी से चल कर पार किया।

फ़ाइदा:— ऊपर की रिवायतों में सूरज निकलने से पहले कन्करियाँ मारने का ज़िक्र है, लेकिन यह केवल महिलाओं, बच्चों और उन के गुलामों के लिये है जो उन की सेवा के लिये हैं। इन के अ़लावा और किसी के लिये जाइज़ नहीं कि वह फ़ज्र के ज़ाहिर होने से पहले इस ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ मारें। मुहस्सर की वादी में हाथी वालों पर अ़ज़ाब हुआ था इसलिये जल्दी से पार कर गये थे।

बाब {हज्जे अक्बर का दिन कौन सा है?}

1946:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि अबू बक्र सिद्दीक़ रजि॰ ने मुझे उन लोगों के साथ भेजा जिन्होंने कुर्बानी के दिन मिना में एलान किया था कि इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज्ज के लिये न आये। और कोई व्यक्ति नन्गे बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे और कुर्बानी का दिन (यौमुन्नहर ही) हज्जे अक्बर का दिन है। और हज्जे अक्बर से मुराद हज्ज है।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने 9 हि॰ को अबू बक्र को अमीर बना कर भेजा था। कुछ लोगों का ख़याल है कि अ़रफ़ात का दिन और जुमा का दिन जमा हो जायें उसे हज्जे अक्बर कहा जाता है यह ख़याल सही नहीं है। देखें सूर: तौबा, आयत न॰ 3)

बाब {हुर्मत वाले महीनों का बयान।}

1947:— अबू बक्र रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने हज्ज में खुत्बा देते हुये फ़रमाया: बेशक ज़माना अपनी उस (अस्ल) हालत पर घूम आ गया है (जिस पर कि अपने पहले रोज़ था) जबकि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फ़रमाया था। साल के बारह महीने हैं और उन में से चार महीने हुर्मत वाले है, तीन महीने लगातार हैं यानी ज़ीक़ादा, ज़िल हिज्जा, और मुहर्रम। और (चौथा) मुज़र का रजब है, जो जुमादा और शाबान के दर्मियान होता है।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जिस साल हज्ज किया था उस साल हज्ज और तारीख़ अपने बिल्कुल सहीह समय पर आयी थी। रजब महीना को क़बीला मुज़र की तरफ़

मन्सूख़ किया गया है। कि वह लोग उस का बड़ा आदर और सम्मान करते थे।

1948:— मुहम्मद बिन सीरीन, इब्ने अबू बक्रा से और वह (अपने पिता) अबू बक्रा से, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस के हम माना रिवायत किया है।

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि इब्ने औ़न से नाम लेकर कहा कि अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू बक्रा (अपने पिता) अबू बक्रा से रिवायत करते हैं।

बाब {जो शख़्स अ़रफात में न ठहर सके।}

1949:— अ़ब्दुर्रहमान बिन यामर बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ जबकि आप अ़रफ़ात के मैदान में थे। उसी दौरान नज्द की तरफ़ से कुछ लोग आये और उन्होंने एक शख़्स को कहा तो उस ने पुकार कर कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हज्ज कैसे है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (भी) एक व्यक्ति को हुक्म दिया और उस ने पुकार कर कहाः हज्ज, हज्ज अ़रफ़ात का दिन है। जो शख़्स मुज़दलिफ़ा की रात में फ़ज्र की नमाज़ से पहले-पहले यहाँ आ गया उस का हज्ज पूरा हो गया। मिना केदिन तीन हैं। जो व्यक्ति दो दिन बाद जल्दी से वापस हो जाये उस पर कोई गुनाह नहीं और जो ताख़ीर करे (तीसरे दिन भी ठहरे) तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। फिर आपने अपने पीछे एक शख़्स को सवार करा लिया जो इस बात का एलान करने लगा।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मिहरान ने सुफ़यान से "हज्ज, हज्ज दो बार रिवायत किया है, जबकि सअ़ीद बिन क़त्तान ने सुफ़यान से हज्ज का शब्द एक बार रिवायत किया है।

फ़ाइदा:— अ़रफ़ात में ठहरना यह हज्ज का एक रुक्न है चाहे कम समय के लिये ठहरना है। इस का समय 9 ज़िल हिज्जा को ज़वाल के समय से लेकर अगले दिन सुब्ह सादिक़ से पहले तक है जिस से यह ठहरना रह गया उस का हज्ज नहीं हुआ।

1950:— उर्वा बिन मुज़र्रिस ताई ने बयान किया कि मैं मुज़दलिफ़ा में ठहरने के समय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं क़बीला तै के दो पहाड़ों के बीच से आया हूँ। मैं ने अपनी सवारी को हलकान किया है और अपने आप को बहुत थकाया है। अल्लाह की क़सम! मैंने कोई टीला (या पहाड़) नहीं छोड़ा मगर वहाँ ठहरे हैं तो क्या मेरा हज्ज हो गया? आप ने फ़रमायाः जिस ने हमारे साथ यह नमाज़ (फ़ज्र) पढ़ ली और उस से पहले वह रात या दिन में अ़रफ़ात में हाज़िर हो चुका है तो उस का हज्ज पूरा हो गया और उस ने मैल-कुचैल दूर कर लिया (उस ने हज्ज के अर्कान पूरे कर लिये) अब बाद के दूसरे हज्ज के आर्कन पूरे कर के अपना अहराम खोल दे।

बाब {मिना में पड़ाव डालने का बयान।}

1951:— अ़ब्दुर्रहमान बिन मआ़ज़ एक सहाबी से बयान करते हैं कि उस ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मिना में लोगों को खुत्बा दिया और उन्हें अपने-अपने स्थानों पर ठहरने का हुक्म दिया। आप ने फ़रमायाः मुहाजिर लोग यहाँ पड़ाव करें, और क़िब्ला की तरफ़ दोयं

ओर इशारा फ़रमायाः "और अन्सार यहाँ पड़ाव करें," और क़िब्ला के बायें तरफ़ इशारा फ़रमायाः "और दूसरे लोग इन के आस-पास पड़ाव करें।

फ़ाइदा:— यह स्थान मिना की मस्जिद ख़ीफ़ से क़िब्ला की तरफ़ दायें और बायें मुराद है, जैसे कि आगे हदीस न॰ 1957 में आ रहा है।

बाब {इमाम मिना में किस रोज़ खुत्बा दे।}

1952:— बनी बक्र के दो आदमियों से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अय्यामे तश्रीफ़ के दर्मियानी दिन में खुत्बा देते हुये देखा। हम लोग आप की सवारी के पास ही थे और यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का वह खुत्बा था जो आप ने मिना में दिया था।

1953:— रबीआ़ बिन अ़ब्दुर्रहमान अपनी दादी सरा बिन्त नबहान से बयान करते हैं........... यह महिला इस्लाम लाने से पहले एक घर की चौकीदारी करती थी (जिस में बुत रखे हुये थे) ......वह बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रुऊस वाले दिन हमें खुत्बा दिया, आप ने फ़रमायाः यह कौन सा दिन है? हम ने कहाः अल्लाह और उस के रसूल बेहतर जानते हैं। आप ने फ़रमायाः क्या यह अय्यामे तश्रीक़ का दर्मियानी दिन नही है?

फ़ाइदा:— दस ज़िल हिज्जा के बाद 11, 12, 13 को तश्रीक़ कहते हैं। इन में 12 ज़िल हिज्जा को "यौमुर्रुऊस" कहा जाता है क्योंकि इस दिन क़ुर्बानी के जानवरों के सर पका कर खाते थे। 13 ज़िल हिज्जा को रवान्गी का दिन कहते हैं।

बाब {क़ुर्बानी वाले दिन खुत्बा।}

1954:— हिरमास बिन ज़ियाद रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप मिना में क़ुर्बानी वाले दिन अपनी ऊँटनी अ़ज़बा पर लोगों को खुत्बा दे रहे थे।

1955:— अबू उमामा रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने मिना में क़ुर्बानी वाले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का खुत्बा सुना।

बाब {क़ुर्बानी वाले दिन खूत्बा देने का बयान।}

1956:— राफ़े बिन अ़म्र बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप मिना में अपने सफ़ेद ख़च्चर पर लोगों को खुत्बा दे रहे थे जबकि दिन ऊँचा आ चुका था और अ़ली रज़ि॰ आप की बात आगे पहुँचा रहे थे, कुछ लोग बैठे थे और कुछ लोग खड़े थे।

फ़ाइदा:— एक मौक़ा पर ऊँटनी पर और एक मौक़ा पर ख़च्चर पर खुत्बा दिया इस में कोई टकराव नहीं है।

1957:— अ़ब्दुर्रहमान बिन मआ़ज़ तैमी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम ने हमें ख़ुत्बा दिया जबकि हम मिना में थे। पस (अल्लाह पाक ने) हमारे कान खोल दिये, हम अपने-अपने डेरों में थे और वह सब कुछ सुन रहे थे जो आप फ़रमा रहे थे। आप हमें हज्ज के बारे में शिक्षा दे रहे थे यहाँ तक कि जमुरात तक पहुँच गये तो आपने अपनी शहादत की उँगली (अपने कानों में) रखीं और फ़रमायाः छोटी-छोटी कंकरियाँ मारो। आप ने मुहाजिर लोगों को हुक्म दिया तो वह मस्जिद ख़ीफ़ के आगे की तरफ़ उतरे, और अन्सार को हुक्म दिया तो वह मस्जिद से पीछे की तरफ़ उतरे, फिर दूसरे लोग उन के बाद उतरे।

फ़ाइदा:— यह आप का चमत्कार था कि दूर-दूर के लोगों ने आप की **आवाज़** सुन ली। उँगली कान पर रखी ताकि पुकार में आवाज़ ऊँची हो जाये।

बाब **{मिना में रातें मक्का में गुज़ारने का बयान।}**

1958:— अ़ब्दुर्रहमान बिन फ़र्रुह ने इब्ने उमर रज़ि॰ से पूछाः हम लोगों के साथ लेन-देन करते हैं तो हम में से कोई मक्का भी आ जाता है और अपने माल के साथ गुज़रता है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तो रातें मिना में गुज़ारी थीं और दिन भी।

1959:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि अ़ब्बास रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इजाज़त माँगी थी कि लोगों को पानी पिलाने की ग़रज़ से मिना की रातें मक्का में गुज़ार लें, तो आप ने उन को इजाज़त दे दी थी।

फ़ाइदा:— कोई ज़रुरत हो जैसे पानी पिलाना, जानवरों को चराना वग़ैरह तो मिना से बाहर रात गुज़ार सकता है वर्ना नहीं।

बाब **{मिना में नमाज़ें।}**

1960:— अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद ने बयान किया कि उस्मान रज़ि॰ ने मिना में चार रक्अ़तें पढ़ीं तो इब्ने मस्ऊद ने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ अबू बक्र के साथ, और उमर रज़ि॰ के साथ दो-दो रक्अ़तें (क़स्र) पढ़ी हैं।

मुसद्दद ने हफ़्स बिन ग़ियास से यह भी बयान किया कि "उस्मान रज़ि॰ के साथ भी जबकि वह शुरु में तो क़स्र करते थे, फिर अन्त में वह पूरी पढ़ने लगे थे। मुसद्दद ने यहाँ से अबू मुआ़विया से यह इज़ाफ़ा किया कि (इब्ने मस्ऊद ने कहाः) फिर तुम्हारी राहें अलग हो गयीं और मुझे दो रक्अ़तें जो अल्लाह के यहाँ कुबूल हो जायें चार रक्अ़तों से बेहतर मालूम होती हैं। आमश ने कहा कि मुझे सूरः मुआ़विया बिन क़ुर्रा ने अपने बुज़ूर्गों (उस्तादों) से बयान किया कि इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने भी चार रक्अ़तें पढ़ीं तो उन से कहा गया कि आप उस्मान रज़ि॰ पर ऐब लगाते हैं फिर भी चार पढ़ते हैं? कहने लगेः इख़्तिलाफ़ करना बुरा काम है।

फ़ाइदा:— उस्मान रज़ि॰ ने पूरी पढ़ी थी इसलिये कि पूरी भी पढ़नी जाइज़ है। इसी वजह से इब्ने मस्ऊद ने भी पूरी पढ़ी थी। अगर जाइज़ न होता तो इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ उन से इख़्तिलाफ़ करते। मालूम हुआ कि क़स्र और भरी दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। फिर भी डरते थे कि कहीं ऐसा न हो

कि भरी रक्अ़तें अल्लाह के नज़दीक़ पसन्दीदा न हों।

1961:— इमाम ज़ोहरी ने बयान किया कि उस्मान रज़ि॰ ने मिना में चार रक्अ़तें इसलिये पढ़ी थीं कि उन्होंने हज्ज के बाद वहीं ठहरने का इरादा कर लिया था।

1962:— इब्राहीम नख़ई ने बयान किया कि उस्मान रज़ि॰ के चार रक्अ़त पढ़ने की वजह यह थी कि उन्होंने उसे अपना वतन बना लिया था (यहाँ उन्होंने शादी कर ली थी)

1963:— इमाम ज़ोहरी ने बयान किया कि उस्मान रज़ि॰ ने जब ताइफ़ में अपनी जायदाद ले ली और वहाँ इक़ामत का इरादा कर लिया तो चार रक्अ़तें पढ़ीं। उन के बाद (बनी उमय्या के) दूसरे हकिमों ने भी यही अ़मल इख़्तियार कर लिया।

1964:— इमाम जुहरी से रिवायत है कि उस्मान रज़ि॰ ने मिना में देहाती (बद्दू) लोगों की वजह से पूरी नमाज़ पढ़ी थीं, क्योंकि वह लोग उस वर्ष बहुत अधिक संख्या में आये थे तो उन्होंने लोगों को चार रक्अ़तें पढ़ायीं ताकि उन दीहातियों को मालूम रहे कि नमाज़ चार रक्अ़त है।

फ़ाइदा:— ऊपर की चारों हदीसें ज़ओ़फ़ हैं। उस्मान रज़ि॰ ने पूरी नमाज़ इसलिये पढ़ी थी कि मुसाफ़िर भी क़स्र की जगह पूरी पढ़ सकता है। और ऐसा करना जाइज़ है, लेकिन क़स्र करना अफ़ज़ल है।

बाब {मक्का वालों का क़स्र करना।}

1965:— हारिसा बिन वहब.......इन की माँ उमर रज़ि॰ के निकाह में थीं और उन से उन का पुत्र उबैदुल्लाह बिन उमर पैदा हुआ था........हारिसा ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ मिना में नमाज़ पढ़ीं। लोगों की संख्या अधिक थी तो आप ने हमें अन्तिम हज्ज में दो रक्अ़तें पढ़ायीं। इमाम अबू दावूद ने कहा कि हारिसा, क़बीला ख़ज़ाआ़ के आदमी थे और उन का घर मक्का में था।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि मिना में क़स्र करना हज्ज का एक हिस्सा है, इसलिये दीगर मुसाफ़िरों की तरह मक्का वाले भी क़स्र करेंगे।

बाब {जमुरों को कन्करियाँ मारना।}

1966:— सुलैमान बिन अ़म्र बिन अहवस की माता जी बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को वादी के दर्मियान से जमुरा को कन्करियाँ मारते देखा जबकि आप सवारी पर थे। आप हर कन्करी के साथ अल्लाहु अक्बर कहते थे। एक शख़्स आप के पीछे से आप को छुपाए हुये था। मैंने उस के बारे में मालूम किया तोकहा: यह फ़ज़्ल बिन अ़ब्बास रज़ि॰ हैं। लोगों ने बहुत भीड़ कर दी तो आप ने फ़रफाया: लोगों! एक दूसरे की हत्या मत करो और जब तुम जमुरे को कन्करियाँ मारो तो छोटी-छोटी मारो।

1967:— सुलैमान बिन अ़म्र बिन अहवस की माता जी का बयान हैं कि मैं ने नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अक़्बा के जमुरे के पास देखा, आप सवारी पर थे, मैंने आप की उंगलियों में कंकरियाँ देखीं, आप ने उसे मारा और फिर लोगों ने भी मारीं।

1968:— यज़ीद बिन अबू ज़ियाद ने अपनी सनद से उस के मिस्ल रिवायत किया और इज़ाफ़ा किया कि आप जमुरा के पास रुके नहीं।

1969:— इमाम नाफ़े रह॰ ने इब्ने उमर रज़ि॰ के बारे में बयान किया कि वह क़ुर्बानी के दिन (यानी 10 ज़िल हिज्जा) के बाद तीन दिनों में जमुरात के पास पैदल ही आते जाते थे और बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऐसे ही किया करते थे।

1970:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप क़ुबानी वाले दिन अपनी सवारी पर से सकन्करियाँ मार रहे थे और फ़रमा रहे थेः "मुझ से अपने हज्ज के तरीक़े सीख लो, मैं नहीं जानता कि इस हज्ज के बाद शायद में हज्ज कर सकूँ।"

1971:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा कि आप क़ुबानी वाले दिन चाश्त के समय अपनी सवारी पर से रमी कर रहे थे। मगर इस के बाद के दिनों में सूरज ढलने के बाद रमी की।

1972:— वबरा बिन अ़ब्दुर्रहमान सलमी कहते हैं कि मैंने इब्ने उमर रज़ि॰ से पूछाः मैं किस समय शैतान को कन्करियाँ मारुँ? उन्होंने कहाः जब तुम्हारा इमाम मारे तो तुम भी मार लो। मैंने अपना सवाल दोहराया तो बोलेः हम सूरज ढलने का इन्तिज़ार किया करते थे। जब सूरज ढल जाता तो रमी करते थे (क़ुबानी वाले दिन के बाद के दिनों में)

1973:— आ़इशा रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (दस तारीख़ को क़ुबानी वाले दिन) जब पढ़ लेने के बाद दिन के अन्तिम हिस्से में इफ़ाज़ा का तवाफ़ किया, फिर आप मिना लौट आये और तशरीक़ की रातें यहीं ठहरे रहे। सूरज ढलने के बाद शैतान को कन्करियाँ मारते और हर कन्करी के साथ अल्लाहु अक्बर कहते। पहले और दूसरे जमुरे के पास काफ़ी लंबी देर तक रुकते और अपनी आ़जिज़ी का इज़्हार करते (दुआ़यें माँगते) फिर तीसरे जमुरे को कन्करियाँ मारते, मगर उस के पास नहीं रुकते थे।

फ़ाइदा:— दस्वीं तारीख़ को सूरज निकलने के बाद और बाक़ी दिनों में ज़वाल (यानी सूरज ढलने के बाद) कंकरियाँ मारी जाती हैं। पहले और दूसरे को कंकरी मारने के बाद हाथ उठा कर दुआ़ करना सुन्नत है, तीसरे के पास नहीं।

1974:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ बयान करते हैं कि जब आप बड़े जमुरे के पास पहुँचे तो बैतुल्लाह को अपने बायें तरफ़ और मिना को दायें तरफ़ किया और फिर जमुरे को सात कंकरियाँ मारीं। इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि इस प्रकार से उस ज़ात ने रमी की जिस पर सूरः बक़रः नाज़िल की गयी थी (देखें बुख़ारी-1350)

1975:— अबू बदाह बिन आ़सिम रज़ि॰ अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऊँटों के चरवाहों को मिना में बिताने की इजाज़त दे दी थी कि यह लोग क़ुर्बानी वाले दिन रमी करें, फिर अगले दिन (11वीं) को इस के बाद अगला दिन छोड़ कर रवान्गी वाले दिन दो दिन की रमी करें।

1976:— अबू बदाह बिन अ़दी अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चरवाहों को इजाज़त दी थी कि एक दिन रमी करें और एक दिन छोड़ दें।

1977:— अबू मिजलज़ बयान करते हैं कि मैंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रमी जिमार के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहाः मुझे नहीं मालूम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने छः कन्करियाँ मारी थीं या सात।

फ़ाइदा:— दीगर अहादीस में बिला शुरु के सात का ज़िक्र है और इसी पर अ़मल है।

1978:— आ़इशा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई (10 ज़िल हिज्जा को) अ़क़बा के जमुरा को कंकरियाँ मार ले तो उस के लिये बीवी के अ़लावा तमाम चीज़ें हलाल हो गयीं।

फ़ाइदा:— इस की सनद ज़ओ़फ़ है लेकिन मस्अला सहीह है। तवाफ़े-इफ़ाज़ा के बाद पत्नी भी हलाल हो जाती है।

बाब {सर मुँडाने या कतरवाने का बयान।}

1979:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ अल्लाह! सर मुँडाने वालों पर रहम फ़रमा। सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के संदेष्टा! और कतरवाने वालों के लिये भी (दुआ़ फ़रमायें) आप ने फ़रमायाः ऐ अल्लाह! सर मुँडाने वालों पर रहम फ़रमा। सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! और कतरवाने वालों के लिये भी (दुआ़ फ़रमायें) तब आप ने फ़रमायाः और बाल काटने वालों पर भी (रहम फ़रमा)

1980:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम हज्ज में अपना सर मुँडाया था।

1981:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ुर्बानी वाले दिन जमुरए अ़क़बा को कन्करियाँ मारीं, फिर मिना में अपने पड़ाव पर तशरीफ़ लाये, फिर अपनी क़ुर्बानी तलब की और उसे ज़ब्ह किया, फिर हज्जाम को बुलवाया और उस ने आप के सर के दायें तरफ़ को लिया और उसे मूँडा, तो आप ने अपने पास वालों को एक-एक दो-दो बाल तक़सीम कर दिये, फिर उस ने बायें तरफ़ को लिया और उसे मूँडा तो आप ने फ़रमायाः अबू तलहा यहाँ हैं? चुनान्चे उसे अबू तल्हा को दे दिया।

फ़ाइदा:— सुन्नत यह है कि बाल भी दाहिनी तरफ़ से काटे जायें। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम के बाल बर्कत हासिल करना और शिफ़ा प्राप्त करना जाइज़ है, मगर शर्त यह है कि अस्ली हों। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अ़लावा और किसी के बाद किसी के बर्कत वाले नहीं है।

1982:— सुफ़यान ने हिशाम बिन हस्सान से अपनी सनद से यह हदीस बयान की जिस में यह है कि आप ने नाई से फ़रमायाः दाहिनी तरफ़ से शुरु करो और (पहले) उसे मूँडो।

1983:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मिना के दिनों में प्रश्न किये जाते थे और आप फ़रमाते थे "कोई हरज नहीं।" एक व्यक्ति ने प्रश्न करते हुये पूछाः मैंने क़ुर्बानी से पहले बाल मूँड लिये हैं। आप ने फ़रमायाः क़ुर्बानी करो और कोई हरज नहीं। एक ने प्रश्न कियाः मैंने शाम कर दी है और रमी नहीं की है। आप ने फ़रमायाः रमी करो और कोई हरज नहीं।

फ़ाइदा:— दस ज़िल हिज्जा के काम अगर तर्तीब से हों तो अफ़ज़ल है, वर्ना आगे-पीछे भी जाइज़ है।

1984:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः महिलाओं के लिये सर मुँडाना नहीं है, उन के लिये केवल बाल कतर लेना है।

1985:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः महिलाओं के लिये सर मुँडाना नहीं है, उन के लिये केवल बाल कतरना है।

फ़ाइदा:— महिलायें अपने सर के बाल कहीं से एक इन्च लेकर काट दें।

बाब **{उम्रा के अहकाम व मसाइल।}**

1986:— **इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्ज से पहले उम्रा किया था।**

1987:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि अल्लाह की क़सम! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने आ़इशा रज़ि॰ को ज़िल हिज्जा में सिर्फ़ इसलिये उम्रा कराया था कि इस से शिर्क करने वालों को अ़मल बातिल करें। बिला शुब्हा क़ुरैश क़बीला और उन के दीन के मानने वाले कहा करते थे कि जब ऊँटों के बाल बढ़ जायें, उन के घाव भर जायें और सफ़र का महीना आरंभ हो जाये तो उम्रा करने वाले के लिये उम्रा हलाल हो गया। यह लोग उन दिनों में उम्रा करने को हराम कहते थे यहाँ तक कि ज़िल हिज्जा और मुहर्रम गुज़र जाये।

1988:— अबू बक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान रज़ि॰ से रिवायत है कि मुझे मर्वान के ख़बरची ने ख़बर दी जिस को उस ने उम्मे माक़िल रज़ि॰ के यहाँ भेजा था। उम्मे माक़िल ने कहा कि अबू माक़िल रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हज्ज के लिये निकले। जब वह आये तो उम्मे माक़िल ने कहाः तुम जानते हो कि मुझ पर भी हज्ज फ़र्ज़ है? चुनान्चे वह दोनों चलते आये यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से आ मिले। तो उम्मे माक़िल ने कहाः ऐ

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मुझ पर हज्ज फ़र्ज़ है और अबू माक़िल के पास केवल ऐ ऊँट है। अबू माक़िल रज़ि॰ कहने लगे: यह सच कहती है और उस ऊँट को मैंने अल्लाह की राह में (जिहाद में) कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम यह उसे दो, यह उस पर हज्ज करेगी, यह भी अल्लाह की राह में है। चुनान्चे अबू माक़िल ने यह ऊँट उसे दे दिया तो वह कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं महिला ज़ात हूँ, आयु अधिक हो गयी है और बीमार भी हूँ, तो क्या कोई तरीक़ा ऐसा है जो मुझ से मेरे हज्ज से काफ़ी हो जाये, आप ने फ़रमाया: रमज़ान में उम्रा, हज्ज से किफ़ायत करता है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत जओ़फ़ है। "रमज़ान में उम्रा हज्ज के लिये काफ़ी होता है" यह सहीह नहीं है। हाँ, हज्ज के बराबर सवाब मिलता है।

1989:— उम्मे माक़िल रज़ि॰ बयान करती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम हज्ज किया तो हमारे पास एक ही ऊँट था, उस को भी मेरे पति अबू माक़िल ने जिहाद के लिये वक़्फ़ कर दिया था। हमें बीमारी न आ लिया और अबू माक़िल का देहान्त हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गये। जब आप हज्ज कर के आ गये तो मैं आप के पास गयी तो आप ने फ़रमाया: ऐ उम्मे माक़िल! मेरे साथ हज्ज करने में क्या रुकावट थी? उन्होंने कहा: हम तो तैयार थे कि अबू माक़िल देहान्त कर गये। हमारे पास एक ही ऊँट था जिस पर सवार होकर हज्ज करना था, लेकिन उस ऊँट के बारे में भी पति ने वसिय्यत कर दी थी कि यह ऊँट जिहाद के लिये वक़्फ़ है। आप ने फ़रमाया: तुम ने उसी पर ही क्यों न हज्ज के लिये सफ़र किया, क्योंकि हज्ज भी तो "जिहाद" ही है। ख़ैर, जब कि तुम मेरे साथ हज्ज न कर सकी तो अब रमज़ान में उम्रा करना, बिला शुब्हा यह हज्ज की तरह है। चुनान्चे वह कहा करती थीं कि हज्ज, हज्ज है और उम्रा, उम्रा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से यह फ़रमाया था, मालूम नहीं यह बात मेरे लिये ख़ास थी (या उम्मत के लिये आ़म थी)

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। रमज़ान में उम्रा का सवाब हज्ज के बराबर तो है, लेकिन इस से हज्ज साक़ित नहीं हो जायेगा।

1990:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हज्ज का इरादा फ़रमाया तो एक महिला ने अपने पति से कहा: मुझे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ अपने ऊँट पर सवार करा के हज्ज कराओ। उस ने कहा: मेरे पास कोई ऐसी सवारी नहीं जिस पर मैं तुम्हें हज्ज कराऊँ। महिला ने कहा: अपने फ़लाँ ऊँट पर? उस ने कहा: वह तो जिहाद के लिये वक़्फ़ है। पस वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा: मेरी पत्नी ने आप को सलाम कहा है, वह मुझ से कहती है कि मैं उस को आप के साथ हज्ज कराऊँ, वह कहती है कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हज्ज कराओ तो मैं ने उस से कहा: मेरे पास कोई सवारी नहीं जिस पर मैं तुम्हें हज्ज कराऊँ। उस ने कहा: अपने फ़लाँ ऊँट पर। मैंने कहा: वह तो अल्लाह की राह में वक़्फ़ है। आप सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर तुम उस ऊँट पर बैठा कर हज्ज करा दो तो यहभी अल्लाह की राह में है। उसव ने कहा कि उस महिला ने मुझ से कहा कि मैं आप से मालूम करुँ कि कौन अ़मल आप के साथ हज्ज के बराबर हो सकता है? आप ने फ़रमायाः उसे (मेरी तरफ़ से) सलाम कहना और उसे बताना कि रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज्ज करने के बराबर है।

1991:– आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दो उम्रे किये थे। एक तो ज़ीक़ादा में और दूसरा शव्वाल में।

फ़ाइदा:– आप ने चार उम्रे किया (बुख़ारी-1775, 1776, मुस्लिम-1253)

1992:– इब्ने उमर रज़ि॰ से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कितने उमरे किये? उन्होंने कहाः दो। आ़इशा रज़ि॰ ने कहाः इब्ने उमर को तो मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तीन उम्रे किये थे, उसे छोड़ कर जिस को आप ने अन्तिम हज्ज के साथ मिला कर किये थे।

1993:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चार उम्रे किये थे। हुदैबिया का उम्रा (जिस से आप को वापस जाना पड़ा था) दूसरा वह जो मुआ़हिदा के बाद अगले वर्ष किया। तीसरा जिईराना से, चौथा जो आप ने अपने हज्ज के साथ मिला कर किया था।

1994:– अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चार उम्रे किये थे और सभी ज़ीक़ादा के 4 महीने में सिवाए उस के जो हज्ज के साथ था।

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि यहाँ तक मुझे हदबा बिन ख़ालिद से खूब अच्छी तरह याद है। और अबू वलीद से भी मैंने सुना है मगर अच्छी तरह याद नहीं कर सका। यानी हुदैबिया के उम्रा के ज़माना में, क़ज़ा का उम्रा ज़ीक़ादा महीने में, जिईराना का उम्रा जब आप ने ज़ीकादा में हुनैन के माले ग़नीमत को तक़्सीम किया था और हज्ज के साथ वाला उम्रा।

फ़ाइदा:– कुछ लोग कहते हैं कि अगर आदमी हज्ज के महीने में उम्रा कर ले तो उस पर हज्ज करना अनिवार्य हो जाता है, मगर इस की कोई हक़ीक़त नहीं।

बाब {जो महिला उम्रा की निय्यत से एहराम बाँधे, उस को हैज़ आ जाये और फिर हज्ज का समय आ जाये तो क्या वह अपना उम्रा समाप्त कर के हज्ज का एहराम बाँध सकती है? और क्या वह अपने उम्रे की क़ज़ा करे?}

1995:– अबू बक्र रज़ि॰ के पुत्र अ़ब्दुर्रहमान से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमाया थाः ऐ अ़ब्दुर्रहमान, अपनी बहन आ़इशा को अपने पीछे सवार करो और उसे तनअ़ीम से उम्रा करवा लाओ। तुम जब उसे लेकर टीले से नीचे उतरो तो उसे चाहिये कि एहराम बाँधे। बेशक यह उम्रा मक़बूल होगा।

फ़ाइदा:– मक्का से छः मील की दूरी पर "तनअ़ीम" है। आज कल शहर की आबादी का हिस्सा

है और मस्जिद आइशा के नाम से मशहूर मन्ज़िल है।

1996:— मुहर्रिश काबी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जिईराना में तशरीफ़ लाये, फिर मस्जिद में आये और जो अल्लाह ने चाहा नमाज़ पढ़ी। फिर आप ने एहराम बाँधा, फिर अपनी सवारी पर आराम से बैठ गये फिर सरिफ़ की वादी के दामन का रुख़ किया यहाँ तक कि मदीना की राह पर जा मिले और मक्का में सुब्ह की, गोया कि आप रात ही से यहीं थे।

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम हुआ कि क़ज़ा या नफ़ली उम्रा करने वाला तनअ़ीम या जिईराना से एहराम बाँधे। यही से दो स्थान क़रीब के मीक़ात है।

बाब {उम्रा के बाद इक़ामत का मस्अला।}

1999:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क़ज़ा के उम्रा की अदायगी के लिये (मक्का के अन्दर) तीन दिन ठहरे थे।

फ़ाइदा:— उस समय में पाबन्दी थी कि तीन दिन से अधिक न ठहरें, मुश्रिकों की तरफ़ से। आज कल, कोई पाबन्दी नहीं चाहे रुके रहें या चले जायें।

बाब {इफ़ाज़ा के तवाफ़ का बयान।}

1998:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुर्बानी वाले दिन इफ़ाज़ा का तवाफ़ किया, फिर लौट कर मिना में जुह् की नमाज़ पढ़ी।

फ़ाइदा:— इस तवाफ़ के कई नाम है (1) तवाफ़े इफ़ाज़ा (2) तवाफ़े ज़ियारत (3) तवाफ़े रुक्न। अफ़्ज़ल यह है कि हम ज़िल हिज्जा को कर लिया जाये, या तश्रीक़ के दिनों में किसी समय।

1999:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ नेबयान किया कि कुर्बानी वाले दिन शाम को मेरी बारी की रात थी जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मेरे पास तशरीफ़ लाना था। चुनान्चे आप आये और मेरे पास वहब बिन ज़मआ़ आया, उस के साथ उमय्या खान्दान का एक और आदमी भी था। उन दोनों ने क़मीसें पहन रखीं थीं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वहब से फ़रमाया: ऐ अबू अ़ब्दुल्लाह! क्या तुम ने इफ़ाज़ा का तवाफ़ कर लिया है? उस ने कहा: अल्लाह की क़सम, नहीं ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आप ने फ़रमाया: अपनी यह क़मीस उतार दो। चुनान्चे उस ने अपनी क़मीस उतार दी। और सर की तरफ़ से उतारी। फिर उस ने पूछा: और यह क्यों ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमाया: बिला शुब्हा तुम्हें इस दिन में छूट है कि जब तुम जमुरा को कंकरियाँ मार लो तो हलाल हो जाओ, यानी हर उस वस्तु से जो तुम पर हराम किया गया है सिवाए बीवियों के। अगर बैतुल्लाह का तवाफ़ करने से पहले शाम हो जाये तो तुम फिर से मुहरिम हो जाओगे जैसे कि कन्करियाँ मारने से पहले थे यहाँ तक कि उस का तवाफ़ कर लो।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि अगर दस्वीं को शाम तक हाजी तवाफ़े इफ़ाज़ा न कर सका तो उसे

दोबारा एहराम की हालत में आ जाना चाहिये।

2000:— आइशा और इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ुर्बानी के दिन तवाफ़ को रात तक विलंब किया था।

2001:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने इफ़ाज़ा के तवाफ़ में रम्ल नहीं किया था (यानी दौड़ नहीं लगाई थी जैसे कि तवाफ़े क़ुदूम में किया था)

बाब {अन्तिम तवाफ़ का बयान।}

2002:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि लोग (हज्ज के बाद) हर तरफ़ चले जाते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई व्यक्ति हर्गिज़ न जाये यहाँ तक कि उस का आख़िरी काम बैतुल्लाह का तवाफ़ हो।

फ़ाइदा:— अन्तिम हज्ज (तवाफ़ विदाअ़) वाजिब है, जो छोड़ दे उस पर दम लाज़िम आता है।

बाब {हैज़ वाली महिला तवाफ़े इफ़ाज़ा कर चुकी हो तो तवाफ़े विदाअ़ के बग़ैर जा सकती है।}

2003:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (अपनी पत्नी) सफ़िय्या का ज़िक्र किया तो बताया गया कि उन्हें हैज़ आ गया है। तो आप ने फ़रमायाः शायद यह हमें रोकने वाली है? (घर वालों ने) कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! इसने तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया है। आप ने फ़रमायाः तब तो कोई बात नहीं।

2004:— हारिस बिन अ़ब्दुल्लाह बिन औस रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं उमर रज़ि॰ के पास आया और उन से पूछाः जो महिला क़ुर्बानी वाले दिन तवाफ़ कर चुकी हो फिर उसे हैज़ आ जाये तो वह क्या करे? उन्होंने कहाः उस का अन्तिम काम बैतुल्लाह का तवाफ़ होना चाहिये। हारिस ने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी मुझ से ऐसे ही फ़रमाया था। उमर ने कहाः तेरे हाथ गिर जायें, मुझ से वह बात पूछता है जो पहले ही नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछ चुका है ताकि मैं उस की मुख़ालिफ़त करूँ।

फ़ाइदा:— उमर रजि॰ की राय ऊपर की हदीस के ख़िलाफ़ है। हदीस न॰ 2003 में जो हुक्म है वही सहीह है।

बाब {अन्तिम तवाफ़ का बयान।}

2005:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने तनअ़ीम से उम्रे का एहराम बाँधा और हरम में दाख़िल हुयी और अपना उम्रा पूरा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबतह की वादी में मेरा इन्तिज़ार किया यहाँ तक कि मैं उम्रा कर चुकी, तो आप ने लोगों को सफ़र करने का हुक्म दिया। आइशा रज़ि॰ बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बैतुल्लाह में तशरीफ़ लाये और उस का तवाफ़ किया, फिर रवाना हो गये।

2006:— आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिना से आख़िरी दिन में निकली तो आप ने मुहस्सब की वादी में पड़ाव किया। (मक्का और मिना के दर्मियान मक्बरतुल मुअल्लात से मिना की तरफ़ जाने वाले रास्ते का नाम अबतह और मुहस्सब है।) इमाम अबू दावूद ने बताया कि इब्ने बश्शार ने इस हदीस में आइशा को तनअीम की तरफ़ रवाना करने का ज़िक्र नहीं किया। आइशा रज़ि॰ कहती हैं कि मैं फ़ज्र के समय उम्रा कर के आप के पास पहुँची तो आप ने सहाबा को कूच का हुक्म दिया और खुद सवार हुये और फ़ज्र की नमाज़ से पहले बैतुल्लह में आये, तवाफ़ कर लिया और फिर मदीना की राह की तरफ़ चल निकले।

2007:— अब्दुर्रहमान बिन तारिक़ अपनी माता जी से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब याला के घर से आगे बढ़ते तो बैतुल्लाह की तरफ़ मुँह करते और दुआ फ़रमाते।

बाब {मुहस्सब की वादी (अबतह) में उतरने का बयान।}

2008:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहस्सब की वादी में इसलिये उतरे थे ताकि आप को (मक्का से) निकलने में आसानी रहे। यह कोई अहम सुन्नत नहीं है, जो चाहे यहाँ उतर जाये और चाहे न उतरे।

फ़ाइदा:— मुस्तहब होने में तो तनिक भर शुब्हा नहीं।

2009:— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद कर्दा गुलाम अबू राफ़े बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यह हुक्म नहीं दिया था कि मैं आप के पड़ाव का यहाँ इन्तिज़ाम करुँ। लेकिन मैंने (अपने तौर पर) यहाँ आप का ख़ेमा लगा दिया था तो यहाँ आप उतर गये थे।

2010:— उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ कहते हैं कि हज्ज के मौक़ा पर मैं ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! आप कल कहाँ ठहरेंगे? आप ने फ़रमाया: भला अक़ील ने हमारे लिये कोई घर रहने भी दिया है? फिर आप ने कहा: हम ख़ीफ़ बनी कनाना में ठहरेंगे, जहाँ कुरैश के लोगों ने कुफ़्र पर डटे रहने के लिये अनुबन्ध किया था, यानी मुहस्सब की वादी में। और इस की तफ़सील यह है कि बनी कनाना ने कुरैशियों के साथ बनी हाशिम के ख़िलाफ़ यह क़सम खाई थी कि न तो उन से शादी-विवाह करेंगे और न ही कोई लेन-देन, और न ही उन्हें कोई स्थान देंगे। इमाम जुहरी ने कहा कि "ख़ीफ़" एक वादी का नाम है।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पिता का तर्का हिजरत के नाते छोड़ दिया था। अबू तालिब की जायदाद तालिब और अक़ील को मिली, इन के दो और भाई जाफ़र और अली थे, यह दोनों मुसलमान हो गये थे इसलिये इन्हें तर्का नहीं मिला। फिर तालिब कहीं गुम हो गये तो अक़ील तन्हा अबू तालिब के तर्का के मालिक हुये, इन्होंने भी पूरी जायदाद

औने-पौने बेच डाली और सब खा-पी कर बराबर कर दिया।

2011:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब मिना से रवाना होने का इरादा किया तो फ़रमायाः हम कल (ख़ीफ़ बनी कनाना में) उतरेंगे........और ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया। मगर (औज़ाअ़ी ने) रिवायत का पहला हिस्सा (उसामा का सवाल-जवाब) ज़िक्र नहीं किया और न "ख़ीफ़" का ज़िक्र किया कि यह एक वादी है।

2012:— इमाम नाफ़े ने बयान किया कि (मिना से वापसी पर) इब्ने उमर रज़ि॰ बतहा (अबतह/मुहस्सब) में थोड़ी देर आराम करते फिर मक्का में दाख़िल होते। और कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ऐसे ही किया करते थे (यानी अन्तिम तवाफ़ किया करते थे)

2013:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बतहा में जुह्, अस्र, मग़रिब और इशा की नमाज़ें पढ़ी, फिर कुछ देर सोए, फिर मक्का में दाख़िल हुये। और इब्ने उमर रज़ि॰ भी इसी प्रकार किया करते थे।

बाब {जो व्यक्ति (दस्वीं तारीख़ के) हज्ज के कामों को आगे-पीछे कर डाले?}

2014:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अ़ास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर मिना में क़ियाम किया तो लोग आप से मस्अले पूछने लगे। एक व्यक्ति आया और कहने लगाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मुझे मालूम नहीं हो सका और मैंने ज़ब्ह करने से पहले अपने बाल मुँडालिये? आप ने फ़रमायाः ज़ब्ह कर लो कोई हरज नहीं। एक दूसरा आया और बोलाः ऐ अल्लह के सन्देष्टा! मुझे मालूम न हो सका इसलिये कन्करी मारने से पहले क़ुर्बानी कर डाली? आप ने फ़रमायाः कन्करी मार लो कोई बात नहीं। कहते हैं कि उस दिन आप से जो भी प्रश्न हुआ और जिस में आगे-पीछे काम हुआ तो आप ने उस से यही फ़रमायाः अब कर लो, कोई हरज नहीं।

2015:— उसामा बिन शरीक रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हज्ज के लिये रवाना हुआ, लोग आप के पास आते थे। तो जिस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने तवाफ़ करने से पहले सअ़ी कर ली है, या कोई काम पहले कर लिया है, या कोई काम बाद में किया, तो उसे के जवाब में आप ने यही फ़रमायाः कोई हरज नहीं, कोई हरज नहीं ,मगर यह कि जो कोई अत्याचार करते हुये किसी मुसलमान की इ़ज़्ज़त को काटे। (यानी ग़ीबत करे, या ऐब निकाले) तो वह हरज में पड़ा और हलाक हुआ।

बाब {मक्के में (नमाज़ के लिये सुतरे का मस्अला)}

2016:— कसीर बिन कसीर के दादा (मुत्तलिब बिन अबू वदाअ़ा) से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को (मस्जिदे हराम में) बाबे बनी सहम के पास नमाज़ पढ़ते देखा, जबकि लोग आप के आगे से गुज़र रहे थे और उसके दर्मियान (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और काबा के दर्मियान) सुतरा नहीं था।

फ़ाइदा:— यह हदीस सहीह नहीं है। सुतरे के मस्अले में मक्का और ग़ैर मक्का सभ जगह हुक्म यकसाँ है (बुख़ारी-501)

बाब {मक्का की हुर्मत का बयान।}

2017:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह पाक ने जब अपने सन्देष्टा के लिये मक्का फ़त्ह करा दिया तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का वालों के दर्मियान खड़े हुये और अल्लाह पाक की हम्द व सना के बाद फ़रमायाः अल्लाह पाक ने मक्का से हाथी को रोक लिया था। मगर अपने रसूल और मोमिन बन्दों को मक्का पर ग़ालिब कर दिया है। और यह शहर मेरे लिये दिन के एक हिस्से में (लड़ाई के लिये) हलाल किया गया है। फिर इस के बाद क़ियामत तक के लिये हराम है। उस के पेड़-पौधे ने काटे जायें, उस का शिकार न दौड़ाया जाये, उस की गिरी-पड़ी चीज़ों को न उठाया जाये मगर यह कि कोई उस का एलान करे (तो वह उठा ले) अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! इज़ख़िर घास (की इज़ाज़त दे दें) यह हमारी क़ब्रों और घरों में इस्तेमाल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ठीक है, इज़ख़िर का काटना जाइज़ है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इब्ने मुसफ़्फ़ा ने वलीद से यह भी बयान किया कि फिर अबू शाह खड़े हुये ...... जो यमन के रहने वाले थे .... और कहने लगेः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मुझे लिखवा दीजिये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अबू शाह के लिये लिख दो (वलीद कहते हैं कि) मैं ने इमाम औज़ाई से पूछा कि "अबू शाह के लिये लिख दो" इस का क्या मतलब है? उन्होंने कहाः यही खुत्बा जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना था।

2018:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से इस क़िस्सा के बारे में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस की घास न काटी जाये।

2019:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! क्या हम आप के लिये मिना में घर न बना दें, या यह कहा कि कोई इमारत न बना दें जो आप को धूप से बचाये? आप ने फ़रमायाः नहीं, यह ठहरने की जगह है हर उस व्यक्ति के लिये जो पहले आ जाये।

2020:— याला बिन उमय्या रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हरम में ग़ल्ला को जमा करना (लोगों से रोक रखना बेदीनी है।)

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ई़फ़ है मगर दूसरी रिवायतों से इस की ताईद होती है।

2021:— बक्र बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से कहाः इस घर के सेवकों को क्या हुक्म हुआ है कि यह लोग नबीज़ पिलाते हैं जब कि उन के क़ुरैशी चचा लोग दूध, शहद और सत्तू पिलाते हैं? क्या यह बख़ील हैं या मुहताज ? इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने उत्तर

दियाः हम कन्जूस हैं, और न मुहताज है। अस्ल में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी सवारी पर तशरीफ़ लाये थे और उन के पीछे उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ बैठे हुये थे तो आप ने पीने के माँगा तो उन्हें नबीज़ पेश की गयी थी। आप ने उस में से थोड़ा सा पी कर बाक़ी उसामा रज़ि॰ को दे दिया तो उन्होंने भी उस में से पिया, फिर आप ने फ़रमायाः तुम न बहुत बेहतर किया, बहुत अच्छा किया, और ऐसे ही किया करो। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है उस को हम बदलना नहीं चाहते।

फ़ाइदा:— दीन व ईमान का यही तक़ाज़ा है और एक मोमिन से इसी का मुतालबा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के फ़र्मान को हर किसी के क़ौल और राय से ऊँचा रखा जाये जैसा कि सहाबा किया करते थे।

बाब {मक्का में ठहरने का बयान।}

2022:— उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ रह॰ ने साइब बिन यज़ीद से पूछाः क्या आप ने मक्का में इक़ामत के बारे में कुछ सुना है? उन्होंने कहाः अ़ला बिन हज़रमी रज़ि॰ ने मुझे बताया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना था, आप फ़रमाते थेः मुहाजिर लोग तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद तीन दिन तक रुक सकते हैं।

फ़ाइदा:— जिस शहर और घर बार को अल्लाह की राह में छोड़ा वहाँ ठहरने का दोबारा सवाल ही नहीं उठता, हाँ मुसाफ़िर की तरह तीन दिन बिता कर वापस हो जायें ताकि हिज़रत के अज्र और सवाब में कमी न हो।

बाब {काबा के अन्दर नमाज़ का बयान।}

2023:— अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, उसामा बिन ज़ैद, उस्मान बिन तल्हा और बिलाल रज़ि॰ काबा के अन्दर दाख़िल हुये और बिलाल ने दर्वाज़ा बन्द कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कुछ देर अन्दर रहे। इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने बिलाल से उन के निकलने पर पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्दर क्या किया था? उन्होंने बताया कि आप ने एक सुतून को अपने बायें तरफ़ किया और दो को दायें तरफ़ और तीन को अपने पीछे, फिर नमाज़ पढ़ी और बैतुल्लाह उन दिनों छः सुतूनों पर क़ाइम था।

2024:— इमाम मालिक ने यह हदीस रिवायत की, मगर सुतूनों का ज़िक्र नहीं किया और कहा कि "आप ने अन्दर नमाज़ पढ़ी" आप केऔर दीवार के दर्मियान तीन हाथ का फ़ासला था।

2025:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत किया। और क़ान बी की (ऊपर की) रिवायत की तरह बयान किया। उन्होंने कहा कि मैं यह पूछना भूल गया कि आप ने कितनी रक्अ़तें पढ़ीं?

2026:— अ़ब्दुर्रहमान बिन सफ़वान ने बयान किया कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब से पूछाः नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब काबा में दाख़िल हुये तो क्या किया था? उन्होंने कहाः आप ने दो रक्अ़तें पढ़ी थीं।

2027:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मक्का में तशरीफ़ लाये तो काबा के अन्दर जाने से इन्कार कर दिया क्योंकि अन्दर बुत रखे हुये थे। फिर आप के हुक्म से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उन में इब्राहीम और इस्माअ़ील की तस्वीरें भी थीं जिन के हाथों में पाँसे (यानी भाग्य मालूम करने के तीर) दिखाये गये थे। आप ने फ़रमायाः अल्लाह उन पर लानत करे। अल्लाह की क़सम! उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि उन लोगों ने कभी भी उन से पाँसे नहीं डाले थे। फिर आप अन्दर दाख़िल हुये और चारों तरफ़ और कोनों में तक्बीरें कहीं, फिर बाहर निकल आये और कोई नमाज़ अन्दर नहीं पढ़ी।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्दर नमाज़ पढ़ी है। उसामा भी अन्दर थे उन्होंने नमाज़ पढ़ते नहीं देखा तो इस का कारण यह है कि वह खुद एक जगह रुक कर दुआ़ तक्बीर पढ़ने लगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के नमाज़ पढ़ने पर ध्यान नहीं दिया, और कमरे में अंधेरा भी था। बिलाल रज़ि॰ आप से चिपके हुये थे इसलिये इन्होंने देखा।

बाब {हिज्र (हतीम) में नमाज़ पढ़ने का बयान।}

2028:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं चाहती थी कि काबा के अन्दर दाख़िल हूँ और नमाज़ पढ़ूँ तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मेरे हाथ को पकड़ कर हतीम (हिज्र) में दाख़िल कर दिया और फ़रमायाः जब तुम काबा में दाख़िल होना चाहो तो हिज्र में नमाज़ पढ़ लो, यह भी बैतुल्लाह का हिस्सा है। मामला यह है कि तुम्हारी क़ौम ने काबा के निर्माण के समय उतना ही बनवाया और इसे बाहर कर दिया।

फ़ाइदा:— निर्माण के समय हलाल कमाई कम पड़ गयी तो उत्तर की तरफ़ से काबा की लंबाई छः हाथ कम कर दी, इसी को हतीम (हिज्र) कहा जाता है। यह भी बैतुल्लाह ही का हिस्सा है।

बाब {काबा के अन्दर जाना।}

2029:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाये तो बहुत प्रसन्न थे। फिर जब वापस लौटे तो रन्जीदा थे और फ़रमायाः मैं काबा में दाख़िल हुआ हूँ, अगर मुझे इस बारे में पहले ही मालूम हो गया होता जो अब हो रहा है तो मैं काबा के अन्दर न दाख़िल होता। मुझे शंका है कि मैं ने अपनी उम्मत को मुशक़्क़त में डाला है।

2030:— सफ़िय्या बिन्त शैबा से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने अस्लमिय्या से सुना वह कहती थीं कि मैंने उस्मान से पूछाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब आप को बुलाया था तो क्या फ़रमाया था? उन्होंने कहाः आप ने फ़रमाया थाः मैं तुम से यह कहना भूल गया था कि दो सींगों को ढाँप दो, बैतुल्लाह में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिये जो नमाज़ से ग़ाफ़िल करने वाली हो।

फ़ाइदा:— दो सींगों से मुराद उस मेंढे के सींग हैं जिसे इब्राहीम अ़लै॰ ने इस्माईल के फ़िदया में दिया था और वह काबा के अन्दर रखे हुये थे। कहीं ऐसे स्थान पर रखे रहे होंगे जहाँ नमाज़ में नज़र पड़ती रही होंगी।

बाब {काबा के माल का बयान।}

2031:— शैबा बिन उस्मान रज़ि॰ ने बयान किया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ उसी स्थान पर बैठे हुये थे जहाँ तुम बैठे हो, फिर कहने लगेः मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा हत्ता कि काबा का माल तक़्सीम कर दूँ। शैबा कहते हैं कि मैंने कहाः आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहाः क्यों नहीं, मैं ज़रुर करुँगा। मैंने फिर कहाः आप नहीं तक़्सीम कर सकते। उन्होंने पूछाः क्यों? मैंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को उस माल के होने का ज्ञान था, अबू बक्र भी जानते थे, मगर उन लोगों ने उसे नहीं निकाला जबकि उन्हें आप से अधिक उस की ज़रुरत थी। चुनान्चे यह सुन कर वह उठ कर चले गये।

फ़ाइदा:— इस से वह माल मुराद है जो काबा में नज्र का आता था और जमा रहता था। बुख़ारी में भी है (1594, 7275)

बाब {...........}

2032:— जुबैर रज़ि॰ से रिवायत है कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ लिय्या के स्थान से वापस लौटे और सिद्रा (बैरी के पेड़) के पास पहुँचे तो आप "क़र्ने अस्वद" के पास ठहर गये, यानी उस पर्वत के पास जो उस बैरी के सामने है। फिर आप ने नख़िब की तरफ़ निगाह उठाई या उस की वादी की तरफ़ देखा और रुक गये, चुनान्चे सभी लोग रुक गये तब आप ने फ़रमायाः वज की वादी का शिकार और उस के कँटीले पेड़ पौधे हराम हैं और अल्लाह केलिये हराम किये गये हैं। आप का यह फ़र्मान आप के ताइफ़ जाने और सक़ीफ़ का घेराव करने से पहले का था।

बाब {मदीना आने के अहकाम व मसाइल।}

2033:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः पालान न कसे जायें (सफ़र न किये जायें) मगर तीन मस्जिदों की तरफ़ (1) मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह) (2) यह मस्जिद (मस्जिदे नबवी) (3) मस्जिदे अक़्सा की तरफ़।

फ़ाइदा:— कुछ रिवायतें आती हैं जिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की क़ब्र की ज़ियारत का ज़िक्र है, वह समस्त मन घड़त और बनावटी व मौजू हैं।

बाब {हरमे मदीना का बयान।}

2034:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कुछ नहीं लिखा है सिवाए क़ुरआन करीम के और जो इस सहीफ़े में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है : "मदीना आइर (अ़ीर) और सौर (दो पहाड़ो) के दर्मियान हरम है। जो

कोई यहाँ किसी प्रकार की बिद्अ़त निकाले या किसी बिदअ़त को जगह दे, उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और समस्त लोगों की लानत हो। उस का फ़र्ज़ और नफ़्ल कुछ कुबूल नहीं होगा। मुसलमानों का ज़िम्मा (किसी काफ़िर को दिया हुआ अमान) एक ही है। उस का एक मामूली व्यक्ति भी उस की हिफ़ाज़त के लिये कोशिश का पाबन्द है। जिस ने किसी मुसलमान के दिये हुये अ़ह्द और अमान को तोड़ा उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और सब लोगों की लानत है। उस का फ़र्ज़ और नफ़्ल कुछ कुबूल नहीं होगा। और जो (आज़ाद किया हुआ गुलाम) अपने आज़ाद करने वालों की अनुमति के बिना किसी और क़ौम की तरफ़ अपने आज़ाद होने की निसबत करे, उस का कोई फ़र्ज़ और नफ़्ल कुबूल नहीं होगा।

2035:— अ़ली रज़ि॰ ने ऊपर की हदीस में बयान क़िस्से में यह भी बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस की घास न काटी जाये, उस का शिकार न भगाया जाये, उस की गिरी-पड़ी चीज़ न उठाई जाये मगर वह जो उस का एलान करे। किसी के लिये जाइज़ नहीं कि लड़ाई की निय्यत से उस में हथियार उठाए। और किसी के लिये जाइज़ नहीं कि उस का पेड़ काटे मगर कोई अपने ऊँट को चारा देना चाहे तो जाइज़ है।

2036:— अ़दी बिन ज़ैद रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मदीना की हर तरफ़ से एक बरीद (बारह-बारह मील) को महफ़ूज़ अ़लाक़ा (सुरक्षित ज़ोन) क़रार दिया था, कि न तो उस के पेड़ काटे जायें और न पत्ते तोड़े जायें, मगर ऊँट के चारे के लिये जितना वह खाये उतना तोड़ना जाइज़ है।

2037:— सुलैमान बिन अबू अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया कि मैंने सअ़द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰ को देखा कि उन्होंने मदीना के हरम क्षेत्र में जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हरम क़रार दिया है, एक व्यक्ति को शिकार करते पकड़ लिया और उस के कपड़े छीन लिये तो उस गुलाम शख़्स के मालिक आये और उस के बारे में बात की तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस को हरम क़रार दिया है और फ़रमाया हैः जो शख़्स किसी को उस में शिकार करता पकड़ ले तो वह उस के कपड़े ज़ब्त कर ले। चुनान्चे वह ग़नीमत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे अ़ता फ़रमाई है वापस नहीं करुँगा। हाँ, अगर चाहो तो उस की क़ीमत दे देता हूँ।

फ़ाइदा:— "शिकार करते" लफ़्ज़ सहीह नहीं है। सहीह "पेड़ काटते" देखा है। जैसा कि अगली रिवायत में है।

2038:— सअ़द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰ के एक गुलाम से रिवायत है कि उन्होंने मदीना के कुछ गुलामों को देखा कि वह मदीना के हरम में पेड़ काट रहे हैं। चुनान्चे उन्होंने उन का सामान छीन लिया और उन के मालिकों से कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि आप ने मदीना के पेड़-पोधों में से कुछ भी काटने से मना किया है और फ़रमाया हैः "जो कोई उन से कुछ काटे तो जो उन्हें पकड़ ले तो उन का सामान उसी के लिये है (यानी कपड़े,

कुल्हाड़ी, रस्सी आदि)

2039:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के महफ़ूज़ किये हुये क्षेत्र से न पत्ते तोड़े जायें, न पेड़ काटे जायें। हाँ, थोड़े-बहुत पत्ते झाड़ लिये जायें।

2040:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम क़ुबा तशरीफ़ ले जाया काते थे। कभी पैदल और कभी सवार होकर। इब्ने नुमैर ने इतना और कहा किः फिर मस्जिद में दो रकअ़तें पढ़ा करते थे।

बाब {क़ब्रों की ज़ियारत के मसाइल।}

2041:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स भी मुझे सलाम करता है तो अल्लाह पाक मुझ पर मेरी जान (रुह) लौटा देता है और मैं उस के सलाम का जवाब देता हूँ।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। रुह लौटाने का कई अर्थ लोगों ने बयान किया है। लेकिन यह बर्ज़ख़ का मामला है, इसे दुनियाँ की ज़िन्दगी पर नहीं परखना चाहिये।

2042:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ और न मेरी क़ब्र को ओ़द (मेला गाह) बनाओ, और मुझ पर दुरुद भेजो, तुम जहाँ कहीं भी होगे तुम्हारा दुरुद मुझ को पहुँच जायेगा।

फ़ाइदा:— "घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ" यानी वहाँ नमाज़ पढ़ो और कुरआन की तिलावत करो, ज़िक्र और तस्बीह करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर दुरुद भेजने के लिये कहीं जाने की आवश्यक्ता नहीं, कहीं से भी भेजें आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तक पहुँचा दिया जायेगा।

2043:— रबीआ़ बिन हुदैर कहते हैं कि मैंने तल्हा बिन उबैदुल्लाह को कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस को बयान करते नहीं सुना मगर एक हदीस। शार्गिद ने कहाः मैंने पूछाः वह कौन सी हदीस? तल्हा ने कहाः हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ निकले, हम लोग शहीदों की क़ब्रों की जियारत का इरादा किये हुये थे यहाँ तक कि हम हर्रए-वाक़िम पर चढ़ गये। जब उस से नीचे उतरे तो वहाँ एक तरफ़ क़ब्रें थीं। हम ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! क्या हमारे भाइयों की क़ब्रें यही हैं? आप ने फ़रमायाः यह हमारे सहाबा की क़ब्रें हैं। फिर जब हम शहीदों की क़ब्रों पर पहुँच गये तो फ़रमायाः यह हमारे भाईयों की क़ब्रें हैं।

2044:— अ़ब्दुल्लह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़ुल हुलैफ़ा के निकट बतहा (खुले मैदान) में अपनी ऊँटनी बैठाई और वहाँ नमाज़ पढ़ी। चुनान्चे इब्ने उमर रज़ि॰ इस पर अ़मल किया करते थे।

2045 1:— इमाम मालिक रह॰ ने बयान किया कि मदीना वापस लौटने वाले के लिये उचित

नहीं कि वह मु-अ़रस के स्थान से (यानी बतहा, मस्जिद ज़िल हुलैफ़ा) से वैसे ही गुज़र जाये। बल्कि उसे चाहिये कि जिस क़दर दिल चाहे नमाज़ पढ़े। क्योंकि मुझे यह ख़बर पहुँची है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रात के अन्तिम हिस्से में यहाँ उतरे थे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैंने मुहम्मद बिन इस्हाक़ मदनी से सुना कि "मु-अ़रर्स" मदीना से छः मील की दूरी पर है।

2045/2:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब (मक्का से मदीना वापस) आते तो मु-अ़रर्स के स्थान पर रात बिताते, फिर सुब्ह को रवाना होते।

फ़ाइदा:— मदीना से मक्का जाते हुये इस स्थान पर उतरना, नमाज़ पढ़ना और एहराम बाँधना सुन्नत है। मगर वापसी पर यहाँ उतरना मुस्तहब है।

आज दिनाँक यकुम मार्च 2009 जुमा के दिन हज्ज के बाब का हिन्दी अनुवाद संपन्न हुआ-- खालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी, मोरी गेट, दिल्ली।

❀ ❀ ❀

(12) निकाह के अहकाम

बाब {निकाह पर उभारने का बयान।}

2046:— अ़ल्क़मा ने बयान किया कि मैं मिना में अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ के साथ चला जा रहा था कि उन्हें उस्मान रज़ि॰ मिले। उन्होंने इब्ने मस्ऊद को एकांत में बुलाया (और उन को निकाह कर लेने का मश्वरा दिया) लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे निकाह की हाजत नहीं है। तब अ़ब्दुल्लाह ने कहाः ऐ अल्क़मा इधर आओ। चुनान्चे मैं हाज़िर हुआ तो उस्मान रज़ि॰ ने उन से कहाः ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान (इब्ने मस्ऊद!) क्या हम तुम्हारी शादी एक कुँवारी लड़की से न करा दें? इस प्रकार शायद तुम्हारी ताक़त फिर लौट आये। यह सुन कर इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ कहने लगे। आप इस प्रकार कहते हैं हालाँकि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है कि जो तुम में से ताक़त रखता हो उसे चाहिये कि शादी कर ले, क्योंकि इस से नज़र नीची और शर्मग़ाह महफ़ूज़ हो जाती है। और जो निकाह करने की ताक़त न रखता हो तो वह रोज़े रखे, क्योंकि रोज़े उस की, ख़ाहिश को कमज़ोर कर देंगे।

बाब {दीनदार महिला से शादी करना।}

2047:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः महिलाओं से चार बातों की वजह से निकाह किया जाता है। (1) उस के माल (2) हसब-नसब (3) खूबसूरती और (4) उस के दीन की वजह से। तो तुम दीनदार को इख़्तियार करो, तुम्हारे हाथ मिट्टी में मिलें (भले आदमी)

बाब {कुँवारी से निकाह करने की तर्ग़िब।}

2048:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से पूछाः क्या तुम ने शादी कर ली? मैंने कहाः जी हाँ। आप ने पूछाः कुमारी से या विधुवा से? मैं ने कहाः विधुवा से। आप ने फ़रमायाः कुमारी से क्यों न की, कि तुम उस से खेलते और वह तुम से खेलती।

बाब {किसी "बाँझ" महिला से शादी करना मना है।}

2049:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ कर कहने लगाः मेरी पत्नी किसी छूने वाले का हाथ रद्द नहीं करती। आप ने फ़रमायाः उसे दूर कर दो (तलाक़ दे दो) उस ने कहाः मुझे डर है कि मेरा दिल उस के साथ लगा रहेगा। आप ने फ़रमायाः तब उस से फ़ाइदा उठाओ।

फ़ाइदा:— इस हदीस का बाब से कोई संबन्ध नहीं है। अगली हदीस न॰ 2050 का इस बाब से संबन्ध है। "हाथ नहीं रद्द करती" का अर्थ यह है कि सब को मुसलमान जान कर उन से क़रीब हो जाती है और बेतकल्लुफ़ हो जाती है। इस का मतलब यह हर्गिज़ नहीं कि वह बदकार है।

2050/1:— माक़िल बिन यसार रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और कहाः मुझे एक महिला मिली है जो हसब-नसब और सुन्दरता में अच्छी है मगर उस के औलाद नहीं होती है, तो क्या मैं उस से शादी कर लूँ? आप ने फ़रमायाः नहीं। फिर वह पुनः आया तो फिर आप ने मना फ़रमा दिया। फिर वह तीसरी बार आया तो आप ने फ़रमायाः ऐसी महिलाओं से शादी करो जो बहुत प्रेम करने वाली और बहुत बच्चे जनने वाली हों। बिला शुब्हा मैं तुम्हारी अधिक संख्या पर दूसरी उम्मतों पर गर्व करुँगा।

फ़ाइदा:— ....

2050/2:— (इमाम अबू दावूद रह॰ ऊपर की हदीस के एक रावी मुस्तलिम बिन सअ़ीद का परिचय देते हुये कहते हैं कि) हसन बिन अ़ली ने बयान किया कि मैंने यज़ीद बिन हारुन को सुना वह कहे रहे थे कि मैं ने मुस्तलिम को देखा कि वह दायें-बायें फिरते रहते थे। हसन बिन अ़ली ने कहा कि उन्हेांने चालीस वर्ष तक ज़मीन पर अपना पहलू नहीं रखा (यानी नहीं सोए)

फ़ाइदा:— यह सारी बातें सनद के एतबार से सहीह नहीं हैं।

बाब {बदकार मर्द, बदकार महिला से निकाह करता है।}

2051:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मरसद बिन अबू मरसद ग़नबी मक्का से मुसलमान क़ैदियों को उठा लाया करते थे, मक्का में बदकार महिला थी जिस का नाम उनाक़ था, उस से (इस्लाम लाने से पहले) जान पहचान थी। उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! क्या मैं उनाक़ से शादी कर लूँ? आप ने उत्तर न दिया, तब यह आयत नाज़िल हुयीः "बदकार महिला से कोई बदकार या मुश्रिक निकाह करता है" (सूरः नूर-3) फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे बुलवाया और यह आयत पढ़ कर फ़रमाया कि उस से निकाह मत करो।

2052:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई बदकार जिसे हद लगी हो, किसी अपने जैसी बदकार महिला ही से निकाह करता है।

बाब {अपनी ही लौंडी को आज़ाद कर के उस से निकाह कर लेने का सवाब।}

2053:— अबू मूसा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स अपनी लौंडी को आज़ाद कर के स्वँय ही उस से निकाह कर ले तो ऐसे शख़्स के लिये दोहरा अज्र व सवाब है।

2054:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सफ़िय्या को आज़ाद फ़रमाया (और फिर उन्हें अपनी पत्नी बनाया) और उन के आज़ाद करने ही को उन का हक़्क़े महर ठहराया।

फ़ाइदा:— सफ़िय्या रज़ि॰, खैबर के यहूदी सर्दार की बेटी थीं, ख़ैर फ़त्ह होने के मौक़ा पर पकड़ी गयी और दहया कलबी के हिस्से में आयीं। बाद में आप ने दहया को दूसरी लौंडी देकर उन्हें खुद ले लिया और उन्हें आज़ाद कर के उन से निकाह कर लिया और आज़ादी को महर क़रार दिया.....

बाब {दूध पीने से जो रिश्ते हराम है वह नसब की वजह से हराम हैं।}

2055:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दूध पीने की वजह से वह तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो पैदाइश के तअ़ल्लुक़ से हराम हैं।

2056:— उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि उम्मे हबीबा रज़ि॰ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप मेरी बहन में दिलचस्पी रखते हैं? आप ने फ़रमायाः तो क्या करुँ? उन्होंने कहाः आप उस से निकाह कर लें। आप ने फ़रमायाः तुम्हारी बहन से? उन्होंने कहाः हाँ। आप ने पूछाः क्या तुम्हें पसन्द है? उन्होंने कहाः मैं कोई आप के पास अकेली तो नहीं हूँ, और इस में मुझे यह ज़्यादा पसन्द है कि मेरी बहन इस काम में मेरी साझीदार बने। आप ने फ़रमायाः यह मेरे लिये हलाल नहीं है। उन्होंने कहाः अल्लाह की क़सम! मुझे बताया गया है कि आप ने दुर्रा या जुर्रा (जुहैर रावी को शक है) उम्मे सलमा की बेटी के लिये निकाह का सन्देश भेजवाया है? आप ने फ़रमायाः उम्मे सलमर की बेटी के लिये? कहाः हाँ। फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! और वह मेरी पर्वरिश में न भी होती तो भी मेरे लिये हलाल नहीं थी, क्योंकि वह लड़की मेरे दूध शरीक भाई की बेटी (और दूध शरीक भतीजी) है। मुझे और उस के पिता (अबू सलमा(को सुवैबा ने दूध पिलाया था, इसलिये मुझे अपनी बेटियों और बहनों को न पेश करो।

फ़ाइदा:— 'रबीबा' बीवी की वह बेटी है जो पहले पति से है, उस से भी निकाह हराम है अगर उस की माँ से हमबिस्तरी कर ली हो।

बाब {मर्द से दूध का नाता।}

2057:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि अफ़लह बिन अबू क़ईस मेरे पास आये तो मैंने उन से पर्दा किया। उन्होंने कहाः मुझ से पर्दा करती हो, हालाँकि मैं तुम्हारा चचा हूँ? उन्होंने कहाः कैसे? बोलेः तुम को मेरी भाभी ने दूध पिलाया है। कहने लगीः मुझे तो महिला ने दूध पिलाया है, न कि

मर्द ने। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाये तो मैंने आप को यह बात बताई तो फ़रमायाः वह तुम्हारे चचा हैं, तुम्हारे पास आ जा सकते हैं।

फ़ाइदा:— दूध पिलाने वाली माँ हुयी और उस का पति बाप, और उस का भी चचा हुआ। जिस प्रकार दूध पिलाने वाली महिला से तअ़ल्लुक़ जुड़ता है वैसे ही उस के पति और रिश्तेदारों से भी जुड़ सकता है।

बाब {बड़े के दूध पीने का बयान।}

2058:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन के पास आये तो देखा कि उन के पास एक आदमी बैठा है। हफ़्स ने रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बुरा लगा और आप का चेहरा बदल गया। आ़इशा रज़ि॰ ने कहसः यह मेरा दूध शरीक भाई है। आप ने फ़रमायाः ज़रा देख लिया करो कि तुम्हारा भाई कौन है, दूध पीना-पिलाना वही सहीह माना जाता है जो भूख को मिटा दे।

फ़ाइदा:— यानी दूध जिस की खूराक़ हो और उस से उस की भूख मिटे और यह आयु दो साल के अन्दर होती है। फिर वह पाँच बार दूध पिये।

2059:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि दूध पीना वहीं दुरुस्त है जो हड्डियों को मज़बूत करे और गोश्त पैदा करे। अबू मूसा ने कहाः तुम्हारे बीच में जब तक यह बड़ा ज्ञानी उपस्थित है हम से (मस्अले) मत पूछा करो।

2060:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस के हममाना बयान किया और शब्द "अन्-श-ज़ल् अ़ज़्-म" ज़िक्र किया। ( )

बाब {जवान कि दूध पी लेने से भी हुर्मत साबित होती है.......इस के मानने वालों की दलील।}

2061:— आ़इशा और उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि अबू हुज़ैफ़ा ने सालिम को अपना मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था और उन से उन की भतीजी हिन्द बिन्त वलीद का निकाह कर दिया था। वह एक अन्सारी महिला का आज़ाद किया हुआ गुलाम था जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ज़ैद को अपना लैपालाक बनाया था। और जाहिलिय्यत का यह नियम था कि जिसे कोई अपना लैपालाक बना लेता तो लोग उस को उसी निस्बत से पुकारा करते थे और वह (अपने मुँह बोले पिता) का वारिस भी बनता था। जब अल्लाह पाक ने इस बारे में यह आदेश जारी कियाः "उन्हें उन के हक़ीक़ी बापों की निस्बत से पुकारा करो, अगर उन के बाप के बारे में कुछ न मालूम हो तो यह तुम्हारे दीनी भाई और मौला हैं" (सूरः अहज़ाब 5)

चुनान्चे उन्हें उन के बापों की तरफ़ लौटा दिया गया और जिस का बाप मालूम न हुआ वह मौला और दीनीभाई कहलाने लगा। चुनान्चे सहला बिन्त सुहैल (अबू हुज़ैफ़ा की पत्नी) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयीं और कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! हम सालिम को अपना बेटा ही समझते रहे हैं। यह मेरे और अबू

हुज़ैफ़ा के साथ एक ही घर में रहता है और मुझे (घर के अन्दर) एक ही कपड़े में देखता है (कभी सर खुला है तो कभी पिंडली खुली है वग़ैरह) और अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों के बारे में जो आदेश दिया है वह आप जानते ही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह सुन कर उन से फ़रमायाः सालिम को अपना दूध पिला दो। चुनान्चे अबू हुज़ैफ़ा की पत्नी सहला ने उसे पाँच बार दूध पिला दिया, और वह इस प्रकार दूध शरीक बेटा बन गया।

चुनान्चे आ़इशा रज़ि॰ इस घटना की रोशनी में अपनी भांजियों और भतीजियों से कहा करती थीं कि फ़लाँ को पाँच मर्तबा दूध पिला दो। जिस के बारे में आ़इशा की इच्छा होती कि वह उन को देख सके और उन के सामने आ सके, चाहे वह बड़ी आयु का ही होता। चुनान्चे वह इस के बाद उन के सामने आ जाया करता था (और यह उस से पर्दा न करती थीं) मगर उम्मे सलमा रज़ि॰ और दीगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नियों ने इस बात को कु़बूल नहीं किया कि इस प्रकार दूध पीने-पिलाने की बात को कु़बूल न किया कि ऐसे दूध पिलाने ी बिना पर कोई उन के सामने आये (और वह उन से पर्दा न करें) मगर यह कि उस ने पालने में (दो साल की उम्र के दौरान में) दूध पिया होता। उन्होंने आ़इशा से कहाः अल्लाह की क़सम! हमें नहीं मालूम, शायद यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ से दूसरों के मुक़ाबला में सालिम के लिये विशेष रुख़्सत थी।

फ़ाइदाः— दो वर्ष की उमर के बाद दूध पी लेने से हुर्मत साबित होगी? इस में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। अ़ल्लामा इब्ने तैमिया और अ़ल्लामा शौकानी रह॰ का कहना है कि बिला वजह आ़म हालात में तो नहीं, लेकिन ख़ास ज़रुरी हालात में इस हदीस पर अ़मल की गुन्जाइश है। और यही बात दिल को लगती भी है। नव जवान सालिम को किस प्रकार सहला रज़ि॰ ने दूध पाँच बार पिलाया? अल्लाह बेहतर जाने।

बाब {क्या पाँच बार से कम दूध पीने से हुर्मत साबित हो जाती है?}

2062:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि अल्लाह पाक ने कुरआन में पहले यह नाज़िल किया था कि दस मतर्बा दूध पीने से हुर्मत साबित होती है, फिर इस हुक्म को पाँच बार से मन्सूख़ कर दिया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का देहान्त हुआ तो यह शब्द कुरआन पाक में क़िरात किये जाते थे।

फ़ाइदाः— आ़इशा रज़ि॰ के कहने का यह अर्थ है कि मन्सूख़ी का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के देहान्त से थोड़े ही समय पहले नाज़िल हुआ था कि कुछ लोग, जिन्हें मन्सूखी की सूचना न मिली यह अल्फ़ाज़ तिलरवत करते थे और बाद में क़िरात भी मन्सूख़ हो गयी, मगर आदेश बाक़ी रहा। यह रिवायत मुस्लिम 1452 में भी है।

2063:— आ़इशा रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक बार चूसना या दो बार चूसना हराम नहीं करता।

बाब {दूध छुड़ाने के समय इनाम देना।}

2064:— हज्जाज बिन हज्जाज अपने पिता से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैं दूध पिलाने का हक़ किस प्रकार अ़दा कर सकता हूँ? आप ने फ़रमायाः एक गुलाम या लौंडी (लेकर उसे दे दो)

फ़ाइदा:— अ़रब में लोग बच्चों को दूध पिलाने के लिये दीहात में भेज देते थे, फिर महाना जो उजरत तै होती थी उन्हें देने के अ़लावा दूध छुड़ाने पर दूध पिलाने वाली अन्ना को कोई उपहार देना भी पसन्द करते थे। इस हदीस में उसी तरफ़ इशारा है।

बाब {वह महिलायें जिन को (एक वक़्त में) जमा करना हराम है।}

2065:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः न निकाह किया जाये कोई महिला उस की फूफी पर, न फूफी उस की भतीजी पर। और न निकाह किया जाये कोई महिला उस की ख़ाला पर, न ख़ाला उस की भान्जी पर। न निकाह किया जाये बड़ी छोटी पर और न छोटी, बड़ी पर।

फ़ाइदा:— एक समय में फूफी, भतीजी या ख़ाला भान्जी से (या इस के उलट) जमा करना हराम है। हाँ बाद तलाक़ या वफ़ात कर सकते हैं। "बड़ी महिला" और "छोटी महिला" से मुराद या तो उमर में बहुत बड़ी हो जैसे माँ के समान, या उम्र में बहुत छोटी हो जैसे बेटी के समान, इन से निकाह न करें।

2066:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया है कि कोई महिला और उस की ख़ाला, या कोई महिला और उस की फूफी को जमा किया जाये।

2067:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हराम क़रार दिया है इस बात को कि फूफी और ख़ाला को, या दो फूफियों और दो ख़ालाओं को एक साथ निकाह में जमा किया जाये।

2068:— उर्वा बिन जुबैर रज़ि॰ से रिवायत है, उन्होंनें बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा रज़ि॰ से सूरः निसा आयत न॰ 3 "अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि यतीमों के साथ इन्साफ़ न कर सकोगे" की तफ़सीर पूछी तो उन्होंने कहाः मेरे भान्जे! यह आयत उस अनाथ लड़की के बारे में है जो अपने किसी वली की सरपरस्ती में हो और (स्वँय मालदार होने के नाते) अपने वली के माल में हिस्सादार बन गयी हो। फिर उस वली को उस लड़की का माल और खूबसूरती पसन्द आ जाये और उस की इच्छा हो कि उस से निकाह कर ले मगर महर में इन्साफ़ न करे और उतना न देना चाहे जितना कोई दूसरा उस को दे, मगर यह कि उन के साथ न्याय से काम लें और उन के मेयार के मुताबिक़ उस को महर भी दें (तो उन से निकाह जाइज़ है) उन्हें यह हुक्म दिया गया कि (अगर यह डर हो तो) उन अनाथ महिलाओं को छोड़ कर दूसरी महिलाओं से निकाह कर लो जो तुम्हें पसन्द आयें।

उर्वा ने कहा कि आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर लोगों ने उस आयत के बाद जो उन के बारे में उतरी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया (और रुख़्सत चाही) तब अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "लोग आप से अनाथ महिलाओं के बारे में प्रश्न करते है (सूरः निसा-127)

आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि यह जो अल्लाह पाक ने ज़िक्र किया है कि वह तुम पर किताब में पढ़ी जाती है, इस से मुराद वह पहली वाली आयत है जिस में अल्लाह पाक ने फ़रमाया हैः "अगर तुम्हें इस बात का डर हो.....(सूरः निसा'3) आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि दूसरी आयत में जो "और तुम उन से निकाह करना पसन्द करते हो....." आया है, इस से मुराद "एराज़" है। यह एराज़ आदमी अपनी पर्वरिश में यतीम लड़की के साथ करता था जबकि उस के पास न माल होता और न ही खूबसूरत होती, तो उन्हें मना कर दिया गया कि यतीम लड़कियों के माल और जमाल के लालची बन कर उन से निकाह मत करो, मगर यह कि इन्साफ़ के तक़ाज़े पूरे करो। (ओर तफ़सील नाज़िल होने का कारण यही है कि लोग उन से एराज़ करने लगे थे)

यूनुस ने बयान किया कि जनाब रबीआ अर्राय ने "ओर अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि यतीमों के साथ न्याय न कर सकोगे.........." की तफ़सीर बयान करते हुये कहा कि अल्लाह पाक फ़रमाता हैः "जुल्म का डर हो तो उन्हें छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिये चार महिलायें हलाल की हुयी हैं।

2069:— इब्ने शिहाब ज़ोहरी से रिवायत है कि अली बिन हुसैन (बिन अली बिन अबू तालिब) ने बयान किया कि हम लोग हुसैन बिन अली रज़ि॰ की शहादत के बाद यज़ीद बिन मुआविया के पास से मदीना पहुँचे तो मुझ से मिस्वर बिन मख़्रमा रज़ि॰ मिले और कहने लगेः मेरे लिये कोई हुक्म हो तो फ़रमायें। मैंने कहाः नहीं, कोई काम नहीं। उन्होंने कहाः क्या आय मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तल्वार भेंट कर सकते हैं? मुझे डर है कि इस बारे में क़ौम कहीं आप पर ग़ालिब न आ जाये। और अल्लाह की क़सम! अगर आप यह मुझे दे दें तो मेरे जीते जी कभी कोई उस तक न पहुँच सकेगा (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और आप की प्रतिष्ठा की सुरक्षा हम पर लाज़िम है। इस सिलसिला की एक घटना यह है कि) अली बिन अबू तालिब रज़ि॰ ने फ़ातिमा के निकाह में होते हुये अबू जेहल की पुत्री को निकाह का सन्देश भेजा, तो मैंने इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर खुत्बा देते सुना, और मैं उन दिनों बालिग़ था। आप ने फ़रमायाः फ़ातिमा मुझ से है और मुझे चिन्ता है कि उन के दीन में कहीं कोई इम्तिहान (आज़माइश) न आ जाये। फिर आप ने बनी अब्दे शम्स (बनी उमय्या) में से अपने दामाद (अबुल आस बिन रबीअ) का ज़िक्र किया और उन की प्रशन्सा की। आप ने फ़रमायाः उन्होंने मुझ से जो भी बीत की तो सच्च की, जो भी वादा किया उसे पूरा किया। मैं किसी हलाल को हराम, या किसी हराम को हलाल नहीं करता, लेकिन अल्लाह की क़सम! अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी कभी भी एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकतीं।

फ़ाइदा:— अल्लामा इब्ने क़य्यिम रह॰ फ़रमाते हैं कि हदीस की रोशनी में अगर कोई निकाह से पहले यह शर्त लगा दे कि मैं इस शर्त पर अपनी पुत्री का निकाह करूँगा कि उस के होते हुये दूसरी

से निकाह न करोगे तो यह शर्त जाइज़ है।

2070:— मामर ने ज़ोहरी से उर्वा के वास्ते से इसी प्रकार रिवायत किया। और दूसरी सनद में अय्यूब से इब्ने मुलैका के वास्ते से भी इसी प्रकार रिवायत किया (लेकिप इस रिवायत में इतना और इज़ाफ़ा किया कि) अ़ली रज़ि॰ दूसरा निकाह करने से रुक गये।

2071:— मिस्वर बिन मख़रमा रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मिंबर पर बयान करते सुना आप फ़रमा रहे थे: बनी हिशाम बिन मुग़ीरा नेइस बात के लिये अनुमति माँगी कि अ़ली बिन अबू तालिब को अपनी बेटी बियाह दें, लेकिन मैं इस की अनुमति नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। हाँ, अगर अ़ली चाहें तो मेरी पुत्री को तलाक़ दे दें और उन की लड़की से निकाह कर लें। मेरी बेटी मेरे दिल का टुकड़ा है, मुझे वह बुरा लगता है जो उसे बुरा लगे, मुझे उस से तक्लीफ़ पहुँचाती है जिस से उसे पहुँचे।

अहमद बिन युनूस की सनद में "अख़बरना" का सेग़ा प्रयोग हुआ है।

बाब {मुतआ़ का बयान।}

2072:— इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि हम उमर बिन अ़ब्दुल अज़ीज़ की मज्लिस में थे कि महिलाओं से मुतआ़ करने का ज़िक्र चल निकला तो रबीअ़ बिन सबरा नाम के एक व्यक्ति नेकहा: मैं अपने पिता के बार में गवाही देता हूँ कि उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर इस से मना फ़रमा दिया था।

2073:— रबीअ़ बिन सबरा अपनेपिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने महिलाओं से मुतआ़ करने को हराम क़रार दिया है।

फ़ाइदा:— जाहिलिय्यत के निकाहों में से एक निकाह यह भी था कि लोग कुछ समय के लिये निकाह कर लेते थे, फिर अलग हो जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर की जन्ग के मौक़े पर उसे हराम क़रार दे दिया। फिर इस की अनुमति दे दी गयी मगर फ़त्ह मक्का में हमेशा के लिये हराम कर दिया। राफ़ज़ी लोग आज भी इसे जाइज़ मानते हैं।

बाब {शिग़ार का बयान।}

2074:— नाफ़े रह॰ इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत करते हें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने शिग़ार के निकाह को मना फ़रमाया है। मुसद्दद की रिवायत में इतना और इज़ाफ़ा है कि मैंने (यानी उबैदुल्लाह ने) नाफ़े से पूछा: शिग़ार से क्या मुराद है? उन्हेांने कहा: कोई आदमी किसी की बेटी सेनिकाह करे और उस के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दे, और दोनों के दर्मियान महर न तै हो। या कोई व्यक्ति किसी की बहन से निकाह करे और उस से अपनी बहन का निकाह कर दे और महर तै न हो।

2075:— अ़ब्दुर्रहमान बिन हुरमुज़ बयान करते हैं कि अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास ने अ़ब्दुर्रहमान बिन हकम से अपनी बेटी का निकाह कर दिया, और अ़ब्दुर्रहमान ने अपनी बेटी का

निकाह उन से कर दिया और दोनों ने उस निकाह को ही महर ठहराया था। मुआविया रज़ि॰ ने मर्वान को पत्र लिखा कि वह उन दोनों के दर्मियान जुदाई डाल दें। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि यही एक शिग़ार है जिस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है।

फ़ाइदाः— जाहिलिय्यत के ज़माना में यह निकाह शिग़ार के नाम से प्रसिद्व था। ऐसा निकाह जिस में महर तै न हो दुरुस्त नहीं।

बाब {हलाला के निकाह का बयान।}

2076:— अली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हलाला करने वाला और जिस के लिये किया गया है (दोनों) लानती हैं।

2077:— हारिस आवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी से रिवायत करते हैं ...... और मेरे ख़याल से वह अली रज़ि॰ हैं......... उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस के हममाना रिवायत किया।

फ़ाइदाः— यह हदीस ज़ओफ़ है लेकिन दूसरी रिवायतों से ताईद होती हैं इस में निकाह इस शर्त पर करते हैं कि दो दिन के बाद तलाक़ दे दो। यही शर्त हराम है और इसी कारण यह निकाह हराम है। दूसरी रिवायतों में ऐसे शख़्स को "माँगे का साँड" (अत्तैसुल् मुस्तआर) कहा गया है।

बाब {वह गुलाम, जो अपने मालिक की इजाज़त के बिना निकाह कर ले।}

2078:— जाबि रज़ि॰ से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो गुलाम अपने मालिक की अनुमति के बिना निकाह कर ले वह ज़िनाकार है।

2079:— इब्ने उमर रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमायाः जब कोई गुलाम अपने मालिक की इजाज़त के बिना निकाह कर ले तो उस का निकाह बातिल है। इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि यह हदीस (मरफ़ूअन) ज़ओफ़ है, यह हदीस वास्तव में मौक़ूफ़ है और इब्ने उमर रज़ि॰ का क़ौल है।

फ़ाइदाः— इस से ऊपर की हदीस न॰ 2078 सहीह है, और मस्अला दुरुस्त है।

बाब {निकाह के पैग़ाम पर पैग़ाम भेजना हराम है।}

2080:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई शख़्स अपने भाई के निकाह के सन्देश पर सन्देश न भेजे।

2081:— अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई शख़्स अपने भाई के निकाह के पैग़ाम पर पैग़ाम न भेजे, और न अपने भाई के सौदे पर सौदा करे, मगर उस की इजाज़त से।

फ़ाइदाः— इस प्रकार दो मुसलमान भाइयों में दुश्मनी होगी, इसलिये मना कर [illegible] गया। हाँ, अगर पहले वाले को उत्तर मिल गया कि तुम से निकाह नहीं करेंगे तो यह दूसरा भेज सकता है।

बाब {जिस महिला के साथ निकाह का इरादा हो, उसे देख लेना जाइज़ है।}

2082:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई व्यक्ति किसी महिला को निकाह का सन्देश भेजे तो अगर संभव हो तो उस की वह चीज़ देख ले जिस की वजह से वह उस से निकाह करना चाहता है (जैसे क़द, काठी, सुन्दरता वग़ैरह) जाबिर रज़ि॰ ने बयान किया कि जब मैं एक लड़की को निकाह का पैग़ाम भेजा तो मैं उस के लिये छुपा करता था आख़िर उसे मैंने देख लिया, तो उस से निकाह की और ख़ाहिश पैदा हो गयी, और उस से शादी कर ली।

फ़ाइदा:— लेकिन आज कल की तरह अकेले मुलाक़ातें करना, सैर करना, ख़रीदारी करना, साथ में सनीमा देखना आदि यह सब हराम है। हमारे यहाँ जनपद सिद्वार्थ नगर यू.पी. में जीप भर कर महिलायें देखने आती हैं, फिर वापसी में उन्हें एक-एक जोड़ा और रुपया पैसा दिया जाता है, यह सब हराम है।

बाब {वली का बयान (वली की अनुमति के बिना निकाह सहीह नहीं।)}

2083:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस महिला ने अपने वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह किया उस का निकाह बातिल है, तीन बार फ़रमाया। अगर पति उस से संभोग कर ले तो उस को महर देना पड़ेगा इस वजह से कि उस ने उस से फ़ाइदा हासिल किया। अगर (वली लोगों का) झगड़ा हो जाये तो हाकिम वली है उस का जिस का कोई वली न हो।

2084:— आ़इशा रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की ह़दीस की तरह रिवायत किया है। इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि जाफ़र बिन रबीआ़ ने इमाम ज़ोहरी से सुना नहीं बल्कि (यह ह़दीस) उन्होंने उस की तरफ़ लिख भेजी थी।

2085:— अबू मूसा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः वली के बग़ैर कोई निकाह नहीं।

2086:— उर्वा बिन जुबैर उम्मे हबीबा रज़ि॰ के बारे में बताते हैं कि यह पहले इब्ने जहश के निकाह में थीं, फिर उस का देहान्त होगया। वह उन लोगों में से था जो हब्शा की तरफ़ हिजरत कर के गये थे। फिर नजाशी ने उन का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कर दिया जबकि यह उन के यहाँ (यानी हब्शा में) थीं।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि महिला स्वँय अपना निकाह नहीं कर सकती, वली का होना अनिवार्य है। लेकिन यह भी ज़रुरी है कि इस मामले में महिला पर जबर्दस्ती भी नहीं किया जा सकता, उस की इजाज़त बल्कि अगर विधुवा है तो खुल कर उस से राय-मश्वरा ज़रुरी है।

बाब {महिलाओं को निकाह से मना करना (कैसा है?)}

2087:— माक़िल बिन यसार रज़ि॰ बयान करते हैं कि मेरी एक बहन थी, मेरे पास उस के बारे में

निकाह के सन्देश आते थे। मेरे चचा का बेटा मेरे पास आया तो मैं ने उस का निकाह उस से कर दिया, फिर उस ने (किसी वज से) रजअ़ी तलाक़ दे दी और छोड़ दिया यहाँ तक कि अ़िद्दत समाप्त हो गयी। फिर दोबारा जब मेरे पास बहन के लिये निकाह का पैग़ाम लाये तो मेरे चचा का बेटा फिर उस से निकाह का सन्देश लेकर आया तो मैंने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं कभी भी तुम सेअपनी बहन का निकाह नहीं करुँगा। फिर मेरे बारे में यह आयत नाज़िल हुयी: "और जब तुम महिलाओं को तलाक़ दो, फिर वह अपनी अ़िद्दत पूरी का लें....." (सूर: बक़र: 232) माक़िल ने बयान किया कि फिर मैं ने अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा किया और उस से निकाह कर दिया।

बाब {जब दो वली किसी महिला का निकाह कर दें तो?}

2088:— समुरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब दो वली किसी महिला का निकाह कर दें तो यह उन में से पहले वाले के लिये होगी। और जब किसी व्यक्ति ने एक चीज़ का दो आदमियों से सौदा कर दिया हो तो यह पहले वाली की होगी।

बाब {सूर: निसा की आयत न॰ 19 की तफ़सीर।}

2089:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने आयत की तफ़सीर में बयान किया कि जब कोई आदमी मर जाता था तो उस के वारिस उस महिला के अपने वली से भी ज़्यादा उस के हक़दार बन जाते थे। अगर उन में से कोई चाहता तो खुद ही उस से निकाह कर लेता, या जिस से वह चाहते उस का निकाह कर देतेथे। और अगर चाहते तो उस का न करते .... तो इस बारे में (सूर: निसा की आयत न॰ 19) नाज़िल हुयी।

2090:— इब्ने अ़ब्बास रजि॰ से आयत न॰ 19 की तफ़सीर में रिवायत है कि आदमी अपने क़रीबी की वरासत में उस की पत्नी का भी वारिस बन जाता था और उसे रोके रखता यहाँ तक कि वह मर जाती, या उसे अपने महर का हक़ वापस कर देती, तो अल्लाह पाक ने इस अ़मल से मना फ़रमा दिया।

2091:— उबैद (उमर के मौला) ने ज़हहाक से भी ऊपर की हदीस के हममाना बयान किया, उन के शब्द यह थे: "अल्लाह पाक ने इस बारे में नसीहत फ़रमायी"

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि विधुवा महिला का निकाह ज़बर्दस्ती नही किया जा सकता, उस की मर्ज़ी मालूम करना ज़रुरी है।

बाब {निकाह के बारे में लड़की से मश्वरा करना।}

2092:— अबू हुरैरा रजि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: विधुवा का निकाह न किया जाये जब तक उस से मश्वरा न ले लिया जाये, और कुँवारी का भी निकाह न किया जाये मगर उस की इजाज़त से। सहाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह केर सूल! उस की इजाज़त किया है? आप ने फ़रमाया: यही कि वह ख़ामोश रहे।

2093:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

यतीम लड़की (निकाह के बारे में) उस की अपनी ज़ात के बारे में मश्वरा किया जाये। अगर यह ख़ामोश रहे तो यह उस की इजाज़त है और अगर इन्कार कर दे तो उस पर जब्र (ज़र्बदस्ती) जाइज़ नहीं।

2094:— मुहम्मद बिन अम्र ने भी यह हदीस अपनी सनद से रिवायत की और कहा: "अगर वह रो पड़े या ख़ामोश रहे" उन्होंने "रो पड़े" के लफ़्ज़ का इज़ाफ़ा किया है।

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि इस हदीस को अबू अम्र ज़कवान ने आइशा रज़ि॰ सेभी रिवायत किया है वह कहती हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! कुँवारी लड़की तो बात करने से शर्माती है। आप ने फ़रमाया: उस का चुप रहना ही उस का इक़रार है।

2095:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: लड़कियों के सिलसिले में महिलाओं से (यानी उन की माताओं से) मश्वरा कर लिया करो।

बाब {अगर पिता कुँवारी लड़की का, उस से मश्वरा के बिना निकाह कर दे तो?}

2096:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि एक जवान कुँवारी लड़की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आयी और उस ने बताया कि मेरे पिता ने मेरी शादी कर दी है लेकिन मैं पसन्द नहीं करती हूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इख़्तियार दे दिया।

2097:— इकरमा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही रिवायत बयान करते हैं। इमाम अबू दावूद ने कहा कि इकरमा ने इब्ने अब्बास रज़ि॰ का नाम ज़िक्र नहीं किया, और मुहद्दिसीन के यहाँ इस रिवायत को इसी प्रकार मुर्सल रिवायत करना ही मारुफ़ है।

फ़ाइदा:— बाप के लिये भी जाइज़ नहीं कि वह अपनी जवान बेटी की मर्ज़ी मालूम किये बिना उस का निकाह कर दे। ज़र्बदस्ती की सूरत में उसे हक़ हासिल है कि क़ाज़ी के सामने मुक़दमा पेश कर के फ़ैसला ले ले।

बाब {विधुवा का मस्अला।}

2098:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: बेवा अपनी ज़ात के बारे में वली के मुक़ाबला में ज़्यादा हक़दार है। और कुँवारी से भी उस के अपने बारे में मश्वरा किया जाये। उस की इजाज़त उस की ख़ामोशी है। और यह शब्द क़ानबी के हैं।

2099:— अब्दुल्लाह बिन फ़ज़्ल नेभी अपनी सनद से और ऊपर की हदीस के हममाना रिवायत किया और कहा: बेवा अपने वली के मुक़ाबला में अपने बारे में ज़्यादा हक़दार है। इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि "उस का बाप" यह शब्द महफ़ूज़ नहीं है।

2100:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: वली को बेवा के मामले में कोई दख़ल हासिल नहीं है और यतीम लड़की से मश्वरा किया जाये और उस की ख़ामोशी उस का इक़रार है।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि विधुवा (बेवा) महिला जहाँ निकाह करने का इरादा करे, उस का वली वहीं निकाह कर दे, मगर शर्त यह है कि कोई दीनी रुकावट न हो।

2101:— ख़नसा बिन्त ख़िज़ाम अन्सारी रज़ि॰ ने बयान किया कि मेरे पिता जी ने मेरी शादी कर दी, मैं विधेवा थी। मैने इस निकाह को नापसन्द किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आयी और आप के सामने इस का ज़िक्र किया तो आप ने मेरा निकाह रद्द कर दिया (फ़स्ख़ कर दिया)

बाब {निकाह में पति–पत्नी के हमपल्ला (बराबरी) होने का बयान।}

2102:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि अबू हिन्द ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व़सल्लम के सर में पोछना लगाया, फिर आप ने फ़रमाया: ऐ बनी बयाज़ा! अबू हिन्द का (अपने में से किसी के साथ) निकाह कर दो, और उस से (उस की किसी क़रीबी को) निकाह में लो, और यह भी फरमाया: अगर तुम्हारी दवाओं में से किसी में भलाई है तो वह पोछना लगाने ही में है।

फ़ाइदा:— अबू हिन्द गुलाम थे। आप ने बनी बयाज़ा जो अरबी खान्दान से थे उन से कहा कि अबू हिन्द को रिश्ता दो और उन से रिश्ता लो। मालूम हुआ कि अस्ल बराबरी दीन की बराबरी है। दीन एक हो, मज़हब एक हो, अ़क़ीदा एक हो, तो फिर पेशा कोई रुकावट नहीं बनता।

बाब {पैदा होने से पहले ही लड़की का निकाह कर देना।}

2103:— करदम की पुत्री मैमूना रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं अपने पिता जी के साथ हज्ज के लिये चली, वह हज्ज जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने किया था। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा। मेरे माता-पिता आप से क़रीब हुये उस समय आप ऊँटनी पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन की वजह से रुक गये। मेरे माता-पिता जी ने क़ीमती बातें सुनीं। आप के पास कोड़ा था जैसे कि शिक्षा देने वालों के पास होता है। मैंने बद्दू लोगों और दुसरे लोगों को सुना, वह सब कह रहे थे: "तब्-तबिय्या, तब-तबिय्या"

मेरे पिता जी आप से क़रीब हुये और आप के पैर पकड़ कर आप के सन्देष्टा होने का इक़रार किया और खड़े होकर आप की बातें सुनते रहे। मेरे पिता जी ने बताया कि मैं ग़स्सान की जन्ग में शरी क था। इब्ने मुसन्ना ने उसे "ग़सरान" कहा (यह जाहिलिय्यत के ज़माना की एक जन्ग थी) उस दौरान त्नारिक़ बिन मरक़ा नामक व्यक्ति ने कहा था: कौन है जो मुझे अपना नेज़ा दे और उस का बदला पाये, मैंने कहा: उस का क्या बदला है? उस ने कहा: मैं उस के साथ अपनी उस पुत्री का निकाह कर दूँगा जो सब से पहले पैदा होगी। मैंने उसे अपना नेज़ा दे दिया और काफ़ी समय तक उस से दूर रहा। जब मुझे मालूम हो गया कि उस के यहाँ लड़की पैदा हुयी थी और वह अब बालिग़ हो चुकी है तो मैं उस के पास गया और उस से कहा कि मेरे घर वाली को मेरे लिये तय्यार कर दो। उस ने क़सम खा कर कहा कि ऐसा नहीं करेगा यहाँ तक कि मैं उसे नया महर पेश कर दूँ। और मैंने भी क़सम खाई कि जो दे चुका हूँ बस वही है, उस के अ़लावा और कुछ नहीं दूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पूछा: इस समय उस लड़की की क्या आयु है?

कहा कि अब तो उस के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। आप ने फ़रमायाः मेरा ख़याल है कि तुम उसे छोड़ दो। आप की बात मुझे परेशान कर गयी, मैंने आप की ओर देखा। आप ने जब मेरी भावनाओं को पढ़ लिया तो फ़रमायाः न तुम पापी बनो और न तुम्हारी साथी पापी बने।

2104:— मैसरा के पुत्र इब्राहीम ने बयान किया कि मेरी ख़ाला ने एक महिला की बात सुनाई जो बड़ी सच्ची थी। उस ने बयान किया कि जाहिलिय्यत के ज़माना में मेरे पिता जी एक लड़ाई में शामिल हुये जब सब को गर्मी लगने लगी तो एक व्यक्ति ने कहाः कौन है जो मुझे अपने जूते दे दे, तो मैं उस के साथ अपनी पहली पैदा होने वाली बेटी का निकाह कर दूँगा। चुनान्चे मेरे पिता जी ने अपने जूते उतार कर उस की तरफ़ फेंक दिये। फिर उस के यहाँ लड़की पैदा हुयी और वह बालिग़ हो गयी..... पूरी हदीस ऊपर की हदीस (न॰ 2103) की तरह बयान की।

फ़ाइदा:— दोनों ही हदीसें ज़ओफ़ हैं इसलिये इन से किसी मस्अले का सबूत लेना दुरुस्त नहीं।

बाब {महर के मसाइल का बयान।}

2105:— अबू सलमा कहते हैं कि मैं ने आइशा रजि॰ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महर के बारे में पूछा तो उन्होंने बतायाः बाहर ऊकिया और नश्श। मैंने पूछाः नश्श क्या है? कहा कि आधा ऊकिया।

फ़ाइदा:— एक ऊकिया में चालीस दिर्हम चाँदी के होते हैं, इसलिये कुल संख्या पाँच सौ दिर्हम हुयी। मौजूदा पैमाने के हिसाब से एक दिर्हम का वज़न 2.975 ग्राम होता है।

2106:— अबू अज़फ़ा सलमी कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने हमें खुत्बा दिया और कहाः ख़बर्दार! महिलाओं के बारे में भारी-भारी महर मत बाँधा करो। अगर यह दुनिया में इज़्ज़त और अल्लाह के यहाँ तक़्वा का सबूत होता तो इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब से आगे-आगे होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी पत्नी या बेटी को बारह ऊकिया से अधिक महर नहीं दिया।

2107:— उम्मे हबीबा रज़ि॰ बयान करती हैं कि मैं पहले उबैदुल्लाह बिन जहश के निकाह में थी, वह हब्शा में जा कर मर गया तो जनाशी ने मेरी शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दी और अपनी तरफ़ से चार हज़ार दिर्हम महर मुझे अदा किया, फिर मुझे शुरह बील बिन हसना के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में (मदीना) भेज दिया।

अबू दावूद ने कहा कि "हसना" शुरहबील की माता जी का नाम है।

2108:— इमाम ज़ोहरी से रिवायत है उन्हेांने बयान किया कि नजाशी ने अबू सुफ़यान की बेटी उम्मे हबीबा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया और चार हज़ार दिर्हम महर भी अदा किया। यह खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिख भेजी तो आप ने कुबूल फ़रमा लिया।

फ़ाइदा:— मालदार आदमी अपनी पोज़ीशन को सामने रख कर अधिक महर दे तो यह जाइज़ है,

लेकिन दिखावा की निय्यत से नहीं। इसी प्रकार मालदार होकर कम महर रखना भी ग़लत है। महर हैसिय्यत के एतबार से कम या ज़्यादा होना चाहिये। महर अगर कोई दूसरा दे दे तो यह नेकी का काम है।

बाब {महर कम बाँधने का बयान।}

2109:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ के ऊपर ज़ाफ़रान (केसर) के निशान देखे तो पूछाः यह क्या है? उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैंने एक महिला से निकाह कर लिया है। आप ने मालूम किया कि महर कितना दिया? उन्होंने कहाः गुठली के वज़न के बराबर सोना। बयान फ़रमायाः अब वलीमा करो चाहे एक बकरी ही का हो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि गुठली पाँच दिर्हम के बराबर होती है। और नश्श, बीस दिर्हम का होता है। और ऊक़िया, चालीस दिर्हम का।

2110:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमरायाः जिस ने महिला को महर में दोनों हथेली भर कर सत्तू या खजूर दिया उस ने उस महिला को हलाल कर लिया।

जाबिर रज़ि॰ से यह भी रिवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक मुटठी भर खाने की चीज़ पर मुतआ़ कर लिया करते थे।

फ़ाइदा:— मुतआ़ का बयान शुरु ज़माना का था, यह हदीस उसी ज़माना की है, वर्ना फ़त्ह मक्का के बाद हमेशा के लिये हराम कर दिया गया। इस हदीस में कम से कम महर का ज़िक्र है जो निकाह के जाइज़ होने का अहम हिस्सा है।

बाब {किसी काम और मेहनत को महर ठहराना।}

2111:— सहल बिन सअ़द साअ़दी रज़ि॰ से रिवायत है कि एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में आयी और कहने लगीः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैं अपने आप को आप की ख़िदमत में हिबा करती हूँ, और फिर वह बड़ी देर तक खड़ी रही। इतने में एक आदमी उठा और कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आप को उस महिला की हाजत नहीं तो उस का निकाह मुझ से कर दीजिये। आप ने फ़रमायाः क्या तुम्हारे पास कुछ है जो उसे महर में दे सको? उस ने कहाः मेरे पास केवल यह तहबन्द है (जो पहना हुआ है) आप ने फ़रमायाः तुम अगर उसे दे दोगे तो खुद बिन तहबन्द के बैठे रहोगे, कोई और चीज़ ढूँड़ कर लाओ। उस ने कहाः मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप ने फ़रमायाः अच्छा जा कर ढूँड़ो चाहे लोहे का छल्ला ही क्यों न हो। उस ने तलाश किया मगर कुछ भी हाथ न लगा, तब आप ने उस से पूछाः क्या तुम्हें कुरआन में से कुछ याद है? उस ने कहाः हाँ, फ़लाँ-फ़लाँ सूरतें, फिर उस ने उन के नाम लिये, तो आप ने फ़रमायाः उस कुरआन के बदले जो तुम्हें याद है मैंने उस का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया।

2112:— अबू हुरैरा रज़ि॰ ने भी ऊपर की हदीस की तरह बयान किया, मगर उन की रिवायत में

तहबन्द और छल्ले का ज़िक्र नहीं है। आप ने उस से पूछा: तुम्हें कितना क़ुरआन है? उस ने कहा: सूरः बक़रः या उस के साथ वाली। आप ने फरमाया: जाओ, उसे बीस आयतें पढ़ा दो और यह तुम्हारी पत्नी हो गयी।

2113:— मुहम्मद बिन राशिद मकहूल ने भी सहल बिन सअद की रिवायत की तरह बयान किया। मकहूल कहा करते थे कि यह अ़मल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाद किसी और के लिये जाइज़ नहीं।

फ़ाइदा:— हिबा, यह केवल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये ख़ास है किसी और के लिये नहीं। मालूम हुआ कि माल न होने की सूरत में क़ुरआन की शिक्षा को भी महर बनाया जा सकता है।

बाब {अगर कोई निकाह के समय महर मुक़र्रर न करे और फिर उस की वफ़ात हो जाये तो क्या करे?}

2114:— इमाम मस्हाक़ ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से मस्अला पूछा गया कि एक व्यक्ति ने किसी महिला से शादी की, फिर देहान्त हो गया जबकि उन का मिलाप न हुआ था और न महर ही तै हुआ था (तो इस सूरत में क्या हुक्म है) उन्होंने कहा: उस महिला के लिये पूरा महर है, उस पर अ़िद्दत लाज़िम है, और वह वरासत की भी हक़दार है। यह सुन कर माक़िल बिन सिनान ने बताया कि मैं ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऐसे ही सुना था, आप ने बर्वा बिन्त वाशिक़ के बारे में यही फ़ैसला फ़रमाया था।

2115:— उस्मान बिन अबू शैबा भी अपनी सनद से अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद से इसी प्रकार रिवायत करते हैं।

2116:— अ़ब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मस्ऊद, अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ को यही ख़बर दी गयी और फिर वह लोग एक माह तक उन के पास चक्कर लगाते रहे, या यह कहा कि कई बार उन के पास आये तो उन्होंने यही कहा कि मेरी राय इस मामले में यही है कि महिला महर की हक़दार है जैसे कि इस प्रकार की महिलाओं का महर होता है (यानी महर मिस्ल) बिना किसी कमी और ज़्यादती के। और यह महिला मीरास की भी हक़दार है और उस पर (पति के मरने की) अ़िद्दत भी लाज़िम है। अगर मेरी यह बात हक़ और दुरुस्त है तो अल्लाह की तरफ़ से, और अगर ग़लत है तो मेरी तरफ़ से और शैतान की तरफ़ से है, अल्लाह और उस के सन्देष्टा दोनों ही इस से बरी हैं। चुनान्चे क़बीला अशजा के लोग खड़े हुये, उन में जराह और अबू सनान भी थे। उन्होंने कहा: ऐ इब्ने मस्ऊद! हम गवाही देते हैं कि यही फ़ैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमारी एक महिला बिरवा बिन्त वाशिक़ और उस के पति हिलाल बिन मुर्रा अश्जअ़ी के बारे में फ़रमाया था, जैसा कि आप ने किया है। रावी ने बयान किया कि इस से अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ को बहुत प्रसन्नता हुयी कि उन का फ़ैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के फ़ैसले के अनुसार हुआ।

2117:— उक़्बा बिन आमिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक व्यक्ति से कहाः क्या तुम इस बात से राज़ी हो कि मैं फ़लाँ महिला से तुम्हारी शादी कर दूँ? उस ने कहाः जी हाँ। फिर आप ने महिला से पूछाः क्या तुम इस बात से राज़ी हो कि मैं तुम्हारा निकाह फ़लाँ मर्द से कर दूँ? उस ने भी कहाः जी हाँ। चुनान्चे आप ने उन दोनों की शादी कर दी और उस मर्द से उस से संभोग भी किया लेकिन महर मुक़र्रर न किया और न उसे कुछ दिया। यह शख़्स उन लोगों में से था जो हुदैबिय्या में शरीक हो चुके थे और उन्हें ख़ैबर में से हिस्सा मिला था। जब उस के मरने का समय आया तो उस ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ महिला से मेरी शादी कर दी थी मगर मैंने उस के लिये महर मुक़र्रर नहीं किया था और न उसे कुछ दिया था। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि उसे मैं महर में अपने ख़ैबर का हिस्सा देता हूँ। चुनान्चे उस महिला ने वह हिस्सा ले लिया और फिर उसे एक लाख में बेच दिया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने हदीस के शुरु में इतना इज़ाफ़ा किया है.....और इन की हदीस ज़्यादा कामिल है......कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "बेहतरीन निकाह वह है जो ज़्यादा आसानी वाला हो" और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से कहा.....इस के बाद ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। अबू दावूद ने कहा कि इस बात का डर है कि यह हदीस गडगड है क्योंकि मामला इस के उलट है।

फ़ाइदा:— अस्ल मस्अला यह है कि महर न मुक़र्रर होने की सूरत में संभोग के बाद उसे महर मिस्ल मिलना चाहिये, जबकि यहाँ एक लाख दिया गया, यह सहीह नहीं है। महर मिस्ल, उस महिला के खान्दान में आम तौर पर जो महर बाँधा जाता है इसी का नाम महर मिस्ल हैं। इमाम साहब ने इसीलिये कहा है कि यह हदीस गड़बड़ है।

बाब {निकाह के खुत्बा का बयान।}

2118:— अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें "खुत्बए हाजत" की शिक्षा दी, वह यह हैं...................................

अल्-हम्दु लिल्लाहि नस्-तअ़ीनुहू व-नस्-तग़्फ़िरुहू व-नऊजु बिही मिन् शुरुरि अन्-फुसिना, मय्यह् दिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहू व-मय्युज़्लिल् फ़ला हादि-य लहू.......

2119:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुत्बा पढ़ते......फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। और

"मु-हम्म-दन् अब्दुहू व-रसूलुहू" के बाद यह कहते:...

अर-स-लहू बिल्-हक्कि बशी-रन् व-नज़ी-रन् बै-न य-दइस्सा-अति मय्युतिअ़िल्ला-ह व-रसू-लहू फ़-क़द् र-श-द.......

2120:— इस्माअ़ील बिन इब्राहीम, बनी सलीम के एक शख़्स से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी

करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अ़ब्दुल मुत्तलिब की बेटी उमामा का रिश्ता माँगा तो आप ने मुझ से निकाह कर दिया और खुत्बा नहीं पढ़ा।

हमें अबू औसा ने बताया कि इमाम अबू दावूद से पूछा गया: क्या यह जाइज़ है? उन्होंने कहा, हाँ इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से हदीसें आयी हैं।

फ़ाइदा:— दूसरी सहीह हदीसों से साबित है कि खुत्बा के बिना भी निकाह जाइज़ है, निकाह में अस्ल ईजाब व कुबूल है।

बाब **{छोटी बच्चियों की शादी करना।}**

2121:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से शादी की थी तो उस समय मेरी आयु सात वर्ष थी। सुलैमान ने कहा: या छः साल। और मुझ से मिलाप हुआ (यानी मुझ से संभोग किया) तो मैं नौ वर्ष की थी।

फ़ाइदा:— माता-पिता अपने बच्चों के बारे में बेहतर तौर पर जानते हैं, इस में किसी को एतराज़ करने का हक़ नहीं। लड़की का बालिग़ होना शर्त है, न कि उम्र। जब भी बालिग़ हो और घर बसाने लाइक़ हो कर दिया जाये, न कि उम्र। जब भी बालिग़ हो और घर बसाने लाइक़ हो कर दिया जाये, उम्र की कोई सीमा नहीं। होकूमत ने बालिग़ होने के लिये लड़की के लिये 18 वर्ष और लड़के के लिये 21 वर्ष तै किया है, यह महाग़लत है।

बाब **{पति कुँवारी पत्नी के यहाँ कितने दिन ठहरे (जबकि पहले से उस के यहाँ बीवी मौजूद हो?)**

2122:— उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से निकाह किया तो (शुरु के दिनों में) उन के यहाँ तीन दिन ठहरे, फिर फ़रमाया: तुम अपने घर वालों पर बोझ नहीं हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिये सात दिन रुक जाता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पास सात दिन रहा तो दूसरी पत्नियों के पास (बारी-बारी) सात-सात ही दिन रहूँगा।

2123:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सफ़िय्या (बिन्त हुय्यि) से निकाह कर लिया तो उन के पास तीन दिन रहे। उस्मान ने यह भी कहा कि वह विधुवा थीं।

2124:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि अगर कोई शख़्स (अपने यहाँ) विधुवा पत्नी के होते हुये कुवाँरी से शादी करे तो उस के पास सात दिन रहे। और जब विधुवा से शादी करे तो उस के पास तीन दिन रहे। अबू क़िलाबा ने कहा: अगर मैं कहूँ कि अनस रज़ि॰ ने इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मर्फ़ूअ़ रिवायत किया है तो मैं सच ही कहूँगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि "सुन्नत यही है"

फ़ाइदा:— तीन या सात दिन पर अ़मल शुरु में बियाह कर के लाने के बाद होगा। इस के बाद बराबर की बारी मुक़र्रर की जायेगी।

बाब {अपनी बीवी के पास आने से पहले पति उसे कोई चीज़ हदिया दे।}

2125:— इब्ने अ़बबास रज़ि॰ से रिवायत है कि जब अ़ली रज़ि॰ ने फ़ातिमा से शादी की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से फ़रमाया: उन्हें कोई चीज़ दो। अ़ली रज़ि॰ ने कहा: मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं है। आप नेफ़रमाया: वह तुम्हारी होतमीज़िरह कहाँ है?

2126:— सहाबा में से एक व्यक्ति से रिवायत है कि अ़ली रज़ि॰ से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पुत्री फ़ातिमा से निकाह किया और उन के पास जाने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को रोक दिया यहाँ तक कि वह उन्हें कोई चीज़ पेश करें। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम! मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। आप ने फ़रमाया: अपनी ज़िरह ही दे दो। चुनान्चे उन्होंने उन को अपनी ज़िरह दे दी फिर उन के पास गये।

2127:— इक्रमा रह॰ इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से ऊपर को हदीस की तरह रिवायत करते हैं।

2128:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया किसी महिला को उस के पति पर न पेश करुँ जब तक कि वह उस को कोई चीज़ न दे दो।

2129:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र से) रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस महिला का किसी से निकाह हो और निकाह से पहले जो कोई महर, तोहफ़ा, या कोई वादा किया गया हो तो वह सब उस महिला का हक़ है। और जो निकाह के बाद दिया जाये तो वह उसी का है जिस को दिया जाये। और किसी की सब से बड़ी इ़ज़्ज़त वह है जो उस की बेटी या बहन की वजह से किया जाये।

फ़ाइदा:— इन रिवायत से मालूम हुआ कि पहली रात में नई नवेली पत्नी को तौहफ़ा और उपहार में देना मुस्तहब है। इस से प्रेम भावना में इज़ाफ़ा होता है।

बाब {निकाह करने वाले को क्या दुआ़ दी जाये?}

2130:— अबू हुरैरा रज़ि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब किसी को उस की शादी पर मुबारक बाद देते तो फ़रमाते:

> ***बार–र–कल्लाहु ल–क, वबा–र–क अ़लै–क व–ज–म–अ़–बै–नकुमा फ़ी ख़ैरिन्***
>
> (अल्लाह पाक तुम्हें बर्कत दे, तुम पर अपनी बर्कत फ़रमाये और तुम दोनों को भलाई के साथ इकट्ठा रखे।)

बाब {कोई शादी करे और महिला को गर्भवती (हमल से) पाये तो क्या करे?}

2131:— बसरा नाम के एक सहाबी से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने एक कुँवारी लड़की से शादी की जो कि अपने पर्दे में थी। मैं उस के पास गया तो देखा कि वह हमल से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: उस को तो महर मिलेगा क्योंकि तुम ने उस की शर्मगाह

को हलाल जाना, और बच्चा तेरा गुलाम होगा। हसन बिन अली रज़ि॰ ने कहा..... जब बच्चा जन दे तो उसे कोड़े मार। और इब्ने अबी सरी ने कहा....... तुम लोग उस को कोड़े मारो, या यह कहा कि हद जारी करो।

2132:— यज़ीद ने सअ़ीद बिन मुसय्यिब रह॰ से बयान किया कि एक व्यक्ति ने जिस का नाम बसरा बिन उक्सुम था एक महिला से निकाह किया.....और ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया.....और इतना और बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन के दर्मियान जुदाई डाल दी। और इब्ने ज़ुरैज की रिवायत ज़्यादा मुकम्मल है।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों रिवायतें मुर्सल हैं। इन हालात में फ़तवा यही है कि दोनों को अलग कर दिया जायेगा, अगर संभोग कर लिया है तो महर मिस्ल देना पड़ेगा। महिला पर हद जारी होगा, उस बच्चे को गुलाम नहीं कहा जायेगा।

बाब {बीवियों के दर्मियान पारी की तक़्सीम का बयान।}

2133:— अबू हुरैरा रज़ि॰से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस की दो बीवियाँ हों और वह किसी एक की तरफ़ झुक गया तो क़ियामत के दिन इस हालत में आयेगा कि उस का एक पहलू झुका हुआ होगा।

2134:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (अपनी पत्नियों के दर्मियान पारी) तक़्सीम करते और न्याय करते और कहते: ऐ अल्लाह! यह मेरी तक़्सीम है जो मेरे बस में है। और इस मामले में मुझे मलामत न करना जिस का तू मालिक है और मेरा उस पर इख़्तियार नहीं।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस से मुराद दिल का लगाव है।

2135:— उर्वा रह॰ ने बयान किया कि आइशा रज़ि॰ ने कहा: ऐ मेरे भान्जे! नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (हम बीवियों के दर्मियान) बारी मुक़र्रर करने के मामले में, यानी हमारे पास ठहरने के मामले में हम में से किसी को किसी पर फ़ज़ीलत नहीं देते थे। और आप लगभग हर रोज़ हम सब के पास चक्कर लगाया करते थे और हर पत्नी के क़रीब होते थे लेकिन संभोग नहीं करते थे, फिर उस के पास पहुँचते जिस की पारी का दिन होता और रात उस के पास गुज़ारते।

सौदा रज़ि॰ की आयु जब अधिक हो गयी और उन्हें इस बात का शुब्हा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें छोड़ देंगे तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मेरा दिन आइशा रज़ि॰ के लिये है। आप ने इस बात को क़ुबूल फ़रमा लिया। आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि हम कहा करती थीं कि इसी सिलसिले में और इसी प्रकार के हालात के बारे में अल्लाह पाक ने यह आयत फ़रमायी: "अगर किसी महिला को डर हो अपने पति के बिगड़ने का" (सूर: निसा-128)

2136:— मुआज़ा, आइशा रज़ि॰ से रिवायत करती हैं उन का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरः अहज़ाब की आयत न॰51 के नाज़िल हो जाने के बाद भी हम में से जिस की बारी का दिन होता उस से इजाज़त लिया करते थे (जब किसी दूसरी पत्नी के पास जाने की कोई ज़रुरत पड़ती) मुआज़ा कहती हैं कि मैंने आइशा रज़ि॰ से पूछा: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा करती थीं? उन्होंने कहा: मैं कहा करती थी कि अगर यह फ़ैसला करना मेरे ही ज़िम्मा है तो फिर मैं अपने आप पर किसी और को तर्जीह नहीं दे सकती।

2137:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अन्तिम बीमारी के दिन में तमाम बीवियों को बुलवाया तो वह एकत्र हो गयीं। आप ने फ़रमाया: अब मैं तुम लोगों के दर्मियान चक्कर नहीं लगा सकता, इसलिये अगर उचित जानों तो मुझे इजाज़त दे दो तो मैं आइशा के यहाँ रह लूँ। इस पर सभी ने अनुमति दे दी।

2138:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र का इरादा फ़रमाते तो अपनी पत्नियों के दर्मियान गोटी डालते, जिस का नाम निकल आता वह आप के साथ सफ़र पर जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सौदा रज़ि॰ को छोड़ कर हर पत्नी को उस की पारी का दिन और रात देते, क्योंकि सौदा ने अपनी पारी का दिन आइशा रज़ि॰ को दे दिया था।

बाब {शौहर, जो बीवी से शर्त कर ले कि उस को वतन ही में रखेगा।}

2139:— उक़्बा बिन आमिर रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फ़रमाया: शर्तों में सब से अहम शर्त जिस का पूरा करना तुम पर वाजिब है, वह है जिस की वजह से तुम ने (अपनी बीवियों की) इज़्ज़त को हलाल किया है।

फ़ाइदा:— वह शर्त हो सकती है, मगर शर्त यह है कि जाइज़ हो और संभव हो।

बाब {बीवी पर शौहर के हक़ूक़ का बयान।}

2140:— क़ैस बिन सअ़द रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैं हीरा गया तो क्या देखा कि वह लोग अपने सर्दार को सज्दा करते हैं। इस पर मैंने कहा: अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के अधिक हक़दार हैं कि उन को सज्दा किया जाये। उन्होंने बयान किया कि मैं आप के पास आ कर बताया कि मैं हीरा गया था तो वहाँ देखा कि लोग अपने सर्दार को सज्दा करते हैं, तो ऐ अल्लाह के रसूल! आप तो इस बात के सब से ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि हम आप के सामने सज्दा करें। आप ने फ़रमाया: भला बतओ तो सही कि अगर तुम मेरी क़ब्र पर गुज़रते तो क्या उसे सज्दा करते? मैंने कहा: नहीं। आप ने फ़रमाया: तो फिर ऐसा न करो। अगर मैं किसी को सज्दा करने का हुक्म देता तो महिलाओं को देता कि वह अपने शौहरों को सज्दा करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने बीवी पर शौहर का बहुत हक़ रखा है।

2141:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया:

जब पति अपनी पत्नी को बिस्तर पर बुलाये और वह न आये और पति गुस्से में रात बिता दे तो फ़रिश्ते उस महिला पर सुब्ह होने तक लानत भेजते हैं।

बाब {पति के ज़िम्मे, पत्नी के अधिकार का बयान।}

2142:— हकीम बिन मुआ़विया कुशैरी अपने पिता से रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! हम पर पत्नी के क्या अधिकार हैं?आप ने फ़रमाया: जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो उसे भी पहनाओ, या यूँ कहा कि जब जमा कर लाओ (तो उसे पहनाओ) और चेहरे पर न मारो, बुरा न कहो, और उस से अलग न रहो मगर घर में।

फ़ाइदा:— मारने की ज़रुरत ही हो तो चेहरे पर नहीं मारना चाहिये। उस से घर में अलग रहें, लेकिन घर से बाहर न निकालें और स्वँय भी उस से नाराज़ होकर घर से बाहर न सोएँ।

2143:— बहज़ बिन हकीम अपने पिता (हकीम) से और वह उन के दादा से रिवायत करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम अपनी बीवियों से किस प्रकार फ़ाइदा उठायें और क्या छोड़ें? आप ने फ़रमाया: अपनी खेती में तुम जिस तरह चाहो आओ, उसे खिलाओं जब तुम खाओ, उसे पहनाओ जब तुम पहनो। उस के चेहरे के बुरा होने (बिगड़ने) की बददुआ़ न दो और (मुँह पर) मत मारो।

फ़ाइदा— "तुम्हारी खेतियाँ हैं" इस की तफ़सील के लिये देखें हदीस न॰ 2162, 2163।

2144:— मुआ़विया कुशैरी रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और कहा: आप हमें बीवियों के बारे में क्या हुक्म फ़रमाते हैं? आप ने फ़रमाया: जो खाओ उस में से उन्हें खिलाओ, जो पहनते हो उस में से उन्हें पहनाओ, उन्हें मारो नहीं और सूरत बिगड़ने की गाली (बददुआ़) न दो।

बाब {बीवियों को मारने का मस्अला।}

2145:— अबू हुर्रा रक़ाशी अपने चचा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अगर तुम्हें उन से नाफ़र्मानी और अवज्ञा का अन्देशा हो तो उन्हें बिस्तरों से अलग कर दो। हम्माद ने इस से मुराद संभोग है (हम बिस्तरी न करो)

2146:— अयास बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह की बन्दियों को मत मारा करो। यह सुन कर उमर रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहा: महिलायें अपने पतियों के सर चढ़ने लगी हैं, तो आप ने उन्हें मारने की रुख़्सत दे दी। इस के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के घर वालों के पास महिलायें बहुत आने लगीं जो अपने शौहरों (के मारने) की शिकायत करती थीं। इस पर आप ने फ़रमाया: मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) के घर वालों के पास महिलायें बहुत अधिक आयी हैं जो अपने पतियों की शिकायत करती हैं। ऐसे लोग कोई भले और अच्छे आदमी नहीं हैं।

2147:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: पति से, पत्नी को मारने के बारे में सवाल नहीं किया जायेगा।

फ़ाइदा:— यानी रास्ते पर लाने के लिये हल्का मार मारने की सूरत में सवाल नहीं होगा। (देखें सूर-निसा-34) अगर ज़ुल्म कर के मारेगा जो पूछताछ होगी।

बाब {निगाह नीची रखने का हुक्म।}

2148:— जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह बुजली रज़ि० से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अचानक नज़र पड़ जाने के बारे में पूछा तो आप ने फ़रमाया: अपनी नज़र फेर लो।

2149:— इब्ने बुरैदा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ली रज़ि० से फ़रमाया: ए अ़ली! नज़र के पीछे नज़र मत लगाओ। पहली तुम्हारे लिये माफ़ है (जो अचानक पड़ गयी) दूसरी नहीं माफ़ है। (जो जानबूझ कर देखी)

2150:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कोई महिला किसी महिला के साथ चिमट कर न लेटे और फिर अपने पति को उस के बारे में बताने लगे गोया उस की तरफ़ देख रहा है।

2151:— जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कोई महिला देखी, फिर (अपने घर) ज़ैनब के यहाँ आये और उन से अपनी हाजत पूरी की (संभोग किया) फिर अपने सहाबा के पास गये और फ़रमाया: महिला शैतान की सूरत में सामने आती है, तो जो व्यक्ति इस प्रकार की कैफ़ियत महसूस करे तो उसे चाहिये कि अपनी पत्नी के पास चला जाये। बिला शुब्हा (पत्नी के पास जाना) उस के नफ़्स में आने वाले बुरे ख़याल को निकाल देगा।

फ़ाइदा:— आप ने अमली तौर पर कर के उम्मत को बताया कि इन हालात में बुराई से बचेने के लिये क्या तरीक़ा इख़्तियार किया जाये। वर्ना नबी केबारे में यह ख़्याल करना कि ....बहुत बड़ी गुमराही है। आप फ़ज्र की इमामत के लिये आगे बढ़ गये, फिर सहाबा को खड़े रहने का हुक्म दिया, फिर जा कर स्नान किया और वापस आ क इमामत की। यहाँ अल्लाह पाक ने आप को भुला कर यह शिक्षा दी कि उम्मत को अमल कर के दिखा दें कि ऐसे मौके पर क्या करें।

2152:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि० से रिवायत है कि मैंने "छोटे-मोटे गुनाह" की तफ़सीर के बारे में अबू हुरैरा रज़ि० की रिवायत से बढ़ कर और कोई चीज़ नहीं देखी। अबू हुरैरा रज़ि० नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि "अल्लाह पाक ने इब्ने आदम पर ज़िना से उस का हिस्सा लिख दिया है, जिसे वह पा कर रहेगा। तो आँखों का ज़िना देखना है, ज़बान का ज़िना बोलना है, दिल इच्छा और ख़ाहिश करता है और शर्मगाह उस को झुठलाता या तस्दीक़ करता है।

2153:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: हर आदम की औलाद के लिये ज़िना से उस का हिस्सा (लिख गया) है.....और ऊपर की हदीस बयान की.......और कहा: हाथ ज़िना करते हैं और उस का ज़िना पकड़ना है, पाँव ज़िना करते हैं

और उन का ज़िना चलना है, मुँह ज़िना करता है और उस का ज़िना बोसा लेना है।

2154:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर के क़िस्सा की तरह बयान किया......फ़रमाया: कान भी ज़िना करते हैं और उन का ज़िना सुनना है।

फ़ाइदा:— जिस्म के हिस्सों नज़र, कान, हाथ, पैर और मुँह गुनाहों को ज़िना से ताबीर करना, उन के बहुत अधिक बुरे होने की तरफ़ इशारा है कि उन का अन्जाम बहुत बुरा हो सकता है।

बाब {जन्ग में क़ैद होने वाली महिलाओं से संभोग करने का मस्अला।}

2155:— अबू सईद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुनैन के मौक़ा पर औतास की तरफ़ एक कुमक भेजी, उन्होंने अपने दुश्मन से मुक़ाबला किया, उन को पराजित किया और उन की महिलायें क़ब्ज़े में आयी तो कुछ सहाबा ने उन से संभोग करने को बुरा जाना क्योंकि मुश्रिकों में उन के पति मौजूद थे, तब अल्लाह पाक ने इस बारे में यह आयत नाज़िल फ़रमायी: "और पति वालियाँ (तुम पर हराम हैं) मगर जिन के मालिक बन जायें......" (सूर: निसा-24)

फ़ाइदा:— बन्दी बन जाने के बाद पति-पत्नी के दर्मियान जुदाई हो जाती है चाहे दोनों में से कोई एक पकड़ा जाये, या दोनों। इसलिये ऐसी बन्दी महिलाओं से संभोग जाइज़ है और उन की अि़द्दत एक हैज़ है।

2156:— अबू दर्दा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक जन्ग में एक महिला को देखा जिस का हमल पूरे दिनों का था तो आप ने फ़रमाया: शायद उस के मालिक ने उस से संभोग किया है? उस ने कहा: जी हाँ। आप ने फ़रमाया: मैंने इरादा किया है कि उसे लानत करूँ, ऐसी लानत जो उस की क़ब्र तक उस के पास जाये। यह उस बच्चे को किस तरह अपना वारिस बना सकेगा जबकि उस के लिये यह हलाल नहीं (कि दूसरे के नुतफ़े और दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बनाए) और क्योंकर उस से (गुलामों की तरह) सेवा ले सकेगा, जब यह उस के लिये हलाल नहीं (अगर उस का अपना नुतफ़ा हुआ और अपने बेटे के नसब का इन्कार किया तो यह हराम है। और फिर बेटे को गुलाम और नौकर के दर्जे पर उतारना क्योंकर जाइज़ है?)

2157:— अबू सईद खुदरी रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ निस्बत करते हुये बयान किया कि आप ने औतास में पकड़ी जाने वाली महिलाओं के बारे में फ़रमाया था: "किसी हमल वाली से संभोग न किया जाये यहाँ तक कि उस के बच्चे की पैदाइश हो जाये। और जिस के हमल न हो उस से भी संभोग न किया जाये यहाँ तक कि उसे एक हैज़ आ जाये।

2158:— हनश सनआ़नी रह॰ ने बयान किया कि रुवैफ़ बिन साबित अन्सारी हमारे दर्मियान खुत्बा देने के लिये खड़े हुये तो कहा: मैं तुम्हें वहीं कहूँगा जो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी है। आप ने हमें हुनैन की लड़ाई के दिन फ़रमाया था: "जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत के

दिन पर ईमान रखता है उस के लिये हलाल नहीं कि किसी दूसरे की खेती को अपना पानी दें" आप की मुराद यह थी कि हमल वाली महिलाओं से संभोग (हमबिस्तरी) न करे। (और यह भी फ़रमाया) जो शख़्सअल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है उस के लिये हलाल नहीं कि क़ैद में आने वाली किसी महिला से उस के पाक होने तक संभोग करे। और जो शख़्स आख़िरत और अल्लाह पर ईमान रखता है उस के लिये हलाल नहीं कि ग़नीमत के माल को तक़्सीम होने से पहले ही बेच दे।

फ़ाइदा:— **दूसरे के** खेती को पानी देना यानी दूसरे की पत्नी से संभोग करना ज़िना है और यह हराम है। जो जन्ग में बन्दी हाथ आये उस से एक हैज़ आने से पहले संभोग हराम है। या अगर हमल से है तो बच्चा पैदा होने तक उस से संभोग हराम है। ग़नीमत का माल तक़्सीम होने और अपना हिस्सा अलग होने से पहले मुश्तरक हिस्सा बेचना नाजाइज़ है।

2159:— सओद बिन मन्सूर ने अबू मुआविया से और वह इब्ने इस्हाक़ से भी ऊपर की हदीस की तरह बयान करते हैं, उस में कहा कि......... जब तक एक हैज़ से पाक न हो जाये। इस में "एक हैज़" का शब्द ज़्यादा है जो अबू मुआविया रावी का वहम है, मगर अबू सओम की रिवायत में सहीह है। और उस में इतना और भी है कि "जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है वह मुसलमानों के ग़नीमत के जानवरों में से किसी पर सवार न हो कि उस को दुबला-पतला और कमज़ोर कर के वापस करे। और जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है वह मुसलमानों के ग़नीमत के कपड़ों में से कोई कपड़ा न पहने कि उसे पुराना कर के वापस करे। इमाम अबू दावूद ने कहा कि 'अल्हैज़तु" का शब्द सहीह नहीं है, यह अबू मुआविया का वहम है।

बाब {निकाह के कुछ और मसाइल का बयान।}

2160:— अम्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई किसी महिला से शादी करे, या कोई गुलाम खरीदे तो चाहिये कि यह दुआ पढ़ेः

अल्लाहुम्म इन्नी अस्-अलु-क खै-रहा वखै-ह मा ज-बल्-तहा अलैहि, व-अऊज़ुबि-क मिन् शर्रिहा वमिन् शर्रि मा ज-बल्-तहा अलैहि

(ऐ अल्लाह् मैं उस की भलाई का सवाल करता हूँ और उस भलाई का जिस पर तू ने उस को पैदा किया, और उस की बुराई से तेरी पनाह माँगता हूँ और उस बुराई से जिस पर तू ने उस को पैदा किया है।"

और जब कोई ऊँट ख़रीदे तो उस के कोहान की चोटी को पकड़े और इसी प्रकार दुआ करे। इमाम अबू दावूद ने कहा कि अबू सअद ने इतना और इज़ाफ़ा किया है कि (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया) "पत्नी और नौकर की पेशानी के बाल पकड़े और बरकत की दुआ करे।

2161:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई जब अपनी पत्नी से संभोग करने का इरादा करे और फिर नीचे की दुआ़ को पढ़ ले तो अगर उन में उस बारी में बच्चा बनना भाग्य में हुआ तो उसे शैतान कभी हानि नहीं पहुँचा सकेगा। (दुआ़ यह है)

बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्म जन्निब्-नश्शैता-न व-जन्निबिश्शैता-न मा र-ज़क्-तना

(अल्लाह के नाम से। ऐ अल्लाह! हम को शैतान से दूर रख और शैतान को उस से दूर रख जो तू हमें दे)

2162:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लानती है वह शख़्स जो पत्नी से उस के पीछे में संभोग करे।

2163:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि यहूदी कहा करते थे कि अगर आदमी अपनी पत्नी से उस के पीछे से उस की योनि (शर्मगाह) में संभोग करे (कि वह पेट के बल लेटी हुयी हो) तो उस से बच्चा भैंगा पैदा होता है, इस पर अल्लह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "तुम्हारी महिलायें तुम्हारी खेतियां हैं, तो अपनी खेतियों में जैसे चाहो आओ।"

फ़ाइदा:— यानी यहूदियों का कहना गलत है। पत्नी हैज़ से नहो, दूसरे उन के पाख़ाना के रास्ते में संभोग न करे, बाक़ी जिस प्रकार चाहे खड़ा कर के बैठा कर, लिटा कर, झुका का संभोग कर सकता है।

2164:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि इब्ने उमर को अल्लाह पाक माफ़ फ़रमाये उन्हें वहम हुआ है। अस्ल में अन्सार क़बीला के लोग बुतों की पूजा करते थे, उन यहूदी क़बीला के साथ रहते थे जो अहले किताब थे। अन्सारी लोग उन के ज्ञानी होने के नाते उन का आदर-सम्मान करते थे और अपने अक्सर कामों में उन की पैरवी किया करते थे। अहले किताब का मामला यह था कि यह लोग अपनी बीवियों से एक ही अन्दाज़ में चित लिटा कर (या पहलू के बल कर के) संभोग किया करते थे। इस प्रकार पत्नी बहुत अधिक पर्दे में रहती है। तो उन अन्सारी लोगों ने भी उन अहले किताब का सा तरीक़ा अपना रखा था।

लेकिन क़बीला कुरैश के लोग अपनी पत्नियों को बुरी तरह फैलाते थे और तरह-तरह लज़्ज़त प्राप्त करते थे, आगे से पीछे से और चित लिटा कर। जब मुहाजिर लोग मदीना में आये और उन के एक आदमी ने अन्सार की एक महिला से शादी की तो उस के साथ अपने ही तरीक़ा से संभोग करने लगा, तो उस महिला ने बहुत बुरा जाना और कहने लगीः हम से एक ही अन्दाज़ में (चित लिटा कर, या पहलू के बल) संभोग किया जाता था, इसलिये तुम भी उसी प्रकार करो वर्ना मुझ से अलग रहो। चुनान्चे उन का मामला बहुत बढ़ गया और बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तक जा चहुँची तो अल्लह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "तुम्हारी महिलायें तुम्हारी खेतियाँ है, तो अपनी खेती में जिस प्रकार चाहो आओ।" (सूरः बक़रह-223) आगे से, पीछे

से, या चित लिटा कर लेकिन जगह आगे की शर्मगाह ही होनी चाहिये।

बाब {हैज़ के दिनों में बीवी से संभोग करने और उस के साथ लिपटने–चिमटने का मस्अला।}

2165:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि यहूदी लोग जब उन की पत्नी हैज़ से होती तो उस को घर से निकाल देते थे, उस के साथ न खाते थे और न पीते थे, और न एक घर में इकट्ठे रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया तो अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "लोग आप से हैज़ के बारे में पूछते हैं........" (सूरः बक़रह-222) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उन के साथ घरों में एकत्र रहो और हर काम उन के साथ कर सकते हो सिवाए निकाह (यानी संभोग, हमबिस्तरी) के। इस पर यहूदी कहने लगेः यह आदमी तो हमारे किसी काम को नहीं छोड़ता मगर उस की मुख़ालिफ़त ही करता है। उसैद बिन हुज़ैर और अ़ब्बाद बिन बिश्र रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहने लगेः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! यहूदी आप को इस प्रकार ताने देते हैं, तो क्या हम हैज़ के दिनों में महिलाओं से संभोग कर लिया करें? यह सुन कर आप के चेहरे का रन्ग बदल गया जिस से हमें यक़ीन हो गया कि आप वास्तव में नाराज़ हो गये हैं, चुनान्चे वह (आप की मज्लिस से) निकल आये। (उन के जाने के बाद) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास दूध का तोहफ़ा आ गया तो आप ने उन्हें बुलवाया, तब हमें जा कर इन्तिमनान हुआ कि आप उन से (दिल से) नाराज़ नहीं हुये थे।

2166:— ख़ल्लास रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने आ़इशा रज़ि॰ को बयान करते सुना कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक ही चादर में सोते थे हालाँकि मैं हैज़ से होती थी। अगर आप को मुझ से कुछ (खून वग़ैरह) आ जाता तो उस स्थान को धो लेते और उस स्थान से आगे न धोते। और अगर आप के कपड़े को कुछ लग जाता तो उसी जगह को धो लेते और उस से आगे न धोते और उसी में नमाज़ पढ़ लेते।

2167:— मैमूना रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब अपनी किसी पत्नी के साथ लेटना चाहते और वह हैज़ से होती तो उस से फ़रमाते कि अपने तहबन्द को खूब अच्छी तरह बाँध लो, फिर उस के साथ लेट जाते।

बाब {जो शख़्स हैज़ की हालत में पत्नी से संभोग कर डाले उस का कफ़्फ़ारा।}

2168:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि वह शख़्स जो अपनी पत्नी से उस के हैज़ के दिनों में हम बिस्तरी कर बैठे, उस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक दीनार या आधा दीनार सदक़ा दे।

2169:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि अगर खून के दिनों में संभोग किया तो एक दीनार सदक़ा करे, और अगर खून रुक जाने के दिनों में की हो तो आधा दीनार।

फ़ाइदा:— मस्अले की जानकारी के लिये देखें हदीस न॰ 264, 265।

बाब {अ़ज़्ल का बयान।}

2170:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने उस का ज़िक्र आया, यानी अज़्ल का तो आप ने फ़रमायाः तुम में से कोई यह काम करता ही क्यों है? आप ने यह नहीं फ़रमायाः तुम में से कोई यह काम न करे। जो जान पैदा होने वाली है अल्लाह पाक उसे पैदा कर के रहेगा।

फ़ाइदा:— संभोग करते समय मर्द अपनी मनी को महिला की शर्मगाह में गिराने के बजाए बाहर गिरा दे, इसे "अज़्ल" कहते हैं।

2171:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी एक लौंडी है और मैं उस से अज़्ल करता हूँ, उस का हमल से होना मुझे पसन्द नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूँ जो मर्द चाहते हैं। मगर यहूदी कहते हैं के अ़ज़्ल करना छोटे अन्दाज़ में जीवित ज़मीन में गाड़ देना है। आप ने फ़रमायाः यहूदी ग़लत कहते हैं, अगर अल्लाह पाक उस को पैदा करना चाहेगा तो तुम उसे टाल नहीं सकते।

2172:— इब्ने मुहैरिज़ ने बयान किया कि मैं मस्जिद में दाख़िल हुआ और अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ को देखा तो उन के पास बैठ गया और उन से अ़ज़्ल के बारे में पूछा तो उन्होंने बतायाः हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ मुस्तलिक़ की लड़ाई में गये और उस जन्ग में लौंडियाँ हाथ आयीं, अ़रब की महिलायें। उस समय हम लोगों को महिलाओं की बड़ी इच्छा थी, महिलाओं के बिन रहना हमें बहुत मुश्किल हो रहा था, और हम उन लौंडियों को बेचना भी चाहते थे (इसलिये इच्छा थी कि हमल से न हों) तो हम ने अ़ज़्ल करने की ठानी। फिर सोचा की नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम में मौजूद हैं इसलिये उन से पूछे बिना यह काम न करें। चुनान्चे हम ने आप से इस के बारे में पूछा तो आप ने फ़रमायाः अगर न करो तो कोई हरज नहीं, क्योंकि क़ियामत तलक जितनी जानें पैदा होने वाली हैं वह पैदा होकर रहेंगी।

फ़ाइदा:— यह काम अच्छा नहीं है, फिर भी जाइज़ है, ज़रुरत पड़ने पर इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं, आजकल इसी की नई शक्लें ईजाद हो गयी हैं जैसे कन्डोम और निरोध, या माला गोलियाँ कि जब तक इसे प्रयोग करेंगे अ़ज़्ल का काम करेगा। नसबन्दी, या आपरेशन, यह अज़्ल से नहीं आते, इस में हमेशा के लिये रुकावट पैदा हो जाती है, इसलिये यह शक्लें अपनाना नाजाइज़ है।

2173:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि एक अन्सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और कहाः मेरे पास एक लौंडी है जिस से मैं हम बिस्तरी करता हूँ, लेकिन उस का हमल से होना मुझे पसन्द नहीं है। आप ने फ़रमायाः अगर चाहो तो अ़ज़्ल करो, मगर जो उसके भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। और बताया कि लौंडी तो गर्भवती हो गयी है। आप ने फ़रमायाः मैंने तुम से तो बता दिया था कि जो उस के भाग्य में है वो होकर रहेगा।

बाब {संभोग करने के बाद उस के बारे में बतलाना हराम है।}

2174:— अबू नज़रा बयान करते हैं कि क़बीला तुफ़ावा के एक शैख़ ने मुझ से बयान किया कि मैं मदीने में अबू हुरैरा का मेहमान हुआ। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में सब से अधिक इबादत करने वाले और मेहमान नवाज़ थे। एक दिन मैं उन के पास था और वह अपनी चौकी पर बैठे हुये थे उन के पास एक थैली थी उस में कन्करियाँ या गुठलियाँ थीं। चौकी के नीचे काले रन्ग की उन की एक लौंडी बैठी थी। आप उन कन्करियों या गुठलियों पर तस्बीह पढ़ रहे थे। जब उन पर तस्बीह पढ़ लेते तो उन्हें लौंडी की तरफ़ फेंक देते और वह उन्हें इक्ट्ठी कर के फिर से थैली में भर कर उन को दे देती।

अबू हुरैरा रज़ि॰ ने क़बीला तुफ़ावा के शैख़ से कहाः क्या मैं तुम्हें अपनी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बात न सुनाऊँ? मैंने कहाः ज़रुर सुनाइये। उन्होंने कहाः एक मर्तबा मुझे बुख़ाार आ गया तो मस्जिद में जा कर पड़ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये और मस्जिद में दाख़िल होकर पूछाः कोई दौसी जवान को जानता हैं? आप ने तीन मर्तबा पूछा। एक व्यक्ति ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो मस्जिद के कोने में पड़े हैं और बुख़ार में भुन रहे हैं। आप मेरे पास आये और मेरे ऊपर हाथ रख कर मेरे बारे में अच्छी बात फ़रमायी तो मैं उठ बैठा। आप आगे बढ़ कर अपने मुसल्ले पर पहुँच कर नमाज़ियों की तरफ़ मुतवज्जह हुये। उस समय आप के साथ मर्दों की दो सफ़ और महिलाओं की एक सफ़, या दो सफ़ महिलाओं की और एक मर्दों की थी। आप ने फ़रमायाः अगर शैतान मुझे मेरी नमाज़ भुलवा दे तो मर्द "सुब्हानल्लाह" कहें और महिलायें ताली बजा कर याद दिलायें। फिर आप ने नमाज़ पढ़ाई और नमाज़ में कुछ न भूले। फिर फ़रमायाः अपने-अपने स्थान पर बैठे रहो। रावी मूसा ने यहाँ इतना और इज़ाफ़ा किया कि फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द सना फ़रमायी और कहाः अम्मा बाद! और मर्दों की तरफ़ तवज्जोह कर के फ़रमायाः क्या तुम में कोई है जो अपनी बीवी के पास जाये और दरवाज़ा बन्द कर ले, उस पर पर्दा डाल दे और अल्लाह के पर्दे से छुप जाये? तमाम लोगों ने कहाः जी हाँ। आप ने फ़रमायाः फिर वह बैठ कर कहने लगता है कि मैंने ऐसे किया ऐसे किया। यह सुन कर सब चुप हो गये। फिर आप महिलाओं की तरफ़ मुतव्वजह हुये और फ़रमायाः क्या तुम में कोई है जो यह बातें बयान करती हो? यह सुन कर सभी चुप-चाप रही। मगर एक नौजवान महिला अपने एक घुटने पर उठी। रावी हदीस मुअम्मल ने बयान किया कि उस का सीना उभरा हुआ था, उस ने नबी करीम सल्लल्लाु अ़लैहि वसल्ल्म की तरफ़ अपनी गर्दन लंबी की ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उसे देख सकें और उस की बात सुन सकें। बोली कि ऐ अल्लाह के रसूल! यह मर्द लोग भी बातें करते हैं और यह महिलायें भी। आप ने फ़रमायाः क्या जानते हो उस की क्या मिसल है? फिर फ़रमायाः उस की मिसाल उस शैतान की महिला सी है जिस गली में कोई शैतान मर्द मिल जाये और वह उस से अपनी हाजत पूरी करे और लोग उस की तरफ़ देख रहे हों। ख़बर्दार! मर्दों की खुश्बू यह है कि उस की खुश्बू ज़ाहिर हो मगर रन्ग ज़ाहिर न हो, और महिलाओं की खुश्बू यह है कि उस का रन्ग ज़ाहिर हो और खुश्बू ज़ाहिर न

हो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यहाँ मुझे हदीस के रावी मूसा और मुअम्मल से यह है कि (आप ने फ़रमाया) "ख़बर्दार! कोई मर्द किसी मर्द के साथ न लेटे, या कोई महिला किसी महिला के पास न लेटे, मगर यह कि बेटा हो या बाप।" और तीसरी बात भी बयान की जो मैं भूल गया और वह मुसद्दद की रिवायत में है, मगर वह मुझे मुकम्मल याद नहीं है।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ईफ़ है, मगर मस्अला अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है।

आज 7 मार्च 2009 जुमेरात एलेक्शन के पोंलिंग के दिन दस बजे मस्जिद अहले हदीस मोरी गेट में यहाँ तक का अनुवाद और तश्रीह संपन्न हुआ।

ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी (फ़लाही)

❀ ❀ ❀

(13) तलाक़ के मसाइल

बाब {बीवी को शैहर के ख़िलाफ़ उभारना हराम है।}

2175:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: वह शख़्स हम में से नहीं है जो किसी महिला को उस के पति के ख़िलाफ़ उभारे, या गुलाम को उसके मालिक के ख़िलाफ़ कर दे।

बाब {जो महिला पति से उस की बीवी को तलाक़ देने का मुतालबा करे।}

2176:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: कोई महिला अपनी (दीनी) बहन की तलाक़ का मुतलबा न करे कि इस तरह उस का प्याला (अपने लिये) खाली करा ले। उसे चाहिये कि निकाह कर ले,उस को वही कुछ मिलेगा जो उस के लिये मुक़द्दर किया गया है।

फ़ाइदा:— पहले से शादी शुदा आदमी से कोई महिला कहे कि तुम अपनी बीवी को तलाक़ देकर मुझ से शादी कर लो, यह बहुत बड़ा पाप है। अगर शादी करनी ही है तो पहली पत्नी की मौजूदगी में उस से कर ले और दूसरी बीवी बन कर रहे।

बाब {तलाक़ एक मक्रुह और नापसन्दीदा काम है।}

2177:— मुहारिब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह पाक ने तलाक़ से बढ़ कर नापसन्दीदा (मक्रुह) किसी चीज़ को हलाल नहीं फ़रमाया।

2178:— मुहारिब इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह के यहाँ हलाल कामों में सब से नापसन्दीदा काम तलाक़ है।

फ़ाइदा:— तलाक़ अगर्चे नापसन्दीदा चीज़ है, लेकिन समाज में इस की हमेशा से ज़रुरत रही है, ताकि घर मज़ीद बर्बाद और ख़राब न हो। यह और बात है कि इसे बहुत सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने स्वँय तलाक़ दी है (हफ़सा रज़ि॰ को) और सहाबा को तलाक़ देने का हुक्म भी दिया है (ज़रुरत पड़ने पर)

बाब {तलाक़ देने का सुन्नत तरीक़ा क्या है?}

2179:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में अपनी पत्नी को तलाक़ दे दी जबकि वह हैज़ की हालत में थी। उमर रज़ि॰ ने उस के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा तो आप ने फ़रमायाः उस को हुक्म दो कि उस से रुजूअ़ कर ले, उस को अपने पास रखे और वह हैज़ से पाक हो जाये, फिर उसे हैज़ आये, फिर पाक हो तो अगर चाहे तो उसे बीवी बनाये रखे या चाहे तो तलाक़ दे दे (मगर) संभोग से पहले। और यही वह अ़िद्दत है जिस के मौक़ा पर अल्लाह पाक ने महिलाओं को तलाक़ देने का हुक्म दिया है।

2180:— इमाम नाफ़े बयान करते हैं कि इब्ने उमर रज़ि॰ ने अपनी पत्नी को एक तलाक़ दे दी जबकि वह हैज़ की हालत में थी.....फिर ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की।

2181:— सालिम, इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी तो उमर रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस का ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमायाः उन्हें हुक्म दो कि रुजूअ़ कर ले, फिर जब पाक हो जाये तो तलाक़ दे, या जब वह हमल से हो।

2182:— सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह अपने पिता (अ़ब्दुल्लाह बिन उमर) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक़ दे दी जबकि वह हैज़ से थी। उमर रज़ि॰ ने इस बात का ज़िक्रनबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से किया तो आप नाराज़ हुये फिर फ़रमायाः उसे हुक्म दे कि वह रुजूअ़ कर ले और उसे रोके रखे यहाँ तक कि वह हैज़ से पाक हो जाये, फिर हैज़ आये और पाक हो जाये। जब अगर चाहे तो उसे तलाक़ दे जबकि वह पाक हो संभोग से पहले। यही वह अ़िद्दत के मौक़े पर तलाक़ है जिस का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है।

2183:— यूनुस बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने इब्ने उमर रज़ि॰ से पूछा था कि आप ने अपनी पत्नी को कितनी तलाक़ें दी थीं? उन्होंने कहाः एक।

2184:— यूनुस बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने इब्ने उमर रज़ि॰ से पूछा कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी, तो उन्होंने कहाः तुम इब्ने उमर को जानते हो? मैंने कहाः हाँ। उन्होंने कहाः इब्ने उमर ने भी अपनी पत्नी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी थी। उमर रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आकर मस्अला मालूम किया तो आप ने फ़रमायाः उसे हुक्म दो कि रुजूअ़ कर ले, फिर अ़िद्दत के शुरु में तलाक़ दे। यूनुस कहते हैं कि मैंने पूछाः क्या यह तलाक़ मानी जायेगी? उन्होंने कहाः तो और क्या? भला अगर वह आ़जिज़ रहे (कि सहीह हुक्म न मालूम कर सके) या हिमाक़त का इज़हार करे (ग़लत तरीक़े से तलाक़ दे दे? तो क्या उस की यह तलाक़ वाहियात मानी जायेगी?)

फ़ाइदा:— हैज़ की हालत में तलाक़ देना सुन्नत के ख़िलाफ़ तो है मगर मानी जायेगी? इस में

इख़्तिलाफ़ है। इमाम इब्ने तौमिया और इन के शार्गिद इब्ने क़य्यिम नहीं मानते हैं, लेकिन जमहूर उलमा उसे एक तलाक़ मानते हैं। इमाम बुख़ारी रह॰ भी एक मानते है (5253) अल्बानी रह॰ भी एक मानते हैं। वाहियात और बातिल नहीं है। उसे एक गिना जायेगा।

2185:— उर्वा के मौला अ़ब्दुरहमान बिन ऐमन ने इब्ने उमर रज़ि॰ से पूछा और अबू जुबैर सुन रहे थे, आप का उस शख़्स के बारे में क्या ख़याल है जिस ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी हो? उन्होंने कहाः अ़ब्दुल्लाह बिन उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में अपनी पत्नी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दीथी तो उमर रज़ि॰ ने जा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मस्अला पूछा कि इब्ने उमर ने अपनी पत्नी को तलाक़ दे दी है हालाँकि वह हैज़ की हालत में थी। तो अ़ब्दुल्लाह ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस पत्नी को मुझ पर लौटा दिया और उसे कुछ न समझा, और फ़रमायाः जब यह पाक हो जाये तो फिर तलाक़ दे या पत्नी को रोक ले।

इब्ने उमर रज़ि॰ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (इस प्रकार) पढ़ाः "या अय्यु-हन्नबिय्यु..........फ़ी कुबुलि इद्दतिहिन्न" (ऐ नब! जब तुम अपनी पत्नियों को तलाक़ देना चाहो तो उन्हें उन की अ़िद्दत के शुरु में तलाक़ दो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस रिवायत को यूनुस बिन जुबैर, अनस बिन सीरिन, सअ़ीद बिन जुबैर ज़ैद बिन अस्लम, अबू जुबैर और मन्सूर ने भी अबू वाइल के वास्ता से इब्ने उमर से रिवायत किया है। और इस सब की रिवायत का मफ़हूम एक ही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इब्ने उमर को हुक्म दिया कि रुजूअ़ कर ले, जब वह हैज़ से पाक हो जाये तो फिर चाहे तो तलाक़ दे दे, या फिर रोक ले।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि ऐसे ही मुहम्मद बिन अ़ब्दुरहमान ने सालिब के वास्ते से इब्ने उमर से रिवायत किया है। लेकिन जुहरी (सालिम के वास्ते हो) और इमाम नाफ़े की रिवायतें जो इब्ने उमर से हैं, उन में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को रुजूअ़ करने का हुक्म दिया यहाँ तक कि पाक हो जाये, फिर हैज़ आये, फिर पाक हो, फिर चाहे तो तलाक़ दे या चाहे तो रख ले।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि खुरासानी से भी हसन के वास्ते से इब्ने उमर से रिवायत है जैसे कि नाफ़े और ज़ोहरी ने रिवायत किया है। और यह सब रिवायतें अबू जुबैर के बयान के ख़िलाफ़ है।

फ़ाइदाः— हैज़ की हालत में दी हुयी तलाक़ सुन्नत के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर कोई दे दे तो पड़ेगी या नहीं? इस में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यिम के नज़दीक़ तलाक़ नहीं पड़ेगी, लेकिन जमहूर के नज़दीक पड़ जायेगी। इमाम बुख़ारी के निकट भी तलाक़ पड़ जायेगी (बुख़ारी-5253) अ़ल्लामा अलबानी का भी कहना है कि तलाक़ पड़ जायेगी।

बाब {आदमी रुजूअ़ करे मगर गवाह न बनाए तो}

2186:— इम्रान बिन हुसैन से रिवायत किया गया है कि एक आदमी अपनी पत्नी को तलाक़ देता

है और फिर उस से संभोग कर लेता है, मगर तलाक़ देने, या रुजूअ़ करने में किसी को गवाह नहीं बनाता। उन्होंने कहाः तुम ने सुन्नत के ख़िलाफ़ तलाक़ दी और सुन्नत के ख़िलाफ़ रुजूअ़ भी किया, और फिर ऐसे न करना।

फ़ाइदा:— अगर तलाक़ या रुजूअ़ ज़बानी है तो गवाह बना लेना मुस्तहब और अफ़ज़ल है, देखें सूरः तलाक़-2)

बाब {गुलाम के तलाक़ देने का सुन्नत के अनुसार तरीक़ा।}

2187:— बनी नौफ़ल के आज़ाद कर्दा गुलाम अबू हसन ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से पूछा कि वह गुलाम जिस के निकाह में लौंडी हो वह उसे दो तलाक़ें दे दे, वह उस (अपनी पहली वाली बीवी, यानी अब आज़ाद लौंडी) को निकाह का पैग़ाम दे? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसी प्रकार फ़ैसला फ़रमाया था।

2188:— अ़ली (बिन मुबारक) ने भी अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है, मगर "हद्‌दसनी" के स्थान पर "अ़न" कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यही फ़ैसला किया था।

इमाम अबू दावूद ने फ़रमाया कि मैं ने इमाम अहमद बिन हंबल को सुना उन्होंने कहाः अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया कि इब्ने मुबारक ने मामर से पूछाः यह अबुल हसन कौन हैं? उस ने बहुत बड़ा भारी पत्थर उठाया है (उस पर भरोसा करने लाइक़ नहीं है) इमाम अबू दावूद ने कहा कि अबुल हसन वही है जिस से इमाम ज़ोहरी रिवायत करते हैं। ज़ोहरी कहते हैं कि यह फ़क़ीहों में से था.....।

2189:— आइशा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लौंडी के लिये दो तलाक़ें हैं और इ़द्दत दो हैज़ है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है।

बाब {निकाह से पहले तलाक़ देना।}

2190:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मालिक बने बिना तलाक़ नहीं, मालिक बने बग़ैर आज़ाद करना नहीं, मालिक बने बग़ैर फ़रोख़्त नहीं।

इब्ने सबाह ने इतना और इज़ाफ़ा किया कि "मालिक बने बग़ैर किसी नज़्र का पूरा करना नहीं।

2191:— अ़ब्दुर्रहमान बिन हारिस ने अ़म्र बिन शुऐब के वास्ता से, अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स की सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है और इतना इज़ाफ़ा किया है कि "जिस ने किसी गुनाह के काम पर क़सम उठाई हो उस की क़सम नहीं, और जिस ने रिश्ता-नाता काटने की क़सम उठाई हो उस की क़सम नहीं।

2192:— अ़ब्दुर्रहमान बिन हारिस ने अ़म्र बिन शुऐब के वास्ता से और वह अपने पिता से और वह अपने दादा के वास्ता से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की रिवायत की है और इतना इज़ाफ़ा किया है "नज़र नहीं सहीह है जिस में अल्लाह की रज़ा तलब की गयी हो।"

बाब {ऐसी हालत में तलाक़ देना जब ग़लती का इमकान हो।}

नोट:— अबू दावूद के बाज़ नुस्ख़ों में "ग़लती" (ग़लतुन) के स्थान पर "गैज़ुन" (गुस्सा) लिखा है। और दोनों ही सहीह है। गुस्से की हालत में तलाक़ देना भी मुराद हो सकता है। इस हालत में क्या हुक्म है?

2193:— मुहम्मद बिन उबैद बिन अबू स्वालेह जो ईलिया (बैतुल मुक़द्दस) के रहने वाले थे, बयान करते हैं कि मैं अ़दी बिन अ़दी कन्दी के साथ रवाना हुआ और मक्का पहुँच गया। उन्होंने मुझे सफ़िय्या बिन्त शैबा के यहाँ भेजा। उस ने आ़इशा रज़ि॰ से (बहुत कुछ) सीखा हुआ था। उस ने कहा: मैंने आ़इशा रज़ि॰ को बयान करतै सुना वह कहती थीं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना आप फ़रमाते थे: इग़लाक़ (गुस्से) में तलाक़ नहीं और न गुलाम को आज़ाद करना है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मेरे ख़याल से "इग़लाक़" गुस्सा और नाराज़गी के माना में है।

फ़ाइदा:— ज़र्बदस्ती और जुनून में तलाक़ दे तो नहीं पड़ेगी, लेकिन गुस्से में दे तो पड़ जायेगी?

बाब {हँसी मज़ाक़ में तलाक़ देना।}

2194:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तीन बातें ऐसी हैं कि अगर कोई उन को सन्जीदगी और हक़ीक़त में कहे तो हक़ीक़त है। और हँसी-मज़ाक़ में कहे तो भी हक़ीक़त है (1) निकाह (2) तलाक़ (3) तलाक़ में रुजूअ़।

फ़ाइदा:— यानी अगर हँसी में तलाक़ दोगे तो भी पड़ जायेगी, इसलिये इस सिलसिले में बड़ी एहतियात की ज़रुरत है।

बाब {तीन तलाक़ के बाद बीवी से रुजूअ़ करना समाप्त है।}

2195:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने सूरः बक़र की आयत न॰ 20 की तफ़सीर में बयान किया कि आदमी जब अपनी बीवी को तलाक़ देता था तो वही उस की तरफ़ रुजूअ़ करने का ज़्यादा हक़दार समझा जाता था, चाहे तीन तलाक़ें ही दे चुका होता। चुनान्चे इस को मन्सूख़ कर दिया गया और फ़रमाया: "तलाक़ दो बार है (जिस में रुजूअ़ है)

फ़ाइदा:— पहले लोग तलाक़ देते और रुजूअ़ करते रहते थे। न तलाक़ों की कोई सीमा थी और न रुजूअ़ की। कुरआन ने इसे सामित कर के दो तलाक़ कर दिया कि तीसरी के बाद रुजूअ़ भी समाप्त।

2196:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि अ़ब्दे यज़ीद.....जो रुकाना और उन के भाइयों के

पिता थे..... उन्होंने उम्मे रुकाना को तलाक़ दे दी और क़बीला मुज़ैना की एक महिला से निकाह कर लिया। फिर यह महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयी और कहाः यह तो मेरे किसी काम का नहीं जैसे यह बाल, और उस ने अपने सर से बाल पकड़ कर इशारा किया (यानी नामर्द है) इसलिये आप मेरे और उन के दर्मियान जुदाई करा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हुये और रुकाना और उन के भाइयों को बुलवाया और मौजूद लोगों से कहाः क्या देखते हो कि फ़लाँ बच्चा उस से कितना मुशाबह है", यानी अ़ब्दे यज़ीद के साथ "और फ़लाँ उस से कितना मशाबह है" सब ने कहा कि जी हाँ, (यानी जब पहले से उस की औलाद मौजूद है तो वह नार्मद कैसे हो सकता है और महिला का दावा कैसे सहीह है) चुनान्चे आप ने अ़ब्दे यज़ीद से फ़रमायाः उस को तलाक़ दे दो। चुनान्चे उन्होंने तलाक़ दे दी और फ़रमायाः अपनी पहली पत्नी से जो रुकाना और उस के भाइयों की माँ है रुजूअ़ कर लो। इस पर उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैंने ते उसे तीन तलाक़ दी है। आप ने फ़रमायाः मुझे मालूम है। उस से रुजूअ़ कर लो, और यह आयत तिलावत फ़रमायीः

"ऐ नबी! जब तुम महिलाओं को तलाक़ देना चाहो तो अ़िद्दत के समय तलाक़ दिया करो।" (सूरः तलाक़-1)

इमाम अबू दावूद ने फ़रमाया कि नाफ़े बिन उजैर और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ली बिन यज़ीद बिन रुकाना की रिवायत है कि रुकाना ने अपनी पत्नी को तलाक़ बत्ता दी थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन की बीवी को उन पर लौटा दिया था। यह रिवायत ज़्यादा सहीह है, क्योंकि यह उस आदमी की औलाद हैं और घर वाले उस के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, यानी एक बना दिया।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। बत्ता तलाक़ उसे कहते हैं जिस में रुजूअ़ का हक़ कट जाये, रुजूअ़ का हक़ बाक़ी न रहे। उस ज़माना में एक साथ तीन तलाक़ देने के माना में बत्ता का शब्द प्रयोग होता था। तो तीन एक माना गया तो बत्ता को भी एक माना और रुजूअ़ का हुक्म दिया। आजकल तलाक़ बत्ता उस माना में इस्तेमाल होता है जिस में रुजूअ़ की गुन्जाइश ही न हो।

2197:— मुजाहिद कहते हैं कि मैं इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के पास बैठा था कि एक शख़्स उन के पास आया और कहने लगाः मैंने अपनी पत्नी को तीन तलाक़ें दे दी है। यह सुन कर वह चुप रहे तो मुझे शुब्हा हुआ कि वह उस महिला को उस पर वापस कर देंगे (यानी रुजूअ करने का फ़तवा देंगे) फिर बोलेः तुम में का एक उठता है और बेकूफ़ी कर बैठता है, फिर कहता हैः इब्ने अ़ब्बास! इब्ने अ़ब्बास! अल्लाह पाक ने फ़रमा दिया हैः " जो अल्लाह से डरता है तो वह उस के लिये निकलने की राह भी पैदा कर देता है" (सूरः तलाक़-2) तू ने अल्लाह का तक़्वा नहीं इख़्तियार किया इसलिये मैं तेरे लिये कोई राह नहीं पाता। तू ने अपने रब की अवज्ञा की और पत्नी तुझ से जुदा हो गयी। अल्लाह पाक फ़रमाता हैः "ऐ नबी! जब तुम औ़रतों को तलाक़ देना चाहो तो उन्हें उन की अ़िद्दत के शुरु में तलाक़ दो।" (सूरः तलाक़)

अबू दावूद ने कहा कि यह रिवायत सात सनदों से है और सब में है कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰

ने तीन तलाक़ को लागू किया और कहा कि महिला तुझ से जुदा हो गयी......।

2198:— इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ि॰ का यह फतवा बदल गया था जैसे कि हमें अहमद बिन स्वालेह और मुहम्मद बिन यहया ने बयान किया.......और यह रिवायत अहमद बिन स्वालेह की है...........। दूसरी सनद से रिवायत है कि इब्ने अब्बास, अबू हुरैरा और अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अनस रज़ि॰ से सवाल किया गया कि अगर कुँवारी को उस के शौहर ने (संभोग से पहले) तीन तलाक़ दे दी तो? सब ने कहा कि यह शौहर के लिये हलाल नहीं यहाँ तक कि किसी और से निकाह करे।

इमाम अबू दावूद रह॰ कहते हैं कि इब्ने अब्बास रज़ि॰ का यह कहना कि महिला तीन तलाक़ से अपने शौहर से जुदा हो गयी, चाहे शौहर ने उस से संभोग किया हो या न किया हो वह उस के लिये हलाल नहीं होगी जब तक कि किसी और से निकाह न कर ले। उन का यह फ़त्वा ऐसे ही है जैसे कि उन्होंने सोने-चाँदी के लेन-देन के बारे में फ़त्वा दिया था, फिर उस से रुजूअ़ कर लिया था।

फ़ाइदा:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ "सरफ़ की तिजारत" में एक दिंहम के बदले दो दिंहम और एक दीनार के बदले दो दीनार लेना देना (नक़द में) जाइज़ समझते थे, बाद में इस से रुजूअ़ कर लिया। इसी प्रकार तीन तलाक़ में भी उन के दो क़ौल हैं, लेकिन सहीह क़ौल उन का यह है कि तीन तलाक़ के लफ़्ज़ से एक ही तलाक़ पड़ती है। जमहूर उलमा इसी के क़ाइल हैं कि एक मज्लिस की तीन तलाक़ एक ही मानी जायेगी।

2199:— इमाम ताऊस ने बयान किया कि अबू सहबा का नाम का एक शख़्स इब्ने अब्बास रज़ि॰ से बहुत अधिक प्रश्न किया करता था, उस ने कहा: क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि जब कोई पति अपनी पत्नी से संभोग से पहले तीन तलाक़ दे देता था तो ऐसी तलाक़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, अबू बक्र, और उमर रज़ि॰ के ख़िलाफ़त के शरु के ज़माना में एक ही माना करते थे? इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने कहा कि हाँ। जब कोई अपनी पत्नी को संभोग से पहले तीन तलाक़ें देता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अबू बक्र और उमर के ख़िलाफ़त के शुरु में ज़माना में उस को एक ही मानते थे। फिर उमर ने जब देखा कि लोग लगातार तलाक़ें देने लगे हैं तो उन्होंने कहा: उन्हें उन पर लागू कर दो।

फ़ाइदा:— इस हदीस में "संभोग से पहले" का शब्द सहीह नहीं है। मुस्लिम की रिवायत में साफ़ है जिस में संभोग करने से पहले तलाक़ का ज़िक्र नहीं है। (मुस्लिम-1472) उमर रज़ि॰ ने तीन को तीन लागू किया था इस्लाह के लिये फिर बाद में रुजूअ़ भी कर लिया था। बहर हाल एक मज्लिस की तीन तलाक़ एक मानी जायेगी, चाहे पत्नी कुँवारी हो या उस से संभोग किया हो।

2200:— इब्ने ताऊस अपने पिता जी से रिवायत करते हैं कि अबू सहबा ने इब्ने अब्बास रज़ि॰ से कहा: क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में, अबू बक्र के ज़माना में और उमर के ख़िलाफ़त के शुरु के तीन सालों में तीन तलाक़ों को एक माना जाता

था? इब्ने अ़ब्बास ने कहाः हाँ।

फ़ाइदा:— उम्मत के लिये हुज्जत और दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का ज़माना है। आप के ज़माना में तीन, एक मानी जाती थी, इसलिये आज भी इसी पर अ़मल होगा।

बाब {ऐसे कलिमे जिन से तलाक़ का भी मफ़हूम लिया जा सके, और निय्यतों की अहमियत।}

2201:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आमाल का दारो मदार निय्यतों पर है। इन्सान के लिये वही है जो उस ने निय्यत की हो। तो जिस ने हिजरत की अल्लाह और उस के रसूल की तरफ़ तो उस की हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ है। और जिस ने दुनिया हासिल करने के लिये हिजरत की, या किसी महिला के लिये हिजरत की ताकि उस से शादी कर ले तो उस की हिजरत उसी तरफ़ है जिस की तरफ़ उस ने हिजरत की है।

2002:— अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब अपने पिता कअ़ब बिन मालिक को (उन का हाथ पकड़ कर) रास्ता बताते थे जबकि वह नेत्रहीन (नाबीना) हो गये थे, वह कहते हैं कि मैंने कअ़ब बिन मालिक से तबूक वाला क़िस्सा सुना। उन्होंने बयान किया कि जब पचास में से चालीस दिन बीत गए तो अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का हरकारा आया और कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तुम्हें हुक्म देते हैं कि अपनी पत्नी से भी अलग हो जाओ। मैंने पूछाः क्या उसे तलाक़ दे दूँ या क्या करुँ? अपनी पत्नी से कहा कि अपने घर वालों के पास चली जाओ और उन्हीं केपास रहो, यहाँ तक कि अल्लाह पाक इस मामले में कोई फ़ैसला फ़रमा दे।

फ़ाइदा:— "अपने घर वालों के पास चली जाओ", अगर इस से निय्यत लाक़ की है तो पड़ जायेगी वर्ना नहीं। तबूक की घटना की जानकारी के लिये देखें। (सूरः तौबह-118)

बाब {बीवी को इख़्तियार देने का मस्अला।}

2203:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम को इख़्तियार दिया तो हम ने आप ही को इख़्तियार किया था, चुनान्चे उस को कुछ भी न शुमार किया गया।

फ़ाइदा:— पति अपनी पत्नी से कहे "मुझे चुन लो या अपने आप को" फिर पत्नी ने अपने आप को चुना तो तलाक़ पड़ जायेगी। और अगर पति को चुनेगी तो नहीं।

बाब {पति अगर यूँ कहे : तेरा मामला तेरे हाथों में है तो?}

2204:— हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया कि मैंने अय्यूब से पूछाः आप को किसी के बारे में जानकारी है जो "तेरा मामला तेरे हाथ में है" की तफ़सील में हसन बसरी की तरह कहता हो? (उन का बयान अगली रिवायत में आ रहा है) अय्यूब ने कहाः मगर वही हम को क़तादा ने - कसीर - अबू सलमा - अबू हुरैरा - नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस की तरह बयान किया। अय्यूब ने कहा कि फिर कसीर मौला इब्ने समुरा हमारे पास आये तो मैंने उन से (उस रिवायत के

बारे में) पूछा तो उन्होंने कहा: "मैंने यह कभी बयान नहीं किया" फिर मैंने उन की यह बात क़तादा से कही कि बयान तो किया है और भूल गये हैं।

2205:— इमाम क़तादा.......हसन बसरी रह॰ से रिवायत करते हैं कि "तेरा मामला तेरे हाथ में है" यह तीन तलाक़ें होती हैं।

फ़ाइदा:— यह ताबअ़ी का क़ौल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़र्मान नहीं है। फिर यह कि ऊपर की दोनों हदीसें ज़अ़ीफ़ हैं। अगर शौहर ने उस जुमले से तलाक़ की निय्यत की है तो तलाक़ पड़ेगी मगर एक तलाक़।

बाब {तलाक़ बत्ता का बयान।}

2206:— नाफ़े बिन उजैर अ़ब्दे यज़ीद बिन रुकाना से रिवायत है कि रुकाना बिन अ़ब्दे यज़ीद ने अपनी पत्नी सुहैमा को बत्ता तलाक़ दे दी, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बताया और कहा: अल्लाह की क़सम! मैंने केवल एक ही का इरादा किया था। इस पर आप ने उन की बीवी को उन पर लौटा दिया। फिर उन्होंने दूसरी तलाक़ उमर रज़ि॰ के ज़माना में और तीसरी तलाक़ उस्मांन रज़ि॰ के ख़िलाफ़त के ज़माना में दी।

फ़ाइदा:— 'बत्ता' का अर्थ है काटना। तलाक़ देने वाला कहे कि मैं तुझे "तलाक़ बत्ता" देता हूँ। यानी ऐसी तलाक़ जिस में रुजूअ़ नहीं और अपना तअ़ल्लुक़ पूरी तरह से काटता हूँ, और उस की निय्यत तीन तलाक़ हो।

2207:— मुहम्मद बिन यूनुस नसई अपनी सनद से नाफ़े से, वह रुकाना बिन अब्दे यज़ीद से वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यही हदीस बयान करते हैं।

2208:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ली बिन यज़ीद बिन रुकाना अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी से बत्ता तलाक़ दे डाली, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये तोआप ने उन से पूछा: तुम ने क्या निय्यत की थी? उन्होंने कहा: एक तलाक़ की। आप ने पूछा: अल्लाह की क़सम खा कर कहते हो? कहा कि अल्लाह की क़सम खा कर कहता हूँ। आप ने फ़रमाया: यह वही है जो तुम ने इरादा किया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह रिवायत, इब्ने जुरैज की रिवायत (न॰ 2196) से ज़्यादा सहीह है कि रुकाना ने अपनी पत्नी को तीन तलाक़ दी थी, क्योंकि यह लोग उन के घर वाले हैं और यह उन के बारे में बेहतर जानते हैं। और इब्ने जुरैज की रिवायत अबू राफ़े के किसी बेटे ने इक्रमा से और उस ने इब्ने अ़ब्बास से रिवायत की है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़अ़ीफ़ है, इस का अर्थ सहीह नहीं है।

बाब {दिल में तलाक़ का ख़याल आये तो?}

2209:— अबू हुरैरा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप ने फ़रमाया: अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत से वह माफ़ कर दिये हैं जिन के बारे में उन्होंने किसी से

बात-चीत न की हो, या अ़मल न किया हो, और वह जिस केबारे में सिर्फ़ दिल में ख़याल आया हो।

फ़ाइदा:— दिल में तलाक़ देने का ख़याल आया, या दिल ही दिल में दिया, मगर ज़बान में कुछ न बोला तो तलाक़ नहीं मानी जायेगी। लेकिन अपने दिल के ख़याल को (तलाक़ को) तहरीर में नक़ल कर दिया तो तलाक़ पड़ जायेगी, क्योंकि हाथ से लिखना अ़मल है।

बाब {शौहर अपनी पत्नी को बहन कह दे तो?}

2210:— अबू तमीमा हुजैमी से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहाः ऐ बहन! इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या यह तेरी बहन है? और आप ने उस के इस प्रकार कहने को बुरा जाना और ऐसा करने से मना कर दिया।

2211:— अबू तमीमा ने अपनी क़ौम के एक व्यक्ति से रिवायत किया कि उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक व्यक्ति को सुना कि वह अपनी पत्नी को कह रहा हैः ऐ बहन! तो आपने उस को इस प्रकार कहने से मना फ़रमा दिया।

2212:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इब्राहीम अ़लै॰ ने कभी झूठ नहीं बोला मगर तीन बार। दो बार अल्लाह के बारे में,जबकि आप ने क़ौम वालों से कहा था " मैं बीमर हूँ, या मेरी तबीअ़त ख़राब है" दूसरी बार आप ने कहा थाः "यह तो उन के इस बड़े ने किया है" और तीसरी बार जबकि वह एक ज़ालिम बादशाह के क्षेत्र में जा रहे थे कि एक स्थान पर पड़ाव किया तो उस ज़ालिम बादशाह को ख़बर की गयी और कहा गया कि यहाँ एक शख़्स उतरा है और उस के साथ एक महिला है जो बड़ी सुन्दर है तो उस ने इब्राहीम को बुला भेजा और महिला के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः यह मेरी बहन है। और जब वह अपनी पत्नी के पास लौटे तो उन से बताया कि उस बादशाह ने मुझे से तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं ने बता दिया है कि वह मेरी बहन है। और हक़ीक़त यह है कि आज तुम्हारे और मेरे अ़लावा कोई मुसलमान नहीं है, और अल्लाह की किताब में तुम मेरी बहन हो तो मुझे उस के पास मत झुठलाना........और पूरी हदीस।

फ़ाइदा:— पत्नी को प्रेम भावना से बहन कहना कसी प्रकार दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर कहीं मजबूरी आ जाये तो तौरिया के तौर पर जाइज़ है, जैसा कि इब्राहीम अ़लै॰ ने अपनी पत्नी को कहा। इब्राहीम अ़लै॰ के झूठ का नाम "तौरिया" है। यानी ज़ाहिर में कुछ अर्थ हो और बातिन में कुछ। समझने वाला समझ जाये कि इब्राहीम बीमार है और इब्राहीम यह समझें कि दिमाग़ी टेन्शन है। बादशाह यह समझे कि बहन है और इब्राहीम की नियत यह हो कि इस्लामी और दीनी बहन है।

बाब {ज़िहार के मसाइल का बयान।}

2213:— सलमा बिन सख़र बयाज़ी ने बयान किया कि मैं महिलाओं के पास इतना जाता था कि

उतना कोई नहीं जाता था (यानी अधिक लालसा वाले थे) फिर जब रमज़ान का महीना आया तो मुझे अन्देशा हुआ कि कहीं पत्नी के साथ संभोग न कर बैठूँ और सुब्ह तक अलग ही न हो सकूँ। इसलिये मैंने उस से ज़िहार कर लिया ताकि रमज़ान गुज़र जाये। एक मर्तबा रात में वह मेरी सेवा कर रही थी कि उस के शरीर का कुछ हिस्सा मैंने देख लिया तो सब्र और बर्दाशत न कर सका और उस से संभोग कर लिया। जब सुब्ह हुयी तो अपनी क़ौम के पास गया और पूरी कहानी सुनाई और कहा कि मेरे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास चलो। उन्होंने कहाः नहीं, अल्लाह कीक़सम! (हम नहीं जाते) तो मैं खुद ही नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ और बताया। आप ने कहाः सलमा! अरे तुम ने? मैंने कहाः हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने.,......इस प्रकार दो बारा कहा और मैं अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हूँ, मेरे बारे में जो अल्लाह आप को बताये उस के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमा दीजिये। आप ने फ़रमायाः एक गर्दन आज़ाद करो। मैंने कहाः अल्लाह की क़सम! जिस ने आप को हक़ के साथ नबी बना कर भेजा है, मैं तो बस इसी गर्दन का मालिक हूँ और मैंने अपनी गर्दन के एक तरफ़ हाथ मारा। आप ने फ़रमायाः तो फिर दो माह लगातार रोज़े रखो। मैंने कहाः यह जो कुछ मेरे साथ हुआ है रोज़ों ही की वजह से तो हुआ है। आप ने फ़रमायाः तो फिर एक वसक़ (साठ साअ़ा) खजूर साठ फ़क़ीरों में तक़सीम कर दो। मैंने कहाः उस ज़ात की क़सम जिस ने आप को हक़ के साथ नबी बना कर भेजा है, हम ने तो भूखे पेट रात गुज़ारी है, हमारे पास खाने को कुछ न था। आप ने फ़रमायाः तो फिर बनी जुरैक़ के सदक़ा करेन वाले के पास चले जाओ वह तुम्हें कुछ दे देगा, तो उस में से एक वसक़ खजूर साठ फ़क़ीरों को खिला देना और बाक़ी तुम और तुम्हारे घर वाले खा लेंगे। चुनान्चे मैं अपनी क़ौम के पास वापस आया और उन्हें कहा कि मैंने तुम्हारे पास तन्गी और बुरा मश्वरा पाया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास कुशादगी और अच्छा मश्वरा मिला। आप ने मुझे तुम्हारे सदक़े लेने का हुक्म फ़रमाया है।

2214:– खुवैला बिन्त मालिक बिन्त सालबा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मेरे पति औस बिन सामित ने मुझ से ज़िहार कर लिया, तो मैं इस की शिकायत लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस मस्अले में मुझ से बहस फ़रमाने लगे। और कहते थेः अल्लाह से डरो, वह तुम्हारा चचा जाये भाई है। मैं आप के पास से नहीं हटी थी कि कुरआन पाक नाज़िल हो गयाः "क़द समि–अ़ल्लाहु........" (सूर मुजादिला) आप ने फ़रमायाः औस गर्दन आज़ाद करे। मैंने कहाः उस के पास नहीं है। आप ने फ़रमायाः वह दो माह लगातार (बिला नाग़ा) रोज़े रखे। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! वह बहुत बूढ़े हो चुके हैं, रोज़े कहाँ रख सकते हैं। फ़रमायाः तो फिर साठ फ़क़ीरों को खाना खिलाए। मैंने कहाः उस के पास सदक़ा करेन के लिये कुछ नहीं है। ख़ौला ने बयान किया कि उसी समय आप के पास खजूर को एक टोकरा आ गया, तो मैंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैं एक और टोकरे से उस की मदद कर सकती हूँ। आप ने फ़रमायाः ठीक है, जाओ और उस की तरफ़ से यह साठ फ़क़ीरों को खिला दो और अपने चचा जाये भाई (औस) की तरफ़ लौट जाओ।

(यहया बिन आदम ने) कहा कि टोकरे में साठ साअ़ा खजूर आती है। अबू दावूद ने इस रिवायत में कहा कि उस महिला ने अपने पति की तरफ़ से उस के मश्वरे के बग़ैर ही कफ़्फ़ारा अदा कर दिया था। और कहा कि यह (औस बिन सामित) उबादा बिन सामित रज़ि॰ के भाई है।

फ़ाइदा:— पत्नी अपने पति को जोग़रीब हो, सदक़ा और ज़कात दे सकती है, लेकिन पति, पत्नी को नहीं दे सकता (ज़िहार के बारे में विस्तार से जानकारी के लिये सूरः मुजादिला, पारः 28 देखें)

2215:— इब्ने इस्हाक़ से इसी सनद से ऊपर की रिवायत की तरह रिवायत किया मगर कहा कि "अ-रक़" में तीस साअ़ा खजूर आती है।

फ़ाइदा:— सच्ची बात यह है कि ना 60 साअ़ा सहीह है और ना तीस साअ़ा, बल्कि 15 साअ़ा सहीह है जैसा कि हदीस न॰ 2393 में है।

2216:— अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने कहा कि "अ़-रक़" से मुराद ऐसा टोकरा होता है जिस में 15 साअ़ा खजूर आती है।

2217:— सुलैमान बिन यसार ने यह ख़बर बयान की और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास खजूर लायी गयी तो आप ने उन्हें दे दी जो 15 साअ़ा के निकट थी और फ़रमायाः उसे सदक़ा कर दो। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या अपने और अपने घर वालों से ज़्यादा फ़क़ीर लोगों पर सदक़ा करुँ? आप ने फ़रमायाः तुम खा लो और तुम्हारे घर वाले भी खा लें।

2218:— इमाम अ़ता, उबादा बिन सामित के भाई औस बिन सामित से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को 15 साअ़ा जौ दिया था, यानी साठ फ़क़ीरों का खाना।

फ़ाइदा:— यह हदीस सहीह नहीं है बल्कि मुनक़ति है।

2219:— हिशाम बिन उर्वा से रिवायत है कि जमीला नाम की महिला औस बिन सामित के निकाह में थीं। और उन में मदार्ना ख़ाहिश बहुत अधिक थी। जब उन पर ख़ाहिश का ग़लबा होता तो अपनी पत्नी से ज़िहार कर लिया करते, तोअल्लाह पाक ने इस मामले में ज़िहार के कफ़्फ़ारा का आदेश नाज़िल फ़रमाया।

फ़ाइदा:— जमीला और ख़ौला, या दो महिला के दो नाम थे। या उन की सुन्द्रता की वजह से उन का उपनाम जमीला (सुन्दर) पड़ गया हो।

2220:— हम्माद बिन सलमा ने हिशाम बिन उर्वा से, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने भी आ़इशा रज़ि॰ से उसी प्रकार रिवायत किया है।

2221:— (इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ के आज़ाद कर्दा गुलाम) इक्रमा से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से ज़िहार कर लिया, फिर क़फ़्फ़ारा अदा करने से पहले उस से संभोग भी कर लिया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और घटना को बयान किया तो आप

ने पूछाः तुम ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहाः मैंने चाँदनी रात में उस की पिंडलियों की सफ़ेदी देख ली थी।आप ने फ़रमायाः अब उस से दूर रहना जब तक कि कफ्फ़ारा न दे ले।

2222:— इकरमा रह॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने अपनी पत्नी से ज़िहार कर लिया, फिर चाँद की चाँदनी में उस की पिंडली की सफ़ेदी देखी तो उस से संभोग कर बैठा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया तो उस को कफ़्फ़ारा अदा करने का हुक्म दिया।

2223:— इकरमा रह॰ इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से, और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की, मगर इस रिवायत में (इस्माअ़ील रावी ने) "पिंडली" का ज़िक्र नही किया।

2224:— इकरमा रह॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते हैं जैसा कि सुफ़यान बिन उयैना की रिवायत में ज़िक्र हुआ है (यानी 2221, 2222 में)

2225:— इमाम अबू दावूद कहते हैं कि मैंने मुहम्मद बिन अ़ीसा को यह रिवायत बयान करते सुना। वह इसे मोतमर हकम बिन इबान से रिवायत करते थे और इस में इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ का ज़िक्र नहीं किया (बल्कि इकरमा से रिवायत की है, यानी सनद मुंसल है)

फ़ाइदा:— ज़िहार करने केबाद कफ्फ़ारा देने से पहले हम बिस्तरी करना नाजाइज़ है। लेकिन अगर कोई कर बैठे तो गुनहगार होगा और अलग से इस का कफ़्फ़ारा नहीं होगा। हाँ, अल्लाह के हुक्म की मुख़ालिफ़त करने वाला होगा। किसी में 15 साअ़ा का ज़िक्र है और किसी में 60 साअ़ा का। इन दोनों पर अ़मल यूँ होगा कि ज़िहार करने वाला ग़रीब है तो 15 साअ़ा, और मालदार है तो 60 साअ़ा फ़क़ीरों को खिलाये।

बाब {खुला के मसाइल का बयान।}

2226:— सौबान रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो महिला बिला किसी कारण के अपने पति से तलाक़ माँगती है उस पर जन्नत की खुश्बू हराम है।

फ़ाइदा:— खुला में मुतालबा पत्नी की तरफ़ से होता है। इस की अ़िद्दत एक हैज़ है क्योंकि यह फ़स्ख़ निकाह है।

2227:— अमरा बिन्त अ़ब्दुर्रहमान, हबीबा बिन्त सहल रज़ि॰ के बारे में बयान करती हैं कि यह साबित बिन क़ैस के निकाह मेंथीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फज्र की नमाज़ के लिये जाने लगे तो आप ने हबीबा बिन्त सहल को अँधेरे में अपने दरवाज़े के पास खड़े पाया। आप ने पूछाः क्या बात है? कहने लगीः मैं नहीं और साबित बिन क़ैस नहीं- यानी अपने पति के बारे में कहा (यानी हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते) फिर जब साबित बिन क़ैस आये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से कहाः हबीबा बिन्त सहल आयी थीं और अल्लाह पाक को

जो मन्ज़ूर था उन्होंने मुझ से बयान किया। हबीबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! जो कुछ उन्होंने मुझे दिया है वह सब मेरे पास है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने साबित बिन क़ैस से फ़रमायाः इस से वसूल कर लो। चुनान्चे उन्होंने माल ले लिया और फिर वह अपने घर वालों के यहाँ बैठ गई।

2228:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि हबीबा बिन्त सहल, साबित बिन क़ैस बिन शिमास के निकाह में थी, साबित ने (किसी बात पर) उन को मारा और उन की हड्डी तोड़ दी। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास फ़ज्र की नमाज़ के बाद आयीं और अपने पति की शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने साबित को बुला कर फ़रमायाः इन से कुछ माल ले लो और अलग कर दो। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! क्या यह सहीह है? आप ने फ़रमायाः हाँ। उन्होंने कहाः मैंने उन्हें महर में दो बाग़ दिये हैं जो उन्हीं के क़ब्ज़े में हैं। आप ने फ़रमायाः वह दोनों ले लोऔर उन्हें अलग कर दो। चुनान्चे उन्होंने ऐसा ही किया।

2229:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ का बयान है कि साबित बिन क़ैस की पत्नी ने उन से खुला लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन की अ़िद्दत एक हैज़ मुक़र्रर फ़रमायी थी।

2230:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि खुला वाली महिला की अ़िद्दत एक हैज़ है।

बाब {लौंडी जिये आज़ाद कर दिया जाये, जबकि वह किसी आज़ाद या गुलाम के निकाह में हो।}

2231:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि मुग़ीस गुलाम थे, वह कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल! आप मेरे बारे में सिफ़ारिश फ़रमा दीजिये। आप ने फ़रमायाः ऐ बरीरा अल्लाह से डरो, वह तुम्हारा पति है और तुम्हारे बच्चे का बाप भी है। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप मुझे हुक्म देते हैं? आप ने फ़रमायाः नहीं, मैं केवल सिफ़ारिश करता हूँ। उधर मुग़ीस के आँसू उन के बालों पर बहते थे। (और वह रोते फिरते थे) इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ब्बास रज़ि॰ से फ़रमायाः कितने तअ़ज्जुब की बात है कि मुग़ीस को बरीरा से कितनी मुहब्बत है और बरीरा को उन से कितनी नफ़रत है।

2232:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि बरीरा के पति काले रन्ग के गुलाम थे जिन का नाम मुग़ीस था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बरीरा को इख़्तियार दे दिया था (कि चाहे तो अपने पति के निकाह में रहे, या उन से आज़ाद होजाये) और उन्हेंहुक्म दिया था कि अ़िद्दत गुज़ारे।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि पति-पत्नी दोनों गुलाम और लौंडी हों, और पत्नी को पहले आज़ादी मिल जाये तो उसे अपने पति के साथ रहने या न रहने का इख़्तियार है। लेकिन अगर पति को पहले आज़ादी मिलजाये तो पत्नी को इख़्तियार नहीं। चूँकि वह आज़ाद थी इसलिये तीन हैज़ गुज़ारने का हुक्म दिया गया।

2233:— आइशा रज़ि० बरीरा के बारे में बयान करती हैं कि उन के पति गुलाम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बरीरा को (उन के आज़ाद हो जाने के बाद) इख़्तियार दे दिया तो उन्होंने अपने आप को इख़्तियार किया। अगर पति आज़ाद होता तो उन को इख़्तियार न देते (कि शौहर के साथ रहो या न रहो)

2234:— आइशा रज़ि० से रिवायत है कि बरीरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इख़्तियार दे दिया था, जबकि उन के पति गुलामथे।

बाब {उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि मुग़ीस आज़ाद थे।}

2235:— असवद बिन यज़ीद आइशा रज़ि० से बयान करते हैं कि बरीरा रज़ि० को जब आज़ाद किया गया तो कहने लगीं: मैं इस के साथ रहना पसन्द नहीं करती चाहे मुझे इतना-इतना (यानी ढेर सारा) माल भी क्यों न दे दिया जाये।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। मुग़ीस गुलाम थे। (बुख़ारी-5282)

बाब {आज़ाद की जाने वाली लौंडी को अपने गुलाम पति से किस समय तक इख़्तियार हासिल है?}

2236:— आइश रज़ि० से रिवायत है कि बरीरा को आज़ाद किया गया तो वह उस समय मुग़ीस के निकाह में थीं। वह अबू अहमद के खान्दान के गुलाम थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को इख़्तियार दे दिया और फ़रमाया: अगर तुम से क़रीब हो गया तो तुम्हारा इख़्तियार बाक़ी नहीं रहेगा।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है इसलिये इस हदीस से जो मस्अला साबित होता है उस पर अ़मल नहीं होगा।

बाब {गुलाम पति-पत्नी को इकट्ठे ही आज़ाद किया जाये तो क्या पत्नी को इख़्तियार होगा?}

2237:— आइशा रज़ि० से रिवायत है कि उन्होंने अपने लौंडी-गुलाम को आज़ाद करने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो आप ने फ़रमाया: महिला से पहले मर्द को आज़ाद करना।

बाब {शौहर-बीवी से जब कोई एक मुसलमान हो जाये तो?}

2238:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक व्यक्ति मुसलमान होकर आया। फिर इस के बाद उस की बीवी मुसलमान होकर आ गयी तो उस शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!यह महिला भी मेरे साथ मुसलमान हुयी है, तो आप ने उस महिला को उस की पति के तरफ़ लौटा दिया।

फ़ाइदा:— कुफ़्र और शिर्क के जमाने में निकाह, इस्लाम लाने के बाद भी सहीह समझे जाते हैं, इसलिये ईमान लाने केबाद पुनः निकाह पढ़ाने की कोई ज़रुरत नहीं।

2239:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में एक महिला मुसलमान हो गयी और फिर निकाह कर लिया। इस के बाद उस का पति भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ गया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं भी मुसलमान हो चुका था और उसे मेरे इस्लाम लाने का ज्ञान भी था। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस महिला को दूसरे शौहर से छीन कर (यानी उस का निकाह फ़स्ख़ करा के) पहले पति की तरफ़ लौटा दिया।

फ़ाइदा:— मस्अला सहीह है। अगर शौहर अ़िद्दत के दर्मियान ईमान लाये तो उसी के निकाह में रहेगी।

बाब **{कितने समय बाद तक बीवी को शौहरपर लौटाया जा सकता है, जबकि उस ने पत्नी के बाद इस्लाम स्वीकार किया हो?}**

2240:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपनी बेटी ज़ैनब को (उन के पति) अबुल आ़स पर पहले निकाह ही से लौटा दिया था और कोई नया निकाह न किया था।

मुहम्मद बिन अ़म्र ने अपनी रिवायत में कहा कि आप ने छः वर्ष के बाद (ज़ैनब को उन के पति के साथ) लौटाया था। हसन बिन अ़ली ने कहा कि दो वर्ष बाद।

बाब **{अगर किसी के इस्लाम कुबूल करने के समय उस के निकाह में चार से अधिक बीवियाँ हों, या दो सगी बहनें एक साथ हों तो?}**

2241:— हारिस बिन क़ैस बिन उमैरा असदी ने बयान किया कि जब मैं ने इस्लाम कूबुल किया तो मेरे निकाह में आठ महिलायें थीं। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से इस का ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमाया: उन में से चार को चुन लो।

2242:— अहमद बिन इब्राहीम–बक्र–अ़ीस–इब्ने अबी लैला–हुमैज़ा ने क़ैस बिन हारिस रज़ि॰ से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है।

2243:— फ़ीरोज़ दैलमी रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने इस्लाम कुबूल किया है और मेरे निकाह में दो बहनें हैं। आप ने फ़रमाया: उन में से किसी एक को तलाक़ दे दो।

बाब **{माता–पिता में से कोई एक मुसलमान हो जाये तो बच्चा किस के साथ रहेगा?}**

2244:— राफ़े बिन सनान रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने इस्लाम कुबूल कर लिया मगर मेरी पत्नी ने कुबूल करने से इन्कार कर दिया (जिस की वजह से हम दोनों के दर्मियान जुदाई हो गयी) तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयी और कहा: मेरी बेटी ने अभी–अभी दूध छोड़ा है, या छोड़ने के क़रीब है। राफ़े ने कहा कि वह मेरी बेटी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने राफ़े से कहा: एक तरफ़ को बैठ जाओ और महिला से कहा: तुम दूसरी तरफ़ बैठ

जाओ। और बच्ची को उन दोनों के दर्मियान बैठा दिया, फिर माता-पिता दोनों से कहाः तुम दोनों उसे बुलाओ (उन्होंने बुलाया) तो बच्ची अपनी माँ की तरफ़ झुक गयी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कहाः ऐ अल्लाह! इस बच्ची को हिदायत दे। चुनान्चे बच्ची, बाप की तरफ़ झुक गयी तो उन्होंने उस को ले लिया।

फ़ाइदा:— उलमा का कहना है कि बच्चा सात वर्ष तक और बच्ची नौ वर्ष तक माँ के पास रहेगी, फिर बाप के हवाले किया जायेगा। (ज़ादुल मआ़द)

बाब {लिआ़न के मसाइल का बयान।}

2245:— सहल बिन सअ़द साअ़दी रज़ि॰ से रिवायत है कि उवैमर अ़जलानी रज़ि॰, आ़सिम बिन अदी के पास आये और कहाः ऐ आ़सिम! बतलाओ, अगर कोई आदमी किसी अजनबी को अपनी पत्नी के साथ पाये तो क्या उस की हत्या कर दे? फिर तो तुम उस की भी हत्या कर दोगे, या वह क्या करे? ऐ आ़सिम! मेरे बारे में इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मालूम कर लो। चुनान्चे आ़सिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से प्रश्न किया तो आप ने उस के सवाल को नापसन्द किया और उस पर ऐब लगाया, यहाँ तक कि आ़सिम को, जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना बहुत ही भारी मालूम हुआ। आ़सिम जब घर लौटे तो उवैमर अ़जलानी उन के पास आये और पूछाः ऐ आ़सिम! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तुम्हें क्या कहा है? आसिम ने कहाः तुम मेरे लिये कोई ख़ैर और बर्कत का सबब नहीं बने हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस सवाल को जो मैंने आप से पूछा बहुत नापसन्द किया है। उवैमर ने कहाः अल्लाह की क़सम! मैं ख़ामोश नहीं रह सकता। मैं स्वँय आप के पास जाकर पूछूँगा। चुनान्चे उवैमर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये जबकि आप सहाबा के दर्मियान बैठे हुये थे। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आप बताइये कि अगर कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ किसी अजनबी को पाये तो क्या उस की हत्या कर दे? तब तो आप उस की भी हत्या कर डालेंगे। या कैसे करे? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उत्तर दियाः अल्लाह पाक ने तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के मामले में कुरआन नाज़िल फ़रमाया है। जाओ और उसे ले आओ। सहल ने बयान किया कि फिर उन दोनों ने लिआ़न किया, उस समय मैं भी और लोगों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। जब वह दोनों लिआ़न से निबट चुके तो उवैमर ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं उस को अपने पास रखूँ तो (इस का मतलब यह होगा कि मैंने उस के बारे में झूठ बोला है हालाँके मैंने झूठ नहीं बोला है) फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हुक्म देने से पहले ही उवैमर ने उन को तलाक़ें दे दीं।

इब्ने शिहाब ने लिखा कि इसके बाद लिआ़न करने वालों का यही तरीक़ा हो गया कि लिआ़न के बाद तुरन्त जुदाई हो जायेगी।

फ़ाइदा:— उवैमर का तलाक़ देना उन की अपनी मर्ज़ी और नाराज़गी की वजह से था। लिआ़न

के बाद तलाक़ देने की कोई ज़रुरत नहीं।

2246:– सहल बिन सअ़द साअ़दी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने आ़सिम बिन अ़दी से फ़रमायाः महिला को अपने घर रोके रखो ताकि बच्चा जन दे।

फ़ाइदा:– मालूम हुआ कि गर्भवती से भी लिआ़न किया जा सकता है।

2247:– सहल बिन सअ़द साअ़दी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं उन के लिआ़न के मौक़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास मौजूद था। मेरी आयु उस समय 15 वर्ष की थी.....और फिर पूरी हदीस बयान की.....उस में ज़िक्र किया कि फिर वह हमल सेनिकली और बच्चा अपनी माँ की तरफ़ मन्सूख़ किया जाता था।

2258:– सहल बिन सअ़द रज़ि॰ लिआ़न करने वालों के इस वाक़िआ़ में बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस महिला पर नज़र रखो। अगर उस ने ऐसा बच्चा जना कि उस की आँखें सियाह हुयीं, पीछे का हिस्सा भारी हुआ तो मेरे ख़याल से उवैमर ने सच कहा है। और अगर उस ने ऐसा बच्चा जना जो गोरा हुआ जैसे कि "वहरा" हो तो मेरे ख़याल से उस ने झूठ कहा है। चुनान्चे बच्चा पैदा हुआ तो उसी नापसन्दीदा कैफ़ियत वाला था।

फ़ाइदा:– 'वहरा' छिपकली की तरह का एक विषैला कीडा, जिस के दायें-बायें पहलू पर लाल रन्ग की धारियाँ होती हैं, यानी बामनीं।

2249:– सहल बिन सअ़द साअ़दी रज़ि॰ ने यह ख़बर बयान की तो कहा कि बच्चे को अपनी माँ की तरफ़ निस्बत कर के पुकारा जाता था।

फ़ाइदा:– जो ज़िना से पैदा हो उस की निस्बत उस की माँ तरफ़ होती है।

2250:– सहल बिन सअ़द रज़ि॰ ने इस घटना में बयान किया कि उमैर ने अपनी पत्नी को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने ही तीन तलाक़ें दे दीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस को नाफ़िज़ कर दिया और जो कुछ आप ने किया वह सुन्नत बन गया। सहल कहते हैं कि मैं इस मौक़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास मौजूद था। चुनान्चे बाद में लिआ़न करने वालों के दर्मियान यही तरीक़ा जारी रहा कि उन के दर्मियान जुदाई करा दी जाती और फिर कभी इकट्ठे नहीं हो सकते थे।

फ़ाइदा:– लिआ़न के बाद हमेशा के लिये जुदाई हो जाती है। कभी रुजूअ़ नहीं कर सकते, दोबारा नया निकाह भी नहीं हो सकता। लिआ़न के बाद तलाक़ देने की ज़रुरत है या नहीं? इस में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। सहीह क़ौल यह है कि पति को तलाक़ देने की कोई ज़रुरत नहीं है। उवैमर ने तलाक़ इसलिये दी थी कि वह समझते थे कि बिना तलाक़ के जुदाई नहीं होगी और वह मेरी पत्नी बनी रहेगी। लिआ़न के बाद खुद-बखुद जुदाई होजाती है, हाकिम को भी जुदा करने की ज़रुरत नहीं।

2251:– सहल बिन सअ़द रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के

ज़माना में उस समय हाज़िर था जब दोनों पति-पत्नी ने लिआ़न किया था। मेरी आयु उस समय 15 वर्ष थी। जब उन्होंने लिआ़न किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन के दर्मियान जुदाई डाल दी। यहाँ तक मुसद्दद की रिवायत मुकम्मल हो गयी। मगर दूसरे रावियों ने कहा कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर थे और आप ने लिआ़न करने वाले पति-पत्नी के दर्मियान जुदाई डाल दी तो पति ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं उसे अपने पास रखूँ तो (गोया) मैंने उस पर झूठ बोला है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि कुछ रिवायत करने वालों ने "उस पर झूठ बोला" के बजाये केवल "झूठ बोला" कहा है।

2252:— सहल बिन सअ़द रज़ि॰ इस हदीस में बयान करते हैं कि वह महिला हमल से थी तो शौहर ने उस के हमल का इन्कार किया (कि मेरा नहीं है) चुनान्चे लड़के को माँ की निस्बत से पुकारा जाता था। और फिर वरासत में भी यही तरीक़ा चल पड़ा कि बच्चा अपनी माँ का वारिस बनता और माँ अपने बच्चे की वारिस बनती जितना कि अल्लाह पाक ने उस का हिस्सा मुक़र्रर किया है।

2253:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है वह बयान करते हैं कि एक जुमा की रात हम मस्जिद में थे कि एक अन्सारी मस्जिद में दाख़िल हुये और कहने लगेः अगर कोई अपनी पत्नी को किसी अजनबी के साथ पाये और उस का इज़हार करे और बोले तो तुम लोग (तोहमत की वजह से) उस को कोड़े मारोगे, या अगर क़त्ल कर दे तो तुम उस को भी (क़िसास में) क़त्ल कर डालोगे? और अगर वह ख़ामोश रहे तो वह बड़ी बुरी बात पर ख़ामोश रहता है। अल्लाह की क़सम! मैं इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ज़रुर पूछूँगा। चुनान्चे अगला दिन आया तो वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये और आप से पूछा और कहने लगेः अगर कोई शख़्स अपनी पत्नी के साथ किसी अजनबी को पाये और फिर बोले आप उसे (तोहमत लगाने की वजह से) कोड़े मारेंगे, या अगर क़त्ल कर दे तो आप उसे (क़िसास में) कोड़े मारेंगे। और अगर ख़ामोश रहे तो बहुत ही ग़ज़ब की बाप पर खामोश रहता है। आप ने फ़रमायाः ऐ अल्लाह! मामला को स्पष्ट फ़रमा दे। और दुआ़ फ़रमाने लगे यहाँ तक कि लिआ़न की आयत नाज़िल हुयीः "और जो लोग अपनी पत्नियों पर आरोप लगायें.........." (सूरःनूर-6)

चुनान्चे यही आदमी इस आफ़त में मुबतला कर दिया गया, फिर वह और उस की पत्नी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और दोनों ने लिआ़न किया। पति ने चार बार शहादत दी कि अल्लाह की क़सम! मैं सच्चा हूँ। और पाँचवीं मतर्बा कहाः अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। फिर जब वह महिला भी इसी प्रकार लानत के लिये तय्यार हुयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से फ़रमायाः रुक जाओ (ज़रा सोच लो) मगर उस ने इन्कार कर दिया और अल्लाह की लानत की बद्दुआ़ कर दी। जब वह दोनों चले गये तो आप ने फ़रमायाः शायद यह बच्चा जनेगी जो काले रन्ग का घुंघराले बालों वाला होगा। चुनान्चे वह

पैदा हुआ तो काले रन्ग का और घुंघराले बालों वाला ही था।

2254:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि हिलाल बिन उमय्या नेअपनी पत्नी को शरीक बिन सहमा के साथ ज़िना का आरोप लगाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः गवाह लाओ, वर्ना तुम्हारी कमर पर हद जारी होगा। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! जब हम में से कोई शख़्स किसी को अपनी पत्नी के साथ देखे तो भला वह गवाह ढूँड़ने जायेगा? मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते रहेः गवाह लाओ, वर्ना तुम्हारी कमर पर हद जारी होगा। इस पर हलाल कहने लगेः उस ज़ात की क़सम! जिस ने आप को हक़ के साथ नबी बनाया है मैं सच्चा हूँ और अल्लाह पाक ज़रुर मेरे बारे में कुछ न कुछ नाज़िल फ़रमायेगा जो मेरी कमर को हद से बरी कर देगा। चुनान्चे अल्लाह पाक ने यह आयतें नाज़िल फ़रमायींः "और जो लोग अपनी बीवियों पर आरोप लगाते हैं ...... (सूरः नूर.....6) फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम चले गये और उन दोनों को बुला भेजा, फिर जब दोनों आ गये तो हिलाल बिन उमय्या खड़े हुये और गवाही दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमा रहे थेः "अल्लाह जानता है कि तुम में से एक झूठा है, तो क्या तुम में से कोई तौबा करता है? फिर वह महिला खड़ी हुयी और गवाही दी और जब पाँचवीं बार कहने लगी " मुझ पर अल्लाह की नाराज़गी हो अगर यह सच्चा है" तो लोगों ने उस से कहाः यह क़सम (अल्लाह की लानत और नाराज़गी को) वाजिब और लाज़िम कर देने वाली है। इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने कहाः महिला कुछ ठिटकी (और बोलने में झिझकी) और पीछे हटी तो हम ने समझा कि शायद रुजूअ़ कर लेगी, मगर उस ने कहाः "मैं अपनी क़ौम को हमेशा के लिये रुस्वा नहीं कर सकती, और पाँचवीं बार क़सम के अल्फ़ाज़ कह डाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस पर नज़र रखना, अगर उस ने बच्चा जना सुरमई आँखों वाला, भरी सुरीन वाला और मोटी-मोटी पिंडलियों वाला हुआ तो यह शरीक बिन सहमा का होगा (जिस के साथ उस को जोड़ा गया है) चुनान्चे उस ने उसी तरह का बच्चा जना। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर अल्लाह की किताब का फ़ैसला न होता तो मैं उसे इबरत का निशान बना डालता (उस पर हद जारी करता)

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि मुहम्मद बिन बश्शार की यह रिवायत यानी हिलाल की हदीस बयान करने में मदीना वाले मुनफ़रिद हैं।

2255:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब लिआ़न् करने वालों में क़समें खाने को कहा तो पाँचवीं बार क़सम के समय आप ने एक शख़्स से फ़रमायाः "उस मर्द के मुँह पर हाथ रख दो और उस से कह दो कि यह क़सम वाजिब करने वाली है (अल्लाह के ग़ज़ब, लानत और अ़ज़ाब को)

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि क़ाज़ी को चाहिये कि झूठी क़सम खाने से डरते रहें।

2256:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि हिलाल बिन उमय्या रज़ि॰ (अपने घर में) आये और यह उन लोगों में से एक हैं। जो तबूक की जन्ग में पीछे रह गये थे और) जिन की तौबा

अल्लाह पाक ने कुबूल फ़रमायी थी। यह अपनी ज़मीन पर से रात को घर आयेऔर अपनी पत्नी के पास एक आदमी को पाया, उस को अपनी आँखों से देख लिया और अपने कानों से सुन लिया मगर उस को दौड़ाया नहीं यहाँ तक कि सुब्ह हो गयी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इशा के समय अपने घर वालों के पास आया तो मैंने उन के पास एक आदमी को पाया। मैंने अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस ख़बर को नापसन्द किया और आप पर यह ख़बर बहुत भारी गुज़री। फिर यह आयतें नाज़िल हुयीः "जो लोग अपनी बीवियों पर ज़िना का आरेप लगाते हैं .... (सूरः नूर आयत न॰5-6) जब आप से वह्यि की हालत समाप्त हुयी तो फ़रमायाः ऐ हिलाल! खुश हो जाओ! अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिये आसानी फ़रमा दी है और इस उलझन से निकलने का रास्ता पैदा कर दिया है। हिलाल कहने लगेः मुझे अपने रब की ज़ात से यही उम्मीद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः महिला को बुलाओ। वह बुलाई गयी तो आप ने उन दोनों पर यह आयतें नाज़िल फ़रमायीं। आप ने उन दोनों को नसीहत फ़रमायीं और उन्हें बताया कि आख़िरत का दन्ड दुनिया के दन्ड के मुक़ाबले में बहुत सख़्त है। हिलाल ने कहाः अल्लाह की क़सम! मैंने पत्नी के बारे में सच कहा। इस पर पत्नी ने कहाः यह झूठ कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इन दोनों के दर्मियान लिआ़न कराओ। हिलाल से कहा गयाः गवाही दो, तो उन्होंने चार मर्तबा कहाः अल्लाह की क़सम! मैं बिला शुब्हा सच्चा हूँ। जब पाँचवीं मर्तबा क़सम खाने की बारी आयी तो उन से कहा गयाः ऐ हिलाल! अल्लाह से डरो, दुनिया की सज़ा आख़िरत के मुक़ाबले में बहुत हल्की है। और यह पाँचवीं क़सम तुम पर अल्लाह के दन्ड को वाजिब कर देने वाली है। उन्होंने कहाः अल्लाह की क़सम! मुझे इस पर अल्लाह दन्ड नहीं देगा जैसे कि उस ने मुझे इस पर (झुठलाया नहीं और) कोई सज़ा नहीं दी है। चुनान्चे उन्होंने पाँचवीं बार भी क़सम खाई और कहाः मुझ पर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठा हूँ। फिर महिला से कहा गया कि तुम भी क़समें खाओ। तो उस ने भी चार मर्तबा क़सम खाई कि अल्लाह की क़सम! यह आदमी (यानी हमारा पति) झूठा है। जब पाँचवीं बार क़सम खाने की बारी आयी तो उस से कहा गया कि अल्लाह से डर जा, दुनिया की सज़ा आख़िरत के मुक़ाबले में बहुत हल्की है। और यह पाँचवीं क़सम वाजिब करने वाली है जो तुझ पर अ़ज़ाब को लाज़िम कर देगी। यह सुन कर वह एक छड़ (लम्हें) के लिये ठिटुकी और ठहर गयी, फिर बोलीः अल्लाह की क़सम! मैं अपनी क़ौम को बदनाम नहीं कर सकती और पाँचवीं बार भी क़सम खा ली कि "मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो अगर यह शख़्स सच्चा है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन दोनों के दर्मियान जुदाई करा दी और फ़ैसला फ़रमा दिया कि बच्चा बाप की तरफ़ मन्सूख़ नहीं होगा। उस महिला पर न तो ज़िना का आरोप लगाया जाये और न उस के बच्चे को ताना दिया जाये। जिस ने उस महिला पर आरोप लगाया या बच्चे को ताना दिया तो उस पर हद है। आप ने फ़ैसला फ़रमाया कि महिला के लिये उस के पति के ऊपर न तो रिहाइश के लिये घर है और न खाना ख़र्चा है। क्योंकि यह दोनों तलाक़ के बग़ैर अलग हो रहे थे

और पति का देहान्त हुआ था। आप ने फ़रमायाः अगर उस का बच्चा थोड़ा बहुत लाल बालों वाला, हल्के सुरीन वाला, उभरी कमर वाला और बारीक पिंडलियों वाला हुआ तो बच्चा हिलाल का होगा। और अगर वह गन्दुगमी रन्ग का, घुंघराले बालों वाला, खुले और बड़े हिस्सों वाला, भारी पिंडलियों और सुरीनों वाला हुआ तो यह बच्चा उस का होगा जिस के साथ उस पर इलज़ाम लगाया गया है। चुनान्चे उस ने बच्चा जना तो वह गुन्दुमी रंग, घुंघराले बालों वाला, खुले और बड़े हिस्सों वाला और भारी पिंडलियों वाला और सुरीनों वाला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अगर क़समें न उठाई गयी होतीं तो मैं उसे हद लगाता (या इबरत का निशान बना देता)

इक्रमा ने कहा कि यह बच्चा बाद में क़बीला मुज़र का सर्दार बना था, मगर बाप की तरफ़ निस्बत न किया जाता था।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़अ़ीफ़ है। बाज़ नुस्ख़ों में "मुज़र" की जगह "मिस्र" है, यानी शहर का हाकिम बना। हिलाल बिन उमय्या का लिआ़न इस्लाम में सब से पहले हुआ। इसलिये यह आयत लिआ़न के लिये नाज़िल हुयी।

2257:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लिआ़न करने वालों को कहाः तुम्हारा हिसाब अल्लाह के पास है तुम दोनों में से एक झूठा है। और (पति से कहा कि) तुम्हें उस पर कोई हक़ हासिल नहीं रहा। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा माल? आप ने फ़रमायाः तुम्हरारे लिये कोई माल नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो वह (तुम्हारा दिया हुआ माल) उस चीज़ का बदला है जो तुम ने उस की इज़्ज़त को हलाल किया। और अगर उस पर झूठ बोला है तो वह तेरे लियेऔर भी दूर की लौंडी है (कि एक तरफ़ आरोप लगाए और उस पर मज़ीद यह कि माल भी मांगे)

फ़ाइदा:— यानी लिआ़न की सूरत में पति को दिये हुये महर में से क़ुछ वापस न मिलेगा।

2258:— सअ़ीद बिन जुबैर कहते हैं कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से पूछा कि अगर कोई शख़्स अपनी पत्नी पर ज़िना का आरोप लगाए तो........? उन्होंने उत्तर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बनी अ़जलान के एक जोड़े के दर्मियान जुदाई डाल दी थी (यानी उवैमर और उन की पत्नी के दर्मियान) और फ़रमाया थाः अल्लाह ही बेहतर जानता है कि तुम दोनों में से एक झूठा है। तो क्या तुम में से कोई तौबा कर रहा है? आप ने यह बात तीन मर्तबा दोहराई, मगर उन दोनों ने इन्कार किया तो आप ने उन दोनों के दर्मियान तफ़रीक़ करा दी।

2259:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक शख़्स ने अपनी पत्नी से लिआ़न किया और बच्चे का इन्कार किया तो आपने उन के दर्मियान जुदाई करा दी और बच्चे को महिला की तरफ़ मन्सूब कर दिया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इमाम मालिक रह॰ यह वाक्य "बच्चेको महिला की तरफ़ मन्सूब कर दिया" रिवायत करने में अकेले हैं। और यूनुस, जोहरी के वास्ते से सहल बिन सअ़द से रिवायत करते हैं कि पति ने उस के हमल को (अपना हमल होने से) इन्कार कर दिया तो बच्चे

को महिला की तरफ़ मन्सूब किया जाता था।

बाब {बाप जब बच्चे के बारे में शक व शुब्हा का इज़हार करे तो?}

2260:— अबू हुरैरा रज़ि॰ सेरिवायत है कि क़बीला बनी फ़ज़ारा का एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और कहने लगा कि मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो काले रन्ग का है। आप ने फ़रमायाः क्या तुम्हारे पास ऊँट हैं? उस ने कहाः हाँ। आप ने पूछाः उन के रन्ग कैसे हैं? कहाः लाल हैं। आप ने पूछाः क्या उन में कोई गन्दुमी रन्ग का भी है? उस ने कहाः उन में गन्दुमी रन्ग के भी हैं। आप ने फ़रमायाः तुम्हारा क्या ख़याल है......वह कहाँ से आये? उस ने कहाः शायद उन को किसी रग ने खींचा हो। आप ने फ़रमायाः इस बच्चे को भी शायद किसी रग ने खींचा हो।

फ़ाइदा:— केवल रन्ग और रुप के बदलाव की वजह से बच्चे का इन्कार करना हराम है, मगर यह कि कोई स्पष्ट तर्क और सबूत मौजूद हो। सवाल करने वाले व्यक्ति का नाम ज़मज़म बिन क़तादा था।

2261:— इमाम ज़ोहरी ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया और कहा कि वह शख़्स अपनी बात कहते हुये बच्चे के इन्कार का इशारा कर रहा था।

2262:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक दीहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और कहने लगाः मेरी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो काले रन्ग का है और मुझे उस पर तअ़ज्जुब है.....और फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

बाब {बच्चे का इन्कार कर देना बहुत बुरा काम है।}

2263:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि जब लिआ़न के बारे में आयत उतरी तो मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते हुये सुनाः "जो महिला किसी क़ौम में किसी ग़ैर को दाख़िल कर दे जो उन में से न हो तो वह अल्लाह के यहाँ कोई स्थान नहं रखती, और अल्लाह पाक उसे अपनी जन्नत में हर्गिज़ दाख़िल नहीं करेगा, और जिस शख़्स ने अपने बच्चे का इन्कार किया जबकि बच्चा उस की तरफ़ देख रहा हो तो अल्लाह पाक उस से पर्दा फ़रमा लेगा और अव्वलीन व आख़िरीन (पहलों और बाद में आने वालों) के सामने उसे रुस्वा करेगा।

फ़ाइदा:— कोई महिला बदकारी करे और हमल से हो जाये और फिर बच्चे को पति और उस की क़ौम से मिला दे, या कोई बाप अकारण अपने नुतफ़े के बच्चे का इन्कार कर दे तो यह बहुत बुरा काम है, और यह दोनों ही काम कबीरा गुनाह में से हैं।

बाब {हरामी बच्चे की मिलकियत के अहकाम व मसाइल का बयान।}

2264:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस्लाम में ज़िनाकारी की कोई हक़ीक़त और उस का कोई स्थान नहीं। जिस किसी ने

जाहिलिय्यत में यह काम किया होगा तो बच्चा उस के ख़ान्दान ही से मिलेगा। और जो कोई सहीह निकाह के बग़ैर किसी बच्चे का दावा करे (ज़िना की वजह से) तो न बाप उस बच्चे का वारिस होगा और न वह बेटा उस बाप का।

2265:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता सेऔर वह अपने दादा से रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला फ़रमाया कि ऐसा बच्चा जिस के बारे में बाप के देहान्त के बाद दावा किया गया हो, जबकि बाप अपनी ज़िन्दगी में उस का मुद्दअ़ी रहा हो और बाद में उस के वारिसों ने भी उस का दावा किया हो, तो अगर बच्चा ऐसी लौंडी के पेट से हो, कि संभोग के रोज़ वह उस मुद्दअ़ी की मिलकियत में थी तो यह बच्चा उस के साथ रहेगा जिस के साथ होने का दावा किया गया है और वरासत का माल जो इलहाक़ से पहले तक़्सीम हो चुका है उस में उस बच्चे का कोई हक़ नहीं होग, मगर बाक़ी माल में अपना हिस्सा पायेगा। लेकिन अगर उस बाप ने जिस की तरफ़ लाहिक़ किये जाने का दावा किया जा रहा हो, उस का इन्कार किया हो तो उस के साथ मुलहिक़ न होगा। और अगर बच्चा किसी ऐसी लौंडी से हो जो उस मुद्दअ़ी बाप की मिलकियत न थी, या किसी आज़ाद महिला से हो, जिस के साथ उस ने ज़िना किया था तो भी उस के साथ उस बच्चे को मुलहिक़ न किया जायेगा और न वारिस होगा, अर्गचे जिस की तरफ़ उस की निस्बत की जाती है, वह उस का मुद्दअ़ी भी हो। ऐसा बच्चा ज़िना का माना जायेगा, किसी आज़ाद से हो, या लौंडी से।

2266:— मुहम्मद बिन राशिद ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस बयान की और इतना और कहा कि वह ज़िना का बच्चा कहलायेगा और अपनी माँ के ख़ान्दान की मिलकियत होगा, वह चाहे जो हों। आज़ाद हो या लौंडी। और यह फ़ैसले इस्लाम के सबसे पहले दौर में हुये थे। और जो माल इस्लाम से पहले तक़्सीम हो चुके, वह हो चुके।

बाब {क़ियाफ़ा द्वारा पहचानने का बयान।}

2267:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक दिन बड़े ख़ुश-ख़ुश मेरे घर तशरीफ़ लाये............उस्मान बिन अबू शैबा के शब्द हैं.............कि आप के चेहरा की लकीरें चमक रही थीं। आप ने फ़रमायाः ऐ आ़इशा! क्या कुछ मालूम है कि मु-जज़्ज़िज़ मुदलिजी ने ज़ैद और उसामा को देखा जबकि वह दोनों एक ही चादर से अपने सर को ढाँपे (और लेटे) हुये थे और उन के पाँव नन्गे थे। उन्हें देख कर उस ने कहाः बिला शुब्हा यह क़दम एक दूसरे के हैं (यानी पिता और पुत्र के हैं) अबू दावूद ने कहा कि उसामा काले और ज़ैद सफ़ेद रन्ग के थे।

2268:— इब्ने शिहाब ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। आ़इशा रज़ि॰ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बड़े ख़ुश-ख़ुश मेरे पास तशरीफ़ लाये, आप के चेहरे की धारियाँ चमक रही थीं।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि उसामा काले और ज़ैद सफ़ेद रन्ग के थे। अहमद बिन स्वालेह

कहा करते थे कि उसामा बहुत काले रन्ग के थे जैसे तारकूल, और ज़ैद सफ़ेद रन्ग के थे जैसे कि रुई।

फ़ाइदा:— उसामा की माँ उम्मे ऐमन हबशन थीं इसलिये वह माँ के रन्ग पर गये और उन्होंने माँ का काला रन्ग कुबूल किया तो कई जाहिल नसब में ताना देते थे। मालूम हुआ कि कभी कभार क़ियाफ़ा से मदद लिया जा सकता है। मगर 100 फ़ीसद उसे स्वीकार करना दुरुस्त नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नबी थे। आप ने माना तो हमें भी मान लेने में कोई हरज नहीं।

बाब **{उन लोगों की दलील जो बच्चे के बारे में झगड़े में कुरा से फ़ैसले के क़ाइल हैं।}**

2269:— ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में बैठा हुआ था कि इसी दर्मियान यमन का एक आदमी आया और उस ने बताया कि तीन यमनी अ़ली रज़ि॰के पास आये, वह एक बच्चे के बारे में झगड़ रहे थे। उन तीनों ने किसी महिला से एक ही पाकी में हमबिस्तरी की थी (इसलिये हर एक कहता था कि बच्चा मेरा है) अ़ली रज़ि॰ ने उन में से दो को कहा: अपनी ख़ुशी से तुम दोनों उस तीसरे के लिये बच्चे को तस्लीम कर लो। यह सुन कर वह दोनों चीख़ पड़े (और राज़ी न हुये) फिर उन्होंने दूसरे दो आदमियों से कहा कि अपनी ख़ुशी से उस तीसरे के लिये तस्लीम कर लो। तो वह दोनों भी राज़ी न हुये। फिर उन्होंने दूसरे दो आदमियों से कहा कि अपनी ख़ुशी से उस तीसरे के लिये बच्चे को तस्लीम कर लो तो उन्हेंाने भी इन्कार कर दिया। इस पर अ़ली रज़ि॰ ने कहा: तुम लोग एक दूसरे से ज़िद रखने वाले शरीक हो, मैं तुम्हारे दर्मियान कुरा डालता हूँ जिस के नाम का कुरा (गोटी) निकलेगा बच्च उसी का होगा, और उस पर वाजिब होगा कि अपने दूसरे साथियों को दियत (हर्जाना) का तीसरा-तीसरा हिस्सा अदा करेगा। चुनान्चे उन्होंने उन में कुरा डाला और बच्चा उस को दे दियाजिस के नाम कुरा निकला। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (बहुत) हँसे हत्ताकि आप के दाढ़ के दाँत नुमायाँ हो गयें।

फ़ाइदा:— किसी शक्ल के हुरुफ़ लिख कर उन से किसी मतलूब काम के होने, न होने पर दलील पकड़ना कुरा कहलाता है।

2270:— ज़ैद बिन अर्क़म रज़ि॰ ने बयान किया कि अ़ली रज़ि॰ के पास तीन आदमियों का मामला लाया गया जबकि वह यमन के गवर्नर थे। उन तीनों ने एक महिला से एक ही पाकी में हमबिस्तरी की थी। उन्होंने उन में से दो से पूछा: क्या तुम उस तीसरे के लिये बच्चे का इक़रार करते हो? उन्होंने कहा: नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने सब से पूछ डाला। जब भी दो से पूछते तो वह इन्कार कर देते। तो उन्होंने उन में कुरा डाला और बच्चा उस को दे दिया जिस के नाम गोटी निकली और उस पर दो तिहाई दियत (हर्जाना) भी लाज़िम कर दिया। चुनान्चे यह वाक़िआ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र किया गया तो आप उस पर हँसे यहाँ तक कि आप की दाढ़ें नज़र आने लगीं।

फ़ाइदा:— जहाँ कहीं किसी मामले में दो पहलू बराबर हों तो किसी एक के लिये गोटी के

ज़रीआ फ़ैसला कर लेना जाइज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी सफ़र में अपनी किसी एक पत्नी को साथ ले जाने के लिये गोटी डालते थे और जिस का नाम निकलता उन्हें साथ ले जाते।

2271:— ख़लील या इब्ने ख़लील से रिवायत है कि अ़ली रज़ि॰ से उस महिला के बारे में पूछा गया जिसने तीन मर्दों से बच्चा जन्म दिया (क्योंकि उन तीनों ने बारी-बारी उस से संभोग किया था) और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। इस रिवायत में यमन का, या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का ज़िक्र नहीं, और न यह कि खुशी-खुशी बच्चे से दस्तबर्दार हो जाओ।

बाब {जाहिलिय्यत के ज़माना में निकाहों की क़िस्मों का बयान।}

2272:— उर्वा बिन जुबैर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा रज़ि॰ ने उन को सूचना दी कि जाहिलिय्यत के समय में चार प्रकार के निकाह होते थे। एक यही जो आज (इस्लाम में) प्रचलित है कि इन्सान दूसरे को उस की पर्वरिश में रहने वाली लड़की के लिये सन्देश भेजता है उसे महर अ़दा करता है और फिर उस से निकाह कर लेता है। निकाह का दूसरा तरीक़ा यह था कि आदमी बीवी से कहता, जब वह हैज़ से पाक होती कि फ़लाँ आदमी को निकाह का सन्देश भेज दो और उस के साथ जाकर हमबिस्तरी करो। उस का पति उस से दूर रहता और उसे हाथ न लगाता। यहाँ तक कि उसका हमल ज़ाहिर हो जाता जिस से जाकर यह महिला हमबिस्तर होती। जब हमल ज़ाहिर हो जाता तो फिर शौहर भी अगर चाहता तो उस से संभोग कर लेता और ऐसा इसलिये किया जाता कि बच्चा बहादूर, तन्दुरुस्त और होशियार पैदा हो। इस निकाह को "निकाहे इस्तिबज़ाअ़" कहा जाता था। निकाह की तीसरी क़िस्म यह थी कि एक जमाअ़त...... दस लोगों से कम ......इक्टठे होते और एक महिला के पास जाते और हर एक उस से संभोग करता। जब वह हमल से हो जाती और बच्चा जनती और बच्चा जनने केबाद चन्द रातें बीत जातीं तो वह उन सब को बुलवाती, और उन में से कोई भी आने से इन्कार न कर सकता था। जब तमाम लोग उस के पास एकत्र हो जाते तो वह कहती: तुम्हें अपने मामले के बारे में जानकारी है ही, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है तो यह बच्चा ऐ फ़लाँ तेरा है। वह महिला उन में से जिस का चाहती नाम ले लेती और फिर वह बच्चा उस मर्द के नाम मन्सूब हो जाता। निकाह की चौथी क़िस्म यह थी कि बहुत से लोग जमा होते और उस महिला से संभोग करते, यह रन्डी और बेसवा होती थीं। इन महिलाओं ने अपने घरों पर पहचान के लिये झन्डा लगाया हुआ था, जो भी उन के पास जाना चाहता चला जाता, फिर जब वह हमल से होती और बच्चा जनती तो उन लोगों को एकत्र किया जाता, और वह लोग अपने लिये किसी क़ियाफ़ा के ज़रीआ़ बताने वाले को बुलाते, फिर वह उस बच्चे को जिस के मुशाबह और रंग-रुप को देखता उस के साथ मन्सूब हो जाता और उस का बेटा पुकारा जाता, वह उस का इन्कार न कर सकता था। फिर जब अल्लाह पाक ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को नबी बना कर भेजा तो तमाम जाहिलिय्यत के ज़माने के निकाहों को बातिल कर दिया, सिर्फ़ इस्लामी निकाह जो आज कल प्रचलित है बाक़ी रखा।

फ़ाइदा:— दीन इस्लाम में आजकल जो शरई निकाह प्रचलित है इस को छोड़ कर बाक़ी हर प्रकार के निकाह हराम है। वली की इजाज़त के बिना भी निकाह करना हराम है।

बाब {बच्चा बिस्तर वाले का है।}

2273:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि सअ़द बिन अबू वक़्क़ास और (सौदा रज़ि॰ के भाई) अ़ब्द बिन ज़मआ़ एक मामला लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये। वह मामला ज़मआ़ की लौंडी के बेटे (की पर्वरिश) से संबन्धित था। सअ़द रज़ि॰ ने कहा: मेरे भाई उत्बा ने मुझे वसिय्यत की थी कि मैं जब मक्का जाऊँ तो ज़मआ़ की लौंडी केबेटे को देखूँ और उसे अपनी पर्वरिश में ले लूँ, बिला शुब्हा वह मेरा ही (उत्बा) का बेटा है। उधर अ़ब्द बिन ज़मआ़ ने यह कहा कि वह मेरा भाई है, मेरे बाप की लौंडी का बेटा है, मेरे पिता के बिस्तर पर पैदा हुआ है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने देखा कि बच्चे और उत्बा के दर्मियान स्पष्ट समानता (मुशाबहत) है, मगर आप ने फ़रमाया: बच्चा बिस्तर वाले का है और ज़िनाकार के लिये पत्थर है। और ऐ (मेरी पत्नी) सौदा! उस बच्चे से पर्दा करना। मुसद्दद ने अपनी रिवायत में कहा: ऐ अ़ब्द! यह तुम्हारा ही भाई है।

फ़ाइदा:— चेहरे मोहरे से स्पष्ट था कि लड़का उत्बा के ज़िना से पैदा हुआ है लेकिन शरीअ़त का नियम यह है कि जिस के घर में पैदा हो उस का माना जायेगा। अब चूँकि यह सौदा रज़ि॰ का भाई होगया लेकिन इन के भाई अ़ब्द का वास्तव में था नहीं इसलिये सौदा रज़ि॰ से पर्दा करने का हुक्म दिया। चुनान्चे सौदा ने ज़िन्दगी भर उस का मुँह नहीं देखा।

2274:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा होकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़लाँ बच्चा मेरा बेटा है, मैंने जाहिलिय्यत के ज़माना में उस की माँ से ज़िना किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: इस्लाम में इस प्रकार का कोई दावा नहीं चलता। जाहिलिय्यत के ज़माना में तमाम काम समाप्त हैं, बच्चा उस का है जिस के बिस्तर पर पैदा हो और ज़ानी के लिये पत्थर हैं (या महरुमी है)

2275:— रिबाह का बयान है कि मेरे घर वालों ने एक रुमी लौंडी से मेरी शादी कर दी, मैंने उस से संभोग किया तो उस ने मेरी तरह काले रंग का बच्चा जना। मैंने उस का नाम अ़ब्दुल्लाह रखा। मैंने फिर उस से संभोग किया तो उस नेफिर मेरे जैसा काले रंग का बच्चा जना, तो मैंने उस का नाम उबैदुल्लाह लिखा। इसी दर्मियान मेरे घर वालों ने एक गुलाम जिस का नाम यूहन्ना था ने उस के साथ संभोग कर डाला और रुमी ज़बान में बातें कीं। चुनान्चे उस ने बच्चा जना जैसे कि कोई साम अबरस (गिरगिट) हो। मैंने लौंडी से पूछा यह क्या माजरा है? उस ने कहा: यह युहन्ना गुलाम का बच्चा है। हम ने उस्मान ग़नी रज़ि॰ की अ़दालत में मुक़दमा कर दिया तो उन्होंने उन दोनों से पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया (कि हमारे ज़िना से है) उस्मान रज़ि॰ ने फिर पूछा: क्या तुम दोनों राज़ी हो कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वाला फ़ैसला करुँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैसला फ़रमाया है कि बच्चा बिस्तर वाले का है। हदीस के रावी ने कहा कि मेरा

ख़याल है कि आप ने दोनों को दुर्रे लगाये। और वह दोनों गुलाम थे।

बाब **{(माता–पिता के दर्मियान जुदाई हो जाये तो) बच्चे (की पर्वरिश) का कौन अधिक हक़दार है?}**

2276:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ बयान करते हैं कि एम हला ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल मेरा यह बेटा है। मेरा पेट उस के लिये बर्तन, मेरा सीना उस के लिये मश्कीज़ा, और मेरा दामन उस के लिये पनाहगाह रहा है। उस के बाप ने मुझे तलाक़ दे दी है और वह चाहता है कि बच्चे को मुझ से छीन ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से फ़रमायाः तू उस बच्चे की ज़्यादा हक़दार है जब तक कि तू (दूसरे से) निकाह न कर ले।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि माँ जब तक दूसरा निकाह न करे वह बच्चे की पर्वरिश की ज्यादा हक़दार है। और अगर बाप राज़ी हो तो शादी के बाद भी माँ पर्वरिश कर सकती है। और अपने पास उसे रख सकती है।

2277:— अबू मैमूना सलमा, जो मदीना में से किसी के मौला थे और सच्चे आदमी थे, उन का बयान है कि मैं अबू हुरैरा रज़ि॰ के पास बैठा हुआ था कि उन के पास एक फ़ारसी महिला आयी, उस के साथ उस का बेटा भी था। उस बेटे के दोनों ही दावेदार थे, शौहर ने पत्नी को तलाक़ दे दी थी। महिला ने फ़ारसी ज़बान में कहाः ऐ अबू हुरैरा! मेरा शौहर मेरे बेटे को मुझ से लेना चाहता हैं। अबू हुरैरा रज़ि॰ ने कहाः गोटी डाल लो, उन्होंने उसे फ़ारसी भाषा में कहा। इतने में उस का पति भी आ गया तो उस ने कहाः कौन मुझ से मेरा बेटा छीनना चाहता है? अबू हुरैरा रज़ि॰ ने कहाः अलाहुम्म, मैंने गोटी डालने की बात यूँ कहीं कि मैंने एक महिला को बयान करते सुना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयी थी, उस समय मैं भी आप के पास बैठा हुआ था। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा पति मेरे बच्चे को मुझ से लेना चाहता है हालाँकि यह मुझे अबू इनबा के कुँए से पानी ला कर देता है, और मेरी सेवा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः (ऐ लड़के!) यह तेरा पिता है और यह तेरी माता जिस का चाहे हाथ पकड़ ले। चुनान्चे लड़के ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और वह उसे लेकर चल दी।

फ़ाइदा:— अगर बच्चे-बच्ची थोड़ा बहुत होशियार हों तो उन्हें इख़्तियार का मौक़ा दिया जा सकता है।

2278:— अ़ली रज़ि॰ ने बयान किया कि ज़ैद बिन हारिसा रज़ि॰ मक्का में आये और हमज़ा रज़ि॰ की बेटी को साथ ले आये, तो जाफ़र ने कहाः मैं उसे (अपनी पर्वरिश) में लेता हूँ, मैं उस का ज़्यादा हक़दार हूँ, क्योंकि यह मेरे चचा की बेटी है और उस की ख़ाला मेरे निकाह में है, और ख़ाला माँ के दर्जा पर होती है। अ़ली रज़ि॰ ने कहाः मैं उस का ज़्यादा हक़दार हूँ, यह मेरे चचा की बेटी है और मेरे घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बेटी है और वह उस की ज़्यादा हक़दार है। ज़ैद रज़ि॰ ने कहाः मैं उस का ज़्यादा हक़दार हूँ, मैं ही उस के पास गया, सफ़र किया और उस को लेकर आया हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये,

बात की और फ़रमायाः लड़की का फ़ैसला मैं जाफ़र के हक़ में करता हूँ कि अपनी ख़ाला के पास रहेगी और ख़ाला माँ के दर्जा पर होती है।

फ़ाइदा:– बच्चे की पर्वरिश का हक़ पहले माँ को (जैसा कि ऊपर की हदीस न॰ 2276, 2277 में है) फिर ख़ाला, फिर बाप की तरफ़ के रिश्तेदार हैं।

2279:– अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने रिवायत बयान की मगर कामिल नहीं बयान की। और कहाः आप ने बच्ची जाफ़र को दे दी क्योंकि उस की ख़ाला उस के यहाँ है।

2280:– अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि जब हम (हज्ज कर के) मक्का में निकले तो हमज़ा की बेटी हमारे पीछे आ गयी, वह चचा-चचा पुकार रही थी। चुनान्चे अ़ली ने उसे ले लिया और उस का हाथ पकड़ा और फ़ातिमा ने कहाः अपने चचा की बेटी को ले लो। चुनान्चे फ़ातिमा ने उस को उठा लिया और ख़बर बयान की। जाफ़र रज़ि॰ ने कहाः यह मेरे चचा की बेटी है, उस की ख़ाला मेरे निकाह में है। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस का फ़ैसला ख़ाला के हक़ में कर दिया और फ़रमायाः ख़ाला माँके दर्जा की होती है।

बाब {तलाक़ दी हुयी महिला के लिये अ़िद्दत का बयान।}

2281:– अस्मा बिन्त यज़ीद बिन सकन अन्सारी से रिवायत है कि उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में तलाक़ हो गयी। और (इस से पहले) मुतल्लक़ा के लिये कोई अ़िद्दत न होती थी, तो अल्लाह पाक ने उन की तलाक़ के मौक़ा पर अ़िद्दत का हुक्म नाज़िल फ़रमाया। और यह पहली महिला थी जिस के बारे में मुतल्लक़ा की अ़िद्दत का हुक्म उतरा।

फ़ाइदा:– यह महिला, मआ़ज़ बिन जबल की फूफी की बेटी थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बैअ़त थीं। इन्होंने यरमूक की जन्ग में अपने ख़ेमे के बासँ से नौ रुमियों को क़त्ल किया था।

बाब {आ़म मुतल्लक़ा महिलाओं में से जिन की अ़िद्दत मन्सूख़ है।}

2282:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि (अल्लाह का जो फ़र्मान है) "तलाक़ वाली महिलायें तीन हैज़ इन्तिज़ार करें" (तो इस हुक्म से वह महिलायें निकाल दी गयीं जिन का हैज़ आना बन्द हो जाये) और उन केलिये कहा कि "तुम्हारी जो महिलायें हैज़ से मायूस हों, अगर तुम्हें कोई शुब्हा हो तो उन की अ़िद्दत तीन माह है", फिर उन में से इतना और अलग कर दिया कि "अगर तुम उन्हें संभोग से पहले ही तलाक़ दे दो तो उन पर कोई अ़िद्दत नहीं" (सूरः अहज़ाब-4)

फ़ाइदा:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने इसे मन्सूख़ से ताबीर किया है, लेकिन वास्तव में यह मुख़्तलिफ़ सूरतों के मुख़्तलिफ़ अहकाम हैं। (1) जिस को हैज़ आता है उस की अ़िद्दत तीन तोहर है (2) जिस को हैज़ आना बन्द हो गया हो उस की अ़िद्दत 3 माह है (3) जिस को अभी हैज़ आना आरंभ न हुआ हो उस की अ़िद्दत तीन माह (4) जो हमल से हो उस की अ़िद्दत बच्चा जनने तक है (5) जिस का पति मर जाये उस की अ़िद्दत चार माह दस दिन है।

बाब **{(तलाक़ के बाद) रुजूअ़ करने के अहकाम व मसाइल।}**

2283:— उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हफ़सा को तलाक़ दे दी, फिर आप ने उन से रुजूअ़ कर लिया।

फ़ाइदा:— दो बार तलाक़ में रुजूअ़ है। रुजूअ़ करने के समय दो गवाह बना लेना चाहिये (सूरः तलाक़ 2)

बाब **{तीन बार में तीन तलाक़ दी हुयी के बारे में मसाइल।}**

2284:— फ़ातिमा बिन्त क़ैस से रिवायत है कि (उन के पति) अबू अ़म्र बिन हफ़स ने उन को तलाक़ बत्ता (यानी तीन बार में तीन तलाक़) दे दी थी। और वह खुद घर पर मौजूद नहीं थे। तो उन के वकील ने फ़ातिमा की तरफ़ (उन के खाने के लिये) कुछ जौ भेजा, तो उन्होंने उसे कम समझा और रोज़ी न हुयीं। तो वकील ने कहाः अल्लाह की क़सम! (तीन तलाक़ के बाद) तुम्हारे लिये हमारे ऊपर कोई ख़र्चा-खाना नहीं है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयीं और आप से ज़िक्र किया तो आप ने फ़रमायाः उन के ज़िम्मा तुम्हारा कोई ख़र्चा नहीं है।" फिर उन्हें हुक्म दिया कि उम्मे शुरैक के घर में अ़िद्दत गुज़ारे। फिर आप ने फ़रमायाः चूँकि उम्मे शुरैक के घर मेरे सहाबा आते रहते हैं इसलिये उम्मे मक्तूम के घर में अ़िद्दत गुज़ारो, वह अन्धे आदमी है, तुम्हें अपने कपड़े उतारने में भी आसानी रहेगी, और जब तुम हलाल हो जाओ (यानी अ़िद्दत गुज़ार लो) तो मुझे सूचना देना। फ़ातिमा ने बयान किया कि जब मैं हलाल हो गयी और आप को बताया कि मुआ़विया बिन अबू सुफ़यान और अबू जहम ने मुझे निकाह का पैग़ाम भेजा है। आप ने फ़रमायाः अबू जहम तो अपने कन्धे से लट्ठ ही नहीं उतारता है, और मुआ़विया, तो वह फ़क़ीर आदमी है, उस के पास कोई माल नहीं है। ऐसा है कि तुम उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो। वह कहती हैं कि मैंने उसामा को नापसन्द किया, तो आप ने फिर फ़रमायाः उसामा से निकाह कर लो। चुनान्चे मैंने उन से निकाह कर लिया तो अल्लाह पाक ने इस निकाह में बड़ी ख़ैर-बर्क़त फ़रमायी, और इस निकाह की वजह से मुझ पर रश्क किया जाता था।

2285:— फ़ातिमा बिन्त क़ैस ने बयान किया कि मेरे पति अबू हफ़स बिन मुग़ीरा ने मुझे तीन तलाक़ दे दी..... और पूरी हदीस बयान की.......उस में है कि ख़ालिद बिन वलीद और बनी मख़ज़ूम के और भी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आये और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अबू हफ़स बिन मुग़ीरा ने अपनी पत्नी को तीन तलाक़ें दे दी हैं और बहुत थोड़ा सा ख़र्चा उन के लिये छोड़ा है, तो आप ने फ़रमायाः उस के लिये कोई ख़र्चा नहीं है.....और पूरी हदीस बयान की। और मालिक की (ऊपर की) हदीस इस हदीस से ज़्यादा मुकम्मल है।

2286:— क़ैस की पुत्री फ़ातिमा ने बयान किया कि अबू अ़म्र बिन हफ़स मख़ज़ूमी ने उन को तीन तलाक़ें दे दीं......और पूरी हदीस बयान की और ख़ालिद बिन वलीद की बात भी। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस के लिये ख़र्चा नहीं है और न ही रहने के लिये घर है (यानी शौहर के ज़िम्मा ख़र्चा और घर नहीं है) इस रिवायत में है कि नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ातिमा की तरफ़ सन्देश भेजा कि अपने बारे में बिला मुझ से मश्वरा लिये जल्दबाज़ी न करना।

2287:— फ़ातिमा बिन्त क़ैस ने बयान किया कि मैं बनी मख़ज़ूम के एक व्यक्ति के निकाह में थी तो उस ने मुझे तलाक़ बत्ता (तीन तलाक़(दे दी, और ऊपर मालिक की रिवायत की तरह बयान किया......उस रिवायत में कहा कि मुझे बताये बिना अपने बारे में कोई फ़ैसला न कर लेना।

इमाम अबू दावूद ने बयान किया कि इमाम शोबी, बही और अ़ता.......इन सब ने फ़ातिमा बिन्त क़ैस से रिवायत किया कि उन के शौहर ने तीन तलाक़ दे दी थी (इन सब की रिवायत में "बत्ता" का ज़िक्र नहीं हे)

2288:— इमाम शोबी, फ़ातिमा बिन्त क़ैस से रिवायत करते हैं कि उन के शैहर ने उन को तीन तलाक़ दे दी थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन के लिये कोई ख़र्चा और रिहाइश (शौहर पर) लाज़िम नहीं किया था।

फ़ाइदा:— यह तीन तलाक़ें तीन बार में दी गयी थीं। तीन तलाक़ दी हुयी महिला के लिये (अ़िद्दत के दौरान) न तो खाना-ख़र्चा है और न अ़िद्दत गुज़ारने के लिये घर का ज़िम्मा पति के ऊपर है। "बत्ता" के माना काट देना। चूँकि तीन तलाक़ के बाद बीवी, शौहर से कट जाती है इसलिये यह शब्द कहा गया।

2289:— फ़ातिमा बिन्त क़ैस ने बयान किया कि मैं अबू हफ़स बिन मुग़ीरा के निकाह में थी तो उन्होंने मुझे अन्तिम तीसरी तलाक़ दे दी। उन्होंने बयान किया कि फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयी और आप से पूछा कि क्या मैं अपने घर से (यानी पति के घर से) चली जाऊँ? आप ने फ़रमायाः इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना के घर चली जाओ। मगर मर्वान ने फ़ातिमा की इस बात की कि "मुतल्लक़ा" अपने घर से निकाल सकती है" की तस्दीक़ करने से इन्कार किया है।

2290:— उबैदुल्लाह (बिन अ़ब्दुल्लह बिन उत्ब़) से रिवायत है कि मर्वान ने फ़ातिमा (बिन्त क़ैस को सन्देश भेजा और उन से मालूम कराया तो उन्होंने बताया कि मैं अबू हफ़्स के निकाह में थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ली रज़ि॰ को यमन के कुछ क्षेत्र का गवर्नर बनाया तो उन के पति भी उन के साथ रवाना हो गये और उन को अन्तिम तलाक़ दे गये जो बाक़ी थी। और अ़याश बिन रबीअ़ा और हारिस बिन हिशाम से कह गये कि उस को ख़र्च देते रहना। इस पर उन दोनों ने कहा कि अल्लाह कि क़सम! उस के लिये कोई ख़र्च नहीं है मगर यह कि हमल से हो। यह सुन कर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयी तो आप ने भी फ़रमायाः तुम्हारे लिये कोई ख़र्चा नहीं मगर यह कि तुम हमल से हो। फिर फ़ातिमा ने इजाज़त चाही कि अपने पति के घर से कहीं और चली जायें तो आप ने उन्हें इजाज़त दे दी। उन्होंने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं कहाँ रहूँ? आप ने फ़रमायाः इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ, और वह नाबीना थे। वह अपने कपड़े (किसी समय) उतार देतीं तो वह देख न सकते थे। फिर वह उन के घर रही यहाँ

तक कि (तीन तोहर की) अ़िद्दत पूरी कर ली। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसामा से उन का निकाह कर दिया।

कुबैसा ने वापस आ कर मर्वान से पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि हम एक महिला से हदीस सुन रह हैं, हम तो उसी पर अ़मल करेंगे जिस पर लोगों का अ़मल है। फ़ातिमा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने कहाः मेरे और तुम्हारे दर्मियान अल्लाह की किताब फ़ैसला करने वाली है, अल्लाह पाक ने फ़रमाया हैः "सूरः तलाक़-1) फ़ातिमा ने कहा कि तीन तलाक़ के बाद भला कौन सा नया मामला होगा? (क्योंकि अब रुजूअ़ की गुन्जाइश नहीं)

फ़ाइदा:— इस हदीस के बारे में तफ़सील आगे 2295 में आ रही है। मर्वान बिन हकम उन दिनों मदीना के गवर्नर थे। यह, आइशा और उमर रज़ि॰ का कहना यह था कि मुतल्लक़ा के लिये रहने का इन्तिज़ाम शौहर करे (आज भी कुछ लोग मानते हैं) इन की दलील सूरः तलाक़ की आयत न एक और छः है। लेकिन फ़ातिमा बिन्त क़ैस की हदीस स्पष्ट है कि तीन तलाक़ वाली महीला के लिये उस के पति के ज़िम्मा अ़िद्दत के दौरान न खाना-ख़र्चा है न रिहाइश। मर्वान का यह कहना कि महिला की ज़ात पर भरोसा नहीं, ग़लत है, क्योंकि किसी ने यह नहीं लिखा है कि महिला की बयान की हुयी हदीस ज़ईफ़ ठहरेगी। ऐसा कैसे संभव है कि फ़ातिमा भूल जायेंकि उन्हें खाना-ख़र्चा अ़िद्दत गुज़ारने के लिये शौहर का घर मिला था या नहीं? बहर हाल जिस महिला को तीन तलाक़ दी जा चुकी है उस के लिये अ़िद्दत तीन माह तो है, मगर अ़िद्दत के दौरान पति के ऊपर खाना-ख़र्चा और रहने के लिये जगह नहीं है, मगर यह कि वह हमल से हो।

बाब {फ़ातिमा बिन्त क़ैस की रिवायत का इन्कार करने वालों का बयान।}

2291:— अबू इस्हाक़ ने बयान किया कि मैं अस्वद बिन यज़ीद के साथ (कूफ़ा की) जामा मस्जिद में बैठा हुआ था कि उन्होंने बयान किया कि फ़ातिमा, उमर रज़ि॰ के पास आयीं तो उन्होंने कहाः हम अपने रब की किताब और अपने नबी की सुन्नत को एक महिला के बयान पर नहीं छोड़ सकते। पता नहीं उस ने याद भी रखा या नहीं।

2292:— हिशाम बिन उर्वा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि आ़इशा रज़ि॰ ने इस रिवायत पर सख़्त ऐब लगाया है (और इन्कार किया है) यानी फ़ातिमा बिन्त क़ैस की हदीस पर। और कहा कि वह एक ख़ाली मकान में रहती थीं और उस तरफ़ से ख़तरा था इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को (घर बदल देने की) इजाज़त अ़ता फ़रमायी थी।

2293:— उर्वा बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि आ़इशा रज़ि॰ से कहा गया कि क्या आप को फ़ातिमा की बात मालूम नहीं हुयी? तो उन्होंने कहाः इस बात को ज़िक्र करने में उन के लिये ख़ैर नहीं है।

2294:— फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ि॰ के घर बदलने के सिलसिले में सुलैमान बिन यसार से रिवायत है कि "यह फ़ातिमा की बदमिज़ाजी की वजह से था (कि वह तेज़ ज़बान की थीं)

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है और सहाबी महिला पर इलज़ाम है। वर्ना नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन की शादी अपनी पसन्द से उसामा से न करवाते। अगर तेज़ ज़बान की होतीं तो उन की शादी मिसाली शादी न होती।

2295:— क़ासिम बिन मुहम्मद और सुलैमान बिन यसार का बयान है कि यहया बिन सअ़ीद ने अपनी पत्नी अ़मरा बिन्त अ़ब्दुरहमान बिन हकम को तलाक़ दे दी, तलाक़ बत्ता (यानी तीन तलाक़) तो अ़ब्दुरहमान ने अपनी बेटी को अपने घर में बुला लिया। आइशा रज़ि॰ ने मर्वान बिन हकम को जो उन दिनों मदीना के गवर्नर थे सन्देश भेजा कि अल्लाह से डरो और महिला को उस के शौहर के घर लौटा दो। मर्वान ने कहा : "अ़ब्दुरहमान मुझ पर ग़ालिब आ गया है" (यह सुलैमान के शब्द हैं) मर्वान ने कहाः "क्या आप को फ़ातिमा बिन्त क़ैस का हाल नहीं पहुँचा?" (यह क़ासिम के शब्द हैं) आइशा रज़ि॰ ने कहाः अगर आप फ़ातिमा की हदीस बयान न करें तो आप को कोई नुक़्सान न होगा (क्योंकि उन्हें डर की वजह से दूसरे के घर अ़िद्दत बिताने की इजाजत दी गयी है) मर्वान ने कहाः अगर आप एक बुराई को जगह तब्दील करने के लिये जवाज़ की शक्ल में पेश करती हैं तो उन पति-पत्नी के दर्मियान मौजूद बुराई भी जवाज़ की शक्ल है।

2296:— मैमून बिन महरान कहते हैं कि मैं मदीना आया तो सअ़ीद बिन मुसय्यिब के पास गया और उन से कहाः फ़ातिमा बिन्त क़ैस को तलाक़ हुयी तो वह अपने पति के घर से दूसरे घर चली गयी थीं (अ़िद्दत गुज़ारने के लिये?) सअ़ीद ने कहाः उस महिला ने लोगों को परेशानी में डाला हुआ था, बहुत ज़बान की तेज़ थी, इसलिये इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना के घर में रहने के लिये (अ़िद्दत गुज़ारने के लिये) जगह दी गयी थी।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़अ़ीफ़ है, इस हदीस में उन पर इलज़ाम झूठ है। अगर यह ज़बान की तेज़ होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन की दूसरी शादी उसामा से कराने में दिलचस्पी न लेते, और यह न फ़रमाते कि शादी से पहले मुझ से मश्वरा लेना।

बाब {बत्ता तलाक़ वाली महिला दिन में घर से निकल सकती है।}

2297:— जाबिर रज़ि॰ बयान करते हैं कि मेरी ख़ाला को तीन तलाक़ दे दी गयी तो वह अपनी खजूरें काटने के लिये घर से निकलीं तो उन्हें एक आदमी मिला जिस ने बाहर निकलने से मना किया। इस पर वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयीं औ आप को बताया तो आप ने फ़रमायाः चली जाया करो और खजूरें काट लिया करो। तुम उस से सदक़ा या कोई नकी का काम ही करोगी।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि ज़रुरत पड़ने पर किसी अहम काम के लिये घर से बाहर जा सकती है, लेकिन ज़रुरी है कि शाम को घर वापस आ जाये और रात घर ही में बिताऐ।

बाब {जिस महिला का पति देहान्त कर जाये तो उस को एक साल तक का ख़र्च देने का हुक्म मन्सूख़ है।}

2298:— सूरः बक़रह की आयत न॰ 240 "और तुम में से जो लोग देहान्त कर जायें.......की

तफ़सीर में इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि यह हुक्म मीरास वाली आयत से मन्सूख़ है और उन्हें चौथा या आठवाँ हिस्सा मिलेगा। और एक साल की मुद्दत भी मन्सूख़ है। और अब उस की मुद्दत (अ़िद्दत) चार माह दस दिन है।

फ़ाइदा:— पति की अगर औलाद है तो पत्नीको आठवाँ हिस्सा मिलेगा, वर्ना चौथा हिस्सा मिलेगा।

बाब {शौहर मर जाये तो उस की पत्नी कितने दिन सोग मनाए।}

2299:— अबू सलमा की बेटी ज़ैनब (जो कि रबीबा थीं) ने नीचे की तीन हदीसें बयान कीं है (पहली हदीस) ज़ैनब रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं (की पत्नी) उम्मे हबीबा रज़ि॰ से यहाँ गया जबकि उन के पिता अबू सुफ़यान का देहान्त हो गया था तो उन्होंने खुश्बू मँगाई जिस में ज़र्दी थी, वह ख़लूक़ थी या कुछ और। उन्होंने उस खुश्बू को लौंडी को लगाया, फिर अपने हाथों को अपने गालों पर मल लिया, और कहाः अल्लाह की क़सम! मुझे खुश्बू की कोई ज़रुरत नहीं है, मगर मैंने सुना है आप ने फ़रमायाः किसी महिला के लिये हलाल नहीं जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखती हो कि वह किसी मरने वाले पर तीन दिन से अधिक सोग मनाये, सिवाए शौहर के कि उस के लिये अ़िद्दत चार माह दस दिन है।

(दूसरी हदीस) ज़ैनब रज़ि॰ ने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी ज़ैनब बिन्त जहश रज़ि॰ के पास आयी जबकि उन के भाई का देहान्त हो गया था। उन्होंने बताया कि जब किसी महिला का पति मर जाता तो वह एक छोटे से घर में रहती, बहुत ही ख़राब कपड़े पहनती और खुश्बू तो दूर की बात किसी चीज़ को हाथ तक न लगा सकती थी (कि पाकी हासिल कर ले) इसी हालत में एक वर्ष बीत जाता। फिर कोइ जानवर लाया जाता, गधा बकरी या कोई और परिन्दा। तो वह उसे अपनी शर्मगाह के साथ छूती तो वह मर जाती। फिर वह बाहर निकलती और उसे फेंकने के लिये जानवर की मेंगनी दी जाती तो वह उसे फेंकती। इस के बाद जो वह चाहती खुश्बू वग़ैरह प्रयोग में लाती।

अबू दावूद ने कहा कि "हिफ़्श" के माना तन्ग तारीक और छोटा घर।

बाब {जिस महिला का पति मर जाये तो वह अ़िद्दत गुज़ारने के लिये दूसरे के घर जाये या न जाये।}

2300:— फुरैआ़ बिन्त मालिक बिन सनान रज़ि॰ से रिवायत है (यह अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ की बहन थीं) बयान करती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुयी ताकि आप से इजाज़त लेकर अपने खान्दान (मौके) बनी खुदरा में चली जाऊँ। क्योंकि मेरे पति अपने गुलामों को तलाश करने गये थे जो भाग गये थे। जब गुलाम क़दूम स्थान के आस-पास थे कि मेरे पति ने उन्हें जा लिया, मगर उन्होंने उन की हत्या कर दी। चुनान्चे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास इसीलिये हाज़िर हुयी थी कि मुझे अपने घर वालों में लौट जाने की अनुमति दें। इसलिये कि मेरे पति ने मुझे अपने ज़ाती मकान में नहीं छोड़ा था और न ही

कोई ख़र्चा छोड़ कर गये थे।

फुरैआ़ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सुन कर पहले तो अनुमति दे दी, तो मैं आप के पास से निकली और जब हुजरे में या मस्जिदे नबवी में थी कि आप ने मुझे बुलाया या बुलवाया और फ़रमायाः तुम ने कैसे कहा है? तो मैंने अपनी घटना यानी शौहर के क़त्ल की घटना को दोबारा दोहराया, तो आप ने फ़रमायाः अपने पति के मकान में ठहरो, यहाँ तक कि अल्लाह की किताब की (बयान की हुयी) मुद्दत पूरी हो जाये। उन्होंने कहा कि फिर मैंने उसी मकान में अपनी अ़िद्दत पूरी की, यानी चार माह दस दिन। उन्होंने बयान किया कि जब उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ि॰ के ख़िलाफ़त का ज़माना आया तो उन्होंने मेरी तरफ़ सन्देश भेजा और मुझ से इस मस्अला की तफ़सील मालूम की तो मैं ने उन्हें (तफ़सील से) सूचित कर दिया। चुनान्चे उन्होंने उसी पर अ़मल किया और उसी के अनुसार फ़ैसला किया।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि महिला अ़िद्दत उसी मकान में गुज़ारे जहाँ पति का देहान्त हुआ है। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो, या कोई रुकावट हो और उस मकान में रहना असंभव हो तो दूसरी बात है।

बाब **{उन लोगों की दलील जो महिला के दूसरे स्थान पर अ़िद्दत गुज़ारने को जाइज़ समझते हैं।}**

2301:— अ़ता बिन अबू रिबाह बयान करते हैं कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने फ़रमाया कि सूरः बक़रह की आयत न॰ 240 ग़ै-र इख़राजिन्" ने महिला के लिये शौहर के घर में अ़िद्दत गुज़ारने को मन्सूख़ कर दिया है अब जहाँ चाहे अ़िद्दत गुज़ारे। इमाम अ़ता ने (इन फ़तवेकी वज़ाहत में) कहाः चाहे तो पति के घर में अ़िद्दत गुज़ारे जैसे कि उस के लिये वसिय्यत है और चाहे तो वहाँ से रुख़्सत हो जाये। क्योंकि अल्लाह पाक ने फ़रमायाः "अगर वह घर से चली जायें तो कोई गुनाह नहीं.......... (240) इमाम अ़ता कहते हैं कि मीरास की आयत नाज़िल हुयी तो पति केघर में अ़िद्दत बिताने का हुक्म मन्सूख़ हो गया, अब जहाँ चाहे अ़िद्दत गुज़ार ले।

फ़ाइदा:— जमहूर उलमा का कहना है कि एक साल तक खाना-खर्चा और रिहाइश का हुक्म पहले था, फिर उसे मन्सूख कर के चार माह दस दिन कर दिया गया।

बाब **{अ़िद्दत वाली महिला अ़िद्दत गुज़ारने के दौरान किन कामों के करने से बचे।}**

2302:— उम्मे अतिय्या रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः महिला किसी (मय्यित) पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न मनाए, सिवाए शौहर के। शौहर के लिये चार माह दस दिन सोग मनाए। कोई रंगीन कपड़ा न पहने, मगर वह कपड़ा जिस की बुनाई ही रंगीन धागों से हुई हो (जैसे यमनी चादर वग़ैरह) न सुरमा लगाये, न ख़ुश्बू का इस्तेमाल करे, मगर हैज़ से पाक होने के बाद थोड़ी बहुत कुस्त या अज़फ़ार नाम की खुश्बू का इस्तेमाल कर सकती है। याक़ूब रावी ने यह भी इज़ाफ़ा किया है कि "मेंहदी न लगाए"

फ़ाइदा:— पत्नी चाहे छोटी आयु की हो या बड़ी, उस से संभोग हुआ हो या न हुआ हो, पति के

देहान्त के बाद चार माह दस दिन अ़िद्दत गुज़ारेगी और शरीअ़त ने जिन चीज़ों के प्रयोग से मना किया है उन से दूर रहेगी।

2303:— उम्मे अ़तिय्या रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यही (ऊपर की) हदीस बयान करती हैं, मगर यह रिवायत पूरी तरह ऊपर की रिवायत की तरह नहीं है। (इस में इतना और इजाफ़ा है कि) यज़ीद ने बयान किया कि मेरे ख़याल से इस में यह भी है कि "मेंहदी भी न लगाए" जबकि हारुन ने इज़ाफ़ा किया है कि "रंगीन कपड़ा न पहने मगर यह कि उस की बुनाई ही रंगीन धागों से हो (जैसे कि यमनी धारी दार चादरें होती हैं)

2304:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस महिला का पति मर जाये वह ज़ाफ़रान या गेरु रंग के कपड़े न पहने, न ज़ेवर इस्तेमाल करे, न मेंहदी लगाए और न ही सुरमा का इस्तेमाल करे।

2305:— उम्मे हकीम बिन्त असीद अपनी माता जी से रिवायत करती हैं कि पति का देहान्त हो गया (तो मैं अ़िद्दत में थी, इसी बीच) मेरी आँखें ख़राब रहने लगीं, तो मैंने (जिला नाम का) सुर्मा इस्तेमाल करना चाहा। अहमद बिन सालेह ने कहा कि सहीह रिवायत "कुह्लुल् जिलाइ" (जिला का सुमा) है। तो मैंने अपनी नौकरानी को उम्मे सलमा के पास भेजा और "कुहलुल् जिला" (रोशनी देने वाला सुर्मा) इस्तेमाल करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः न इस्तेमाल करें, मगर यह कि मजबूरी हो तो रात को इस्तेमाल करे और दिन में साफ़ कर डालें। यह हदीस बयान करते हुये उम्मे सलमा रज़ि॰ ने बताया कि अबू सलमा के देहान्त के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाये, उस समय मैंने अपनी आँख पर एलवा लगा रखा था। आप ने पूछाः ऐ उम्मे सलमा! यह क्या है? मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह एलवा है और इस में कोई खुश्बू नहीं होती है। आप ने फ़रमायाः यह चेहरे को ज़ीनत बख़्शता है इसलिये सिर्फ़ रात को प्रयोग करो और दिन में साफ़ कर दिया करो। और किसी खुश्बू वाली चीज़ के साथ और मेंहदी के साथ कन्घी न करो (सर न धो ओ) क्योंकि यह ख़िज़ाब है। मैं ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! तो फिर किस चीज़ से मैं कन्घी करुँ? आप ने फ़रमायाः बैरी के पत्तों से। उसे अपने सर पर चपड़ लिया करो (बाद में धो डाला करो)

बाब {हमल वाली महिला की अ़िद्दत के मसाइल।}

2306:— उबैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उतबा ने बयान किया कि मेरे पिताजी ने उमर बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़र्क़म ज़ोहरी को पत्र लिखा और उन्हें हुक्म दिया कि सुबैअ़ा के पास जायें और उन से उन का क़िस्सा मालूम करें, और यह मालूम करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें क्या फ़रमाया था, जब उन्होंने आप से मस्अला पूछा था? चुनान्चे उमर बिन अ़ब्दुल्लाह ने अ़ब्दुल्लाह बिन उतबाको लिख भेजा कि सुबैअ़ा ने बताया कि मैं सअ़द बिन ख़ौला के निकाह में थी जो कि क़बीला बनी आ़मिर बिन लुई में से थे, वह बद्र की लड़ाई में शरीक हुये थे

और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के अन्तिम हज्ज के मौक़ा पर उन का देहान्त हुआ था, उन दिनों में हमल से थी। उन के देहान्त के कुछ ही समय के बाद बच्चा पैदा हो गया। जब निफ़ास के खून से पाक हो गयी तो निकाह का पैग़ाम लाने वालों के लिये बनाव-सिंगार शुरु कर दिया। चुनान्चे बनी अ़ब्दुद्दार का एक शख़्स अबू सनाबिल मेरे पास आया और मुझ से कहाः क्या वजह है कि तुम ने बनाव सिंगार कर रखा है, शायद तुम निकाह करना चाहती हो? अल्लाह की क़सम! तुम चार माह दस दिन से पहले निकाह नहीं कर कसती। सबीअ़ा कहती हैं कि उस की बातों को सुन कर मैंने अपने कपड़े बाँधे और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आप से इस बारे में पूछा तो आप ने फ़रमायाः जब बच्चा पैदा हो गया है तो तू हलाल हो गयी है। फिर आप ने फ़रमायाः अगर मैं चाहूँ तो निकाह कर सकती हूँ।

इब्ने शिहाब ज़ोहरी ने कहा कि बच्चा पैदा होने के बाद मैं ऐसी महिला के निकाह में कोई हरज नही समझता, चाहे अभी निफ़ास का खून आ रहा हो, मगर शौहर खून बन्द होने से पहले संभोग नहीं करेगा।

2307:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है वह फ़रमाते हें कि जो चाहे मैं उस से मुबाहला कर सकता हूँ कि छोटी सूरः निसा (यानी सूरः तलाक़) चार माह दस दिन (के साबिक़ा हुक्म) के बाद ही नाज़िल हुयी थी (यह हुक्म सूरः बक़रह की आयत न॰ 234 में बयान हुआ है)

फ़ाइदा:— सूरः तलाक़ की आयत न॰ 4 में है "हमल वालों की अ़िद्दत यह है कि बच्चा पैदा हो जाये।" सूरः निसा जैसी बड़ी सूरः में महिलाओं के अहकाम बयान हुये हैं, वहीं सूरः तलाक़ जैसी छोटी सूरः में भी बयान हुये हैं, इसलिये इस सूरः को छोटी निसा कहा है। सूरः बक़रह की आयत 234 में चार माह दस दिन की जो अ़िद्दत है वह ऐसी महिला की अ़िद्दत है जो हमल से न हो।

बाब {उम्मे वलद की अ़िद्दत का बयान।}

2308:— अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ ने फ़रमायाः हम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत को गडमड न करो। इब्ने मुसन्ना ने कहाः हमारे नबी की सुन्नत को.....जिस महिला का पति मर जाये उस की अ़िद्दत चार माह दस दिन है, यानी उम्मे वलद (उन की मुराद यह थी कि महिला चाहे आज़ाद हो या उम्मे वलद, सब के लिये एक ही हुक्म है।)

फ़ाइदा:— वह लौंडी जिस से उस के मालिक की औलाद भी हो "उम्मे वलद" कहलाती है। उम्मे वलद की भी अ़िद्दत चार माह दस दिन है।

बाब {तीन तलाक़ वाली से उस का पहला पति दोबारा निकाह नही कर सकता जब तक कि वह महिला किसी और से निकाह न करे।}

2309:— आ़इशा रज़ि॰ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक शख़्स ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी तीन तलाक़। फिर उस ने किसी और से निकाह कर लिया। वह उस के पास गया मगर संभोग से पहले ही तलाक़ दे दी तो क्या यह पहले पति के लिये हलाल है? आ़इशा रज़ि॰ ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह महिला

पहले पति के लिये हलाल नहीं यहाँ तक कि वह किसी दूसरे मर्द की मिठास चख ले और वह मर्द उस महिला की मिठास चख ले।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि पहले पति के लिये उसी समय हलाल होगी जब कि दूसरा पति उस से संभोग करे और एक दूसरे का स्वाद चखें। अगर संभोग से पहले तलाक़ दे दी तो पहले पति के लिये जिस ने तीन तलाक़ दी है, हलाल न होगी।

बाब {ज़िना की बुराई का बयान।}

2310:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा गुनाह सब से बड़ा है? आप ने फ़रमाया: अल्लाह पाक के साथ तुम किसी को शरीक ठहराओ हालाँकि उस ने तुम्हें पैदा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा: फिर कौन सा? आप ने फ़रमाया: तुम अपने बच्चे को इस डर से क़त्ल कर दो कि वह तुम्हारे साथ मिल कर खायेगा। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा: फिर कौन सा गुनाह? आप ने फ़रमाया: तुम अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना करो। कहते हैं कि अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के फ़रमान की तस्दीक़ में यह आयत नाज़िल फ़रमायी: "रहमान के बन्दे वह हैं जो अल्लाह के साथ किसी को नहीं पुकारते और न ही अल्लाह की हराम की हुयी किसी जान की हत्या करते हैं, मगर हक़ के साथ। और न बदकारी करते हैं" (सूर: फ़ुरक़ान-68)

2311:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि एक अन्सारी की लौंडी मुसेका नाम की आई और कहने लगी: मेरा मालिक बदकारी पर मजबूर करता है। चुनान्चे इस बारे में यह आयत नाज़िल हुयी: "और अपनी लौंडियों को बदकारी के लिये मजबूर न करो।"

2312:— मोतर अपने पिता (सुलैमान तैमी) से बयान करते हैं कि आयत: "जिस को मजबूर किया गया तो अल्लाह.........की तफ़सीर में सअ़ीद बिन अबुल हसन कहते हैं कि अल्लाह पाक "मजबूर की गयी लौंडियों के लिये गफ़ूर और रहीम है।"

फ़ाइदा:— अ़ब्दुल्लाह बिन उबय्यि मुनाफ़िक़ के पास कई लौंडियाँ थीं उन में से एक का नाम मुसैका था, इस से वह पेशा कराता था। इन्कार करने पर जुल्म करता था। इसी नालायक़ के बारे में आयत नाज़िल हुयी। (15.5.2009, जुमा, दोपहर 2 बजे, बेतनार)

❀ ❀ ❀

(14) रोज़ों के अहकाम

बाब {रोज़ों के फ़र्ज़ होने की इब्तिदा का बयान।}

2313:— "ऐ ईमान वालों! तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है......(सूरः बक़र 183) की तफ़सीर में इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में लोग जब इशा की नमाज़ पढ़ लेते तो उन पर खाना-पीना और बीवियाँ हराम हो जाती थीं, और वह अगली शाम तक के लिये रोज़ादार हो जाते थे। फिर (ऐसा हुआ कि) एक आदमी अपने नफ़्स पर ख़ियानत कर बैठा, यानी उस ने अपनी पत्नी से संभोग कर लिया, जबकि वह इशा की नमाज़ पढ़ चुका था और (पेट भरकर) खाना भी नहीं खाया था, तो अल्लाह पाक ने चाहा कि इस अ़मल से बाक़ी लोगों के लिये आसानी, छूट और लाभ पैदा फ़रमा दे, तो अल्लाह पाक ने फ़रमायाः "अल्लाह पाक खूब जानता है कि तुम अपनी जानों के साथ ख़ियानत करते हो" (सूरः बक़रह 187) चुनान्चे यह फ़रमान इसी सिलसिले में है जिस के ज़रीआ़ से अल्लाह तआ़ला ने लोगों को नफ़ा दिया है और उन के लिये रुख़सत और आसानी फ़रमा दी है।

फ़ाइदा:— इस हदीस की रोशनी में आरंभ में इशा की नमाज़ के बाद खाना-पीना और पत्नी से संभोग हराम था, फिर बाद में अल्लाह पाक ने इजाज़त फ़रमा दी।

2314:— बरा रज़ि॰ से रिवायत है कि आदमी जब रोज़ा रखना चाहता और सो जाता तो फिर वह अगली शाम तक कुछ न खा सकता था। सिरमा बिन क़ैस अन्सारी रज़ि॰ अपनी पत्नी के पास आये जबकि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था और उस से कहाः क्या तुम्हारे पास (खाने की) कोई चीज़ हैं? उस ने कहाः नहीं, मगर मैं जाती हूँ और आप के लिये कुछ तलाश कर लाती हूँ। चुनान्चे वह तलाश करने गयी और इसी दर्मियान सर्मा की आँख लग गयी। जब वह लौट कर आयी (और पति को सोते हुये पाया) तो कहने लगीः अफ़सोस आप के घाटे पर। चुनान्चे दोपहर न हुआ था कि उन्हें बेहोशी तोरी होगयी, और वह दिन में अपनी ज़मीन में काम किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इस घटना के बोर में सूचना दी गयी, इस के बाद अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "रोज़े की रात में तुम्हारे लिये पत्नियों से संभोग को हलाल किया गया

है......और खाओ-पियो यहाँ तक कि फ़ज्र के वक़्त सुब्ह की सफ़ेद धारी सियाह धारी से जुदा नजर आने लगे" (सूरः बक़रः)

बाब **{"जो लोग रोज़ा रखने की ताक़त रखते हैं वह एक मिसकीन को फ़िदया में खाना दें" के मन्सूख होने का बयान।}**

2315:— सलमा बिन अकवा रज़ि॰ कहते हैं कि जब यह आयत नाज़िल हुयीः "और जो रोज़ा रखने की ताक़त रखते हों वह एक मिस्कीन के खाने का फ़िदया दें" तो हम में से जो चाहता रोज़ा छोड़ देता और फ़िदया देना चाहता तो फ़िदया दे दिया करता था, यहाँ तक कि इस के बाद वाली आयत उतरी, जिस ने इस (रुख़्सत) को मन्सूख़ कर दिया।

फ़ाइदा:— बाद वाली आयत "जो रमज़ान का महीना पाये वह रोज़ा रखे......." (सूरः बक़रः 185)

2316:— इक्रमा ने बयान किया कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ इस आयत "और जो रोज़ा रखने की ताक़त रखते हैं........." के बारे में फ़रमाते हैं कि जो कोई एक मिस्कीन का फ़िदया देना चाहता, तो दे देता था और उस का रोज़ा पूरा और मुकम्मल समझा जाता था। फिर अल्लाह पाक ने फ़रमायाः "जो खुशी से भलाई करे (यानी मिस्कीन को खाना खिलाये) तो यह उस के लिये बेहतर है और रोज़ा रखना तुम्हारे लिये बेहतर है।" और फ़रमायाः "जो शख़्स इस महीने में हाज़िर हो तो उसे चाहिये कि उस के रोज़े रखे........." (सूरः बक़रह 184, 185)

बाब **{ऊपर की आयत बड़े–बूढ़े और हमल वाली महिला के हक़ में साबित है।}**

2317:— इक्रमा ने बयान किया कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि यह आयत "और जो रोज़ा रखने की ताक़त रखते है......" हमल वाली और दूध पिलाने वाली के हक़ में मोहकम है (यानी मन्सूख़ नहीं है)

2318:— इब्ने अ़ब्बास रजि॰ से रिवायत है कि आयत "और जो रोज़ा रखने की ताक़त रखते हैं ..." की तफ़सीर में उन्होंने कहा कि बड़ी उम्र के बूढ़े मर्द और महिला के लिये रुख़्सत है कि रोज़ा रखने की ताक़त के बावजूद इफ़तार कर सकते हैं। वह हर रोज़ा के बदले एक मिसकीन को खाना खिला दिया करें। इसी प्रकार हमल वाली और दूध पिलाने वाली महिलाओं को जब डर हो (तो वह भी इफ़तार कर सकती हैं)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मक़सद यह है कि जब उन्हें अपने बच्चे के बारे में (किसी बीमारी या कमज़ोरी का) अन्देशा हो तो इफ़तार कर सकती हैं और बदले में खाना खिला दें।

फ़ाइदा:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ की यह रिवायत शाज़ है। इन रिवायतों से जो हुक्म निकलता है वह मन्सूख़ है। (1) बूढ़ा आदमी (2) बीमार आदमी (3) हमल वाली (4) दूध पिलाने वाली, यह चारों बीमार के हुक्म में हैं। यानी रोज़ा न रहें, लेकिन बाद में क़ज़ा करें, फ़िदया देकर बाद में क़ज़ा न करें ऐसा नहीं है।

बाब {महीना 29 दिन का भी होता है।}

2319:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हम उम्मी उम्मत हैं, हम लिखना नहीं जानते और न (बारिक) हिसाब कर सकते हैं (आप ने दोनों हाथों की दसों उँगलियाँ फैला कर इशारे से फ़रमाया) महीना ऐसे होता है, ऐसे होता है, और ऐसे होता है। और तीसरी बार में सुलैमान बिन हर्ब रावी ने अपनी एक उंगली बन्द कर ली, यानी 29 और 30 दिन।

2320:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः महीना 29 दिन का भी होता है, इसलिये चाँद देखे बिना न रोज़े शुरु करो और न देखे बिना ख़त्म करो। अगर बादल की वजह से नज़र न आये तो उस महीने के तीस दिन का अन्दाज़ा लगा लो। चुनान्चे जब शाबान की 29 वीं तारीख़ होती तो अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर के लिये चाँद देखा जाता, अगर चाँद नज़र आ जाता तो ठीक और अगर दिखाई न देता और दिखाई न देने में बादल या धूल रुकावट होता तो रोज़ा न रखते। लेकिन अगर आसमान में कोई बादल या धूल रुकावट न होता तो रोज़ा रख लेते। रावी ने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ लोगों के साथ ही रोज़ा छोड़ते और (बहुत ज़्यादा) हिसाब के चक्कर में न पड़ते।

फ़ाइदा:— बादल और गुबार वग़ैरह की वजह से चाँद न दिखाई देने पर एहतियात के तौर पर इब्ने उमर रोज़ा रख लिया करते थे कि हो सकता है अगला दिन रमज़ान का हो। लेकिन यह इन का अपना अ़मल है। सहीह यह है कि बादल वग़ैरह की वजह से चाँद न नज़र आये तो शाबान के तीस दिन पूरे किय जायें। शक का रोज़ा रखना मना है। और फिर यह हज़रत इब्ने उमर का अपना निजी अ़मल है।

2321:— उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ रह॰ ने बसरा नगर के लोगों को लिख भेजा कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यह हदीस पहुँची है जैसा कि ऊपर इब्ने उमर की हदीस है (हदीस न॰ 2320) उस हदीस में इतना और इज़ाफ़ा है कि "बेहतरीन अन्दाज़ा यह है कि अगर हम ने शाबान का चाँद फ़लाँ-फ़लाँ दिन देखा तो रोज़ा अल्लाह ने चाहा तो फ़लाँ दिन का होगा, मगर यह कि लोग इस से पहले ही चाँद देख लें।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। अस्ल चीज़ चाँद देखना है, न कि अटकल से हिसाब लगा कर चाँद को साबित करना।

2322:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ (रमज़ान में) 29, 29 रोज़े बहुत अधिक रखे हैं और 30, 30 के कम।

फ़ाइदा:— कहने का अर्थ यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में भी रमज़ान का महीना 29 का होता था। जो लोग एहतियाती एक रोज़ा रख कर 30 का महीना पूरा

करते हैं, वह ग़लत करते हैं और सुन्नत के ख़िलाफ़।

2323:— अ़ब्दुरहमान बिन अबू बक्रा अपने पिता से और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप ने फ़रमायाः "अ़ीद के दोनों महीने यानी रमज़ान और ज़िल् हिज्जा कम नहीं होते हैं।

फ़ाइदा:— इस हदीस के कई अर्थ हैं (1) दोनों महीने एक ही वर्ष में 29-29 के नहीं होते (2) दोनों महीने 29-29 के होंगे लेकिन सवाब व अज्र में 30, 30 के बराबर होंगे।

बाब {जब चाँद देखने में लोगों से ग़लती हो जाये।}

2324:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है (यह लंबी हदीस का एक हिस्सा है) कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अ़ीद उसी दिन है जब तुम इफ़तार करो और क़ुर्बानी का दिन वह है जिस दिन तुम क़ुर्बानी करो। सारा अ़रफ़ात का मैदान ठहरने की जगह है, और सारा मिना क़ुर्बानी की जगह है, मक्का के तमाम रास्ते में क़ुबानी की जगह हैं, और सारा मुज़दलिफ़ा ठहरने की जगह है।

फ़ाइदा:— अ़ीद या हज्ज के मौक़ा पर चाँद नज़र न आया और लोगों ने तीस का महीना पूरा कर लिया। बाद में मालूम हुआ कि चाँद 29 का था। तो इस से रोज़े और अ़रफ़ात में ठहरने और क़ुर्बानी आदि में कोई फ़र्क़ नही पड़ेगा, न सवाब में कमी आयेगी और न ही दोहराना पड़ेगा।

बाब {जब आसमान में बादल हों (और चाँद नज़र न आये)}

2325:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम शाबान महीने की तारीखों का इतना ख़याल रखते थे कि दूसरे महीनों का इतना ख़याल न रखते थे। फिर चाँद देख कर रमज़ान के रोज़े रखने शुरु करते। अगर कभी (शाबान की 29 तारीख का) मौसम ख़राब होता, तीस 30 दिन पूरे करते और फिर रोज़ा रखना आरंभ करते।

फ़ाइदा:— शक-शुब्हे के दिन में रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं। और स्वागत व इस्तिक़्बाल की भी निय्यत में रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं।

2326:— हुज़ैफ़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः महीना शुरु होने से पहले रोज़े मत रखो यहाँ तक कि चाँद देख लो, या तीस की गिनती पूरी कर लो, फिर रोज़े रखते जाओ यहाँ तक कि चाँद देख लो या तीन की गिनती पूरी कर लो।

बाब {अगर रमज़ान की 29 वीं को बादल हो (और चाँद न दिखाई दे) तो तीस रोज़े पूरे करो।}

2327:— इब्ने अ़ब्बरास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः रमज़ान का महीना शुरु होने से पहले एक-दो दिन के (इस्तिक़बाली) रोज़े मत रखो, मगर यह कि कोई शख़्स उस दिन का रोज़ा रखा करता हो। चाँद देख कर रोज़े शुरु करो, फिर रखते जाओ यहाँ तक कि (शव्वाल का) चाँद देख लो। अगर उस के दिखाई देने में कोई बादल रुकावट

हो तो 30 की गिनती पूरी कर लो और फिर रोज़ा रखना बन्द कर दो। और महीना 29 दिन का भी होता है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। लेकिन दूसरी सहीह रिवायतों से यह मस्अला साबित है। रमज़ान शुरु होने से एक दो दिन पहले अगर कोई क़ज़ा या नज्र का रोज़ा पूरा करना चाहता हो, या उस की आ़दत हो कि सोमवार और जुमेरात के रोज़े रख सकता है। यह इस्तिक़बाली रोज़े शुमार न होंगे, क्योंकि यह उस के रुटीन में दाख़िल है।

बाब {रमज़ान के इस्तिक़बाल का मस्अला।}

2328:— अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक शख़्स से पूछा कि क्या तुम ने शबान के अन्त में कोई रोज़ा रखा है? उस ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः जब (रमज़ान के) रोज़े पूरे कर लो तो एक दिन रोज़े रख लेना। (साबित या सअ़ीद जुरैरी दोनों में से किसी) एक ने बयान किया कि "दो दिन"

फ़ाइदा:— आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जिस को रमज़ान के बाद एक या दो रोज़े रखने की ताकीद फ़रमायी, वह शख़्स महीना के अन्त में रोज़े रखा करता था, लेकिन उस ने शाबान के अन्त में इसलिये रोज़े छोड़ दिये थे कि यह कहीं रमज़ान के स्वागत के संदर्भ में न आ जायें जो मना है।

2329:— अबू अज़हर मोग़ीरा बिन फ़रवा से रिवायत है कि मुआ़विया रज़ि॰ हिम्स नगर के बाब के पास "देरे मिस्-हल" में लोगों को खुत्बा देने के लिये खड़े हुये। उन्होंने लोगों से कहाः लोगों! हम ने शाबान का) चाँद फ़लाँ-फ़लाँ दिन देखा था, मैं (चाँद होने से) पहले रोज़े शुरु कर रहा हूँ, जो ऐसा करना चाहे कर ले। फिर मालिक बिन हुबैरा उन के सामने खड़े हुये और कहने लगेः ऐ मुआ़विया! इस सिलसिले में आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कुछ सुना है? या आप की अपनी राय है? उन्होंने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना हैः कि महीने में रोज़े रखा करो और महीने के अन्त में भी (दूसरा तर्जुमाः "रमज़ान के रोज़े रखो और उस के अव्वल में भी, यानी शाबान के आख़िर में)

2330:— अबू अ़म्र औज़ाअ़ी ने बयान किया कि "सिर्रुहू" के माना "महीना का आरंभ"

2331:— सअ़ीद बिन अ़ब्दुल अज़ीज़ बयान करते हैं कि "सिर्रह के माना" महीना का शुरु का हिस्सा।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि कुछ लोग इस का तर्जुमा बीच और कुछ लोग "महीना के अन्तिम दिन" भी करते हैं।

फ़ाइदा:— "आख़िर महीना" ही सब से सहीह तर्जुमा है।

बाब {चाँद जब एक शहर (क्षेत्र) में दूसरों से एक रात पहले नज़र आ जाये।}

2332:— कुरैब कहते हैं कि (इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ की माता जी) उम्मे फ़ज़्ल ने मुझे शाम में

मुआविया रज़ि॰ के पास भेजा। चुनान्चे मैं शाम गया और वहाँ उन का काम मुकम्मल किया, इसी दर्मियान रमज़ान का चाँद नज़र आ गया और मैं भी शाम ही में था। हम ने जुमा की रात को चाँद देखा। फिर महीना के अन्त में मैं मदीना वापस पहुँचा तो इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने मुझ से हाल-चाल पूछा और चाँद के बारे में ज़िक्र किया कि तुम ने उसे कब देखा था? मैंने कहा कि जुमा की रात को देखा था। उन्होंने पूछाः क्या तुम ने खुद देखा था? मैंने कहाः हाँ और दूसरे लोगों ने भी देखा था और सब ने रोज़ा भी रखा था, मुआविया ने भी रोज़ा रखा था। उन्होंने कहाः मगर हम ने तो उसे हफ़्ता की रात देखा था, और हम रोज़े रखेंगे और पूरे तीस रखेंगे (अपने देखने के हिसाब से) या फिर चाँद देख लें। मैंने कहाः क्या आप मुआविया के चाँद देखने और रोज़ा रखने को (शाहदत में) काफ़ी नहीं समझते? उन्होंने कहाः नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे ही आदेश दिया है।

फ़ाइदा:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ का कहने का मक़्सद यह है कि हर क्षेत्र के रहने वालों के लिये उन की अपनी रुयत है। इमाम शाफ़ई ने इतना और इज़ाफ़ा किया है कि अगर मुख़्तलिफ़ क्षेत्रों की रुयत हो तो सभी लोग एक साथ रोना रखेंगे वर्ना नहीं। इमाम इब्ने तैमिया का भी यही मज़हब है।

2333:— हसन बसरी रह॰ से रिवायत है कि एक शख़्स जो किसी नगर में हो और उस ने सोमवार को रोज़ा रखा हो। फिर दो आदमी गवाही दें कि उन्हेंने इतवार की रात (हफ़्ते की शाम) को चाँद देखा है। तोहसन ने कहाः यह आदमी और उस नगर वाले उस दिन के रोज़े की क़ज़ा न करे मगर यह कि उन्हें अच्छी तरह जानकारी हो कि मुसलमानों के शहरों में से किसी शहर वालों ने इतवार का रोज़ा रखा है, तब यह उस की क़ज़ा करें।

बाब {शक के दिन रोज़ा रखना मक्रुह (हराम) है।}

2334:— सिला बयान करते हैं कि हम लोग अम्मार बिन यासिर रज़ि॰ की ख़िदमत में हाज़िर थे और वह दिन शक वाला था (यानी चाँद होने की सूचना स्पष्ट नहीं थी) तो उन के सामने बकरी का गोशत पेश किया गया, उसे देख कर मज्लिस के कुछ लोग एक तरफ़ हो गये, तो अम्मार बिन यासिर रज़ि॰ ने कहाः जिस ने आज के दिन का रोज़ा रखा है उस ने अबुल क़ासिम (नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की मुख़ालिफ़त की है।

फ़ाइदा:— "शक के दिन" से मुराद यह कि मालूम नहीं आज चाँद निकला है या नहीं।

बाब {जो कोई शबान को रमज़ान के साथ मिला दे।}

2335:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः रमज़ान से एक दो दिन पहले रोज़े न रखो, मगर जो कोई शख़्स किसी दिन का रोज़ा रखता रहा तो वह रख ले।

फ़ाइदा:— शबान को रमज़ान के साथ मिलाने का अर्थ यह है कि शाबान के अन्त में रोज़े रखना

शुरु करे यहाँ तक कि रमज़ान शुरु हो जाये। लेकिन अगर किसी ने मामूल बना लिया है कि वह सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखता है तो उस के लिये रुख़्सत है।

2336:— उम्मे सलमा रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बारे में बयान करती हैं कि आप साल में किसी महीने के पूरे रोज़ न रखते थे मगर शाबान के, कि उसे रमज़ान से मिला देते थे।

फ़ाइदा:— "मिला देते थे" इस का अर्थ है कि शाबान में अधिक रखते थे। वर्ना रमज़ान में मिलाना दुरुस्त नहीं।

बाब {आधे शाबान के बाद रोज़ा रखने की कराहियत।}

2337:— अ़ब्बाद बिन कसीर मदीना आये और अ़ला बिन अ़ब्दुर्रहमान की मज्लिस में आ गये पस अ़ब्बाद ने अ़ला का हाथ पकड़ कर उन्हें खड़ा कर दिया, फिर कहा: ऐ अल्लाह! यह शख़्स अपने बाप से और वह अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब शाबान आधा गुज़र जाये तो रोज़ा न रखे। फिर अ़ला ने कहा: ऐ अल्लाह! मेरे वालिद (अ़ब्दुर्रहमान) ने मुझे अबू हुरैरा रज़ि॰ से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से यही हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— आधे शाबान के बाद रोज़ों की कराहत ऐसे लोगों के लिये है जो उन दिनों के रोज़ों के आ़दी न हों। अगर आ़दत हो तो रख लेने में कोई हरज नहीं। मना करने का मक़्सद यह है कि रमज़ान में कमज़ोरी का एहसास न हो।

बाब {शव्वाल का चाँद देखने में दो आदमियों की गवाही होनी चाहिये।}

2338:— हुसैन बिन हारिस बयान करते हैं कि मक्का के गवर्नर ने खुत्बा दिया और कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम से वादा लिया कि हम चाँद देख कर ही हज्ज के अर्कान अदा करें। अगर हम खुद न देख सकें और दो नेक आदमी गवाही दे दें तो हम उन की गवाही पर हज्ज कर लें।(अबू मालिक कहते हैं कि) मैंने हुसैन बिन हारिस से पूछा: मक्का के गवर्नर कौन थे? उन्होंने कहा: मुझे मालूम नहीं। बाद में वह मुझे दोबारा मिले तो बताया कि वह हारिस बिन हातिब थे, यानी मुहममद बिन हातिब के भाई। फिर अमीर ने कहा: बिला शुब्हा तुम में वह ज़ात मौजूद है जो अल्लाह और उस के रसूल के बारे में मुझ से ज़्यादा ख़बर रखती है। इस बात की गवाही उसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से दी है और अपने हाथ से एक आदमी की तरफ़ इशारा किया है। हुसैन ने बताया......मैंने अपने बग़ल में बैठे हुये एक शख़्स से पूछा कि वह आदमी कौन हैं जिन की तरफ़ अमीर ने इशारा किया है? उन्होंने कहा: यह अ़ब्दुल्लाह बिन उमर हैं और उन्होंने सच कहा कि यह अल्लाह के बारे में उन से ज़्यादा (शरीअ़त के अहकाम) जानते थे तो अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें इसी बात का हुक्म दिया है।

2339:— रिबओ़ी बिन हिराश, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के किसी सहाबी से रिवायत करते हैं कि रमज़ान के अन्तिम दिन के बारे में लोगों का इख़्तिलाफ़ हो गया, तो दो बद्दू नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये और उन्होंने आप के सामने गवाही दी (क़सम खाई) कि उन्होंने कल शाम को चाँद देखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि वह रोज़ा तोड़ दें।

और ख़ल्फ़ बिन हिशाम की रिवयत में इतना और भी है कि आप ने फ़रमाया' अगले दिन सुब्ह को (ओ़द की नमाज़ अदा करने के लिये) ओ़दगाह जायें।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि दो नेक मुसलमान अगर गवाही दें तो उन की बातों पर अ़मल होगा। उलमा ने एक नेक मुसलमान की गवाही को भी हुज्जत माना है। अ़ल्लामा शौकांनी भी इसी को तर्जीह इेते हैं। हाँ, माली मामलात में दो गवाहों की गवाही लाज़िम है।

बाब {रमज़ान के चाँद में एक आदमी की गवाही भी काफ़ी है।}

2340:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि एक बद्दू नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और कहाः मैंने चाँद देखा है। हसन बिन अ़ली ने अपनी हदीस में स्पष्ट करते हुये कहा कि इस से मुराद रमज़ान का चाँद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या तू लाइलाह इल्लल्लाह की गवाही देता है? उस ने कहाः हाँ। आप ने पूछाः क्या तू गवाही देता है कि मुहम्मद अल्लाह के सन्देष्टा हैं? उस ने कहाः हाँ। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ बिलाल! लोगों में एलान कर दो कि सुब्ह को रोज़ा रखें।

2341:— इक्रमा ने बयान किया कि सहाबा को एक बार रमज़ान के चाँद में शक हो गया तो उन्होंने इरादा किया कि न क़ियाम करें और न रोज़ा रखें। इसी बीच हर्रा की तरफ़ से एक दीहाती आया, उस ने गवाही दी कि मैंने चाँद देखा है। चुनान्चे उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में पेश किया गया तो आप ने फ़रमायाः क्या तू लाइलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह की गवाही देता है? उस ने कहाः हाँ और गवाही दी कि मैंने चाँद देखा है। तब आप ने बिलाल को हुक्म दिया कि लोगों में एलान कर दो कि रात को क़ियाम करें और सुब्ह को रोज़ा रखें।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस हदीस को एक जमाअ़त ने सिमाक......इक्रमा से मुर्सल रिवायत किया है। और क़ियाम का ज़िक्र हम्माद बिन सलमा के अ़लावा किसी ने नहीं किया।

2342:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि लोगों ने चाँद देखने की कोशिश की, तो मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ख़बर दी कि मैंने चाँद देख लिया है, तो आप ने रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया।

फ़ाइदा:— रमज़ान का चाँद होने के बारे में बहुत से उलमा एक नेक मुसलमान की गवाही को काफ़ी समझते हैं। इस हदीस से भी इस मस्अले की ताईद होती है। ऊपर की दोनों हदीसें (2340, 2341) ज़ओ़फ़ हैं।

बाब {सहरी खाने की ताकीद।}

2343:— अम्र बिन आस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः हमोर और अहले किताब के रोज़े में फ़र्क़, सहरी के खाने का है।

बाब {सहरी को "ग़दा" (सुब्ह का खाना) कहना जाइज़ है।}

2344:— इरबाज़ बिन सारिया रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान में सहरी के लिये बुलाया और फ़रमायाः आओ, सुब्ह का मुबारक खाना खा लो।

फ़ाइदा:— खाने की इच्छा न होने के बावजूद एक-आध लुक़्मा खा कर पानी पी लेना चाहिये कि सुन्नत पर अमल हो जाये।

2345:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः खजूर मोमिन की बेहतरीन सहरी है।

बाब {सहरी के समय का बयान।}

2346:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ ने खुत्बा दिया और बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बिलाल की अज़ान तुम्हें तुम्हारी सहरी से हर्गिज़ न रोके, और न पूरब की सफ़ेदी (जो कि सीधी ऊपर को चढ़ती है) यहाँ तक कि चारों तरफ़ फैलाने लगे।

फ़ाइदा:— फ़ज्र की दो क़िस्में हैं (1) फ़ज्र काज़िब (2) फ़ज्र सादिक़। फ़ज्र काज़िब में सहरी खाई जाती है। इस में पहले सफ़ेदी (रोशनी) सीधी आसमरान को उठती है, फिर जल्द ही दोबारा सफ़ेदी निकल कर चारों तरफ़ फैल जाती है, इस का नाम फ़ज्र सादिक़ है।

2347:— अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः बिलाल की अज़ान तुम में से किसी को सहरी खाने से हर्गिज़ न रोके। बिला शुब्हा वह अज़ान कहते हैं.....या विदा देते हैं .... ताकि तुम में जो नमाज़ पढ़ते हैं (तहज्जुद की नमाज़ में) रुक जायें। और फ़ज्र (फ़ज्र सादिक़) वह नहीं जो इस तरह से ज़ाहिर हो....... मुसद्दद ने कहा कि हदीस के रावी यहया ने अपनी दोनों हथेलियाँ मिला कर उन को ऊँचा कर के दिखाया (जो ऊँची और लंबी रोशनी अव्वल समय में होती है वह सुब्ह नहीं) आप ने फ़रमायाः "जब तक इस प्रकार प्रकट न हो" और यहया ने अपनी शहादत की दोनों उंगलियाँ चारों तरफ़ फैला कर इशारे से समझाया।

2348:— क़ैस बिन तल्क़ अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः (रात को) खाओ और पियो, ऊपर चढ़ने वाली सफ़ेदी तुम्हें इस से न रोके, यहाँ तक कि आसमान में चारों तरफ़ लाली फैलनी शुरु हो जाये।

फ़ाइदा:— सहीह बात यह है कि चारों तरफ़ सफ़ेदी फैलने लगे। ताहम बाज़ दफ़ा आसमान में बादल हो, तो फिर लाली सी भी फैलाती हुयी नज़र आती है। लेकिन आम हालात में सफ़ेदी ही

फैलती है, न कि लाली।

2349:— अ़दी बिन हातिम रज़ि॰ ने बयान किया कि जब यह आयत "तुम खाते-पीते रहो यहाँ तक कि सुब्ह का सफ़ेद धागा, काले धागे से स्पष्ट हो जाये" (सूरः बक़र' 187) नाज़िल हुयी तो मैंने दो रस्सियाँ ले लीं, एक सफ़ेद और दूसरी काली, और उन्हें अपने तकिए के नीचे रख लिया। मैं उन्हें देखता रहा, मगर यह स्पष्ट रुप से ज़ाहिर न हुयी तो मैं ने यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ज़िक्र की तो आप हँसे और फ़रमायाः "तुम्हारा तकिया तो बहुत लंबा चौड़ा है" इस से मुराद तो रात और दिन है। उस्मान के अल्फ़ाज़ यह हैं कि इस से मुराद रात की सियाही और दिन की सफ़ेदी है।

बाब {आदमी फ़ज्र की अज़ान सुने और बर्तन उस के हाथ में हो।}

2350:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से जब कोई (फ़ज्र की) अज़ान सुने और बर्तन उस के हाथ में हो तो उसे रखे नहीं, बल्कि अपनी ज़रुरत पूरी कर लो।

फ़ाइदा:— सहरी का समय तंग रहा हो और अज़ान अपने ठीक समय पर होजाये तो इजाज़त है कि चटपट दो चार लुक़्मे खा कर पानी पी ले। मगर ऐसा मामूल बना लेना दुरुस्त नहीं होगा।

बाब {रोज़ा इफ़तार करने का समय।}

2351:— उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब इधर से (यानी पूरब से) रात आ जाये और उधर से (यानी पश्चिम से) दिन चला जाये। रावी मुसद्दद ने इतना और कहा कि "और सूरज डूब जाये" तो रोज़ादार के लिये इफ़तार का समय हो गया।

2352:— अ़ब्दुल्लाह बिन अबू औफ़ा रज़ि॰ ने बयान किया कि (एक सफ़र में) हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ गये जबकि आप रोज़े से थे। जब सूरज डूब गया तो आप ने फ़रमाया कि ऐ बिलाल! उतरो और मेरे लिये सत्तू घोलो। उन्होंने कहाः ज़रा शाम हो लेने दीजिये। आप ने फ़रमायाः उतरो और हमारे लिये सत्तू धोलो। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अभी तो दिन है। आप ने फ़रमायाः उतरो और हमारे लिये सत्तू घोला। चुनान्चे बिलाल ने उतर कर सत्तू धोया और आप ने पिया फिर फ़रमायाः जब देखो कि इधर से रातहो गयी है तो बिला शुब्हा रोज़ेदार के लिये इफ़तार का समय हो गया। और आप ने अपनी उंगली से पूरब की तरफ़ इशारा फ़रमाया।

फ़ाइदा:— सूरज डूबते ही इफ़तार का समय हो जाता है। डूब जाने के बाद एहतियात के तौर पर कुछ और ताख़िर (लेट) करना कोई माना नहीं रखता।

बाब {(सूरज डूब जाने के बाद) इफ़तार में जल्दी करना मुस्तहब है।}

2353:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

दीन उस समय तक ग़ालिब रहेगा जब तक लोग इफ़तार करने में जल्दी करते रहेंगे, क्योंकि यहूद और नसारा ताख़ीर से इफ़तार करते हैं।

2354:— अबू अ़तिय्या (मालिक बिन आ़मिर) से रिवायत है कि मैं और मसरुक़ आइशा रज़ि॰ के पास हाज़िर हुये। हम ने कहा' ऐ मुसलमानों की माँ! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से दो लोगों का अ़मल कुछ इस तरह है कि उन में से एक इफ़तार करने और नमाज़ (मग़िरब) पढ़ने में जल्दी करता है और दूसरा इफ़तार और नमाज़ में ताख़ीर करता है। हम ने कहा: वह अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ हैं। उन्होंने कहा: नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी ऐसे ही किया करते थे।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की हदीस की मौजूदगी में सहाबी का अ़मल हमारे लिये हुज्जत नहीं है। नमाज़ में एहतियाती विलंब (ताख़ीर) कोई माना नहीं रखता। अव्वल समय पर अ़मल करना ही सुन्नत है।

बाब {किस चीज़ से इफ़तार किया जाये।}

2355:— सलमान बिन आ़मिर रज़ि॰ (जो कि रबाब के चचा हैं) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से किसी ने रोज़ा रखा हो तो चाहिये कि खजूर से इफ़तार करे। अगर खजूर न पाये तो पानी से इफ़तार करे, बिला शुब्हा पानी पाक करने वाला है।

फ़ाइदा:— यह हुक्म के तौर पर नहीं है। किसी भी चीज़ से इफ़तार करना जाइज़ है।

2356:— अनस बिन मालिक रज़ि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ से पहले ताज़ा खजूरों से रोज़ा इफ़तार फ़रमाते। अगर ताज़ा खजूरें न होतीं तो सूखे खजूर ही खा लेते। यह भी न होती तो पानी के चन्द घूँट पी लिया करते थे।

बाब {रोज़ा इफ़तार करने के समय की दुआ़।}

2357:— मरवान बिन सालिम मुक़फ़्फ़ा बयान करते हैं कि मैंने इब्ने उमर रज़ि॰ को देखा कि वह दाढ़ी को अपनी मुट्ठी में लेते और उस से जो बढ़ी हुयी होती उसे काट देते। और बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब रोज़ा इफ़तार करते तो यह दुआ़ पढ़ते थे:

> ***ज़-ह-बज़्ज़-मउ वब्-तल्लतिल् उरूकु व-स-ब-तल अज्रु इन् शा-अल्लाहु***
> (प्यास बुझ गयी, रगेंतर हो गयी, और अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया)"

फ़ाइदा:— इब्ने उमर रज़ि॰ का दाढ़ी काटना यह उन का अपना अ़मल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत से कोई सम्बन्ध नहीं। इफ़तार की यह दुआ़ सहीह है। जो लोग "अल्लाहुम्म ल-क सुमतु.....पढ़ते हैं, यह हदीस ज़ई़फ़ है।

2358:— मुआ़ज़ बिन जुहरा (ताबई़) से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम

इफ़तार के समय यह दुआ पढ़ते थे।

अल्लाहुम्म ल–क सुमतु व–अला रिज़कि–क अफ़–तरतु

(ऐ अल्लाह मैंने तुम्हारे लिये रोज़ा रखा और तेरे ही रिज़क़ से इफ़तार कर रहा हूँ।) (यह हदीस ज़ईफ़ है)

बाब {अगर सूरज डूबने से पहले ही इफ़तार कर ले।}

2359:— अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ की पुत्री अस्मा रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में रमज़ान के महीना में हम ने एक दिन बादल की वजह से रोज़ा खोल लिया, फिर सूरज निकल आया। अबू उसामा कहते हैं कि मैंने हिशाम से पूछा: तो क्या फिर उन्हें क़ज़ा करने का हुक्म दिया गया था? उन्होंने कहा: भला इस से कहाँ नजात है।

फ़ाइदा:— ऐसी हालत में रोज़ा की क़ज़ा की बाबत इख़्तिलाफ़ है। ताहम जमहूर उलमा के नज़दीक ऐसे रोज़े की क़ज़ा है।

बाब {इफ़तार किये बिना लगातार रोज़े रखने का बयान।}

2360:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ों में वसाल करने से मना फ़रमाया। सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप तो वसाल करते हैं। आप ने फ़रमाया: मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ: मुझे खिलाया–पिलाया जाता है।

2361:— अबू सईद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम लोग (रोज़ों में) वसाल न करो। जो कोई करना ही चाहे तो सहरी तक करे। सहाबा ने कहा: आप तो वसाल फ़रमाते है। आप ने फ़रमाया: में तुम्हारी तरह नहीं हूँ, एक खिलाने वाला है जो मुझे खिलाता है और एक पिलाने वाला है जो मुझे पिलाता है।

फ़ाइदा:— बिना इफ़तार किये कोई रोज़ तक लगातार रोज़े रखना "वसाल" कहलाता है। वसाल का रोज़ा रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत में से थी, उम्मत के लिये नहीं है, अगर कोई रखना ही चाहे तो सहरी से सहरी ते रख सकता है। यानी लगभग 24 घन्टे।

बाब {रोज़ा की हालत में ग़ीबत करना।}

2362:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो शख़्स झूठ और बेहूदा बोलना और झूठ पर अमल करना न छोड़े, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस के खाने–पीने के छोड़ देने की ज़रुरत नहीं है। अहमद बिन यूनुस ने कहा: मुझे इस की सनद इब्ने अबी ज़ेबा ने और यह हदीस उस आदमी ने समझाई जो उन के बग़ल में बैठा हुआ था, जो शायद उन का भाई था।

2363:— अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से कोई रोज़ा से हो तो किसी प्रकार की बेहूदा या जिहालत की बात न करे। अगर कोई दूसरा उस से झगड़ा करे या गाली दे तो उसे चाहिये कि कह दे मैं रोज़े से हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है।

बाब {रोज़ा दार का मिस्वाक करना।}

2364:— उबैदुल्लाह बिन आ़मिर अपने पिता (आ़मिर बिन रबीआ़) से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मिस्वाक करते हुये देखा हालाँकि आप रोज़ा से थे। मुसद्दद ने इतना और भी कहा कि मैं ने आप को अनगिनत बार (मिस्वाक करते) देखा।

फ़ाइदा:— रोज़ा की हालत में दातून करने में कोई हरज नहीं। दातून चाहे ताज़ा हो या सूखी। टूथपेस्ट और बर्श का प्रयोग भी जाइज़ है, इस का हुक्म भी मिस्वाक हैं। अगर बर्श के इस्तेमाल से कुछ खून भी आ जाये तो इन से रोज़ा नहीं टूटता।

बाब **{रोज़ेदार प्यास की वजह से अपने ऊपर पानी डाले तो कोई हरज नहीं। मगर नाक में पानी डालने में एहतियात करे और मुबालग़ा न करे।}**

2365:— अबू बक्र बिन अ़ब्दुरहमान किसी सहाबी से रिवायत करते हैं कि मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़त्ह मक्का के साल अपने सफ़र में सहाबा को रोज़ा इफ़तार करने का हुक्म दिया और फ़रमायाः दुश्मन से मुक़ाबला के लिये ताक़त जमा करो, और आप ने स्वँय रोज़ा रखा। अबू बक्र ने कहाः मुझे हदीस बयान करने वाले ने बताया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को अ़रज के स्थान पर देखा कि आप रोज़ा से थे और प्यास या गर्मी की वजह से अपने सर पर पानी डाल रहे थे।

फ़ाइदा:— इस हदीस से कई मस्अले मालूम हुये। (1) सफ़र या जिहाद में रोज़ा न रखना अफ़ज़ल है (2) सफ़र में रोज़ा रखा भी जा सकता है। (3) गर्मी की वजह से सर पर गीला कपड़ा दुरुस्त है (4) एयर कन्डीशन का भी यही हुक्म है।

2366:— लक़ीत बिन सबरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः (वुज़ू में) नाक में पानी खूब चढ़ाओ, मगर यह कि तुम रोज़े से हो।

फ़ाइदा:— रोज़े की हालत में नाक में दवाई नहीं डाल सकते। यहाँ आँख और कान में दवा डालना जाइज़ है। खुश्बू भी सूँघ सकते हैं। धूल-मिट्टी का नाक की राह में मुँह के अन्दर चले जाना माफ़ है।

बाब {रोज़ेदार सींगी लगवाए तो.......?}

2367:— सौबान रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सींगी लगाने और लगवाने वाला रोज़ा खोलने वाला हो गया।

2368:— शद्दास बिन औस रजि॰ ने बयान किया कि एक बार मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जा रहा था...... और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

2369:— शद्दास बिन औस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बक़ीअ़ के क़रीब एक आदमी के पास गुजरे जो सींगी लगवा रहा था, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरा हाथ थामे हुये थे और रमज़ान की 18 तारीख़ थी। आप ने फ़रमायाः सींगी लगाने

और लगवाने वाला दोनों रोज़ा खोलने वाले हो गये।

2370:— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद किये हुये गुलाम सौबान ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सींगी लगाने और लगवाने वाला दोनों ही रोज़ा खोलने वाले हो गये।

2371:— सौबान से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सींगी लगाने और लगवाने वाला दोनों ही रोज़ा खोलने वाले हो गये।

फ़ाइदा:— ऊपर की चारों हदीसें नीचे की हदीसों से मन्सूख़ हैं।

बाब {रोज़े की हालत में सींगी लगवाने की रुख़्सत का बयान।}

2372:— इब्ने अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में पोछन लगवाया।

2373:— मिक्सम इब्ने अब्बास रज़ि० से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में और एहराम की हाल में पोंछना लगवाया।

2374:— अब्दुर्रहमन बिन अबू लैला ने बयान किया कि मुझ से एक सहाबी ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पर मुहब्बत फ़रमाते हुये उन्हें पोछना लगवाने और वसाल का रोज़ा रखने से मना किया, मगर आप ने उन दोनों को हराम नहीं किया। आप से कहा गयाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आप तो सहरी के समय तक वसाल करते (रोज़ा रखते) हैं आप ने फ़रमायाः मैं सहर तक वसाल तो करता हूँ लेकिन मेरा रब मुझे खिलाता-पिलाता है।

2375:— अनस रज़ि० से रिवायत है कि हम रोज़ेदार को पोछना इसलिये नहीं लगवाने देते थे कि कहीं वह परेशानी में न पड़ जाये।

फ़ाइदा:— इन हदीसों से मालूम हुआ कि रोज़ा नहीं टूटता। अल्बत्ता न लगवाना बेहतर है।

बाब {रोज़ादार को रमज़ान में दिन में एहतलाम हो जाये तो........}

2376:— एक सहाबी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसे क़ै आ जाये, या (नींद में) एहतलाम हो जाये, यी सींगी लगवाए तो उस का रोज़ा नहीं टूटता।

फ़ाइदा:— जानबूझ कर क़ै करने से और जागते हुये बीवी को छूने या किसी भी तरीक़ा से अगर मनी टपक जाये तो रोज़ा टूट जाता है।

बाब {रोज़ेदार सोते समय सुर्मा इस्तेमाल करे तो?}

2377:— अब्दुर्रहमान बिन नोमान अपने पिता से और वह अपने दादा से और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सोते समय कस्तूरी मिला सुर्मा इस्तेमाल किया जाये। और फ़रमायाः रोज़ादार इस से प्रहेज़ करे।

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि मुझे इमाम यहया बिन मअ़ीन ने कहा कि यह सुर्मा वाली हदीस मुन्कर है।

2378:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ के बारे में रिवायत है कि वह रोज़े की हालत में सुर्मा लगाया करते थे।

2379:— इमाम आमश कहते हैं कि मैंने अपने उलमा में से किसी को नहीं पाया कि रोज़ादार के लिये सुर्मा को मक्रुह समझते हों। और इब्राहीम इजाज़त देते थे कि रोज़ेदार एलवा को सुर्मा के तौर पर इस्तेमाल करे।

फ़ाइदा:— रोज़े की हालत में सुर्मा लगाना, दवा डालना बिला शुब्हा जाइज़ है।

बाब {रोज़ादार जान बूझ का कै करे तो.........?}

2380:— अबू हुरेरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस किसी को कै आ जाये और वह रोज़ा से हो तो कोई क़ज़ा नहीं है। लेकिन अगर वह जानबूझ कर कै करे तो क़ज़ा दे।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़अ़ीफ़ है लेकिन इस में जो हुक्म है वह सहीह है।

2381:— अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कै किया और रोज़ा तोड़ डाला। (मादान कहते हैं कि) फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के आज़ाद कर्दा गुलाम सौबान से दमिश्क की मस्जिद में मेरी मुलाक़ात हुयी तो मैं ने उन से कहा: अबू दर्दा ने मुझे बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कै की और रोज़ा तोड़ डाला था? उन्होंने कहा कि उन्होंने सहीह कहा है, और मैंने ही आप के लिये वुज़ू का पानी उँडेला था।

फ़ाइदा:— खुद से जानबूझ कर कै करने से रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा लाज़िम आती है।

बाब {रोज़ा की हालत में बोसा लेना।}

2382:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा लिया काते थे और रोज़े की हालत में बीवी के साथ लेट भी जाते थे, लेकिन आप अपनी ख़ाहिश पर बहुत अधिक क़ाबू रखने वाले थे।

2383:— आइशा रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रमज़ान में (बीवियों का) बोसा ले लिया करते थे।

2384:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरा बोसा लिया करते थे जबकि आप रोज़े से होते और मैं भी।

फ़ाइदा:— रोज़ा की हालत में यह सब जाइज़ की हद तक दुरुस्त है, मगर इस से भी बचे तो अच्छा है।

2385:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं ने खुशी में आ कर (बीवी का) बोसा ले

लिया और मैं रोज़े से था। फिर मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आज एक बहुत बड़ा काम कर बैठा हूँ, यानी रोज़ा की हालत में बीवी का बोसा ले लिया। आप ने फ़रमाया: अगर तुम रोज़े की हालत में कुल्ली कर लो तो?

ईसा बिन हम्माद की रिवायत में है कि मैंने कहा: कोई हरज नहीं आप ने फ़रमाया: तो इस में भी कोई हरज नहीं।

बाब {रोज़ादार थूक निगल जाये।}

2386:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन को बोसा लेते जबकि वह रोज़ा से होते और उन की ज़बान चूसते।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ईफ़ है। ज़बान का चूसना सहीह नहीं है, अल्बत्ता बोसा लेना ऊपर की रिवायतों में साबित है। अपनी बीवी की ज़बान चूसे और उस का थूक निगल जाये तो रोज़ा टूट जायेगा।

बाब **{जवान आदमी के लिये बीवी से चूमना-चाटना मक्रुह है।}**

2387:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्अला पूछा कि रोज़ादार शख़्स बीवी के साथ लेटे या न लेटे? तो आपने उस को इजाज़त दे दी। एक शख़्स आया और उस ने भी यही मस्अला पूछा तो आप ने उस को मना फ़रमा दिया। आप ने जिस को इजाज़त दी थी वह बूढ़ा था, और जिस को मना फ़रमाया था वह जवान था।

फ़ाइदा:— चाहे बूढ़ा हो या जवान, सिर्फ़ जाइज़ की हद तक इजाज़त है, वर्ना रोज़ा की हालत में सभी को इन सब कामों से दूर रहना चाहिये ताकि रोज़े के उद्देश्य में कमी न आये।

बाब **{जो कोई रमज़ान में सुब्ह को जुनुबी हालत में उठे।}**

2388:— आइशा और उम्मे सलमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्ह को जुनुबी होकर उठते......अब्दुल्लाह अज़रमी ने अपनी रिवायत में कहा कि रमज़ान में ...... संभोग करने की वजह से, न कि एहतलाम से, और फिर रोज़ा रख लेते।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि "रमज़ान में जुनुबी हालत में सुब्ह करते" का शब्द बहुत कम रावी ज़िक्र करते हैं (सहीह) हदीस के शब्द यह हैं: "नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सुब्ह करते और आप रोज़ा रखे हुये होते।"

फ़ाइदा:— सुब्ह सादिक़ के बाद कुछ समय तक आदमी जनाबत की हालत में रहे और रोज़े की इब्तिदा करे तो कोई हरज नहीं। मगर बिला किसी मजबूरी के खा-मख़ाह ताख़ीर करना जाइज़ नहीं। मर्द और महिला, सब के लिये यही मस्अला है।

2389:— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्अला पूछा जबकि आप दर्वाज़े पर खड़े थे,

ऐ अल्लाह के रसूल! मैं जनाबत की हालत में सुब्ह करता हूँ और रोज़ा भी रखना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मैं भी (कभी-कभार) सुब्ह को जनाबत की हालत में सुब्ह करता हूँ और रोज़े का इरादा होता है तो स्नान कर लेता हूँ और रोज़ा रखता हूँ। वह व्यक्ति कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप तो हमारी तरह नहीं है। अल्लाह पाक ने आप के अगले-पिछले तमाम गुनाह माफ़ फ़रमा दिये हैं। यह सुन कर आप नाराज़ हो गये और फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! मैं बिला शुब्हा तुम में सब से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और कौन सा काम करना कितना अहम है मैं सब सेज़्यादा जानने वाला हूँ।

फ़ाइदा:— बहुत मामूली काम ऐसे हैं जो केवल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के लिये ख़ास हैं।

बाब **{जो शख़्स रमज़ान में अपनी पत्नी से संभोग कर बैठा तो उस का कफ़्फ़ारा?}**

2390:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और कहाः मैं तो बर्बाद हो गया। आप ने पूछाः क्या हुआ? उस ने कहाः मैंने रमज़ान में अपनी पत्नी से संभोग कर लिया। आप ने पूछाः क्या तुम एक गर्दन आज़ाद करने की ताक़त रखते हो? उस ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः क्या तुम दो माह लगातार रोज़ा रखने की ताक़त रखते हो? उस ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः क्या तुम साठ फ़क़ीरों को खाना खिलाने की ताक़त रखते हो? उस नेक हाः नहीं। आप ने फ़रमायाः बैठ जाओ। इतने में आप के पास एक टोकरा लाया गया जिस में खजूरें थीं। आप ने उस से फ़रमायाः इन को सदक़ा कर दो। उस ने कहाः ऐ अल्लाहके रसूल! मदीनें की दोनों पथरीली ज़मीनों के दर्मियान हम से अधिक और कोई फ़क़ीर नहीं है। यह सुन कर आप हँस पड़े यहाँ तक कि आप के सामने के दाँत दिखाई देने लगे। आप ने फ़रमायाः घर वालों ही को खिला दो। मुसद्दद ने कहाः आप के नोकीले दाँत नज़र आने लगे।

2391:— इमाम ज़हरी ने भी ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की और इतना इज़ाफ़ा किया कि "यह केवल उसी आदमी के लिये रुख़्सत थी, आज अगर कोई यह काम कर बैठे तो बिना कफ़्फ़ारा के चारा नहीं।

इमाम औज़ाअ़ी ने अपनी रिवायत में इतना और ज़्यादा किया कि "अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी कर"

2392:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि एक आदमी ने रमज़ान में रोज़ा तोड़ लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि एक गर्दन आज़ाद करे, या दो माह लगातार रोज़े रखे, या साठ फ़क़ीरों को खाना खिलाये। उस ने कहाः मैं (इन में किसी की भी) ताक़त नहीं रखता। आप ने फ़रमायाः बैठ जाओ। फिर आप के पास एक टोकरा लाया गया जिस में खजूरें थीं। आप ने फ़रमायाः इसे ले जाओ और सदक़ा कर दो। वह कहने लगाः ऐ अल्लाहके रसूल! मुझ से बढ़ कर और कोई मुहताज नहीं है। यह सुन कर आप हँस पड़े कि आप के नोकीले दाँत नज़र आने लगे और उस से फ़रमायाः जाओ रख लो।

इमाम अबू दावू कहते हैं कि इब्ने जुरैज ने ज़हरी से इमाम मालिक के शब्दों में रिवायत किया है और कहा कि "एक आदमी ने रोज़ा तोड़ लिया था' आप ने उस से फ़रमायाः "या तो एक गर्दन आज़ाद करो, या दो माह के रोज़े रखो, या साठ मिसकीनों को खाना खिलाओ।"

फ़ाइदाः— कफ़्फ़ारा, पत्नी से संभोग कर के रोज़ा तोड़ने पर है, या खा-पी कर रोज़ा तोड़ने पर। जमहूर उलमा के नज़दीक केवल संभोग पर है। साठ फ़क़ीरों को एक साथ खाना खिलाना है, न कि क़िस्तों में।

2393:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक व्यक्ति नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया उस ने रमज़ान के दिन में रोज़ा तोड़ लिया था......और ऊपर की हदीस की तरह पूरी हदीस बयान की। रावी ने कहाः फिर आप के पास एक टोकरा लाया गया जिस में लगभग 15 साआ़ खजूर थीं....इस रिवायत में है कि आप ने फ़रमायाः तू और तेरे घर वाले इसे खा लें, और तू एक दिन का रोज़ा रख और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर।

फ़ाइदाः— कफ़्फ़ारा अदा करने के साथ उस दिन के रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब है।

2394:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि रमज़ान में एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास मस्जिद में आया और कहने लगाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं तो जल गया। आप ने पूछाः क्या हुआ? उस ने कहाः मैंने अपनी पत्नी से संभोग कर लिया है। आप ने फ़रमायाः सदक़ा करो। वह कहने लगाः अल्लाह की क़सम! मेरे पास कोई चीज़ नहीं और ने मेरी यह हिम्मत है। आप नेफ़रमायाः बैठ जाओ। वह बैठ गया। वह बैठा ही था कि एक आदमी अपना गधा चलाते हुये आया। उस पर खाना लदा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कहाँ है वह जो अभी कह रहा था कि मैं जल गया? वह खड़ा हो गया तो आप ने फ़रमायाः इसे सदक़ा कर दो। वह कहने लगाः ऐ अल्लाह के संदेष्टा! क्या (अपने अ़लावा) दूसरों पर? अल्लाह की क़सम! हम भूखे हैं? हमारे पास कुछ नहीं है। आप ने फ़रमायाः (ले जाओ) खा लो।

2395:— अ़ब्बाद बिन अ़ब्दुल्लाह आ़इशा रज़ि॰ से इस क़िस्से में बयान करते हैं कि आप के पास एक टोकरा लाया गया उस में बीस साआ़ खुजूर थीं।

फ़ाइदाः— ऊपर हदीस 2393 में बयान 15 साआ़ ही सहीह है।

बाब {जानबूझ कर रोज़ा तोड़ देने की बुराई।}

2396:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स रमज़ान में रोज़ा तोड़ दे, बिला किसी मजबूरी के, तो ज़माना भर के रोज़े भी उस क्षति (नुक़सान) की पूर्ति नहीं कर सकेंगे।

2397:— अ़म्मारा बिन उमैर ने इब्ने मुतव्वस से रिवायत किया और कहाः मैं इब्ने मुतव्वस से मिला तो उस ने मुझे अपने पिता से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ि॰ से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की जैसे कि इब्ने कसीर और सुलैमान की रिवायत (ऊपर मज़कूर हुयी) है।

बाब {जो कोई भूल कर खा–पी ले।}

2398:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने रोज़ा रखा था लेकिन भूल कर खा पी लिया है (अब क्या करुँ) आप ने फ़रमायाः अल्लाह ने तुम्हें खिलाया-पिलाया है।

फ़ाइदा:— भूल कर खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता। बिला किसी शक और शुब्हा के उसे पूरा करना चाहिये।

बाब {रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा करने में देरी करना।}

2399:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मुझ पर रमज़ान के रोज़े बाक़ी होते और मैं उन की क़ज़ा न कर पाती थी कि शाबान का महीना आ जाता था।

फ़ाइदा:— चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीना में सब से ज़्यादा रोज़े रखते थे इसलिये इसी महीना का इन्तिज़ार करतीं थीं। मालूम हुआ कि क़ज़ा के लिये ताख़ीर की जा सकती है।

बाब {जो कोई मर जाये और उस के ज़िम्मा रोज़े बाक़ी हों।}

2400:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो कोई मर जाये और उस के ज़िम्मा रोज़े बाक़ी रहे हों तो उस का वली उस की तरफ़ से रोज़े रखे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह मस्अला नज्र की सूरत में है। और इमाम अहमद बिन हंबल का भी यही क़ौल है।

2401:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ का क़ौल है कि जब कोई शख़्स रमज़ान में बीमार हुआ और फिर मर गया और रोज़े न रख सका, तो उस की तरफ़ से खाना खिला दिया जाये, उस पर क़ज़ा नहीं। अगर उस ने नज़र मानी थी तो उस का वली क़ज़ा दे।

फ़ाइदा:— जमहूर उलमा का यही कहना है कि मय्यित की तरफ़ से बाक़ी रोज़े उस का वली रखेगा। इब्ने अब्बास रज़ि॰ वग़ैरह सहाबा का कहना है फ़र्ज़ में कोई किसी का नाइब नहीं हो सकता। अगर मरीज ने जानबूझ कर नहीं रखा तो वली पर कुछ नहीं है, केवल खाना खिला दे। और नज़र के रोज़े उस का वली रखेगा।

बाब {सफ़र में रोज़ा रखने का बयान।}

2402:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि हमज़ा अस्लमी रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न कियाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं लगातार रोज़े रखा करता हूँ, तो क्या सफ़र में रोज़ा रखा करुँ? आप ने फ़रमायाः चाहो तो रख लो और चाहो तो न रखो।

फ़ाइदा:— सफ़र में अगर आदमी क़स्र करता है तो रोज़े भी न रखे। बहरहाल अगर कोई सफ़र में रोज़ा रखे और क़स्र न करे तो इस की इजाज़त है। लेकिन बेहतर यह है कि अल्लाह की दी हुयी रुख़्सत को क़ुबूल करे और सफ़र में नमाज़ क़स्र करे और रोज़ा न रखे।

बाब {......ताजिर रोज़ा छोड़ सकता है।}

2403:— हमज़ा अस्लमी रज़ि॰ ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने सवारी के लिये जानवर रखे हुये हैं, मेरा काम इन ही से चलता है। सफ़र में रहता हूँ, जानवर किराए पर चलाता हूँ और कभी रमज़ान का महीना भी होता है। और में अपने अन्दर रोज़ा रखने की ताक़त भी पाता हूँ और मैं जवान भी हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल! मैं रोज़ा न रखने के मुक़ाबले में रख लेना ज़्यादा आसान समझता हूँ, वर्ना मेरे ज़िम्मा रह जायेगा। तो ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे रोज़े रखने में ज़्यादा सवाब है या इफ़तार करने में? आप ने फ़रमाया: ऐ हमज़ा! जो चाहो कर सकते हो।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओफ़ है, मगर इस हदीस में साबित मस्अला सहीह है।

2404:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मदीना से मक्का की तरफ़ रवाना हुये, जब उसफ़ान के स्थान पर पहुँच गये तो आप ने (पानी का) बर्तन मँगवाया और उसे अपने मुँह की तरफ़ उठाया ताकि लोग आप को देख लें (कि आप सफ़र में रोज़ा छोड़ रहे हैं) यह घटना रमज़ान की है। चुनान्चे इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ फ़रमाया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सफ़र में रोज़ा रखा है और छोड़ा भी है। इसीलिये जो चाहे रख ले और जो चाहे इफ़तार कर ले।

फ़ाइदा:— यह फ़त्ह मक्का के सफ़र की घटना है। मालूम हुआ कि अगर किसी ने पिछले पहर रोज़ा की निय्यत की हो और रोज़े की हालत में दो चार घंटा बिताया हो फिर भी चाहे तो रोज़ा तोड़ सकता है।

2405:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि हम ने रमज़ान में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ सफ़र किया तो हम में से कुछ ने रोज़ा रखा और कुछ ने नहीं रखा। चुनान्चे रोज़ादारों ने रोज़ा छोड़ने वालों पर, या छोड़ने वालों ने रोज़ेदारों पर कोई ऐब न लगाया।

2406:— क़ज़आ बयान करते हैं कि मैं अबू सईद खुदरी रज़ि॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ जबकि वह गाँव के लोगों के सवालों के जवाब दे रहेथे और लोग उन पर झुके हुये थे। मैंने भीड़ के छट जाने का इन्तिज़ार किया। जब वह अकेले हो गये तो मैं ने उन से सफ़र में रोज़ा रखने के बारे में पूछा: उन्होंने उत्तर दिया कि फ़त्ह मक्का के साल हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ रवाना हुये, आप ने रोज़ा रखा तो हम लोग भी रखते रहे, जब आप एक स्थान पर पहुँचे तो फ़रमाया: तुम लोग अब अपने दुश्मन के क़रीब आ गये हो और रोज़ा तोड़ देने से तुम्हारे अन्दर अधिक ताक़त आयेगी। फिर हम लोग आगे बढ़े और एक मन्ज़िल पर पड़ाव किया तो

आप ने फ़रमायाः तुम लोग सुब्ह को अपने दुश्मन से भिड़ने वाले हो और रोज़ा तोड़ देने से तुम्हारे अन्दर अधिक ताक़त आयेगा, इसलिये रोज़ा तोड़ दो। यह हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ से ताकीदी था।

अबू सअ़ीद ने कहा कि मुझे याद है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ इस से पहले रोज़े रखे हैं और बाद में भी।

बाब {सफ़र में रोज़ा न रखने को तर्जीह देना।}

2407:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख़्स को साया किया जा रहा है और लोग उस भीड़ लगाये हुये हैं (क्योंकि गर्मी से बेहोश हो रहा था) आप ने फ़रमायाः सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नही है।

फ़ाइदा— यह हुक्म उस के लिये है जो सफ़र में रोज़ा को सखार (निबाह) न सके, वर्ना आप से सफ़र में रोज़ा रखना भी साबित है।

2408:— अनस बिन मालिक (काबी) से रिवायत है और यह बनी अ़ब्दुल्लाह बिन कअ़ब के ख़ान्दान से हैं जो कि बनी कुशैर के भाई थे......और अनस बिन मालिक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ख़ादिम थे........) (कहा) कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सवारों ने हम पर हमला बोल दिया तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में पहुँचा और (देखा कि) आप कुछ खा रहे हैं। आप ने फ़रमायाः आओ बैठो और हमारे इस खाने में कुछ खा लो। मैंने कहाः मैं रोज़े से हूँ। आप ने फ़रमायाः बैठ जाओ, मैं तुम्हें नमाज़ और रोज़े के बारे में बताता हूँ। अल्लाह पाक ने मुसाफ़िर से आधी नमाज़ और रोज़ा माफ़ कर दिया है, और दूध पिलाने वाली और हमल वाली महिला से भी रोज़ा माफ़ कर दिया है। अल्लाह की क़सम! आप ने इन दोनों का ज़िक्र किया था या किसी एक का। उन्होंने बयान किया कि मुझे (बाद में) बहुत अफ़सोस हुआ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के खाने में से क्यों न खाया (क्योंकि आप के साथ मिल कर खाना बर्कत और नेकी का सबब था और रोज़ा नफ़ल था)

फ़ाइदा:— मुसाफ़िर को रोज़ा माफ़ है मगर बाद में क़ज़ा है। हमल वाली और दूध पिलाने वाली? तो इन के बारे में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। कुछ उलमा का कहना है कि रमज़ान में रोज़ा न रहेगी और बाद में क़ज़ा करेगी। और यही सही मसलक है। कुछ उलमा का कहना हैकि रोज़ एक फ़क़ीर को खाना खिलायेगी और बाद में क़ज़ा नहीं करेगी।

बाब {जो लोग सफ़र में रोज़ा रखने को बेहतर समझते हैं।}

2409:— अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है कि हम लोग सख़्त गर्मी में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ किसी जन्ग के लिये रवाना हुये। गर्मी इतनी थी कि हर एक अपना हाथ या अपनी हथेली अपने सर पर रखे हुये था, और हम में से अल्लाह के रसूल और अ़ब्दुल्लाह बिन

रवाहा के अ़लावा और कोई रोज़ा से न था।

2410:— सलमान बिन सलमा बिन मुहबिक़ हुज़ल्ली अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस के पास सवारी हो कि (उसे आराम से मन्ज़िल पर पहुँचा दे और) पेट भर कर खाना वग़ैरह मिल जाये तो उसे चाहिये कि रमज़ान के रोज़े रखे, जहाँ भी आ जाये।

2411:— सलमा बिन मुहब्बक़ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिसे रमज़ान आ पहुँचे और वह सफ़र में हो तो .... और ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों हदीसें ज़ओ़फ़ हैं। कुरआन में साफ़ मौजूद है कि सफ़र में रोज़ा न रखे, बाद में क़ज़ा करे।

बाब {मुसाफ़िर जब सफ़र के लिये निकले तो किस समय रोज़ा तोड़े।}

2412:— उबैद बिन जबर बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबी अबू बसरा गिफ़ारी के साथ था। हम लोग रमज़ान के महीने में फ़ुस्तात से कश्ती में सवार हुये, जब लन्गर उठा लिया गया, तो उन के सामने सुब्ह का खाना पेश किया गया। जाफ़र बिन मुसाफ़िर ने अपनी रिवायत में कहाः अभी घरों से दूर भी न हुये कि उन्होंने अपना दस्तर खान मँगवाया और कहा कि क़रीब हो जाओ। मैंने कहाः क्या आप घरों को नहीं देख रहे हैं? अबू बसरा ने कहाः क्या तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की सुन्नत की मुख़ालिफ़त कर रहे हो? जाफ़र ने बयान किया कि फिर उन्होंने खाना खाया।

फ़ाइदा:— सफ़र शुरु होते ही रोज़ा तोड़ कर खा पी लेना चाहिये। घर से दूर होना ज़रुरी नहीं। हसन बसरी रह॰ का मसलक सहीह है कि घर में खा पी कर सफ़र पर रवाना हो।

बाब {कितनी दूरी के सफ़र में रोज़ा न रहे।}

2413:— मन्सूर कलबी बयान करते हैं कि दहया कलबी बिन ख़लीफ़ा कलबी एक बार रमज़ान में दमिश्क़ की एक बस्ती से रवाना हुये और इतना दूर गये जैसे अ़क़बा से फ़ुस्तात तक। और इन के दर्मियान तीन मील की दूरी है। फिर उन्होंने इफ़तार किया और उन के साथ लोगों ने भी इफ़तार कर लिया और कुछ दूसरे लोगों ने इफ़तार को नापसन्द किया। फिर जब सफ़र से लौट कर अपनी बस्ती में वापस आये तो कहाः अल्लाह की क़सम! मैंने आज एक ऐसी बात देखी है जिस का मुझे गुमान भी न था कि गरोह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप के सहाबा की सुन्नत से मुँह मोड़ेगा। वह यह बात उन लोगों के बारे में कह रहे थे जो रोज़े से रहे (और सफ़र में रोज़ा नहीं तोड़ा) फिर एक मौक़ा पर (दुआ़ करते हुये) कहाः ऐ अल्लाह! मुझे अपनी तरफ़ उठा ले।

2414:— इमाम नाफ़े रह॰ से रिवायत है कि इब्ने उमर रज़ि॰ ग़ाबा की तरफ़ तशरीफ़ ले जाते तो उस सफ़र में न रोज़ा तोड़ते और न क़स्र नमाज़ पढ़ते।

फ़ाइदा:— मदीना से शाम के रास्ते में लगभग 22 किलोमीटर (एक बरीद यानी चार फ़रसख़) दूर है। इतनी दूरी पर क़स्र जाइज़ है और रोज़ा भी न रखना जाइज़ है। शैख़ इब्ने बाज़ फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सफ़र की दूरी नहीं साबित है जितने में रोज़ा न रहे और इफ़तार न करे। आदमी मुसाफ़िर कब होता है? उस के लिये कितनी तय्यारी करता है और कितने सामान रचाता है, वह खुद समझ सकता है। उतनी दूरी पर क़स्र करे और इफ़तार करे। हमोर गाँव बेतनार से बस्ती स्टेशन 70 किलोमीटर दूर है। लोग सुब्ह को जाते और शाम को लौट आते हैं और अपने को मुसाफ़िर नहीं समझते हैं, न क़स्र करते और न रोज़ा तोड़ते हैं। इब्ने बाज़ रह॰ की बात में वज़न है।

बाब {जो कोई यह कहे कि मैं ने पूरे रमज़ान रोजे रखे।}

2415:— अूब बक्रा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई शख़्स हर्गिज़ यूँ ने कहे कि मैंने सारा रमज़ान रोज़े रखे और मैंने सारे रमज़ान का क़ियाम किया। उन्होंने बयान किया कि मालूम नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नेकी को ज़ाहिर करने को मक्रुह जाना, या यह बताना चाहा कि बन्दा उस दौरान में लाज़िमी तौर पर सोता भी रहा है (तो फिर सारा रमज़ान कैसे रोज़े रखे और क़ियाम किया?

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, लेकिन कुरआन पाक की आयत है "अपनी नेकियाँ और खूबियाँ मत बयान करो.....(सूरः नज्म 32) के मुताबिक़ है।

बाब {ओ़द के दिनों में रोज़ा रखना।}

2416:— अबू उबैद ने बयान किया कि मैं ओ़द के दिन उमर रज़ि॰ के पास मौजूद था। आप ने पहले नमाज़ पढ़ाई, फिर खुत्बा दिया और कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने (ओ़द के) इन दो दिनों में रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है। कुर्बानी के दिन में तुम अपनी कुर्बानियों के माँस खाते हो और ओ़द के दिन तुम रोज़ों से फ़ारिग़ होते हो।

2417:— अबू सओ़द खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दो दिनों के रोज़ों से मना फ़रमाया है। यानी ओ़द के दिन और कुर्बानी के दिन। और दो प्रकार से कपड़े लपेटने से रोका है। एक यूँ कि कोई पूरी तरह से कपड़े में ऐसे लिपट जाये कि कोई हिस्सा कपड़े से बाहर न रहे। और दूसरी सूरत यूँ कि अपने ऊपर कपड़ा लपेट कर इस तरह बैठे कि एक तरफ़ से शर्मगाह को नन्गा कर दे। और दो वक़्त में नमाज़ भी पढ़ने से मना फ़रमाया है। यानी फ़ज्र और अ़स्र की नमाज़ के बाद।

फ़ाइदा:— ओ़द के दिनों में रोज़ा रखना हराम है। फ़ज्र और अ़स्र के बाद केवल सबबी नमाज़ पढ़ना जाइज़ है जैसे तहिय्यतुल मस्जिद, सूरज चाँद गरहन की नमाज़।

बाब {तश्रीक़ के रोज़े रखना।}

2418:— उम्मे हानी रज़ि॰ के आज़ाद कर्दा गुलाम अबू मुर्रा से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि

मैं अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र के साथ उन के पिता अ़म्र बिन आ़स के पास गया तो उन्होंने हम दोनों के सामने खाना पेश किया और कहा कि खाओ। अ़ब्दुल्लाह ने कहाः मैं रोज़े से हूँ। अ़म्र ने कहाः खाओ, इन दिनों के बारे में हमें रोज़ा न रखने का हुक्म दिया करते थे और रोज़ा रखने से मना करते थे।

इमाम मालिक ने कहाः इस से मुराद तश्रीक़ के दिन हैं।

फ़ाइदा:— दस ज़िल हिज्जा के बाद 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा को तश्रीक़ के दिन कहा जाता है। "तश्रीक़" के माना "सुखाना" हाजी लोग इन तीन दिनों में क़ुर्बानी के गोश्त सुखाते थे इसलिये यह नाम पड़ा।

2419:— उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि० से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नौ ज़िल हिज्जा, दस ज़िल हिज्जा और तश्रीक़ के दिन (11, 12, 13 ज़िल हिज्जह) मुसलमानों के लिये ई़द के दिन हैं, यह खाने-पीने के दिन हैं।

फ़ाइदा:— तश्रीक़ के दिनों में रोज़ा रखना मना है। अल्बत्ता तमत्तो का हज्ज करने वाला अगर क़ुर्बानी करने की ताक़त नहीं रखता है तो उस पर दस रोज़े लाज़िम हैं। तीन हज्ज में और सात घर लौट कर (बक़रः 96) इसलिये उस को रुख़्सत है कि तश्रीक़ के रोज़े रख ले। इसी तरह ग़ैर हाजी के लिये 9 ज़िल हिज्जा (यौमि अ़रफ़ह) के रोज़े की बड़ी फ़ज़ीलत है।

बाब {जुमा के दिन ख़ास कर रोज़ा रखना मना है।}

2420:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई शख़्स जुमा का रोज़ा न रखे, मगर यह कि उस से पहले एक दिन (जुमेरात) का रोज़ा रख, या एक दिन बाद का (सनीचर का)

बाब {सनीचर के दिन ख़ास कर के रोज़ा रखना मना है।}

2421:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुस्र की बहन समा रज़ि० से रिवायत है कि ने फ़रमायाः सनीचर के दिन रोज़ा न रखो, सिवाए उन दिनों के जिन में तुम पर फ़र्ज़ हों। सनीचर के दिन अगर तुम्हें अन्गूर की डाली का छिलका मिल जाये, या किसी पेड़ की लक्ड़ी, तो उसे ही चबा लो (और रोज़ा तोड़ डालो)

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस मन्सूख है। इस हदीस को जुवैरिया रज़ि० की हदीस ने (जो आगे आ रही है) मन्सूख कर दिया है।

फ़ाइदा:— सनीचर का दिन यहूद की इबादत का दिन है इसलिये हमें उन की मुख़ालिफ़त करनी चाहिये और आगे-पीछे के दिन साथ में मिला लेना चाहियें। यह हदीस मन्सूख़ नहीं है।

बाब {सनीचर के दिन रोज़ा रखने की रुख़्सत का बयान।}

2422:— हारिस की पुत्री जुवैरिया से रिवायत है कि एक मतर्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम जुमा के दिन मेरे घर तशरीफ़ लाये उस दिन मैं रोज़े से थी। आप ने पूछाः क्या तुम ने कल (जुमेरात) को रोज़ा रखा था? उन्होंने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः क्या कल (सनीचर को) रोज़ा रखेगी? कहने लगीं: नहीं। आप ने फ़रमायाः तो फिर रोज़ा तोड़ दो।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि सनीचर को रोज़ा रखा जा सकता है, मगर आगे-पीछे एक दिन साथ मिला कर। इसी प्रकार जुमा का भी हुक्म है।

2423:— इमाम इब्ने शहाब ज़हरी के बारे में आता है कि जब उन से बताया जाता कि सनीचर के दिन का रोज़ा रखने से मना किया गया है तो वह कहते कि यह हदीस "हिम्सी" है।

फ़ाइदा:— यह हदीस हिमसी है, यानी ज़अ़ीफ़ है। अल्बानी रह० ने कहा कि हदीस सहीह है और इमाम ज़हरी की तहक़ीक़ दुरुस्त नहीं है।

2424:— इमाम औज़ाअ़ी ने कहा कि मैं एक समय तक इस रिवायत को छुपाये रहा, यानी ऊपर अ़ब्दुल्लाह बिन बिस्र जो कि सनीचर के दिन रोज़ा रखने के बारे में है, यहाँ तक कि मैंने देखा कि मशहूर हो गयी है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इमाम मालिक ने इस हदीस को झूठ कहा है।

फ़ाइदा:— इमाम मालिक का झूठ कहना समझ से परे है। यह हदीस ज़अ़ीफ़ भी है।

बाब {हमेशा नफ़्ली रोज़े रखना।}

2425:— अबू क़तादा रज़ि० से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! आप रोज़ा किस प्रकार रखते हैं? उस की इस बात से आप नाराज़ हो गये। उमर रज़ि० ने जब यह कैफ़ियत देखी तो बोल पड़े

रज़ीना बिल्लाहि रब्बन् वबिल् इस लामि दी—नन् वबिमु—हम्मदिन् नबिय्यन्

(हम अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने, मुहम्मद के नबी होने पर राज़ी हैं, हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं कि वह हम पर नाराज़ हो या उस का रसूल)

और उमर रज़ि० अपनी इस बात को लगातार दोहराते रहे यहाँ तक कि आप का गुस्सा ठन्डा हो गया। फिर उमर रज़ि० ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह आदमी कैसा है जो हमेशा ही रोज़े से रहता है? आप ने फ़रमायाः उस ने न तो रोज़ा रखा और न ही इफ़तार किया। उमर रज़ि० ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह आदमी कैसा है जो दो दिन रोज़ा रखे और एक दिन इफ़तार करे? आप ने फ़रमायाः क्या भला किसी को उस की ताक़त भी है? उमर रज़ि० ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह आदमी कैसा है जो एक दिन रोज़ा रखे और एक दिन इफ़तार करे? आप ने फ़रमायाः यह दावूद अ़लै० का रोज़ा है। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! और वह आदमी कैसा है जो एक दिन रोज़ा रखे और दो दिन रोज़ा न रखे? आप ने फ़रमायाः मेरा जी चाहता है कि मुझे इस तरह रोज़ा रखने की ताक़त दी जाती। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तीन दिन हर महीनें में और रमज़ान से रमज़ान तक (हर रमज़ान में पूरे रोज़े रखना) यही सदा रोज़े रहना है, और अ़रफ़ा का रोज़ा। मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि वह एक वर्ष बीते हुये और एक

वर्ष आने वाले का कफ़्फ़ारा बना देगा......और आ़शूरा का रोज़ा.......मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि वह उसे गुज़रे हुये एक साल का कफ़्फ़ारा बना देगा।

फ़ाइदा:— आप इस लिये नाराज़ हुये थे कि उस ने अपनी ताक़त से ज़्यादा का सवाल किया था।

2426:— अबू क़तादा रज़ि॰ से इस रिवायत में मरवी है (मूसा बिन इस्माई़ल ने) इतना और इज़ाफ़ा किया कि ऐ अल्लाह के रसूल! सोमवार और जुमेरात के रोज़े के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? आप ने फ़रमायाः उस दिन मैं पैदा हुआ और उसी दिन मुझ पर क़ुरआन नाज़िल किया गया (सोमवार के दिन)

फ़ाइदा:— सोमवार का दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है जो खुशी का दिन है, इस खुशी के इज़हार और अल्लाह का शुक्र अदा करने का मसनून तरीक़ा यही है कि उस दिन रोज़ा रखा जाये।

2427:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुझ से मिले और फ़रमायाः मुझे बताया गया है कि तुम कहते हो कि मैं रात भर नमाज़ पढ़ूँगा और दिन को रोज़ा रखूँगा? मैंने कहाः हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ऐसा कहा है। आप ने फ़रमायाः रात को नमाज़ भी पढ़ो और आराम भी करो, रोज़े भी रखो और न भी रखो। बल्कि हर महीने में तीन रोज़े रखा करो, यह रोज़े "सियामे-दहर" की तरह होंगे (गोया ज़माना भर रोज़े रखे) मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इस से भी ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आप ने फ़रमायाः एक दिन रोज़ा रखो और दो दिन न रखो। मैंने कहाः मैं इस से ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आप ने फ़रमायाः तो एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन इफ़तार किया करो। यह रोज़ा रखने की दर्मियानी शक्ल है और यह दावूद अ़लै॰ के रोज़े की तरह है। मैंने कहाः मैं इस से भी ज़्यादा की ताक़त रखता हूँ। आप ने फ़रमायाः इस से बढ़ कर कुछ अफ़ज़ल नहीं।

फ़ाइदा:— मुस्लिम की रिवायत में है कि अ़ब्दुल्लाह जब बूढ़े हो गये और कमज़ोर पड़ गये तो कहा करते थे कि "काश मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बताये हुये तीन दिन रोज़ा रहने को क़ुबूल कर लेता......।"

बाब {हुर्मत वाले महीनों में रोज़ा रखने के मसाइल।}

2428:— मुजीबा बाहली रज़ि॰ अपने पिता या चचा से रिवायत करती हैं कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आये, फिर एक साल के बाद (दोबारा) आये तो उन की हालत बदली हुयी थी। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप ने मुझे पहचाना नहीं? आप ने फ़रमायाः तुम कौन हो? उन्होंने कहाः मैं वही बाहली हूँ जो पिछले वर्ष आया था। आप ने पूछाः तुम्हारी हालत इस प्रकार क्यों बदली हुयी है? हालाँकि तुम अच्छे-भले थे। उन्होंने बतायाः जब में आप के पास से गया हूँ तो मैंने यह मामूल बना लिया है कि बस रात ही को खाना खाता हूँ। आप ने फ़रमायाः तुम ने अपने आप को अ़ज़ाब में क्यों डाल रखा है? फिर आप ने फ़रमायाः रमज़ान के रोज़े रखा करो और फिर हर महीने एक रोज़ा। उन्होंने कहाः मुझे इस से ज़्यादा रखने की

इजाज़त दीजिये क्योंकि मैं ताक़त रखता हूँ। आप ने फ़रमायाः दो दिन के रोज़े रखो। उन्होंने कहाः मुझे और अधिक रोज़े रखने की इजाज़त दीजिये। आप ने फ़रमायाः तीन दिन के रोज़े रख लिया करो। उन्होंने कहाः और अधिक की इजाज़त दीजिये। आप ने फ़रमायाः हुर्मत के महीनों में रोज़ा रखो और न भी रखो, हुर्मत के महीनों में रोज़े रखो और छोड़ भी दिया करो। फिर आप ने तीन उंगलियों से इशारा फ़रमाया, पहने उन को बन्द किया फिर खोल दिया।

फ़ाइदा:— हुर्मत वाले (मोहतरम) महीने चार हैं (1) ज़ीक़ादा (2) ज़िल हिज्जा (3) मुहर्रम (4) रजब।

बाब **{मुर्हरम के महीने में रोजे़ रखने का बयान।}**

2429:— अबू हुरैरार रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सब से अफ़्ज़ल रोज़े रमज़ान के रोज़ों के बाद अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। और सब से अफ्ज़ल नमाज़ फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद रात की नमाज़ (तहज्जुद) है। रावी क़ुतैबा बिन सअ़ीद ने "महीना" का शब्द नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि सिर्फ़ "रमज़ान" कहा है।

फ़ाइदा:— मुर्हरम के रोज़े किस प्रकार रखे जायें? बयान आगे आ रहा है।

2430:— उस्मान बिन हकीम कहते हैं कि मैंने सअ़ीद बिन जुबैर से रजब के रोज़ों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः मुझे इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रोज़े रखा करते तो हम कहते कि अब आप रोज़े रखना नहीं छोडेंगे। और जब छोड़ देते तो हम कहते कि अब आप नहीं रखेंगे।

फ़ाइदा:— दीगर महीनों की तरह इस महीने में भी आप कभी रखते थे और कभी नहीं रखते थे। इस महीने का कोई ख़ास हुक्म नहीं है।

बाब **{शाबान के महीने में रोजे़ रखने का बयान।}**

2431:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि रोज़ा रखने के लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को शाबान का महीना सब से ज़्यादा पसन्द था, फिर आप उसे (गोया) रमज़ान ही से मिला देते थे।

फ़ाइदा:— शाबान के रोज़ों के बारे में आप का जो अ़मल था उस का खुलासा यह है कि इस माह में बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। कभी शुरु के महीना में, कभी बीच के महीना में और कभी अन्तिम महीना में। पूरे माह **रख** कर रमज़ान से नहीं मिलते थे। इसी प्रकार 15 शाबान को भी सिर्फ़ रोज़े रखने का हुक्म है और बस। किसी तरह की इबादत या सदक़ा-ख़ैरात करने का कोई हुक्म नहीं।

बाब **{शव्वाल के महीने में रोज़ा रखने का बयान।}**

2432:— उबैदुल्लाह बिन मुस्लिम अपने पिता से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सियामे दह्र् (हमेशा रोज़ा रखने) के बारे में सवाल किया, या किसी

और ने पूछा तो आप ने फ़रमायाः "बिला शुब्हा तुम्हारे घर वालों का तुम पर हक़ है। रमज़ान में रोज़े रखो और उस के साथ वाले महीने में (यानी शव्वाल में) और हर बुधवार और जुमेरात को भी, तो इस तरह तुम ज़माना भर रोज़े रखने वाले होंगे।

बाब **{शव्वाल में छः रोज़े रखने की फज़ीलत।}**

2433:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबी अूब अय्यूब रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप ने फ़रमायाः जिस ने रमज़ान के रोज़े रखे फिर इस के बाद शव्वाल के छः रोज़े रखे तो उस ने गोया ज़माना भर रोज़े रखे।

फ़ाइदा:— अ़ीद के बाद छः रोज़े या तो 2 शव्वाल से 7 शव्वाल तक लगातार रख लिये जायें, या पूरे महीने में थोड़ा-थोड़ा कर के क़िस्तों में रख लिया जाये। "ज़माना भर" से मुराद साल भर के रोज़ों का सवाब है। रमज़ान के 30 और शव्वाल के छः कुल 36 रोज़े हुये। इन का दस गुना 36×10=360 (यानी पूरे एक वर्ष हुये।)

याद रहे कि अग्रेंजी वर्ष 365 दिन का और अरबी वर्ष 354 दिन का होता है। अरबी साल अग्रेज़ी से 11 और कभी 10 दिन छोटा होता है। आज दिन जुमेरात 20 मार्च 2009 11 बजे दिन यहाँ तक का तर्जुमा संपन्न हुआ (ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी-बेतनार)

बाब **{नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के रोज़े रखने की कैफ़ियत का बयान।}**

2434:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रोज़े रखना शुरु कर देते तो हम समझते कि आप अब नहीं छोड़ेंगे। और जब छोड़ देते तो हम समझते कि अब आप रोज़ा रखेंगे ही नहीं। मैंने नहीं देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने रमज़ान के अ़लावा किसी महीने के पूरे रोज़े रखे हों। और आप शाबन के अ़लावा किसी और महीने में ज़्यादा रोज़े न रखते थे।

2435:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के रोज़ों के बारे में ऊपर की हदीस की तरह बयान किया, लकेन इस में इतना और इज़ाफ़ा है किआप शाबान में बहुत कम नाग़ा फ़रमाते थे, बल्कि गोया सारा शाबान ही रोज़े रखते थे।

बाब **{सोमवार और जुमेरात के दिन रोज़े की फ़ज़ीलत का बयान।}**

2436:— उसामा बिन ज़ैद के गुलाम ने बयान किया कि मैं उसामा का माल लेने के लिये उन के साथ कुरा की वादी की तरफ़ गया। उसामा रज़ि॰ सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। गुलाम ने उन से पूछाः आप सोमवार और जुमेरात का क्यों रोज़ा रखते हैं? हालाँकि आप बडी उम्र के बूढ़े हो गये हैं। इस पर उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। आप से इन के बारे में पूछा गया तो फ़रमायाः सोमवार और जुमेरात को बन्दों के आमाल (अल्लाह के सामने) पेश किये जाते हैं।

बाब **{ज़िलहिज्जा के पहले दहे में रोज़ों का बयान।}**

2437:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीवियों में से किसी एक बीवी का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ज़िल हिज्जा के पहले नौ दिन और मुहर्रम की दसवीं को और हर महीने में तीन दिन और हर महीने के पहले सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे।

2438:— इब्ने अ़ब्बास रजि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह पाक को कोई नेक काम किसी दिन में इतना अधिक पसन्दीदा नहीं है, जितना कि इन दिनों में पसन्दीदा और प्रिय होता है, यानी ज़िल हिज्जा के पहले दहे में। सहाबा ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं? आप ने फ़रमायाः नहीं, अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं, मगर जो कोई शख़्स अपनी जान व माल लेकर निकला हो और फिर कुछ वापस न लाया हो (और शहीद हो गया हो)

बाब {ज़िल हिज्जा के पहले देह में रोज़ा न रखने का बयान।}

2439:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को ज़िल हिज्जा के पहले देह में कभी भी रोज़े से नहीं देखा।

फ़ाइदा:— यह आइशा रज़ि॰ की ग़लत फ़हमी है कि उन्होंने इत्तिफ़ाक़ से आप को कभी ज़िल हिज्जा में रोज़े से नहीं देखा, वर्ना आप रोज़े रखते थे (देखें हदीस न॰ 2437)

बाब {अ़रफ़ात के मैदान में रोज़ा रखना।}

2440:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि अ़रफ़ात के मैदान में इस दिन रोज़ा रखा जाये।

फ़ाइदा:— ग़ैर हाजी के लिये इस दिन रोज़ा रखना बड़ा अफ़ज़ल है। हाजी भी रख सकता है लकिन उस के लिये रोज़े के बजाए दुआ और इस्तिग़फ़ार अफ़ज़ल है।

2441:— हारिस की पुत्री उम्मे फ़ज़्ल रज़ि॰ से रिवायत है कि अ़रफ़ह के दिन उन के यहाँ कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के रोज़े के बारे में इख़्तिलाफ़ किया। कुछ लोगों ने कहाः आप रोज़े से हैं और कुछ ने कहा कि आप रोज़े से नहीं हैं। चुनान्चे मैंने आप की ख़िदमत में दूध का प्याला भेज दिया, जबकि आप अ़रफ़ह के मैदान में अपने ऊँट पर सवार होकर ठहरे हुये थे, तो आप ने उसे पी लिया (और इस प्रकार मालूम हुआ कि आप ने रोज़ा नहीं रखा हुआ है)

बाब {आ़शूरा के रोज़े का बयान।}

2442:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि आ़शूरा (दस मुहर्रम) का दिन ऐसा था कि क़ुरैश के लोग इस्लाम से पहले उस दिन रोज़ा रखा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम भी उस दिन रोज़ा रखा करते थे। जब आप मदीना तशरीफ़ लाये तो आप ने इस दिन रोज़ा रखा और मुसलमानों को भी हुक्म दिया। फिर जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो आ़शूरा का रोज़ा छोड़ दिया गया, जो चाहता रख लेता और जो चाहता न रखता।

2443:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि इस्लाम से पहले हम दस मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे। जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह अल्लाह के दिनों में से एक दिन है जो चाहे उस दिन का रोज़ा रख ले और जो चाहे छोड़ दे।

2444:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाये तो देखा कि यहूद आशूरा का रोज़ा रखते हैं। यहूद से इस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहाः यह वह दिन है जिस में अल्लाह पाक ने मूसा को फ़िरऔन पर ग़ालिब किया था, इसलिये हम उस के आदर-सम्मान में रोज़ा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हम तुम्हारी निस्बत मूसा से ज़्यादा निकट हैं। और उस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया।

बाब {यह रिवायत कि आशूरा नौ मुहर्रम को है।}

2445:— अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा और हमें भी रखने का हुक्म दिया तो सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इस दिन की यहूद व नसारा ताज़िम (आदर) करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब अगला साल आये तो हम नवीं तारीख़ का भी रोज़ा रखेंगे। मगर अगला साल न आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देहान्त कर गये।

फ़ाइदाः— केवल नौ को रोज़ा रखने की रिवायत इब्ने अब्बास रज़ि॰ की है और यह मूजूह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः एक दिन पहले, या एक दिन बाद में रखो। यानी नौ या ग्यारह को भी।

2446:— हकम बिन आरज बयान करते हैं कि मैं इब्ने अब्बास रज़ि॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप मस्जिदे हराम में अपनी चादर का तकिया बनाए हुये थे। मैंने उन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहर्रम के रोज़े के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः जब तुम मुहर्रम का चाँद देखो तो शुमार करो। जब नवीं तारीख़ हो तो रोज़ा रखो। मैंने कहाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही रोज़ा रखा करते थे? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही रोज़ा रखा करते थे।

फ़ाइदाः— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 वीं को तो नहीं रखा मगर आप ने इरादा फ़रमाया था। मतलब यह कि 9, 10 या 10, 11 को रोज़ा रखा जाये। ताकि यहूद कह मुख़ालिफ़त हो जाये।

बाब {आशूरा के रोजे़ की फ़ज़ीलत।}

2447:— अब्दुर्रहमान बिन मसलमा अपने चचा से रिवायत करते हैं कि क़बीला अस्लम के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में पहुँचे तो आप ने उन से पूछाः क्या तुम ने आज का रोज़ा रखा है? उन्होंने कहाः नहीं, आप ने फ़रमायाः तो फिर बाक़ी पूरे दिन को रोज़ा के तौर पर (बिना खाऐ-पिये) पूरा करो, और इस की क़ज़ा करना।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस से मुराद आशूरा का दिन था।

फ़ाइदा:— रिवायत ज़ओफ़ है। मुस्लिम की रिवायत में भी है मगर उस में क़ज़ा करने का ज़िक्र नहीं है, इसलिये यह जुम्ला सहीह नहीं है।

बाब {एक दिन रोज़ा रखने और एक दिन इफ़तार करने की फ़ज़ीलत का बयान।}

2448:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः अल्लाह पाक के नज़दीक सब से ज़्यादा पसन्दीदा रोज़े दाऊद अ़लै॰ के रोज़े हैं। और सब से ज़्यादा पसन्दीदा नमाज़ अल्लाह पाक के यहाँ दाऊद अ़लै॰ की नमाज़ है। वह आधी रात तक सोते, फिर तिहाई रात तक नमाज़ पढ़ते, फिर उस का छठा हिस्सा सोते थे। और वह एक दिन इफ़तार और एक दिन रोज़ा रखा करते थे।

बाब {हर माह तीन रोज़े रखने की फ़ज़ीलत।}

2449:— इब्ने मिलहान अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हम से फ़रमाया करते थे कि हम बीज़ यानी 13, 14, 15 तारीख़ के रोज़े रखा करें। आप ने फ़रमायाः यह रोज़े ऐसे हैं गोया सारे ज़माने के रोज़े।

फ़ाइदा:— "अय्यामे बीज़" (सफ़ेद रातों के दिन) चूँकि 13, 14, 15 की रात को चाँद तक़रीबन सारी रात चमकता है। इन रोज़ों के रखने की फ़ज़ीलत बहरहाल है।

2450:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हर महीने की इब्तिदा में तीन दिन रोज़े रखा करते थे।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कभी शुरु में, कभी दर्मियान में और कभी अन्त में तीन रोज़े रखा करते थे।

बाब {सोमवार और जुमेरात के दिन के रोज़े का बयान।}

2451:— हफ़्सा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम महीने में तीन रोज़े रखा करते थे। (पहले) सोमवार और जुमेरात को और अगले सप्ताह में (दूसरे) सोमवार को (इस प्रकार कुल तीन रोज़े हो जाते हैं।)

2452:— हुनैदा खुज़ाअ़ी अपनी माता जी से रिवायत करते हैं, उन का कहना है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे सलमा की ख़िदमत में हाज़िर हुयी और उन से रोज़ों के बारे में मालूम किया तो उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुझ से फ़रमाया करते थे कि हर महीने में तीन रोज़े रख लिया करूँ। उन में पहला सोमवार का हुआ और (दूसरा) जुमेरात का।

बाब {महीने में किसी भी समय रोज़ा रख लेने की इजाज़त है।}

2453:— मुआ़ज़ा कहती हैं कि मैंने आ़इशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से पूछाः क्या नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम हर महीने में तीन रोज़े रखा करते थे? उन्होंने कहाः हाँ। मैंने कहाः महीने की किन तारीख़ों या दिनों में रोज़े रखा करते थे? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तारीख़ों या दिनों की पर्वा नहीं करते थे (कोई ख़ास दिन या तारीख़ मुक़र्रर नहीं थी। जब चाहते रोज़ा रख लिया करते थे।

फ़ाइदा:— ऊपर गुज़र चुका कि केवल जुमा और सनीचर के दिन रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है, इसलिये इस का ख़याल रखना होगा।

बाब {रोज़े के लिये निय्यत का बयान।}

2454:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी हफ़सा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस शख़्स ने फ़ज्र से पहले रोज़े की निय्यत न की तो उस का रोज़ा दुरुस्त न होगा।

फ़ाइदा:— फ़र्ज़ रोज़ों में फ़ज्र से पहले निय्यत कर लेना ज़रुरी है। और अ़फ़ज़ल यह है कि हर रोज़े की रोज़ ही निय्यत की जाये। निय्यत दिल के इरादे का नाम है।

बाब {नफ़ली रोज़े में निय्यत में ताख़ीर करना दुरुस्त है।}

2455:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मेरे यहाँ तशरीफ़ लाते तो पूछतेः क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है? जब हम कहते कि नहीं है तो आप फ़रमातेः मैं रोज़ा रख लेता हूँ। इमाम वक़ीअ़ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक दूसरे मौक़ा पर हमारे पास तशरीफ़ लाये तो हम ने कहाः हमें हैस (एक प्रकार का खाना) का हंदिया भेजा गया है जो हम ने आप के लिये संभाल कर रखा हुआ है। आप ने फ़रमायाः इधर लाओ। तल्हा ने स्पष्ट किया कि आप ने सुब्ह को रोज़े की निय्यत की थी, मगर इफ़तार कर लिया।

फ़ाइदा:— नफ़ली रोज़े में इतनी गुन्जाइश है कि इस की निय्यत फ़ज्र के बाद और कुछ उलमा के निकट ज़वाल से पहले तक की जा सकती है। फिर जब चाहे रोज़ा तोड़ सकता है और इस की क़ज़ा भी नहीं है।

2456:— उम्मे हानी (हज़रत अ़ली रज़ि॰ की बहन) बयान करती हैं कि फ़त्ह मक्का के दिन फ़ातिमा रज़ि॰ तशरीफ़ लायीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बायें तरफ़ बैठ गयीं और उम्मे हानी आप के दाँये तरफ़ बैठीं। उन्होंने बयान किया कि इतने में नौकरानी एक बर्तन लेकर आयी उस में पीने की कोई चीज़ थी। उस ने उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को दिया तो आप ने उसे पी लिया और फिर उम्मे हानी को दे दिया, तो उन्होंने भी इस से पी लिया और बोलीं: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने रोज़ा रखा हुआ था और तोड़ दिया है। आप ने पूछाः क्या यह क़ज़ा का रोज़ा था? उन्होंने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः अगर नफ़ली था तो कोई हरज नहीं।

बाब {नफ़ली रोज़ा तोड़ लिया हो तो उस की क़ज़ा का मस्अला।}

2457:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मुझ को और हफ़सा को खाना हदिया भेजा गया जबकि हम ने रोज़ा रखा हुआ था तो हम ने रोज़ा तोड़ दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये तो हम ने उन से कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमें हदिया भेजा गया था और खाने को दिल ने चाहा और हम ने रोज़ा तोड़ कर खा लिया। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कोई हरज नहीं, इस के स्थान पर एक रोज़ा रख लेना।

फ़ाइदा:— नफ़ली रोज़ा तोड़ने पर कोई क़ज़ा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा रखने को मुस्तहब कह सकते हैं। यह रिवायत ज़अ़ीफ़ भी है।

बाब {महिला के लिये उचित नहीं कि पति के होते हुये उस की इजाज़त के बिना नफ़ली रखे।}

2458:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः किसी महिला के लिये उचित नहीं कि पति मौजूद हो तो उस की इजाज़त के बग़ैर रोज़ा रखे, मगर यह कि रमज़ान के रोज़े हों। और इसी प्रकार उचित नहीं कि पति मौजूद हो तो उस की इजाज़त के बग़ैर किसी को घर में आने दे।

फ़ाइदा:— ऐसा इसलिये कि हो सकता है पति को दिन में ज़रुरत पड़ जाये और वह रोज़े से होने की वजह से मजबूर हो। इस से पति-पत्नी के संबन्ध ख़राब भी हो सकते हैं।

2459:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ बयान करते हैं कि एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुयी जबकि हम भी आप के पास थे। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा पति सफ़वान बिन मुअ़त्तल जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे मारता है, और जब रोज़ार रखती हूँ तो तोड़वा देता है, और खुद फ़ज्र की नमाज़, सूरज चढ़े पढ़ता है। सफ़वान भी वहीं थे। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से जो कुछ उन की पत्नी ने कहा था उस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! उस का यह कहना कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मारता है, तो मामला यह है कि यह दो सूरतें नमाज़ में पढ़ती है और मैंने उस को इस (लंबी) क़िरात से रोका है। आप ने फ़रमायाः अगर एक सूरत की क़िरात हो तो भी काफ़ी है। और उस का यह कहना कि मेरा रोज़ा तोड़वाता है तो उस की हालत यह है कि यह रोज़े पर रोज़े रखती चली जाती है। और मैं जवान आदमी हूँ सब्र नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस दिन फ़रमायाः कोई पत्नी अपने पति की अनुमति के बिना रोज़ा न रखे। और उस का यह कहना कि मैं सूरज चढ़े नमाज़ पढ़ता हूँ तो मामला यह है कि हमारा घराना इस बात में मश्हूर है कि हम लोग सूरज निकलने से पहले उठ ही नहीं सकते। आप ने फ़रमायाः जब जागा करो तो नमाज़ पढ़ लिया करो।

बाब {रोज़ादार को अगर वलीमा की दावत मिले तो........?}

2460:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से किसी को खाने की दावत मिले तो चाहिये कि उसे क़ुबूल कर ले। अगर रोज़े से न

हो तो खा ले और अगर रोज़ा रखा हुआ है तो (मज्लिस में हाज़िर होकर खाना खिलाने वाले के लिये) दुआ करे।

फ़ाइदा:— रोज़ादार को भी दावत में शरीक होना चाहिये और दुआ करनी चाहिये। और अगर नफ़ली रोज़ा है तो तोड़ना भी जाइज़ है।

बाब {रोज़ादार खाने की दावत में क्या कहे?}

2461:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम में से किसी को खाने के लिये बुलाया जाये और उस ने रोज़ा रखा हुआ हो तो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ।

बाब {एतिकाफ़ के मसाइल व अहकाम।}

2462:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अन्तिम दहे में एतिकाफ़ किया करते थे। अन्तिम उमर तक आप का यही मामूल रहा। आप के बाद फिर आप की बीवियाँभी एतिकाफ़ बैठा करती थीं।

2463:— उबय्यि बिन कअ़ब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अन्तिम दहे में एतिकाफ़ फ़रमाया करते थे। एक साल आप एतिकाफ़ न बैठ सके तो अगले साल आप ने बीस रात तक एतिकाफ़ फ़रमाया।

फ़ाइदा:— नफ़ली इबादत की क़ज़ा वाजिब तो नहीं है, मगर कोई क़ज़ा करता है तो फ़ज़ीलत का काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास कर इस पर अमल करते थे।

2464:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ़ का इरादा फ़रमाते तो फ़ज्र की नमाज़ पढ़ कर एतिकाफ़ के कमरे में दाख़िल हो जाते। एक बार आप ने रमज़ान के अन्तिम दहे में एतिकाफ़ का इरादा फ़रमाया और हुजरा बनवाने का हुक्म दिया तो वह बना दिया गया। जब मैं ने यह देखा तो मैंने कहा कि मेरा ख़ेमा भी लगाया जाये, चुनान्चे लगा दिया गया। फिर दूसरी बीवियों ने भी (देखा देखी) ख़ेमा लगाने को कहा, चुनान्चे उन के भी ख़ेमे लगा दिये गये। आप ने फ़ज्र की नमाज़ के बाद ख़ेमों को देखा तो फ़रमाया: यह क्या क्या है? क्या भला यह नेकी के इरादे से कर रही हैं? फिर आप ने अपने (एतिकाफ़ में बैठने के लिये) ख़ेमे के बारे में फ़रमाया और उसे खोल दिया गया, इस पर आप की बीवियों ने भी अपने-अपने ख़ेमे खोलवा दिये। फिर आप ने अपना यह एतिकाफ़ शव्वाल के पहले देह तक पिछाड़ दिया।

इमाम मालिक ने यहया बिन सईद सेरिवायत किया और कहा कि आप ने शव्वाल के 20 दिन एतिकाफ़ किया।

फ़ाइदा:— हुजरा इसलिये बनाया जाता है कि दूसरे लोगों की नज़रों से ओझल हो जाये और यकसूई से इबादत कर सके। महलियायें भी मस्जिद में एतिकाफ़ कर सकती हैं। रमज़ान के अलावा महीने में अगर कोई एतिकाफ़ बैठता है तो इस के लिये रोज़ा शर्त नहीं है। 20 रमज़ान को मग़रिब से

पहले मस्जिद में आ जाये, रात मस्जिद में गुज़ारे और फ़ज्र की नमाज़ पढ़ कर एतिकाफ़ में बैठ जाये।

बाब {एतिकाफ़ कहाँ होना चाहिये?}

2465:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अन्तिम दहे में एतिकाफ़ फ़रमाया करते थे। (इमाम नाफ़े कहते हैं कि अब्दुल्लाह ने मुझे मस्जिदे नबवी में वह जगह दिखाई जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ फ़रमाया करते थे।

2466:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान के अन्तिम दस दिन एतिकाफ़ फ़रमाया करते थे। चुनान्चे जिस साल आप का देहान्त हुआ तो बीस दिन आप ने एतिकाफ़ फ़रमाया।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि ऊपर की हदीस की रोशनी में एतिकाफ़ मस्जिद में मसनून है। इस हदीस से मालूम हुआ कि बीच रमज़ान में भी एतिकाफ़ बैठ सकते हैं।

बाब {एतिकाफ़ करने वाला अपनी ज़रुरत के लिये घर जा सकता है।}

2467:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ के दौरान में अपना सर मेरी तरफ़ झुका देते और मैं उस में कंघी कर देती और आप अपनी हाजत पूरी करने के लिये घर ही में आया करते थे।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ एतिकाफ़ के दौरान पत्नी सेवा कर सकती है। हाजत पूरी करने के लिये मस्जिद से बाहर जा सकता है। खाना आदि रखने के लिये घर जा सकता है।

2468:— इब्ने शिहाब ज़हरी ने उर्वा और अम्रा के वास्ते से आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया

2469:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतिकाफ़ में होते, आप हुजरे में से अपना सर मेरी तरफ़ कर देते और मैं आप का सर धो देती।

मुसद्द की रिवायत में है कि मैं आप को कंघी कर देती जबकि मैं हैज़ से होती।

2470:— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी सफ़िय्या रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ में थे और मैं रात के समय आप की ज़ियारत के लिये हाज़िर हुयी। मैं आप से बातें करती रही, फिर मैं वापस आने के लिये उठी तो आप भी मुझे छोड़ने के लिये खड़े हो गये जबकि मैं उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ के एहाता में रहती थी। इसी बीच (हमोर पास से) दो अन्सारी गुज़रे। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वह जल्दी-जल्दी चलने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन से फ़रमाया: ठहर जाओ, यह मेरे साथ मेरी पत्नी सफ़िय्या बिन्त हुय्यि हैं। उन दोनों ने कहा: सुब्हानल्लाह! ऐ अल्लाह के रसूल! (आप को किसी प्रकार की स्पष्टीकरण (वज़ाहत) करने की आवश्यकता ही नहीं है)

आप ने फ़रमायाः शैतान इन्सान के शरीर में ऐसे चलता है जैसे खून। मुझे शुब्हा हुआ कि कहीं वह तुम्हारे दिलों में कुछ डाल न दे, या फ़रमायाः बुराई न डाल दे।

2471:— शुऐब ने इमाम ज़हरी की सनद से यह रिवायत किया है.......कि जब आप मस्जिद के दरवाज़े के क़रीब पहुँचे जो कि उम्मे सलमा के घर के दरवाज़े के पास था तो आप के पास से दो आदमी गुज़रे.......और ऊपर की हदीस की तरह बयान किया।

फ़ाइदा:— ग़ैर को एतिकाफ़ की हालत में मिलने में हरज नहीं।

बाब {एतिकाफ़ में होते हुये मरीज़ की अयादत के लिये जाये (या न जाये?)}

2472:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एतिकाफ़ की हालत में बीमार के पास से गुज़रते और अपनी राह चलते जाते और उस का हाल चाल पूछते जाते, मगर उस की तरफ़ मुड़ते न थे। इब्ने ईसा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एतिकाफ़ की हालत में मरीज़ की अयादत कर लेते थे।

2473:— आइशा सिद्दीक़ा रज़ि॰ ने फ़रमायाः एतिकाफ़ में बैठने वाले के लिये सुन्नत है कि मरीज़ की अयादत के लिये न जाये, जनाज़े में शरीक न हो, महिला को न छुवे और न उस से संभोग करे, और किसी अहम काम के बिना मस्जिद से बाहर न निकले। और रोज़े के बग़ैर एतिकाफ़ नहीं, और जामा मस्जिद के अलावा कहीं एतिकाफ़ नहीं।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों हदीसें ज़ईफ़ हैं, इसलिये इन में बयान वही बातें सहीह नहीं हैं जो दूसरी सहीह हदीसों में बयान हैं। बिना रोज़े के एतिकाफ़ जाइज़ है।

2474:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि (मेरे पिता) उमर रज़ि॰ ने जाहिलिय्यत के ज़माना में यह नज़र मानी थी कि काबा में एक रात या दिन का एतिकाफ़ करूँगा। उन्होंने इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मस्अला पूछा तो आप ने फ़रमायाः एतिकाफ़ करो और रोज़ा भी रखो।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है। इस रिवायत में "दिन" का ज़िक्र और "रोज़ा रखो" का बयान सहीह नहीं है। यह रिवायत बुख़ारी (2033) में भी है लेकिन दिन और रोज़ा रखने का हुक्म नहीं है। और न ही एतिकाफ़ के लिये रोज़ा रखने की शर्त है। बहरहाल नेकी का काम हो तो चाहे जिस ज़माना की हो वह नज़र पूरी करनी चाहिये।

2475:— अ़ब्दुल्लाह बिन बुदैल ने (यही रिवायत) अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की है। इस में इतना और इज़ाफ़ा है कि उमर रज़ि॰ एतिकाफ़ में थे कि लोगों ने यकायक तक्बीर बुलन्द की। उन्होंने पूछाः ऐ अ़ब्दुल्लाह (यानी मेरे बेटे!) यह क्या है? उन्होंने बताया कि हवाज़िन क़बीला के कैदियों को अल्लाह के रसूल ने आज़ाद कर दिया है, तो उन्होंने कहाः तो मेरी इस लौंडी को भी (जो मेरे पास है) उन के साथ छोड़ दो।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि एतिकाफ़ के दौरान सदक़ा–ख़ैरात, दान–पुन्न अच्छी चीज़ है।

बाब **{इस्तिहाज़ा वाली महिला एतिकाफ़ कर सकती है।}**

2476:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीवियों में से एक बीवी ने आप के साथ एतिकाफ़ किया। उन्हें पीले रन्ग का या लाल रन्ग का ख़ून आता था (इस्तिहाज़ा की वजह से) तो हम कभी उन के नीचे लगन भी रख दिया करते थे और वह नमाज़ पढ़ा करती थीं।

फ़ाइदा:— इस्तिहाज़ा की बीमारी में जो ख़ून आता है उस में नमाज़, रोज़ा, एतिकाफ़ सब काम जाइज़ हैं, मगर ख़याल रहे कि मस्जिद में ख़ून न टपकने पाये। इसी हदीस की रोशनी में जिस को हर वक़्त हवा निकलती रहती हो वह भी बिना वुज़ू के नमाज़ पढ़ सकता है। या वह व्यक्ति जिस के हर समय खून का रिसाव जारी हो वह भी उसी हालत में नमाज़ पढ़ सकता है।

आज 22 मई 2009 जुमा के दिन 11 बजे दिन में अपने घर बेतनार जनपद सिद्धार्थ नगर यू. पी. पर यहाँ तक का तर्जुमा संपन्न हुआ। इस प्रकार अबू दावूद भाग 2 (उर्दू एडिशन) का काम संपन्न हुआ वल्–हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमी–न (22.5.2009)

❀ ❀ ❀

(15) जिहाद के मसाइल

बाब {हिजरत का बयान और दीहात में रहने का बयान।}

2477:— अबू सओद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि एक दीहाती ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत के बारे में पूछा (यानी मदीना में रहने के लिये बैअत करनी चाही) आप ने फ़रमायाः तुम पर अफ़सोस है, हिजरत का मामला बुहत अच्छा है। क्या तुम्हारे पास ऊँट हैं? उस ने कहाः हाँ। आप ने पूछाः उन की ज़कात देते हो? उस ने कहाः हाँ। आप ने फ़रमायाः इन बस्तियों के पास अमल किये जाओ, अल्लाह पाक तुम्हारे अमल में कोई कमी नहीं करेगा।

2478:— मिक़दाम बिन शुरैह अपने पिता से रिवायत करते हैं कि मैंने आइशा रज़ि॰ से पूछा कि बस्ती और दीहात में रहना कैसा है? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम (कभी कभार) उन टीलों और मैदानों की तरफ़ चले जाया करते थे। आप ने एक बार बाहर जाने का इरादा फ़रमाया और मेरी तरफ़ सदक़ा के ऊँटों में से एक जवान ऊँटनी भेजी (कि सवारी के दौरान में उस पर कुछ सख़्ती करनी पड़ी) तो आप ने फ़रमायाः आइशा! नर्मी से काम लो, नर्मी जिस चीज़ में भी आ जाये वह अच्छी बन जाती है और जिस से निकाल ली जाये वह ऐबदार बन जाती है।

बाब {क्या हिजरत का सिलसिला समाप्त हो गया?}

2479:— मुआविया रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना आप ने फ़रमायाः हिजरत का सिलसिला समाप्त नहीं हो सकता यहाँ तक कि तौबा का सिलसिला समाप्त हो जाये। और तौबा का सिलसिला उस समय तक समाप्त न हो गया जब तक कि सूरज पश्चिम से न निकले।

फ़ाइदा:— यानी सूरज के पश्चिम से निकलने तक दारुल कुफ़र को छोड़ कर हिजरत कर के दारुस्सलाम में जाने का सिलसिला जारी और हिजरत का सवाब मिलता रहेगा।

2480:— इब्ने अब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़त्ह मक्का के दिन फ़रमायाः अब हिजरत नहीं है, लेकिन जिहाद और निय्यत बाक़ी है। जब तुम्हें

जिहाद के लिये बुलाया जाये तो निकल खड़े हो।

2481:— आ़मिर (शौबी) ने कहाः एक शख़्स अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि के पास आया जब कि उन के पास कुछ और लोग भी मौजूद थे, चुनान्चे वह भी उन के पास बैठ गया और कहाः मुझे कोई ऐसी बात बतायें जो आप ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुनी हो। उन्होंने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः "मुसलमान वहह है जिस की ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान सुरक्षित हों, और मुहाजिर वह है जो अल्लाह के मना किये हुये कामों से दूर रहे।

बाब {मुल्क शाम में जाकर आबाद होना।}

2482:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः "हिजरत के बाद भी हिजरत होती रहेगी। ज़मीन पर रहने वालों में सब से बेहतर वह लोग होंगे जो इब्राहीम अ़लै॰ के हिजरत के घर को इख़्तियार किये होंगे और (क़ियामत के निकट) बुरे लोग ही रह जायेंगे, उन की ज़मीनें उन्हें बाहर निकाल फेंक देंगी, अल्लाह पाक भी उन्हें बुरा जानेगा और आग उन लोगों को बन्दरों और सुअरों के साथ जमा कर देगी।

फ़ाइदा:— अ़रब दीप के पश्चिमी क्षेत्र को "शाम" कहा जाता है जिस में आज कल लेबनान, उदुर्न, फ़लस्तीन, सूरया (शाम मुल्क) आदि स्थिति हैं।

2483:— अ़ब्दुल्लाह बिन हवाला रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हालात इस प्रकार हो जायेंगे कि तुम लोग मुख़्तलिफ़ गरोंहों और लश्करों में जमा हो जाओगे। एक लश्कर शाम में होगा, एक यमन में और एक इराक़ में। इब्ने हवाला कहते हैं कि मैंने अनुरोध किया। ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मेरे लिये बता दें कि अगर ऐसे हालात देखूँ तो कहाँ रहूँ? आप ने फ़रमायाः शाम को इख़्तियार कर लेना,बिला शुब्हा यह क्षेत्र अल्लाह पाक का पसन्द किया हुआ है, अल्लाह पाक अपने नेक बन्दों को यहीं जमा कर देगा। लेकिन अगर तुम लोग इस से इन्कार करो तो फिर अपने यमन को इख़्तियार करना और अपने तालाबों का पानी पीना, बिला शुहा अल्लाह पाक ने मुझे शाम और शाम के लोगों के बारे में (फ़ितनों से सुरक्षा की) ज़मानत दी है।

फ़ाइदा:— शाम का क्षेत्र मुबारक क्षेत्रों में से हैं। यह क्षेत्र सन्देष्टाओं की ज़मीन रहा है। अन्त में ओसा अ़लै॰ इसी क्षेत्र में नाज़िल होंगे, इसलिऐ इस क्षेत्र की तरफ़ हिजरत करने को कहा गया है। आज कल इस क्षेत्र के हालात अच्छे नहीं हैं, यह चन्द वर्षो के लिये हैं, भविष्य में इस के बुरे हालात अपने आप समाप्त हो जायेंगे।

बाब {जिहाद हमेशा जारी रहेगा।}

2484:— इमरान बिन हुसैन रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

फ़रमायाः मेरी उम्मत का एक गरोह हमेशा हक़ के लिये लड़ता रहेगा और अपने मुक़ाबिल आने वालों पर ग़ालिब रहेंगे, यहाँ तक कि उन का आख़िरी गरोह मसीह दज्जाल से लड़ाई करेगा।

बाब {जिहाद का सवाब।}

2485:— अबू सअ़ीद रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सवाल किया गयाः मोमिनों में कौन आदमी कामिल ईमान वाला है? आप ने फ़रमायाः जो शख़्स अल्लाह की राह में अपनी जान व माल से जिहाद करता हो, और वह आदमी जो पहाड़ की किसी घाटी में अल्लाह की इबादत में मशग़ूल हो और लोगों को उस की बुराई न पहुँचती हो।

फ़ाइदा:— "पहाड़ की घाटी" में इबादत करने से यह मुराद है कि आदमी नाम व शौहरत से दूर हो। या यह कि जब समाज में दीन व ईमान ख़तरे में हो और अच्छी सोहबत न मिले तो उन लोगों से अलग होकर पहाड़ की घाटी में इबादत में कोई हरज नहीं।

बाब {सैर–तफ़रीह मना है।}

2486:— अबू उमामा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सवाल किया और अनुमति माँगी कि मुझे सैर–तफ़रीह की इजाज़त दे दें। आप ने फ़रमायाः मेरी उम्मत में सैर– तफ़रीहअल्लाह की राह में जिहाद है।

फ़ाइदा:— ऐसे सैर–तफ़रीह की शरीअ़त में कोई अहमियत नहीं जिस में केवल माल की बर्बादी हो, इस्लाम ने उस के स्थान पर जिहाद को किया है। कुरआन में सैर करने का उद्देश्य यह है कि निकल कर अल्लाह पाक की दुनिया में ग़ौर किया जाये, देख कर ईमान ताज़ा हो, अल्लाह के ख़ालिक़ और मालिक होने पर पूरा यक़ीन हो।

बाब {जिहाद से वापस लौटने का सवाब।}

2487:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ से रियत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिहाद से वापस लौटना (फ़ज़ीलत और सवाब में) ऐसे है, जैसे जिहाद के लिये जाना।

फ़ाइदा:— जिहाद से लौटने के बाद भी मुजाहिद जिहाद करने की निय्यत दिल में हर समय रखता है, उस के लिये तय्यारी करता है, लौटते समय दूसरे जिहाद के लिये पलान बनाता है, इसलिये उस के वापस लौटने पर भी जिहाद का सवाब मिलता है।

बाब {दूसरी क़ौमों के मुक़ाबले में रुमी लोगों से जिहाद करने की फ़ज़ीलत।}

2488:— अ़ब्दुल ख़बीर बिन साबित बिन क़ैस बिन शम्मास अपने पिता से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक महिला नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आयी जिस का नाम उम्मे ख़ल्लाद था। उस ने नक़ाब डाला हुआ था, अपने बेटे के बारे में प्रश्न कर रही थी जबकि वह (जिहाद में) मारा गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी ने उस से कहाः तुम अपने बेटे के बारे में सवाल करने आई हो और नक़ाब डाल रखा है (ऐसी परेशानी में भला कोई पर्दा करता है?) उस ने कहाः अगर मेरा बेटा खोगया है तो मैंने अपनी

हया तो नहीं खोई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तेरे बेटे को दो शहीदों का सवाब है। उस ने पूछाः ऐसा क्यों? ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आप ने फ़रमायाः क्योंकि उसे अहले किताब ने क़त्ल किया है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओफ़ है, इसलिये इस का अर्थ सहीह नहीं है।

बाब **{जिहाद के लिये समुन्दर की यात्रा करना।}**

2489:— अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हज्ज, उम्रा या अल्लाह की राह में जिहाद की ग़रज़ के अलावा समुन्दर का सफ़र न किया जाये, बिला शुब्हा समुन्दर के नीचे आग है और आगे के नीचे समुन्दर है।

फ़ाइदा:— यह हदीस बहुत बुरी तरह ज़ओफ़ है।

बाब **{समुन्दर में जिहाद करने की फ़ज़ीलत।}**

2490:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि (मेरी ख़ाला) उम्मे हराम बिन्त मिलहान रज़ि॰ ने बयान किया, और यह (मेरी माता जी) उम्मे सुलैम की बहन थीं, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने (एक बार) उन के घर दोपहर को आराम किया। चुनान्चे जब आप जागे तो हँस रहे थे। उन्होंने कहाः कि मैंने पूछाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आप किस बात पर हँस रहे हैं? आप ने फ़रमायाः मैंने देखा कि (मेरी उम्मत में से) एक क़ौम के लोग (बड़ी शान से) समुन्दर में सफ़र कर रहे हैं, जैसे की बादशाह अपने तख़्तों पर हों। उन्होंने कहा कि यह सुन कर मैंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आप दुआ फ़रमा दें कि अल्लाह पाक मुझे भी उन में से कर दे। आप ने फ़रमायाः तुम भी उन में से हो। आप इस के बाद फिर सो गये और जब जागे तो फिर हँस रहे थे। तो मैंने फिर पूछाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! आप किस बात पर हँस रहे हैं? तो आप ने पहले वाली बात दोहरायी। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह से दुआ कीजिये कि वह मुझे उन लोगों में से बना दे। आप ने फ़रमायाः तुम पहले लोगों में से होगी। अनस रज़ि॰ नें बयान किया कि बाद में उबादा बिन सामित रज़ि॰ ने उन से निकाह कर लिया और उन के साथ समुन्दर का सफ़र किया। जब वापस लौटे तो सवारी के लिये एक खच्चर लाया गया। जब वह उस पर सवार हुयीं तो उस ने उन्हें गिरा दिया जिस से उन की गर्दन टूट गयी और देहान्त कर गयीं।

फ़ाइदा:— यह घटना उस्मान ग़नी रज़ि॰ के ख़िलाफ़त के ज़माना की है। इस जन्ग में मुआविया बिन अबू सुफ़यान कमान्डर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ैब की बातें नहीं जानते थे, आप को वहयि के ज़रीआ अल्लाह पाक ने बता दिया था।

2491:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ुबा तशरीफ़ ले जाते तो उम्मे हराम बिन्त मिलहान के घर भी जाते वह उबादा बिन सामित रज़ि॰ के निकाह में थीं। आप एक दिन उन के घर तशरीफ़ ले गये तो उन्होंने खाना पेश किया और फिर बैठ कर आप के सर से जूँ तलाश करने लगीं, और ऊपर की हदीस बयान कीं....... और इमाम अबू दावूद ने कहा कि उम्मे हराम बिन्त मिल्हान का देहान्त क़बरस में हुआ था।

फ़ाइदा:— उम्मे हराम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की मुहर्रमात में से थीं जिन से निकाह हराम है। कुछ लोगों ने उन्हें आपकी दूध शरीक ख़ाला बताया है।

2492:— उम्मे सुलैम की बहन रुमैसा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सो गये, फिर जागे तो आप हँस रहे थे, उस समय यह अपना सर धो रही थीं। चुनान्चे उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! क्या आप मेरे सर पर हँस रहे हैं? आप ने फ़रमायाः नहीं.......पूरी हदीस बयान की जिस में कुछ कमी-बेशी है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि रुमैसा, उम्मे सुलैम की दूध शरीक बहन हैं और इन्हीं का नाम उम्मे हराम बिन्त मिलहान है।

2493:— उम्मे हराम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि आप ने फ़रमायाः समुन्दर के सफ़र में जिस का सर चकराए और क़ै आ जाये तो उस के लिये एक शहीद क सवाब है। और जो डूब कर मर जाये उस को दो शहीदों का सवाब है।

फ़ाइदा:— इस से मुराद जिहाद या हज्ज व उम्रा का सफ़र है। जो भी सफ़र दीनी काम के लिये हों वह भी मुराद हो सकते हैं।

2394:— अबू उमामा बाहली रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तीन प्रकार के आदमियों का अल्लाह पाक ज़िम्मेदार है। (1) जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिये निकला तो अल्लाह पाक उस का ज़ामिन है, और अगर मर जाये तो उस को जन्नत में दाख़िल करेगा, या सवाब और माले ग़नीमत के साथ वापस घर लौटा देगा। (2) दूसरा वह आदमी जो मस्जिद की तरफ़ गया तो अल्लाह पाक उस का ज़ामिन है यहाँ तक कि अगर वह मर जाये तो उस को जन्नत में दाख़िल करेगा, या सवाब और माले ग़नीमत के साथ लौटाएगा। (3) और तीसरा वह आदमी है जो सलामती के साथ अपने घर में दाख़िल हुआ तो अल्लाह पाक उस का ज़ामिन है।

फ़ाइदा:— तीसरे आदमी के बारे में यह फ़रमाया कि फ़ितना-फ़साद के माहौल में लोगों से दूर रह कर केवल अपने घर केअन्दर ही सलामती के साथ बैठा रहता है तो ऐसा शख़्स भी अल्लह की हिफ़ाज़त में रहेगा।

बाब {काफ़िर को क़त्ल करने वाले की फ़ज़ीलत।}

2495:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः काफ़िर और उस का क़ातिल (मुजाहिद) आग में कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते।

फ़ाइदा:— ज़ाहिर है कि मुजाहिद जन्नत का हक़दार बन जायेगा।

बाब {जो लोग जिहाद पर नहीं जा सके हैं उन पर वाजिब है कि मुजाहिद लोगों की बीवियों की हिफ़ाज़त और उन का एहतराम करें।}

2496:— सुलैमान बिन बुरैदा अपने पिता बुरैदा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो जिहाद पर नहीं गये हैं उन पर मुजाहिद लोगों की महिलाओं की

रहे और मुजाहिद लोगों के घर वालियों के साथ ख़ियानत करे तो क़ियामत के दिन ऐसे शख़्स के लिये झन्डा लगाया जायेगा और (हशर में उसे रुस्वा करते हुये) मुजाहिद से कहा जायेगा: यही शख़्स है जो तेरे पीछे तेरे घर वालों के साथ बुराइयाँ करता रहा। इस की नेकियों में से जो लेना चाहता है ले ले। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारी तरफ़ मुतवज्जेह हुये और फ़रमाया: तो तुम्हारा क्या ख़याल है? (यानी भला वह कुछ छोड़ेगा? नहीं बल्कि उस की तमाम नेकियाँ समेट लेगा।)

इमाम अबू दावूद ने बयान किया कि हदीस के रावी क़ानब एक नेक आदमी थे। इब्ने अबी लैला ने उन को क़ाज़ी बनाना चाहा तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि मुझे एक दिरहम की कोई मामूली चीज़ भी लेनी होती है तो दूसरे आदमी की सहायता लेता हूँ (तो फिर क़ाज़ी कैसे बन सकता हूँ) उन्होंने कहा: हम में से कौन है जिसे दूसरे की मदद की ज़रुरत नहीं पड़ती है? उन्होंने कहा: अब तो इजाज़त दें ताकि मैं कुछ सोच लूँ। चुनान्चे इजाज़त दी गयी तो छुप गये। सुफ़यान ने बयान किया कि छुपे हुये थे कि इतने में घर की छत गिर पड़ी और देहान्त कर गये।

फ़ाइदा:— जो जिहाद के लिये घर से बाहर है उस के बाल बच्चों की सुरक्षा करना बड़े सवाब का काम है। और उन के साथ ख़ियानत करना गोया अपनी माँ के साथ करना है।

बाब {जो लश्कर, ग़नीमत नहीं पाता।}

2497:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो मुजाहिद अल्लाह की राह में जिहाद के लिये निकलते हैं और ग़नीमत हासिल कर लेते हैं, वह अपने आख़िरत के सवाब में से दो तिहाई जल्द ही (इस दुनिया ही में) पा लेते हैं और तिहाई उन के लिये बाक़ी रह जाता है। और अगर कोई ग़नीमत न मिले तो उन का कामिल अज्र और सवाब (क़ियामत तक के लिये) सुरक्षित हो जाता है।

बाब {जिहाद के दौरान अल्लाह के ज़िक्र के सवाब का बढ़ावा।}

2498:— सहल बिन मआ़ज़ अपने पिता (मआ़ज़ बिन अनस रज़ि०) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अल्लाह की राह में जिहाद के दौरान नमाज़, रोज़ा और ज़िक्र का सवाब, अल्लाह की राह में ख़र्च करने के मुक़ाबले में सात सौ गुना तक बढ़ा दिया जाता है।

बाब {जो शख़्स जिहाद के सफ़र में देहान्त कर जायें?}

2499:— अबूमालिक अश्अ़री रज़ि० बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो शख़्स जिहाद के लिये रवाना हुआ और देहान्त कर गया, या क़तल कर दिया गया, तो वह शहीद है। या अगर उस को उस के घोड़े या ऊँट ने गिरा दिया हो, या किसी जानवर ने काटा हो, या अपने बिस्तर ही पर उसे मौत आयी हो, या जिस किसी हालत में भी उस का देहान्त हुआ तो वह शहीद है, और बिला शुब्हा उस के लिये जन्नत है।

बाब {दुश्मन के मुक़ाबला में मूर्चा बन्दी की फ़ज़ीलत।}

2500:— फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर मरने वाले का अ़मल (उस के मरने के बाद) समाप्त हो जाता है, मगर मूर्चा बन्द कि उस का अ़मल क़ियामत तक के लिये बढ़ता रहता है। वह क़ब्र के अज़ाब से (या क़ब्र में मुन्किर नकीर के सवाल-जवाब) से सुरक्षित रहता है।

बाब {जिहाद में पहरेदारी की फ़ज़ीलत।}

2501:— सहल बिन हन्ज़लिय्या ने बयान किया कि हम लोग हुनैन की लड़ाई के मौक़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ रवाना हुये और बहुत लंबा सफ़र तै किया यहाँ तक कि पिछला पहर हो गया। सो मैं नमाज़ के समय नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास हाज़िर था कि घोड़े पर सवार एक व्यक्ति आया और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आप के आगे-आगे चलता रहा यहाँ तक कि फ़लाँ-फ़लाँ पहाड़ पर चढ़ गया तो क्या देखा कि हवाज़िन क़बीला के तमाम लोग अपनी महिलाओं, जानवरों और बकरियों समेत हुनैन की तरफ़ जमा हो रहे हैं। यह सुन कर आप मुस्कुराये और कहाः कल अल्लाह ने चाहा तो यह सब मुसलमानों के लिये माले ग़नीमत होगा। फिर फ़रमायाः आज रात कौन हमारा पहरा देगा? अनस बिन मरसद ग़नवी रज़ि॰ ने कहाः मैं ऐ अल्लाह के रसूल। आप ने फ़रमायाः तो फिर सवार हो जाओ। चुनान्चे वह अपने घोड़े पर सवार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयेतो आप ने फ़रमायाः इस घाटी की तरफ़ चले जाओ और चढ़ जाओ, और कहीं ऐसा न हो कि रात में हम तुम्हारी तरफ़ से धोखा खा जायें। फिर जब सुब्ह हुयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपने मुसल्ले पर तशरीफ़ लाये और दो रकअ़तें पढ़ीं, फिर पूछाः क्या तुम ने अपने सवार को देखा है? सहाबा ने कहाः नहीं। फिर नमाज़ के लिये तक्बीर कही गयी और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाने लगे और आप इस दौरान में घाटी की तरफ़ भी देखते रहे, फिर जब नमाज़ मुकम्मल कर ली और सलाम फेर लिया तो फ़रमायाः बशारत हो, तुम्हारा सवार आ गया हैं, चुनान्चे हम लोग भी पेड़ों के दर्मियान से घाटी की तरफ़ देखने लगे। इतने में वह सामने आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास खड़ा हो गया और सलाम के बाद कहाः मैं (आप के पास से) रवाना हुआ और उस घाटी के ऊपर चढ़ गया जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फ़रमाया था। जब सुब्ह हुयी तो मैंने दोनों घाटियों में देखा तो मुझे कोई नज़र न आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से पूछाः क्या तुम रात को (घोड़े से) उतरे भी थे? उस ने कहाः नहीं, मगर सिर्फ पाख़ाना-पेशाब या नमाज़ के लिये ही उतरा हूँ। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस से फ़रमायाः तुम ने अपने लिये (जन्नत) वाजिब कर ली, तुम इस के बाद और कोई अ़मल न भी करो तो भी तुम्हारी कोई पकड़ नहीं होगी।

बाब {जिहाद छोड़ देने की बुराई।}

2502:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

जो शख़्स इस हाल में मरा कि उस ने जिहाद नहीं किया और अपेन दिल में भी जिहाद की निय्यत नहीं कि तो निफ़ाक़ की एक शाख़ पर मरां

फ़ाइदा:— मुसलमान हर हाल में इस्लाम और मुसलमानों को ग़ालिब देखना पसन्द करता है इस के लिये कोशिश करता है अगर ऐसी हालत और जज़्बा न हो तो वह किस काम का मुसलमान हुआ।

2503:— अबू उमामा रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने जिहाद में हिस्सा नहीं लिया, या किसी मुजाहिद की माली सहायता नहीं की, या मुजाहिद के रवाना हो जाने के बाद उस के बाल-बच्चों की देख-भाल नहीं की तो अल्लाह पाक उसे किसी परेशानी में डाल देगा। यज़ीद बिन अ़ब्दुल्लाह ने अपनी रिवायत में यूँ बयान किया: "क़ियामत आने से पहले उसे किसी मुसीबत में डाल देगा।"

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि अगर जिहाद के लिये नहीं जा सका, तो जो जिहाद पर गये हैं उन के घरों और उल के बाल-बच्चों की देख-भाल उस न जाने वाले पर वाजिब है।

2504:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मुश्रिकों से जिहाद करो अपने मालों के साथ, अपनी जानों के साथ और अपनी ज़बानों के साथ।

बाब {ख़ास लोगों की वजह से आ़म लोगों के जिहाद में जाने का हुक्म मन्सूख होना।}

2505:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत हैं कि सूरः तौबा (की आयत न॰ 39) "अगर तुम जिहाद के लिये ना निकलोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें दर्दनाक अ़ज़ाब देगा" और (आयत न॰ 120, 121 में) "मदीना वालों और उनके पास पड़ोस के दीहातियों के लिये जाइज़ नहीं (किअल्लाह के रसूल से पीछे रहें, और न यह कि अपनी जानों को रसूल की जान से प्यारी समझें.....) इन आयतों को इस के बाद वाली आयत (न॰ 122) ने मन्सूख़ कर दिया है, जिस में है कि "और मोमिनों के लिये उचित नहीं कि यह सब के सब जिहाद के लिये निकल खड़े हों (ऐसा क्यों न हुआ कि हर जमाअ़त में से एक गरोह निकलता ताकि वह बाक़ी दीन में समझ हासिल करते और जब वह (जिहाद से) लौट कर आते तो अपनी क़ौम कोभी डराते ताकि वह भी आगाह हो जायें (सूरः तौबा 120)

2506:— नजदा बिन नुफ़ैअ़ा ने बयान किया कि मैंने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से सूरः तौबा (की आयत 39) की तफ़सीर पूछी जिस में है कि "अगर तुम जिहाद के लिये न निकलोगे तो अल्लह पाक तुम्हें सख़्त अ़ज़ाब देगा।" उन्होंने फ़रमाया: उन से वर्षा रोक ली गयी और यही उन का अ़ज़ाब था।

बाब {किसी मजबूरी की वजह से जिहाद के लिये न जाना दुरुस्त है।}

2507:— ज़ैद बिन साबित रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पहलू में बैठा हुआ था कि आप को सकीना ने ढाँप लिया (यानी आप पर वह्यि आने लगी) औरआप की रान मेरी रान पर आ गयी। मुझे आप की रान से जो बोझ महसूस

हुआ किसी और चीज़ से महसूस नहीं हुआ। जब आप से यह हालत दूर हो गयी तो आप ने फ़रमायाः लिखो। तो मैंने शाने की हड्डी पर लिखा "ला यस्-तविल क़ाइदू-न....... (अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन लोग और बैठे रहने वाले लोग बराबर नहीं हो सकते.......) इब्ने उम्मे मक्तूम जो नाबीना सहाबी थे, इन्होंने जब मुजाहिद लोगों की यह फज़ीलत सुनी तो खड़े होकर कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मोमिन लोगों में से ऐसे शख़्स के बारे में आप क्या फ़रमाते हैं जो जिहाद करने की ताक़त न रखता हो? उन्होंने जब अपना सवाल पूरा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सकीना ने ढाँप लिया और आप की रान मेरी रान पर आ गयी और दूसरी बार भी मैंने इसी प्रकार का बोझ महसूस किया जैसा पहले महसूस किया था। फिर जब आप पर से वह्यि का सिलसिला समाप्त हुआ तो आप ने फ़रमायाः ऐ ज़ैद! पढ़ो! मैंने पढ़ा "ला यस्-तविल् क़ाइदू-न मि-नल् मोमिनी-न......." तो आप ने फ़रमायाः "गै-रु उलिज़्ज़-र्रि" (सिवाए उन के जिन्हें मजबूरी हो) और बाक़ी आयत उसी तरह रही। ज़ैद रज़ि॰ ने बयान किया कि इस वाक्य को अल्लाह पाक ने अलग से नाज़िल किया और मैंने उसे उस के स्थान पर लिख दिया। उस ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है, गोया कि मैं शाने की हड्डी के उस जोड़ को देख रहा हूँ जहाँ मैं ने उस को मिलाया था।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि बीमार, अपाहिज, लूला-लंगड़ा आदि अगर जिहाद से पीछे रह जाये तो जाइज़ है, लेकिन अकारण पीछे रहना किसी तरह जाइज़ नहीं।

2508:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम लोग मदीना में ऐसे लोगों को छोड़ आये हो कि जो सफ़र भी तुम करते हो या कोई ख़र्च करते हो, या कोई घाटी तै करते हो तो वह (अज्र और सवाब में) तुम्हारे साथ होते हैं। सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! वह हमारे साथ किस प्रकार होते हैं हालाँकि वह मदीने में हैं? आप ने फ़रमायाः "उन को मजबूरी और उज्र ने रोके रखा है।"

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि अगर निय्यत में इख़्लास है तो एक माज़ूर और मजबूर इन्सान भी सवाब में शामिल रहता है।

बाब {जो चीज़ जिहाद का काम करती है।}

2509:— ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस किसी ने किसी मुजाहिद कोजिहादी सामान दिया, तो उस ने जिहाद किया। और जिस ने मुजाहिद के घर वालों की देखभाल की तो उस ने भी जिहाद किया।

2510:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बनी लहयान की तरफ़ एक मुहिम भेजी और फ़रमायाः हर दो आदमियों में से एक जिहाद के लिये चला जाये (यानी आधे जिहाद के लिये जायें और आधे रुके रहें) फिर आप ने रुकने वालों से फ़रमायाः जो तुम में से मुजाहिद के घर वालों की अच्छे तौर पर देखभाल करेगा उस को जाने वाले का आधा सवाब मिलेगा।

बाब {हिम्मत और बुज़दिली का बयान।}

2511:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः "इन्सान के अन्दर दो बातें बहुत बुरी होती हैं (1) यह कि लालची और बख़ील होने के साथ-साथ दिल का कच्चा हो (2) यह कि इतना डरपोक हो कि गोया दिल ही निकल जायेगा।

बाब {"अपने आप को तबाही में न डालो" की तफ़सीर।"}

2512:— अस्लम अबू अिम्रान बयान करते हैं कि हम लोग मदीना शरीफ़ सेजिहाद के लिये रवाना हुये। हम कुस्तुन्तुनिया (स्तंबोल) जाना चाहते थे और अ़ब्दुर्रहमान बिन ख़ालिद हमारे लश्कर के अमीर (कमान्डर) थे। रुम के लोग अपनी पीठ शहर की दीवार की तरफ़ कर के हमारा मुक़ाबला कर रहे हो। इतने में मुसलमानों में से एक व्यक्ति ने हल्ला बोल दिया तो लोगों ने कहाः रुको, ठहरो, लाइला-ह इल्लल्लाह, यह व्यक्ति अपने आपे को हलाकत में डालता है। यह सुन कर अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि॰ ने फ़रमायाः यह आयत तो हम अन्सारियों के बारे में नाज़िल हुयी थी। जब अल्लाह नेअपने नबी की सहायता फ़रमायी और इस्लाम को ग़ालिब कर दिया तो हम ने कहाः चलो अब ज़रा अपने माल और जायदाद में रुक जायें और उन को दुरुस्त कर लें तो अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी "और अल्लाह की राह में ख़र्च करो और अपने आप को हलाकत में मत डालो।" हलाकत में डालना यह था कि हम अपने मालों में फँस कर रुक जायें और जिहाद छोड़ दें। अबू अिम्रान ने कहाः चुनान्चे अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि॰ अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, यहाँ तक कि कुस्तुन्तुनिया (स्तंबोल) ही में दफ़न हुये।

बाब {तीर चलानेकी फ़ज़ीलत का बयान।}

2513:— उक़्बा बिन आ़मिर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि अल्लाह पाक एक तीर की वजह से तीन आदमियों को जन्नत में दाख़िल करता है।(1) उस को बनाने वाला, जो उस के बनाने की वजह से सवाब का उम्मीदवार है (2) तीर चलाने वाला, (जिहाद में) (3) जो तीर चलाने वाले का तीर पकड़ाता है (और उस की मदद करता है) तीर चलाना और घोड़े की सवारी सीखो, लेकिन मुझे घोड़े पर सवारी करनेके मुक़ाबला में तीर चलाना अधिक पसन्द है। (शरीअ़त में) खेल तीन ही हैं (1) यह कि इन्सान अपने घोड़े को सिधाये। (2) यह कि इन्सान अपनी पत्नी से खेले (3) यह कि इन्सान अपने तीर-कमान से तीर फेंकने की अभ्यास करता रहे। जो शख़्स तीर चलाना सीखने के बाद उसे छोड़ दे तो उस ने एक नेमत को छोड़ दिया। या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यूँ फ़रमायाः " उस ने उस नेमत की नाशुक्री की।"

2514:— उक़्बा बिन आ़मिर जोहनी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मिंबर पर यह फ़रमाते सुनाः "उन कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में जिस क़दर हो सके ताक़त इकट्ठा करो।" (फिर इस की तशरीह करते हुये फ़रमाया) ख़बर्दार! तीर चलाना ही कुव्वत है।, ख़बरदार! तीर चलाना ही कुव्वत है, तीर चलाना ही कुव्वत है।

फ़ाइदा:— आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में तीर चलाने की अहमियत थी। आज कल जिस हथियार की सब से अधिक अहमियत है उसे प्राप्त कर के उस को चलाने की ट्रेनिंग लेनी चाहिये।

बाब {दुनिया हासिल करने के उद्देश्य से जिहाद करने वाला।}

2515:— मआज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिहाद दो प्रकार का होता है। जिस ने अल्लाह की रज़ा चाही, इमाम की आज्ञा पालन की, अच्छा माल ख़र्च किया, अपने साथी से नर्मी का बर्ताव किया और फ़साद से बचता रहा तो बिला शुब्हा ऐसे मुजाहिद का सोना, जागना, सब ही अज्र व सवाब में लिखा जायेगा। लेकिन जिस ने फ़ख़र, दिखावे और नाम कमाने की निय्यत की, इमाम की अवज्ञा की, ज़मीन पर फ़साद किया तो बिला शुब्हा ऐसा आदमी (सवाब तो क्या) बराबरी के साथ भी नहीं चलता (गुनाह से बच पाना भी कठिन है)

2516:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! एक इन्सान जिहाद के लिये निकलता है, मगर वह दुनिया का माल चाहता है। आप ने फ़रमायाः उस के लिये कोई सवाब नहीं। लोगों ने आप के इस आदेश को बहुत भारी जाना तो उस व्यक्ति ने कहाः दोबारा पूछो, शायद तुम अपनी बात कह नहीं सके हो। चुनान्चे उस ने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! एक इन्सान अल्लाह की राह में जिहाद के लिये निकलता है और वह दुनिया का माल चाहता है। आप ने फ़रमायाः उस के लिये कोई सवाब नहीं। लोगों ने उस आदमी से कहाः दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछो। चुनान्चे उस ने तीसरी बार भी आप से पूछा आप ने फिर भी यह कहा कि उस के लिये कोई सवाब नहीं।

फ़ाइदा:— अस्ल निय्यत जिहाद की होनी चाहिये। अल्लाह पाक उस में ग़नीमत के तौर पर ढेर सारा माल भी दे दे तो उस की इच्छा।

बाब {जो अल्लाह पाक का कलिमा बुलन्द करने की निय्यत से जिहाद करे।.......}

2517:— अबू मूसा अशअ़री रज़ि॰ से रिवायत है कि एक दीहाती नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और कहाः एक आदमी नाम पाने के लिये जिहाद करता है, कोई प्रशंसा के लिये करता है, कोई ग़नीमत के माल के लिये और कोई मर्तबा (बहादुरी और ताक़त) दिखाने के लिये? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जो शख़्स इस उद्देश्य से लड़े कि अल्लाह का कलिमा बुलन्द हो तो वही अल्लाह की राह में है।

2518:— अ़म्र बिन मुर्रा ने कहा कि मैंने अबू वाइल से हदीस सुनी जो मुझे बहुत पसन्द आयी...... फिर ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जिहाद में दूसरे उद्देश्य शामिल हो जायें तो अज्र और सवाब में कमी आ जाती है।

2519:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि(मैंने कहा:) ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे जिहाद और लड़ाइयों के बोर में कुछ फ़रमायें? आप ने फ़रमाया: ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र! अगर तुम सब के साथ और सवाब की निय्यत से लड़ाई लड़ो तो अल्लाह पाक तुम्हें सब्र करने वालों और अज्र चाहने वालों में उठाएगा। और अगर तुम दिखलावे और माल जमा करनेकी ग़रज़ से लड़ाई लड़ो तो अल्लाह पाक तुम्हें दिखावा करने वालों और माल जमा करने वालों में उठाएगा। ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र! जिस हाल (और निय्यत) में भी तुम ने लड़ाई लड़ी (जिहाद किया) या तुम्हें क़त्ल कर दिया गया तो अल्लाह पाक तुम्हें उसी हालत पर उठाएगा।

बाब {शहादत की फ़ज़ीलत का बयान।}

2520:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम्हारे भाई उहुद में शहीद कर दिये गये तो अल्लाह पाक ने उन की रुहों को हरे रन्ग के परिन्दों में कर दिया जो जन्नत की नहरोंपर आते हैं, वहाँ के फल खाते हैं, और फिर सोने की क़िन्दीलों में लौट जाते हैं जो अ़र्श की छाँव में लटक रही हैं। जब उन्होंने वहाँ के खाने-पीने और आराम व सुकून के मज़े देखे तो कहा: कौन है जो हमारा यह सन्देश हमारे भाइयों तक पहुँचा दे कि हम जन्नत में जीवित हैं, हमें रोज़ी दी जाती है ताकि जिहाद से न घबरायें और लड़ाई में बुज़दिली न दिखायें। चुनान्चे अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमा दी: "वह लोग जो अल्लाह की राह में क़त्ल हुये उन के बारे में यह ख़याल हर्गिज़ न कीजिये कि वह मुर्दा हैं, बल्कि वह ज़िन्दा हैं और अपने रब के पास से रोज़ी पाते हैं।

2521:— हसना बिन्त मुआ़विया ने बयान किया कि हम से हमारे चचा (अस्लम बिन सलीम रज़ि॰) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से पूछा कि जन्नत में कौन होगा? आप ने फ़रमाया: नबी जन्नत में होंगे, शहीद जन्नत में होगा, छोटा बच्चा जन्नत में जायेगा, और ज़िन्दा दफ़न किया गया बच्चा भी जन्नत में जायेगा।

बाब {शहीद सिफ़ारिश करेगा।}

2522:— नमरान बिन उतबा बयान करते हैं कि हम उम्मे दर्दा के यहाँ गये और यह यतीम थे। इस पर उन्होंने कहा: तुम्हें बशारत हो, मैंने (अपने शौहर) अबू दर्दा से सुना वह कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: शहीद की सिफ़ारिश अपने घराने के सत्तर लोगों के बारे में कुबूल की जायेगी। अबू दावूद ने कहा कि इस सनद में (वलीद बिन रिबाह सहीह नहीं है, बल्कि) रिबाह बिन वलीद सहीह है।

बाब {शहीद की क़ब्र पर नूर का नज़र आना।}

2523:— आ़इशा रज़ि॰ बयान करती हैं कि जब नजाशी का देहान्त हुआ तो हम लोग कहा करते थे कि उस की क़ब्र पर नूर दिखाई देता है।

अबू सओ़द ने हम से कहा कि अहमद बिन अ़ब्दुल जब्बार ने हमें बताया कि हम को यज़ीद बिन बुकैर ने इब्ने इस्हाक़ से उसी की मानिन्द रिवायत किया।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ईफ़ है।

2524:— उबैद बिन ख़ालिद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों में भाईचारा कराया था। चुनान्चे उन में का एक जिहाद में क़त्ल हो गया और उस को दूसरा साथी एक सप्ताह बाद मर गया, हम ने उस की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछाः तुम ने (उस के हक़ में)क्या कहा है? हम ने कहाः हम ने उस के लिये दुआ की और कहाः ऐ अल्लाह! उस को अपने साथी के साथ मिला दे। आप ने फ़रमायाः तू उस की नमाज़ें जो उसके बाद पढ़ता रहा, वह रोज़े जो उसके बाद रखता रहा, और वह काम जो उस के बाद करता रहा, क्या हुये? उन के दर्मियान तो इतना फ़ासला है जैसे कि ज़मीन और आसमन के दर्मियान। शोबा को "फ़ी सौमिही" के शब्द में शक है।

बाब {तन्ख़ाह और मज़दूरी तै कर के जिहाद करना।}

2525:— अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः "बहुत जल्द तुम्हारे लिये बड़े-बड़े नगर फ़त्ह किये जायेंगे और लश्कर जमा किये जायेंगे, उन के कुछ हिस्से तुम्हारे ज़िम्मे आयेंगे (यानी तुम्हारे मुख़्तलिफ़ क़बीलों और क्षेत्रों से लोग उन में शामिल किये जायेंगे) तो (ऐसे भी होगा कि) तुम में से कोई उस फ़ौज में बिना तन्ख़ाह के शामिल होना पसन्द नहीं करेगा और अपनी क़ौम में से निकल खड़ा होगा और क़बीला-क़बीला घूमता फिरेगा, अपने आप को उन पर पेश करेगा और कहेगाः कौन है कि फ़लाँ लश्कर में मैं उस की (तरफ़ से उजरत पर लड़ते हुये) किफ़ायत करुँ? कौन है कि फ़लाँ लश्कर में मैं उस की तरफ़ से (उजरत पर) किफ़ायत करुँ? ख़बरदार! ऐसा आदमी तो केवल मज़दूर है चाहे अपना अन्तिम खून की बूँद भी बहा दे।

बाब {जिहाद में रुपया-पैसा लेने की इजाज़त है।}

2526:— अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिहाद करने वाले को अपना सवाब मिलता है, और जो कोई किसी मुजाहिद की सहायता करता है उसे अपना सवाब मिलता है और साथ ही जिहाद करने वाले मुजाहिद का भी (दोगुना सवाब मिलता है)

बाब {ऐसा आदमी जो सिर्फ़ मज़दूरी ही पर जिहाद करे।}

2527:— याला बिन मुनया बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का एलान फ़रमाया जबकि मैं बूढ़ा आदमी था, मेरे पास कोई नौकर भी न था, तो मुझे किसी ऐसे नौकर की तलाश हुयी जो (जिहाद में) मेरी किफ़ायत करता और मैं उस को उस का हिस्सा देता। चुनान्चे मुझे एक आदमी मिल गया। फिर जब कूच का समय हुआ तो वह मेरे पास आया और कहाः मुझे नहीं मालूम कि (ग़नीमत के माल में) हिस्से क्या होंगे? और मेरा हिस्सा कितना होगा? पस आप मुझे तै कर के बता दें वह आये न आये (मुझे उस से मतलब नहीं) तो मैंने उस के लिये तीन दीनार तै कर दिये। फिर जब मैं ग़नीमत लेने के लिये हाज़िर हुआ और चाहा कि उस का

हिस्सा उसे दूँ तो मुझे उस के लिये तै दीनारों का ख़याल आया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उस का मामला आप के सामने पेश किया तो आप ने फ़रमायाः मैं उसके इस जिहाद में दुनिया और आख़िरत में सिवाए उन दीनारों के जो उस ने मुक़र्रर कर लिये और कुछ नहीं पाता।

बाब {अगर कोई माता–पिता की अनुमति के बिना जिहाद करे।}

2528:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ से रिवायत है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहाः मैं आप के पास हिजरत पर बैअ़त करने के लिये आया हूँ और अपने माता–पिता को रोते हुये छोड़ कर आया हूँ। आप ने फ़रमायाः उन के पास जा और उन्हें हँसा (और खुश कर) जैसे कि तू ने उन को रोलाया है।

फ़ाइदा:— अगर जिहाद फ़र्ज़ नहीं है तो माता–पिता से इज़ाज़त लेना ज़रुरी है। लेकिन अगर जिहाद फ़र्ज़ है तो इजाज़त लेने की ज़रुरत नहीं।

2529:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि॰ से रिवायत है कि एक शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं जिहाद करना चाहता हूँ। आप नेफ़रमायाः क्या तुम्हारे माता–पिता हैं? उस ने कहाः जी हाँ। आप ने फ़रमायाः तो फिर तू उन्ही में जिहाद कर (उन की सेवा कर, यही तुम्हारा जिहाद है)

अबू दावूद ने कहा कि सनद में अबुल अ़ब्बास यह कवि है और इन का नाम साइब बिन फ़र्रुख़ है।

फ़ाइदा:— नफ़ली जिहाद के मुक़ाबले में माता–पिता की सेवा और ख़िदमत को प्राथमिकता हासिल है, ख़ास कर जबकि माता–पिता उस की ख़िदमत के मुहताज हों।

2530:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ का बयान है कि एक शख़्स यमन से हिजरत कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में पहुँचा तो आप ने उस से पूछाः क्या यमन में तुम्हारा कोई क़रीबी है? उस नेकहाः मेरे माता–पिता हैं। आप ने पूछाः क्या उन्होंने तुझे इजाज़त दी है? उस ने कहाः नहीं। आप ने फ़रमायाः उन के पास वापस जा और उन से इजाज़त माँग। अगर वह इजाज़त दे दें तो जिहाद कर वर्ना उन की सेवा कर।

बाब {महिलायें भी जिहाद में हिस्सा ले सकती हैं।}

2531:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (मेरी माँ) उम्मे सुलैम और कुछ अन्सार की महिलाओं को जिहाद में साथ ले जाया करते थे ताकि वह पानी पिलायें और घायलों की मरहम पट्टी करें।

फ़ाइदा:— यह काम पर्दे के साथ और बिना मर्दों के दर्मियान घुले–मिले होना चाहिये। आज कल के माहौल में तो इजाज़त नहीं है।

बाब {ज़ालिम हाकिम की मातहती में जिहाद करना।}

2532:— अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तीन बातें ईमान की अस्ल हैं (1) जिस ने लाइला-ह इल्लल्लाह का इक़रार किया उस के सर पर सवार न हो, उसे किसी गुनाह की वजह से काफ़िर न कहो, और न किसी अ़मल की वजह से उसे ईमान से निकालो। और जब से अल्लाह ने मुझे नबी बना कर भेजा है जिहाद जारी है और जारी रहेगा, यहाँ तक कि इस उम्मत का अन्तिम हिस्सा दज्जाल से लड़ाई लड़ेगा, उस को किसी ज़ालिम का जुल्म, या आ़दिल का अ़दल (न्याय) बातिल नहीं कर सकता। और तक़दीर पर ईमान रखना।

2533:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम पर हर अमीर के साथ जिहाद वाजिब है चाहे नेक हो या बुरा। और तुम पर हर मुसलमान के पीछे नमाज़ पढ़ना वाजिब है चाहे नेक हो या बुरा, अर्गचे महापाप ही क्यों न किया हो। और तुम पर वाजिब है कि हर मुसलमान की नमाज़ (जनाज़ा) पढ़ो वह चाहे नेक हो या बुरा, अर्गचे महापप ही क्यों न किया हो।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों रिवायतें ज़ओ़फ़ हैं। इन से दलील पकड़ना सही नहीं।

बाब {किसी दूसरे की सवारी पर जिहाद के लिये जाना।}

2534:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि० ने बयान किया कि आप ने जिहाद का इरादा किया और फ़रमायाः ऐ मुहाजिर और अन्सार के लोगों! तुम्होर कुछ भाई ऐसे भी हैं कि उन के पास माल नहीं, और न उन का कोई अपना क़बीला है, इसलिये तुम में से ही एक को चाहिये कि उन में से दो-तीन आदमियों को अपने साथ मिला ले। चुनान्चे इन में से जिस किसी के पास सवारी थी अपने साथी को बारी-बारी सवार करता और खुद भी अपनी बारी पर सवार होता। जाबिर रज़ि० ने बयान किया कि मैंने भी दो तीन को अपने साथ मिला लिया तो मुझे अपने ही ऊँट पर बारी से सवारी मिलती थी जैसे कि उन्हें।

बाब {जो कोई जिहाद में सवाब और ग़नीमत की निय्यत रखता हो।}

2535:— इब्ने ज़ोग़ब आयादी ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन हवाला इज़दी मेरे मेहमान बने तो उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम को पैदल (जिहाद के लिये) रवाना फ़रमाया ताकि कोई ग़नीमत हासिल कर लायें। पर हम वापस आये और हमें कोई ग़नीमत न मिली। आप ने हम लोगों के चेहरे पर ग़म के निशान देखें तो खड़े हुये और (दुआ़ करते हुये) फ़रमायाः ऐ अल्लाह! उन्हें मेरे हवाले न कर दे कि उन की किफ़ालत से आ़जिज़ रहूँ, और न उन्हें उन की अपनी जानों के सिपुर्द कर दे कि अपनी किफ़ालत से आजिज़ी रहें। और न उन्हें लोगों के सिपुर्द कर देना कि वह अपने आप ही को तर्जीह देने लगें। फिर आप ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और फ़रमायाः ऐ इब्ने हवाला! जब तुम देखों कि ख़िलाफ़त शाम तक पहुँच गयी है तो ज़लज़ले अपने लगेंगे, मुसीबतें टूटेंगीं (इन के अ़लावा) और भी बड़ी-बड़ी निशानियाँ प्रकट होंगी और क़ियामत उस समय लोगों के उस से अधिक निकट होगी जितना कि मेरा हाथ तुम्हारे सर पर

है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अ़ब्दुल्लाह बिन हवाला का संबन्ध हिम्स से है।

फ़ाइदाः— जिहाद में सवाब के साथ-साथ माले ग़नीमत की आशा रखना दुरुस्त है, मगर शर्त यह कि नियत ही अस्ल मक़्सूद न हो। इतना ज़रुर है कि ग़नीमत हासिल होने से आख़िरत के सवाब में थोड़ी-बहुत कमी आ जाती है। (हदीस न॰ 2497)

बाब {वह आदमी जो अपने आप को अल्लह के हाथ बेच डाले।}

2536:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हमारे रब को उस बन्दे पर आश्चर्य होता है जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिये निकले और उस के साथी भाग निकलें। मगर फिर उस बन्दे को गुनाह का एहसास हो तो वह (जिहाद के लिये) वापस लौट आये यहाँ तक कि उस का खून बहा दिया जाये। तो अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों से कहता है कि देखों मरे बन्दे की तरफ़ कि मेरे सवाब के लालच में और मेरी पकड़ के डर से वापस लौट आया, यहाँ तक कि उस का खून बहा दिया गया।

बाब {जो शख़्स इस्लाम लाये और उसी वक़्त अल्लाह की राह में क़त्ल कर दिया जाये।}

2537:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि अ़म्र बिन उक़ैश के लोगों से इस्लाम से पहले सूद का लेन-देन था, इसलिये उसे वसूल लेने तक इस्लाम न लाया। आख़िर उहुद की लड़ाई के दिन आया और पूछा कि मेरे चचा के बेटे कहाँ हैं? लोगों ने कहाः उहुद में हैं। फिर पूछा कि फ़लाँ कहाँ हैं? उन्होंने कहाः उहुद में है। फिर पूछा फ़लाँ कहाँ है? उन्होंने कहाः उहुद में है। चुनान्चे उस ने भी अपने हथियार पहने, घोड़े पर सवार हुआ और उन लोगों की तरफ़ चला गया। मुसलमानों ने जब उस को देखा तो कहाः ऐ अ़म्र! हम से दूर रहो। उस ने कहाः विश्वास करो कि मैं ईमान ला चुका है। चुनान्चे वह लड़ने लगा यहाँ तक कि घायल हो गया तो उसे उसी हालत में उठा कर उस के बाल-बच्चों में लाया गया, तो सअ़द बिन मआ़ज़ रज़ि॰ उस के पास आये और उस की बहन से कहाः इस से पूछो (कि लड़ाई में क्यों हिस्सा लिया) अपनी क़ौम की सहायता में, या उन के लिये गुस्सा की वजह से, या अल्लाह के लिये गुस्सा की वजह से? उस ने कहाः मैं ने तो अल्लाह और उस के सन्देष्टा के लिये गुस्से की वजह से (इस जन्ग में शरीक हुआ हूँ) चुनान्चे उस का देहान्त हो गया और जन्नत में दाख़िल हुआ, हालाँकि उस ने अल्लाह के लिये एक वक़्त की भी नमाज़ नहीं पढ़ी थी।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि अल्लाह और उस के रसूल की सहायता में अपनी जान देना और उन्हीं के लिये अपनी मुहब्बत और गुस्से को ज़ाहिर करना ईमान की पहचान और अल्लाह के यहाँ नजात की ज़मानत है। अ़म्र को नमाज़ सीखने और उकसे पढ़ने का मौक़ा ही नहीं मिला इसलिये माज़ूर समझे गये।

बाब {जो शख़्स अपना ही हथियार लगने से देहान्त कर जाये।}

2538:— सलमा बिन अकवा रज़ि॰ बयान करते हैं कि ख़ैबर के मौक़ा पर मेरे भाई (आमिर बिन अकवा रज़ि॰) ने खूब जम कर लड़ाई लड़ी, और (अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि) उन की अपनी ही तल्वार उचट कर खुद उन ही को लग गयी जिस से वह मर गये। सहाबा उन के बारे में बातें करने लगे और उन की (शहादत) के बारे में उन्होंने शक ज़ाहिर किया कि एक आदमी अपने ही हथियार से मारा गया है (तो क्योंकर शहीद समझा जायेगा?) नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह जिहाद करते हुये मरा है और मुजाहिद मरा है।

इब्ने शिहाब ज़ोहरी कहते हैं कि फिर मैंने सलमा के बेटे से पूछा तो उन्होंने मुझे अपने पिता के हवाले से इसी प्रकार बयान किया (जैसा कि ऊपर बयान हुआ; मगर शब्द में अन्तर था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेफ़रमायाः "ग़लत कहते हैं लोग, वह जिहाद करते हुये मरे हैं, मुजाहिद मरे हैं, और उन के लिये दोगुना सवाब हैं।"

फ़ाइदा:— दो सवाब इसलिये कि जिहाद किया और दूसरे यह कि शहीद हुये।

2539:— अबू सल्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से रिवायत करते हैं कि उन्होंने बयान कियाः हम ने जोहैना के एक गोत्र पर आक्रमण किया। मुसलमानों में से एक आदमी ने उन के एक आदमी पर वार किया और उसे मारना चाहा, मगर वार चूक गया और उस की तल्वार स्वँय उस ही को लग गयी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ मुसलमानों! तुम्हारा भाई (उस की ख़बर लो) चुनान्चे लोग भाग कर उसकी तरफ़ गये तो क्या देखा कि वह मर चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस को उसी के कपड़ों में खून समेत लपेट दिया, उस की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी, और उसे दफ़न कर दिया। लोगों ने पूछाः ए अल्लाह के रसूल! क्या वह शहीद है? आप ने फ़रमायाः हाँ, और मैं उस के लिये गवाह हूँ।

बाब **{जन्ग के समय दुआ के कुबूल होने का बयान।}**

2540:— सहल बिन सअद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः दो वक़्त की दुआयें रद्द नहीं की जातीं, या बहुत कम रद्द की जाती हैं (1) अज़ान के समय की दुआ (2) जन्ग के समय की दुआ, जब लोग एक-दूसरे के साथ लड़ भिड़ जाते हैं।

मूसा बिन याकूब ने कहा कि मुझे रिज़्क़ बिन सअीद अब्दुर्रहमान ने अबू हाज़िम से, उन्होंने सहल बिन सअद से, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि "वर्षा के समय" (भी दुआ रद्द नहीं की जाती)

फ़ाइदा:— अज़ान और जिहाद दोनों ही काम अल्लह का नाम बुलन्द करने के लिये है इसलिये इन दोनों वक़्तों में दुआ कुबूल होती है। रहा वर्षा के समय तो यह जुम्ला सहीह सनद से साबित नहीं है, अल्लामा अल्बानी रह॰ की तहक़ीक़ यही है।

बाब {शहादत की दुआ की फ़ज़ीलत का बयान।}

2541:— मआज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः अगर किसी ने ऊँटनी को दोबारा दूहने के वक़्फ़ा के बराबर भी जन्ग किया तो

उस के लिये जन्नत वाजिब है, और जिस ने अल्लाह से सच्चे दिल से जिहाद करने के लिये दुआ माँगी फिर देहान्त कर गया, या क़त्ल कर दिया गया तो उस को शहादत का सवाब मिलेगा। रावी इब्ने मुसफ़्फ़ा ने यहाँ इतना और इज़ाफ़ा किया है कि "और जिसे (दुश्मन की तरफ़ से) अल्लाह की राह में कोई घाव आ गया, या कोई चोट लग गयी तो क़ियामत के दिन वह घाव उसी प्रकार (ताज़ा) और बड़ा होगा जैसे कि वह था। उस के ख़ून का रन्ग ज़ाफ़रान (केसर) का और ख़ुश्बू कस्तूरी की होगी। और जिसे अल्लाह की राह में कोई फोड़ा निकल आया तो उस पर शहीदों के जैसी मोहर होगी।

फ़ाइदा:— ऊँटनी को एक बार दूहने के बाद चन्द मिनट के लिये रुक जाते हैं, फिर दोबारा दूहते हैं इस वक़्फ़े को "फ़ुवाक़" कहते हैं।

बाब **{घोड़ों की पेशानी और दुम के बाल काटना मक्रूह है।}**

2542:— उत्बा बिन अ़ब्द सुलमी रज़ि॰ सेरिवायत है उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः घोड़ों के पेशानी, गर्दन और पूँछ के बालों को न काटो। उन के दुम उन के पन्खे हैं (कि उन से मक्खी और मच्छर भगाते हैं) और गर्दन के बालों से यह अपनी सर्दी दूर करते हैं, और पेशानी के बालों के साथ ख़ैर व बर्कत बँधी हुयी है।

फ़ाइदा:— घोड़ों में कौन से रन्ग पसन्दीदा और मुस्तहब हैं?

2543:— अबू वहब जोशमी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐसे घोड़े चुना करो जो कुमैत और पंचकल्लियान हों, या लश्कर पंचकल्लियान हों, या मुश्की और पन्च कल्लियान हों।

फ़ाइदा:— पन्च कल्लियान, उस घोड़े को कहते हैं जिस का रन्ग काला हो, मगर पेशानी और चारों पाँव सफ़ेद हों। और "लश्कर पंच कल्लियानी" उसे कहते हैं जिस का रन्ग लाल हो और पेशानी और चारों पाँव सफ़ेद हों। कुमैत उसे कहते हैं जिस की गर्दन और दुम के बाल काले होते हैं।

2544:— अबू वहबा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः घोड़ा ऐसा ख़रीदों जो लश्कर पन्च कल्लियानी हो, या कुमैत सफ़ेद पेशानी। फिर ऊपर की हदीस की तरह बयान किया। मुहम्मद बिन मुहाजिर कहते हैं कि मैंने अपने शैख़ से पूछा कि अश्कर को फ़ज़ीलत क्यों है? उन्होंने कहाः क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मोहिम भेजी तो जो शख़्स सब से पहले फ़त्ह की सूचना लेकर आया वह अश्क़र घोड़े पर सवार था।

2545:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः घोड़ों में बर्कत उन के लाल रन्ग वालों में है।

बाब **{मादा घोड़ी को "फ़रस" कहना}**

2546:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मादा घोड़ी

को "फ़रस" कहा करते थे।

बाब {वह घोड़े जो पसन्द नहीं हैं।}

2547:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम शिकाल क़िस्म के घोड़ों को नापसन्द करते थे। शिकाल से मुराद यह है कि उस के दायें पाँव और बायें पाँव में सफ़ेदी हो, या दायें हाथ और बाँयें पाँव में सफ़ेदी हो। इमाम अबू दावूद ने कहा कि हाथ पाँव में सफ़ेदी मुख़ालिफ़ जाती हो।

फ़ाइदा:— "शिकाल" की तफ़सीर सहाबा की अपनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नहीं बयान किया है, इसलिये शिकाल किस को कहते हैं? इस में बड़ा इख़्तिलाफ़ है। ऐसा घोड़ा क्यों मकरूह है? अल्लाह बेहतर जाने।

बाब {जानवरों और चौपायों की देखभाल करने का बयान।}

2548:— सहल बिन हन्ज़ला रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक ऊँट के पास से गुज़रे जिस का पेट उस की कमर से लग गया था तो आप ने फ़रमाया: इन बेज़बान जानवरों के बारे में अल्लाह से डरो, इन पर सवारी करो तो भले अन्दाज़ में और खिलाओ तो भी अच्छे ढन्ग से।

2549:— अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ि॰ बयान करते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ सवारी पर पीछे बैठा लिया और ख़ामोशी से मुझे एक बात बताई जो मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को पाख़ाना-पेशाब कोलिये छुपने की दो जगहें बहुत अधिक पसन्द थीं। (1) या तो कोई ऊँची जगह होती (2) या कोई खजूर का झुन्ड होता। आप एक बार एक अन्सारी के बाग़ में तशरीफ़ ले गये तो वहाँ एक ऊँट था। जब उस ने आप को देखा तो रोने की सी आवाज़ निकाली और उस की आँखों से आँसू बहने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस के पास आये और उस के सर पर हाथ फेरा तो वह चुप हो गया। फिर जब आप ने पूछा: इस ऊँट का मालिक कौन है? यह किसका ऊँट है? तो एक अन्सारी जवान आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यह मेरा है। आप ने फ़रमाया: क्या तुम इस जानवर के बारे में नहीं डरते? जिस का अल्लाह पाक ने तुम्हें मालिक बना दिया है, इस जानवर ने मुझ से शिकायत की है कि तुम इसे भूखा रखते हो और बहुत थकाते हो।

फ़ाइदा:— आप को पहचान लेना और आप से शिकायत करना यह एक चमत्कार (मोजिज़ा) है। ज़्यादा क़ाम लेना और उन्हें न खिलाना-पिलाना हराम है। यही मामला नौकरों-चाकरों का है।

2550:— अबू हुरैरा रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: एक आदमी किसी रास्ते में जा रहा था कि उसे बहुत प्यास लगी, उसे एक कुँवा मिला, वह उस में उतरा, पानी पिया और बाहर निकला तो उस ने एक कुत्ता देखा जो हाँप रहा था और मारे प्यास के मिट्टी चाट रहा था। उस आदमी ने सोचा कि इस कुत्ते को भी प्यास ने सताया है जैसे कि मुझे सताया था, पस वह दोबारा कुएँ में उतरा, अपने मोज़े को पानी से भर कर अपने मुँह से पकड़ा

और ऊपर चढ़ा और कुत्ते को पिलाया। अल्लाह पाक ने उस का यह काम कुबूल फ़रमा लिया और उसे बख़्श दिया। सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! क्या हमारे लिये जानवरों की ख़िदमत में भी सवाब है? आप ने फ़रमाया: हर गीले जिगर (जीवधारी) की सेवा में सवाब है।

फ़ाइदा:— लेकिन विषैले और हानिकारक जानवर इस से अलग हैं, जैसे सुअर, साँप, बिच्छू, आदि।

बाब {........किसी स्थान पर पड़ाव डालने का तरीक़ा।}

2551:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि हम जब किसी स्थान पर उतरते तो उस समय तक नमाज़ न पढ़ते थे जब तक कि ऊँटों पर से कजावे न उतार लेते। (ताकि जानवर को पहले आराम दें।)

बाब {घोड़ों के गले में ताँत डालना।}

2552:— अबू बशीर अन्सारी रज़ि॰ का बयान है कि वह एक यात्रा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे.....कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सन्देष्टा भेजा। हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन अबू बक्र का कहना है: मेरा ख़याल है कि शैख़ ने बयान किया: लोग रात को अपने ठिकानों पर आराम कर रहे थे (आपने कहला भेजा कि) किसी ऊँट के गले में कोई ताँत या कोई क़लादा (पट्टा) बाक़ी न छोड़ा जाये मगर यह कि उसे काट डाला जाये।

इमाम मालिक फ़रमाते हैं कि मेरे ख़याल से लोग बुरी नज़र से बचाव के लिये ऐसा करते थे।

फ़ाइदा:— जानवर ही नहीं बच्चों के गले में भी ताँत, काला-लाल धागा बाँधना, गन्डे-तावीज़ डालना शिर्क है।

बाब {घोड़ों की देखभाल अच्छी तरह करने, बाँध कर रखने और उन के चूतड़ों पर हाथ फेरने का बयान।}

2553:— नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू वहब जोशमी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: घोड़ों को बाँध कर रखो (उन की खूब देखभाल करो) उन की पेशानी और चूतड़ (पछाहा) पर हाथ फेरा करो। रावी को शक है कि आप ने लफ़्ज़ "आजाज़" कहा या "अकफ़ाल"। और गर्दनों में रस्सियाँ बाँधो, मगर ताँत की रस्सी न हो।

फ़ाइदा:— ऐसा करने से जानवर खुश होता है और दुआयें देता है।

बाब {जानवरों की गर्दन में घन्टी लटकाना।}

2554:— उम्मे हबीबा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस लश्कर और जमाअत में घन्टी हो, फ़रिश्ते उस के साथ नहीं होते।

2555:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: फ़रिश्ते उस लश्कर के साथ नहीं चलते जिस के साथ कुत्ता हो, या घन्टी।

2556:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने घन्टी के बारे में फ़रमायाः यह शैतान का बाजा है।

बाब {पलीदी खाने वाले जानवर पर सवार होना।}

2557:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि ऐसे जानवर पर सवारी करने से मना किया गया है जो पलीदी (नापाकी) खाता हो।

2558:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ऐसे ऊँट की सवारी से मना किया है जो पलीदी खाता हो।

फ़ाइदा:— दूसरी हदीस में ऐसे जानवर का दूध पीने और उस का माँस खाने से मना किया है-देखें (अबू दावूद-3785)

बाब {जानवर का नाम रखना।}

2559:— मआज़ बिन जबल रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ एक गधे पर आप के पीछे बैठा था जिसे "उफ़ैर" कहा जाता था।

बाब {जिहाद के लिये रवान्गी के समय यूँ आवाज़ देना कि "ऐ अल्लाह के सवारों! सवार हो जाओ"।}

2560:— समुरा बिन जुन्दब रज़ि॰ से रिवायत हैः अम्मा बाद! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमारे सवारों को जब हम घबराते तो "अल्लाह के शहसवार बन्दों" कह कर पुकारते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि जब डर और घबराहट की हालत हो तो इकट्ठे हो जाया करें, सब्र और इत्मिनान से काम लें और ऐसे ही लड़ाई के समय किया करें।

बाब {जानवर को लानत करना मना है।}

2561:— अ़िम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम एक सफ़र में थे कि आप ने किसी से लानत भेजने की आवाज़ सुनी तो आप ने पूछाः यह क्या है? सहाबा ने कहाः फ़लाँ महिला ने अपनी सवारी को लानत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः उस जानवर के ऊपर से (कजावा और सामान) उतार दो, क्योंकि वह जानवर लानत भेजा हुआ है। चुनान्चे सहाबा ने उस के ऊपर से (सामान आदि) उतार दिया।

अ़िम्रान ने बयान किया कि गोया मैं उस ऊँटनी की तरफ़ देख रहा हूँ कि वह काली छू कर थी।

फ़ाइदा:— आदमी एक चीज़ से लाभ भी उठाए और उसे लानत भी करे यह कितनी गन्दी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने डाँट-फटकार के तौर पर उस पर सवार होने से मना कर दिया था, ताकि भविष्य में कोई ऐसा न करे। लोगों का आपस में यह शब्द प्रयोग करना और

भी बुरा है।

बाब {जानवरों को आपस में लड़ाना।}

2562:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इस बात से मना फ़रमाया है कि जानवरों को आपस में लड़ाया जाये।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, लेकिन दूसरी सहीह रिवायतों से इस की ताईद होती है।

बाब {जानवरों को निशान लगाना।}

2563:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मेरे भाई (अ़ब्दुल्लाह बिन अबू तल्हा) पैदा हुये तो मैं उन्हें लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास गया ताकि आप उसे घुट्टी दें। मैंने आप को बकरियों के बाड़े में पाया, आप बकरियों को निशान लगा रहे थे। इमाम शोबा ने कहा कि मेरे खयाल से शैख़ ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन के कानों पर निशान लगा रहे थे।

फ़ाइदा:— पहचान के लिये जानवरों को निशान लगाना जाइज़ है। इस काम के लिये लोहा गर्म कर के उन के शरीर को दाग़ा जाता था। लेकिन याद रहे कि चेहरे को दाग़ना और मारना जाइज़ नहीं। कान चेहरे का हिस्सा नहीं है।

बाब {चेहरे पर मारना या उस को दाग़ना मना है।}

2564:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक गधा ले जाया गया जिस के चेहरे पर दाग़ दिया गया था, तो आप ने फ़रमायाः क्या तुम्हें यह बात नहीं पहुँची कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति पर लानत की है जो किसी जानवर को उस के चेहरे पर दाग़े, या उस के मुँह पर मारे? चुनान्चे आप ने इस काम से मना फ़रमा दिया।

फ़ाइदा:— चेहरा, शरीर का इ़ज़्ज़त और आदर-सम्मान वाला भाग है, इसलिये इन्सान हो या हैवान, चेहरे को दाग़ना और उस पर मारना मना है।

बाब {गधों की घोड़ियों से जोड़ा खिलाना मना है।}

2565:— अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को एक ख़च्चर उपहार में दिया गया तो आप उस पर सवार हुये। अ़ली रज़ि॰ ने कहाः अगर हम गधों को घोड़ियों पर चढ़ायें (तो इस प्रकार जोड़ा खिलाने से) हमें ख़च्चर प्राप्त हो जायेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जाहिल लोग यह काम करते हैं।

फ़ाइदा:— खच्चर का बयान अल्लाह पाक ने सूरः नहल-8 में किया है और उसे सवारी और ज़ीनत का साधन बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने भी सवारी की है। अगर ख़च्चर पैदा करना नाजाइज़ होता तो कुरआन पाक में अच्छे माना में ज़िक्र न होता। इस हदीस में मना के बयान को हम यह कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन जाइज़ होने में कोई शुब्हा नहीं।

बाब {एक सवारी पर तीन लोगों का सवार होना।}

2566:— अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सफ़र से तशरीफ़ लाते तो हमारे साथ आप का स्वागत किया जाता, तो जिस बच्चे के साथ आप का पहला स्वागत किया गया तो आप उसे अपने आगे बैठा लेते। चुनान्चे मेरे साथ आप का स्वागत किया गया तो आप ने मुझे अपने आगे बैठा लिया, फिर हसन या हुसैन आये तो उन को भी अपने पीछे बैठा लिया। फिर हम मदीने में दाख़िल हुये तो इसी प्रकार थे (कितीनों एक सवारी पर सवार थे)

फ़ाइदा:— अगर जानवर बोझ सहन कर सकता है तो तीन को बैठाने में कोई हरज नहीं। नेक लोगों का नगर से बाहर निकल कर स्वागत करना जाइज़ है।

बाब {जानवरों पर खड़ा होना।}

2567:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अपने जानवरों की पीठ को मिंबर (स्टेज) बनाने से बचो, अल्लाह पाक ने उन को तुम्हारे मातहत किया है ताकि तुम्हें एक नगर से दूसरे नगर तक पहुँचा दें, जहाँ तुम बिन परेशानी उठाए नहीं पहुँच सकते थे। और उस ने तुम्हारे लिये ज़मीन बनाई है तो अपनी ज़रुरतें उस पर पूरी किया करो।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अन्तिम हज्ज का खुत्बा अपनी ऊँटनी पर दिया था, मगर यह एक टंपरेरी (वक़्ती) ज़रुरत थी।

2568:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमाया: शैतानों के ऊँट होते हैं और शैतानों के घर भी होते हैं। शैतानों के ऊँट मैंने देखे हैं। तुम में एक अपने साथ खूबसूरत ऊँटनियाँ लेकर चलता है, उन्हें अच्छी तरह मोटा-ताज़ा किया हुआ होता है, खुद किसी पर सवार नहीं होता, अपेन किसी भाई के पास से गुज़रता है जो चलने से आजिज़ हुआ था उसे भी सवार नहीं करता। और शैतान के घर मैंने नहीं देखे हैं। सअ़ीद बिन अबू हिन्द कहा करते थे कि मैं समझता हूँ कि शैतान के घर यही कजावे हैं जिन को लोगों ने रेशमी कपड़ों से ढाँपा होता है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़अ़ीफ़ है। मगर मफ़हूम सही है। आज कल "शैतान के ऊँट" की जगह बहुत सारी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं जिन के मालिक किसी को भी सवार नहीं करते। और शैतान के घर सिनेमा हॉल, बुरे होटल और नाच गानों के थेटर हैं। बल्कि अब तो रेडियों, टी.वी., इन्टरनेट और केबल डिश की वजह से हर घर शैतान का घर बन गया है।

बाब {जल्दी चलने का बयान। और चलने की राहों पर पड़ाव डालने की मिनाही।}

2569:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तुम हरे भरे क्षेत्रों में यात्रा करो तो ऊँटों को उन का हक़ दिया करो (कि वह चर लिया करें) और जब सूखा काल के क्षेत्र) हों तो जल्दी चला करो (ताके सवारियों को तक्लीफ़ न हो) और

जब तुम रात को आराम के लिये कहीं पड़ाव डालो तो रास्ते से हट कर पड़ाव डाला करो।

फ़ाइदा:— राह से हट कर पड़ाव करने में यह भलाई है कि कभी-कभार साँप, बिच्छू, और दरिन्दे राहों पर पड़े होते हैं (इब्ने माजा-329)

2570:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लह रज़ि॰ ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह बयान किया है लेकिन इन की रिवायत में "हक़्क़हा" के बाद यह इज़ाफ़ा है कि "जाने-पहचाने राहों से आगे मत बढ़ा करो।" (क्योंकि इस से सवारियों को कठिनाई होगी और साथी लोग भी परेशान होंगे।)

बाब **{रात के पहले पहर यात्रा करने का बयान।}**

2571:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः रात के पहले पहर (या रात को भी) सफ़र किया करो, बिला शुब्हा रात के समय ज़मीन लपेट दी जाती है।

फ़ाइदा:— और यह तजरुबा की बात है कि रात को सफ़र खूब तै होता है और गर्म मौसम में यात्रियों और सवारियों को रात में आराम मिलता है। लेकिन सूरज डूबने के एक घन्टा तक यात्रा न करें क्योंकि इस दौरान शैतान के चेले गुमराह करने के लिये निकलते हैं। (मुस्लिम-2013)

बाब **{सवारी का मालिक ज़्यादा हक़दार है कि वह आगे बैठे।}**

2572:— बुरैदा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे कि एक शख़्स आया, उस के पास गधा था। उस ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! (आइये) सवार हो जाइये और वह पीछे खिसक गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः नहीं, तुम अपनी सवारी पर आगे बैठने के ज़्यादा हक़दार हो, मगर तुम अपना हक़ मुझे दे दो। उस ने कहाः बेशक मैं अपना यह हक़ आप को देता हूँ, पस आप आगे सवार हो गये।

बाब **{जन्ग में जानवरों की कूचें काटनी पड़ें तो जाइज़ है।}**

2573:— अ़ब्बाद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर अपने दूध शरीक बाप से रिवायत करते हैं जो कि बनी मुर्रा में से थे और मूता की जन्ग में शरीक हुये थे, उन्होंने बयान किया कि अल्लाह की क़सम! मैं गोया जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ि॰ को देख रहा हूँ कि वह अपने लाल घोड़े से उतर पड़े और उस की कूचें काट दीं फिर काफ़िरों से लड़ते हुये शहीद हो गये।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस क़वी नहीं है।

फ़ाइदा:— जन्ग में डर हो कि हार जाने के बाद दुश्मन उस की सवारी और दीगर समान सेफ़ाइदा उठाएगा तो उसे नाकारा बना देना चाहिये। अ़ल्लामा अल्बानी ने इस रिवायत को हसन कहा है।

बाब **{मुक़ाबला बाज़ी का बयान।}**

2574:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

मुक़ाबला केवल तीन चीज़ों में जाइज़ है (1) ऊँट दौड़ (2) घोड़ दौड़ (3) और तीर अन्दाज़ी में।

2575:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने "मुज़मर" घोड़ों में मुक़ाबला कराया और इस के लिये "हफ़्या" के स्थान से "सनिय्यतुल वदाअ़" तक का फ़ासला मुक़र्रर किया। और ग़ैर मुज़मर घोड़ों में मुक़ाबला कराया तो इस के लिये सनिय्यतुल वदाअ़ से बनी ज़ुरैक़ की मस्जिद तक का फ़ासला मुक़र्रर किया। और अ़ब्दुल्लाह भी उन मुक़ाबला करने वालों में शरीक थे और कामियाब रहे थे।

फ़ाइदा:— घोड़ों को पहले खिला-पिला कर खूब मोटा-ताज़ा किया जाता है, फिर धीरे-धीरे खाना कम कर दिया जाता है, इस से चर्बी ख़त्म हो जाती है और शरीर छरेरा होजाता है ऐसे घोड़ों को "मुज़मर" कहा जाता है। हफ़्या और सनिय्या के दर्मियान 5-6 मील और सानिया से मस्जिद बनी ज़ुरैक़ तक एक मील की दूरी थी। (बुख़ारी-2868)

2576:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम घोड़ों को मुज़मर बनाया करते थे और उन के मुक़ाबले कराये जाते थे।

2577:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने घोड दौड़ का मुक़ाबला कराया तो जो घोड़े पाँचवीं साल में दाख़िल हो चुके थे, उन के लिये दौड़ का फ़ासला ज़्यादा रखा था।

फ़ाइदा:— उम्मत में जिहाद की रुह बाक़ी रखने और जिहाद की तय्यारी के लिये जन्गी मश्क़ (अभ्यास) बहुत ज़रुरी है। आज कल बन्दूक, राइफ़ल, मीजाईल और पिस्तौल का ज़माना है। चुनान्चे हर मुल्क में सालाना मश्क़ होती है।

बाब {पैदल दौड़ में मुक़ाबला का बयान।}

2578:— आइशा रज़ि॰ सेरिवायत है कि मैं एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थी, मैं ने आप के साथ दौड़ में मुक़ाबला किया तो मैं आप से आगे बढ़ गयी। फिर जब मैं भारी हो गयी तो आप मुझ से आगे निकल गये तो फ़रमाया: यह उस पहली दौड़ का बदला है।

बाब {घोड़ दौड़ में "मु-हल्लिल" का शरीक होना।}

2579:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने दो (मुक़ाबला करने वाले) घोड़ों में अपना घोड़ा दाख़िल किया के उस कि जीत जाने का यक़ीन न हो तो यह जुवा नहीं है। और जिस ने उन मेंअपना घोड़ा दाख़िल किया जबकि उसे यक़ीन हो कि वह जीत जायेगा तो यह जुवा है।

2580:— इमाम ज़ोहरी ने अ़ब्बाद की सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की है। इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं इस रिवायत को मामर, शुऐब और अ़क़ील ने ज़ोहरी के वास्ते से कई उलमा से नक़ल किया है और यह हमारे नज़दीक अधिक सहीह है।

बाब {घोड़ दौड़ में "ज-लब" और "ज-नब" का बयान।}

2581:— अिम्रान बिन हुसैन रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः न जलब है और न जनब। यहया बिन ख़ल्फ़ की रिवायत में स्पष्ट है यानी "मुक़ाबले में"

फ़ाइदा:— ज़कत के बाब में भी यह हदीस आयी है, देखें 591। मगर यहाँ मुराद यह है कि घोड़ दौड़ में कोई शख़्स अपने घोड़े के साथ किसी और शख़्स को भी दौड़ाए जो उकसे घोड़े को डाँडता जाये और मक़्सद यह हो कि उस का घोड़ा आगे बढ़ कर जीत जाये, इसे "जलब" कहते हैं। और "जनब" यह है कि दौड़ में अपने घोड़े के साथ-साथ एक और घोड़ा रखे ताकि जब देखे कि पहला घोड़ा थक गया है तो जल्दी से दूसरे ताज़ा घोड़े पर सवार होकर मुक़ाबला जीतने की कोशिश करे। यह दोनों सूरतें नाजाइज़ हैं।

2582:— क़तादा रह॰ बयान करते हैं "जलब" और "जनब" मुक़ाबला बाज़ी में होता है।

बाब {तल्वार को चाँदी से ख़ूबसूरत बनाना।}

2583:— अनस रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तल्वार के कब्ज़ा की टोपी चाँदी की थी। (यानी तलवार का दस्ता चाँदी का था)

2584:— सअीद बिन अबूल हसन रह॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तल्वार के क़ब्ज़ा की टोपी चाँदी की थी।

क़तादा कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि किसी और ने भी इस की ताईद की हो।

2585:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से भी ऊपर की हदीस की तरह रिवायत है।

इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि इन सब में सअीद बिन अबुल हसन की रिवायत मज़बूत है और बाक़ी ज़अीफ़ हैं।

बाब {तीर लेकर मस्जिद में दाख़िल होना।}

2586:— जाबिर रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स को हुक्म दिया जोमस्जिद में तीरों का सदक़ा बाँटने जा रहा था कि वह जब उन तीरों को लेकर चले तो उन को फलों (नोक) की तरफ़ से पकड़े।

2587:— अबू मूसा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब तुम में से कोई हमारी मस्जिद या बाज़ार में से गुज़रे और उस के पास तीर हों तो चाहिये कि उन्हें उन के फलों की तरफ़ से पकड़ कर रखे, या यह फ़रमायाः उन्हें अपनी मुटठी से पकड़े रहे, या फ़रमायाः उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़े रहे कि कहीं किसी मुसलमान को न लग जाये।

फ़ाइदा:— सदक़ा केवल माल ही का नहीं होता, बल्कि तीर का भी होता है। बहर हाल हथियार के लाने-ले जाने में एहतियात से काम लेना चाहिये ताकि उस से किसी को तक्लीफ़ न पहुँचे।

बाब {नन्गी तल्वार लेना-देना मना है।}

2588:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया कि तल्वार को नन्गी हालत में दिया-लिया जाये।

बाब {चमड़े के टुक्ड़े को दो उंगलियों में रख कर काटना मना है।}

2589:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि चमड़े के टुकड़े को दो उंगलियों के दर्मियान रख का काटा जाये।

फ़ाइदा:— ऐसा न हो कि कहीं पपड़ा के साथ उँगली भी कट जाये।

बाब {कई ज़िरहें पहनने का बयान।}

2590:— साइब बिन यज़ीद रह॰ ने एक शख़्स से रिवायत की और उस का नाम भी बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उहुद के दिन ऊपर तले दो ज़िरहें पहनी हुयी थीं।

बाब {(जिहाद में) झन्ड़ों का बयान।}

2591:— मुहम्मद बिन क़ासिम ने अपने दास (नौकर) को बरा बिन आ़ज़िब रज़ि॰ की ख़िदमत में भेजा कि वह उन से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के झन्ड़े के बारे में पूछ कर आये कि वह कैसा था? उन्होंने बताया कि वह काले लकीर दार ऊनी कपड़े का था और चौकोर था।

फ़ाइदा:— अ़ल्लामा अल्बानी रह॰ ने कहा कि "चौकोर" का शब्द सहीह नहीं है।

2592:— जाबिर रज़ि॰ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बारे में बयान किया कि जिस दिन आप मक्का में दाख़िल हुये, उस दिन आप का झन्ड़ा सफ़ेद रन्ग का था।

2593:— सिमाक बिन हर्क अपनी क़ौम के एक आदमी से, और वह एक-दूसरे से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के झन्ड़े को देखा था वह पीले रन्ग का था।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। फिर भी पहले के ज़माना में झन्ड़ों का कोई रन्ग और साइज़ न होता था। झन्ड़ा बुलन्द होने से हिम्मत बढ़ती है, लेकिन आज कल जो दर्जा झन्ड़ा को प्राप्त है वह शिर्क की सीमा को छूता है।

बाब {मामूली घोड़ों और कमज़ोर लोगों के हवाले से सहायता की दुआ़ करना।}

2594:— अबू दर्दा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः मेरे लिये कमज़ोर लोगों को तलाश करो, तुम लोग अपने कमज़ोर लोगों ही के ज़रिए से रोज़ी दिये जाते और मदद किये जाते हो। इमाम अबू दावूद ने कहा कि हदीस के रावी ज़ैद बिन अर्तात, अ़दी बिन अर्तात के भाई हैं।

बाब {आदमी (किसी को) कोड (Code word) के साथ पुकारे।}

2595:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवायत है कि (एक जन्ग में) मुहाजिर लोगों का कोड "अ़ब्दुल्लाह" और अन्सार का "अ़ब्दुर्रहमान" था।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। इस से फ़ाइदा यह होता है कि अँधेरे में या ज़ाती तौर पर जान

पहचान न होने की सूरत में अपने लोगों को पहचानने में ग़लती नहीं होती। अगर कोई जासूस वग़ैरह भी आ जाये ता को पकड़ना भी आसान होता है।

2596:— अ़यास बिन सलमा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माने में अबू बक्र के साथ जिहाद किया तो उस मौक़े पर हमारा कोडवर्ड (code word) था "अमित्-अमित्" (मार दे-मार दे)

2597:— मुहल्लब बिन अबू सफ़रा ने बयान किया कि मुझे उस शख़्स ने बयान किया जिस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना था, आप ने फ़रमायाः अगर तुम पर रात को हमला हो जाये तो तुम्हारा शिआ़र (कोड वर्ड) "हामीम् ला युन्-सरुन" होना चाहिये।

बाब {आदमी सफ़र के समय कौन सी दुआ़ पढ़े?}

2598:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब सफ़र पर रवाना होते तो यह दुआ़ पढ़ते थेः

अल्लाहुम्म अन्–तस्साहिबु फ़िस्स–फ़रि, वल् ख़ली–फ़तु फ़िल् अह्लि, अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि–क मिन् वसाइस्स–फ़रि व–कआ–बतिल् मुन्–क–लबि वसूइल् मन्–ज़रि फ़िल् अह्लि वल् मालि, अल्लाहुम्म इत्वि लनल् अर्–ज व–हव्विन् अलै–नस्स–फ–र

(ऐ अल्लाह! सफ़र मैं तू ही हमारा साथी और बाल बच्चों की सुरक्षा फ़रमाने वाला है। ऐ अल्लाह! सफ़र की परेशानी से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, और इस बात से भी कि ग़म व रन्ज के साथ वापस लौटूँ और अपने बाल बच्चों और धन-माल में कोई बुरी बात देखूँ। ऐ अल्लाह! हमारे लिये ज़मीन को लपेट दे और सफ़र को हमारे लिये आसान फ़रमा दे।"

2599:— अ़ब्दुल्लह बिन उमर रज़ि॰ ने अ़ली अज़दी को सफ़र के आदाब में यह सिखाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब किसी सफ़र के लिये अपने ऊँट पर बैठ जाते तो तीन बार कहते "अल्लाहु अक्बर" फिर कहतेः

सुब्हा–नल्ल्ज़ी सख़्ख़–रलना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनी–न, वइन्ना इला रब्बिना लमुन्–क़लिबू–न, अल्लाहुम्म इन्नी अस्–अलु–क फ़ी–स–फ़रिना हाज़ाल् बिर्र वत्तक़्वा वमि–नल अ़–मलि मा तरज़ा, अल्लहुम्म हव्विन् अ़लैना स–फ–रना हाज़ा, अल्लहुम्म इत्वि ल–नल् बो–द, अल्लाहुम्म अन्–तस्साहिबु फ़िस्स–फ़रि वल् ख़ली–फ़तु फ़िल् अह्लि वल् मालि

और जब वापस तशरीफ़ लाते तो यही कलिमात पढ़ते और इन में इतना इज़ाफ़ा करतेः

आइबू–न ताइबू–न आबिदू–न लि–रब्बिना हामिदू–न

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम और आप का लश्कर जब किसी घाटी पर चढ़ता तो "अल्लाहु अक्बर" कहता और अगर किसी पस्ती में उतरता तो "सुब्हानल्लाह" कहता, और

नमाज़ भी इसी तरह है (कि उठते-बैठते तक्बीर कही जाती है)

बाब {मुसाफ़िर को रुख़्सत करने की दुआ।}

2600:— क़ज़ाआ कहते हैं कि अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ ने मुझ से कहा: इधर आओ! मैं तुम्हें अलविदा कहूँ, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अलविदा कहा था:

अस्तौदिउल्ला-ह दी-न-क व-अमा-न-त-क व-ख़वाती-म अ-मलि-क
(मैं तेरे दीन, तेरी अमानत और तेरे अ़मल के अन्त को अल्लाह पाक के हवाले करता हूँ)

2601:— अ़ब्दुल्लाह ख़तमी रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब किसी लश्कर को रुख़्सत करना चाहते तो यूँ फ़रमाते:

अस्तौदिउल्ला-ह दी-नकुम् व-अमा-न-तकुम व-ख़वाती-म आमालिकुम्
(मैं तुम्हारा दीन, तुम्हारी अमानतें और तुम्हारे आमाल का अन्त अल्लाह पाक के सिर्पुद करता हूँ)

बाब {आदमी सवार होकर कौन सी दुआ़ पढ़े?}

2602:— अ़ली बिन रबीआ़ बयान करते हैं कि मैं अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ के यहाँ मौजूद था कि सवार होने के लिये आप के सामने सवारी लायी गयी, तो आप ने अपना पाँव रिकाब में डाल लिया और फ़रमाया: "बिस्मिल्लाह" फिर जब ठीक तरह से उस पर बैठ गये तो कहा: "अल्हम्दुलिल्लाह" फिर कहा:

सुब्हा-नल्लज़ी सख़्ख़-र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनी-न वइन्ना इला रब्बिना लमुन्-क़लिबू-न
(पाक है वह ज़ात जिस ने इन जानवर को हमारे ताबे किया और हम ख़ुद से उस को अपना ताबे न बना सक़ते थे और बिला शुब्हा हम अपने रब ही की तरफ़ लौट जाने वाले हैं)

फिर कहा: "अल्हम्दु लिल्लाह" तीन बार। फिर कहा: "अल्लाहु अक्बर" तीन बार, फिर कहा:

सुब्हा-न-क इन्नी ज़-लम्तु नफ़्सी फग़फ़िर्ली, इन्नहू ला यग़्फ़िरु ज़्ज़ुनू-ब इल्ला अन्-त
(ऐ अल्लाह! तु पाक है, मैं ने अपनी जान पर अत्याचार किया है, तू मुझे माफ़ कर दे, तेरे सिवा और कोई नहीं जो गुनाहों को माफ़ कर सके)

फिर आप हँसे। आप से पूछा गया: ऐ ख़लीफ़ा! आप किस बात पर हँसे हैं? फ़रमाया: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को देखा था कि आप ने ऐसे ही किया था जैसे कि मैंने किया है। और आप हँसे (भी) थे तो मैंने आप से पूछा था कि ऐ अल्लाहके रसूल! आप किस बात पर हँसे हैं? आप ने फ़रमाया: तेरे रब को अपने बन्दे पर आश्चर्य होता है जब वह कहता है

(मेरे मौला! मेरे गुनाह बख़्श दे, बन्दा जानता है कि मेरे सिवा कोई नहीं जो गुनाहों को माफ़ कर सके)

बाब {इन्सान जब किसी स्थान पर पड़ाव करे तो क्या कहे?}

2603:— अ़ब्दुल्लह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब यात्रा करते और रात आ जाती तो कहते:

> ***या अर्ज़ु! रब्बी व—रब्बुकिल्लाहु, अऊज़ु बिल्लाहि मिन्शर्रिकि व—शर्रि मा फ़ीकि, व—शर्रि मा ख़ुलि—क़ फ़ीकि, वमिन् शर्रि मा यदिब्बु अ़लैकि, व—अऊज़ु बिल्लाहि मिन्—अ—सदिन् व—अस्—व—द, वमि—नल् हय्यति वल् अक़—रबि वमिन् साकिनिल् ब—लदि, वमिन् वालिदिन वमा व—ल—द***
>
> (ऐ ज़मीन! मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ तेरी बुराई से और उस बुराई सेजो तेरे अन्दर है, और जो तेरे अन्दर पैदा किया गया है। और हर उस चीज़ की बुराई से जो तुझ पर चलती-फिरती है। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शेर से, काले नाग से, और साँप और बिच्छू से, और उस क्षेत्र के रहने वालों की बुराई से, और जनने वाले की बुराई से, और जिस को वह जने उस की बुराई से)

बाब {शुरु रात में सफ़र करने की मिनाही।}

2406:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: सूरज के डूबते ही अपने जानवरों को मत छोड़ो यहाँ तक कि रात का अँधेरा अच्छी तरह छा जाये, क्योंकि जिस समय सूरज डूबता है शैतान फ़साद करते हैं यहाँ तक कि रात का अँधेरा छा जाये। इमाम अबू दावूद ने कहा कि "अल्—फ़वाशी" से मुराद हर प्रकार की घूमने वाली चीज़ें हैं।

फ़ाइदा:— मुस्लिम की रिवायत में है कि शैतान अपने चेलों को इसी समय गुनाह कराने के लिये भेजता है (मुस्लिम—2013)

बाब {कौन से दिन यात्रा करना अच्छा है?}

2605:— कअ़ब बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि बहुत कम ऐसा होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जुमेरात के अ़लावा किसी और दिन सफ़र के लिये निकलते।

बाब {सफ़र के लिये सुब्ह—सुब्ह निकलना (मुस्तहब है)}

2606:— सख़र ग़ामिदी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत के लिये उन की सुब्ह में बर्कत डाल दे। चुनान्चे अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कोई लश्कर या मुहिम रवाना करना होता तो उन्हें दिन के पहले पहर रवाना फ़रमाते। सख़र रज़ि॰ एक ताजिर थे तो वह अपने कारिन्दों को दिन के पहले

पहर रवाना किया करते थे। चुनान्चे वह मालदार हो गये थे और उन का माल भी खूब बढ़ गया था। इमाम अबू दावूद ने कहा कि उन का नाम सख़र बिन वदाआ़ है।

बाब {इन्सान का अकेले यात्रा करना (मक्रुह है)}

2607:— अ़म्र बिन शुऐब अपने पिता (शुऐब) से और शुऐब अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: अकेला सवार एक शैतान है, दो सवार दो शैतान हैं, और तीन सवार एक क़ाफ़िला हैं।

फ़ाइदा:— अकेले यात्रा करना कभी बहुत बुरा होता है। दुर्घटना में कोई सहारा देने वाला नहीं और ना ही सूचना देने वाला होता है। आज कल भी इस पर अ़मल करना ज़रुरी है।

बाब {जब एक जमाअ़त यात्रा कर रही हो तो अपने में से एक आदमी को अपना अमीर बना लें।}

2608:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमाया: जब तीन आदमी यात्रा पर निकलें तो चाहिये कि किसी को अपना अमीर बना लें।

2609:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जब तीन आदमी सफ़र में हों तो चाहिये कि एक को अपना अमीर बना लें। नाफ़े रह॰ (मौला इब्ने उमर रज़ि॰) ने कहा: (यह हदीस सुनने के बाद) हम ने अबू सलमा (बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़) से कहा: आप हमारे अमीर हैं।

फ़ाइदा:— अमीर बना लेने से सफ़र आसान हो जाता है और सब को सहूलत रहती है, नफ़सा-नफ़सी का आ़लम नहीं होता, एक आदमी की रहनुमाई में आसानी से यात्रा तै हो जाती है।

बाब {दुश्मन के क्षेत्र में कुरआ़न पाक ले जाना।}

2610:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है कि इन्सान कुरआन पाक लेकर दुश्मन के क्षेत्र में जायें। इमाम मालिक फ़रमाते हैं कि मेरा ख़याल है इस में यह हिक्मत है कि कहीं दुश्मन (काफ़िर) के हाथ न लग जाये (और वह उस का अपमान करे)

फ़ाइदा:— लेकिन जहाँ ऐसी बात न हो, बल्कि काफ़िर कुरआन को समझना चाहता हो तो इस निय्यत से देना बिला शुब्हा जाइज़ है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हेरक़्ल बादशाह के नाम ख़त लिखा तो उस में कुरआन की आयत लिखी।

बाब {लश्करों, साथियों और सराया में मुस्तहब तादाद (संख्या) का बयान।}

2611:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: बेहतरीन साथी वह है जो चार की तादाद में हों, और बेहतरीन दस्ता वह है जिस में चार सौ सवार हों, और बेहतरीन लश्कर वह है जो चार हज़ार की तादाद में हो और बारह हज़ार पराजित नहीं हो सकते तादाद कम होने के नाते भी। इमाम अबू दावूद ने कहा कि सहीह बात यह

है कि यह रिवायत मुर्सल है।

फ़ाइदा:— मुसलमानों की 12 हज़ार की तादाद अगर कहीं हार जाये तो कारण तादाद का कम होना नहीं, बल्कि कोई और सबब होगा, जैसे तक़्वा की कमी वग़ैरह। यह हदीस मुर्सल है जो ज़ओफ़ मानी जाती है।

बाब **{(जन्ग के मौक़ा पर) कुफ़्फ़ार को इस्लाम की दावत देना।}**

2612:— सुलैमान बिन बुरैदा अपने पिता से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब (किसी शख़्स को) किसी दस्ते या किसी बड़े लश्कर का अमीर बना कर रवाना करते तो उसे खुद अपनी ज़ात में अल्लाह का तक़्वा इख़्तियार करने और अपनी रहनुमाई में दूसरे मुसलमानों के साथ भलाई करने की वसिय्यत करते और फ़रमातेः "जब तुम अपने मुशिरक दुश्मन के मुक़ाबले पर जाओ तो उन्हें तीन बातों की तरफ़ दावत दो, वह जिसे भी इख़्तियार करना चाहें कर लें, और फिर जो वह इख़्तियार कर लें उसे कुबूल कर लेना और अपने को उन सेरोक लेना। (सब से पहले) उन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर वह उसे कुबूल कर लें तो तुम भी उन से कुबूल कर लो और उन से अपने हाथ रोक लो, फिर उन्हें दावत दो कि वह अपना क्षेत्र छोड़ कर मुहाजिरों के घर में मुन्तिक़ल हो जायें, और उन्हें बताओ कि अगर उन्होंने यह कुबूल कर लिया तो उन को वही हक़ हासिल होंगे जो मुहाजिरों को प्राप्त हैं, और उन पर वह सब कुछ वाजिब होगा जो उन मुहाजिरों पर वाजिब है। अगर वह मुन्तक़िल होना कुबूल न करें और अपने क्षेत्रों ही में रहना चाहें तो उन्हें बताना कि वह बदवी मुसलमानों की तरह होंगे, उन पर अल्लाह का हुक्म इसी प्रकार नाफ़िज़ (लागू) होगा जैसे कि दूसरे मोमिनों पर नाफ़िज़ होता है। फ़ै के माल में और ग़नीमत के माल में उन का कोई हिस्सा न होगा, सिवाए इस के कि मुसलमानों के साथ जिहाद में शरीक हों (2) पस अगर वह लोग इस्लाम कुबूल करेन से इन्कारी हों तो उन्हें कहना कि टेक्स (जिज़या) देना कुबूल करें। अगर वह इस पर राज़ी हो जायें तो इसे कुबूल कर लेना और अपना हाथ उन से रोक लेना। (3) अगर वह टेकस देने पर राज़ी न हों तो अल्लाह की मदद तलब करते हुये उन से जन्ग करना। और जब तुम किसी क़िले को घेर लो और फिर वह तुम से यह चाहें कि उन को हथयार डालने दो, इस शर्त पर कि उन पर अल्लाह का हुक्म लागू हो तो यह बात कुबूल न करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि **उनके** बारे में अल्लाह का फ़ैसला **क्या है?** लेकिन उन्हें अपनी शर्तों और फ़ैसले के अनुसार हथियार डालने की इजाज़त दो और फिर जो चाहो उन केबारे मेंफ़ैसला करो।

फ़ाइदा:— यह हुक्म इस्लाम के आरंभ में था और अब भी उन क़ौमों से मुतअ़ल्लिक़ है जिन को इस्लाम की दावत स्पष्ट तौर पर न पहुँची हो।

2613:— सुलैमान बिन बुरैदा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अल्लाह के नाम से और अल्लाह की राह में जन्ग करो, और अल्लाह का इन्कार करने वालों से जन्ग करो। जन्ग करो, गदर न करो (ग़नीमत में) ख़ियानत न करो, क़त्ल हुये

लोगों के शरीर को न काटो और न किसी बच्चे को क़त्ल करो।

2614:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः चलो अल्लाह के नाम से, अल्लाह की मदद हासिल करते हुये और अल्लाह के रसूल की मिल्लत पर क़ाइम रहते हुये (और उस की दावत देते हुये) किसी बूढ़े खूसट को क़त्ल न करना, न किसी बच्चे या नाबालिग़ को, और न किसी महिला को। (ग़नीमत में) ख़ियानत से बाज़ रहना, ग़नीमतों को जमा रखना और इस्लाह का मामला करना, नेकी और एहसान अपनाना, बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला एहसान करने वालों से मुहब्बत करता है।

फ़ाइदा:— ऐसे बूढ़े जो जन्ग के बारे में मश्वरे देते हैं, लड़ाई के गुण सिखाते हैं, और ऐसी महिलायें जो जासूसी करती हैं इन्हें क़त्ल करना जाइज़ है।

बाब **{दुश्मन के क्षेत्र में आग लगाने का मस्अला।}**

2615:— अ़ब्दुल्लह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बुवैरा के स्थान पर क़बीला बनी नज़ीर की खजूरें जलाई थीं, और काटी भी थीं, मगर अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "जो खजूरें तुम ने काट डालीं या जड़ों पर खड़ी रहने दीं ...... (सूरः हश्र)

2616:— उसामा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन से फ़रमाया था कि उबना के क्षेत्र पर सुब्ह के समय चढ़ाई करना और उसे जला देना।

2617:— अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र ग़ज़्ज़ी ने बयान किया कि मैंने अबू मुसाहिर से सुना, उन से "उबना" के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहाः हम उस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि यह फ़लस्तीन में "युबना" के नाम से जानी पहचानी जगह है।

फ़ाइदा:— जन्गी ज़रुरत हो तो आग लगाना जाइज़ है और मकानत को गिराना भी, लेकिन फ़साद फैलाने की निय्यत से जाइज़ नहीं।

बाब **{जासूस भेजने का बयान।}**

2618:— अनस रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (बद्र की जन्ग से पहले) बुसैसा को जासूस बना कर रवाना किया कि वह देखे कि अबू सुफ़यान का काफ़िला किस मर्हले में है?

फ़ाइदा:— मुसलमानों में एक दूसरे की जासूसी करना हराम है, मगर यह कि ख़लीफ़ा हालात की इस्लाह के लिये उन के बाज़ कामों की टोह लगाए तो जाइज़ है। ताहम दुश्मन के हालात की ख़बर लेने के लिये जासूसी लगभग वाजिब है।

बाब **{मुसाफ़िर किसी बाग़ या ग़ल्ले के पास से गुज़रे तो (बिना इजाज़त फल) खजूर खा सकता है और जानवरों का दूध पी सकता है।}**

2619:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेफ़रमायाः जब तुम में से कोई (दौराने सफ़र में) जानवरों के पास से गुज़रे और उन का मालिक मौजूद हो तो उस से इजाज़त ले। अगर वह इजाज़त दे दे तो दूध ले और पी ले। अगर मालिक मौजूद न हो तो तीन बार आवाज़ लगाये, अगर वह जवाब दे तो उस से इजाज़त माँगे, वर्ना दूध निकाल ले और पी ले, मगर साथ न ले जाये।

फ़ाइदा:— इस हदीस में जो रुख़्सत है वह ऐसे मुसाफ़िर के लिये है जो मजबूरी की हालत में हो कि अगर न खाये-पीये तो मर सकता है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में एक-आध फल खा लेने की छूट है और उस ने खा लिया तो इजाज़त की ज़रुरत नहीं है और न क़ीमत देने की।

2620:— अ़ब्बाद बिन शुरहबील का बयान है कि मुझे क़हत (और भूख) ने सताया, तो मैं मदीना के एक बाग़ में चला गया और वहाँ से मैंने एक बाली ली उस मसल कर खा गया और कुछ अपने कपड़े में बाँध भी लिये, इतने में बाग़ का मालिक आ गया तो उस ने मुझे मारा और मेरा कपड़ा भी छीन लिया। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आ गया तो आप ने उस से फ़रमायाः तू ने इसे समझाया नहीं जबकि यह नादान था और न तू उस को खिलाया जबकि वह भूखा था। फिर आप ने उस को हुक्म दिया तो उस ने मेरा कपड़ा वापस कर दिया और मुझे एक वसक़, या आधा वसक़ ग़ल्ला भी दिया।

2621:— अबू बिशर रिवायत करते हैं कि मैंने अ़ब्बाद बिन शुरहबील से सुना जो हमारे क़बीला बनी गुबर में से थ... फिर ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— परेशान हाल के लिये जाइज़ है कि बिना पूछे बाग़ और खेत में से कुछ खा पी ले, मगर साथ ले जाना जाइज़ नहीं।

बाब {पेड़ से गिरा-पड़ा फल खा लेने की रुख़्सत का बयान।}

2622:— राफ़े बिन अ़म्र ग़िफ़ारी का बयान है कि मैं लड़कपन में अन्सारियों की खजूरों को (पत्थर) मारा करता था, तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में पेश किया गया। आप ने पूछाः ऐ लड़के! तू खजूरों को क्यों मारता है? मैंने कहाः फल खाने के लिये। आप ने फ़रमायाः मत मारा करो, जो गिरी-पड़ी हो उसे खा लिया करो। फिर आप ने मेरे सर पर हाथ फेरा और दुआ़ दी अल्लाहुम्म अश्बा बत्-नहू "ऐ अल्लाह इस के पेट को भर दो।"

बाब {बिना इजाज़त जानवरों का दूध निकालना मना है।}

2623:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम में से कोई किसी जानवर का बिना इजाज़त दूध न निकाले। क्या तुम पसन्द करते हो कि कोई उस की कोठरी (स्टोर) को तोड़ कर उस के खाने का सामान निकाल ले जाये? (ऐसे ही जानवरों के थन अपने मालिकों के लिये दूध जमा करते हैं तो कोई किसी के जानवर का दूध न निकाले, मगर यह कि मालिक की इजाज़त हो।

बाब {इताअ़त (आज्ञा पालन) का बयान।}

2624:— इब्ने जुरैज रह॰ बयान कते हैं कि (आयत) "ऐ ईमान वालो! अल्लाह की इताअ़त करो, रसूल की इताअ़त करो, और अपने अली अम्र की।" (सूरः निसा–59) यह आयत अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस बिन अ़दी रज़ि॰ के बारे में नाज़िल हुयी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को एक मुहिम पर भेजा था (इब्ने जुरैज कहते हैं) कि मुझे यह रिवायत याला ने सअ़ीद बिन जुबैर के वास्ते से इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से बयान की (तफ़सीर नीचे की रिवायत में है)

2625:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक लश्कर रवाना फ़रमाया और उन पर एक शख़्स (अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस) को अमीर बनाया और उन (लश्कर वालों) को हुक्म दिया कि अमीर की बात सुनें और उस की इताअ़त करें। चुनान्चे उन्होंने आग भड़काई और लश्कर वालों को हुक्म दिया कि उस में कूद जायें। इस पर एक गरोह ने उन की बात मानने से इन्कार कर दिया और कहने लगेः हम आगे ही से तो भागे हैं (मुसलमान हुये हैं) और कूछ दूसरे लोगों ने आगे में कूद जाने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यह सूचना मिली तो आप ने फ़रमायाः अगर यह उस आग में कूद जाते तो फिर हमेशा उसी में रहते, और फ़रमायाः अल्लाह की नाफ़र्मानी में कोई इताअ़त नहीं, इताअ़त हमेशा नेकी के कामों में है।

फ़ाइदा:— जो शख़्स शरीअ़त की मुख़ालिफ़त में अमीर और बादशाह की पेरवी और इताअ़त करे वह अल्लाह का नाफ़र्मान है। अल्लाह के यहाँ उस का यह तर्क कुबूल न होगा कि हाकिम की इताअ़त में मैंने ऐसा किया।

2626:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुसलमान पर वाजिब है कि (तमाम अहकाम) सुने और माने, चाहे उसे पसन्द हों या नापसन्द हों, जब तक उसे नाफ़र्मानी का हुक्म न दिया जाये। जब नाफ़र्मानी का हुक्म दिया जाये तो न सुनना है और न ही इताअ़त है।

2627:— उक़्बा बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है ...... जो कि बिशर बिन आ़सिम की क़ौम से थे..... उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक मुहिम भेजी, तो मैंने उन में से एक आदमी को तल्वार दी। जब वह वापस आया तो उस ने कहाः काश कि आप (वह हालात) देखते जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें मलामत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः क्या तुम इस बात से आ़जिज़ थे कि जब तेरे भेजे हुये आदमी ने मेरे हुक्म को लागू नहीं किया तो तुम उस की जगह किसी और को मुक़र्रर कर लेते जो मेरे हुक्म को लागू करता।

फ़ाइदा:— इस हदीस से मालूम हुआ कि जब कोई अमीर या हाकिम शरीअ़त का क़ानून लागू करने में लार्पवाही से काम ले, बल्कि न लागू करे और उस की मुख़ालिफ़त करे, तो अगर उस का बदलना संभव हो तो तुरन्त उस को हटा कर दूसरा अमीर बनाया जाये जो शरीअ़त को लागू करे,

उस के अनुसार चले और प्रजा को चलाये।

बाब **{लश्कर के लोगों का मिल कर क़रीब–क़रीब रहनाऔर उन का कुशादा होना।}**

2628:— अबू सालबा से रिवायत है कि मुजाहिद लोग जब किसी मन्ज़िल पर पड़ाव करते थे.... अम्र बिन उस्मान के शब्द हैं कि "जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव करते थे .... तो लोग वादियों और घाटियों में बिखर जाते थे। पस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम्हारा इन वादियों और घाटियों में बिखर जाना शैतान की तरफ़ से है। चुनान्चे इस केबाद जब भी आप किसी मन्ज़िल पर पड़ाव करते तो सहाबा एक दूसरे के बहुत ही क़रीब रहते यहाँ तक कि कहा जाता है कि अगर उन पर एक ही कपड़ा तान दिया जाये तो सब पर आ जाये।

2629:— मआज़ बिन अनस जोहनी रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि फ़लाँ–फ़लाँ लड़ाई में हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। लोगों ने ठहरने के स्थान पर पड़ाव करने और ख़ेमे लगाने में बहुत तन्ग कर दिया कि रास्ता भी न छोड़ा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक एलान्ची भेजा जिस ने लोगों में एलान किया कि : "जो शख़्स ख़ेमा लगाने में तन्गी करे, या रास्ता काटे तो उस का जिहाद नहीं।

फ़ाइदा:— रास्ता का हक़ न अदा करना बड़ा जुर्म है।

2630:— सहल बिन मआज़ अपने पिता (मआज़ बिन अनस जोहनी रज़ि॰) से बयान करते हैं उन्होंने कहा कि हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्गों में शिर्कत की .... फिर ऊपर की हदीस की तरह रिवायत बयान की।

बाब **{दुश्मन के आमने–सामने होने की इच्छा करना पसन्दीदा नहीं।}**

2631:— अब्दुल्लाह बिन औफ़ा रज़ि॰ ने सालिम नज़्र को लिखा, जबकि वह हरवी लोगों की तरफ़ निकले थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक जन्ग में जब वह दुश्मन से टकराए थे, फ़रमाया थाः लोगों! दुश्मन से मिलने की तमन्ना न करो, अल्लाह पाक से अमन माँगों। मगर जब उन से मुडभेड़ हो ही जाय तो फिर सब्र से काम लो और जान लो कि जन्नत तल्वारों के साये के नीचे है। फिर यह फ़रमायाः

अल्लाहुम्म मुनज़ि–लल् किताबि मुज्‌ रस्सहाबि वहाज़ि–मल अहज़ाबि, इहज़िमहुम वन्सुरना अलैहिम्

फ़ाइदा:— ख़ारिजी गरोह का एक नाम "हरवी" है, क्योंकि यह लोग जन्ग सिफ़्फ़ान से वापस आये तो अली रज़ि॰ से अलग होकर कूफ़ा से थोड़ी दूर "हरवा" के स्थान पर जमा हो गये और यहीं उन का पहला केन्द्र बना, इस कारण "हरवी" कहलाये।

बाब **{दुश्मन से सामना हो तो क्या दुआ की जाये?}**

2632:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्ग के लिये तशरीफ़ ले जाते तो यह दुआ फ़रमातेः

अल्लाहुम्म अन्–त अज़ुदी व–नसीरी, बि–क अहूलु वबि–क असूलु, वबि–क उक़ातिलु

(ऐ अल्लाह! तू मेरा बाज़ू और मददगार है, तेरी ही मदद से मैं चलता फिरता और हमला करता हूँ और लड़ाई करता हूँ)

बाब {(जन्ग से पहले) मुश्रिकों को दावत देने का मस्अला।}

2633:— इब्ने औ़न रह० कहते हैं कि मैंने इमाम नाफ़े को लिख भेजा और उन से यह मस्अला मालूम किया कि जन्ग के समय मुश्रिकों को दावत देना कैसा है? उन्होंने मुझे लिख भेजा कि यह आदेश इस्लाम के आरंभ में था (इस के बाद) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़बीला बनी मुस्तलिक़ पर हमला किया जबकि वह ग़ाफ़िल था और उन के जानवर पानी पी रहे थे, आप ने उन के लड़ने वालों को क़त्ल कर दिया और बाक़ी लोगों को बन्दी बना लिया, इसी मौक़ा पर जुवैरिया बिन्त हारिस आप के हाथ लगी थीं। इमाम नाफ़े ने कहा कि मुझे यह हदीस अ़ब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान की और वह उस जन्ग में शरीक थे।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस अच्छी है, इसे इब्ने औ़न ने नाफ़े से बयान किया है। इब्ने औ़न का इस में और कोई शरीक नहीं।

फ़ाइदा:— जिन लोगों को दावत पहुँच चुकी है। उन्हें जन्ग के समय दावत देना कोई ज़रुरी नहीं। हाँ, जिन्हें दावत नहीं पहुँची है उन्हें दी जानी चाहिये। जुवैरिया रज़ि० को आज़ाद कर के अपने निकाह में ले लिया था।

2634:— अनस रज़ि० का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़ज्र की नमाज़ के समय हमला, किया करते थे और (इस से पहले) कान लगा कर सुनते, अगर अज़ान की आवाज़ सुन लेते तो रुक जाते, वर्ना आक्रमण कर देते।

2635:— इसाम मुज़नी रज़ि० ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम को एक मुहिम पर रवाना किया और फ़रमाया: जब तुम मस्जिद देखो या किसी मुअज़्ज़िन को सुनो तो फिर किसी की हत्या न करो।

फ़ाइदा:— अज़ान सुनाई देना पहचान है कि वहाँ के लोग मुसलमान है, इसलिये हमला नहीं किया जाता था।

बाब {जन्ग में चाल चलने का बयान।}

2636:— जाबिर रज़ि० बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जन्ग चाल का नाम है।

2637:— कअ़ब बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब किसी तरफ़ जन्ग का इरादा फ़रमाते तो किसी और तरफ़ इशारा फ़रमाते, और फ़रमाते: जन्ग चाल का नाम है।

फ़ाइदाः— जन्ग केवल हथियार ही से नहीं जीती जाती, बल्कि उस के साथ तदबीर, चाल और दाँव की भी बड़ी अहमियत है। लेकिन याद रहे कि दुश्मन से जो अनुबन्ध हुआ है उस में धोखा देना हराम है।

बाब {शब खूँ मारना—रात को हमला करना।}

2638:— अयास बिन सलमा अपने पिता (सलमा बिन अकवा) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबू बक्र सिद्दीक़ को हमारा अ़मीर बनाया, फिर हम लोग मुश्रिकों से जिहाद के लिये निकले, हम ने उन पर रात में हमला किया, उस रात हमारा शिआ़र (कोड वर्ड) था "अमित्-अमित्"। सलमा ने बयान किया कि उस रात मैं ने अपने हाथ से सात घर के मुश्रिकों को क़त्ल किया था।

बाब {(लश्कर का कमान्डर) साक़ा के साथ रहे।}

2639:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सफ़र कि दौरान पीछे रहा करते थे, कमज़ोरों की सवारी हाँक ले जाते और उन्हें अपने पीछे बैठा लेते और उन के लिये दुआ़यें करते।

फ़ाइदाः— लश्कर का अन्तिम और पिछला हिस्सा (जत्था) जिस में आ़मतौर पर कमज़ोर बीमारी और घायल लोग होते हैं "साक़ा" कहलाता है।

बाब {किस कारण मुश्रिकों से जन्ग लड़ी जाये?}

2640:— अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे हुक्म दिया गया है कि मुश्रिकों से जन्ग करुँ यहाँ तक कि वह "लाइला-ह इल्लल्लाह का इक़रार कर लें। जब वह इस का इक़रार कर लेंगे तो उन्होंने मुझ से अपने खून और माल को सुरक्षित कर लिया, सिवाए इस के कि इस इक़रार (इस्लाम) का कोई हक़ हो और (दिली मामलात में) उन का हिसाब अल्लाह पर है।

फ़ाइदाः— अगर कोई क़ौम इस्लाम कुबूल करे तो उसे जिज़या देना होगा और मुसलमानों की मातहती कुबूल करनी होगी।

2641:— अनस रज़ि० से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे यह हुक्म दिया गया है कि लोगों से जन्ग करुँ यहाँ तक कि वह गवाही दें कि अल्लाह के अ़लावा और कोई माबूद नहींऔर मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं। वह हमारे क़िब्ले की तरफ़ रुख़ करें, हमारा ज़ब्ह किया हुआ खायें और हमारी तरह नमाज़ पढ़ें। लोग जब यह सब कुछ करने लग जायें तो उन का खून और माल हम पर हराम होंगे, मगर यह कि उस (कलिम-ए-तौहीद और इस्लाम) का कोई हक़ हो। उन के हुक़ूक़ वही होंगे जो मुसलमानों के हैं और उन के फ़र्ज़ भी वहीं होंगे जो मुसलमानों के हैं।

फ़ाइदाः— "तौहीद और इस्लाम का हक़" का यह अर्थ है कि अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे

को नाहक़ कत्ल कर दे तो उसे क़त्ल किया जायेगा। शादी वाला होते हुये अगर ज़िना करे तो उसे रज्म किया जायेगा, किसी का माल लूट ले तो बदले में माल उस से लिया जायेगा आदि।

2642:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः मुझे मुश्रिकों से जन्ग का आदेश दिया गया है.....और फिर ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की।

2643:— उसामा बिन ज़ैद रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हम लोगों को एक मुहिम में हुरक़ात (क़बीले) की तरफ़ रवाना फ़रमाया। उन्होंने हमारे आने की ख़बर सुन ली और निकल भागे, हम ने एक आदमी को जा दबोचा, जब हम ने उसे घेर लिया तो उस ने लाइला-ह इल्लल्लाह कह दिया। लेकिन हम ने उसे मारा और क़त्ल कर डाला। मैंने इस घटना को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने बयान किया तो आप ने फ़रमायाः क़ियामत के दिन लाइला-ह इल्लल्लाह के मुक़ाबले में तेरे लिये कौन होगा? मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! उस ने हथियार के डर से कलिमा पढ़ा था। आप ने फ़रमायाः भला तू ने उस का दिल क्यों न चीर लिया ताकि तुझे मालूम हो जाता कि उस काफ़िर ने इस वजह से कहा था या किसी और वजह से? क़ियामत के दिन तुम्हारे लिये लाइला-ह-इल्लल्लाह के मुक़ाबले में कौन होगा? आप यह दोहराते रहे यहाँ तक कि मेरा दिल चाहा कि काश कि मैं आज ही इस्लाम लाया होता (यानी मुझ से यह महापाप न हुआ होता)

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि काफ़िर जब भी तौहीद और रिसालत का इक़रार कर ले तो उस को सच जाना जायेगा और उस की जान-माल की सुरक्षा की जायेगी। शरीअ़त के क़ानून ज़ाहिर पर लागू होते हैं, दिलों का हाल अल्लाह के हवाले है।

2644:— मिक़दाद बिन अस्वद रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मैं अगर किसी काफ़िर से टकराऊँ, वह मुझ से जन्ग करे और तल्वार से मेरा एक हाथ काट डाले, फिर (मेरे वार करने पर) किसी पेड़ की आड़ ले ले और कहेः मैं ने अल्लाह के लिये इस्लाम कुबूल किया। तो ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! क्या मैं उसे क़त्ल कर दूँ? हालाँकि उस ने लाइला-ह-इल्लल्लाह कह दिया है। आप ने फ़रमायाः उसे मत क़त्ल करो। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! उस ने मेरा एक हाथ काट डाला है। आप ने फ़रमायाः उसे मत क़त्ल करो। अगर तुम ने उसे क़त्ल कर दिया तो वह तुम्हारी जगह पर होगा जहाँ कि तू उस को क़त्ल करने से पहले था (यानी मासूम था) और तू उस की जगह पर होगा जहाँ कि वह कलिमा कहने से पहले था। (उस का ख़ून हलाल था)

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि मुजाहिद को अपने मैदान में बड़े सब्र और धैर्य की ज़रुरत है। अकारण किसी मुसलमान का क़त्ल करना महापाप है और इस की सज़ा जहन्नम है।

बाब {जो शख़्स सज्दा कर के पनाह चाहे उस को क़त्ल करना मना है।}

2645:— जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने

क़बीला ख़स्अ़म की तरफ़ एक मुहिम रवाना फ़रमायी, तो उन में कुछ लोगों ने सज्दा कर के पनाह हासिल करनी चाही, लेकिन (मुजाहिदों ने उन को) जल्दी-जल्दी क़त्ल कर डाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब इस की सूचना मिली तो आप ने उन को आधी दियत (हर्जाना) देने का आदेश दिया और फ़रमायाः मैं हर उस मुसलमान से बरी हूँ जो मुश्रिकों के दर्मियान रहता हो। उन्होंने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्यों? आप ने फ़रमायाः "यानी दोनों को एक-दूसरे की आग दिखाई न दे (आबादी इतनी दूर-दूर होनी चाहिये)

फ़ाइदाः— यह हदीस ज़ओ़फ़ है। आधी दित (हर्जाना) वाला टुक्ड़ा सहीह नहीं है। आग नज़र न आये का यह अर्थ है कि काफ़िर और मुसलमान दूर-दूर बसें औ एक-दूसरे के तौर-तरीक़े न अपनायें कि उसी क़ौम से मालूम होने लगें।

बाब {कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में भाग जाने कर मस्अला।}

2646:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि जब यह आयत नाज़िल हुयी : "अगर तुम में बीस सब्र करने वाले हुये तो वह सौ पर ग़ालिब आयेंगे ...." (सूरः अन्फ़ाल) तो मुसलमानों को यह बात भारी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ करदिया है कि एक आदमी दस के मुक़ाबला से न भागे। फिर यह आयत नाज़िल हुयी : "अब हम ने तुम पर से हल्का कर दिया है और उस ने जान लिया है कि तुम में कमज़ोरी है, इसलिये अब अगर तुम में से सौ लोग जमे (डटे) रहने वाले हुये तो वह दो सौ पर ग़ालिब होंगे......" (सूरः अन्फ़ाल) अबू तौबा रबीअ़ (हदीस के रावी) ने यह आयत "दो सौ पर ग़ालिब रहेंगे" तक पढ़ी, कहा कि अल्लाह पाक ने गिनती में कमी कर दी तो सब्र में भी कमी कर दी।

फ़ाइदाः— एक मुसलमान दो काफ़िर से जीत जायेगा, क्योंकि उसे अल्लाह पर भरोसा होता है।

2647:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ से भेजी गयी एक मुहिम में शरीक था। लोग (मुजाहिद) मुक़ाबला से भाग खड़े हुये और मैं भी उन भागने वालों में शरीक था। जब हम अलग हुये तो कहाः कैसे करें? हम तो जिहाद से भाग आये हैं और अल्लाह की नाराज़गी लेकर लौटे हैं? हम ने कहाः हम मदीना चलते हैं, वहाँ ठहरेंगे और (किसी दूसरी मुहिम में) शरीक हो जायेंगे और हमें कोई न देख सकेगा। जब हम मदीना आये तो हम ने सोचा क्यों न अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने पेश कर दें, अगर तौबा क़ुबूल हुयी तो (बेहतर) ठहरे रहेंगे, वर्ना जिहाद में चले जायेंगे। चुनान्चे फ़ज्र की नमाज़ से पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के इन्तिज़ार में बैठ गये। जब आप बाहर निकले तो हम आप की तरफ़ बढ़े और कहाः हम लोग भगोड़े हैं। आप हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुये और फ़रमायाः नहीं, तुम दोबारा लड़ाई में जाने वाले हो। चुनान्चे हम आप के निकट हुये और आप के हाथ का बोसा दिया। आप ने फ़रमायाः मैं मुसलमानों के पनाह लेने की जगह हूँ।

फ़ाइदाः— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। इमाम तिर्मिज़ी ने "अल् अक्कार" का तर्जुमा यह लिखा है:

"जो शख़्स इमाम की तरफ़ भाग जाये ताकि वह उस की सहायता करें, केवल लड़ाई से भाग जाना मुराद नहीं है। (देखें-तिर्मिज़ी-1716)

2648:— अबू सओद रज़ि॰ से रिवायत है कि बद्र के दिन यह आयत नाज़िल हुयीः "जिस ने उस दिन कुफ़्फ़ार से पीठ फेरी सिवाए इस हाल के कि पैंतरा बदलता हो लड़ाई में, या किसी जमाअत की पनाह लेता हो........" (सूरः अन्फ़ाल-16)

बिस्मिल्ला हिरहमा निर्रहीम+हमें ख़बर दी इमाम हाफ़िज़ अबू बक्र अहमद बिन अली बिन साबित ख़तीब बग़दादी ने। कहा इमाम क़ाज़ी अबू अम्र क़ासिम बिन जाफ़र बिन अब्दुल वाहिद हाशमी ने कहाः हमें ख़बर दी अबू अली मुहम्मद बिन अहमद बिन अम्र लोलोवी ने, उन्होंने कहाः हमें बयान किया अबू दावूद सुलैमान बिन अश्अस सजिस्तानी रह॰ ने माह मुहर्रम 275 हि॰ में .... फ़रमाया।

फ़ाइदा:— यह सनद अबू दावूद ने कुछ नुस्ख़ों में नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर में इस का स्थान किताब का आरंभ है। बहरहाल यह इमाम अबू दावूद की सनद है जो किताब के शुरु में होने के बजाए किताब के दर्मियान में आ गयी है।

बाब {ऐसा बन्दी जिसे कुफ़्र बोलने पर मजबूर कर दिया जाये।}

2649:— ख़ब्बाब बिन अर्त रज़ि॰ ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये जबकि आप एक चादर को तकिया बनाए काबा के साए में लेटे हुये थे। हम ने आप से शिकायत की और कहाः क्या आप हमारे लिये मदद नहीं माँगते? क्या आप हमारे लिये अल्लाह से दुआ नहीं फ़रमाते? यह सुन कर आप उठ बैठे और आप का चेहरा लाल हो गया और आप ने फ़रमायाः तुम से पहले जो लोग थे उन में से किसी को पकड़ा जाता और उस के लिये गड्ढा खोदा जाता, फिर आरा लाया जाता और उस के सिर पर रख कर उसे दो हिस्से कर दिया जाता, मगर यह (ज़रा भी) उस के दीन से न फेर सकता था, और (वह किसी के साथ यूँ करते कि) उस की हड्डियों तक गोश्त और पट्ठों में लोहे की कंघियाँ चलाते, यह काम भी उसे उस के दीन से न फेर सकती थीं। अल्लाह की कसम! अल्लाह पाक अपना यह दीन पूरा कर के रहेगा यहाँ तक कि एक सवार सनआ नगर और हिज्र मूत के दर्मियान यात्रा करेगा, उसे अल्लाह के अलावा किसी का डर न होगा, (ज़्यादा से ज़्यादा) बकरियों के बारे में डर होगा कि भेड़िया हमला न कर दे, लेकिन तुम जल्दी कर रहे हो (या सब्र से काम लो, अल्लाह मदद करेगा)

बाब {जो कोई मुसलमान होते हुये मुसलमानों की जासूसी करे।}

2650:— उबैदुल्लह बिन अबू राफ़े रह॰ अली बिन अूब तालिब रज़ि॰ के कातिब (सेक्रट्री) थे, उन्होंने कहाः मैं ने अली रज़ि॰ से सुना वह बयान करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़ुबैर और मिक़दाद को रवाना किया और फ़रमायाः जाओ, और जब तुम रोज़ा ख़ाख़ के स्थान पर पहुँचोगो तो तुम्हें एक ऊँटनी सवार महिला मिलेगी, उस के पास एक पत्र है.वह पत्र उस ले आओ। चुनान्चे हम रवाना हुये, हमारे घोड़े हमें बड़ी तेज़ी से ले जा रहे थे, यहाँ तक कि

हम लोग रौज़ा के स्थान पर पहुँच गये। हम ने वहाँ एक महिला को पाया जो अपनी ऊँटनी पर सवार थी। हम ने उस से कहाः लाओ पत्र दे दो। उस ने कहाः मेरे पास कोई पत्र नहीं है। मैंने कहाः या तो तू पत्र निकालेगी, या हम तेरे कपड़े उतारेंगे। चुनान्चे उस ने अपनी चोटियों में से पत्र निकाल दिया। उसे लेकर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ गये। वह पत्र हातिब बिन अबी बल्तआ़ की तरफ़ से मुश्रिकों के नाम लिखा गया था, उस में उन को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाज़ मामलात के बारे में सूचना दी गयी थी। आप ने पूछाः ऐ हातिब! यह क्या मामला है? उन्होंने कहाः ऐ अल्लह के रसूल! मुझ पर जल्दी में फ़ैसला ने कीजिये। अस्ल में कुरैश के दर्मियान मैंनौ आबाद था, ख़ास क़बीला कुरैश से मेरा संबन्ध नहीं था जबकि (मुहाजिर) कुरैश के वहाँ मक्का में दीगर संबन्ध रख़ने वाले मौजूद हैं, जो उन के बाल-बच्चों की सुरक्षा करते हैं। इसलिये मैंने भी चाहा कि मुझे भी उन के साथ तअ़ल्लुक़दारी का कोई वास्ता प्राप्त नहीं है, तो मैं उन पर एक एहसान कर दूँ जिस की वजह से वह मेरे रिश्तेदारों का ख़याल रखें। अल्लाह की क़सम! ऐ अल्लाह के सन्देष्टा! मुझ में न तो कुफ़्र है और न मैं मुतर्द हुआ हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सच कहते हो। उमर रज़ि० ने कहाः मुझे छोड़िये कि मैं इस मुनाफ़िक़ की गर्दन उड़ा दूँ। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह तो बद्र में शरीक हो चुके हैं, और तुम्हें क्या पता, शायद अल्लाह पाक ने बद्र वालों पर नज़र फ़रमायी हो और कहा है कि "जो चाहे करो, मैंने तुम्हें बख़्श दिया है।"

फ़ाइदा:— इस हदीस से कई बातें मालूम हुयीं। हातिब रज़ि० इन्सान थे और ख़ताओं से पाक नहीं थे। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान भाई का राज़ ज़ाहिर करना नाजाइज़ है। गलती करने वाला अपनी मज़बूरी बयान करे तो उसे सुनना चाहिये और कुबूल करने के योग्य हो तो कुबूल करना चाहिये।

2651:— अबू अ़ब्दुर्रहमान सुलमी अ़ली रज़ि० से यह क़िस्सा बयान करते हैं कि हातिब ने मक्का वालों को लिखा था कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ़ इरादा करने वाले हैं। इस रिवायत में है कि उस महिला ने कहाः मेरे पास पत्र नहीं है, तो हम ने उस की ऊँटनी को बैठा लिया मगर हमें उस के पास से पत्र नहीं मिला। अ़ली रज़ि० बोलेः क़सम उस ज़ात की जिस की क़सम उठाई जाती है, मैं तुझे क़त्ल कर डालूँगा नहीं तो पत्र निकाल कर दे दे..... और हदीस बयान की।

बाब {कोई ज़िम्मी (काफ़िर) मुसलमानों की जासूसी करे तो?}

2652:— फुरात बिन हय्यान रज़ि० (अपने बारे में) बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझे क़त्ल करने का हुक्म दिया था जबकि मैं अबू सुफ़यान की तरफ़ से जासूस बन कर आया था। उस समय मैं एक अन्सारी का हलीफ़ भी था, मैं अन्सार की एक जमाअ़त के पास से गुज़रा और कहाः मैं एक मुसलमान हूँ। यह सुन कर एक अन्सारी ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! यह कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तुम मैंने कुछ लोग ऐसे हैं कि हम उन को उन के ईमान के हवाले कर देते हैं, उन में से फुरात बिन

हय्यान भी हैं।

फ़ाइदा:— मुस्नद अहमद में है कि यह शख़्स ज़िम्मी काफ़िर था और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस के क़त्ल का हुक्म दिया था। इन्होंने बाद में इस्लाम कुबूल कर लिया, हिजरत भी की और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जिहाद करते रहे, बाद में कूफ़ा में रहने लगे।

बाब **{जासूस, जो अमन का सन्देश लेकर आया हो।}**

2653:— सलमा बिन अकवा रज़ि॰ से रिवायत है कि एक सफ़र में मुश्किों का एक जासूस नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आया और सहाबा के साथ बैठा रहा, फिर चुपके से खिसक गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः **उेस तलाश कर के क़त्ल कर दो।** सलमा रज़ि॰ ने कहा कि मैंने दूसरों से पहले उसे जा पकड़ा और क़त्ल कर दिया और उस का सामान ले आया, पस आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने यह सामान इनाम के तौर पर मुझे दिया।

2654:— अ़यास बिन सलमा कहते हैं कि मुझ से मेरे वालिद (सलमा बिन अकवा रज़ि॰) ने बयान किया और कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ क़बीला हवाज़िन पर जिहाद किया। हम लोग दिन चढ़े खाना खा रहे थे और हम में अकसर मुजाहिद पैदल थे, उन में कुछ लोग कमज़ोर थे। इतने में एक शख़्स आया जो लाल ऊँट पर सवार था, उस ने ऊँट की कमर से रस्सी निकाली उस से उस को बाँधा और आ कर लोगों के साथ खाने में शरीक होगया। जब उस ने देखा कि मुजाहिद लोगों में कमज़ोर लोग हैं ओर उन में सवारी की भी कमी है तो वहाँ से निकला और भागता हुआ अपने ऊँट के पास पहुँचा और उसे खोला, उस को बैठाया, खुद उस पर बैठा, और फिर उसे दौड़ाते हुये चल दिया (उस समय हम को यक़ीन हो गया कि यह जासूस है) चुनान्चे क़बीला अस्लम का एक व्यक्ति मटियाले रन्ग की ऊँटनी पर उस का पीछा किया, उस की ऊँटनी हमारी सब ऊँटनियों में सब से अच्छी सवारी थी' सलमा कहते हैं कि मैं पैदल ही भागता हुआ उस के पीछे गया और उसे जा दबोचा, जबकि ऊँटनी का सर ऊँट की रान के पास था और मैं ऊँटनी की पिछली टाँगों के साथ था। फिर मैं आगे बढ़ा यहाँ तक कि ऊँट की पिछली टाँगों के पास पहुँच गया। मैं और आगे बढ़ा यहाँ तक कि ऊँट की नकेल पकड़ ली और फिर उस को बैठा लिया। जब उस ने अपना घुटना ज़मीन पर रखा तो मैंने अपी तल्वार निकाली और सवार के सर पर दे मारी तो वह कट कर दूर जा गिरा। फिर मैं उस का ऊँट और जो उस पर था सब हाँक कर ले आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने लोगों से आगे बढ़ कर मेरा स्वागत किया और पूछाः उस आदमी को किस ने क़त्ल किया है? सहाबा ने कहाः सलमा बिन अकवा ने। आप ने फ़रमायाः उस का सारा समाान सलमा के लिये है। (इमाम अबू दावूद के उस्ताद) हारुन ने कहा कि इस रिवायत के अल्फ़ाज़ हाशिम बिन क़ासिम के हैं:

फ़ाइदा:— काफ़िर जासूस को तुरंत क़त्ल किया जायेगा, चाहे वह इजाज़त लेकर मुसलमानों के पास आया हो, क्योंकि वह हरबी काफ़िरों में शामिल है। काफ़िर का सामान क़त्ल करने वाले

मुजाहिद को मिलता है जिसे "स-लब" कहा जाता है। सलमा, मक्का में सब से तेज़ दौड़ने वालों (धावकों) में थे।

बाब {जन्ग के लिये कौन सा समय बेहतर होता है?}

2655:— नोमान बिन मुक़र्रिन बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के यहाँ हाज़िर रहा हूँ आप अगर दिन के शुरु के हिस्से में जन्ग ना करते तो इतनी देरी फ़रमाते कि सूरज ढल जाता, हवायें चलने लगतीं और मदद नाज़िल होती।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि सूरज ढलने का समय अल्लाह की तरफ़ से मदद के नाज़िल होने का समय होता है, इसलिये लड़ाई उसी समय में शुरु की जानी चाहिये।

बाब {जन्ग के दौरान ख़ामोश रहने का हुक्म।}

2656:— क़ैस बिन उबाद रह॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा जन्ग के दौरान में आवाज़ें निकालने को नापसन्द करते थे।

2657:— अबू बुर्दा अपने पिता (अबू मूसा अशअ़री रज़ि॰) से, और वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत करते हैं।

फ़ाइदा:— ऊपर की दोनों रिवायतें ज़अ़ीफ़ हैं, फिर भी जन्ग के दौरान डींगें मारना, अपनी बड़ाई का इज़हार करना, तकब्बुर करना दुरुस्त नहीं।

बाब {मुजाहिद का जन्ग के दौरान पैदल हो जाना।}

2658:— बरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि हुनैन केदिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का मुश्रिकों के साथ मुक़ाबला हुआ और मुसलमान आप के पास से भाग गये तो आप अपने ख़च्चर से नीचे उतर कर पैदल हो गये।

बाब {जन्ग के दौरान तकब्बुर का इज़हार करना मबाह (जाइज़) है।}

2659:— जाबिर बिन अ़तीक़ रज़ि॰ से रिवातय है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे: ग़ैरत के कुछ अन्दाज़ अल्लाह पाक को पसन्दीदा और कुछ नापसन्दीदा हैं। अल्लाह पाक की पसन्दीदा ग़ैरत वह है जो शुब्हा की बिना पर हो। मगर ऐसी ग़ैरत जो बिना किसी शुब्हा के हो अल्लाह पाक को नासन्द है और कुछ पसन्दीदा है। पसन्दीदा बड़ाई का इज़हार वह है जो जन्ग के वक़्त मुजाहिद अपने बारे में करता है, या सदक़ा करते वक़्त हो। और बड़ाई का इज़हार जो अल्लाह पाक को नापसन्द है वह है जो ज़ुल्म और सरकशी में हो।

मूसा बिन इस्माअ़ील (इमाम अबू दावूद के उस्ताद) ने (नापसन्दीदा बड़ाई के इज़हार में) नसब-हसब में फ़ख़्र करने को भी ज़िक्र किया है।

फ़ाइदा:— "शुब्हा की वजह से ग़ैरत" इस प्रकार कि जैसे इन्सान किसी ऐसे शख़्स को देखे जोग़ैर महरम होते हुये उस की पत्नी या बेटी वग़ैरह के साथ आज़ादाना तौर पर मेल-जोल बढ़ाता है और हँसी मज़ाक़ करता है। इस हाल में ग़ैरत का इज़हार मतलूब और अल्लाह को महबूब है। "बग़ैर

किसी शुब्हा के ग़ैरत" जैसे कोई किसी की माँ या बहन से शरीअत के मुताबिक़ निकाह करना चाहे तो वह इस पर ग़ैरत खाने के कोई माना नहीं, क्योंकि शरीअत के मुताबिक़ उस का अमल है। "बड़ाई और तकब्बुर का इज़हार" कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में हिम्मत बढ़ाने के लिये जाइज़ है। सदक़ा देने में बड़ाई यह है कि खुश दिली से दे।

बाब {आदमी, जिस से क़ैदी बन जाने का मुतालबा किया जाये।}

2660:— अबू हुरैरा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस आदमियों को जासूसी के लिये रवाना किया और उन पर आसिम बिन साबित को अमीर बनाया। क़बीला हुज़ैल के लगभग एक सौ तीर चलाने वाले उन के मुक़ाबले में आ गये। आसिम ने जब उन सब को देखा तो एक टीले की ओट में हो गये (मगर उन काफ़िरों ने इन्हें घेर लिया) और बोलेः हथियार फेंक दोऔर अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम तुम से पक्का वादा करते हैं कि किसी की हत्या नहीं करेंगे। आसिम ने कहाः मैं किसी काफ़िर के वादे के चक्कर में नहीं आता, इस पर उन्होंने मुजाहिदों पर तीर मारे और आसिम समेत सात लोगों को क़त्ल कर दिया, और तीन लोगों ने उन के वादे को कुबूल कर लिया, यह थे खुबैब, ज़ैद बिन दसना और एक और आदमी (जिस का नाम अब्दुल्लाह बिन तारिक़ बलवी आया है) जब उन काफ़िरों ने उन्हें पकड़ लिया तो उन्होंने उन की कमानों की ताँतें खोल कर उस से उन को बाँध दिया। तीसरा आदमी कहने लगाः यह पहला धोखा है, अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। मेरे लिये मेरे (क़त्ल हो जाने वाले) साथी ही नमूना है। उन्होंने उस को घसीटा मगर उस ने उन के साथ जाने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने उस को क़त्ल कर दिया (और खुबैब, और ज़ैद रज़ि॰ को मक्का ले जाकर बेच दिया, और खुबैब को हारिस बिन आमिर के बेटों ने ख़रीद लिया) चुनान्चे खुबैब उन के बन्दी हो गये, तो उन्होंने उन को क़त्ल करने का इरादा किया। (एक दिन) खुबैब ने उस्तुरा माँगा ताकि नाफ़ के नीचे के बाल साफ़ कर लें। तब उन्हें क़त्ल करने के लिये ले चले तो खुबैब ने कहाः मुझे समय दे दो ताकि दो रकअत नमाज़ अदा कर लूँ। फिर कहाः अल्लाह की क़सम! अगर मुझे यह शुब्हा न होता कि तुम लोग समझोगे कि डर के मारे नमाज़ पढ़ता है तो मैं और ज़्यादा पढ़ता।

2661:— इब्ने औफ़ की सनद में है कि ज़ोहरी ने कहाः मुझे अम्र बिन अबू सुफ़यान बिन उसैद बिन जारिया सक़फ़ी ने बयान किया और यह बनी ज़हरा के हलीफ़ थे और अबू हुरैरा रज़ि॰के शार्गिदों में से थे और हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— खुबैब रज़ि॰ ने बद्र की लड़ाई में हारिस बिन आमिर को क़त्ल किया था, चुनान्चे दुश्मनी में उस के बेटों ने आप को शहीद कर दिया।

बाब {घात में बैठने वालों का बयान।}

2662:— बरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद वाले दिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि॰ को तीर चलाने वालों का अमीर बनाया, उन की तादाद पचास थी, और उन से फ़रमायाः अगर तुम देखो कि परिन्दे हमें उचक रहे हैं जब भी तुम

यह स्थान न छोड़ना। और अगर तुम यह देखो कि हम ने काफ़िरों को पराजित कर दिया है और हम उन्हें रौंद रहे हैं, तब भी तुम वहीं रहना। बयान करते हैं कि अल्लाह पाक ने काफ़िरों को पराजित कर दिया। अल्लाह की क़सम! मैंने देखा कि उन की महिलायें (पनाह के लिये) पर्वत पर चढ़ रही थीं। अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथी तीर चलाने वालों ने कहाः ऐ क़ौम! ग़नीमत, ग़नीमत तुम्हारे साथी जीत गये, अब तुम क्या ताक रहे हो? अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि॰ ने कहाः क्या तुम भूल गये हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने तुम से क्या फ़रमाया था? उन्होंने कहाः अल्लाह की क़सम! हम तो लोगों के साथ मिल कर ग़नीमत जमा करेंगे। चुनान्चे अपना स्थान छोड़ कर चले आये तो उन के मुँह फेर दिये गये और हार से दो-चार हुय।

फ़ाइदाः— जन्ग के मैदान में कमान्डर के हुक्म को न मानने का परिणाम पराजय है। इसलिये उस की इताअ़त (आज्ञा) हर हाल में करनी चाहिये। कमान्डर के आदेश का पालन यह जिहाद का एक हिस्सा होता है इसलिये समस्त फ़ौजियों को उस पर अ़मल करना अनिवार्य होता है।

बाब **{जन्ग में सफ़बन्दी का बयान।}**

2663:— हमज़ा बिन अबू उसैद अपने पिता (उबू उसैद) से रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि जब हम ने बद्र में सफ़ें बना लीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जब वह तुम्हारे निकट हों (और तुम्हारी ज़द में आ जायें) तो तीर मारना और अपने तीरों को सुरक्षित रखना (यानी बिला ज़रुरत न चलाना)

बाब **{टक्राव के समय तल्वार सौंतना।}**

2664:— मालिक बिन हमज़ा अपने वालिद से और वह अपने दादा (अबू उसैद) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बद्र वाले दिन फ़रमायाः जब वह तुम्हारे निकट आ जायें तब उन पर तीर मारना, और तल्वार भी उसी समय चलाना जब वह तुम पर छा जायें।

बाब **{जन्ग में मुक़ाबले के लिये ललकारना।}**

2665:— अ़ली रज़ि॰ बयान करते हैं कि (बद्र की लड़ाई में) उत्बा बिन रबीआ़ समाने आया और उस के पीछे उस का बेटा और भाई भी आ गये तो उन दोनो ने ललकाराः कौन है जो मुक़ाबले में आये? यह सुन कर अन्सारी जवान समाने आये। उस ने पूछाः तुम कौन हो? उन्हेंाने बताया (कि हम अन्सारी हैं, तो) उस ने कहाः हमें तुम से कोई मतलब नहीं, हम तो अपने चचा के बेटों को चाहते हैं। यह सुन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ हमज़ा! उठो, ऐ अ़ली! उठो, ऐ उबैदा! उठो। चुनान्चे हमज़ा रज़ि॰ उतबा के मुक़ाबला में आये और मैं (अ़ली) शैबा के सामने आया। उबैदा और वलीद के दर्मियान दो-दो बार का मुक़ाबला हुआ और हर एक को दूसरे से चोंटे लगीं (और घायल हुये) फिर हम दोनों वलीद पर चढ़ दौड़ें और उस को क़त्ल कर डाला और उबैदा को उठा लाये।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि जन्ग में दुश्मन को लल्कारना जाइज़ है, इससे दुश्मन डर जाता है

और धाक बँध जाती है।

बाब {मक्तूम की नाक–कान वग़ैरह काटना नाजाइज़ है।}

2666:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: क़त्ल करने के मामले में सब से अच्छे लोग ईमान वाले होते हैं (वह मक़्तूल के नाक, कान वग़ैरह नहीं काटते।)

2667:— हय्याज बिन इम्रान कहते हैं कि मेरे पिता इम्रान का एक गुलाम भाग गया तो उस ने अल्लाह की क़सम खाई कि अगर वह मेरे हाथ आ गया तो उस का हाथ काट डालूँगा। चुनान्चे मैं समुरा बिन जुन्दुब के पास आया और उन से पूछा तो उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें सदक़ा देने पर उभारते थे और (मक़्तूल का) मुसला करने से मना फ़रमाया करते थे। फिर इम्रान बिन हुसैन के पास आया और उन से भी पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हमें सदक़ा देने पर उभारते थेऔर मक़्तूल का मुसला करने से मना फ़रमाया करते थे।

फ़ाइदा:— क़त्ल कर देने के बाद नाक, कान काटना और चेहरा बिगाड़ना मना है। लेकिन क़िसास में ऐसा करना जाइज़ है। जैसे कि क़बीला उरैना वालों ने चर्वाहों के साथ किया तो बदले में उन के साथ भी वही किया गया।

बाब {महिलाओं की हत्या करना मना है।}

2668:— अ़ब्दुल्लाह बिल उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि किसी जन्ग में किसी महिला को क़त्ल पाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने महिलाओं और बच्चों के क़त्ल को बहुत बुरा जाना।

2669:— रिबाह बिन रबीअ़ बयान करते हैं कि हम एक जन्ग में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे, आपे ने दखा कि लोग किसी चीज़ के पास जमा हैं। आप ने एक शख़्स को भेजा कि वह देख कर आये कि लोग क्यों जमा हैं? चुनान्चे वह गया और आ कर बताया कि एक महिला की हत्या कर दी गयी है। आप ने फ़रमाया: वह तो लड़ने वाली नहीं थी। बयान किया कि उस फ़ौज के मुक़दमा (हरावल दस्ता) पर ख़ालिद बिन वलीद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक व्यक्ति को भेज कर फ़रमाया कि ख़ालिद से कह दो कि किसी महिला या किसी मज़दूर को हर्गिज़ क़त्ल न करें।

फ़ाइदा:— हाँ, अगर वह जन्ग में शामिल थी और लड़ाई लड़ी तो उसे क़त्ल करना जाइज़ है। यही हुक्म घरेलू नौकरों और बूढ़े लोगों का है।

2670:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मुश्रिकों के बूढ़ों को क़त्ल करो और नौ उम्र (नाबालिग़ बच्चों) को ज़िन्दा रहने दो।

फ़ाइदा:— बूढ़ा से ऐसे लोग मुराद हैं जिन की जवानी ढल चुकी हो मगर लड़ाई करते हों और

लोगों को लड़ाई पर उभारते हों।

2671:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है कि (यहूदियों के क़बीला) बनी कुरैज़ा की औरतों में सिर्फ़ एक औरत को क़त्ल किया गया था, वह मेरे पास बैठी बातें कर रही थी, और इतना हँसती थीं कि उस के पेट और कमर में बल पड़ जाते थे। हालाँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार में उस की क़ौम के लोगों को क़त्ल कर रहे थे। कि अचानक एक पुकारने वाले ने उस महिला का नाम पुकारा कि फ़लाँ महिला कहाँ है? वह कहने लगी: मैं यहाँ हूँ। मैंने पूछा: तेरा क्या मामला है? उस ने कहा: मैंने एक जासूसी का काम किया है। चुनान्चे वह पुकारने वाला उसे ले गया और उस की गर्दन मार दी गयी।

आइशा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं उसे भूली नहीं हूँ और उस पर तअज्जुब होता है कि उसे मालूम था कि वह क़त्ल होने वाली है मगर वह हँस-हँस कर लोट-पोट हो रही थी।

फ़ाइदा:— उलमा ने लिखा है कि उस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी इसलिये उस की हत्या की गयी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वाले की यही सज़ा है।

2672:— सअब बिन जस्सामा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मुशिरकों के घर वालों के बारे में क्या हुक्म है? रात में उन पर हमला किया जाता है तो छोटे बच्चे भी ज़द में आ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: वह भी उन्हीं में से थे। अम्र बिन दीनार कहा करते थे "वह भी अपने बापों के साथ हैं।" इमाम ज़हरी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस के बाद औरतों और बच्चों के क़त्ल करने से मना फ़रमा दिया था।

फ़ाइदा:— जान बूझ कर क़त्ल करना मना है, लेकिन चपेट में आ कर भूले से मारे जायें तो माफ़ है। हाँ अगर यह लोग जिहाद में रुकावट बनते हों और इन को मारे बिना जीतना कठिन हों तो मार दिया जायें। अल्लामा अल्बानी ने कहा है कि "नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस के बाद औरतों और बच्चों को क़त्ल करने से मना कर दिया" यह अल्फ़ाज़ सहीह नहीं है।

बाब {दुश्मन को आग में जलाना नाजाइज़ है।}

2673:— मुहम्मद बिन हमज़ा अपने पिता (हमज़ा) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दस्ते का कमान्डर बनाया था। चुनान्चे जब मैं रवाना हुआ तो आप नेफ़रमाया: अगर तुम्हें फ़लाँ आदमी मिल जाये तो उसे आग में जला देना फिर जब मैं ने पीठ फेरी तो आप ने फ़रमाया: अगर तुम फ़लाँ को पाओ तो उसे क़त्ल कर देना, जलाना नहीं, क्योंकि आग का अज़ाब, आग का पैदा करने वाला ही दे सकता है।

2674:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम को एक मोहिम पर रवाना किया और फ़रमाया: अगर तुम फ़लाँ को पाओ........और ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की।

फ़ाइदा:— किसी क़ैदी या मुजरिम को आग में जलाना हराम है। हाँ, घरों, बागों और क़िलों को जीत हासिल करने के लिये जलाना एक हद तक दुरुस्त है। यही हुक्म गोला बारी और बमबारी का है। और इस की ज़द में आ कर कोई मारा जाये तो माफ़ है।

2675:— अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह अपने वालिद (अ़ब्दुल्लह बिन मस्ऊद रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि एक सफ़र में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे। आप अपनी हाजत पूरी करने के लिये गये तो हम ने एक चिड़िया देखी, उस के साथ दो बच्चे भी थे। हम ने उस के दोनों बच्चे पकड़ लिये तो चिड़िया आयी और (बच्चों के ऊपर) मँडलाने लगी (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम तशरीफ़ लाये तो फ़रमायाः किस ने इस के बच्चों को परेशान किया है? उस के बच्चों को छोड़ दो (एक-दूसरे मौक़ा पर) आप ने देखा कि चीटियों के बड़े बिल को हम ने जला डाला है, तो आप ने पूछाः इसे किस ने जलाया है? हम ने कहाः हम ने जलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः आग के पैदा करने वाले के अ़लावा किसीऔर के लिये जाइज़ नहीं कि वह आग से दन्ड दे।

फ़ाइदा:— चाहे वह कितना विषैला (ज़हरीला) जानवर क्यों न हो, उसे आग से जलाना जाइज़ नहीं।

बाब {जिहाद में ग़नीमत से मिलने वाले आधे या पूरे हिस्से के बदले जानवर भारे-किराए पर देना।}

2676:— वासला बिन असक़ा रज़ि॰ से रिवायत है कि तबूक की जन्ग के मौक़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जिहाद का एलान फ़रमाया तो मैं अपने घर वालों के पास गया, फिर वापस आया तो नबी क़रीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा का पहला क़ाफ़िला रवाना हो चुका था। मैं मदीना में घूमने लगा और एलान करता था कि है कोई जो एक आदमी को अपने साथ सवार कर ले, और उस की ग़नीमत का हिस्सा पाये? यह सुन कर एक अन्सारी बुर्जुग नेकहाः उस का ग़नीमत का हिस्सा हमारा होगा और हम उसे बारी से अपने साथ सवार करेंगे और वह खाना भी हमारे साथ खायेगा। मैंने कहाः बहुत अच्छी बात है। उस ने कहाः तो फिर चलिये अल्लाह पाक की बर्कत के साथ। चुनान्चे मैं एक बेहतरीन साथी के साथ रवाना हुआ। अल्लाह पाक ने हमें माले ग़नीमत अ़ता फ़रमाया और मुझे एक ऊँटनियाँ मिलीं, मैं उन्हें अपेन साथी के पास हाँक कर लाया। वह अन्सारी अपने ऊँट के कजावे के पिछले हिस्से पर बैठा और मुझ से कहाः इन ऊँटनियों को चलाओ कि मैं उन्हें पीछे की तरफ़ से देखूँ। फिर कहाः उन्हें चलाओ ताकि मैं उन्हें आग की तरफ़ से देखूँ। फिर बोला कि तुम्हारी ऊँटनियाँ तो बहुत अच्छी है। मैंने कहाः यह तो आप की मिलकिय्यत हैं जिस की मैं आप से शर्त कर चुका हूँ। उस ने कहाः भतीजे! अपनी ऊँटनियाँ ले जाओ, हम ने तुम्हारे दूसरे हिस्से का इरादा किया है (यानी अज्र और सवाब में हिस्सेदारी का)

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि इस प्रकार का मामला करना जाइज़ है।

बाब {क़ैदी को बाँधना।}

2677:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः हमारे रब को ऐसे लोगों पर तअ़ज्जुब होता है जो ज़न्जीरों में जकड़े जन्नत की तरफ़ ले जोय जायेंगे।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि जो मुसलमान क़ैद की हालत में ज़न्जीरों में जकड़ा हुआ शहीद हुआ तो वह उसी हालत में उठाया जायेगा।

2678:— जुन्दुब बिन मकीस रज़ि॰ का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अ़ब्दुल्लाह बिन ग़ालिब लैसी रज़ि॰ को एक दस्ता देकर रवाना किया और मैं भी उन में शामिल था। आप ने हुक्म दिया कि कदीद के स्थान पर बनी मुलव्वह पर (हर तरफ़ से) चढ़ाई करना। चुनान्चे हम लोग रवाना हुसे और कदीद के स्थान पर पहुँच गये। हम को हारिस बिन बरसा लैसी मिला जिसे हम ने पकड़ लिया तो उस ने कहा कि मैं इस्लाम कुबूल करना चाहता हूँ और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जाने की निय्यत से ही निकला हूँ। हम ने उस से कहाः अगर तुम वास्तव में मुसलमान हो तो हमारा तुम को एक दिन-रात के लिये बाँध लेना तुम्हारे लिये कोई हानिकारक नहीं है। अगर तुम मुसलमान न ठहरे तो (तुम्हें बाँध कर) हम तुम्हारी तरफ़ से बेफ़िक्र हो जायेंगे। चुनान्चे हम ने उस को रस्सी से जकड़ लिया।

2679:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने नज्द की तरफ़ एक जिहादी दस्ता रवाना किया, तो वह क़बीला बनी हनीफ़ा के एक आदमी को पकड़ लोये जिस का नाम सुमाम बिन उसाल था, वह यमामा के लोगों का सर्दार था। उन्होंने मस्जिद के एक सुतून में उसे बाँध दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने आ कर उस से पूछाः ऐ सुमामा! तुम्हारे पास क्या है? (या तुम्हारा क्या ख़याल है?) उस ने कहाः ऐ मुहम्मद! मेरे पास ख़ैर है। अगर तुम ने क़त्ल किया तो एक खून वाले को क़त्ल करोगे, और अगर एहसान करोगे तो एक शुक्र अ़दा करने वाले पर एहसान करोगे। अगर आप को मालकी ज़रुरत है तो कहिये जितना आप चाहेंगे मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे उसी हाल पर रहने दिया। अगला दिन हुआ तो आप ने उस से फिर पूछाः ऐ सुमामा! तुम्हारे पास क्या है? (या तुम्हारा क्या ख़याल है?) तो उस ने पहले जैसी बात दोहराई। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फिर उसे उसी हाल पर रहने दिया, फिर जबअगला दिन हुआ तो भी यही बात-चीत हुयी, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सुमामा को आज़ाद कर दो। चुनान्चे वह गया और मस्जिद के क़रीब खजूर के बाग़ में पहुँचा, वहाँ जाकर स्नान किया और फिर मस्जिद में वापस आ गया और कहने लगाः अश्-हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु व-अश्-हदु अन्न मु-हम्म-दन् अ़ब्दुहू व-रसूलुहू (मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं) और दोनों ने पूरी हदीस बयान की।

अ़ीसा बिन हम्माद ने कहाः हम को लैस बिन सअ़द ने ख़बर दी तो उस में "ज़ादमिन्" के स्थान पर "ज़ा ज़िम्मीन्" के लफ़्ज़ बयान किये (अगर क़त्ल किया तो एक ज़िम्मेदार शख़्स और एहतराम वाले को क़त्ल करोगे') (दोनों का अर्थ यह है कि मेरी क़ौम बदला लेगी)

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि काफ़िर को मस्जिद में बाँधना, या उन का आना-जाना, जाइज़ है।

2680:— यहया बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन सअ़द बिन ज़रार से रिवायत है कि बद्र के क़ैदियों को जब लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पत्नी सौदा बिन्त ज़मअ़ा रज़ि॰ आले अफ़रा के बच्चों औफ़ और मुअ़व्वज़ के यहाँ ठहरी हुयी थीं, जहाँकि उन के ऊँटों का बाड़ा था। और यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बीवियों पर पर्दा फ़र्ज़ होने से पहले की घटना है। सौदा रज़ि॰ ने बयान किया कि अल्लाह की क़सम! मैं उन लोगों (यानी आले अ़फ़रा) के यहाँ थीं, जब में वहाँ से आयी तो मुझे बताया कि कुछ क़ैदी लाये गये हैं। मैं अपने घर लौटी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे और अबू यज़ीद सुहैल बिन अ़म्र भी हुजरे के कोने में पड़ा था। एक रस्सी से उस के हाथों को उस की गर्दन के साथ बाँध दिया गया था.... फिर पूरी हदीस बयान की।

इमाम दावूद ने कहा कि उन दोनों (यानी औ़फ़ और मुअ़व्वज़ ने) अबू जेहल बिन हिशाम को क़त्ल किया था। यह उस की तरफ़ बढ़े थे मगर पहचानते न थे और खुद बद्र के दिन शहीद हो गये थे।

फ़ाइदा:— अबू जेहल के क़त्ल में मआ़ज़, मुअ़व्वज़, मआ़ज़ बिन अ़म्र बिन जमूह, अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद थे। इमाम अबू दावूद ने औ़फ़ बिन अ़फ़रा का नाम भी शामिल किया है। इस का अर्थ यह हुआ कि यह सब के सब किसी न किसी तरह उस को मारने में शरीक थे। अन्त में इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने उस की गर्दन काटी। अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ का ज़िक्र हदीस न॰ 2709 में आ रहा है।

बाब {क़ैदी को मार पीट और डाँट-डाँट कर इक़रा कराना।}

2681:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नेअपने सहाबा को बुलाया और फिर बद्र की तरफ़ रवाना हुये। तो अचानक क़ुरैश के ऊँट मिले जिन पर वह पानी ढोते थे, उन में बनी हज्जाज का एक काले रंग का गुलाम था। सहाबा ने उसे पकड़ लिया और उस से पूछ-ताछ करने लगे कि अबू सुफ़यान कहाँ हैं? उस ने कहाः अल्लाह की क़सम! मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क़ुरैश के लोग आये हैं उन में अबू जेहल, रबीआ़ के दोनों बेटे उत्बा और शैबा और उमय्या बिन ख़ल्फ़ भी हैं। जब वह सहाबा को यह बात बताता तो वह उसे मारने लगते। वह कहता कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ। जब उसे छोड़ देते तो कहताः अल्लाह की क़सम! मुझे अबू सुफ़यान के बोर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क़ुरैश के लोग आये हैं उन में अबू जेहल, रबीआ़ के दोनों बेटे, उत्बा और शैबा और उमय्या बिन ख़ल्फ़ भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे और यह सब सुन रहे थे। जब आप नमाज़ पढ़ चुके तो फ़रमायाः उस ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है, जब वह

सच कहता है तो तुम उसे मारने लगते हो, और जब झूठ बोलता है तो उसे छोड़ देते हो। यह कुरैश के लोग अबू सुफ़यान ही को बचाने के लिये आये हैं। अनस रजि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः "कल इस स्थान पर फ़लाँ की मौत होगी" और आप ने अपना हाथ ज़मीन पर रखा। "कल इस स्थान पर फ़लाँ क़त्ल होगा" और आप ने अपना हाथ ज़मीन पर रखा। कल इस स्थान पर फ़लाँ की हत्या होगी और आप ने अपना हाथ ज़मीन पर रखा। अनस रज़ि॰ ने बयान किया कि उस ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है, उन गिनाये लोगों में से कोई एक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हाथ की जगह से इधर-उधर न हुआ। चुनान्चे आप ने उन के बारे में फ़रमाया तो उन की टाँगों को पकड़-पकड़ कर और घसीट-घसीट कर बद्र के कुँए में डाल दिये गये।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि बहम मालूमात प्राप्त करने के लिए कैदी को डाँटना, मारना एक हद तक दुरुस्त है, और कभी तो अहम है। आप ने सारी बातें वहयि की बिना पर बतायी थीं, आप ग़ैब की बात जानने वाले नहीं थे।

बाब {इस्लाम कुबूल करने के लिये क़ैदी पर जब्र करना (दबाव डालना) उचित नहीं।}

2682— अब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है उन्हेंने बयान किया कि जब कोई औ़रत ऐसी होती कि उस के बच्चे ज़िन्दा न रहते तो वह नज़र मान लिया करती थी कि अगर उस का बच्चा ज़िन्दा रहा तो वह उसे यहूदी बना डालेगी। चुनान्चे जब बनी नज़ीर क़बीला को मदीना से निकाल दिया गया तो उन में अन्सारियों के लड़के भी थे (जो इस प्रकार की नज़र के तहत यहूदी बनाए गए थे) उन्होंने कहाः हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे (उन के साथ नहीं जाने देंगे) इस पर अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायीः "दीन में कोई ज़र्बदस्ती और सख़्ती नहीं।" हिदायत, गुमराही के मुक़ाबले में स्पष्ट हो चुकी है..... (सूरः बक़रः 256) इमाम अबू दावूद ने कहा कि "अल् मिक़लात" वह औ़रत होती है जिस के बच्चे जीवित न रहते हों।

बाब {क़ैदी को इस्लाम की दावत दिये बिना क़त्ल कर डालने का मस्अला।}

2683— सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि॰ से रिवायत है कि फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने चार मर्दों और दो महिलाओं को छोड़ कर तमाम लोगों को अमान दे दी थी। रावी ने उन के नाम गिनाए और इब्ने अबी सरह थे, और हदीस बयान की। इब्ने अबी सरह उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान के यहाँ छुप गये थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब लोगों को बैअ़त के लिये बुलाया तो उस्मान रज़ि॰ इब्ने अबी सरह को भी ले आये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सामने खड़ा कर दिया, और कहाः ऐ अल्लाह के नबी! अ़ब्दुल्लाह की बैअ़त कुबूल फ़रमा लीजिये।" आप ने अपना सर उठाया, उन की तरफ़ देखा। तीन बार इस प्रकार किया, आप ने हर बार इन्कार फ़रमाया। तीसरी मर्तबा के बाद आप ने उस से बैअ़त फ़रमा ली, फिर अपने सहाबा की तरफ़ रुख़ किया और फ़रमायाः तुम में से कोई समझदार आदमी नहीं था जो उसकी तरफ़ उठता, जब देखा कि मैंने उस की बैअ़त से हाथ-खींच लिया है तो उस को

क़त्ल कर देता। उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हमें मालूम न था कि आप के जी में क्या है? आप अपनी आँख से हमें इशारा फ़रमा देते। आप ने फ़रमायाः नबी की शान के ख़िलाफ़ है कि उस की आँख ख़ाइन हो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अ़ब्दुल्लह बिन अबी सर्ह, उस्मान के दूध शरीक भाई थे। और वलीद बिन उक़्बा, उस्मान के माँ की तरफ़ से भाई थे। उन्होंने जब शराब पी थी तो उस्मान ने उन पर कोड़े लगाए थे।

फ़ाइदाः— यह लोग जन्गी मुजरिम थे और इस्लाम की इतनी शौहरत थी जो इन के लिये दावत के बराबर थी। चुनान्चे हुक्म हुआ कि जहाँ भी मिलें क़त्ल कर दिया जाये, अगर्चे काबा के पर्दे पकड़ कर क्यों न चिमटे हों। दो-चार क़त्ल किये गये, बाक़ी ने भाग कर जान बचाई और बाद में ईमान लाये। अ़ब्दुल्लाह बिन सर्हह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के कातिब थे, मुर्तद हो गये थे। इन पर सख़्ती का ज़िक्र जो इस हदीस में है, इस की वजह मुर्तद होना था। आँख से छुप कर इशारा करना डर की वजह से होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को कौन कहे यह एक सच्चे मोमिन की शान के ख़िलाफ़ है।

2684:— अ़म्र बिन उस्मान बिन अ़ब्दुर्रहमान अपने दादा से, वह अपने वालिद (सअ़ीद) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़त्ह मक्का के दिन फ़रमाया थाः चार लोगों को मैं हिल्ल या हरम में (हरम की सीमा के अन्दर बाहर) पनाह नहीं देता, फिर उन के नाम गिनवाए। दो लौंडियाँ थीं जो गाने बजाने का काम करती थीं और मक़ीस नामी आदमी की मिलकियत में थीं। इन में से एक तो क़त्ल कर दी गयी, लेकिन दूसरी भाग निकली और बाद में इस्लाम ले आयी। इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैं इस हदीस की सनद (अपने शैख़) मुहम्मद बिन अ़ला से मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सका।

2685:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि फ़त्ह मक्का के मौक़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मक्का में दाख़िल हुये तो आप के सर पर लोहे की टोपी (खोद) थी। जब आप ने उसे उतारा तो आप के पास एक आदमी आया और बताया कि इब्ने ख़तल काबा के पर्दों के साथ चिमटा हुआ है। आप ने फ़रमायाः उसे क़त्ल कर दो।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इब्ने ख़त्ल का नाम अ़ब्दुल्लाह था, उसे अबू बरज़ा अस्लामी ने क़त्ल किया था।

फ़ाइदाः— यह शख़्स मुसलमान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इसे किसी काम से भेजा और एक अन्सारी को सेवक (ख़ादिम) के तौर पर इस के साथ भेजा। अन्सारी से कोई ग़लती हुयी तो उस को मार डाला, उस का सामान लूटा और मुर्तद हो गया। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यह शख़्स चाहे जहाँ मिले इस की गर्दन मार दो।

बाब {क़ैदी को बाँध कर क़त्ल करना।}

2686:— इब्राहीम नख़ई ने कहा कि ज़हहाक बिन क़ैस ने इरादा किया कि इमाम मस्रूक़ को

हाकिम बनाए तो उमारा बिन उक़्बा ने कहा: क्या तुम ऐसे आदमी को हाकिम बनाना चाहते हो जो उस्मान रज़ि॰ के क़ातिलों में से बाक़ी रह गया है? यह सुन कर मसरूक़ ने कहा: हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया, वह हमारे निकट हदीस बयान करने में मोतबर थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने जब तुम्हारे बाप (उक़्बा बिन मुअ़ीत) को क़त्ल करने का इरादा किया तो उक़्बा ने कहा: मेरे बच्चों की देख-भाल कौन करेगा? आप ने फ़रमाया: आग, इसलिये मैं भी तुम्हारे लिये वही पसन्द करता हूँ जिसे तुम्हारे लिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने पसन्द किया था।

फ़ाइदा:— उक़्बा बड़ा अभागा शख़्स था, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की पीठ पर ऊँटनी का ओझ उसी ने डाली थी, बद्र से वापसी पर राह में बाँध कर क़त्ल किया गया। यह हदीस ज़ओ़फ़ है इसलिये आग वाली बात दुरुस्त नहीं।

बाब {क़ैदी को तीर मार कर क़त्ल करना।}

2687:— (उबैद) बिन तेला की रिवायत है कि हम ने अ़ब्दुर्रहमान बिन ख़ालिद बिन वलीद के साथ जिहाद किया। उन के सामने चार दुश्मन लाये गये जो अ़जमी थे और बड़े जानदार (तन्दुरुस्त) थे। तो आप ने हुक्म दिया और उन्हें बाँध का क़त्ल किया गया। इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस हदीस में इब्ने वहब के शागिर्द सओ़द के अ़लावा दूसरों ने हमें यूँ बयान किया कि "उन को तीर से मारा गया, जबकि वह बँधे हुये थे" अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि॰ को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को सुना है कि आप इस प्रकार क़त्ल करने से मना फ़रमाते थे (अबू अय्यूब रज़ि॰ ने कहा) क़सम उस ज़ात की जिस के हाथ में मेरी जान है। अगर मुर्गी हो तो उसको भी बाँध कर न मारूँ।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है इसलिये हुज्जत नहीं बन सकती। वह काफ़िर जो लड़ने मरने को तय्यार हो उसे जिस तरह चाहो मारो, केवल मुसला करना (आँख, कान, नाक काटना) दुरुस्त नहीं।

बाब {बिला फ़िदया (हर्जाना) लिये क़ैदी को एहसान करते हुये आज़ाद कर देना।}

2688:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि (हुदैबिया के सफ़र में) मक्का वालों के अस्सी (80) आदमी फ़ज्र की नमाज़ के समय तनओ़म की पहाड़ी से उतरे ताकि आप और आप के सहाबा को क़त्ल कर डालें, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को पकड़ लिया और उन्होंने भी अपने आप को उन के हवाले कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बाद में उन को आज़ाद कर दिया तो अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी: "अल्लाह वह ज़ात है जिस ने मक्का की वादी में उन के हाथों को तुम से रोके रखा और तुम्हारे हाथों को उन से रोक रखा (?)

2689:— मुहम्मद बिन जुबैर बिन मुतइम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बद्र के क़ैदियों के बारे में फ़रमाया: अगर मुतइम बिन अ़दी ज़िन्दा

होता और मुझ से इन नापाक और बदबूदार लोगों के बारे में बात करता तो मैं उस का लिहाज़ कर के उन्हें छोड़ देता।

फ़ाइदा:— मुतइम बिन अ़दी का आप नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर यह एहसान था कि ताइफ़ से वापसी पर आप उस की हिदायत और पनाह में मक्का में आये थे और उस ने हर मौक़े पर आप का बचाव किया था।

बाब {माल लेकर क़ैदी को आज़ाद करना।}

2690:— उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ ने बयान किया कि बद्र के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने क़ैदियों से फ़िदया लिया तो अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी: "नबी के लिये उचित नहीं कि उस के लिये बन्दी हों, यहाँ तक कि (दुश्मन को) ज़मीन में अच्छी तरह कुचल ले....... (अन्फ़ाल-68) फिर अल्लाह पाक ने उन के लिये ग़नीमतों को हलाल फ़रमा दिया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैंने अहमद बिन हबंल रह॰ से सुना कि उन से अबू नूह का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा: तुम उस का नाम जान कर क्या करोगे? उस का नाम मक्रुह सा है। इमाम अबू दावूद रह॰ ने कहा कि उस का नाम "कुराद" (चेचड़ी) है और सहीह यह है कि उस का नाम अ़ब्दुर्रहमान बिन ग़ज़वान है।

फ़ाइदा:— बद्र के क़ैदियों को क़त्ल करने के स्थान पर फ़िदया (हर्जाना) लेना ग़लत था। बेहतर यह था कि उन्हें अच्छी तरह कूटते ताकि उन की संख्या कम होती। बाद में मुसलमानों के लिये ग़नीमत का माल हलाल कर दिया गया, जबकि पहली उम्मतों के लिये माले ग़नीमत हलाल नहीं था।

2691:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बद्र के मौक़ा पर जाहिलिय्यत के लोगों (यानी मुश्रिक क़ैदियों) का हर्जाना चार सौ दिर्हम (फी कस) मुक़र्रर किया था।

फ़ाइदा:— रिवायत सहीह है, लेकिन "चार सौ दिर्हम" के अल्फ़ाज़ सहीह नहीं है।

2692:— आ़इशा रज़ि॰ से रिवायत है कि जब मक्का वालों ने अपने क़ैदियों का हर्जाना भेजा तो ज़ैनब रज़ि॰ (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बेटी) ने अपने पति अबुल आ़स के हर्जाने में माल भेजा और वह हार पेश किया जो ख़दीज़ा रज़ि॰ ने उन को अबुल आ़स से शादी के समय दिया था। उसे देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रोहाँसे हो गये और फ़रमाया: अगर तुम उचित समझो तो उस के क़ैदी को उस के लिये वैसे ही रिहा कर दो और उस का हार उसे वापस कर दो। सहाबा ने खुशी से इसे कुबूल कर लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अबुल आ़स से यह वादा लिया कि ज़ैनब को आप के पास भेज देगा। फिर आप ने ज़ैद बिन हारिसा को और एक अन्सारी को भेजा और उन से कहा कि याजिज की घाटी के दामन में रुक जाना ताकि ज़ैनब उस स्थान पर आ जायें और फिर उन्हें साथ ले आओ।

फ़ाइदा:— मालूम हुआ कि क़ैदी को बिना हर्जाना लिये आज़ाद करना जाइज़ है। ज़ैनब और अबू अ़ास का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के नबी बनाये जाने से पहले हुआ था। ज़ैनब पहले ईमान ले आयीं और अबुल अ़ास सुलह हुदैबिया के दिनों में ईमान लाये। याजज की वादी, मक्का से आठ मील की दूरी पर स्थिति थी।

2693:— मर्वान बिन हकम और मिस्वर बिन मख़रमा का बयान है कि क़बीला बनू हवाज़िन के मुसलमानों का एक वफ़्द (मन्डल) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया तो उन्होंने अनुरोध किया कि हमारा माल वापस कर दिया जाये (जो कि हुनैन की लड़ाई में मुसलमानों के क़ब्ज़ा में आया था) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मेरे साथ यह लोग हैं जिन्हें तुम भी देख रहे हो, और मुझे बात वह पसन्द है जो सच्ची हो। तुम लोग दो में से एक चीज़ इख़्तियार कर लो। क़ैदी या माल। उन्होंने कहा कि हम अपने क़ैदियों को चाहते हैं (उन्हें आज़ाद कर दिया जाये) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ख़ुत्बा के लिये खड़े हुये, अल्लाह पाक की हम्द-सना बयान की, फिर फ़रमाया: तुम्हारे यह भाई तौबा कर के आये हैं, तो मैंने यह उचित जाना है कि उन के क़ैदी उन को वापस कर दूँ। इसलिये तुम में से जो यह काम ख़ुशी-ख़ुशी करना चाहे करे, और जो पसन्द करता है कि (उस के क़ैदी के बदले) उसे उस का हिस्सा दिया जाये तो यह हमारे ज़िम्मे रहा। और पहली-पहली ग़नीमत जो अल्लाह हमें देगा उस में से हम उस का हक़ अदा करेंगे। लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम उन के लिये ख़ुशी से यह काम करते हैं। आप ने फ़रमाया: यह बात स्पष्ट नहीं है कि तुम में से किस ने इजाज़त दी है और किस ने नहीं दी है, इसलिये तुम लोग जाओ और तुम्हारे नुमाइन्दे आ कर बतायें। चुनान्चे वह लोग लौट गये और उन के अमीरों और नुमाइन्दों ने उन से खुल कर बात की, तो उन नुमाइन्दों ने आ कर बताया कि हमारे लोग ख़ुशी से उन्हें (आज़ाद करने की) इजाज़त दे रहे हैं।

2694:—अ़म्र बिन शुऐब अपेन पिता से और वह अपने दादा से इस घटना के बारे में बयान करते हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: उन लोगों की महिलायें और बच्चे उन्हें लौटा दे। और जो बिला कुछ लिये वापस न करना चाहे तो हमारा उस से वादा है कि पहली-पहली ग़नीमत जो अल्लाह हमें देगा उस में से छः ऊँट उसे दिये जायेंगे। फिर आप अपने ऊँट के क़रीब हुये और उस के कोहान से कुछ बाल लिये और फ़रमाया: लोगों! इस ग़नीमत से मेरे लिये पाँचवे हिस्से के अलावा और कुछ नहीं है, इतने बाल भी नहीं और आप ने इशारा करते हुये अपनी उंगली उठाई (जिस में बाल थे) और फ़रमाया: यह पाचवाँ भी तुम ही लोगों के दर्मियान तक़सीम होगा, इसलिये सूई और धागे तक वापस कर दो। चुनान्चे एक आदमी खड़ा हुआ, उस के हाथ में बालों का एक गुच्छा सा था, वह बोला: मैंने यह बाल लिये हैं ताकि पालान के नीचे की गद्दी ठीक कर लूँ। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जो मेरा ज़ाती हिस्सा है या बनी अ़ब्दुल मुत्तलिब का, वह तुम ले सकते हो (दूसरों का नहीं) उस ने कहा: अगर उस का इतना गुनाह है जो मैं देख रहा हूँ तो मुझे इस की कोई ज़रुरत नहीं और उस ने गुच्छा फ़ेंक दिया।

बाब {दुश्मन पर क़ाबू पा लेने केबाद अमीर का कुछ समय के लिये जीते हुये क्षेत्र में ठहरना।}

2695:— अबू तल्हा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब किसी क़ौम पर ग़ालिब आ जाते तो (इस के बाद) तीन दिन उन के क्षेत्र में इक़ामत फ़रमाते (ठहरते)। इब्ने मुसन्ना ने कहाः जब आप किसी क़ौम पर ग़ालिब आ जाते तो पसन्द फ़रमाते कि उन के क्षेत्र में तीन दिन ठहरें। इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि मुहद्दिस यहया बिन सअ़ीद इस हदीस पर एतराज़ किया करते थे कि यह सअ़ीद (बिन अबी अरुबा) की पुरानी रिवायत में से नहीं है, क्योंकि सन 45 हि॰ में उन का हाफ़िज़ा बिगड़ गया था, और उन्होंने यह हदीस इस बीमारी के बाद ही बयान की है। इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं (कहा जाता है कि वकीअ़ ने इन से यह हदीस हाफ़िज़ा की ख़राबी के दिनों में ली थी)

फ़ाइदाः— यह हदीस सहीह है, बुख़ारी में भी है (3065)

बाब {क़ैदियों को जुदा–जुदा करना।}

2696:— अ़ली रज़ि॰ से रिवायत है कि उन्होंने एक लौंडी और उस के बच्चे को अलग–अलग कर दिया (और अलग–अलग बेच दिया) तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को रोक दिया और उन का यह सौदा वापस करा दिया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि मैमून (बिन अबी शुऐब) ने अ़ली रज़ि॰ को नहीं पाया। यह सन 83 हि॰ में जमाजिम में क़त्ल कर दिये गये थे।

इमाम अबू दावूद फ़रमाते है कि हर्रा की घटना 63 हि॰ में हुयी थी और अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर सन 73 हि॰ में क़त्ल हुये थे।

फ़ाइदाः— इस रिवायत से मालूम हुआ कि लौंडी का बच्चे से अलग कर के बेचना जाइज़ नहीं, इस प्रकार माँ को तक्लीफ़ होगी ही और बच्चे अलग परेशान होगा।

बाब {अगर क़ैदी जवान हों तो उन में जुदाई की जा सकती है।}

2697:— अयास बिन सलमा अपने पिता (सलमा बिन अक्वा) से रिवायत करते हैं कि हम अबू बक्र रज़ि॰ के साथ (जिहाद के लिये) रवाना हुये। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को हमारा अमीर बनाया था। हम ने बनी फ़ज़ारा क़बीला के साथ जिहाद किया और हर तरफ़ से उनपर चढ़ाई कर दी। मैंने लोगों की एक जमाअ़त देखी, उन में औरतें और बच्चे थे। मैंने एक तीर मारा जो उन के ओर पहाड़ के दर्मियान जा कर गिरा तो वह सब उठ खड़े हुये, मैं उन्हें पकड़ कर अबू बक्र के पास लाया उन में फ़ज़ारा की एक औरत थी जिस ने एक पुरानी खाल ओढ़ी थी, उस के साथ उस की बेटी भी थी जो अ़रब की सब से सुन्दर लड़कियों में से थी। अबू बक्र ने उस लड़की को मुझे देदिया। जब मैं मदीना आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुझ से मिले तो फ़रमायाः ऐ सलमा! उस लड़की को मुझे हिबा कर दो। मैंनेकहाः अल्लाह की क़सम! वह तो मुझे बहुत पसन्द है और मैंने अभी उस का कपड़ा भी नहीं उठाया है। यह सुन कर आप ख़ामोश रहे, जब अगला दिन आया तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुझे बाज़ार में मिले और

फ़रमायाः ऐ सलमा! मुझे उस लड़की को हिबा कर दो,तुम्हारे बाप की भलाई हो। मैंने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उस का कपड़ा अब तक नहीं उठाया है, मगर वह आप की हो गयी (यानी आप को हिबा कर दिया) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उस को मक्का वालों के पास भेज दिया और बदले में जो मुसलमान क़ैदी उन के पास थे उस लड़की के बदले में उन को हासिल कर लिया।

बाब {कुफ़्फ़ार किसी मुसलमान का माल ले उड़ें, फिर उन का मालिक ग़नीमत के माल में से अपना माल पा ले.........।}

2698:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि उन का एक गुलाम भाग कर दुश्मनों के पास चला गया, फिर मुसलमान उन लोगों पर ग़ालिब आ गये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वह गुलाम इब्ने उमर को वापस कर दिया और (ग़नीमत के तौर पर) तक़्सीम नहीं किया। इमाम अबू दावूद फ़रमाते हैं कि (यहया बिन अबू ज़ाइदा के अ़लावा) किसी दूसरे ने कहा कि ख़ालिद बिन वलीद रज़ि॰ ने उसे वापस कर दिया।

फ़ाइदा:— यह रिवायत सहीह नहीं है।अगली रिवायत सहीह है।

2699:— मुहम्मद बिन सुलैमान की सनद से रिवायत है कि) इब्ने उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि उन का एक घोड़ा भाग गया तो दुश्मन ने उसे पकड़ लिया। फिर मुसलमान उन पर ग़ालिब आ गये और वह घोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में इब्ने उमर को वापस दे दिया गया। (एक और मौक़ा पर) इब्ने उमर का एक गुलाम भाग गया और रुम वालों के क्षेत्र में चला गया। जब मुसलमान उन पर ग़ालिब आये तो ख़ालिद बिन वलीद रज़ि॰ ने गुलाम को इब्ने उमर को वापस कर दिया, और यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाद की घटना है।

बाब {मुश्रिकों के गुलाम अगर मुसलमानों में आ मिलें और इस्लाम कुबूल कर लें.........।}

2700:— अ़ली बिन अबू तालिब रज़ि॰ से रिवायत है कि हुदैबिय्या के दिन समझौतो से पहले कुछ गुलाम भाग कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आ गये तो उन के मालिकों ने आप को पत्र लिखाः "ऐ मुहम्मद! अल्लाह की क़सम! यह लोग तुम्हारे दीन के शौक़ में तुम्हारे पास नहीं गये हैं, बल्कि गुलामी से भाग कर गये हैं। इस पर सहाबा में से कुछ नेकहाः ऐ अल्लाह के रसूल! उन्हेांने सच कहा है, आप उन्हें वापस लौटा दें। इस पर सहाबा में से कुछ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! उन्होंने सच कहा है, आप उन्हें वापस लौटा दें। यह सुन कर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम गुस्सा हो गये और फ़रमायाः ऐ कुरैश के लोगों! मैं समझता हूँ कि तुम लोग उस समय तक बाज़ न आओगे जब तक कि अल्लाह तुम पर किसी ऐसे को न भेज दे जो तुम्हारी इस (हठधर्मी) पर तुम्हारी गर्दनें मार दे, फिर आप ने वापस करने से इन्कार कर दिया और फ़रमायाः यह अल्लाह पाक के आज़ाद किये हुये लोग हैं।

फ़ाइदा:— जब एक आदमी कुफ़्र के स्थान से निकल भागा तो वह अपने तौर पर आज़ाद हो गया। फ़िर इस्लाम कुबूल कर लिया तो अब उसे काफ़िरों के पास दोबारा भेजने की कोई वजह

नहीं।

बाब **{दुश्मन के अ़लाक़ा से मिलने वाली खाने–पीने की चीज़ों के इस्तेमाल के जाइज़ होने का बयान।}**

2701:— इब्ने उमर रज़ि॰ सेरिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में एक लश्कर को ग़ल्ला और शहद ग़नीमत में मिला तो उस में से पाँवचा (खुमुस) नहीं लिया गया था।

2702:— अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल रज़ि॰ से रिवायत है कि ख़ैबर के दिन चबी से भरी एक थैली ऊपर से फेंका गया तो मैंने आगे बढ़ कर उसे झपट लिया, फिर मैंने कहाः आजमैं इस में से किसी को कुछ नहीं दूँगा। इतने में मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मेरी तरफ़ देख कर मुस्कुरा रहे थे।

फ़ाइदा:— खुमुस (पाचवाँ) का बयान आगे आ रहा है। उलमा का कहना है कि खाने-पीने वाली चीज़ों में से मुजाहिद खा पी सकता है उस में पाँचवा निकालने का इन्तिज़ार नहीं किया जायेगा। लेकिन अगर बहुत अधिक मात्रा में है तो खाने के बाद जो बचेगा वह माले ग़नीमत में तक़्सीम होगा। मालूम हुआ कि अहले किताब का ज़ब्ह किया हुआ जानवर और उस की चर्बी हलाल है।

बाब **{दुश्मन के क्षेत्र में खाने की कमी होतो लूट की मिनाही है।}**

2703:— अबू लबीद बयान करते हैं कि हम अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ि॰ के साथ काबुल में थे। लोगों को ग़नीमत का माल मिला तो हर एक ने उसे लूट लिया तो उन्होंने खुत्बा दिया और फ़रमायाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है कि आप ने माल लूटने से मना फ़रमाया है। चुनान्चे उन लोगों ने जो कुछ लिया था उसे वापस कर दिया, फिर अ़ब्दुर्रहमान ने उस माल को उन के दर्मियान तक़्सीम कर दिया।

2704:— मुहम्मद बिन अबू मजालिद ने अ़ब्दुल्लाह बिन औफ़ा से पूछाः क्या आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में खाने-पीने की चीज़ों में पाँचवाँ हिस्सा निकाला करते थे? उन्होंने कहाः हमें ख़ैबर की जन्ग में ग़ल्ला मिला तो ज़रुरत मन्द आता और जितनी उस को ज़रुरत होती लेकर चला जाता।

2705:— एक अन्सारी सहाबी ने कहाः हम लोग एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ रवाना हुये, लोगों को बड़ी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें बकरियाँ मिल गयीं जो उन्होंने लूट लीं (और तक़्सीन की) हमारी देगें उबल रही थीं (गोश्त पक रहा था) कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी क़ौस (कमान) के सहारे चलते हुये तशरीफ़ लाये और हमारी देगों को अपनी क़ौस से उलट दिया और गोश्त को मिट्टी में लथेड़ने लगे और फ़रमायाः लूट का माल मुर्दार से ज्यादा हलाल नहीं, या यूँ फ़रमायाः मुर्दार का माँस लूट के माल से ज्यादा हलाल नहीं, यह शक हन्नाद को हुआ है।

फ़ाइदा:— जिस प्रकार मुर्दार का गोश्त हलाल नहीं, इसी प्रकार लूट (ग़नीमत) का माल बिना तक़्सीम किये ले लेना जाइज़ नहीं। जमा कर के पहले तक़्सीम किया जाये।

बाब **{दुश्मन के क्षेत्र से खाने-पीने की चीज़ें अपने साथ ले आना।}**

2706:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी ने बयान किया कि जिहाद के दौरान हम ऊँट ज़ब्ह कर के खाते और तक़्सीम न करते थे, यहाँ तक कि जब हम वापस लौटते तो हमारे थैले उस माँस से भरे हुये होते थे।

फ़ाइदा:— यह हदीस ज़ओ़फ़ है, इस में बयान मस्अला सहीह नहीं है।

बाब **{दारुल हर्ब में खाने-पीने की चीज़ें लोगों की ज़रुरत से ज़्यादा हों तो उन्हें बेचने का मस्अला।}**

2707:— अ़ब्दुर्रहमान बिन ग़नम का बयान है कि हम ने शुरहबील बिन सिम्त रज़ि॰ के साथ क़िन्नस् रनि् शहर का घेराव किया। जब उसे फ़त्ह कर लिया तो बकरियाँ और गायें मिलीं। उन्होंने उन में से एक हिस्सा हम में तक़्सीम कर दिया और बाक़ी को ग़नीमत में जमा कर लिया। फिर मैं मआ़ज़ बिन जबल रज़ि॰ से मिला और यह सब उन को बताया तो उन्होंने कहाः हम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ ख़ैबर की जन्ग में लड़ाई की थी, उस में हमें बकरियाँ मिलीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कुछ को हम में तक़्सीम कर दिया (खाने के लिये) और बाक़ी को माले ग़नीमत में शामिल कर लिया।

फ़ाइदा:— खाने-पीने की चीज़ें हाथ आयें तो उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाये, जो बचे उसे ग़नीमत में जमा कर दिया जाये ताकि पाचवाँ (खमुस) निकाल कर सब के दमियान बराबर-बराबर तक़्सीम कर दिया जाये। अब हर आदमी अपने हिस्से के बारे में आज़ाद है, चाहे तो बेच दे, या जो चाहे करे।

बाब **{जिहाद के दौरान माले ग़नीमत में से खाने-पीने की चीज़ें इस्तेमाल करना (तक़्सीम से पहले)}**

2708:— रुवैफ़ा बिन साबित अन्सारी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जिस शख़्स का अल्लाह पर और क़ियामत पर ईमान है उस के लिये जाइज़ नहीं कि मुसलमानों के ग़नीमत में से किसी जानवर पर सवारी करता रहे यहाँ तक कि जब उसे कमज़ोर कर डाले तो उसे ग़नीमत में जमा कर दे, और जिस का अल्लाह पर और क़ियामत पर ईमान है उस के लिये जाइज़ नहीं कि मुसलमानों के माले ग़नीमत में से कपड़ा पहने, और जब उसे पुराना क़र दे तो वह उस को माले ग़नीमत में वापस कर दे।

फ़ाइदा:— अगर बहुत अहम ज़रुरत है तो अमीर (कमान्डर) की इजाज़त से ले सकता है। माले गनीमत ही नहीं, मिल्ली अमानतों का भी यही हाल है।

बाब {जन्ग के दौरान जो हथियार अभी तक़्सीम नही हुआ है उस से जन्ग करना जाइज़ है।

2709:— अबू उबैदा अपने वालिद (अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि (बद्र की लड़ाई में) मैं अबू जेहल के पास से गुज़रा, वह गिरा पड़ा था और उस की टाँग में तल्वार का घाव लगा था। मैंने उस से कहाः ऐ अल्लह के दुश्मन! ऐ अबू जेहल! अल्लाह पाक ने (तुम) कमीने को ज़लील कर ही दिया। इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने बयान किया कि उस समय कोई डर नहीं था। उस ने कहाः तअ़ज्जुब है उस आदमी पर कि उस की अपनी ही क़ौम ने उसे क़त्ल कर दिया। तो मैंने उस को अपनी तल्वार से मारा, उस में धार नहीं थी इसलिये उस ने कुछ काम न किया (और उसे क़त्ल न कर सकी) लेकिन उसके हाथ से उस की तल्वार गिर पड़ी, तब मैंने उस से उस को मारा यहाँ तक कि ठन्डा हो गया।

फ़ाइदा:— इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने काफ़िर की तल्वार से जो अभी तक़्सीम नहीं हुयी थी, उसे क़त्ल किया। यह हुआ हदीस का बाप से संबन्ध। अबू जेहल के क़त्ल का बयान पीछे हदीस न॰ 2680 में भी बयान हुआ है।

बाब {माले ग़नीमत में ख़ियानत और चोरी इन्तिहाई घिनावना अ़मल है।}

2710:— ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी का बयान है कि ख़ैबर के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी का देहान्त हो गया। लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को इस की सूचना दी तो आप ने फ़रमायाः तुम लोग अपना साथी की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ लो। यह सुन की लोगों के चेहरे कर रंग उड़ गया। आप ने फ़रमायाः तुम्हारे इस साथी ने अल्लाह की राह में होते हुये ख़ियातन (चोरी) की है। हम लोगों ने उस के सामान की तलाशी ली तो हमें उस में ऐसे मूँगे मिले जो यहूदी इस्तेमाल करते थे (या उन की औ़रतें इस्तेमाल करती थीं) उन मूँगों की क़ीमत दो दिंहम भी न थी।

2711:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि हम ख़ैबर के साल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ रवाना हुये तो हमें सोने-चाँदी के बजाए आ़म कपड़े और दूसरे सामान माले ग़नीमत में मिले। फिर आप कुरा की वापदी की तरफ़ रवाना हुये। आप को एक गुलाम हदिया किया गया था जिस का नाम मिद्अ़म था। जब हम कुरा की वादी में पहुँचे और गुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ऊँट से पालान उतार रहा था कि उसे एक तीर आ लगा जिस से वह क़त्ल हो गया। इस पर लोगों ने कहाः उसे जन्नत मुबारक हो (कि उसे जिहाद के दौरान मौत आयी) यह सुन कर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हर्गिज़ नहीं, उस ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है, बिला शुब्हा वह चादर जो उस ने ख़ैबर के दिन ग़नीमत के तक़्सीम से पहले उठाई थी, वह चादर उस पर आग बन कर भड़क रही है। लोगों ने जब सुना तो उन में कोई एक तस्मा ले आया और कोई दो तस्मे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। यह देख कर आप ने फ़रमायाः "एक तस्मा आग का था" या यह फ़रमाया कि "दोनों तस्मे आगे के थे।"

बाब {जब चोरी का माल मामूली हो तो इमाम चोर को छोड़ दे, और उस के सामान को न जलाए।}

2712:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को जब ग़नीमत हासिल होती तो बिलाल को हुक्म देते और वह एलान करते और लोग अपनी-अपनी ग़नीमत के माल ले आते। फिर आप उन में से पाचवाँ हिस्सा निकाल कर मुजाहिदों में तक़्सीम कर देते। एक मर्तबा एक आदमी एलान और तक़्सीम के बाद बालों से बनी हुयी एक लगाम ले आया। उस ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यह हमें ग़नीमत में मिली थी। आप ने पूछा: क्या तुम ने बिलाल को एलान करते सुना था (कि ग़नीमत के माल जिस के पास हैं जमा कर दो) आप ने उस से तीन बार पूछा: उस ने कहा: हाँ। आप ने फ़रमाया: तुम्हें उस वक़्त आ कर जमा कर देने में क्या रुकावट थी? उस ने इधर-उधर बहुत बहाना किया मगर आप ने फ़रमाया: इसे तुम अपने पास रखो, क़ियामत केदिन ले आना, मैं तो इस लगाम को तुझ से नहीं क़ुबूल करुँगा।

फ़ाइदा:— आप ने लेने से इसलिये इन्कार कर दिया था ताकि उस की बुराई स्पष्ट हो जाये। और लोग इस से इबरत हासिल करते हुये ऐसी हर्कत न करें।

बाब {ग़नीमत के माल में ख़ियानत करने वाले की सज़ा का बयान।}

2713:— सालेह बिन मुहम्मद बिन ज़ाइदा कहते हैं कि मैं मस्लमा बिन अ़ब्दुल मालिक के साथ रुमी क्षेत्र में गया तो एक आदमी लाया गया जिस ने ग़नीमत के माल में ख़ियानत की थी। उन्होंने सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उमर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: मैंने अपने वालिद से सुन, उन्होंने उमर रज़ि॰ से और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से कि आप ने फ़रमाया: **जब तुम पाओ कि किसी ने ग़नीमत में ख़ियानत की है तो उस का सामान और माल जला डालो और उसे मारो। कहते हैं कि फिर हम ने उस के सामान में से क़ुरआन पाक पाया। मसलमा ने** उसके जलाने के बारे में सालिम से पूछा तो उन्होंने कहा: उसे बेच दो और उस की क़ीमत सदक़ा कर दो।

2714:— सालेह बिन मुहम्मद कहते हैं कि हम ने वलीद बिन हिशाम के साथ जिहाद किया और हमारे साथ सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उमर और उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ रह॰ भी थे। एक शख़्स ने ग़नीमत में कुछ ख़ियानत कर ली तो वलीद ने उस के सामान को जलाने का हुक्म दिया तो जला दिया गया, फिर उसे लश्कर में घुमाया गया और माले ग़नीमत में से उस को उस के हिस्से से भी महरुम कर दिया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह (मौक़ूफ़) रिवायत पहली की निस्बत ज़्यादा सहीह है। कई एक ने रिवायत किया है कि वलीद बिन हिशाम ने ज़ियाद बिन सअ़द का माल जला दिया था, क्योंकि उस ने ग़नीमत में ख़ियानत की थी और उसे मारा भी था।

2715:— अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम, अबू बक्र और उमर ने ग़नीमत के माल में चोरी करने वाले

का माल जलाया और उसे मारा पीटा। इमाम अबू दावूद ने कहा कि अ़ली बिन बहर ने वलीद के वास्ता से इतना और कहा है कि उन्होंने उस को उस के माले ग़नीमत के हिस्से से महरुम रखा, मगर मैं (अबू दावूद) ने उन से यह नहीं सुना।

फ़ाइदा:— सामान जलाने वाली ऊपर की तीनों हदीसें जओ़फ़ हैं। सब कुछ कमान्डर के ऊपर है कि मौके पर वह जिस्मानी सज़ा दे, या हिस्सा उसे न दे, या और कोई सज़ा उसे दे। सामान जलाना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इस बारे में कोई भी सहीह रिवायत नहीं।

बाब {माले-ग़नीमत में चोरी करने वाले की चोरी पर पर्दा डालना मना है।}

2716:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि॰ ने (खुत्बे में बयान किया) अम्मा बाद! और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे: "जिस ने ग़नीमत में किसी चोर की चोरी पर पर्दाडाला तो वह भी उसी चोर की तरह है।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, लेकिन इस का अर्थ दूसरी दलीलों की रोशनी में सहीह है।

बाब {क़ातिल को उस के मक़्तूल काफ़िर का माल दिया जाये।}

2717:— अबू क़तादा रज़ि॰ नेबयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हुनैन की तरफ़ रवाना हुये जब हम कुफ़्फ़ार के मुक़ाबले में आये तो मुसलमानों में बहुत गड़बड़ मची। मैंने एक काफ़िर को देखा कि वह एक मुसलमान पर चढ़ाई कर रहा है। चुनान्चे मैं घूम कर उस के पीछे से आया और उस की गर्दन के पास तल्वार मारी, तो वह मेरी तरफ़ आया और मुझे (पकड़ कर) इतना दबाया कि मैं ने उस से मौत की बू पाई। फिर उसे मौत आ गयी और उस ने मुझे छोड़ दिया। मैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ि॰ से मिला और उन से कहा: लोगों को क्या हो गया है? (कि भाग खड़े हुये हैं) उन्होंने कहा: बस यह अल्लाह का करना है। फिर लोग लौट आये, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बैठे और फ़रमाया: जिस ने किसी को क़त्ल किया हो और उस का गवाह भी होतो उस मक़्तूल का सामना उसी का है। अबू क़तादा ने कहा कि मैं खड़ा हुआ और कहा: कोई है जो मेरी तरफ़ से गवाही दे (कि उस को मैंने ही क़त्ल किया है) यह कह कर मैं बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दूसरी मतर्बा भी यह फ़रमाया कि "जिस ने किसी को क़त्ल किया हो और उस पर गवाह भी कोई हो तो उस मक़्तूल का सामान उसी का है।" अबू क़तादा ने कहा कि मैं दोबारा उठा और कहा: कौई है कि जो मेरे बारे में गवाही दे? फिर मैं बैठ गया। आप ने तीसरी बार फ़रमाया तो मैं फिर खड़ा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: ऐ अबू क़तादा! क्या बात है? यह सुन कर मैंने अपना सारा क़िस्सा बयान किया तो एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यह सच कहते हैं और उस मक़्तूल का सामन मेरे पास है (ऐ अल्लाह के रसूल) आप अबू क़तादा को उस के बारे में राज़ी कर दें (कि वह मक़्तल का सामान मुझे दे दे) अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने कहा: नहीं, अल्लाह की क़सम (ऐसा नहीं हो सकता) कि वह काफ़िर अल्लाह के शेरों में से एक शैर पर हमला करे जो अल्लाह और उस के रसूल की तरफ़ से लड़ रहा हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उस का सामान तुझे दे

दें? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः अबू बक्र ने सच कहा, वह सामान अबू क़तादा को दे दो। उन्होंने बयान किया कि वह सामान मुझे दे दिया गया, फिर मैं ने (उस सामान में से) ज़िरह बेची और उस की क़ीमत से बनी सलमा में एक बाग़ ख़रीदा और वह मेरी पहली जायदाद थी जो मैंने इस्लाम लाने के बाद हासिल की।

फ़ाइदाः— जो माल मक़्तूल के पास हो उस का क़ातिल ही हक़दार समझा जाता है। सामान में कपड़ा, सवारी और हथियार है। उस के ठिकाने और डेरे पर जो सामान है वह मुराद नहीं। नक़्द और ज़ैवर के बारे में इख़्तिलाफ़ है।

2718:— अनस बिन मालिक रजि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हुनैन के दिन फ़रमाया थाः जिस ने किसी काफ़िर को क़त्ल किया हो तो उस काफ़िर का सामान उस क़ातिल का है। अूब तल्हा रज़ि॰ ने उस दिन बीस आदमियों को क़त्ल किया और उन का सामान भी प्राप्त किया। अबू तल्हा अपनी पत्नी उम्मे सुलैम से मिले जबकि उम्मे सुलैम के हाथ में एक खन्जर था तो पूछाः ऐ उम्मे सुलैम! यह तुम्हरे पास क्या है? उन्हेांने कहाः अल्लाह की क़सम! मेरा इरादा यह है कि इन काफ़िरों में से कोई मेरे क़रीब आया तो मैं इस खन्ज़र से उस का पेट चीर दूँगी। फिर अबू तल्हा ने यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को भी बताई। इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह हदीस हसन है।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस हदीस से हमारा मक़्सद ख़न्जर के बारें में बताना है (कि हथियार के तौर पर उस का प्रयोग जाइज़ है) कि उन दिनों अ़जमी लोग ही उसे प्रयोग करते थे।

बाब {इमाम अगर उचित समझे तो क़ातिल को मक़्तूल के कुछ सामान से महरुम कर सकता है। और यह बयान कि घोड़ा का शुमार भी सामान में होगा।}

2719:— औ़फ़ बिन मालिक अशजअ़ी रज़ि॰ बयान करते हैं कि मैं ज़ैद बिन हारिसा के साथ मूता की जन्ग में रवाना हुआ। यमन से जो कुमक हमें मिली थी उन में से एक शख़्स मेरे साथ हो लिया, उस के पास सिवाए तल्वार के और कुछ न था। मुसलमानों में से किसी ने एक ऊँट ज़ब्ह किया तो उस ने ज़ब्ह करने वाले से खाल का एक हिस्सा माँगा जो उस ने उस को दे दिया, तो उस ने उस चमड़े को ढाल की तरह बना लिया और फिर हम चलते रहे। हमें भी लश्कर से मुक़ाबला करना पड़ा। उन में एक आदमी अपने लाल घोड़े पर सवार था जिस की ज़ीन और हथियार सुनहरे कलर के थे। वहमी मुसलमानों पर बड़े सख़्त हमले कर रहा था, तो यमन की कुमक वाला आदमी एक चटान की ओर में उस रुमी की ताक में बैठ गया। जब वह उस के पास से गुज़रा तो उस यमनी ने उस के घोड़े की टाँगे काट डालीं तो वह रुमी गिर पड़ा और यह यमनी उस पर चढ़ बैठा और क़त्ल कर दिया, फिर उस का घोड़ा और हथियार लेलिया। जब अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फ़त्ह दी तो ख़ालिद बिन वलीद ने उस यमनी को बुलवाया और उस के सामान में से कुछ ले लिया। औ़फ़ रज़ि॰ ने बयान किया कि मैं उन के पास गया और कहाः ऐ ख़ालिद! क्या आप को मालूम नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का फ़ैसला है कि सामान क़त्ल करने वाले का होता है। उन्होंने कहाः हाँ, लेकिन मैं उस सामान को ज़्यादा समझता हूँ। मैंने कहाः या तो आप

उसे वापस कर दें, वर्ना मैं आप की यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बताऊँगा, लेकिन ख़ालिद ने वापस करने से इन्कार कर दिया। औ़फ़ रज़ि॰ ने बयान किया कि फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जमा हुये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से उस यमनी व्यक्ति का क़िस्सा बयान किया और ख़ालिद ने जो किया था उसे भी बयान किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ऐ ख़ालिद! क्या वजह थी जो तुम ने किया? ख़ालिद ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उस सामान को बहुत ज़्यादा समझा था (इसलिये कुछ ले लिया) आप ने फ़रमायाः तुम ने जो कुछ उस से लिया है उस को वापस कर दो। औ़फ़ रज़ि॰ कहते हैं कि मैंने ख़ालिद रज़ि॰ सेकहाः ऐ ख़ालिद! लो, मैंने जो कहा था उेस पूरा कर दिया (यानी सामान वापस करने का हुक्म दिला दिया)नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से पूछाः क्या मामला है? मैंने आप को बताया तो आप गुस्सा हो गये और फ़रमायाः ऐ ख़ालिद! उस का सामान मत वापस करो, क्या तुम लोग मेरी ख़ातिर मेरे हाकिमों (कमान्डरों) के साथ कोई नर्मी नहीं कर सकते (यह कैसे संभव है कि) उन के मामलात की अच्छाई और भलाई, तो तुम्हारे लिये हो और ख़राबी के ज़िम्मेदार अकेले वही हों।

2720:— अ़ब्दुरहमान बिन जुबैर बिन नुफ़ैर अपने पिता से, और उन्होंने औ़फ़ बिन मालिक से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत की।

फ़ाइदा:— यह रिवायत मुस्लिम में भी है। कमान्डर को मौक़े पर कुछ फ़ैसला लेना होता है उस के फ़ैसले में कुछ कमी-बेशी हो सकती है, तो इस का यह मतलब नहीं कि उस का मज़ाक़ उड़ाने लगें, उसे तन्क़ीद का निशाना बनाएँ। यही शिक्षा देने के लिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दोबारा फ़ैसला उलट दिया।

बाब **{मक़्तूल के सामान में से पाचवाँ नहीं निकाला जाता।}**

2721:— औ़फ़ बिन मालिक अशजअ़ी और ख़ालिद बिन वलीद बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मक़्तूल के सामान के बारे में फ़रमाया था कि यह क़ातिल का हक़ है और इस में से पाँचवाँ (खुमुस) नहीं निकाला।

बाब **{जो किसी सख़्त घायल को क़त्ल करे, उसे उस के सामान में से कुछ देना।}**

2722:— अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बद्र के दिन मुझे अबू जेहल की तल्वार दी थी, अबू जेहल को उन्होंने ही क़त्ल किया था। (देखें हदीस न॰ 2680 का फ़ाइदा)

बाब **{जो शख़्स ग़नीमत की तक़्सीम के बाद पहुँचे, उस का ग़नीमत के माल में कोई हिस्सा नहीं।}**

2723:— अबू हुरैरा रज़ि॰ सई़द बिन आस रज़ि॰ से बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने इबान बिन सई़द बिन आस को मदीना से नज्द की तरफ़ एक जिहादी मोहिम पर रवाना किया। यह लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास ख़ैबर में उस समय

पहुँचे जबकि आप ने ख़ैबर को फ़त्ह कर लिया था। इबान बिन सओद और उस के साथियों के घोड़ों के तन्ग (लगाम) खजूर की छाल के थे। इबान ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें भी दीजिये। अबू हुरैरा रज़ि॰ ने बयान किया कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इन्हें मत दीजिये। इबान ने कहा: ओ बिल्ले की तरह का जानवर! तुम यह कह रहे हो और (कहाँसे) हमारे पास ज़ाल (पहाड़) की चोटी से उतर आये हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया : इबान बैठ जाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन को ग़नीमत में से कुछ न दिया।

***2724*:—** अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं मदीना पहुँचा जबकि आप ख़ैबर में थे। जिस समय आप ने उसे फ़त्ह किया था तो मैंने आप से कहा था कि मुझे भी कुछ दें, तो सओद बिन आ़स के बच्चों में से किसी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इन्हें मत दीजिये। मैंने कहा: यह इब्ने क़ौक़ल को क़त्ल करने वाला है। इस पर सओद ने कहा: इस बिल्ले जैसे जानवर पर तअ़ज्जुब है कि ज़ाल पहाड़ की चोटी से हमारे पास उतर आया है और मुझे एक मुसलमान के क़त्ल पर ग़ैरत दिलाता है जिस को अल्लाह पाक ने मेरे हाथों इज़्ज़त बख़्शी (उसे शहादत नसीब हुयी) और मुझे उस के हाथों ज़लील नहीं किया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह लगभग दस आदमी थे (इन में से छः शहीद होगये और बाक़ी वापस लौट आये थे।)

***फ़ाइदा*:—** इब्ने क़ौक़ल का नाम नोमान बिन क़ौक़ल था। इन्हें उहुद के दिन इबान ने जो उस समय मुसलमान नहीं हुये थे क़त्ल कर दिया था। हदीस न॰ 2724 में है कि अबू हुरैरा ने माँगा था तो इबान ने मना कर दिया था। हदीस न॰ 2723 में है कि इबान ने माँगा था तो अबू हुरैरा ने मना कर दिया था। उलमा ने हदीस न॰ 2724 को तर्जीह दी है कि अबू हुरैरा ने माँगा था। इबान हुदैबा के बाद इस्लाम लाये थे।

***2725*:—** अबू मूसा अश्अ़री रज़ि॰ बयान करते हैं कि हम लोग (हब्शा से) वापस आये (और ख़ैबर पहुँचे) तब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ख़ैबर को फ़त्ह कर लिया था, तो आप ने हम लोगों को भी हिस्सा दिया....था। यह कहा कि आप ने हमें भी उस में से थोड़ा-बहुत दिया.....हालाँकि आप ने ख़ेबर की जन्ग से ग़ाइब रहने वालों में से किसी को कुछ न दिया था। केवल उन्हीं लोगों को दिया जो आप के साथ हाज़िर थे, मगर हम लोग कश्ती में सवार होकर आये थे, जाफ़र रज़ि॰ और उन के साथियों को दूसरे मुजाहिदों के साथ माले ग़नीमत में हिस्सा दिया था।

***फ़ाइदा*:—** इन लोगों को जो दिया गया था या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने हिस्सा खुमुस (पाँचवाँ) में से दिया था, या फिर मुजाहिदों से पूछ कर माले ग़नीमत में से दिया था। वर्ना जो ग़ैर हाज़िर थे उन का कोई हक़ नहीं बनता है।

***2726*:—** अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बद्र वाले दिन खड़े हुये और फ़रमाया: उस्मान अल्लाह के काम से और नबी के काम से गये हैं

और मैं उन की तरफ़ से बैअ़त ले रहा हूँ। फिर आप ने ग़नीमत में से उन का भी हिस्सा निकाला और उन को छोड़ कर बाक़ी ग़ाइब रहने वालों में से किसी को कुछ नहीं दिया।

फ़ाइदा:— बद्र की लड़ाई के मौक़ा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की बेटी और उस्मान रज़ि॰ की बीवी बीमार थीं, इसलिये आप ने उन्हें उन की देख-भाल के लिये छोड़ दिया था, रुक़य्या रज़ि॰ का उसी बीमारी में निधन हो गया था, इसी बुनियाद पर आप ने उन्हें माले-ग़नीमत में हिस्सा दिया था। अल्बत्ता इस में बैअ़त लेने वाली बात रावी का वहम और शुब्हा है। बैअ़त तो हुदैबिय्या के मौक़ा पर ली थी।

बाब {महिला और गुलाम को ग़नीमत में से इनाम दिया जायेगा।}

2727:— यज़ीद बिन हुर्मुज़ ने बयान किया कि नज्दा (हरवी, जो कि ख़वारिज का सर्दार था) ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ को कोई प्रश्न लिख कर भेजे। उन में से एक प्रश्न यह भी था कि क्या गुलाम का ग़नीमत में कोई हिस्सा होता है? और औ़रतों के बारे में पूछा कि क्या वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जिहाद में जाया करती थीं? और क्या ग़नमीत में इन का भी कोई हिस्सा है या नही? इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने फ़रमाया: अगर मुझे यह डर न होता कि यह कोई मूर्खता करेगा तो मैं उसे उत्तर न देता (आप ने लिखा कि) गुलाम को इनाम दिया जाता था और महिलायें घायलों का उपचार करती थीं और पानी पिलाया करती थीं।

2728:— यज़ीद बिन हुर्मज़ ने बयान किया कि नज्दा हरवी ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ को लिखा और पूछा कि नज्दा हरवी ने इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ को लिखा और पूछा कि क्या महिलायें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जिहाद में जाया करती थीं? और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम उन्हें माले ग़नीमत में से कुछ देते थे? यज़ीद बिन हुर्मुज़ ने बयान किया कि इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ का जवाब नज्दा की तरफ़ मैंने तहरीर किया था कि औ़रतें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ जन्ग में शरीक होती थीं और यह कि उन्हें ग़नीमत में से कोई हिस्सा दिया जाता था.....ऐसा नहीं होता था, ताहम उन्हें उपहार और इनाम ज़रुर दिया जाता था।

फ़ाइदा:— औरतें मुजाहिजद की हैसियत से जन्ग में शामिल नहीं होती हैं, इसलिये उन्हें मुजाहिद की तरह हिस्सा देने का प्रश्न ही नहीं होता, अल्बत्ता उन की सेवा और ख़िदमतको सामने रख कर उचित इनाम दिया जाता है ताकि उन का दिल खुश हो जाये।

2729:— हशरज बिन यज़ीद अपनी दादी (उम्मे ज़ियाद) से रिवायत करते हैं कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ ख़ैबर की जन्ग में शरीक हुयीं थीं और वह छः में से छठी महिला थीं (जो जन्ग में शरीक हुयी थीं) उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो उन्होंने हमें बुलवा भेजा, हम हाज़िर हुयीं तो हम ने आप को गुस्से में पाया और पूछा: तुम किस के साथ और किस की इजाज़त से आयी हो? हम ने कहा: ऐ अल्लह के सन्देष्टा! हम आई हैं तो बाल बटती हैं और उस से जिहाद में मदद करती हैं, हमारे पास घायलों के लिये दवा-दारु भी है, तीर इकट्ठे कर के देती हैं, सत्तू पिलाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु

अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः जाओ (कोई बात नहीं) फिर जब अल्लाह पाक ने ख़ैबर को फ़त्ह करा दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें भी हिस्सा दिया जैसे कि मर्दों को दिया था। मैंने पूछाः दादी अम्माँ! क्या दिया था? उन्होंने कहाः खजूर।

2730:— उमैर रज़ि॰ जो कि आबी लहम के गुलाम थे बयान करते हैं कि मैं अपने मालिकों के साथ ख़ैबर की लड़ाई में हाज़िर हुआ तो उन्होंने मेरे बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बात की तो आप ने मेरे बारे में हुक्म दिया, मेरी गर्दन में एक तल्वार लटका दी गयी मैं उसे घसीटने लगा। फिर आप को बताया गया कि यह गुलाम है तो आप ने मेरे बारे मेंफ़रमायाः और घर के सामान में से कुछ इनाम के तौर पर दिया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस का अर्थ यह हुआ कि आप ने ग़नीमत के माल में से हिस्सा नहीं दिया था।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अबू उबैद ने बयान किया कि हदीस के रावी "अबिल्लहम" का नाम इसलिये पड़ा कि उन्होंने गोश्त को अपने ऊपर हराम कर लिया था। आबिल्लहम का अर्थ है "गोश्त से इन्कार करने वाला"

फ़ाइदा:— इन का अस्ल नाम अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल मालिक बिन अ़ब्दुल्लाह है।

2731:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं बद्र के दिन सहाबा के लिये कुएँ से पानी भरता रहा था (कुएँ में उतर कर हाथ से डोले भरता था क्योंकि नीचे पानी कम था)

फ़ाइदा:— हो सकता है उन्हें इस पर इनाम मिला हो। इसीलिये यह हदीस यहाँ आयी।

बाब {क्या मुश्रिक का ग़नीमत में कोई हिस्सा है?}

2732:— आइशा रज़ि॰ से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि मुश्रिकों में से एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से मिला ताकि आप के साथ मिल कर (मुश्रिकों से) जन्ग करे। आप ने फ़रमायाः वापस चले जाओ (यह अल्फ़ाज़ यहया के हैं। इस के बाद यहया और मुसद्दद दोनों का इत्तिफ़ाक़ है कि) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः हम मुश्रिकों से सहायता नहीं लेते।

फ़ाइदा:— जब इन से सहायता नहीं ले सकते तो माले ग़नीमत में हिस्सा भी नहीं। हाँ, अगर ज़रुरत पड़ने पर उन की मदद ली जाये, जैसे अल्लाह के रसूल ने हिजरत के मौक़ा पर अ़ब्दुल्लाह बिन अरीक़त से रास्ता बताने की मदद ली थी, तो इस के बदले में कुछ उजरत, उपहार और इनाम में देना दुरुस्त है।

बाब {घोड़ों के हिस्सों का बयान।}

2733:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुजाहिद और उस के घोड़े के लिये तीन हिस्से मुक़र्रर फ़रमाये थे। एक हिस्सा मुजाहिद का और दो हिस्से उस के घोड़े के।

2734:– अबू अ़म्रा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुये, हम लोग चार आदमी थे और एक घोड़ा था। चुनान्चे आप ने हम में से हर एक को एक-एक हिस्सा और घोड़े को दो हिस्से दिये।

2735:– (मुसद्दद की सनद से है कि) अबू अ़म्रा ने ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की मगर इस रिवायत में इतना और है कि हम तीन लोग आये थे और आप ने घोड़ सवार को तीन हिस्से दिये।

फ़ाइदा:– यह हदीस ज़अ़ीफ़ है।

बाब {उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि घोड़े का भी एक हिस्सा है।}

2736:– मुजमे बिन जारिया अन्सारी से रिवायत है......और यह ऐसे क़ारी थे कि जिन्होंने पूरा क़ुरआन पढ़ा था (याद किया था) .... वह बयान करते हैं कि हम हुदैबिय्या में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ हाज़िर थे। जब हम वापस होने लगे तो देखा कि लोग अपने ऊँटों को तेज़ भगा रहे हैं। लोगों ने एक-दूसरे से पूछाः क्या मामला है? उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर वह्यि नाज़िल हुयी है, तो हम भी लोगों के साथ ऊँट दौड़ाते हुये निकले। हम ने कुराउल् ग़मीम के स्थान पर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम अपनी सवारी पर रुके हुये हैं। जब लोग आप के पास जमा हो गये तो आप ने सूरः फ़तह की आयतें तिलावत फ़रमायीं: "हम नेआप को स्पष्ट तौर पर विजय दी है......" एक शख़्स ने पूछाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इसी का नाम विजय है? आप ने फ़रमायाः हाँ, उस ज़ात की क़सम! जिस के हाथ में मुहम्मद की जान है, यह विजय है। चुनान्चे बाद में ख़ैबर के माले ग़नीमत हुदैबिय्या वालों पर तक़्सीम की गयीं। आप ने उन के अठारह हिस्से बनाये और लश्कर वालों की संख्या पन्द्रह सौ थी जिन में सौ घोड़ सवार थे। पस आप ने घोड़ सवार को दो हिस्से और पैदल को एक हिस्सा दिया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि अबू मुआ़विया की हदीस ज़्यादा सहीह है और उसी पर अ़मल है (हदीस न॰ 2733) और इस रिवायत न॰ 2736 में वहम है कि घोड़ सवार तीन सौ बताये हैं, हालाँकि दो सौ थे।

फ़ाइदा:– सहीह यह है कि लश्कर की संख्या 1400 थी और घोड़ सवार दो सौ थे। घोड़े के लिये दो हिस्से थे। इस प्रकार कुल हिस्से 1800 बने। हर एक सौ के लिये एक हिस्सा था और कुल 18 हिस्से बनाये गये।

बाब {(ग़नीमत में हिस्से देने के अ़लावा) मज़ीद इनाम देने का बयान।}

2737:– इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बद्र के दिन फ़रमायाः जिस ने ऐसे-ऐसे किया, उसे इतना-इतना इनाम (फल) मिलेगा। चुनान्चे नौजवान आगे बढ़े और बड़ी उम्र के लोग निशानात (या झन्डों) के पास रुके रहे। जब अल्लाह पाक ने उन

को फ़त्ह दी तो बुजुर्गों ने कहाः हम तुम्हारा सहारा थे, अगर तुम्हें हार होती तो तुम लोग हमारे ही पास लौट के आते। सारी ग़नीमत तुम ही न समेट ले जाओ कि हमें कुछ न मिले। मगर जवानों ने इन्कार किया और कहने लगेः यह तो वह चीज़ हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमारे लिये ख़ास फ़रमाया है। तब अल्लाह पाक ने सूरः अन्फ़ाल की आयत नाज़िल फ़रमायी। चुनान्चे उन के लिये बेहतर हुआ और ऐसे फ़रमाया कि मेरी इताअ़त करो बेशक इस के अन्जाम को मैं तुम से बेहतर जानता हूँ।

2738:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने बद्र के दिन फ़रमायाः जिस ने किसी को क़त्ल किया तो उस के लिये इतना -इतना इनाम है। और जो किसी को पकड़ कर क़ैद कर ले तो उस के लिये इतना-इतना है। फिर ऊपर की हदीस की तरह हदीस बयान की। और ख़ालिद की हदीस ज़्यादा कामिल है।

2739:— (हारुन बिन मुहम्मद बिन बक्कार की सनद से रिवायत है) और दावूद बिन अबू हिन्द से यह हदीस अपनी सनद से रिवायत की है।, उन्होंने कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने ग़नीमत को बराबर बराबर तक़्सीम किया। और ख़ालिद की रिवायत (हदीस न॰ 2737) ज़्यादा कामिल है।

2740:— मुस्अ़ब बिन सअ़द अपेन पिता (सअ़द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰) से रिवायत करते हैं उन्होंने बयान किया कि बद्र के दिन मैं एक तल्वार लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह पाक ने आज दुश्मन के मुक़ाबला में मेरा सीना ठन्डा कर दिया है तो आप यह तल्वार मुझे दे दीजिये। आप ने फ़रमायाः यह तल्वार न मेरी है न तुम्हारी। चुनान्चे मैं चला और मैं यह कहता जा रहा थाः यह आज उस आदमी को दी जायेगी जिस ने मुझे जैसी बहादुरी नहीं दिखाई होगी। मैं इसी हालत में था कि एक बुलाने वाला मेरे पास आया और कहाः (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास) पहुँचो। मैंने सोचा कि मैंने जो बोल बोले हैं उन की वजह से मेरे बारे में कोई वह्यि नाज़िल हुयी होगी। चुनान्चे मैं आया तोनबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः तुम ने मुझ से तल्वार माँगी थी, हालाँकि यह न मेरी है और न तेरी, और जब अल्लाह पाक ने मुझे दे दिया है तो अब यह तल्वार तुम्हारी हो गयी है। फिर आप ने सूरः अन्फ़ाल की यह आयत तिलावत फ़रमायी।

इमाम अूब दावूद ने कहा कि इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ की रिवायत है : "यस्-अलू-न-कन्नफ़ल

फ़ाइदाः— अ़रबी में क़िरात का इख़्तिलाफ़ हमेशा से रहा है। मश्हूर क़िरात वह है जो क़ुरआन पाक में छपा है।

बाब {लश्कर के एक दस्ते को मज़ीद इनाम देना जिस ने बड़े लश्कर से अलग होकर कोई मोहिम सर की हो।}

2741:— इब्ने उमर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें एक

लश्कर में नज्द की तरफ़ रवाना किया और उस में से एक दस्ता दुश्मन के मुक़ाबला में गया। चुनान्चे लश्कर वालों को 12-12 ऊँट मिले, लेकिन दस्ते में शरीक लोगों को एक-एक ऊँट और मज़ीद दिया गया। इस प्रकार उन का हिस्सा 13-13 ऊँट हो गया।

2742:— वलीद बिन उत्बा दिमश्क़ी कहते हैं कि वलीद बिन मुस्लिम ने कहाः मैंने इब्ने मुबारक से यह हदीस बयान की। मैंने कहाः हमें इब्ने अबी फ़रवा ने भी नाफ़े से यह रिवायत बयान की है। इब्ने मुबारक ने कहाः यह लोग, जिन का तुम ने नाम लिया है, मालिक बिन अनस के बराबर नहीं हो सकते (इमाम मालिक रह॰ की रिवायत राजेह है)

2743:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक दस्ता नज्द की तरफ़ रवाना किया, मैं भी उन के साथ था। हमें बहुत से जानवर हाथ आये तो हमारे अमीर ने हम में से हर-हर शख़्स को एक-एक ऊँट नफ़ल के तौर पर दिया। फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास पहुँचे और आप ने हम में हमारी ग़नीमतें तक़सीम कीं तो हम में से हर-हर शख़्स को पाचवाँ निकालने के बाद 12-12 ऊँट मिले और हमारे अमीर ने जो हमें दिया था उस का नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कोई हिसाब नहीं लिया और न उस की कारवाई पर कोई ऐब लगाया, इस प्रकार हमें नफ़ल समेत 13-13 ऊँट मिले।

2744:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने एक दस्ता नज्द की तरफ़ रवाना फ़रमाया जिस में अ़ब्दुल्लाह बिन उमर भी शामिल थे। उन लोगों को बहुत बड़ी तादाद में ऊँट हासिल हुये। चुनान्चे लश्कर के मुजाहिद लोगों का हिस्सा 12-12 ऊँट हुआ और एक-एक ऊँट नफ़ल के तौर पर दिये गये। इब्ने मौहब ने मज़ीद कहा कि (अमीर की तक़सीम में) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने कोई तब्दीली न फ़रमायी।

2745:— इब्ने उमर रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें एक दस्ते में रवाना किया तो हमारे हिस्से में 12-12 ऊँट आये, और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें एक-एक ऊँट नफ़ल के तौर पर और दिया।

इमाम अबू दावूद ने कहा कि इस रिवायत को बुर्द बिन सनान ने नाफ़े के वास्ते से उबैदुल्लाह की तरह हदीस रिवायत की है। और अय्यूब ने भी नाफ़े से इसी तरह रिवायत किया है मगर इस रिवायत में है कि "हमें एक-एक ऊँट नफ़ल के तौर पर दिया गया" इस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का ज़िक्र नहीं है।

2746:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (बड़े लश्कर में से) जब छोटे दस्तों को भेजते तो उन लोगों को आ़म लश्कर में तक़सीम होने वाली ग़नीमत के अ़लावा ख़ास नफ़ल (यानी इज़ाफ़ी इनाम) भी दिया करते थे। और खुमुस मजमूअ़ी ग़नीमत में से निकालना वाजिब है।

2747:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बद्र के दिन 315 लोगों को लेकर रवाना हुये। आप ने दुआ़ फ़रमायीः ऐ अल्लाह! यह लोग पैदल हैं, उन्हें

सवारियाँ दें। ऐ अल्लाह! यह लोग बिना वस्त्र के हैं, उन्हें वस्त्र दें। ऐ अल्लाह! भूखे हैं उन्हें पेट भर दे। चुनान्चे अल्लाह पाक ने आप को बद्र में फ़त्ह दिया। पस जब यह लोग वापस हुये तो उन में से हर एक के पास एक-एक या दो-दो ऊँट थे, उन्हें कपड़े भी मिले और खाना से भी सैर हुये।

बाब {इस मस्अले की दलील कि पाचवाँ (खुमुस) पहले निकाला जोय और इज़ाफ़ी इनाम बाद में दिये जायें।}

2748:— हबीब बिन मस्लमा फ़हरी रज़ि॰ ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम (ग़नीमत में से) पाँचवाँ हिस्सा निकालने के बाद तीसरा हिस्सा नफ़ल इज़ाफ़ी इनाम के तौर पर तक़्सीम फ़रमाया करते थे।

फ़ाइदा:— कुफ़्फ़ार से लड़ कर उन से माल मिलता है उसे "ग़नीमत" कहा जाता है। इस में खुमुस (पाँचवाँ) हिस्सा अल्लाह के नाम का अलग कर दिया जाता है। इस खुमुस को नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पाँच स्थान पर ख़र्च करते थे। इस का ज़िक्र सूरः अन्फ़ाल 41 में है।

2749:— हबीब बिन मस्लमा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पाँचवाँ निकालने के बाद शुरु में (पहली मर्तबा) चौथा हिस्सा नफ़ल के तौर पर (इज़ाफ़ी इनाम) दिया करते थे। और जन्ग में लौटते समय (दोबारा लश्कर कशी में) तीसरा हिस्सा दिया करते थे पाँचवाँ निकाल लेने के बाद।

2750:— इमाम मक्हूल (शामी रह॰) बयान करते हैं कि मैं मिस्र में बनी हुज़ैल की एक औरत का गुलाम था। उस ने मुझे आज़ाद कर दिया, फिर मैं वहाँ (मिस्र) से उस समय तक नहीं निकला जब तक कि अपनी जानकारी के मुताबिक़ वहाँ के उलमा से तमाम का तमाम इल्म हासिल नहीं कर लिया। फिर मैं हिजाज़ आया और वहाँ से उस समय तक नहीं निकला जब तक कि अपनी जानकारी के मुताबिक़ वहाँ का तमाम इल्मा जमा नहीं कर लिया। फिर इराक़ आया और वहाँ से उस समय तक नहीं निकला जब तक कि अपनी जानकारी के मुताबिक़ वहाँ था तमाम इल्म जमा नहीं कर लिया। फिर मैं शाम आया और उस के उलमा से खूब सीखा और हर एक से मैं ग़नीमत में नफ़ल (इज़ाफ़ी इनाम) के बारे में सवाल करता रहा तो मुझे कोई न मिला जो मुझे इस बारे में कुछ बताता। आख़िर में मैं एक शैख़ से मिला जिस का नाम ज़ैद बिन जारिया तमीमी था। मैं ने उस से पूछाः क्या आप ने नफ़ल के बारे में कुछ सुना है? उस ने कहाः हाँ। मैंने हबीब बिन मस्लमा फ़हरी रज़ि॰ को बयान करते हुये सुना है वह बयान कर रहे थे कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के यहाँ हाज़िर था कि आप ने शुरु जिहाद में चौथा हिस्सा और लौटते समये (यानी दूसरी बार हमला करने की सूरत में) तीसरा हिस्सा नफ़ल के तौर पर (इज़ाफी इनाम) अ़ता फ़रमाया।

बाब {छोटे दस्ते की हासिल की हुयी ग़नीमत बड़े लश्कर में भी तक़्सीम होगी।}

2751:— अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह (शुऐब) अपने दादा से रिवायत करते है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः सब मुसलमानों के खून आपस में बरारर हैं (हद जारी होने में छोटे-बड़े किसी का लिहाज़ नहीं) उन में से जो भी किसी काफ़िर को अमान दे दे तो

उन में का अदना आदमी भी उस का पास रखे (जैसे कि बड़े रखते हैं) और उन में का दूर वाला भी अमान दे सकता है (जैसे कि केन्द्र (मर्कज़) में रहने वाला) तमाम मुसलमान काफ़िरों के मुक़ाबले में एक हाथ है। उन का तन्दुरुस्त और ताक़तवर अपने कमज़ोर और सुस्त को भी साथ मिलाये और छोटे दस्ते में जाने वाला बड़े लश्कर में रह जाने वालों को भी शरीक समझे। किसी मोमिन को काफ़िर के बदले में, या किसी अ़हद वाले को जब तक कि उस का अ़हद बाक़ी हो क़त्ल करना नाजाइज़ है। इब्ने इस्हाक़ ने अपनी रिवायत में क़िसास और ख़ून बराबर होने का ज़िक्र नहीं किया।

फ़ाइदा:— यह उस सूरत में है कि जिहाद में निकलते हुये बड़े लश्कर में से किसी दस्ते को अलग कर के किसी ख़ास मोहिम पर भेजा जाये। लेकिन अगर मर्कज़ (केन्द्र) ही से किसी छोटे दस्ते को रवाना किया गया हो और बड़े लश्कर से अलग न किया गया हो तो उस में दूसरों का हिस्सा न होगा।

2752:— अयास बिन सलमा अपने पिता से रिवायत करते हैं कि अ़ब्दुर्रहमान बिन उयैना (फ़ज़ारी) ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ऊँट लूट लिये, उन के चरवाहे को क़त्ल कर डाला, और फिर वह और उस के घोड़ सवार साथी उन्हें हाँकते हुये चल निकले (मुझे मालूम हुआ) तो मैं ने अपना मुँह मदीना की तरफ़ किया और तीन बार यह हाँक लगाई "या सबाहाह (लोगों! मदद को पहुँचों, हम को दुश्मन ने लूट लिया है) फिर मैं दौड़ते हुये उन के पीछे लग गाया। मैं तीर मारता जाता था और उन की सवारियों को घायल करता जा रहा था। अगर उन में से कोई घोड़सवार मेरी तरफ़ पलटता तो मैं किसी पेड़ के ओट में हो जाता, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तमाम सवारियाँ जो अल्लाह ने पैदा फ़रमायी थीं मैंने उन को अपने पीछे (अपने क़ब्ज़े में) कर लिया। उन लोगों ने अपना बोझ हल्का करने की ग़रज़ से तीस से ज़्यादा भाले और तीस चादरें फेंक दिये। फिर उयैना भी उन की सहायता को आ पहुँचा तो उस ने कहा: तुम में से कुछ आदमी उस (सलमा) की तरफ़ हो जाओ। तो उन में से चार आदमी मेरी तरफ़ आये और पहाड़ पर चढ़ गये। मैंने ऊँची आवाज़ से उन्हें कहा: क्या तुम मुझे पहचानते हो? उन्होंने पूछा: तुम कौन हो? मैंने कहा: अक्वा का बेटा हूँ, उस ज़ात की क़सम! जिस ने मुहम्मद के चेहरे को इज़्ज़त बख़्शी है, यह नहीं हो सकता कि तुम में से कोई मुझे पकड़ना चाहे तो मैं उस के हाथ आ जाऊँ। और अगर मैं पकड़ना चाहूँ तो वह बच निकले। फिर थोड़ी देर गुज़री, तो मैं ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सवार दरख़्तों में से (दौड़े) आ रहे हैं। उन में से आगे अख़रम असदी रज़ि॰ थे। वह अ़ब्दुर्रहमान बिन उयैना के मुक़ाबले में हो गये। अ़ब्दुर्रहमान उन पर पलटा और फिर दोनों ने एक-दूसरे पर नेज़े चलाये, चुनान्चे अख़रम असदी रज़ि॰ ने अ़ब्दुर्रहमान का घोड़ा घायल कर दिया और अ़ब्दुर्रहमान ने अख़रम को नेज़ा मारा और उन को शहीद कर दिया। फिर अ़ब्दुर्रहमान अख़रम रज़ि॰ के घोड़े पर सवार हो गया तो अबू क़तादा रज़ि॰ अ़ब्दुर्रहमान के मुक़ाबले में आ गये। उन के दर्मियान भी नेज़ों से मुक़ाबला हुआ। उस ने अबू क़तादा का घोड़ा घायल कर दिया लेकिन क़तादा ने अ़ब्दुर्रहमान को मार डाला। फिर अबू क़तादा

अख़रम रज़ि॰ के घोड़े पर सवार हो गये, फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ जबकि आप उस चश्मे पर तशरीफ़ ले आये थे जहाँ से मैंने उन को भगाया था, उस का नाम "ज़ू क़रद" था। मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पाँच सौ सवार लिये हुये थे। पस आप ने मुझे एक सवार और एक पैदल का हिस्सा दिया।

बाब {इज़ाफ़ी इनाम सोने–चाँदी की सूरत में हो सकता है और उस ग़नीमत से भी जो सब से पहले हासिल हो।}

2753:— अबू जुवैरिया जरमी रह॰ बयान करते हैं कि अमीर मुआ़विया रज़ि॰ के ख़िलाफ़त के ज़माना में मुझे रुमी क्षेत्र में लाल रन्ग का एक घड़ा मिला जिस में दीनार थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से बनी सुलैम के एक शख़्स मअ़न बिन यज़ीद रज़ि॰ हमारे कमान्डर थे, वह घड़ा मैं उन के पास ले आया तो उन्होंने उसे मुसलमानों के दर्मियान तक़्सीम कर दिया और मुझे भी उतना ही दिया जितना कि दूसरों में से हर एक को दिया। फिर कहाः अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को यह फ़रमाते न सुना होता कि "इज़ाफ़ी इनाम" पाँचवाँ हिस्स निकालने के बाद ही हो सकता है, तो मैं तुम्हें भी देता। फिर वह अपना हिस्सा मुझे देने की कोशिश करते रहे, मगर मैं ने इन्कार कर दिया।

2754:— (हन्नाद की सनद से) आ़सिम बिन कुलैब ने अपनी सनद से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत किया है।

बाब {काफ़िरों से हासिल होने वाले माल में से इमाम का अपेन लिये कोई चीज़ ख़ास कर लेना।}

2755:— अ़म्र बिन अ़ब्सा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमें नमाज़ पढ़ाई, ग़नीमत का एक ऊँट (सुतरा के तौर पर) आगे था। जब आप ने सलाम फेरा तो आप ने उस ऊँट के बग़ल से कुछ बाल लिये और फ़रमायाः तुम्हारे ग़नीमत के माल में से मेरे लिये इतना भी हलाल नहीं सिवाये पाँचवें हिस्से (खुमुस) के। और वह पाँचवाँ हिस्सा भी फिर तुम ही में वापस हो जाता है।

फ़ाइदा:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ग़नीमत में से सिर्फ़ पाँचवाँ हिस्सा लिया करते थे।

बाब {वादा और मुआ़हिदा पूरा करना।}

2756:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया (वादा और अनुबन्ध) में धोखा करने वाले के लिये क़ियामत के दिन एक झन्डा गाड़ा जायेगा और कहा जायेगाः यह फ़लाँ बिन फ़लाँ का धोखा है।

फ़ाइदा:— अ़हद और पैमान दो आदमी के दर्मियान हो या दो क़ौमों के दर्मियान, मुसलमान के साथ हो या काफ़िर के साथ, इस के ख़िलाफ़ करना, धोखा देना हराम है और दुनिया और आख़िरत में बेइज़्ज़ती का सबब है।

बाब {लोगों पर लाज़िम है कि इमाम के तै किये हुये मुआहिदा की पाबन्दी करें।}

2757:— अबू हुरैरा रज़ि॰ से रिवायत हैकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: इमाम ढाल है और उस के साथ जिहाद किया जाता है।

2758:— अबू राफ़े बयान करते हैं कि कुरैश के लोगों ने (सुलह हुदैबिया के मौक़ा पर) मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास भेजा। जब मैंने आप को देखा तो मेरे दिल में इस्लाम की तरफ़ से मुहब्बत डाल दी गयी। तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लह की क़सम! मैं तो कभी भी अब उन के पास लौट कर नहीं जाऊँगा। आप ने फ़रमाया: मैं वादा और अनुबन्ध को नहीं तोड़ता और न हरकारा को बन्दी बनाता हूँ, तुम वापस चले जाओ। फिर अगर तुम्हारे दिल में वही बात रहे जो अब है तो वापस आ जाना। कहते हैं कि चुनान्चे मैं वापस चला गया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में लौट आया और इस्लाम कुबूल कर लिया।

बुकैर कहते हैं कि मुझे (हसन बिन अ़ली ने) बताया कि (उन के दादा) अबू राफ़े क़िब्ती गुलाम थे। इमाम अबू दावूद ने कहा कि यह उस ज़माने में था (कि हरकारा) मुसलमान होना चाह रहा था तो उसे वापस कर दिया) आज दुरुस्त नहीं है।

फ़ाइदा:— आज भी किसी जगह इस प्रकार का मुआहिदा हो तो लौटाना पड़ेगा। इमाम अबू दावूद का कहना दुरुस्त नहीं है।

बाब {मुआहिदा के दिनों में इमाम अगर दुश्मन की तरफ़ कूच करे तो (जाइज़ नहीं)}

2759:— सुलैम बिन आ़मिर रह॰ से रिवायत है और यह क़बीला हिमयर से थे, बयान करते हैं कि आमीर मुआ़विया और रुमियों के दर्मियान (सुलह का) अनुबन्ध हो चुका था, और (मुआ़विया रज़ि॰ उस मुआहिदा के ज़माना में) उन के अ़लाक़ों की तरफ़ कूच कर रहे थे ताकि जैसे ही मुआ़हिदे की मुद्दत समाप्त हो (अचानक) उन पर चढ़ाई कर दें, तो अ़रबी घोड़े या तुर्की घोड़े पर सवार एक शख़्स उन की तरफ़ आया। वह अल्लाहु अक्बर-अल्लाहु अक्बर, वफ़ादारी हो, ग़दर नहीं पुकारता आ रहा था। लोगों ने देखा तो वह सहाबी अ़म्र बिन अ़ब्सा थे। मुआ़विया रज़ि॰ ने उन्हें बुलवाया और पूछा: तो उन्होंने कहा: मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है "जिस का दूसरी क़ौम से कोई मुआ़हिदा हो तो उस समय तक कोई नया मुआ़हिदा न करे और न उसे समाप्त करे जब तक कि पहले मुआ़हिदे की समय सीमा बाक़ी हो, या बराबरी की सतह पर उसे तोड़ने का एलान करे" चुनान्चे मुआ़विया रज़ि॰ लौट आये।

फ़ाइदा:— अनुबन्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद अचानक चढ़ाई करना धोखे में शुमार किया गया है, इसीलिये मुआ़विया रज़ि॰ वापस लौट आये।

बाब {ज़िम्मी से किये गये वादे को पूरा करने और उस की सुरक्षा का बयान।}

2760:— अबू बकरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: जिस ने किसी मुआ़हिदा करने वाले को बिला किसी जाइज़ वजह के क़त्ल कर दिया तो अल्लाह

पाक ने उस पर जन्नत हराम कर दी।

बाब **{सफ़ीर और क़ासिद (हरकारा) का बयान।}**

2761:— मुहम्मद बिन इस्हाक़ से रिवायत है कि मुसैलमा (कज़्ज़ाब) ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास एक पत्र लिखा (दूसरी सनद में है कि) नुऐम बिन मस्ऊद रज़ि॰ से रिवायत है कि मैं ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को फ़रमाते सुनाः आप ने मुसैलमा के दो एलचियों से पूछा जबकि आप ने (उस झूठे का) पत्र पढ़ा किः "तुम दोनों (उस के बारे में) क्या कहते हो? उन्होंने कहाः हम वहीं करते हैं जो उस ने कहा है। आप ने फ़रमायाः अल्लाह की क़सम! अगर यह बात न होती कि सफ़ीर (राजदूत) को क़त्ल नहीं किया जाता, तो मैं तुम दोनों की गर्दनें उड़ा देता।

2762:— हारिसा बिन मुज़र्रिब से रिवायत है कि वह इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ के पास आये (जब कि यह कूफ़ा के गवर्नर थे) और कहाः मुझे किसी अ़रब से कोई दुश्मनी नहीं, मैं क़बीला बनी हनीफ़ा की मस्जिद से गुज़रा हूँ तो उन्हें पाया कि वह लोग मुसैलमा पर ईमान रखते हैं (यह मस्जिद कूफ़ा ही में थी) पस अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ ने उन्हें बुलवा लिया। जब उन्हें लाया गया तो उन से तौबा कराया, इब्ने नवाहा को छोड़ कर। इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने उस से कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है कि आप ने (तुझ से) कहा थाः अगर तू राजदूत (सफ़ीर) न होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता और आज तू सफ़ीर की हैसिय्यत से नहीं है। चुनान्चे उन्होंने क़रज़ा बिन कअ़ब रज़ि॰ को हुक्म दिया तो उन्होंने उस को बाज़ार में (पब्लिक की मौजूदगी में) क़त्ल कर दिया। फिर फ़रमायाः जो इब्ने नवाहा को मक़तूल देखना चाहता है वह उसे बाज़ार में जा कर देख ले।

बाब **{मुसलमान महिला भी अमान दे सकती है।}**

2763:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ ने बयान किया कि मुझ से उम्मे हानी बिन्त अ़ब्दुल मुत्तलिब ने बताया कि मैं ने फ़त्ह मक्का के दिन एक मुश्रिक को पनाह दी थी। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास आयी और बताया तो आप ने मुझ से फ़रमायाः जिसे तुम ने पनाह दी उसे मैंने भी पनाह दी।

2764:— आ़इशा रज़ि॰ बयान करती हैं कि (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के ज़माना में) महिला अगर किसी को मोमिनों से पनाह देती तो वह जाइज़ और कुबूल हुआ करती थी (और मुसलमान उसे क़त्ल कर सकते थे)

बाब **{दुश्मन से सुलह कर लेने का बयान।}**

2765:— मिस्वर बिन मख़्रमा रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम हुदैबिया के मौक़ा पर चौदह-पन्दरह सौ सहाबा के साथ रवाना हुये। जब हुलैफ़ा पहुँचे तो आप ने अपनी कुर्बानी को क़लादा पहना दिया और उस के कोहान को चीर लगा दिया और उम्रा का एहराम बाँधा। और हदीस बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम रवाना हुये और जब उस घाटी पर पहुँचे जहाँ से मक्का वालों की तरफ़ उतरते हैं तो आप की सवारी बैठ गयी। लोगों ने

कहाः हल्-हल् (उठ, उठ) क़स्वा बिगड़ गयी है (या अड़ गयी है) दो बार कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः यह न बिगड़ी है और न उस की आ़दत है, उस हाथी को रोकने वाले ने रोका है। फिर फ़रमायाः उस ज़ात की क़सम, जिस के हाथ में मेरी जान है, यह लोग आज मुझे जो भी कोई ऐसा मश्वरा देंगे जिस से वह अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम (सम्मान) करें तो मैं उसे क़ुबूल कर लूँगा। फिर आप ने ऊँटनी को डाँटा तो वह जल्दी से उठ खड़ी हुयी, फिर आप ने उस की तरफ़ से रास्ता बदल लिया और हुदैबिया के पार एक कुँए पर जा उतरे, उस के बाद उर्वा बिन मस्ऊद आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से बात करने लगा। वह जब भी आप से बात करता तो आप की दाढ़ी पर हाथ फेरता। मुग़ीरा बिन शोबा रज़ि॰ आप के साथ ही खड़े थे, उन के हाथ में तल्वार थी और उस पर लोहे की टोपी (जब उर्वा आप की दाढ़ी पर हाथ लगाता तो) यह अपनी तल्वार का दस्ता उस के हाथ पर मार कर कहतेः दूर कर अपना हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की दाढ़ी से। इस पर उर्वा ने सर उठा कर पूछाः यह कौन है? लोगों ने कहाः यह मोग़ीरा बिन शोबा हैं। वह बोलाः ऐ धोखे बाज़! क्या मैं तेरे धोखे और फ़साद में सुलह-सफ़ाई नहीं करता रहा हूँ? (मामला यह था कि) इस्लाम लाने से पहले मोग़ीरा कुछ लोगों के साथ थे तो उन को मार डाला, उनका माल लूट लिया और जा कर इस्लाम क़ुबूल कर लिया। मगर माल चूँकि धोखे का है इसलिये हमें उस की ज़रुरत नहीं........और पूरा वाक़िआ बयान किया। चुनान्चे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः लिखो यह वह मुआ़हिदा है जिस पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लमने इत्तिफ़ाक़ किया है...और पूरी रिवायत बयान की। सुहैल ने कहाः ...... और हम में से जो कोई भी आप के पास आयेगा चाहे वह आप के दीन पर ही क्यों न हो तो उसे हमारी तरफ़ वापस करना होगा। फिर जब लिख कर फ़ारिग़ हो गये तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फ़रमायाः उठो और क़ुर्बानियाँ कर के अपने सरों को मूँड लो। फिर मोमिन और मुहाजिर महिलायें आयीं तो अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि उन्हें वापस न लौटाना। अल्बत्ता यह हुक्म दिया कि उन के महर वापस कर दिये जायें। फिर आप मदीना लौट आये। क़ुरैश के एक आदमी अबू बसीर आप के पास आ गये तो उन लोगों ने उन्हें लेने के लिये अपने दो आदमी भेजे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन्हें उन के हवाले कर दिया। वह अबू बसीर को लेकर चलते बने जब ज़ुल हुल हुलैफ़ा के स्थान पर पहुँचे और वह ठहर कर कुछ खजूरें खाने लगे तो अबू बसीर ने उन में से एक से कहाः अरे! तेरी तल्वार तो बड़ी अच्छी दिखाई देती है। उस ने उसे मियान से निकाल कर कहा कि हाँ-हाँ मैं ने इस को बहुत आज़माया है। अबू बसीर ने कहाः दिखाना ज़रा, मैं भी देख लूँ। उस ने तलवार अबू बसीर को थमा दी। उन्होंने तल्वार लेकर उस पर हमला कर दिया। यह देख कर दूसरा शख़्स भाग कर मदीना आया और मस्जिदे-नबवी में पहुँचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः इस ने कोई डरावनी चीज़ देखी है (चुनान्चे यह घबराया हुआ है) वह बोलाः अल्लाह की क़सम! मेरा साथी मार डाला गया और मैं भी मार डाला जाने वाला हूँ। इतने में अूब बसीर भी आ गये और कहने लगेः अल्लाह की क़सम! आप ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी किआप ने मुझे इन के हवाले कर दिया, फिर अल्लाह पाक ने मुझे इन से नजात दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम ने फ़रमायाः इस की माँ पर अफ़सोस, यह तो जन्ग की आग भड़काने वाला है अगर कोई इसे मिल जाये। जब उस ने सुना तो समझ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम मुझे वापस भेज देंगे, चुनान्चे वह आप के पास से भाग खड़े हुये और समन्दर के किनारे पहुँच गये। फिर अबू जन्दल भी भागे और अबू बसीर से जा मिले, यहाँ तक कि पूरी एक जमाअ़त इकट्ठी हो गयी।

फ़ाइदा:— समुन्दर के किनारे जमा होने वाली यह ज़माअ़त कुरैश के तिजारती क़ाफ़िलों पर हमला करती और उस का सामान लूटती। आख़िर कुरैश ने तन्ग आ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से अनुरोध किया कि उन को मदीना बुला लें।

2766:— मिस्वर बिन मख़रमा और मर्वान बिन हकम से रिवायत है कि कुरैश ने इस बात पर समझौता किया कि दस साल तक कोई जन्ग नहीं होगी। लोग इस मुद्दत में हर प्रकार से अमन और शान्ति से रहेंगे (इस मुआ़हिदे के बारे में) हम दोनों फ़रीक़ के दिल साफ़ रहेंगे, चोरी–छुपे या ख़ियानत से इस मुआ़हिदे की मुख़ालिफ़त न होगी।

2767:— ख़ालिद बिन मादान ने बयान किया कि जुबैर बिन नुफ़ैर ने कहाः आइये हम ज़ी मिख़्बर रज़ि॰ के पास चलते हैं..... वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबी थे.....तो हम उन के पास गये। जुबैर ने उन से सुलह के बारे में पूछा तो उन्होंने कहाः मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से सुना है आप फ़रमाते थेः "तुम लोग रुमियों से एक सुलह करोगे और फिर तुम और वह अपने पीछे (किसी दुश्मन) से जन्ग करोगे।

बाब {ग़फ़लत और अनजान बन कर दुश्मन के पास जाना और उस की मुशाबहत इख़्तियार करना।}

2768:— जाबिर रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः कौन है जो कअ़ब बिन अशरफ़ की ख़बर ले? उस ने अल्लाह और उस के रसूल को बड़ी तक्लीफ़ पहुँचाई है। चुनान्चे मुहम्मद बिन मस्लमा खड़े हुये और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इस काम के लिये तैयार हूँ, क्या आप चाहते हैं कि उसे जान से मार दूँ? आप ने फ़रमायाः हाँ। उन्होंने कहाः आप इजाज़त दें कि मैं उस के सामने कोई बात बनाऊँ। आप ने फ़रमायाः हाँ, तुम बात बना सकते हो। चुनान्चे मुहम्मद बिन मस्लमा उस के पास गये और कहाः इस आदमी ने हम से सदक़ा माँगा है और हमें तन्ग कर रखा है। उस ने कहाः अभी तुम उस शख़्स से और भी झेलोगे। इब्ने मस्लमा ने कहाः चूँकि हम उस की पैरवी कर चुके हैं इसलिये तुरन्त ही उसे छोड़ देना उचित नहीं यहाँ तक कि हम उस का अन्जाम भी देख लें। हम चाहते हैं कि आप हमें एक–दो वसक़ ग़ल्ला दे दो। कअ़ब ने कहाः रहन में क्या चीज़ दोगे? उन्होंने कहाः तुम बदले में क्या चाहते हो? उस ने कहाः अपनी महिलाओं को दे दो। उन्होंने कहाः तुम अ़रब के बड़े सुन्दर शख़्स हो, हम अगर अपनी बीवियों को रहन में तुम्हें दे दें तो यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात होगी। उस ने कहाः चलो अपनी औलाद ही दे दो। उन्होंने कहाः सुब्हानल्लाह! हमारे बच्चों को यह गाली दी जाती रहेगा कि

तुम्हें तो एक–दो वसक़ ग़ल्ले के बदले में रहन रखा गया था। उन्होंने कहाः हाँ, अपना हम अस्लहा रहन में दे सकते हैं। उस ने कहाः ठीक हैं। चुनान्चे वह लोग जब उस के पास आये तो इब्ने मस्लमा ने उसे पुकारा, वह बाहर आया। उस ने खुश्बू लगा रखी थी और उस का सर खुश्बू से महक रहा था। फिर वह मुहम्मद बिन मस्लमा के पास बैठ गया। वह अपने साथ अपने दो–चार साथियों को भी लाये थे, सब लोगों ने उस से खुश्बू का ज़िक्र किया तो वह कहने लगाः मेरे पास फ़लाँ महिला है जो बेहतरीन खुश्बू वाली है। इब्ने मस्लमा ने कहाः अगर इजाज़त हो तो मैं भी सूँघ लूँ। उस ने कहाः हाँ, हाँ सूँघ लो। फिर उन्होंने अपना हाथ उस के सर में लिया और उसे सूँघा। उन्होंने कहाः ज़रा एक बार और। उस ने कहाः हाँ, हाँ (एक बार और सूँघ लो) तो उन्होंने अपना हाथ उस के सर में किया और उस के बालों को अच्छी तरह जकड़ लिया और अपने साथियों से कहाः लो अपना काम कर डालो। चुनान्चे उन्होंने उस को मारा और जान से मार डाला।

फ़ाइदाः— मालूम हुआ कि दुश्मन को मारने के लिये उन से बनावटी तौर पर कुछ ऐसी झूठी बातें कहना जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हों, वक़्ती तौर पर जाइज़ है। और जन्ग चालबाज़ी ही का नाम है।

बाब {.......}

2769:— अबू हरैरा रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ईमान ने धोखे से क़त्ल करने को बन्द कर दिया है। कोई ईमान वाला धोखे से क़त्ल नहीं कर सकता।

फ़ाइदाः— मगर जिन दुश्मनों के साथ जन्ग का एलान हुआ हो और दोनों फ़रीक़ जन्ग की हालत में हों, ऐसी शक्ल में यह अ़मल जाइज़ है।

बाब **{सफ़र में बुलन्दी पर चढ़ते हुये अल्लाहु अक्बर कहना।}**

2770:— अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब किसी जन्ग, हज्ज या उमरे (के सफ़र) से वापस आते हुये ज़मीन की किसी भी ऊँचाई पर चढ़ते तो तीन बार अल्लाहु अक्बर कहते और यह दुआ पढ़तेः

> ***लइला–ह इल्लल्लाहु वह्–दहू ला शरी–क लहू लहुल् मुल्कु व–लहुल् हम्दु वहु–व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर+आइबू–न ताइबू–न आ़बिदू–न साजिदू–न लि–रब्बिना हामिदू–न+स–द–क़ल्लाहु वा–दहू व–न–स–र अ़ब्–दहू व–ह–ज़–मल् अह्ज़ा–ब वह्–दहू***
>
> (अल्लाह के अ़लावा कोई माबूद नहीं, वह एक है, उस का कोई शरीक नहीं, उसी की होकूमत है, तमाम तरह की तारीफ़ें उसी की हैं और वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है। हम लौटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, सज्दा करने वाले हैं, और अपने रब की हमद करने वाले हैं। अल्लाह पाक ने अपना

वादा सच कर दिखाया, अपेन बन्दे की मदद की और तमाम गुटों को उस अकेले ही ने पसपा किया।

बाब **{जिहाद से वापस आ जाने की रुख़्सत जबकि यह अमल पहले मना था।}**

2771:— इब्ने अ़ब्बास रज़ि॰ से रिवायत है कि सूरः तौबा की आयत न॰ 44 को सूरः नूर की आयत न॰ 62 ने मन्सूख़ कर दिया है।

बाब **{खुशख़बरी देने वाले भेजना।}**

2772:— जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह बुजली रज़ि॰ से रिवायत है वह कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुझ से फ़रमायाः क्या तुम मुझे "ज़ी ख़िलसा" से आराम नहीं पहुँचा सकते? चुनान्चे वह उस के पास आये और उस को जला डाला। फिर क़बीला अहमस का एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की तरफ़ भेजा, जो आप के पास खुशख़बरी (शुभसूचना) लेकर गया, उस की कुन्नियत अबू अरतात थी।

फ़ाइदा:— यह बुत ख़ाना क़बीला बनी ख़सअ़म का था। इसे जरीर रज़ि॰ ने तोड़-फोड़ कर समाप्त किया। अगर केवल दीन इस्लाम की बुलन्दी की सूचना देना उद्देश्य हो तो जाइज़ है। और रियाकारी और दिखावे के लिये दुरुस्त नहीं।

बाब **{खुशख़बरी देने वाले को कोई इनाम देना।}**

2773:— कअ़ब बिन मालिक रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब भी किसी सफ़र से वापस लौटतेतो सब से पहले मस्जिद में तशरीफ़ लेजाते। वहाँ दो रकअ़त नमाज़ (नफ़्ल) पढ़ते और फिर लोगों से मिलने के लिये बैठ जाते। (इमाम अबू दावूद के उस्ताद) इब्ने सरह ने पूरी हदीस बयान की और कहाः नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मना फ़रमा दिया था कि हम तीनों से कोई बात-चीत न करे। तो जब यह बंदिश (पाबन्दी) बहुत लंबी हो गयी तोमैं अपने चचा के बेटे अबू क़तादा की दीवार पर चढ़ा और उन को सलाम किया, लेकिन अल्लाह की क़सम! उन्होंने कोई उत्तर न दिया। फिर जब पचास रातें पूरी हो गयीं और उस सुब्ह फज्र की नमाज़ मैंने अपने एक मकान की छत पर पढ़ी; तो मैंने एक पुकारने वाले को ऊँची आवाज़ से पुकारते सुना जो कह रहा थाः ऐ कअ़ब बिन मालिक! खुशख़बरी हो। फिर जब वह मेरे पास पहुँचा तो मैंने उस के लिये अपने कपड़े उतारे और उस को पहना दिया,फिर मैं चला और मस्जिद में दाख़िल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम बैठे हुये थे। तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ि॰ दौड़े हुये मेरी तरफ़ लपके, फिर मुझ से मुसाफ़ह किया और मुबारक बाद पेश की।

फ़ाइदा:— इस हदीस में जिस घटना की तरफ़ इशारा है वह तबूक की जन्ग के मौक़े का है जिस में कअ़ब बिन मालिक नहीं शरीक हुये थे जिस के जुर्म में 50 दिन तक उन का बाइकाट किया गया था। जब तौबा क़ुबूल हो गयी और इस की सूचना......।

बाब {शुक्र के सज्दे का बयान।}

2774:— अबू बक्र रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के पास जब कोई खुशी की ख़बर आती या आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम को बशारत दी जाती तो आप अल्लाह का शुक्र करते हुये सज्दे में गिर जाते थे।

2775:— आ़मिर बिन सअ़द अपने पिता (सअ़द बिन अबू वक़्क़ास रज़ि॰) से बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ मक्का रवाना हुये, हमारा इरादा मदीना जाने का था। जब हम अ़ज़वरा के स्थान पर पहुँचे तो आप अपनी सवारी से उतर पड़े, फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और एक घड़ी अल्लाह पाक से दुआ़ करते रहे, फिर सज्दे में गिर गये और देर तक सज्दे में पड़े रहे, फिर उठे और अपने दोनों हाथों को उठाया और कुछ देर तक अल्लाह पाक से दुआ़यें करते रहे, फिर सज्दे में गिर गये और बड़ी देर तक सज्दे में पड़े रहे। फिर उठे और अपने दोनों हाथों को बुलन्द किया और एक घड़ी तक ऊँचा किये रहे, फिर सज्दे में गिर गये.... हदीस के रावी अहमद बिन सालेह ने यह अ़मल तीन बार का बयान किया...... फ़रमाया मैंने अपने रब से सवाल किया है और अपनी उम्मत के लिये सिफ़ारिश की है तो अल्लाह पाक ने मुझे मेरी उम्मत का तिहाई हिस्सा दे दिया (उसे बख़्श दूँगा) तो मैं ने अपने रब का शुक्र अदा करते हुये सज्दे में गिर गया। फिर मैंने अपना सर उठाया, अपने रब से अपनी उम्मत के लिये दुआ़ की तो उस ने मुझे मेरी उम्मत का (मज़ीद) तिहाई हिस्सा दिया तो मैं अपने रब का शुक्र अ़दा करते हुये सज्दे में गिर गया, फिर मैंने सर उठाया अपने रब से अपनी उम्मत के लिये सवाल किया तो उस ने मुझे मेरी उम्मत का मज़ीद तिहाई हिस्सा भी दे दिया तो मैं अपने रब के लिये सज्दे में गिर गया।

फ़ाइदा:— यह रिवायत ज़ओ़फ़ है, अल्बत्ता शुक्र के सज्दे वाली बात ठीक है।

बाब {(बिना पेशगी सूचना दिये) रात को घर आना (उचित नहीं)

2776:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम इस बात को नापसन्द फ़रमाते थे कि इन्सान रात के समय अपने घर पहुँचे।

फ़ाइदा:— इस में बड़ी हिक्मत पोशीदा है। बीवी सफ़ाई कर के नहा धोकर तैयार हो जाये। इस में बहुत अहम हिक्मत है। देखें बुख़ारी-5243, मुस्लिम-715, 1928।

2777:— जाबिर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: सफ़र से वापसी के मौक़ा पर घर वालों के पास आने का बेहतरीन समय रात का पहला हिस्सा होता है।

2778:— जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ि॰ बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के साथ थे। जब (हम मदीना के निकट अन्तिम पड़ाव पर थे) हम ने चाहा कि अपने घरों को जायें तो आप ने फ़रमाया: ज़रा ठहरो, रात हो जाये तब जाओ ताकि (इस दर्मियान महिला कन्घी-चोटी कर ले और जिस का पति मौजूद नहीं था वह अपने नाफ़ के नीचे के

बालों की सफ़ाई कर ले।

इमाम अबू दावूद कहते हैं कि इमाम ज़हरी रह॰ ने कहाः "तर्क़" इशा के बाद आने को कहते हैं। इमाम अबू दावूद ने कहाः मग़रिब के बाद आने में कोई हरज नहीं।

फ़ाइदाः— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब मदीना के निकट पहुँचते तो ठहर जाते और किसी को मदीना भेज कर एलान करा देते कि आज रात मुजाहिद लोग घर वापस पहुँच जायेंगे, चुनान्चे शौहर वाली महिलायें नहा-धो कर सफ़ाई कर लेती थी।

बाब {सफ़र से वापस आने वाले का स्वागत करना।}

2779:— साइब बिन यज़ीद रज़ि॰ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब तबूक की जन्ग से मदीना तशरीफ़ लाये तो लोगों ने आप का स्वागत (इस्तिक़बाल) किया। दूसरे बच्चों के साथ मैंने भी सनिय्यतुल् वदाअ़ के स्थान पर आप का स्वागत किया।

फ़ाइदाः— लेकिन इस में दिखावा, रिया और शौहरत का दख़ल नहीं होना चाहिये।

बाब {जन्ग से वापसी पर सफ़र में खाने-पीने के सामान को समाप्त कर देना मुस्तहब है।

2780:— अनस बिन मालिक रज़ि॰ बयान करते हैं कि क़बीला अस्लम का एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में आया और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मैं जिहाद के लिये जाना चाहता हूँ मगर तैयारी के लिये मेरे पास कोई माल नहीं है। आप ने फ़रमायाः फ़लाँ अन्सारी के घर चले जाओ, उस ने तैयारी कर रखी थी मगर बीमार हो गया है। उस से जा कर कहो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने सलाम कहा है और फ़रमाया है कि जो सफ़र केलिये सामान तुम ने तैयार कर रखा था वह मुझे दे दो। चुनान्चे वह उन के पास आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम का सन्देश दिया तो उस ने अपनी पत्नी से कहाः ऐ फ़लानी! जो सामान तू ने मेरे लिये तय्यार किया था वह इन्हें दे दो और उस में से कुछ भी न रखना। अल्लाह की क़सम! अगर तुम ने उस में कोई चीज़ रख ली तो अल्लाह उस में बर्कत नहीं देगा।

फ़ाइदाः— जो सामान या माल अल्लाह के लिये ख़ास कर दिया गया हो और इन्सान उसे खुद न ख़र्च कर सके तो किसी और के हवाले कर दे, ख़ास कर जिहाद का सामान कि उस के ख़र्च कर देने में बर्कत और रोक लेने में बेर्बकती है।

बाब {सफ़र से वापस आने पर नमाज़ पढ़ना।}

2781:— कअ़ब बिन मालिक रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो (आ़मतौर पर) दिन ही में आया करते थे। (हदीस के रावी) हसन बिन अ़ली ने कहा कि चाश्त के समय आया करते थे और जब सफ़र से वापस आते तो मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ दो रकअ़त नमाज़ पढ़ते, फिर वहाँ बैठ जाते (ताकि लोगों से मुलाक़ात कर लें)

2782:— इब्ने उमर रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम जब अपने हज्ज से वापस तशरीफ़ लाये और मदीने में दाख़िल हुये तो अपनी ऊँटनी को मस्जिद के दर्वाज़े के पास बैठाया और मस्जिद में चले गये, फिर दो रकअ़त नमाज़ अदा की, फिर अपने घर तशरीफ ले गये। इमाम नाफ़े ने बयान किया कि इब्ने उमर रज़ि॰ भी इसी प्रकार किया करते थे।

फ़ाइदा:— नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है। ख़ास कर जिहाद और हज्ज से वापसी पर।

बाब {साझी का माल तक़्सीम करने की मज़दूरी लेना।}

2783:— अबू सअ़ीद खुदरी रज़ि॰ से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: **"कुसामा" (यानी साझी के माल को तक़्सीम करने की उजरत) से बचो। हम ने कहा: इस** से क्या मुराद है? आप ने फ़रमाया: कोई चीज़ लोगों में मुश्तरक (साझी) हो और कोई आये और उस में से (अपने लिये) कुछ निकाल ले।

2784:— अ़ता बिन यसार रज़ि॰ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम से ऊपर की हदीस की तरह रिवायत करते हैं। **बयान किया कि कोई लोगों पर अमीर हो तो (तक़्सीम करते हुये) कुछ उस के हिस्से में से ले ले और कुछ दूसरे के हिस्से में से।**

फ़ाइदा:— कमान्डर, अमीर या गाँव का पन्च-प्रधान इन लोगों के लिये नाजाइज़ है। अल्बत्ता ऐसा शख़्स जो इस काम का ज़िम्मेदार न हो, उस से बाँटने के लिये कहा जाये और इस पर वह मज़दूरी माँगे तो जाइज़ है।

बाब {जिहाद के दौरान जितारज करना जाइज़ है।}

2785:— नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के सहाबा में से एक शख़्स ने उबैदुल्लाह बिन सलमान से बयान किया कि जब हम ने ख़ैबर फ़तह किया तो लोगों ने अपनी-अपनी ग़नीमतें निकालीं (यानी) सामान और क़ैदी, और फिर उन्हें बेचने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ कर फ़ारिग़ हुये तो एक आदमी आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आज इतना नफ़ा कमाया है कि वादी वालों में से किसी को इतना नहीं मिला होगा। आप ने फ़रमाया: तुम ने क्या कमा लिया है? उस ने कहा: मैं बेचता रहा और खरीदता रहा यहाँ तक कि तीन सौ ऊक़िया का नफ़ा हासिल कर लिया है (एक ऊक़या, चालीस दिंहम का होता है) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया: मैं तुम्हें बताता हूँ कि नफ़ा कमाने में सब से अफ़्ज़ल कौन है? उस ने पूछा: वह क्या है ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने फ़रमाया: दो रकअ़त (नफ़्ली) नमाज़, फ़र्ज़ नमाज़ के बाद।

फ़ाइदा:— जिहाद या हज्ज के सफ़र में तिजारत करना जाइज़ है (देखें सूर: बक़र: 198) लेकिन उस्ल निय्यत तिजारत नहीं, बल्कि हज्ज और जिहाद हो, वर्ना जो निय्यत होगी वही सवाब होगा।

बाब {दुश्मन के क्षेत्र में हथियार को ले जाने देना।}

2786:— बनी ज़िबाब के एक शख़्स ज़िल् जौशन से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि

वसल्लम जब बद्र वालों से निमट चुके तो मैं आप की ख़िदमत में घोड़े का एक बछड़ा लेकर हाज़िर हुआ और कहाः ऐ मुहम्मद! मैं आप के पास इब्ने क़रहा (यानी एक बछड़ा) लेकर आया हूँ, यह आप अपने लिये ले लीजिये। आप ने फ़रमायाः मुझे इस की ज़रुरत नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हें उस के बदले बद्र की चुनी हयी ज़िरहों में से कोई दे दूँ। मैंने कहाः आज तो मैं उस के बदले में कोई घोड़ी भी नहीं लूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः तो फिर मुझे भी उस की ज़रुरत नहीं है।

फ़ाइदाः— हदीस का बाब से यह तअ़ल्लुक़ है कि ज़िल जौशन जो उस समय काफ़िर थे आप ने उन्हें हथियार ज़िरह देने को कहा, जो लामहाला काफ़िरों के पास लेकर जाते। यह रिवायत ज़ओ़फ़ है। आप को कोई उपहार देता तो आप भी उसे देते। जब उस ने नहीं लिया तो आप ने भी नहीं लिया। आप का यह अ़मल सहीह हदीस से साबित है।

बाब {मुश्रिकों के क्षेत्र में ठहरना।}

2787:— समुरा बिन जुन्दुब रज़ि० ने (अपने एक खुत्बे में) बयान किया, अम्म बाद! नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया हैः जो शख़्स किसी मुश्रिक के संगत में रहे और उस की साथ घर बसाये तो वह भी उसी का तरह है।

फ़ाइदाः— एक साथ उठना-बैठना, एक साथ सोना-जागना, एक साथ घर बसाना, इस से सिर्फ़ अख़्लाक़ ही नहीं बल्कि अ़क़ीदा में भी ख़राबी आ जाती है। और यह तबदीली बहुत धीमी रफ़्तार से होती है। इसीलिये शरीअ़त ने ऐसे लोगों की सोहबत और संगत में रहने से मना किया है।

ख़ालिद हनीफ़ सिद्दीक़ी
मस्जिद अहले हदीस, मोरी गेट,
दिल्ली-110006

पहला भाग समाप्त

❀ ❀ ❀